

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

SPECIMEN COPY

डा० दीनानाथ वर्मा, एम० ए० पी एच० डी०
(रीडर, इतिहास विभाग)
पटना विश्वविद्यालय

SPECIMEN COPY



ज्ञानदा प्रकाशन

पटना-४

प्रकाशक

ज्ञानदा प्रकाशन

पटना-४

सर्वाधिकार लेखकाधीन (C) १९६३

[समालोचकों के अतिरिक्त अन्य किसी को इस पुस्तक का कोई अंश किसी रूप में विना लेखक की लिखित अनुमति लिए उद्धृत करने का अधिकार नहीं है ।]

प्रथम संस्करण मितम्बर, १९६३

द्वितीय संस्करण जगन्त, १९६४

तृतीय संस्करण मितम्बर, १९६६

चतुर्थ संस्करण जुलाई १९६८

[सशोधित तथा पृणतया पण्विद्धित]

मूल्य ₹० १५ ०० मात्र

मुद्रक —

ज्ञानोदय प्रेस, पटना-४

चतुर्थ सस्करण के सम्बन्ध में

अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध का यह चतुर्थ सस्करण है जो कई दृष्टियों से तृतीय सस्करण से उत्कृष्ट है। इसमें १९६६ के बाद का घटनाओं का ही बणन नहा किया गया है, बल्कि पिछली घटनाओं में भी नयी तथ्यों का समावेश कराया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत की विदेश नीतियाँ के सम्बन्ध में कुछ नये तथ्य प्रकाश में लाये गये हैं। इनके अतिरिक्त १९६७ की पश्चिम एशिया की घटनाएँ, अरब राजराज्य युद्ध, वियतनाम-युद्ध तथा शान्ति की सम्भावनाएँ तथा परमाणुबिस्त्र अथवा प्रसार निषेध सन्धि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

भाषा है, पाठकों का इस सस्करण से पहले की अपेक्षा अधिक लाभ होगा।

१-७-६८

लेखक

भूमिका

आज का युग अन्तराष्ट्रीयता का युग है। विश्व का कोई भी राष्ट्र अपने आप में विलग रहकर अधिक दिनों तक अपना अस्तित्व कायम नहा रख सकता है। इस तथ्य के जायजद विभिन्न देशों में अपेक्षित महयोग और मैत्री का नितान्त अभाव है। संसार के दोना विश्वयुद्ध इसके प्रमाण प्रमाण हैं। और, अभी भी निश्चित रूप से यह नही कहा जा सकता कि इस धरती पर युद्ध विभीषिका का आतङ्क मदानवदा के लिए समाप्त हो गया है।

एक जमाना था जब अन्तराष्ट्रीय राजनीति से भारतीयों का सीधा सम्बन्ध नहा था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर अंगरेज अपनी इच्छानुसार, लाभ की दृष्टि में पराधीन भारत का विश्व राजनीति के रगमच पर फूटपुतली की तरह जचाना करते थे। अब हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है और पराधीनता से मुक्त होकर हम अन्तराष्ट्रीय राजनीति में अपनी दिलचस्पी लेने लगे हैं। यह अनिवाच्य भी है। इसके अतिरिक्त, चीन हमने स उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत स्वयं अब अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक भरण-जाल में बुरी तरह फँस गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उन्वद्ध भारतीय का अन्तराष्ट्रीय राजनीति एवं सम्बन्धों की जानता-ता-ता अपेक्षित है। इस पुस्तक के लिखने का यह भी एक उद्देश्य है।

विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के नाते लेखक का विद्यार्थियों के प्रति भी कम उत्तरदायित्व नही है। इस उत्तरदायित्व को निवाहना भी इस पुस्तक के लिखने का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आशा है, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को इस पुस्तक में यथोचित लाभ पहुँचेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर अँगरेजी में एक-से-एक उत्कृष्ट ग्रन्थ मिलते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस विषय पर, जहाँ तक लेखक का ज्ञान है, अभी कोई भी ऐसी मौलिक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं एवं तथ्यों का विशद रूप से वर्णन हो।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में लेखक लेशमात्र भी मौलिकता का दावा नहीं करता। इसकी रचना अँगरेजी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के आधार पर हुई है। फिर भी, एक बात में साधिकार कह सकता हूँ कि इस पुस्तक में मने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखा है। सम्भव है इसमें व्यक्त अनेक विचारों में कुछ पाठक सहमत न हों। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे विषय के सम्बन्ध में ऐसा होना अतिनाय और वाञ्छनीय है। इसका प्रधान कारण यह है कि राजनीति तथा विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में हम सबों की दृष्टि केवल विगत अनुभवों के रंग में ही नहीं, बल्कि हमारी निष्ठाओं के रंग में भी रंगी होती है। और, यह आवश्यक भी है। दूर निष्ठा से रहित व्यक्ति देश, विश्वास तथा उन समस्त धारणाओं एवं आशाओं से रहित होता है जो जीवन के लिए जरूरी हैं।

इस ग्रन्थ के प्रणयन तथा प्रकाशन में मुझे कई व्यक्तियों से बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुआ है। मैं उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं उन सभी लेखकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिनको पुस्तक से मुझे इस पुस्तक को लिखने में सहायता मिली है।

सम्भव है, पुस्तक में कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों। इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव मिलेंगे लेखक उन्हें मधन्यवाद स्वीकार करेगा।

इतिहास विभाग,
पटना विश्वविद्यालय }

दीनानाथ वर्मा

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

१. पेरिस का शान्ति-सम्मेलन

१-४६

शान्ति की समस्या—पेरिस का शान्ति-सम्मेलन—३, सर्वोच्च शान्ति परिषद—४, विल्सन—५, लायड जाज—६, विलमेशो—१०, ओरलैंडो—११, आयोग और समितियाँ—१२, गुप्त सन्धियाँ और सम्मेलन की कठिनाइयाँ—१२, वातावरण—१४।

✓ वेर्माय की सन्धि—१५, सन्धि पर हस्ताक्षर—१५, राष्ट्रसघ—१७, प्रादेशिक व्यवस्थाएँ—१८, राइनलैंड—१८, सार—१९, जर्मनी की पूर्वी सीमा—१९, जर्मन उपनिवेश—२१, जर्मनी का निरस्त्रीकरण—२२, क्षतिपूर्ति—२३, युद्ध अपराध—२५, जर्मनी पर सन्धि का प्रभाव—२६, वेर्माय की सन्धि का मूल्यांकन—२७, विविध प्रतिक्रियाएँ—२७, आरोपित सन्धि—२८, साधारण शिष्टाचार का उल्लंघन—२९, सन्धि का आधार विश्वासघात—३०, कठोर संधि—३२, कठिन सिद्धान्तों पर आधारित सन्धि—३३, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण—३३, राजनेतृत्व की महान् पराजय—३५, वेर्माय सन्धि का औचित्य—३५, जनमत—३६, विविध आयोग और कार्यपद्धति—३६, विविध आकांक्षाएँ—३७, राष्ट्रीयता का सिद्धांत—३८, सम्मेलन की कठिनाइयाँ—३९, रूस की क्रान्ति—३९, राष्ट्रसघ—४०।

अन्य शान्ति सन्धियाँ—४०, सॉ जर्मों को सन्धि—४०, त्रियानो की सन्धि—४२, निकुली की सन्धि—४३, सेत्र की सन्धि—४४, समसहार—४४।

२. राष्ट्रसघ

४७-१०२

ऐतिहासिक पृष्ठाधार—४७, राष्ट्रसघ का जन्म—४८, राष्ट्रसघ के उद्देश्य—५०, मदस्यता—५०, वित्त और कार्यालय—५१, राष्ट्रसघ के अंग—५१, एसेम्बली—५१, कामिल—५४, एसेम्बली और कौंसिल के पारस्परिक सम्बन्ध—५५, सचिवालय—५७, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—५८, अन्तरराष्ट्रीय श्रम सघ—५९, अन्तरराष्ट्रीय विवादों का शान्ति-पूर्ण निपटारा—६१, सुरक्षण प्रणाली—६४, अल्पसंख्यक जातियों

विषय

पृष्ठ

को समस्या—६८, राष्ट्रमघ के प्रशामनीय काय—७०, मार का प्रशामन—७०, डान्जिग का प्रशामन—७१, राष्ट्रमघ का स्वरूप—७२, शान्ति सस्थापक के रूप में राष्ट्रमघ—७४ ।

राष्ट्र सघ का पतन—७८, मचूरिया का युद्ध—७९, अयोनीनिया का युद्ध—८४, स्पेन का गृह-युद्ध—९०, अत्येष्टि क्रिया—९१, राष्ट्र-सघ की असफलता के कारण—९२, राष्ट्रमघ न गैर राजनीतिक काय—१००, राष्ट्रमघ का मूल्यांकन—१०२ ।

३ सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या

१०३-१४६

विषय प्रवेश—१०, फ्रांसीसी सुरक्षा का प्रश्न—१००, भौगोलिक गारंटी—१०४, आल फ्रांसीसी मतभेद—१०६, वेल्जियम और पोलैंड के साथ मन्धि—१०७, लघुमैत्री मघ—१०९, फ्रांसीसी गुटवन्दी का खोखलापन—११०, जेनेवा प्रोटाकोल—१२१ ।

✓ लोकानों पैक्ट—१५, लोकानों समझौते की प्रष्टभूमि—११५, समझौते की कठिनाइयाँ—११६, लोकानों की मन्धियाँ—११७, लोकानों समझौते का मूल्यांकन—११८, लोकानों समझौते की त्रुटियाँ—१२१, उपसहार—१२४, पेरिस पैक्ट—१२४, पेरिस समझौते का मूल्यांकन—१२७ ।

✓ निरस्त्रीकरण की समस्या—१२८, प्रारम्भिक प्रयास—१२९, वार्शिगटन सम्मेलन—१३०, राष्ट्रमघ के प्रयास—१३२, जेनेवा सम्मेलन—१३३, लंडन सम्मेलन—१३४, राष्ट्रमघ के अन्तगत निरस्त्रीकरण के प्रयास—१३७, जनरा का निरस्त्रीकरण सम्मेलन—१३९, सम्मेलन का अन्त—१४४, निरस्त्रीकरण की असफलता—१४५, सम्मेलन की विफलता का कारण—१४६ ।

४ क्षतिपूर्ति, युद्ध-शुणा और आर्थिक संकट

१५०-१८५

✓ क्षतिपूर्ति की समस्या—१५०, क्षतिपूर्ति की कठिनाइयाँ—१५१, जर्मनी की कठिनाइयाँ—१५२, जॉन फ्रांकोसो मतभेद—१५३, राइन में पाश्चात्यवादो आन्दोलन—१५८, रूस प्राधिपत्य में क्षय का चिन्ता—१६०, क्षय का चिन्ता—१६५, युग का चिन्ता—१६६, टुवर मुश्किल—१६९, युगात् सम्मेलन की क्षतिपूर्ति का अन्त—१७० ।

विषय

पृष्ठ

आर्थिक संकट—१७२, आर्थिक संकट का कारण—१७, प्रलय का आरम्भ—१७५, जर्मनी की स्थिति—१७६, आर्थिक संघ का प्रस्ताव—१७६, क्रेडिट आन्स्टाल्ट का दिवाल्ला—१७८, ब्रिटेन में संकट—१७९, विश्व अथ सम्मेलन—१८०, मरुट का अन्त—१८१ आर्थिक संकट का परिणाम—१८१ ।

५ जर्मनी में नात्सी क्रांति

१८६-२०५

जर्मनी का पुनराद्भव—१८६, नात्सी क्रान्ति के कारण १८७, वसाय की सन्धि— १८७, जातीय परम्परा—१८९, आर्थिक संकट— १८९, साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव—१९० मसदीय परम्परा का अभाव—१९१, जर्मनी की सैनिक प्रवृत्ति—१९१, हिटलर का व्यक्तित्व—१९२, हिटलर का अभ्युदय—१९३, जर्मन गणतन्त्र का विनाश—१९६ विश्व-राजनीति पर नात्सी क्रांति का प्रभाव—१९७ ।

६ जर्मनी की विदेश नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध

२०६-२४७

जर्मनी की विदेश नीति के उद्देश्य—२०६ हिटलर और वसाय सन्धि—२०६, पोलैंड के साथ समझौता—२०७, आस्ट्रिया को हड़पने का प्रयत्न—२०८, ब्रिटेन के साथ समझौता—२१०, स्टेसा सम्मेलन—२११ राइनलैंड—२११, रोम बर्लिन धुरी—२१२, कामिनटान विराधो समझौता—२१६, आस्ट्रिया का जर्मनी में विलयन—२१७, आस्ट्रिया काँड का महत्त्व—२२०, चेकोस्लोवाकिया का विनाश और म्यूनिख का समझौता—२२२, चेकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पसङ्ख्यकों की समस्या—२२२, अन्तर्राष्ट्रीय संकट की आरंभ—२२५ रन्शीमन मिशन—२२६ वशटेगाडेन का प्रस्ताव—२२८, गेटेमबर्ग का प्रस्ताव— २२६, म्यूनिख का समझौता—२२९, म्यूनिख समझौते की समीक्षा—२३२, ब्रिटेन द्वारा समझौता करने का कारण—२३५, चेकोस्लोवाकिया का अन्त—२३६, रूस-जर्मन समझौता तथा पालैंड पर आक्रमण—२३८, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन—२४०, अन्तिम संकट—२४० ।

७ महाशक्तियों की विदेश नीति

२४८-३०६

(क) इटली की विदेश नीति—२४८, फासिज्म का उत्कर्ष— २४९, भूमध्यसागर पर प्रभुत्व-स्थापना—२५०, कोर्सी कांड—२५०,

विषय

फूम—२५०, रूस में मित्रता—२५१, टिराना की सन्धि— २५१, हिटलर का उदय तथा फ्रांस और ब्रिटेन से सम्बन्ध—२५१, अविसीनिया का युद्ध—२५२, युद्ध के कारण—२५२, युद्ध के परिणाम—२५४, रोम गलिन घुरी—२५४, रूस का विरोध—२५४, स्पेन का गृह-युद्ध—२५५, विदेशी प्रतिक्रिया—२५६, अहस्तक्षेप समिति—२६१, इटली पर प्रभाव—२६३ ।

(ख) फ्रांस की विदेश नीति—२६४, सुरक्षा की योजना—२६५, राष्ट्रसंघ के प्रति फ्रांसीसी नीति—२६५, जर्मनी के प्रति फ्रांस की नीति—२६५, ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध—२६५, नीति परिवर्तन—२६६, पेरिस पैक्ट, निरस्त्रीकरण और यूरोपीय संधि बनाने का यत्न—२६६, हिटलर के उदयोपरांत फ्रांस की विदेश नीति—२६७, फ्रांस में सन्तुष्टीकरण-नीति का विकास—२६८, सन्तुष्टीकरण के कारण—२६६ ।

(ग) ब्रिटेन की विदेश नीति—२७०, विदेश नीति के तत्त्व—२७१, साम्यवादी रूस का खतरा—२७३, जर्मनी के प्रति महानुभूति—२७२, सन्तुष्टीकरण की नीति का व्योरा—२७६, ब्रिटिश सन्तुष्टीकरण नीति (Policy of Appeasement) के प्रमुख आधार—२७६, साम्यवाद का आतंक—२७६, शक्ति सन्तुलन का सिद्धांत—२७७, ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद—२७८, ब्रिटिश नेताओं की अक्षमता और जनता के विचार—२७८, ब्रिटेन की दुबलता और चेम्बरलेन का व्यक्तित्व—२७६ ।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति—२८०, अमेरिकी साम्राज्यवाद—२८०, विदेश राजनीति में अमेरिका—२८२, पाथक्ववाद का पुनरावर्तन—२८४, पुनरावर्तन के कारण—२८५, पूर्वी एशिया में दिल्चस्पी—२८५, यूरोपीय समस्याएँ और अमेरिका—२८६, तटस्थता कानून—२८७, तटस्थता की नीति के परिणाम—२८७, लैटिन अमेरिका के साथ सम्बन्ध—२८८ ।

(ङ) सोवियत संघ की विदेश नीति—२९०, विषय प्रवेश—२९०, पूँजीवाद हस्तक्षेप—२९०, सोवियत संघ का बहिष्कार—२९३, नीति परिवर्तन—२९४, विदेशों से सम्पर्क स्थापना—२९४, जेनेवा सम्मेलन—२९५, रेपोलो समझौता—२९६, रूस और अमेरिका का सम्बन्ध—२९७, रूस और राष्ट्रसंघ—२९८, अनाक्रमण संधियाँ—३००, फ्रांस के साथ सन्धि—३००, रूस और जर्मनी का समझौता—३०२ ।

८ विश्व-राजनीति मे पश्चिम एशिया ३०७-३३५

पश्चिम एशिया का महत्त्व—३०८, तुर्की की परराष्ट्र नीति—३०८, लुसान की सन्धि—३१०, तुर्की परराष्ट्र नीति क मूल—३१०, मोन्ट्रो की सन्धि—३१०, रूस क साथ सम्बन्ध—३१२, अमेरिका और तुर्की—३१०, तुर्की क पड़ोसी राष्ट्र—३१४, तुर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के राज्य—३१४, युद्ध क अवसर पर तुर्की—३१८, फिलिस्तीन की समस्या—३१५, बैलफोर घोषणा—३१५, फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सरक्षता—३१५, पील आयोग—३२० गोलमेज सम्मेलन—३०२, ऑग्ल मिस्त्री सम्बन्ध—३२३, टामजोर्डान मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद—३३५, इराक मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद—३२६, लेबनान और सीरिया—०२२।

९ विश्व-राजनीति मे पूर्वी एशिया ३३६-३५७

पेरिस शान्ति सम्मेलन और पूर्वी एशिया—३३६, वाशिंगटन सम्मेलन—३३८, चीन की राजनीति—३४४, जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोदभव—३४६, मचूरिया का महत्त्व—३४८, मचूरिया-विजय की तैयारी—३४६, मचूरिया कांड—३५०, राष्ट्रमघ और मचूरिया कांड—३५३, मचूरिया कांड का महत्त्व—३५३, चीन जापान युद्ध—३५४।

१० रूढ़कालीन अन्तर्राष्ट्रीय-सम्मेलन और समझौता ३५८-३६३

विषय प्रवेश—३५८, अल्बानिक चाटर—३५६, सयुक्त राष्ट्र की घोषणा—३५६, कैसाब्लेन्का सम्मेलन—३६०, मास्का सम्मेलन—३६०, बार्सिलोना सम्मेलन—३६०, तेहरान सम्मेलन—३६०, ब्रिटेनबुड्स सम्मेलन—३६१, डब्लिन ओकम सम्मेलन—३६१, ब्यूवेक सम्मेलन—३६१, मास्को सम्मेलन—३६१, याल्टा सम्मेलन—३६१, सैनफ्रांसिस्का सम्मेलन—३६२, पाटमडाम सम्मेलन—३६२।

११ सयुक्त राष्ट्र सघ ३६४-४६३

शान्ति संधियाँ—३६४, युद्धात्तर विश्व की समझौतें—३६४, सयुक्त राष्ट्र सघ की उत्पत्ति—३६५, डब्लिन ओकम—३६५, सैनफ्रांसिस्का सम्मेलन—३६५, नया सगठन क्यों—३६६, सयुक्त राष्ट्रसघ का जन्म—३६६, सयुक्त राष्ट्रसघ का स्वरूप—३६७, चाटर—३६८,

विषय

उद्देश्य और सिद्धान्त—३६८, सदस्यता—३६८ सघ से इंडोनीशिया का अलग होना—३७६, संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग—३७१, साधारण सभा—३७१, छाटी एसेम्बली और शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव—३७३, सुरक्षा परिषद—३७, मतदान प्रणाली—३७८, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद—३८१, संरक्षण परिषद—३८५, राष्ट्र-संघ तथा संयुक्त राष्ट्र की संरक्षण परिषद में तुलना—३८८, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय—३८६, सचिवालय—३६१, चार्टर में सशोधन की समस्या—३६५, चार्टर की त्रुटियाँ और उनको दूर करने के उपाय—३६६, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ में तुलना—४०३।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य—४०८, ईरान का विवाद—४०८, मोरिया-लेनान का विवाद—४०६, यूनान का विवाद—४०६, प्रलिन के घेरे का मामला—४१०, इंडोनीशिया की समस्या—४१०, फिलिस्तीन की समस्या—४१२, स्पेन—४१४, कोफु चैनल विवाद—४१४, ट्रुस्टे की समस्या—४१५, ब्रिटेन और फारस—४१५, दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों की समस्या—४१६, कश्मीर की समस्या—४१६, कोरिया की समस्या—४३२, बर्मा में चीनी सनाएँ—४३८, ट्यूनिस और मास्का—४३८, स्वतंत्र जहर की समस्या—४३८, हंगरी का प्रश्न—४४३, कांगों की समस्या—४४५, मादप्ररा की समस्या—४५५, यमन की समस्या—४५८, वियतनाम की समस्या—४५६, क्यूबा का प्रश्न—४६१, दक्षिण राडेशिया—४६३, डोमीनिकन गणराज्य में अमरीकी हस्तक्षेप—४६५, अरब इजरायल संघर्ष—४६६,

संयुक्तराष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य—४६६, आर्थिक कार्य और संगठन—४६६, अन्तरराष्ट्रीय धर्म संगठन—४६६, खाद्य और कृषि संगठन—४७०, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष—४७३, अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक—४७३, अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम—४७३, मन्त्रसन्धी कार्य और संगठन—४७४, अन्तरराष्ट्रीय मीनिल एनियेशन संगठन—४७४, विश्व डाक संघ—४७४, अन्तरराष्ट्रीय दूर संचार संघ—४७५, विश्व मृदु विज्ञान संगठन—४७५, अंतर-मरुतरी नागरिक सलाहकार संस्था—४७६, संयुक्तराष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संस्था—४७७, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी कार्य—४८०, विश्व स्वास्थ्य संगठन—४८०, अन्तरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फाण—४८१, विश्व शरणार्थी संगठन—४८२,

संघ के गैर राजनीतिक कार्यों का मूल्यांकन—४८२, संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन—४८३, संयुक्त राष्ट्रसंघ की कुछ समस्याएँ—४८८ ।

१२ शीत युद्ध और सरासरी शान्ति

४६४-५४७

शीत युद्ध की उत्पत्ति—४६४, शीत युद्ध के कारण—४६४, द्वितीय मोर्चा का प्रश्न—४६५, पुरातन व्यवस्था की स्थापना का प्रयास—४६६, रूस द्वारा समझौते का अतिक्रमण—४६७, इरान में रूसी सेनाओं का न हटाया जाना—४६७ तर्क पर रूस का दबाव—४६८, यूनान में मायिगत संघ का दबाव—४६८, रूस का अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान—४६८, अणुबम का आविष्कार—४६८, सोवियत विरोधी प्रचार अभियान—४६८ ।

शीत युद्ध की प्रगति—४६६, स्ट्रुश्चेव की अमरीकी यात्रा—५०३, यू२ विमान कांड—५०३, पेरिस का शिखर सम्मेलन—५०५, क्यूबा की घटना—५०६, रूस-चीन-त्रिपक्ष और शीत युद्ध का भविष्य—५१०, १९६४ के बाद शीत-युद्ध—५१२, अरब इजरायल संघर्ष और शीत युद्ध—५१४, ग्लोबलरी का शिखर सम्मेलन—५१५, शीत युद्ध की वर्तमान स्थिति—५१६ ।

सैन्य संधियाँ और संगठन—५१७, अमरीकी राज्या का संगठन—५१८, ब्रुसेल्स संधि संगठन—५१८, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन—५१९, वारसा पैक्ट—५२१, कन्द्रीय संधि संगठन तथा बगदाद पैक्ट—५२२, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन—५२३, सैन्य संगठना का प्रभाव—५२६ ।

निरस्त्रीकरण की समस्या—५२६, समस्या की उत्पत्ति—५२७, निरस्त्रीकरण की राजनीति—५२८, १९५५ का समझौता—५२९, जेनेवा सम्मेलन—५२९, लन्दन सम्मेलन—५३०, भारत का प्रस्ताव—५३१, स्पृत्तनिक कूटनीति—५३१, बुलगानिन योजना—५३२, रफाकी योजना—५३२, आइसनहावर का जवाब—५३३, जेनेवा सम्मेलन—५३३, संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्ट्रुश्चेव का प्रस्ताव—५३३, जेनेवा सम्मेलन—५३४, जुलाई १९६० से अगस्त १९६३ तक निरस्त्रीकरण में प्रगति—५३६, अगस्त १९६३ का समझौता—५३८ निरस्त्रीकरण के अन्य प्रस्ताव—५४०, १९६८ की परमाणविक प्रसार निषेध संधि—५४२, उपसंहार—५४६ ।

१३ संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश-नीति

५४८-५८०

विषय प्रवेश—५४८, ट्रूमैन मित्रान्त—५४९, यूनान की समस्या—
५४९, तुर्की की समस्या—५५०, ईरान की समस्या—५५१, ट्रूमैन
सिद्धान्त—५५२, मार्शल योजना—५५४, चतुःत्रिंशु कार्यक्रम—५५५,
सैनिक मधियों की नीति—५५६, साम्यवाद के माथ शक्ति परीक्षण—
५५६, पारस्परिक सहिष्णुता की नीति—५६० ।

पश्चिमी एशिया और अमेरिका—५६०, तेल राजनीति—५६०,
पश्चिमी एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप—५६१, पश्चिम एशिया में
अमेरिका का सैन्य संगठन—५६२, आइसनहावर सिद्धान्त—
५६२, लेबनान में अमरीकी सेना का प्रवेश—५६४, जोर्डन में हस्त-
क्षेप—५६५ आइसनहावर सिद्धान्त का मूल्यांकन—५६५ ।

पश्चिम यूरोप में अमरीकी प्रभाव का हास—५६६, नाटो में
मतभेद—५६७,

पूर्वा एशिया और अमेरिका—५६८, चीन और अमेरिका—
५६८, जापान और अमेरिका—५६९, हिन्द-चीन की समस्या और
अमेरिका—५७०

कैनेडी-प्रशासन काल में अमरीकी नीति—५७१, विदेश नीति
की नवीन सीमा—५७१, क्यूबा का संकट—५७३, जॉनसन के काल में
अमरीकी विदेश नीति—५७४, वियतनाम संघर्ष और अमेरिका—
५७४, अमरीकी नीति में परिवर्तन—५७५, कारिया और प्बेन्ना
संकट—५७७, १९६७ से पश्चिम एशिया का संकट और जॉनसन—
प्रशासन की नीति—५७८, अमरीकी विदेश नीति का मूल्यांकन—
५८० ।

१४ सोवियत संघ की विदेश-नीति

५८१-६२३

सोवियत विदेश नीति के मूलाधार—५८१, स्टालिन-युग में
सोवियत विदेश नीति—५८२, विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार
की नीति—५८२, पूर्वो यूरोप पर मार्क्सवादी प्रभाव को स्थापना—
५८३, स्टालिन और युगास्लाविया—५८३, नाहे के पदों की नीति—
५८७, उपनिवेशवाद का विरोध और शांति का समर्थन—५८८,
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रति सोवियत नीति—५८९, स्टालिन की नीति
का मूल्यांकन—५९० ।

स्टालिनोत्तर विदश नीति—५६१, हंगरी तथा सोवियत सघ—५६२, सोवियत विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत—५६४, यात्रा कूटनीति और आर्थिक सहायता की नीति—५६६ शिखर-सम्मेलन—६०१, आर्थिक सहायता की नीति—६०२, सोवियत सघ और जर्मनी—६०३, विदेश मन्त्रियों का जेनेवा-सम्मेलन—६०४, शिखर समेलन क वाद—६०५, वियना-सम्मेलन के वाद—६०५, बर्लिन की दीवार—६०५, क्यूबा का संकट और सोवियत सघ—६०६ ।

1. सोवियत सघ और चीन—६०६, पारस्परिक सुरक्षा समझौता—६०७, संयुक्त राष्ट्र सघ में चीन की मान्यता का प्रश्न—६०७, चीन और रूस का पहला मतभेद—६०८, चीन और रूस का सैद्धांतिक झगडा—६०८, जुलाई १९६० का सम्मेलन—६०९, ख्रुश्चेव का पतन और चीन रूस विवाद—६१० ।

सोवियत सघ का नया नेतृत्व और विदेश नीति—६१२, ताशकन्द सोवियत कूटनीति का नया अध्याय १९६०, सोवियत कूटनीति का जादू—६१५, सोवियत कूटनीति की सफलता के कारण—६१५, पारिस्तान क प्रति नवीन दृष्टिकोण—६१६, अरब-इजरायल संघर्ष और सोवियत सघ—६१७, सोवियत सघ और वियतनाम—६२०, पश्चिम के प्रति सोवियत सघ का नया रूख—६२१, सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन—६२१,

१५. यूरोप, एशिया और अफ्रिका की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ ६२४-७४२

यूरोप—६२४, विश्व राजनीति में यूरोप की स्थिति—६२४, यूरोपीय आर्थिक सहायता संगठन ६२६, यूरोपीय कॉन्सिल—६२६ यूरोपीय अदायगी मघ ६२७, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय ६२७, आर्णावक शक्ति समुदाय—६२७, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ६२७, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार परिषद ६२८,

ग्रेट ब्रिटेन की विदेश-नीति—६२८, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ६२८, ब्रिटेन और यूरोपीय संधि बाजार ६३०, अन्य देशों के साथ ब्रिटेन का सम्बन्ध ६-१, राष्ट्रमंडल ६३२, विश्व राजनीति में ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति ६२०, फ्रांस की विदेश नीति ६३२, आश्रित फ्रांस और विदेश नीति ६३०, राष्ट्रपति दगाल का उदय ६३३ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान पाने की चेष्टा—६३४, फ्रांस द्वारा नाटा का परित्याग ६३५,

✓ एशियाई समस्याएँ—६३६, चीन का जागरण और साम्यवादी चीन ६३६, मान्यता का प्रश्न ६३७, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की क्रान्ति का महत्त्व ६३७, चीन की स्थिति पर प्रभाव ६३८, नवीन शक्ति सन्तुलन ६३८, एशिया और अफ्रिका पर प्रभाव ६३८, मोवियत संघ पर प्रभाव ६४०, चीन की विदेशी नीति-६४०, साम्यवादी विचारधारा-६४०, उपनिवेशवाद और पूँजावाद का विरोध-६४०, राष्ट्रीय हित-६४१, विदेश नीति के साधन-६४१, साम्यवादी चीन और फारमोसा ६४२, अन्तर्राष्ट्रीय सहायग और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध की स्थापना ६४४, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ६४४, चीन की उप विदेश नीति का उदय ६४६, साम्यवादी चीन और एशिया पर प्रभाव स्थापना का प्रश्न ६४७ चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन ६४६,

पाकिस्तान की विदेश-नीति-६५२, पाकिस्तान को जन्म ६५२, सैनिक तानाशाही की स्थापना ६५२, पाकिस्तान का विदेश नीति ६५३, कश्मीर नीति का मूलाधार ६५५ मुस्लिम जगत का नेतृत्व ६६६, पाकिस्तान विदेश नीति के कुछ तथ्य ६५६, भारत-पाक युद्ध और वर्तमान विदेश नीति ६५७, ताशकन्द सम्मेलन और पाकिस्तान ६५८,

✓ विदेश राजनीति में इंडोनीशिया ६५६, सुरक्षा परिषद में इंडोनीशिया का प्रश्न ६६०, डचों द्वारा फूट डालने की नीति ६६०, प्रथम पुलिस कार्यवाही ६६१, दूसरी पुलिस कार्यवाही ६६२, इंडोनीशिया गणराज्य की स्थापना ६६२, पश्चिम इरियन की स्थापना ६६३, इंडोनीशिया की आन्तरिक राजनीति ६६४, इंडोनीशिया की विदेश-नीति-६६६, इंडोनीशिया और चीन ६६७, मलयशिया और इंडोनीशिया ६६७, एशिया में नया शक्ति संगठन-६६८, भारत-पाक युद्ध और इंडोनीशिया ६६६, इंडोनीशिया की आन्तरिक गड़बड़ी और पिंडि पिंकिंग जकाता घुरी का अन्त ६६९, मलेशिया का प्रश्न-६७२, मलेशिया और सिंगापुर ६७४ ।

✓ हिन्द चीन की समस्या-६७५, जेनेवा समझौता ६७५, लाओस ६७५, कम्बोडिया ६७७, वियतनाम की समस्या ६७८, यह युद्ध २७६, उत्तर वियतनाम पर अमरीकी हमला ६८२, समझौते का प्रयास ६८४, १९६६ के हवाई हमले ६८७, मनीला सम्मेलन ६८८, लार्ड रसेल की अदालत का निणय ६८८, फरवरी माच १९६८ का युद्ध ६९०, अमेरिका में आर्थिक संकट ६९१, वियतनाम में शान्ति का सम्झौता ६९२, पेरिस वाता ६९२,

पश्चिम एशिया और अरब जगत ६६२, पश्चिम एशिया और अरब जगत पर प्रभाव डालने वाले तत्त्व ६६२, विश्व राजनीति में मिस्त्र ६६६, स्वज नहर का राष्ट्रीयकरण ६६७, फारस और ब्रिटेन ६६८ ईराक की क्रान्ति ६६६, अरब एकता ७००, अरब लीग ७०१,

— अरब-इजरायल सम्बन्ध फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना-प्रथम अरब इजरायल युद्ध ७०२, अरब इजरायल विरोध ७०४, द्वितीय अरब इजरायल संघर्ष (१९५६) ७०५, इजरायल और अरब राज्यों के तनाव के कारण ७०६, १९५७ से अरब इजरायल संघर्ष का एव संक्षिप्त इतिहास ७०८, जून १९६७ की पूर्व की स्थिति ७१०, तृतीय अरब इजरायल युद्ध (१९६७) ७१२, सुरक्षा परिषद और युद्ध विराम ७१२ शान्ति समझौता ७१४,

— (४) विश्व राजनीति में अफ्रिका—७१६, अल्जीरिया का स्वाधीनता संग्राम—७१८, अफ्रिका के परतंत्र देश—७२०, अफ्रिकी एकता का आन्दोलन—७२०, आदिस जबाजा का सम्मेलन ७२२, स्वतंत्र अफ्रिका और संयुक्त राष्ट्रसंघ—७२२, अफ्रिका का भविष्य—७२३, दक्षिण रोडेशिया का संकट—७२४, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—७२४, मध्य अफ्रिकी संघ—७२५, लन्दन सम्मेलन—७२६, वलेन्स्की का प्रयास—७२६, माकटन कमीशन—७२६, न्यासालैंड और उत्तरी रोडेशिया की स्वतन्त्रता—७२७, एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा की ओर—७२८ संयुक्त राष्ट्रसंघ में दक्षिण रोडेशिया का प्रश्न—७२८, लन्दन सम्मेलन—७२८ स्वतन्त्रता की घोषणा—७२६, घोषणा की प्रतिक्रिया—७२९, अफ्रिकी एकता संगठन के समक्ष रोडेशिया का प्रश्न—७३०, मई १९६८ का सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव—७ २,

(५) एशियाई अफ्रिकी देशों के संगठन की समस्या—७३०, प्रथम एशियाई सम्मेलन—७३१, द्वितीय एशियाई सम्मेलन ७३१, बाडुंग सम्मेलन—७३३, अफ्रिका एशिया सम्बन्ध सम्मेलन—७-७ अफ्रिका एशिया आर्थिक सम्मेलन—७-७, रेलग्रेड सम्मेलन—७-७, काहिरा सम्मेलन—७३६, अल्जीरिया सम्मेलन—७४० ।

६ भारत की विदेश-नीति

१९६३-८३६

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—७३४ अन्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व का विचार—७४१, विदेश नीति की परम्परा का विकास—७४५ स्वतंत्र भारत की विदेश-नीति का निमाण और उसका तत्त्व—७४७, भौगोलिक तत्त्व—७४७ विचारधाराओं का प्रभाव—७४८ तत्कालीन परिस्थिति—७४९ आर्थिक तत्त्व—७४६ विदेश नीति की विशेषताएँ—७४९

असलमनता की नीति—७५०, युद्धात्तर विद्वान्-राजनीति—७५०,
 “भारत तटस्थ रहेगा”—७५१ असलमनता का अर्थ—७५३, असलमनता
 की नीति का प्रयोग—७५४, चीन का हमला और असलमनता की अग्नि
 परीक्षा—७५८ भारत-पाक युद्ध और असलमनता की नीति—७६०,
 पंडित नेहरू का देन—७६१, नेहरू की मृत्यु और असलमनता की नीति
 —७६१ असलमनता की वर्तमान स्थिति—७६२ ।

शान्तिपूर्ण महजोवन और विश्वशान्ति—७६२, कारिया—
 ७६४ हिन्दचीन—७६६ पंचशील—७६७, शान्तिपूर्ण महजोवन—
 ७६६ पंचशील का मूल्यांकन—७७०, साम्राज्यवाद और प्रजातीय
 विभेद का विरोध—७७१ उपनिवेशवाद और १९५७ के बाद की
 भारतीय नीति—७७३, एशियाई अफ्रिकी देशों का मगठन—७७४,
 दिल्ली का एशियाई सम्मेलन—७७४ वाडुग सम्मेलन ७७५ १९६६
 का दिल्ली सम्मेलन—संयुक्त राष्ट्रमण और भारत—७७८,

प्रमुख राज्यों के साथ भारत का सम्बन्ध—७७५, भारत और ग्रेट
 ब्रिटेन—७८१ भारत फ्रान्स और पुर्तगाल—७८३, गोआ की समस्या
 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका—७८४ भारत और सोवियत
 संघ—७९४, भारत पाकिस्तान युद्ध और सोवियत नीति—७९७,
 भारत पाक युद्ध और सोवियत संघ—७९८ ताशकन्द सम्मेलन—८०१
 भारत और पाकिस्तान—८०३, देशों राज्य—८०३, नदियों के पानी
 का झगडा—८०४ चीनी आक्रमण तथा भारत-पाक सम्बन्ध—८०५
 कच्छ का झगडा—८०७, भारत पाकिस्तान युद्ध—८०६, युद्ध
 का श्री गणेश—८११, युद्ध-विराम—८१३, युद्ध के परिणाम—८१३
 ताशकन्द सम्मेलन—८१६, ताशकन्द समझौते का महत्त्व—८१८,
 ताशकन्द समझौते के बाद—८१६ भारत और चीन का सम्बन्ध—
 ८१९ तिब्बत का प्रश्न—८२० सोमा विवाद—८२१ भारत पर चीन
 का आक्रमण—८२४ कालम्यो सम्मेलन—८२७, कालम्यो प्रस्ताव—
 ८२७, नामिर प्रस्ताव—८२८, भारत पाक युद्ध और चीन—८२९,
 चीन का अल्टिमेटम—८३० चीन की मैनिफ़ेस्ट हरकत—८३१
 समझौते अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारत का दृष्टिकोण—८३०
 वियतनाम संघ और भारत—८३० अरब राजमण संघ और
 भारत—८३३ भारत और परमाणु शस्त्र निरोध-सम्बन्धी संधि—८३५
 भारत की विदेश-नीति का मूल्यांकन—८३७ ।

१७ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न—

८४०-८४१

१८ ग्रन्थ-निर्देश—

८४२-८४८

पेरिस का शान्ति-समझौता (Paris Peace Settlement)

शान्ति की समस्या —प्रत्येक युग में और प्रत्येक युद्ध के बाद शान्ति स्थापना का कार्य अत्यन्त कठिन रहा है। अगस्त, १९१४ में मर्बिया तथा स्वाइट्ज़िया के झगडा को लेकर जो यूरोपीय युद्ध छिड़ा वह मानव-इतिहास का एक अत्यन्त भयंकर और दीर्घकालीन युद्ध था। उस समय कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि यह युद्ध चार वर्ष से भी अधिक दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन पर्याप्त प्रयत्न के बाद ११ नवम्बर, १९१८ को ग्यारह बजे दिन में, राष्ट्रपति विलसन के प्रस्तावों के आधार पर, जर्मनी तथा मित्रराष्ट्रों के बीच युद्ध-विराम सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त हुआ। चार वर्ष और पन्द्रह सप्ताह के भीषण संघर्ष और विनाश के बाद जब युद्ध-पीडित विश्व ने यह शुभ समाचार सुना तो मार-समार में अपार प्रसन्नता और आनन्द की लहर दौड़ पड़ी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर विध्वंसक युद्ध अबतक नहीं हुआ था। युद्ध में भाग लेनेवाले समस्त राष्ट्रों के कोई एक कराठ तीस लाख व्यक्ति रणचढ़ी की भेंट चढ़ चुके थे। आधिक दृष्टि से भी यह युद्ध बड़ा व्यवसाय और विध्वंसक था। युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्षों ने युद्ध के संचालन में दो खरब सत्तर अरब डालर व्यय किये थे।*

विश्व युद्ध का समाप्त हो गया, लेकिन वह अनेक प्रकार की ऐसी जटिल और भीषण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ छोड़ता गया। ऐसी समस्याएँ समार के सामने पहले कभी उपस्थित नहीं हुई थीं। युद्ध की समाप्ति के बाद समूचे विश्व के सम्मुख सबसे बड़ा और जटिल प्रश्न स्थायी शान्ति की व्यवस्था करना था। शान्ति स्थापित करने का काम वैसे ही कठिन होता है, परन्तु उस समय समार का वातावरण घृणा एवं कटुता से व्याप्त था और इस कारण शान्ति-स्थापना का कार्य और भी कठिन हो गया था। निस्सन्देह यह नाम युद्ध के संचालकों की गवक्षा का अधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। मनुष्य को जो मनाड़े की तरह मार डालना महज काम है, लेकिन इनके लिए शान्तिपूर्ण जीवन का प्रयत्न करना आसान नहीं है। स्थायी शान्ति के लिए काफी समय तक गम्भीर विचार करना

* Lee Benns, *Europe Since 1914*, p 103

है। इनके अतिरिक्त शान्ति-सम्मेलन को शुरू करने में वह तरह की कठिनाइयाँ थीं। सर्वप्रथम दूर-दूर के देशों से प्रतिनिधियों को आना था। युद्ध के बाद आवागमन का माध्यम क्षत-विक्षत हो गये थे और इस कारण पेरिस पहुँचने में विलम्ब की सम्भावना थी। इसका दूसरा कारण यह था कि दो महान् देशों के प्रतिनिधि सुरत सम्मेलन में नहीं आ सकते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने स्वयं शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया और मध्य दिसम्बर के पूर्व उनका पेरिस पहुँचना असम्भव था तथा उनके आने के पूर्व सम्मेलन की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के लायड लाज शान्ति-सम्मेलन में उपस्थित होने के पूर्व अपने देश में निर्वाचन करा लेना चाहते थे ताकि शान्ति समझौते पर ब्रिटिश लोकमत स्पष्ट हो जाय। इस निर्वाचन की तिथि १४ दिसम्बर १९१८ तय की गयी और उसके बाद भी उन्हें मन्त्रिमण्डल संगठित करने में कुछ समय लग गया। यह कारण था कि युद्ध बन्द होने और शान्ति सम्मेलन की प्रथम बैठक होने तक दो महीने बीत गये। इतना ही नहीं, स्थायी शान्ति कायम करने में युद्ध की अपेक्षा अधिक समय भी लगा। युद्ध की कुल अवधि सवा चार वर्ष की थी किन्तु विभिन्न देशों के साथ शान्ति सन्धि करने में लगभग पाँच वर्ष का समय लग गया।

वस्तुतः वात यह था कि जिन समय प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त हुआ उस समय गणराज्य (Allied & Associated Powers) शान्ति समझौते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए थे। १९१८ के अन्त में जर्मनी के खिलाफ भीषण युद्ध धरने की तैयारी हो रही थी और जर्मनी ने यह आशा न की थी कि जर्मनी का पतन इतना शीघ्र हो जायगा। इसलिए जब ११ नवम्बर को किराम संधि हुई तो एकाएक युद्ध की स्थिति से शान्ति की स्थिति में प्रवेश कर जाना कुछ कठिन अवश्य प्रतीत हुआ।

युद्ध के समाप्त होते ही प्रत्येक युद्धरत देश में शान्ति सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी होने लगी और विभिन्न विदेश में प्रालय तरह तरह के तथ्य और आश्चर्य इकट्ठा करने लगे। इस कार्य के लिए, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अत्यधिक विशेषज्ञ नियुक्त किये गये और इतना कोई सन्देह नहीं कि इन लोगों के प्रयास से शान्ति सम्मेलन का पूरी और अच्छी तैयारी हो गयी। लेकिन पेरिस के शान्ति-सम्मेलन का यह दुर्भाग्य था कि इन तथ्यों और आश्चर्यों का कभी भी समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया। १९१९ के शान्ति-सम्मेलन में प्रत्येक प्रतिनिधि आये थे उन्हें अत्यधिक अनामान्य परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा था और ऐसी हालत में वे इन तथ्यों एवं आश्चर्यों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के विजयता एकाएक

शान्ति की स्थिति में पहुँच गये और शान्ति-सन्धिओं के निर्माण के काय में उपयुक्त निर्देशन का संस्था अभाव रहा।*

पेरिस का शान्ति सम्मेलन— विश्व युद्ध में जर्मनी का सबसे प्रबल और घातक प्रहार फ्रांस पर हुआ था। इसलिए फ्रांस को राजधानी पेरिस को शान्ति-सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया और वहाँ इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके कुछ और भी कारण थे। विराम संधि के लिए वार्ताएँ पेरिस से ही की गयी थीं। सर्वोच्च युद्ध परिषद् के कुछ कार्यालय पेरिस में ही स्थित थे। इसका अलावा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि देशों की 'निर्वासित सरकारें' पेरिस में ही थी। लेकिन यह एक गलत निर्णय था। वस्तुतः इस समय शान्ति-सम्मेलन का आयोजन जेनेवा या हेग जैसे तटस्थ नगरों में होना चाहिए था। पेरिस में सम्मेलन का होना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि युद्ध-जन्य त्रास त्रासे अधिक बहा-यास था और वहाँ ठण्डे दिमाग से विचार विमर्श नहीं हो सकता था। † मंचमूख पेरिस का वातावरण शान्ति माध्यों के लिए अनुकूल नहीं था। जैसा कि वन्स ने लिखा है "पेरिस एक दिवास्वप्न था और प्रत्येक व्यक्ति वहाँ अस्वस्थ था। सम्पूर्ण वातावरण अमननाप, घृणा, प्रतिशोध, पागलपन तथा द्रोह की भावना से घनीभूत था।" इस वातावरण में एक न्यायपूर्ण संधि की आशा करना व्यर्थ था।

१९१९ के प्रारम्भ से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मण्डल पेरिस पहुँचने लगे विजेता राष्ट्रों के कुल बत्तीस प्रतिनिधि मण्डल पेरिस आये थे और वहाँ प्रतिनिधि-मण्डलों की सरया सैकड़ों में थी। इनमें मन्त्री, कूटनीतिज्ञ राजनेता, कानून और आर्थिक विशेषज्ञ, सैनिक, पूर्व जोषित, मजदूरों के नेता, मसदीय मध्य और प्रमुख नागरिक सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त, सप्ताह के काने-काने से पत्र प्रतिनिधि एवं सवाददाता भी पेरिस पहुँचे हुए थे। उस समय पेरिस की गौनक और चहल पहल देखने योग्य थी। सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन तथा विभिन्न देशों के ब्यारह प्रधान मन्त्री और बारह विदेश मन्त्री पेरिस में उपस्थित थे। इस विशिष्ट जनसमूह में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं फ्रांस के क्लेमण्टो, पिसों, टारडियू और कैम्बो, अमेरिका के लासिंग और कनल हारम, ब्रिटेन के लायड जाज, राल्फर और बोवरला, इटली के ओर्लैंडो और मोनिना, बेल्जियम के हर्डमन्स, पोलैंड

* "The sad fact remains that the victors of the First World War were surprised into peace and met to decide the fate of the world with little to guide them beyond a tangle of secret treaties, a mass of unread literature and the lofty but vague pronouncements of the American President" — Chambers Harris and Bayley *This Age of Conflict*, p 110 (italics mine)

† Geoffrey Brunn *The World in the Twentieth Century* p 181

के डिमोस्की, यूगोस्लाविया के पाशिप, चेकोस्लोवाकिया के वेनेस, यूनान के वेनिजेलोस तथा दक्षिण आफ्रिका के स्मटस तथा बोया इत्यादि ।

सोवियत रूस का सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमन्त्रित किया जाय या नहीं इस बात पर कई दिनों तक विवाद होता रहा । क्लेमेशो को साम्यवादियों से तीव्र घृणा थी, लेकिन विल्सन का कहना था कि रूस की सम्मति के अभाव में कोई भी यूरोपीय व्यवस्था स्थायी नहीं हो पायगी । लायड जार्ज का भी यही विचार था । अतएव उसने यह प्रस्ताव रखा कि रूस के सभी राजनीतिक दलों व साथ पहले एक सम्मेलन किया जाय और बाद में किसी निश्चय पर पहुँच कर उसे भी शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाय । ऐसे प्रस्ताव को रूस की बोल्शेविक सरकार नहीं मान सकती थी । अतएव रूस के किसी भी प्रतिनिधि ने शान्ति सम्मेलन में कभी भी भाग नहीं लिया ।^४ पराजित राष्ट्रों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उनका काम केवल इतना ही था कि संधि का प्रारूप तैयार हो जाने पर वे उनपर अपना हस्ताक्षर कर दें ।^५ इस बार मित्रराष्ट्र बहुत सतर्क थे । १८१४-१५ के वियना कांग्रेस में पराजित फ्रांस के प्रतिनिधि तेलरां को शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था जिसने अपनी कूटनीति से मित्रराष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करा दिया था । इस सम्भावना से बचने के लिए मित्रराष्ट्र यह निश्चय कर चुके थे कि इस बार के शान्ति सम्मेलन में किसी “जर्मन तेलरां” को नहीं घुसने दिया जाय । लेकिन यह भी एक गलत निर्णय था । यदि जर्मनी के प्रतिनिधि सम्मेलन में रहते तो वर्साय की सन्धि सम्भवतः उतना कठोर और दोषपूर्ण नहीं होती ।

सर्वोच्च शान्ति परिषद—१८ जनवरी १९१९ को फ्रांस के विदेश मन्त्रालय में पोलन्कारे ने शान्ति सम्मेलन के प्रारम्भिक अधिवेशन का उद्घाटन किया । फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री क्लेमेशो सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये । इतने बड़े सम्मेलन में इतने महत्त्वपूर्ण काम का होना व्यावहारिक दृष्टि से असम्भव था । अतः सम्मेलन की कार्यवाही को चलाने के लिए दस व्यक्तियों को एक ‘सर्वोच्च शान्ति परिषद’ बनायी गयी । इस परिषद में तत्कालीन महान् राष्ट्र—अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और इटली—के दो-दो प्रतिनिधि थे । परिषद के सदस्य जो चाहते कर सकते थे । साधारण अधिवेशन में रखे जानेवाले विषयों का चुनाव वहाँ करते थे ।

* Lloyd George, *Truth About Peace Treaties* (I) pp 315-352

† ‘Nor were any delegation from defeated powers present during the drafting of the peace terms for their’s was a role which called merely for the signing of the completed documents This was to be a dictated not a negotiated peace’ Lee Benns, cit p 110

सम्मेलन उनक फ़ैमलियों का निर्विरोध स्वीकार कर लिया करता था। लेकिन यह एक आपत्तिजनक कार्य-पद्धति थी जिसके द्वारा विल्सन के "चौदह सूत्र" के सर्वप्रथम मिद्धान्त कि भविष्य में शान्ति सधियाँ प्रकट रूप में की जायँ और गुप्त कूटनीति का अवलम्बन न किया जाय, का उल्लंघन हो रहा था।* अपनी पुस्तक में हैरोल्ड निकोलसन ने लिखा है 'हमारी शान्ति की शर्तों का निर्णय खुलेआम नहीं हुआ। जितनी गुप्तता इस सम्मेलन में बरती गयी उतनी कदाचित किसी दूसरे सम्मेलन में नहीं बरती गयी थी।† यद्यपि इस कायपद्धति में काम करने में बड़ी आसानी हुई लेकिन इससे कारण समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि बड़ नाराज हुए। उन्हें कुछ अवसरों को छोड़कर सम्मेलन कक्ष में कभी नहीं जाने दिया गया। अखबारों में उस समय जो भी समाचार छपे वे केवल "विश्वशत सूत्रों" के आधार पर ही। अखबारों वालों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध काफी हा-हल्ला मचाया। इंग्लैंड तथा फ्रांस के समाचार-पत्र इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने पेरिस में एकत्र राजनेताओं को "dawdlers of Paris" कहने में भी सकोच नहीं किया।‡

बात यहाँ तक सीमित नहीं रही। कुछ ही दिनों के बाद यह अनुभव किया जान लगा कि काय सञ्चालन और कायवाही की गोपनीयता रखने के दृष्टिकोण से दस व्यक्तियों की परिषद् भी बहुत बड़ी है। अतएव मार्च १९१९ में यह घोषणा की गयी कि भविष्य में सन्धि से सम्बन्धित सभी काय चार व्यक्तियों को परिषद् करेगी। ये चार व्यक्ति थे—सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जॉन्स, फ्रांस के प्रधान मंत्री क्लेमैंसो तथा इटली के प्रधान मंत्री ओरलैंडो। अब शान्ति सम्मेलन की सारी जिम्मेदारी और सत्कार के भाग्य का निबटारा पूरी तरह से इन्हीं महापुरुषों के हाथ में था। यही लोग गुप्त रीति में सभी बातों का फैसला कर लिया करते थे। चूँकि शान्ति सम्मेलन के सब महत्वपूर्ण निर्णय और उनके आधार पर युद्धोत्तर विश्व का पुनर्निर्माण इन्हीं लोगों ने लिया, इसलिए इनका सक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

विल्सन—महायुद्ध के समय तथा उसके दूरत बाद अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) सत्कार का सबसे महान और मवाधिक लोकप्रिय नेता था। यह एक ऐसा राज्य का प्रधान था जिसके अथक प्रयास से प्रथम विश्व-युद्ध जीता गया था। सयुक्त-राज्य अमेरिका की सरकार ने बड़ी मुश्किलों से अपना सारी शक्ति लगाकर युद्ध जीतने का प्रयास किया था। लेकिन एक बार जहाँ युद्ध जीतने के लिए व्यावहारिक कारवायों को जा रहा था, वहाँ

* Jackson, *The Between War World* pp 9 10

† Harold Nicholson *Peace Making 1919* p 43

‡ Chambers, Harris and Bayley, op cit., p 115

दूसरी ओर राष्ट्रपति विल्सन अपने आदर्शवादी सिद्धान्तों के आधार पर युद्ध को अन्त करने का प्रयास भी कर रहा था। युद्ध पीड़ित विश्व में वह शान्ति के अग्रदूत का काम कर रहा था।

राष्ट्रपति विल्सन प्रथम विश्व युद्ध को "युद्धान्तक युद्ध" (war to end war) मानता था। उसने यह नारा निकाला कि जर्मनी को हराकर "संसार को लोकतन्त्र के लिए सुरक्षित" (to make the world safe for democracy) बनाना है। इस नारे ने अमेरिका को ही नहीं, बल्कि बाहरी देशों का भी प्रभावित किया। उसने युद्ध के बाद न्याय के आधार पर एक नये संसार के निमाण का वादा किया। उसने यह घोषणा की कि सधि की शर्तों के अनुसार किसी भी राष्ट्र को उसकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं मिलाया जायगा और उससे क्षतिपूर्ति की कोई रकम दण्ड के रूप में नहीं माँगी जायगी। उसने एक ऐसे सुन्दर संसार की रूपरेखा तैयार की जिसमें एक राष्ट्रसंघ (League of Nations) की देखरेख में शान्ति और न्याय की स्थापना हो। वस्तुतः विल्सन के सामने केवल दो उद्देश्य थे राष्ट्रसंघ और आत्मनिर्णय (principle of self-determination) के सिद्धान्त की स्थापना। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर वह युद्धोत्तर विश्व का निर्माण करना चाहता था। अतएव युद्ध के बाद शान्ति सधि के सम्बन्ध में उसकी अपनी एक महान आदर्शवादी धारणा थी जिसकी व्याख्या उसने ८ जनवरी, १९१८ को अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देते हुए की थी। इसी भाषण में उसने अपने प्रसिद्ध "चौदह सूत्रों" * (Fourteen Points) का प्रतिपादन किया था। लेकिन विल्सन को इन सूत्रों के प्रतिपादन से ही सन्तोष नहा हुआ।

११ फरवरी, १९१८ को कांग्रेस के ही सामने उसने अपने "चार सिद्धान्तों" का प्रतिपादन किया। इसके उपरान्त ४ जुलाई को माउन्ट वनन में भाषण करते हुए उसने "चार लक्ष्यों" को घोषित किया और फिर २७ सितम्बर को न्यूयार्क में भाषण करते हुए उसने "पाच व्याख्याओं" (Five Interpretations) की स्थापना की। विल्सन की इन सभी घोषणाओं के मूल में यह बात थी कि नयी शान्ति व्यवस्था करते हुए लोकतन्त्र, राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णय और राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का पालन हो। उसका दृढ़ विश्वास था कि इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर विश्व में स्थायी शान्ति का निमाण हो सकता है।

* विल्सन के चौदह सूत्र निम्नलिखित थे—

१ सूत्रे उग स तुनी सन्धि की जाय । शान्ति का समकालीन युग रूप स नहीं हा ।

२ युद्ध और शान्ति के दिनों में सामुद्रिक आवागमन की स्वतन्त्रता हो ।

३ यथा सम्भव सभी आर्थिक अवरोध हटाये जायें । मर्यादा राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार की आर्थिक दोहाट न रहे ।

हैरोल्ड निकोलसन के मतानुसार विल्सन अपने जो मानव जाति को एक नयी व्यवस्था देने वाला एक पैगम्बर मानता था ५ इन्होंने धारणाओं और मान्यताओं को लेकर शांति का यह मसौदा और प्लेनटा जो कन्फरेंस का “दाशनिक राजा” (philosopher king) अपने देश की वैधानिक परम्परा को तोड़कर अमीम चिन्मेव ही लेकर शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका से शूरप चला था समस्त संसार में उस समय वही एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर सभी लोगों

४ शत्रु शक्तियों को निम्नतम सीमा तक घटा दिया जाय जिससे राष्ट्रों के बीच शान्ति का बन्धन बन्द हो ।

५ अन्याय को दूर करने और हितों पर पूरा खयाल रखने हुए अन्तिम सम्झौते को सन्धि का दबित और निष्पक्ष फैसला हो ।

६ रूप के प्रदेशों को खाली कर दिया जाय और अपने राजनीतिक विकास तथा राष्ट्रीय शक्ति के निवारण का उसको स्वाधीनता को माँगता दे हो जाय ।

७ अल्पसंख्यकों को खाली कर दिया जाय, उसकी तत्कालीन स्थिति को मान लिया जाय और उनकी प्रभुत्व सीमित करने का प्रयास नहीं किया जाय ।

८ सम्पूर्ण फ्रांसोसा प्रदेशों को मुक्त कर दिया जाय । उनके वे प्रदेश जिनपर विदेशियों का अधिकार है लौटा दिये जायें । १८७१ में एल्स-लारेन लेकर उसके साथ जो सन्धि हुई थी उसका समाप्त किया जाय ।

९ राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर इटली को सौमार्स का पुनर्निर्धारण हो ।

१० आस्ट्रिया के साम्राज्य को विविध जातियों के राष्ट्रीय विकास का समुचित प्रबंध किया जाय ।

११ रमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो को खाली कर दिया जाय । उनके जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया है उन्हें लौटा दिया जाय । सर्बिया को समुद्र तट तक पहुँचने की सुविधा दी जाय । एतिहासिक परम्परा के आधार पर बाल्कन राज की पारम्परिक सम्बन्ध को निर्धारित किया जाय ।

१२ तुर्की साम्राज्य को अपने वास्तविक भूभाग पर बने रहने दिया जाय । परन्तु तुर्की के शासन में रहनेवाली अन्य जातियों के स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास का समुचित प्रबंध किया जाय । हाईडेलबर्ग को स्थायी रूप से सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिया जाय जिनसे सभी देशों को जहाजों और व्यापार के लिए दातायात का खुला मार्ग प्राप्त हो सके

१३ एक ऐसे स्वाधीन पोल राज्य की स्थापना की जाय जिसमें पोल जाति के सभी लोग बसासम्भव सम्मिलित हो सकें । उन्हें समुद्र तट तक पहुँचने के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित मार्ग प्राप्त हो और एक अन्तराष्ट्रीय समझौते के द्वारा पोलैण्ड को स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता की गारन्टी दी जाय ।

१४ राष्ट्रों का एक आम सच कायम किया जाय जिसके द्वारा बड़े और छोटे राज्यों को समान रूप से राजनीतिक स्वाधीनता और प्रादेशिक अखण्डता का पारस्परिक आश्वासन प्राप्त हो ।

* Harold Nicholson, op cit, p 47

की निगाहें टिकी हुई थी। विजित और विजेता सभी उससे आशा रखते थे। मानवता के वातावरण में वह जहाँ भी गया, उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। लार्डों की सख्ती में जनता उसका स्वागत के लिए समझ पड़ी। लन्दन और रोम का भ्रमण करते हुए जब वह पेरिस पहुँचा तो पेरिस की जनता उसे देखकर आनन्द श्रुतियों से गद्गद हो गयी। वास्तव में प्राचीन रोमन साम्राज्य की समाप्ति के बाद यूरोप में वित्सन जैसा अन्य स्वागत किसी दूसरे राजनेता का अभी तक नहीं हुआ था।*

वित्सन एक ऐसा घोर आदर्शवादी था जो राजनीति के कट्टर शत्रु से बहुत दूर रहता था। कुटनीति में वह बिल्कुल पारंगत नहीं था। उसे यूरोपीय स्थिति का उतना ज्ञान नहीं था जितना कि चतुर राजनीतिज्ञ लायड जाज अथवा विलमेशो या ओरलैंड की था। वित्सन के अन्य माथी केवल चतुर ही नहीं थे बल्कि उतने आदर्शवादी भी नहीं थे। वित्सन का दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की रक्षा और राष्ट्र राष्ट्रसंघ की स्थापना से ही संकट है और इसलिए वह इसे सभी शान्ति-साधकों का अभिन्न एक अन्विषय अंग बना देना चाहता था। राष्ट्रसंघ उसके लिए जीवन भरण का प्रश्न बन गया था। लेकिन जो व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे उसके साथ ऐसी बात नहीं थी। कहा जाता है कि विलमेशो प्रातःकाल यह वाक्य दुहराया करता था "म राष्ट्रसंघ की स्थापना का समर्थन करूँगा।" किंतु ओरलैंडों से जब एक बार पूछा गया कि राष्ट्रसंघ के बारे में आप का क्या मत है तो उसने उत्तर दिया था—“हम निस्सन्देह राष्ट्रसंघ की स्थापना का स्वागत करेंगे किन्तु यूरोप का प्रश्न पहले निर्णय होना चाहिए।”

शान्ति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ में वित्सन की सजसे उड़ी कमचोरी थी जिससे उसका सभी सहकर्मियों ने नाजायज फायदा उठाया। अन्य देश राष्ट्रसंघ के निर्माण की बात मान लें इसके लिए वित्सन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि राष्ट्रसंघ के लिए वह अपने चौदह सूर्योक्त अनेक सिद्धांतों की व्यवहलना करने के लिए भी तैयार हो जाता था। जैसा कि पाल उर्डसल ने लिखा है कि क्षति-पूर्ति की समस्या के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नों पर ब्रिटन, फ्रांस और जापान

* He was received in Paris on his first appearance with an organised adulation of applause in the streets and in the Press which was intoxicating. Streets were named after him, Senate and Chamber of Deputies gave him official welcome a palace was placed at his disposal, the picked regiments of France provided his escorts and their best band played him through the most impressive avenues of the city. There was not an honour, not a mark of trust and devotion which was not laid at his feet.—D Lloyd George op cit, p 237

विल्सन से राष्ट्रसंघ के नाम पर प्रायः अपनी अधिकांश बातें मनवाने में सफल हुए। फिर भी, पेरिस सम्मेलन में यदि पराजितों के साथ थोड़ी नरमी बरती गयी तो वह विल्सन के कारण ही। वास्तव में यदि सम्मेलन में विल्सन न होता तो न जाने लायड जार्ज और विशेषकर क्लिमेंटो क्या से क्या कर देते। विल्सन ही उनकी असीम आकांक्षाओं पर अकुश लगाता रहा। यदि विल्सन न होता तो फ्रांस जर्मनी का नामानिश्चान मिटा देता।[‡]

कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं पेरिस में विल्सन ने एक भारी भूल की। यदि वह वाशिंगटन में ही रहकर अमरीकी प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो सम्भव था कि उसका प्रभाव और अधिक होता। लेकिन विल्सन को सबसे अधिक चिन्ता राष्ट्रसंघ के लिए थी और वह चाहता था कि विश्व सस्था के विधान का निर्माण वह स्वयं करे।

विल्सन के सामने एक और कठिनाई थी। इस समय अमरीकी जनता का समर्थन उसे प्राप्त नहीं था। नवम्बर, १९१८ में अमरीकी काँग्रेस का चुनाव हुआ जिसमें विल्सन की डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विल्सन के सहयोगी विशेषकर क्लिमेंटो उसकी इस कमजोरी का समझते हैं और उन्होंने इससे खूब लाभ उठाया।[‡]

लायड जार्ज — इंग्लैंड के लिबरल दल के नेता तथा प्रधान मन्त्री लायड जार्ज (Lloyd George) अपने युग का मवश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। शान्ति संधि के सम्बन्ध में उसकी अपनी अलग धारणा थी। सम्मेलन में आने के पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था। इसमें जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार करने का नारा लगाया गया था और इन्हीं प्रतिशोधात्मक नारों के आधार पर लिबरल पार्टी चुनाव में जीती थी। किन्तु लायड जार्ज एक दूरदर्शी राजनेता था। फ्रांस जर्मनी को सदा के लिए कुचल देना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड का हित इस बात में था कि

* P Birdsall, *Versailles Twenty Years After*, p 295

† 'Wilson's attendance at the Parish Peace Conference was a grave error of judgement. It would undoubtedly have been better if he had chosen a mixed team of Democrats and Republicans to represent his views. He would have wielded much greater authority and achieved his own purpose more, surely.' Lloyd George, *Truth About Peace Treaties* (Vol I) p 234

‡ 'The immediate and probably the most important factual cause of Wilson's failure was his own false position in Paris. He the greatest democrat, did not really represent the people.' Chambers, Harris & Bayley op cit, p 116

‡ चुनाव के अक्षर पर इंग्लैंड में जो नारा लगे थे उनके कुछ नमूने निम्नलिखित हैं 'दैनिक को फाँसी पर लटकवाया जाय, जर्मनी में हरगाना लिया जाय—शिल्डिंग के बदले शिल्डिंग और टन के बदले टन वसूल किया जाय।'

जर्मनी का क्रमशः उत्थान हो। अतएव शान्ति-सम्मेलन में लायड जाज जर्मनी के प्रति फ्रांस की अपेक्षा अधिक नरम और उदार व्यवहार करने का पक्षपाती था। लेकिन वह कौरा आदर्शवादी कभी नहीं था। उसके सामने राष्ट्रसंघ और आत्म-निर्णय का सिद्धान्त उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना ब्रिटेन का साम्राज्यवादोन्मथ। लायड जाज सही अर्थों में व्यावहारिक राजनीतिज्ञ (practical politician) था। उसकी तीव्र बुद्धि, चातुर्यपूर्ण कूटनीति, अनर्थक कायशक्ति और बिजली की तेजी से निर्णय करने और बदलने की क्षमता ने उसे शान्ति सम्मेलन का एक महान कूटनीतिज्ञ साबित किया। सम्मेलन में लायड जाज के सामने तीन मुख्य उद्देश्य थे प्रथमतः, वह जर्मनी का एक नाविक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में सर्वनाश कर देना चाहता था। द्वितीयतः वह फ्रांस को उतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था जिससे यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन गड़बड़ हो जाय। लायड जाज का तीसरा उद्देश्य ब्रिटेन के लिए लूट के माल में अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करना था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसको इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत सफलता मिली। ई० जे० डिल्लोन ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। उसकी कथनानुसार लायड जाज की अन्तर्दृष्टि बड़ी विलक्षण थी और उसका निवृत्तम साथी भी कई बार कूटनीति में उसको अगले चाल का अनुमान करने में असफल हो जाते थे।*

विलमशे - फ्रांस का प्रधान मन्त्री क्लेमेंसो (Clemenceau) कूटनीति और अनुभव में अपने सभी साथियों से कहीं आगे था। इस समय उसकी अवस्था ७८ वर्ष की थी और १८७० में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लज्जापूर्ण पराभव को उसने अपनी आँखों से देखा था। अतएव प्रतिशोध लेने की इच्छा उसमें बड़ी प्रबल थी। वह न तो आदर्शवादी था और न विल्सन के आदर्शवादी सूत्रों की काँई परवाह ही करता था। विजय के बाद उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गयी थी कि परास्त देशों के न्याययुक्त अधिकारों का उपेक्षा करने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। विल्सन का कहना था कि इस सम्मेलन में केवल विजयी राष्ट्रों के स्वायत्त तथा हित का ही ध्यान न रखा जाय, बल्कि उन राष्ट्रों की इच्छाएँ भी ध्यान में रखा जायें जिन पर सम्मेलन का अपर पड़ेगा। अन्तराष्ट्रीय नैतिकता और न्याय की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति विन्सन एक नयी दुनिया बनाने का मातृगुण बाँध रहा था। लेकिन फ्रांस के जेन क्लेमेंसो (तथा ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ लायड जाज) ने उसने यह अन्वय और शक्तिहीन था। लायड जाज में कम से कम एक गुण था कि उसे जो अच्छी समझ दे जाती थी उसे वह मान लेता था, लेकिन क्लेमेंसो के साथ ऐसा बात नहीं थी। पेरिस सम्मेलन के ज्ञान मायियों में वह सबसे अधिक

* Albjørk and Albjørk Europe from 1314 to the Present, p 69

प्रभावशाली और सबसे अच्छा कूटनोतिज्ञ था। सम्पूर्ण सम्मेलन में यही एक ऐसा व्यक्ति था जो यह जानता था कि कब और कैसे क्या करना चाहिए। १८७० की याद उसका दिमाग में ताजी थी। उस समय फ्रांस हारा था और उसे प्रान्तों के मजबूत परिणाम भुगतने पड़े थे। इस बार जर्मनी हारा है। अतएव इस हार का परिणाम उसका भुगतना है। उसको पूर्ण विश्वास था कि जर्मनी शक्ति के अतिरिक्त किसी चीज में विश्वास नहीं करता। अतः फ्रांस को सुरक्षा के लिए वह जर्मनी को बिल्कुल पगु बना देना चाहता था। वह शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत में विश्वास करता था, विल्सन के सूत्रों में नहीं। विल्सन की हँसी उठाते हुए उसने कहा था 'ईसा मसीह केवल दस आदर्शों से मन्तव्य है, लेकिन विल्सन चौदह आदर्शों पर जोर देते हैं।' * एक अन्य अवसर पर उसने कहा "लायड जार्ज तो अपने को नेपोलियन समझता है, पर तु विल्सन अपने को ईसा मानता है।" † शान्ति-सम्मेलन के प्रधान के रूप में विलमेशो का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण था।

शान्ति सम्मेलन में उसका परम लक्ष्य जर्मनी को कुचलना था। वह चाहता था कि जर्मनी इतना कुचल दिया जाय कि वह फ्रांस के लिए कभी खतरे का कारण नहीं बन सक। ‡ विलमेशो ने फ्रांसिस्टवादी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी। वह युद्ध को आवश्यक मानता था। उसका कहना था कि जर्मन और फ्रांसीसी लोगों के बीच सघप अनिवार्य है और यह वर्षों से चला आ रहा है। इस बार जब जर्मनी बुरी तरह हारा है तो उसका बिना पूर्णतया कुचले छोड़ देना एक महान् भूल होगी। अतएव वह जर्मनी का नाम निशान मिटाने का दृढ़ मकल्प करके सम्मेलन में आया था। वह हमेशा फ्रांस के हित की बात सोचता था और उसको रक्षार्थ हमेशा तैयार रहता था। उसके सम्बन्ध में एक लेखक ने लिखा है 'वह नियन्त्रणहीन तथा अनियन्त्रित खुमारी से भरा तथा मगझालू था, वह नींद की लम्बी खुमारी से तभी जगता था जबकि फ्रांस के हित का खतरा होता था जब कभी किसी छोटे राज्य की कीमत पर अपने देश को मजबूत बनाने का अवसर देखता था।'

ओरलंडो — इन तीन महापुरुषों के अतिरिक्त इटली के प्रधान मन्त्री विटोरियो ओरलैंडो (Vittorio Orlando) को भी "चार बंधों" में गिना जाता

* "Even God was satisfied with Ten Commandments, but Mr Wilson insists on Fourteen"

† 'Lloyd George believes himself to be Napoleon but Wilson believes himself to be Christ' — Quoted in Albjerg and Albjerg op cit p 66

‡ 'Clemenceau is terrible. He hates the Germans like poison and would destroy the whole of them if he could' — Lloyd George, Quoted in Lansing, *The Big Four and Others of the Peace Conference* p 87

था। ओरलैंडो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता, चतुर राजनेता और प्रभावशाली वक्ता था। लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका। उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और इसका कारण शांति परिषद् की कार्यवाही पर वह कोई विशेष असर नहीं डाल सका।

आयोग और समितिगत —इन चार बड़ों की 'सर्वोच्च शान्ति परिषद्' के अतिरिक्त सम्मेलन में ४८ के लगभग छोटे बड़े आयोग और उपसमितियाँ थीं। इनका काम था कि वे विविध समस्याओं—राष्ट्रसंघ का संगठन, हरजाने की रकम, अल्पसंख्यक जातियों की समस्या इत्यदि प्रश्नों पर विषय रूप से विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करें। पर, इनकी रिपोर्टों पर अन्तिम निणय देने का अधिकार सर्वोच्च शान्ति-परिषद् को ही था। सम्मेलन का काम केवल इसी निणय का अनुमोदन करना था।

गुप्त संधियाँ और सम्मेलन की कठिनाइयाँ —इस प्रकार, सद्धान्तिक मतभेद के कटु वातावरण में पेरिस का शांति-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन के सामने सबसे बड़ी कठिनाई विल्सन के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शवाद और यूरोप के विभिन्न विजेता राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा की तात्कालिक आवश्यकता के बीच एक मध्यम मार्ग खोजने की थी।* मित्रराष्ट्रों की युद्धकालीन गुप्त सन्धियों †

* Almost inevitably conflict arose among the four statesmen when the time came for the various personal and national programmes to be presented for the fulfilment, for the abstract Fourteen points to be transformed into definite treaty provisions. In the latter case the very elasticity and vagueness which had made it easy for the powers to accept some of the points in principle made it likewise easy for differences in interpretation to arise when they came to be examined from the conflicting nationalistic points of view.—Lee Benns op cit p 112

† इस तरह की लगभग २१० गुप्त संधियाँ हुई थी जिसका विवरण इस प्रकार है

- १ मार्च १९१५ में फ्रांस ब्रिटेन और रूस के बीच तुर्की साम्राज्य के बदवारे के लिए गुप्त सन्धि।
- २ अप्रिल, १९१५ में इटली को प्लोमन देकर युद्ध में सम्मिलित करने के लिए इटली, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच गुप्त सन्धि।
- ३ अगस्त, १९१६ में रूमानिया तथा मित्रराष्ट्रों की गुप्त सन्धि।
- ४ मई १९१६ का तुर्की साम्राज्य के बदवारे के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में साख्त पीको समझौता।
- ५ अप्रिल १९१७ में इटली को तुर्की साम्राज्य के लूट में हिस्सा देने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बीच गुप्त सन्धि।
- ६ फरवरी १९१६ में चीन के शातुंग प्रदेश जापान को देने के लिए ब्रिटेन और जापान में गुप्त सन्धि।
- ७ मार्च, १९१७ में फ्रांस और रूस के बीच जर्मनी और आस्ट्रेलिया के कुछ प्रदेश के लिए गुप्त सन्धि।

के कारण यह कठिनाई और भी बढ़ गयी थी। इन सन्धियों के द्वारा विभिन्न राज्यों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया था कि अन्तिम सम्मौते के समय वे एक दूसरे को साम्राज्य लिप्सा की तृप्त होने में सहायता प्रदान करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध उदार सिद्धांतों को सामने रखकर लड़ा गया था। युद्ध के समय समानता स्वतंत्रता, लोकतन्त्रवाद के नारें बुलन्द किये गये थे। पर युद्ध के बाद विजय के मद में चूर होकर मित्रराष्ट्र इन सारे सिद्धांतों को भूल गये। वे अत्र इस चिन्ता में थे कि पराजित शत्रुओं से किस प्रकार अधिक-से अधिक हरजाना वसूल किया जाय और किस प्रकार उनके भरणप्राय साम्राज्य का आपस में बाँट लिया जाय। कहने को तो अब भी सारे फैसलों का आधार राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित चौदह सूत्र था, पर वास्तव में विल्सन के सूत्र केवल आदर्श मात्र ही थे। क्रिया में उन्हें कोई महत्त्व नहीं दिया गया। विश्व-युद्ध के समय किये गये गुप्त सन्धियों विल्सन के उदात्त सिद्धांतों के प्रतिकूल और विरोधी थे। ब्रिटेन और फ्रांस गुप्त आश्वासनों को पूरा करने के लिए विवश थे। उन्हें विल्सन के आदर्शवादी सूत्रों की कोई परवाह नहीं थी।

लेकिन गुप्त सन्धियों का कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ भी कम नहीं थीं। नवम्बर, १९१७ में समाजवादी क्रान्ति के बाद सोवियत रूस की सरकार ने इन सन्धियों को प्रकाशित करके साम्राज्यवादियों के युद्ध के वास्तविक उद्देश्यों का भडाफोड़ कर दिया। इस कारण मित्रराष्ट्र बड़ी पेशोपेश में पड़ गये। इसका अतिरिक्त इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इन सन्धियों में समुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित नहीं था। अतएव इनको पूरा करने का दायित्व उसपर नहीं था। लेकिन अन्तिम सम्मौते में अमेरिका के विचारों की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में इन गुप्त सन्धियों का विरोध किया था क्योंकि यदि इन सन्धियों को कार्यान्वित किया जाता तो राष्ट्रीयता और आत्मनिर्माण के सिद्धान्तों का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता। गुप्त सन्धियों के साथ एक और कठिनाई उपस्थित हो गयी थी कि समाजवादी क्रान्ति के उपरान्त सोवियत सरकार ने स्पष्टेच्छा से इन सन्धियों से अपने का दलगत कर लिया था। अतएव अब यह प्रश्न था कि उन प्रदेशों, जो युद्धों के बाद गुप्त सन्धियों के अनुसार रूस को मिलने वाले थे, का क्या होगा।

परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद शान्ति सम्मौते में इन सन्धियों का स्थान दिया गया। सम्मेलन में जब भी विल्सन के सिद्धान्त और इन सन्धियों में टकराव हुआ तो उस समय इन सन्धियों को ही प्रथम स्थान मिला। पेरिस की शान्ति सन्धियों पर इन सन्धियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

वातावरण — पेरिस का वातावरण सम्मेलन के लिए दूसरी कठिनाई उपस्थित कर रहा था । विजयी राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और वे पराजित राष्ट्रों को सदा-सर्वदा के लिए कुचल देना चाहते थे । जर्मनी और उसके साथी राज्य हारे हैं और हम विजयी हैं, यह बात हमेशा उनके दिमाग में बनी रहती थी और इस स्थिति से वे पूरा लाभ उठाना चाहते थे । स्थायी शान्ति के लिए ऐसी मनोवृत्ति या इस प्रकार का वातावरण उपयुक्त नहीं होता ।*

जैसा कि स्पष्ट है, शान्ति सम्मेलन में दो विचारधाराएँ भे सघर्ष था । एक चाहता का कि ऐसा निष्पक्ष न्याय हो जिसमें विजित देशों की भावनाओं पर भी विचार किया जाय । दूसरा पक्ष चाहता था—जैसा कि प्रायः शान्ति सम्मेलनों में हथा करता है — कि शक्ति-सन्तुलन बना रहे, पराजित देश पुनः शान्ति भंग न कर सकें तथा विजित राष्ट्रों को प्रादेशिक और आर्थिक लाभ हो । अतः शान्ति सम्मेलन का काम बड़े अशान्त और सघर्षपूर्ण वातावरण में हुआ । कई बार “चार बड़ों” में तीव्र मतभेद के कारण सन्धिवादा भंग होने की नौबत में आ गयी । विजितों के साथ विलसा नरम रुख का अवलम्बन करना चाहता था । इसलिए फ्रांस के समाचार-पत्रों में उसकी कटु आलोचना होने लगी ; उस पर व्यक्तिगत आक्षेप भी किये गये । इन आलोचनाओं और आक्षेपों के कारण एक बार तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका छोड़ जाने का निर्णय कर लिया । इटली का प्रधान मन्त्री ओरलैंडो फ्यूम के प्रश्न पर रुष्ट हो कर अपने साथियों सहित सम्मेलन से हट गया और रोम चला गया । बाद में तीन राष्ट्रों के निमंत्रण पर वह फिर वापस आया । जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भी सम्मेलन का बहिष्कार करने के धमकी दिये । पर मनमुटाव के इस वातावरण में भी सम्मेलन ने किन्ती तरह अपना काम पूरा किया । सम्मेलन ने अपने ४८ आयोजकों द्वारा १६०० वेदकों का जमावाँ रिके माथ एक सन्धि का प्रारूप तैयार किया जिसकी बसाय की सन्धि कहते हैं ।

*“Another influence that suffused the atmosphere of Paris in 1919 was a triumphant bitterness. Four years of planned carnage that is war had generated unbounded anger and unlimited avarice. Germany should be made to pay. The last casualty of World War I was idealism, the first heir was cynicism. The delegates who assembled at Paris convened to lick blood of their kill”—Albjerg and Albjerg op cit p 71

† Lee Benns op cit p 112

वर्साय की सन्धि (Treaty of Versailles)

सन्धि वर हस्ताक्षर—पेरिस शान्ति-सम्मेलन में अनेकानेक सन्धियों एवं सम्मेलनों का प्रारूप तैयार किया गया और उनपर हस्ताक्षर किये गये, लेकिन इन सभी सन्धियों में जर्मनी के साथ जो वर्साय की सन्धि हुई वह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है और सभी सन्धियों से अधिक प्रमुख है। चार महीने के अनवरत परिश्रम के बाद इस सन्धि का प्रारूप तैयार हो सका था। २३० पृष्ठों में छपा हुआ यह सन्धि १५ भागों में विभक्त थी और इसमें ४५० धाराएँ थीं। ६ मई, १९१९ को यह सम्मेलन के सम्मुख पेश हुआ और स्वीकृत हो गया। ३० अप्रिल को ही विदेश मंत्री कार्लोन्ट फॉन ब्राकडोफ रान्टाजु के नेतृत्व में जर्मन प्रतिनिधिमंडल वर्साय पहुँच चुका था। प्रतिनिधियों को ट्रायनन पैलेस हाटल में ठहराया गया। मित्र-राष्ट्रों के अफसर उनकी सुरक्षा की देखभाल कर रहे थे। हाटल को काटेदार तारों से घेर दिया गया था और जर्मन-प्रतिनिधियों को मनाही कर दी गयी थी कि वे मित्रराष्ट्रों के किसी भी प्रतिनिधि या बिना पत्रकार से किसी प्रकार का सम्पर्क न रखें। ७ मई, १९१९ को क्लिमेंशो ने अन्य प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष, ट्रायनन हाटल में, जर्मन प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख सन्धि का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए उन्हें केवल दो सप्ताह का समय दिया गया।

जिस समय क्लिमेंशो ने जर्मन विदेश मंत्री के सामने सन्धि का मसविदा प्रस्तुत किया उस समय हाटल के ऋद्ध घातावरण को देखकर ब्राकडोफ रान्टाजु को चुप नहीं रहा गया। उसने कहा है कि जर्मनी यद्यपि एक पराजित देश है और वह परत हो चुका है तोभी यद्ध की सारी जिम्मेवारी उसी पर लादना न्यायसंगत नहीं है। पर जर्मनी को बात सुनना ही कौन था। जर्मनी में सन्धि के मसविदे पर काफी बहस हुई। सभी जर्मनों ने सन्धि को शत्रु का घोर विरोध किया। इसपर लायड जाज ने सिंह गजना करते हुए कहा

“जर्मन लोग कहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मन समाचारपत्र कहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मनी के राजनीतिज्ञ भी यही बात कहते हैं लेकिन हमलाग कहते हैं—महानुभावों! आपको इसपर हस्ताक्षर करना ही है। अगर आप बसाय में पसा नहीं करते हैं तो आपको बलिदान करना ही होगा।”

सक्षम में विजयी राष्ट्र विजित राष्ट्र पर अपनी शक्तों जबरदस्ती लाद सकते थे। वर्साय की सन्धि निश्चय ही एक आरोग्यपत सन्धि होने जा रही थी।

इस हालत में जर्मनी को किसी तरह सन्धि पर हस्ताक्षर करना ही था। जर्मन राजनीतिज्ञों ने गम्भीरता के साथ सन्धि के प्रारूप पर विचार किया और २६ दिनों के बाद अपनी तरफ से ६०,००० शब्दों का एक विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जर्मनी ने इस बात की शिकायत की थी कि उसने जिन शत्रुओं पर

किया था प्रस्तावित सन्धि में उन सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना था कि जर्मनी को नयी सरकार पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक है और राष्ट्रमन्त्र की सदस्यता के लिए इच्छुक है। निरस्त्रीकरण की शर्त केवल जर्मनी पर ही नहीं, अपितु समस्त राज्यों पर लागू की जानी चाहिए। विश्वयुद्ध के लिए जर्मनी को एकमात्र जिम्मेदार ठहराना गलत है। जर्मन प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि सन्धि की सभी शर्तों को मानना असम्भव है। उनका कहना था कि सन्धि की शर्तें विराम सन्धि की शर्तों से बिल्कुल विपरीत हैं। एक बड़े राष्ट्र को कुचलकर तथा उसे गुलाम बनाकर स्थायी शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती है।


मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी के प्रस्तावों पर विचार किया और कुछ छोटों मोटे परिवर्तन के बाद जर्मनी को पाँच दिनों के भीतर ही सशोधित सन्धि पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इस बार जर्मनी को यह अवसर नहा दिया गया कि वह सन्धि के मसविदे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सशोधन या निवेदन प्रस्तुत कर सक। मित्रराष्ट्रों ने स्पष्ट कर दिया था कि हस्ताक्षर नहीं करने का अर्थ जर्मनी पर पुन आक्रमण होगा। सम्पूर्ण जर्मनी में रोष का वातावरण छा गया। गिडेमान सरकार ने सन्धि को अस्वीकार करके त्यागपत्र दे दिया। अन्त में एक नयी सरकार, जिसमें गुस्टावबौर प्रधान मंत्री तथा भूलर विदेश मंत्री था, ने सन्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया। अभी तक वर्साय के राजप्रासाद के शीशमहल में जहाँ फ्रांस को हराने के बाद १८७१ में प्रशा के राजा को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था, शान्ति समझौता सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। पर पेरिस के नाटक का अन्तिम दृश्य इसी जगह खेला गया।* २८ जून, १९१९ को (पाँच वर्ष पूर्व ठीक इसी दिन सराजेवो हत्या काण्ड हुआ था) जर्मन प्रतिनिधि-मंडल ने सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए शीशमहल में प्रवेश किया और सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद चीन को छोड़कर अन्य राष्ट्रों ने भी सन्धि पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये। हस्ताक्षर करने के बाद जर्मन प्रतिनिधि ने कहा—“हमारे प्रति फैलाई गयी उग्र घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। मेरा देश दया के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है, किन्तु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण सधि है।” हस्ताक्षर करने के बाद जर्मन प्रतिनिधि-मंडल शीशमहल से बाहर निकला था पेरिस की भीड़ ने उनपर हट फके। दूसरे दिन जर्मनी के एक सप्ताचारपत्र में “हटी हम भूल न जायँ” शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया था कि “उत्तर के राष्ट्रों की गडली में जर्मनों अपना

* 'A fortnight if Paris was a mistake, the final signing of the German Treaty at Versailles was a brutal and miserable blunder' Chambers Harris & Bayley, op cit p 111

सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा और तब १९१९ का बदला।” इन्हीं शब्दों में द्वितीय महायुद्ध के बीज थे।*

अब हम इस सन्धि के महत्त्वपूर्ण शर्तों और उसका द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे।

1- राष्ट्रसंघ—राष्ट्रसंघ (League of Nations) का निर्माण एव संगठन वर्साय-सन्धि का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग था। सन्धि के प्रथम भाग का सम्बन्ध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विलसन का सुझाव था। उसका रयाल था कि राष्ट्रसंघ को शान्ति-सम्मेलन की सबसे महान् कृति होनी चाहिए। लायड जाज ने लिखा है कि विलसन शान्ति-सन्धियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी सबसे अधिक महत्त्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था और अन्त में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रसंघ के विधान को तैयार हो जाने के बाद प्रारम्भ में इस बात



पर विवाद होता रहा कि राष्ट्रसंघ सम्बन्धी धाराओं का वर्साय सन्धि क अन्तर्गत स्थान दिया जाय या नहीं। विलसन को छाड़कर मित्रराज्य के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ सम्बन्धी बातों को वर्साय सन्धि क अन्तर्गत रखना आवश्यक नहीं है। पर विलसन का विचार कुछ दूसरा ही था। वह इस बात पर बहुत अधिक जोर देता रहा कि राष्ट्रसंघ के सन्धि (Covenant) को 'सन्धि क अन्तर्गत रखा जाय। अन्ततः विलसन की बात मान ली गयी और


* 'Albjerg and Albjerg', op cit, p 28

राष्ट्रसंघ के सविधान को वसॉय सन्धि के अन्तर्गत ही रख दिया गया। वसॉय-सन्धि की प्रथम २६ धाराएँ राष्ट्रसंघ का सविधान ही हैं, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना था। राष्ट्रसंघ के संवध में बाद में द्वितीय अध्याय में विशद् रूप से विचार किया जायगा।

२- प्रादेशिक व्यवस्थाएँ

एल्सेस लोरेन—वसॉय-सन्धि द्वारा प्रादेशिक परिवर्तन करके जर्मनी का अंग-भंग कर दिया गया। १८७१ में जर्मनी ने फ्रांस से एल्सेस लोरेन के प्रदेश छीन लिये थे। सबों ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि यह एक गलत काम हुआ था और इसका अन्त आवश्यक है। अतः सन्धि की शर्तों के द्वारा एल्सेस लोरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस दे दिये गये।

राइनलैंड—विलमेशो इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उन्नीसवीं सदी में दो बार फ्रांस को जर्मनी द्वारा नीचा देखना पड़ा था। फ्रांस के भविष्य की सुरक्षा



राइनलैंड

को ध्यान में रखकर विलमेशो ने यह माँग की कि राइन नदी के पश्चिम के प्रदेश को जर्मनी से पृथक करके एक ऐसे राज्य में परिवर्तित कर दिया जाय, जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से फ्रांस के प्रभाव में रहे। लायड जार्ज और विल्सन ने इस सुझाव का विरोध किया। लायड जार्ज का कहना था कि ऐसा करने से एक दूसरे एल्सेस लोरेन की समस्या उठ खड़ी हो जायगी। विल्सन का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था से 'आत्म-निर्णय के सिद्धान्त' का उल्लंघन होगा। काफी विचार और यहस के बाद विलमेशो राइन के सम्बन्ध में इस समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया कि कुछ निश्चित समय के लिए इस प्रदेश में सैन्य की सेनाएँ रखी जायँ ताकि जर्मनी

इसका उपयोग अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर सके। राइनलैंड को

तीन भागों में विभक्त कर दिया गया—उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। यह तय हुआ कि मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ उत्तरी भाग पर पाँच साल तक, मध्यवर्ती भाग पर दस साल तक और दक्षिणी भाग पर पन्द्रह साल तक कब्जा किये रहें। इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ कि राइन नदी के दाहिने भाग के ३१ मील चौड़े प्रदेश पर जर्मनी किसी भी प्रकार की किलाबन्दी नहा करे और यदि जर्मनी मन्धि की किसी शर्त का पालन नहीं करे तो मित्रराष्ट्रों के सैनिक कब्जे की अवधि और अधिक बढ़ाया जा सक।

सार—जून क्लेमेशा की राइन के तटवर्ती प्रदेशों पर कब्जा करने का मौका नहीं मिला तो उसने सार (Saar) के भू-भाग पर दावा किया। सार का भू-भाग, जिसका क्षेत्रफल लगभग ७२३ वर्गमील है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण इलाका था और यह कोयले की खानों से भरा पड़ा था। फ्रांस का कहना था कि जर्मनी ने युद्ध के समय उसके सम्पूर्ण कोयले की खानों को बर्बाद कर दिया। अतः, इस महत्त्वपूर्ण प्रदेश पर उसका आधिपत्य होना चाहिए। विल्सन और लायड जार्ज सार की खानों से सम्बन्धित फ्रांसीसी मांग की पूर्ति करना चाहते थे, लेकिन फ्रांस के साथ उनके राजनीतिक अनुबन्धन का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि सार की प्रायः सम्पूर्ण जनता जर्मन थी। अन्त में सार के प्रश्न पर भी एक समझौता हो गया। सार प्रदेश की शासन व्यवस्था को जिम्मेदारों राष्ट्रसंघ का सौंप दो गया और उसकी खानों को फ्रांस के जिम्मे कर दिया गया। शासन का काम एक आयोग को सौंपा गया जिसमें फ्रांसीसियों की प्रधानता रही। यह व्यवस्था की गयी कि पन्द्रह साल के बाद लोकमत द्वारा यह निर्णय किया जाय कि सार पर किसका कब्जा रहे। यदि सार की जनता जर्मनी के साथ रहने का निर्णय करे तो जर्मनी को वहाँ की खानों फ्रांस से खरीदने पड़ेंगी। इसके मूल्य का निर्धारण एक फ्रेंच, एक जर्मन तथा एक राष्ट्रसंघ के विशेषज्ञ द्वारा होगा। इस प्रकार घसाय-सन्धि के द्वारा जर्मनी का एक बहुत बड़ा भूभाग फ्रांस को दिया गया।

बेल्जियम और डेनमार्क की प्राप्ति—यूपेन, मासिनेट तथा मल्मेडी के प्रदेश में, जो जर्मनी के अधीन थे, लोकमत लिया गया और इसके बाद इन प्रदेशों को बेल्जियम के सुपुर्द कर दिया गया। श्लेसविग का प्रश्न भी लोकमत के द्वारा ही तय किया गया। १८६४ में बिस्माक ने इस प्रदेश को डेनमार्क से जीत लिया था। परन्तु यहाँ के अधिकांश निवासी डेनमार्क के साथ मिलना चाहते थे। अतः उत्तरी श्लेसविग को, जहाँ के लोग डेनमार्क के साथ मिलना चाहते थे, घसाय की सन्धि के द्वारा डेनमार्क को दे दिया गया।

जर्मनी की पूर्वी सीमा—जर्मनी की सबसे अधिक मुकामान पूर्वी सीमा में उठाना पड़ा, क्योंकि इस तरफ के अधिकांश भूभाग को जर्मनी से को दे दिया गया। युद्ध के समय ही मित्रराष्ट्रों ने वादा किया था कि बाद एक स्वतन्त्र पोलैंड का स्तम्भन किया जायगा। विल्सन के चौदह इस बात की चर्चा की गयी थी। पर इस बात पर मतैक्य नहीं

का सृजन और उसकी सीमा का निर्धारण किस प्रकार हो। पोलैंड की बड़ी बड़ी मांगें थीं और विलमेशो उनका समर्थन करता था, लेकिन विल्सन और लायड जार्ज ने यहाँ भी उसका विरोध किया। अन्त में इस प्रश्न पर भी एक समझौता हो गया। इसके फलस्वरूप एक ऐसे विशाल पोलैंड का निर्माण किया गया जिसका मंसूख समुद्र-तट से हो। इसके लिए डान्जिग के शहर को, जो तेरहवीं सदी में जर्मनी द्वारा बसाया गया था और अभी भी जिसकी अधिकांश आबादी जर्मन ही थी, जर्मनी से छीन लिया गया और उसको एक 'स्वतन्त्र नगर' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। डान्जिग का राष्ट्रपति की संरक्षता में रखा दिया गया, लेकिन प्रत्येक दृष्टि से यह पोलैंड के प्रभाव क्षेत्र में ही रहा। समुद्र तक अप्रतिहत प्रवेश रखने के लिए डान्जिग का बन्दरगाह पोलैंड के लिए आवश्यक था। पर इसको जर्मनी से छीन लेना 'स्वशासन के सिद्धान्त' का भयंकर उपहास था और १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने तक यह संकट का एक महान् कारण बना रहा।

पोलैंड को डान्जिग तक पहुँचने के लिए एक गलियारे की आवश्यकता थी। जर्मन के बीचोबीच इस तरह का एक गलियारा निकालकर पोलैंड को दे दिया गया। इसके कारण पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से बिल्कुल अलग पड़ गया। बर्साय मन्धि को यह एक भयंकर कमजोरी थी। जर्मनी-जैसे चीर और प्रतापी देश के शरीर को दो टुकड़ों में विभक्त कर देना एक बहुत बड़ा अत्याचार था। पर विजय व मद में मित्रराज्यों ने इस बात पर जरा ध्यान नहीं दिया कि जर्मनी का इस प्रकार अंग भंग करके वे भविष्य के लिए खतरनाक काँटा बो रहे हैं।

इनके अतिरिक्त साइलेसिया का छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को, पोसेन और पश्चिमी प्रशा पोलैंड को, मेमल नामक बाल्टिक तटवर्ती बन्दरगाह मित्रराज्यों को प्राप्त हुआ। पीछे चलकर इस बन्दरगाह को १९२२ में लियुएनिया को दे दिया गया।

यूरोप में जर्मनी की प्रादेशिक क्षति

प्रदेश	वर्गमील
(क) जो पूर्णतया दूसरे देश को दे दिये गये —	
(१) पोलैंड	२७,८०६
(२) फ्रांस	५,६०५
(३) डेनमार्क	१,५३८
(४) बेल्जियम	३८४
(५) चेकोस्लोवाकिया	१००
	<hr/>
	३५,४३३
(ख) जो राष्ट्रमध्य के प्रशासन के अंतर्गत रखे गये —	
(६) मेमल	६१०
(७) सार	७३०
(८) डान्जिग	७२६
	<hr/>
	१,३६६
	<hr/>
	३७,८०७

कुल योग

जर्मन उपनिवेश — जर्मनी के अग भग करने के बाद मित्रराज्य का ध्यान उत्तर में फैले हुए जर्मन उपनिवेशों की ओर आकृष्ट हुआ। पेरिस सम्मेलन की बैठक के पूर्व ही यह बात निश्चित थी कि जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य उसको नहीं लौटाये जायेंगे। सम्मेलन के सामने जब यह प्रश्न आया तो यूरोप के महान् राष्ट्रों ने इन उपनिवेशों को अपने अपने साम्राज्य में मिला लेने का समर्थन किया। विल्सन ने यहाँ भी यूरोपीय राष्ट्रों का विरोध किया। विल्सन चाहता था कि इन उपनिवेशों पर राष्ट्रसंघ की संरक्षता कायम हो। इस पद्धति को संरक्षण-प्रणाली (mandate system) कहा जाता है। अफ्रीका में जर्मनी का जा साम्राज्य था, उसका निवासियों की सख्या सवा कराड क लगभग थी। विल्सन के सिद्धान्तों के अनुसार इन उपनिवेशों का भाग्य-निर्णय वहाँ के निवासियों की सम्मति के अनुसार होना चाहिए था। पर इन देशों को संरक्षण पद्धति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न



अफ्रीका में जर्मनी की औपनिवेशिक क्षति

देशों को दे दिया गया। जर्मन दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका ब्रिटिश दक्षिणी संघ का अग हो गया। जर्मन पूर्वी अफ्रीका भी ब्रिटेन की हाथ लगा। फ्रांस ने कैमरून तथा तोगोलैंड पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी प्रशान्त द्वीप आस्ट्रेलिया की, सेमावा न्यूजीलैंड की और नारू के द्वीप ब्रिटेन को दे दिये गये। कहने की ता इन प्रदेशों पर राष्ट्रसंघ की संरक्षता ही कायम रही, लेकिन वास्तव में प्रत्येक ध्यानहारिक

दृष्टिकोण से ये प्रदेश विविध साम्राज्यवादी राष्ट्रों के ही अधीन रह । संरक्षण पद्धति साम्राज्यवाद के नग्न रूप को छिपाने के लिए एक अच्छा आवरण था ।*

प्रशान्त महासागर में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उनको जापान के अधिकार में दे दिया गया । इस श्रेणी में बहुत से ऐसे भूभाग थे जिन्हें चीन को वापस मिलना चाहिए था । क्याऊ चाऊ और शातुंग के प्रदेश वास्तविक रूप से चीन के अंग थे और वे उसी को मिलना चाहिए था लेकिन जापान ने इसका विरोध किया और उसने शान्ति सम्मेलन में भाग नहीं लेने की धमकी भी दी । इस पर इन प्रदेशों की मित्रराष्ट्रों ने जापान को सुपुट कर दिया ।

इस प्रकार प्रादेशिक परिवर्तन करके वर्साय सन्धि ने जर्मनी का अंग भग कर दिया । स्वयं जर्मनी के अंग भग से उसका पन्द्रह प्रति सैकड़े प्रदेश, जिसमें जर्मनी की कुल आबादी का दशवाँ हिस्सा निवास करता था, उसका हाथ से निकल गये । इसके अतिरिक्त उसको अपने सम्पूर्ण उपनिवेशों से, जो अफ्रिका और पूर्वी एशिया में स्थित थे हाथ धोना पड़ा । पोलैंड के लिए एक गलियारे का इतजाम करना, राइनलैंड पर मित्रराष्ट्रों का आधिपत्य रखना, सार पर राष्ट्रसंध तथा फ्रांस का नियन्त्रण रखना, जर्मनी के अन्य प्रदेशों का काँट छोट कर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को दे देना इत्यादि कार्यों की केवल जुर्म ही कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त ये सारी व्यवस्थाएँ राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत थीं । एक विद्वान लेखक का कहना है कि वर्साय-सन्धि के द्वारा द्वितीय महायुद्ध का बीजारोपण हुआ । वास्तव में यह शक्ति अक्षरशः सत्य है । १९३९ में यूरोप में जो एक बार फिर युद्ध की अग्नि घड़क उठी, उसका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि वर्साय की सन्धि द्वारा जर्मनी का पुनर्निर्माण करते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा की गयी थी ।†

3 - सैनिक व्यवस्था

जर्मनी का निरस्त्रीकरण — प्रिन्सिपल होने के कारण मित्रराष्ट्रों के मन में इस इच्छा का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था कि वे अपने शत्रुओं को यथासंभव दीर्घकाल तक के लिए सैनिक दृष्टि से पगु बना दें । जर्मनी के पड़ोसी राष्ट्रों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर उसका निरस्त्रीकरण आवश्यक था । विराम संधि के समय जर्मनी ने अपने अधिकांश महाजरी बंद और भारी तोपखाने मित्रराष्ट्रों को समर्पित कर दिये थे । अब वर्साय सन्धि के द्वारा उसकी सैनिक शक्ति पर म्याथी प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जर्मन सेना में सैनिक की संख्या बारह लाख के लिए बस एक लाख कर दी गयी । जर्मन-प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया । अनिर्वाह सैनिक

* Schuman *International Politics*, (4th Ed) p 348

† A J P Taylor, *Origin of the Second World War*, p 18

सेवा को निषेध कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्धोपयोगी सामग्रियों के उत्पादन को अत्यन्त सीमित कर दिया गया। उसकी नौ सेना में केवल छ युद्धपोत और इतने ही गश्ती जहाज और विध्वंसक रह सकते थे। पनडुब्बी जहाज का बनाना बन्द कर दिया गया। राइन नदी के किनारे ३१ मील तक के भूभाग का असेनिकरण कर दिया गया। बाल्टिक सागर पर किलेबन्दी करना भी बन्द कर दिया गया और हैलिंगोलैंड का किला तोड़ दिया गया। निरस्त्रीकरण क इन उपबन्धों को पालन करवाने और उनके निरीक्षण के लिए जर्मनी के खर्च से मित्रराष्ट्रों ने अपना एक सैनिक आयोग स्थापित किया। सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एकदम पगु बना देने के लिए मित्रराष्ट्रों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ई० एच० कार का कहना है कि जर्मनी का "जिस कठोरतापूर्वक और सम्पूर्णरूपेण निरस्त्रीकरण किया गया उतना और किसी देश का कभी नहीं किया गया था। इसका सल्लेख लिखित रूप में प्रायः आधुनिक इतिहास में नहीं मिलता।"* इममें सबसे दुःख की यह बात थी कि यह निरस्त्रीकरण केवल एकतरफा था। जर्मनी ऐसे देश के लिए इस बात को सहना असम्भव था। इसलिए उसने सन्धि की इस शर्त का घोर विरोध किया था। पर परास्त जर्मनी के लिए यह बुद्धिमता थी कि वह अर्द्ध मीचकर वर्षाय सन्धि के कड़वे घुँट को चुपचाप पी जाय।

५— आर्थिक व्यवस्था

क्षतिपूर्ति—विजेता को अपने पराजित प्रतिपक्षी से युद्ध का समस्त व्यय वसूल करने का अधिकार प्राचीन युग से ही माना जाता आ रहा है, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के समय अनेक देशों में यह मत व्यक्त किया गया था कि इस बार पराजित शत्रु से युद्ध की क्षतिपूर्ति (reparation) नहीं ली जाय। युद्ध के विशाल रूप ने शुरु में ही स्पष्ट कर दिया कि इस बार क्षतिपूर्ति के दाव को पूरा करना किसी भी राष्ट्र की शक्ति के बाहर है। इसलिए मित्रराष्ट्रों ने विराम-सन्धि के समय सिर्फ यह दावा किया कि स्थल, जल या आकाश से जर्मनी के आक्रमण के कारण मित्रराष्ट्रों के नागरिकों और उसकी सम्पत्ति को जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति की जाय। लेकिन पेरिस सम्मेलन में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि मंडलों ने यह माँग की कि जर्मनी युद्ध के सम्पूर्ण लागत की अदायगी करे। विलसन ने इस माँग का विरोध किया। अन्त में इस प्रश्न पर एक समझौता हा गया। यह तय हुआ कि जर्मनी 'मित्रराष्ट्रों के नागरिकों के धन जन को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करे' जर्मनी को सन्धि की २३१ वीं धारा के अनुसार सारे मुकतान और

क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।* हरजाने की वास्तविक रकम क्या हो, इस प्रश्न पर भी झगड़ा हुए बिना नहीं रह सका। अन्त में यह तय हुआ कि मई, १९११ तक जर्मनी पर दस अरब रुपया प्रदान कर दे और बाद में एक अरब पचास करोड़ रुपया हर साल देता रहे। इस रकम से पहले मित्रराष्ट्रों की उन सेनाओं का खर्च चलाया जाय जो जर्मनी में ठहरी हुई थी। याकी रकम की क्षतिपूर्ति कोष में मिनहा किया जाय। जर्मनी से कहा गया कि वह पाँच सैकड़े के हिसाब से बेल्जियम की उतने मारी रकम का शीघ्र लौटा दे जितना बेल्जियम ने युद्धकाल में मित्रराष्ट्रों से ऋण लिया था। सन्धि के द्वारा एक क्षतिपूर्ति अयोग की स्थापना की गयी। क्षतिपूर्ति की रकम निश्चित करने का काम इसी आयोग पर छोड़ दिया गया।

हरजाने की यह मात्रा कितनी अधिक थी, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। पर मित्रराष्ट्र इतने से सन्तुष्ट नहीं हुए। जर्मनी से यह भी कहा गया कि उसके पास ४४ हजार ८ मौ मन से अधिक वजन के जितने व्यापारिक जहाज हैं उन्हें वह मित्रराष्ट्रों को साप दे और पाँच वर्षों तक मित्रराष्ट्रों के लिए प्रतिवर्ष ५६ लाख मन वजन का जहाज बनाता रहे। जर्मनी के जगी जहाज तथा पन्डुबिचियों पर मित्रराष्ट्रों का विराम सन्धि के समय आधिपत्य हो गया था। अब व्यापारिक जहाज भी उससे छीन लिये गये। युद्ध के पूर्व ब्रिटेन के बाद जर्मनी ही सत्तार की द्वितीय सामुद्रिक शक्ति थी। लेकिन, अब जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति दिलकुल नष्ट हो गयी। जर्मनी नौ-सेना का सबसे बड़ा केन्द्र कील नहर था। इस पर भी मित्रराष्ट्रों ने परोक्ष रूप से अपना अधिकार कायम कर लिया।

जिन क्षेत्रों पर जर्मन आक्रमण हुआ था उन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी को आर्थिक साधन लगाने को कहा गया। यद्यपि कोयले और लोहे की खानों के सभी मुख्य मुख्य प्रदेश—सां और एल्सस लोरेन— जर्मनी के हाथ से ले लिए गये थे, फिर भी जर्मनी से दस वर्षों तक कोयला वसूलने की व्यवस्था की गयी। सन्धि के द्वारा यह तय हुआ कि जर्मनी सत्तर लाख टन कोयला प्रतिवर्ष फ्रांस को, अस्सी लाख टन ब्रिटेन को और उतना ही हर साल बेल्जियम को दे। इसके अतिरिक्त जर्मनी से फ्रांस को कुछ महत्त्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ भी देने को वादा कराया गया।

* The Allied and Associated Governments affirm and Germany accepts the responsibility of Germany and her Allies for causing all the losses and damages to which the Allied and Associated Governments and their nationals have been subjected as a consequence of the war imposed upon them by the aggression of Germany and her Allies.—Article 231 of the Treaty of Versailles

१८७० में जर्मनी ने फ्रांस से जो झुंडा और कलात्मक वस्तुएँ इत्यादि प्राप्त की थीं उन्हें लौटाने के लिए कहा गया । लोमे-विश्वविद्यालय के कागजात और पाण्डुलिपियाँ जो युद्ध में नष्ट कर दी गयी थीं उनकी प्रतियाँ भी लौटाने को कहा गया ।

S— अन्य व्यवस्थाएँ

युद्ध अपराध — वसाय-सन्धि की २३१ वी धारा के अनुसार जर्मनी को युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेवार ठहराया गया । इनका अर्थ यह भी था कि जर्मनी के नेता युद्ध-अपराधी हैं और उन्हें इस अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए । जर्मनी के सम्राट विलियम कैजर का सार्वजनिक और अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं सन्धियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया । मित्रराष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि कैजर तथा उसके प्रमुख साधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा चला सकें । मित्रराष्ट्रों ने एक अदालत की नियुक्ति की जिसको इन मुकदमों की जाँच का भार दिया गया । इस अदालत का काम दृढ़ निश्चित करना था । सन्धि के लागू होने के तुरंत बाद मित्रराष्ट्रों ने डच-सरकार से अनुरोध किया कि वह कैजर को उन्हें सौंप दे । परन्तु, हालैंड की सरकार ने 'राजनीतिक शरणार्थी' को वापस करने से इन्कार कर दिया ।

सन्धि के अनुसार जर्मनी को वादा करना पड़ा कि मित्रराष्ट्रों ने जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया है उन व्यक्तियों को वह सैनिक न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए सौंप देगा । इस शर्त के अनुसार १९२१ में छह अपराधियों पर मुकदमें चले और उन्हें कारावास की सजा दी गयी । केवल जर्मनी के युद्ध अपराधियों को ही सजा देना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं था । मित्रराष्ट्रों के देश में ही बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनपर उन्हीं नियमों को भंग करने का दोषारोपण किया जा सकता था । पर उन्हें कोई सजा नहीं दी गयी । यदि मित्रराष्ट्रों की सरकारें भी इसी प्रकार के अपराध के लिए अपने देशवासियों पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार हो जाती तो अन्तर्राष्ट्रीय नियम के इतिहास में एक नया अध्याय ही शुरू हो जाता ।

अंत में वसाय-सन्धि में ही इस सन्धि को कार्यान्वित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ की गयी थीं । राइन नदी से पश्चिम और जर्मनी के विशाल भू-भाग पर मित्रराष्ट्रों को सैनिक अड्डा स्थापित करने की सुविधा दी गयी थी । अगर जर्मनी ने सन्धि के विरुद्ध कोई काम किया तो उस पर फौजी अधिकार का समय अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता था ।

में काफ़ी कमो कर दो गये और तरह तरह की मोमाएँ निर्धारित कर दी गयीं। यही दशा जर्मनी की सेना की भी हुई, जिसका स्थान युद्ध के पूर्व सप्ताह में द्वितीय था। जर्मनी के भू-भाग पर विदेशी सेनाएँ रखी गयीं। इनका खर्च जर्मनी को ही देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जर्मनी में विविध अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थित थे जो जर्मनी के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक मामलों में बराबर हस्तक्षेप किया करते थे। इन सभी बातों के अतिरिक्त जर्मनी को क्षतिपूर्ति करना था जिसकी रकम निश्चित नहीं थी। क्षतिपूर्ति के लिए उसने कारे चेक पर हस्ताक्षर कर दिये।* वास्तव में जर्मनी को सदा के लिए कुचल देना ही वसूली-संधि का उद्देश्य था। जर्मनी पर संधि के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक लेखक ने ठीक ही कहा है "आर्थिक दृष्टि से पंगु, राजनीतिक दृष्टि से भ्रम, सैनिक दृष्टि से पराजित, राष्ट्रीय दृष्टि से अपमानित, भौतिक दृष्टि से चूर्ण जर्मनी खेत से बाहर पीले व्यक्ति की तरह खड़ा था।"†

वसूली संधि का मूल्यांकन

— विविध प्रतिक्रियाएँ — पेरिस का शांति सम्मेलन अत्यन्त आशापूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हुआ था, परन्तु उसका अन्त व्यापक निराशा में हुआ। ‡ वसूली संधि की शर्तों का कहीं भी स्वागत नहीं हुआ और उससे सबको निराशा हो गई। सन्धि में फ्रांस के हितों पर सर्वाधिक ध्यान रखा गया था। परन्तु जब क्लिमेंटो ने अनुमोदन के लिए उसे फ्रांस के राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया तो उसके दोनों सदनों ने उस पर ब्रिटेन और अमेरिका के समक्ष कारगरतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों के बलिदान का दाव लगाया। लायड जाज पर अमेरिकी शान्तिवाद के सामने कठोर न्याय का बलिदान करने तथा फ्रांस को प्रसन्न करने के लिए जर्मनी पर विनाशकारी सन्धि लादने का दोष लगाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट ने तो वसूली-संधि को नामजूर ही नहीं किया, वरन् विल्सन को सर्वाधिक प्रिय वस्तु राष्ट्रमण्डल का सदस्य भी अमेरिका को नहीं बनने दिया। छोटे छोटे राज्यों को भी यही स्थिति थी। वास्तव में इस नयी व्यवस्था में अनेक त्रुटियाँ थी और सन्धि के जन्मदाता और हस्ताक्षरकारी भी उससे अत्यन्त असन्तुष्ट थे। दक्षिण अफ्रिका के प्रधान मन्त्रि जनरल स्मटम ने कहा था कि मैंने सन्धि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया है कि मैं उसको ठीक मानता हूँ, वरन् "मैंने इस पर इसलिए हस्ताक्षर किया है कि मैं युद्ध की स्थिति का अन्त देखना चाहता हूँ।" उसके मतानुसार वसूली-संधि द्वारा जो व्यवस्था हुई थी वह ऐसी

* Langeam World Since 1919, p 29

† "Economically crippled politically segregated militarily humbled, nationally humiliated physically exhausted, Germany stood like a pale person just out of the game" — Ibid p 34

‡ Slosson, Europe Since 1870, p, 470

थी जिसमें सशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और क्षतिपूर्ति की रकमें भी इतनी भारी थी कि यूरोप के औद्योगिक पुनरुद्धान को गहरी चोट पहुँचाये बिना व घसूल नहीं जा सकती थीं।* स्वयं राष्ट्रपति विल्सन ने स्वीकार किया था कि सम्मेलन के कार्य की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी। सम्मेलन में राष्ट्रसंघ पर अपना विचार व्यक्त करते हुए उसने कहा था

“यूरोप महायुद्ध की विधोषिकाओं को सहन करता आता बलात् और उत्तेजित हो उठा है। अतः उसके लिए एक अच्छा संधि करना असम्भव है। परन्तु यदि राष्ट्र संघ को वैधानिक रूप दिया जाय तो फिर यह संधि सन्धि की आपत्तिपूर्ण धाराओं में सशोधन करने का साधन बन सकेगा। फलस्वरूप जिस परिमाण में यूरोप की पारस्परिक घृणा कम होती जायगी उसी परिमाण में राष्ट्रसंघ की शक्ति बढ़ती चली जायगी जिससे झुटियों का सशोधन और उपयुक्त उपचार का प्रयोग होने लगेगा। संधि अस्थायी है और राष्ट्रसंघ स्थायी है। सन्धि रूपी छोटा सा यंत्र अन्त में राष्ट्रसंघ रूपी बड़े यन्त्र में बिलीन हो जायगा।”

२ — आरोपित संधि — वर्साय सन्धि को एक “आरोपित सन्धि” को सजा दी जाती है। इस सम्बन्ध में सबसे पहली विचारणीय बात यह है कि इसमें अन्त र्राष्ट्रीय शिक्षाचार एवं रिवाज का उल्लंघन किया गया था। इस सन्धि को तैयार करते समय विजित राष्ट्रों को अलग रखा गया था। १८१४ के वियना सम्मेलन

* वर्साय की संधि पर कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार व्यक्त किये गये थे

1 I should have preferred a different peace—Colonel House

2 ‘It is a stern but just treaty —Lloyd George

3 ‘This is not peace it is an armistice for twenty years’
—Marshal Foch

4 ‘Do not expect us to be our executioners —Erzberger

5 What hand would not wither that signed such a peace”
—Schidemann

6 ‘The day has come when might and right—terribly divorced hitherto have united to give peace to the peoples in travail
—Clemenceau

7 The promise of the new life the victory of great human ideals are not written in this treaty The will of the peoples ought to follow complete and amend the peace of the statesmen
—General Smuts

8 * I think it would be found that the compromises which were accepted as inevitable no where cut at the heart of any principle, the work of the conference squares, as a whole, with the principles agreed upon as the basis of peace as well as with the practical possibilities’ —President Wilson

मे एकत्रित राज्यों ने सम्मेलन में पराजित फ्रांस को भी धामन्त्रित किया था । परन्तु, इस समय ऐसा नहीं किया गया । सन्धि उसको कहते हैं जिसको दोनों पक्ष के लोग आपस में विचार-विनिमय करके करते हैं । लेकिन, वसाय की सन्धि तो कोई सन्धि ही नहीं थी । यह मित्रराष्ट्रों का आदेश था, उनका हुकम था जिसको स्वीकार करने के अतिरिक्त जर्मनी के सामने कोई अन्य माग नहीं था । इसलिए प्रारम्भ से ही जर्मनी के राजनीतिज्ञ इस सन्धि को “आरोपित शान्ति” (dictated peace) की सजा देने लगे । उनका कहना था कि यह विजेताओं द्वारा विजितों पर लादी गयी सन्धि है और उसका आधार विचारों का परस्पर आदान प्रदान नहीं है । जैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली लगभग प्रत्येक सन्धि ‘आरोपित’ सन्धि होती है, लेकिन जैसा प्रोफेसर कार का कथन है, वसाय-सन्धि में आरोप का भाव सभी शान्ति सन्धियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ।* सधि पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए जर्मनी को एक ही अवसर दिया गया और दूसरे बार जब सन्धि का सशोधित मसविदा उसको दिया गया तो घमकी के साथ कि अगर वह एक निश्चित समय तक हस्ताक्षर नहीं कर देगा तो युद्ध पुनः प्रारम्भ कर दिया जायगा । जैसा कि एडमंड गिबन्स ने लिखा है “परस्परिक सहानुभूति की अनुपस्थिति में वह एक शक्ति की शांति थी और उसकी शक्तों का कार्यान्वयन केवल उस समय तक सम्भन था जबतक कि वह शक्ति जिसने जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, उसे कार्यान्वित करती रहे ।” पीछे चलकर अगर जर्मनी ने इस ‘आरोपित सन्धि’ का उल्लंघन भी किया तो इसको किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता है । ब्रिटिश पार्लियामेंट में लार्ड ब्राइस ने कहा था कि शान्ति केवल सन्तोष से हो सकती है । इन सन्धियों का परिणाम राष्ट्रों का असन्तुष्ट बनाना है और इससे क्रान्तियाँ बार युद्ध होंगे ।

५ —साधारण शिष्टाचार का उल्लंघन—सन्धि के सम्बन्ध में एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि सम्पूर्ण वार्तालाप के समय और हस्ताक्षर करने के समय जर्मनी के साथ मामूली शिष्टाचार के नियम का भी पालन नहीं किया गया । मार्चजनिक अप्रतिष्ठा से परेशान होकर एक जर्मन प्रतिनिधि को कहना पडा था कि “हमारे प्रति फैलायी गयी छत्र घृणा की भावना से हम सुपरिचित हैं ।” हस्ताक्षर करने के अवसर पर जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ समानता का भाव नहीं बरता

* “Nearly every treaty which brings a war to an end is in one sense, a dictated peace. But in the Treaty of Versailles the element of dictation was more apparent than in any previous treaty of modern times”—Carr, op cit, p 4

गया, वलिक अपराधी की तरह उन्हें हॉल के बाहर और भीतर ले जाया गया। २८ जून, १९१९ का आँखों देखा हाल का वर्णन एक मज्जन से इस प्रकार किया है

“आज मने जर्मन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करते देखा; तीन बजे सद्म शांति का वातावरण छा गया और तब जर्मन प्रतिनिधि पधारे। इनके आगे दो चार शस्त्र सज्जित अफसर चल रहे थे। घृणा का वातावरण अत्यन्त भयकर था। मेन पर सन्धि पत्र रखा था। इसके बाद तिनमेंशो उठा और वसन जर्मन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने को कहा। इसके पश्चात् वे उठकर आगे आये और अत्यन्त निस्तब्ध में हस्ताक्षर किये। उधर तोपें दगने लगी।”

क्या यह तापें शान्ति की थी या विजय की अथवा वे भावी युद्ध का आह्वान कर रही थी? इन अनावश्यक अपमानों का जर्मनी पर बहुत जबरदस्त मानसिक प्रभाव पडा। “आरोपित शान्ति” की धारणा जर्मन लोगों में और मजबूत हो गयी और वे शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि उपरोक्त परिस्थिति में जर्मनी से कराये गये हस्ताक्षर उन पर नैतिक रूप से बधनकारी नहीं है। इसलिये सन्धि की दो महत्त्वपूर्ण शर्तों को जर्मन लोग सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ही तोड़ चुके थे। प्रथम तो १८७० में पकड़े गये फ्रांसीसी बेड़े का डुबोना और दूसरे बर्लिन में फ्रांसीसी राष्ट्रीय झंडे को जलाना।

सन्धि का आधार विश्वासघात—वर्साय की संधि जर्मनी के साथ एक महान् विश्वासघात था। जर्मनी ने विल्सन के ‘चौदह सूत्रों के आधार पर आत्मसर्पण किया था, लेकिन इन सूत्रों का खुनेआम उल्लंघन किया गया। संधि के सम्बन्ध में किसी ने ठीक ही कहा है कि यह पाखंड, घृणा, प्रतिशोध आदर्शवाद तथा भौतिकवाद का विचित्र समन्वय है। इसे अनैतिक शब्दावलिओं में तैयार किया गया जो युद्धकालीन प्रयुक्त भाषा से बिल्कुल भिन्न था। वास्तव में पेरिस सम्मेलन प्रबान मंत्रियों के एक विशेष गुट की स्वेच्छाचारिता का नमूना था और उनका प्रमुख काम युद्ध की लूट को बाँटना और पराजितों को अच्छी तरह रौदना था। फ्रांस द्वारा राइन प्रदेश पर अधिकार की चेष्टा, इटली द्वारा डालमेशिया पर अधिकार कर लेना और पोलैंड द्वारा समस्त ऊपरी साइलीशिया का अपहरण इस बात का उदाहरण है। जर्मनी के साथ राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया। फिर इस संधि की शर्तें एकपक्षीय थीं। पराजित पक्ष पर तो बहुत शर्तें लाद दी गयीं, परन्तु विजेताओं का उनसे पूणत मुक्त रखा गया। जर्मनी के साथ यह घोर अन्याय और विश्वासघात तथा चौदह सूत्र के साथ मजाक था। विल्सन के “चौदह सूत्रों” का उद्देश्य यह था कि विजेता और विजित दोनों ही अपना अपना निरस्तीकरण कर देंगे। जर्मनी का निरस्तीकरण तो कर दिया गया, किन्तु विजयी राष्ट्रों ने अपनी सैन्य-शक्ति में कोई कमी नहीं की। वास्तव में “चौदह सूत्रों” का पालन उन्ही अवस्थाओं में किया गया जब मित्रराष्ट्रों की उसे

कुछ लाभ प्राप्त होने को था, अन्यथा अन्य व्यवस्थाओं में समका उल्लंघन ही होता रहा।* इन बातों से जर्मनी में यह धारणा उत्पन्न हुई कि उसका साथ जो अन्याय हुआ है, समका कारण युद्ध नहीं बरन् युद्ध में उसकी पराजय है। अतः उन्हें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वे युद्ध की ऐसी तैयारी करें कि अगले युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा सके। यदि निरस्त्रोकरण आदि की शर्तों में पक्षों पर लागू होती तो जर्मनी में कोई असन्तोष नहीं होता। जर्मनी की मुख्य शिकायत यही थी। यह कहा जाता है कि पेरिस का शान्ति-सम्मेलन कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं बरन् मित्रराष्ट्रों का अदालत था जहाँ जर्मनी और उसके साथ राज्यों का क्वल फेम्ला सुनाने के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन के शुरू होने पर विल्सन ने कहा था कि इसमें सभी पक्षों को बुलाया जायगा और जो भी कुछ कहना चाहे कह सकता है। लेकिन इस वचन का पालन नहीं किया गया और वर्साय संधि की यह सबसे बड़ी त्रुटि साबित हुई। चूंकि सम्मेलन में जर्मनी शामिल नहीं हुआ, इसलिए इसके कठोर शर्तों का किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध के अभाव में संधि का स्वरूप एक पक्षीय हो गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि जर्मनी की सरकार का कोई प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया गया, अतएव वहाँ की सरकार के लिए जनमत को संधि के पक्ष में करना कठिन तथा असम्भव दोनों हो गया। यदि जर्मनी को भी शान्ति-सम्मेलन

* वर्साय की संधि में विल्सन के सिद्धान्तों और विशेष कर उसके चौदह सूत्रों का पालन हुआ या नहीं इस प्रश्न पर इतिहासकारों के बीच घोर मतभेद है। जर्मनी तथा पश्चिम के कुछ विचारकों का मत है कि शान्ति सम्मेलन में विल्सन के चौदह सूत्रों में लगभग सभी सूत्रों का उल्लंघन हुआ था। इसके विपरीत जायस जार्ज ने कहा था कि इस संधि को कोई ऐसी बात नहीं है जो युद्ध समाप्ति के पूर्व मित्रराष्ट्रों द्वारा की गयी घोषणाओं के प्रतिबल हो। प्रोफेसर गैथोर्न हार्डी के मतानुसार वर्साय-सन्धि में विल्सन के चौदह सूत्रों का अधिकतम पालन किया गया था। (देखिए Gathorn Hardy *The Fourteen Points and the Treaty of Versailles*, p 11) डा० सेटन वाटरसन ने भी सिद्ध किया है कि वर्साय सन्धि में केवल इटली को सीमान्तवाली नवीं शर्त को छोड़कर चौदह सूत्र के शेष सभी शर्तों का पालन हुआ। लेकिन हेरल्ड निकोलसन ने साफ-साफ लिखा है कि 'विल्सन का कोई भी शर्त वर्साय सन्धि में पूरी नहीं हुई है।' (देखिये Harold Nicholson, *Peace Making 1919*, p 43) प्रोफेसर लॉगसम ने बीच का रास्ता अपनाया है। उसका कथन है कि विल्सन के चौदह सूत्रों में पांच (७, ८, ११, १३, १४) का पालन हुआ, चार (१, ६, ९, १०) का पालन इस तरह किया गया कि मित्रराष्ट्रों को उसे लाभ पहुँचे और पांच (१२, १४, १२) को अबाधेना की गयी। (देखिये Langsam, *World Since 1919*, pp 34, 82 और 116)।

इस प्रकार वर्साय संधि पर विल्सन का प्रभाव (Wilsonian impact) एक अत्यन्त ही विवादास्पद विषय है और इस पर किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुँचना अत्यन्त कठिन है। विल्सन के सिद्धान्तों का अपरश पालन हुआ या नहीं पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसके आदर्शों और सिद्धान्तों का संधि पर गहरा प्रभाव पड़ा।

में शामिल होने दिया जाता तो सम्भव था कि संधि की यह दुर्गति नहीं होती जो बाद में उसकी हुई।*

5- कठोर संधि - वसाय की सन्धि जर्मनी को भविष्य के लिए एक सबक देने के उद्देश्य से की गयी थी। ब्रिटिश प्रधान मंत्री लायड जाज के निम्न वाक्य में यह साफ साफ झलकता है। उन्होंने कहा था "इस सन्धि की धाराएँ युद्ध में मृत शहीदों के रून से लिखी गयी हैं। जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरु किया था उन्हें दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है।" यही कारण है कि सन्धि की शर्तें इतनी कठोर थीं। क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तों का विरोध करते हुए ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य मि० वन्स ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसकी उसने "कार्थेजीनियन" सन्धि (Carthaginian Peace) कहा था। भूतपूर्व जर्मन चान्सेलर वेयमान हालवेग का कहना था कि "पराजित को गुलाम बनाने का हमसे बटकर विश्व ने कभी भी भयानक उपाय नहीं देखा।' यदि सन्धि की शर्तों की स्थायी बनाने में मित्रराष्ट्रों की सफलता मिल जाती तो जर्मनी का नाम गससार की महान् शक्तियों में से हमेशा के लिए मिट जाता। क्षतिपूर्ति की शर्तों का अत्यन्त ही कठोर और दर्दनाक धो। सन्धि को इस आर्थिक व्यवस्था का चञ्चल ने मूलाधारपूर्ण कहा है। उसकी शर्तों में "इतिहास इस लेन देन का पागलपन की सशा प्रदान करेगा। उ होने सैनिक अभिशाप और आर्थिक सडक की उत्पत्ति में महायता पहुँचायी यह सब उस जटिल मूलाधार की दुखद कहानी है जिसका रचना में पचास धम और सदगुणों का अपव्यय हुआ था।"‡

* Germany's presence at the Conference, if accepted in good faith, would have moderated the terms and facilitated the realisation of Castlereagh's objective as he went to the Congress of Vienna not to bring back trophies of victory, but to restore Europe to the paths of peace"—Albjerg and Albjerg *Europe from 1919 to the Present* pp 83 84

‡ इसका तात्पर्य प्राचीन रोम और कार्थेज के युद्ध से है। जिस प्रकार प्राचीन काल में रोम ने कार्थेज की हराकर उसकी समूली-सूजन किया था उसी प्रकार वसाय की संधि द्वारा जर्मनी को धाष्ट और विध्वंस करने का प्रयत्न किया गया था।

‡ History will characterise all these transactions as insane They helped to breed the material curse and economic blizzard Germany now borrowed from all directions, swallowing greedily every credit which was lavishly offered to her All this is a sad story of complicated idiocy in the making of which much toil and virtue was consumed —Churchill, *The Second World War*, Vol I p 58

६— कठिन सिद्धांतों पर आधारित सन्धि —वर्साय की सन्धि स्थायी बुद्धि पर आधारित न होकर कठिन भावावेशों पर आधारित थी। इसमें बुद्धिमता, न्याय और संतुलित निणय का सन्ध्या अभाव था और इसका एकमात्र उद्देश्य जर्मनी को पूणतया कुचल देना था। इसके अतिरिक्त इस सन्धि में ऐसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था जिनका पूरी तरह पालन करना असम्भव था। उदाहरणार्थ आत्मनिणय के सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह सराहनीय था, पर इसको व्यावहारिक रूप देना अत्यधिक कठिन था। इसका प्रयोग किस हद तक होगा इसका निर्धारण इस सन्धि में नहीं किया गया था। इस कारण, इस सिद्धान्त ने यूरोप में नयी समस्याएँ उत्पन्न कर दी।

७— द्वितीय विश्व-युद्ध का कारण—वर्साय सन्धि जैसी कठोर और अपमानजनक सन्धि की शर्तों को कोई भी स्वानिमानी राष्ट्र एक लम्बे काल तक के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इस तरह की स्थिति कोई “सबक” नहीं हो सकती थी। यह एक घोर अपमान था जिसका जर्मनी कभी नहीं सह सकता था। उसके लिए यह स्वाभाविक था कि भविष्य में वह फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को धाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार भावी युद्ध के बीच वर्साय सन्धि के आरम्भ से ही विद्यमान थे। पेरिस के शान्ति सम्मेलन की मजसे बड़ी “सफलता” यह है कि उसने “एक विष वृक्ष के बीज का आरोपण किया जा १९१९ में एक विशाल संहारक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके बट्टे पत्तों की सम्पूर्ण सत्तार को बुरी तरह चखना पड़ा।” जर्मनी अभी अमशायक युद्ध के वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करना ही था। पर जैसा एजायज ने सिद्धांत के समय में कहा था ‘जर्मन जाति कष्ट सहगी, परन्तु मरने का डर नहीं करेगी’ जैसे जैसे मोरु मिलाता गया वैसे वैसे वह सन्धि की शर्तों का उल्लंघन करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में यूरोप का वातावरण अत्यन्त अशान्त हो गया और सत्तार को प्रथम विश्व युद्ध के अन्त में प्रलयकारी युद्ध देखना पड़ा।

जर्मनी के भय से बराबर सशक्ति रहते थे। सन्धि पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस ने पपीयूद राजनेता पोय कारे अवकाश ग्रहण कर लोरेन में विश्राम करने के लिए चला गया। वहाँ वह अपने बगले के पूर्वी गिरफकी पर खड़ा होकर बराबर कहा करता था—“वे पुन आर्येंगे।” करीब करीब सभी फ्रांसीसी पोयकारे के इस विचार से सहमत थे। १९१९ में विलमेशो ने कहा था “मैं जो कहता हूँ उसका ध्यानपूर्वक सुनो। छठ महीने में, एक साल में, पाँच साल में जब वे चारेंगे पुन हम पर आक्रमण करेंगे।” फ्रांस का यह भय कोई काल्पनिक नहीं था। अतः यह सत्य साबित हुआ और वे पुन आघमके। लार्डस सभा में इस समझौते पर भाषण करते हुए लॉट ब्राइस ने कहा था “शान्ति क्वल सन्तोष के द्वारा आ सकती है। इन सन्धियों का परिणाम राष्ट्रीय असन्तुष्ट बनाना है। इससे विद्रोह और युद्ध के लिए भूमि तैयार होगी।” सन्धि के अवसर पर माशाल फॉच (Foch) ने भी कहा था कि वसाय की सन्धि कोई सन्धि नहीं है, यह बीस वर्षों के लिए एक विराम सन्धि है।* फॉच की भविष्यवाणी सत्य निकली और बीस वर्षों ही द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध को युद्धान्तक युद्ध कहा गया था। उसी तरह वसाय की सन्धि का शान्ति का अन्त करनेवाली शान्ति (Peace to end peace) कहा जा सकता है।

वसाय सन्धि की इन विशेषताओं के कारण इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह शान्ति की दृष्ट्या न होकर वस्तुतः दूसरे विश्व युद्ध की व्यवस्था थी, अर्थात् इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विद्यमान थे। १९३० में सातार के रगमच पर जिस सन्धि का दृश्य प्राग्भूत हुआ उसकी तैयारी इसी के साथ शुरू होती है। वास्तव में दो विश्व युद्धों के बीच का काल इस सन्धि की व्यवस्थाओं को तोड़ने का काल है। इस दृष्टि से इस सन्धि को बहुत सफल नहीं कहा जा सकता है। इसके अनेक भाग मित्रराष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा और विरोध से शशोधित एवं भंग होते चले गये। १९२६ में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता देकर सन्धि के प्रथम भाग में शशोधन किया गया। सन्धि के पाँचवें भाग को जर्मनी ने १९३५ में अपने आप टुकरा दिया। इसके युद्ध बन्धियों सम्बन्धी सातवें और शक्तिपूर्ति विषय आठवें भागों को कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। १९३५ से १९३८ के बीच में जर्मनी ने सन्धि के बारहवें भाग को कटु आलोचना की। चौदहवें भाग को स्वयं मित्रराष्ट्रों ने १९३० में समाप्त कर दिया। १९३८ में जर्मनी ने सन्धि के दूसरे तीसरे और चौथे भाग को भी टुकरा दिया। जब हिटलर ने सन्धि के पाँचवें और बारहवें भाग पर आक्रमण किया तो उसका विरोध न करके उसका प्रोत्साहित किया गया। अतएव मार्च १९३८ में उसने आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया। उसी वर्ष सितम्बर में चेकोस्लोवाकिया को वह निगल गया। लेकिन अन्त

में जब उसने पोलैंड से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का तोड़ने का यत्न किया तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार वर्साय की सन्धि पूर्णतया अशफल रही और यह द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण साबित हुई।*

७ - राजनेतृत्व की महान पराजय—इन सब कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १९१९ का सम्मेलन और उसके कृत्य राजनेतृत्व को महान् असफलता (the great failure of statesmanship) थी। यह एक ऐसा सन्धि थी जिससे न तो विजेताओं को सन्तोष मिला और न विजितों का हो। यूरोप में इसने एक ऐसे अस्थान्त वातावरण को उत्पन्न कर दिया जिसका परिणाम आनेवाली पाठों को भी भुगतना पड़ा। बिल्सन, लायड जाज, ब्रिन्मेंटा आदि नेताओं का १९१९ में एक स्वर्ण अवसर मिला था। यदि वे समय से काम लेते तो सप्ताह में स्थायी शान्ति को नीव डाली जा सकती थी। लेकिन क्षणिक भावावेग के प्रभाव में आकर वे मानसिक सन्तुलन खो बैठे और एक महान् असफलता के हाथ में निकल गया। राजनेताओं से इस तरह की बात को आशा नहीं की जाती है।

वर्साय-सन्धि का औचित्य

वर्साय-सन्धि को कठोरता के विषय में जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा ही है, लेकिन उस पर विचार करते समय हमें कई और बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर जर्मनी प्रथम महायुद्ध में जीत जाता तो वह ठीक इसी प्रकार की कठोर सन्धि को मित्रराष्ट्रों पर लादता। यह बात ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की सन्धि से स्पष्ट है। यह वर्साय सन्धि से किसी प्रकार भी कम कठोर नहीं थी। इस सन्धि के द्वारा विजेता जर्मनी ने ठीक उसी प्रकार विजित रूसियों को दुर्दशा की जो जिम प्रकार पीछे चलकर विजेता मित्रराष्ट्रों ने विजित जर्मनी को। मित्रराष्ट्रों ने एक प्रकार से जर्मनी का ही अनुकरण किया। स्वयं लायड जाज ने ब्रिटिश संसद् में इस प्रकार के उद्गार व्यक्त किये थे “प्रस्तावित सन्धि को जर्मनी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कहा जा सकता। कुछ शर्तें अवश्य

* वर्साय सन्धि को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार कहना भी एक विवादास्पद विषय है। कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि सन्धि नहीं बल्कि उसको कार्यान्वित करने में अरम मोति का अवलम्बन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। लॉगम ने लिखा है कि मित्रराष्ट्रों विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन के परस्पर विरोध तथा सन्धि की शर्तों का कठोरतापूर्वक पालन न कर पाने का मोति ही इसका मुख्य कारण था। यदि सन्धि का कठोरतापूर्वक पालन कराया जाता तो जर्मनी का यह प्रयत्न हो जाता कि वह युद्ध में हारा हो नहीं है बल्कि परिणाम में युद्ध सफल करना या सन्धि से बचना नहीं है। तो इन मित्रराष्ट्रों की उदात्तता से बचका होसला बन गया और उसने फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। (देखिये Langbehn, World Since 1919 p 733 तथा A J C Taylor, Origin of the Second World War, p 18)

भयानक जँचती है। परन्तु यदि जर्मनी वहाँ जीत जाता तो इससे भी अधिक भयावह परिणामों का आज हमें सामना करना पड़ता।" कुछ लोग इसको कठोर और अन्यायपूर्ण सन्धि मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इतिहासकार हाल एव डेविस ने लिखा है

' यह सर्घ राइनलैंड पर फ्रांस को अधिकार दे सकती थी, जर्मनी को १८६६ की भांति मेन नदी पर विभक्त कर सकती थी पर इसमें इस तरह की बेहूदा व्यवस्था नहीं की गयी। अतः यह कहना गलत है कि यह कार्रवाई जैसी शांति थी। कार्रवाई का विध्वंस कर दिया गया था, उसकी मिट्टी में नमक मिला दिया गया था। पराजित जर्मनी के साथ उससे कहीं अच्छा व्यवहार किया गया था जो जर्मन लोगों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की सन्धि में रूसवालों के साथ किया था। वर्साय की सन्धि में विजेताओं ने न केवल जर्मनी का विध्वंस किया किन्तु अपनी शर्तों की कठोरता कम करने के लिए दो उपायों की व्यवस्था भी कर दी। एक तो क्षतिपूर्ति आयोग की नियुक्ति थी जो उसके हरजाने के रकम को कम कर सकती थी और दूसरा राष्ट्रसंघ था जो इसके अन्वय को हटा सकता था।**

जनमत—ध्यान देने योग्य एक दूसरी बात यह है कि मित्रराष्ट्रों में जनमत जर्मनी के एकदम विरुद्ध था और यूरोप की जनता चाहती थी कि पेरिस में बैठे हुए उनके प्रतिनिधि जर्मनी पर कड़ी से कड़ी शर्तें ला दें। यह भावना फ्रांस में काफी तीव्र थी। सन्धि ऐसे समय में की गयी थी जब की शत्रु द्वारा किये गये भयंकर विनाश और अपार कष्टों की स्मृति विजयी राष्ट्रों में अभी भी ताजी थी और विजित राष्ट्रों के विरुद्ध भावनाएँ दबी तीक्ष्ण थी। अगर सम्मेलन में शामिल हुए प्रतिनिधि जर्मनी के प्रति थोड़ा भी नरम रुख अपनाते तो सम्भव था कि कुछ देशों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो जाता। मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधि रवतन्त्र नहीं थे। उन्हें अपने देश की जनता के तीव्र प्रतिरोध की भावनाओं को ध्यान में रखना था। जनमत की उपेक्षा करना उनके लिए असम्भव था।†

विविध आयोग और कार्य-पद्धति—सन्धि के कठोर होने का एक और कारण था। वर्साय की सर्घ कई प्रयोगों द्वारा तैयार की गयी थी। अलग-अलग आयोगों ने अपने निर्णय अलग अलग दिये थे और वे सब संधि में शामिल कर लिये गये। यह देखने का प्रयत्न नहीं किया गया कि जर्मनी पर उन सब का सम्मिलित प्रभाव क्या होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सन्धि अत्यन्त कठोर बन गयी।

* Hall and Davies *The Course of European History Since Waterloo* p 665

† It was a severe treaty but it was in response to popular demands in the Allied countries, and should always be read in connection with the treaty which the Central Powers dictated to Russia at Brest-Litovsk.—Lee Bennis, op cit, p 126

यदि शान्ति-सम्मेलन की कार्य पद्धति कुछ दूसरी होती तो यह सम्भव था कि बर्साय को सन्धि का स्वरूप ऐसा नहीं हो पाता । सम्मेलन के प्रारम्भ में ही यह प्रश्न उठा था कि विजितों के साथ जो सन्धि हो वह अन्तिम हो या अस्थायी । बहुत लोगों, जिनमें मार्शल फॉच का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है, का कहना था कि अभी तत्काल के लिए एक अस्थायी शान्ति सन्धि कर ली जाय और बाद में काफी सोच समझकर एक स्थायी शांति की जाय । यदि ऐसा होता तो बर्साय को सन्धि उठनी कठोर न हाता और यूरोप में जो भी व्यवस्था कायम हाती वह स्थायी रहती क्योंकि कुछ समय के पीत जाने के बाद घृणा और कटुता का वातावरण समाप्त हो जाता । लेकिन शांति सम्मेलन के कणधार क्रिसो त्राह की विलम्ब नहीं चाहते थे । अनेक कारणों से वे यह चाहते थे कि जा कुछ करना हो वह तुरत और तत्काल हो जाय । वस्तुतः वे "अभी और तुरत कर लो" की नीति के समर्थक थे ।* बात यह थी कि मित्र राष्ट्रीय देशों के नागरिक जनता से बदला लेने के लिए अघोर थे और राजनोतियों को अपने देश के जनमत पर खाल करना था । कर्नल हाउस ने इसीलिए कहा था कि छाटो छाटो बातों पर आवश्यकता से अधिक विचार करने की अपेक्षा जल्द से जल्द शांति स्थापना कर लेना श्रेयस्कर है । एक अच्छी शांति व्यवस्था को अपेक्षा एक तात्कालिक शांति-व्यवस्था का वह अधिक उचित मानता था । शुरू में यद्यपि विलसन भी एक अस्थायी शांति-सन्धि का ही समर्थक था, लेकिन बाद में वह भी इसका विरोधी हो गया । साम्यवादो रूस का प्रादुर्भाव, अशांत जनमत, यूरोप को दुनमुन राजनोतिक स्थिति, नये नये राज्यों की परेशानी लूट में अधिक-से-अधिक हिस्सा प्राप्त करने की आकांक्षा आदि तथ्यों ने पेरिस में एकत्र राजनेताओं को बाध्य कर दिया कि बिना खूब सोचे समझे ही वे इतने महत्त्वपूर्ण शांति सम्मौते को रचना कर लें । बर्साय-सन्धि का मूल्यांकन करते समय हमें इन सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा ।

विविध आकांक्षाएँ —पेरिस में मित्र मित्र देशों के जितने प्रतिनिधिमण्डल आये थे, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएँ थी और सभी चाहते थे कि उनकी मांग पूरी कर दी जाय । लेकिन यह असम्भव था । ऐसी स्थिति में शांति-सम्मेलन के समक्ष इन विविध विचारों तथा मांगों में समन्वय कराने का समस्या थी । सभी को खुश करना था और साथ ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निमाण भी करना था । निश्चय

* 'Nor has there ever been a treaty of comparable importance that was a finished and perfect document. But Paris in 1919 was obsessed with finality. So unique an opportunity to legislate for the millennium was unlikely to recur and the mors had to be made of it' —(Stress provided), Chambers, Harris and Bayley, op cit p 334

ही, यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है और शांति सम्मेलन का इस कार्य को सम्पन्न करने में पूरी सफलता नहीं मिली।*

राष्ट्रीयता का सिद्धांत - लेकिन सन्धि का निमाण केवल भय और प्रति-शोष की भावनाओं के आधार पर ही नहीं हुआ, इसमें सदार आदर्शों को भी स्थान दिया गया था। प्रादेशिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत राष्ट्रीयता और आत्म-निर्णय का सिद्धान्त था। नये यूरोप का निर्माण बहुत रद तक इन्हा सिद्धांतों के आधार पर हुआ। पाल बडसाल लिखते हैं 'अनेक अन्यायों के बावजूद पेरिस की सन्धियों ने यूरोप के जिस मानचित्र का निमाण किया उसमें विभिन्न राष्ट्रों की सीमाएँ जातियों का प्रदर्शन करने वाले यूरोप के मानचित्र की सीमाओं से अधिकतम साम्य रखती थी।' कुछ बातों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन अवश्य हुआ परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अधिकांश मामले में इस सिद्धांत का पालन हुआ और राष्ट्रीयता का दृष्टि से १९१९ के बाद का यूरोप का मानचित्र १९१४ व पहले के यूरोप से अधिक सन्तोषजनक था। इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिससे सभी लोग सन्तुष्ट हों। †

हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पेरिस की शांति व्यवस्था में आत्म निर्णय के सिद्धांत को अधिक से अधिक प्रश्रय दिया गया। चेक, पोल, फिन, क्रोट, लेट्ट, अलसेसियन आदि जातियाँ पराधीनता से मुक्त हुईं। वियना शांति व्यवस्था (१८१४-१५) में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। वर्साय तथा अन्य शांति संधियों के द्वारा बहुत से स्थानों में जनमत संग्रह का व्यवस्था की गयी जिससे वहाँ के निवासियों को विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिले। इन संधियों के फल स्वरूप जितने लोग पराधीनता से मुक्त कराये गये उतने किसी भी संधि से अभी तक मुक्त नहीं कराये गये थे। चार करोड़ पराधीन लोगों की सख्या घटकर एक करोड़ साठ लाख पर आ गयी। यूरोप में अब केवल तीन प्रतिशत लोग ही विदेशी दासता के चंगुल में बन्ध गये, शेष सभी स्वाधीन हो गये। अन्वयकारियों के

* The chief problem of the statesmen at Paris was to draft terms which would reconcile the opposing view points of the Allied Powers. No one man can dominate a group like the Big Four. Agreement was possible only through compromise though frequently affairs had to reach an actual crisis before a settlement was finally effected.—Lee Benns op cit p 112

† 'Lipson', *Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, pp 322 323

विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए भी प्रयत्न किये गये। 'एक राष्ट्र एक राज्य' के सिद्धांत के आधार पर कई राज्य निर्मित हुए।

सम्मेलन की कठिनाइयाँ — हम पहले हा सकेत कर चुके हैं कि जब पेरिस में सम्मेलन को कायवाही शुरू हुई तो उसके समस्त कई कठिनाइयाँ आयीं। तरह-तरह के व्यक्ति थे और तरह तरह का आकाशाई था। इस हानत में सधि की शर्तों को आसानी से तय कर लेना कोई सहज काम नही था। इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में लैंगसम ने ठीक ही लिखा है :

'पेरिस का जमबट केवल ऐसी शान्ति सधि का प्रसविदा तैयार करने के लिए बहो बुलाया गया था, जो २३ विभिन्न राष्ट्रों में से कम से कम महत्वपूर्ण राष्ट्रों को समुष्ट करे तथा एक ऐसे राष्ट्रसघ को प्रसविदा पर सहमत हो जो ४० या ५० राष्ट्रों का, जो मिश्रव नही थे मन्जूर हो, बल्कि प्रथम महायुद्ध को समाप्ति पर उस के द्राप तथा पूर्वीय यूरोप में भुखे कराड़ी लोगों के भोजन का प्रबन्ध करना, बेचन विधयो सेनाभा का नियन्त्रित करना, देश में मूर्च्छा-प्रस्त जनमत को समुष्ट करना तथा दुर्नर्त राष्ट्रों क बोच शान्ति स्थापित करना था, जिन्होंने अने छोटे छोटे युद्ध नडे थे। पात, यूकेना बनानियावासा, हगरोवालो युगानी युक्त, सबलोग माटेनेपिन, चेक, जर्मन, रूसी आर्मिनियार्, इटलीवालो तथा युगास्लाव लोग सभी मधर्ष में शामिल हुए थे। इन सबले भी ऊपर अमेरिका के विलनन के आदर्शवाद तथा युद्धकालीन आवश्यकता अनित विभिन्न यूरोपीय राज्यों के बोच को गई गुप्त सन्धिषों के बोच मधर्ष था। बड़े राष्ट्र अपने नीतियों तथा उष्टिहियों पर एक दूसरे से हाने दूर थे तथा उनके हित इतने विभिन्न थे कि यदि कोई दूसरा विन्मार्क या तेनरा जर्मनी के हित को देखनेवाला होता तो अन्तिम रूप से बर्षों की सन्धि पर हस्तापर हो नही हो पाता।'

रूस की क्रांति — त्रसाय सन्धि के सम्बन्ध में एक और बात विचारणीय है और वह है रूस की समाजवादी क्रांति। १९१७ की क्रांति के फलस्वरूप रूप में जो व्यवस्था कायम हुई थी वह समस्त ससार के लिए चुनौती बन रही थी। फलतः पेरिस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने अपने विचार विमर्शों में इस चुनौती को हमेशा ध्यान में रखा। उन्होंने घबड़ाकर यह निश्चय किया कि कोई ऐसा काम नही किया जाय जिससे जर्मनी सावियत-व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाय। अमेरीकी प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य रे स्टैन्ड बेकर ने लिखा है 'सभी समय, सम्मेलन में बातचौत के प्रत्येक मोड पर अव्यवस्था का एक भूत खड़ा होता था जैसे पूर्व से एक काला बादल उठकर समुच ससार पर आच्छादित होने और उसे निगल जाने की धमकी दे रहा हो।'*

* 'At all times, at every turn of negotiations there arose the spectre of chaos, like a black cloud of the East threatening to overwhelm and swallow up the world — R S Bacher Woodrow Wilson & World Settlement (vol, 1) p 283

राष्ट्रसंघ — वसंय-सन्धि के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ भी कहा जाय परन्तु एक महत्त्वपूर्ण बात तो माननी ही पड़गी कि सन्धार में शान्ति स्थापित करने के लिए इसने एक राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व-युद्ध इस उद्देश्य से भी लड़ा गया था कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं हो। वसंय सन्धि के द्वारा इस दिशा में एक निर्दिष्ट वदम र्थाया गया और एक ऐसी व्यवस्था का निमाण किया गया जिसके द्वारा युद्ध की तथा उसके कारणों की दूर किया जा सके। साथ ही, अन्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अन्तराष्ट्रीय मजदूर-संघ और अन्य अनेक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। यद्यपि राष्ट्रसंघ अपने काय में सफली भूत नहीं हुआ, फिर भी अन्तराष्ट्रीय ऋगडों की न्याय के आधार पर तय करने को चेष्टा तो प्रारम्भ हुई और इस आधार पर प्राफेसर साउथगेट के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वसंय की सन्धि सन्धार के इतिहास में एक नये मार्ग की सूचक थी।*

अन्य शान्ति-सन्धियाँ

पेरिस शान्ति सम्मेलन की समाप्ति के पृथ जमनी के अन्य पराजित सहयो, गियों के साथ होनेवाली सन्धियों का मसविदा भी तैयार हो गया। इन सन्धियों की रूप रेखा तैयार करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि जमनी के अन्य सहयोगी राज्य आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया तथा तुर्की आदि भी युद्ध में वेशर्त आत्मसम्पर्ण कर चुक थे और वे पूर्णतया मित्रराष्ट्रों के हाथों में थे। इन सन्धियों की तैयार करने में वसंय सन्धि को नमूना के रूप में ध्यवहार किया गया और कुछ शब्दिक परिवर्तन के बाद वसंय-सन्धि की धाराओं की ही अन्य सन्धियों का रूप दे दिया गया। विलमेशो की उध्यक्षता में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली को मिलाकर एक आयोग का निमाण किया गया। इसी आयोग ने अन्य सन्धियों की रूपरेखा तैयार की और भिन्न भिन्न राज्यों को उन पर हस्ताक्षर करने के लिए आमन्त्रित किया।

(१) सजर्म (St Germain) की सति—

१० सितम्बर, १९१९ का आस्ट्रिया और मित्रराष्ट्रों के बीच पेरिस के समीप सजर्म नामक प्राचीन स्थान में एक सन्धि हुई जिसको सजर्म की सन्धि कहते हैं। इस सन्धि में ३८१ धागएँ थी। इसके फलस्वरूप प्राचीन आस्ट्रिया हगरी का वृहत् साम्राज्य टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया। युद्ध के पूर्व इस साम्राज्य में विविध जातियाँ निवास करती थी और इनमें राष्ट्रीय भावना का पूणतया विकास हो चुका था। इन जातियों को स्वतन्त्र कर दिया गया और उनका पृथक राज्य स्थापित हुआ। आस्ट्रिया ने हगरी, पोलैंड, चेकास्लोवाकिया और यूगोस्ला

विया को स्वतन्त्र राज्यों के रूप में स्वीकार कर लिया। इन राज्यों का पुराने आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के बहुत से भू-भाग प्राप्त हुए। चेकोस्लोवाकिया को आस्ट्रिया के भू-भाग का निचला हिस्सा तथा मोराविया, बोहेमिया और साइलेशिया का प्रदेश प्राप्त हुआ। पोलैंड को गालेशिया, रूमानिया को बोकोविनया, यूगा-स्लाविया को कारनियोला तथा डाल्मेटियन तट के द्वीप प्राप्त हुए। इस स्रट में इटली को भी हिस्सा मिला। उसको दक्षिणी ताइरल, त्रैन्तिना ट्रिस्ट, इरिट्रिया और डालमेटियन तट पर स्थित दो द्वीप प्राप्त हुए। ताइरल वाले भू-भाग में लगभग दस लाख जर्मन निवास करते थे और इसलिए इटली को इस भू-भाग को देना



राष्ट्रीयता के सिद्धांत के विरुद्ध था। लेकिन, इटली इन्हीं प्रदेशों की लालच से मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था और मित्रराष्ट्र गुप्त सन्धि द्वारा इटली को इन प्रदेशों का आश्वासन भी दे चुके थे। अतः राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की उपेक्षा करना उनकी दृष्टि में कोई बुरी चीज नहीं थी।

इस प्रकार सन्धि की सन्धि के फलस्वरूप आस्ट्रिया को क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से तीन चौथाई हिस्से की हानि उठानी पड़ी। अतः जो आस्ट्रिया बच गया था उसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो गया और उसकी आबादी बचल सत्तर लाख रह गयी थी।

आस्ट्रिया की सैनिक व्यवस्था में तरह तरह के परिवर्तन किए गये। युद्ध बन्द होने के साथ साथ उनकी सम्पूर्ण जल सेना जन्त कर ली गयी। डन्यूब नदी

का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फौज की संख्या घटाकर तीस हजार कर दी गयी। जर्मनी की तरह उसपर भी तरह तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गये।


सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया को बाध्य किया गया कि वह युद्ध की जिम्मेवारी स्वीकार करे और इसके लिए जर्मनी की तरह एक बहुत बड़ी रकम मित्रराष्ट्रों को हरजाना के रूप में दे। आस्ट्रिया को युद्ध के अपराधियों को सौंपने के लिए कहा गया और उसका राष्ट्रीय कला की निधियाँ बीस साल के लिए जब्त कर ली गयीं।

आस्ट्रिया के निवासी जर्मन जाति के थे। वे जर्मनों के साथ मिलकर एक बृहत जर्मन राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इससे मित्रराष्ट्रों को भय था। अतः सन्धि की ८८ वीं धारा द्वारा आस्ट्रिया पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह भविष्य में ऐसा कोई प्रयत्न करे जिससे स्वन्त्र राज्य के रूप में उसका नामानिश्चान मिट जाय।

(२) त्रियानो (Trianon) की संधि—

युद्ध के बाद हंगरी का राजनैतिक स्थिति इतनी डोँपाडाल थी कि नवम्बर, १९१९ के पूर्व वहाँ कोई सुसर्गाठित सरकार ही नहीं कायम हो सकी। अतः हंगरी के साथ सन्धि करने में कुछ विलम्ब हो गया। अन्त में ४ जनवरी, १९२० को हंगरी के प्रतिनिधि काउन्ट एलवट एपोनी के सम्मुख एक सन्धि का मसविदा पेश किया गया, जिसको त्रियानो की सन्धि कहते हैं। एपोनी ने सन्धि की शर्तों का कड़ा विरोध किया लेकिन मित्रराष्ट्रों ने उसको एक न सुनी और ४ जून, १९२० का इस सन्धि पर हंगरी का हस्ताक्षर करना पड़ा।

सन्धि के अनुसार हंगरी का अपने समीपवर्ती राष्ट्रों को अपने भू-भाग से कुछ-कुछ हिस्सा देना ही पड़ा। ट्रांसिल्वेनिया और उसके साथ के कुछ प्रदेश



रुमानिया को दिये गये। क्रोटिया, स्लावोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया की तथा स्लोवाकिया का प्रदेश चेकोस्लावकिया को मिला। आस्ट्रिया को


हंगरी का पश्चिमी हिस्सा बीर्जेनलैंड प्राप्त हुआ। हंगरी के समुद्री मार्ग फ्रूम के भाग्य का निर्णय इटली और यूगोस्लाविया के सम्झौते पर छोड़ दिया गया।

अब पराजित राज्यों की तरह हंगरी को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया गया और उसकी हरजाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम देने की विवश किया गया। हंगरी को जल सेना भंग कर दी गयी और उसकी सेना की संख्या घटाकर २५००० कर दी गयी।

त्रियानों की सन्धि का परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के विचार से हंगरी एक छोटा और साधारण राज्य हो गया। युद्ध के पूर्व हंगरी की आबादी दस करोड़ दस लाख थी। त्रियानों की सन्धि के फलस्वरूप जिस नये हंगरी का निर्माण हुआ उसकी जनसंख्या कुल ७५ लाख रह गयी। इससे अतिरिक्त ३० लाख के लगभग हंगेरियन लोग अब अन्य राज्यों की प्रजा बनने के लिए विवश किये गये। इस कारण हंगरी के लोगों में गहरा असन्तोष फैला। उनका कहना था कि इस सन्धि के द्वारा यूरोप में अनेक एल्सम लोरन बना दिये गये हैं। सारे हंगरी में सन्धि के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। काउन्ट एवोनी ने विरोध में अपना पदत्याग भी कर दिया। पर उसके अनुनय-विनय और विरोध का कोई फल नहीं हुआ और ४ जून, १९२० को हंगरी को सन्धि पर हस्ताक्षर कर देना पड़ा।

(३) निऊली (Neuilly) की संधि—

पेरिस के पास निऊली नामक स्थान में २७ नवम्बर, १९१९ को बुल्गेरिया के साथ मित्रराष्ट्रों की सन्धि हुई, जिसको निऊली की सन्धि कहते हैं। सन्धि के



निऊली की संधि और बुल्गेरिया की क्षति

अनुसार बुल्गेरिया को उन अधिभूत प्रदेशों को लौटा देना पड़ा जिनको उसने युद्ध-काल में जीता था। दो प्रदेश रमानिया को, मैसीडोनिया का भी

हिस्सा युगोस्लाविया को तथा थ्रेस का प्रदेश यूनान को दिया गया। बुल्गेरिया एक बहुत ही छोटा देश हो गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उस पर भी एक बहुत बड़ी रकम लाद दी गयी। उसकी सेना को सख्खा घटाकर ३६ हजार कर दी गयी। बुल्गेरिया में भी सन्धि का घोर विरोध हुआ। राजधानी में सार्वजनिक शोक मनाया गया और विरोध में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। मित्रराष्ट्रों पर इनका कोई असर नहीं पड़ा और बुल्गेरिया को सन्धि पर हस्ताक्षर कर देना पड़ा।

(४) सेव्रे (Sevres) की संधि—

सबसे अन्तिम सन्धि तुर्की के साथ हुई, जिसको सेव्रे की सन्धि कहते हैं। इस सन्धि को तुर्कों की सरकार ने कभी नहीं माना, फिर भी विश्व राजनीति के पाठकों के लिए इसके विषय में थोड़ा जान लेना आवश्यक है। युद्ध के समय में ही मित्रराष्ट्रों के बीच अनेक गुप्त सन्धियाँ हो चुकी थीं, जिसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य का बँटवारा था। सेव्रे की सन्धि से इस उद्देश्य की पूर्ति हाँ जाती थी। इस सन्धि के अनुसार थ्रेस और इगियन सागर में स्थित द्वीप-समूहों को यूनान को दे दिया गया। स्मर्ना का प्रदेश भी यूनान को मिला। डोडेकनीज र्होडस और अडेलिया के प्रदेश इटली का दिये गये। मिस्र, अरब, सुडान, साइप्रस, ट्रिपॉलिटानिया, मोरक्का, ट्युनिसिया, फिलिस्तीन, मेमोपोटामिया और अर्मेनिया पर से सुलतान का कब्जा उठ गया। डाडनेल्स के जलडमरूमध्य को एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के नियन्त्रण में रख दिया गया।

इस व्यवस्था से तुर्की का एक बहुत बड़ा भू-भाग उसके हाथ से निकल गया। उस पर तरह तरह के सैनिक प्रतिबन्ध भी लगाये गये। लेकिन सेव्रे की सन्धि को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि मुन्सफा कमालपाशा के नेतृत्व में तुर्की में इस सन्धि के विरुद्ध एक अजरदस्त राष्ट्रीय आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। उसने मित्रराष्ट्रों को सेव्रे की संधि बदलने के लिए मजबूर किया और १९२३ में लुसान में तुर्की के साथ एक दूसरी सन्धि हुई। इस पर हम पीछे प्रकाश डालेंगे।

उपसंहार

सेव्रे की सन्धि को छोड़कर महायुद्ध के बाद पेरिस में जो विविध सन्धियाँ हुईं और उनके फलस्वरूप जा राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गयी उनके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक नये राज्यों का निमाण हो गया। १९१९ के पहले यूरोप में केवल उन्नास राज्य थे लेकिन १९१९ में उनकी संख्या छब्बस हो गयी। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों की सीमा में भी काफी परिवर्तन हुए। इसलिए कहा जाता है कि पेरिस शान्ति-सम्मेलन का वास्तविक काम 'यूरोप का बाल्कनीकरण' (Balkanisation of Europe) करना था। नये-नये राज्यों के प्रादुर्भाव से नयी नयी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं और यूरोप की राजनीति सुलफने के बदले

और भी चलकती गयी। १९१९ की शान्ति सन्धियों ने यूरोप में अनेक 'खतरनाक स्थल' पैदा कर दिये जिसके कारण कुछ ही वर्षों में यूरोप युद्ध पूर्व स्थिति में आ गया। नये नये राज्यों के निर्माण के कारण यूरोप में बारह हजार मील लम्बी नयी सीमाएँ बन गयी। इनकी सुरक्षा का एक विकट प्रश्न उपस्थित हुआ जिसके फलस्वरूप हथियारबंदी की होड़ चल पड़ी। तीव्र आर्थिक राष्ट्रीयता ने चुगी सम्बन्धी रुकावटें पैदा कर दी। अगले बीस वर्षों में यूरोप की जटिलताइयों तथा राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही थी।

युद्ध के पूर्व बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति की एक मुख्य समस्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (national minorities) की थी। युद्ध के बाद इन सन्धियों के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों की जटिल समस्या फिर खड़ी हो गयी जिसके कारण यूरोप का राजनीतिक वातावरण अगले वर्षों में बड़ा क्षुब्ध बना रहा और राष्ट्रीय विद्वेष की अग्नि सुलगती रही। इस अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक सन्धियों की व्यवस्था की गयी, लेकिन किसी देश ने इन सन्धियों के अन्तर्गत दिये गये अपने वचनों का पालन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध-पूर्व बाल्कन राजनीति की तरह कुछ ही वर्षों में गारे यूरोप का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अशान्त हो गया और १९३९ में संसार को एक दूसरा महा-युद्ध देखना पड़ा। १९१९ की सारी शान्ति-सन्धियाँ अफसल रही। द्राकी असफलता इस तथ्य में भी व्यक्त होती है कि उनकी व्यवस्थाओं को पूरा रूप से कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। उनको व्यवहार में लाने समय बहुत सी छूटें दी गयीं, बहुत से चलट फेर किये गये और बहुत सी गलतियाँ की गयीं। फलतः जिस शान्ति व्यवस्था एवं समृद्धि को स्थापित करने के लिए इतना समय लगा और शक्ति व्यय की गयी, उसकी उपलब्धी व्यावहारिक राजनीति में तभी नहीं हो सकी।

लेकिन इसके लिए पेरिस की शान्ति सन्धियों का दोष देना गलत होगा। ये शान्ति सन्धियाँ असफल रहों, इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, जिन लोगों पर इस संधि का कार्यान्वित करने का भार आया, उन लोगों ने कभी भी दृढ़ता के साथ इस कार्य का नहीं किया। यदि संधि की शर्तों का पालन सभी पक्षों की ओर से होता, तो पेरिस की शान्ति सन्धियों की वह दुर्दशा नहीं होती जो बाद में हुई।*

* We should all agree that the Treaties were never given a chance by a miscellaneous and unimpressive array of second-rate statesmen who have handled them for the past fifteen years. Had the stipulation of these treaties been faithfully interpreted and fulfilled, the dark military and economic clouds now hanging over Europe would have been averted. — *Truth About Peace Treaties* Vol II, pp 1403-7

सन्धियों की असफलता का एक अन्य कारण फ्रांस में विन्मेशो का पतन तथा उपनादी पोआन्कारे का सत्तारूढ़ होना था। पोआन्कारे ने प्रारम्भ से ही पेरिस की सन्धियों का विरोध किया था और जब फ्रांस के शासन पर उसका प्रभुत्व कायम हुआ तो उसका एक मात्र ध्येय ऐसी नीति पर चलना था जिसके फलस्वरूप सन्धि की शर्तें बेकार हो जायँ और उसे खुलकर जमनी से बदला लेने का मौका मिले। फ्रांस की राजनीति में पोआन्कारे का पुनः प्रवेश यूरोप के लिए बड़ा दुभाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

शांति सन्धियों को एक और धक्का लगा जो बड़ा ही घातक था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको मानने से इन्कार कर दिया और राष्ट्रपति विल्सन के ऋषियों का अमरीकी सिनेट ने अनुमोदन नहीं किया। शांति-सन्धियों से अमेरिका का सम्बन्ध विच्छेद वस्तुतः सांघातिक सिद्ध हुआ। अमेरिका के समर्थन के अभाव में शांति सन्धियों की असफलता निश्चित थी। उसकी सत्तार के सबसे महान् देश के समर्थन से वंचित हो जाना पड़ा तथा सन्धियों को कार्यान्वित करने का भार केवल उन्हीं लोगों पर रह गया जो केवल प्रतिशोध की भावना में जल रहे थे।*

— ० —

* 'It is not only that the impressive might of the greatest democracy in the world was withdrawn from the forces behind the Covenant. The damage done to the carefully planned structure of the Treaty as a whole was almost irreparable for the balance was entirely changed. Its interpretation was left entirely in the hands of victorious belligerents with the animosities of centuries stirred and stimulated by the horrible wounds of war. Between the retreat of America and the treacheries of Europe the Treaties of Peace were never given a fair trial. —Ibid, pp 1412 1413

राष्ट्रसंघ (League of Nations)

ऐतिहासिक पृष्ठाधार — अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन मानी जा सकती है क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन में एक नयी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ को स्थापना मनुष्य को शताब्दियों की शांति कामना का परिणाम था। युद्धों को रोकने और स्थायी शांति कायम करने [की योजनाएँ मध्यकाल से ही यूरोप में बन रही थी। लेकिन यह काम राजनीतिक दाशानिकों तक ही सीमित रहा था। चौदहवाँ शताब्दी में ही दाँते ने अपनी “डिवाइन कॉमोडी” में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें चिर शांति कायम रहे। दाँते के बाद समूचे मध्य युग में अनेक दार्शनिक पैदा होते रहे। पाइरे ड्यूबोए, द सल्ली, विलियम पेन, सन्त पायरे, रूसो और कान्त इत्यादि दाशानिकों के नाम उस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विचारकों द्वारा शांति स्थापित रखने के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गयीं, लेकिन सत्तार पर उनके उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। यूरोप में समय समय पर युद्ध होते ही रहे। लेकिन आधुनिक युग के प्रारम्भ होते ही यूरोप के राजनीतिक साहित्य में अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की योजनाओं की बाढ़-सी आ गयी। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का युद्ध इसका एक विशेष कारण था। ऐसा प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक युद्ध के बाद लोगों में शांति की भावना अति प्रबल रहती है। नेपोलियन का युद्ध ता खासतौर से भयानक था। इस युद्ध में जितने घन और जन की बर्बादी हुई थी उतना शायद किसी अन्य युद्ध में अब तक नहीं हुई थी। अतएव इस युद्ध की बर्बादी को देखकर और शांति के भावना से प्रेरित होकर मानवता के प्रेमी तरह-तरह की योजना प्रस्तुत करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का निर्माण अभी तक केवल दार्शनिकों का स्वप्न था, राजनीतियों का इससे कोई मतलब नहीं था। जब नेपोलियन के युद्धों से यूरोप के सभी प्राचीन पद्धतियों का जड़ मूल से नाश हो गया तब यूरोप के शासकों की आँखें खुलीं।* भविष्य में यूरोप को इस प्रकार के महाप्रलय से बचाने की आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण जरूरी हो गया।

* Sohuman, *International Politics*, (4th Ed) p 206

नेपोलियन क हारने के बाद मित्रराष्ट्रों का एक सम्मेलन १८१४-१५ में वियना में हुआ। वियना में एकत्र राजनीतियों ने यूरोप में शांति बनाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्या का निमाण किया, जिमको यूरोपीय व्यवस्था (Concert of Europe) कहते हैं। पर यूरोपीय व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। राष्ट्रों के बीच परस्पर विरोध के कारण १७२३ में ही इसका अन्त हो गया। यूरोपीय व्यवस्था के अन्त हो जाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध तक शांति बनाये रखने के लिए कोई भी सगठन नहीं था। ऐसे यूरोप के विविध राज्य अपने पारस्परिक झगडों का फ़ैसला करने के लिए समय समय पर मिलते-जुलते रहे, लेकिन उनमें किसी प्रकार क सगठन का सर्वथा अभाव रहा। यदि १९१४ से यूरोप में इस प्रकार का कोई भी सगठन रहता तो यह बहुत सम्भव था कि प्रथम विश्व युद्ध होने से बच जाता।*

युद्ध के पूर्व यूरोप के राज्य राजनीतिक मामलों में सहयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन विज्ञान में प्रगति के फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहयोग करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण एक देश दूसरे पर इतना अधिक आश्रित हो गया था कि किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से जीवन चोताना असम्भव हो गया। अब, इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए तरह तरह की "सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्याओं" (International Public Unions) का जन्म होने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी इन सन्ध्याओं के विकास के लिए काफी प्रसिद्ध है। विश्व डाकतार सघ (Universal Postal Union) इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस सघ को और अनेक सन्ध्याओं का निमाण हुआ जिनका उद्देश्य मनुष्य के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संचालन करना था। युद्ध के पूर्व इन सन्ध्याओं का उत्थान अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक नये लक्षण का प्रतीक था। विश्व-बन्धुत्व की भावना पैदा करने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सत्तार क विविध राज्य समझने लगे कि एकता और सगठन ही मनुष्य की भलाई की एकमात्र कुँजी है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। राष्ट्रसघ क निर्माण में इन सन्ध्याओं ने एक मानसिक पृष्ठाधार तैयार किया है।† राष्ट्रसघ की उत्पत्ति क सम्बन्ध में इस पृष्ठाधार पर ध्यान रखना आवश्यक है।

राष्ट्रसघ का जन्म —सत्तार के अनेक देशों में युद्ध क समय हो एक राष्ट्रसघ बनाने की बात चल रही थी। सयुक्त राज्य अमेरिका में तो राष्ट्रसघ का निमाण एक पाम चर्चा का विषय बन गया था। १९१५ में ही वहाँ क भूतद्वय राष्ट्रसघ

* Zimmermann *The League of Nations and Rule of Law*, p 36

† Eagleton *International Organisation*, p 53

ट्रस्ट के नेतृत्व में एक 'शान्ति लागू करने के लिए संध' (League to Enforce Peace) नामक संस्था कायम हो गयी थी। उस वर्ष जून में फ्रान्सडल्फिया के 'इन्डेपेन्डेन्स हॉल' में इस संस्था के नेतृत्ववाचान में एक सभा हुई और उसमें एक चार सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता का आश्रय लेना, आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दी तथा सैनिक कारवाह करना, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियमबद्धीकरण करना तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपालिका की स्थापना करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य बतलाया गया। संध के कार्यक्रम को राष्ट्रपति विलसन का समर्थन भी प्राप्त था। युद्ध के समय उसने अनेक भाषण दिये थे। इन भाषणों में वह भविष्य में युद्ध से बचने की बात पर बराबर जोर देता रहा। वह प्रथम विश्व को "युद्धान्तक युद्ध" समझता था। युद्ध के बाद वह ऐसी व्यवस्था का सृजन करना चाहता था जिसमें प्रजातन्त्र पूर्णरूप से सुरक्षित रहे। ८ जनवरी, १९१८ को विलसन ने अपने सुप्रसिद्ध चौदह सूत्रों को प्रतिपादित किया। इसका अन्तिम सूत्र राष्ट्रसंघ के निर्माण से सम्बन्धित था। अमरीकी राष्ट्रपति का कहना था कि राष्ट्रसंघ के विधान (Covenant) को युद्धोत्तर शान्ति-सम्मेलनों का अभिन्न अंग होना चाहिए।

इस प्रकार युद्ध समाप्त होते-होते राष्ट्रसंघ की आवश्यकता प्रत्येक देश में महसूस की जाने लगी। सभी यूरोपीय राज्य इसके लिए बचनबद्ध हो चुके थे। अतः जन जनवरी, १९१९ में पेरिस में शान्ति-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो राष्ट्रसंघ के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार होना आवश्यक हो गया। राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गयी। राष्ट्रपति विलसन इसके अध्यक्ष बनाये गये। राष्ट्रसंघ का विधान तैयार होने लगा। इस समय तक राष्ट्रसंघ के लिए अनेक योजनाएँ बन चुकी थीं। विलसन के सहयोगी वर्नल हाउस ब्रिटेन के लार्ड फिलिमोर तथा लार्ड सेसिल दक्षिण अफ्रिका के जनरल स्मटम इत्यादि तरह-तरह की योजना बना चुके थे। ३ फरवरी को इन योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रसंघ की एक रूपरेखा तैयार की गयी। १४ फरवरी को इस रूपरेखा को शान्ति-सम्मेलन की आम सभा में पेश किया गया और बहुसंख्यक वावश्यक संशोधन के साथ राष्ट्रसंघ के विधान को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रसंघ के विधान में २६ धाराएँ थीं। विलसन राष्ट्रसंघ के विधान को शान्ति-संधियों का अभिन्न अंग बनाना चाहता था। मित्रराष्ट्रों के कुछ व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रसंघ की आवश्यकता को वे स्वीकार करते थे, पर उनका विचार था कि उसकी सन्धियों को अन्तर्गत रखना अनावश्यक है। विलसन का कहना था कि राष्ट्रसंघ के बिना सन्धि अधूरी रह जायगी। अन्त में विलसन की विजय हुई और,

राष्ट्रसंघ के विधान को सभी सन्धियों के अन्तर्गत रख दिया गया। १० जनवरी, १९२० को राष्ट्रसंघ का जीवन विधिवत् प्रारम्भ हुआ।

राष्ट्रसंघ के उद्देश्य—साधारणतया राष्ट्रसंघ के तीन मुख्य उद्देश्य थे। सर्वप्रथम, यह शान्ति-सन्धियों के नियमों और उपबन्धों को लागू करने का एक साधन था। इस हेतियत् से इसका काम पेरिस शान्ति-सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाये रखना था। इसको कुछ प्रशासकीय कार्य भी दिये गये थे। उदाहरण के लिए, पन्द्रह साल तक के लिए डान्जिग नगर को व्यवस्था और सार के शासन का भार इसके ऊपर था। सुरक्षण पद्धति को चलायाना और अल्पसंख्यक जातियों की देख-भाल करना भी राष्ट्रसंघ का कार्य था। दूसरे राष्ट्रसंघ को सार्वजनिक हित के लिए काम करना पड़ता था। मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए विविध उपाय करना राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख ध्येय था। इसके अन्तर्गत मह मारियों को रोकना, स्वास्थ्य की दशा को उत्तम करना, दास प्रथा का उन्मूलन करना, 'सुधियों के क्रय विक्रय को रोकना, आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना और इसी प्रकार के अन्य सर्वहितकारी मामलों से सम्बन्धित विषय आते थे। राष्ट्रसंघ का अन्तिम परन्तु महत्त्वपूर्ण उद्देश्य युद्ध का निरकरण एवं शान्ति की स्थापना करना था। राष्ट्रसंघ शान्ति की रक्षा के लिए कोई भी बंदम उठा सकता था। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य अपने साथी सदस्य राज्यों को प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने की शर्त का स्वीकार किये थे। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करना राष्ट्रसंघ का एक दूसरा प्रमुख कार्य था। इसके लिए राष्ट्रसंघ का युद्धोत्पादक कारणों को दूर करना भी एक काम था। हथियारबन्दी की होड़ को रोकना और राज्यों के झगड़ों को युद्ध के अतिरिक्त अन्य शान्तिमय उपायों में फैसला करने का यत्न करना राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य था।

सदस्यता—बुद्ध लोगों का विचार था कि यूरोप के कुछ इन्ने गिने राज्य ही राष्ट्रसंघ के सदस्य बनाये जायें। पर इस विचार का समर्थन नहीं मिला और राष्ट्रसंघ का दरवाजा सबों के लिए खुला रखा गया। राष्ट्रसंघ विधान की पहली धारा के अनुसार राष्ट्रसंघ के प्रारम्भिक सदस्य के ३१ राज्य थे जिनका नाम विधान के परिशिष्ट में उल्लिखित था। परिशिष्ट में कुछ और राज्यों के नाम भी उल्लिखित थे जो राष्ट्रसंघ में शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त अ य देश भी राष्ट्रसंघ के सदस्य हो सकते थे। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करने का बचन दवे हुए सदस्यता के लिए आवेदन करता तो दा-तिहाइ बहुमत से ऐसे दली उसका राष्ट्रसंघ को सदस्यता प्रदान कर सकती थी। इस तरह राष्ट्रसंघ में तीन प्रकार के

सदस्य थे । व्यावहारिक दृष्टि से इस वर्गीकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं था, क्योंकि सभी सदस्यों के वैधानिक अधिकार समान थे ।*

कोई भी राज्य राष्ट्रसभ की सदस्यता छोड़ सकता था । विधान की पहली धारा में ही इसकी व्यवस्था कर दी गयी थी । उसके अनुसार दो वर्ष पूर्व सूचना देकर कोई सदस्य-राज्य राष्ट्रसभ से अलग हो सकता था । १९१२ में कोस्टारिका तथा ब्राजील और १९३३ में जापान तथा जर्मनी राष्ट्रसभ से अलग हो गये । राष्ट्रसभ के नियमों की अवहेलना करने की दशा में किसी राज्य को राष्ट्रसभ से निकाला जा सकता था । १९३९ में सोवियत रूस को इसी नियम के अन्तर्गत निकाला गया था । उन राज्यों की सदस्यता भी समाप्त हो सकती थी जो राष्ट्रसभ-विधान में किसी संशोधन को मानने को तैयार नहीं थे । विधान की २१वीं धारा में संशोधन को प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था । विधान में संशोधन का अधिकार एसेम्बली को दिया गया था । पर किसी भी संशोधन को सदस्य-राज्यों का समर्थन पाना आवश्यक था । कांसिल की सहमति तो अनिवार्य ही थी ।

बिना किसी भी समस्या का चलाने के लिए व्यर्थ की आवश्यकता होती है । राष्ट्रसभ को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सदस्य-राज्यों के चन्दे से होती थी । अनसूचना, क्षेत्रफल और राष्ट्रीय धन के अनुपात से एसेम्बली चन्दे को रकम निश्चित करती थी ।

प्रधान कार्यालय — राष्ट्रसभ का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था । वहीं प्रत्येक सितम्बर में राष्ट्रसभ का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था । यों तो अधिवेशन दूसरी जगह भी हो सकता था, पर सचिवालय के जेनेवा में स्थित होने के कारण यह सम्भव नहीं था । राष्ट्रसभ के कमचारियों एवं प्रतिनिधियों की सभी कूटनीतिक सुविधाएँ प्राप्त थीं ।

राष्ट्रसभ के अङ्ग (Organs) और कार्य

राष्ट्रसभ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार 'राष्ट्रसभ का कार्य एक एसेम्बली, एक कांसिल तथा एक स्थायी सचिवालय द्वारा होगा।' राष्ट्रसभ के यही तीन प्रधान अंग थे । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभ भी राष्ट्रसभ के महत्त्वपूर्ण अंग थे । इनके अतिरिक्त राष्ट्रसभ के विविध आयोग, जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, परामशदात्री आयोग इत्यादि थे ।

एसेम्बली — साधारण सभा

एसेम्बली राष्ट्रसभ की प्रतिनिधि सभा थी और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहते थे । इसके सभी सदस्य राज्यों के अधिकार समान थे । नये सम्प्रोद-

* Mower, International Government, p 69

यारों को राष्ट्रसभ्यता प्रदान करना इसी का काम था। यह एसेम्बली का सबसे बड़ा अधिकार था। एक सदस्य राज्य अधिकारी से अधिक तीन प्रतिनिधि भेज सकता था, लेकिन वोट देने का अधिकार एक ही का प्राप्त था। अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति का पूरा अधिकार सदस्य राज्यों का प्राप्त था। वे किसी भी व्यक्ति का अपने देश का प्रतिनिधि बना सकते थे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के अपने अपने विचार हो सकते थे, उनमें परस्पर नैतिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी सरकार के आशानुसार ही वोट देना पड़ता था। प्रतिनिधियों का इस तरह के आदेश बराबर मिला करते थे।

विधान के द्वारा एसेम्बली को जो अधिकार मिले थे वे कौंसिल के अधिकार से कम थे। एसेम्बली को कार्यकारिणी का रूप देना विधान निमाताओं का ध्येय नहीं था, क्योंकि यह बहुत बड़ी संस्था थी और इसका अधिवेशन कभी कभी होता था। इससे अतिरिक्त एसेम्बली को अपनी कोई स्थायी समिति और आयोग नहीं था। एसेम्बली का काम केवल निर्णय करना था और उस निर्णय का लागू करने का काम कौंसिल या राष्ट्रसभ्य के महासचिव का था।

केवल राष्ट्रसभ्य की सदस्यता पर ही एसेम्बली के असीम अधिकार थे। इस क्षेत्र में कौंसिल को केवल एक ही अधिकार प्राप्त था। यह विधान के उल्लंघन पर किसी राज्य को राष्ट्रसभ्य से निकाल सकती थी। अन्यथा सदस्यता के आवेदन को स्वीकार करना एसेम्बली का ही काम था। इस विषय पर अगर दोनों संस्थाओं को बराबर अधिकार मिलते, जैसा कि संयुक्त राष्ट्रसभ्य को है, तो दोनों में बराबर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।

विधान के अनुसार राष्ट्रसभ्य का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य राष्ट्रों की राय से होता था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रसभ्य में 'मतैक्य का नियम' (principle of unanimity) अपनाया गया था। यद्यपि यह नियम राष्ट्रसभ्य की सफलता में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हुआ, फिर भी इस नियम के बिना काम नहीं चल सकता था। सदस्य राज्य अपने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को बचाने के लिए इतने सतर्क थे कि वे किसी संस्था में जाने की इच्छुक नहीं थे जहाँ पर किसी निर्णय को लादे जाने का भय हो।*

एसेम्बली का अधिवेशन हर सितम्बर महीने में जेनेवा में हुआ करता था। आवश्यकता पड़ने पर इसके विशेष अधिवेशन भी हो सकते थे। जब एसेम्बली का अधिवेशन प्रारम्भ होता तो शुरू में वह व्यक्ति उसके सभापति पद का ग्रहण करता था जो उस समय राष्ट्रसभ्य कौंसिल का अध्यक्ष रहता था। बाद में एसेम्बली अपने

* H. W. Harris, *What the League of Nations Is*, p. 22

सभापति और छ सभ सभापतियों का निर्वाचन स्वयं करने लगी। एसेम्बली का काम राष्ट्रीय ससद् की तरह स्थायी समितियों द्वारा होता था। इसमें निम्नलिखित छ विषयों की समितियाँ होती थी—(१) वैधानिक और कानून सम्बन्धी विषयों के लिए, (२) टेक्निकल सस्थाओं के लिए, (३) निरस्त्रीकरण के लिए, (४) बजट और राष्ट्रसभ की आर्थिक व्यवस्था के लिए, (५) सामाजिक समस्याओं के लिए तथा (६) राजनीतिक प्रश्नों के लिए। एसेम्बली इसके अतिरिक्त भी आयोग या समितियों का सृजन कर सकती थी।

तरह-तरह का चुनाव करना एसेम्बली का प्रमुख काम था। दो तिहाई वोटों से नये सदस्यों का चुनाव, कौंसिल के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और राष्ट्रसभ के महासचिव की नियुक्ति को स्वीकार करना इसका काम था। एसेम्बली राष्ट्रसभ के वार्षिक बजट को स्वीकार करती थी और कौंसिल के कार्यक्रम को जाँच पड़ताल करती थी। यह राष्ट्रसभ के विधान में मशोधन भी करती थी।

विधान की तीसरी धारा के द्वारा एसेम्बली को एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त था। इसके अनुसार एसेम्बली उन सभी स्थितियों पर विचार कर सकती थी जिनसे विश्व शान्ति पर खतरा पहुँचने का भय था। कोई भी सदस्य राज्य किसी भी समस्या का एसेम्बली के सम्मुख पेश कर सकता था। एसेम्बली केवल अपने सदस्य राज्यों के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था (धारा १५८)। इसके अधिवेशनों में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि किसी भी ऐसे प्रश्न को उपस्थित कर सकते थे जो राष्ट्रसभ के उद्देश्यों और प्रयाजनों से सम्बन्ध रखते हों। वे अपनी शिकायतों को वहाँ पेश कर सकते थे, अपनी समस्याओं को अन्य राज्यों के सम्मुख ला सकते थे और अन्य राज्यों की नीति की आलोचना भी कर सकते थे। सभी निर्णय प्रस्ताव पास करके किये जाते थे।

एसेम्बली का अधिवेशन खुला होता था। दशक के रूप में आम जनता इसमें शामिल हो सकती थी। यहाँ यदि विवाद स्वतन्त्र रूप से हुआ करते थे। विश्व-राजनीति पर बहस करना इसका प्रमुख कार्य था। इस तरह छोटे बड़े सभी राज्यों की अपनी शिकायत पेश करने पर मौका मिल जाता था। इन वाद-विवादों से बहुत लाभ हाते थे। मसाल के राजनीतिज्ञों को एक दूसरे के निवृत्त सभर्क में आने का मौका मिल जाता था। एसेम्बली में उन सभी विषयों पर बहस हो सकती थी जो पहले विविध परराष्ट्र मन्त्रालयों में गोपनीय रखे जाते थे। इतलिंग पोटर साहब का यह कथन कि एसेम्बली करल एक वाद विवाद की सोसाइटी थी, गलत है। मोरर के अनुसार एसेम्बली राष्ट्रसभ का एक प्रभावशाली अंग था।*

कौंसिल—कौंसिल राष्ट्रसंघ की एक छोटी, परन्तु एसेम्बली से अधिक शक्तिशाली संस्था थी। इसकी बनावट एसेम्बली से भिन्न थी। एसेम्बली में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य थे, लेकिन कौंसिल की सदस्यता सीमित थी। इसमें दो तरह के सदस्य थे—स्थायी और अस्थायी। तथाकथित महान् राज्य कौंसिल के स्थायी सदस्य थे। इस व्यवस्था की काफी आलोचना हुई, क्योंकि यह अन्यायपूर्ण था। इससे राज्यों की समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता था।

प्रारम्भ में यह व्यवस्था की गयी कि कौंसिल के नौ सदस्य हों—पाँच स्थायी और चार अस्थायी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली का कौंसिल का स्थायी पद प्राप्त हुआ। अन्य चार अस्थायी पदों का एसेम्बली द्वारा निर्वाचन होने का प्रवन्ध किया गया। १९२० में ब्राजील, बेल्जियम, यूनान और स्पेन कौंसिल के अस्थायी सदस्य चुने गये। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल ही नहीं हुआ। अतः १९२२ तक कौंसिल में आठ ही सदस्य थे। १९२२ में यह तय किया गया कि कौंसिल के सदस्यों की संख्या आठ के स्थान पर दस कर दी जाय। इस तरह कौंसिल की संख्या हमेशा बढ़ती-घटती रही। १९३९ तक कौंसिल में केवल तीन सदस्य—ब्रिटेन, फ्रांस, और रूस—रह गये और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर ग्यारह तक पहुँच गयी *।

विधान-निर्माताओं का यह विचार था कि कौंसिल का—राष्ट्रसंघ—का—सबसे शक्तिशाली अंग बनाया जाय। वास्तव में यह राष्ट्रसंघ की कार्याकारिणी समिति थी। १९२९ के बाद इसका अधिवेशन वर्ष में जनवरी, मई और सितम्बर में तीन बार होने लगा। आवश्यकता पडने पर इसकी और बैठकें हाँ सकती थी। फ्रांसीसी षणमाला के आधार पर इसके समापति बारी-बारी से चुने जाते थे। केवल कार्यक्रम और कार्य विधि को छोड़कर कौंसिल के सभी निर्णयों को सर्वसम्मति द्वारा पास होना आवश्यक था। संयुक्तराष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की तरह कौंसिल के किसी सदस्य को 'वीटो' का अधिकार नहीं था। जब किसी ऐसे राज्य का मामला कौंसिल के सम्मुख पेश होता था जो उस समय कौंसिल का सदस्य नहीं हो, तो उसे यह अवसर दिया जाता था कि उसका प्रतिनिधि कौंसिल के अधिवेशन में उपस्थित होकर अपना विचार प्रकट कर सके।

कौंसिल को कार्याकारिणी के महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते थे। सबसे पहले, उसे डान्जिग और सार के प्रशासन तथा संरक्षण का निरोक्षण करना पड़ता था। शान्ति संधियों द्वारा अहमत्वपूर्ण जातियों का जो अधिकार मिले थे उनपर निगरानी रखना भी कौंसिल का काम था। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना,

निस्त्रीकरण के लिए योजना तैयार करना, आक्रमणकारी के विरुद्ध पाबन्दी लगाना; युद्ध की सम्भावना में सदस्य-राज्यों को आदेश देना, एसेम्बली की सकारिशों को लागू करना, महासचिव को मनोनीत करना सचिवालय के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना इत्यादि कौंसिल के अग्रमख काम थे। इनके अतिरिक्त कौंसिल को एसेम्बली की तरह यह अधिकार भी प्राप्त था कि राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अन्तर्गत तथा विश्व-शान्ति के सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाये।

वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त कौंसिल को विश्व राजनीति को प्रभावित करने के अनेक मौके थे। सदस्य राज्य कौंसिल में ज्यादातर अपने प्रधानमन्त्री या विदेशमन्त्री को भेजते थे। कौंसिल की बैठ बराबर हुआ करती थी। अत मन्त्रियों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का मौका मिलता था। पहले गलतफहमियों से ही राज्यों का सम्बन्ध खराब हो जाता था। उसकी सम्भावना अब बहुत हद तक जाती रही। विदेश-मन्त्री या विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी आपस में मिलकर, बातचीत करके बहुत-से झगड़ का तय कर लिया करते थे। यह एक बहुत ही उत्साहवर्द्धक कदम था। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को विचार-विमर्श एवं शान्तिमय उपायों से सुलझाकर कौंसिल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निबटारा युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा भी किया जा सकता है।*

एसेम्बली और कौंसिल के पारस्परिक सम्बन्ध

एसेम्बली और कौंसिल राष्ट्र संघ के दो प्रमुख अंग थे, लेकिन उसके विधान में इन दोनों समस्याओं के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कोई चर्चा नहीं का गयी थी। अतएव निश्चित रूप से इनके सम्बन्ध के स्वरूप में कुछ कहना कठिन है। कुछ विद्वानों का कथन है कि इन दोनों अंगों में बड़ी सम्बन्ध था जो सदस्य प्रणाली के देशों में संसद् तथा कैबिनेट के बीच होता है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इन दोनों अंगों का आपसी सम्बन्ध संसद् के दो सदस्यों के सदृश था। लेकिन राष्ट्रसंघ के गठन के अध्ययन से ऐसे किसी सम्बन्ध का पता नहीं चलता। इसके सम्बन्ध में अधिक-से अधिक यही कहा जा सकता है कि ये दोनों संस्थाएँ एक ही मशीन के दो पूंजें थे जिनको आपस में सहयोग करके ही काम करना पड़ता था। एक अंग राज्यों की सैद्धांतिक समानता और दूसरा महान् राज्यों की व्यावहारिक प्रधानता का प्रतीक था। कुछ समय के लिए यदि हम यह एसेम्बली और कौंसिल में संसद् तथा मंत्रिमंडल जैसा सम्बन्ध

* Howard Ellis, *The Origin, Structure and the League of Nations*, p 157

भयकर भूल होगी। समदीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत कैबिनेट ससद् की मर्मा पर टिका रहता है। जिस समय कैबिनेट पर से ससद् का विश्वास उठ जाता है उसी क्षण उसका हट जाना पडना है। राष्ट्रसंघ की एसेम्बली और कौंसिल में इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं था। एसेम्बली जौगित्त को ममाप्त नहीं कर सकती थी और न एसेम्बली के लिए यह आवश्यक था कि वह कौंसिल के लिए नीति निर्धारण करे। एक वार जब कौंसिल सगठित हो जाती थी तो वह एसेम्बली से पूर्णतया स्वतन्त्र रहती थी। एसेम्बली के लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वह कौंसिल द्वारा पश किये गये प्रश्नों पर विचार कर ही।

इसी तरह कौंसिल और एसेम्बली में ससद् के दो सदनों जैसा कोई सम्बन्ध भी नहीं था। उनमें से न ता कोई प्रथम सदन था और न द्वितीय सदन। वस्तुतः इनमें से किसा का सदन कहना ही अनुचित है। बहुत कम विषयों पर दाना की मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता थी। प्रो० स्वीगसी के शब्दों में यही कहा जा सकता है कि ये दोनों दा परिणाम के दो सस्थाए थीं। एक को बैठक बहुधा हाती थी तो दूसरे की कभी-कभी। एक शीघ्रता से कोई काम कर सकता था, दूसरे के कार्य-प्रणाली में विलम्ब की सम्भावना अधिक थी।

राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत इन दो सस्थाओं का निर्माण करने का कारण थे। राष्ट्रसंघ में एक ऐसे संस्था की आवश्यकता थी जा जरूरत पडने पर बिना किसी विलम्ब के शीघ्रातिशीघ्र काम कर सक। इस काम के लिए एक छोटी संस्था की आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी समस्या खडी हो सकती थी और विश्व-शान्ति के लिए उसको जल्द से-जल्द सुलझाना बांछनीय था। ऐसे काम को कौंसिल जैसी छोटी सस्था ही कर सकती थी। इसके अतिरिक्त शान्ति सधियों द्वारा राष्ट्रसंघ को कुछ प्रशामकीय कार्य भी दिये गये थे। इस काम को एक छोटी सस्था ही कर सकती थी। फिर, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के महत्त्वपूर्ण वातों पर विचार करने के लिए कभी कभी ससार के सभी राज्यों का सम्मेलन होना भी आवश्यक था। इसके लिए एसेम्बली का होना जरूरी था। एसेम्बली और कौंसिल दोनों के निर्माण से राष्ट्रों की भौद्धान्तिक और व्यावहारिक असमानता के सिद्धान्तों के बीच समन्वय हो गया। कौंसिल के सृजन से महान् राज्यों की प्रधानता को मान्यता मिल गयी और एसेम्बली से समानता के सिद्धान्त को पुष्ट हुई।

राष्ट्रसंघ के विधान मे कौंसिल शब्द का प्रयोग ६० वार तथा एसेम्बली शब्द का प्रयोग केवल २२ वार हुआ है। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि कौंसिल एसेम्बली से अधिक शक्तिशाली थी। उनके कथनानुसार कम से-कम विधान निर्माताओं का यही उद्देश्य था। लेकिन ऐसी कोई वात नहीं थी। कौंसिल के सदस्य एसेम्बली के सदस्य भी होते थे। इस हालत में एसेम्बली का

प्रभावित करने को उन्हें पर्याप्त अवसर था। इसी तरह एसेम्बली भी कौंसिल को प्रभावित कर सकती थी। इस कारण दोनों संस्थाओं के बीच संघर्ष होने की सम्भावना भी बहुत कम हो गयी। कौंसिल को एसेम्बली की सिफारिशों को मानने में कोई कठिनाई नष्टा थी। कौंसिल के सहयोग से बाद में एसेम्बली के अधिकार बढ़ते गये। उदाहरण के लिए १९२० के बाद से कौंसिल प्रत्येक वर्ष अपने कामों की एक रिपोर्ट एसेम्बली में भेजा करती थी। वहाँ उस रिपोर्ट पर काफी बहस होती थी। लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि एसेम्बली को कौंसिल के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार था।

सचिवालय

राष्ट्रसघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए देन्ना में स्थित एक स्थायी सचिवालय था। राष्ट्रसघ का प्रबन्ध, प्रत्येक वर्ष और व्यवस्था आदि का कार्य इसी के द्वारा होता था। सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। राष्ट्रसघ के सभी कार्यों को संचालित करना उसका मुख्य काम था। पहला महासचिव सर जेम्स एरिक ड्रमंड थे। राष्ट्रसघ के विधान के द्वारा ही वे महासचिव के पद पर नियुक्त किये गये थे। वे १९२० से १९३३ तक इस पद पर काम करते रहे। उनके बाद इस पद पर नियुक्ति किस प्रकार की जाय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से व्यवस्था भी कर दी गयी थी। एसेम्बली की राय से कौंसिल नये महासचिव की नियुक्ति कर सकता था। ड्रमंड के बाद फ्रांस के जोसफ एबेनेल १९४० तक महासचिव के पद पर काम करते रहे। उनके त्यागपत्र देने के बाद आयरलैंड के सीन टोम्टर स्थानापन्न महासचिव नियुक्त किये गये।

महासचिव का काम राष्ट्रसघ के प्रशासन की देखभाल करना था। इस काम में उनकी सहायता के लिए दो सहकारी सचिव और दो उप-सहकारी सचिव होते थे। इन पदों पर महान् राज्य के नागरिक ही नियुक्त किये जाते थे। इसके अतिरिक्त महासचिव के अधीन ७०० के लगभग राष्ट्रसघ के कर्मचारी काम किया करते थे। योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति महासचिव के द्वारा होती थी। ये पदाधिकारी राष्ट्रसघ के विविध सदस्य राज्यों से लिए जाते थे। यदि उनकी अन्तर्-राष्ट्रीय सिविल सर्विस का सदस्य कहा जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। ये लोग वास्तव में अपने देश के हित का प्रतिनिधित्व नष्टा करते थे, बल्कि वे राष्ट्रसघ के सेवक थे और उसके सदस्यों के हित पर निगरानी रखना उनका कर्तव्य था।

सचिवालय को ग्यारह विभागों में विभक्त किया गया था। इन विभागों का संचालन अध्यक्ष के अधीन होता था। इसके मुख्य विभाग निम्नलिखित थे— साधारण विभाग जिनमें राजनीतिक, कानूनी और सूचना-सम्बन्धी कार्य होते थे, संरक्षण-विभाग, निरस्त्रीकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक जातियों तथा आर्थिक समस्याओं के विभाग। प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता था। राष्ट्रसघ के

विचारार्थ विविध समस्याओं सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त करना, एसेम्बली तथा कौंसिल की कारवाइयों को प्रकाशित करना, बैठक का कार्यक्रम तैयार करना, भाषणों को प्रकाशित करना इत्यादि सचिवालय के काम थे। महासचिव का एक मुख्य कार्य यह भी था कि वह अपने कार्यालय में उन सब सन्धियों को रजिस्टर्ड करे, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों के बीच में हुई हों। राष्ट्रसंघ के विधान की १८ वीं धारा के अनुसार इसको अनिवार्य बना दिया गया था। १९४१ तक राष्ट्रसंघ के सचिवालय ने ४७३३ सन्धियों को रजिस्टर्ड किया।

प्रोफेसर हेरिस के अनुसार सचिवालय राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट और अनुठा अंग था। सचिवालय का संगठन कोई नई चीज नहीं थी।* यह राज्य सरकार के सचिवालयों के ही समान था, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की संस्था की स्थापना एक बिल्कुल नयी चीज थी। इसलिए इसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता था। यह कहना कोई अनुचित नहीं होगा कि अगर राष्ट्रसंघ के किसी अंग ने राष्ट्रसंघ की महत्ता का साबित किया तो वह सचिवालय ही था। विधान के द्वारा तो सचिवालय को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसको जो काम करने पड़े वे काफी महत्त्वपूर्ण थे। विधान के अनुसार सचिवालय गौण संस्था थी। इसको एसेम्बली और कौंसिल के आदेश पालन करने पड़ते थे। पर वास्तव में इसका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत था। इसमें काम करने वाले कर्मचारी भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, नस्ल, सांस्कृतिक आदि के लोग होते थे। फिर भी वे एक साथ मिलकर राष्ट्रसंघ के कार्यालय में काम करते थे। सचिवालय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वोत्कृष्ट नमूना था और अगर राष्ट्रसंघ का उद्देश्य इस सहयोग को बढ़ाना था तो निश्चय ही सचिवालय बहुत हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति करता था। †

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

शांतिमय उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवटारा करना राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख उद्देश्य था। पचायती द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वाद विवाद को सुलझाने की परम्परा कुछ दिनों से चली आ रही थी। हम सम्मेलनों के फलस्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय पचायती अदालत कायम हुई थी लेकिन इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित था। राष्ट्रियसंघ विधान के निमाताओं ने एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय अदालत की आवश्यकता महसूस की और विधान की १४ वीं धारा के अनुसार राष्ट्रसंघ के उच्चावधान में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। फरवरी, १९२० में राष्ट्र-

* Potter *An Introduction to the Study of International Organization* p 274

† Gilbert Murray *The Problems of Foreign Policy* p 117

संघ के कानून न न्यायालय के सविधान को तैयार करने के लिए अमेरिका के मि० इलोहूट को अध्यक्षता में कानून विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त किया। हेग में छ महीने के प्रत्यनों के बाद इस आयोग ने अन्तराष्ट्रीय न्यायालय के सविधान, कार्य-विधि इत्यादि का निश्चित कर दिया। राष्ट्रसंघ का एसेम्बली और पामल ने कुछ संशोधन के साथ आयोग के नियमों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय के सविधान का राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों के पाम अनुमोदन के लिए भेजा गया। सितम्बर १९२१ तक राष्ट्रसंघ के बहुमतवशक सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया और तब अन्तराष्ट्रीय न्यायालय को हेग में विधिवत स्थापित किया गया।

अन्तराष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रसंघ का प्रधान अंग नहीं था, लेकिन राष्ट्रसंघ इसका जन्मदाता था। इसी न्यायालय का पीछे चेंबरर संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत बिना कोई विशेष दास परिवर्तन किये ही पुनस्थापित किया गया और आज यह इसका प्रधान अंग बन गया है।

अन्तराष्ट्रीय धर्म संघ

आधुनिक युग मजदूरों का युग है और इस वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुई है और प्रत्येक देश में इसकी संख्या बहुत अधिक है। मजदूर वर्ग पर ही किसी देश का भविष्य निर्भर करता है। उन्हीं के धर्म से देश सुखी और घनाढ्य होता है। फिर भी यह वर्ग हमेशा उपेक्षित रहा है। पूँजीपति-वर्ग तो मजदूरों का शोषण करके ही आनन्द लूटते हैं। इसी शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ है। समाजवाद मजदूरों की दशा को उत्तर करने का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार पूँजीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः मजदूरों की दशा सुधारने के लिए साम्यवाद एक नया संदेश लेकर आया और ससार में एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात करने लगा। १९१० की रूसी क्रान्ति इसी का परिणाम था। रूस के क्रान्तिकारियों में मजदूर वर्ग की दशा सुधारने के लिए नया नारा दिया— दुनिया के मजदूरों एक हो।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के मजदूर आन्दोलनों की रूसी क्रान्ति से बहुत बड़ा महारा मिला। चारों तरफ असन्तोष का वातावरण था और मजदूर वर्ग में अपनी दशा सुधारने के लिए काफी खलबली थी। पेरिस सम्मेलन में बैठे हुए पूँजीपति देश के प्रतिनिधियों को रूसी नारे और मजदूरों की जागृति को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने देखा कि अगर मजदूरों की दशा में सुधार नही हाता है तो सम्भवतः सारा यूरोप 'लाल' हो जायगा। इस सङ्कट से बचने के लिए उन्होंने धर्मियों की दशा सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाने का निर्णय किया। पर व्यक्तिगत रूप से कोई एक देश धर्मियों की दशा उत्तम नहीं कर सकता था, क्योंकि

पारस्परिक प्रतियोगिता पूँजीवाद की सबसे बुरी विशेषता है। यह काम विश्व व्यापी तौर पर ही किया जा सकता है। अगर पूँजीपति राज्य मिल जुलकर काम करें तो मजदूरों की दशा में सुधार होगी और साम्यवाद की वाढ भी रुकेगी। इसी भावना से प्रेरित होकर पेरिस शान्ति-सम्मेलन में भाग लेनेवाले राजनेताओं में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ की स्थापना की। अतः यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ साम्यवाद का विरोध करने का एक यन्त्र था। आश्चर्य नहीं कि मावियत रूस हाल तक इस संघ को शक की निगाहों से देखता रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ का प्रधान दफ्तर जेनेवा में कायम किया गया। मसार भर के श्रम कानून में समानता लाना तथा मजदूरों को सन्तुष्ट रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह कोई जरूरी नहीं था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य ही श्रम संघ के सदस्य हों। कोई भी राज्य इसका सदस्य हो सकता था। जर्मनी उस समय भी इस संघ का सदस्य था जबकि उसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त नहीं हुई थी। इसी प्रकार ब्राजील और संयुक्तराज्य अमेरिका उस समय भी इस संघ के सदस्य थे जबकि वे राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ का व्यय राष्ट्रसंघ के बजट से होता था। आज कल यह संस्था संयुक्तराष्ट्र संघ के साथ सम्बद्ध है।

श्रम संघ का संगठन —अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के तीन विभाग थे—साधारण सम्मेलन (General Conference), शासक सभा (Governing Body) तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour office)। साधारण सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राज्य के चार प्रतिनिधि होते थे—एक मजदूरों द्वारा चुना हुआ, दूसरा मालिकों द्वारा चुना हुआ, दो सरकार द्वारा चुने हुए। इसके पास कानून निर्माण के कोई अधिकार नहीं थे। यह केवल श्रमिकों की दशा सुधारने के उपायों पर तथा इस क्षेत्र में प्रचलित बुराईयों की ओर विश्व का ध्यान केन्द्रित कर सकता था। यह सम्मेलन प्रायः विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशों का अथवा कुछ समझौतों (Draft Conventions) का पास किया करता था। सिफारिशों में प्रायः मजदूरों के सम्बन्ध रखने वाले कानूनों के कुछ ऐसे व्यापक और विस्तृत सिद्धान्त होते थे, जो विभिन्न राज्यों के लिए श्रमिक कानून बनाते समय मार्गदर्शक और उपयोगी भी हो सकते थे। समझौते प्रायः ऐसे विस्तृत कानूनी प्रस्ताव होते थे, जिनके सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य-राज्य से यह आशा रखी जाती थी कि वह इनका अनुमोदन करेगा और इसके अनुसार कानून बनावेगा। १९१९ तक प्रतिवर्ष होने वाले सामान्य सम्मेलनों ने ११३ सिफारिशों और समझौतों का पाम किया था। इनका सम्बन्ध प्रायः इन विषयों से था—काम करने के घण्टे, म्त्रियों और बच्चा की मजदूरी, रात्रि व काय कारखानों की

स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ, बेकारों, सार्वजनिक श्रम, रोजगार का कार्यालय, मजदूरों के सघ बनाने के अधिकार, समुद्री जहाजों पर काम करने की परिस्थितियाँ, कारखानों में काम की परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ (occupational diseases) आदि । राष्ट्रमण्ड के सदस्य राज्यों की सरकारों से अनेक समझौतों का अनुमोदन किया । १९२६ में युद्ध छिड़ने के पूर्व पचास विभिन्न देशों ने ऐसे समझौतों का सात सौ अनुमोदन कर दिया था ।

शासक सभा के वृत्तीय सदस्य होते थे इसमें आठ मजदूरों के, आठ मिल मालिकों के तथा सोलह विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते थे । अधिकतम औद्योगिक महत्त्व रखने वाले राज्यों की इसमें प्रधानता बनाये रखने के लिए १९२२ में यह व्यवस्था की गयी थी की इसमें आठ प्रतिनिधि बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, और जापान द्वारा चुने जाने चाहिये । जब सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ के सदस्य बने तो उन्हें कनाडा और बेल्जियम के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया । इस सभा का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के संचालक (Director) का चुनाव और समझौतों का नियन्त्रण था ।

जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का प्रधान कार्य औद्योगिक जीवन और मजदूरों से सम्बन्ध रखने वाली सभी विषयों की जानकारी और मामली प्रकाश करना था । यह सामान्य सम्मेलन की वार्षिक बैठकों के लिए विचारणीय प्रश्नों की सूची भी तैयार करता तथा विश्व के विभिन्न भागों में श्रमिक कल्याण करने वाली संस्थाओं में सम्पर्क स्थापित करता था । इसने अनेक रिपोर्टें, बुलेटिन्स और दस्तावेजों का तथा इंटरनेशनल लेबर रि यू तथा बुलेटिन नाट्य का प्रकाशन भी किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्वक निराकरण

और प्रादेशिक अखडता की रक्षा वाह्य आक्रमणों से करेंगे। यह प्रसिद्ध सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था।

(२) दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ के विधान में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे को प्रक्रिया का वर्णन था। इन प्रक्रियाओं का वर्णन विधान की ११ वीं से १५ वीं धाराओं में हुआ था। ११ वीं धारा के अनुसार किसी युद्ध या युद्ध की धमकी को राष्ट्रसंघ के लिए चिन्ता का विषय (matter of concern) बताया गया। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सिकट में डालने वाली किसी भी परिस्थिति की ओर कोई भी सदस्य एसेम्बली का ध्यान आकृष्ट कर सकता था तथा राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य की प्राथना पर महासचिव युद्ध या युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए तुरत कौंसिल की बैठक बुला सकता था। यह धारा राष्ट्रसंघ विधान की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण धारा थी और यह विलमन की सिफारिश पर रखी गयी थी। राष्ट्रसंघ के समक्ष इस धारा के अन्तर्गत ५० अन्तर्राष्ट्रीय विवाद लाये गये। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध जनमत तैयार करना था। ऐसा विश्वास किया गया था कि जब कौंसिल या एसेम्बली में शान्ति को सिकट में डालनेवाली स्थिति पर विचार होगा तो भस्तर के शान्तिवादी लोकमत के द्वारा ऐसे सिकटों का निराकरण हो सकेगा।

१२ वीं धारा में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के उपाय बतलाये गये थे। ये उपाय तीन प्रकार के थे। इसके अनुसार संधि के सदस्यों ने यह मान लिया कि यदि उनमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाय तो उनके सम्बन्धों को भंग होने की आशंका हो तो वे इसे किसी पंच (arbitration) का सौंपेंगे, या इसका अदालती समझौता करावेंगे अथवा कौंसिल द्वारा इसको जाँच करावेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी तय किया कि पंचों, अदालतों या कौंसिल की सिफारिशों के तीन महीने के अन्दर वे युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। तीन महीने की व्यवस्था रखने का उद्देश्य यह था कि इस अवधि में विवाद की उग्रता कम हो जायगी, उत्तेजना शांत हो जायगी और इस बीच शान्तिवादी लोकमत का दबाव पड़ेगा जिससे युद्ध की सम्भावना कम हो जायगी। लेकिन राष्ट्रसंघ के जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब सदस्य राज्यों ने इस व्यवस्था का सहारा लिया हो।

धारा १३ के द्वारा किसी सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के सम्बन्ध में उत्पन्न होनेवाले विवादों का निष्पत्ति पचायत द्वारा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कराने की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने इन निर्णयों को मानने की स्वीकार किया और यह

भी वादा किया कि इन निर्णयों को माननेवाले राज्य क विरुद्ध युद्ध का सहारा नहीं लेंगे ।

विधान की १५ वी धारा सबसे जटिल और लम्बी थी । इसमें उन्ही विवादों का उल्लेख था जो केवल कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे । अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी थीं । यदि दो या अधिक राज्यों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाय तो विवाद से सम्बन्धित राज्य इसकी सूचना पहले संघ के महासचिव को देंगे । महासचिव इसकी जाँच और इस पर विचार किये जाने का प्रबन्ध करेगा । इसके लिए विवाद से सम्बन्धित देश अपना मारा मामला, आवश्यक तथ्य तथा बाकडे और कागजात महासचिव को भेज देंगे । महासचिव इनकी प्रकाशित करेगा । इसके उपरान्त कौंसिल का काम हो जाता था कि वह अपने अधिवेशन में दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करे । इस कार्य में यदि उसको सफलता मिली तो वह जिन तथ्यों का प्रकाशन आवश्यक समझेगी उसे प्रकाशित कर देगी । लेकिन यदि विवाद को सुलझाने में उसे सफलता नहीं मिली तो वह विवाद पर प्रकाश डालनेवाले सभी तथ्यों को प्रकाशित करेगी । यदि कौंसिल की रिपोर्ट सर्वसम्मत से पास हो गयी तो राष्ट्रसंघ के सदस्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता था कि वे कौंसिल की सिफारिशों का पालन करनेवाले राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं करें । लेकिन यदि रिपोर्ट सर्वसम्मत से स्वीकार नहीं होती तो उस दशा में सदस्य राज्य न्याय के रक्षार्थ किसी भा उपाय का सहारा ले सकते थे । कौंसिल की सिफारिश कोई कानूनी निर्णय नहीं होता था । पर इसे पालन करने की व्यवस्था ने राज्यों के लिए युद्ध को अवैध बना दिया था । कौंसिल की रिपोर्ट के बाद इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला युद्ध अवैध था ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारा की तौसरी व्यवस्था किसी राज्य द्वारा अपने दायित्वों का उल्लंघन करके युद्ध जारी रखने की दशा में उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों और फिर बाद में सैनिक कारबाई का प्रयोग था । इसका वर्णन राष्ट्रसंघ-विधान की १६ वी धारा में किया गया था । इसमें सबसे पहले आर्थिक प्रतिबन्धों की चर्चा थी । यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य १२, १३ या १५ वी धाराओं की अवहेलना करके युद्ध छेड़ता तो यह समझा जाता था कि उसने राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छड़ा है । इस हालत में संघ के सभी देशों का यह कर्त्तव्य हो जाता था कि वे आक्रामक देश के साथ अपने सारे आर्थिक और वित्तीय सम्बन्ध तोड़ लें । यह राष्ट्रसंघ के आर्थिक प्रतिबन्धों (economic sanctions) की प्रसिद्ध व्यवस्था थी । इसके मूल में यह बात थी कि आर्थिक प्रतिबन्ध के भय से किसी देश को युद्ध छेड़ने का साहस नहीं होगा और यदि उसने युद्ध छेड़ने का साहस किया भी तो आर्थिक प्रतिबन्ध के

कारण वह युद्ध का अधिक दिनांक तक नहीं चला पायेगा। अन्त में वाध्य होकर उस युद्ध को चन्द करना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था के महत्त्व के सम्बन्ध में विल्सन ने कहा था

“यह पूरा बहिष्कार होगा। आक्रामक देश अन्य देशों से एकदम अलग हो जायगा। कोई भी माल उस देश में न पहुँच सकेगा और न वहाँ से बाहर आ सकेगा। इस प्रकार के बहिष्कार के बाद युद्ध बन्द होजायगा क्योंकि कोई भी देश छ महाने से अधिक आर्थिक बहिष्कार का प्रतिरोध नहीं कर सकेगा।”

विल्सन का कहना ठीक था, लेकिन आर्थिक प्रतिवन्धा की सफलता महान् राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता था। राष्ट्रमण्डल के सक्षिप्त जीवन में इस अस्त्र का प्रयोग केवल एकवार १९३५ में इटली के विरुद्ध किया गया जब उसने अबीसीनिया पर आक्रमण किया। लेकिन बड़े राष्ट्रों के असहयोग के कारण यह बिल्कुल असफल रहा।

युद्ध रोकने के लिए आर्थिक प्रतिवन्ध के अतिरिक्त सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था भी राष्ट्रसंघ के विधान द्वारा की गयी थी। विधान में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रसंघ आक्रामक राज्यों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए सदस्य राज्यों को सेना प्रदान करना पड़ेगा। लेकिन विधान के अन्तर्गत ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे सदस्यों को सेना प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सक। यह बिल्कुल सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर था। संघ के इतिहास में इस व्यवस्था का प्रयोग कभी नहीं हुआ। उसने कभी भी राष्ट्रसंघ के विधान की उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं की।

(४) युद्ध के निवारण के लिए राष्ट्रमण्डल विधान के अन्तर्गत चौथी व्यवस्था शस्त्रास्त्रों को घटाने तथा हथियारबन्दी की होड बन्द करने की बात थी। इसकी ८ वीं धारा में शान्ति स्थापित करने के लिए शस्त्रास्त्रों की कमी का आवश्यक बतलाया गया था। इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का कार्य कौंसिल को सौंपा गया था। कौंसिल ने इस दिशा में कई कदम उठाये, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे।

संरक्षण (Mandate) प्रणाली

प्रथम विश्व युद्ध होने के पूर्व अफ्रिका और प्रशान्त महासागर में जर्मनों के कई उपनिवेश कायम थे। तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत भी बहुत से प्रदेश थे, जहाँ के निवासी स्वशासन के लिए बहुत दिनों से उद्वेलकूद मचा रहे थे। पेरिस शान्ति सम्मेलन के पूर्व ही यह बात तय थी कि इन उपनिवेशों का मित्रराष्ट्रों के बीच बँटवारा हो जायगा। युद्ध के समय ‘स्वशासन के सिद्धान्त’ का नारा बुलन्द किया गया था। विल्सन के चौदह सूत्रों में भी इस बात की चर्चा की गयी थी। उसके सिद्धान्तों के अनुसार इन उपनिवेशों का भाग्य-वहाँ के निवासियों की सम्पत्ति के अनुसार होना चाहिए था। पर

मित्रराष्ट्र कोई परोपकारी नहीं थे। उनकी ओरों इन प्रदेशों पर गडो हुई थीं और वे इनका हडप लेना चाहते थे। पर, यह काम उतना आसान नहीं भी था। 'स्वशासन' की आवाज सबक कानों में गूँज रही थी और विलसन कर रहे इतनी जल्दी उसकी उपेक्षा करना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर भी साम्राज्यवाद और स्वशासन के सिद्धान्त में समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। मित्रराष्ट्र एक ऐसे उपाय की खोज में थे जिससे सौंप भी मरे और लाठी भी न टूटे। स्वशासन का नाम भी रह जाय और शत्रु के उपनिवेशों पर मित्रराष्ट्रों का साम्राज्य भी स्थापित हो जाय। इसके लिए जनरल स्मटम ने एक रास्ता ढूँढ निकाला, * जिसको संरक्षण-प्रणाली कहते हैं।

इस प्रणाली के अनुसार शत्रु पक्ष के उपनिवेशों पर किसी राज्य का विधित्त अधिकार नहीं कायम हुआ। ये प्रदेश राष्ट्रसंध के जिम्मे सौंप दिये गये और राष्ट्रसंध ने अपनी तरफ से इनकी विविध मित्रराष्ट्र के सदस्यों—ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि—की संरक्षता में सुपुट कर दिया। यह कहा गया कि विजित शत्रुओं के उपनिवेशों पर जो कब्जा मित्रराष्ट्रों को दिया गया है वह वस्तुतः राष्ट्रसंध का है और ये देश राष्ट्रसंध की ओर से उपनिवेशों के अनुशासन और सुव्यवस्था मात्र के लिए नियत किये गये हैं। शासन की इसी पद्धति का संरक्षण-प्रणाली कहते हैं। इनके अनुसार यह मान लिया गया कि जर्मनी या तुर्की के भूतपूर्व औपनिवेशिक प्रदेशों पर शासन करने का जो अधिकार अब ब्रिटेन या फ्रांस को दिया गया है वह राष्ट्रसंध के आदेश द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है और ये उपनिवेश वस्तुतः राष्ट्रसंध की ही अधीनता में हैं। विलसन के सिद्धान्तों का उपहास करने के लिए और दुनिया को धोखा देने के लिए इससे बढकर दूसरा अच्छा उपाय नहीं हो सकता था।

राष्ट्रसंध के विधान की २२ वीं धारा में संरक्षण-प्रणाली की चर्चा की गयी थी। "उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप उन राज्यों की प्रभुत्वता में नहीं रह गये हैं, जिन्का पहले उनपर शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं, जो आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं, यह सिद्धान्त लागू किया जाय कि ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य देशों का पवित्र कर्तव्य है। इस सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन समुन्नत राष्ट्रों जो सौंप जाय, जो इस जिम्मेवारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हैं तथा इस संरक्षण-अधिकार का उपयोग वे राष्ट्रसंध की ओर से संरक्षक राज्य के रूप

में 'करें'।" इस तरह एसा प्रतीत होता है कि सारक्षण प्रणाली उदारता का महान् प्रतीक रहा हो।

विधान की २२ वीं धारा में ही सारक्षण प्रणाली को कार्यान्वित करने की विधि को भी स्पष्ट कर दिया गया था। शासन की सुविधा के लिए या सच कहिए तो युद्ध के समय अनेक गुप्त सन्धियों को लागू करने के लिए सरक्षित प्रदेशों को 'ब', 'व', और 'स' तीन वर्गों में बाँट दिया गया। वर्ग 'ब' में तुर्की व भूतपूर्व प्रदेश ईराक, सीरिया, लेबनान, फिलीस्तीन और ट्रान्सजोर्डन रखे गये। राष्ट्रसंघ के विधान में कहा गया था कि ये प्रदेश "विकास की ऐसी अवस्था तक पहुँच गये हैं कि उनके अस्तित्व की अस्थायी रूप से स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है। लेकिन, कोई एक सारक्षक-राज्य उन्हें तबतक प्रशासकीय सलाह और सहायता देता रहेगा, जबतक वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े न हो जायँ।" दूसरे शब्दों में इन प्रदेशों में प्रशासकीय योग्यता का अभाव था और इसलिए उन्हें एक 'मध्य' राज्य के अधीन तबतक रखना आवश्यक था जबतक वे स्वयं शासन करने योग्य न हो जायँ। अतः ईराक, फिलीस्तीन और ट्रान्सजोर्डन को ब्रिटेन तथा सीरिया और लेबनान का फ्रांस की सारक्षता में रखा गया।

'ब' वर्ग में मध्य अफ्रिका स्थित छह प्रदेशों को रखा गया। ये क्षेत्र स्वायत्त शासन के योग्य नहीं थे। अतः उन्हें पृथक या स्वतन्त्र राज्यों के रूप में परिणत नहीं किया गया। इनका प्रबन्ध सारक्षक राज्यों का सौंप दिया गया। इसके अनुसार वेमेरुन का छठा भाग, तोगोलैंड का एक तिहाई भाग तथा टांगाणीका का प्रदेश ब्रिटेन को, वेमेरुन तथा तोगोलैंड का शेष भाग फ्रांस को और राउन्डा-उरडी का प्रदेश बेल्जियम को दे दिया गया। इन प्रदेशों के सारक्षक राज्यों की यह आदेश था कि वे इन क्षेत्रों में दास-प्रथा तथा अस्त्र-शस्त्र के व्यापार को बन्द करें और बवल पुलिस तथा सुरक्षा के अतिरिक्त और किसी काम में आदिश सियों का प्रयोग न करें। इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों में राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों को व्यापार और वाणिज्य के लिए समान अवसर प्राप्त होने की व्यवस्था भी की गयी थी।

'स' वर्ग में दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका तथा प्रशान्त महासागर के कुछ ऐसे द्वीपों को रखा गया, जिनकी आबादी कम थी, या जिनका आकार बहुत छोटा था या जो सांस्कृतिक क्षेत्रों से बहुत दूर पर स्थित थे। इनके विषय में यह साँचा गया कि इनको पृथक राज्य का रूप नहीं दिया जा सकता है। अतः, उन्हें कुछ मित्रराष्ट्रों के सुपुत्र कर दिया गया जो इन राज्यों पर पूर्ण रूप से शासन कर सकते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जर्मन दक्षिण पूर्व अफ्रिका दक्षिण अफ्रिका को, जर्मन सम्राज्य न्यूजीलैंड को, नीरू द्वीप ब्रिटेन को, भूमध्यरेखा से दक्षिण स्थित नूतनपूर्व जर्मन द्वीप जापान को दे दिये गये।

संरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तीन और शर्तें थीं—(१) संरक्षित प्रदेशों पर शासन करनेवाले संरक्षक राज्य उस देश की प्रगति के विषय में वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंघ को कौंसिल का भेजेंगे। (२) प्रत्येक संरक्षित प्रदेश पर नियन्त्रण व्यवस्था शासन राष्ट्रसंघ की कौंसिल के आदेशानुसार होगा, और (३) संरक्षक राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी आयोग (Permanent Mandate Commission) की नियुक्ति की जाय।

इन शर्तों के अनुसार १९२० के अन्त में एक स्थायी संरक्षक-आयोग की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में इस आयोग में ९ सदस्य थे, जिनमें अधिकांश व्यक्ति गैर संरक्षक राज्यों के नागरिक थे। १९२४ में सदस्यों की संख्या ११ कर दी गयी। एक जगह राष्ट्रसंघ सचिवालय के संरक्षक-विभाग के अध्यक्ष का मिली और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संघ के प्रतिनिधि का। १९२७ में एक और जगह बढ़ा दी गयी और इस जगह पर जर्मनों के एक नागरिक का रखा गया। इस आयोग का काम केवल मलाह देना था, किन्तु व्यावहारिक तौर पर यह कौंसिल के एजेंट का काम करने लगा और संरक्षित प्रदेशों का निरीक्षण करना शुरू किया। स्थायी-आयोग प्रतिवर्ष संरक्षक राज्यों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करता था, संरक्षक राज्यों के प्रतिनिधि से प्रश्न पूछता था और संरक्षित प्रदेशों के निवासियों से आवेदन-पत्र लेता था। संरक्षित प्रदेश के निवासी संरक्षक राज्यों के द्वारा ही आवेदन-पत्र भेज सकते थे। इनमें ऐसे आवेदन पत्र भी रहते थे जो संरक्षण प्रणाली की ही आलोचना करते थे। आयोग ने ऐसे आवेदन पत्रों को लेने से इन्कार कर दिया। आयोग को अन्य सूत्रों से भी संरक्षित प्रदेशों के समाचार मिलते रहते थे। लेकिन आयोग ने स्वयं कभी संरक्षित प्रदेशों का भ्रमण नहीं किया और न तो अपने प्रतिनिधियों को ही जाँच पड़ताल के लिए भेजा। स्थायी आयोग की बैठक साल में दो बार होती थी। आयोग अपनी रिपोर्ट कौंसिल को पेश करता था और एसेम्बली तथा कौंसिल दोनों में इस रिपोर्ट पर बहस होती थी। संरक्षण आयोग ने अपने जीवन में तीन बार संरक्षित प्रदेशों के शासन में हस्तक्षेप भी किया। लेकिन संरक्षक राज्य मनमाना करते ही रहे।

राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार संरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत संरक्षित प्रदेशों की अपना शासक चुनने का अधिकार था। "संरक्षक-राज्य का चुनाव करते समय इन जातियों की इच्छाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।" किन्तु ईरान, फिलीस्तीन और सीरिया में जनता की इच्छा की उपेक्षा की गयी और उनकी इच्छा नहीं ली गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन अरब देशों में संरक्षक विरुद्ध विद्रोह होने लगे। सीरिया में १९२७ तक विद्रोह चलता रहा। ईरान में अरबों और यहूदियों के बीच दंगा होता रहा। अन्य संरक्षित प्रदेश

और लोगोलाई में भी विद्रोह होते रहे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए क्रूर कार्रवाइयों की गयी। स्थायी संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि संरक्षित प्रदेशों की जनता को अपनी शिकायतें पेश करने का मौका नहीं दिया जाता था। इससे उनकी घोर अस्वतोप हुआ और बाद में यह विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। संरक्षण आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने पर यही पता चलता है कि आयोग सभी सूचनाओं के लिए संरक्षक राज्यों पर आश्रित था। संरक्षण प्रणाली संरक्षित प्रदेशों की भलाई के लिए स्थापित की गयी थी, लेकिन आयोग कभी उनकी शिकायतों को नहीं सुनता था। संरक्षण प्रणाली से लाभ हुआ या हानि यह एक विवादपरत प्रश्न है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने नवीन साम्राज्यवाद को एक नई जिन्दगी दे दी। नवीन साम्राज्यवाद को एक खास विशेषता साम्राज्यवादी राज्यों के बीच परस्पर प्रतिद्वन्द्विता थी। प्रथम विश्व-युद्ध कुछ अंशों में इसी प्रतिद्वन्द्विता का परिणाम था। संरक्षण-प्रणाली की स्थापना से इस प्रतिद्वन्द्विता में कुछ कमी आ गयी और साम्राज्यवाद कुछ दिनों के लिए नष्ट होने से बच गया।*

अल्पसंख्यक जातियों की समस्या

उच्च राष्ट्रीयता प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण था। यूरोप की विविध पराधीन जातियों राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर अपना अलग अलग राज्य स्थापित करना चाहती थी। मित्रराष्ट्र राष्ट्रीयता के सिद्धान्त से सहमत थे और वे 'एक राष्ट्रीयता एक राज्य' के आदर्श के आधार पर यूरोप का पुनर्गठन करना चाहते थे। इस आदर्श को कार्यान्वित करने में अनेक बाधाएँ थीं। पूर्वी यूरोप, बाल्कन प्रायद्वीप और तुर्की साम्राज्य में अनेक ऐसे प्रदेश थे, जिनमें एक से अधिक राष्ट्रीयता के लोग रहते थे। इन प्रदेशों में अनेक जातियों का मिश्रण हो गया था। इस कारण राष्ट्रीयता के आधार पर नये राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना आसान काम नहीं था। फिर भी विभिन्न जातियों का पृथक राज्य स्थापित करना जरूरी था और इसलिए शान्ति-सन्धियों के द्वारा राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर अनेक नये स्वतन्त्र राज्य कायम किये गये। करीब-करीब ऐसे प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक जातियों का स्थिर रूप से निवास करती थीं। अब प्रश्न था कि इन जातियों के हितों की रक्षा के लिए किस उपायों का आश्रय लिया जाय। पराजित राज्यों—ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया, तुर्की—में बहुत सारी राज्यों में अल्पसंख्यक जातियों का निवास करती थीं। इसलिए शान्ति सन्धियों में यह शर्त रख दी गयी कि उपर्युक्त राज्य अपनी क्षेत्र में बनी हुई अल्पसंख्यक जातियों की हर दृष्टि से रक्षा करें। यह समस्या केवल पराजित राज्यों तक ही सीमित नहीं थी। महायुद्ध के बाद यूरोप में

* Quincy Wright, *Mandates under the League of Nations*, p 173

पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया इत्यादि जैसे बहुत से नये-नये राज्यों का अन्तर्गम्य हो चुका था। इन राज्यों के भू-भागों में भी अल्पसंख्यक जातियाँ रहती थी। इनके अतिरिक्त कुछ पुराने राज्य जैसे यूनान इत्यादि में भी यह समस्या मौजूद थी। वेरिस शान्ति सम्मेलन का और खासकर विलसन का विचार था कि ये राज्य अपने क्षेत्रों में बसे हुए अल्पसंख्यक जातियों की रक्षा करने का बचन दें। परन्तु ये राज्य किसी प्रकार की गारन्टी देने के विरुद्ध थे। अन्त में अल्पसंख्यक जातियों के हितों और अधिकारों की रक्षा का भार राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। इस विषय पर राष्ट्रसंघ और विविध राज्यों के बीच समझौता हुआ। इन समझौतों के उद्देश्य निम्नलिखित थे—(१) अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतन्त्रता की रक्षा करना, (२) उनके धर्म का आदर करना, (३) उनको नागरिकता का अधिकार देना, (४) अदालत के सामने सबके साथ समान व्यवहार होना और उन्हें समान सुविधा तथा नौकरी प्राप्त होना, (५) व्यापारिक तथा धार्मिक मामलों और प्रेस तथा अदालत में किसी भी भाषा का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, तथा (६) अल्पसंख्यकों के ही भाषा में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना।

अगर कोई राज्य अल्पसंख्यकों के इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो यह बात राष्ट्रसंघ की कांसिल के सम्मुख पेश की जा सकती थी। अल्पसंख्यकों को राष्ट्रसंघ के पास आवेदनपत्र भेजने का भी अधिकार मिला। खतरा मिलने पर कांसिल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती थी। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ का खास तरीका यह था कि राष्ट्रसंघ सचिवालय के अल्पसंख्यक-समिति के अध्यक्ष को उन राज्यों से जहाँ पर कोई गड़बड़ी पैदा हो गयी हो, सीधे बातचीत करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी पेश कि जा सकता है। न्यायालय का इस प्रकार के दो या तीन मामलों पर अपना नियम देना पडा था परन्तु अल्पसंख्यकों की रक्षा का असल उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ को कांसिल के ऊपर ही था।

राष्ट्रसंघ की अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति से बहुत से सदस्य राज्य सन्तुष्ट नहीं थे। मितम्बर, १९२८ में राष्ट्रसंघ कांसिल को एक बैठक में जर्मन-प्रतिनिधि स्ट्रैमैन ने अल्पसंख्यक-सम्बन्धी राष्ट्रसंघ की नीति का आलोचना की। इसका यादों की दो और बैठकों में भी इसी समस्या ने बहुत दिनों तक कांसिल को बन्धायें रखा। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक-सम्बन्धी राष्ट्रसंघ की तत्कालीन नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया गया। १९१९ में एक अल्पसंख्यक समिति की स्थापना की गयी। इस समिति के सदस्य कांसिल के अध्यक्ष और उनका द्वारा मनोनीत और दो सदस्य होते थे। अल्पसंख्यक समस्या मध्य दो सप्ताहों पर

इस समिति में विचार होता था। आवेदन पत्रों को प्राप्त करना और उनपर विचार करके कौंसिल के सम्मुख उपस्थित करना इस समिति का प्रमुख काम था। परन्तु इस प्रयास से भी अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं हो सका।

वे राज्य, जो अल्पसंख्यक सन्धियों से सम्बन्धित नहीं थे अल्पसंख्यकों के साथ निर्दयता का व्यवहार करते थे और राष्ट्रसंघ उनको रोकने में असमर्थ था। जिन देशों को इन सन्धियों से सम्बन्ध था वे भी अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि राष्ट्रसंघ उनके आपात्तजनक कार्रवाइयों को रोकने में असमर्थ था। १९२४ में पार्लैड ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सहयोग देने से तबतक के लिए इन्कार कर दिया जबतक इस सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था नहीं अपना ली जाती। पार्लैड के बाद अन्य राज्यों का बागी आया और उन्होंने राष्ट्रसंघ का सहयोग देना बन्द कर दिया। इसमें जमनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जमनी अल्पसंख्यक यहूदियों का तरह तरह से तग करने लगा। उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनके बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में पठाने से रोक दिया गया। यहूदियों पर और भी तरह तरह के अत्याचार किये गये और राष्ट्रसंघ इन अत्याचारों का रोकने में पूर्णतया असमर्थ रहा। राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने अल्पसंख्यकों के विवाद से सम्बन्धित झगड़ों पर अपना निर्णय लादने के बजाय दोनों दलों में समझौता कराने का रास्ता अपनाया। किन्तु इससे काम नहीं चल सका और सारी व्यवस्था भंग हो गयी।*

राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्य

सार का प्रशासन—वर्साय की सन्धि के द्वारा राष्ट्रसंघ का सार की घाटा और डान्जिग के स्वतन्त्र नगर के प्रशासन का भार सौंपा गया था। राष्ट्रसंघ की कौंसिल इसके लिए जिम्मेवार बनायी गयी थी।

वर्साय संधि के अनुसर सार का शासन एक ऐसे आयोग द्वारा किया जाना था जिसका एक सदस्य फ्रांसीसी, एक सार का निवासी तथा तीन ऐसे सदस्य जिनका फ्रांस और जमनी दोनों से सम्बन्ध न हो। यह आयोग अपने कार्यों के लिए राष्ट्रसंघ की कौंसिल के प्रति उत्तरदायी था। कौंसिल ने आयोग के कार्य संचालन के नियम बना दिये थे। मार्च, १९३२ में आयोग के परामर्श के लिए तीस व्यक्तियों की एक परामशदात्री समिति बनायी गयी किन्तु सदस्य वयस्क मतदातियों के आधार पर इस क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। कि आयोग का बहुमत फ्रांस के पक्ष में रहता था इसलिए सार के ७७ लाख जमनी निर्वाचियों में आयोग के प्रशासन में सार अल्पसंख्यक था। उन्हें तरह तरह से गठाय

* C. H. Webster *The League of Nations in Theory and Practice*,

जाता था। प्रशासन का नियम अत्यन्त कड़ा था। १९२३ में जब रूर के जर्मन खनिकों की सहानुभूति में सारबालो ने हड़ताल किया तो उसको बड़ी क्रूरता से दबाया गया। अतएव सारबालो का असन्तोष बढ़ता गया और यह इतना बढ़ा कि राष्ट्रसंघ कौंसिल को आयाग के कार्यों और शासन को जाँच करनी पड़ी। १९३२ के बाद आयोग के दमनपूर्ण शासन में कुछ नरमी आयी और इसलिए असन्तोष की मात्रा कम पड़ने लगी।

वर्साय की सन्धि के अनुसार सार के शासन का स्थायी निर्णय १९३५ में जनमत संग्रह द्वारा किया जाना था। चुनाव के दिन निकट आने पर सार में उत्तेजना, अशांति और उपद्रव बढ़ने लगे। इस हालत में एक अन्तरराष्ट्रीय पुलिस संगठित की गयी। १३ जनवरी, १९३५ को मतसंग्रह का दिन निश्चित किया गया और इसके पहले फ्रांस और जर्मनी से यह आश्वासन लिया गया कि वे मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव न डालेंगे और बाद में उन्हें विपक्ष में मत देने के कारण तग नहीं करेंगे। इस स्थिति में तनातनी के बातावरण में चुनाव सम्पन्न हुआ। इसमें ९८ फी सदी मतदाताओं ने मत दिया जिसमें ९० फी सदी वोट जर्मनी के पक्ष में पड़े। इस मतदान के निर्णयानुसार १ मार्च, १९३५ को सार का शासन राष्ट्रसंघ ने जर्मनी को सौंप दिया।

डांनिजग का प्रशासन—वर्साय की संधि के द्वारा जर्मन बन्दरगाह डांनिजग एक स्वतन्त्र नगर घोषित किया गया था तथा उनकी आर्थिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व पोलैंड को और शासन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ को सौंपा गया था। कायपालिका और प्रशासकीय शक्तियों का संचालन राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त एक उच्च आयुक्त (High Commissioner) के द्वारा होता था। डांनिजग के जर्मन निवासियों का स्वायत्तता थी, लेकिन आर्थिक व्यवस्था और वैदेशिक सम्बन्ध पर पोलैंड का अधिकार था।

डांनिजग और पोलैंड में कभी भी अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा और इस कारण राष्ट्रसंघ की स्थिति यहाँ अत्यन्त दयनीय बनी रही। प्रथम पाँच वर्षों में ही राष्ट्रसंघ के उच्च आयुक्त को उनके विवादों में पचास निणय देने पड़े थे। इन दोनों के कुछ विवाद तो अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में भी गये थे। इस हालत में डांनिजग का प्रशासन स्थायी नहीं हो सकता था। जब पोलैंड ने डांनिजग के पास गदिनिया नामक एक दूसरे बन्दरगाह का निर्माण किया तो डांनिजग का व्यापार घटन लगा और इस कारण दोनों का मनमुग़व और बढ़ा। इसी समय जर्मनी में नात्सियों का प्रादुर्भाव हुआ। जब जर्मनी के शासन पर उनका कब्जा हो गया तो पोलैंड और डांनिजग की तनातनी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। डांनिजग में भी नात्सा दल की एक शाखा खुली और तरह-तरह के उपद्रव होने लगे। राष्ट्रसंघ का आयुक्त इसको रोकने में बिल्कुल असफल रहा और इस प्रकार राष्ट्रसंघ का डांनिजग

का प्रशासन सफल नहीं हुआ। अन्त में इसी डान्जिग और पोलिस गलियारे को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ।

राष्ट्रसंघ का स्वरूप

सामूहिक सुरक्षा— राष्ट्रसंघ के स्वरूप पर विचार करने पर जो पहली बात देखने को मिलती है वह यह है कि यह सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का एक साधन था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले शान्ति कायम रखने के लिए शक्ति सन्तुलन (Balance of power) के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता था। यूरोप के प्रमुख राष्ट्र इस बात का प्रयास करते थे कि कोई राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाय। अधिक शक्तिशाली राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए गुटबन्दीयों की जाती थी। इसलिए प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के यूरोप में दो गुट कायम किये गये थे। लेकिन जब १९१४ में युद्ध छिड़ गया तो यह स्पष्ट हो गया कि शान्ति कायम रखने के लिए शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त व्यर्थ है। अतएव युद्ध के बाद इस सिद्धान्त का परित्याग कर दिया गया तथा उसकी जगह पर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त (Principle of Collective Security) को अपनाया गया। इसका अर्थ यह था कि सभार के राष्ट्र एक सभ्या के अन्दर संगठित होकर आपस में यह वादा करें कि वे सभी अपने साथी राज्यों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार हैं। यदि उनमें से किसी एक पर हमला होता है तो उसको अपने ऊपर हमला मानें और मिलजुल कर हमला का सामना करें। राष्ट्रसंघ में इसी सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हुई थी।

गुप्त कूटनीति का परित्याग— प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व राष्ट्रों के कूटनीतिक सम्बन्ध का आधार गुप्त कूटनीति था। विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की बातें गुप्त वातावरण में की जाती थी। इनका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। अतएव सभार के राजनेता युद्ध के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शान्तिकालीन गुप्त कूटनीति का परित्याग आवश्यक है या कम से कम इसकी बुराइयों को दूर करना जरूरी है। यह तभी हो सकता था जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन खुले तौर पर और नावजनिक रूप में हो। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण आवश्यक था। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी थी। राष्ट्रसंघ के संस्थापकों ने यह कभी नहीं सोचा था कि वे एक दोष रहित गस्था का निर्माण कर रहे हैं। वे सिर्फ गुप्त कूटनीति की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इस दृष्टिकोण से देखने से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ कोई ऐसी सभ्या न था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को नावजनिक

रूप देना था, गुप्त कूटनीति को खुला कूटनीति बनाना था। यह राज्यों के बीच सहयोग कराने का एक यन्त्र था।

वर्साय संधि के साथ सम्बद्ध सस्था—राष्ट्रसंघ के विषय में कभी कभी यह भी कहा जाता है कि वह वर्साय सन्धि का कार्यान्वित करने का एक साधन था। राष्ट्रसंघ का निर्माण उसी शान्ति सम्मेलन में हुआ जहाँ वर्साय-संधि का मसौदा तैयार किया गया था। इतना ही नहीं राष्ट्रसंघ का विधान वर्साय की सन्धि का अभिन्न अंग भी था। फिर भी राष्ट्रसंघ और वर्साय सन्धि को एक नहीं समझना चाहिए। वर्साय-सन्धि के बहुत से हस्ताक्षरकारी देश राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बने। बहुत से ऐसे देश भी थे जिनका वर्साय सन्धि से किसी प्रकार मतलब नहीं था, फिर भी वे राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ विधान के संशोधन का तरीका सन्धि दुहराने के तरीके से भिन्न था। राष्ट्रसंघ के जिम्मे वर्साय सन्धि की शर्तों को कार्यान्वित करने का काम नहीं था। डान्जिग, सार, सरक्षित प्रदेशों का प्रशासन के लिए वह अवश्य जिम्मेवार था, लेकिन इस कारण उसे वर्साय सन्धि को कार्यान्वित करने का यन्त्र नहीं मान लेना चाहिए। प्रोफेसर एंगिल्टन का कथन है कि राष्ट्रसंघ का काम पराजित देशों को तग करना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना था।

अधि राज्य—डा० डि० जे० हिल्ल के अनुसार राष्ट्रसंघ एक अधि राज्य (super-state) था क्योंकि इसका अधिकार और क्षेत्र सदस्य राज्यों के अधिकार और क्षेत्र से भिन्न था। राष्ट्रसंघ राज्यों का संघ नहीं स्वतंत्र रूप से एक अधि राज्य था। प्रोफेसर गिलवर्ट मर्रे तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत ठीक इसके विपरीत है। उनका कहना है कि राष्ट्रसंघ राज्यों का संघ था जो उनके उच्च सहयोग स्थापित कराने के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रसंघ को राज्यों पर उनकी सहमति के बिना नया उत्तरदायित्व लादने का अधिकार नहीं था। इसके द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की स्थापना अवश्य हुई, लेकिन इसके कारण सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता पर कोई आंच नहीं आयी। सदस्य राज्यों की वाध्य करने की शक्ति इसमें नहीं थी। इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे भूमि, आबादी, सेना, प्रभुसत्ता आदि। राष्ट्रसंघ में राज्य के ये गुण नहीं थे। इसलिए लार्ड वर्जॉन ने कहा था कि “राष्ट्रसंघ” नाम से ही यह बोध हो जाता है कि यह राज्यों का संघ है। पोलक के शब्दों में यह स्वतंत्र राज्यों की एक स्वतंत्र व्यवस्था (concert of independent powers) थी। इसमें कई सिद्धान्त मिले हुए थे। प्रोफेसर जिमर्न के शब्दों में राष्ट्रसंघ के विधान में पाँच तत्त्वों का समावेश हुआ था।

शान्ति सस्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि महत्त्वपूर्ण मामलों में और बड़े-बड़े राष्ट्रों के विवादों में राष्ट्रसंघ को कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। फ़गडों का शान्तिपूर्ण समाधान निकालकर युद्ध को रोकना राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख काम था, लेकिन इस काम में राष्ट्रसंघ असफल रहा। पर यदि राष्ट्रसंघ की महत्त्वपूर्ण विवादों में सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूर्णतया असफल रहा। छोटे-छोटे राज्यों के फ़गडों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ काफी सफल रहा और अपनी २० वर्ष की छोटी-सी अवधि में इसने ६० छोटे-बड़े राजनीतिक झगडों को जाँच करके अपना निणय दिया। समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध के रास्ते को अपनाकर राष्ट्रसंघ कुछ छोटे-छोटे झगडों को तय करने में सफलीभूत रहा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक उत्साहवर्द्धक लक्षण था।

आलण्ड विवाद—राष्ट्रसंघ के सामने सबसे पहले जो अन्तर्राष्ट्रीय विवाद आया वह आलैंड द्वीपों से सम्बन्धित था। लगभग ३०० द्वीपों का यह समूह, जिसकी आबादी १९२० में २७००० थी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। प्रारम्भ में यह स्वीडन के कब्जे में था। नेपोलियन के युद्धों के समय (१८०९) यह फिनलैंड के साथ साथ रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत चला गया। उस समय से रूसी क्रांति (१९१७) तक फिनलैंड और आलैंड द्वीप समूहों को एक इकाई मानकर रूस का शासन चलता रहा। १९१७ में फिनलैंड स्वतन्त्र हो गया। आलैंड भी उसी के अन्दर रह गया। पर आलैंड के निवासी स्वेडिश थे और राष्ट्रियता के सिद्धांत के आधार पर वे स्वायत्त शासन तथा स्वीडन के साथ मिलने की माँग करने लगे। इसके लिए उन लोगों ने जबरदस्त आन्दोलन खड़ा किया। फिनलैंड ने आन्दोलन को दबाना शुरू किया। प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीडन में फिनलैंड के दमन के विरुद्ध घोर विरोध शुरू हुआ। स्वीडन युद्ध की तैयारी करने लगा। उस समय फिनलैंड राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। इस मौके पर ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ विधान का ११ वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ का ध्यान इस विवाद की ओर आकृष्ट किया। जुलाई, १९२० में यह मामला राष्ट्रसंघ कौंसिल के सामने आया। दोनों देशों के प्रतिनिधि कौंसिल के सामने उपस्थित हुए और अपने-अपने विचार प्रकट किये। कौंसिल ने क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कानून विशेषज्ञों से परामर्श लिया और फिर एक समिति की नियुक्ति की जिसका काम विवादपस्त शर्तों का भ्रमण करके तथ्यों का पता लगाना था। समिति का रिपोर्ट के आधार पर कौंसिल ने २४ जून, १९२१ को निम्नलिखित फैसला दिये—(१) आलैंड द्वीपसमूह पर फिनलैंड की प्रभुता कायम रहे (२) आलैंडवासियों की स्वायत्तता तथा उसके राजनीतिक

अधिकारों की रक्षा की गारन्टी दी जाय, (३) उन्हें निजी सम्पत्ति तथा म्वडिश भाषा का प्रयोग करने का अधिकार मिले, तथा (४) आर्लैंड का तटस्थीकरण और असेनिकरण हा जाय। ६ अप्रैल, १९२२ को आर्लैंड द्वीपसमूह का तटस्थीकरण कर दिया और इस तरह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विवाद, जो राष्ट्रसंघ के सामने आया, उसका फैसला सबमान्य ढंग से हो गया।

विलना-विवाद—विलना लिथुएनिया की प्राचीन राजधानी और उसकी संस्कृति का केंद्र था। बर्साय-संधि के द्वारा यह प्रदेश लिथुएनिया को सौंप दिया गया था। १९२० में बोल्शेविकों ने विलना पर कब्जा कर लिया। २२ जुलाई, १९२० को सोवियत रूस और लिथुएनिया के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार विलना पुन लिथुएनिया को वापस मिल गया। पर पोलैंड पहले से ही विलना पर आँख गड़ाये हुए था। उसने राष्ट्रसंघ से अपील की। राष्ट्रसंघ १० अक्टूबर को एक समझौता करने वाला था। इसके एक दिन पहले एक स्वतन्त्र पोलिस कमाण्डर जनरल जेलीगोस्की ने इस देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार कायम कर लिया। लिथुएनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की और राष्ट्रसंघ ने दोनों देशों की सरकारों को समझौता कर लेने का आग्रह किया। दो वर्षों तक यह विवाद चलता रहा। अन्त में यह स्थान पोलैंड के साथ मिला दिया गया। मार्च, १९२३ में राजदूतों के एक सम्मेलन ने इस स्थिति को मान्यता दे दी।

मेमेल विवाद—बर्साय-सन्ध के अनुसार मेमेल का प्रदेश पोलैंड को मिला था। मित्रराष्ट्रों का विचार था कि मेमेल को डानिज़ग की भेणी में रख दिया जाय। पर पोलैंड इस भूभाग पर अपना कब्जा करना चाहता था। इस पर लिथुएनिया विगड खड़ा हुआ, क्योंकि वह मेमेल को स्वयं चाहता था। जनवरी, १९२३ में लिथुएनिया की फौजें मेमेल में प्रवेश कर गयी और वहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। शांतिपूर्ण ढंग से इस कगडे को निगटाने के सारे प्रयत्न बेकार साबित हुए। इसके बाद यह समस्या राष्ट्रसंघ कौंसिल के जिम्मे सुपुद कर दी गयी। नामन डेविस के नेतृत्व में कौंसिल ने एक समिति नियुक्त की। कौंसिल ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और बाद में लिथुएनिया और मित्रराष्ट्रों ने भी इसे मान लिया। मेमेल पर लिथुएनिया की प्रभुसत्ता स्थापित हुई, पर मेमेल वासियों की आन्तरिक स्वतन्त्रता मिली और मेमेल दन्दरगाह पर शासन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना हुई।

अल्बेनिया विवाद—यूगोस्लाविया और यूनान के पश्चिम में अल्बेनिया स्थित है। ये दोनों देश इसका वापस में बँटवारा कर लेना चाहते थे। पर राष्ट्रसंघ

ने अल्बेनिया का एक स्वतन्त्र राज्य की मान्यता दी और १९२० में वह देश राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। पर अल्बेनिया की सीमा निर्धारित करने में कुछ देर लग गयी। इसी बीच यूगोस्लाविया वाले बराबर अल्बेनिया में घुसकर उपद्रव मचाया करते थे। १९२१ में यूगोस्लाविया के कुछ सशस्त्र सैनिकों ने अल्बेनिया पर आक्रमण कर दिया। इससे एक छोटा मोटा बाटवन युद्ध का खतरा पैदा हो गया। अल्बेनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की। राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से यह मामला भी तय हो गया। कांसिल ने राजदूतों को एक परिपद बनाया और इस परिपद ने अल्बेनिया को सीमा को निर्धारित कर दिया। यूगोस्लाविया का अपनी फौज हटा लेने की आज्ञा दी गयी।

ऊपरी साइलेशिया का विवाद—१९२१ में ऊपरी साइलेशिया को लेकर जर्मन और पोलैंड में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। वसंति सन्धि में कहा गया था कि इस इलाके के भाग्य का अन्तिम निर्णय वहाँ के वासियों के जनमत द्वारा किया जायगा। मार्च, १९२१ में मित्रराष्ट्रों के निराक्षण में एक जनमत संग्रह हुआ। मतदान में अधिकांश लोगों ने जर्मनी में शामिल होने का पक्ष में वोट दिया। पर पोलैंड ने जनमत के बाद भी कुछ इलाकों पर दावा किया जहाँ पोलिस लोगों की संख्या अधिक थी। फ्रांस ने पोलैंड को इस माँग का समर्थन किया। जर्मनी ने दावा किया कि ऊपरी साइलेशिया का विभाजन आर्थिक दृष्टि से अनुचित होगा। जब यह विवाद चल ही रहा था उसी समय कोरफेंटी नामक एक पोलिश सेनापति ने ऊपरी साइलेशिया पर हमला करके उसके अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अन्य उपायों से इस झगड़े को निबटाने का प्रयास विफल हुआ। इसके बाद सारा मामला राष्ट्रसंघ कांसिल के सामने रखा गया। कांसिल ने समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जिसके सदस्य बेल्जियम, ब्राजिल, चीन तथा स्पेन थे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कांसिल ने अपना निणय दिया जिसके अनुसार ऊपरी साइलेशिया का विभाजन कर दिया गया। एक हिस्से पर जर्मनी का और दूसरे हिस्से पर, जिसमें खनिज पदार्थ के क्षेत्र थे, पोलैंड की प्रभुसत्ता कायम हुई। जर्मनी और पोलैंड ने इस निणय को स्वीकार कर लिया।

कोफू-विवाद—कोफू की घटना ऐसी घटना थी जिसका सम्बन्ध एक बड़े राष्ट्र के साथ था। २७ अगस्त, १९२३ को यूनान में कुछ इटली के नागरिकों की हत्या कर दी गयी। इटली की सरकार ने तुरन्त ही एक आन्तमेत्यम् भेजा जिसमें उससे सरकारी तौर पर क्षमा माँगने को कहा गया था। अन्तमेत्यम् में पाँच करोड़ डालर को क्षतिपूर्ति भी माँगी गयी थी। चुनौती को स्वीकार करने के लिए २४ घण्टे का समय दिया गया था। यूनान की सरकार ने इटली को बहुत ही मारे

मान ली। पर कुछ ऐसी मर्गों भी थी जिनका वह एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के नाते स्वीकार नहीं कर सकती था। इस पर इटली ने यूनान के द्वीप कोर्फू पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसंध में अपील की। सुसोलनी ने दावा किया कि कोर्फू पर अधिकार ब्रिटिश स्वस्थायी है।

जब राष्ट्रसंध-कौंसिल में कार्फू घटना पर बहस होने लगी तो इटली के प्रतिनिधि सालान्द्रा ने बतलाया कि राष्ट्रसंध को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और इटली ने कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया। पर कांसिल ने इस मामले का राजदूतों की परिषद् के सुपुर्द कर दिया। जाँच पड़ताल के बाद राजदूतों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनान में की गयी हत्याएँ गैर कानूनी थी और इसके साथ ही साथ इटली द्वारा भेजा गया अन्तिमेल्यम् भी। राजदूतों ने फैसला किया कि अपराधियों को दण्ड तथा इटली को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और यूनान को क्षमा माँगनी चाहिए। ये शर्तें मान ली गयीं और इटली ने कोर्फू पर से अपना अधिकार हटा लिया।

मोसुल विवाद—लुमान-संधि (१९२२) के अनुसार यह तय हुआ था कि तुर्की और ईराक की सीमा मैत्रीपूर्ण समझौते के द्वारा निर्धारित की जाय। संधि में यह उपबन्ध भी रखा गया था कि यदि नौ भास की अवधि में कोई हल नहीं निकल सके तो यह प्रश्न राष्ट्रसंध में भेजा जाय। मोसुल के तेल-कुएँों को लेकर दोनों देशों में समझौता नहीं हो सका। इसलिए अगस्त, १९२४ में यह मामला राष्ट्रसंध कांसिल में आया। कौंसिल ने समस्या की जाँच के लिए एक सर्वथा तटस्थ जाँच आयोग नियुक्त कर दिया। अक्टूबर में दोनों पक्षों की ओर से ये शिकायतें आने पर कि पूर्वावस्थावाली रेखा का अतिक्रमण करने के यत्न किये गये हैं, ब्रुसेल्स में राष्ट्रसंध-कौंसिल की साधारण बैठक हुई जिसने एक स्थायी सीमांत स्थापित कर दिया जो बाद में ब्रुसेल्स रेखा कहलायी। १९२५ में स्वडन, हंगरी और बेल्जियम के एक तटस्थ आयोग ने इस मामले पर विचार आरम्भ किया। कौंसिल ने सितम्बर में इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना शुरू किया। इसी बीच तुर्की के कैलिडियन ईसाइयों ने विद्रोह कर दिया और तुर्की सरकार ने इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया। ईराक में घड़ाघड़ शरणार्थी आने लगे और तुर्की ने जो अत्याचार किये थे, वे राष्ट्रसंध के एक प्रतिनिधि जनरल लेडोनर की तटस्थ रिपोर्ट से निश्चित रूप से सिद्ध हो गये। राष्ट्रसंध ने अन्त में मोसुल विवाद पर अपना फैसला दिया। 'ब्रुसेल्स लाइन' को ही सीमांत मान लिया गया और प्रायः सारा मोसुल ईराक में शामिल हो गया। जून, १९२६ में तुर्की, ईराक और ब्रिटेन में त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसके अनुसार निर्धारित सीमांत को मान लिया गया।

यूनान और बुल्गेरिया में विवाद—प्रक्टूबर, १९२५ में यूनान और बुल्गेरिया के बीच सीमान्त को लेकर एक झगडा शुरू हो गया और डेमिर टापू में दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोली की खूब वर्षा की। यूनान को सेना बुल्गेरिया के एक नगर में घुस गयी और बुल्गेरिया के अन्दर ७० वर्गमील पर अपना अधिकार जमा लिया। बुल्गेरिया ने राष्ट्रसंघ में अपील की। कौंसिल ने एक युद्ध विराम प्रस्ताव पास करके दोनों देशों को अपनी फौजें वापस हटाने का आदेश दिया। दोनों देशों ने इस आज्ञा का पालन किया। बाद में एक आयोग की नियुक्ति की गयी। आयोग ने यूनान के आक्रमण को अन्यायपूर्ण ठहराया। उसको बुल्गेरिया को क्षतिपूर्ति देने को कहा गया। १ मार्च, १९२६ को यूनान ने क्षतिपूर्ति चुका दी और इस तरह राष्ट्रसंघ ने एक और मामले को तय किया।

पिरूविया कोलम्बिया विवाद—सितम्बर, १९३२ में पिरूविया को सेना ने कोलम्बिया के एक पन्द्रमाह लेटाशिया पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रसंघ ने अमेरिका से कूटनीतिक सहायता प्राप्त करके पिरूविया पर दबाव डाला कि वह वहाँ से हट जाय।

इस प्रकार राष्ट्रसंघ ने अनेक विवादों को तय किया। केवल उन विवादों का तय करने में, जिनका सम्बन्ध बड़े राष्ट्रों के साथ था, राष्ट्रसंघ की सफलता नहीं मिल सकी। पर इसके लिए राष्ट्रसंघ को दापों नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए तो स्वयं वे राष्ट्र ही दापों थे जो राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप और निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं थे।

राष्ट्रसंघ का पतन

(Liquidation of the League)

१९२४ से १९३० तक की अवधि में राष्ट्रसंघ अपनी उत्थिति के चरम शिखर पर रहा। इस काल में उसकी प्रतिष्ठा सारे ससार में छापी हुई थी। लेकिन १९३१ से उसका पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। पतन के इस नाटक की पृष्ठभूमि का सृजन १९३० के आर्थिक संकट ने किया। इस भीषण संकट ने सब देशों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए तरह तरह के आर्थिक प्रतिबन्ध, सरक्षण, सामा-कर आदि लगाने को बाध्य किया। प्रत्येक देश ने अपनी स्थिति को एक दूसरे से पृथक रख कर दृढ़ बनाने की कोशिश की। फलतः अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना कम होर पड़ने लगी और आर्थिक सहयोग के स्थान पर आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का जन्म हुआ। इसके परिणामस्वरूप मकुचित राष्ट्रीयता का फिर से बोलबाला हो गया। इसी समय जापान ने राष्ट्रसंघ को एक जबरदस्त । लगाया।

मंचूरिया का युद्ध

१९३१ के मंचूरिया-संकट ने राष्ट्रसंघ के विनाश को अवश्यभावी बना दिया। इस संकट पर विस्तारपूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ राष्ट्रसंघ के पतन की समझने के लिए इसका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है।

मंचूरिया रूम की सीमा से लगा हुआ एक विशाल चीनी प्रान्त है। जापानी उद्योगपतियों ने इस प्रान्त में अपनी विपुल धन राशि लगा रखी थी। अतः, जापान की सरकार इस विशाल प्रदेश को अपने प्रभाव में रखना चाहती थी। १८ सितम्बर, १९३१ को जापान ने, यह कह कर कि चीन ने उसकी रेलवे सम्पत्ति को नष्ट कर दिया है, अचानक मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने मंचूरिया के अधिकांश प-भाग पर अधिकार जमा लिया और वहाँ मंचुकाओ सरकार व नाम से एक कठपुतली सरकार की स्थापना करके उसे मान्यता प्रदान कर दिया।

जापान का यह आक्रामक कार्य राष्ट्रसंघ विधान पर घोर अतिक्रमण था, क्योंकि चीन राष्ट्रसंघ का एक सदस्य था। चीन की सरकार ने राष्ट्रसंघ के विधान की ११ वीं धारा के अनुसार जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से सहायता की याचना की। मंचूरिया पर आक्रमण होते ही चीन की नानकिंग सरकार ने तुरत इसका विरोध किया और उसने तीन दिनों के बाद, २१ सितम्बर, १९३१ को, राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार सारा चीन जापान-विवाद कौंसिल के सम्मुख रखा। जापानी प्रतिनिधि ने कौंसिल को बताया कि जापान चीन के भू-भाग को अपने क्षेत्र में मिलाने का कोई विचार नहीं रखता। जापान और चीन सीधी बातचीत करके ही आपसी झगड़े को तय कर सकते हैं, इसलिए उसने कौंसिल से अनुरोध किया वह कोई कदम नहीं उठाये जिससे इस बातचीत में कोई बाधा पड़े। जापानी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को यह आश्वासन देकर कि उसका असल उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना है, अपने पक्ष में कर लिया। चीन की शिकायत पर कौंसिल में बहस होती रही और ३० सितम्बर, १९३१ को एक प्रस्ताव निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसका उद्देश्य जापान को पीछे हटने के लिए तैयार करना तथा यथास्थिति को पुनर्स्थापित करना था। प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद कौंसिल का अधिवेशन दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

इस बीच में मंचूरिया को छोड़ने के बजाय जापान उसको अपने चंगुल में और कसकर जकड़ने का प्रयास करता रहा। यह स्पष्ट हो गया कि जापान कबल राष्ट्रसंघ विधान का ही उल्लंघन नहीं कर रहा है, अपितु पेरिस पैक्ट और वाशिंगटन नौ राष्ट्रसंघ का भी उल्लंघन कर रहा है। इन दो संधियों का सम्बन्ध

सयुक्तराज्य अमेरिका से भी था। उस देश में जापानी आक्रमण के महत्त्व को समझ जाने लगा। शुरू में कौंसिल ने अमेरिका को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आमन्त्रित भी किया। पर अमरीकी सरकार ने कौंसिल के प्रयत्नों को सराहना करके उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। उसने चीन और जापान दोनों देशों से कूटनीतिक तराकासे से अनुरोध किया कि वे कौंसिल के प्रस्ताव का स्वीकार कर लें। लेकिन, पूर्वाश्रिया की स्थिति गम्भीर हो रही थी और अमेरिका उसका चुपचाप बैठे नहीं देख सकता था। उसने कौंसिल से अनुरोध किया कि यदि अमेरिका का कौंसिल की कार्यवाही में भाग लेने को कोई निमन्त्रण दिया गया तो वह ऐसे निमन्त्रण का स्वागत करेगा। मंचूरिया-प्रश्न पर विचार करने के लिए १४ अक्टूबर को कौंसिल का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ और तुरत ही कौंसिल के मामले यह प्रस्ताव रखा गया कि अमेरिका का वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाय। जापानी प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। लम्बे वाद-विवाद के बाद यह तय हुआ कि अमेरिका को कौंसिल के कार्यों में भाग लेने के लिए बुलाया जाय और १६ अक्टूबर को अमरीकी प्रतिनिधि श्री गिलबर्ट ने कौंसिल में अपना स्थान ग्रहण किया। अमेरिका के इस सहयोग से कूटनीतिक क्षेत्रों में काफी उत्साह बढ़ गया। ऐसा समझा गया कि राष्ट्रसंघ ने जापान को खो दिया तो उसका जगह पर अमेरिका जैसा राष्ट्र उसे प्राप्त हो गया। किन्तु, इस आशा पर तुरत ही पानी फिर गया। अमरीकी प्रतिनिधि ने यह घोषणा की कि वह कौंसिल की कार्यवाही में उसी सीमा तक भाग लेगा जिसका सम्बन्ध पेरिस पैक्ट से होगा। वास्तव में अमरीकी सरकार राष्ट्रसंघ में कोई सक्रिय भाग लेने के लिए अभी तैयार नहीं थी।

इसी बीच कौंसिल में मंचूरिया-प्रश्न पर वाद-विवाद होता रहा। जापानी प्रतिनिधि इस बात पर जोर देता रहा कि मंचूरिया में उसने जो कार्रवाई की है, वह आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गयी है और इसको युद्ध न मानकर 'पुलिश-कार्रवाई' माना जाय। उसने यह कथन अपनाया कि चीन और जापान दोनों देश प्रत्यक्ष वार्ता करके ही इस मामले को तय कर सकते हैं। पर, जब प्रत्यक्ष वार्ता के तरीकों पर बहस होने लगी तो उसमें चीन और जापानों विचार सर्वथा एक दूसरे के विपरीत थे। चीन का कहना था कि किसी बात के प्रारम्भ करने के पूर्व चीन की भूमि से जापानी सेना का हट जाना परमावश्यक है और जापान का कहना था कि वार्ता द्वारा ही सेना हटाने के तरीकों को तय किया जाय। चीन को कौंसिल के अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। २४ अक्टूबर को इस आशय का एक प्रस्ताव कौंसिल के मामले पेश किया गया कि वार्ताएँ चलते के पहले १६ अक्टूबर तक जापान अपनी सेना हटा ले। जापान को छोट्टर प्रस्ताव के पक्ष में सभी सदस्यों ने वाट दिया। समझौते का मांग निश्चित रूप से समाप्त हो चुका था।

१६ नवम्बर को कौंसिल ने इस प्रश्न पर पुन विचार करना शुरू किया । इस वार अमेरिका का प्रतिनिधि कौंसिल की कायवाही में सम्मिलित नहीं हुआ । १६ नवम्बर से १० दिसम्बर तक कौंसिल में इस प्रश्न पर वाद-विवाद होता रहा । अन्त में जापान ने स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका ध्येय पूर्वी एशिया में चीन-जापान गतिरोध को जॉच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करना था । प्रस्ताव में कहा गया था कि "पूर्वी एशिया में एक राष्ट्रसंघ का आयोग भेजा जाय जो घटनास्थल पर जाकर इस बात को जॉच करे कि चीन और जापान के बीच शान्ति भंग होने की आशका पैदा करनेवाला क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है ।" आयोग को स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया था कि वह सम्बन्धित क्षेत्र के सैनिक प्रवन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । १० दिसम्बर का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के प्रतिनिधि इस आयोग के सदस्य बनाये गये । ब्रिटिश-प्रतिनिधि लॉड लिटन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसको लिटन आयोग का नाम से दिया गया ।

लिटन आयोग—घटनास्थल पर पहुँच कर लिटन-आयोग धीरे-धीरे अपना काम करने लगा । इसी बीच २९ जनवरी को दिन जापान ने शंघाई पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया । शंघाई युद्ध की तरफ सतार वा ध्यान आकर्षित करते हुए चीनी सरकार ने यह माँग की कि राष्ट्रसंघ विधान की १० वीं और १५ वीं धारा को जापान के विरुद्ध लागू किया जाय । जापान के आक्रमण पर विचार करने के लिए उसने यह भी अनुरोध किया कि राष्ट्रसंघ-सत्रों का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय । चीन ने अनुभव किया कि कौंसिल में केवल बड़े राष्ट्रों का ही प्रतिनिधित्व है और वे जापान के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहते । एसेम्बली में छोटे राष्ट्रों का जिन्हें आक्रमण का सबसे अधिक भय रहता था, बहुमत था और वे जापान के विरुद्ध कड़ी-स-कड़ी कार्रवाई करने का समर्थन कर रहे थे । चीन ने सोचा कि शायद एसेम्बली द्वारा उसको प्रति न्याय हो । पर, यह आशा भी व्यर्थ ही साबित हुई । १२ फरवरी, १९३२ को यह विवाद एसेम्बली में भेजा गया और ३ मार्च को उसका विशेष अधिवेशन हुआ । इस प्रकार मामला ऐसी जगह पहुँच गया, जहाँ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का वास्तविक जॉच पहले-पहल होने वाला था । अधिवेशन में विश्व शान्ति और सामूहिक सुरक्षा जैसे विषयों पर सुन्दर-सुन्दर भाषण दिये गये । पर इसने अतिरिक्त कोई अन्य व्यावहारिक काम नहीं किया गया । लिटन-आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक एसेम्बली का काम स्थगित कर दिया गया । जापान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई बड़े राष्ट्रों के समर्थन से ही सम्भव थी । बड़े राष्ट्रों में, साक्ष्यित सर्व लोचने रखा गिन्तनी पूर्वी एशिया राजनीति में दिनचर्या था, राष्ट्रसंघ के सदस्य ही नहीं थे और ब्रिटेन जो

बहुत नौ सैनिक कार्रवाई कर सकता था, जापान के उस अथर्वित्र कार्य का नैतिक समर्थन ही कर रहा था। इस दशा में जापान के विरुद्ध कुछ कर सकना कठिन कार्य था। अमेरिका ने ७ जनवरी को 'स्टिमसन सिद्धान्त' प्रतिपादित करके मचूकुओ सरकार को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। कुछ और राष्ट्रों ने अमेरिका का अनुकरण किया। पर, इससे लाभ ही क्या होनेवाला था? उधर लिटन आयोग मन्थर गति से अपना कार्य कर रहा था। इसी समय जेनेवा में निरस्त्रीकरण और लुगान में क्षतिपूर्ति के प्रश्नों पर गम्भीर रूप से विचार हो रहा था। चीन के लिए किसी को फिक्र नहीं थी। उसको अपने भाग्य के ऊपर छोड़ दिया गया।

२ अक्टूबर, १९३२ को लिटन-रिपोर्ट जेनेवा में प्रकाशित की गयी और नवम्बर में वह कौंसिल के समक्ष पेश की गयी। लिटन-रिपोर्ट एक लम्बा-चौड़ा दस्तावेज था और इसमें चीन तथा जापान के सम्बन्धों के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला गया था। आयोग में यह स्पष्ट कर दिया था कि मचूरिया में चीन से अलग होने का कोई जन आन्दोलन नहीं है और मचूरिया को चीन से अलग कर देने का परिणाम बहुत बुरा होगा। चीन और जापान का सम्बन्ध बहुत खराब है और इसको सुधारने तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में दोनों देशों के बीच वार्तालाप होना चाहिए। मचूरिया में जापान का विशेष स्वायत्त है, चीनी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत इस क्षेत्र में स्वायत्त शासन की स्थापना हानी चाहिए।

राष्ट्रसंघ की निष्कपना— २ दिसम्बर, १९३२ को लिटन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ एसेम्बली का एक विशेष अधिवेशन हुआ। राष्ट्रसंघ ने समझौता करने के अनेक प्रयत्न किये, पर १९३३ के आरम्भ में सब आशाएँ विनष्ट हो गयीं। कारण, १ जनवरी को जापान ने फिर से अपनी आक्रामणात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। अन्त में एसेम्बली ने सारे मामले को १९ व्यक्तियों की एक समिति के जिम्मे सुपुर्द कर दिया। इस समिति का समझौता के लिए एक योजना तैयार करने का काम दिया गया। समिति ने इस तरह की कोई योजना प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जो दोनों दलों को मान्य हो। फिर भी इसने सिफारिश की कि चीन और जापान राष्ट्रसंघ की एक समिति के तत्वावधान में जापानी सेना को हटा लेने तथा चीनी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत मचूरिया में स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए वार्ताएँ शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे 'मचूकुओ-सरकार' को मान्यता नहीं दें। इस रिपोर्ट में क्या नहीं कहा गया था या किन बातों की उपेक्षा की गयी थी, वह बात और भी अधिक महत्त्वपूर्ण थी। चीन और जापान दोनों राष्ट्रसंघ के सदस्य थे और इस हैसियत से दाँ १ ने वादा किया था कि वे किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। पर जापान राष्ट्रसंघ के एक सदस्य-राष्ट्र पर खुले तौर से आक्रमण कर उसकी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा रहा था। राष्ट्र

संघ के विधान के अनुसार जापान को आक्रमणकारी घोषित करना चाहिए था और आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक और आर्थिक पाबन्दियाँ लागू करना चाहिए थीं। समिति ने यद्यपि यह अस्वीकार किया कि जापान की सैनिक कार्रवाई पुलिस कार्रवाई है, पर उसने यह नई कहा कि उस देश ने राष्ट्रसंघ विधान का उल्लंघन किया है। यह था अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का एक नमूना। जापान के नगर और लम्बाहीन आक्रमण को केवल इसीलिए भुना दिया गया कि पश्चिम के साम्राज्यवादी बड़े राष्ट्रों का उम्मीद थी कि जापान अतः सोवियत-संघ पर चढ़ाई करेगा। चीन और सामूहिक सुरक्षा के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं था। वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्थान्याय का युग था—बड़ी मछली को छोटी मछली का निगल जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

१० फरवरी को इस समिति को रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी। २१ फरवरी को इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ-सम्मेलन की बैठक हुई। रिपोर्ट पर मत लिया गया और ४२ वोटों से रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी। जापान ने अपना मत नहीं दिया और जापान ने विरोध में अपना मत दिया। सम्मेलन के बाद जैसे ही परिणाम की घोषणा की गयी, जापानी प्रतिनिधियों के नेता ने उसी घण्टी ही बाद एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सम्मेलन के कार्य-वाही पर खेद प्रकट किया। 'राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करना हमारे लिए असम्भव प्रतीत होता है।' जापानी प्रतिनिधि कड़े अस्वीकार के साथ ही सम्मेलन के विरोध में जापानी प्रतिनिधि-मंडल सम्मेलन से हटकर चला गया। इसके एक माह बाद २० मार्च, १९३३ को जापान ने सम्मेलन की सम्मेलन-सूचना को विधिवत सूचना दे दी। सम्मेलन के सम्बन्ध में, जापान को कुछ नहीं।

करने का समय आया तो पीछे हट गये। राष्ट्रसंघ के सदस्यों, पासकर बड़े राष्ट्रों पर राष्ट्रसंघ-विधान को पालन करवाने का मुख्य उत्तरदायित्व था। पर वे शक्तिशाली राज्य की आक्रमणात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में मंचूरिया काण्ड ने राष्ट्रसंघ का सर्वनाश ही कर दिया। सप्ताह में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता छा गयी।

अबीसीनिया-युद्ध

मंचूरिया काण्ड से राष्ट्रसंघ को जबरदस्त धक्का लगा था। जिस समय राष्ट्रसंघ मंचूरिया समस्या में व्यस्त था, उसी समय यह एक और महत्त्वपूर्ण समस्या के समाधान में लगा हुआ था। हथियागबन्दी की होड़ कम करने के लिए १९३२ में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा था। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि निरस्त्रीकरण के सारे प्रयास बेकार हैं और राष्ट्रसंघ इस समस्या के समाधान में कभी सफल नहीं हो सकता है। इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर एक और धक्का लगा। इसी बीच १९३५ में इटली के बानाशाह मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ के एक अन्य सदस्य राज्य अबीसीनिया पर आक्रमण करके राष्ट्रसंघ की बचो हुई महत्ता को सदा सबदा के लिए खत्म कर दिया।

बालबाल की घटना—इटली को विदेश नीति पर विचार करते समय हम अबीसीनिया-युद्ध के कारणों पर भली-भाँति विचार करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना है कि अफ्रिका में इटली के एक विशाल साम्राज्य कायम करने की भावना से प्रेरित होकर मुसोलिनी ने अबीसीनिया पर आक्रमण किया। झूठ एक बहुत ही छोटी मोटी घटना से शुरू हुई था। ५ दिसम्बर, १९३४ को बालबाल ग्राम के निकट अबीसीनिया की एक सैनिक टुकड़ी और सोमालीलैंड में स्थित इटली के एक सैन्य दल में अज्ञानक झूठमेढ हो गयी। इसके परिणामस्वरूप ३० इटालियन सैनिक मारे गये और १०० घायल हो गये। दूसरे पक्ष में हताहतों को सज्जा इससे भी अधिक थी। इस घटना पर दोनों तरफ से विरोध प्रकट किये गये। इटली की सरकार ने अबीसीनिया द्वारा क्षमा-याचना करने और क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम की माँग की। १३ दिसम्बर को अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ-विधान की ग्यारहवीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ से अपील कर दी। उधर इटली भयंकर रूप से सैनिक तैयारी करने लगा।

राष्ट्रसंघ और सऊद—जेनेवा में अबीसीनिया की शिकायत का विरोध करने में फ्रांस ने अग्रणी का काम किया। जर्मनी के विरुद्ध इटली का समर्थन प्राप्त करने के लिए फ्रांस अत्यधिक उत्सुक था। जनवरी, १९३५ में जब राष्ट्रसंघ-कांसिल ने अबीसीनिया की अपील पर विचार करना शुरू किया, तब इटली के प्रतिनिधि ने

८५ धारा के अन्तर्गत बालबाल घटना पर विचार किये जाने की अनावश्यक

बताया। इसके साथ ही उसने यह विचार भी व्यक्त किया कि १९३८ की सन्धि के अधीन इटली समझौता और पंचनिर्णय द्वारा बालबाल समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार है। इस आश्वासन पर कौंसिल ने समस्या पर विचार करना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। पर, सुसोलिनी समझौते द्वारा मामला को तय करना नहीं चाहता था। इटली की तरफ से जोर शोर से सैनिक तैयारियाँ होने लगी। १९३५ के जनवरी से मार्च तक इटली की सेना इरिट्रिया और मोमालीलैंड में प्रवेश करती रही। इसको देखकर किसी व्यक्ति के मन में उसके आक्रामक इरादा के बारे में कोई सन्देह नहीं रहा। इस लम्बी अवधि में इटली को सरकार ने पक्षों की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अबीसीनिया बार-बार राष्ट्रसंघ में अपील करता रहा। पीछे जब पक्षों का नियुक्ति भी हुई तो आधारभूत मतभेद हो जाने के कारण पंचनिर्णय कायवाहियों में गतिरोध पैदा हो गया और मार्च, १७ को अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ विधान की पन्द्रहवीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ में पुनः अपील कर दी।

राष्ट्रसंघ की रूढ़ि — ४ सितम्बर, १९३५ को राष्ट्रसंघ कौंसिल ने १७ मार्च को अबीसीनिया को अपील पर विचार करना प्रारम्भ किया। इटालियन प्रतिनिधि ने राष्ट्रसंघ द्वारा इस अपील पर विचार करने का विरोध किया। इटली के विरोध के बावजूद कौंसिल ने अबीसीनिया के प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया। ११ सितम्बर को ब्रिटेन के नये विदेश मंत्री सेम्युअल होर ने घोषणा की कि ब्रिटिश-सरकार राष्ट्रसंघ विधान के अन्तर्गत स्वीकार किये गये सभी दायित्वा को पूरा करने का इरादा रखती है। जिन लोगों ने सर सेम्युअल के इस भाषण को सुना उनका कहना था कि राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक मापण था। पर, जिन लोगों को सुनने के लिए ये बातें कही गयी थी उन्हें एक जबर्दस्त धोखा दिया जा रहा था। संसार को और खासकर ब्रिटिश-मतदाताओं की आँखों में सर सेम्युअल धूल फेंक रहे थे। उन्हें शायद उस समय यह पता नहीं था कि सुसोलिनो को अबीसीनिया में छूट देने के लिए भीतर ही भीतर बार्तारों भी शुरू हो चुकी थी। पर दुनिया को दिखलाने के लिए ब्रिटेन ने अपना वेड़ा भूमध्यसागर में एकत्र कर दिया।

१ अक्टूबर, १९३५ को सुसोलिनो ने अपनी सेना को अबीसीनिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और ३ अक्टूबर को आक्रमण वाजान्ता शुरू हुआ। ७ अक्टूबर को कौंसिल को एक समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह कहा गया था कि 'इटली ने राष्ट्रसंघ विधान की अवहेलना करते हुए उसका उल्लंघन किया है।' ९ अक्टूबर से ११ अक्टूबर तक राष्ट्रसंघ के लगभग ५० सदस्य इस समस्या पर विचार करते रहे और अन्त में उन्होंने कौंसिल को समिति के निर्णय को मान लिया। राष्ट्रसंघ ने इटली का 'आक्रामक घोषित करके विधान का तोलहवाँ धारा के अनुसार उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक समिति का

सगठन कर दिया। मुसोलिनी ने उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ को घमकी दी। फिर भी, समिति ने राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इटली से अपने सब प्रकार के आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद कर लें और उसे युद्धोपयोगी सामग्री देना बन्द कर दें। राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब आक्रमण के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दियाँ लगाने का निर्णय किया गया।

होर लावाल समझौता - फ्रांस की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उसे अपने एक ऐसे साथी के विरुद्ध पाबन्दियाँ लगानो पड़ी, जिसको उसने हाल ही में अपना मित्र बनाया था। अतः लावाल का यह विचार था कि इटली पर अधिक दबाव नहीं डाला जाय। जेनेवा में उसने सर होर से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया कि इटली के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्रवाई न की जाय। होर ने वादा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार स्वयं-नहर के मार्ग को इटली के विरुद्ध बन्द नहीं करेगी। पर, इस समय सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तेल थी। तेल पर पाबन्दी लगाने से मुसोलिनी के इथोपियाई अभियान की अकाल मृत्यु हो सकती थी। पर, ब्रिटेन और फ्रांस इस पाबन्दी को लगाने देना नहीं चाहते थे। अतएव जब राष्ट्रसंघ की 'पाबन्दी-समिति' (Sanctions Committee) तेल पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार करने लगी तो मुसोलिनी ने घमकी दी कि यदि तेल पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो युद्ध छिड़ जायगा। यह केवल एक धोस थी। इटली अपने ब्रिटेन और फ्रांस से नहीं लड़ सकता था। परन्तु मुसोलिनी की धोस काम कर गयी। लावाल किसी न-किसी वहाँने तेल पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास को स्थगित करता रहा। उसने राष्ट्रसंघ के अन्य प्रयासों का विफल बनाने के लिए सम्म्युअल होर की बातचीत करने के लिए आमन्त्रित किया।

ब्रिटिश विशेष सचिव सर सम्म्युअल होर बहुत ही अनुभवों-युक्त था। ब्रिटेन ने इटली के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सबसे बड़ा समर्थन किया था। मिस्र में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक भी था। सर सम्म्युअल की सम्भवत यह भय ही रहा था कि निराशा की स्थिति में कहाँ मुसोलिनी ब्रिटेन पर आक्रमण न कर बैठे, क्योंकि पाबन्दी लगवाने में ब्रिटेन का ही सबसे प्रमुख हाथ था। हार को पूर्ण विश्वास था कि ऐसे युद्ध में ब्रिटेन की विजय निश्चित होगी। पर, तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर वह इस प्रकार के युद्ध का मोल लेना नहीं चाहता था। ब्रिटेन के प्रतिद्वन्द्वी बड़े जोर-शोर से अपनी शैनिक शक्ति उड़ा रहे थे। ऐसी स्थिति में अबीसीनिया को लेकर इटली के साथ युद्ध माल लेना सर सम्म्युअल को ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था। वह समझता था कि इटली ने ठीक ही गलत काम किया है। पर अबीसीनिया को लेकर उसके साथ युद्ध मोल लेना ब्रिटेन के हक में कभी अच्छा नहीं होगा। इसी विचार से प्रेरित होकर वह ब्रिटिश नीति का निर्धारण

राष्ट्रघ में इटली के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई को रोकना फ्रांस का काम था। अबीसीनिया में युद्ध चल रहा था। युद्ध के प्रथम तीन मास इटली के लिए इतने अच्छे नहीं रहे जैसी आशा की गयी थी। दिसम्बर, १९३५ में फ्रांस को यह आशका हो गयी कि यदि इटली अबीसीनिया में असफल हुआ तो यूरोप की स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। फ्रांसीसियों के लिए इटली की हार सीधा अर्थ था उसकी सहानुभूति से सदा के लिए हाथ धो देना। अतएव लावाल ब्रिटिश विदेश-सचिव सर सेम्युअल होर से एक ऐसा समझौता कर लेना चाहता था जिससे इटली की किसी खास कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उसने गुप्त रूप से मुसोलिनी को इस आशय का आश्वासन भी दे दिया। दिसम्बर, १९३५ की कुख्यात होर-लावाल-समझौते की यही पृष्ठभूमि थी।

दिसम्बर में सर सेम्युअल होर फ्रांसीसी विदेश मन्त्री लावाल से मिलने के लिए पेरिस गया। दोनों ने मिलकर इटली और अबीसीनिया के सामने प्रस्तुत करने



इटली द्वारा अबीसीनिया-विजय

के लिए एक 'शान्ति-योजना' तैयार की। इस योजना के अनुसार यह कि अभी तक इटली को सेना अबीसीनिया क जिन क्षेत्रों पर आक्रमण

उमसे भी काफी अधिक क्षेत्र को दे दिया जाय। इसके बदले में अबीसीनिया को समुद्र-तट तक निकास के लिए लाल सागर पर एक बन्दरगाह दे दिया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह समझौता सम्पूर्ण मसारा और राष्ट्रसंघ की सभी आदर्शों के प्रति महान् विश्वासघात था। अबीसीनिया को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए सम्भवतः इस समझौते का उचित ठहराया जा सकता था। पर, उस समय तक इटली की सफलता की कोई खाम सम्भावना नहीं दिखाई पड़ रही थी। सर सेम्युअल ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि यह युद्ध लम्बा और अनिर्णायक रहेगा और उसके बाद समझौते से फैसला होगा। पर, सर सेम्युअल मुसोलिनी को प्रोत्साहित करने पर तुल्य हुआ था। दोनों विदेश मन्त्रियों के बीच यह तय हुआ कि जब तक इस योजना पर और अधिक विचार न हो जाय तब तक इसे गुप्त रखा जाय। इसके बाद सर सेम्युअल अपनी बातचीत के परिणाम को लंदन भेजकर छद्मो मनाने स्वित्जरलैंड चला गया।

अधिक दिनों तक इस बुख्यात योजना को गुप्त नहीं रखा जा सका। लावाल ने तुरत ही इस योजना को फ्रांसीसी अखबारों को बतला दिया। दूसरे ही दिन सारी योजनाएँ अखबारों में छप गयीं। ब्रिटिश जनता में रोष और विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। वहाँ के लोगों ने महसूस किया कि उनकी सरकार द्वारा अबीसीनिया और राष्ट्रसंघ के आदर्श के प्रति विश्वासघात किया गया है। इस योजना का अर्थ मुसोलिनी के काले कारनामों में सहायता पहुँचाना था। ब्रिटिश जनमत ने इस समझौते का घोर विरोध किया कि सर सेम्युअल होर को अपने पद से इस्तीफा देना पडा। उसके बाद श्री ईडन ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने। इस घटना के बाद हार-लावाल योजना की कोई चर्चा सुनाई नहीं पडी। यह योजना तो मर गयी, पर इसका प्रभाव उन देशों पर पड़े बिना नहीं रह सका जिन्होंने अभी तक राष्ट्रसंघ में विश्वास किया था। बड़े राष्ट्रों के विश्वासघाती कारनामों के फलस्वरूप यह विश्वास जाता रहा।

अबीसीनिया का युद्ध — जून और नये अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित इटली की सेनाओं के सामने अबीसीनिया का टिक सकना अमम्भव था। उसकी सेना अबीसीनिया में निरन्तर आग बढ़ती गयी। अबीसीनिया की मदद देने की यात तो दूर रही, ऐसे अनेक उपाय किये गये जिससे वह पूर्णतया अपनी आत्मरक्षा न कर सक। ब्रिटिश सरकार ने अस्त्र-शस्त्र भेजना बन्द कर दिया। अमेरिका की सैनिक सहायता भी अबीसीनिया को प्राप्त नहीं हो सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए अगस्त १९३५ में अमेरिका कांग्रेस ने अनेक 'तटस्थता नियम' पास किया जिसके अनुसार युद्धरत देशों की अमेरिकी शस्त्राशस्त्र मिलना बन्द हो गया।

कानून से इटली को तो कोई घाटा नहीं हुआ, पर शक्तिहीन अबीसीनिया

को अमरीकी अस्त्र शस्त्र मिलना बन्द हो गया। प्रत्येक दृष्टिकोण से अबीसीनिया अकेला पड़ गया और ऐसी स्थिति में उनकी पराजय निश्चित थी। इटली ने कवल आक्रमण ही नहीं किया, बल्कि अन्तराष्ट्रीय नियमों और पासकर युद्ध सम्बन्धी नियमों का उसने खुलेआम उल्लंघन भी किया। विमानों से ऐसी विपाक गैसें गिरायीं गयीं तथा दमदम के बने उन गालियों का प्रयोग किया गया जिनका व्यवहार युद्ध-नियम के अनुसार निषिद्ध था। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक जगह अबीसीनिया की सेना हारने लगी। २ मई, १९३६ को सम्राट् हाइले सिलेसी राजघराने छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तीन दिनों के बाद इटालियन सेना आदिस-अबावा में प्रवेश कर गयी। ९ मई को अबीसीनिया इटली के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अब विश्व ल अफ्रीकी साम्राज्य का सुमालीनी का स्वप्न पूर्ण हो गया।

प्रतिषेधों का अन्त—यदि अबीसीनिया को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता और राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार उसकी सहायता की गयी होती तो सुमोलिनी की आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। हाइले सिलेसी को विश्वास होकर अपना देश छोड़ देना पड़ा। जेरूसलम से उसने राष्ट्रसंघ के महासचिव का तार देकर यह सूचित किया कि 'इथियोपियावासियों को सवनाश से बचाने के लिए मैं राजघराने छोड़ चुका हूँ। उसने राष्ट्रसंघ से पुनः अपील की कि वह अबीसीनिया की विजय को मान्यता नहीं दे और राष्ट्रसंघ विधान की मर्यादा कायम रखने के लिए अभी भी प्रयास करे। ११ मई को राष्ट्रसंघ-कौंसिल की बैठक हुई। इटली के प्रतिनिधि ने अबीसीनिया के प्रतिनिधि की उपस्थिति पर आपत्ति की। अबीसीनिया ने मालहबी घारा के अन्तर्गत कारवाँ करने की माँग की, पर कौंसिल कोई कदम उठाने में लाचार थी। एक के बाद दूसरा देश प्रतिबन्ध उठा रहा था। अन्त में कौंसिल ने सारा विवाद एसेम्बली के जिम्मे सौंप दिया। पश्चिमी राष्ट्र अबीसीनिया के प्रति अब किसी प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक नहीं थे।

३० जून को एसेम्बली की बैठक शुरू हुई। सम्राट् हाइले सिलेसी स्वयं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जेनेवा आया। एसेम्बली में उसने एक जबरदस्त भाषण दिया पर इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोवियत प्रतिनिधि की छोड़कर किसी ने अबीसीनिया का समर्थन नहीं किया। उसकी सभी माँगों को अस्वीकृत कर पायन्वी हटा दी गयी, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का तिरस्कार कर दिया गया और अबीसीनिया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। ११ जुलाई को अबीसीनिया को अभी भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसके विराध में ३८ राष्ट्रसंघ का बहिष्कार कर दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस का अन्तिम १५

था कि अबीसीनिया को राष्ट्रमण्ड से निकालकर इटली को राष्ट्रमण्ड में पुनः वापस लाया जाय। जिस तरह हेनरी चतुर्थ पोप से माँफी माँगने केनोसा गया था उसी प्रकार राष्ट्रमण्ड के महासचिव मि० एवनोल मुसोलिनी से क्षमा माँगने रोम गये। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयास से अबीसीनिया राष्ट्रमण्ड से निकाल दिया गया। नवम्बर, १९३८ में ब्रिटेन और फ्रांस ने अबीसीनिया पर इटालियन आधिपत्य की मान्यता दे दी। इसके केवल उन्नीस महीनों बाद मुसोलिनी ने इन दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके दस मान्यता का समुचित उत्तर दे दिया।

अबीसीनिया-कण्ड के परिणाम—इसमें कोई सन्देह नहीं कि इटली के नग्न और निर्लज्जता पूर्ण आक्रमण ने सारे ससार पर अपना गहरा असर डाला। प्रोफेसर गेथोर्न हार्डी के कथनानुसार इस घटना से युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आरम्भ होता है। इटली की विजय राष्ट्रमण्ड पर एक साधातिक आघात था और इसके फलस्वरूप राष्ट्रमण्ड का रक्षा-सहा प्रभाव भी जाता रहा। इस कण्ड से उसे ऐसा धक्का लगा जिससे वह कभी सन्तुलन नहीं सका। छोटे छोटे राष्ट्र, जो राष्ट्रमण्ड और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर आश्रित थे, उनका विश्वास सदा के लिए राष्ट्रमण्ड पर से उठ गया। राष्ट्रमण्ड-जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के लिए यह घटना बहुत बड़ी विपत्ति थी। वस्तुतः यह अबीसीनिया का स्वतन्त्रता का नहीं स्वयं राष्ट्रमण्ड की हत्या थी।

राष्ट्रमण्ड और स्पेन का गृह-युद्ध

मुसोलिनी के साधातिक प्रहार से राष्ट्रमण्ड बच नहीं सका। इसी बीच स्पेन में गृह-युद्ध (१९३७) शुरू हुआ। जनरल फ्रांको के नेतृत्व में स्पेन के प्रतिक्रियावादी नरत्वों ने उदारवादी गणतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके एक भयंकर गृह युद्ध का सृजना किया। अबीसीनिया में विजय के बाद मुसोलिनी के हौसले बहुत बढ़ चुके थे। राष्ट्रमण्ड की कमजारी स्पष्ट हो चुकी थी। स्पेन के गृह-युद्ध में उसने जर्मनी की सहायता करके जनरल फ्रांको को मदद करना शुरू किया। इससे गणतन्त्रीय सरकार की स्थिति बहुत खराब हो गयी। उसने राष्ट्रमण्ड से सहायता की याचना की। लेकिन सहायता देने की बात दूर रही, इंग्लैंड और फ्रांस ने राष्ट्रमण्ड से पृथक् एक अहस्तक्षेप समिति (non intervention committee) की स्थापना करके उसे शस्त्र और मृणु देन पर पाबन्दी लगा दी। इस समय इन दोनों क्षेत्रों का यूरोप के तानाशाही से कोई भय नहीं था। उन्हें जो भय था वह साम्यवादियों से और इस भय ने इन देशों को इतना अन्धा बना दिया था कि वे अपना स्वायत्त नहीं देख सकते थे।

स्पेन का सरकार के लिए अहस्तक्षेप की नीति अत्यन्त अन्यायपूर्ण थी। ११ मई, १९३८ को उसने राष्ट्रमण्ड से इसका अन्त करने और विदेशों से शस्त्रा-

शस्त्र खरीदने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। केवल रूस ने इसका समर्थन किया। लेकिन ब्रिटन, फ्रांस, आदि देशों के कारण अहस्तक्षेप की नीति समाप्त करने का अनुरोध अस्वीकृत हो गया। नतीजा हुआ कि फ्रैंकों का दल यह-युद्ध में जीत गया और राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्यों से शुरुआत ही उनकी मान्यता मिल गयी। यह भी राष्ट्रसंघ को एक महान् असफलता थी।

अत्येष्टि क्रिया—इसके बाद राष्ट्रसंघ का पतन अत्यन्त तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। जुलाई, १९३७ में आपान ने युद्ध को घाघरा किये बिना चीन पर फिर से जबरदस्त हमला कर दिया। इसपर चीन के प्रतिनिधि ने चीन के विरुद्ध १६ वीं और १७ वां धाराओं के अनुसार जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने को माँग की। लेकिन राष्ट्रसंघ के सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस समय तक हिटलर सम्पूर्ण आस्ट्रिया को निगल गया। चीन के साथ कितनी को सहायता नहीं रह गयी थी। इस स्थिति में चीन के प्रतिनिधि बर्लिन गये तो राष्ट्रसंघ के विषय में ठीक ही कहा था वह “मिस्र का ममी की तरह सम्पूर्ण भाग ऐशियन के साधनों से सम्पन्न होता हुआ भी निर्जीव हो चुका है।”*

राष्ट्रसंघ का गला अत्यन्त असम्मानपूर्वक घोंटा गया। सितम्बर, १९३८ में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया का अन्त कर दिया और राष्ट्रसंघ इसके विरुद्ध कुछ न कर सका। इसके एक वर्ष बाद पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। हिटलर के आक्रामक कारवाइयों से भयभीत होकर आत्म-रक्षा की तैयारी में ३० नवम्बर, १९३९ को सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ विधान की ११ वीं और १७ वीं धाराओं के अनुसार फिनलैंड ने राष्ट्रसंघ में शिकायत की और इस वार राष्ट्रसंघ ने बड़ी तत्परता से काम किया। अजैन्टाइन के प्रस्ताव पर आक्रमणकारी सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया। इसपर चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि “चीन के मामले में ऐसा नहीं किया गया।” तात्पर्य यह है कि जापान (और जर्मनी तथा इटली) ने राष्ट्रसंघ के नियमों का भोषण उल्लंघन किया था, पर इसके विरुद्ध कभी ऐसी प्रस्ताव नहीं लाया गया। किन्तु इस समय राष्ट्रसंघ के अधिकांश सदस्य १९१९ के कट्टर विरोधी थे, उसने फासिस्टवाद से अधिक भयकर ममकते थे, यद्यपि १९३९ तक रूस ही एक ऐसा देश था जिसने राष्ट्रसंघ के नियमों का पालन करते हुए उससे सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रभावशाली बनाने का यत्न किया था।

* To be no more than an Egyptian mummy de...
all the luxuries and splendours of living but devoid of...

—Schuman, op cit p 226

† Ibid, p 226

पर, फिनलैंड का इस प्रस्ताव से कोई मदद नहीं मिली। राष्ट्रसंघ विलकुल प्राणहीन था।

दन्त में राष्ट्रसंघ को दफनाने का काम १९४६ में किया गया। २ अप्रिल को उसका अधिवेशन जेनेवा में शुरू हुआ और ९ अप्रिल को एसेम्बली ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करके राष्ट्रसंघ का विघटन कर दिया।

राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी थी कि वह ससार में शान्ति कायम रखेगा। लेकिन जब समय बीतने लगा और परीक्षा का अवसर आया तो राष्ट्रसंघ एक शक्तिहीन सस्था साबित हुआ। जहाँ तक छोटे छोटे राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों का प्रश्न था, राष्ट्रसंघ को उनमें कुछ सफलता मिली, लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया तो राष्ट्रसंघ कुछ भी नहीं कर सका। जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और इटली ने अबीसीनिया पर हमला किया पर राष्ट्रसंघ उनकी रोकने में विलकुल असमर्थ रहा। अधिनायकों को पता चल गया कि राष्ट्रसंघ विलकुल शक्ति हीन सस्था है और वे जो चाहे कर सकते हैं। इस हालत में शान्ति स्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ का नफल होना असम्भव था। इसकी असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे -

१- वसाय संधि से सम्बद्ध होना—नौरमन बन्टविच ने लिखा है “राष्ट्रसंघ एक कुख्यात माता की कुप्रतिष्ठित पुत्री थी।” इसका जन्म वसाय की संधि के द्वारा हुआ था। अतएव युद्धोत्तर विश्व के “अल्प राज्य” इसकी विजेताओं का संधि मानते थे और उसके प्रति वैसी ही घृणा रखते थे जैसी ही वसाय सन्धि के प्रति। राष्ट्रसंघ के लिए यह दुर्भाग्य था कि उसका जन्म एक ऐसी संधि के द्वारा हुआ जो विजितों के लिए घृणा का पात्र थी।

२- सयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग—राष्ट्रसंघ के लिए एक और दुर्भाग्य यह हुआ कि उसके सबसे बड़े समर्थक सयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके साथ सहयोग नहीं किया। राष्ट्रसंघ की स्थापना विल्सन के सद्प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। लेकिन अमेरिका को सिनेट ने इसकी सदस्यता का इन्कार कर दिया और इस कारण राष्ट्रसंघ अपने प्रथम मस्यक के सहयोग से वंचित हो गया। जैसा कि गौयण हार्डी ने कहा है “एक बालक यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की भाँति छोड़ दिया गया था जिसके चेहरे माँहरे पर उसकी अमरीकी पेटृकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी।”

* An infant has been abandoned on the door steps of Europe whose every feature unmistakably proclaimed its trans Atlantic paternity
Gathorne Hardy *A Short History of International Affairs*
p 505

की प्रथम २६ धाराएँ राष्ट्रसंघ का विधान थीं। इस प्रकार यह वसूय सन्धि का अभिन्न अंग बन गया था। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि “यह वसूय सन्धि का सम्मानित बेटी” थी। इसके कारण राष्ट्रसंघ की बड़ी बदनामी हुई। जो देश पराजित थे राष्ट्रसंघ को शान्ति संधियों द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्थाओं का सारक्षक मानते थे। राष्ट्रसंघ का नाम वसूय व्यवस्था से जुट गया था और पराजित देशों के लागू इसे “विजेता राष्ट्रों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि का यन्त्र” मानते थे। उद्ये यथास्थिति को बनाये रखने वाले पश्चिमी राष्ट्रों का गुट और पड़यन्त्र समझा जाने लगा। राष्ट्रसंघ के मुख्य संस्थापक राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात की व्यवस्था की थी कि राष्ट्रसंघ आवश्यकता पडने पर संधियों में संशोधन करे, लेकिन फ्रांस के नतुत्व में उन सभी राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ में शान्ति संधियों के संशोधन का विरोध किया। चूँकि वहाँ उनका बहुमत था, इसलिए राष्ट्रसंघ किसी तरह का संशोधन कार्यान्वित नहीं कर सका। इस प्रकार, राष्ट्रसंघ कई देशों के निगाहों में वसूय व्यवस्था को कायम रखनेवाला सगठन मान रह गया और जो देश संधि के विरोधी थे उन्होंने मौका मिलने पर इस सस्था को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोटा रखा। इसी आधार पर जर्मनी, इटली और जापान राष्ट्रसंघ से निकल गये।

३ राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों में अविश्वास—किसी भी सगठन की सफलता की एक शत है—उसके सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास। राष्ट्रसंघ को अपने समर्थकों से विश्वास प्राप्त नहीं हो सका और इसलिए उसकी विफलता निश्चित थी। हॉन्स ने लिखा था कि अपने द्वारा दिये गये वचनों का पालन सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक होता है। इसके अभाव में आदमी “प्राकृतिक अवस्था” में चला जाता है। जिस समय राष्ट्रसंघ का निर्माण सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का प्रति प्रादन बड़े जोर में किया गया, राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने उसके विधान पर हस्ताक्षर करके इस बात का वचन दिया कि वे आपस में मिल जुलकर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के आधार पर सदस्य राज्यों की राजनीतिक स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखंडता को बनाये रखेंगे और यदि कोई राज्य विधान का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध सम्मिलित रूप से कार्रवाई करेंगे। यह भी स्पष्ट था कि राष्ट्रसंघ की सफलता महान् राज्यों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करगी। लेकिन जब इस वचन का पालन करने का समय आया तो ये महान् राज्य अपने दिये गये वचन से विमुख होने लगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर से वे बराबर राष्ट्रसंघ और विश्व शान्ति की दुहाई देते रहे लेकिन भीतर-ही भीतर वे राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का हनन करते रहे। उनका आचरण पीठ की तरफ से छूरा भोजने वाली कहावत की चरिताय करती थी। जब जापान ने

मशूरिया पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसी नीति का अनुसरण किया। चीन को बचाने का कोई उपाय नहीं किया। फिर असीनिया में इटली का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने दिखावटी आर्थिक प्रतिबन्ध अवश्य लगाया, लेकिन यह दोग क सिवा कुछ और नहीं था। एक तरफ तो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया गया, दूसरी ओर से यह प्रयास भी होने लगा कि किस तरह इस आर्थिक प्रतिबन्ध को बेकार कर दिया जाय इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन में एक गुप्त समझौता हुआ और यह तय किया गया कि सुमोलिनी के कुकर्मों को रोका नहीं जाय। हिटलर के साथ सुमोलिनी मिले नहीं, इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि सुमोलिनी के अफ्रिका में साम्राज्य निर्माण के प्रयत्न में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाय। १९३५ में इंग्लैंड में चुनाव हुआ था। इसमें बाल्डविन ने राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा का नाम पर कसम खायी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसकी ओर से असीनिया के साथ विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। फ्रांस तो दो बंदम और आगे बढ़ गया। फ्रांसीसी प्रधान मंत्री लावाल किमी भी मूल्य पर इटली की मित्रता पाने के लिए उत्सुक था। दुनिया का दिखाने के लिए यह विश्वासघाती राजनेता तो राष्ट्रसंघ के विधान में पूरी निष्ठा रखने का दोग करता रहा, लेकिन आर्थिक प्रतिबन्ध का व्यर्थ करने में उसने अधिकतम प्रयास किया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ के मुख्य कणधार ही उसकी असफल बनाने पर तूले हुए थे। ऐसी हालत में राष्ट्रसंघ यदि सफल हो जाता तो वही आश्चर्य की बात होती। शमैन ने लिखा है - "संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धान्तों का प्रति निष्ठा, विश्वास और साहस होता। किन्तु उनमें इसका सर्वथा अभाव था। अतएव जेनेवा की भली के तट पर एरियाना पार्क में निर्मित उसका भव्य महल शीघ्र ही उसका सुन्दर समाधि स्थल बन गया।"*

संघ के प्रति विभिन्न राज्यों के विभिन्न दृष्टिकोण — राष्ट्रसंघ विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग का एक साधन था। इसकी सफलता की एक शर्त थी कि इसमें सम्मिलित राष्ट्र अपने भेद-भाव को भूलकर संघ को सफल बनावें। लेकिन उसमें इस भावना का नितान्त अभाव था। सभी राष्ट्रों का अपना अपना दृष्टिकोण था और वे विभिन्न दृष्टिकोण से राष्ट्रसंघ को देखते थे। फ्रांस इसकी

* "The Governments of democratic great powers upon which the future of the League depended fell into the hands of those who were utterly lacking in the loyalty, wisdom and courage through which alone the League could survive by fulfilling the dreams of its founders, 'The League's white palace in Ariana Park' by the shores of Geneva's Lake Leman therefore became, in the end, a sepulcher" Schuman, op cit, p 313

जर्मनी में अपनी सुरक्षा का एक माधन मानता था। उसके विचार में इस सस्था का काम जर्मनी पर निबन्धन रखना था। वह इसे सार्वभौम सुरक्षा का संगठन कभी नहीं मानता था। उसका हमेशा यही प्रयास रहता था कि सध को यूरोप में स्थापित वसाय व्यवस्था का बनाये रखने का एक प्रभावशाली साधन बनाया जाय और इसके माध्यम से जर्मनी को कुन्ना जाय।

ब्रिटेन का उद्देश्य भी बहुत सकीण और मकुचित था। यह एक ऐसे विजय-यापि साम्राज्य का मालिक था जिसमें सय कभी अस्त नहीं हाता था और उसका उद्देश्य इसी साम्राज्य की रक्षा करना था। वह कभी भी नहीं चाहता था कि राष्ट्रसघ कभी ऐसा कोई काय करे जिसमे उसक साम्राज्य पर खतरा उत्पन्न हो जाय। इस समय उसने साम्रज्य पर सबसे बडा खतरा सोवियत साम्यवाद का था। अतएव उसके समक्ष राष्ट्रसघ का सफल बनाने की चिन्ता नहीं बरन् साम्यवाद को कुचलने की चिन्ता थी। मचुरिया पर जापान के आक्रमण को उसने इसी उद्देश्य से माफ किया जिसका राष्ट्रमघ पर साघातिक प्रभाव पडा।

जर्मनी का दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय हित के रग मे रगा हुआ था। शुरू में जर्मनी को राष्ट्रसघ में शामिल नहीं किया गया। अतएव उसमें राष्ट्रसघ के प्रति कभी सहानुभूति उत्पन्न नहीं हुई। वह आरम्भ से ही इसको विजेताओं का सघ मानता आ रहा था। जब १९२६ में वह इसका सदस्य बना तो उसका मुख्य उद्देश्य वसाय सन्धि में राष्ट्रसघ द्वारा परिवर्तन करना था। वह बराबर इसी समस्या में व्यस्त रहा। बाद में जब हिटलर आया तो राष्ट्रसघ उसकी आँखों का काँटा बन गया। नात्सीवाद के सिद्धांतों से राष्ट्रसघ के सिद्धान्तों में मेल नहीं हो सकता था। हिटलर की आकांक्षा विश्व पर जर्मनी की प्रभुता कायम करने की थी, इस मार्ग में राष्ट्रसघ उसका बाधक था। अतएव वह शुरू से ही इस सस्था का विरोधी रहा।

राष्ट्रसघ की रूस का समर्थन भी नहीं मिल सका। शुरू में रूस के साथ जैसा व्यवहार किया गया उस दृष्टि से रूस का ऐसा दृष्टिकोण स्वाभाविक था। अतएव १९१९ में ही रूसी नेताओं ने यह कह दिया कि "राष्ट्रसघ जनकाति को दवाने के लिए दुर्लुआ वर्ग का अपवित्र सघ है।" बाद में कई घणों तक भी रूस के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मोवियत नेताओं की दृष्टि में यह "पिछली दशाब्दी की सबसे निर्लज और चोरों की बनाई हुई बनाय-सन्धि की स्रज" ही बना रहा। १९३४ में रूस राष्ट्रसघ का सदस्य बन गया लेकिन इसका तात्पर्य यह न था कि राष्ट्रसंघ में उसका विश्वास हो गया। जर्मनी में हिटलर के उदय से भयभीत होकर वह सघ में शामिल हुआ था लेकिन इस समय भी पश्चिमी राष्ट्रों ने उस पर विश्वास नहीं किया। अतएव सघ के प्रति उसकी पूरी आस्था कभी नहीं हुई।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संघ के सम्बन्ध में विभिन्न महाशक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण थे। वे इसे अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का साधन मात्र मानते थे। जब कभी उनके हितों और संघ के सिद्धान्तों में विरोध होता था, वे संघ के सिद्धान्तों का ही इनकार करते थे। इस हालत में राष्ट्रसंघ को असफल होना ही था।

जहाँ तक छोटे राज्यों का सम्बन्ध है, उनका पार्ट भी निन्दनीय ही रहा। वे बड़े राष्ट्रों का ही अनुकरण करते रहे। इसके अतिरिक्त उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था।

5 **आर्थिक मन्दो** — अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास सन्तोष के वातावरण में होता है। इसके लिए जनता की सन्तोषजनक आर्थिक दशा परम आवश्यक है। लेकिन १९३० में जो भीषण आर्थिक संकट पैदा हुआ उसने राष्ट्रसंघ को भाग्य का फौसला ही कर दिया। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए विश्व के देशों में सकुचित राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। आर्थिक प्रतिबन्ध और संरक्षण की नीति आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक माने जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सारी बातें हवा में उड़ गयीं। यह परिस्थिति राष्ट्रसंघ के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ।

6 **अधिनायकवाद का विकास** — विश्व शान्ति की कल्पना जनतन्त्र के वातावरण में ही हो सकती है। राष्ट्रसंघ की स्थापना इस भरोसा पर की गयी थी कि इसके सभी सदस्य-राज्य शान्ति तथा स्वतन्त्रता के प्रेमियों होंगे और वे जो भी काम करेंगे उन पर लोकतन्त्रवाद का प्रभाव रहेगा। इसका आधार सुलह-समझौता और वाद-विवाद था। राष्ट्रसंघ की पूरी नींव इसी विश्वास पर आधारित थी। लेकिन यूरोप ने राष्ट्रसंघ को जबरदस्त धोखा दिया। कई देशों में अधिनायकवाद का उदय हुआ और लोकतन्त्र का भविष्य खतरों में पड़ गया। हिटलर और मुसोलिनी के उत्कर्ष ने राष्ट्रसंघ को पगु बना दिया। इन दोनों व्यक्तियों के सिद्धान्त युद्ध को आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास पार्श्विक बल की शक्ति पर था, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर नहीं। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते थे। वे हमेशा अपने उद्देश्य की प्राप्ति पर धुले रहते थे, “भले ही यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो उसकी सहायता के बिना हो या उसका विरोध करके ही” (with Geneva, without Geneva or against Geneva), इस अवस्था में संघ के सफल होने की आशा दूरस्थ-मात्र थी।

* “The role of the lesser members of the League in this sordid sequence of events was that of a flock of sheep deceived by jackals in sheep's clothing” Schuman, op cit p 317

७ अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव— किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता के लिए लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार में अभी इस दृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ था और इसलिए राष्ट्रसंघ का पतन अवश्यम्भावी था।*

८ संगठन की श्रुतियाँ —इन कारणों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ में संगठन की अनेक श्रुतियाँ विद्यमान थीं। सर्वप्रथम यह एक अखिल विश्व संघ नहीं था। आरम्भ से ही सायुक्त राज्य अमेरिका इससे अलग हो गया। इससे राष्ट्रसंघ के प्रभाव को बहुत बड़ा धक्का लगा। जिस समय राष्ट्रसंघ का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर था, उस समय भी यह एक विश्वव्यापी संस्था नहीं हो सका। एसेम्बली के प्रथम अधिवेशन में अर्जेन्टाइना के प्रतिनिधि ने यह सुझाव रखा कि विश्व के सभी राज्यों को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाय। इससे राष्ट्रसंघ की महत्ता बढ़ जाती और वह एक विश्व-व्यापी संस्था बन जाता, लेकिन यह सुझाव नहीं माना गया। यह सम्भव भी नहीं था। राष्ट्रसंघ के पास वैसी कोई शक्ति नहीं थी, जिसके द्वारा वह उन राज्यों को सदस्य बनने के लिए विवश कर सकता था, जो इसका सदस्य होना नहीं चाहते थे।

राष्ट्रसंघ के विधान का एक दूसरा दोष यह था कि उसमें सदस्यता समाप्त करने की व्यवस्था कर दी गयी थी। कोई भी सदस्य दो वर्ष पूर्व सूचना देकर राष्ट्रसंघ से पृथक् हो सकता था। यह एक बहुत बड़ा दोष था और इसीलिए सायुक्त राष्ट्रसंघ में इस शक्ति को नहीं अपनाया गया। समय पाकर ब्राजील, कोस्टारिका, जापान, जर्मनी और इटली राष्ट्रसंघ से पृथक् हो गये। बड़े बड़े राष्ट्रों के पृथक् हो जाने से राष्ट्रसंघ को ख़ास तौर से धक्का लगा।

सर्वसम्मति या मतैक्य का सिद्धान्त राष्ट्रसंघ के विधान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। राष्ट्रसंघ के सभी निर्णयों को एसेम्बली में उपस्थित सभी सदस्य राज्यों की सहमति का मिलना आवश्यक था। स्पष्ट है कि इस तरह के सिद्धान्त से कोई काम नहीं चल सकता है। वैधानिक तौर पर राष्ट्रसंघ किसी भी राज्य को दया नहीं सकता था। इस तरह एकमत का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त विधान में सशोधन लाने के लिए भी सर्वसम्मति आवश्यक थी। राष्ट्रसंघ के संगठन में यह एक महान् श्रुति थी।

* 'Actually the League of Nations could not fulfil the dreams of its founders so long as nations thought exclusively of their own national ambitions. Each nation state seemed to possess a provincial mind in a planetary era and as Professor Gooch has wisely observed, international institutions without international mind are as hollow as democracies without public spirit.'

राष्ट्रसंघ एक असहाय संस्था थी। अपराधी को ठीक रास्ते पर लाने के लिये शक्ति की आवश्यकता होती है। पर राष्ट्रसंघ के पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई, जल या थल सेना नहीं थी जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को भंग करनेवालों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर सके। अगर राष्ट्रसंघ के पास अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की समुचित व्यवस्था होती तो सम्भव था कि आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता।

इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रसंघ की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका सदस्य राज्यों के चन्दा पर निर्भर करना पड़ता था, कर लगान का कोई अधिकार नहीं था। अर्थात् से राष्ट्रसंघ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रसंघ के विधान में एक और दोष यह था कि वह सदस्य-राज्यों के आन्तरिक-मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह दोष संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी विद्यमान है। नतीजा यह होता था कि सदस्य-राज्य राष्ट्रसंघ का उपेक्षा करने के लिए वैसी बातों को भी आन्तरिक मामलों के अन्तर्गत रख लेते थे जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से रहता था। यह शर्त कोई बुरी नहीं थी, लेकिन विधान के द्वारा इसकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी।

राष्ट्रसंघ का अन्त—राष्ट्रसंघ कभी भी सावभौम संघ नहीं बन सका। शुरू में ही कई देश इसके सदस्य नहीं बने या नहीं बनाये गये। लेकिन १९२५ से राष्ट्रसंघ को सदस्यता छोड़ने का ताता बँध गया। १ जनवरी १९२५ को कोस्टारिका इससे पृथक् हो गया। १२ जून १९२६ को ब्राजील ने भी संघ छोड़ने की नोटिश दे दी। इनके बाद जापान और जर्मनी (१९३३) की वारो आयी। १९३५ में परागुए ने भी यही किया। इसके बाद ता मारो राष्ट्रसंघ से निकल जाने के लिए राष्ट्रों में होड़ मच गयी। गुआटेमाला, होन्डुरस, नाइकारागुआ, सलवाडोर, इटली, चीन, वेनुजुला, पेरू, अल्बेनिया, स्पेन और रूमानिया सब-के-सब राष्ट्रसंघ से निकल आये। राष्ट्रसंघ में सदस्यों की अधिकतम संख्या ६२ रही थी। १९३८ के अन्त में यह संख्या घटकर ४९ हो गयी। १९३९-४० में राष्ट्रसंघ के कई सदस्य आक्रमण के शिकार हुए और उनका स्वतन्त्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया। १९३९ में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ से 'निकाल' दिया गया। अन्त में इसमें केवल ३१ शक्तिहीन राज्य रह गये जिनमें केवल ब्रिटेन एक महान् राज्य था। १६ मई १९४० को महासचिव एविनल ने सचिवालय के सभी पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया और स्वयं इस्तीफा दे दिया। अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संघ का कार्यालय जेनेवा से हटकर टारान्टा चना गया। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश तिवर तिवर हो गये। १९४० के मध्य में राष्ट्रसंघ का अन्त

एक यादगारी की चीज रह गयी। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के भयकर प्रलय के बीच बाद में यह यादगारी भी लुप्त हो गयी।

इस प्रकार अनेक त्रुटियों के कारण राष्ट्रसंघ विफल हो गया। लेकिन ये त्रुटियाँ मौलिक नहीं थी और उनके वावजूद राष्ट्रसंघ को सफल बनाया जा सकता था। सत्य तो यह है कि यदि राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्य चाहते तो वह अवश्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता। लेकिन सदस्यों में ही नेकनियती का पूर्ण अभाव था। विन्स्टन चर्चिल ने ठीक ही कहा था कि "राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए राष्ट्रसंघ नहीं बरन् सदस्य राज्य दोषी थे।"

राष्ट्रसंघ के गैर राजनीतिक (Non-political) कार्य

युद्ध-विवियों और शरणार्थियों की सहायता—कहा जाता है कि राष्ट्रसंघ को बसल सफलता गैर राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त हुई। जनकल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ ने बहुत-से काम किये। युद्ध के कैदियों को छुड़ाना और उन्हें घर वापस पहुँचाना राष्ट्रसंघ का प्रथम मानव-हितकारी कार्य था। युद्ध के समय मित्रराष्ट्र पक्ष के बहुत से सैनिक पकड़े जाने पर कैद कर लिये गये थे। इसी तरह जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों के सैनिकों को मित्रराष्ट्र ने कैद कर लिया था। उन कैदियों की संख्या लाखों में थी। अन्तर्राष्ट्रीय विधि क अनुसार ऐसे कैदियों का युद्ध के बाद प्राय मुक्त कर दिया जाता है। मुक्ति पाये हुए कैदियों को उनके घर पहुँचाने का काम राष्ट्रसंघ ने बड़ी कुशलता के साथ सम्पन्न किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाखों की संख्या में विस्थापितों एवं शरणार्थियों को पुन बसाना एक विकट समस्या थी। युद्ध के समय लाखों रूसी, यूनानी, वरकों, आर्मेनियन लोग वे घर बार के हो गये थे। यूरोप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस विस्थापित जनसमूह को किसी काम में लगाया जा सके। राष्ट्रसंघ ने इस समस्या के समाधान का प्रयास किया। इसने डा० नानसेन नामक एक परोपकारी व्यक्ति क जिम्मे इस काम को सौंप दिया। वे विस्थापित लोगों के हार्ड-कमिश्नर नियुक्त किये गये। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से इस विकट समस्या को सम्हाला। १९३० में उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रसंघ ने इस काम का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लिया।

स्वास्थ्य—युद्ध समाप्ति के बाद रूस में टायफस का रोग फैला हुआ था। इस छूत की बीमारी को सारे यूरोप में फैलने की आशंका थी। राष्ट्रसंघ ने चिकित्सकों की सेवा को संगठित करके इस रोग को फैलाने से रोका। राष्ट्रसंघ की स्वास्थ्य-समिति ने हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक इत्यादि भयानक रोगों के कारण की जाँच की और आरोग्य का साधन निकाला। राष्ट्रसंघ ने एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा

स्वास्थ्य की रक्षा करना था। इस स्वास्थ्य संगठन ने सिंगापुर में एक इंस्टर्न ब्यूरो की स्थापना की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट मगाकर उस पर निगरानी रखती थी।

आर्थिक स्थिति — युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति काफी डावाँडोल थी और राष्ट्रसंघ ने इस स्थिति को जिस सूची के साथ सम्हाला वह अत्यन्त सराहनीय है। आस्ट्रिया की आर्थिक अवस्था सबसे अधिक खराब थी। वहाँ की सरकार इस अवस्था का सुधारने में सर्वथा असमर्थ रही। तब राष्ट्रसंघ ने उसकी सहायता करने का काम अपने हाथ से ले लिया। आस्ट्रिया का अन्न की सहायता भेजा गया। राष्ट्रसंघ के प्रयास से उसका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली से कर्ज भी प्राप्त हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय कोष से भी उसे दस करोड़ डालर का कर्ज प्राप्त हुआ। राष्ट्रसंघ ने आस्ट्रिया पर अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम करके उसका आर्थिक दशा को एकदम सुधार दिया।

हंगरी की आर्थिक दशा भी आस्ट्रिया की तरह ही खराब थी। दिसम्बर १९२३ में राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने हंगरी के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक योजना स्वीकार करके उसपर अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम किया। मई १९२४ में यह योजना लागू की गयी और जून १९२६ तक हंगरी की डगमगाती आर्थिक स्थिति स्थिर हो गयी। राष्ट्रसंघ ने तब हंगरी पर से आर्थिक नियन्त्रण हटा लिया।

इसी तरह राष्ट्रसंघ ने यूनान, बुल्गेरिया और एस्तोनिया को भी आर्थिक सहायता दी। अवीसीनिया को सोने के आधार पर मुद्रा निर्धारण करने तथा डानिब्रग नगर का अपना बन्दरगाह विकसित करने के लिए राष्ट्रसंघ की सहायता से विदेशी कर्ज प्रदान किये गये।

सामाजिक — राष्ट्रसंघ ने नशाली वस्तुओं के सेवन तथा दास प्रथा को रोकने के लिए अनेक ठाम कदम उठाये। दिवों की शोषण से बचाने और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसने अनेक काम किये। इसके लिए राष्ट्रसंघ ने एक परामशदात्री आयोग की स्थापना की। १९२१ में इस आयोग ने अनेक सद्देश्यों के लिए होनेवाले छिद्यों के व्यापार को रोकने के लिए नियम बनाये। १९३३ में इस नियम को और भी कड़ा बनाया गया। बाल हितकारो समिति ने विभिन्न देशों के विवाह की आधुनिक अध्ययन किया। इस समिति ने गैर कानूनी बंधों की समस्या पर भी विचार किया।

मनुष्य के बौद्धिक विकास और एक देश को दूसरे देश से बौद्धिक सम्पर्क स्थापित कराने के लिए इसने काफी प्रयास किये। राष्ट्रसंघ ने अश्लील प्रकाशनों को रोकने का भी प्रयास किया। सबसे बढ़कर राष्ट्रसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को

ममुचित दग से नियमबद्ध (Codification of International Law) करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण काम कराये। राष्ट्रसंघ के सारे काम काफी सराहनीय हैं और इनमें सफलता पाकर उसने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया।

राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन — स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ को गैर राजनीतिक कार्यों में पर्याप्त सफलताएँ मिलीं, यद्यपि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों में विशेषकर उन प्रश्नों में जिनमें महान् राज्यों के हित थे, यह पणतया असफल रहा। फिर भी राष्ट्रसंघ की देन के महत्त्व को किसी भी दशा में कम नहीं किया जा सकता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मौहाद की एक ऐसी परम्परा का सूत्रपात किया जो अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया। इसने गुप्त कूटनीति के अनेक दुर्गुणों को दूर कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया माग दिखाया। जेनेवा में प्रतिवर्ष जो बैठक होती थी उससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अब ससार के प्रतिनिधि एक जगह बैठकर सावजनिक रूप से विश्व की समस्याओं पर वाद-विवाद करने लगे। अब साधारण जनता को भी विदेश नीति के गूढ़ तत्त्वों की समझने का अवसर प्राप्त हुआ। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जनमत का प्रभाव पडना आवश्यक हो गया।

राष्ट्रसंघ ने असफल होकर भी राष्ट्रों के बीच सहयोग करने की आदत डाल दी। जैसा कि लैंगसम ने लिखा है कि “राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था।” इसके अतिरिक्त इसने विश्व की एक बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयोग था। बाद में इस प्रयोग से लाभ उठाया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना में इस परीक्षण से बड़ी सहायता मिली। वाल्टर महादय का कथन है कि ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, अंगों तथा कार्यप्रणाली अर्थात् प्रत्येक पहलू पर, राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप है।’

सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या

(Problem of Security and Disarmament)

विषय प्रवेश — प्रथम विश्व-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सबसे विकट समस्या सुरक्षा की थी। इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि किस प्रकार शान्ति को सुरक्षित रखा जाय। सवा चार साल के भीषण नर सहार के बाद प्रथम विश्व युद्ध का अन्त हुआ था। वर्साय-सन्धि के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया था जिसमें भविष्य में फिर से युद्ध न हो। लेकिन वर्साय की सन्धि से यूरोपीय सुरक्षा की पेचीदी समस्या को कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ था और उसपर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकांश प्रतिनिधि फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक गहरी निराशा की भावना लेकर लौटे थे। वास्तव में, पेरिस की शान्ति-सन्धियाँ यूरोपीय सुरक्षा की समस्या का अन्त नहीं बरन् प्रारम्भ थी। शान्ति-सम्मौता के बाद भी सुरक्षा की खोज का प्रयत्न पहले से ही अधिक गम्भीरता से जारी रहा।

सुरक्षा की समस्या पर पेरिस के शान्ति सम्मेलन में काफी विचार हुआ था और लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंघ के विषय में हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन शान्ति सुरक्षा के लिए केवल राष्ट्रसंघ पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहा था। अतः सुरक्षा को कायम रखने के लिए राष्ट्रसंघ के बाहर भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये। ये प्रयास दो तरह के थे। एक तो विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर आपस में सुरक्षा सम्मौते किये और दूसरे हथियारबन्दी की होड़ को नियन्त्रित करके व्यापक निरस्त्रीकरण करने के प्रयास किये गये। दो विश्व-युद्धों के बीच का कूटनीतिक इतिहास मुख्यतः इन्हीं प्रयासों और उनकी असफलताओं की दुःखद कहानी है।

१ फ्रांसीसी सुरक्षा का प्रश्न

फ्रांस की समस्या — युद्ध के बाद फ्रांस की सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक गम्भीर थी। सवा चार साल के भाषण संघर्ष के बाद फ्रांस महायुद्ध से विजय की जयमाला पहने हुए निकला था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि सम्पूर्ण देश में

इस विजय की खुशी मनायी जाय, लेकिन यह खुशी बहुत ही क्षणिक थी। दूसरे ही दिन से यह अपने को भयभीत अवस्था में पाने लगा और विजयोल्लास के साथ ही गम्भीर चिन्ता भी शीघ्र ही परिलक्षित होने लगी। उसकी सबसे अधिक डर पराजित जर्मनी से था। सतरहवीं और अठाहरवीं सदियों में फ्रांस की शक्ति यूरोप में अद्वितीय थी। वह यूरोप का सबसे शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र था। पर १८७० में, जब सेडान के मैदान में वह जर्मनी से बुरी तरह परास्त हुआ, तब उसकी शक्ति का झम एकाएक दूर हो गया। उस समय मध्य यूरोप में एक ऐसे राष्ट्र का जन्म हो चुका था जो न केवल क्षेत्रफल और जनसंख्या में फ्रांस से बड़ा था, अपितु कोयले, लोहे आदि प्राकृतिक साधनों में भी वह (फ्रांस) उसका सुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त जर्मन लोगों में सैन्य संगठन की अपूर्व क्षमता थी। १९१४ में फ्रांस को छह सप्ताह के लिए भी युद्ध में टिकना असम्भव हो जाता यदि ब्रिटेन उसकी सहायता के लिए रणक्षेत्र में नहीं उतर पड़ता। फ्रांसीसी इस बात को भली भाँति जानते थे। यहाँ तक कि युद्ध में विजयी होने के बावजूद फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों का कहना था कि जर्मनी अभी भी सैनिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। जर्मनी को आबादी यूरोप के अन्य राज्यों से अधिक थी और फ्रांस के अनुपात में तो बहुत अधिक। फ्रांस को भय था कि यदि उसकी आबादी में तनिक भी गिरावट हुई तो वह जर्मनी का शिकार हुए बिना नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त फ्रांस का एकमात्र मित्र रूस इस समय बोत्शेविकों के हाथ में चला गया था और फ्रांस उनसे यह आशा नहा कर सकता था कि मौका पडने पर वे उसकी मदद करेंगे। इन त्रुटियों को फ्रांसीसी अच्छी तरह जानते थे और कोई ऐसा उपाय करना चाहते थे जिससे भविष्य में उन्हें इस तरह के संकट का सामना न करना पड़े। अतः युद्ध के समाप्त होते ही फ्रांस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के उपायों की खोज में व्यस्त हो गया।* वास्तव में, जैसा प्रोफेसर कार का कहना है १९१९ के बाद फ्रांसीसी सुरक्षा की माँग यूरोपीय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी तथ्य था।†

भौगोलिक गारंटी — जर्मनी के भावी आक्रमण से फ्रांस को सुरक्षित करने के लिए पेरिस-शान्ति सम्मेलन में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने यह माँग की थी कि राइन नदी के बायें तट के प्रदेश को जर्मनी से पृथक करके एक अलग राज्य बना दिया जाय और यह राज्य फ्रांस के प्रभाव में रहे। फ्रांस इस तरह की व्यवस्था को

* Langsam, *The World Since 1919* p 75

† 'The most important and persistence single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security

—Carr, *International Relations Between The Two World Wars*, p 25

‘भौगोलिक गारन्टी’ (physical guarantee) कहता था । पर अन्य मित्रराष्ट्र फ्रांस को इस प्रकार की ‘भौगोलिक गारन्टी’ देने के लिए उद्यत नहीं हुए । विल्सन और लायड जार्ज ने राइन नदी तक फ्रांसीसी सीमा को बढ़ाने से इन्कार कर दिया । उनका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइनलैंड के पचास लाख के लगभग जर्मन लोग अपने राष्ट्र से अलग हो जायेंगे और यह राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत होगा । विल्सन और लायड जार्ज राइनलैंड को एक दूसरा एल्सलोरैन नहीं बनाना चाहते थे । काफी सिर पटकने के बाद फ्रांस को अपनी माँग छोड़नी पड़ी और उसको अपने ‘भौगोलिक गारन्टी’ सम्बन्धी निम्न बातों पर राजी होना पड़ा (१) पन्द्रह साल तक राइन नदी के बाये तट के प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं का बन्ना रहे, (२) राइन-क्षेत्र का पूर्ण रूप से असन्तुलित हो जाय जिससे जर्मनी वहाँ कोई किलाबन्दी नहीं कर सक और (३) एक त्रिदलीय सन्धि की जाय जिसके अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन यह वादा करे कि यदि भविष्य में कभी जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करे तो वे उसकी सहायता करेगे । ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा करने का वचन दे दिया ।

अमेरिका ने पीछे चलकर बर्साय में हुई सन्धियों का अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया । फलस्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा दिये गये वचन व्यर्थ हो गये । ब्रिटेन अपने वचन को निभाने में असमर्थ था, क्योंकि उसका भाग लेना अमेरिका के आने पर ही निभर था । फ्रांस को ऐसा अनुभव हुआ कि उसको धोखा दिया गया है । उसे ‘भौगोलिक गारन्टी’ की आशा छोड़ देनी पड़ी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस अपनी स्थिति को बहुत निर्बल एवं अरक्षित समझने लगा । जर्मन प्रतिशोध से बचने के लिए वह कूटनीतिक उधेड़बुन में डूब गया ।

फ्रांस जब अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से अनुत्तेजित आक्रमण के विरुद्ध गारन्टी पाने के प्रयत्न में असफल हो गया तब उसके सामने केवल दो मार्ग बच गये जिनका अवलम्बन करके वह अपनी सुरक्षा कर सकता था । फ्रांस के सामने पहला उपाय यह था कि जर्मनी का कूटनीतिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया जाय तथा उसकी चारों तरफ से घेर लेने के लिए यूरोप व विभिन्न राज्यों के साथ सन्धि करके गुटबन्दी की जाय । दूसरे, राष्ट्रसंघ के द्वारा ऐसी सुरक्षा प्रणालियों का सृजन कराया जाय जिससे अकारण आक्रमण के विरुद्ध वास्तविक गारन्टी प्राप्त हो सक । फ्रांस ने इन दोनों मार्गों का एक ही साथ अवलम्बन करना शुरू किया जिसके फलस्वरूप यूरोप में फ्रांस के नेतृत्व में अनेक गुट तथा राष्ट्रसंघ के तत्ववाधान में अनेक सुरक्षा-समझौता कायम हुए ।

बर्साय-सन्धि के बाद फ्रांस को अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ के अस्तित्व के सिवा कोई गारन्टी प्राप्त नहीं थी । फ्रांस इसकी अपर्याप्त ममकता था । उसकी

दृष्टि में राष्ट्रसंघ के विधान में उस प्रक्रिया को भलो-भाँति स्पष्ट नहीं किया गया था जिसके अनुसार वह विभिन्न राज्यों के बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का उपयोग करेगा। फ्रांस को शय्य था कि राष्ट्रसंघ के विधान में पाबन्दी (sanctions) सम्बन्धी धाराएँ (१०, १६ और ७) प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं। घातस्व में एसेम्बली की प्रथम बैठक में ही इन धाराओं को कड़ी आलाचना हुई। कोई राष्ट्र १० वीं धारा को विलकुल निकलवा देना चाहता था तो कोई १६ वीं धारा में अपवाद की धारा जोड़वाना चाहता था। राष्ट्रसंघ एसेम्बली की प्रथम बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि कोई देश राष्ट्रसंघ के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से सन्धियाँ और गुटबन्धियाँ ही सुरक्षा के एकमात्र उपाय थीं। फ्रांस इसी उपाय पर जोर देने लगा।

आंग्ल फ्रांसीसी मतभेद—फ्रांस ब्रिटेन की मित्रता का बहुत बड़ा इच्छुक था। उसका विश्वास था कि अगर ब्रिटेन उसकी सुरक्षा की गारंटी दे दे तो उसकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा। अतः फ्रांस ब्रिटेन से एक सन्धि करने के लिए ज़राबर आग्रह करने लगा। अन्त में जनवरी, १९२२ में ब्रिटिश सरकार फ्रांस के साथ एक सन्धि करने के लिए तैयार हो गयी। इस सन्धि की प्रस्तावित शर्तें वही थीं जिनपर १९१९ में ब्रिटेन हस्ताक्षर नहीं कर सका था। 'यदि जर्मनी ने अकारण ही फ्रांस पर आक्रमण करने की कोई गतिविधि की तो ब्रिटेन तुरत ही फ्रांस की सहायता करेगा।' तत्कालीन फ्रांसीसी प्रधान मंत्री पोइन्कारे इस अस्पष्ट सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था। उसकी यह भाव थी कि इस आश्वासन के साथ एक सैनिक समझौता भी किया जाय जिनसे यह स्पष्ट हो जाय कि ब्रिटिश सेना किस प्रकार की सहायता देगी। ब्रिटिश-सरकार इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं थी। अतः आंग्ल-फ्रांसीसी वार्तालाप पूर्णतया निरर्थक हो गया।

अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इस तरह के मतभेद के क्या कारण थे। वास्तव में, युद्ध के बाद आंग्ल फ्रांसीसी मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण तथ्य था। जिस दिन तोपों की गजना बन्द हुई और विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए उसी दिन से ये दोनों भूतपूर्व मित्र-राज्य प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर एक दूसरे से विलकुल विपरीत विचार व्यक्त करने लगे। लायड जाज का विश्वास था कि जर्मनों को इतना पस्त कर दिया गया है कि कम से कम साठ साल के पून वह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वह फ्रांस को उप नोति पर रोड़े अटकाने लगा। लेकिन क्लेमण्डो का विचार दूसरा ही था। उसका विश्वास था कि जर्मन जय चाहेंगे फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे। अतः वह अपने देश को इस भावी आक्रमण के सकट से सुरक्षित करना चाहता था। ब्रिटेन की इस तरह के किसी सकट का भय नहीं था।

युद्ध से अपार क्षति हुई थी और अगरेज लोग अपनी आर्थिक पुनरोत्थान के लिए उत्सुक थे। ब्रिटेन की आर्थिक प्रगति के लिए जर्मनी का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश मालों का बहुत बड़ा बाजार था। इसलिए ब्रिटेन जर्मनी का पुनर्निर्माण देखना चाहता था। परन्तु, फ्रांस के लिए एक पुनर्निर्मित जर्मनी सबसे बड़ा खतरा था। क्लिमेंशो ब्रिटेन के इस रवैये को नापसन्द करता था। 'युद्ध के बाद से' उसने लायड जार्ज से शिकायत की, 'आप हमेशा हम लागों * विद्वद्द रहें हैं।' 'यह तो हमारी परम्परा की नीति है', लायड जार्ज ने जवाब दिया। वान्तव में, चौदहवां शताब्दी से ही ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी रहें हैं। विवश होकर ब्रिटेन को १९०४ में फ्रांस से मित्रता करनी पड़ी थी। यह मित्रता १९१८ तक कायम रही, लेकिन जिस समय इसका उद्देश्य पूरा हो गया दोनों देश अपने पुराने स्थान पर चले आये।* नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन का प्रोत्साहन पाकर जर्मनी वर्साय सन्धि की शर्तों का उल्लंघन करने लगा और कुछ ही दिनों में यूरोप की एक महान शक्ति बन बैठा।

ऑग्ल-फ्रांसीसी मतभेद के कुछ और कारण भी थे। ब्रिटेन यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन को पुनर्स्थापित करना चाहता था। एक बहुत शक्तिशाली फ्रांस सत्तार में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के हक में अच्छा नहीं था। इससे जर्मनी के आर्थिक जीवन को पुनर्जीवित करने में भी कठिनाई होती। इसी तरह एक कमजोर जर्मनी न तो ब्रिटिश व्यापार के हक में अच्छा था और न क्रान्तिकारी रूस के विरुद्ध में ही। ब्रिटेन को रूसी साम्यवाद से बहुत डर था। ब्रिटिश-साम्राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा था। इस खतरे को रोकना ब्रिटेन की एक मुख्य नीति थी। यह तभी सम्भव था जब जर्मनी को शक्तिशाली बनाया जाय।

इस तरह वर्तमान शताब्दी की तीसरी दशाब्दी में ऑग्ल फ्रांसीसी सम्बन्ध में काफी मनमुटाव पैदा हो गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत थे और इसलिए मनमुटाव का बढ़ना अवश्यम्भावी था। युद्ध के समय के दानों सहयोगी एक दूसरे के विरोधी हो गये। इसका नतीजा न तो इन दोनों देशों के हक में ही अच्छा हुआ और न विश्व शान्ति के हक में ही।

वेल्डिज्म के साथ संधि—जब फ्रांस ब्रिटेन की तरफ से निराश हो गया तो वह यूरोप के उन विविध 'तुल' राज्यों की तरफ मुका, जिनका हित वर्साय सन्धि द्वारा स्थापित यथास्थिति की बनाये रखने में था। फ्रांस को अपनी मनोकामना पूरी करने * लिए छोटे राष्ट्रों की ओर देखना पड़ा। उनको मिलाकर गुटबन्दियों कायम करने के सिवा उसके सामने कोई मार्ग नहीं रह गया। इस दिशा में फ्रांस

* Albjerg and Albjerg, *Europe from 1914 to the Present*, p 481

ने जो पहला कदम उठाया वह बेल्जियम के साथ समझौता था। विगत युद्ध से यह अनुभव प्राप्त हुआ था कि दानों देशों का हित इसीमें है कि वे मिलजुलकर अपनी सुरक्षा की योजना बनायें। अतः ७ सितम्बर, १९२० को दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों ने एक समझौता किया। यद्यपि यह समझौता राष्ट्र-संघ में दर्ज करा दिया गया था, किन्तु इसकी महत्त्वपूर्ण शर्तें गुप्त रखी गयी थी। फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि फ्रांस और बेल्जियम जर्मनी के आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए सैनिक दृष्टि से एक हो गये हैं। इस सैनिक गुटबन्दी के कारण पश्चिम में फ्रांस की स्थिति सुरक्षित हो गयी।

पोलैंड के साथ संधि — फ्रांस का काम केवल बेल्जियम के साथ समझौता कर लेने से ही चलनेवाला नहीं था। उसे एक शक्तिशाली राज्य का मित्र बनाने की आवश्यकता थी। शान्ति सन्धि द्वारा स्थापित पोलैंड ही एक ऐसा देश था, जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से बड़ा था और जिसका हित फ्रांस के हित से मिलता-जुलता था। नवनिर्मित पोलैंड की जनसंख्या तीन करोड़ के लगभग थी और उसमें जर्मन जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। पोलैंड का निर्माण करते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया गया था और उसमें अनेक ऐसे प्रदेशों को शामिल कर दिया गया था जिन्हें वस्तुतः जर्मनी का अंग होना चाहिए था। इस कारण फ्रांस के समान उसे भी जर्मनी का डर बना हुआ था। गलियारे के निर्माण के कारण जर्मनी दो भागों में बँट गया था और यह स्वाभाविक था कि जर्मनी इस गलियारे का नामोनिशान मिटा दे। पोलैंड को जर्मनी के आक्रमण की आशंका हमेशा बनी रहती थी। इस तरह फ्रांस और पोलैंड दोनों को आपसी आवश्यकताओं में पूरा-पूरा मेल बैठता था। जर्मन-आक्रमण की आशंका ने इन दोनों देशों को एक सूत्र में बाँध दिया। ऐसा कहा गया कि फ्रांस और पोलैंड एक दूसरे के ऐतिहासिक मित्र रहे हैं। इस मित्रता का परिचय फ्रांस ने उस समय पोलैंड को मदद देकर दिया जब १९२० में बोरोशेविकों ने वारसा पर हमला कर दिया था। इसके बाद पोलैंड की सेना को आधुनिक ढंग से संगठित करने के लिए फ्रांस से एक सैनिक शिष्टमंडल वारसा पहुँचा। दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता करने के लिए बात चीत शुरू हुई और अन्ततः गत्वा १९ फरवरी, १९२१ को फ्रांस और पोलैंड के बीच एक सन्धि हो गयी, जिसमें दोनों देशों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग का वचन दिया, अपितु गुप्त रूप से यह भी तय किया कि सैनिक दृष्टि से भी वे एक दूसरे से सहयोग करें। बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। १९२२ में इस सन्धि का अनुमोदन हो गया और १९३२ में इसकी

अवधि दस वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी। उक्त दो सन्धियों से फ्रांस को यह लाभ हुआ कि यदि जर्मन ने उस पर हमला किया तो पश्चिम में बेल्जियम और पूर्व में पोलैंड से उसको सहायता मिलेगी।

फ्रांस पोलैंड की सना को आधुनिक ढंग से सगठित करने और युद्ध-सामग्री द्वारा उसकी सहायता करने लगा। इस सन्धि से दोनों देशों के बीच काफी असन्तोष भी हुआ। कुछ फ्रांसीसियों का मत था कि पोलैंड की मित्रता से फ्रांस को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। इसी तरह बारसा में स्थित फ्रांसीसी सैनिक मिशन को लेकर पोलैंडवासियों में घोर असन्तोष था। किन्तु जैसा प्राफेसर कार कहते हैं “यह गुटबन्दी समान हित के सुदृढ आधार पर हुई थी। इस कारण मामूली असन्तोष से टूट नहीं सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के हर राजनीतिक प्रश्न पर फ्रांस और पोलैंड दोनों एक दूसरे का बराबर साथ देते रहे तथा हर सार्वजनिक वाद विवाद में वे साथ-साथ मत देते रहे एवं एक तरह के ही मापण देते रहे।”

लघु मंत्री संध — फ्रांसीसी नेताओं को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। वे किसी महान् राज्य के साथ सन्धि करना चाहते थे। दिसम्बर, १९२१ में उसने ब्रिटेन के साथ इसी ढंग की सन्धि करने का असफल प्रयास किया था। फ्रांस ने अब अपने नेतृत्व में छोटे छोटे राज्यों को सगठित करने का काम शुरू किया। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये १९२०-२१ में उसने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रूमानिया का एक त्रिगुट सगठित किया। यह ‘छोटा त्रिगुट’ या लघु मंत्री संध (Little Entente) के नाम से प्रसिद्ध है जिसका उद्देश्य यह देखना था कि जर्मनी फिर से सर न उठा सके और हाप्सबुर्ग-राजवंश के सम्राट फिर से अपने राज्य को स्थापना न कर सके। इस समझौते के अनुसार तीनों हस्ताक्षरकारी देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि अकारण आक्रमण होने पर तीनों मिलकर आक्रमण से प्रभावित देश को सैनिक सहायता करेंगे और यथास्थिति बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रांस इस त्रिगुट का सरक्षक था। त्रिगुट की सरकारें पूरी तरह से फ्रांसीसी प्रभाव में थीं। ये तीनों राज्य विदेशी मामलों में फ्रांस के विश्वासपात्र पिछल गये। फ्रांस ने यह बचन दिया कि इगरी से यह ‘छोटा त्रिगुट’ के सभी देशों की रक्षा करेगा तथा यूगोस्लाविया को इटली से विशेष रूप से बचायगा। इन सारे प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या बहुत हद तक हल हो गयी। फ्रांस जर्मनी के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए जो साधन छुटा रहा था उसमें इन तीन नये राज्यों को अपने साथ रखना महत्त्वपूर्ण था। इन राज्यों का हित इसमें था कि जर्मनी, आस्ट्रिया

और हंगरी फिर से अपना शक्ति न बढ़ा सके। फ्रांस भी यही चाहता था और इसलिए 'छोटा-त्रिगुट' के राज्यों के साथ उसका घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो सका। १९२२ में उक्त समझौता में पोलैंड भी शामिल हो गया।

इतना होने पर भी फ्रांस को सन्ताप नहा हुआ। 'छोटा-त्रिगुट' उसकी सुरक्षा में स्थापित हुआ था, लेकिन वह स्वयं इसका सदस्य नहीं था। वह इन राज्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से सन्धि करना चाहता था। अतः २४ जनवरी, १९२४ को फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सन्धि हुई। सन्धि की शर्तों के अनुसार विदेश नीति सम्बन्धित मामलों पर दोनों देश एक दूसरे से परामर्श लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सन्धि का महत्त्व बहुत बड़ा था। इससे फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया एक दूसरे के बहुत समीप आ गये और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से एक तरह की नीति का अवलम्बन करने लगे।

ठीक इसी तरह की एक सन्धि दो साल बाद, १९२६ में फ्रांस ने रूमानिया के साथ की। इसमें भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परस्पर सहयोग करने की बात दुहरायी गयी थी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने यह वादा भी किया कि अगर उसमें से किसी एक पर कोई अकारण हमला हुआ तो वे परस्पर मिलकर इस बात को तय करेंगे कि दूसरे राज्य को अपने मित्र की सहायता के लिए क्या करना चाहिए। १९२७ में फ्रांस ने युगोस्लाविया के साथ भी इसी दग की सन्धि कर ली।

इस तरह सुरक्षा के नाम पर छु देशों के साथ सन्धि करके फ्रांस ने यूरोप में एक नया आधिपत्य कायम करना शुरू किया। यूरोप में फ्रांस की शक्ति और गौरव चरम सीमा पर पहुँच गयी। फ्रांस वास्तव में यूरोप का अग्रणी बन गया।*

फ्रांसीसी गुटबन्दी का खोखलापन—इसमें सन्देह नहीं कि इन सन्धियों के द्वारा फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या का समाधान मानसिक दृष्टि से बहुत हद तक कर लिया। किन्तु ये सन्धियाँ फ्रांस को बहुत मँहगी पड़ीं। इन सन्धियों के कारण वह अब न केवल वसाय-सन्धि का पालन कराने के लिए ही निश्चित रूप से बचनबद्ध था, अपितु सारे यूरोपीय शान्ति सम्झौतों के लिए भी। इस व्यवस्था में अनेक कमजोरियाँ थीं। महायुद्ध के बाद स्थापित नये राज्यों की आर्थिक स्थिति अति शाचनीय और अनिश्चित थी और उसके पास सैनिक साधन भी पर्याप्त नहीं थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से वे काफी छोटे राज्य थे। वे अपनी शक्ति सभी बढ़ा सकते थे जब आर्थिक दृष्टि से इनकी भरपूर सहायता की जाय। फ्रांस इन्हें सदैव कब्ज देने के लिए विवश था। फ्रांस इन राज्यों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बराबर कब्ज देता रहा।

इसकी सेना को शिक्षा देने के लिए फ्रांसीसी अफसर भेजे गये। इस तरह ये राज्य फ्रांस के लिए अस्थायी रूप से बॉम्ब बन गये।

इस व्यवस्था की दूसरी दिक्कत यह थी कि ये राज्य फ्रांस की सीमा से बहुत दूर पर स्थित थे। इन राज्यों की सीमाओं और फ्रांसीसी सीमाओं में वही भी लगाव नहीं था। युद्ध के समय यह सम्भव नहीं था कि इनकी सेनाएँ फ्रांस की सहायता के लिए दौड़ी चली आयें। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को अपनी अपनी समस्याएँ थीं। पोलैंड और चेकोस्लावाकिया में काफी सख्खा में जमन-लोग निवास करते थे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जटिलता का आना अवश्यम्भावी था। अपने पड़ोसी राज्य से इनकी बराबर झगड़ा होता रहता था और फ्रांस ने इन झगड़ों में मदद करने का वादा किया था। इस तरह का वचन देकर फ्रांस ने अपनी सैनिक जिम्मेदारियों को इतना बढ़ा लिया कि जब आवश्यकता पड़ी तो उसकी पूरा करना उसके लिए असम्भव हो गया। इससे भी बढ़कर फ्रांस को यह घाटा हुआ कि एक सुरक्षा-व्यवस्थाओं के कारण फ्रांस के प्रति पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में सन्देह पैदा होने लगा। भय से भय की उत्पत्ति होती है। यूरोप के अन्य राज्यों को सन्देह होने लगा कि सुरक्षा के नाम पर फ्रांस यूरोप पर आधिपत्य जमाने की योजना बना रहा है। अतः फ्रांस की गुटबन्दियों का विरोध करने के लिए विरोधी गुटबन्दियों की स्थापना अनिवार्य हो गयी। जर्मनी, इटली और सोवियत रूस अपना अपना गुट तैयार करने की बात साँचने लगे और कुछ दिनों में इन देशों का गुट भी कायम हो गया। गुटबन्दियों का वह दूषित वातावरण, जिसके कारण प्रथम विश्व-युद्ध हुआ था, यूरोप में एक बार पुनः छा गया और कुछ दिनों के बाद यूरोप तीन शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया।

२. जेनेवा प्रोटोकल

राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा—युद्धोत्तर काल के फ्रांसीसी विदेशनीति पर 'असर्गति तथा पाखण्ड' का आरोप लगाया जाता है और बहुत अर्थों में यह ठीक भी है। सैनिक दृष्टि से राष्ट्रसंघ एकदम बेकार था और फ्रांस इससे कोई आशा नहीं रखता था। पर राष्ट्रसंघ में अविश्वास करते हुए भी वह उसको उपेक्षा करना नहीं चाहता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फ्रांस सभी साधनों का उपयोग करना चाहता था। उसने विभिन्न देशों के साथ सन्धि करके यूरोप में गुटबन्दियों का जाल बिछा दिया था। पर वह इतने से सन्तुष्ट नहीं था। इस दिशा में वह राष्ट्रसंघ का प्रयोग भी करना चाहता था। अगर राष्ट्रसंघ के जैरिये सामूहिक सुरक्षा और पारस्परिक सहायता के सिद्धान्तों को एक ठोस व्यावहारिक रूप दिया तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति और भी सुरक्षित हो सकती है। फ्रांस

इस दिशा में उद्योग करने लगा। जेनेवा प्रोटोकॉल या समझौता (Protocol) लोकानों पैक्ट तथा पेरिस पैक्ट फ्रांस के इसी प्रयास के परिणाम थे।

जेनेवा प्रोटोकॉल—महायुद्ध का छिड़ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि हथियारबन्दी की होड़ से विश्व शान्ति सुरक्षित नहीं रह सकती है। अतः पेरिस शान्ति सम्मेलन में राष्ट्रों के बीच हथियारबन्दी की होड़ को रोकने का निर्णय किया गया। इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए सबसे पहले पराजित जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया तथा तुर्की को अनिवार्य रूप से निरस्त्र कर दिया गया। पर निरस्त्रीकरण के सभी प्रयास बेकार हैं यदि उनके फलस्वरूप विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण नहीं हो पाय। अतः राष्ट्रसंघ के विधान की आठवाँ धारा में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण की चर्चा कर दी गयी। “राष्ट्रसंघ के सदस्य इस बात को मानते हैं कि शान्ति बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से सगति रखते हुए, राष्ट्रीय शस्त्रों का कम से कम करना आवश्यक है।” १९२० में राष्ट्रसंघ एसेम्बली ने निरस्त्रीकरण-समस्या पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने रिपोर्ट दी कि निरस्त्रीकरण की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जबतक राज्यों की आत्म रक्षा के लिए कोई दूसरा सन्तोषजनक गारंटी न मिल जाय। वास्तव में, फ्रांस ने निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव पर उस समय तक विचार करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया जबतक उसे सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी प्राप्त नहीं हो जाती। निरस्त्रीकरण के पूर्व फ्रांस राष्ट्रसंघ द्वारा एक पारस्परिक सुरक्षा (mutual security) की गारंटी चाहता था। अतः राष्ट्रसंघ की तीसरी एसेम्बली ने आयोग से अनुरोध किया कि वह पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी एक सन्धि (Treaty of Mutual Assistance) का मसविदा तैयार करे। आयोग ने एक मसविदा तैयार भी किया। उसका सारांश यह था—(१) सन्धि पर हस्ताक्षर करनेवालों को आश्वासन देना पड़ेगा कि उनमें से किसी पर आक्रमण होने की दशा में बाकी हस्ताक्षरकर्त्ता देश उसकी सहायता करेंगे (२) आक्रमण की हालत में आक्रमणकारी कौन है, इसका निर्णय राष्ट्रसंघ की कौंसिल करेगी। (३) ऐसे राज्य जो कौंसिल द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार दो साल के अन्दर अपना निरस्त्रीकरण नहीं कर लेंगे वे पारस्परिक सहायता पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

सितम्बर १९२३ में राष्ट्रसंघ की चौथी एसेम्बली में उक्त मसविदा सन्धि निर्विरोध स्वीकार कर ली गयी। इस सभा में किसी भी बड़े राष्ट्र के जिम्मेदार मन्त्रियों ने भाग नहीं लिया था। अतः इस मसविदे को सम्बन्धित सरकारों के विचारार्थ भेजना आवश्यक था। फ्रांस और उसके अधिकांश साधियों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों ने इस सन्धि को

निश्चित रूप से अस्वीकृत कर दिया। ये देश अपनी जिम्मेदारियों को नहीं बढ़ाना चाहते थे। उनकी शिकायत थी कि सन्धि में आक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी है तथा आक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए राष्ट्रसंघ कौंसिल को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि जो सन्धि निरस्त्रीकरण के अनिश्चित आधार पर स्थित है वह विश्वसनीय नहीं हो सकती।

अगले वर्ष १९२४ में अन्तराष्ट्रीय राजनीति के दूषित वातावरण में बहुत सुधार हो चुका था। ब्रिटेन अभी तक अपने भूतपूर्व मित्र का विरोध करता आ रहा था। इस बार फ्रांस को किसी प्रकार की गारंटी देने के लिए वह भी उत्सुक था। अतः जब सितम्बर, १९२४ में ब्रिटेन और फ्रांस के दोनों समाजवादी प्रधान मंत्री—मेकडोनल्ड और हरियो—जेनेवा में राष्ट्रसंघ सभा में एक ही साथ उपस्थित हुए तो दोनों विरोधी दृष्टिकोणों में समझौता सम्भव दिखाई देने लगा। इन दोनों प्रधानमन्त्रियों ने राष्ट्रसंघ की पाँचवीं एसेम्बली में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के आधार पर एक पारस्परिक सहायता सन्धि का मसविदा तैयार किया गया, जो २ अक्टूबर, १९२४ को राष्ट्रसंघ की एसेम्बली द्वारा निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। इस संधि का पूरा नाम अन्तराष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए समझौता, (Protocol for the settlement of international disputes) था। इसी को जेनेवा प्रोटोकॉल भी कहते हैं। विवादाधीन निर्णय (arbitration) को अनिवार्य बना देना प्रोटोकॉल का मुख्य विशेषता थी। जेनेवा प्रोटोकॉल का और प्रमुख बातें निम्न थीं—(१) वैधानिक विवादों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में तथा राजनीतिक विवादों को राष्ट्रसंघ कौंसिल में निबटारा के लिए अवश्य ही भेजा जाय। (२) युद्ध को एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया गया। राष्ट्रसंघ के सदस्यों पर किसी प्रकार के आक्रमण को अपराध बतलाया गया। (३) जिस समय न्यायालय अथवा कौंसिल में किसी विवाद पर विचार हो रहा हो उस काल में कोई सैनिक तैयारी नहीं की जा सकती। (४) जो राष्ट्र विवादास्पद मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या कौंसिल में नहीं रखेगा अथवा न्यायालय के निणय को अस्वीकार करके आक्रमण कर देगा वह आक्रमणकारी समझा जायगा। (५) आक्रमणकारी के खिलाफ राष्ट्रसंघ-विधान की सोलहवीं धारा के अनुसार आर्थिक पाबन्दी और सैनिक कारवाई की जायगी। (६) युद्ध का सारा खर्च आक्रमणकारी राज्य को अदा करना पड़ेगा। (७) सभी राज्य निरस्त्रीकरण सम्म धो राष्ट्रसंघ के निणय को मानेंगे।

जेनेवा प्रोटोकॉल का अर्थ—जेनेवा प्रोटोकॉल की भी वही दशा हुई जो १९२३ के पारस्परिक सहायता-सन्धि की हुई थी। नवम्बर, १९२५ में ब्रिटेन की

मेकडोनल्ड सरकार का पतन हो गया और उसकी जगह पर वाल्डविन की अनुदार दलीय सरकार बनी। इस सरकार के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद् ने जेनेवा प्रोटोकॉल का अनुमोदन (ratification) करने से इन्कार कर दिया। ब्रिटेन के इस इन्कार के अनेक कारण थे। ब्रिटेन समझता था कि इस प्रोटोकॉल से उसे यूरोप के झगड़ों में व्यर्थ ही अपने धन और जन का विनाश करना होगा। यूरोप में फ्रांस की प्रभुता थी। राष्ट्रमंघ में भी उसका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यूरोप के बहुत से राज्य आँख मूँदकर उसका साथ देते थे। यदि फ्रांस के नेतृत्व में राष्ट्रमंघ ने किसी राज्य को 'अपराधी' ठहरा दिया तो ब्रिटेन को उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए विवश किया जायगा। ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं था। इससे अमेरिका से भी उसका युद्ध छिड़ सकता था, जो राष्ट्रमंघ में न होने के कारण किसी सदस्य-राष्ट्र से झगड़ा करने पर आक्रमणकारी घोषित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पञ्चायती निणय के सिद्धान्त और राष्ट्रों की प्रभुता के सिद्धान्त में मेल नहीं खाता था। ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि राष्ट्रमंघ विधान की सालहवीं धारा को पुनः जबरदस्त शब्दों में दुहराकर राष्ट्र-मंघ के स्वरूप में ही परिवर्तन कर दिया गया है। जेनेवा प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रमंघ का प्रमुख काम युद्ध संगठन करके शान्ति स्थापित करना और बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ना हो जाता। इन्हीं सब कारणों से ब्रिटेन ने प्रोटोकॉल को अनुमोदित करने से इन्कार कर दिया। परन्तु, प्रोटोकॉल को अस्वीकार करने का मुख्य कारण निःसन्देह समुद्र पार के ब्रिटिश डोमिनियनों का रख था। उसके विरोध का आशिक कारण यह था कि वे इस बात से डरते थे कि जापान के बढ़ने पर कहीं राष्ट्रमंघ उनके प्रवास नियम (Immigration Laws) में हस्तक्षेप न कर दे। परन्तु मूलतः वे आर्थिक पाबन्दी और सैनिक कार्रवाई-सम्बन्धी उपबन्धों को नापसन्द करते थे। भौगोलिक दृष्टि से ब्रिटेन के डोमिनियन यूरोपीय सड़क स्थलों से बहुत दूर थे और वे इन झगड़ों में नहीं फँसना चाहते थे। कनाडा अमेरिका की तरह पृथक्तावाद का समर्थक था। एसेम्बली में वाद विवाद के अवसर पर कनाडा के प्रतिनिधि ने कहा था "पारस्परिक अग्नि बोमे के इस संध में विभिन्न राज्यों की जोखिम एक समान नहीं है। हम अग्नि अवरोधी कमान में रहते हैं जो ज्वलनशील वस्तुओं से बहुत दूर हैं" * दक्षिण अफ्रिका, भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस तरह का भाई उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते थे। इन परिस्थितियों में प्रोटोकॉल का अस्वीकृत होना अनिवार्य ही था और १२ मार्च, १९१५ को राष्ट्रमंघ कांसल में भाषण देते हुए चैम्बरलेन ने उसे अन्तिम शब्दों

* "In this association of mutual assistance against fire, the risks assumed by different states are not equal. We live in a fire proof house far from inflammable materials" Gathorne Hardy, *A Short History of International Affairs*, pp 71-72

लगा दिया। जेनेवा प्रोटोकॉल रद्द हो गया। जेम्स सोटवेल के शब्दों में ब्रिटेन के इस रुख से प्रोटोकॉल और राष्ट्रमध्य पर ऐसा साधातिक प्रहार हुआ कि वे कभी अपने को सम्हाल नहीं सके। ब्रिटेन के विरोध के कारण फ्रान्स का एक और प्रयत्न भी धूल में मिल गया।

३ लोकार्नो-पैक्ट

लोकार्नो समझौते की पृष्ठभूमि—जेनेवा-प्रोटोकॉल की अकाल मृत्यु हो गयी। फ्रान्स में इससे घोर अस्वस्थता का वातावरण छा गया। राष्ट्रमध्य द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रयत्न में निराश होकर उसने एक बिल्कुल नयी नीति का आश्रय लिया जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। जेनेवा प्रोटोकॉल यद्यपि रद्द हो गया, किन्तु यह जाते-जाते यूरोपीय मामलों पर अपना गहरी छाप छोड़ गया। राष्ट्रों के बीच समझौते और भाईचारे की भावना उत्पन्न होने लगी। सब लोग इस बात पर सहमत थे कि यूरोपीय शान्ति को भंग करनेवाले मुख्य खतरों के विरुद्ध किसी न किसी प्रकार का उपाय करना आवश्यक है। यह बात ठीक है कि मामूली स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रमध्य पर्याप्त था। पर पुनर्जीवित और शक्तिशाली जर्मनी के खतरे का सामना करने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाना आवश्यक था। फ्रान्स अपने निरस्त्रीकरण के लिए कभी भी राजी नहीं होता जब तक शक्तिशाली जर्मनी के खतरे के खिलाफ कोई निश्चित कदम नहीं उठाया जाता। परन्तु, जेनेवा-प्रोटोकॉल के भंग हो जाने से इस दिशा में कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। इसलिए पुनः प्रादेशिक समझौते (regional arrangements) की ओर ही ध्यान दिया गया।

इस समय इस तरह की व्यवस्था के लिए वातावरण भी अनुकूल था। क्षतिपूर्ति की अदायगी के बारे में डावस योजना के अनुसार जर्मनी से समझौता हो चुका था और रूर प्रदेश से फ्रांसीसी सेनाएँ भी वापसी बुलायी जा चुकी थी। फ्रांस ब्रिटेन की तरफ से निराश हो चुका था। अब वह भी जर्मनी से किसी तरह समझौता करके अपने सर दब का दूर करना चाहता था। इस समय फ्रान्स का प्रधान मन्त्री हेरियो और विदेश मन्त्री ब्रियाँ था। दोनों इस बात के लिए उत्सुक थे कि आत्मरक्षा के लिए जर्मनी के साथ किसी नये समझौते की बात चलायी जाय। फ्रान्स का असल खतरा राइन भूमि की ओर से था। यह इसके लिए स्पष्ट रूप से गारन्टी पाना चाहता था। आश्चर्य की बात है कि इस समस्या का समाधान एक ऐसे प्रस्ताव से हुआ जिसे दो वर्ष पूर्व सबसे पहले जर्मन सरकार ने रखा था।

१९२२ के अन्त में जर्मन सरकार ने फ्रांसीसी सरकार के सामने यह सुझाव रखा था कि वे आरस में प्रतिज्ञा करें कि कम-से कम एक शत वर्षों तक युद्ध नहीं

करेंगे। इस प्रतिज्ञा में ब्रिटेन और बेल्जियम को तथा न्यासी के रूप में एक तटस्थ शक्ति को भी सम्मिलित किया जाय। इस समय रूर पर फ्रांसीसी अधिकार का क्रम जारी था और यह योजना फ्रांस की अपेक्षा जर्मनी के हित में अधिक थी, क्योंकि फ्रांस द्वारा ही जर्मनी पर आक्रमण किये जाने की अधिक आशाका थी, न कि जर्मनी द्वारा फ्रांस पर। अतः पोबन्कारे ने इस प्रस्ताव को एक 'भौढी चाल' कह कर ठुकरा दिया। जर्मन-सरकार आगामो दो वर्षों तक इसके लिए लगातार प्रत्यन करती रही। इसी बीच १९२३ में जर्मनी के राजनीतिक रगमच पर स्ट्रेस्मेन नामक एक राजनेता का प्रादुर्भाव हुआ। उसके प्रयास से जर्मनी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। सघार के बाजारों में जर्मनी की साख जम गयी। डावस योजना के अमल में आने से फ्रांस तथा जर्मनी की पारस्परिक कटुता कम हो चली थी। उसके स्थान पर सौहार्द की भावना उत्पन्न होने लगी थी और परस्पर सहयोग की इच्छा जाग्रत हो रही थी। स्ट्रेस्मेन ने १९२२-२४ में फ्रांस के साथ समझौता करने के अनेक प्रयास किये, पर इन प्रयासों में भी उनको सफलता नहीं मिली। इन असफलताओं के बावजूद फरवरी, १९२५ में स्ट्रेस्मेन ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव किया। बर्लिन स्थित ब्रिटिश-राजदूत का सकेत पाकर स्ट्रेस्मेन ने तत्कालीन फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री हेरियो के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी मिलकर एक अनाक्रमण समझौता कर लें। हेरियो समझौते की नीति को पसन्द करता था। जेनवा प्रोटोकॉल के अस्वीकृत हो जाने के बाद फ्रांस स्वयं इस बात के लिए उत्सुक था कि आत्मरक्षा के लिए कोई प्रादेशिक समझौता कर लिया जाय।

समझौते की कठिनाइयाँ—समझौते के मार्ग में अभी भी अनेक कठिनाइयाँ थीं। इस समय तक फ्रांसीसी लाकमत्त अनुकूल नहीं हुआ था। फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी में शासकों के परिवर्तन के कारण भी कुछ विलम्ब होने की सम्भावना बढ़ गयी। फरवरी, १९२५ में राष्ट्रपति एवट की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर फ्रॉन हिन्डेनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति हुआ। वह समझौते की नीति का समर्थक नहीं था। बेल्जियम में थीयुनिस मन्त्रिमण्डल के पतन के कारण वह देश इस प्रश्न की ओर तत्काल ध्यान न दे सका। अप्रिल में हेरियो की पराजय से और बाधा पड़ गयी। परन्तु फ्रांस का नया विदेशमन्त्री त्रिषॉ समझौता का पक्षपाती था और इसलिए कूटनीतिक मार्गों द्वारा बातचीत चलती रही।

बातचीत के सिलसिले में जर्मनी की तरफ से भी अनेक बाधाएँ थीं। जर्मन के द्वारा यह शर्त रखी गयी कि उसे बेशर्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाय। दूसरी कठिनाई सोवियत संघ और जर्मनी की मित्रता से, जो कि रेपोलो-सन्धि के समय से ही चली आ रही थी, उत्पन्न हुई। जर्मनों को यह भय था कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत-संघ के विरुद्ध किसी भी दिन सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं तथा इस प्रकार

की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उसे भी आमन्त्रित किया जा सकता है। वार्तालाप के द्वारा जर्मनी की इस शका को भी दूर कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि निरस्त होने के कारण जर्मनी से सैनिक कार्यवाही में भाग लेने को नहीं कहा जायगा। सीसरी कठिनाई चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से लगी जर्मनी की सीमाओं को लेकर थी। वसाय सन्धि द्वारा निश्चित पश्चिमी सीमा को स्वीकार करने के लिए जर्मनी तैयार था। किन्तु पूर्वी सीमा के निर्धारण को वह अन्तिम फैसला मानने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, वह इस बात को मानने के लिए तैयार था कि बल प्रयोग करके वह उसको बदलने का विचार नहीं रखता। वार्तालाप के द्वारा इन कठिनाइयों का भी यथासम्भव समाधान निकाल लिया गया।

लोकानों की संधि १ अक्टूबर, १९२५ को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली

बेल्जियम, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों की वार्ता स्विट्जरलैंड में नील के किनारे बसे लोकानों नामक नगर में आरम्भ हुई। युद्ध के बाद यह प्रथम अवसर था जब जर्मनी को मित्रराष्ट्रों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत करने का मौका मिला। लोकानों जैसे मनमोहक स्थान के आनन्ददायक वातावरण में बारह दिनों तक बातचीत चलती रही। वस्तुतः इस सम्मेलन में इतने अधिक स्नेह और सौहार्द का वातावरण था कि इसे पुरानी कटुता और शत्रुता को अन्त करनेवाली "लोकानों की भावना" (Spirit of Locarno) कहा जाने लगा। १६ अक्टूबर को सम्मिलित राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया जो लोकानों पैक्ट के नाम से विख्यात है। इसमें कुल मिलाकर सात संधियों पर हस्ताक्षर किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है—

(१) इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संधि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम तथा इटली के बीच फ्रांस जर्मनी तथा बेल्जियम जर्मनी की सीमाओं की गारन्टी सम्बन्धी संधि थी। यह सन्धि असल 'लोकानों सन्धि' थी। इसके द्वारा सभी हस्ताक्षरकारी शक्तियों ने इस बात की गारंटी दी थी कि वे वसाय की संधि द्वारा निश्चित की गयी जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित बनाये रखने तथा राइन प्रदेश के असेनीकरण का वचन देते हैं। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस ने यह समझौता किया कि वे एक दूसरे पर तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त कभी आक्रमण नहीं करेंगे और न एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। जिन तीन अवस्थाओं से युद्ध छेड़ा जा सकता था वे निम्नलिखित थे (१) आत्म रक्षा, (२) असेनीकरण की व्यवस्था का ज्वलन्त उल्लंघन तथा (३) राष्ट्रसंघ द्वारा आदेशित सैनिक कार्यवाही। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों ने अपने बीच उत्पन्न होनेवाले सब प्रकार के विवादों को शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल करने तथा संधि का उल्लंघन करनेवाले राज्यों के विरुद्ध सम्मिलित कार्यवाही करने का निश्चय किया। स

उल्लंघन हुआ है या नहीं इसका फैसला राष्ट्रसंघ की वीसिल कर सकती थी। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का वादा किया गया और यह सन्धि उसके राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने पर ही लागू होती थी।

(२) एक ओर जर्मनी और दूसरी ओर फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड और चेको स्लोवाकिया के बीच चार पक्ष निर्मात्र संधियाँ। मध्यस्थता सम्बन्धी यह संधि जर्मनी ने उपराक्त चारों देशों से अलग अलग की। इन संधियों का सद्देश्य यह था कि यदि हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच कोई झगड़ा हो तो उसका फैसला पचायती तरीके से किया जाय। लेकिन यह व्यवस्था "इस संधि के बाद उत्पन्न होनेवाले नये विवादों के लिए थी, पुराने विवादों के लिए नहीं।"

(३) एक ओर फ्रांस और दूसरी ओर पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच गारण्टी की दो सन्धियाँ। इनमें यह व्यवस्था थी कि यदि लोकमनों-समझौते का पालन नहीं होता और बिना उक्त जना के युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे की सहायता अविलम्ब करेंगे। इस प्रकार यह सन्धि एक पारस्परिक सहायता-संधि थी और इसके अन्तर्गत हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह वादा किया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में वे एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करेंगे।

लोकमनों समझौता का मल्याकन

जर्मनी और फ्रांस के विद्वेष का अन्त—लोकमनों के मधुर वातावरण में तैयार किये गये इन सात सन्धियों पर १ सितम्बर, १९२५ को लन्दन में विधिवत हस्ताक्षर किया गया और १४ सितम्बर, १९२६ को इसे लागू कर दिया गया। इन सभी संधियों में पहली श्रेणी की सन्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद के बीस वर्षों की कूटनीति की इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी। इसके द्वारा एक ओर जर्मनी और दूसरी ओर फ्रांस तथा बेल्जियम की पूर्वी सीमाओं की वस्तुतः गारण्टी हो गयी। जर्मनी ने वर्साय सन्धि द्वारा निर्धारित फ्रांस तथा बेल्जियम की पूर्वी सीमाओं को सदा के लिए स्वीकार कर लिया। अर्थात् उसने एल्सेस लोरेन पर से अपने दावे का परित्याग कर दिया। उसने राइन नदी के पूरब जर्मन सीमा को सैन्य विहीन दशा में बनाये रखने का भी वचन दिया। जर्मनी और फ्रांस दोनों ने इस सीमा पर आत्मरक्षा को छोड़ अन्य किसी कारण से परस्पर युद्ध न करने का वचन दिया और प्रत्येक को यह अधिकार मिला कि यदि दूसरा पक्ष बिना कारण युद्ध छड़े तो अन्य हस्ताक्षरकर्ता राज्य आक्रान्त को सैनिक सहायता देंगे। जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने का भी वादा किया गया।

यूरोप की राजनीति पर इस व्यवस्था का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थायी शत्रुता और वैमनस्य का मूल आधार नष्ट हो गया। जिस समय जर्मनी ने एल्सेस-लोरेन पर से अपने दावे का परित्याग कर दिया उस समय फ्रांस जर्मनी के आक्रमण की दुश्चिन्ता से मुक्त हो गया। इसने दोनों ही देशों में सौहार्द बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कि सम्भावना को प्रोत्साहित किया। क्षतिपूर्ति की समस्या का समाधान भी सम्भव दिखायी पड़ने लगा।

जर्मनी की स्थिति में वृद्धि— फ्रांस और जर्मनी में लोकानों सन्धि की बड़ी प्रशंसा की गयी और इसका विश्व शान्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया गया। यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा।* जर्मनी ने बर्साय सन्धि को स्वेच्छा से कभी स्वीकार नहीं किया था। परन्तु, यह सन्धि उसने स्वेच्छा से स्वयं वातचीत करके की थी। युद्ध के बाद पहले-पहल उसको मित्रराष्ट्रों के साथ समान स्तर पर वातचीत करने का मौका मिला था। लोकानों में इस बात की भरसक कोशिश की गयी थी कि वहाँ बर्साय का वातावरण नहीं आने पाये। चम्बरलेन, त्रियाँ और स्ट्रेस्मेन एक साथ घूमते थे और म्नील में मुस्कराते हुए नौका विहार करते थे। सप्ताह भर के समाचारपत्रों में उनके हँसते हुए और कन्धे से कन्धा मिलाये चित्र छापे गये जिससे लोगों के दिल पर यह छाप पड़ जाय कि बर्साय का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। जर्मनी केवल राष्ट्रसघ का सदस्य ही नहीं हुआ, अपितु वह कौंसिल का सदस्य भी चुन लिया गया। जर्मनी अब यूरोप की राजनीति में एक स्वतन्त्र और सम्मानास्पद देश के सदस्य भाग लेने गया। वह यूरोप के अन्य राज्यों के समकक्ष स्थान पा गया था। बदले में उसने स्वेच्छा से अपनी पश्चिमी सीमा को स्वीकार कर लिया। अब वह यह नहीं कह सकता था कि उसका साथ धारोपित सन्धि की गयी है। जर्मनी की एक शिकायत दूर ही गयी। इसके साथ ही फ्रांस की भी अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा की गारन्टी मिल गयी। अब दोनों के बीच परस्पर वैमनस्य का कोई कारण नहीं रह गया।

प्रतिशोधात्मक नीति का अन्त— लोकानों सम्झौते का एक और सुपरिणाम यह हुआ कि इसने बर्साय के प्रतिशोधपूर्ण नीति का अन्त कर दिया। इसके पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सदा जर्मनी को कुचलने, उससे बदला लेने की कटुतापूर्ण चर्चाएँ होती थीं। अब इनका स्थान “लोकानों की भावना” ने ले लिया जिसके मूल में समझौता, शान्ति चर्चा, और मुलाह था। इस प्रकार इस सन्धि ने पोवान्कारे की समतापूर्ण नीति का अन्त कर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा

स्नेह के एक नये युग का उद्घाटन किया। इस युग में अब बरला लेने की बात नहीं कही जा सकती थी। राष्ट्रसंघ में जर्मनी को प्रवेश प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघ का स्वरूप बदल गया। अब तक इसमें प्रथम विश्व युद्ध की विजेता शक्तियों का ही बोलवाला था। जिनका मुख्य उद्देश्य वर्साय-व्यवस्था को सुरक्षित तथा स्थायी रखना था। लेकिन अब इसमें पराजित पक्ष को भी स्थान मिला। अतएव वे राष्ट्रसंघ में अपनी शिकायत पेश कर सकते थे और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को अन्त करने का प्रस्ताव रख सकते थे। इस समझौते के महत्त्व की चर्चा करते हुए वास तथा विलफ ने लिखा है “लोकानों समझौते ने जर्मन सीमान्त को स्थिर किया, जर्मनी के राष्ट्रसंघ में प्रवेश का मार्ग खोला। इसके पूर्व वह वानून को भंग करनेवाला भयंकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जाता था। अन्य पराजित राष्ट्रों को संघ का सदस्य बना लेने पर भी उसे यह सुविधा नहीं दी गयी थी। किन्तु इस समझौते के बाद उसे अपने आकार, जनसंख्या तथा महानता की पुरानी श्रेणी के अनुसार संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य बनाया गया। जर्मनी के साथ प्रतिशोधात्मक नति का परित्याग कर दिया गया।”

निरस्त्रीकरण की सफलता की सम्भावना—इस भविष्य से यूरोप के राजनीतिक वातावरण में पुनः शान्ति आयी, निराशा के बादल उड़ गये और जनता ने समका बड़े हर्ष और सन्तोष से स्वागत किया। संधि होने के बाद निरस्त्रीकरण की आशाएँ भी बढ़ गयीं। फ्रांस की सुरक्षा माग इस समय उसके मनोनुकूल पूरी कर दी गयी थी और सबों ने निरस्त्रीकरण सम्बन्धी काम में अपना हार्दिक सहयोग देने का और एक व्यापक समझौता द्वारा इसे कार्यान्वित करने का वचन दिया था। उस समय के आशावादी वातावरण में राष्ट्रसंघ-कौंसिल ने नये सिरे से इस दिशा में काम शुरू किया। इसका मुख्य कारण यह था कि लोकानों समझौते के द्वारा युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस की सुरक्षा की आवश्यकताओं और वसाय संधि के शोधन की जर्मन मागों के बीच सन्तुलन स्थापित किया गया। इसकी व्यवस्थाएँ फ्रांस और जर्मनी दोनों के लिए लाभदायक थीं। यदि जर्मनी सीमान्त व्यवस्था का उल्लंघन करता तो इंग्लैंड और इटली फ्रांस की सहायता करते। इसी तरह की सहायता जर्मनी को भी प्राप्त होता यदि फ्रांस उस पर आक्रमण करता। इस प्रकार शक्ति का एक अच्छा सन्तुलन स्थापित हो गया और इस वातावरण में निरस्त्रीकरण की सफलता की सम्भावना पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी।

युद्ध और शान्ति के वर्षों को विभाजित देखा—लोकानों समझौता से निरस्त्रीकरण प्रसन्न था। वह इसको एक महान् कूटनीतिक सफलता मानता था।

चेम्बरलेन जब लोकानों से लन्दन लौटा तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि "लोकानों युद्ध क वर्षों और शान्ति के वर्षों के बीच वारतविक विभाजन रेखा की अंकित करता है।"* इसका अर्थ यह था कि ११ नवम्बर, १९१८ को प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त होने पर भी जिस प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना का अन्त नहीं हुआ, वह लोकानों की सन्धि के साथ १९२६ में समाप्त हो गया। ब्रिटिश सम्राट अपने भती की सफलताओं पर खुश होकर उसको नाइट की उपाधि से विभूषित किया। ब्रिगों का भी कहना था कि "लोकानों से नये युग का प्रारम्भ होता है।" संधि का महत्त्व बतलाते हुए उसने कहा था "जर्मनी के लिए शान्ति है, फ्रांस के लिए शान्ति है। इससे इतिहास के पृष्ठों को काला करने वाले भयकर और खतरजित संघर्षों के एक लम्बे शृंखला का अन्त होता है। राष्ट्रफलों, मशीनगनों और तोपों का जमाना लद गया, ये अब समझौते, मध्यस्थता और शान्ति के लिए माग प्रशस्त कर रही है।" स्ट्रेसमेन तो एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने कहा "हम सभी अपने अपने देश के नागरिक हैं लेकिन हमलोग यूरोप के भी नागरिक हैं। हमलोगों को समूचे यूरोप के लिए बोलने का अधिकार है।" स्ट्रेसमेन को लोकानों की सन्धियों में यूरोपीय एकता का आभास मिला।

लोकानों समझौते की श्रुतियाँ—पर जैसे जैसे स य बीतता गया वैसे वैसे लोकानों का वास्तविक स्वरूप भी प्रकट होने लगा और आज कहा जा सकता है कि लोकानों युद्ध शान्ति के वर्षों के बीच विभाजक रेखा नहीं बल्कि 'एक महान् कूटनीतिक भ्रम' था। † समय के बीतने के साथ इसकी कमजोरियाँ स्पष्ट होने लगीं। सर्वप्रथम, लोकानों से जर्मनी की पूर्वी सीमा की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जर्मनी ने अपनी पूर्वी सीमा को अन्तिम नहीं माना था जो गारटी फ्रांस और जर्मनी तथा बेल्जियम और जर्मनी की सीमाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी, वह जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया तथा जर्मनी और पोलैंड की सीमाओं के बारे में प्राप्त नहीं हुई थी। यह बात बड़े महत्त्व की थी। इसका अभिप्राय यह था कि जर्मनी अपनी पूर्वी सीमा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता है या वह पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों पर, जिनमें जर्मन लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे, फिर से कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। ब्रिटेन ने भी पूर्वी सीमा से सम्बन्धित धाराओं पर अपनी गारन्टी नहीं दी थी। अतः इसका

* 'Locarno marks the real dividing line between the years of war and peace'

† Chambers & others, *This Age of Conflict*, p 427

व्यथ था कि पूर्वी सीमा की समस्या से उत्पन्न युद्ध में ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

इन बातों पर ध्यान रखते हुए प्रोफेसर कार का कहना है कि लोकानों वसाय सन्धि और राष्ट्रसंघ विधान दोनों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ।* सबसे पहले तो इस सन्धि के कारण यह धारणा बनने लगी कि वसाय सन्धि से उत्पन्न दायित्व यदि कानूनी दृष्टि से नहीं तो नैतिक दृष्टि से, उतने बन्धनशील नहीं थे जितना स्वच्छा से स्वीकृत दायित्व। दूसरे ब्रिटेन कुछ सीमाओं को गारन्टी देने का तैयार था, परन्तु अन्य सीमाओं की गारन्टी देने के लिए राजी नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट होने लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से सीमाएँ दो कोटि की हैं। ब्रिटेन राष्ट्रसंघ विधान के अन्तर्गत अपने समस्त दायित्व को पूरा करने के लिए सदा तैयार रहने की बात तो करता रहा, परन्तु लोकानों की सन्धि से यह धारणा बन गयी कि पूर्वी यूरोप में सन्धियों द्वारा निर्धारित सीमाओं की रक्षा के लिए वह युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार, प्रोफेसर कार के अनुसार, इन सन्धियों से यूरोपीय राज्यों में यह धारणा काम करने लगी कि वसाय सन्धि तभी बन्धनशील होगी जब कि स्वेच्छा से किये गये समझौतों द्वारा उसकी पुष्टि हो जाय। इसके साथ ही यह भी मोचा जाने लगा कि किसी भी सरकार से ऐसी सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक कार्यवाही करने की आशा नहीं की जा सकती, जिसका कोई सीधा हित न हो। दस वर्ष बाद राज्य इसी सभी धारणा के आधार पर काम करने लगे।

लोकानों सन्धि वास्तविकता से भी बहुत दूर था। प्रथमतः, सन्धि के अन्तर्गत ब्रिटेन से जर्मनी द्वारा आक्रमण किये जाने पर फ्रांस को और फ्रांस द्वारा आक्रमण किये जाने पर जर्मनी को सशस्त्र सहायता देने का वचन दिया था। ब्रिटिश गारंटी से फ्रांसीसियों और जर्मनों के मन में सुरक्षा की भावना बढ़ गयी। पर, अब प्रश्न यह था कि क्या व्यवहार आने पर ब्रिटेन के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना सम्भव होगा। वास्तव में ब्रिटेन का यह दायित्व भ्रान्तात्मक एवं एकपक्षीय था, यहाँ कि जर्मनी के फ्रांस पर आक्रमण करने पर ब्रिटेन की सहायक सेना, जिसकी संख्या ८०,००० थी, फ्रांस की कुछ सहायता कर सकती थी। परन्तु फ्रांस की सुगमिमत तीन साल सेना से जर्मनी की एक लाख सेना पर, जो प्राप्तवा सुगमिमत नहीं थी, आक्रमण होने की दशा में ब्रिटेन की सैनिक सहायता (८०,००० सैनिकों के साथ) का कोई विशय धर्म नहीं हो सकता था। ब्रिटेन ने आक्रमण की स्थिति में जर्मनी को मदद करने का वादा किया था। लेकिन, यह दशों इंग्लैंड की दायी की सहायता से पूरा नहीं कर सकता था। इस प्रकार लोकानों में वास्तविकता का परिचय कर दिया गया था।

* Carr, *International Relations Between the Two World Wars*, p. 97

लोकानों पैक्ट से गलतफहमियाँ भी कम नहीं फेलीं। जर्मनी के साथ प्रथम बार समानता के स्तर पर व्यवहार किया गया, लेकिन सोवियत रूस को लोकानों सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित भी नहीं किया गया। इससे सोवियत रूस का लोकानों शक्तियों पर सन्देह होना स्वाभाविक था। जर्मनी ने पूर्वी सीमा की गारन्टी नहीं दी थी। इससे उसके इस सन्देह की और पुष्टि हो गयी कि पश्चिमी राज्य मिलकर उसके विनाश के लिए कोई षडयन्त्र कर रहे हैं।

राष्ट्रसघ के समर्थकों को भी लोकानों से काफी निराशा हुई। प्रादेशिक समझौता और विश्वव्यापी समझौता एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, लोकानों समझौता के कारण राष्ट्रसघ पर से लोगों का विश्वास घटने लगा। यह राष्ट्रसघ के भविष्य के लिए शुभ नहीं था।

लोकानों-समझौता की सुरक्ष कुजी जर्मनी को राष्ट्रसघ का सदस्य बनाना तथा कौंसिल में उसको स्थायी स्थान दिलाना था। सितम्बर, १९२६ में मित्रराष्ट्रों ने उसे राष्ट्रसघ में शामिल कर लिया और कुछ दिनों के बाद उसे कौंसिल में भी एक स्थायी जगह प्राप्त हो गयी। लेकिन, राष्ट्रों की मण्डली में जर्मनी का प्रवेश सरलता से नहीं हो सका। उस समय राष्ट्रसघ कौंसिल में चार स्थायी सदस्य— ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान—और छह अस्थायी सदस्य थे। जब जर्मनी की कौंसिल का एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव आया तब पोलैंड, स्पेन, ब्राजील और चीन—जैसे राज्य भी अपने लिए स्थायी स्थान पाने की माँग करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कौंसिल में एक नये तरह का संकट उठ खड़ा हुआ। फ्रांस ने स्वभावतः अपने मित्रराज्य पोलैंड की सम्पीदवारी का समर्थन किया। इस पर काफी झगडा हुआ और राष्ट्रसघ के प्रति जर्मनी का अविश्वास और भी बढ़ गया। इन घटनाओं से उसको जो क्षोभ हुआ उसके फलस्वरूप उसने २४ अप्रिल, १९२६ को सोवियत रूस के साथ एक मित्रता की संधि कर ली। अन्त में, कौंसिल की जगह को लेकर जेनेवा में जो बवन्दर उठ खड़ा हुआ या वह शान्त हो गया और जर्मनी को एक स्थायी जगह प्राप्त हो गयी।

इन सब बातों के अतिरिक्त स्ट्रेस्मेन ने लोकानों का अर्थ बही लगाया जो जर्मनी के हित में अच्छा हो सकता था। लोकानों से जर्मनों को सौंभ लेने का एक अच्छा मोका मिल गया। स्ट्रेस्मेन का कहना था कि अगर वह शान्ति-समझौता वास्तव में शान्ति स्थापित करता है तो राइनलैंड से मित्रराष्ट्रों को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। 'लोकानों के वातावरण में' जर्मनी की वे सभी चीजें मिलनी चाहिए जिसपर उसका न्यायपूर्ण दावा है। जर्मनी की इस माँग को पूरा करने से मित्रराष्ट्र इन्कार नहीं कर सकें और जिस दिन लोकानों सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ उसी दिन से मित्रराष्ट्रों की सेना राइनलैंड से हटने लगी। मित्रराष्ट्रों के संयुक्त दैनिक आयोग

को भी जनवरी, १९२७ में हटा दिया गया। १९२८ में इसका परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा। उस वर्ष से जर्मनी ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अन्त में उसकी शक्ति इतनी बढ़ गयी कि वह यूरोपीय शान्ति के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हुई। लोकानों का वास्तविक महत्त्व इसी बात में है।

उपसार - इन सब बातों के बावजूद लोकानों पैक्ट ने यूरोप में शान्ति स्थापना के कार्य में महत्त्वपूर्ण योग दिया। फ्रांस और जर्मनी दोनों में इसका हृष के साथ स्वागत हुआ। एक अर्थ में यह कहना अधिक सत्य होगा कि प्रथम महा युद्ध का अन्त १९१९ की वर्साय-सन्धि से नहीं वरन १९२५ की लोकानों सन्धि से हुआ। युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस और जर्मनी की आवश्यकताओं के बीच न्यायोचित और निष्पक्ष सन्तुलन स्थापित हुआ। जिस काय को डावस-योजना ने प्रारम्भ किया था उस कार्य को इस समझौता ने पूरा किया। इस दृष्टिकोण से ऑस्टिन चैम्बरलेन का 'युद्ध और शान्ति के वर्षों के बीच वास्तविक विभाजन रेखा' के कथन को ठोक माना जा सकता है। लेकिन, अन्य दृष्टियों से यह कथन यद्यत्ता से उसना ही दूर है जितना १९७८ के वर्लिन-सम्मेलन के बाद डिजरेलो का कथन। खासकर फ्रांसीसी सुरक्षा के प्रश्न को लोकानों समझौता हल नहीं कर सका। अगर फ्रांस की सुरक्षा निश्चित हो गयी होती तो वह तथाकथित पेरिस पैक्ट और अन्य सुरक्षा मार्गों के लिए फिर से प्रयास नहीं करता।

लोकानों पैक्ट की सफलता के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं और उनमें सभी तर्कों का महत्त्व है, लेकिन इसकी स्थायी देन के महत्त्व में कमी नहीं की जा सकती। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मामलों पर व्यापक और दूरस्थ प्रभाव छोड़ गया। १९५४ में हिन्द चीन समस्या पर विचार करने के लिए जब जेनेवा में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ तब ब्रिटिश ससद् में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री सर ईडन और भारतीय ससद् में बोलते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने लोकानों वातावरण (spirit of Locarno) तैयार करने की अपील की थी। अनेक ऋटियों के बावजूद लोकानों मद्रा के लिए राष्ट्रों के बीच 'शान्तिपूर्ण सहजीवन' (peaceful co existence) का प्रतीक बन गया। लोकानों का यह स्थायी प्रभाव है।

४. पेरिस पंक्ट

पैक्ट की पृष्ठभूमि—लोकानों पैक्ट से फ्रांसीसी सुरक्षा के प्रश्न का वास्तविक समाधान नहीं हो सका। इसलिए सुरक्षा के अन्य साधनों की खोज पहले की तरह ही होती रही। इस सधि से फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्ध पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे हो गये थे। दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार कर

लिया था और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। पर जर्मनी के पूर्वी सीमा की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। जर्मनी ने इस सीमा की गारंटी नहीं दी थी। यदि जर्मनी अपनी पूर्वी सीमा को अनुचित समझकर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करे तो फ्रांस का जर्मनी के साथ युद्ध में फँस जाना अवश्यम्भावी था, क्योंकि सैनिक सन्धियों के आधार पर फ्रांस को इन देशों की सहायता करनी थी। पूर्वी सीमा से उत्पन्न किसी भी युद्ध में फ्रांस के लिए तटस्थ रह सकना असम्भव था। इसके अतिरिक्त फ्रांस और जर्मनी दोनों लोकानों सन्धि का मित्र-भिन्न अर्थ लगाते थे। फ्रांस समझता था कि इस संधि के द्वारा जर्मन ने वर्साय-संधि को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। जर्मनी की आशा थी कि इस संधि के फलस्वरूप वर्साय संधि में संशोधन किया जायगा। इन सब कारणों से लोकानों से फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो पायी। फ्रांसीसी नीति-निर्धारकों द्वारा सुरक्षा की खोज जारी रही। केलौग 'त्रियाँ पैक्ट या पेरिस पैक्ट' इसी खोज का परिणाम था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के गैरसरकारी हलकों में कुछ समय से युद्ध को अवैध घोषित करने के लिए आन्दोलन चल रहा था। पर युद्ध का अन्त तब तक नहीं हो सकता है जब तक सामर के राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निबटाने के लिए बल प्रयोग के उपाय को सदा के लिए परित्याग नहीं कर दें। इसी भावना से प्रेरित होकर पोलैंड के प्रतिनिधि ने १९२७ में राष्ट्रसंघ-सम्मेली के सामने युद्ध को निषिद्ध करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निबटाने के लिए शान्तिपूर्ण साधनों को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था। इस दिशा में एक प्रभावशाली प्रयत्न पेरिस में भी हो रहा था। अप्रिल, १९२७ में फ्रांसीसी विदेश मन्त्री त्रियाँ ने अमेरिकी जनता के नाम एक सन्देश भेजा। इसमें उसने यह सुझाव दिया था कि अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के दशवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर फ्रांस और अमेरिका सिद्धान्ततः युद्ध को एक साधन के रूप में अस्वीकार करने का एक पारस्परिक समझौता करें। फ्रांस और अमेरिका के पारस्परिक सम्बन्ध उस समय बिल्कुल मधुर थे। उसमें आपस में किसी भी प्रश्न पर झगडा होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इस दशा में इस प्रकार के समझौते का व्यावहारिक महत्त्व कुछ नहीं था। इसलिए अमेरिकी विदेश सचिव थो केलौग ने प्रारम्भ में फ्रांसीसी प्रस्ताव का उत्तर देने में कुछ शिथिलता दिखायी। पर, इस समय अमेरिका में 'युद्ध को अवैध घोषित करो' आन्दोलन काफी जोर पकड़ रहा था। अतः छह मास बाद अमेरिकी विदेश सचिव केलौग ने सुझाव रखा कि प्रस्तावित समझौता बहुपक्षीय होना चाहिए, जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र शामिल हो सकें और इसमें सभी 'राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग त्याग देने' की

प्रतिज्ञा करें। यह सुझाव फ्रांसीसी मंत्री को तुरत स्वीकार नहीं हुआ। पर, अप्रिल में मियॉ ने फ्रांसीसी अमरीकी पत्र-व्यवहार को जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान की सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया।

पेरिस का समझौता—केलोग के प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बेल्जियम, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि २७ अगस्त, १९२७ को पेरिस में एकत्र हुए। इन नौ राज्यों ने मिलकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि वे 'राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग नहीं करेंगे' और अपने झगड़ों को निपटाने के लिए युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। यह समझौता पेरिस पैक्ट अथवा केलोग-ब्रिगॉ-पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के अनुसार हस्ताक्षरकर्ता केवल उसी हालत में अग्रे शर उठा सकते थे जब उनका अपनी सुरक्षा का सवाल हो। ब्रिटेन ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी आत्मरक्षा के अधिकार में विश्व के कुछ ऐसे भागों की रक्षा करने का अधिकार भी सम्मिलित है 'जिनका कल्याण और अखण्डता दोनों हमारी सुरक्षा के लिए विशेष तथा महत्त्वपूर्ण हित रखते हैं।' अमेरिका के लिए आत्मरक्षा में ऐसी कोई भी कारवाही शामिल थी जो 'मुनरो सिद्धांत' का उल्लंघन रोकने के आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य अपने कामों का एकमात्र निर्णायक था। इसलिए बहुत लोग इस समझौते को व्यावहारिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा सैद्धान्तिक घोषणा ही अधिक मानते हैं। समझौते को कार्यान्वित करने के लिए किसी प्रकार की सस्था या सगठन का निर्माण नहीं किया गया।

पेरिस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य राज्यों को भी निमन्त्रण दिया गया। केवल अरब के हेजाज और ओमन राज्य को शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। कुछ सप्ताहों के भीतर तीस राज्य उसे स्वीकार करने को तैयार हो गये, जिनमें सोवियत-रूस भी एक था। १७ जनवरी, १९२९ को समुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते का अनुमोदन कर दिया और दो वर्षों के अन्दर पैंसठ देशों ने इस समझौते को मान लिया। केवल अर्जेन्टाइना, ब्राजील, बोलिविया और ऐलवेडोर ने इस समझौते में शामिल होने से अपनी असमर्थता प्रकट की। आरम्भ में कुछ द्विचक्रिया के बाद सोवियत संघ का उत्साह इतना बढ़ गया कि अपने अरबने पड़ोसियों के साथ उन तरह का समझौता करने के लिए तुरत ही बंधन उठाया। उस समय (१९२८ में) राष्ट्रसंघ के कुन सदस्यों की संख्या अठारह थी। पेरिस-पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या राष्ट्रसंघ के सदस्यों से भी अधिक थी।

समझौते का मूलवांस्तन — पेरिस समझौता इतिहास की एक अपूर्व घटना थी और नैतिक दृष्टि से इसने एक नवीन युग की सृष्टि की। इतिहास में यह पहला राजनीतिक समझौता था, जिसमें इतनी बड़ी सख्या में सत्तार के विभिन्न राज्य सम्मिलित हुए थे। कुछ समय के लिए इस पैक्ट से सत्तार में नयी आशा का संचार हुआ। लोग समझने लगे कि अब युद्धों का अन्त होकर चिरशान्ति का युग आ गया है।* युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त पेरिस पैक्ट केवल युद्ध को बहिष्कार करने का सबला मात्र ही नहीं था, अपितु वह एक ऐसा निणय था, जिसके अनुसार राष्ट्रसंघ के बाहर के राज्य प्रत्यक्ष रूप से शांति के सामूहिक सगठन में भाग ले सकते थे। इन्हीं कारणों से पेरिस-पैक्ट का सारे सत्तार में उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ। इस कारण उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि पेरिस पैक्ट राष्ट्रसंघ के लिए चुनौती है। राष्ट्रसंघ के विधान में युद्ध का पूर्णतया बहिष्कार नहीं किया गया था। खास खास अवस्था में युद्ध किया जा सकता था। लेकिन, पेरिस पैक्ट के अनुसार सभी प्रकार के युद्ध अत्रैष घोषित कर दिये गये थे। इसलिए पेरिस-पैक्ट क सामने राष्ट्रसंघ का विधान महत्त्वहीन पड जाता था। पर वास्तविकता कुछ दूसरी ही थी। प्रोफसर कार के अनुसार पेरिस समझौता एक नैतिक घोषणा थी और राष्ट्रसंघ का विधान एक राजनीतिक सन्धि। पेरिस समझौते के द्वारा सभी प्रकार के युद्धों की निन्दा की गयी थी, पर यदि कोई राज्य युद्ध शुरू करे तो उसको रोकने के लिए इसके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। राष्ट्रसंघ में कुछ युद्धों का आश्रय लेने की अनुमति थी और कुछ युद्धों का उसमें निषेध था। इसके विधान ने युद्ध का सर्वथा बहिष्कार बेशक नहीं किया था, पर इसमें इस बात की व्यवस्था अवश्य विद्यमान थी कि युद्ध शुरू करनेवाले राज्य के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। निषिद्ध युद्धों के लिए दण्ड देने की व्यवस्था इसमें मौजूद थी। इस दृष्टिकोण से पेरिस-पैक्ट में बहुत बड़ी बड़ी त्रुटियाँ थीं। लेकिन, इसके बावजूद यह राष्ट्रसंघ के सदस्यों को प्रेरणा देता रहा।†

१९२९ में कुछ राज्यों ने यह प्रयत्न किया कि पेरिस पैक्ट के निणयों के अनुसार राष्ट्रसंघ के विधान में सशोधन किया जाय और युद्ध का सर्वथा बहिष्कार करते हुए लड़ाई करनेवाले राज्यों को दण्ड देने की व्यवस्था की जाय। इस वर्ष ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रसंघ के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव भी उपस्थित किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल ने इसका हादिक स्वागत किया क्योंकि

* Gathorne Hardy op cit, pp 183 184

† Carr, op cit p 119.

इसमें उसको अपनी सुरक्षा का शुभ चिन्ह दिखाई पड़ता था। प्रस्ताव पर उस समय मत लिया जाता तो यह सम्भव था कि वह बहुमत द्वारा स्वीकृत हो जाता। लेकिन, अनुमोदन के समय शायद उसकी वही दुर्गति होती जो जेनेवा प्रोटोकॉल की हुई थी। अतः दूरदर्शिता के साथ यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को दूसरे अधिवेशन तक स्थगित कर दिया जाय। इसके बाद आर्थिक संकट का युग आया और ब्रिटेन में सरकार भी बदल गयी। अतएव यह प्रस्ताव पार्श्व-कार्तियों पड़ा रह गया।

सभी युद्धों को निपिड़ कर देने से पेरिस-पैक्ट का एक दूसरा नतीजा यह हुआ कि जिन राष्ट्रों ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे वे बिना युद्ध घोषणा किये ही युद्ध लड़ने लगे। उदाहरण के लिए १९११ में जापान ने बिना घोषणा किये ही चीन के साथ युद्ध जारी कर दिया। इस तरह १९३० के बाद 'अघोषित युद्ध' (undeclared war) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण सिद्धांत बन गया।

इन सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि पेरिस पैक्ट एक पवित्र घोषणा या संकल्पमात्र था जिसका व्यावहारिक मूल्य कुछ भी नहीं था। संकल्प से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता और इसी लिए पेरिस पैक्ट के बावजूद दुनिया में युद्ध होते रहे। आश्चर्य का विषय तो यह है कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पैक्ट का अनुमोदन किया था, फिर भी उसने एक विशेष बिल पास करके अमेरिकी नौ शक्ति को दुगुना कर दिया। जर्मनी, इटली और जापान-जैसे राज्य पेरिस-पैक्ट के शुभ संकल्पों पर निर्भर रहने की अपेक्षा सैनिक सन्धियों और तैयारियों को अधिक महत्त्व देने लगे। यही हाल फ्रांस और उसके साथी राज्यों का भी था। सुरक्षा और चिरशान्ति केवल एक शुभेच्छा और कहरना की बात रह गयी थी।

५. निरस्त्रीकरण की समस्या

विषय प्रवेश — राष्ट्रों के बीच जब तक हथियारबन्दी की होड़ चलती रहेगी तबतक शान्ति और सुरक्षा की कल्पना करना एकदम व्यर्थ है। वस्तुतः निरस्त्रीकरण का प्रश्न विश्व शान्ति की समस्या से कोई भिन्न प्रश्न नहीं है, वरन् दोनों एक प्रकार से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं।

निरस्त्रीकरण मनुष्य मात्र का एक प्राचीन स्वप्न है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 'सैन्य शान्ति' के युग में निरस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किये गये थे, लेकिन किसी में कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध इस असफलता का एक परिणाम था। इसलिए हथियारबन्दी की होड़ उस युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। युद्ध के समय सत्कार के राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य को महसूस किया कि शान्ति के विविध पक्षियों में हथियारबन्दी की होड़ रोक्ने की चर्चा कर दो

गयी। विल्सन के 'चौदह सूत्रों' के चौथे सूत्र में यह बात कही गयी थी कि 'इस बात की प्रयास गारन्टी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा धुँकी ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों के शस्त्रास्त्र कम से कम दिए जायें।' राष्ट्रसंघ के विधान की आठवों धारा द्वारा राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने यह स्वीकार किया था कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों में निम्नतम सोमा निर्धारित करना शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक है'। वर्षाय सन्धि और अन्य संधियों के द्वारा भी पराजित राज्यों के शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण कर दिया गया। मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी को यह वचन दिया था कि जर्मनी का निरस्त्रोकरण व्यापक निरस्त्रोकरण की दिशा में पहला कदम है। परास्त राज्यों की सेनाओं को कम करने का प्रयोजन यह बतलाया गया कि अन्य राज्य भी अपनी सेनाएँ कम कर देंगे। जब जर्मनी और उनके साथियों की तरफ से लड़ाई का खतरा कम हो जायगा तो फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड आदि के लिए भी यह सम्भव हो जायगा कि वे अपनी सेनाओं में कमी कर सकें। पर जहाँ एक तरफ मित्रराष्ट्रों से जर्मनी को यह वचन दिया था कि जर्मनी को निरस्त्र कर दिये जाने के बाद व्यापक निरस्त्रोकरण किया जायेगा वहाँ साथ ही साथ 'राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए' का उपबन्ध भी जोड़ दिया गया था। इसका अर्थ था मित्रराष्ट्र अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए अपना निरस्त्रोकरण करेंगे। ये दोनों बातें कुछ परस्परविरोधी थीं और इन विरोधी सिद्धान्तों के बीच परस्पर संघर्ष ही निरस्त्रोकरण की समस्या है।

युद्ध के बाद प्रश्न यह था कि व्यापक निरस्त्रोकरण की दिशा में किस तरह कदम उठाया जाय। सब राज्य समझते थे कि उनकी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। सेनाएँ या हथियारबन्दी को छोड़ शान्ति के लिए विशेष खतरनाक है, पर उनका अभाव या कमी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी अधिक खतरनाक है। निरस्त्रोकरण के विरुद्ध इस तरह के तर्क बराबर उपस्थित किये जाते थे। इसके बावजूद करीब पन्द्रह वर्षों (१९१९ से १९३३) तक ससार के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयास करते रहे। दो विश्व-युद्धों के बीच का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास इन प्रयासों की सफलता की एक दुखान्त कहानी है।

प्रारम्भिक प्रयास - युद्ध के समाप्त होने के तुरन्त बाद निरस्त्रोकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो गया था। ससार के लोग युद्ध की विभीषिका से तबाह हो गये थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि युद्ध के कारणों को दूर करके सदा के लिए युद्ध का अन्त हो जाय। राष्ट्रसंघ की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवयुवक का सूत्रपात हुआ था। इस पृष्ठाधार में शस्त्रास्त्रों में सन्तोषजनक पाबन्दी लगाने का यह एक बहुत अच्छा शुभ अवसर था। ऐसी स्थिति में लायड

जार्ज ने यह प्रस्ताव रखा कि "राष्ट्रसभ विधान पर हस्ताक्षर हो जाने के पूर्व प्रमुख शक्तियों के बीच उनके शस्त्रास्त्रों की मात्रा सीमित करने के बारे में समझौता हो जाना चाहिए। राष्ट्रसभ की सफलता को पहली शर्त यह है कि बड़े राज्यों के बीच एक पक्का समझौता हो जाय जो वे सैनिक क्षेत्रों में एक दूसरे से होठ नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रसभ-विधान पर हस्ताक्षर होने के पूर्व यह समझौता न हुआ तो राष्ट्रसभ एक विडम्बना मात्र हागा। इससे यह बात प्रामाणित हो जायगी कि राष्ट्रसभ के प्रमुख प्रवर्तकों को उनके प्रभाव में कोई विश्वास नहीं है। पर यदि राष्ट्रसभ के प्रमुख सदस्य अपनी शस्त्र-स्त्रों पर पाबन्दी लगा दें तो यूरोप के सभी छोटे छोटे राज्य भी अपनी सैनिक शक्ति को सीमित रखेंगे।"

पर इस अनुकूल अवसर से लाभ नहीं उठाया गया और बड़े राज्यों ने इस स्वर्ण अवसर को यों ही खो दिया। राष्ट्रसभ विधान की आठवीं धारा के अनुसार राष्ट्रसभ नौसिल को यह आदेश था कि वह 'विभिन्न सरकारों द्वारा विचार और कारवाई' के लिए शस्त्रास्त्रों में कमी सम्बन्धी योजनाएँ बनाएँ। मई, १९२० में, राष्ट्रसभ-विधान की नवीं धारा के अनुसार एक स्थायी सलाहकार आयोग (Permanent Advisory Commission) को संगठित किया गया। इस आयोग में भौतिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक विशेषज्ञ थे। इसके सात महोत्सव बाद नवम्बर, १९२० में कौंसिल ने एक अस्थायी मिश्रित आयोग (Temporary Mixed Commission) की स्थापना की, जिसमें नागरिकों और सेना दोनों ही के प्रतिनिधि थे। १९२२ में अस्थायी मिश्रित आयोग के ब्रिटिश प्रतिनिधि लार्ड एशर ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें प्रत्येक राज्य की सेना के लिए एक निश्चित सख्या निश्चित की गयी थी।

नाविक सम्झौता

वाशिंगटन-सम्मेलन (१९२१-२२) — निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में पहली सफलता वाशिंगटन सम्मेलन में मिली। नाविक क्षेत्र में शस्त्रास्त्रों की कमी करने का यह प्रथम प्रयास था। नौ सेना को सीमित करने का प्रस्ताव राष्ट्रसभ की ओर से नहीं बन सका सयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका सामुद्रिक उद्घाटन बनाने की दौड़ में भाग लेना चाहता था। परन्तु, नाविक स्पर्धा काफ़ी खर्चीली हो। अतः बुद्धिमानों इसी बात में थी कि नाविक शक्तियों आपस में समझौता करके अपनी अपनी नौ सेना को मर्यादित कर लें। इसका साथ ही अमेरिकी सरकार को यह दिखाना चाहती थी कि यद्यपि अमेरिका राष्ट्रसभ में सम्मिलित नहीं हो सका, तो भी सशर में शान्ति बनाये रखने के लिए वह उत्सुक है। अतः राष्ट्रपति हार्डिन्ज के आग्रह पर १९२१-२२ में वाशिंगटन में नाविक शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेनेवाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान थे। यह सम्मेलन नाविक निरस्त्रीकरण के अतिरिक्त प्रशान्त-

महासागर तथा पूर्वी एशिया-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। अतः इसमें चीन, हॉलैंड, बेल्जियम तथा पोर्तुगाल भी आमन्त्रित किये गये थे।

व वाशिंगटन सम्मेलन को जितनी सफलता मिली उतनी सफलता किसी दूसरे निरस्त्रीकरण-सम्मेलन को नहीं मिली थी। इस सम्मेलन को सफलता का रहस्य यह था कि इसमें भाग लेनेवाले देशों को नाविक शक्तों को जारी रखकर किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना नहीं था। सभी नौ सेना के उत्कालीन स्तर को कायम रखते हुए अपनी राजनीतिक और बार्थिक सतुलन का बनाये रखना चाहते थे। अगर नौ सेना के स्तर में यथास्थित बनी रहे तो सबके हक में अच्छा हो सकता था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमरीकी विदेश-सचिव चार्ल्स इघनहूपर ने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका अपनी नौ सेना में वृद्धि का रोकने के लिए तैयार है यदि ब्रिटेन और जापान भी इस काम में उसका साथ दें। वह अमेरिका की तरफ के नाविक-शक्ति में यथास्थिति बनाये रखने का समर्थक था।

सम्मेलन में जगो जहाजों की संख्या को नियन्त्रित करने के प्रश्न पर विचार हुआ। अतः में यह निर्णय किया गया कि अगले दस साल तक विविध राज्यों के जगो जहाजों में यह अनुपात कायम रखा जाय—अमेरिका ५, ब्रिटेन ५, जापान ३, फ्रांस २ ६७, और इटली २ ६७। छोटे जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिका चाहता था कि इस तरह का कोई फैसला छोटे जगो जहाजों के सम्बन्ध में भी हो जाय। पर ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि सारे सवार में फैले हुए विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए छोटे जगो जहाजों के निर्माण में किसी भी प्रकार के नियन्त्रण को स्वीकार करना उसके लिए सम्भव नहीं है। वह पनडुब्बियों के प्रयोग को बन्द करना चाहता था। फ्रांस इससे सहमत नहीं था। अतः इस बात पर अधिक दबाव नहीं डाला गया था।

वाशिंगटन सम्मेलन से यह लाभ अवश्य हुआ कि नौ सेना में वृद्धि करने की जो होड़ चल रही थी वह कम से-कम दस साल तक रुक गयी। बड़े जहाजों पर होनेवाले भारी खर्च को दस साल के लिए रोक दिया गया। अन्य प्रकार के जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होने का अर्थ यह था उनके सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा चलती रही जिससे सुरक्षा की भावना बढ़ने का अपेक्षा कम हो गयी। ब्रिटेन छूटा छोटा जगो जहाज बनाता रहा। अ य राज्यों का सबसे यह सख्त शिकायत थी। उधर ब्रिटेन की शिकायत थी कि फ्रांस सैनिक जहाज बनाने को और बढम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन-सम्मेलने में दो और कठिनाइयाँ थीं। वाशिंगटन सम्मेलन में फ्रांस और इटली को नाविक शक्ति में समानता स्वीकार कर ली गयी थी। परन्तु, फ्रांस को इस निणय से आपत्ति थी। उनका कहना था

कि इटली को तो केवल भूमध्यसागर में अपनी रक्षा करनी है, परन्तु स्वयं फ्रांस की भूमध्यसागर के अतिरिक्त उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर के तट की भी रक्षा करनी है। इस कारण फ्रांस की माँग थी कि उसकी नाविक शक्ति इटली की शक्ति से अधिक हो। इस विषय पर भी कोई समझौता नहीं हो सका।

दूसरी कठिनाई जापान के सम्बन्ध में थी। उसने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के कारण अपने जहाजों में कमी स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त उसे चीन को भी अधिक राजनीतिक सुविधाएँ देनी पड़ी। उदाहरण के लिए शान्ति द्वीप प्रायद्वीप को जापान ने चीन को लौटा देने का वचन दिया। जापान को अपनी महत्त्वाकांक्षाओं पर अकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। प्रोफेसर कार के अनुसार जापान इसमें अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझता था और आगे चलकर इस समझौते को भंग करने का प्रयत्न करना उसके लिए स्वामाविक था।

राष्ट्रसंघ के प्रयास — वाशिंगटन सम्मेलन राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में नहीं हुआ था। अभी तक राष्ट्रसंघ-विधान की आठवीं धारा ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी और उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कदम उठाना आवश्यक था। इस क्षेत्र में राष्ट्रसंघ के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। सबसे बड़ी अड़चन फ्रांस की तरफ से थी। फ्रांस का कहना था कि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी नहीं मिल जाती तब तक निरस्त्रीकरण का वातावरण बेकार है। १९२२ में अस्थायी मिश्रित आयोग के ब्रिटिश प्रतिनिधि लार्ड एशर ने सुझाव रखा कि विभिन्न देशों में अनुपात के अनुसार सेना होनी चाहिए। यह सुझाव कुछ प्राविधिक कारणवश बाद में रद्द कर दिया गया। इसी बीच आयोग ने विभिन्न देशों के शस्त्रीकरण सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त किये तथा सैनिक बजट और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ इकट्ठी कीं। आयोग की उच्च रिपोर्ट पर राष्ट्रसंघ एसेम्बली ने शस्त्रीकरण-सम्बन्धी व्यय पर नियंत्रण लगाने की सिफारिश की। इस साल आयोग के एक सदस्य लार्ड राबर्ट सेसिल ने आयोग के सामने निरस्त्रीकरण के लिए चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिन्हें आयोग ने निम्न रूप में स्वीकार कर लिया—(१) शस्त्रास्त्रों में कमी का प्रस्ताव तभी सफल हो सकता है जब इसको व्यापक रूप दिया जाय। (२) यह कमी सुरक्षा की सन्तोषजनक गारंटी पर निर्भर है। (३) यह गारंटी व्यापक होनी चाहिए अर्थात् सबकी ओर से हो। (४) यह गारंटी तभी निश्चित मानी जायगी जब सभी सदस्य राष्ट्र अपने यहाँ शस्त्रीकरण में कमी करने का निश्चित वचन दें। इस प्रस्ताव पर एसेम्बली में काफी वाद-विवाद चला। इस वाद-विवाद का परिणाम निरस्त्रीकरण नहीं हुआ, बल्कि आयोग को एक पारस्परिक सुरक्षा संधि का महाविदा तैयार करने को कहा गया जो पीछे चलकर 'जेनेवा प्रोटोकॉल' के रूप में आया। इस सम्पूर्ण

अवधि में निरस्त्रीकरण की दिशा में दो बातों को छोड़कर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। एक तो वाशिंगटन-सम्मोते के आधार पर छोटे छोटे राष्ट्रों की नाविक शक्ति को सीमित करने का अमूल्य प्रयास और दूसरे, शस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियन्त्रण करने के लिए एक समझौता। पर इस समझौते पर कभी भी अमल नहीं किया गया। युद्ध में गैसों के प्रयोग को रोकने के लिए भी एक समझौता हुआ था और इटली को लगाकर पच्चीस राज्य इस समझौते में सम्मिलित थे। एक दशाब्दी के अन्दर ही अवीसोनिया में इस समझौते का उल्लंघन भी हो गया।

लोकानों सन्धियों पर हस्ताक्षर होने के बाद निरस्त्रीकरण की आशा पुनः बढ़ गयी। जर्मन आक्रमण से फ्रांसीसी सुरक्षा की माँग इस समय प्रभावशाली रूप से पूरी कर दी गयी थी और लाकानों के हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपने आपको इस बात के लिए वचनबद्ध किया था कि इन समझौते के परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघ विधान की आठवीं धारा की दशा में वे प्रभावशाली कदम उठावेंगे। दिसम्बर, १९२५ में कौंसिल ने एक निरस्त्रीकरण-सम्मेलन प्रारम्भिक आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) की नियुक्ति की। जर्मनी, अमेरिका और सावियत संघ सबों से इस आयोग के सदस्य बनने का अनुरोध किया गया था। प्रथम दानों देशों ने वृत्त ही और सावियत-संघ ने अगले वर्ष यह आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। आयोग का काम निरस्त्रीकरण समस्या का अध्ययन और सिफारिश का मशविदा तैयार करना था, ताकि उस मशविदे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण-सम्मेलन में विचार हो सके। आयोग की नाविक निरस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि इस पर सप्ताह की नाविक शक्तियों ने अपनी ओर से पहले ही विचार शुरू कर दिया था। इस आयोग की पहली बैठक मई, १९२६ में हुई। इसके कार्यों पर हम आगे के पृष्ठों में विचार करेंगे।

जेनेवा सम्मेलन — १९२१-२२ के वाशिंगटन नौ-सेना सम्मेलन में छोटे जमी जहाजों के सम्बन्ध से कोई फैसला नहीं हो सकता था। इन जहाजों के उत्पादन को मर्यादित करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं था। १० फरवरी, १९२७ को अमरीकी राष्ट्रपति काल्विन कूलिज ने लडाकू विध्वंसक जहाज तथा पन्डुबियों का निर्माण सीमित करने के लिए 'वाशिंगटन शक्तियों' (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जापान) को एक सम्मेलन के लिए आमन्त्रित किया। ब्रिटेन और जापान ने अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किन्तु फ्रांस और इटली ने अस्वीकार कर दिया। अतः उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका ब्रिटेन तथा जापान को मिलाकर २० जून, १९२७ को जेनेवा में दूसरा नौ सेना सम्मेलन आरम्भ हुआ। इस सत्र में तीनों देशों के वही प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, जो निरस्त्रीकरण

प्रारम्भिक आयोग में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन, जेनेवा-सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडलों में उन्हीं प्रतिनिधियों की प्रमुखता थी, जो नौ-सेना के अफसर थे। स्वभावतः ये अफसर वैसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जिसका परिणाम स्वरूप स्वयं उनके पेशे का ही अन्त हो जाय।

सम्मेलन की कार्यवाही को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें भाग लेने वाले देश पहले से ही इसको अमफल बनाने के लिए तैयार बैठे थे। एक तो सम्मेलन बुलाने के पहले कोई कूटनीतिक तैयारी नही की गयी थी। अमरीकी प्रतिनिधि मंडल ने यह प्रस्ताव रखा कि वाशिंगटन अनुपात को छोटे छोटे जगो जहाजों पर भी लागू किया जाय। अमेरिका ने सुझाव रखा कि ब्रिटेन और अमेरिका चार चार लाख टन के युद्धपोत रखें, जिसमें २५ बड़े जहाज और २० छोटे जहाज हों। पर ब्रिटेन का विचार था कि उसका सुविशाल साम्राज्य की विशेष परिस्थिति के कारण उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। उसका कहना था कि ७० युद्धपोत से कम से उसका काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसको समस्त विश्व से रसद मगानी पडती है। ब्रिटेन और अमेरिका में परस्पर इतना मतभेद पैदा हुआ कि सम्मेलन बिल्कुल भग हो गया। सम्मेलन की समाप्ति पर यह स्वीकार कर लिया गया कि सम्मेलन असफल रहा है। निःसंकीर्णता की दिशा में यह प्रथम पराजय थी।

जेनेवा सम्मेलन की असफलता के कई कारण थे। ब्रिटेन छोटे जहाजों को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक समझा था। सम्मेलन के अधिवेशन के दिनों में ब्रिटिश-मंत्रिमण्डल से एक ऐसा विचारधारा प्रबल हो रही थी जो गणितीय समता के सिद्धान्त को किसी भी अर्थ में मानने की मूलतः विरोधी थी। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने का अर्थ व्यावहारिक रूप से अमेरिका की प्रधानता स्वीकार कर लेना समझा जाता था। समाचार पत्रों द्वारा फैलाई गयी कुछ गलतफहमियों के कारण भी सम्मेलन असफल रहा। ब्रिटेन के लोगों की यह धारणा हो गयी थी कि अमेरिका के अस्त्र-शस्त्र से सम्बन्धित पूँजीपति वर्ग जेनेवा-सम्मेलन को असफल बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील है। वास्तव में दो साल बाद यह भेद खुला कि विलियम सियरर नामक एक व्यक्ति को इन पूँजी-पतियों ने जेनेवा में रख छोड़ा था, जिसका मुख्य काम इस सम्मेलन को किसी तरह असफल बनाना था। ४ अगस्त, १९२७ को सम्मेलन भग हो गया।

जेनेवा-सम्मेलन की असफलता की काली छाया तो राष्ट्रसंघ पर पड़ी ही, किन्तु इससे अंग्रेज अमरीकी सम्बन्ध भी खराब हो गया। ब्रिटेन में अंग्रेज जापानी सन्धि को पुनः दुहराने की बात चलने लगी। अमेरिकावाले इस निष्कण्ड पर पहुँचने लगे कि अमेरिका को अपनी नौ-सेना में इतनी वृद्धि करनी चाहिए जिससे अन्य दूरकर अपनी नाविक शक्ति सीमित करने के लिए बाध्य हो। अतः फरवरी,

१९२९ में अमरीकी कांग्रेस ने नौ सैनिक निर्माण विधेयक का स्वीकृत कर जहाजों के निर्माण में वृद्धि का आदेश दे दिया।

संज्ञा सम्मेलन—जेनेवा सम्मेलन की अमफलता से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध काफी खराब हो चुका था। पर १९२९ में राजनीतिक वातावरण कुछ सुधरने लगा। उस वर्ष हर्बर्ट हूवर अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसका तीन महीने बाद मेकडानल्ड के नेतृत्व में ब्रिटेन पर मचदूर दल की सरकार बनी। एडगर पेरिस पैक्ट हा चुका था। इसने दुनिया के लोगों में कुछ आशा बँधी। इसी समय सारा सत्तार आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में हथियार-बन्दी को होड़ एक भारी बोझ प्रतीत होती थी। आंग्ल अमराको सम्बन्ध विगड़ जाने से कनाडा में काफी बेचैनी थी। कनाडा की डामोनियन सरकार इस बात पर दबाव डालती रही कि ब्रिटेन और अमेरिका नौ-सना के प्रश्न पर मेल-मिलाप कर लें। १९२९ को शरद में मेकडानल्ड ने अमेरिका को यात्रा की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन में समझौता होने की आशा बढ़ी। यह निश्चय किया गया कि जूनवरी, १९३० में लन्दन में एक नौ सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाय जिसमें 'वाशिंगटन शक्तियाँ' शामिल हों। इस बार फ्रांस और इटली ने भी आमन्त्रण को स्वीकार कर लिया, यद्यपि इनसे समस्या का समाधान और भी गटिल हो गया।

जूनवरी, १९३० में लन्दन सम्मेलन शुरू हुआ। इस समय निरस्त्रीकरण के लिए वातावरण काफी अनुकूल था। केलोग पैक्ट स्वीकार होने के बाद सत्तार के राजनीतिक सम्बन्धों में सुधार हो गया था। ब्रिटेन ने क्रूजों की अपनी आवश्यकता उत्तर से घटाकर पचास कर दी थी। पर जो काम पहले ब्रिटेन ने किया था वह काम अब फ्रांस ने करना शुरू किया। वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से लाभो उठाना चाहता था। यहाँ पर उसने अपनी सुरक्षा की समस्या सामने रखी। जब-तक उसकी सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी नहीं मिल जाती तबतक वह निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई कदम उठाने का तैयार नहीं था। उसका प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि ओगनिवेशिक प्रदेशों के कारण यह आवश्यक है कि फ्रांस क्रूजों का एक बड़ा बेड़ा रखे। उन्होंने वाशिंगटन-अनुपात को अन्य जहाजों पर लागू करने तथा इटली का यह दावा कि इस मामले में उसे फ्रांस के बराबर माना जाय, दोनों बातों को अस्वीकार कर दिया। सम्मेलन में जापान ने पहली बार वाशिंगटन-सन्धियों द्वारा उस पर लादो गयी असमानताओं के प्रति विरोध व्यक्त किया और सभी प्रकार के जहाजों के मामले में ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ समानता का दावा किया। इटली ने फ्रांस के साथ समानता की माँग की। ऐसी स्थिति में किसी निणय पर पहुँचना काफी कठिन था। फिर भी तीन मास की लगातार बहस के बाद २२ अप्रिल, १९३० को पाँचों राष्ट्रों के बीच एक सन्धि

हुई। पीछे चलकर फ्रांस इस सन्धि से अलग हो गया। इस कारण यह समझौता ब्रिटेन, अमेरिका और जापान तक ही सीमित रहा।

लन्दन सन्धि के दो भाग थे। प्रथम भाग में १९२२ की वाशिंगटन सन्धि द्वारा निर्धारित जहाजों के अनुपात सम्बन्धी समझौतों का उल्लेख किया गया था। पाँचों राष्ट्र इस बात पर सहमत हो गये कि वाशिंगटन सन्धि की अवधि में पाँच साल की और वृद्धि कर दी जाय। इस तरह १९२२ का समझौता, जो दस साल के लिए किया गया था, उसकी मियाद १९३७ तक बढ़ा दी गयी। दूसरा भाग जिसपर वेबल ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने हस्ताक्षर किये थे उसमें एक देशों के युद्धपोतों की संख्या में क्रमशः ५, ५, ३ का अनुपात निश्चित किया गया। ब्रिटेन के छोटे जमी जहाज अमेरिका के मुकाबले में जिस हद तक अधिक हों उसी हद तक अमेरिका अपने बड़े जमी जहाज ब्रिटेन के मुकाबले में अधिक रख सक। सन्धि की एक धारा में कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पड़ने की स्थिति में एक राष्ट्र आवश्यक सूचना देकर अपनी युद्धपोतों की संख्या में वृद्धि कर सके। १ जनवरी, १९११ को सन्धि लागू कर दी गयी।

लन्दन सम्मेलन के निर्णयों से जापान काफी अमन्तुष्ट था। यों तो दोनों देशों में सन्धि की काफी आलोचना हुई, लेकिन इसकी जितनी आलोचना जापान में हुई उतनी किसी अन्य देश में नहीं। जापानी प्रधान नौ सैनिक कार्यालय के एक अफसर ने लन्दन-सन्धि के विरोध में आत्महत्या कर ली और नौ-सेना मन्त्री के, जिसने सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे, लौटने पर एक बटार भेंटा की गयी, जो इस बात का संकेत था कि वह भी यही मार्ग अपनाये। लन्दन-सम्मेलन में जापान ने यह माँग की थी कि उसे अपनी नौ सेना को ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर करने का अधिकार दिया जाय। पर अन्य राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे। अन्त में जापान की माँग को अर्धशक रूप में पूरा करने के लिए यह तय किया गया कि यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए नौ सेना में वृद्धि करना चाहे तो उसको यह करने का अधिकार है। इसका मतलब यह था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रत्येक राज्य अपनी नौ सेना को मनमानी तरीके से बढ़ा सकता था। जापान इस सम्बन्ध का पाकर भी खुश नहीं हुआ। १९३४ में उसने अमेरिका का सूचित कर दिया कि या तो उस अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में समान नौ सैनिक सुविधा दी जाय, अन्यथा वह अपने को इस सम्बन्ध में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अधिन नहीं समझेगा। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात का मानने के लिए राजी नहीं हुए और १९३७ में जापान ने इस मामले में पूर्ण स्वतन्त्रता ग्रहण कर ली। इसका बाद भी विभिन्न राज्यों में कुछ बातचीत चलती रही, परन्तु अब उसका कोई महत्त्व नहीं रहा।

१८ जून, १९३५ को ब्रिटेन और जर्मनी ने एक नौ सैनिक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि के अनुसार जर्मनी को ब्रिटिश नौ सैनिक शक्ति के ३५ प्रतिशत के बराबर नौ सेना रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह वर्साय सन्धि द्वारा जर्मनी पर लादा गया नौ सेना-सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा दिया गया। २५ मार्च, १९३६ को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक नया नौ सैनिक सन्धि हुई। इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। सब यथेष्ट रूप से अपने जमी जहाजों को बढ़ाने में लग गये। इस सम्बन्ध में उनमें एक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हो गयी। १९३९ के बाद सभी नाविक शक्तियाँ अपनी राष्ट्रीय आम्दनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमी जहाजों के निर्माण में खर्च करने लगी। इस समय तक प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को इतना महत्त्व देने लग गया था कि वह सामान्य बलयाण के विचार से किसी प्रकार की मर्यादाएँ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह स्थिति एक कारण से और भी अधिक खराब हो गयी। अभी तक जर्मनी और सावियत संघ को नाविक सेना नगण्य थी। १९३५ से वे भी नाविक प्रतियोगिता में कूद पड़े। अब सांयुक्तिक सैयारी पर इतना अधिक खर्च होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। नाविक समझौता के सभी प्रयत्न व्यर्थ सावित हुए। सबों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए भयंकर दौर आरम्भ हो गया।

राष्ट्रसंघ के अतहत निरस्त्रीकरण के प्रयास—

नौ-सेना के क्षेत्र में निरस्त्रीकरण का काम सत्ार की प्रमुख नाविक शक्तियाँ कर रही थीं। उसकी सफलता और असफलता पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। पर इससे भी बढकर स्थल सेनाओं में कमी करने का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत ही जटिल था। इस समस्या का अध्ययन करने के लिए १९२५ में राष्ट्रसंघ ने एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग का शीघ्र ही मालूम हो गया कि निरस्त्रीकरण की समस्या इतनी पेचीदा और उलझी हुई है कि उसके विषय में कुछ भी निश्चित सिफारिशें करना सम्भव नहीं है। यह मालूम कर लेना आसान था कि किसी राज्य के पास कितनी सेना और कितना शस्त्रास्त्र हैं। पर स्थायी सेना के अतिरिक्त राज्यों के पास सम्भावित सेनाएँ भी हाता डै और इनका पता लगाना काफी कठिन था। अनेक देशों में सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा अनिवार्य थी। वे बात की बात में लाखों सैनिकों को युद्ध के मेदान में उतार सकते थे। इसक अतिरिक्त साधारण चीजों को युद्धोपयोगी सामग्रियों में परिवर्तित किया जा सकता था। सवारी ले जानेवाले और माल ढानेवाले हवाई जहाज सरलता से जमी हवाई जहाजों के रूप में परिवर्तित किये जा सकते थे। कितने ही प्रकार के कारखानों का बडी सुगमता के साथ अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा

सकता था। यह कठना भी काफी कठिन था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी राज्य के पास कितनी सेना होना चाहिए। स्थल सेना में कमी करने के प्रश्न पर इस तरह की अनेक कठिनाइयाँ थीं और राष्ट्रसंघ के आयोग का इन सबों का सामना करना था।

इन कठिनाइयों के बावजूद निरस्त्रीकरण-सम्मेलन प्रारम्भिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। इसकी पहली बैठक मई, १९२६ में हुई। इस बैठक के अधिकांश समय केवल इसी बात का तय करने में लग गया कि आयोग को अपना काम कैसे शुरू करना चाहिए। आयोग ने एक प्राविधिक उप आयोग की स्थापना की। उप आयोग का अधिकांश समय इसी बात को पारिभाषित करने में लग गया कि किस प्रकार के शस्त्रास्त्र भीमित और कम किये जाएँ। इस वर्ष जर्मन प्रतिनिधि-मण्डल आयोग के काम में हिस्सा लेने आ गया। जर्मनी-प्रतिनिधि-मण्डल ने वर्षापूर्व सन्धि की उस धारा का याद दिलायी, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी के अनिर्धार्य निरस्त्रीकरण के बाद व्यापक निरस्त्रीकरण किया जायगा। जर्मनी के विचार थे किसी को विराघ नहीं था, लेकिन इस दिशा में किस प्रकार का काम किया जाय, इसी प्रश्न पर मतभेद नहीं था। १९२७ में आयोग का तृतीय और चतुर्थ दोनों अधिवेशन हुए। चौथे अधिवेशन में सावियत संघ ने भी विदेशमन्त्री लिटविनोव के नेतृत्व में पहले पहल अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजा। लिटविनोव ने हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, सेना, युद्धापयोगी सामग्री, युद्ध मन्त्रालय, जनरल स्टाफ, सैनिक कॉलेज पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की। आयोग के अन्य सदस्यों ने लिटविनोव के प्रस्ताव को 'अव्यावहारिक' कहते हुए मञ्जूर में उड़ा दिया।

इसी बीच अमरीकी सरकार ने वाशिंगटन नौ सेना-सन्धि के अन्य हस्ताक्षर-कर्त्ताओं को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया। जेनेवा में तीन राष्ट्रीयों का एक सम्मेलन जून १९२७ में प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर केवल इतना कह देना कोई असंगत नहीं होगा कि जेनेवा सम्मेलन पूर्णतया असफल रहा और इस असफलता की बाली छाया राष्ट्रसंघ निरस्त्रीकरण-आयोग पर भी पड़ी। सावियत प्रतिनिधि मण्डल के आने और एक क्लान्तिकारी प्रस्ताव रखने पर भी आयोग के कामों में जान नहीं डाली जा सकी। ऐसी परिस्थिति में आयोग ने एक पञ्चनिर्णय सुरक्षा समिति की स्थापना की, जिसका कार्य इस बात पर विचार करना था कि वे कौन-से उपाय हो सकते हैं, जिनका आधय लेकर सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की ऐसी गारण्टी मिल जाय कि वे अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सन्धि में अपनी शर्तों की पथासम्पन्न न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकने में समर्थ हो सकें।

१९२७-२८ में राष्ट्रमध्य इसी काम में व्यस्त रहा और इन प्रकार निरस्त्रीकरण समस्या एक बार फिर दो वर्षों के लिए पृष्ठभूमि में चली गयी।

इसी बीच लन्दन नौ-सेना-सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन की कुछ आंशिक सफलता प्राप्त हो गयी। इस सफलता से राष्ट्रमध्य आयोग की निरस्त्रीकरण की दिशा में पुनः प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली। इस समय तक ससार खतरों से घिरा जा रहा था। सभी देशों का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में सेना और हथियारबन्दी पर खर्च करना एक कठिन काम प्रतीत हो रहा था। इसलिए यह निश्चय किया गया कि प्रस्तुतकारी आयोग का अन्तिम अधिवेशन १९३० की शरद में हो और उसके बाद चाहे सवमान्य निणय हो या नहीं, निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जो बहुत दिनों से स्थगित होता चला आ रहा है, आयोजित किया जाय। अन्तिम अधिवेशन में अनेक निणय लिये गये। पाँच साल की निरन्तर मिहनत के बाद आयोग ने एक रिपोर्ट तयार की। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी थी कि प्रत्येक राज्य के लिये यह निणय कर दिया जाय कि उसकी थल, जल और नभ सेनाओं में अधिक से-अधिक कितने आदमी हों। कौन राज्य अधिक से अधिक कितना खर्च अस्त्र-शस्त्रों पर कर सक, यह भी निश्चित हो जाय। युद्ध में जहरीली गैसों तथा रोग के कीटाणुओं का प्रयोग न किया जाय और एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाय जो निरस्त्रीकरण की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करता रहे और समय समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे। अनेक बातों पर आयोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका और इसलिए रिपोर्ट में बहुत से रिक्त स्थान छोड़ दिये गये। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक और बात की चर्चा करके उसके महत्त्व को कम कर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों को अधिकार होगा कि यदि परिस्थिति में परिवर्तन हा जाने से उनको अपनी सुरक्षा में खतरा दिखाई पड़े तो वे युद्धकालीन शस्त्रों को हटाकर अन्य शस्त्रों का अस्थायी रूप क स्थगित कर सकते हैं। वास्तव में आयोग ने केवल उन सिद्धान्तों का हा प्रतिपादन किया, जिसका अनुसरण कर भिन्न भिन्न राज्य निरस्त्रीकरण के मार्ग पर अग्रसर हो सकते थे। इस प्रकार मसविदे का व्यावहारिक मूल्य बहुत कम थी। शायद इसीलिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने रिपोर्ट का उपयोग भी नहीं किया। परन्तु निरस्त्रीकरण सम्मेलन का नाग थव प्रशस्त हो चुका था। सम्मेलन होने में काफी विलम्ब हा चुका था और इसलिए २ फरवरी, १९३२ का सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया।

जेनेवा का निरस्त्रीकरण-सम्मेलन

जेनेवा निरस्त्रीकरण-सम्मेलन में ६१ राज्य मन्मन्त्रित हुए। इन्हें ४ राज्य राष्ट्रमध्य के सदस्य भी नहीं थे जिसमें शङ्कर राज्य अमेरिका ३०१ ५

सद्य क नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ब्रिटेन के प्रतिनिधि आर्थर हण्डरसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। सम्मेलन के प्रारम्भ से ही अपशकुन होना शुरू हुआ। अपनी नियुक्ति के समय हण्डरसन ब्रिटिश मद्रदलीय सरकार में विदेश मन्त्री था। क्रिन्ड अगस्त में इस सरकार का पतन हो गया और ब्रिटिश आम चुनावों में हण्डरसन ससद् का सदस्य नहीं चुना जा सका। इसलिए एक गैर-सरकारी व्यक्ति की हैसियत से ही उसको सम्मेलन की अध्यक्षता करनी पड़ी। यह पहला अपशकुन था। यदि इस समय वह ब्रिटिश-सरकार का उच्च पदाधिकारी रहा होता तो सम्भव था कि उसका विचारों का और अधिक वजन होता। फ्रांस ने भी मन्त्रिमण्डलीय प्रतिनिधि न भेजकर स्थिति को और भी खराब कर दिया। इसी समय आधिक सकट से सारा ससार परेशान हो रहा था। दुर्भाग्यवश जिस समय सम्मेलन का काम शुरू हुआ उस समय शघाई में जोरों से युद्ध चल रहा था। मई, १९३२ में जर्मनी में ब्रुनिंग की सरकार का, जो समझौते के माग पर अधिक जोर देती थी, पतन हो गया। उसकी जगह पर पापेन की उग्र सरकार बनी। इन सब बातों ने सम्मेलन के भाग्य का फैसला कर डाला।

सम्मेलन ने पाँच मुख्य समितियों की स्थापना की वजट, राजनीतिक, धल, जल और नभ समिति। इन मृत प्रस्तावों को विस्तार में देने की कोई उपयोगिता नहीं जो इस सम्मेलन में भाग लेनेवाले राष्टों ने प्रस्तुत किये थे। सम्मेलन में कम से कम ६३३ भिन्न भिन्न प्रस्ताव पेश किये गये थे और वे एक दूसरे से इतने विरोधी थे कि उनमें समन्वय स्थापित करना असम्भव था। सर एल्फ्रेड जिमर्न ने ठोक ही कहा है कि 'यह आशा करना कि विविध राज्यों में निरन्त्रीकरण समस्या पर सहमति हो जायगी, बृल का वर्ग बनाने में सफल होने की आशा करना था।' जब इस जाटल समस्या का कुछ चुने हुए विशेषज्ञ ही समाधान नहीं ढूँढ सके थे तो इतने बड़े सम्मेलन के लिए अनेक विवादग्रस्त मामलों का सन्तोषगद हल ढूँढ निकालना असम्भव था। शीघ्र ही विभिन्न राज्यों के विभिन्न दृष्टि काण सामने आये और सम्मेलन में निरर्थक वाद-विवाद होने लगा।

फ्रांसीसी प्रस्ताव — सबसे पहले फ्रांस की तरफ से एक प्रस्ताव आया। प्रसुख फ्रांसीसी प्रतिनिधि पाल वानकूर ने यह प्रस्ताव रखा कि सेना और हथियार में कमी तभी की जा सकती है जब राष्ट्रसद्य एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना और पुलिस का संगठन करे, जिसके हाथ में विभिन्न राज्यों का सुरक्षा की जिम्मेवारी हो। फ्रांस का सर्वोपरि लक्ष्य सुरक्षा था जिसका अर्थ था हथियारबन्दी में उसकी श्रेष्ठता। उसका कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय सेना के अभाव में यदि उसकी सेना कम करके जर्मनी का सेना के बराबर कर दी जाती है तो फ्रांस की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी। अनेक छोटे-छोटे यूरोपीय राज्यों ने फ्रांसीसी प्रस्ताव का समर्थन किया, पर ब्रिटेन,

अमेरिका और जर्मनी ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन और अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय सेना के सुस्ताव का बराबर से विरोध करते आ रहे थे। जर्मनी का फ्रांस के इस प्रस्ताव में 'वास्तविक प्रश्न को टालने की एक और कुचष्टा' दिखलाई पड़ी। जर्मनी फ्रांस से साथ बराबरी चाहता था और कहता था कि यदि फ्रांस की सैन्य शक्ति कम नहीं की गयी तो वह अरक्षित रह जायगा। उसने इस बात पर जोर दिया कि या तो मित्रराष्ट्र अपनी सेना कम करके जर्मनी के स्तर पर आ जाय या जर्मनी का उनके स्तर तक पहुँचने की अनुमति दी जाय।

ब्रिटिश प्रस्ताव—फ्रांसीसी प्रस्ताव के बाद ब्रिटिश-प्रस्ताव आया। ब्रिटिश-प्रतिनिधि सर साइमन ने अपना 'गुणात्मक निरस्त्रीकरण (qualitative disarmament)' का प्रस्ताव रखा। इसका अर्थ यह था कि जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है उनके सम्बन्ध में कोई मर्यादा निर्दिष्ट न की जाय पर जो हथियार आक्रमण करने के लिए प्रयोग में आते हैं उनकी मात्रा कम की जाय। इस प्रस्ताव को भी बहुत अधिक समर्थन मिला। परन्तु एक प्रश्न यह था कि कौन-से हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं और कौन से आक्रमण के लिए। अन्त में शस्त्रास्त्रों की कोटि निर्णय करने के लिए भू-सैनिक, नौ-सैनिक तथा वैमानिक विशेषज्ञों की उपसमितियाँ नियत की गयीं। यहाँ भी यह स्पष्ट हो गया कि आक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक शस्त्रों में सबकी एक राय हो सकना कठिन है। ब्रिटेन और अमेरिका कहते थे कि पनडुब्बियाँ आक्रमणकारी हैं और जमी जहाज रक्षा करनेवाले। दूसरे देश इस परिभाषा को विन्कुन गलत मानते थे। केवल जर्मनी के पास ही एक सुसगत कसौटी थी। उससे अनुसार वसाय-सन्धि द्वारा निषिद्ध सभी अस्त्र-अस्त्र आक्रमणात्मक कोटि में आते थे और बाकी रक्षात्मक कोटि में। इस प्रकार इस विषय पर मतभेद होना भी असम्भव था।

रूसी प्रस्ताव—सोवियत संघ ने एक तीसरा प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का आशय यह था कि अस्त्र शस्त्र में जल्द-से-जल्द काफी मात्रा में कटौती की जाय और अन्ततोगत्वा सभी प्रकार के हथियारों पर सदा के लिए नियन्त्रण लगा दिया जाय। किसी प्रतिनिधिमण्डल ने इस प्रस्ताव पर गौर से विचार नहीं किया। तीनों प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव सर्वमान्य नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन का काम ठप पड़ गया।

अमरीकी प्रस्ताव—इसी बीच क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए लुसान-सम्मेलन प्रारम्भ हो गया और सम्मेलन का ध्यान इस और आकृष्ट हो जाने से उसके काम में कुछ विलम्ब हो गया। इसके बाद निरस्त्रीकरण

लन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो अमरीकी राष्ट्रपति हूवर की तरफ से एक चौथा प्रस्ताव आया, जिसका आधारभूत सिद्धान्त यह था कि वर्तमान शत्रु सेना और अस्त्र शस्त्रों में एक तिहाई कमी की जाय। अमरीकी राष्ट्रपति क प्रस्ताव का जर्मनी, इटली और रूस ने स्वागत किया। किन्तु ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने इसका इतना ज़रूरदमस्त विरोध किया कि प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को एक 'कपटपूर्ण योजना' बतलाया। बहुत बाद विवाद के बाद २० जुलाई, १९३० का जेनेवा सम्मेलन में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें कहा गया कि (१) बम-वर्षा को रोका जाय। सैनिक और जषेनिक वायुयानों को सध्या परस्पर समझौते से सीमित की जाय। (२) भारी तोपों और टैंकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय कि एक खास वज़न से ज्यादा की तोपें या टैंक न बनाये जा सकें। (३) रासायनिक युद्ध को निषिद्ध किया जाय। ४१ राज्यों क प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिये। इटली महित आठ राज्य तटस्थ रहे और जर्मनी तथा सोवियत संघ ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिये। इस समय जर्मन-प्रतिनिधि जोगशोर से समानता के सिद्धान्त की माँग कर रहा था। जुलाई, १९३२ में जर्मनी ने स्पष्ट कर दिया कि वह आगे के सम्मेलन में सभी भाग लेगा जब कि सभी राष्ट्रों के अधिकारों की समानता को सिद्धान्तस्तर स्वीकार कर लिया जाय। जब उस वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन की बैठक हुई तो जर्मनी उसमें शामिल नहीं हुआ। दो महीनों तक सम्मेलन का काम बिल्कुल बन्द पड़ा रहा। इस समय की महत्त्वपूर्ण घटना केवल यही थी कि फ्रांस ने एक नयी सुरक्षा योजना प्रस्तुत की और यह प्रस्ताव रखा कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर सभी देशों में राज्य का एकाधिकार रहे। किन्तु इस समय जर्मनी का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण था।

जर्मनी की माँग— १६ सितम्बर को जर्मनी सरकार ने वर्तमान हालत में सम्मेलन में भाग नहीं लेने के अपने निर्णय की सूचना दी थी। दो दिन बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने विचारों का एक विवरण प्रकाशित किया, जिससे जर्मन समानता क प्रश्न उठाने की बात को अनुचित बताया गया था। पर शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यह बाधा दूर किये बिना प्रगति की कोई आशा नहीं है। जून, १९३२ में ब्रूनिंग मन्त्रिमण्डल के हट जाने पर पेपन का मन्त्रिमण्डल जर्मनी में कायम हो चुका था और नयी सरकार जर्मन समानता के दावे पर काफ़ी जोर दे रही थी। आखिर ११ दिसम्बर को एक रास्ता निकाला गया। जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और अमेरिका का एक सम्मेलन बुलाया गया। पाँच दिनों के घोर परिश्रम के बाद एक प्रस्ताव के आधार पर सम्मेलन ने सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारों की समानता का जर्मन दावा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के साथ समानता का पद प्राप्त हो गया।

२ फरवरी, १९३३ को सम्मेलन का काम पुन प्रारम्भ हुआ। इस समय तक यूरोप क इतिहास में एक नया युग शुरू हो चुका था। जर्मनी के प्रति फ्रांस के कड़े रुख के कारण जर्मनी में नात्सी पार्टी का उत्थान हो रहा था। ३० जनवरी को हिटलर जर्मनी का प्रधान मन्त्री बन चुका था। वर्साय-सन्धि का अन्त करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। २४ फरवरी को जापान ने यह सूचना दे दी कि वह राष्ट्र-संघ से अलग हो रहा है। यद्यपि उसके प्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यों में अभी भी भाग ले रहे थे, फिर भी सम्मेलन की सफलता की आशा और अधिक घूमिल हो गयी। हिटलर क शासनारूढ़ होन पर भी जर्मनी ने निरस्त्रकरण सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजा। परन्तु इस बार सम्मेलन में फ्रांस को सुरक्षा-मॉग और जर्मनी की निरस्त्रीकरण मॉग दोनों खुलेआम टकरा गयी। जर्मनी में नात्सी-पार्टी का पैर बढ़ता-पूर्वक जम रहा था। इस कारण यह स्वाभाविक था कि फ्रांसीसी सरकार जर्मन दावों को स्वीकार करने में अधिक अनिच्छा प्रदर्शित करे। सम्मेलन क ठप पड़ जाने की पूरी आशका दीखने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन का सदा के लिए अन्त हो जायगा, लेकिन ऐसा होने से बच गया। मार्च के अन्त में जब कि गतिरोध पूण हो चुका था, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री राम्जे मेकडानलड ने जेनेवा आकर सम्मेलन की कार्यवाही में कुछ दिनों के लिए नयी जान डाल दी। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी 'मेकडानलड योजना' कहते हैं।

मेकडानलड योजना—'मेकडानलड योजना' पाँच भागों में बँटी हुई थी और इसमें मुख्यतः उन सब प्रस्तावों का सग्रह था जिनक स्वीकार किये जाने की अब तक अधिक से-अधिक आशा थी। पहला भाग सुरक्षा के बारे में था और केलोग पैक्ट क भंग या भंग होने की आशका में कारवाई करने के विषय में विचार किया गया था। दूसरे भाग में प्रत्येक देश के लिए कम-से-कम पाँच साल के लिए सैनिकों की सख्या एक तालिका क अनुसार रखने का प्रस्ताव किया गया था। इस तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए सैनिकों की सख्या निश्चित कर दी गयी थी। तीसरे भाग में युद्ध सामग्री पर गुणात्मक आधार पर विचार किया गया था। चौथा भाग रसायनिक और कीटाणु युद्ध पर पाबन्दी लगाना था और अन्तिम भाग में एक ऐसे निरस्त्रीकरण आयोग का प्रस्ताव था जिसकी निरीक्षण और नियन्त्रण का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो।

चार सप्ताहों तक इस योजना पर वाद विवाद होता रहा। विवाद में यह स्पष्ट हो गया कि मूलभूत सिद्धान्तों पर काफी मतभेद है। जर्मनी इस समय तक अपना रुखा काफी बदल चुका था। १२ मई, १९३३ को जर्मन अब्दुवारों में फॉन न्यूरथ का एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख से यह प्रतीत होता था कि जर्मनी पुन शायिपारबन्दी की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठानेवाला है। १३ मई को

फॉन पेपन ने भाषण दिया जिसमें उसने युद्ध की प्रशंसा करते हुए जर्मन माताओं को अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की ताकि अधिक सख्या में उनको बच्चे मातृभूमि की रक्षा के लिए मर सकें। इससे स्थिति और भी बिगड़ गयी। १६ मई को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यूरोप के राष्ट्रां से निरस्त्रीकरण करने की अपील की। हिटलर पर इसका कुल प्रभाव पड़ा और १७ मई को उसने जो सरकारी नीति की घोषणा की वह बहुत हद तक नरम थी। इससे वातावरण काफी भाफ हो गया और जर्मनी ने 'मेकटा-लड योजना' को स्वीकार कर लिया।

फ्रांस का रुख—अब फ्रांस की बाबो आयी। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर फ्रांस निरस्त्रीकरण करने के लिए तैयार नहीं था। उसको कोई योजना पसन्द नहीं थी। २२ मई १९३३ का अमेरिकी सचिव नारमन डेविस ने यह घोषणा की कि आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक या आर्थिक कारवाई करने का विरोध अमेरिका नहीं करेगा। फ्रांस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। मतभेद अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अतएव जून में सम्मेलन को इस आशा पर स्थगित कर दिया गया कि बीच के अन्तःकाल में निजी वातावरण द्वारा शेष मतभेद दूर कर दिये जायेंगे। किन्तु निरस्त्रीकरण समझौते की आशा अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी।

फ्रांसीसी योजना—सम्मेलन के अवकाश-काल में निरस्त्रीकरण-विषय पर वार्तालाप होता रहा। आर्थर हन्डरसन यूरोप के मुख्य राजधानियों में बातचीत करने के लिए भ्रमण करते रहे। यह उनका 'निरस्त्रीकरण-अभियान' था। इस अभियान से यह शीघ्र ही पता चल गया कि फ्रांस अपनी सेना घटाने के लिए राजी नहीं हो सकता है। किन्तु समझौता करना आवश्यक था। १९३३ के मध्य में एक योजना तैयार की गयी। इसके अनुसार निरस्त्रीकरण समझौते को दो कालों में बाँट दिया गया। वर्ष की एक अवधि के दो भागों में विभक्त किया गया। प्रथम दो वर्ष में जो परीक्षा काल कहलाया, शस्त्रास्त्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रणाली स्थापित की जाने वाली थी तथा राष्ट्रीय सेनाओं का पुनर्गठन प्रारम्भ किया जानेवाला था। हथियारबन्दी की छोड़ की द्वितीय काल में सीमित किये जाने का सुझाव रखा गया था। यह योजना मूलतः फ्रांसीसी थी और ब्रिटेन तथा इटली का समर्थन इसे प्राप्त था।

१४ अक्टूबर को सर जॉन साइमन ने सम्मेलन के ब्यूरो में उपयुक्त प्रस्ताव का विधिवत् पेश किया। आमतौर से इस प्रस्ताव का समर्थन हुआ, लेकिन तुरत ही निरस्त्रीकरण सम्मेलन पर एक बज्रपात होनेवाला था। ब्यूरो की बैठक दोपहर के साढ़े बारह बजे समाप्त हुई और दो बजे हन्डरसन को तार द्वारा यह सूचना मिली कि जर्मनी सम्मेलन से अपना सहयोग हटा रहा है। कुछ ही समय बाद जर्मनी ने

राष्ट्रसंघ से अलग हो जाने को सूचना भी भेज दी। जर्मनी की यह नीति एक दिन पहले ही मंत्रीमण्डल की बैठक में निर्धारित हो चुकी थी।

सम्मेलन का अंत—जर्मनी की इन निणायों से निरस्त्रीकरण की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। १२ नवम्बर का जर्मन जनमत के द्वारा हिटलर की इस नीति का जबरदस्त समर्थन हुआ। ८ दिसम्बर को इटली ने भी बतला दिया कि सम्भवतः कुछ दिनों के बाद वह भी राष्ट्रसंघ की मददस्वता त्याग दे। जर्मनी की नीति को इससे प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। जर्मनी को अलग हो जाने के छह महीने बाद तक सम्मेलन कुछ भी प्रगति नहीं कर सका और इस अवधि में जर्मनी सहित प्रमुख राष्ट्र कूटनीतिक पत्र व्यवहार द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही करते रहे। इन पत्र व्यवहारों में अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। फरवरी १९३४ में श्री इंडन पेरिस, राम और बर्लिन गये। बर्लिन में वे हिटलर से मिले। उसके प्रभाव से जर्मनी की मूल माँगों में कुछ परिवर्तन हुआ। हिटलर ऐसी सोमा को स्वीकार करने के लिए तैयार था जिसे फ्रांसीसी, इटालियन और पोलिश सेनाओं के लिए समान रूप से स्वीकार की जाय। जर्मनी वायुसेना के लिए भी प्रतिशत निश्चित करने के लिए तैयार था। १९ मार्च का फ्रांस से यह सवाल पूछा गया कि वह इस शर्त पर आगे बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तर में फ्रांसीसी सरकार ने जर्मन पुनर्शास्त्रीकरण के प्रति विरोध प्रकट करते हुए यह मत व्यक्त किया कि किसी निरस्त्रीकरण समझौते के पहले गारंटो आवश्यक है। फ्रांस से फिर यह पूछा गया कि जिस प्रकार की गारंटो फ्रांस परमावश्यक समझता है, उसका स्वरूप क्या है? इसमें बौच जर्मनी का बजट प्रकाशित हुआ। इसमें सैनिक व्यय पर काफी वृद्धि दिखाई गयी थी। स्थिति पर इसका असर पड़े बिना नहीं रह सका। १७ अप्रिल का फ्रांसीसी सरकार ने यह उत्तर दिया कि जर्मनी का जो बजट प्रकाशित हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि जर्मनी पुनर्शास्त्रीकरण करना चाहता है। फ्रांसीसी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी गारंटो क्यों न दी जाय, वे जर्मनी को पुनर्शास्त्रीकरण के किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे। फ्रांस ने जर्मनी के प्रस्तावों पर बाता करने से साफ साफ इन्कार कर दिया।

निरस्त्रीकरण से शतकचक्र—फ्रांस का यह उत्तर सम्मेलन का वास्तविक अन्त था। २९ मई, १९३४ का सम्मेलन का अधिवेशन पुनः बुलाया गया। सम्मेलन में जा बहस हुई उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन में दो विचारधाराएँ थी। ब्रिटेन, अमेरिका और इटली का विचार था कि पहले निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई कदम उठा लिया जाय और तब उसके बाद सुरक्षा की समस्या पर विचार किया जाय। इसके विपरीत फ्रांसीसी और रूसी प्रतिनिधियों

का विचार था कि पहले सुरक्षा की बात तय हो फिर निरस्त्रीकरण पर वार्ता की जाय। १० जून को सम्मेलन पुनः स्थगित कर दिया गया। आर्थर हन्डरसन ने खुले तौर पर फ्रांस को निरस्त्रीकरण की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। दो वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद भी राष्ट्रमन्त्र का निरस्त्रीकरण सम्मेलन एक भी बन्दूक, टैंक या हवाई जहाज में कमी नहीं कर सका। १९३४ के बाद सम्मेलन का अधिवेशन होना भी रुक हा गया, यद्यपि नियमानुसार इसकी समाप्ति नहीं किया गया। १९३५ में सम्मेलन के अध्यक्ष हन्डरसन की मृत्यु भी हो गयी।*

निरस्त्रीकरण
सम्मेलन की विफलता के कारण

इस प्रकार निरस्त्रीकरण का सम्मेलन असफल हो गया और मनुष्य की आशाओं पर पानी फिर गया। इस सम्मेलन की विफलता के मुख्य कारण निम्न लिखित थे—

(— विभिन्न शक्तियों में मतभेद— निरस्त्रीकरण सम्मेलन को सफलता नहीं मिली, इसका एक प्रमुख कारण विभिन्न शक्तियों के बीच उग्र मतभेद था। फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा का दृढ़ समर्थक था। वह राष्ट्रमन्त्र के सत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहता था। इसे वह जर्मनी के आक्रमण से निश्चित हो सकता था। इसके बाद वह अपने हथियारों को घटाने के लिए तैयार था। लेकिन इसके विपरीत ब्रिटेन का कहना था कि हथियारबन्दी की हड़ को तुरन्त समाप्त करना चाहिए। हथियारों की वृद्धि राष्ट्रों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। यदि हथियारों को घटा दिया जाय तो असुरक्षा और आक्रमण की आशंका अपने आप समाप्त हो जायगी। वह सुरक्षा से पहले निरस्त्रीकरण को आवश्यक मानता था। ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सेना के संगठन की बात को अक्रियात्मक मानते थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस की सुरक्षा की मांग जर्मनी की सुरक्षा की मांग से सर्वथा प्रतिकूल थी। इन दोनों के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव था।

२ — युद्ध सम्बन्धी मनोवृत्ति-निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता का दूसरा कारण युद्ध सम्बन्धी मनोवृत्ति में मौलिक मतभेद था। कुछ राज्य शान्ति के समर्थक थे और युद्ध को निवारण की परम आवश्यक मानते थे। लेकिन फासिस्ट इटली तथा नात्सी जर्मनी के नेता युद्ध को मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। वे शान्तिवाद को कोरी कायरता और नपुंसकता मानते थे। इन जगन्धारों के सामरिक प्रवृत्ति के कटान से टकरा कर सम्मेलन की नौका चूर चूर हो गयी।

3 — निरस्त्रीकरण में अविश्वास—सम्मेलन की विफलता का कारण महा-शक्तियों का निरस्त्रीकरण के सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपातपूर्ण व्यवहार था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को जबरदस्ती निःशस्त्र कर दिया गया और विजेताओं ने वादा किया कि बाद में वे भी निरस्त्रीकरण कर लेंगे। लेकिन वे हमेशा इस वादे को टालते रहे। यह बड़ा ही स्वाधायक था। यस्तुत बात यह थी कि निरस्त्रीकरण में उन्हें विश्वास नहीं था।

4 — उपनिवेशों की सुरक्षा का प्रश्न—पश्चिमी यूरोप के राज्यों का निरस्त्रीकरण पर विश्वास भी कैसे होना। वे सब के-सब साम्राज्यवादी राज्य थे और सत्तार भर में उनके उपनिवेश फैले हुए थे। इन उपनिवेशों पर अपना अग्रिम शासन कायम रखने के लिए प्रबल सैनिक शक्ति की आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी। अतएव निरस्त्रीकरण के समय में उनके जो भी प्रस्ताव होते वे केवल प्रचार के उद्देश्य से होते ईमानदारी की भावना उसमें बहुत ही कम थी।

5 — समस्या का प्राविधिक रूप—निरस्त्रीकरण की समस्या का यह दुर्भाग्य था कि इसे मौलिक रूप से नहीं, बल्कि ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रूप से सुलझाने का यत्न किया गया। इस सम्बन्ध में हुजर तथा डिप्रेजिया ने ठीक ही लिखा है कि “निरस्त्रीकरण हथियारों को मर्यादित करने की प्राविधिक समस्या नहीं किन्तु एक ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का एक मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक समस्या है, जो शस्त्रों के बिना अन्य साधनों से सुरक्षा स्थापित करे तथा विवादों का हल करे। हथियारबन्दी की होड़ पैदा करनेवाली आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक परिस्थितियों का दूर करने के स्थान पर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने कुछ शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने चाहे। इन प्रयत्नों में बोमारी के बाह्य लक्षणों का इलाज किया गया, अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को यात्रि का अनुसन्धान या निदान नहीं किया गया।”

6 — ~~शस्त्रीकरण का स्वरूप निर्धारण~~ शस्त्रीकरण की यथार्थ व्याख्या और उसका स्वरूप निर्धारण करने के प्रयास में भी निरस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो गया। निरस्त्रीकरण का तात्पर्य यह नहीं है कि तापों, लडाकू विमानों, टैंकों, युद्ध पोतों, क्रूजरो तथा पनहुन्वियों की सरया को सीमित किया जाय। आजकल का युद्ध बड़ा जटिल हो गया है। जो चीजें नागरिक सेवा के काम में आती हैं वे बात की बात में युद्धोपयोगी समान के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। शान्ति-कालीन प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामग्री तैयार करनेवाले कल कारखाने बड़ा सुगमता और शीघ्रता से हथियार तैयार करनेवाले कारखानों में बदले जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में शस्त्र बनानेवाले कारखानों का निर्धारण और नियन्त्रण एक बड़ा जटिल काम है।

7 — सहयोग की भावना का अभाव— इन सारी कठिनाइयों के बावजूद निरस्त्रीकरण हो सकता था यदि राष्ट्रों के बीच सहायग की भावना रहती। लेकिन जेनेवा में इस भावना का पूरा अभाव था। जेनेवा में विभिन्न राष्ट्र इसलिए इवट्टा नहीं हुए थे कि निरस्त्रीकरण करके व विश्व-शान्ति की स्थापना करेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य अपनी प्रभुता बढ़ाना और प्रतिपक्षी की शक्ति का सीमित करना था। कोई भी राज्य सच्चे दिल से हथियारों को कम करने को तैयार नहीं था। प्रत्येक देश अपने शस्त्रों की आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समझता था और दूसरे व हथियारों का उद्देश्य आक्रमण मानता था। सम्मेलन का पूरा वातावरण सन्देह, आशंका और भय का था। इस कारण सम्मेलन की असफलता निश्चित थी।

8 — हथियारों के निहित स्वार्थ — सम्मेलन को विफल बनाने का मुख्य प्रयास हथियार व्यवसाय के निहित-स्वार्थ के लोगों ने किया। इस व्यवसाय के लोगों ने जेनेवा में अपने प्रतिनिधि भेजे जिन्होंने यह प्रयास किया कि सम्मेलन किसी तरह असफल हो जाय क्योंकि यदि सम्मेलन सफल हो जाता तो उनके अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय को गहरी क्षति और चक्का पहुँचता। शीयरर एक इसी प्रकार का प्रतिनिधि था जिसको हथियार बनाने वाली तीन अमरीकी कम्पनियों ने जेनेवा में भेजा था। उसका काम था राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को घूस देकर उन्हें निरस्त्रीकरण की विरोधी बनाना। जब जेनेवा-सम्मेलन विफल हो गया तो शीयरर को इन कम्पनियों ने केवल ५१,२३० डालर दिये यद्यपि उसे २,५५, ६५५ डालर देने का वादा किया गया था। अतएव शीयरर ने इन कम्पनियों पर शेष राशि को प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया। इस मुकदमे की जाँच क्रम में पता चला कि हथियार व्यवसाय ने किस प्रकार जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन को असफल बनाने का प्रयास किया था।

9 — आत्मसंहार की तयारी— असफल निरस्त्रीकरण सम्मेलन से कोई सम्मेलन नहीं होना ही अच्छा है, क्योंकि इसकी असफलता से मनमुटाव और गलतफहमी बढ़ती है। १९१९ में जिस कुचक्र से मनुष्य वचना चाहता था वह एक बार फिर पूरे वेग से चलने लगा। सब कसब आत्महत्या करने की तैयारी करने लगे। निरस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो गयीं। यूरोप के सभी राज्य अपनी-अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे और ससार उसी अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति में पहुँच गया जिसमें यूरोप प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर था।* इटली और जर्मनी सेनाएँ बढ़ाने में व्यस्त हो गये। उनकी देखा दखी फ्रांस, पोलैंड और यूरोप के अन्य छोटे छोटे राज्य भी लड़ाई की तैयारी में लग गये। करोड़ों रुपया खर्च करके फ्रांस ने

‘मैगिनो लाइन’ तैयार की। फ्रांस की पूर्वी सीमा पर सैनिक इंजीनियरों ने बड़ी कुशलता के साथ इस ‘लाइन’ को तैयार किया था। जमीन को सतह के नीचे किलाबन्दियाँ की गयी थी। इन किला में बड़ा बड़ी पलटनें रह सकती थी। इसमें बिजली, अस्पताल, सैनिकों के निवास, भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध था। इन किला को इस्पात, सीमेन्ट और कंक्रीट से इतना मजबूत बनाया गया था कि तापों, बमों और टैंकों से उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। ऊपर से देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े किले मौजूद हैं। फ्रांस को जवाब देने के लिए हिटलर ने भी समानान्तर रूप से किलाबन्दियों का एक शृंखला तैयार करायी थी जिसको ‘मैगिनीड लाइन’ कहा जाता था। यह किलाबन्दी भी ‘मैगिना लाइन’ की तरह ही मजबूत थी। प्रत्येक देश सैनिक आवश्यकताओं पर करोड़ों रुपया खर्च करने लगा। ब्रिटेन ने भी अपनी सुरक्षा सेना पर व्यय के लिए बजट में सुरक्षा-कोष बढ़ा दिया। शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने के लिए जेनेवा में किये गये प्रयास के विफल होने के साथ ही वार्शिंगटन और लन्दन के नाविक सम्मोच भी भंग हो गये। प्रशान्त महासागर में सम्भावित संघर्ष को दृष्टि में रखकर जापान और अमेरिका भी अपनी नाविक शक्ति बढ़ाने लगे। इस वातावरण में निरस्त्रीकरण पर वार्तानाप करना ही बेकार था। निरस्त्रीकरण मनुष्यमात्र का स्वप्न ही बना रह गया।

क्षतिपूर्ति युद्ध ऋण और आर्थिक संकट (Reparation, War Debt and Economic Crisis)

विषय प्रवेश—युद्धोत्तर काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास में क्षतिपूर्ति को समस्या एक अत्यधिक जटिल और विवादास्पद समस्या थी। इसका प्रभाव समस्त संसार के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन पर पड़ा। यह विषय इतना विशिष्ट था कि वहाँ तक यह संसार के राजनोविज्ञों को ध्यान आकृष्ट किये रहा और जनसाधारण में भी इस पर सर्वत्र चर्चा चलती रही। क्षतिपूर्ति समस्या को समझने के लिए एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति उन्हीं देशों का करना था जो आर्थिक दृष्टि से इसके योग्य नहीं थे, जो क्षतिपूर्ति की अदायगी करने में शान्ति सन्धियों द्वारा बिल्कुल असमर्थ बना दिये गये थे। इसका अन्तिम नतीजा प्रबल रहा नही होगा कि पराजित राज्यों को आर्थिक कमर टट गयी, बल्कि समस्त संसार एक महान् आर्थिक प्रलय में डूब गया। इससे भी बढ़कर इसका परिणाम यह हुआ कि मित्रराष्ट्रों के गुट में खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में, परस्पर तनाव पैदा हो गया, जिससे लाभ उठाकर जर्मनी ने तुरत ही अपना पुनर्निर्माण किया और यूरोपीय राज्यों को चुनौती देने लगा।

क्षतिपूर्ति की समस्या — विजेता को अपने पराजित प्रतिपक्षी से युद्ध का समस्त व्यय वसूल करने का अधिकार प्राचीन युग से ही माना जाता रहा है। लेकिन महायुद्ध के समय कई देशों में यह मत व्यक्त किया गया था कि परम्परा से चली आने वाली युद्ध क्षतिपूर्ति की प्रथा का इस बार आशय न लिया जाय। युद्ध के विशाल रूप ने शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार के दावे को पूरा करना इस बार किसी भी राष्ट्र की शक्ति के बाहर है। लेकिन मित्रराष्ट्रों के कर्णधार दयालु या परापकारी व्यक्ति नहीं थे। महायुद्ध के कारण उनके धन और जन की काफी क्षति हुई थी और जर्मनी तथा उसके भागियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। जिन राज्यों को लड़ाई के कारण नुकसान उठाना पड़ा था, वे समझते थे कि इसकी क्षति की पूर्ति जर्मनी और उसके साथियों का करना है। लेकिन, युद्ध के अन्त होते-होते यह स्पष्ट हो गया कि आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया क्षतिपूर्ति को काई भी रकम अदा करने में असमर्थ हैं। लड़ाई के बाद

वे बिल्कुल निर्बल हो गये थे और उनके प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र उनका हाथ से निकल चुके थे। उनकी आर्थिक अवस्था सम्हालने के लिए उन्हें स्वयं कर्ज की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त फ्रांस को इन छोटे देशों से कोई भय नहीं था। वह तो इस फेर में था कि जर्मनी को आर्थिक कमर इस तरह टाढ़ दी जाय कि फ्रांस पर आक्रमण करने की उम्मीद हिम्मत न हो। इस प्रकार क्षतिपूर्ति का सारा बोझ जर्मनी पर ही पड़नेवाला था।

विराम-सन्धि के समय मित्रराष्ट्रों ने यह दावा किया था कि वे जर्मनी के साथ क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर रियायत करना चाहते हैं और इसलिए जर्मनी से केवल यही मांग की गयी कि वह स्थल, जल या आकाश से आक्रमण करने के कारण "मित्रराष्ट्रों की नागरिक जनता के धन-जन को जा भी क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति करे।" जर्मनी ने इस दावे के आधार पर हथियार डाले थे और वर्साय सन्धि की २३२ वीं धारा में इस बात को अक्षरशः दोहराया गया था। कुछ दिनों के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह कोई खास रियायत नहीं थी, क्योंकि जर्मनी के वर्तमान साधनों के द्वारा इस क्षतिपूर्ति को चुकाना असम्भव था। वर्साय सन्धि के द्वारा उसका अंग भंग कर दिया गया था और उसके सारे उपनिवेश छीन लिये गये थे। जर्मनी के खनिज पदार्थवाले प्रदेश एवं व्यावसायिक केन्द्र पर मित्रराष्ट्रों का अधिकार हो गया था। ऐसी स्थिति में जर्मनी के लिए क्षतिपूर्ति करना असम्भव था। क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर वर्साय सन्धि और पहले की अन्य सन्धियों में अन्तर केवल इतना ही था कि इस बार शान्ति सन्धि में अदायगी की कोई रकम निश्चित नहीं की गयी थी। इस काम को पीछे के लिए छोड़ दिया गया था।

क्षतिपूर्ति की कठिनाइयाँ—अनेक दृष्टियों से महायुद्ध के बाद की क्षतिपूर्ति का समस्या अन्तराष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन चोख था। मित्रराष्ट्रों के सामने १८७१ की फ्रांसीसी क्षतिपूर्ति का उदाहरण था। उन्होंने सोचा कि जिस सुगमता के साथ जर्मनी ने फ्रांस से १८७१ में हरजाने की रकम वसूल कर ली थी, उसी सुगमता के साथ वे भी जर्मनी से वसूल कर लेंगे। किन्तु यह उनकी महान् भूल थी। वे इस बात को नहीं देख सके कि क्षतिपूर्ति की समस्या और युद्ध ऋणों (war debts) में घना सम्बन्ध है। लड़ाई के समय यूरोप के विभिन्न राज्यों को बहुत बड़ी रकम दूसरे देशों से कर्ज लेनी पड़ी थी। शुरू में ब्रिटेन ने कर्ज दिया। लेकिन, युद्ध के बढ़ने के कारण ब्रिटेन कर्ज देने की स्थिति में नहीं रहा और वह स्वयं अमेरिका से भारी रकम कर्ज में लेने की विनय हुआ। जब अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया तब उसने भी बहुत देशों को कर्ज दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्थिति यह थी कि यूरोप के बहुत से राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कर्जदार थे

न्यत्र ब्रिटेन अमेरिका का शत्रुणी था। प्रश्न यह था कि इन कर्जों को कैसे अदा किया जाय। इसके लिए विजित राज्य जर्मनी को क्षतिपूर्ति की अदायगी पर ही आश्रित थे।

क्षतिपूर्ति समस्या की दूसरी विशेषता यह थी कि इस पर मित्रराष्ट्रों के बीच एकमत नहीं था। इस प्रश्न को लेकर खास कर ब्रिटेन और फ्रांस में तनाव पैदा हो गया। ब्रिटेन जर्मनी का आर्थिक पुनरोत्थान चाहता था। इसके दो कारण थे। जर्मनी ब्रिटिश मालों के लिए एक अच्छा बाजार था। ब्रिटेन का हित इसमें था कि जर्मनी जल्द-से जल्द आर्थिक दृष्टि से अपने पैर पर खड़ा हो जाय। फिर, ब्रिटेन रूसी साम्यवाद की बाढ़ का जर्मनी का पुनरोत्थान करके रोकना चाहता था। इन्हीं कारणों से ब्रिटेन क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर कड़ाई का रुढ़नहीं अपनाता चाहता था। फ्रांस का विचार ठीक इसके विपरीत था। वह अपने घृणित शत्रु जर्मनी का पूर्ण हास चाहता था। उसके विचार में जर्मनी के साथ वैसा ही वर्तव्य करना चाहिए जैसा एक दिवालिये के साथ किया जाता है। जिस तरह एक दिवालिये की सारी सम्पत्ति पर महाजन लोग अपनी रक्म प्राप्त करने के लिए अधिकार जमा लेते हैं उसी तरह का व्यवहार फ्रांस जर्मनी के साथ करना चाहता था। ऐसी स्थिति में फ्रांस और ब्रिटेन में पारस्परिक तनाव निश्चित था। इसके अतिरिक्त अमेरिका की दिलचस्पी वसूल युद्ध शृणों में थी। वह अपने दिये हुए ऋण की अदायगी चाहता था और क्षतिपूर्ति को केवल एक यूरोपीय समस्यामात्र समझता था।

शान्ति सम्मेलन में क्षतिपूर्ति को कोई रकम निश्चित नहीं की गयी थी।

यह काम एक क्षतिपूर्ति आयोग के ऊपर छोड़ दिया था कि वह विल तैयार करे और यह निश्चित करे कि इस विल को रकम किस प्रकार चुकायी जाय। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के प्रतिनिधि इस आयोग के सदस्य थे। इन चार प्रमुख प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आयोग में अन्य मित्रराष्ट्रों की तरफ से भी एक एक प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था की गयी थी। आयोग का मई, १९२१ तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस तारीख से पहले जर्मनी को सोना या माल के रूप में एक अरब पाँड अदा करना था। इस धनराशि से जर्मनी में स्थित मित्रराष्ट्रों की सेनाओं का पक्ष चलाना था और इससे बाकी बची रकम को क्षतिपूर्ति के खाते में जमा करना था। यह अनुमान लग या गया था कि इसका वाद के मुगलान धन से-रकम तीस वर्षों में जाकर पूरे हो सकेगी।

वसति सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह प्रश्न उठा कि जर्मनी क्षतिपूर्ति में कितनी रकम दे और कैसे दे। जर्मनी से जो कुछ वसूल हो सके उसे किस प्रकार

मित्रराष्ट्र आपस में बाँटे १ जर्मनी से कहा गया कि वह क्षतिपूर्ति की अदायगी के निमित्त कुल कितनी रकम देगा, इसकी सूचना मित्रराष्ट्रों को शीघ्र दे। उसे कहा गया कि यदि वह पूरे दायित्व के निबटाने में कोई एक मुश्त रकम देना चाहे तो मित्रराष्ट्र ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन, जर्मनी को तरफ से कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। अतः मित्रराष्ट्र इस विषय का निर्णय स्वयं कर लेने का प्रयास करने लगे। अप्रिल, १९२० में सानरमो नामक स्थान पर एक सम्मेलन (Sanremo Conference) हुआ और यह निश्चित किया गया कि कुल दायित्व तय करने के लिए जर्मनी सरकार को आमने-सामने सम्मेलन में निमन्त्रित किया जाय। उसी वर्ष जुलाई में यह सम्मेलन स्पा (Spa) नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में जर्मनी के चान्सेलर और विदेश मन्त्री ने मित्रराष्ट्रों के प्रमुख मन्त्रियों से पहली बराबरी के स्तर पर बातचीत की। सम्मेलन में जर्मनी ने कुछ प्रस्ताव रखे। किन्तु, ये प्रस्ताव 'बेहूदे और बेकार' कहकर अस्वीकार कर दिये गये। यद्यपि स्पा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सका किन्तु अगले छह मास तक जर्मनी कितना कोयला देगा, इस सम्बन्ध में एक समझौता हो गया। क्षतिपूर्ति के वितरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी यहाँ निर्णय हो गया। मित्रराष्ट्रों में यह समझौता हो गया कि जर्मनी से भी कुछ मिले उसका ५२ प्रतिशत फ्रांस को, २२ प्रतिशत ब्रिटेन को, ८ प्रतिशत बेल्जियम को, १० प्रतिशत इटली को और शेष ८ प्रतिशत अन्य मित्रराष्ट्रों में बाँट दिया जाय।

मित्रराष्ट्र जर्मनी से कुछ एक मुश्त रकम चाहत थे। लेकिन, इस प्रश्न पर इतना मतभेद था कि कोई समझौता हो सकना कठिन था। दिसम्बर, १९२० में इस बात को तय करने के लिए ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन हुआ, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जनवरी, १९२१ में पेरिस में एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जर्मनी से ११ अरब पौंड की मांग की गयी, जिसको ४२ वार्षिक किश्तों में अदा करना था। जर्मनी के निर्यात व्यापार बाध का १२ प्रतिशत की मांग भी की गयी। यह योजना अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों द्वारा नहीं बनायी गयी थी और स्वेच्छा से जर्मनी के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करना असम्भव था। जर्मनी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। मित्रराष्ट्रों ने भी इस योजना को स्वीकार करने के लिए जर्मनी पर दबाव नहीं डाला। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मार्च, १९२१ में लन्दन में एक सम्मेलन हुआ और अपना उत्तर देने के लिए जर्मनी को आमन्त्रित किया गया। सम्मेलन में जर्मनी ने अपना एक स्वतन्त्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जर्मनी डेढ़ अरब पौंड क्षतिपूर्ति देने का तैयार हो गया और इसके साथ साथ यह मांग कर बैठा कि जर्मनी पर से सारे व्यापारिक प्रतिबन्ध हटा लिये जायें, उसकी भूमि पर 'स्यत मित्रराष्ट्रीय सेना हटा ली जायें तथा ऊपरी साइलेशिया

पर जर्मनी का अधिकार रहे। मित्रराष्ट्रों को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। वे जर्मनी पर काफी रज हुए। ३ मार्च, १९२१ को जर्मनी के पास एक अन्तिम-लेख भेजा गया। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति की प्रारम्भिक चुकती नहीं करने के अपराध में मित्रराष्ट्रों की सेना ने राइन के पूव में स्थित ट्रुजलडोफ, ड्यूसबर्ग तथा रूहरॉर्ट नामक तीन औद्योगिक केन्द्रों पर अधिकार कर लिया। मित्रराष्ट्रों को यह कारवाई नैतिक और राजनीतिक दानों दृष्टियों से आपत्तिपूर्ण थी। लेकिन, उसको सुनने ही वास्ता की बात थी। जर्मनी ने राष्ट्रसभ में अपील की। उसका कहना था कि उसने आरम्भ की क्षतिपूर्ति अदा कर दी है। लेकिन, जर्मनी की अपील बेकार सिद्ध हुई। मित्रराष्ट्रों को अपनी सैनिक कारवाई की वैधता और नैतिकता पर किमी तरह पर्दा डालना था। इसलिए इस विवाद को क्षतिपूर्ति आयोग के समाने रखा गया। आयोग ने मित्रराष्ट्रों के मनोनुकूल ही उनके पक्ष में अपना फैसला दिया।

जब राजनीतिक वातालाप असफल हो गया तो क्षतिपूर्ति-आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। २७ अप्रिल, १९२१ का आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। जर्मनी का कुल दायित्व ६,६००,०००,००० पाँड निश्चित किया गया। लेकिन, इस समय जर्मनी से इतनी बड़ा रकम के भुगतान की आशा नहीं की जा सकती थी। इसलिए अदायगी का ब्योरा अ, ब, स, तीन प्रकार के बान्डों में विभक्त किया गया। 'अ' और 'ब' बान्ड के अन्तर्गत २, ६००,०००,००० पाँड अर्थात् सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति का एक तिहाई भाग था और जर्मनी को यह रकम एक अरब पाँड प्रतिवर्ष के हिसाब से देना था। इसके साथ-साथ उसको निर्वासित-वस्तुओं के मूल्य का २५ प्रतिशत भी देना था। 'स' बान्ड की रकम ४,०००,०००,००० पाँड थी। भुगतान करने की क्षमता स्थिर हो जाने पर जर्मनी को यह रकम अदा करनी थी। इस प्रकार पूरे कज की दो-तिहाई रकम को बसूली अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह भी बतला दिया कि १ मई, १९३१ तक जर्मनी ने जो रकम अदा की है वह बहुत ही अप्रत्याश है और जर्मनी में स्थित मित्रराष्ट्रों की सेना के खर्च के लिए भी पूरी नहीं पड़ती है। इस प्रकार जर्मनी द्वारा अब तक दी गयी रकम को कोई महत्त्व नहीं दिया गया।

मित्रराष्ट्रों को सम्भवत यह विश्वास था कि जर्मनी क्षतिपूर्ति की इतनी बड़ी रकम मानने को तैयार न होगा। अब सैनिक तैयारियाँ की जाने लगी। ५ मई को क्षतिपूर्ति का उपयुक्त ब्योरा जर्मन सरकार के पाम इत अन्तिम-लेख के साथ भेजा गया कि १२ मई तक यदि उसे स्वीकार नहा किया तो मित्रराष्ट्र की सेना रूर पर कब्जा कर लेगी। रूर जर्मनी के धातु उद्योगों का केन्द्र था तथा जर्मनी के कापले लोहे तथा इस्पात का ८० प्रतिशत के लगभग वहाँ उत्पन्न होता था। जिस यह अन्तिम-लेख जर्मनी पहुँचा उस समय वहाँ एक आन्तरिक सङ्कट चल रहा

था, जिसके कारण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। अन्तिमेल्यम् की अवधि समाप्त होने व एक दिन पूर्व जर्मनी में एक नया मन्त्रिमण्डल बन गया। नये मन्त्रिमण्डल ने ११ मई को मित्रराष्ट्रों की माँगों को स्वीकार कर लिया और अगस्त में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति की पहली किस्त ५०,०००,००० पाँड चुका दिया।

जर्मनी को कठिनाइयाँ—यद्यपि जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के अन्तिमेल्यम् की स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय थी कि वह क्षतिपूर्ति अदा करने में समर्थ नहीं था। सबसे पहले यह काशिश की गयी कि जर्मनी माल की शकल में क्षतिपूर्ति करे। जर्मनी ने बहुत तरह के माल दिये भी पर इसका परिणाम मित्रराष्ट्रों के हक में अच्छा नहीं हुआ। जर्मनी के माल उनका बाजारों में भर गये। ये माल जर्मनी से सुप्त में आये थे और इसलिए मित्रराष्ट्रों के बाजार में बहुत सस्ते मूल्य पर बिकने लगे। इसके मुकाबले में अपने देश का माल बिकना कठिन हो गया। मित्रराष्ट्र के पूँजीपति वर्ग ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। यह तय हुआ कि जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी माल की शकल में न देकर नकद दिया करे। तब प्रश्न यह था कि जर्मनी नकदी में कैसे भुगतान करे। उसके सामने केवल एक ही उपाय था कि वह अपने सामानों को अन्य बाजारों में बेचकर नकद में क्षतिपूर्ति की रकम अदा करे। पर जर्मनी अपने माल को कहाँ बेचे। युद्ध के पूर्व रूस और मध्य यूरोप के देश उसके बाजार थे। लेकिन युद्ध के बाद ये बाजार भी उसके हाथ से निकल गये। रूस में साम्यवाद का प्रादुर्भाव और मध्य यूरोप में नये नये देशों का निर्माण हो चुका था, जो राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा के लिए सरक्षण नीति का अनुसरण कर रहे थे। जर्मनी के पास कोई उपायविधि भी नहीं बच रहा था, जहाँ वह अपना माल बेच सके। इस दशा में विदेशी बाजारों में अपने माल को बेचकर क्षतिपूर्ति देना जर्मनी के लिए सम्भव नहीं था। जर्मनी के पास अब जो एकमात्र उपाय बच गया था, वह यह था कि वह अपने मुद्रा का प्रसार करे। मुद्रा का प्रसार से विदेशी विनिमय में जर्मनी के सिक्के का मूल्य गिरेगा, मूल्य गिरने से विदेशों में जर्मन माल सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ने से उसकी बिक्री अधिक होगी और इस तरह अपना माल बेचकर जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी कर सकेगा। जर्मनी ने इसी नीति का अनुसरण करने का फैसला किया। विदेशी विनिमय में जर्मन सिक्के का मूल्य गिरने लगा जिसके फलस्वरूप विदेशी बाजारों में जर्मन माल सस्ते बिकने लगे। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में जर्मन माल इन देशों के माल से भी सस्ता बिकने लगा। मित्रराष्ट्रों के पूँजीपतियों ने पुनः हल्ला मचाना शुरू किया कि विदेशी मालों पर आयात कर लगाया जाय तथा सरक्षण-नीति का अवलम्बन किया जाय। यह क्षतिपूर्ति समस्या का हास्यास्पद पहलू था। लेकिन, इसके ठीक ही बाद नाटक का दुखान्त पहलू भी

शुरू हुआ। संरक्षण कर के कारण जर्मनी का माल विदेशी में बिकना बंद हो गया और जर्मनी के लिए अदायगी असम्भव हो गयी।

अब जर्मनी के लिए केवल एक उपाय बच रहा कि वह विदेशों से कर्ज ले। पर अन्तर्राष्ट्रीय माख नहीं होने के कारण वह विदेशी ऋण भी नहीं पा सकता था। अमेरिका की छोटकर कोई देश जर्मनी को कर्ज देना नहीं चाहता था। इसलिए विदेशी कर्ज के द्वार) जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं कर सकता था। दूसरे, जर्मनी अपनी आर्थिक सन्तुलन ही खा बैठा था। युद्ध में हुई क्षति के कारण उसके आयात बढ़ गये थे और निर्यात की मात्रा कम हो गयी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मोने का भण्डार निरन्तर खाली होता गया, सुद्रास्फीति बढ़ गयी और जर्मन-सिक्का माक की कीमत गिर गयी। जर्मनी शीघ्र सुद्रा सकट में फँस गया। मंकट के पहले २० माक का सामान्य मूल्य एक पौण्ड था। १९२० में इसकी कीमत गिरकर ५० माक तक पहुँच गयी। १९२२ में एक पौण्ड के बदले ३४००० माक खरीदे जा सकते थे। आर्थिक स्थिति अजीब हो गयी। चीजों की कीमत बेहद बढ़ गयी। आम मजदूरों की दैनिक मजदूरी में कीमतों के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि हो सकती थी। लेकिन, मध्यमवर्ग के लोग नौकरी पेशेवाले थे और उनके मासिक वेतन में हमेशा वृद्धि नहीं हो सकती थी। इस दशा में मध्यमवर्ग के लोगों की अपार कष्ट उठाना पडा। अपनी आमदनी आम मजदूरों के समान रह गयी, लेकिन उनके रहन सहन का स्तर ऊँचा था। जर्मन मध्यमवर्ग काफी असन्तुष्ट और बेचैन था। कुछ दिनों के बाद मासिक वेतन भी प्रतिदिन दुहराये जाने लगा। पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। दूकान पर सामान खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहने के समय भी सुद्रा की कीमत घट सकती थी। जहाँ एक ओर जर्मन लोगों की यह दुर्दशा थी वहाँ दूसरी ओर एक विदेशी कुछ ही पौण्ड, फ्रांक, डालर, रुपया लेकर जर्मनी में आकर क समान अपना जीवन बिता सकता था।

समझता था रहा था और जर्मन लोगों का विश्वास था कि नैतिक रूप से यह सन्धि उनपर बन्धनकारी नहीं हो सकती है।

ऐसी परिस्थिति में जर्मनी के लिए कोई भी रकम अदा करना असम्भव हो गया। समझौते के अनुसार अगस्त, १९२१ तक जर्मनी ने ५ करोड़ पौण्ड की प्रथम किश्त चुका दी। किन्तु अब जर्मनी एक पैसा देने की स्थिति में भी नहीं था। अब उसने अगले वर्ष तक के लिए अदायगी स्थगित करने के लिए मुहलत (moratorium) माँगी। जर्मनी की इस पाथना पर जनवरी, १९२० में कैनिंग सम्मेलन में विचार किया गया। निणय हुआ कि जर्मनी अदायगी का थाडा सा हिस्सा आगे के लिए स्थगित कर सकता है। लेकिन जर्मनी की स्थिति इससे भी नहीं समझली। मुद्रा की कीमत निरन्तर गिरती जा रही थी। आर्थिक संकट के कारण जर्मन सरकार ने क्षतिपूर्ति देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। जर्मनी ने एक दूसरी मुहलत के लिए प्रार्थना की कि नकद अदायगी १९२५ तक के लिए स्थगित कर दी जाय।

ऑगल फ्रांसीसी मतभेद—जर्मनी की पूर्ण मुहलत (total moratorium) की माँग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की समस्या कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्रों और जर्मनी के बीच की समस्या न रहकर ऑगल फ्रांसीसी मनमुटाव के रूप में परिवर्तित हो गयी। १९२० में राइनभूमि पर सयुक्त अधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के दृष्टिकोण में पहली बार मतभेद हुआ था। युद्ध-समाप्ति के समय जर्मनी-विरोधी भावनाएँ ब्रिटेन में उतनी ही तीव्र थी जितनी फ्रांस में। किन्तु, ब्रिटेन में यह तीव्रता तेजी से कम होने लगी। फ्रांस का पराजित जर्मनी से गी भय था। लेकिन, जर्मन नौ-सेना के नष्ट हो जाने से ब्रिटिश-साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन परम्परा से शक्ति संचालन के सिद्धान्त का अनुसरण करता चला आ रहा था। यूरोपीय प्रायद्वीप में वह किसी एक राष्ट्र की अत्यन्त शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था। ऐसी स्थिति में जर्मनी को धूल में मिलाने के लिए फ्रांस को छूट देना उसकी परम्परा के विरुद्ध की बात होती थी। इसलिए राइन-भूमि पर जहाँ एक ओर फ्रांसीसी सेना ने घोर अत्याचार किये, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश सेना ने जर्मन लोगों को शीघ्र ही अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। ब्रिटिश सेना अपने भूतपूर्व मित्रों की अपेक्षा भूतपूर्व शत्रुओं में अधिक लोकप्रिय हो गयी थी। फ्रांस ने जान बूझ कर अफ्रीका व अश्वेत नियो की नैतिक टुकड़ी को जर्मनी में भेजा था। फ्रांसीसी द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन नियो सैनिकों ने जर्मनी पर काफी अत्याचार किये। इस 'अश्वेत अयमान' के कारण ब्रिटेन और अमेरिका का लोकमत फ्रांस से काफी मुब्य था।*

राइन में पार्थक्यवादी आन्दोलन—ऑग्ल फ्रांसीसी मतभेद का एक दूसरा कारण राइन भूमि के पार्थक्यवादी आन्दोलन (separatist movement) को प्रोत्साहन दिये जाने से सम्बन्धित था । शान्ति सम्मेलन में फ्रांस ने राइन भूमि पर अधिकार जमाने का काफी प्रयत्न किया था । लेकिन लायड जार्ज और विल्सन के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका । जब फ्रांस को इस दिशा में सफलता नहीं मिली तो उसने इस क्षेत्र में पार्थक्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया । फ्रांसीसी सरकार का इशारा पाकर कुछ सैनिक अधिकारी इस क्षेत्र की जर्मन जनता को वलिन की सत्ता से अलग हो जाने और राइन भूमि को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित करने के लिए उभाड़ रहे थे । यह आन्दोलन बिल्कुल नक्ली था और राइन भूमि का कोई भी व्यक्ति फ्रांस की सरक्षता में स्वायत्त शासन नहीं चाहता था । परन्तु फ्रांसीसियों को किराये पर छूट टट्टू मिल गये थे या फ्रांसीसी उनको बाहर से ले आये थे । तिद्रोहियों को फ्रांस और बेल्जियम की गाडियों द्वारा कायस्थल पर पहुँचाया जाता था । जर्मन नागरिकों से छीने गये हथियारों को उन्हें दे दिया जाता था और जो हथियार जर्मन पुलिस विद्रोहियों से छीनती थी फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा उन्हें पुन साप दिये जाते थे । पोछे चलकर पुलिस के हथियार भी छीन लिये गये और उसके काम में तरह-तरह की रुकावटें डाली गयीं । इस आन्दोलन द्वारा उद्घोषित राइनलैंड गणराज्य को हाई कमिश्नर ने मान्यता भी दे डाली ।

तीन साल तक पार्थक्यवादी आन्दोलन का भूत बनाये रखा गया । किन्तु २९२३ के अन्त में परिस्थिति बिल्कुल विगड गयी । बेवेरिया के एक भाग पेलेटिनेट में एक घटना ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि फ्रांस और ब्रिटेन में पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद का खतरा पैदा हो गया । २४ अक्टूबर, १९२३ को पेलेटिनेट को एक स्वायत्त राज्य घोषित किया गया और स्थानीय फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने इसको एक स्वतन्त्र सरकार के रूप में मान्यता भी दे दी । 'नयी सरकार' ने विधिवत् अपना शासन धारम्भ किया । ब्रिटिश सरकार को यह बात बहुत बुरी लगी । जब यह बात राइन भूमि में स्थित मित्रराष्ट्रों के उच्च आयोग में उठायी गयी तो फ्रांस और बेल्जियम ने ब्रिटेन के विरोध में मत दिये । ब्रिटिश सरकार ने अपने वाणिज्य दूत को आन्दोलन की यथार्थता की जाँच करने को कहा । इस जाँच से यह निश्चित रूप से निद्व हो गया कि आवादी का प्रबल बहुमत पार्थक्यवादी आन्दोलन के विरुद्ध है । ब्रिटिश सरकार फ्रांसीसी सरकार पर दबाव डालन लगी । उसने इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी और अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि वे पार्थक्यवादी को किसी प्रकार की मदद न दें । फ्रांस के सामने कोई उपाय नहीं रह गया । उसे अन्त में झुटना

पडा और मारा आन्दोलन कुछ ही समय में समाप्त हो गया। पिरमासेंस नामक स्थान में पंद्रह विद्रोहियों को बल्ल कर दिया गया। फरवरी, १९२४ के बाद राइनभूमि में पार्थक्यवादो आन्दोलन का नामोनिशान मिट गया। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का निमाण हो चुका था, जिसके कारण जर्मन-सम्बन्धी कई घटनाओं का लेकर फ्रांस और 'ब्रिटेन में मतभेद हो सकता था।

क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर दोनों के बीच मतभेद होने के और भी कई कारण थे। युद्ध के तुरत बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार काफी सन्नति कर रहा था। लेकिन, १९२० के बाद से स्थिति ऐसी नहीं रही और ब्रिटेन का निर्यात गिरने लगा। इसका असर ब्रिटेन के आर्थिक जीवन पर पडा। ब्रिटेन का आर्थिक उत्थान तभी सम्भव था जब विदेशी बाजारों में उसके मालों की बिक्री हो। जमनी ब्रिटिश-मालों का सबसे बड़ा खरीदार था। अतः ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती थी जब उसके खरीदार देश जर्मनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाय। ब्रिटिश अधिकारी क्षतिपूर्ति की समस्या पर फ्रांस का समर्थन करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनका विचार था कि क्षतिपूर्ति की अदायगी के पूर्व जर्मनी का आर्थिक पुनरोत्थान आवश्यक है।

फ्रांस का विचार कुछ दूसरा था। युद्ध में फ्रांस का काफी नुकसान उठाना पडा। उसकी कृषि योग्य भूमि और औद्योगिक केन्द्र वनाद हो चुके थे। फ्रांस के सामने इन्हीं बर्बादियों का पुननिमाण करना था। वसाय सन्धि के अनुसार जर्मनी से हरजाना वसूल करके ही इन क्षेत्रों को पुन बसाना था। लेकिन, मई १९२१ तक फ्रांस को क्षतिपूर्ति के खाते में प्रायः कुछ नहीं मिला था। इसलिए जब जमनी ने सुहलत की माग की तब फ्रांस को यह बात बिल्कुल पसन्द नहीं आयी। फ्रांसीसी नेताओं का कहना था कि जर्मनी का आर्थिक कठिनाइयों का कारण क्षतिपूर्ति की समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था का कुशासन और जर्मन लोगों की बदमाशी है। उनकी राय से क्षतिपूर्ति की अदायगी शीघ्र हानी चाहिए और जर्मनी को सुहलत नहीं मिलनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में जब १४ नवम्बर, १९२२ को जर्मनी ने तीन चार साल के लिए पूर्ण सुहलत की मांग की तो यह अवश्यम्भावी हो गया कि मित्रराष्ट्रों के बीच, जो लन्दन में एक सम्मेलन पर इकट्ठे हुए थे, गहरा मतभेद हो जाय। पोश्नकारे इस बात पर गुला हुआ था कि 'चूँकि जर्मनी अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहा, इसलिए उसके विरुद्ध कड़ी कारवाई की जाय। इसके विपरीत ब्रिटिश प्रधान मन्त्री बोनर ला का कहना था कि रूस पर अधिकार जमा लेने से क्षतिपूर्ति की समस्या हल नहीं हो सकती। जमनी को अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता

है, क्योंकि क्षतिपूर्ति-आयोग व आदेशानुसार ही उसने अदायगी कर दी है। फ्रांसीसी प्रतिनिधि का कहना था कि जर्मनी ने निर्धारित मात्रा में फ्रांस को लकड़ी नहीं भेजी है। जनवरी, १९२१ में पेरिस सम्मेलन में क्षतिपूर्ति आयोग ने बहुमत से ब्रिटिश प्रतिनिधि का मत विरोध में होते हुए भी, यह घोषित कर दिया कि जर्मनी ने 'जान बूक्कर प्रति नहीं की है।' इस घोषणा की महत्ता संधि की उस धारा में निहित थी, जिसके अनुसार मित्रराष्ट्रों को यह अधिकार था कि 'यदि जर्मनी जान बूक्कर क्षतिपूर्ति नहीं करे तो सम्बन्धित सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं।' १० जनवरी, १९२३ का फ्रांसीसी सरकार ने यह एलान किया कि रूर पर आधिपत्य जर्मन के लिए शीघ्र ही एक सैनिक टुकड़ी भेजी जायगी। इस एलान के साथ साथ क्षतिपूर्ति समस्या का दूसरा चरण समाप्त हुआ।

रूर-आधिपत्य से डायस-योजना तक — रूर के आधिपत्य से क्षतिपूर्ति-नाटक का सबसे दुःखद दृश्य प्रारम्भ होता है। इस कुत्तय में फ्रांस ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन, पोयन्कारे को इसमें सफलता नहीं मिली और ११ जनवरी १९२३ को फ्रांसीसी और बेल्जियम सेनाएँ रूर में प्रवेश कर गयीं। रूर-आधिपत्य के कानूनी औचित्य पर विचार करना ही बेकार है, क्योंकि दुष्परिणामों को देखते हुए कानूनी पहलू का महत्त्व गौण पड़ जाता है। पोयन्कारे ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा करने का फ्रांस का कोई इरादा नहीं है, किन्तु क्षतिपूर्ति न मिलने तक हम उस पर अधिकार रखना चाहते हैं। यद्यपि अधिकृत प्रदेश को लम्बाई ५० मील और चौड़ाई २८ मील हो थी, किन्तु यह जर्मनी का औद्योगिक केन्द्र था। इस इलाक में ८० प्रतिशत कोयला, लोहा और इस्पात का उत्पादन होता था। इसमें ९ नगर थे और जर्मन आबादी की १० प्रतिशत जनता यहाँ निवास करती थी।

रूर पर आधिपत्य के बाद जर्मनी के सामने दो माग थे— या तो वह फ्रांस की माँगों को स्वीकार कर ले अथवा आधिपत्याधिकारियों के साथ असहयोग करके निष्क्रिय प्रतिरोध (passive resistance) करे। जर्मन सरकार को यह विश्वास था कि यदि वह फ्रांस के साथ असहयोग कर देती है तो अधिक दिनों तक आधिपत्य कायम नहीं रहेगी। इसलिए फ्रांस और बेल्जियम को दो जाने वाली सारी क्षतिपूर्ति पद कर दी गयी। जर्मनी ने ब्रुसेल्स और पेरिस में स्थित अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। सरकार ने अधिकृत क्षेत्र के निवासियों को यह आदेश दिया कि वे शत्रु के साथ सहयोग नहीं करें। उसे किसी प्रकार का कर न दें। रेलवे और डाक-तार कर्मचारियों ने फ्रांसीसी तथा बेल्जियम अधिकारियों का आज्ञा पालन करने से इन्कार कर दिया। जर्मन सरकार ने हड़तालियों और सत्याग्रहियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

उद्य फ्रांसीसी राष्ट्रीयता का नेता पोअन्कारे भी फौलादी तत्त्वों का बना हुआ पुरुष था। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। उसने समूचे इलाके पर घेरा डाल दिया। रूर-प्रदेश की सारी जर्मन चीजें जन्त कर ली गयीं। सत्याग्रहियों और बड़े-बड़ उद्योगपतियों को कैद कर लिया गया। सैकड़ों नागरिकों को रूर से निकाल दिया गया। अधिकृत क्षेत्र से तैयार माल भेजना बन्द कर दिया गया। रूर क्षेत्रों के सभी नगरों के मेयरों को कैद कर लिया गया। मार-पीट और हत्याएँ तो मामूली बात हो गयी। आधिपत्याधिकारियों की कार्रवाई से ७१ जर्मन मारे गये और ८२ घायल हुए। जर्मनी पर जो जुर्म टाये गये वह किसी भी सम्भव सरकार के लिए लज्जा का विषय है। जर्मनी के ऊपर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। जर्मनों का सारा आर्थिक जीवन ठप्प पड़ गया। बहुत से लोग बेकार हो गये। गरीबी और भूखमरी से लोग तबाह होने लगे। जर्मन राजकोष विन्कुल खालो हो गया। मार्क की कीमत दिन पर-दिन गिरती गयी। विदेशी आधिपत्य के कुछ समय पूर्व ही मार्क का मूल्य गिरकर प्रति पाँड ३५,००० हो चुका था। १९२३ के अंत तक इसका मूल्य एक पाण्ड के सुकाबले में पचास हजार अरब तक बढ़ गया। जर्मनी बर्बाद हो गया। सरकार ने भी मुद्रास्फोति को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि राष्ट्रीय आत्मदनी से उनको कोई लाभ होने-वाला नहीं है। सारे पैसे क्षतिपूर्ति कोष में चले जायेंगे।

मुद्रास्फोति से सबसे अधिक घाटा मध्यमवर्ग को हुआ। धनिकों और उद्योग-पतियों को तो इससे लाभ ही हुआ। धूमिक वर्ग को भी किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी। परन्तु मध्यमवर्ग को इससे काफी हानि हुई। उन्हें सर्वहारावर्ग की कौटि में आना पड़ा। जर्मनी के यहूदी निवासियों ने भी मुद्रास्फोति से काफी मुनाफाखोरी की। अगे चलकर जर्मनी में जो यहूदी विरोधी आन्दोलन चला उसका एक प्रमुख कारण यह भी था। यह भी कह देना कोई असंगत नहीं होगा कि यही तबाह और बर्बाद मध्यमवर्ग एक दिन हिटलर के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक हुआ। बर्बाद होने पर भी जर्मन जनता असहयोग-आन्दोलन में अपनी सरकार का साथ देती रही।

असहयोग आन्दोलन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था। रूर जर्मनी के आर्थिक जीवन का केन्द्र था और इसके आधिपत्य का अरब देश के अन्य भागों पर पड़ रहा था। मार्क की कीमत गिरती चली जा रही थी। असहयोग-आन्दोलन असफल रहा और इसका विरोध होने लगा। जर्मन सरकार ने फ्रांस से

वार्ता शुरू की और रेलों को बन्द कर रखकर अदायगी का वादा किया। लेकिन पोप अन्कारे की माँग थी कि जर्मनी को सर्वप्रथम अपना आन्दोलन समाप्त करना होगा। १२ अगस्त, १९२३ को चांसलर हुनो ने इस्तोफा दे दिया और स्ट्रेसमेन नेतृत्व में एक नया मंत्रिमण्डल बना। २६ सितम्बर को उसने आन्दोलन समाप्त किये जाने की घोषणा कर दी। निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन के पक्ष में जो अध्यादेश जारी किये गये थे, वापस ले लिये गये। पोप-कारे अपनी जीत पर फूला नहीं समाया। यह क्षतिपूर्ति नाटक का तीसरा दृश्य था।

रूस आधिपत्य के फलस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तनाव तथा मन्सुटाव और भी अधिक बढ़ गया। ब्रिटेन ने प्रारम्भ में इस कार्रवाई का विरोध किया था और जब इस विरोध के बावजूद पोप-कारे रूस में अपनी सेना भेजने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस का एकदम साथ नहीं दिया। रूस में फ्रांसीसी कठोरता और अत्याचार के कारण अंग्ल-फ्रांसीसी सम्बन्ध और भी खराब हो गया।

जर्मनी में पार्थक्यवादी आन्दोलन को फ्रांस द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण भी अंग्ल-फ्रांसीसी सम्बन्ध में मतभेद पैदा हुआ। फ्रांस द्वारा प्रोत्साहित पेलेटिनेट के पार्थक्यवादी आन्दोलन का अन्त ब्रिटिश-विरोध के कारण ही हुआ था। जब फ्रांस ने रूस पर आधिपत्य जमा लिया तो इसके फलस्वरूप ९ नवम्बर, १९२३ को जनरल लुडेनडोर्फ के नेतृत्व में इसी प्रकार का एक दूसरा आन्दोलन बवेरिया में छठ खड़ा हुआ। हिटलर लुडेनडोर्फ का बहुत बड़ा सहयोगी था। यह विद्रोह फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध बर्लिन सरकार की निष्क्रियता की नीति के विरुद्ध हुआ था। यद्यपि इस विद्रोह की तत्परता के साथ दया दिया गया, किन्तु इसका ऐतिहासिक महत्त्व था। कारण, इसका नेता एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम उसार को कुछ दिनों के बाद बहुत बार सुनना था। यह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। विद्रोह के अभियोग में हिटलर को कैद कर लिया गया। कैदखाने में उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मेरा संघर्ष' (*Mein Kampf*) लिखी, जिसमें उसने राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धान्त की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। कुछ दिनों के बाद इसी व्यक्ति ने फ्रांस को रूस आधिपत्य का मजा चखाया।

रूस आधिपत्य से जो भी लाभ हानि हुई हो, इसका तात्कालिक परिणाम बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। इसके फलस्वरूप जर्मनी में, खासकर पूर्वी जीपति वर्ग के लोगों का, हृदय परिवर्तन होने लगा। पहले इन लोगों ने क्षतिपूर्ति की अदायगी में सरकार के साथ सहयोग की नीति का अनुसरण किया था, लेकिन रूस आधिपत्य के फलस्वरूप जब जर्मनी की आर्थिक दशा गिरने लगी, उसके प्रयोग के जन्म कर

लिए गये, और मार्क की कीमत गिरने लगी तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे कि किसी तरह क्षतिपूर्ति की अदायगी करके रूर-क्षेत्र को मुक्त करना आवश्यक है। जर्मनी की जनता ने भी समझा कि फ्रांस उनसे बिना क्षतिपूर्ति लिए छोड़नेवाला नहीं है। इस प्रकार जनता के हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप जर्मन सरकार के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी में काफी सहूलियत हो गयी।*

रूर-आधिपत्य का प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा। फ्रांसीसी जनता ने यह अनुभव किया कि रूर पर अधिकार एक भयकर भूल थी। जर्मनी का दिवाला निकालने से कोई लाभ नहीं था। फ्रांस में भी आर्थिक सकट उत्पन्न हो रहा था और फ्रैंक की कीमत घट रही थी। फ्रांस का पुनर्निर्माण क्षतिपूर्ति को रकम से ही सम्भव था और इस रकम को शक्ति के बल पर वसूलना आसान नहीं था। अतः फ्रांस में क्षतिपूर्ति वसूल करने के दूसरे उपायों पर जोर दिया जाने लगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस अब नरम नीति को अपनाने के लिए तैयार था। सम्भवतः इसीलिए १९२४ के फ्रांसीसी चुनाव के फलस्वरूप उग्र नीति का सबसे बड़ा समर्थक पोइन्कारे का मन्त्रिमण्डल गिर गया और उसकी जगह समझौते की नीति का समर्थक हेरियो मन्त्रिमण्डल ने ली।

डायस योजना फ्रैंको जर्मन सम्बन्ध के निरन्तर बिगड़ने से ब्रिटिश-सरकार काफी चिन्तित थी। वह कुछ ऐसा उपाय करना चाहती थी जिससे दोनों देशों का सम्बन्ध कुछ अच्छा हो जाय। २४ अक्टूबर, १९२३ को जर्मनी ने क्षतिपूर्ति-आयोग को एक पत्र भेजा। जर्मनी ने यह विचार व्यक्त किया कि वह क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए तैयार है। लेकिन, उसने आयोग से यह प्रार्थना की कि वह उसकी आर्थिक क्षमता का पता लगाये कि वह किस प्रकार क्षतिपूर्ति को अदा कर सकता है। इस दिशा में ब्रिटिश सरकार पहले से ही तत्पर थी। उसने अमरीकी सरकार से अनुरोध किया कि वह जर्मनी की आर्थिक क्षमता का पता लगाने में सहयोग दे। अमरीकी सरकार इस प्रस्ताव पर राजी हो गयी। फलस्वरूप दिसम्बर १९२३ में क्षतिपूर्ति आयोग ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति के जाँच के लिए दो समितियों की स्थापना की। पहली समिति के अध्यक्ष एच अमरीको चार्ल्स टी० डायस थे और उन्हें के नाम पर इस समिति को डायस समिति कहते हैं। इस समिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और बेल्जियम के दो-दो प्रतिनिधि थे। जर्मन बजट का सन्तुलित करना तथा जर्मन मुद्रा का स्थिरीकरण करना समिति का मुख्य काम

*Carr, *International Relations Between the Two World Wars*, p. 45.

था। दूसरी समिति में, जिसका मुख्य काम जर्मनी द्वारा आयात विधे गये सामानों का मूल्यांकन करना तथा उसका वापस भँगाने के साधनों पर विचार करना था, उपयुक्त देशों में एक एक प्रतिनिधि थे। इसके अध्यक्ष ब्रिटेन व रेजिनाल्ड मैक कत्रा थे। १४ जनवरी, १९२४ को इन समितियों ने अपना काम पेरिस में शुरू किया। ध्यान देने की बात है कि इन दोनों समितियों के सदस्य राजनीतिज्ञ नहीं अपितु अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे और इनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ की जाती थीं। विशेषज्ञों की दो समितियाँ नियुक्त हो जाने पर क्षतिपूर्ति-समस्या का चौथा अध्याय प्रारम्भ होता है।

क्षतिपूर्ति-समस्या की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रश्न था, किन्तु अभी तक इसका राजनीतिक समाधान (आर्थिक नहीं) ढूँढा गया था। डावस समिति ने इस कठिनाई को समझा और उसी जो रिपोर्ट तैयार की उसका आधार आर्थिक न कि राजनीतिक था। ९ अप्रिल, १९२४ को समिति ने अपनी १२४ पृष्ठों की रिपोर्ट क्षतिपूर्ति-आयोग के समक्ष पेश कर दी। रिपोर्ट पेश होने के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस में आम चुनाव हुआ जिसके फलस्वरूप पोल्थकारे मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया और उसके बाद ११ मई, १९२४ को हेरियो फ्रांस का प्रधान मन्त्री बना। क्षतिपूर्ति-समस्या के लिए वह शुकुन था, क्योंकि हेरियो समझौता की नीति का समर्थक था।

डावस-समिति के सामने मुख्य प्रश्न जर्मन मुद्रा को स्थिर करना था, क्योंकि इसके बिना जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं कर सकता था। इस बात का ध्यान में रखकर डावस-समिति ने जो रिपोर्ट पेश की उसका सारांश निम्नलिखित है—(१) पचास वर्ष के लिए एक प्रचलन बैंक की स्थापना की जाय जो नयी मुद्रा (रीशमार्क) को जारी करे। बैंक पर सात जर्मनों और सात विदेशियों का नियन्त्रण रहे। (२) जर्मनी को चार करोड़ पौण्ड का विदेशी ऋण मिले, जिससे वह अपना मुद्रा-कोष कायम कर सके। (३) जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान मार्क में किया जाय तथा विदेशी मुद्राओं में इन ऋणों का विनिमय कराने का उत्तरदायित्व मित्रराष्ट्रीय सरकारों का रहे। (४) जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी के बन्धक के रूप में त्रुगी, शराव तम्बाकू तथा चीनी पर कर से प्राप्त होनेवाली आय वार्षिक रूप में दिया करे। (५) वार्षिक क्षतिपूर्ति का भुगतान पाँच करोड़ पौण्ड से शुरू हो और धीरे धीरे चार वर्ष की अवधि में बटकर एक अरब पौण्ड तक पहुँच जाय। (६) भविष्य का भुगतान वार्षिक गति के अनुसार घटता या बढ़ता रहे। (७) जर्मनी के पास पर्याप्त आर्थिक साधन हैं। अगर उनके साथ सहानुभूति का रतार्थ किया जाय तो वह क्षतिपूर्ति अदा करने में समर्थ हो सकता है। इस दृष्टि

से रूर से अविलम्ब विदेशी सेना को हटा लेना आवश्यक है। (८) योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय।

रिपोर्ट मिलने के दो दिन बाद क्षतिपूर्ति आयोग ने सिद्धान्त के रूप में समिति की सिफारिशों स्वीकार कर ली। इसी बीच मेकडोनल्ड और हेरियो में कूटनीतिक वार्तालाप होते रहे। यह तय हुआ कि डावस-योजना को विचारार्थ एक सम्मेलन में पेश किया जाय। जुलाई और अगस्त क महीनों में लन्दन में यह सम्मेलन होता रहा। ५ अगस्त को जर्मन प्रतिनिधि के रूप में स्वयं स्ट्रेस्मेन आया और लन्दन में उसका काफी स्वागत हुआ। समझौते के इस नये वातावरण में डावस-योजना बिना अधिक कठिनाई के स्वीकार कर ली गयी। महीने के अन्त में जर्मन रीहस्टाग (Reichstag) के समझौते का अनुमोदन कर दिया और १ सितम्बर को योजना लागू कर दी गयी। अक्टूबर में जर्मन ऋण जारी किया गया। आधी से अधिक रकम (११ करोड़ डॉलर) अमेरिका से मिली और एक चौथाई से भी अधिक ब्रिटेन से। शेष रकम अन्य देशों से मिली। नवम्बर के मध्य में फ्रांस और बेल्जियम की अन्तिम सेनाओं ने रूर को छोड़ दिया। राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुआ और यूरोप में आर्थिक स्थिरता आने की सम्भावना बढ़ गयी।

डावस योजना का मूल्यांकन—डावस-योजना युद्ध के बाद अन्तराष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके तीन कारण थे। सबसे पहले, उसमें मॉर्गों को छतना ही सीमित रखा गया था जितना परिस्थिति के अनुकूल ① जर्मनी चुका सकता था। फिर, योजना में विदेशी विनिमय का उत्तरदायित्व लेन- ② दारों पर ही छोड़ दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस जटिल समस्या को क्षतिपूर्ति आयोग के क्षेत्र से हटाकर आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति ③ को सौंप दिया गया, जिसने इसका इल एक निष्पक्ष, अराजनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से किया। किन्तु, डावस-योजना में गम्भीर दोष भी थे।* इसमें वापिक अदायगी तो निश्चित की गयी थी, लेकिन इसमें न तो वापिक भुगतान को अवधि ही निश्चित थी और न क्षतिपूर्ति की कुल राशि का ही उल्लेख था। इस कारण जर्मनी को अपनी आर्थिक उन्नति में कम दिलचस्पी रह गयी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप उसका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त डावस योजना के फलस्वरूप जर्मनी को विदेशी ऋण लेने की आदत पड़ गयी। एक ऋण की सफलता के बाद उसने खूब ऋण लिये। विदेशी ऋण के कारण

* G Hardy, A Short History of International Affairs, p 40

जर्मनी ने अपनी अनेक आर्थिक कठिनाइयों को सम्हाल लिया। लेकिन, यह विदेशी मृण भावी आर्थिक दिवालियापन का आधार भी बन गया।

डावस योजना क विपक्ष में जो भी कहा जाय, किन्तु एक बात तो निश्चित है कि इसके फलस्वरूप तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ। लन्दन-सम्मेलन से जो अनुकूल वातावरण तैयार हुआ उसके कारण मित्रराष्ट्रों और जर्मनी तथा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सौहार्द की भावना का सूत्रपात हुआ। क्षतिपूर्ति का भुगतान भी ठीक समय पर होता रहा यद्यपि उस समय बहुत थोड़े ही लोग यह अनुभव करते थे कि जर्मनी अमेरिका से पैसा लेकर क्षतिपूर्ति अदा कर रहा है। क्षतिपूर्ति नाटक का यह एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। जर्मनी अमेरिका से कर्ज लेकर क्षतिपूर्ति का भुगतान करता और मित्रराष्ट्र उसी धन से अपनी अमरीकी कर्ज भी चुकाते। अमेरिका का डालर घूमते-फिरते फिर अमेरिका ही आ पहुँचता। लेकिन, डावस योजना को सबसे बड़ी देन यह है कि इसने सुरक्षा की आशा पैदा करने में काफी योग दिया। योजना स्वीकार हो जाने के बाद मैकडोनेल्ड तथा हरियो सितम्बर के महीने में राष्ट्रसंघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए जेनेवा गये और वहाँ उन्होंने एक दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या—फ्रांस की सुरक्षा मॉग—का समाधान निकालने के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया। जेनेवा-प्रोटोकॉल तथा लोकानों संधियों इन्हीं प्रयासों के परिणाम थे। इन बातों को देखकर कम से कम उस समय के लिए तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि रूर-आधिपत्य अधिशाप के रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ।

यग योजना— इनमें कोई सन्देह नहीं कि डावस योजना की अभूतपूर्व सफलता प्राण हुई। जर्मनी बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान करता रहा और किसी की किसी से कोई विशेष शिकायत नहीं रही। पर डावस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें न तो वापिक भुगतान की अवधि ही निश्चित की गयी थी और न क्षतिपूर्ति की कुल राशि का उल्लेख ही था। क्षतिपूर्ति समस्या में अब असल प्रश्न यही था कि जर्मनी का पूर्ण दायित्व तथा इसके भुगतान की अवधि निश्चित कर दी जाय। लोकानों समझौता हो जाने के बाद यूरोपीय राजनीति में सद्भावना का वातावरण फैल रहा था। स्ट्रैस्मेन राइन भूमि को खाली करने की विधि में था और इसके लिए वह फ्रांसीसी, और ब्रिटिश राजनीतियों से बातचीत कर रहा था। नितम्बर, १९२८ में राष्ट्रसंघ एसेम्बली के अधिवेशन के दिनों में जर्मनी क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित राज्यों के बीच औपचारिक वार्ता के परिणामस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान और जर्मनी के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये कि राइन भूमि को खाली करने के लिए वार्ताएँ प्रारम्भ की जायें और शर्त पूर्वक समस्या के गम्भीर और निश्चित समाधान के लिए, समयोत्तर के विचारों को

एक समिति नियुक्त की जाय। इस निर्णय के अनुसार एक नयी समिति बनायी गयी जिसने ११ फरवरी, १९२९ से अपना काम पेरिस में शुरू किया। समिति का प्रथम अधिवेशन अमरीकी अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ओवेन यंग के सभापतित्व में हुई। उन्हीं के नाम पर इसका नाम 'यंग-समिति' पड़ा।

चार महीने के निरन्तर परिश्रम के बाद ७ जून, १९२९ को समिति ने अपनी ४० पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की और उसकी क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित सरकारों के सामने रखा। यंग योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं *—(१) क्षतिपूर्ति का भुगतान ५६ वर्षों में हो। इस अवधि के प्रथम ३७ वर्ष में वार्षिक अदायगी का औसत दस करोड़ पाँच होना चाहिए। (डावस योजना में अधिकतम राशि १२ ½ करोड़ पाँच थी)। शेष भुगतान १२ वर्षों में हो। (२) प्रत्येक वार्षिक अदायगी का एक तिहाई हिस्सा का भुगतान बिना किसी शर्त के हो। इसको किसी हालत में स्थगित नहीं किया जाय। शेष के लिए यह शर्त रखी गयी कि विनिमय कठिनाइयों उत्पन्न होने पर जर्मनी अधिक से अधिक दो वर्षों तक अदायगी को स्थगित कर सकता है। (३) वार्षिक अदायगी जर्मनी के रेलवे और सरकारी बजट से हो। (४) सितम्बर, १९२३ के बाद राइन क्षेत्र से अधिकार हट जाय। (५) एक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक की स्थापना की जाय जिसका काम क्षतिपूर्ति भुगतानों को प्राप्त करना, उनका वितरण करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों को जारी करना हो।

डावस-योजना का प्रयास था कि क्षतिपूर्ति समस्या को राजनीतिक क्षेत्र से हटाकर आर्थिक क्षेत्र में लाया जाय। यंग योजना इस क्रम में एक कदम और आगे चला गया।† इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक की स्थापना की। बैंक पर किसी प्रकार का राजनीतिक नियन्त्रण नहीं रखा गया। इनका प्रबन्ध यंग समिति में प्रतिनिधित्व करनेवाले सात राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों के सचालक समितियों को सौंपा गया। नयी योजना के द्वारा वार्षिक अदायगियों तथा क्षतिपूर्ति की कुल रकम भी निश्चित हो गयी। क्षतिपूर्ति समस्या से अनिश्चितता का काल भी समाप्त हो गया। वाढ्य नियन्त्रण को प्रणाली हट गयी और जर्मनी को पूरा अधिकार प्राप्त हुआ। पूरी योजना एक आर्थिक समस्या को सौंप दी गयी जिसके प्रबन्ध में जर्मनी भी हिस्सा ले सकता था।

यंग-योजना पर विचार करने के लिए अगस्त, १९२९ में सम्बन्धित राज्यों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

* Lee Benns, op cit, p 171

† Carr, op cit, p 97

इस बार कठिनाई जर्मनी फ्रांस की तरफ से नहीं अपितु ब्रिटेन की तरफ से डाली गयी। यग-योजना में मित्रराष्ट्रों के बीच क्षतिपूर्ति की रकम का जो बँटवारा हुआ था, वह १९२० के स्पा सम्मेलन से कुछ भिन्न था। इससे ब्रिटेन को कुछ घाटा हो रहा था और फ्रांस के प्रतिशत में काफी वृद्धि हो गयी थी। ब्रिटिश प्रतिनिधि फिलिप स्नोडन को फ्रांस की मिली विशेष सुविधाएँ पसन्द नहीं आयी। उसने माँग की कि स्पा सम्मेलन में निश्चित की गयी प्रतिशत कायम रखा जाय। सम्मेलन में उसने बहुत कडा रुख अपनाया और अपनी माँगें बहुत कुछ पूरी करा ली। २० जनवरी, १९२० का सशोधन के साथ यग-योजना स्वीकार कर ली गयी और १७ मई को यह लागू भी कर दी गयी। इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या का पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ।

यग योजना के लागू होने से संसार के राजनीतिक वातावरण में काफी सुधार हुआ। राइन भूमि पर अधिकार समाप्त करने की बात चलने लगी। यग योजना के लागू होने के छह सप्ताह बाद मित्रराष्ट्रों की अन्तिम सैनिक टुकड़ियों ने जर्मन की भूमि को छोड़ भी दिया। इस समय फ्रांसीसी विदेश-मन्त्री ब्रियॉ 'मयुक यूरोपीय राज्य' (United States of Europe) की बात करने लगा। किन्तु यह एक भ्रम था।

जर्मनी में यग योजना का भी स्वागत नहीं हुआ। जर्मनी के रीह बैंक के अध्यक्ष डा० हजल्मार शार्ल्ट, जो यग समिति में जर्मन विशेषज्ञ रह चुका था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि क्षतिपूर्ति की वार्षिक अदायगी जर्मनी की शक्ति के बाहर है, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यग योजना के स्वीकृत होने के पक्ष ही स्ट्रैस्मेन को मृत्यु हो गयी। लगभग उसी समय न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में तहलका मच गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का चक्र घूमने लगा था। इसी समय जर्मनी में हिटलर के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जोर पकड़ रही थी। हिटलर यग योजना की आलोचना करने लगा। यग-योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति की अदायगी १९८८ में जाकर पूरी होती। यह कैसा न्याय है कि पूर्वजों के 'अपराध' का दण्ड भावी सन्तति-को भोगना पड़े। नात्सियों ने यग योजना पर जनमत लेने की माँग की। सरकार ने जनमत के लिए इन्तजाम कर दिया और एक छोटे बहुमत से योजना स्वीकृत हो गयी। लेकिन, घटना नात्सी लोगों के उत्थान की सूचक थी। १९३० के अन्तिम दिनों में जर्मन संसद् रीहस्टाग के लिए चुनाव हुआ और नात्सी पार्टी एक ही छोट जीत गयी। क्षतिपूर्ति समस्या का पूरा और अन्तिम समाधान दूसरी तरह से ही होना था।

हवर-पुहलत-यग योजना के लागू होने के साथ क्षतिपूर्ति-समस्या का छूटा अध्याय शुरू होता है। योजना को लागू हुए अभी थोड़े ही दिन हुआ होगा कि सारा समार एक अनिश्चित आर्थिक महाप्रलय में डूब गया। इसके कारण पर अगले पृष्ठों में विचार किया जायगा। पर इसका प्रभाव क्षतिपूर्ति समस्या पर पठना अवश्यम्भावी था। यह आर्थिक संकट जर्मनी में विशेष रूप से तीव्र था। इसके अनेक कारण थे। उसपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ था और पिछले पाँच वर्षों में उसने ही सबसे अधिक मृण लिए थे। डायम योजना क स्वीकृत होने के बाद पाँच साल में जर्मनी ने १४५० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज में लिए थे। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया गया। १९२९ में अमेरिका ने फैसला किया कि जर्मनी को अब भविष्य में कोई कर्ज न दिया जाय। इस नीति परिवर्तन के कई कारण थे। न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में तहलका मचने का कारण अमेरिका स्वयं आर्थिक संकटों से घिर गया था। अमेरिका को अपने पहले के दिये कर्ज वसूलने में दिक्कतें हो रही थी। यूरोप के विभिन्न देशों में राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनके साथ पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस समय तक कीमतें गिरनी शुरू हो गयी थीं—सब जगह सिके की अनुभव होने लगे थे। अमेरिका को स्वयं इस बात की आवश्यकता थी कि वह अपने आर्थिक संकट को दालने के लिए कार्याकारी सपाय अपनाये। इस दिशा में यह सम्भव नहीं था कि वह यूरोप के विभिन्न राज्यों को कर्ज देता रहे। अमेरिका के इस नीति परिवर्तन का परिणाम जर्मनी के लिए बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम छिन्न-भिन्न हो गयी। जर्मनी का बजट बिल्कुल असन्तुलित हो गया। उसकी क्षतिपूर्ति, कर्ज और उसका सूद देना था। लेकिन वह भुगतान करता कहाँ से? जर्मनी में घोर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। कल कारखाने बन्द होने लगे। बेकारी की समस्या बढ़ने लगी। जर्मन सरकार के सामने ये सारे जटिल प्रश्न उपस्थित थे।

इस संकट का सामना करने के लिए जर्मनी ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर एक चुगी-सघ कायम करने का प्रयास किया। परन्तु यह योजना फ्रांस और उसके साथी राज्यों को फूटी आँखों नहीं सुहायी। इन लोगों ने इसका जबरबस्त विरोध किया। उनका कहना था कि प्रस्तावित सघ शान्ति सन्धियों के विरुद्ध है। इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा गया और न्यायालय ने अपना निर्णय फ्रांस के पक्ष में देकर चुगी सघ के निर्माण को रोकवा दिया। इसी समय आस्ट्रिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी बैंक क्रेडिट आन्सटैट का दिवालिया निबल गया। इस दिवालियापन का आतंक जर्मनी में फैला। विदेशी कर्जदारों ने शीघ्र ही अपने मृणों का तकाजा करना शुरू किया। तीन सप्ताह के भीतर ही जर्मनी के रीह बैंक से

पाँच करोड़ पाँड का सोना निकाल लिया गया। स्वयं जर्मन लोगों में तहलका मच गया। प्रसिद्ध जर्मन डार्मस्टेडर अण्ड नेशनल बैंक से सब अपनी-अपनी रकम निकालने लगे। एक सप्ताह के बाद यह बैंक भी बन्द हो गया। अगले दिन सरकार ने अध्यादेश जारी करके सभी बैंकों और स्टॉक एक्सचेंजों को बन्द कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा जर्मनी ही दिवालिया हो जायगा।

ऐसी सकटकालीन स्थिति को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति हूवर ने २० जून, १९३० को विश्व के सामने एक वर्ष की मुहलत का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का आशय था कि अमेरिकी सरकार विदेशी सरकारों से अपना पैसा वसूल करना एक वर्ष के लिए इस शर्त पर स्थगित कर सकती है कि सभी अन्तर-सरकारी कर्ज, जिनमें क्षतिपूर्ति कर्ज भी शामिल रहे, की वसूली इसी प्रकार स्थगित कर दी जाय। हूवर का प्रस्ताव मानो झूठे को तिनका का सहारा था और इससे चारों ओर उत्साह फैल गया। किन्तु फ्रांस को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसन्द नहीं आया। फ्रांस को जितना युद्ध कर्ज चुकाना था उससे भी अधिक उसे क्षतिपूर्ति की रकम लेनी थी। उसको इच्छा थी कि क्षतिपूर्ति का भुगतान जारी रहे। जर्मनी की आर्थिक स्थिति बने या बिगड़े, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। जर्मनी के प्रति विश्व-व्यापी सहानुभूति देखकर फ्रांस जल रहा था। उसका विचार में हूवर मुहलत एक ऐसा प्रह्व्यन्त्र था, जो जर्मनी में अमेरिकी पूँजीपतियों का साख बनाये रखने के लिए रचा गया था। मुहलत का मतलब कोई स्थगन नहीं, बल्कि क्षतिपूर्ति को समाप्त करने का पहला कदम था। इसलिए फ्रांस ने हूवर प्रस्ताव का घोर विरोध किया। पेरिस और वाशिंगटन के बीच तारों का ताता लग गया। आर्थिक विशेषज्ञ एक देश से दूसरे देश में घूमने लगे। जुलाई, १९३१ में लन्दन में सात सम्बंधित राज्यों का सम्मेलन हुआ और यह तय किया गया कि जर्मनी को कर्ज देना नहीं बन्द किया जाय। लेकिन, फ्रांस अपने विषय पर राजी होने को तैयार नहीं था। फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री दोड़े हुए वाशिंगटन गये। वहाँ अमेरिकी सरकार से एक अस्थायी समझौता हुआ। यह तय हुआ कि यग-योजना द्वारा निर्धारित वेशर्त भुगतान को जर्मनी चुकाता रहे और भविष्य में कोई भी मुहलत बिना फ्रांस की राय लिये नहीं दी जाय। इसी शर्त पर हूवर योजना को स्वीकार कर लिया गया। इस शर्त को मनवाने में पन्द्रह दिन लग गये और इस विलम्ब के कारण हूवर योजना से जो लाभ होना चाहिए था नहीं हो सका।

लसान सम्मेलन और क्षतिपूर्ति का अन्त—आर्थिक सकट के समय जर्मनी की राजनीति तीव्र गति से मोड़ ले रही थी। वहाँ राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ रहा थी और जर्मन जनता मित्रराष्ट्रों के सम्मुख झुककर प्रत्येक बात को सुगमता से स्वीकार करने के लिए अत्र तैयार नहीं थी। हिटलर के नेतृत्व में नारसी पार्टी का

तीव्र गति से उत्थान हो रहा था। वधाय-सन्धि की अंत करना इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य था। जर्मनी में किसी भी सरकार के लिए अब क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर दबना देशद्रोह समझा जाता था। इस राजनीतिक और आर्थिक सकट के पृष्ठाधार में जर्मन सरकार ने देखा कि हूवर मुहलत के समाप्त हो जाने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान उसके लिए सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः, नवम्बर, १९३१ में जर्मन सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से यह अनुरोध किया कि वह इस बात की जाँच करे कि हूवर मुहलत की समाप्ति के बाद जर्मनी क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में रहेगा या नहीं। बैंक की समिति ने जाँच पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट दी कि जर्मनी वर्तमान स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान करना संभव नहीं हो सकेगा। इस आधार पर जर्मन चान्सलर ब्रिनिंग ने घोषणा की कि गम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं कर सकता। इस समय तक ब्रिटेन भी आर्थिक सकटों के चंगुल में फँसा था। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की थी कि हूवर मुहलत के समाप्त होने के पूर्व क्षतिपूर्ति समस्या पर किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त सारा ससार आर्थिक कठिनाइयों से घिरा पड़ा था, इसका भी कोई उपाय निकालना था। इन सब प्रश्नों को तय करने के लिए १६ जून, १९३२ को लुसान में सम्बन्धित राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको लुसान सम्मेलन कहते हैं।

जर्मन चान्सलर पहले ही यह घोषणा कर चुका था कि जर्मनी क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन, फ्रांस सार्वजनिक रूप से इस 'अवश्यम्भावी' को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लुसान सम्मेलन में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति-नाटक को समाप्त करने की माँग की। लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। एक यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि क्षतिपूर्ति की कुल रकम घटाकर पन्द्रह करोड़ पाँच करोड़ कर दी जाय। राशि पाँच प्रतिशत बाँटों के रूप में अदा करने को कहा गया। शर्त के अनुसार तीन साल के बाद बाँटों को खुले बाजार में बेचा जा सकता था। ऐसा न होने पर पन्द्रह वर्षों के बाद वे रद्द समझे जायेंगे। दूसरे शब्दों में, यह क्षतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना था।*

फ्रांस और अन्य कुछ देश इसके लिए तैयार हो गये, पर उनका यह कहना था कि उन्हें स्वयं जो रकम अमेरिका और ब्रिटेन को देनी है उसमें भी इसी हिसाब से कमी की जाय। अतः मित्रराष्ट्रों की सरकारों ने लुसान में एक पृथक् समझौता कर अपनी आपसी कर्जों को भी रद्द कर दिया और यह शर्त लगा दी कि अमेरिका को उन्हें जो कर्ज चुकाना है उसका सन्तोषजनक समाधान हो जाने पर ही लुसान समझौते

का अनुमोदन किया जाय। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह था कि यदि मित्रराष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति के मामलों में जर्मनी को सुविधाएँ प्रदान की हैं तो इसके बदले में मित्रराष्ट्रों को भी अमेरिका की तरफ से सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। एक बार फिर युद्ध ऋण और क्षतिपूर्ति की समस्या को एक साथ जोड़ने की चेष्टा की गयी। लेकिन, अमरीकी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि क्षतिपूर्ति की समस्या एक समस्या है और युद्ध-ऋणों की समस्या दूसरी। दोनों को एक साथ नहीं जाड़ा जा सकता। अमरीकी संसद ऋणों को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसा करने से उसने साफ-साफ इन्कार कर दिया। इसी बीच हूवर-मुहलत समाप्त होने वाला था और अमरीकी कज का प्रश्न व्यावहारिक रूप से सामने आ गया। दिसम्बर में कुछ हिचकिचाहट के बाद ब्रिटेन ने अपनी किस्त चुका दी। इटली, लिथुआनिया, फिनलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने भी अपनी अपनी किस्त चुका दी। किन्तु फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया इत्यादि देशों ने किस्त चुकाने से इन्कार कर दिया। १९३४ के आते आते यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका का कर्ज अब वापस नहीं लौटेगा। उधर लुसान का समझौता भी असफल हो चुका था। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई जर्मनी से क्षतिपूर्ति का रकम वसूल करने के लिए पुन प्रयत्न करेगा। इतिहास का एक लम्बा अध्याय अब सदा के लिए बन्द होनेवाला था। १९३४ के अमरीकी कर्ज की अदायगी प्रायः बन्द ही हो गयी। इसीलिए प्रोफेसर कार ने लिखा है कि 'वास्तव' में, १९३२ में क्षतिपूर्ति और मित्रराष्ट्रों के आपसी कर्जों के नाटक का, जिसने कि ससार को दस से अधिक वर्षों से परेशान कर रखा था, अन्तिम दृश्य समाप्त हो गया।

जिस क्षतिपूर्ति समस्या के कारण हजारों लोग तबाह और बर्बाद हो गये, सारे ससार में आर्थिक सकट उत्पन्न हो गया, जर्मन के हजारों व्यक्ति प्रायः भिख मगने हो गये, उसका अन्त अत्यन्त ही असम्मानपूर्वक हुआ। १९३२ के बाद न जर्मनी ने कोई क्षतिपूर्ति की रकम मित्रराष्ट्रों को दी और १९३४ के बाद न अमेरिका ही अपने दिये कर्ज की रकम अन्य राज्यों से वसूल कर सका। उधर जर्मनी में नात्सी पार्टी जोर पकड़ रही थी। इस पार्टी के नेता हिटलर ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि जर्मनी ने सारी क्षतिपूर्ति अदा कर दी है और भविष्य में किसी प्रकार की रकम अदा करने की तैयार नहीं है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की समस्या स्वयमेव हल हो गयी।

आर्थिक सकट

विषय प्रवेश — पूर्णजीवारी व्यवस्था मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप है। आज ससार में जो भी कष्ट और कठिनाइयाँ हैं उनकी जड़ में यही व्यवस्था

राम करती है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विश्व महायुद्ध और न जाने कितने अन्य महान् ऋणों के लिए यह व्यवस्था खुले रूप में जिम्मेवार है। १९२९-३० के आर्थिक संकट को यदि 'पूँजीवाद में संकट' की संज्ञा दी जाय तो गलत नहीं होगा। वास्तव में इस संकट ने पूँजीवादी व्यवस्था का षोल ही खोल दिया। उस समय सारे ससार में केवल एक ही देश, सोवियत रूस (जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था नहीं थी) था जिसको इस विश्वव्यापी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। अन्त था, सारे ससार में त्राहि त्राहि मचो हुई थी।

आर्थिक संकट के कारण

युद्धोत्तर अभिवृद्धि—प्रथम युद्ध के बाद अनेक देशों में आर्थिक दृष्टि से अभिवृद्धि का काल (period of boom) था। शान्ति स्थापित होने के साथ साथ चीजों की माँग बढ़ने लगी और पुराने व्यापारिक संघर्ष, जो युद्ध के समय टूट गये थे, पुनः स्थापित होने लगे। युद्ध के समय बहुत-से उद्योग बंद हो गये थे। शान्ति स्थापना के बाद इन्होंने अपना काम फिर शुरू कर दिया। युद्ध के कारण असंख्य चीजे नष्ट हो गयी थीं। उसका पुनर्निर्माण करना था। इन सब कारणों से व्यापार, कारोबार तथा उद्योग-धंधों में काफी अभिवृद्धि हुई।

पर यह अभिवृद्धि केवल मूल्य की अभिवृद्धि थी, उत्पादन का नहीं। जब युद्ध कालीन सभी अर्थ-व्यवस्थाएँ समाप्त हो गयीं तो राष्ट्रों के सम्मुख अपनी अर्थ व्यवस्था की शान्तिकालीन पुनर्निर्माण दग पर करने का प्रश्न था। युद्ध के समय, खासकर जापान और अमेरिका में, बड़े बड़े कल कारखाने खुले थे। इनकी उत्पादन-शक्ति असीम थी। चीजों का उत्पादन उद्योग रफ्तार में होता रहा जिम रफ्तार में युद्ध के समय हुआ था। पर इन चीजों की खरीदनेवालों की कमी थी। बस्तुओं से बाजार भरा पड़ा था किन्तु खरीदारों में खरीदने की शक्ति नहीं थी। युद्धोत्तर अभिवृद्धि का वास्तविक गहस्य खुलने लगा।

युद्धकालीन ऋण - आर्थिक-संकट का दूसरा कारण युद्धकालीन ऋण था। युद्ध के खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज लेकर चलाया गया था। लड़ाई के समय यूरोपीय राज्यों की बहुत बड़ी रकमें दूसरे से कर्ज के रूप में लेनी पड़ी थी। युद्ध के प्रारम्भ में अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। पर उसने मित्रराष्ट्रों का भारी रकम कर्ज में दी थी। शुरू शुरू में ब्रिटेन भी अन्य देशों को कर्ज दिये। पर पीछे चलकर उसके लिए कर्ज देना अरुम्भव हो गया। वह स्वयं अमेरिका से भारी रकम कर्ज लेने को विवश हुआ। युद्ध समाप्त होने पर यूरोप के अनेक राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कर्जदार थे और स्वयं ब्रिटेन अमेरिका का ऋणी था। इस कर्ज की मात्रा बहुत अधिक थी। इन कर्जों के मुगतान

सभार के सामने सोने की समस्या आ गयी। सोना युद्ध पद्धति का आधार होता है और कीमते उसी पर माँपी जाती है।

यन्त्रों का वैज्ञानिकीकरण — आर्थिक सकट का एक और अन्य कारण यन्त्रों का अधिक प्रयोग और उनका वैज्ञानिकीकरण था। युद्ध के समय में रणक्षेत्रों में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। अधिकतर जनता युद्ध में भेज दिये गये। फलतः कारखानों और खेतों में मजदूरी की कमी हो गयी। इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार हुए तथा यन्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ायी गयी और बहुत से स्वचालित मशीनें बने। इन आविष्कारों के फलस्वरूप मशीनों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गयी। खेतिहर मजदूरों का स्थान कृषि के नये नये यन्त्रों ने ले लिया। उद्योग क्षेत्रों में स्वचालित मशीनों से प्रयोग के परिणामस्वरूप मजदूरों की बेकारी बहुत बढ़ गयी। इस प्रकार यह आर्थिक सकट का एक कारण बना।

कृष शक्ति की कमी — यन्त्रों के द्वारा अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में गेहूँ आदि अनाज बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किये जाने लगे। फलतः उनका भाव मन्दा पड़ने लगा। किसानों को अपने पैदावार का बहुत कम दाम मिलने लगा। अतएव उनमें कारखानों में बने माल को खरीदने की क्षमता घट गयी। मजदूरों की भी यही दशा हुई। वे बेकार हो गये। अतएव उनकी कृष शक्ति का भी हास हो गया।

सोने का विषम विभाजन — युद्ध के बाद सभार का बहुत अधिक सोना अमेरिका में एकत्र होने लगा। इसका कारण यह था कि माल के रूप में अमेरिका अपना कर्ज वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। यह रकम अमेरिका ने सोने के रूप में प्राप्त की। नतीजा हुआ कि सभार भर का सोना खिच खिचकर अमेरिका में एकत्र हो गया। अन्य देशों में सोने की कमी का मतलब यह था कि वहाँ के सिविल की कीमत बढ़ गयी और मालों की कीमते गिर गयीं। फलस्वरूप इन देशों में आर्थिक सकट उपस्थित हो गया।

अमेरिका के बाद फ्रांस में भी बहुत अधिक मात्रा में सोना एकत्र होने लगा था। जर्मनी को जो क्षतिपूर्ति देनी पडी थी उसका आधा से-अधिक हिस्सा फ्रांस को मिलनेवाला था। पहले यह तय हुआ कि जर्मनी माल की शकल में क्षतिपूर्ति का सुगतान करे। जर्मनी ने इस तरह से बहुत से माल दिये भी। लेकिन जब जर्मनी के माल क्षतिपूर्ति प्राप्त करनेवाले देशों में भर गये और सस्ते बिकने लगे तो राष्ट्रीय व्यवसाय को काफी घटा पहुँचा। अतएव जर्मनी द्वारा इस प्रकार क्षतिपूर्ति व सुगतान करना बन्द कर दिया गया। अब उसकी नगद में क्षतिपूर्ति देने की कमा गया। इसका मतलब था कि जर्मनी सोना के रूप में क्षतिपूर्ति दे। नतीजा

यह हुआ कि फ्रांस को बहुत बड़ी मात्रा में सोना मिलने लगा। अतः
 किया गया है कि १९२० के अन्त में ससार का साठ प्रतिशत सोना फ्रांस
 और फ्रांस के हाथ में था। ऐसी स्थिति में ससार में आर्थिक संकट का
 अवश्यम्भावी था।

आर्थिक राष्ट्रीयता — आर्थिक राष्ट्रीयता को आर्थिक संकट का एक प्रमुख
 कारण बतलाया जाता है। अगर विदेशी व्यापार मुक्त रूप से चलने देकर
 दूसरे देश में माल का आना जाना बन्द नहीं हो, ससार के अन्तर्गत
 से काम करें तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था टूटने लग सकती है।
 पूँजीवादी व्यवस्था में इस तरह के सिद्धान्त का काम नहीं चलता है।
 व्यवस्था में एक देश दूसरे देश को कुचल कर अपने अर्थोपार्जन के लिए
 अपने देश की आर्थिक उन्नति के लिए तरह-तह के उपायों का प्रयोग
 आदि का आश्रय लिया जाता है। युद्ध के बाद देशों में अर्थोपार्जन
 ब्रिटेन, जो अभी तक खुले व्यापार का समर्थक था, इस दृष्टिकोण को अस्वीकार-
 नीति को अपनाने लगा था। एशिया में अर्थोपार्जन का ही अर्थोपार्जन-
 काति तथा युद्ध के फलस्वरूप यूरोप के अर्थोपार्जन का ही अर्थोपार्जन-
 परिचामी यूरोप के हाथ से एक बहुत बड़ा दावा निकल आया। इसके अन्तर्गत एक
 प्रश्न यह था कि वे अपनी चीजों को अर्थोपार्जन से देंगे। इन्हीं कारणों से
 ससार को एक महान आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ा।

लगे। बहुत-से मजदूर बेकार हो गये। २३ अक्टूबर, १९२९ को न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में एकाएक शेयरों का मूल्य पचास अरब डॉलर गिर गया। अमरीकी सरकार तथा बड़े बड़े पूँजीपतियों के प्रयास से स्थिति कुछ देर के लिए सम्भल गयी। पर, नवम्बर में शेयरों के मूल्य में फिर अत्यधिक गिरावट हुई। बहुत सी कम्पनियों और घनिकों का दिवाला निकल गया। परिकल्पक (speculators) बेकार हो गये और उधार देना सर्वथा बन्द हो गया। परिणामतः सत्तार घडान से आसमान से जमीन पर गिड पडा। अमेरिका में जो प्रतिक्रिया शुरू हुई उससे अन्य देश बच नहीं सके। १९३२ में केवल ब्रिटेन में ही बेकारी की संख्या तोष लाख के लगभग थी। सोवियत-रूस को छोड़कर इस तरह की हालत सत्तार के सभी देशों की थी।*

सकट की ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए दूसरे देशों की कज देना सम्भव नहीं रहा। उसने कर्ज देना बिल्कुल बन्द कर दिया। इसके बाद शीघ्र ही सारे सत्तार की क्रय शक्ति में हास हो गया, जिसके फलस्वरूप कीमतों में व्यापक गिरावट शुरू हो गयी। यूरोप के कजदार देशों को इससे दोहरी चोट लगी। एक तो अपने कज चुकाने के लिए उन्हें अमेरिका से डॉलर उधार मिलना बन्द हो गया और दूसरे जिन वस्तुओं का बेचकर वे अपना कज चुकाने की आशा करते थे, क्रय शक्ति के हास होने के कारण उनकी बिक्री ही बन्द हो गयी। सामान्य वाणिज्य का क्रम बिल्कुल ही टूट गया। बेकारी की समस्या बढ़ गयी और सारा सत्तार दिवालिया हो गया।

जर्मनी की स्थिति—जर्मनी की स्थिति सबसे अधिक शोचनीय थी। डावत योजना के अनुसार जर्मनी को विदेशों से कज लेकर क्षतिपूर्ति की भुगतन करने का अवसर दिया गया था। जर्मनी ने इस अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठाया और पिछले पाँच वर्षों में उसने लगभग १३५० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज लिया। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से प्राप्त हुआ था। पर, जून १९२९ में अमेरिका ने कज नहीं देने का फेमला किया तब जर्मनी के आर्थिक जीवन में तहलका मच गया। वहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था एकदम खिन्न भिन्न हो गयी। बिक्री और पूँजी में भारी कमी आ गयी। सरकारी बजट बिल्कुल असंतुलित हो गया। बहुत से कारोबार बन्द हो गये और भयंकर बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गयी।

आर्थिक संघ का प्रस्ताव—आस्ट्रिया के साथ एक घनिष्ठ आर्थिक संघ का निर्माण करके जर्मनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उस समय राष्ट्रसंघ में एक 'यूरोप का संयुक्त राज्य' कायम करने की बात चल रही थी। किन्तु, उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक सहयोग थी, राजनीतिक सहयोग नहीं। आस्ट्रिया और जर्मनी ने इस तत्प को महसूस किया और एक

आर्थिक संघ के लिए दोनों देशों में गुप्त रूप से बातें चलने लगीं। मार्च १९३१ में आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि जर्मनी और आस्ट्रिया ने आर्थिक संघ बनाने की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जिस समय यह घोषणा हुई उसको सुनकर सारा संसार विस्मित हो गया।

आस्ट्रिया और जर्मनी का संघ एक बहुत ही पुराना स्वप्न था। युद्ध के वरत बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहते थे। आस्ट्रिया के निवासी जर्मन जाति के थे और जर्मनी के साथ मिलकर वे एक शक्तिशाली जर्मन राज्य की स्थापना करना चाहते थे। युद्ध समाप्त होते ही इस दिशा में कदम उठाया गया और आस्ट्रिया ने अपने को जर्मनी के साथ मिल जाने की घोषणा कर दी। आस्ट्रिया का नाम 'जर्मन आस्ट्रिया' रख दिया गया। किन्तु, मित्रराष्ट्रों ने इसका विरोध किया और इस कारण यह संघ सफल नहीं हो सका। भविष्य में ठीक इसी तरह का दूसरा प्रयास नहीं हो इसको रोकने की व्यवस्था वर्साय-सन्धि और सॉ जर्मै की सन्धि में कर दी गयी। जर्मनी को यह मानना पड़ा कि यह आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अस्तुत्तता को बनाये रखने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सॉ जर्मै की सन्धि में भी यह व्यवस्था कर दी गयी कि आस्ट्रिया भविष्य में कोई ऐसा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयत्न न करे जिससे आस्ट्रिया के पृथक् या स्वतन्त्र राज्य रहने में बाधा पड़ सके। फ्रांस, इटली, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया सभी भी इस प्रकार के संघ की स्थापना को नहीं सह सकते थे।

अतएव कर्टियस ने जब संघ की घोषणा की तब इसका व्यापक विरोध हुआ। विरोधियों का नेता फ्रांस था। उसका कहना था कि एक बड़े और एक छोटे राज्य के बीच आर्थिक संघ बनाने का परिणाम छोटे राज्य पर बड़े राज्य द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व जमाना है। यदि यह योजना सफल हो गयी तो आस्ट्रिया का विलयन अशुभभावो हो जायगा। इस संधि में शामिल होने के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों को भी आमन्त्रित किया गया था। इटली, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया इत्यादि देशों पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। फ्रांस को भय था इन क्षेत्रों पर पहले जर्मनी का आर्थिक प्रभाव और फिर राजनीतिक प्रभाव कायम हो जायगा। जर्मनी इस समय अपना हथियारबन्दो कर रहा था। वहाँ नात्सी पार्टी का महत्त्व बढ़ रहा था। ऐसी दशा में फ्रांस, आस्ट्रिया और जर्मनी के प्रस्तावित संघ को कैसे सह सकता था।

ब्रिटिश सरकार का रुख कुछ स्पष्ट नहीं था। इस तरह के आर्थिक संघ के निर्माण से ब्रिटेन को लाभ ही लाभ था। किन्तु, ब्रिटिश सरकार को

आशंका थी। उसको विश्वास था कि इस तरह के सघ कायम हो जाने से उस क्षेत्र में राजनीतिक उपद्रव को सम्भावना बढ सकती है। इसके अतिरिक्त इस सघ में एक कानूनी प्रश्न भी था कि प्रस्तावित सघ शान्ति सन्धियों की धारा के अनुसार कहाँ तक वैध है।

फ्रांस और उसके साथियों के जबरदस्त विरोध के फलस्वरूप यह बात राष्ट्रसघ की कौमिल में पेश की गयी। कौमिल ने मई, १९३१ में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि प्रस्तावित सघ की वैधता के प्रश्न का जाँचने का काम हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया जाय। पर, फ्रांस को भय था कि वही आस्ट्रिया जर्मनी के पक्ष में न्यायालय में अपना निर्णय न दे दे। वह इस प्रकार की जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अतः, सघ की योजना त्याग देने के लिए वह आश्रित्या पर जबरदस्त दबाव डालने लगा। घनघोर कूटनीतिक युद्ध के बाद आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री को यह घोषणा करनी पडी कि आस्ट्रिया ने सघ की योजना त्याग दी है। डा० कर्टियस को प्रस्तावित सघ के असफल हो जाने के कारण इस्तीफा दे देना पडा। इसके दो दिन बाद हेग-न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावित सघ शान्ति सन्धियों के विरुद्ध है।

क्रेडिट-आ स्टाल्ट का दिवाला—आधिक सघ की असफलता का प्रभाव आस्ट्रिया और जर्मनी दानों देशों पर पडा। इसी समय आस्ट्रिया का सबसे बडा बैंक क्रेडिट आन्स्टाल्ट का दिवाला निकल गया। आस्ट्रिया का पुराना बैंक उस देश के आर्थिक जीवन का प्राण था और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसका दिवाला निकल जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि बैंक की आ तरिक गडबडीयों तथा प्रस्तावित आधिक सघ को असफल बनाने के लिए फ्रांसीसी आर्थिक नाकेबन्दी इसके दिवालियापन के महान् कारण थे। लेकिन, सभार के लिए इस बैंक का दिवाला निकलना दुर्भाग्यपूर्ण था। आश्रित्या सरकार ने आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक क्रेडिट आन्स्टाल्ट को बहुत आधिक मदद दी। इस विपत्ति को रोकने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी एक बहुत बडा रकम वज के रूप में प्रदान की। क्रेडिट आन्स्टाल्ट तो किसी तरह बच गया। किन्तु, एक उहाज की रक्षा करके तूफान को नहीं रोका जा सका। जर्मनी पर इसका तात्कालिक प्रभाव पडा। वहाँ घोर तहलका मच गया। विदेशी महाजनों ने शीघ्र ही अपने ऋणों का तकाजा किया। तीन सप्ताह के भीतर जर्मन रीह बैंक से पचास करोड पौंड का सोना निकाल लिया गया। एक सप्ताह बाद सुप्रसिद्ध जर्मन बैंक डार्मस्टेडर एण्ड नेशनल बैंक का दिवाला निकल गया। अगले दिन सरकार ने अध्यादेश जारी करके सभी बैंकों को बन्द कर दिया। जर्मनी के लिए ही नहीं अपितु सारे सभार के लिए यह सयनाश का वप था।

ब्रिटेन में संकट—इस सर्वनाश से संसार को बचाने के लिए राष्ट्रपति दूबर ने एक वर्ष की मुहलत ही घोषणा की। इसी समय ब्रिटेन भी विकट आर्थिक संकट के चंगुल में फँस गया। जुलाई के अन्त में बैंक ऑफ इंग्लैंड आर्थिक संकट की चोट महसूस करने लगा। सभी लोग अपने अपने पैसों की बैंक से निकालने के लिए दौट पड़े। १ अगस्त को यह एलान किया गया कि बैंक ऑफ फ्रांस तथा न्यूयार्क के फेडरल रिजर्व बैंक दोनों ने टाई-ट्राई करोड पौंड का उधार बैंक ऑफ इंग्लैंड की दिया है। पर इस घोषणा से स्थिति नहा सम्मती और घन निकालने का कार्य तोत्र गति से चलता रहा। २४ अगस्त, १९३१ को मजदूरदलीय प्रधान मन्त्री रामजे मेकडानल्ड ने इस्तोफा देकर सभी पाटियों को मिलाकर एक 'राष्ट्रीय सरकार' की स्थापना की, जिमहा मुख्य काम आर्थिक संकट का गामना करना था। १५ सितम्बर को चालू वर्ष के बजट का सन्बन्धित करने के लिए ब्रिटिश मसद् में एक प्रक बजट पेश किया गया। मितव्ययिता इस बजट की मुख्य विशेषता थी। इस बजट का लागू पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पर उसी दिन अखबारों में मियाही विद्रोह का समाचार प्रकाशित हुआ। निचने दर्जे के कुछ नौ सैनिक ने जो प्रस्तावित मितव्ययिता से असन्वुष्ट थे, त्रिद्राह कर दिया। ब्रिटिश अखबारों ने इस घटना का कोई खास महत्त्व नहीं दिया। किन्तु विदेशों अखबारों में इस घटना में नमक मिर्च मिलाकर खूब प्रचार किया गया। नयी सरकार विश्वास स्थापित करने के लिए जो काम शुरू कर चुकी थी, उसके सारे प्रयास एक झटके में विनष्ट हो गये। बैंकों में एक चार फिर जनसमुह का तीता लग गया। केवल १८ सितम्बर को ही १८,०००,००० पौंड निकाल लिया गया। २२ सितम्बर को ब्रिटेन को स्वर्ण मान (gold standard) छोड़ देना पड़ा। सरकार ने सोने का निर्यात ही बन्द कर दिया। कहा गया कि 'पौंड स्वर्ण से मुक्त' हो गया और कुछ ही दिनों के भीतर स्वर्ण रूप में उसका मूल्य पचोस प्रतिशत गिर गया।

स्वर्ण मान के परित्याग से ब्रिटेन को लाभ हुआ, परन्तु अन्य देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशों में, जहाँ कीमतें पहले से ही गिरी पड़ी थीं और भी गिरावट शुरू हुई। यूरोप के प्राय सभी स्टॉक ऐक्चेंज बन्द हो गये। बैंकों की दर में काफी वृद्धि हो गयी। आर्थिक संकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। नावें, स्वेडन, डेनमार्क फिालैंड, ब्रिटिश साम्राज्य के सभी डोमिनियन और उपनिवेश (दक्षिण अफ्रिका को छोड़ कर) तथा दक्षिण अफ्रिका के अधिकांश देशों को स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ा। तीन महीने बाद जापान को भी यही करना पड़ा। त्रिन देशों का विदेशी विनिमय का आधार स्टलिंग था, उन सबों को स्वर्ण मान त्याग देना पड़ा और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। कउन फ्रांस, अमेरिका, इटली, बेल्जियम, इंग्लैंड, पोलैंड, रूमानिया, स्विट्जरलैंड ही कुछ देश बच गये जिन्होंने स्वर्ण मान को बनाये रखा। नाम के

लिए जर्मनी भी स्वर्ण-मान को कायम रखे रहा, पर उसके लिए भी यह अत्यन्त कठिन काम था। फ्रांस अभी तक आधिक सकटों से बचा हुआ था। लेकिन, पौड के गिराव के एक सप्ताह बाद उसकी हालत भी डावाँडोल होने लगी। वहाँ भी हजारों की सख्या में लोग बेकार हो गये। आधिक सकट ने किमी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक फ्रांस को भी नहीं।

विश्व अर्थ सम्मेलन—एक तरफ ससार घनघोर आर्थिक सकट में फँसा हुआ था और उधर दूबर-मुहलत की अवधि समाप्त हो रही थी। दूबर मुहलत से आर्थिक सकट दूर करने में कुछ सहायता अवश्य मिली, पर उससे समस्या का पणरूपेण हल हा सकना सम्भव नहीं था। अत क्षतिपुति और अन्य आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए १९३५ में लुसान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अन्य निर्णयों के अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि अगले वर्ष आधिक समस्या पर विचार करने के लिए एक विश्व अर्थ सम्मेलन का आयोजन हो। इस सम्मेलन में अमेरिका का सहयोग आवश्यक था। पर, इस समय अमेरिका का अर्थ सकट अपनी चरम सीमा पर था। उस समय अमेरिका में १५,०००,००० व्यक्ति बेकार थे। इसी समय अमेरिका में चुनाव हुआ और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति चुने गये। उनके कार्यभार ग्रहण करने क समय अमरीकी अर्थ व्यवस्था अत्यन्त ही शोचनीय हालत में थी। फलस्वरूप अमेरिका ने भी स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया। इस शोचनीय हालत में अमेरिका एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने क लिए इच्छुक नहीं था। मेकडानल्ड दौड़ा दौड़ा वाशिंगटन पहुँचा और इस शर्त पर उसने अमरीकी राष्ट्रपति को सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी किया कि सम्मेलन में युद्ध शर्तों के मामले पर विचार नहीं किया जायगा।

६ जून, १९३३ को भयंकर आधिक सकट की समस्या पर विचार करने क लिए लन्दन में ६६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। लिखित इतिहास में यह राज्यों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार साठ प्रतिशत कम हो गया था, बेकारों की सख्या नौन करोड़ तक पहुँच चुकी थी और इसके साथ ही कई देशों की राष्ट्रीय आय चालीस प्रतिशत तक घट गयी थी। अन्तर राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर हो गयी कि परस्पर मिलकर उसे सहायता जरूरी हो गया था। विन्तु सम्मेलन की असफलता अवश्यम्भानी थी। सम्मेलन ने मुख्यत इन प्रस्तावों पर विचार किया—(१) विदेशी व्यापार में सरक्षण नीति का अन्त कर परस्पर सहायता की नीति का प्रारम्भ किया जाय, (२) मुद्रा का स्थिरीकरण किया जाय। फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि सरक्षण नीति का अन्त करने के पहले मुद्रा का स्थिरीकरण करना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने पाँचवीं

थे। लेकिन आर्थिक मन्दी ने ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर दिया कि इन पर से लोगों की आस्था उठ गयी। साधारण जनता को साम्यवाद बहुत आकर्षक लगने लगा।

अधिनायकवाद का उत्कर्ष—अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करना आर्थिक सकट का दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम था। यह तब था कि सामान्य शासन पद्धति से इतने बड़े सकट का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। संसद की बैठक जब तक हो तब तक असह्य बैंक फेल कर जा सकते थे। अतः प्रत्येक देश का राजनीतिक और आर्थिक काम संसद द्वारा प्रणयें गये कानून से नहीं बरन् अध्यादेश से चलने लगा। कार्यकारिणों के हाथों में राज्य की सारी शक्तियाँ केन्द्रीभूत हो गयीं। जिस देश में प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का अभाव था वहाँ अधिनायकतन्त्र कायम होते देर नहीं लगी। इससे फासिज्म को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्पेन, पुर्तगाल और मध्य यूरोप के प्रायः सभी देशों में तानाशाही शासन शुरू हुआ। ब्रिटेन में जहाँ प्रजातान्त्रिक परम्पराएँ थीं, वहाँ भी एक 'राष्ट्रीय सरकार' का संगठन हुआ और इसी नाम पर मनमाना शासन होने लगा। अमेरिका में भी 'नयी व्यवस्था' (New Deal) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेल्ट को असाधारण अधिकार प्राप्त हुए। संसार के भविष्य के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। प्रजातान्त्रिक शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई स्थान नहीं होता। प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़ने से रोका जा सकता है, लेकिन एक तानाशाह को नहीं। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शान्ति का भविष्य अन्धकार में डूब गया।^{१५}

आर्थिक राष्ट्रीयता—आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति का कम होना आर्थिक सकट का एक अन्य परिणाम सिद्ध हुआ। इस सकट का मुकाबला करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने अपने उद्योग धनियों के संरक्षण की दृष्टि से सटकर, चुंगी, जकात की ऊँची दीवारें खड़ी कीं। अब सभी देश संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक समस्या का हल करने का प्रयास करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द के विकास के लिए यह बड़ा घातक सिद्ध हुआ तथा इस समय इसी चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी।

राष्ट्रसंघ की दुबलता—आर्थिक सकट ने राष्ट्रसंघ को एकदम दुर्बल बना दिया। क्योंकि सदस्य राज्य राष्ट्रसंघ के आदर्शों को बिल्कुल भूल गये। किसी को मामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नही रहा। सब अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान थे। आर्थिक सकट को लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गयी। मन्त्रिमण्डल का पतन यहाँ जल्दी होने लगा। इस अस्थिरता के कारण

वहाँ की सरकार सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई दृढ़ और कठोर उपाय नहीं अपना सकती थी। इस संकट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्थक्यवादी आन्दोलन को और प्रोत्साहित किया। अब अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की नीति का पालन और दृढ़ता से शुरू किया।

जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव — आर्थिक संकट ने सीधे हुए जापानी साम्राज्यवाद को मजबूत कर उठा दिया। प्रोफेसर टायनबी का कहना है कि भोषण आर्थिक मन्दी से विवश होकर ही जापानी जनता ने व्यापारिक विस्तार के स्थान पर सैनिक विजय की जापानी सेना नायकों की नीति का समर्थन किया। इस मन्दी से जापानी बहुत परेशान हो गये थे। अतएव उन्होंने मंचूरिया पर आक्रमण करने में जरा भी सकाच नहीं किया।* इसके लिए जापान को अच्छा मौका भी मिल गया। सारा सारा इस समय घोर आर्थिक संकट में फँसा हुआ था।

जापान के सामने अपने बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था। इसके अतिरिक्त उसके सामने विविध आर्थिक प्रश्न थे। इन प्रश्नों का समाधान जापानी साम्राज्य को फैलाकर ही किया जा सकता था और जापानी साम्राज्य-विस्तार का एक क्षेत्र चीन था। यूरोप के राज्य अपने ही समस्याओं में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था। इससे लाभ उठाकर उसने १९३१ में चीन पर चढ़ाई कर दी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने पहले पहल अपना सर उठाया और इसके अनुयायियों की भी कमी नहीं रही।

इटली के आक्रामक प्रवृत्ति का विस्फोट—आर्थिक संकट ने अबीसीनिया कांड को पैदा किया। इसके कारण इटली को आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गयी थी। सुसीलियों की तानाशाही खतरे में पड़ गयी। अतएव उसने इटली की जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अबीसीनिया पर हमला करने का निश्चय किया।

हिटलर का उत्तर — आर्थिक संकट का सबसे भयंकर परिणाम यह था कि इसने एकाएक सभी जर्मनों को राष्ट्रीय समाजवादी पार्टियों का अनुयायी बना दिया। कहना न हागा की इस पार्टी की नीति काफी उग्र थी और यह वसाँय सन्धि को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। संकट के पहले हिटलर और उसकी पार्टी की राजनी तक शक्ति अपेक्षणीय था। लेकिन, इन लोगों ने साफ साफ शब्दों में यह कहना शुरू किया कि क्षतिपूर्ति का बोझ इतना भारी है कि उसकी ढोना जर्मनों की शक्ति के बाहर की चीज है। जर्मनी जनता ने हिटलर की बातों को बड़ी चाव से सुना और उसका खूब समर्थन किया। हिटलर ने मध्यम वर्ग को तथा पूँजीपति वर्ग का साम्यवाद का हौआ दिखा कर अपने वश में कर लिया, जनता को आर्थिक संकट की दलदल से उभारने के लिए बड़े सब्ज बाग दिखाये, इसे हल न कर सकने के लिए गणराज्य सरकार की

* Toynebee, *Survey of International Affairs* (1931) p 403

थे। लेकिन आर्थिक मन्दी ने ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर दिया कि इन पर से लोगों की आस्था सठ गयी। साधारण जनता को साम्यवाद बहुत आकर्षक लगने लगा।

अधिनायकवाद का उत्कर्ष—अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करना आर्थिक संकट का दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम था। यह तय था कि सामान्य शासन पद्धति से इतने बड़े संकट का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। संसद की बैठक जब तक हो तब तक असमर्थ बैंक फेल कर जा सकते थे। अतः प्रत्येक देश का राजनीतिक और आर्थिक काम संसद द्वारा बनाये गये कानून से नहीं बरन् अध्यादेश से चलने लगा। कार्यकारिणी के हाथों में राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्रीभूत हो गयीं। जिस देश में प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का अभाव था वहाँ अधिनायकतन्त्र कायम होते देर नहीं लगीं। इससे फासिज्म को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्पेन, पुर्तगाल और मध्य यूरोप के प्रायः सभी देशों में तानाशाही शासन शुरू हुआ। ब्रिटेन में जहाँ प्रजातान्त्रिक परम्पराएँ थीं, वहाँ भी एक 'राष्ट्रीय सरकार' का संगठन हुआ और इसी नाम पर मनमाना शासन होने लगा। अमेरिका में भी 'नयी व्यवस्था' (New Deal) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेल्ट को असाधारण अधिकार प्राप्त हुए। संसार के भविष्य के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। प्रजातान्त्रिक शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई स्थान नहीं होता। प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़ने से रोका जा सकता है, लेकिन एक तानाशाह को नहीं। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शान्ति का भविष्य अन्धकार में डूब गया।^{३६}

आर्थिक राष्ट्रीयता—आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति का कम होना आर्थिक संकट का एक अन्य परिणाम सिद्ध हुआ। इस संकट का मुकाबला करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने अपने उद्योग धन्धों के संरक्षण की दृष्टि से सटकर, चुंगी, जकात की ऊँची दीवार खड़ी की। अब सभी देश संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक समस्या का हल करने का प्रयास करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द के विकास के लिए यह बड़ा घातक सिद्ध हुआ तथा इस समय इसी चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी।

राष्ट्रसंघ की दुर्बलता—आर्थिक संकट ने राष्ट्रसंघ को एकदम दुर्बल बना दिया। क्योंकि सदस्य राज्य राष्ट्रसंघ के आदेशों को बिल्कुल भूल गये। किसी को सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं रहा। सब अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान थे। आर्थिक संकट को लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यन्त शीघ्र ही हो गयी। मन्त्रिमण्डलों का पतन बढ़ी जल्दी होने लगा। इस अस्थिरता के कारण

वहाँ की सरकार सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई दृढ़ और कठोर उपाय नहीं अपना सकती थी। इस संकट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्थक्यवादी आन्दोलन को और प्रोत्साहित किया। अम अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की नीति का पालन और दृढ़ता से शुरू किया।

जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव - आर्थिक संकट ने सीधे हुए जापानी साम्राज्यवाद का मूकभोर कर उठा दिया। प्रोफेसर टायनरी का कहना है कि भोषण आर्थिक मन्दी से विवश होकर ही जापानी जनता ने व्यापारिक विस्तार के स्थान पर सैनिक विजय की जापानी सेना नायकों की नीति का ममथन किया। इस मन्दी से जापानी बहुत परेशान हो गये थे। अतएव उन्होंने मचूरिया पर आक्रमण करने में जरा भी सकोच नहीं किया।* इसके लिए जापान का अच्छा मौका भी मिल गया। सारा सारा इस समय घोर आर्थिक संकट में फँसा हुआ था।

जापान के सामने अपने बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था। इसके अतिरिक्त उसके सामने विविध आर्थिक प्रश्न थे। इन प्रश्नों का समाधान जापानी साम्राज्य का फलाकर ही किया जा सकता था और जापानी साम्राज्य-विस्तार का एक क्षेत्र चीन था। यूरोप के राज्य अपनी ही समस्याओं में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था। इससे लाभ उठाकर उसने १९३१ में चीन पर चढ़ाई कर दी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने पहले पहल अपना सर उठाया और इसके अनुयायियों की भी कमी नहीं रही।

इटली के आक्रामक प्रवृत्ति का विस्फोट—आर्थिक संकट ने अबीसीनिया कांड को पैदा किया। इसके कारण इटली की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गयी थी। मुसोलिनी को तानाशाही खतरे में पड़ गयी। अतएव उसने इटली की जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अबीसीनिया पर हमला करने का निश्चय किया।

हिटलर का उत्कर्ष—आर्थिक संकट का सबसे भयंकर परिणाम यह था कि इसने एकाएक सभी जर्मनों को राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का अनुयायी बना दिया। कहना न हागा की इस पार्टी की नीति काफी उग्र थी और यह वर्साय सन्धि को टुकड़ टुकड़े कर देना चाहती थी। संकट के पहले हिटलर और उसको पार्टी को राजनीतिक शक्ति उपेक्षणीय था। लेकिन, इन लोगों ने साफ साफ शब्दों में यह कहना शुरू किया कि क्षतिपूर्ति का बोझ इतना भारी है कि उसको दोना जर्मनी की शक्ति के बाहर की चीज है। जर्मनी जनता ने हिटलर की बातों को बड़ी चाव से सुना और उसका खूब समर्थन किया। हिटलर ने मध्यम वर्ग को तथा पूँजीपति वर्ग का साम्यवाद का होआ दिखा कर अपने वश में कर लिया, जनता को आर्थिक संकट की दलदल से उभारने के लिए बड़े सज्ज बाग दिखाये, इसे हल न कर सकने के लिए गणराज्य सरकार को

* Toynebee, *Survey of International Affairs* (1931) p 403

तीव्र भर्त्सना की, इससे उसे जनता का प्रबल समर्थन मिल गया और वह शीघ्र ही जर्मनी का सर्वोच्च बन गया। यदि यह आर्थिक संकट न होता तो हिटलर कभी इतना शक्तिशाली नहीं बन सकता।

साम्यवाद की श्रेष्ठता—आर्थिक संकट का ऐतिहासिक परिणाम यह हुआ कि इसने साम्यवादी व्यवस्था की मजदूरी को सिद्ध करके पूँजीवाद के वास्तविक स्वरूप का रहस्य खोल दिया। सोवियत संघ ही ससार में एक ऐसा देश था, जो आर्थिक संकट के चंगुल में नहीं फँसा। साम्यवादी प्रचार के लिए यह एक बहुत अच्छा मसाला मिल गया। ससार में साम्यवाद के प्रसार का यह एक मुख्य कारण था। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट के कारण लाखों व्यक्ति बेकार हो गये। इन बेकार व्यक्तियों को साम्यवाद का सिद्धान्त काफी पसन्द आया। इस प्रकार पूँजीवादी राज्यों के सामने 'अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' का प्रश्न था खड़ा हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध—आर्थिक संकट ने पूँजीवाद के विरुद्ध घोर असन्तोष उत्पन्न कर दिया और लोग साम्यवाद की ओर आवृष्ट होने लगे। इस कारण यूरोप का पूँजीवादी जगत इससे बहुत आतंकित हुआ और किसी उपाय से वे इस संकट का अन्त करना चाहने लगे। फलतः इसके दमन के लिए ब्रिटन और फ्रांस की सरकारों ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का परिचय कर दिया और उसकी जगह पर सशुद्धीकरण की नीति को अपना लिया। व किसी भी तरह साम्यवाद का अन्त करना चाहते थे। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने मचूरिया पर जापान के आक्रमण को साम्यवादी रूस के विरुद्ध अभियान समझा और गुप्त रीति से जापान के प्रति अपनी सहायता रखी। हिटलर और मुसोलिनी दोनों साम्यवाद के घोर निन्दक थे तथा सोवियत रूस का नामोनिशान मिटा देने को कसम रोज खाते थे। इस कारण उन्हें भी इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता प्राप्त हो गयी। इन दोनों तानाशाहों के प्रति वे सन्तुष्टीकरण की नीति का अवलम्बन करने लगे और उसके आक्रामक हौसले को प्रोत्साहित करने लगे। द्वितीय महायुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करने में यह नीति बड़ी सहायक हुई।

इसके अतिरिक्त ससार के तबाह लोग पूछने लगे—क्या एक दूसरा युद्ध आर्थिक संकटों से उनको राण नहीं दिला सकता है? युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इस तैयारी में सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। इससे बेकारी की समस्या भी हल हो जाती है। फिर युद्धोपयोगी सामान बनाने के लिए नये नये ढाल कारखाने खुलते हैं, पुराने ढाल कारखाने फिर से चालू होते हैं, लोगों को काम मिलता है और बेकारी की समस्या स्वयमेव हल हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक संकट ने लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया।*

‘राष्ट्रीय सरकार’ का संगठन हुआ और इसी नाम पर मनमाना शासन होने लगा। अमेरिका में भी ‘नयी व्यवस्था’ (New Deal) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेल्ट को असाधारण अधिकार प्राप्त हुए। सत्तारूढ़ भविष्य के लिए यह सुभलक्षण नहीं था। प्रजातान्त्रिक शासन में सरकारी नाति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई स्थान नहीं होता। प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़ने को रोका जा सकता है, लेकिन एक तानाशाह को नहीं। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शांति का भविष्य अधिकार में डूब गया।

द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी लाना आर्थिक संकट का विनाशकारी परिणाम हुआ। इसके लक्षण सत्रप्रथम पूर्व एशिया में प्रकट हुए। जिस समय यूरोप संकटों में वक्रा था उस समय जापान को अपने साम्राज्य फैलाव का खुला अवसर मिल गया। जापान के सामने अपनी बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था। इसके अतिरिक्त उसके सामने विविध आर्थिक प्रश्न थे। इन प्रश्नों का समाधान जापानी साम्राज्य को फैलाकर किया जा सकता था और जापानी साम्राज्य-विस्तार का एकमात्र क्षेत्र चीन था। यूरोप के राज्य अपनी ही समस्याओं में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था। इससे लाभ उठाकर उसने १९३१ में चीन पर चढ़ाई कर दी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने पहले पहल अपना सर उठाया और बाद में इसके अनुयायियों को भी कमी नहीं रही।

जर्मनी में नात्सी क्रान्ति (Nazi Revolution in Germany)

जर्मनी का पुनरोद्भव—सन् १८७१ में अपनी राजनीतिक एकीकरण के बाद से जर्मनी यूरोपीय राजनीति की सबसे गम्भीर समस्या रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व एक महान् शक्तिशाली राज्य के रूप में जर्मनी का प्रादुर्भाव यूरोपीय कूटनीति का केन्द्र बिन्दु बना रहा। युद्ध की समाप्ति के बाद भी विश्व की राजनीति मुख्यतः जर्मनी के इद-गिद ही चक्कर काटती रही। युद्धोत्तर विश्व की अधिकांश समस्याएँ जर्मनी से ही सम्बन्धित थीं।* लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच के काल (१९१३) में जर्मनी के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और सनसनीपूर्ण घटना नात्सी पार्टी का उत्थान और हिटलर का उत्कथन थी जिसने समस्त सप्ताह की, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रेक्षकों का, महान् आश्चर्य में डाल दिया।

वर्साय-सन्धि द्वारा जर्मनी को पूर्णतया कुचल दिया गया था जिससे वह निरन्तर भविष्य में एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सके। पर प्रारम्भ से ही प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानते थे कि जर्मनी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह वर्साय की आरोपित सन्धि की शर्तों को बराबर मानता रहेगा। जर्मन जाति एक स्वाभिमानी जाति है और अधिक दिनों तक अपने देश का पतन नहीं देख सकती है। वर्साय सन्धि पर हस्ताक्षर होने के दृष्ट ही बाद जिस तरह इस सन्धि का विरोध हुआ, वह इस बात का द्योतक था कि जर्मनी ने स्वेच्छया से कभी इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया है और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति में उसको पहला मौका मिलेगा वैसे ही वह इसको अस्वीकार कर देगा। अतएव जर्मनी का पुनरोत्थान अवश्यम्भावी था। परन्तु, १९२८-२९ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो यह कहना कर सके कि वह उत्थान हिटलर के नेतृत्व और राष्ट्रीय समाजवाद की देख रेख में होगा। १९३२ में प्रोफेसर टायनबो जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ भी इस भावो घटना का अनुमान नहीं कर सके और उनकी भविष्यवाणी गलत हो गयी। उस वर्ष दिसम्बर के महिने में उन्होंने यह राय प्रकट की थी कि 'यह बात

आज भी बहुत धरों में जर्मन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सुन्दर केन्द्र बना हुआ है। जर्मनी के वर्तमान विभाजन की समस्या भावी विश्व युद्ध का एक महान् कारण बनना चाहे।

स्पष्ट है कि नात्सी पतन की ओर है।”* प्रोफेसर टायनबी के इस गलत अनुमान का एकमात्र कारण यह था कि उस समय तक नात्सी पार्टी और हिटलर जर्मनी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे और उनके उत्थान की कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि हिटलर के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन पूर्व हिण्डनबर्ग ने ज.ज. स्ट्रासेर को यह आश्वासन दिया था कि “मे आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वंहेमियन सिपाही (हिटलर) कभी भी जर्मनी का चान्सेलर नहीं बन सकता है। मैं उसे एक पोस्टमास्टर बना दूँगा।” फिर भी जनवरी, १९३३ में जर्मनी में नात्सी-क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई और हिटलर एक पोस्टमास्टर बनने के बरले जर्मन रीह का प्रधान मन्त्री बन गया। इस घटना को आकस्मिक और आश्चर्यपूर्ण कहने का यही कारण है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी और इसका महत्त्व केवल जर्मनी के लिए ही नहीं था। हिटलर का उत्थान एक ऐसी असाधारण घटना थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन अवश्यम्भावी बना दिया। इस घटना का महत्त्व बनलाते हुए प्रो० शमॉ ने लिखा है “जिस प्रकार १९१८ से पूर्व की पाँच दशान्दियों में यूरोप तथा विश्व की राजनीति कैसर द्वितीय के जर्मन साम्राज्य के चारों ओर घूमती थी उसी प्रकार १९३३ में हिटलर के उत्कर्ष के बाद वह तृतीय जर्मन साम्राज्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रही।”‡

नात्सी क्रान्ति के कारण

वर्साय की सन्धि—वर्साय-सन्धि की नात्सियों के उत्थान का प्रमुख कारण बतलाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रत्येक दृष्टिकोण से जर्मनी की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी थी कि सारा देश निराश हो गया था। जर्मन लोगों के होठों पर मुस्कान नहीं थी, उनकी आँखों में आँसू थे। युद्ध में व पूर्ण उत्साह के साथ शामिल हुए थे और जमकर उन्होंने शत्रु का मुकाबला किया था। पर, अन्त में उनकी हार हो गयी और उनपर एक कठोर सन्धि लाद दी गयी, जिसका ध्येय सदा के लिए जर्मनी को पशु बना देना था। वर्साय-सन्धि के फलस्वरूप जर्मनी को तरह तरह की यातनाएँ भोगनी पड़ी—राष्ट्रीय अपमान सहना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि सम्पूर्ण जर्मनी में निराशा का राज्य रहा हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। जर्मनी को इस निराशापूर्ण स्थिति की मूलक हमें जर्मन दार्शनिक इतिहासकार आस्वाल्ड स्पेन्गलर की प्रसिद्ध पुस्तक ‘पश्चिम का पतन’ (*Decline of the West*) में मिलती है। इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने पश्चिमी सभ्यता के

* *International Affairs* May 1935 p 343

† *John Gunther Inside Europe* p 33

‡ *Schuman, International Politics*, p 553

नहीं हुआ होता। वास्तव में, घोर आर्थिक संकट नास्तियों के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण था। जर्मनी में आर्थिक संकट सब जगहों से अधिक तीव्र था और जर्मन जनता जितनी तबाह थी उतना शायद किसी अन्य देश के निवासी नहीं। हिटलर कहता था कि जर्मन-जनता को इस दुर्दशा का कारण वह सरकार है, जो साम्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक चुकी है। इसके मूल में हिटलर ने जर्मनी के पूँजीपतियों और यहूदियों को दोषी ठहराया था। मध्यमवर्ग में विद्यमान पूँजीपति विरोधी भावना को हिटलर ने बड़ी खूबों के साथ उभाड़ा और उनका सहयोग प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त १९३० में जर्मनी में लगभग पचास लाख व्यक्ति बेकार थे। वे सीधे हिटलर के अनुयायी होना ही पसन्द करते थे। उसी वर्ष नार्वी पाटी की संस्था में असाधारण वृद्धि हुई। यदि आर्थिक संकट नहीं आया होता तो नास्तियों की इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। जर्मनी के मध्यमवर्ग तथा बेकार लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे, क्योंकि उनमें यह भावना घर कर गयी थी कि जर्मनी की पराजय यहूदियों के कारण ही हुई है। महायुद्ध के समय जर्मनी के बड़े-बड़े कल कारखाने यहूदियों के हाथ में थे। बड़े बड़े पूँजीपति यहूदी लोग ही थे। राज्य पर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था। असाधारण जर्मन जनता उन्हें शोषकवर्ग में शामिल करके उनसे घृणा करती थीं। हिटलर जनता की इस यहूदी विरोधी भावना से अच्छी तरह परिचित था और इसको उभाड़कर अपना काम निकालना चाहता था। उसने कहा कि इन यहूदियों को देश से निकाल देना चाहिए, ताकि जर्मन-जाति अपने देश में समुचित आर्थिक स्थान प्राप्त कर सकें। जर्मनी के आर्थिक संकट तथा अन्य संकटों के मूल में यहूदी ही हैं और जितना जल्द उन्हें जर्मनी से निकाल दिया जाय उतना ही जर्मनी के हक में अच्छा होगा।

साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव—राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए एक विद्वान ने कहा है कि यह वह कला है जिनके द्वारा कुशल राजनीतिज्ञ गरीबों से वोट और धनिकों से चुनाव जीतने के लिए ऐसे इस वादा पर लेते हैं कि सत्तारूढ़ होने पर वे एक को दूसरे के विरुद्ध रक्षा करेंगे। हिटलर इस कला में निपुण था। पूँजीपतियों के विरुद्ध उसने साधारण जनता की भावनाओं को उभाड़ा। उनका वोट उनके लिए सुरक्षित था, पर चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए पूँजीपतियों के समर्थन की भी आवश्यकता थी। साम्यवाद के विरुद्ध उनकी भावना को उभाड़कर वह उनके समर्थन को आसानी से प्राप्त कर सकता था। इसलिए नास्तियों की सफलता का एक कारण जर्मनी में साम्यवाद का बढ़ता हुआ खतरा बतलाया जाता है। रूस में साम्यवाद की जो लहर प्रारम्भ हुई थी उसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ रहा था और जर्मन साम्यवादी पाटी दिन-प्रतिदिन तरकी कर रही थी। १९३० के चुनाव में ८९ साम्यवादी जर्मन संसद् (रीहस्टाग) * में निर्वाचित हुए। अगले

* Reichstag

चुनाव में उनकी सख्या और भी बढ़ गयी। हिटलर जानता था कि साम्यवादी-पार्टी उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। किन्तु, यह रोड़ा केवल पूँजीवादियों के समर्थन से ही नहीं हटाया जा सकता था, इसके लिए जनसाधारण का समर्थन भी आवश्यक था। हिटलर साम्यवाद व सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें करके जर्मन जनता के दिलों में डर फैलाता रहता था। वह मनसे कहा करता था कि साम्यवाद का अन्तर राष्ट्रीयता का सिद्धांत जर्मन राष्ट्रीयता के लिए सबसे अधिक खतरनाक, है। यदि नात्सी पार्टी का अभ्युदय नहीं हुआ तो साम्यवादियों की शक्ति बढ़ जायगी वे राज्य पर अपना ब्रजा जमा लेंगे और जर्मनी के सारे राष्ट्रीय मनसूबे धल में मिल जायेंगे। इन बातों का प्रभाव जर्मनी की जनता पर काफी पड़ता था और 'झूठा' राष्ट्रीयता के नाम पर वह नात्सी पार्टी का समर्थन करने को तैयार रहती थी।

सांख्यिक परम्परा का अभाव—जर्मन-जनता का ससदीय शासन-पद्धति से घोर असन्तोष था। रीहस्टाग में पार्टियों की भरमार हो जाने से ससदीय मामलों में गतिरोध उत्पन्न होने लगा। यह स्थान व्यर्थ बक्वाद, विलम्ब, राजनीतिक झगड़ों और पडयंत्रों का अखाड़ा बन गया। बहुत-से लोगों को वे पुराने दिन याद आते थे जब रीहस्टाग में अनुशासन रहता था और व्यवस्थित ढंग से काम होता था। जनतान्त्रिक व्यवस्था में जब लोगों का विश्वास घट जाता है तो तानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है। जर्मनी के साथ भी यही बात हुई। उस समय तक इटली में फासिज्म का पूर्ण विकास हो चुका था और फासिस्ट नेता मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। कहा गया कि जैसे इटली में फासिज्म की विजय हुई है वैसे ही जर्मनी में नात्सीवाद की विजय होगी और वही जनता की तरफ़ी के रास्ते पर ले जायगी। जर्मनी की जनता भी चाहती थी कि उनके सामने कोई एक कर्मठ व्यक्ति आये जो ससदीय गतिरोध को अन्त कर सुव्यवस्था कायम करे और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करे। नात्सी पार्टी इस तरह की व्यवस्था कायम करने का कार्यक्रम रखती थी और हिटलर के व्यक्तित्व में मुसोलिनी की तरह वह एक नेता देने के लिए भी तैयार थी।

जर्मनी की सैनिक प्रवृत्ति—नात्सी-लोग जनता की मानसिक प्रवृत्ति से सुपरिचित थे। वे जानते थे कि जर्मन लोग स्वभाव से वीर होते हैं और सैनिक जीवन में उनकी अत्यधिक रुचि होती है। किन्तु वर्साय-सन्धि के द्वारा उनकी इस रुचि पर नियन्त्रण लगा दिया गया था। इस सन्धि के द्वारा जर्मनी की सैन्य सख्या बहुत कम कर दी गयी थी। जर्मनी के अस्त्रय युवक बेकार हो गये थे। आर्थिक संकट के कारण यह भी सम्भव नहीं था कि वे किसी अन्य पेश से अपना गुजर कर सकें। वे स्वभाव से और परिस्थिति से विवश होकर सैनिक होने के लिए

उत्सुक थे। नारसी-लोगों ने जर्मन युवकों की इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया। इस सेना के दो अंग थे। एक भाग के सैनिक भूरे रंग की कमोज पहनते थे और उनकी बाँह पर लाल पट्टी रहती थी, जिसपर स्वस्तिका का चिन्ह रहता था। इसको एस० ए० (*Sturm Abteilungen*) कहा जाता था। इसका काम प्रचार के लिए प्रदर्शन करना, नारसी पार्टी की सभाओं की रक्षा करना तथा विरोधी पार्टी की सभाओं को बलपूर्वक भंग करना था। दूसरे भाग को एम० एस० (*Schutz Staffeln*) कहा जाता था। इसके सदस्य काले रंग की कमोज पहनते थे। उनका काम पार्टी के नेताओं की अंग रक्षा करना और उनके आदेशों की पूर्णतया पालन करना होता था। जर्मन लोग बड़े उत्साह के साथ इस सेना में भर्ती हुए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि नारसी पार्टी के उत्कर्ष से उन्हें फिर से सैनिक जीवन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और तत्कालीन बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी। इस सेना से नारसियों को सत्ता प्राप्त करने और अपने शत्रुओं के दमन करने में बड़ी सहायता मिली। जिस समय हिटलर अपनी इस सेना का संगठन कर रहा था उस समय की जर्मन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आरम्भ में ही इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया होता, तो सम्भव था कि हिटलर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता। लेकिन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार इस संगठन की उपेक्षा करती रही। इसका एक कारण वर्साय की सन्धि थी, जिसके द्वारा जर्मनी को सैन्य सशक्तता को सीमित कर दिया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने देखा हिटलर के प्रयास से परोक्ष रीति से जर्मनी में एक वर्साय सन्धि का उल्लंघन किये बिना ही तैयार हो रही है। इस प्रकार जर्मनी के तत्कालीन नेताओं ने एक महान् निर्बलता और अदूरदर्शिता का परिचय देकर हिटलर के रास्ते को और भी सुगम बना दिया।

हिटलर का व्यक्तित्व—हिटलर की सफलता का प्रमुख कारण स्वयं उसका व्यक्तित्व था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिटलर एक बहुत धृष्ट वक्ता था और बड़ी-बड़ी मोड़ों का अपने भाषण के जाड़ से मुखर कर सकने की क्षमता रखता था। फ्यूरेर (नेता) बनने के सभी गुण उसमें मौजूद थे। वह अपने काम को संगठित रूप से करता था। आधुनिक युग की राजनीति में प्रचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रचार वह साधन है, जो सभी चीजों को, यहाँ तक कि आत्महत्या को भी, लोकप्रिय बना सकता है और हिटलर प्रचार के इस महत्त्व का खूब अच्छी तरह समझता था। सोभाग्य से उसको एक ऐसा व्यक्ति भी मिल गया था प्रचार की कला में निपुण था। वह था हिटलर का प्रचार-मन्त्री डा० गोबुस। 'मुझे याद की इतना दुहराओ कि यह सत्य हो जा जाय'—यह था डा० गोबुस के प्रचार विद्वान्त का मूल। जर्मनी का अन्तर्-पार्टियाँ यह कला नहीं जानती थीं।

जर्मनी में नास्ती क्रांति
 इसलिए प्रचार के माध्यम से जर्मन जनता के दिल पर कब्जा कर लेना नात्सियों के
 लिए एक सहज काम हो गया।

हिटलर का अम्बुदय 'पेंटर मे चा'सभर' — जर्मनी का ऐसी स्थिति में
 हिटलर का अम्बुदय और शक्ति को प्राप्ति एकाएक नष्ट हुई। उसको शक्ति का
 विकास और उत्थान धीरे धीरे हुआ। १८८९ में आस्ट्रिया का एक गाँव में हिटलर
 का जन्म हुआ था। उसका पिता गरीब थे, इसलिए बचपन से उसे उचित शिक्षा नहीं
 मिल सकी। पिता के मरने के कुछ ही दिनों बाद वह विधवा में एक शिल्पी का काम
 करने लगा। परन्तु, विधवा में वह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। १९१२ में
 वह भूनिख चला आया और चित्रकारी करके अपना जीवन-निर्वाह करने लगा।
 इसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। हिटलर के लिए यह ईश्वरप्रदत्त अवसर
 था। वह तुरत जर्मन-सेना में भर्ती हो गया। लड़ाई में उसने अत्यन्त योग्यता दिखलाई
 जिसके लिए उसे 'आपरन क्रॉस' भी प्राप्त हुआ। लड़ाई के मैदान में घायल होकर
 जिस समय वह पामरेनिया का एक अस्पताल में पड़ा हुआ था उसी समय उसे विराम
 सन्धि की सूचना मिली। यह सुनकर वह आपस बाहर हो गया। उसका खून खौलने
 लगा। उसका कहना था कि जर्मन सेना न तो पराजित हो गई और न पराजित की
 जा सकती है। उसको पराजय का कारण उसका नेताओं की बुद्धिमत्ता ही है। इस कारण
 हिटलर के हृदय में प्रतिशोध की भावना ज्वाला जल रही थी। उसने राजनीति में
 प्रवेश करने का निश्चय किया।

अगले पाँच वर्षों तक वह भूनिख की सहकारी पर धूमता फिरता रहा। यहाँ पर
 वह साम्यवादियों के ऊपर जासूस का काम भी करता था। इसी क्रम में उसका
 अनेक लोगों से जान पहचान हुई। भूनिख में उसके कुछ पुराने दोस्त भी थे।
 उन लोगों के साथ वह जर्मन वर्कर्स-पार्टी का एक सदस्य बन गया और उस पार्टी
 का संगठित करने का उसने सकल ऊर्ष लिया। हिटलर के प्रवेश से उस पार्टी
 को प्रगति हाने लगी। भूनिख में उसने एक क्रमदा क्रियाएँ प्रारम्भ कीं और वहाँ पर
 अपने साधियों एवं अनुयायियों का एक सभा करके जर्मन-वर्कर्स-पार्टी का नाम
 बदलकर एक नया पार्टी का जन्म दिया, जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी रखा
 गया। इस पार्टी का एक समाचारपत्र भी प्रकाशित होने लगा। पार्टी के
 कार्यक्रम में पचीस बाँटे थे। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों का प्रमुख
 स्थान दिया गया (१) वर्साय सन्धि का निन्दा करके उसका रद्द करने की माँग
 की जाय। (२) समस्त जर्मन माता भावियों को एक घर में बाँधकर एक
 विशाल जर्मन राज्य की स्थापना हो। (३) जर्मनी से जा उपनिवेश छिन
 लिए गये थे, उन्हें वापस लौटा देने तथा सैनिक सत्रात के मार्ग में वर्साय-सन्धि
 द्वारा जो प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, उनका रद्द करने की माँग की जाय।

(४) यहूदी-लोग विदेशी हैं और उनके कारण जर्मन का अपार नुकसान उठाना पडा है। अतः उन्हें केवल जर्मनी की नागरिकता से ही वंचित नहीं किया जाय, वरन् देश से बाहर भी निकाल दिया जाय। साम्यवाद, सदारतावाद तथा ससदीय शासन पद्धति जर्मनी की राष्ट्रीय सन्नति के लिए हानिकारक है, अतः इसका अन्त हो। हिटलर की नयी पार्टी व यही प्रमुख कार्यक्रम थे और वह स्वयं उसका प्यूरर था। उसके जोशीले भाषण और सगठन के तरीके से नास्ती-पार्टी का उत्थान शीघ्रता से होने लगा।

रूर-आधिपत्य के समय इस पार्टी की शक्ति काफी बढ़ गयी। जर्मनी की निकम्मी सरकार, जो राष्ट्रीय अपमान को सहती रही, के विरुद्ध वेवेरिया में ल्यूडेन डार्फ से मिलकर उसने एक विद्रोह का ऋण्डा खडा किया। पर हिटलर का यह प्रयत्न असफल रहा। वह पकड़ लिया गया और उसे पाँच वर्ष की सजा हो गयी। कारागार में अपने अवकाश का उसने पूर्ण उपभोग किया और जेल में वहीं पर उसने विश्वविख्यात पुस्तक "मीन कैम्फ" (मेरा सघर्ष) की रचना की जो पीछे चलकर नास्तियों के लिए बाइबिल बन गयी। इस पुस्तक में सम्पूर्ण जर्मन-जाति को एक सूत्र में बाँधकर एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का विचार प्रकट किया गया था। यूरोप के एक नये राज्यों में जर्मन लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। हिटलर के इस विचार को कार्यान्वित करने का अर्थ था उन देशों की प्रादेशिक अखंडता पर प्रहार करना। 'मीन कैम्फ' में फ्रांस की चर्चा की गयी थी और उस देश को जर्मनी का अन्तकालीन घातक शत्रु बतलाया गया था। इसके अतिरिक्त उसने पुस्तक में एक शाश्वत न्याय के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ 'जर्मनों के लिए रहने का स्थान' था। इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि जर्मनी का, अन्य देशों के समान, प्रादेशिक विस्तार है। इस विस्तार के लिए उपयुक्त स्थान पूर्व की ओर था जिसका अर्थ सोवियत सघ होता था। अतएव मीन कैम्फ में फ्रांस, सोवियत सघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि सभी देशों पर लक्ष्य किया गया था। इन लक्ष्यों को पुति निरस्त्रीकरण से नहीं अपितु हथियारबन्दी से ही हासिलकतो थी। हिटलर राष्ट्रघघ का पराजितों को तग करने का एक यन्त्र समझता था। मीन कैम्फ के प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट था कि यदि हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ हुआ तो युद्धोत्तर काल की सारी व्यवस्थाएँ चौपट हो जायँगी और जर्मनी पुनः विश्व-शांति के लिए खतरा बन जायगा। किन्तु उस समय किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि हिटलर कभी जर्मनी में सत्तारूढ हो सकेगा।

हिटलर को पाँच वर्ष के लिए सजा हुई थी, किन्तु १९२४ के अन्त में ही वह छोड़ दिया गया। १९२५ से १९२९ तक की अवधि में वह अपना पार्टी को सगठित कर रहा। सब जगह नास्ती पार्टी की शाखाएँ स्थापित की गयीं और सारे देश में

ससका जाल-सा विद्युत गया। १९२५ में पार्टी की स्वयंसेवक सेना स्थापित की गयी और पार्टी के सदस्यों को सख्खा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। आर्थिक संकट से पार्टी की प्रगति में और अधिक सहायता मिली। १९२५ में इसके २७००० सदस्य थे। १९२९ में यह सख्खा बढ़कर १७८,००० हो गयी। किन्तु रोहस्टाग में इस पार्टी के अधिक सदस्य नहीं थे। १९२४ से १९२८ के बीच में तीन आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में नात्सी पार्टी का प्रतिनिधित्व क्रमशः ३२, १४ और १२ था। यह लाकानों का युग था और क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में भी डायस योजना लागू हो चुकी थी। जर्मनी का स्थिति कुछ अच्छी हो गयी थी। लेकिन साथ-साथ नात्सी पार्टी का उत्थान भी हो रहा था। इसी बीच अक्टूबर १९१९ में प्रगति और शान्ति का प्रतीक स्ट्रैमेन की मृत्यु हो गयी और जब यंग-योजना लागू करने की बात चली तो नात्सी पार्टी ने इसका घोर विरोध किया। इस योजना पर जनमत लिया गया और अन्ततः रोहस्टाग ने २२० के विरुद्ध २२६ वोट से यंग-योजना का समर्थन कर दिया, ध्यान देने की बात यह है कि योजना के पक्ष में दाहिने वोट अधिक मिले। यह नात्सियों के बढ़ते हुए प्रभाव का सूचित कर रहा था।

१९२९-३० का आर्थिक संकट नात्सियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जर्मनी में यह संकट काफी भयंकर रूप में उपस्थित हुआ था। बहुत से कल कारखाने बन्द हो गये और पचास लाख के लगभग मजदूर बेकार हो गये थे। इन बेकारों में नात्सियों ने अपने सिद्धांतों का खूब प्रचार किया। १९३० के चुनाव में नात्सी पार्टी के १९७ सदस्य रोहस्टाग के लिए निर्वाचित हुए। नात्सी पार्टी को बस प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। एक नयी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। हिटलर का हौसला बढ़ा। १९३२ में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। हिन्डेनबर्ग के मुकाबले में हिटलर भी इस पद के लिए सम्मोदवार खड़ा हुआ और यद्यपि वह हार गया, किन्तु हिन्डेनबर्ग जैसे-प्रतिष्ठित और सर्वमान्य व्यक्ति के मुकाबले में उसे मँतिस प्रतिशत वोट मिले। यह नात्सी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण था। १९३२ में रोहस्टाग के लिए चुनाव हुआ और इसमें नात्सी-पार्टी ने २३० स्थान प्राप्त किये। यद्यपि ससद में उनकी बहुसंख्या अब भी नहीं हुई थी, पर अन्य पार्टियों के मुकाबले में नात्सी लोग सबसे अधिक निर्वाचित हुए। अब हिटलर को 'पोस्टमास्टर' बनाना असम्भव था। वैधानिक रीति से आगे बढ़ते हुए वह ऐसी स्थिति में आ पहुँचा कि हिन्डेनबर्ग को उसे प्रधान मन्त्री बनाने के लिए आमन्त्रित करना पड़ा। पर, हिटलर ने यह शर्त रखी कि उसे ससद के बिना ही शान्त करने का अधिकार मिले। हिन्डेनबर्ग इसके लिए तैयार नहीं हुआ और ने भी प्रधान मन्त्री बनने से इन्कार कर दिया। किन्तु अधिक दिनों तक के लाम नही राक सका और जनवरी, १९३३ में उसने प्रधान मन्त्री बनना

कर लिया। हिटलर सयुक्त मन्त्रिमण्डल का चांसलर नियुक्त किया गया। इस सरकार में तीन नास्ती और आठ 'राष्ट्रवादी' थे। हिटलर का प्रिय मित्र हरमन गोरिंग गृह मन्त्री बना। ३० जनवरी को उसने रेडियो से जर्मन जनता को सूचित किया कि राष्ट्रीय अपमान के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। उसी रात मशाल बत्तियों से सुसज्जित नात्सियों का एक बहुत बड़ा जुलूस बर्लिन की सड़कों से गुजरा। हिन्डेनबर्ग अपने राष्ट्रपति भवन की झरोखे से खड़ा होकर इन नजारों को चुपचाप देख रहा था। म्यूनिख का वह साधारण सा पेंटर जो गरोबी से अपना दिन काटा करता था, अब जर्मनी का चांसलर बन चुका था। नात्सियों का प्यूरर अब जर्मनी का सर्वोच्च था।

जर्मन गणतंत्र का विनाश—हिटलर केवल प्रधान मन्त्री बनकर ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह चाहता था कि रीहस्टाग में उसका कोई विरोध नहीं हो। वह ससद् में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहता था। इस कारण हिटलर ने रीहस्टाग को बर्खास्त करके नये निर्वाचन की व्यवस्था की। परन्तु यह कोई निश्चित नहीं था कि निर्वाचन में हिटलर को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो ही जाये। नयी ससद् में ६०० के लगभग सदस्य चुने जानेवाले थे। हिटलर का अनुमान था कि इसमें २५० स्थान नास्ती पार्टी को और १०० साम्यवादी पार्टी को मिल जायेंगे। पर इससे हिटलर का काम सिद्ध नहीं होता था। अगर साम्यवादी पार्टी का दमन कर दिया जाय तो उसके १०० स्थान में नास्ती पार्टी को अनेक स्थान प्राप्त हो जा सकते हैं। हिटलर इसी अनुमान के आधार पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए षडयन्त्र करने लगा। २७ फरवरी को, जब चुनाव भी नहीं हो पाया था रीहस्टाग का भवन रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में जल गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रीहस्टाग भवन में आग लगाने का सारा षडयन्त्र नात्सियों का ही था * और इसको बहाना बनाकर वे जर्मन कम्यूनिस्टों को कुचल देना चाहते थे, जिससे आगामी चुनाव में उनका रास्ता साफ हो जाय। हिटलर ने रीहस्टाग अग्नि-काण्ड के लिए साम्यवादियों को जिम्मेवार ठहराया। इस घटना को बहाना बनाकर कम्यूनिस्टों और उनसे सहा-नुभूति रखनेवालों को बड़े पैमाने पर घर-घर करके कम्प्यूनिस्टों के साथ नजरबन्द कर दिया गया। कम्प्यूनिस्ट-पार्टी को गैर-कानूनी घोषित करके उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को आदेश दिया गया कि वह अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन और चुनाव-प्रचार शीघ्र बन्द कर दे। इस पृष्ठभूमि में आम चुनाव हुआ, जिससे नास्ती-प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गयी, किन्तु उन्हें फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। हिटलर को अब इसका भय नहीं था, क्योंकि

८१ निर्वाचित कम्युनिस्ट-सदस्यों को अयोग्य घोषित करके निकाल दिया गया था। हिटलर रीहस्टाग का मालिक बन बैठा। रीहस्टाग भ्रमिण क्राण्ड से ससद् का सम्पूर्ण भवन तो नहीं जला, किन्तु जर्मन-गणतन्त्र जलकर राख हो गया। गणतन्त्र क राष्ट्रीय ऋण्डा को हटाकर उसके स्थान पर पुाने जमन साम्राज्य के ऋण्डे तथा नात्सी दल के स्वस्तिक चिह्न को उस पर प्रतिष्ठित किया गया। १९३३ के मध्य तक सभी गैर-नात्सी पार्टियों को जबरदस्ती विघटित कर दिया गया। अब रीहस्टाग का केवल यही काम रह गया कि भूले भटके जब भी उसका अधिवेशन हो तब वह प्रधान मन्त्री की नीति घोषणाओं को सहर्ष स्वीकार कर ले। जर्मनी का नया नाम तृतीय रीह* या साम्राज्य रखा गया और इस तरह गणतन्त्र का अन्त हो गया। २ अगस्त, १९३४ को जब राष्ट्रपति हिन्डेनबर्ग की मृत्यु हो गयी तब राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। नात्सी फ्यूरर अब राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री दोनों हो था। उसके हाथ में इतनी शक्ति आ गयी, जितनी कैसर क हाथ में भी नहीं थी।

विश्व-राजनीति पर नात्सी-क्रान्ति का प्रभाव

रोम में प्रतिक्रियाएँ — नात्सी-क्रान्ति की सफलता और हिटलर का मत्तारूढ होना दोनों ही जर्मनी के आंतरिक इतिहास के विषय हैं। पर घटनाएँ अन्तर-राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं कि यहाँ पर इनका विशद् वर्णन आवश्यक है। जर्मनी की नात्सी क्रान्ति को एक राष्ट्रीय घटना नहीं मानी जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव उतना ही क्रान्तिकारी साबित हुआ जितना जर्मनी की राष्ट्रीय राजनीति पर। मत्तारूढ होने के बाद हिटलर ने परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने का आश्वासन दिया और उसने जोर क साथ यह अस्वीकार किया कि वह शान्ति-सम्मोचे का बल प्रयोग करके अन्त करने की इच्छा रखता है। परन्तु दुनिया को 'मीन कैम्फ' के लेखक के विचारों और क यक्रम का पता १९२४ में ही लग चुका था। जर्मनी में हथियार-बन्दी का कार्य तेजी से चलने लगा था और अक्टूबर, १९३३ में जर्मनी केवल निरस्त्रीकरण सम्मेलन से ही अलग नहीं हो गया, बल्कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागने की सूचना भी उसने दे दी। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि सारे स-य सत्तार में नात्सी क्रान्ति के प्रति प्रतिक्रिया हो। दूसरे शब्दों में, नात्सी-क्रान्ति के फल-स्वरूप यूरोपीय देशों को परराष्ट्र-नाति में परिवर्तन अवश्यम्भावी हो गया।

चेकोस्लावाकिया और लघुमैत्री संध के देग—यह स्वाभाविक हो या कि नात्सी क्रान्ति की प्रतिक्रिया सबप्रथम जर्मनी क पड़ोसी राष्ट्रों में हो। चेकोस्लावा-

* Third Reich

† G. Hasdey, *A Short History of International Affairs*, p 357

किया, यूगास्लाविया और रूमानिया जमनी क पडासी राष्ट्र थे और वर्साय सन्धि के द्वारा उनका सृजन हुआ था। यथास्थिति के बने रहने में ही उनका हित था और उधर हिटलर वसाय-सन्धि का अन्त करके नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इन देशों में सबसे अधिक त्वत्तरा चेकोस्लोवाकिया का था, जिनका भूमि में हजारों की सख्या में जर्मन-लोग निवास करते थे। 'मोन-केम्प' में जमनी की वर्तमान सीमाओं के बाहर यहाँ वहाँ रहनेवाले सभ जर्मन अल्पसंख्यक का जमनी में शामिल कर लेने का वादा किया गया था। लघुमैत्री-संघ क देशों के लिए हिटलर का अशुभ दय एक बहुत बड़े सकट के रूप में आ सर्पास्थित हुआ। उसी समय उपयुक्त तीनों देशों क परराष्ट्र-मन्त्री निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेन क लिए जेनेवा गये हुए थे। यहाँ तीनों मन्त्रियों ने परस्पर मिलकर एक 'एकता समझौता' किया, जिसक अनुसार यह तय हुआ कि तीनों दश क विदेश मन्त्रियों की एक कांसिल बने और समय समय पर इसकी बैठकें करके सामान्य हितों की बातों पर विचार किया जाय।

हगरी—इस क्षेत्र में एक और देश हगरी था। प्रारम्भ में हगरी ही प्रति क्रिया स्पष्ट नहीं हा सकी। यह तो निश्चित ही था कि जमनी के उत्थान से यूरोप के किमी देश का लाभ होनेवाला नहीं था और हगरी भी इसका अपवाद नहीं था, पर हगरी और जमनी में एक बात की समानता थी कि दोनों वर्साय सन्धि द्वारा सताय गये देश थे। इसके अतिरिक्त हगरी लघुमैत्री संघ के देशों से जमनी की तरह ही घृणा करता था। ऐसी स्थिति में जमनी और हगरी एक दूसरे के निकट आने लगे। हगरी में नात्सीवाद से सहानुभूति रखनेवाला जुलियस गोम्बस प्रधान मंत्री था और दोनों देशों क नेता एक दूसरे देश में भ्रमण करने लग। यद्यपि दोनों देशों के बीच विधिवत् कोई सन्धि-समझौता नहीं हुआ, फिर भी ये भ्रमण और मेल-मिलाप काफी महत्त्वपूर्ण थे। इस बात की सम्भावना दीखने लगी कि यदि दूसरा महायुद्ध छिड़ गया तो शायद हगरी जमनी का साथ दे।

पोलंड—१९१९ के बाद पोलैंड और जर्मनी क बीच जितनी कटुता थी उतनी सम्भवत यूरोप क किसी अन्य देशों क बीच न थी। पोलिश गलियारे की लेकर वर्साय सन्धि के विरुद्ध जमनी की सबसे बड़ी शिकायत थी। इससे जर्मनी का अगमग हा गया था, क्योंकि पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया था। ऐसी स्थिति में एक देश के अखबार दूसरे देश पर आग उगलते थे और यह निश्चित था कि जर्मनी जब भी शक्तिशाली होगा, पोलिश गलियारे का अन्त करने का प्रयास करेगा। पोलैंड क जमन अल्पसंख्यक राष्ट्रसंघ से बराबर शिकायत किया करते थे और डाजिंग की लेकर दोनों देशों के बीच बराबर झगडा बना रहता था। नात्सी क्रान्ति का सफलता के कारण यह सम्भावना और बढ गयी। इसके अतिरिक्त नात्सियों के कार्यक्रम को देखकर यह भी निश्चित था कि सोवियत संघ और जर्मनी

में संघर्ष अवश्यम्भावी है और इस संघर्ष में पोलिश भूमि का रण भूमि के रूप में उपयोग निश्चित था। पोलैंड ने सबसेपहले फ्रांस के साथ अपने गठबन्धन की ओर मजबूत करके जर्मनी के खतरा को रोकने का प्रयास किया। संसार की जर्मन खतरा की गम्भीरता बतलाना के लिए नात्सी क्रान्ति के दूसरे ही दिन २०० पोलिश सैनिकों का बिना किसी अधिकार के डान्जिग बन्दरगाह के एक स्थान पर उतारा गया। पर यह झम्कट काफी बाद विवाद का तब शान्त हो गया। पोलिश प्रधान मन्त्री ने फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री का निमन्त्रित किया और जर्मन खतरा को रोकने के पूर्व ही दमन करने के उद्देश्य से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का सुझाव रखा। पर, फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं था। पहले, वह चारदशोय सन्धि का एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया। यह सन्धि सुसोलिनी के अनुरोध पर की गयी थी और इसका उद्देश्य यह था कि नात्सी-जर्मनी को शान्त करने के लिए बसाय-सन्धि की कुछ कठोर शर्तों में परिवर्तन कर दिया जाय। जून, १९३२ में यह सन्धि ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में हुई। पोलैंड का इस सन्धि से काफी दुःख हुआ। बसाय सन्धि में परिवर्तन सबसे अधिक घाटा पोलैंड को हुआ था। पोलैंड के लिए जर्मनी का खतरा अब राष्ट्रीय जीवन मरण का प्रश्न हो गया। ऐसी स्थिति में उसने जर्मनी के साथ किसी प्रकार का समझौता कर लेना ही श्रेयस्कर समझा और २६ जनवरी, १९३४ को पोलैंड और जर्मनी के बीच समझौते की घोषणा से संसार चकित हो गया। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने वादा किया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। जर्मन अन्वेषणकी तथा डान्जिग सम्बन्धी विवाद भी राष्ट्रसंघ से वापस ले लिये गये।

जर्मन पोलिश समझौता के कारण पूर्वी यूरोप की कूटनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ गया। दो बड़ोसी जा १९१९ से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आपस में कम से कम दस साल के लिए मिल गये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह हिटलर की पहली कूटनीतिक विजय थी। सत्ता प्राप्त करने के पूर्व ही हिटलर अपने भाषणों तथा तरीकों से पश्चिमी यूरोप के देशों की भयभीत कर अपना शत्रु बना लिया था। सोवियत संघ भी हिटलर के मनसूबों से परिचित था। पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उनके दुश्मन मौजूद थे। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वी पड़ोसी से मित्रता कर लेना सभी दृष्टियों से उपयुक्त था। इसलिए जब हिटलर ने रोहस्टाग का इस समझौते की सूचना दी तो उसके सदस्य अपने फ्यूरर का इस कूटनीतिक सफलता पर पूरे न समाये।

सोवियत संघ—नात्सी जर्मनी के अग्रदूत से सोवियत संघ में जितना आश्चर्यपूर्ण नीति-परिवर्तन हुआ उतना किसी अन्य देश में नहीं।* इसका एक दूसरा कारण

था पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्यवाद का नमन नृत्य। इस तरह सोवियत संघ दा तरफ के खतरों से घिरा हुआ था और सत्तार का कोई राष्ट्र उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में सोवियत परराष्ट्र नीति में आमूल परिवर्तन आवश्यक हो गया।

वसाय की सर्घ के बाद जमनी और सोवियत संघ का सम्बन्ध बहुत ही अस्थिर था। राष्ट्रों की मडली में दोनों देशों के साथ अखूत जैसा व्यवहार किया जाता था। अतएव दोनों देशों में एक दूसरे क प्रति सहानुभूति स्वाभाविक थी। १९२२ की रेपेलों की सन्धि इसी परस्पर सहानुभूति का परिणाम था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत संघ जमनी का पक्ष लेता रहा। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रारम्भिक आयोग में जब वह भाग लेने आया था तो उसका प्रमुख प्रयास विजेता शक्तियों क शस्त्रास्त्रों में प्रचुर कमी करना था। वह 'पहले सुरक्षा और तब निरस्त्रीकरण के' फ्रांसीसी विचार का मवस अधिक खरी आलोचना करता रहा। सोवियत संघ की भाषा और रवैया राष्ट्रसंघ के प्रति और भी कटुतापूर्ण थी। इसको वह विश्व क पूँजीवादियों का एक घृणित और खतरनाक संघ ममझता था। त्रिन्दु वर्त्तमान शताब्दी की चौथी दशाब्दी में दो ऐसी घटनाएँ घटीं जिससे सोवियत नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया। हिटलर का जर्मनी में सत्तारूढ होना और पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव होना, दो ऐसी घटनाएँ थीं जिनकी समुच्चिन् प्रतिक्रिया मास्को में हुई। जमनी के सामान्य खतरे को रोकने क लिए फ्रांस और सोवियत संघ के बीच मित्रता बढने लगी। सोवियत समाचारपत्रों में अनेक जर्मन विरोधी और सन्धि सशोधन विरोधी लेख प्रकाशित हुए। पूर्वी एशिया क खतरे को रोकने क लिए सोवियत संघ ने अमेरिका से मेल जोल बढाना शुरू किया और अमेरिका का समुच्चित आश्वासन देकर उसकी मायता प्राप्त कर ली। अब जमनी क विरुद्ध यूरोप में एक मित्र को खोजना था। निश्चय है कि महान् राष्ट्रों से इस सङ्घट क समय में फ्रांस ही सोवियत संघ का मित्र बन सकता था। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सोवियत-प्रतिनिधि लिट विनाष का रुख बिल्कुल बदल गया। जो व्यक्ति पहले सभी प्रकार क अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग करता था वह राष्ट्रसंघ क सदस्यों को कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम' उठाने क लिए आग्रह करने लगा। जो देश पहले निरस्त्रीकरण समस्या पर फ्रांस क विचारों की कटु आलोचना करता था, उसका प्रतिनिधि अब फ्रांसीसी प्रतिनिधि स' मेल जुलकर संयुक्त योजना पर बातलाप करने लगा। उधर मारकी और परिस में कूटनीतिक तरीकों से दोनों देशों क बीच में सहयोग स्थापित करने क लिए कदम उठाए जा रहे थे। १९३१ में ही दोनों देशों क बीच एक व्यापारिक समझौता हो चुका था। १९३२ में दोनों देशों के बीच एक अनाक्रमण सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ।

फ्रांस सोवियत संघ की राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लेना चाहता था। जेनेवा में इसके लिए प्रयास होने लगा। मई १९३३ में दोनों देश एक दूसरे के और निकट आ गये। राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने सैद्धान्तिक मतभेद गौण पट गया। जैसा कि श्री हेरिओ ने कहा था “याद कीजिए कि किस तरह फ्रांसीसी प्रथम ने सार ईसाई-राज्यों का साथ छोड़कर दूकों के साथ दिया था, क्योंकि यही फ्रांस के हित में था।” उस महोने फ्रांस और सोवियत संघ में पारस्परिक सहायता-सम्बन्धी एक संधि हुई। इसके अनुसार यह तय हुआ कि दोनों में से किसी पर बाह्य आक्रमण होने पर वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह सन्धि पाँच वर्षों के लिए की गयी। इस प्रकार फ्रांस को सोवियत समझौता, जो युद्ध के बाद लुप्त हो चुका था, पुनर्जीवित हो उठा। यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक क्रान्ति थी। फ्रांस को सोवियत संघ के दंग पर ही एक पखवार बाद सोवियत संघ ने चेकास्लीवाकिया के साथ भी एक पारस्परिक सुरक्षा सन्धि कर ली।

अब बवल राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत संघ के पुराने रुख का नष्ट होना ही शेष रह गया था। जिस प्रकार १९०७ में फ्रांस ने ब्रिटेन और रूस का मिलान का प्रयत्न किया था ठीक उसी प्रकार जर्मनी के खतरे से भयभीत होकर फ्रांस रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कराने के लिए प्रयत्न करने लगा। जुलाई १९३४ में फ्रांस ने इटली और ब्रिटेन की इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ में प्रवेश दिलाने के लिए अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने में उसका साथ दें। सितम्बर, १९३४ में फ्रांस ब्रिटेन और इटली के प्रस्ताव पर सोवियत-संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया और कौन्सिल में भी उठे स्थायी जगह मिल गयी। जर्मन खतरे को ध्यान में न रखते हुए राष्ट्रसंघ का स्वरूप अब सोवियत-संघ के लिए बदल चुका था। सोवियत संघ उस विश्व सस्या का सबसे जबरदस्त समर्थक हो गया और लिटविनाव जारखोर से सामूहिक सुरक्षा की बातें करने लगा।

आस्ट्रिया और इटली—नात्सी क्रान्ति का प्रभाव आस्ट्रिया की आन्तरिक राजनीति पर ही अधिक पड़ा। सत्तारूढ होने के वरत बाद हिटलर ने आस्ट्रिया को अपनी विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य बनाया। हिटलर का कहना था कि सम्पूर्ण जर्मन जाति का एक सूत्र में बोधना नात्सी पार्टी का मुख्य ध्येय है। आस्ट्रिया के निवासी भी मूलतः जर्मन थे। आस्ट्रिया में अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए नात्सी लागू पडयन्त्र करने लगे। आस्ट्रिया की नात्सी पार्टी का प्रोत्सहित करके उसकी जड़ मजबूत की गयी। पर हिटलर आसानी से आस्ट्रिया को अपने प्रभाव में नहीं ला सका, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो जर्मनों का विरोध करते थे। आस्ट्रिया-जर्मनी-सम्बन्ध पर हम आगे के पृष्ठों में पूर्ण प्रकाश डालने का

प्रयत्न करेंगे, किन्तु यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आस्ट्रिया में जर्मनी पटयन्त्र की प्रतिक्रिया इटली में हुई, जिनके प्रभाव से जर्मनी और इटली के सम्बन्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

इटली की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नास्ती-क्रान्ति के पक्ष में हो हुई। मुसोलिनी को इससे बढकर खुशी क्या हो सकती थी कि उसके फासिज्म से मिलती जुलती एक दूसरी व्यवस्था जर्मनी में कायम हो गयी है। वास्तव में फासिज्म और जर्मन नात्सीवाद में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। मुसोलिनी को सहानुभूति हिटलर के साथ थी और तृतीय रीह को बर्साय के कठोर उपबन्धों से मुक्त करने के लिए इटालियन डूचे* ने शुरू में कुछ सक्रिय कदम उठाये। १९३३ की चार-देशीय संधि इसी सहानुभूति का परिणाम थी। इसके अनुसार इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने समझौता किया कि वे शान्तिपूर्ण तरीकों से बर्साय सन्धि में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। इसका एक साल बाद २४ जून को मुसोलिनी ने वेनिस में हिटलर से मुलाकात की। डूचे और फ्यूरर यहाँ पर गले गले मिले। भविष्य में उनका बीच सहयोग की नींव पड गयी। पर दो तानाशाहों की मित्रता में धीरे-धीरे खाई पटने लगी। आस्ट्रिया में फ्यूरर व पड्यन्त्र से डूचे मशरूफ होन लगा। मुसोलिनी चाहता था कि आस्ट्रिया पर इटली का प्रभाव बना रहे। उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। आस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ मिल जाते हैं तो दक्षिणी टायरोल नामक जर्मन-आस्ट्रियन प्रान्त के लिए, जो बर्साय सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पैदा हो जा सकता था। आस्ट्रिया और जर्मनी का संध स्थापित हो जाने से इटली जर्मनी के निकट सम्पर्क में आ जाता था। मुसोलिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अतएव नात्सी-क्रान्ति के फलस्वरूप इटली की विदेश नीति भी सोवियत परराष्ट्र नीति की तरह ही नाटकीय ढंग से बदलने लगी। आस्ट्रिया के नात्सी विरोधियों को इटली हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, १९३४ में आस्ट्रियन प्रधानमंत्री डाइरुम की हत्या नात्सियों ने कर दी तो मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की सीमा पर अपने सैनिकों को तनात कर दिया। पर, इतने ही से इटली का काम चलोवाला नहा था। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांस और इटली का सम्बन्ध निरन्तर खराब ही हाता गया था। अफ्रीका और नौसना सम्बन्धी विषयों का लेकर दानों का झगडा और भी गम्भीर हो गया था। किन्तु, आस्ट्रिया पर हिटलर की गूढ-दृष्टि एक खतरा था, जिससे ये दानों ही देश सामान्य रूप से घबराते थे। अतः मुसोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौता करना ही श्रेयस्कर समझा और जनवरी, १९३५ में फ्रांस और इटली के बीच एक समझौता हो गया।

फ्रांस और यूगोस्लाविया—फ्रांस और इटली के बीच जो समझौता हुआ, वह सामान्यी में नहीं हो सका। फ्रांस के बाल्कन-माथी इटली से जलते थे और वे नहीं चाहते थे कि फ्रांस और इटली के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। दोनों देशों के बीच समझौता होने के पूर्व यह आवश्यक था कि फ्रांस पहले अपने माथी देशों का इटालियन मित्रता की उपादेयता पर राजी कर ले। फरवरी, १९३४ में बाथो फ्रांस का विदेश-मन्त्री हुआ। बाथो जर्मनी का कट्टर विरोधी था। वह पोन्न्वार की नीति और रूर-आधिपत्य का सबसे बड़ा समर्थक था। जिस समय वह फ्रांस के परराष्ट्र मन्त्रालय में घुमा, उस समय अन्तराष्ट्रीय स्थिति काफी बदल चुकी थी। जर्मनी में हिटलर का सितारा बुलन्द था, जो फ्रांस को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। उस समय जर्मनी निरस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया था और फ्रांस के नाति निवारक उसका वापस बुलाने के लिये बातें कर रहे थे। परराष्ट्र मन्त्रालय में आते ही बाथो ने बातें बन्द कर दी और अपने देश की मौजूदा प्रतिरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाने और नयी प्रतिरक्षा व्यवस्थाएँ निमित्त धन की दिशा में कठोर प्रयत्न करने के लिए यूरोपीय राजधानियों के भ्रमणाय निकल पड़ा। सबसे पहले वह वारसा पहुँचा। हाल ही में पोलैंड और जर्मनी के बीच एक समझौता हो चुका था। बाथो इस समझौता को रद्द करा देना चाहता था। किन्तु उसे निराश होकर वारसा छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह प्राग, बुखारेस्ट और वलप्रोड गया। इस भ्रमण के फलस्वरूप लघुमैत्री सघ पुनः जी उठा। इसके पूर्व ही एक बाल्कन मैत्री सघ कायम हो चुका था। तुर्की, यूगोस्लाविया, रूमानिया और यूनान इस सघ के सदस्य थे। बाथो जब पेरिस पहुँचा तो उसने गवपूर्वक यह घोषणा की कि 'प्राग के अन्कारा तक एक शान्ति क्षेत्र का सृजन हो गया है।' फ्रांस नि सन्देह ही इस 'शान्ति क्षेत्र' (peace area) का नेता था। बाथो इतने से ही सन्तुष्ट नहीं था। उसने सोवियत-सघ का भी अपने पक्ष में करने का सफल प्रयास किया और उसकी प्रयास से सोवियत-सघ और फ्रांस दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गये। सोवियत-सघ को राष्ट्रसघ की सदस्यता दिलाने में उसीने जी-जान से काशिश की थी।

फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था से अब केवल इटली ही बाहर रह गया था। नारम्भी-क्रान्ति के फलस्वरूप जर्मनी का खतरा इतना बढ़ गया था कि नयी सुरक्षा-प्रणाली में इटली को सम्मिलित करना आवश्यक हो गया। किन्तु, फ्रैंको-इटालियन मेन-मिलाप का कट्टर विरोधी यूगोस्लाविया था। यूगोस्लाविया डेन्यूत्र क्षेत्र में फ्रांस और इटली का प्रभुता को अपेक्षा जर्मन प्रभुत्व को अच्छा समझता था। यदि जर्मनी आस्ट्रिया को अपने में मिला भी ले, तो यूगोस्लाविया को अधिक भय नहीं था। किन्तु यदि इटली का प्रभाव आस्ट्रिया पर कम जाय तो यह यूगोस्लाविया के हक में अच्छा नहीं था। यह दो बुराइयों में छोटी बुराई को ही पसन्द करता था, अतएव

फ्रांस और इटली की मैत्री उस पसन्द नहीं आई। किन्तु नयी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यूगोस्लाविया का राजी करना अति आवश्यक था। इसी भावना से प्रेरित होकर बाथों ने यूगोस्लाविया के शासक एलेक्जेंडर को फ्रांस आने के लिए निमन्त्रित किया। ९ अक्टूबर को एलेक्जेंडर मार्शेल्स के बन्दरगाह पर उतरा। मि० बाथों उससे मिल और ज्यों ही वे दोनों एक मोटर में रवाना हुए कि एक आतंकवादी क्रोट न उन दोनों की हत्या कर दी।

यूरोप के लोगों में सराजवो हत्याकांड की स्मृति एक बार पुन जाग्रत हो उठी और कुछ निराशावादी इस आतंकपूर्ण कार्य में यूरोपीय शान्ति को खतरे में पड़ा देखने लगे। कुछ लोगों ने जर्मन नास्तियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। उनका कहना था कि बाथों जर्मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा यूरोपीय गुट कायम करने में व्यस्त था और इसलिए नास्तियों ने उनका काम ही तमाम करवा दिया है। जर्मनी के अतिरिक्त मार्शेल्स हत्याकांड ने इटली और हंगरी को भी समेट लिया। सभी जानते थे कि इटली और हंगरी दोनों ही असन्तुष्ट यूगोस्लावों को शरण और सहायता देते थे, ताकि उन लोगों का उपयोग किसी दिन विद्रोह उमाड़ने में किया जा सके। इटली, यूगोस्लाविया और फ्रांस का गुट कायम करने के बाथों के सभी मनसूवे उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो गये। मार्शेल्स-हत्याकांड से जो जोश पैदा हुआ उससे यूगोस्लाविया, हंगरी तथा इटली के बीच गम्भीर तनाव पैदा हो गया। यूगोस्लाविया इस मामले को राष्ट्रपथ में ले गया। फ्रांस ने यूगोस्लाविया को शान्त करने के लिए अनेक प्रयास किये। पर स्वयंके सच बेकार साबित हुए। सौभाग्य से अतरे की गम्भीरता शीघ्र ही अनुभव कर ली गयी। एनथोनी ईडन ने स्थिति को सङ्कटपूर्ण होने से बचा लिया। सम्बन्धित राज्यों के बीच एक गुप्त मीठा कर लिया गया जिसके अनुसार यूगोस्लाविया ने वादा किया कि जोधा में वह इटली का नाम इत्याकाण्ड के मिलसिले में उल्लेख नहीं करेगा और हंगरी कम-से कम इतनी निन्दा स्वीकार कर लेगा, जितनी यूगोस्लाविया के गुस्से को शान्त करने के लिए आवश्यक था। इसी आधार पर राष्ट्र मध्य कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास कर दिया। पर इटली के प्रति यूगोस्लाविया का सन्देह बना ही रहा। इस कारण यूगोस्लाविया और फ्रांस में अनबन बढ़ने लगी। बाथों की मृत्यु के बाद लाबाल फ्रांस का परराष्ट्र मन्त्री बना। यह इटली को दोस्ती का जयदस्त समझा था। जनवरी, १९३५ में लाबाल रोम गया। सुयोसिनी और लाबाल में फ्रांस और इटली से सम्बन्धित सभी विषयों पर बहुत दिनों तक चर्चाएँ होती रहीं और इसके बाद दोनों में अनेक समझौते हुए, जिससे फ्रांस और इटली का सम्बन्ध असे से चला आ रहा था। विराय समाप्त हो गया। इन समझौतों द्वारा जर्मनी, मध्ययूरोप तथा अन्धकार इत्यादि से सम्बन्धित समा समावादा का परस्पर तब कर लिये गये। लाबाल ने सुयोसिनी को यह आश्वासन दिया कि अगर इटली को असीमितता में कोई परिवर्तन

प्राप्त हो तो फ्रांस उनका विरोध नहीं करेगा। डूचे बहुत दिनों से इस तरह का आश्वासन की ताक में था। इसके प्राप्त होते ही वह अपने इथीपियाई अभियान की तयारी करने लगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि १९३५ में इटली द्वारा अबासीनिया पर किया गया। आक्रमण जर्मनी की नात्सी-क्रान्ति का एक परोक्ष परिणाम था।

ब्रिटेन — नात्सी क्रान्ति के प्रति प्रारम्भ में ब्रिटिश प्रतिक्रिया कुछ अस्पष्ट थी। नात्सी-प्रचार और राजनीतिक तरीकों को तथा कथित ब्रिटिश उदारतावादी नापसंद करते थे (यद्यपि, उसी समय भारत और चीन में वे स्वयं नात्सियां न भी अधिक कठोर नीति का अवलम्बन कर रहे थे), किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नात्सी क्रान्ति से वे उतना सशक्त नहीं हुए जितना यूरोप के अन्य राज्य से हुए थे। इसका एक कारण यह था कि ब्रिटेन जर्मनी का पुनरोत्थान चाहता था। दूसरे, ब्रिटेन जर्मनी का विरोध करने के लिए तब तक तैयार नहीं था, जब तक जर्मनी द्वारा उसका नाविक शक्ति को चुनौती न दी जाय। हिटलर ने ब्रिटेन की नाविक शक्ति के साथ प्रतिद्वन्द्वता करने के प्रयत्न की हर पुनरावृत्ति का दृढ़ विरोध किया। ऐसी स्थिति में नात्सी क्रान्ति के बाद ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों में कोई खलबली नहीं मची और ब्रिटेन कुछ दिनों के लिए अपनी पुरानी नीति का ही अनुसरण करता रहा। हिटलर के अभ्युदय का ब्रिटिश-राजनीति पर केवल इतना ही प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन अब शस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाने लगा। यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। हथियारबन्दी की होड़ में इसके कारण काफी गम्भीरता आ गयी और निरस्त्रीकरण की रही-सही उम्मीद भी धूल में मिल गयी।

अतएव हिटलर के सत्तारूढ होने के फलस्वरूप यूरोपीय कूटनीतिक स्थिति में का उथल-पुथल हुए उनको अब सक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पोलैंड और यूगोस्लाविया फ्रांस के खेमे से अलग हो गये। फ्रांस के साथ समझौता कर इटली जर्मन-विरोधी मोर्चे में सम्मिलित हो गया। नावियत-मघ अपनी पुरानी विदेश-नीति को त्यागकर फ्रांस के गुट में आ गया और फ्रांस के नेतृत्व में अन्य बाल्कन देशों का संगठन और मजबूत बन गया। इन सब बातों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जर्मनी में हिटलर का सत्तारूढ होना विश्व-राजनीति का इतिहास में एक वर्तन-बिन्दु है।

जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध (Foreign Policy of Hitler)

जर्मन विदेश-नीति के उद्देश्य—जर्मनी में सर्वसत्तासम्पन्न होने पर हिटलर ने अपनी पुस्तक 'मीन कैम्फ' में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर विदेश नीति का अनुसरण किया। इसका अनुसार हिटलर की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे (१) वर्साय-सन्धि को भंग करना, (२) द्वितीय रोह के अन्तर्गत सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठित करना तथा (३) जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह किसी भी तरीके को अपना सकता था। इस बात को स्पष्ट करते हुए हिटलर ने स्वयं एक बार कहा था "इसकी प्राप्ति के लिए समझौता यदि सम्भव न हो सका तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति की ओर हमारा पहला कदम होगा।" इस प्रकार हिटलर अपने लक्ष्य की पूर्ति दूसरों से बात चोत करके और समझौता करने की जगह स्वयं अपनी ओर से घोंस के बल पर करना अधिक अच्छा समझता था। इस घोंस की नीति में उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त हुई जिस प्रकार आन्तरिक राजनीति में प्राप्त हुई थी।*

हिटलर और वर्साय सन्धि—हिटलर का प्रमुख लक्ष्य वर्साय सन्धि था। सत्तारूढ़ होने के पूर्व वर्साय सन्धि की निन्दा करके उसने लोकप्रियता प्राप्त की थी और जर्मन जनता को वर्साय-सन्धि का अन्त करने का वचन दिया था। सत्ता हाथ में आने पर वह अधिकांश राजनीतिज्ञों की तरह अपने वादों को नहीं भूला, बल्कि दुरत ही उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न भी शुरू कर दिया। हिटलर कोई जल्दीवाजी में नहीं था। वह अपने कार्यक्रम और उसे कार्यान्वित करने के तरीकों के सम्बन्ध में पूरा मजबूत था। अतः वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे कदम उठाने लगा। हिटलर का पहला हमला 'धृतिवर्त वर्साय सन्धि' की प्रथम २६ धाराओं पर हुआ। राष्ट्रसंघ की सदस्यता, हिटलर के अनुसार, जर्मनी के माथे पर एक कलक का ठीका था। अतः इस कलक को मिटाने के लिए वह धीरे धीरे काम करने लगा। उसके सत्तारूढ़ होने के पहले जर्मनी राष्ट्रसंघ के वक्तावधान में निरस्वीकरण सम्मेलन में भाग ले रहा था। हिटलर ने दिसम्बर, १९३३ में जर्मन प्रतिनिधियों को जेनेवा से वापस बुला लिया और उसी समय

* Lapson, *Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries* p 393

राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागने को सूचना भी दे दी। जर्मन वीटरो ने बहुत बड़े हुमत से अपने फ्यूरर के इस निर्णय का स्वागत किया।

इसी बीच सारे प्रदेश का भाग्य निर्णय जनमत द्वारा होना था। वसाय-सन्धि के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि पन्द्रह साल बाद वहाँ इस प्रश्न पर लोकमत लिया जायगा कि वह प्रदेश किमक अन्तर्गत रहे। पन्द्रह वर्षों की अवधि १९३५ में समाप्त हो गयी और अगले जनवरी में वहाँ लोकमत लिया गया। इसमें ९० प्रतिशत मतदाताओं ने जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मत दिया। पहली मार्च तक। यह क्षेत्र जर्मनी को वापस लौटा दिया गया। हिटलर ने कहा कि अब जर्मनी को पश्चिम में ओर अधिक क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं हैं। पर पूर्व में तो अभी डान्जिग, मेमल जैसे प्रदेश थे ही, जहाँ जर्मन लोग निवास करते थे। इन्हें भी जर्मनी के साथ सम्मिलित हो जाना चाहिए। सार की सफलता से प्रोत्साहित होकर हिटलर अन्य राज्यों में बसे हुए जर्मनों में प्रचार करने लगा।

इसके बाद वसाय-सन्धि के अन्य कलकों को भी धाना था। उस सन्धि के द्वारा जर्मनी को प्रथम विश्व-युद्ध के लिए दापो ठहराया गया था और उसी आधार पर जर्मनी पर एक बहुत बड़ी रकम क्षतिपूर्ति के नाम पर लाद दी गयी थी। हिटलर ने क्षतिपूर्ति और युद्ध-अपराध के दोष को मानने से इन्कार कर दिया। मित्रराष्ट्र देखते ही रहे और हिटलर ने आसानी से क्षतिपूर्ति की जटिल समस्या का हल कर दिया। वसाय सन्धि का पश्चिम भाग जर्मनी के लिए एक दूसरा कलक था। इस भाग के द्वारा जर्मनी की सैन्य शक्ति का सीमित कर दिया गया। तृतीय रोह के लिए यह बहुत बड़े अपमान की बात थी। हिटलर ने इसका मानने से इन्कार कर दिया। मार्च, १९३५ में उसने घोषणा की कि निरस्त्रीकरण की दिशा में मित्रराष्ट्रों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए वसाय सन्धि की निरस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराएँ अब जर्मनी के लिए किसी भी दृष्टि से बन्धनकारी नहीं हैं। इस घोषणा के बाद उसने जर्मनी में अनिवाय सैनिक सेवा आरम्भ की और जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषित कर दिया कि वह वसाय सन्धि की किसी भी शक्ति का मानना कि विघ्नकार नहीं है और भविष्य में जर्मनी अपने को इस सन्धि से मुक्त समझगा। हिटलर की विदेश नीति का एक उद्देश्य इस तरह पूरा हो गया।

पोलैंड के साथ सम्मिलिता—हिटलर ने अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए २९ जल्दबाजी नहा की। अपनी पुस्तक में तो उसने जर्मनी को परस्पर ग्रहण करने के बाद उसके भाषण पर मौलिक रूप से प्रतिक्रिया करने के कामना प्रकट करता रहा। उसकी इच्छा थी कि जर्मनी को

से छेड़छाड़ न करें। सुसोलिनो क प्रस्ताव पर उसने १९३३ में इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ पारस्परिक हितों क मामलों में सीधे कूटनातिक परामश करने के लिए एक समझौता (Four Power Peace Pact) किया। उसने अपने सहकारि रूडॉल्फ हस के द्वारा १९३४ में फ्रांस से शान्ति के लिए जमना क साथ सहायग करने का प्रस्ताव किया। जनवरी १९३४ में उसने पोलैंड स दसवर्षीय अनाक्रमण-सन्धि द्वारा दोनों देशों के बीच मनामालिन्य और तनाव कम करके अपनी शान्तिप्रियता का परिचय दिया।

आस्ट्रिया को हड़पने का यत्न—जनवरी, १९३३ में जर्मनी का शासन सूत्र हिटलर क हाथों में आने के बाद आस्ट्रिया की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हाना अवश्यम्भावी हो गया। हिटलर ने सत्ता पर अधिकार जमाते ही आस्ट्रिया का जमनी में सम्मिलित करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। हिटलर क चान्सलर बनने के पून १९३० में ही आस्ट्रिया मे एक नात्सी-पार्टी का संगठन हो चुका था। पर इसका शक्ति कोई बंधन नहीं थी। जमनी में नात्सी शासन स्थापित हो जाने पर आस्ट्रिया क नात्सियों का बहुत बल मिला। जर्मन नात्सी पार्टी ने आस्ट्रियन नात्सी पार्टी की सहायता दिल खालकर करने लगी। थिया हाविच नामक एक नात्सी का हिटलर ने आस्ट्रिया के लिए विशेष निरोधक बहाल किया। जर्मन प्रेस और रेडियो से आस्ट्रिया को नात्सी पार्टी का सहायता मिलने लगी। जर्मन वायुयान आस्ट्रिया की भूमि पर नात्सी पक्षों गिराने लगे। आस्ट्रिया पर अधिक दबाव डालने के लिए हिटलर ने जमनी क नागरिकों पर आस्ट्रिया जाने पर एक तरह से रोक लगा दी। जर्मन यात्रियों से आस्ट्रिया को काफी आर्थिक लाभ होते थे। पर अब उनका आना जाना ही बन्द हो गया। इस तरह का बल पाकर आस्ट्रियन नात्सी-पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। इन लोगों की यही काशिश थी कि अगले चुनाव में नात्सी पार्टी को किसी तरह जिताया जाय, जिससे जर्मन और आस्ट्रिया को मिलाकर एक करने में कोई बाधा नही पड़े। इन सब बातों को देखकर आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री डाल्फस का चिन्तित हाना स्वाभाविक था। नात्सी पार्टी की शक्ति क बढ़ जाने के कारण वह दूरत इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि आस्ट्रिया मे लोकतन्त्रवाद की सफलता नही हो सकती है। उसने सुसोलिनो की तरह आस्ट्रिया में फासिस्ट प्रणाली स्थापित करने का निश्चय किया।

डाल्फस के इस निर्णय के प्रथम शिकार सोशल-डेमोक्रेट हुए। वह ससद् की उपेक्षा करके सम्पूर्ण राज्यशक्ति को अपने हाथ में ले लेना चाहता था। नात्सी पार्टी के विरुद्ध उसने एक दूसरी पार्टी का संगठन किया, जिसको 'राष्ट्रीय पार्टी' (Fatherland Front) कहा जाता था। एक आदेश के द्वारा डाल्फस ने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों को पंग कर दिया। सोशल

डमोकेट लोगों ने इसका घोर विरोध किया। 'हा'मवेहर' के सहयोग से डाल्फस ने इस पार्टी को पूरी तरह कुचल दिया। इसके प्रमुख नेता और कार्यकर्ता या तो मार डाले गये अथवा आस्ट्रिया छोड़कर भाग गये। सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी, जो नात्सियों की प्रगति रोकने में डाल्फस की काफी सहायता कर सकती थी। लेकिन, डाल्फस ने पहले इस दल को ही कुचल दिया। सम्भवतः वह उसकी भयकर भूल थी। इसके बाद आस्ट्रियन नात्सी-पार्टी को भी उसने अन्य कई तरीकों से खत्म कर दिया।

डाल्फस की इन कार्रवाइयों के बावजूद नात्सी पार्टी इतनी आसानी से खत्म होनेवाली नहीं थी। इसको जर्मनी से समर्थन मिलता था। कहा जाता है कि ३०,००० से ५०,००० के लगभग आस्ट्रियन नात्सी डाल्फस के दमन से बचने के लिए जर्मनी भाग गये। इन नात्सियों को संगठित करके हिटलर ने एक 'आस्ट्रियन लिजिन' की स्थापना कर दी जिसका काम आस्ट्रियो जर्मन सीमान्त पर गड़बड़ पैदा करना था। जुलाई, १९३४ में नात्सी लोगों ने डाल्फस का काम तमाम करके आस्ट्रिया में अपनी सरकार कायम करने का पडयन्त्र किया। २२ जुलाई को जर्मनी में रहनेवाले 'आस्ट्रियन लिजिन' के नात्सियों में अभूतपूर्व हलचल दिखाने लगी। सशस्त्र आस्ट्रियनों से भरी हुई तारियाँ प्रत्येक रात सीमान्त की ओर जाती थीं और खाली म्युनिख लौटती थीं। २५ जुलाई को आस्ट्रियन मन्त्रिमण्डल को एक बैठक होने वाली थी, पर साजिश की कुछ खबर मिलने के कारण बैठक स्थगित कर दी गयी। फिर भी चान्सलर डाल्फस अपने एक अन्य सहयोगी के साथ सचिवालय में पहुँच ही गया। दोपहर के समय आस्ट्रियन पुलिस और सेना की पाशाक धारण किये हुए नात्सियों का एक सशस्त्र दल सचिवालय पहुँचा और उसने सरकारी भवन में घुसकर सभी कमचारियों को कैद कर लिया और डाल्फस की हत्या कर दी। उसी समय नात्सियों का एक दूसरा दल वियना के रेडियो स्टेशन में घुस गया और यह एलान कर दिया कि डा० डाल्फस ने त्यागपत्र दे दिया है। इसी तरह का एलान कुछ इसी समय म्युनिख रेडियो से भी हुआ। सम्भवतः यह देश के अन्य भागों में व्यापक उपद्रव के लिए इस्तेमाल था। पर विद्रोहियों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। शाम ८:३०-४:३० वियना में पूर्ण शान्ति कायम हो गयी। सभी नात्सी पडयन्त्रकारी पकड़ लिये गये।

इसमें कोई शक नहीं कि डाल्फस की हत्या की पूरी जिम्मेदारी जर्मन नात्सियों और खासकर उसके फ्यूरर पर थी। उन्होंने स्पष्ट या कि १९१९ गफलत हो जायगा और सीमान्त पर घड़ 'आस्ट्रियन लिजिन' की २२२ आस्ट्रिया पर अधिकार जमा लेंगे। पर सन्धी यह प्र-आसना पूर्ण २१ ३

इटली का कडा रुख इसका एकमात्र कारण था। उस समय डूचे और फ्यूरर एक दूसरे से बहुत दूर थे। इटली शुरू से आस्ट्रो जर्मन ऐक्य का विरोध करता रहा था। वह अनुभव करता था कि आस्ट्रिया और जर्मनी क मिल जाने से शक्ति शाली जर्मन राष्ट्र की सीमा इटली से आ मिलेगी और बात उसके अपने लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अतः जब डालफस की हत्या का समाचार मुसोलिनी को मिला तो उसने अपनी सेना घेनेर के दरें में भेज दी और चेतावनी दी कि यदि हिटलर आस्ट्रिया को हडपने का प्रयत्न करेगा तो इटली से युद्ध छिड़ जायगा। हिटलर डर गया। अधिक दूर तक जाने की साहस उमने नहीं हुआ। यदि मुसालिनी इस अवसर पर डटकर काम नहीं करता तो आस्ट्रिया उसी समय अवश्य ही जर्मनी का शिकार हो गया होता। असफलता देखकर हिटलर ने भी आस्ट्रिया के प्रति अपनी नीति में कुछ दिनों के लिए परिवर्तन कर दिया। उसने घोषणा की कि जुलाई की घटना में उसका बिल्कुल हाथ नहीं था। उसने बनेक बार यह स्वीकार किया कि आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता पर खतरा पैदा करने या उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विचार था।* उसने बियना स्थित जर्मन राजदूत के कार्यों को अस्वीकृत करके उसे वापस बुला लिया और थियोहाविच की भी बरखास्त कर दिया। यह नीति दो वर्षों तक जारी रही। इस प्रकार हिंसा क द्वारा आस्ट्रो-जर्मन-ऐक्य का प्रयास असफल रहा। आस्ट्रिया को हडपने क लिए पहले मुसोलिनी को खुश करना और उसका समर्थन पाना आवश्यक था। अतः हिटलर अब मुसालिनी से मेल-मिलाप करने का यत्न करने लगा।

ब्रिटेन के साथ समझौता—'भीन कैम्प' के लेखक ने लिखा था कि फ्रांस जर्मनी का कट्टर दुश्मन है। अतः जब १६ मार्च, १९३५ को हिटलर ने पुनर्शास्त्रीकरण की अपनी योजना घोषित की, तो फ्रांस में काफी चिन्ता फैल गयी। हिटलर जानता था कि मित्रराष्ट्रों की मददली में जर्मनी के पुनर्शास्त्रीकरण का समाचार सुनकर हो खलबली मच जायगी। वह मित्रराष्ट्रों में फूट डालकर अपना काम निकालना चाहता था। इस समय फ्रांस और सोवियत-राष में एक सन्धि हो चुकी थी। ब्रिटेन को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यूरोप में फ्रांस काफी शक्तिशाली हो रहा था। हिटलर ब्रिटेन को इस मानसिक दशा का अच्छी तरह जानता था। वह यह भी जानता था कि ब्रिटेन जर्मनी के स्थल और वायु सेना को अपने हितों के लिए घासक नहीं मानता। हिटलर ब्रिटेन से इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार था कि जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति नहीं बढ़े। जून १९३५ में दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने फ्रांस से छिगाकर यह स्वीकार

कर लिया कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति (स्थल और वायु) में वृद्धि कर सकता है, वरन् वह अपनी नौ सेना को ब्रिटेन को नौ सेना से ३५ प्रतिशत से अधिक न बढ़ावे। यह हिटलर की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। इस सन्धि के बाद मित्रराष्ट्रों का जर्मन से वसाय को सन्धि को भाग करने की शिकायत करने का कोई नैतिक आधार नहीं रहा।*

स्ट्रेसो-सम्मेलन—ब्रिटेन के साथ जर्मनी का समझौता हो जाने से यूरोपीय सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो रही थी। जर्मनी के पुनर्शांतिकरण से अन्य देशों में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। फ्रांस तो भयभीत था ही। अतः जर्मनी का कारवाह पर विचार करने लिए फ्रांस ने अप्रैल में राष्ट्रसंघ कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाने की माँग की। इसके पूर्व सुसोलिनी के प्रयास में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजनीतिज्ञ स्ट्रेसो नामक स्थान पर जर्मनी के खतरों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। स्ट्रेसो में तीनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वसाय-व्यवस्था की रक्षा करने में परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित घोषणा की गयी, साथ ही साथ वसाय सन्धि के अन्तर्गत अपने वर्तमानों को अस्वीकार करने के कारण जर्मनी की निन्दा भी की गयी। किन्तु स्ट्रेसो घोषणा केवल धमकीमात्र ही थी। इसको लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उल्टे, इससे जर्मनी में बहुत रोष फैला। हिटलर खासकर ब्रिटेन से बहुत अधिक रुष्ट हुआ, क्योंकि एक तरफ तो वह जर्मनी से समझौता कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी भत्सना। जर्मन पुनर्शांतिकरण अब एक निष्पादित तथ्य था। इसको कोई रोक नहीं सकता था। फ्रांस जानता था कि स्ट्रेसो-घोषणा से उसका काम नहीं चलेगा। अतः मई, १९३५ में उसने रूस के साथ एक पारस्परिक सुरक्षा सन्धि कर ली। इसी तरह की एक दूसरी सन्धि चेकोस्लोवाकिया के साथ भी हुई।†

राइनलैंड का पुनर्सेनाीकरण—१९३६ के प्रारम्भ में यूरोप में यह अन्वेषण बड़े जोरों से फैली कि जर्मनी राइनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वसाय-सन्धि के अनुसार जर्मनी राइनभूमि में न तो सशस्त्र सैन्य भेज सकता है और न विलावन्दो ही कर सकता था। लोकानों सन्धि के द्वारा भी इस पर गारन्टी दी गयी थी, पर हिटलर लोकानों सन्धि का उल्लंघन करने का तैयार था। १९३५ में इटली ने अवीसीनिया पर हमला कर दिया। इसका विरोध किया और विवश होकर फ्रांस का भी ब्रिटेन के साथ राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध आधिकारिक विलावन्दो का आदेश दिया।

* Jackson, *The Between War World*, p 142.

† G Hardy, *A Short History of Internat*

स्थिति से लाभ उठाया। उसने इटली के साथ सहानुभूति प्रकट की और उसे युद्ध सामग्री भी दी। हिटलर इथियोपिया-काण्ड को अच्छी तरह देखता रहा। ब्रिटेन और फ्रांस बुरी तरह इस काण्ड में फँस गये थे। ७ मार्च, १९३६ को जर्मन रीहस्टाग में भाषण देते हुए प्यूरर ने यह घोषणा की कि जर्मनी राइनलैंड को तृतीय रीह में सम्मिलित करने की कार्रवाई करने को तैयार है। इसी समय जर्मन विदेश मन्त्री ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और बेल्जियम के राजदूतों को बुलाकर यह सूचित किया कि चूँकि फ्रांस ने सोवियत संघ से समझौता करके ऐसे कतव्यों को स्वीकार कर लिया है, जो लोकान्त-सन्धि की शर्तों के विरुद्ध है, इसलिए जर्मनी राइनभूमि पर पुनः कब्जा कर लेना चाहता है। इस घोषणा के थोड़ी ही देर बाद लगभग पैंतीस हजार जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड में प्रवेश कर उसपर अपना अधिकार जमा लिया।

जर्मनी द्वारा राइनलैंड पर अधिकार करने के फलस्वरूप फ्रांस में तहलका मच गया। लेकिन फ्रांस अकेले कोई कदम उठाने से डरता था। फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री ने ब्रिटेन से जर्मनी के विरुद्ध समुक्त सैनिक कार्रवाई करने की अपील की। परन्तु, ब्रिटेन ने फ्रांस का साथ देने से इन्कार कर दिया। उसको राइनलैंड से अधिक चिंता इथियोपिया की थी। अतः उसने फ्रांस को राष्ट्रसंघ में अपील करने की सलाह दी। लन्दन में राष्ट्रसंघ काँग्रेस का अधिवेशन विशेष रूप से बुलाया गया और वहाँ यह निर्णय हुआ कि जर्मनी ने अस्वीकृत क्षेत्र में सेना भेजकर तथा वहाँ उन्हें स्थायी रूप से रखकर वर्साय-सन्धि का उल्लंघन किया है। पर केवल प्रस्ताव मात्र से राइनलैंड का संकट सुलझनेवाला नहीं था। हिटलर उस भूमि पर जम चुका था। फ्रांस इसको रोक नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ उन दिनों शक्तिवादियों का जोर था और अन्य देश इस मामले में उदासीन थे। इथियोपिया काण्ड में इटली का विरोध करके वह सुसोलिनी को नाखुश कर चुका था और सोवियत संघ अमी सैनिक कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं था।*

आज राइनलैंड-काण्ड पर पुनर्विचार करने पर भारा काण्ड हिटलर का जवरदस्त कूटनीतिक धौंस के समान प्रतीत होता है। अगर फ्रांस चाहता तो अपनी मजबूत सैनिक तैयारी की यदीलत राइनलैंड में अपनी सेना भेजकर हिटलर को बापस लौटने पर बाध्य कर सकता था। आगे चलकर आस्ट्रिया के चान्सलर शुशनिंग से भेंट करते हुए हिटलर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था। वास्तव में जर्मन सेनापतियों को यह लिखित आदेश था कि अगर फ्रांस बलपूर्वक राइनलैंड के अधिकार का विरोध करे तो जर्मन सेना को बापस लौट आना चाहिए। पर फ्रांस

का दुर्भाग्य यह था कि उसको आत्मबल पर विश्वास ही नहीं था। इस समय यदि पोअन्कारे फ्रांस का भाग्य-विधाता रहता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आता।

बेल्जियम की तटस्थता—राइनलैंड पर जर्मनी का अधिकार, सामूहिक सुरक्षा की असफलता और जर्मनी की शक्ति में वृद्धि का प्रभाव बेल्जियम पर बहुत गहरा पड़ा। इन घटनाओं से बेल्जियम बहुत डर गया। उसने अनुमान किया कि यूरोपीय सुरक्षा-पद्धतियों से बचाव क बजाय खतरा ही पैदा हो सकता है। ९ अक्टूबर १९३६, को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने अपने एक भाषण में कहा कि “हमें ऐसी नीति पर चलना चाहिए जो अन्तत और पूर्णत बेल्जियम के हित में हो।” इसका अर्थ यह था कि बेल्जियम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता कि नीति अपनाये और अपने पड़ोसियों के वाद-विवाद में नहीं पड़े। फ्रांस के साथ उसकी जो सैन्य संधियाँ हुई थीं, वे रद्द कर दी गयीं। २४ अप्रिल, १९३७ को फ्रांस और ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता को मान लिया।

रोम-बर्लिन घुरी और कामिनटर्न विरोधी समझौता

हिटलर की कार्यवाहियों ने यूरोप के अनेक देशों को जर्मनी का दुश्मन बना दिया। यूरोप के राज्य उसकी उद्य नीति से इतना डर गये कि वे परस्पर मिलकर जर्मनी के विरुद्ध गुटबन्दी करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी अकेला पड़ा हुआ था। इस स्थिति का अन्त कर जर्मनी के लिए मित्र प्राप्त करना हिटलर की विदेश नीति में दूसरा कदम था। हिटलर अब पश्चिमी यूरोप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं चाहता था। उसने वर्साय सन्धि की घड़जी घड़जी छोड़ा दी थी। अब उसको अपनी विशेष नीति के दूसरे ध्येय को जिसका अर्थ पूब की आर घफ़ा दो, पूरा करना था। दूसरे शब्दों में हिटलर की आँखें सोवियत-संघ पर गड़ी हुई थीं। मोन कैम्ब्र में समने लिखा था “यदि अपार सम्पत्ति से युक्त यूराल पर्वत विस्तृत और मूल्यवान साइबेरिया के वन और अन्न का मण्डार यूकेन जर्मनी को मिल जाय तो नात्सी नेतृत्व में जर्मनी समृद्ध हो जायगा।” इसके अतिरिक्त साम्यवादी रूस को चफ़ा देने से एक और लाभ था। ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के इस पवित्र धार्मिक काय पर अत्यधिक खुश होंगे और उसकी सभी गल्तियों को क्षमा कर देंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिटलर मित्रों की तलाश करने लगा।

इटली और जर्मनी आसानी से एक दूसरे के मित्र हो सकते थे। साम्यवाद हूचे और स्प्युरर दोनों का सामान्य शत्रु था। दोनों एक ही सिद्धान्त में विश्वास करते थे और राज्य व्यवस्था की दृष्टि से ये दोनों राज्य एक उद्देश्य थे। मुसोलिनी ने शुरू में हिटलर का विरोध किया था, पर यह उसकी गलती थी।

इटली पहले बर्साय व्यवस्था का समर्थक था और इसको बनाये रखने में वह फ्रांस का सहयोगी राज्य था। जर्मनी में हिटलर के उत्थप का स्वागत सुसालिना ने कभी नहीं किया था। हिटलर शुरू से ही आस्ट्रिया पर आधिपत्य करना चाहता था। लेकिन इटली के विरोध के कारण १९३४ में वह ऐसा नहीं कर सका। इटली आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता का बहुत बड़ा समर्थक था, क्योंकि उसे यह मह्य नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा ब्रेनर दर्रे पर आस्ट्रिया जर्मनी के साथ मिलकर उसके लिए नया सबूट उत्पन्न करे। लेकिन इटली अधिक दिनों तक फ्रांस के पक्ष में नहीं रह सकता था। कुछ मौलिक बातों पर फ्रांस के साथ भी उसका मतभेद था। वह भूमध्यसागर को "इटली की विनोद स्थली" और रोमन क्लो बना लेना चाहता था। इस कारण फ्रांस और इंग्लैंड दोनों से उसका विरोध था। उत्तरी अफ्रिका के फ्रांसो साम्राज्य के बन्दरगाहों जिजटी, आल्जियर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए और यहाँ से सेनाएँ प्राप्त करने के लिए फ्रांस पश्चिमी भूमध्य सागर पर अपना पूरा प्रभुत्व चाहता था। किन्तु सुसालिना इसे "रोमन क्लो" बनाना चाहता था। वह ट्यूनिस् आदि उपनिवेशों को हस्तगत करना भी चाहता था। स्पेन में फ्रैंको की सफलता के बाद उसे स्पेन से बेलियारिक टापू प्राप्त हो सकते थे। इनमें अरना समुद्री अड्डा बनाकर वह अफ्रिका के साथ फ्रांस के जल मार्ग का बन्द कर सकता था। अतएव फ्रांस और इटली के बीच शत्रुता का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक प्रतीत हो रही थी।

इसी प्रकार ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भूमध्य सागर पर इटली का एवाधिकार हो जाय क्योंकि उसके पूर्वी विशाल साम्राज्य के साथ सम्बन्ध जाड़ने वाला मार्ग भूमध्य सागर से होकर ही गुजरता था। इस मार्ग की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने कई नौमैनिक अड्डे बनाये थे और उनकी रक्षा परम आवश्यक था। उधर सुसालिनी इस महत्त्वपूर्ण मार्ग को किसी तरह तोड़ देना चाहता था। १९३६ में स्पेन के यह युद्ध में उसने फ्रैंको का साथ दिया ताकि उसकी सहायता से वह जिब्राल्टर के जल डमरूमध्य को नियन्त्रित कर सके। माल्टा के ब्रिटिश अड्डे का व्यथ बनाने के लिए उसने सिसली में तथा ट्यूनिस् के निकट पान्टेनेरिया टापू में किलेबन्दी शुरू कर दी। मध्यपूर्व में ब्रिटेन के प्रभुत्व के लिए यह उड़ा ही खतरनाक बात थी। सुसालिनी ने अरबों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी उठाना शुरू किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ इटली का सम्बन्ध बहुत दिनों तक अच्छा नहीं रह सकता था। कभी कभी जर्मनी की ओर झुकना ही था।

अबीसीनिया के युद्ध के कारण जर्मनी और इटली का सम्बन्ध सुधरने लगा और वे एक दूसरे के निकट पहुँचने लगे। इसके कारण जर्मनी और इटली के सम्बन्धों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अर्थात् इटालियन गठबन्धन के लिए अबीसीनिया का युद्ध

एक वरदान सिद्ध हुआ। इस युद्ध के समय अबीसीनिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया था और इनमें ब्रिटेन तथा फ्रांस का मुख्य भाग था। यद्यपि भीतर ही-भीतर फ्रांस और इंग्लैंड इस प्रतिबन्ध को प्रभावशाली न होने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन मुषालिनो उनके कार्यों से बतई सन्तुष्ट नहीं था। इटली के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे उसका सफल प्रतिरोध करने के लिए इटली को जर्मन महायत्ना की आवश्यकता थी और इटली का यह सहायता भी मिली थी। जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, अतएव वह आर्थिक प्रतिबन्ध में राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। अबीसीनिया युद्ध के समय इटली को जर्मनी से कई प्रकार की सहायताएँ मिली। इस बदली हुई परिस्थिति में इटली ने भी जर्मनी को आस्ट्रिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। मुषालिनो अन्तर्हिटलर को अपना घनिष्ठ मित्र बना लेना चाहता था। उसका यह कहना था कि वह जर्मनी के साथ मिलकर साम्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना चाहता था।

४ जुलाई, १९३६ को इटली पर से आर्थिक प्रतिबन्ध उठा लिया गया। अन्तर्हिटलर को यह चिन्ता थी कि इटली के सम्बन्ध फ्रांस और ब्रिटेन के साथ पुनः मैत्रीपूर्ण न हो जाय। लेकिन भाग्य ने पुनः उसका साथ दिया। १७ जुलाई, १९३६ को स्पेन में यह युद्ध छिड़ गया। इसमें मुषालिनो ने जनरल फ्रैंको का साथ दिया और शुरू से ही फ्रांस तथा ब्रिटेन की नीति का विरोध किया। हिटलर ने इस अवसर पर मुषालिनो का पूरा पूरा साथ दिया और हथियारों से विद्रोहियों की बड़ी सहायता की। इन यह युद्ध ने जर्मनी और इटली का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ बना दिया। सहयोग के इस वातावरण में एक देश के राजनेता दूसरे देश में भ्रमण करना लगे और २५ अक्टूबर, १९३६ को इटली के विदेश मंत्री चिआनो तथा जर्मन विदेश मंत्री र्यूथ ने एक गुप्त समझौता किया। इसके द्वारा जर्मनी ने अबीसीनिया पर इटली के अधिकार की मान्यता दी। यह भी निश्चय हुआ कि डैन्ज्यूब घाटी में यथास्थिति कायम रखने, स्पेन में जनरल फ्रैंको के आन्दोलन का समर्थन करने तथा साम्यवादों रूस का विरोध करने में वे परस्पर सहयोग करते रहेंगे। इटली ने यह स्वीकार किया कि लाकानों के टग का कोई समझौता ही उसे पश्चिमी यूरोप तक सीमित रखा जाय, राष्ट्रसंघ के विधान से सालहवार घारा निकाल दी जाय। इटली ने आस्ट्रिया पर जर्मनी के आधिपत्य को भी स्वीकार कर लिया।

यह समझौता यूरोप की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी को एक विश्वासपात्र मित्र मिल गया और इस प्रकार उसमें एक नई जीवन का सन्त हो गया।* इस समझौते के बाद १ नवम्बर का मुषालिनो ने

* Jackson *The Between War World* p 142

वर्लिन रोम धुरी (Berlin-Rome Axis) के निर्माण की चर्चा की। जर्मनी और इटली को अब धुरी शक्तियाँ (Axis Powers) कहा जाने लगा जिनका मुख्य उद्देश्य वंशव्यवस्था का सम्मूलन था।

कामिन्टन विरोधी समझौता — मसार में जर्मनी का एक और मित्र हा सकता था और वह था जापान। दोनों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति एक सदृश थी। रूसी साम्यवाद से दोनों डरते थे। दोनों के साम्राज्यवादी आकांक्षाओं पर सोवियत संघ एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इस रुकावट का सुकाबला करने के लिए नवम्बर १९३६ में साम्यवाद के विरुद्ध दोनों देशों (जर्मनी और जापान) ने एक समझौता (Anti-Comintern Pact) कर लिया। इसमें यह कहा गया था कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश थर्ड इन्टरनेशनल के कार्यों को एक दूसरे से परिचित कराते रहेंगे, इससे रक्षा के उपायों पर परस्पर परामर्श करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करेंगे। १९३७ में इटली भी इस सन्धि में शामिल हो गया। रोम बर्लिन-धुरी अब रोम बर्लिन ट्रांकियो धुरी में परिणत हो गयी थी। तीन फासिस्ट तानाशाहों का मिलना युद्धोत्तर काल के कूटनीतिक इतिहास का एक तकसगत परिणाम था। २४ फरवरी, १९३९ को हंगरी तथा मंचुआ था। २६ मार्च, १९३९ को स्पेन भी इस समझौता में शामिल हो गये।

हिटलर के उद्यान और उसकी विदेश-नीति के परिणामस्वरूप ससार एक बार फिर उस कुचक्र में आ गिरा, जिसमें वह प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व गिरा था। ससार के विभिन्न राज्य एक बार फिर दो शक्तिशाली एवं परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो चुके थे। एक गुट में फ्रांस, लघुमैत्री संघ के देश, बाल्कन के राज्य, सोवियत संघ और कुछ अशों में ब्रिटेन और दूसरे गुट में जर्मनी, जापान और इटली थे। निरन्धकीकरण का प्रयाम असफल हो चुका था और ससार के राज्य दूसरे महा भारत की तैयारी करने में जुट गये थे। बारूद सृष्ट रही थी, उसे केवल एक चिनगारी की आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय सक्तों ने चिनगारी का काम किया और सारे ससार में महायुद्ध की आग भडक उठी।

आस्ट्रिया का जमनी से विलयन—अवीसीनिय, पर इटली के सकल आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। 'मामूहिक सुरक्षा' के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया था, वह उसके निर्माताओं की धूल के कारण ही नष्ट हो गयी। वे धूल गये कि 'शान्ति अविभाज्य होती है।' एक जगह आक्रमण की चेष्टा करने से अन्यत्र भी आक्रमण की सम्भावना रहती है और शान्ति कायम नहीं रह सकती। राष्ट्रसंघ को हिटलर पहले से ही कुछ समझता था, परन्तु अवीसीनिया के दुर्भाग्य ने उसके सामने राष्ट्रसंघ की दुबलता प्रकट कर दी और उसके सामने यह

स्पष्ट हो गया कि यूरोप के राज्य उसके विरुद्ध एक नहीं हो सकते। अब निर्भीक होकर हिटलर ने मध्य तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप पर प्राधान्य जमाने और इसी प्रकार जर्मनी को पूर्व की ओर आगे बढ़ने (*Drange Nach Osten*) की परम्परागत आकांक्षा की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाया।

आस्ट्रिया को हड़पने की तयारी—हिटलर का अगला कदम आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाना था। यह नात्सियों का प्रमुख कार्य-क्रम था। हिटलर वर्साय-सन्धि की घञ्जी उड़ाकर सम्पूर्ण जर्मन जाति को एक सूत्र में बाँधना चाहता था। अतएव आस्ट्रिया का हड़पना हिटलर के लिए अति आवश्यक था। डा० डाल्फस की हत्या के समय ही यह कार्यक्रम पूरा होनेवाला था। पर सुसोलिनो के विरोध के कारण वह सफल नहीं हो सका। जसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हिटलर ने कुछ दिनों के लिए आस्ट्रिया के प्रति अपने रवैये का बदल दिया और उपयुक्त अवसर की तलाश में लगा रहा। सबसे पहले उसने सुसोलिनो को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। अबीसीनिया युद्ध के समय केवल जर्मनी ने ही इटली के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की थी। सुसोलिनो इस बात को भूल नहीं सकता था। अक्टूबर, १९३६ में दोनों देशों के बीच एक सन्धि हो गयी जिसके परिणाम-स्वरूप 'रोम-बर्लिन-मुरी' की नींव पड़ी। १९३७ में वह 'कामिन्टन विरोधी पक्ट' में भी शामिल हो गया। इन समझौतों के कारण फ्यूरर को अब डूचे की तरफ से कोई भय नहीं रह गया। वह आस्ट्रिया में सुसोलिनो का आशीर्वाद पाकर अब कुछ भी कर सकता था। आस्ट्रिया को अब इटली को संरक्षता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इटली जर्मनी का मित्र हो चुका था।

सुसोलिनो को अपने पक्ष में कर लेने के बाद हिटलर आस्ट्रिया को हड़पने की तैयारी करने लगा। डा० डाल्फस के मरने के बाद आस्ट्रिया का चान्सेलर शुशानिग हुआ था। डाल्फस की तरह वह भी नात्सी विरोधी था और अपने देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखना चाहता था। पर आस्ट्रिया की नात्सी पार्टी को गतिविधि सभ्य होती चली जा रही थी। जर्मनी और आस्ट्रिया की सीमा इन नात्सियों का प्रधान मन्द्र था, जहाँ से निकलकर वे आस्ट्रिया के सरकारी व्यक्तियों और पुलिस पर आक्रमण करते थे। स्थिति शुशानिग के काबू के बाहर होती जा रही थी। १९३८ के प्रारम्भ से यह स्थिति और भी अधिक बिगड़ने लगी। नात्सी लोग बराबर प्रदर्शन करते थे। अन्त में विवश होकर आस्ट्रियन सरकार को नात्सी-पार्टी पर एक बार फिर से प्रतिबन्ध लगाना पड़ा, पर यह प्रतिबन्ध कमी सच्चे अर्थ में लागू नहीं हुआ।

इस समय हिटलर अपनी सरकार और सैनिक विभाग के पुनसंगठन में व्यस्त था। ४ फरवरी, १९३८ को उसने प्रधान सेनपति फ्रिच को पद त्यागने के लिए

बाध्य क्रिया और जर्मन सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं बन गया। यूरोप के स्थान पर रिवनट्रोप विदेश मन्त्री बना दिया गया। इसके बाद आस्ट्रिया पर आक्रमण की तैयारी होने लगी। वियना स्थित जर्मन राजदूत पापेन ६ फरवरी को बर्लिन बुलाया गया और फूरर ने घंटों तक उससे आस्ट्रिया के विषय में विचार-विमर्श किये। ८ फरवरी को वह वियना लौटा। वह अपने साथ हिटलर का एक पत्र भी लेता आया था। इस पत्र द्वारा हिटलर ने शुशनिग को मुलाकात करने के लिए वेशटेसगाडैन में बुलाया था। १२ फरवरी को वह वेशटेसगाडैन के लिए चल पड़ा और वहाँ हिटलर से उसकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातों हुईं और हिटलर ने किस प्रकार शुशनिग को डराया धमकाया, यह आज सर्वविदित है। बगल के एक दूसरे कमरे में जर्मन सैनिक अफसर आस्ट्रिया पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। हिटलर ने शुशनिग के सामने निम्नलिखित मांगें रखी—(१) आस्ट्रियन नात्सी-पार्टी को वैध घोषित कर दिया जाय। (२) डाल्फस हत्याकाण्ड में जो नात्सी पकड़े गये हैं उन्हें मुक्त किया जाय। (३) नात्सी नेता सेइस इन्कावट को आस्ट्रिया का सुरक्षा-मन्त्री नियुक्त किया जाय। हिटलर ने शुशनिग को यह चतावनी भी दे दी कि यदि तीन दिनों के अन्दर ये सभी बातें नहीं मान ली जाती हैं तो जर्मन सेना आस्ट्रिया में प्रवेश कर जायगी। शुशनिग के सामने कोई चारा नहीं रहा। कांपते हुए हाथ से उसने इन शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये।

वियना लौटने पर तीन दिनों तक शुशनिग को नींद नहीं आयी। वह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करता रहा और अन्त में उसने हिटलर की सभी शर्तों मान लीं। पर हिटलर की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। वह तो इस अनुमान में था कि शुशनिग उसका अन्तिमोत्थम् अस्वीकार कर देगा और तब इस बहाने वह आस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। अब हिटलर किसी तरह आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का बहाना ढूँढने लगा। आस्ट्रिया की सीमा पर जर्मन सेना एकत्र की जाने लगी। शुशनिग भावी खतरे को ताड़ गया। ९ फरवरी, १९३८ को उसने घोषणा की कि हम प्रश्न पर कि आस्ट्रिया जर्मनी के साथ शामिल हो या नहीं लोकमत लिया जायगा। यदि लोकमत द्वारा यह तय हुआ कि आस्ट्रिया का जर्मनी के साथ मिला जाना चाहिए तो वह इसे मर्याद स्वीकार कर लेगा। आस्ट्रिया में अधिकतर लोग ऐसे थे जो अपने देश का अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे। शुशनिग का सम्मोद था जो लोकमत में ६० से ८० प्रतिशत का बहुमत आस्ट्रिया-जर्मनी एक्य के विरुद्ध होगा। पर हिटलर इसके लिए तैयार नहीं था। वह अपनी योजना को एक अनिश्चित कसौटी पर लाने के लिए कभी भी

राजी नहा हो सकता था। अक्टूबर ११ माँचे को हिटलर ने शुशनिग के पास एक दूसरा अन्तिममेत्यम भेजा जिसमें जनमत संग्रह स्थगित करने की माँग की गयी थी। छः बजे शाम का एक लान के द्वारा जनमत संग्रह स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जर्मनी का दूसरी माँग आयी कि प्रधानमन्त्री शुशनिग त्यागपत्र दे अन्यथा जर्मनी आस्ट्रिया पर हमला कर देगा। लगभग उसी समय यह भी पता चल गया कि जर्मनी सैनिक मोमा पर इकट्ठा हो रहे हैं। शुशनिग ने विवश होकर अपना त्यागपत्र दे दिया। साढ़े सात बजे सन्ध्या रोडया पर उसने अपना अन्तिम भाषण दिया। उसने कहा “मुझे यह बमकी दी गयी है कि यदि मैं और मेरी सरकार दोनों त्यागपत्र नहीं देते तो साढ़े सात बजे जर्मन सेना आस्ट्रिया में प्रवेश कर जायगी। इस भयकर स्थिति में राष्ट्रपति रक्त बहाने को तैयार न थे, इसलिए उन्हें बलक सामने झुकना पडा। मैं होने आस्ट्रियन सेना को बिना प्रतिरोध पीछे हट जाने का आदेश दे दिया है। मैं आस्ट्रियन जनता से विदा ले रहा हूँ। ईश्वर आस्ट्रिया की रक्षा करे।”

आस्ट्रिया पर आधिपत्य —शुशनिग के बाद नात्सी नेता डा० सेइस इन्कावर्ट ने प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण किया और हिटलर के पास एक तार भेजा, जिसमें कहा गया था कि आस्ट्रिया में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जर्मन सेनाओं की सहायता की तुरत आवश्यकता है। यह बिल्कुल गलत बात थी। उस समय वियना में वहाँ भी शान्ति व्यवस्था को खतरा नहीं था। यह तो जर्मन नेता के प्रवेश को एक वैधानिक रंग देने का बहाना मात्र था। वास्तव में जर्मन सेना पहले से ही प्रवेश करना शुरू कर चुकी थी। अगले दिन लगभग एक हजार जर्मन सैनिकों ने राजधानी पर आधिपत्य कर लिया। १३ मार्च को सन्ध्या समय स्वयं हिटलर लिज पहुँचा और वहाँ से इसइन्कावर्ट ने उसका अप्य स्वागत किया। स्वागत को स्वीकार करते हुए उसने कहा “जब मैं इस नगर में पहली बार चला था तब मैं यह अनुभव किया था कि नियति ने मुझे यह काम सौंपा है कि मैं अपनी जन्मभूमि को महान् जर्मन रोह में वापस लाऊँ। मैंने इसको अपना कर्त्तव्य माना है और इसे पूरा किया है।” दूसरे दिन सुबह भद्रांजलि अर्पित करने के लिए हिटलर अपने माता पिता की बन्न पर गया। सारे वियना में नात्सियों का स्वस्तिका कडा फहरा रहा था।

जिस समय हिटलर आस्ट्रिया की हत्या कर रहा था उस समय यूरोप के महान् राष्ट्र क्या कर रहे थे? डालफस हत्याकाण्ड के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली संयुक्त रूप से विश्व को यह आश्वासन दे चुके थे कि आस्ट्रिया पर पहुँचने की स्थिति में वे मिल जुलकर उसका विरोध करेंगे। पर जब अवसर

तो वे चुपचाप बैठे रहे। ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों में इसका कोई विरोध नहीं हुआ और फ्रांस में उस समय एक मन्त्रिमण्डलीय संकट खड़ा हुआ था। इटली, जो आस्ट्रियन स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा समर्थक था, इस समय तक जर्मनी का मित्र बन चुका था। डालफस-हत्याकाण्ड के समय जिस मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की रक्षा के लिए ब्रेनर दर्रे में इटली की सेना भेजी थी वही मुसोलिनी इस बार चुपचाप बैठा रह गया। यहाँ तक कि इस दर्रे में जर्मन और इटालियन सेनाओं ने विजय को खुशी में एक दूसरे का अभिवादन किया। 'मैं तुम्हारी इस सहायता के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूँगा'—फ्यूरर ने डूचे को इस आशय का एक तार भी भेज दिया।

आस्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद जर्मन अधिकारियों ने वहाँ की राष्ट्रीय भावनाओं को मन्त्रुष्ट करने का कोई यत्न नहीं किया। इसके विपरीत आस्ट्रिया के साथ एक विजित देश-सा व्यवहार किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया गया और उनके सब प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सैकड़ों लोग या तो मार डाले गये या नजरबन्दी-शिविरों में भेज दिये गये। यहूदियों पर घोर अत्याचार किया गया। कुछ दिनों तक सारे वियना में हाहाकार मचा रहा। हजारों लोगों ने आत्महत्या करके घोर अपमान से अपनी रक्षा की। विरोधियों को कुचलने के साथ-साथ आस्ट्रो-जर्मन एकता को विधिवत पूण करने की तैयारी होने लगी। हिटलर का कहना था कि ऐक्य क प्रश्न पर लोकमत लेने का उपयुक्त समय अब है। १० अप्रिल, १९३८ को लोकमत लिया गया और ९९ प्रतिशत बहुमत से जनता ने ऐक्य का समर्थन किया। यह लोकमत केवल आस्ट्रिया में ही नहीं हुआ, अपितु सम्पूर्ण रोह में हुआ। इसलिए आस्ट्रियन लोकमत हर तरह से दब गया था। फिर भी १८० वोट ऐक्य के विरुद्ध आये। जैसी स्थिति थी उसमें एक वोट भी नास्तियों के विरुद्ध आना एक आश्चर्य की बात थी। एक सरकारी घोषणा द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन रीह में सम्मिलित कर लिया गया। बीस वर्ष के जीवन के बाद आस्ट्रिया गणतन्त्र समार के नक्शे से छुट हो गया और मीन कैम्फ का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूण हो गया।

आस्ट्रिया-काण्ड का महत्त्व—अनेक दृष्टियों से आस्ट्रिया की हत्या एक अमूर्त पूर्व और महत्त्वपूर्ण घटना थी। युद्ध के बाद यह पहला माका था जब एक शक्तिशाली देश ने एक छोटे कमजोर देश को डरा-धमका कर और धीम-देवर उसपर अपना अधिकार कायम कर लिया हो। वास्तव में आस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिलाने के लिए कोई लडाई नहीं हुई। केवल अन्तिमोत्थम-देकर ही हिटलर ने अपना काम निकाल लिया। छोटे छोटे राज्यों पर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पडा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का युग पहले प्रारम्भ हो चुका था।

आस्ट्रिया इस युग का एक दूसरा 'शिकार' हुआ जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के अन्य राज्यों में बेचैनी फैल गयी। भावी भयंकर युद्ध के चिह्न सबको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे। सबसे अधिक खतरा चेकोस्लोवाकिया के सामने उपस्थित हो गया। उसकी सीमा बहुत विस्तृत थी और जर्मनी की सीमा उसकी सीमा से बिल्कुल छूती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया कि अब जर्मनी का दूसरा शिकार वही होगा।



जर्मनी में आस्ट्रिया के मिल जाने से वह बहुत शक्तिशाली देश हो गया। उसकी जन-शक्ति साठ लाख के लगभग तो बढ़ ही गयी, पर इसके साथ-साथ दक्षिण-पूर्व यूरोप में सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी घाक जम गयी। इटली के साथ उसका सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसके अतिरिक्त वह हंगरी और यूगोस्लाविया के निकट आ गया। जर्मनी को आस्ट्रिया से भारी मात्रा में मग्नेसाइट भी हाथ लगा जिसका प्रयोग विमान बनाने में हो सकता था। इसके अतिरिक्त लोहे लकड़ी इत्यादि भी जर्मनी को काफी मात्रा में मिल गये। आस्ट्रिया के बैंक से उसे दस करोड़ नरुद प्राप्त हुआ जिससे जर्मनी के विदेशी विनिमय की समस्या भी बहुत हद तक हल हो गयी। आस्ट्रिया-काण्ड पर ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए चर्चिन ने ठीक ही कहा था कि 'विषना पर आधिपत्य से नारंगी जर्मनी का दक्षिण-पूर्व यूरोप के पाताघात पर कब्जा हो गया।' आस्ट्रिया काण्ड का यह सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू था।

चेकोस्लोवाकिया का विनाश और म्यूनिख का समझौता

चेकोस्लोवाकिया का सामरिक महत्त्व — आस्ट्रो जर्मन ऐक्य (आनश्लुष) के बाद सब लोग समझने लगे कि नात्सीवाद का दूसरा शिकार चेकोस्लोवाकिया होगा । १९३८ क प्रारम्भिक दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति क कुशल प्रेक्षक कहा करते थे कि 'अगला नवम्बर चेकोस्लोवाकिया का है ।' आस्ट्रो-जर्मन ऐक्य के बाद सबसे विचित्र स्थिति डेन्यूय क्षेत्र में स्थित इसी छोटे राज्य की थी । उसका सारा सीमान्त जर्मनी की तरफ से गुल गया था और उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी ही गयी थी मानो "एक अनन्त दृष्टान्तिक महासागर में एक छोटा सा चेक द्वीप" स्थित हो । खासकर चेकोस्लोवाकिया के बोहेमिया और मोरेविया के जिले जर्मनी द्वारा बिल्कुल घिर गये थे और उनकी रक्षा करना असम्भव सा प्रतीत होने लगा था । वास्तव में चेकोस्लोवाकिया यूरोप का सबसे गम्भीर खतरे का स्थान ही गया था ।

प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप में जिन नये राज्यों की स्थापना हुई थी, चेकोस्लोवाकिया घामें प्रमुख था । मध्य यूरोप में सामरिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी । डेन्यूय क्षेत्र में जर्मनी विस्तार को रोकने के लिए चेकोस्लोवाकिया एक ढाल समझा जाता था । सम्भवत इसीलिए फ्रांस और सोवियत-सघ इस देश को बहुत महत्त्व देते थे और युद्धोत्तर काल में उनके द्वारा जो गुटबन्धियाँ बानम की गयीं, उनमें चेकोस्लोवाकिया को प्रमुख स्थान दिया गया था । वह फ्रांसीसी सोवियत सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कडी था और पूर्व जर्मन क सुर्य केन्द्रों पर बाधु मार्ग से चारों ओर आक्रमण करने के लिए एक अमूल्य केन्द्र था । यही कारण था कि फ्रांस हमेशा चेकोस्लोवाकिया की अखण्डता और स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए तत्पर रहता था । अपने समय में बिस्माक कहा करता था "जिसके पास बोहेमिया है, वही यूरोप का स्वामी है ।" बीसवीं शताब्दी के चतुर्थ दशाब्दी में भी इस बात को इसी तर्क के साथ दुहराया जा सकता था । चेकोस्लोवाकिया के इस महत्त्व को हिटलर भी मन्ती-भाँति समझता था ।

जर्मनी अल्पसंख्यका की समस्या— आस्ट्रो हंगरी-साम्राज्य के खण्डहरी में युद्ध के बाद शान्ति सन्धियों द्वारा चेकोस्लोवाकिया का निर्माण हुआ था । इनमें भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती थीं । प्रोफेसर हाडी के शब्दों में "यह युद्ध पूर्व के आस्ट्रो हंगरी साम्राज्य को अनेक जातियों की पिटारी का लघु रूप था ।" १९३९ की जन-गणना के अनुसार इस देश में विविध जातियों की जनसंख्या इस प्रकार थी चेक—७४,४७,०००, जर्मन—३२,३१६००, स्लोवाक—२३,०९०००, मग्यार—६,९१,९००, रूसी-निघन—५,४९००० और पोल—८१,७०० । चेकोस्लोवाकिया

के जीवन के प्रारम्भिक दिनों में चेक और स्लोवाक लोगों का संगठन लिग वर्ड का विषय बना रहा। ये दो जातियाँ विशाल स्लाव-जाति की दो शाखाएँ हैं। जाति दृष्टि से बहुत निकट होने पर भी उनकी ऐतिहासिक परम्परा एक दूसरे से सर्वथा पृथक् थी। १७२० के बाद चेक-लोग आस्ट्रिया साम्राज्य के अन्तर्गत और स्लोवाक लोग हजारों वर्षों से हंगरी के अधीन। हंगरी ही लोहा, लकड़ी, प्रगतिशील देश था और इसलिए चेक लोग पहले से ही कच्चे पत्थर के युद्ध मुकाबले में स्लोवाक लोग काफी पिछड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में वह सम्भव था कि स्वतन्त्र और नये चेकोस्लोवाकिया में चेक लोगों को प्रबन्ध होतों। परन्तु बात स्लोवाक लोगों को पसन्द नहीं थी। आर्थिक दृष्टि से प्रबन्ध हंगरी से स्लोवाक अच्छा जाता। अतः कुछ स्लोवाक लोगों ने यह आन्दोलन प्रारम्भ किया कि स्लोवाकिया का पृथक् राज्य होना चाहिए। युद्ध के समय में चेकोस्लोवाकिया ने स्लोवाकों को स्वायत्त-शासन देने का वचन दिया था। परन्तु युद्ध के इस प्रकार का पाथक्यवादी आन्दोलन चलने लगा तो स्लोवाक लोग भी सरकार ने लोक कदम उठाये। स्लोवाक लोग इन्हीं लोक कदमों पर ध्यान देकर उनका यह आन्दोलन सफल नहीं हो सका। स्लोवाकों की भावना का विकास होने लगा।

लोग जिस प्रकार का अच्छा वर्तान जमनों के साथ करते थे उस प्रकार का वर्तान किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता था। चक-सरकार हमेशा उनको सन्तुष्ट रखने का प्रयास करती थी। उनके अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय थे जहाँ जमन भाषा व माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। स्वयं चकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में उनका अपना पृथक विश्वविद्यालय था। सुडेटनलैंड के शासन यन्त्र पर भी उनका काफी नियन्त्रण था। पर इतना हाने पर भी जमन लोग चेकों से घृणा करते थे। वास्तव में यह घृणा परम्परा से चली आ रही थी। चेकोस्लोवाकिया के निर्माण होने के बाद यह और तीव्र हो गयी। जमन लोगों का खास विरोध १९२० के चेक सन्विधान से था। इसके अतिरिक्त वे चेकोस्लोवाकिया की विदेश नीति से भी काफी क्षुब्ध थे। चेकोस्लोवाकिया फ्रांस के गुट में शामिल था और लघुमैत्रो-संघ का एक सदस्य था। व गुटबन्धियों जमनों के विरुद्ध की गयी थी और यह स्वाभाविक था कि चेक स्लोवाकिया में बसे हुए जर्मन लोग इसको नापसन्द करें।

जमनी में नात्सी पार्टी के उत्कृष्ट के फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया के जमन अल्प संख्यकों की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर आ धमकी। जमनी के साथ सुडेटनलैंड को मिलाने के लिए वहाँ एक पार्थक्यवादी आन्दोलन चलाना आवश्यक था। इस लिए नात्सी पार्टी की एक शाखा चेकोस्लोवाकिया में भी कायम की गयी। इसका नेता कोनार्ड हैनलीन था। १९३६ में ओलिम्पिक खेल कूद में जबसर पर बर्लिन में उसकी मुलाकात हिटलर से हुई और उसके बाद से वह चेकोस्लोवाकिया में फ्यूरर का एक वफादार एजेंट हो गया। नात्सी स्वयंसेवक सेना और सुडेटन जमनों पर नात्सीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। चक सरकार पर नात्सी आन्दोलन का काफी असर पड़ा। उस समय चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति बनेस था। वह उदार विचार का व्यक्ति था और जर्मनों को खुश करके रखना चाहता था। १९३७ में एक घोषणा के द्वारा उसने सुडेटन जमनों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें सुविधाएँ प्रदान कीं। सरकारी नौकरियों में अनुपात के अनुसार जर्मनों को स्थान, जमन भाषा का एक सरकारी भाषा को मान्यता और जर्मन संस्थाओं को सरकारी सहायता देने का वचन दिया गया। पर इस घोषणा से भी सुडेटन-जर्मनों की सन्तोष नहीं हुआ। हिटलर के इशारे पर वे 'पूर्ण स्वायत्त शासन' की मांग करने लगे।

माच, १९३८ में आस्ट्रिया पर जर्मनी का आधिपत्य हो चुका था। आस्ट्रो जमन ऐक्य के बाद ऐसा मान्यता हाता था कि हिटलर वरत ही चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा। पर ब्रिटेन की चेतावनी के कारण यह आक्रमण उस समय रुक

गया। २४ मार्च को ब्रिटिश लोक सभा में भाषण करते हुए चेम्बलरलेन ने चेकोस्लोवाकिया की तरफ सकेत करते हुए यह कह दिया कि 'यदि युद्ध छिड़ गया तो वह सीमित नहीं रहेगा।' कुछ समय के लिए हिटलर को अपनी नीति बदलनी पड़ी। आक्रमण करने की जगह उसने चेकोस्लोवाकिया के अन्दर छपद्रव करवाकर अपना उद्देश्य पूरा करने का निश्चय किया। जर्मन 'समाचार-पत्र चेकोस्लोवाकिया में जर्मनों पर अत्याचार' का जहर छगलने लगे। इसी समय २३ अप्रिल, १९३८ को कालसेवाद में भाषण करते हुए सुडेतेन जर्मन पार्टी के नेता हैनलीन ने चेक सरकार से आठ माँगों कीं। इसमें जर्मन इलाके के लिए पूर्ण स्वायत्तशासन और जर्मन राजनीतिक सिद्धांत और आदर्श अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की गयी थी। चेक परराष्ट्र नीति में, खास कर रूस के साथ मैत्री के मामले में, आमुल परिवर्तन करने की माँग भी इसमें सम्मिलित थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सफट की ओर—हिटलर ने हैनलीन की माँगों का जबरदस्त समर्थन किया। चेकोस्लोवाकिया को डराने-धमकाने के लिए सीमान्तों पर सैनिक अभ्यास करने की आशा जारी कर दी गयी। हिटलर अपने सैनिक सलाहकारों से विचार-विमर्श करता रहा और विदेशी राजदूतों से मुलाकात करना, उनसे तरह-तरह की बातें कम्ना इत्यादि प्रतिदिन की साधारण बात हो गयी। २२ मई, १९३८ को चेकोस्लोवाकिया में नगरपालिकाओं का चुनाव होनेवाला था। जानकार सूत्रों का विश्वास था कि चुनाव के अवसर पर ही कोई गड़बड़ी पैदा होगी और चेकोस्लोवाकिया में एक क्रांति हो जायगी। उधर सीमान्तों पर जर्मनों की सैनिक गतिविधि जारी थी। चेक-सरकार ने भी आंशिक युद्धबन्दी की आशा दे दी। युद्ध अवश्यम्भावी प्रतीत होने लगा। ब्रिटिश-राजदूत सर हन्डरसन बर्लिन से ब्रिटिश-नागरिकों को हटाने का प्रबन्ध करने लगे। २१ मई की एक घटना से तनाव और भी बढ़ गया। उस दिन दो सुडेतेन जर्मनों की, जो आशा के विरुद्ध सीमा पार करना चाहते थे, गोली से उड़ा दिया गया। इन घटना के बाद सफट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। एक विराट सभा में भाषण करते हुए डा० गोबुल्स ने कहा कि 'हम ३५ लाख जर्मनों के साथ दुर्व्यवहार होते ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। हमने आस्ट्रिया में देखा कि एक जाति को दो देशों में विभक्त नहीं किया जा सकता और यह बात भी शीघ्र ही कहीं और भी देखगे।' यूरोपीय युद्ध की सम्भावनाएँ नजर आने लगीं, क्योंकि फ्रांस और सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया की सहायता करने के लिए बचनबद्ध थे और शामद ब्रिटेन भी फ्रांस की सहायता करता ही। पर चेकोस्लोवाकिया की आंशिक युद्धबन्दी और आगल फ्रांसीसी चेतावनी के फलस्वरूप सफट किसी तरह टन गया। हिटलर को हिम्मत नहीं हो

सकी कि वह अपनी सेना को सीमा पार करने की आज्ञा दे दे। चुनाव शान्तिपूर्वक समाप्त हो गया। यूरोप एक बार फिर युद्ध से बच गया और सबों ने शान्ति की साँसें लीं। यूरोप के कुछ समाचार-पत्रों ने चेक सरकार को प्रघाई देते हुए यह लिखा कि एक छोटे-से राज्य ने समय पर युद्ध-गन्दी करके हिटलर का शान्त कर दिया। इटली और जर्मन को छोड़ कर प्रायः सभी देशों में इसकी खुशी मनायी गयी। इस पर हिटलर बहुत क्रुद्ध हुआ। “हिटलर के लिए”, सर हण्डसन ने लिखा, “यह अत्यधिक मानसिक पीडा का समय था। यूरोप की खुशी देख कर उसी समय उसने यह निश्चय कर लिया कि बनेस और चेक लोगों से इसका बदला लेना है।”

रस्सीमन मिशन—मई-सकट क समाप्त हो जाने के बाद भी चेकोस्लोवाकिया यूरोपीय राजनीति का प्रमुख प्रश्न बना रहा। राष्ट्रपति बनेस अपने देश की रक्षा के लिए हिटलर से लोहा लेने के लिए तैयार था। इस कार्य में उसकी फ्रांस, सोवियत संघ, रूमानिया तथा यूगोस्लाविया का सहयोग प्राप्त था। हिटलर का हिम्मत नहीं थी कि वह विशाल गुट की उपेक्षा करके चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दे। पर उसे तुरत ही ज्ञात हो गया कि सोवियत-संघ को छोड़कर कोई भी देश चेकोस्लोवाकिया की सक्रिय मदद देने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस में ल्याब्लूम की सरकार का पतन हो चुका था। उसके बाद अप्रिल, १९३८ में मि० दलादिये का मन्त्रिमण्डल बन चुका था और मि० बीने इस मन्त्रिमण्डल में परराष्ट्र मन्त्री थे। ये दोनों व्यक्ति ‘सन्तुष्टिकरण की नीति’ क बहुत बड़े समर्थक थे और जर्मनी के विरुद्ध उग्र नीति का अग्रनम्बन नहीं करना चाहते थे। चेम्बरलेन और लार्ड हैलिफेक्स का भी यही रुख था। एक अवसर पर चेम्बरलेन ने कहा है “जरा नक्शा छटाकर देखिये—चेकोस्लोवाकिया तीन तरफ से जर्मनी द्वारा घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको वचाना कैसे सम्भव होगा ?’ महान् चेम्बरलेन क अनुसार चेकोस्लोवाकिया को जर्मन आक्रमण से बचाना असम्भव था। पर, उस समय सभी (चेम्बरलेन सहित) जानते थे कि चेकोस्लोवाकिया को बड़ी आसानी क साथ बचाया जा सकता है यदि राविषत-संघ की ‘सयुक्त सुरक्षा’ के प्रस्ताव को मान लिया जाता। लेकिन, ऑग्ल फ्रांसीसी शासकगण इस प्रस्ताव को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। वे तो इस अनुमान में थे कि चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन आदि पत्य हो जाने के बाद हिटलर का तीमरा शिकार साम्यवादो रूस ही हो होगा और उस ‘शुभ घडी’ को देखने क लिए व चेकोस्लोवाकिया की धाहुति करने की तैयार थे।

जर्मनी को प्रोत्साहित करने क इस वातावरण में ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों के बीच एक ऐसी योजना पर बातें चन्ने लगी, जिसके आधार पर युद्ध जर्मनों को आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त हो पाय। ब्रिटेन और चेको

वाकिया के बीच किसी प्रकार की सन्धि या समझौता नहीं था और इस तटस्थता के हिसाब से वह सुडेटेन प्रश्न में मध्यस्थता कर सकता था। अतएव अगस्त १९३८ में चेम्बरलेन ने लाट रन्सीमन को जर्मन अल्पसंख्यकों के विवाद को सुलझाने के लिए ३ अगस्त १९३८ को प्राग भेजा। ब्रिटिश-प्रधानमन्त्री का कहना था कि चेक-सरकार ने स्वयं ही ब्रिटिश मध्यस्थता की इच्छा प्रदर्शित की थी। लेकिन, वास्तविक बात यह थी कि चेक सरकार से यह इच्छा करवायी गयी थी। प्राग पहुँचकर रन्सीमन चेक सरकार और हैनलीन के बीच समझौता कराने का प्रयास करने लगा। भीतर ही-भीतर कूटनीतिक जरूरतों से चेक-सरकार पर ब्रिटेन और फ्रांस यह दबाव डालने लगे कि वह सुडेटेन-जर्मनों को अधिक से-अधिक सुविधा देने के लिए राजी हो जाय।

सुडेटेन जर्मनों को खुश करने के लिए चेक-सरकार अधिकाधिक सुविधा देने को तैयार थी। लेकिन हैनलीन उसका मनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हिटलर किसी प्रकार का समझौता करना नहीं चाहता था। सर अल्फ्रेड जिर्मन ने ठीक ही लिखा है कि "सुडेटेन प्रश्न कभी सुरक्षित समझौता नहीं था। जर्मन अल्पसंख्यकों की शिकायतें निरा बहाना थीं। यदि वे न होतीं तो उन्हें किसी तरह पैदा करना पड़ता।" ऐसी स्थिति में रन्सीमन कुछ नहीं कर सकता था। उधर जर्मनी में नात्सी अखबार चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध जहर छगल रहे थे। सीमान्तों पर सैनिक अभ्यास जारी थे। १२ सितम्बर, १९३८ को नूरेम्बर्ग में नात्सी पार्टी की रैली के अवसर पर हिटलर ने भाषण देते हुए कहा 'पैंतीस लाख जर्मनों पर चेक-लोग घोर अत्याचार कर रहे हैं। सुडेटेन-जर्मन की अन्य जातियों की तरह आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यदि सुडेटेन जर्मन अपनी ताकत से अपना यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते तो हम उनका मदद करने को तैयार हैं।' हिटलर के भाषण ने सुडेटेन मनो का काफी प्रोत्साहन मिला। यह भाषण उपद्रव के लिए एक संकेत था और इधर-उधर उपद्रव भी होने लगे। चेक सरकार ने इन उपद्रवों का दमन करना शुरू किया। इधर हैनलीन ने समझौता नाता भंग कर दी। एगो चा सरकार को दमनकार वाग्वद्यों का बंद करने के लिए एक अतिमेमो दिया और अपने जर्मन जनता यंत्रों का यह आदेश दिया कि वे जर्मन सरकार का अपनी समस्त सहायता मन्त्र और चेकोस्लोवाकिया के प्रति कोई भी भक्ति न रखें। मोडरन सरकार इस प्रकार की चुनौती मदाशत नहीं कर सकती है। चेक सरकार ने भी इस पाथनवादा को दबालने की कृत्तल देने का हृद निश्चय लिया। थाको लड़ाई शुरू और हैनलीन अपनी भाग गया। लार्ड रन्सीमन ने भी यह फैसला किया कि मध्यस्थता करना नहीं है।

समाप्त हो गया है और वह लन्दन वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने एक रिपोर्ट पेश की जो चेक सरकार के बिलकुल विरोधी थी।

वशटेसगार्डेन का प्रस्ताव— इन घटनाओं के कारण यूरोपीय शान्ति की सम्भावना अत्यधिक सदिग्ध हो गयी। मोमान्त की नैतिक गति-विधियों में तेजी आ गयी और ऐसा लगता था कि युद्ध छिड़ कर ही रहेगा। वातावरण में एक बेचैनी-सी पैदा हो गयी। ऐसा प्रतीत होता था कि हिटलर की सेनाएँ शीघ्र ही चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई कर देंगी और, तब सॉन्घ के अनुसार फ्रांस और सोवियत-संघ चेकोस्लोवाकिया की मदद करने को पहुँच जायेंगे। यूरोप में युद्ध का ज्वालामुखी फिर एक बार धाग जगलने को तैयार हो गयी। हिटलर ने अपने सफ़रों को युद्ध को तैयार करने की आज्ञा दे दी। परन्तु हिटलर एक ऐसे मौके की तार्क में भी था जिससे बिना युद्ध लड़े ही उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। १३ सितम्बर को उसे ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन का एक तार मिला “म आरसे मिलना चाहता हूँ। कृपया जल्द से-जल्द जगह और समय निर्धारित कर सूचित करें।” हिटलर ने तुरत इस प्रस्ताव को मान लिया। १५ सितम्बर को चेम्बरलेन विमान से जर्मनी गया और वेशटेसगार्डेन में हिटलर से भेंट की। वार्ता में हिटलर ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सुडेटेन-जर्मनों को आत्मनिर्णय का अधिकार द्रत नहीं दे दिया जाता तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर शीघ्र ही आक्रमण कर देगा। चेम्बरलेन इस माँग को मान लेने के लिए तैयार था। वह अपने मन्त्रिमण्डल, चेक तथा फ्रांसीसी-सरकारों से इस समाधान पर विचार करने के लिए लन्दन वापस आया। १८ सितम्बर को दलादिये और बोने भी लन्दन पहुँचे। चेम्बरलेन और दलादिये ने मिलकर एक योजना बनायी, जिसे वे सयुक्त रूप से चेकोस्लोवाकिया के सामने रखना चाहते थे। इसके अनुसार सम्पूर्ण सुडेटेनलैण्ड जर्मनी को सौंप दिया जानेवाला था। १९ सितम्बर को यह योजना चक-सरकार के सामने रखी गयी। इसमें चेक-सरकार से आग्रह किया गया था कि वह इस प्रस्ताव को अविलम्ब मान ले। प्रस्ताव मान लेने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने चक-सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसके बचे हुए गीमान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय मार टों दी जायगी। चक सरकार ने इस योजना पर आपत्ति उठायी। फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री से पूछा गया कि जर्मन आक्रमण की स्थिति में फ्रेच चेक सन्धि के अन्तर्गत फ्रांस चेकोस्लोवाकिया की सहायता करने को तैयार है या नहा। दलादिये ने इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं भेजा। २१ सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को एक दूसरा अन्तिमोत्तर भेजा। इसके साथ-साथ चेक सरकार को यह धमकी भी दी गयी कि यदि इस बार चेकोस्लोवाकिया प्रस्ताव को तीन दिनों के अन्दर मंजूर नहीं करता है और जर्मनी उसपर चढ़ाई कर देता है तो ब्रिटेन और फ्रांस उसकी कोई

मदद नहीं करेंगे। रात को दो बजे राष्ट्रपति वेनेस को सोते से जगाया गया। सुबह होने से पहले मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलायी गयी। चेक-सरकार के सामने क्रुरा उपाय ही क्या था। जिन मित्रों की सहायता का वह भरोसा कर सकती थी वे ही उससे इस योजना को मजूर करने के लिए विवश कर रहे थे। उसने अंग्ल फ्रांसीसी योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद योजना के विरोध में चेक प्रधानमन्त्री डा० हाशा ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर जनरल सिरोवी प्रधानमन्त्री बना।

चेकोस्लोवाकिया के साथ उसका 'शत्रु राज्यों' का इस तरह का व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से कोसों दूर था। परन्तु, शान्ति कायम रखने के लिए चेम्बरलेन ने इसे 'आवश्यक शल्य क्रिया' बतलाया। फ्रांसीसी लोकमत ने भी इसे 'एक लज्जाजनक आवश्यकता' बननाकर स्वीकार कर लिया * कहा जाता है कि दलादिये मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्य इस योजना से असन्तुष्ट होकर अपना त्यागपत्र दे दिये थे और एक फ्रांसीसी सेनापति ने इसका विरोध में अपनी फ्रांसीसी नागरिकता भी त्याग दी थी। पर चेम्बरलेन और दलादिये अपनी 'सफलता' पर फूलें नहीं समा रहे थे। वे सोच रहे थे कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लेगा और तब फिर साम्यवादी रूस का काम भी समाप्त कर देगा। केवल सोवियत सरकार ही इस चेकोस्लोवाकिया की मदद करने को तैयार थी। सोवियत-संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सन्धि हुई थी, जिसके अनुसार सोवियत-सरकार ने वादा किया था कि जर्मन-आक्रमण की स्थिति में वह चेकोस्लोवाकिया की सहायता करेगी, यदि फ्रांस भी चेक लोग की मदद करे। फ्रांस इस समय सन्धि के अनुसार चेकोस्लोवाकिया की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन तो भी सोवियत सरकार ने चेक सरकार को मदद करने का वादा किया। वेनेस ने सोवियत सरकार के इस प्रस्ताव पर 'वचन' किया। लेकिन, चक्र-विरोधी नेता हडोल्फ बेरान ने यह धमकी दी कि अगर वेनेस सोवियत मदद को मजूर कर लेगा तो वह चेकोस्लोवाकिया में यह युद्ध शुरू करा देगा। अतः बाध्य होकर वेनेस को मिली हुई सोवियत मदद भी ठुकरा देनी पड़ी।

गोडेसवर्ग का प्रस्ताव चेक सरकार द्वारा स्वीकृत योजना को लेकर चेम्बरलेन एक बार फिर हिटलर से मिलने जर्मन गया। २२ सितम्बर को गोडेसवर्ग में हिटलर से उसकी दूसरी मुलाकात हुई। हिटलर की घाँस काम कर गयी थी। वह दूसरी घाँस देकर अपना बचा खुचा काम निकालना चाहता था। स्वीकृत योजना से ही वह सन्तुष्ट नहीं था। इस बार चेम्बरलेन के सामने उसने

आश्चर्यजनक माँगें रखीं कि वे धारा ब्रिटिश-प्रधानमन्त्री स्तब्ध रह गया। चम्बरलेन इन माँगों पर विचार करने से लाचार था। २४ सितम्बर को निराश होकर वह लन्दन लौट आया। हिटलर भी माँगों की तालिका उसने प्राग भेज दी। चेक सरकार ने इन माँगों को सथा और बिना शर्त अस्वीकार्य' कहकर ठुकरा दिया। गीडेमार्ग में हिटलर ने चेम्बरलेन का सूचित कर दिया था कि २६ और २८ सितम्बर के बीच में चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन आक्रमण प्रारम्भ हो जायगा। चेकोस्लोवाकिया का सकट एक बार पुन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। ब्रिटेन और फ्रांस इस पर निश्चय कर चुके थे कि यदि जर्मन ने हमला किया तो वे चेकोस्लोवाकिया की सहायता करेंगे। चेकोस्लोवाकिया ने पूर्ण युद्ध की आशा दे दी। फ्रांस ने भी आंशिक युद्धबन्दी कर दी। ब्रिटेन भी युद्ध की तैयारी करने लगा। समुद्री प्रेडों को इन्फट्टा किया गया। लन्दन के पार्कों में खाइयाँ खुदने लगीं। हवाई हमले के विरुद्ध जटिल जलदी कदम उठाये गये। सारे यूरोप में सनसनी फल गयी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब युद्ध की प्राग भडकने ही वाली है।

२७ सितम्बर को चेम्बरलेन ने रेडियो पर कहा कि यदि समझौता होने की सम्भावना हा वा म तोसरी बार जर्मनों जाने को तैयार हूँ। यही नहीं, गोक चेम्बरलेन हिटलर को एक पत्र लिखा जिनमें पुन समझौता नार्टा के लिए अनुरोध किया गया था। लेकिन, हिटलर समझौता करने के पक्ष में नहीं था। वह आग उगल रहा था "यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो जर्मन के लिए यूरोप में कोई प्रादेशिक दावा नहा रह जायगा। लेकिन, यह ऐसा दावा है जिसको हमलोग छोड़ नहीं सकते हैं। हमलाग किसी चेक को नहीं चाहत है और जहाँ तक सुडेटेनलैंड का प्रश्न है, यह अमह्य हो चुका है। हमलोग कृतस कल्प है। डा० वेसे अपना निर्णय स्वयं कर लें। यूरोप में यह मेरा अन्तिम दावा है।" जर्मन श्रोताओं ने अपने प्युरर के इस भाषण का 'वाह! वाह!।। से स्वागत किया।

फ्रांस और ब्रिटेन समझ रहे थे कि अब हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर बिना चढाई किये गरी रहेगा। चेम्बरलेन की सारी योजनाएँ धूल में मिल रही थीं। वह चाहता था कि अभी भी समझौता से यह मामला तय हो जाय। उसको आश्चर्य हो रहा था कि एक ऐसे देश के लिए जो ब्रिटेन से बहुत दूर पर स्थित है और जिसके बारे में अद्येज लोग कुछ भी नहीं जानते हैं उसक लिए ब्रिटेन में खाइयाँ खोदी जायें और गैसों से बनाव के लिए उपाय किये जायें।* चेम्बरलेन ने सुशीलिनो

"How horrible fantastic incredible it is that we should be (digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a far away country between people of whom we know nothing" (Stamps provided.)

से आयह किया कि वह अपने दोस्त हिटलर को एक सम्मेलन के लिए राजी कर ले और कम से कम चौबीस घण्टे के लिए जर्मन आक्रमण को स्थगित करा दे। सुसोलिनी की मध्यस्थता से हिटलर सम्मेलन के लिए राजी हो गया। अठाइस सितम्बर को टाई वजे ब्रिटिश लाक्समा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। चेम्बरलेन अन्तराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रकाश डाल रहा था। इसी समय एक सन्देशवाहक दौड़ता हुआ नदन में था पहुँचा। उसने चेम्बरलेन को एक तार दिया। गौर से पढ़ने और कुछ सोचने के बाद चेम्बरलेन ने सदन को यह सूचित किया कि दूसरे दिन सुबह हिटलर ने सम्मेलन के लिए उभे म्यूनख बुलाया है। २९ सितम्बर का म्यूनख में चार राष्ट्रों (जर्मनी, इटली ब्रिटेन और फ्रांस) का सम्मेलन होगा। यह जानकर सत्कार के लोगों को विश्वास हो गया कि अन्तिम क्षणों में युद्ध होने से बच गया।

म्यूनख का सम्मेलन—म्यूनख के ब्राउन-हाउस में चार राष्ट्रों का 'शिखर सम्मेलन' हुआ, जिसमें भाग लेनेवाले चेम्बरलेन, दलादिये, हिटलर और सुसोलिनी थे। सम्मेलन में सोवियत संघ को शामिल नहीं किया गया था हालाँकि चेकोस्लोवाकिया के भविष्य में उसका भी महत्वपूर्ण हित था। इसका कारण यह था कि हिटलर सोवियत प्रतिनिधि के साथ बात करना नहीं चाहता था और चेम्बरलेन तथा दलादिये रूसी प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर हिटलर को नाखुश नहीं करना चाहते थे। सोवियत-संघ की बात तो दूर रही, यहाँ तक कि स्वयं चेकोस्लोवाकिया को भी सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था। उसके प्रतिनिधि बगल के एक दूसरे कमरे में बैठे रहे। जब सब बातों पर फैसला हो गया तब उन्हें बुलाकर फैसला सुना दिया गया। म्यूनख में जो समझौता हुआ उसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं— (१) चेक लोग १ से १० अक्टूबर तक सुडेटेनलैंड को खाली कर दें। (२) एक अन्तराष्ट्रीय आयोग सीमा निर्धारण तथा जनमत संग्रहवाले क्षेत्रों का निरीक्षण करे। (३) ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चेकोस्लोवाकिया की परिवर्तित सीमा को गारंटी दी गयी। (४) पोल और इंगारियन अल्पसंख्यकों के प्रश्न हल हो जाने पर जर्मनी और इटली ने भी इसी तरह की गारंटी देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त २० सितम्बर को हिटलर और चेम्बरलेन ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के विनाशकारी युद्ध नही करेंगे। चेम्बरलेन अपनी 'सफाई' पर गुप्त होकर लन्दन के लिए रवाना हुए। म्यूनख समझौता अधिनियम लागू हो गया। सुडेटेनलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। अन्तराष्ट्रीय आयोग ने चेकोस्लोवाकिया की नयी सीमा को निर्धारित कर दी। कुछ दिनों के बाद पोलैंड और इंगरी ने भी चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, जिन पर वे दावा करते थे। ब्रिटेन और

गारटी 'एक कागज का टुकड़ा' रह गया। पाँच अक्टूबर को वेनेस ने त्यागपत्र दे दिया और देश छोड़कर बाहर चला गया। उसकी जगह पर इमिल हाचा चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ।

म्यूनिख-समझौता की समाप्ति

चेकोस्लोवाकिया को छोड़कर म्यूनिख-समझौते का सर्वत्र स्वागत हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि मानों युद्ध की आशका टल गयी और भविष्य में यूरोपीय राष्ट्र शान्तिपूर्वक सहयोग करते रहेंगे। चैम्बरलेन एक विजयी के रूप में लन्दन लौटे। हवाई अड्डे पर उनका अपूर्व स्वागत हुआ। विशाल जनसमूह के सामने भाषण देते हुए उसने कहा 'यह दूसरा अवसर है जब हमलोग बर्लिन से प्रतिष्ठायुक्त शान्ति (peace with honour) लेकर लौटे हैं। यह हमलोगों के समय की शान्ति है।' एक अप्रलेख में लन्दन 'टाइम्स' ने दूसरा दिन लिखा था 'रणक्षेत्र से विजय करके घर लौटनेवाले किसी विजेता ने ऐसी कीर्ति का कार्य नहीं किया, जितना कल म्यूनिख से लौटे चैम्बरलेन ने किया है।' ब्रिटेन में शायद ही कोई ऐसा समाचार पत्र रहा हो जो लन्दन 'टाइम्स' के इस विचार से सहमत नहीं हुआ हो। बर्लिन-स्थित ब्रिटिश-राजदूत सर हन्डरसन ने चैम्बरलेन को लिखा "सत्तार की करोड़ों माताएँ आज आप को आशीर्वाद दे रही हैं कि आपने उनके बच्चों को युद्ध के मुख से बचा लिया है। कल से आपकी सफलताओं की प्रशंसा में स्पाही का समुद्र समड पड़ेगा।" स्पाही का यह समुद्र समडा, लेकिन 'सफलताओं' का गुणगान करने के लिए नहीं, बल्कि चैम्बरलेन को कोधने के लिए। ब्रिटिश-संसद में भाषण देते हुए चर्चिल ने कहा "हमलोगों की बहुत बड़ी हार हुई है। सत्र काम तमाम हो गया और चेकोस्लोवाकिया अन्धेरे में विलीन हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव से चेकोस्लोवाकिया का विभाजन नास्ती घमकी के आगे पश्चिमी जनतन्त्र के झुकाने के बराबर है।" लार्ड एमरो ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये, 'म्यूनिख-समझौता दबाव से हुई जीत का प्रतीक है, जो इतिहास में सबसे हस्ती समझी जा सकती है।' ब्रिटिश नौ सेना के मंत्री एल्फ्रेड क्रुपर ने म्यूनिख समझौते के विरोध में अपना त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए उसने कहा "१९१४ में हमनोग युद्ध में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि भविष्य में कोई एक बड़ा एम शक्ति शाली राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करते हुए किसी छोटे और कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य न जमा तो। हमने म्यूनिख की शर्तों को निगलने का प्रयास किया है। लेकिन अब मेरे गले में ही अटक गयी है। शायद पदत्याग करके हमने अपने राजनीतिक जीवन का बर्बाद कर लिया है। लेकिन, मैं आज भी संसार में अपना सर उँचा करके

घम सकता हूँ।” पर इन प्रतिक्रियाओं का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा और एक जबरदस्त बहुमत से ब्रिटिश लोक सभा ने चेम्बरलेन की ‘सफलताओं’ का अनुमोदन कर दिया। “केवल एक सप्ताह के सांसारिक जीवन के लिए” भारत में महात्मा गांधी चिह्ला पड़े, “यूरोप ने अपनी आत्मा बेच डाली है।” वारतव में म्युनिख हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विजय और चेम्बरलेन की सबसे बड़ी पराजय थी।* चेम्बरलेन की शान्ति के स्वरूप को १२ अक्टूबर, १९३८ के ‘पंच’ (Punch) के एक कार्टून में अच्छी तरह व्यक्त किया गया था। कार्टून में दिखलाया गया था कि रेलवे स्टेशन पर सैनिक भर्ती सम्बन्धी पत्रें टगो है। एक पुत्र अपने पिता को इन पत्रों को दिखा कर पूछ रहा है “पिताजी, आप इस महान् शान्ति में कौन सा कार्य करनेवाले है?”

चेकोस्लोवाकिया के लिए म्युनिख का समझौता ‘इतिहास का सबसे महान् विश्वासघात’ था।† उसके लिए यह मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी। उसकी पराजय किसी कमजोरी के कारण नहीं बल्कि उनके साथियों के विश्वासघात के कारण हुई थी। सम्पूर्ण मध्ययूरोप में वही एक ऐसा देश था, जहाँ युद्ध के बाद प्रजातान्त्रिक विचारों की कुछ प्रगति हुई थी। लेकिन, अपने को प्रजातन्त्र का रक्षक कहने वाले ब्रिटेन और फ्रांस को उसका बलिदान करते हुए जरा भी सकोच नहीं हुआ। पीछे चलकर इसका फल उन्हें भी भुगतना पड़ा। म्युनिख समझौता के बाद हिटलर को डेन्यूब और बालकन-क्षेत्रों पर आर्थिक और सैनिक अधिकार अमाने का अच्छा मौका मिल गया। चेकोस्लोवाकिया के महत्त्वपूर्ण यावसायिक केन्द्र और खानें, सैनिक सामग्री और मार्ग जर्मनी को प्राप्त हो गया। जर्मनी की शक्ति इतनी बढ़ गयी कि यूरोप में कोई उसकी चुनौती नहीं दे सकता था।‡

म्युनिख समझौता एक महान् कूटनीतिक क्रान्ति थी था। इसने युद्धोत्तर-काल की कूटनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया। वर्साय-सन्धि के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना की गयी थी, वह पूर्णतया नष्ट हो गयी। कोई भी राज्य अब अपने बचाव के लिए ब्रिटेन और फ्रांस-जैसे घोखेनाज देशों की मित्रता पर आश्रित नहीं रह सकता था। इसका परिणाम हुआ कि फ्रांस की युद्धोत्तर गुटबन्दी-प्रणाली सर्वथा व्यर्थ हो गयी। लघुमैत्री घट का कोई मूल्य नहीं रह गया। डेन्यूब क्षेत्र के देशों का अस्तित्व अब हिटलर की दया पर निर्भर था। पोलैंड पर अब जर्मन आक्रमण अनिवार्य हो गया।

* Eugne N Anderson *Modern Europe in World Perspective*, pp 494-95

† Chambers Harris and Bayley *This Age of Conflict*, p 640

‡ Churchill *The Second World War*, P 273

परिचित कृतनीति म्युनिख की सयमे जबरदस्त प्रतिक्रिया सोवियत सघ में हुई। म्युनिख में सोवियत-प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे पूँजीवादी राज्यों पर उसका शक डाना स्वाभाविक था। वास्तव में म्युनिख सम्मौता हिटलर द्वारा रूसी साम्यवाद के विरुद्ध किये गये प्रचारों का फल था। हिटलर कहा करता था कि उसका अन्तिम उद्देश्य साम्यवाद को मिटाना है। पश्चिम के पूँजीवादी देश उससे काफी गमनाहित हुए थे। वे हिटलर को सन्तुष्ट करके इस कार्य में सहायता देने लगे। सन् १९३९ के समय रूस अनेक द्वार चकोस्लोवार्किया में सहायता देने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस सहायता का कभी स्वागत नहीं हुआ। म्युनिख सम्मौते ने सन् १९३५ की फ्रेंच-सोवियत संधि को ही भंग नहीं कर दिया बल्कि सोवियत चेक-सम्मौते का भी अंत कर दिया। रूस को अ बाध्य होकर ज्ये माथियों को टूटना पड़ा। अक्टूबर १९३९ का बर्लिन माँको पैक्ट म्युनिख के वाग्नेराजी का ही परिणाम था। दिसम्बर, १९३९ का भंगवादादक फ्रेंको जर्मनी सम्मौता भी म्युनिख पैक्ट का एक दूसरा परिणाम था। रूस को सच्ची मित्रता खोजकर फ्रांस ने जर्मनी को ऐसी नकली मित्रता हासिल कर ली जिसका वास्तविक प्रत्यक्ष किरी से छिपा नहीं था।

म्युनिख सम्मौता राष्ट्रमघ और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के प्रति एक घोर अविश्वास था। डेविड था पसन वे शब्दों में मित्रराष्ट्रों के इस मामले में चकोस्लोवाकिया को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के बदले उसके प्रदेश पर सामूहिक डकैती (collective blackmail) की। उसे जबरदस्ती अपना प्रदेश जर्मनी को सौंपने पर बाध्य किया। इसने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रों के झगड़ों का निपटारा पार्श्विक बल और तनाव से ही हो सकता है।*

म्युनिख सम्मौता चैम्बर्लेन की सद्बुष्टीकरण की नीति की विफलता था। कहा जाता है कि जर्मन विदेशमन्त्री रिबनट्रॉप ने इस सम्मेलन के बाद चैम्बर्लेन के बारे में कहा था कि "बूढ़े आदमी ने अपनी मृत्यु के आजापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब हमें केवल उस पर उसकी तिथि को लिखना है।" शुर्मा ने लिखा है "म्युनिख का सम्मौता सद्बुष्टीकरण की नीति का सर्वोच्च विकास तथा पश्चिमी लोकतन्त्रों का मरणाज्ञापन था। यह सामूहिक सुरक्षा पद्धति के विनाश का प्रतीक था। यह हिटलर की आतंक की रणनीति की अन्त तक की सबसे बड़ी विफल थी। यह पुनः सन् चैम्बर्लेन को विद्वान था कि हिटलर की भाँति पूरी कर देने से यह सद्बुष्टी हो जायगा।

David Thompson *Europ Since Napoleon* p 706

† The Peace of Munich was the ultimate triumph to date of Hitler's strategy of terror. It was the culmination of appeasement and the warrant of death for Western powers.

—Schuman *International Politics*, p 695

लेकिन म्यूनिख के बाद उसकी पता चला कि हिटलर की प्रादेशिक भूख बड़ी तेज है और उसकी माँगों की कोई सीमा नहीं है। उस समय चर्चिल ने ठीक ही कहा था “एक छोटे राज्य को भेड़िए के आगे फेंककर सुरक्षा पाने की आशा घातक भ्रांतिमात्र है।” चैम्बरलेन का यह दावा कि वह वॉलिन से ‘प्रतिष्ठायुक्त शान्ति’ लेकर लौटा है, वह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं था। इस “प्रतिष्ठायुक्त शान्ति” पर चर्चिल की उक्ति अधिक यथार्थ थी। उगने कहा था “ब्रिटेन और फ्रान को इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा है। उन्होंने अपमान को चुना है और शीघ्र ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा।”

म्यूनिख का सम्झौता जर्मनी और विशेषकर हिटलर की उहुत बड़ी विजय थी। अंतरनाक दुश्मन (चैकोस्लोवाकिया) का महत्त्वहीन बना दिया गया। वर्साय सन्धि के एक उहुत बड़ अन्याय का अन्त हुआ और तृतीय रीह की शक्ति का परिचय सबको मिल गया। प्रादेशिक लाभ पर अतिरिक्त पारोप्य पर जर्मनी के हमले का मार्ग खुल गया। बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मनी के लिए हाकी होना आसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में इंग्लैण्ड और फ्रांस की प्रतिष्ठा धूल में मिला गयीं। कोई भी राष्ट्र अब उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। फलतः पूर्वी यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध बने फ्रांसीसी गुटबन्धियों का जाल छिन्न भिन्न हो गया। मोवियत रूस और पश्चिमी गुटों का मनमुटाव और भी गहरा हो गया। वास्तव में म्यूनिख ने हिटलर को इतनी सफलता मिल गयी, जिसकी आशा वह स्वयं नहीं करता था।

ब्रिटेन द्वारा समझौता करने के कारण

म्यूनिख सम्झौता के विरोध में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र देते हुए डफ कूपर ने कहा था “हमारे प्रधानमन्त्री को हिटलर की सद्भावना और वचन पर विश्वास है। यद्यपि हिटलर ने जब वर्साय की सन्धि तोड़ी तो यह कहा कि यूरोप में उसकी कोई प्रादेशिक माँग नहीं है। जब आस्ट्रिया में बलपूर्वक प्रविष्ट हुआ तो उसने यह कहा कि वह चेकोस्लोवाकिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह छ महीने पहले की बात है। फिर भी हमारे प्रधान मन्त्री का विश्वास है कि वह हिटलर पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं।” लेकिन म्यूनिख में विश्वास और भरोसा का कोई प्रश्न नहीं था। ऐसी बात नहीं थी कि चैम्बरलेन हिटलर से परिचित नहीं था। यह सम्भव है कि चैम्बरलेन का कुछ समय के लिए हिटलर पर विश्वास हो गया हो और उसने मान लिया हो कि यह हिटलर की अन्तिम प्रादेशिक माँग थी। लेकिन म्यूनिख सम्झौता के मुख्य प्रेरक तत्त्वों में गर्वाधिक नहत्त्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री और फ्रान के शासक वर्ग को इस बात पर पूरा विश्वास था कि हिटलर का पथान लक्ष्य सोवियत सघ का विनाश है। चेकोस्लोवाकिया में सन्वष्ट हो जाने क

बाद वह अपनी पूरी शक्ति साम्प्रवाद के विध्वंस में लगायगा जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूँजीवाद दोनों के लिए लाभदायक था।


समझौता करने के अन्य प्रेरक तत्वों में युद्ध से किमी तरह बचना भी एक था। अभी यूरोप में शान्तिवाद की प्रकृति की प्रबलता थी। लोग अभी तक प्रथम विश्व युद्ध की विनाशकारी घटनाओं को नहीं भूले थे। युद्ध का आठक उन पर पूरा छाया हुआ था और वे इससे बचना चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस के सामने इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इन देशों में युद्ध की तैयारी पूरी नहीं हुई थी। वाशुसेना के क्षेत्र में वे जर्मनी से अभी बहुत पिछड़े हुए थे। इस हालत में समझौता कर देना ही उचित समझा गया।

इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य था कि चेकोस्लोवाकिया के लिए ब्रिटेन फ्रांस के शासक वर्ग युद्ध नहीं छोड़ना चाहते थे। चेम्बरलेन के लिए तो यह "हास्यास्पद भयास्पद तथा अविश्वसनीय" था ही। एक ऐसे "दूरवर्ती देश जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते," के लिए लड़ाई लड़ना वह बुद्धिमता पूर्ण नहीं समझता था। अतएव उसने हिटलर से म्यूनिख में अपमानपूर्ण समझौता कर लिया।

चेकोस्लोवाकिया का अन्त— २६ सितम्बर, १९३८ को बोलते हुए पयूर ने कहा था "मैंने चेम्बरलेन को आश्वासन दिया है और मैं अब भी इस पर जोर देता हूँ कि जब यह (सुडेटेन) समस्या हल हो जायगी तब यूरोप में जर्मनी की ओर कोई प्रादेशिक समस्या नहीं रह जायगी। चेक-राज्य में मुझे और कोई रुचि नहीं रह जायगी तथा मैं उसको गारन्टी दे सकता हूँ। हम और अधिक चेक नहीं चाहते।" लेकिन, कुछ ही दिनों के अन्दर यह पता चलने लगा कि हिटलर का 'अन्तिम दावा' नहीं था।

म्यूनिख समझौते के बाद चेकोस्लोवाकिया का राज्य घटकर बहुत छोटा रह गया था। चेकोस्लोवाकिया के बोटेमिया और मोरेविया-प्रदेश में अभी भी हंगरी जर्मन रह गये थे। उनको 'मुक्त' करना भी हिटलर का कर्तव्य था। १० नवम्बर को चेकोस्लोवाकिया को एक सघीय गणतन्त्र में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें स्लोवाकिया और रूथेनिया को विधान-सभाओं की पूर्ण स्वायत्तता दे दी गयी। इन दो प्रान्तों के प्रधान मन्त्री सघीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए। विदेशनीति और सुरक्षा विभाग केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रखे गये। अब जर्मन सरकार रूथेनिया और स्लोवाकिया की सरकारों को पार्थक्यवादी आन्दोलन चलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राग स्थित केन्द्रीय सरकार तथा दो इकाइयों के बीच तनाव बढ़ गया। स्लोवाक प्रधानमन्त्री फादर टोसा सविधान की अवहेलना करते हुए अपना प्रलग विदेशी नीति बनाने और सरकारों, खासकर जर्मन सरकार से सर्व सम्बन्ध स्थापित करने लगा। १ मार्च, १९३९ को सफ्ट काफ़ी गम्भीर हा गया। प्रधान मन्त्री

टीसो ने स्लोवाकिया के लिए पृथक विदेश नीति और सेना की माँग कर दी। अगले दिन राष्ट्रपति हाचा ने टीसो को पदच्युत कर दिया। टीसो पर आरोप लगाया गया कि वह पार्थक्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा था, जिससे राज्य की एकता खतर में पड़ गयी थी। टीसो जर्मनी भाग खड़ा हुआ। १५ मार्च को राष्ट्रपति हाचा को बर्लिन बुलाया गया। हिटलर ने उसपर म्यूनख समझौते को भंग करने का आरोप लगाया। उसके सामने एक समझौता पत्र रखा गया, जिसमें कहा गया था कि बोहेमिया और मोरेविया के प्रान्त जमन सरक्षता में रख दिये जाते हैं। सैनिक



कारवाई की धमकी देकर हाचा को उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। हिटलर ने हाचा को सूचित कर दिया कि उसने जर्मन सेना को चेक-प्रदेश पर हमला करने की आज्ञा दे दी है। हाचा ने इसका विरोध किया। इस पर उसको इतना डराया-धमकाया गया कि वह वेहोश हो गया। दवा देकर उसको होश में लाया गया। नात्सी-अफसर उसको चारों तरफ से घेरे खड़े थे। रिबनट्रीप जनरलस्वी हाचा का हाथ पकड़ कर समझौता-पत्र पर दस्तखत करने के लिए बाध्य कर रहा था। ७० वर्ष के बूढ़े राष्ट्रपति के लिए स्थिति असह्य हो गयी और ४३ चार बजे सुबह में बाध्य होकर उसका हस्ताक्षर कर देना पड़ा। "म पूर्ण विश्वास के साथ चेक-जनता और देश का भविष्य जर्मन रोह के प्यूरर की सरक्षता में सौंपता हूँ।" यह चेकोस्लोवाकिया का अन्त था। १५ अगस्त को प्राग पर जमन का झंडा फहराने लगा। दो दिनों के बाद स्लोवाकिया भी जमनो में शामिल कर लिया गया और जमनो के इशारे पर रुथेनिया के प्रदेश पर हंगरी ने अधिकार कर लिया। बीस वर्ष की आयु में ही स्वतन्त्र चेकोस्लोवाकिया का नामोनिशान मिट गया।

हिटलर को नाम -मृत्युनिश्चय समझौते के द्वारा मित्र और फ्रांस न चको स्लोवाकिया की प्रादेशिक अखण्डता का कायम रखने की गारन्टी की थी। पर चको स्लोवाकिया के अन्तिम विनाश के समय भी वे चुपचाप बैठे रहे और चादा के अनुसार उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। रूस के विकसित हिटलर को प्रोत्साहित करने की मनुष्टोकरण नीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। बोडेमिया और मोरेविया पर अधिकार हो जाने से जर्मनी की शक्ति और बढ़ गयी। हिटलर को १८ हजार वर्गमील जमीन, लगभग ७० लाख की आबादी, स्कोडा का प्रसिद्ध रथ कारखाना और पेशान बैंक का सोना प्राप्त हो गया। स्लोवाकिया के मिल जाने से जर्मनी को और फायदा हुआ।

चेकोस्लोवाकिया के विनाश के बाद मेमन पर जर्मनी और अल्बेनिया पर इटली ने अधिकार जमा लिया। लियुग्रानिया को घमण्णकर २२ मार्च को हिटलर ने मेमेल पर प्राधिपत्य कर लिया। इसका बाद सुगोर्निनी ने देखा कि जर्मन आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर चुका है और यूरोप के अन्य राज्यों उसके सम्मुख सबथा अग्रहाय है, तो उसकी भी हिम्मत बढ़ी। उनकी निजलता से प्रोत्साहित होकर उसने अप्रिल, १९३९ में अल्बेनिया को इटली में शामिल कर लिया। अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यन्याय और मर्यादाविहीन फासिज्म का नरन-नृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था।

रूम-जर्मन समझौता तथा पोलैंड पर आक्रमण

पोलैंड का सकट—चेकोस्लोवाकिया के बाद हिटलर का अगला लक्ष्य पोलिश गलियारा और डान्जिग के जर्मन नगर पर अधिकार करना था। अल्पि पोलैंड के साथ जर्मनी की मैत्री सन्धि थी किन्तु हिटलर अब पन्धियों के बन्धन से ऊपर उठ चुका था। चेकोस्लोवाकिया के विनाश के समय उसने कहा था कि 'यह मेरा अन्तिम दावा है।' उस समय किसी एक परिहास लेखक ने कहा था कि यह वाक्य हिटलर के मकदूर पर खोदा जाना उचित होता, जहाँ वह पहली बार सत्पूर्ण बधन होता। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सभी कुशल प्रेक्षक अब यह समझ गये थे कि हिटलर की प्रादेशिक भूख बड़ी तीव्र है और वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह सम्पूर्ण ससार को न निगल जाय। आस्ट्रिया के नाश के बाद सब एक स्तर से स्वीकार करते थे कि 'अगला नम्बर चेकोस्लोवाकिया का है। चेकोस्लोवाकिया के विनाश के बाद यह पणतया स्पष्ट हो गया कि इस बार पोलैंड की प्रारी है। चेकोस्लोवाकिया को हड़पने के दूररे ही दिन से जर्मन अखबारों में पोलैंड के जर्मन गत्यसख्यकों पर अत्याचार का दापारोपण शुरू हो गया। जर्मनी की गतिविधि को देखकर यह स्पष्ट होने लगा कि पोलैंड पपुरर का दूसरा शिकार होगा।

वर्साय-सन्धि के द्वारा पूर्वी साइलेसिया और पश्चिमी प्रशा का अधिकांश भाग पोलैंड को प्राप्त हुआ था। युद्ध के समय पोलैंडवालों ने अनेक ऐसे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जिन्हें बहुमूल्यक निवासो जर्मन थे। समुद्र तक पहुँचने के लिए पोलैंड को जर्मनी के भू-भाग से मार्ग भी दिया गया था। पोलैंड के हितों की रक्षा के लिए ही डान्जिग के प्रसिद्ध बन्दरगाह को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अन्दर एक स्वतन्त्र नगर का रूप दिया गया था। डान्जिग तक पहुँचने के लिए पोलैंड को जर्मनी के बीच से एक गलियारा भी दिया गया था। इस गलियारे के कारण पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से निकुल अलग हो गया था। इस प्रकार पोलैंड के कारण वर्साय-सन्धि के द्वारा जर्मनी का अंग भंग हुआ था। नात्सी परराष्ट्र-नीति का मुख्य उद्देश्य वर्साय-सन्धि को नष्ट करने सम्पूर्ण जर्मन-जाति का एक छत्र में बाँधना था। ऐसी स्थिति में यह कैसे सम्भव था कि नात्सी-जर्मनी और पोलैंड में कोई झगड़ा नहीं हो। वास्तव में जर्मन परराष्ट्र-तन्त्र का बर्साय-सन्धि का तत्काल परिणाम था। शान्ति सम्मेलन के बाद पोलैंड और जर्मनी के बीच कभी भी अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा। दोनों देशों की सोमान्तों पर कोई-न-कोई घटना घटती ही रहती थी। पोलैंड में जर्मनों पर अत्याचार और जर्मनों में पोलैंड पर अत्याचार के दोषारोपण हमेशा सुने जाते थे। प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर पोलैंड और जर्मनी में मतभेद होना स्वाभाविक था। पोलैंड जर्मनी की प्रत्येक कारवाही का विरोध करता रहता था। जर्मनी में नात्सी-पार्टी के उत्कर्ष से दोनों देशों के बीच मनमुटाव और भी बढ़ गया। पोलैंड अनुभव करने लगा कि नात्सी जर्मनी ऊपरी साइलेसिया, डान्जिग और गलियारे का प्रश्न अवश्य ही उठायगा और वह दिन दूर नहीं जब पोलैंड को उनका परिवर्तन करना पड़े। इसलिए पोलैंड नहीं चाहता था कि जर्मनी के साथ उसका सम्बन्ध सदा के लिए गिरावा ही रहे। उसने जर्मनी से मित्रता कर लेना ही उचित समझा। अतः १९२४ में पोलैंड और जर्मनी के बीच एक दशवर्षीय अनाक्रमण-सन्धि हो गयी, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच का मनोमार्मिन्व और तनाव बहुत कम हो गया।

पोलैंड और जर्मनी का यह मेल मिलाप निकुल अस्वाभाविक था। अवीसीनिया, राइनलैंड, स्पनिश, आस्ट्रिया और च्चास्नोवाकिया-सकटों के समय यह अस्वाभाविकता स्पष्ट होने लगी और जर्मनी के उद्देश्यों पर पोलैंड का सन्देह बढ़ने लगा। इसका एक और कारण था। पोलैंड में, और खासकर डान्जिग में जर्मनी के दंग पर एक नात्सी पार्टी का संगठन हो चुका था। फरवरी, १९३५ में डान्जिग में एक चुनाव हुआ। उसमें नात्सी-पार्टी का अपूर्व सफलता मिली। कुछ दिनों के बाद वहाँ का नात्सी नेता फोस्टर खुलेआम घोषणा करने लगा कि

वह फ्यूरर के अतिरिक्त किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं है। पोलैंड के शासकों का सिर दर्द बढ़ने लगा। उस समय पोलैंड का परराष्ट्र मन्त्री कर्नल बेक था। अक्टूबर, १९३८ में रिबनट्रोप ने बर्लिन स्थित पोलिश राजदूत लिप्सकी से यह माँग की कि डान्जिग को जर्मनी को लौटा दिया जाय। जनवरी, १९३९ में जब रिबनट्रोप धारसा गया तो इस माँग को फिर दुहराया गया। चेकोस्लोवाकिया के विनाश और मेमेल पर आधिपत्य के बाद यह माँग जोर-शोर से होने लगी। २१ मार्च को रिबनट्रोप ने लिप्सकी के सामने बाजाफ़ा यह प्रस्ताव रखा कि डान्जिग जर्मनी को लौटा दिया जाय और पोलिश गलियारे से होकर जर्मनी को पूर्वी प्रशा तक रेल और सड़क बनाने के लिए भूमि दी जाय। दूसरे शब्दों में जर्मनी गलियारे में एक गलियारा चाहता था। इसके बदले में जर्मनी डान्जिग में पोलैंड के आर्थिक अधिकार सुरक्षित रखने, पोलैंड जर्मनी-सीमा को स्थायी रूप से स्वीकार करने और उसके साथ पन्द्रह वर्षों के लिए एक अनाक्रमण सन्धि करने को तैयार था। पोलैंड ने इन माँगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पोलैंड के विरुद्ध एक सर्गाठित प्रचार शुरू हुआ। जर्मन समाचार पत्रों में पोलैंड में जर्मनों की कथित हत्या की खबर प्रकाशित होने लगी। ३ अप्रिल को ब्रिटिश लोकसभा में डा० डाल्टन न प्राग से हाल में आये एक प्रामाणिक व्यक्ति के आधार पर सदन को सूचित किया कि प्राग स्थित जर्मन-सैनिक कह रहे थे कि 'हम बहुत देर यहाँ नहीं रहेंगे। हम शीघ्र ही आगे पोलैंड जायेंगे।' वास्तव में डान्जिग में जर्मन आन्दोलन को मडकाने और समुद्र की राह से पूर्वी प्रशा में सेना भेजने का काम शुरू हो चुका था। जर्मन अबबारा में पोलैंड के विरुद्ध प्रचार जारी थे। इन प्रचारों के उद्देश्य से दुनिया अब सुपरिचित हो चुकी थी, इसकी दूसरे नये हमने को भूमिका समझना कोई कठिन काम नहीं था। सावधानक रूप से यह स्वीकार की जाने लगी कि पोलैंड पर जर्मन आक्रमण होने ही वाला है।*

ब्रिटिश नीति में परिवर्तन — ब्रिटेन को अब वास्तविकता का ज्ञान हुआ। चेकोस्लोवाकिया एक ऐसा देश था, जो ब्रिटेन से 'बहुत-बहुत दूर' पर स्थित था लेकिन पोलैंड ब्रिटेन से बहुत नजदीक था और उसकी रक्षा ब्रिटिश सुरक्षा का एक अभिन्न अंग था। बहुत देर के बाद चेम्बरलेन ने अनुभव किया कि म्यूनिख का समझौता 'अपने जमान की शान्ति' नहीं बरन् युद्ध का निमन्त्रण था। उसकी सारी प्रोत्साहनवादी नीतियाँ मिट्टी में मिल चुकी थी। ब्रिटेन के समाचार पत्र, जिन्होंने कुछ ही दिन पूर्व चेम्बरलेन का 'विजेता' के रूप में स्वीकार किया था, अब उसकी सारी नीतियों को कोढ़ने लगे। ब्रिटिश-नीति में ब्रामून परिवर्तन करने की माँग सधृ के

ग्राहर और भीतर जोरशोर से होने लगी। १७ मार्च को चम्बरलेन की आँखों के सामने से धु धलापन दूर हो गया। उस दिन बर्मिंघम में उसने जा भाषण दिया उससे ब्रिटिश नीति में परिवर्तन के सारे लक्षण मलक रहे थे। उसने कहा—“जर्मनी के आश्वासनों पर वैसा विश्वास किया जाय ? हाल में उसने ऐसे घृणित काम किये हैं जिससे सत्कार का लोकरुमत क्षुब्ध है। पर प्रत्येक मोह पर हमलोगों ने उनका प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। लेकिन, इस सप्ताह प्राग में जो कुछ हुआ है वह उन सभी आदर्शों के विरुद्ध है, जिनका प्रतिपादन स्वयं जर्मनी ने किया था। क्या वह पुराने उपक्रम का अन्त है या नये का आरम्भ ? क्या ? यह तथ्यत सत्कार पर बल प्रयोग द्वारा अधिकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है।”

चेम्बरलेन के भाषण देने और निन्दा करने से हिटलर डरनेवाला नहीं था। यदि पोलैंड की रक्षा करनी हो तो उसकी प्रादेशिक अखण्डता की गारंटी करना अत्यन्त आवश्यक था। २१ मार्च को पोलैंड के सामने हिटलर अपना प्रस्ताव रख चुका था। पोलैंड पर तुरत ही खतरा पैदा होनेवाला था। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन चुपचाप नहीं बैठा रह सकता था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों में विचार विमर्श होने लगा। ३१ मार्च, १९३९ को चेम्बरलेन ने ब्रिटिश लोकसभा में एक भाषण देकर ब्रिटेन की नयी नीति का श्रीगणेश किया। ‘यदि ऐसी कोई कार्रवाई की गयी जिससे पोलैंड की स्वतन्त्रता को स्पष्ट खतरा हुआ और पोलिश सरकार अपनी राष्ट्रीय सेनाओं से मुकाबिला करना आवश्यक समझे तो ब्रिटेन अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता पोलैंड का देगा। फ्रांसीसी सरकार न भी मुझे यह कहने का अधिकार दिया है कि वह भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करती है।’ यह पोलैंड की स्वाधीनता के लिए आँग्ल फ्रांसीसी गारंटी थी। ६ अप्रैल को जब बेक लन्दन आया तो इस गारंटी का राजाज्ञा अनुमोदन कर दिया गया। रूमानिया, यूनान और तुर्की का भी इस प्रकार की गारंटी दी गयी।


हिटलर का जवाब—हिटलर इन धमकियों से भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं था। यह पोलैंड पर आक्रमण करने की तैयारी करता रहा। लेकिन, पोलैंड पर आक्रमण करने के पहले सोवियत-रूस को अपने पक्ष में करना अति आवश्यक था। सोवियत-रूस बहुत पहले से जर्मनी के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने का प्रस्ताव रखता आ रहा था। किन्तु ब्रिटेन और फ्रांस बराबर क्रिती न किसी बहाने इस प्रस्ताव को टालते रहे। उसका क्याल था कि जर्मनी की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना ही उनके हक में अच्छा है, क्योंकि इससे हिटलर एक-एक दिन साम्यवादी रूप पर आक्रमण करके उसका विनाश कर देगा। पर, चेकोस्लोवाकिया के विनाश के बाद उनकी आँखें खुली।

ब्रिटेन और फ्रांस के शासक अब अनुभव करने लगे कि हिटलर उनकी स्वतंत्रता के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अतः संयुक्त मोर्चा कायम करने के लिए वे स्टालिन से बातचीत करने लगे।

रूस से अनाक्रमण सन्धि—इसी समय गुप्त रूप से स्टालिन और हिटलर में भी एक सन्धि के लिए बातचीत चल रही थी, क्योंकि हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करने के पूर्व सोवियत-राज्य का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहता था। अतएव २३ अगस्त, १९३९ को सोवियत जर्मन अनाक्रमण-सन्धि हो गयी। इंग्लैंड और फ्रांस देखते ही रह गये। इस सन्धि द्वारा दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया, परन्तु इसके साथ ही कुछ गुप्त धाराओं द्वारा पोलैंड के बँटवारे की व्यवस्था हुई, जर्मनी ने रूस की बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता दे दी और रूस ने जर्मनी को खाद्यान्न, पेट्रोल तथा युद्ध की अन्य सामग्रियाँ देने का वचन दिया। यह सन्धि निर्णायक रही। हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु उसे रूस की ओर से भय था और वह दो मोर्चों पर लड़ने से हिचकिचाता था। इस सन्धि से उसका यह भय केवल दूर ही नहीं हो गया, उसे यह भी विश्वास हो गया कि उसे पूर्व में विरोध की जगह सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

यूरोप की राजनीतिक स्थिति दिनोदिन खराब होती जा रही थी। युद्ध के बादल मँडरा रहे थे। संयुक्तराज्य अमेरिका अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से तथाकथित पृथक्ता की नीति का अवलम्बन कर रहा था। स्थिति को बिगड़ते देख अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने शान्ति के लिए कुछ प्रयास करना ठीक समझा। १५ अप्रैल को उसने हिटलर और मुसोलिनी को अलग-अलग पत्र लिखे, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें, जिससे विश्व की शान्ति खतरे में पड़ जाय। जर्मनी और इटली के समाचार-पत्रों ने अपशब्दों और बटुवचनों से राष्ट्रपति के पत्र का स्वागत किया। २८ अप्रैल को जर्मन रीहस्टाग के एक विशेष अधिवेशन को अमरीकी राष्ट्रपति के पत्र पर हिटलर का उत्तर सुनने के लिए बुलाया गया। हिटलर ने सार्वजनिक रूप से जर्मनी के लिए डाहिजग की माँग की। 'डाहिजग एक जर्मन नगर है और जर्मनी से मिलना चाहता है। इस प्रश्न को आज या कल हल करना ही होगा।' उसने पोलैंड को अंग्रेज अमरीकी गारंटों को घेरेबन्दी की नीति बतलाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन घौसों से डरने वाला नहीं है। 'यूरोप में यह मेरा अन्तिम प्रादेशिक दावा है और शान्ति के लिए इसको मान लेना चाहिए।' फ्यूरर ने एक बार फिर अपनी पुरानी चानू डहराची।

अन्तिम स कट—स्वीडन के भाषण के बाद जर्मनी अखबार पोलैंड पर आग उगलने लगे। पोलैंड में 'जर्मनों पर अत्याचार' की कहानियाँ विस्तारपूर्वक छपने लगी। डा० गोब्लस द्वारा प्रतिदिन नयी-नयी कहानियाँ गढ़ने का काय शुरू हो गया था। इन आरोपों को स्वयं हिटलर भी और अधिक अतिरिक्त शब्दों में दुहराने लगा। वास्तव में गत एक महीने से डान्जिग में नास्तियों के घर आन्दोलन चल रहे थे। सुडेटनलैण्ड की कहानी डान्जिग में दुहरायी जा रही थी। स्थिति को बिगड़ते देख चैम्बरलेन ने एक बार फिर हिटलर से अपोल का। चैम्बरलेन ने सोचा कि जिस तरह सुडेटनलैण्ड को लेकर विश्वयुद्ध मान लेना अच्छा नहीं था, उसी



उस तरह डान्जिग का लेकर विश्वयुद्ध आरम्भ करना ठीक नहीं होगा। वह एक बार फिर सन्देष्टीकरण की नीति अपनाना चाहता था। बर्लिन स्थित ब्रिटिश राजदूत सर हण्डरसन ने चैम्बरलेन ने आदेश पर स्वीडन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि

डान्जिग के प्रश्न को पोलैण्ड और जर्मनी वार्ता द्वारा तय कर लें। हिटलर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और पोलिश 'अत्याचार' के सम्बन्ध में अपने विचार दुहराते हुए यह घोषणा की कि "डान्जिग और गलियारे का प्रश्न हल होकर रहेगा और हल करना पड़गा।" हिटलर ने हन्डरसन से यह भी कह दिया कि डान्जिग को लेकर यदि युद्ध भी छिड़ जाय तो वह उसके लिए तैयार है। 'मेरी उम्र ५० साल की हो गयी है। हम आज ही युद्ध का हो जाना पसन्द करेंगे, न कि पाँच या दस साल के बाद जब मैं ५५ या ६० वर्ष का हो जाऊँगा। मैं एक कलाकार हूँ और सम्पूर्ण जाति को एक सूत्र में बाँध कर अयकाश ग्रहण कर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ।"* वास्तव में यह बात थी कि हिटलर कभी भी डान्जिग पर समझौता नहीं चाहता था। इसमें शक नहीं कि डान्जिग मुख्यतः एक जर्मन नगर था और बर्साय सन्धि द्वारा जर्मनी से उसे अलग करना एक महान् गलती थी। इस तथ्य के बावजूद पोलैण्ड के लिए भी डान्जिग आवश्यक था। पर हिटलर के लिए डान्जिग का कुछ और महत्त्व था। इसका मतलब यूरोप में एक दूसरी कूटनीतिक विजय थी। दूसरे शब्दों में डान्जिग का महत्त्व पोलैण्ड के लिए वही था जो चेकोस्लोवाकिया के लिए सुडेटनलैण्ड का। यह गलियारे, साइलेसिया और अन्ततः सम्पूर्ण पोलैण्ड का दरवाजा हिटलर के लिए खोल देगा। अतएव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्युरर युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था।†

* *British Blue Book* pp 98 100

† २३ अगस्त को हिटलर ने अपने सहयोगियों के समक्ष इस प्रकार का एक भाषण दिया था—

"Everything depends on me on my existence No one will ever again have the confidence of the whole German people as I have There will probably never again be a man in the future with more authority My existence is therefore, a factor of great value - For us it is easy to make decision We have nothing to lose - Our enemies have men who are below average, no personalities no masters, no men of action All these fortunate circumstances, will no longer last in two or three years Therefore conflict is better now I am only afraid that at the last moment some scoundrel will make a proposal for mediation I shall give a propagandist cause for starting the war never mind whether it is plausible or not The victor will not be asked, later on whether we told the truth or not In starting and making a war, it is not the Right that matters but Victory Trail of the Major War Criminals Nuremberg —1947-49, Vol II pp 286 291

२५ अगस्त को हिटलर ने हन्डरसन से यह कहा कि यदि जर्मनी की न्याय-संगत माँगों के कारण जर्मन और ब्रिटेन में युद्ध छिड़ गया तो यह बहुत दुःखद घटना होगी और इसकी जिम्मेवारी पूर्णतया ब्रिटेन पर होगी। उसने हन्डरसन को सुझाव दिया कि ब्रिटेन और जर्मनी को समझौता कर लेना चाहिए। समझौते के इस प्रस्ताव को लेकर हन्डरसन वायुयान से उसी दिन लन्दन गया। २८ अगस्त का एक अन्वय के साथ वह बर्लिन वापस आ गया। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि 'ब्रिटेन और जर्मनी में तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता, जब तक पोलैंड और जर्मनी के झगड़ों का शान्तिपूर्ण निवटारा नहीं हो जाय। अतएव, जर्मन सरकार पहले पोलिश सरकार से समझौता कर ले। पोलिश सरकार जर्मनी से वार्ता करने के लिए तैयार है।' हन्डरसन ने अपनी सरकार के विचार हिटलर और रिबनट्रोप को बतला दिये। उन लोगों ने हन्डरसन को सूचित किया कि जर्मन सरकार पोलिश सरकार से वार्ता के लिए तैयार है, पर एक शर्त पर कि पोलैंड एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसकी समझौता की शर्तों का तत्काल स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार हो, ३० अगस्त को बर्लिन भेजे। हन्डरसन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह एक चुनौती की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि एक पोलिश प्रतिनिधि को बिना उसे यह सूचित किये कि वार्ता के प्रस्तावों का आधार क्या है वार्ता के लिए बुलाना निरान्वत अनुचित है। हिटलर ने इसको चुनौती समझना गलत बतलाया। उसने कहा कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गयी है। जर्मनों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना है।

यह निश्चित था कि बुधवार, ३० अगस्त को कोई भी पोलिश प्रतिनिधि बर्लिन नहीं आ सकता था। बेक की शुश्रूषा और हाचा की याद अने लगी और उसने बर्लिन जाने से इन्कार कर दिया। ३० अगस्त की आधी रात को हन्डरसन पुनः रिबनट्रोप से मिलने गया। जर्मन विदेश मन्त्री ने उसको बतलाया कि अब कुछ करना बेकार है, क्योंकि निर्धारित समय तक पोलिश प्रतिनिधि बर्लिन नहीं पहुँचा है। लेकिन, वह अपनी नेकनीयती जता देना चाहता था। उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और 'बहुत तेजी' से उसको पढ़ने लगा। उसमें २६ प्रस्ताव थे जिन्हें जर्मन सरकार ने पोलिश-प्रतिनिधि के सामने रखने के लिए तैयार किया था। इसकी शर्तें बहुत ही सन्तोषजनक थीं। हमें कहा गया था कि डान्जिग शीघ्र ही जर्मनी को वापस लौटा दिया जाय। पोलिश गलियारों को एक माल के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में रखा जाय और हम अबधि के समाप्त होने पर वहाँ लोकमत लिया जाय। अगर लोकमत जर्मनी के पक्ष में हुआ तो गलियारा क्षेत्र में जर्मनी पोलैंड को सुविधा प्रदान करे और लोकमत यदि पोलैंड

के पक्ष में हुआ तो जर्मनी को इस क्षेत्र में सुविधा प्राप्त हो। ये सब प्रस्ताव काफी अच्छे थे और इनके आधार पर समझौता हो सकता था। हन्डरसन ने इस प्रस्ताव की एक प्रति माँगी, पर रिबनट्रोप ने उसको देने से इन्कार कर दिया कि निर्धारित समय तक पोलिश प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है और इसके आधार पर अब वार्ता करना ही बेकार है। हन्डरसन ने पूछा कि पोलिश-राजदूत लिप्सकी को बुलाकर उसके सामने इन प्रस्तावों को क्यों नहीं रखा गया है? रिबनट्रोप ने जवाब दिया 'मैं पोलिश राजदूत को नहीं बुला सकता। हाँ, अगर राजदूत मिलने के लिए स्वयं अनुरोध वरे तो यह दूसरी बात होगी।' हन्डरसन लिखता है "उस रात मैं निराश होकर दूतावास लौटा। शान्ति की अन्तिम आशाएँ समाप्त हो चुकी थीं।"

दूतावास लौटकर सुबह में हन्डरसन ने टेलीफोन पर लिप्सकी से बातचीत की और गत रात की घटनाओं से उसको अवगत कराया। उसने लिप्सकी से अनुरोध किया कि वह जर्मन विदेश मंत्री से मिलने का प्रयास करे। ३१ अगस्त को सुबह ८ बजे लिप्सकी ने रिबनट्रोप से अनुरोध किया कि वह उससे मिलना चाहता है। ६ १/२ बजे सन्ध्या को लिप्सकी जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालय में बुलाया गया। इसके पूर्व लिप्सकी को अपनी सरकार से यह आदेश मिल चुका था कि यदि सोलह-सूत्री प्रस्ताव अन्तिमैत्यम् के रूप में न हो तो वह उन्हें स्वीकार कर ले। रिबनट्रोप ने उन प्रस्तावों की एक प्रति लिप्सकी को दे दी। इसपर विचार-विमर्श करने के लिए लिप्सकी अपने परराष्ट्र मन्त्री से टेलीफोन से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उस समय तक बर्लिन और वारसा के बीच टेलीफोन की लाइन कट चुकी थी। अपनी सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करने में लिप्सकी असफल रहा। ९ बजे रात को जर्मन रेडियो ने सोलह सूत्री प्रस्ताव को जर्मनी की नेकनीयती जताने के लिए प्रसारित कर दिया। १ सितम्बर को खूब सवेरे बिना विधिवत् युद्ध की घोषणा किये ही जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर अपना आक्रमण आरम्भ कर दिया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध का श्रीगणेश था।

आक्रमण से पोलैंड की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस वचनबद्ध थे और जिस समय हिटलर का हमला शुरू हुआ उसी समय उनको युद्ध का मीदान में दूढ़ पडना चाहिए था। लेकिन, मुसोलिनी के हस्तक्षेप * के कारण ब्रिटेन और फ्रांस की

* इस समय इटली को स्थिति अज्ञेय थी। इटली नहीं चाहता था कि जर्मनी इस तरह खुलेआम आक्रमण की नीति अपनाय। अगस्त के मध्य में सिप्रानो बर्लिन गया। वहाँ से लौटने पर उसने जो अनुभव किये उसको वह इस प्रकार लिखा है—
"I returned to Rome completely disgusted with the Germans, with their leaders and with their way of doing things. Now they are dragging us into an adventure which we do not want." सिप्रानो ने होता कि यदि हिटलर मुसोलिनी पैकट को अस्वीकार कर दिया जाय तो स्थिति समझवै सकती है। पर फ्रूरर को इसको परवाह न थी। वह स्टाइन का समर्थन प्राप्त कर चुका था।

युद्ध घोषणा दो दिनों तक रुक गयी। उनका कहना था कि यदि अभी भी पोलैंड से जर्मन सेना वापस लौट आवे तो वे युद्ध घोषित नहीं करेंगे। ब्रिटिश-सरकार ने ३ सितम्बर को ग्यारह बजे दिन तक जर्मन सेना को पोलैंड से वापस बुला लेने के लिए अन्तिमोत्पत्त्यम् दे दिया। उस समय तक जर्मन सेना वापस नहीं लौटायी गयी और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसके कुछ ही घण्टों बाद फ्रांस ने भी युद्ध के शख बजा दिये। ससार एक अनन्त अन्धकार में डूब गया।

महाशक्तियों की विदेश नीति

विषय प्रवेश—दो विश्व-युद्धों के बीच के काल में ससार की महाशक्तियों (Great powers) की वैदेशिक नीति ने इस काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। बहुत अंशों में द्वितीय विश्व युद्ध का छिड़ना चर्हीं वैदेशिक नीतियों का परिणाम था। गत अध्याय में हमने नात्सी जर्मनी की वैदेशिक नीति का अध्ययन किया है। उस अध्ययन से यह स्पष्ट हा जाता है कि हिटलर ने वैदेशिक क्षेत्र में एक ऐसी नीति का अवलम्बन किया जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध १९३९ में छिड़ गया। लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध सामूहिक गलतियों का परिणाम था 'जसके लिए सभी महान् राष्ट्र जिम्मेवार थे। अतएव महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्याय में हम इटली, फ्रांस, ब्रिटेन संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत-संघ की विदेश नीतियों का अध्ययन करेंगे। जापान की विदेश नीति का संक्षिप्त दिग्दर्शन नवें अध्याय में कराया जायगा।

(क) इटली की विदेश नीति (१९१९-१९३९)

विदेश नीति के उद्देश्य—प्रथम महायुद्ध में इटली ने मित्रराष्ट्रों का साथ दिया था। प्रादेशिक विस्तार के लोभ में मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था। युद्ध के समय २६ अप्रिल, १९१५ को लन्दन में इटली और मित्रराष्ट्रों के बीच एक गुप्त सन्धि हुई थी जिसके अनुसार ट्रेन्तिनो, टीस्ट, टिरोल प्रदेश, उत्तरी डाल्मेशिया के अनेक प्रदेश उसको देने के वादे किये गये थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो इटली ने अपने को विजेताओं की पंक्ति में खड़े पाया। इटली का तत्कालीन प्रधान मन्त्री ओरलैंडो पेरिस शान्ति-सम्मेलन में एक महान् राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। वहाँ उसने इटली के दावे को पेश किया, लेकिन राष्ट्रपति विल्सन ने उसका घोर विरोध किया। अतएव शान्ति सम्मेलन में इटली को कुछ भी महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ। अफ्रिका में साम्राज्य विस्तार की उसकी कामना अधूरी रह गयी। इस कारण विजयी पक्ष में होते हुए भी इटली युद्ध से पराजित अवस्था में ही निकला। इटली में घोर निराशा व्याप्त हो गयी और वह अपने को "अतृप्त राज्यों" की कोटि में गिनने लगा। इटली के लोग समझने लगे कि काम निकल जाने के बाद मित्रराष्ट्रों ने उसे धोखा दिया है। देशभक्तों तथा राष्ट्रवादियों

ने इसको राष्ट्रीय अपमान समझा और इसके लिए अपनी कमजोर सरकार को जिम्मेवार ठहराया जो शान्ति सम्मेलन में इटली के दावे को पूरी शक्ति के साथ पेश नहीं कर सकी थी।

फातिज्म का उत्कर्ष — इटली को इस दुदशा का प्रभाव उसकी आन्तरिक और बाह्य दोनों नीतियों पर पड़ा। वहाँ की जनता अनुभव करती थी कि मित्रराष्ट्रों ने उन्हें धाखा दिया है। युद्ध में उसे काफी खच करने पड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आर्थिक-व्यवस्था एकदम खराब हो गयी थी। हजारों लोग भूखों मर रहे थे। सारा देश में असन्तोष था। इस असन्तोष से लाभ उठाकर मुसोलिनी-नामक एक व्यक्ति ने एक फासिस्ट पार्टी की स्थापना करके १९२२ में इटली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। मुसोलिनी के उत्थान की कहानी और फासिस्ट-व्यवस्था का वर्णन करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के इतिहास का विषय नहीं हो सकता। यहाँ पर हम केवल इटली की विदेश नीति पर ही प्रकाश डालेंगे।

मुसोलिनी की विदेश नीति फासिस्ट सिद्धान्त पर ही आधारित थी। फासिस्ट-सिद्धान्त सभ्यता की अपेक्षा गुण का अधिक महत्त्व देता था। यदि हजार मूर्ख एक बात कहते हों तो वह मान्य नहीं हो सकती। एक ज्ञानी आदमी जो बात कहे, वही मान्य शान्ति चर्चाएँ। इटली की विदेश नीति के मूल में यह एक महत्त्वपूर्ण बात थी। फासिस्ट होने के नाते डूचे को राष्ट्रसभ में विश्वास नहीं था, क्योंकि वह राष्ट्रों की समता के सिद्धान्त पर आधारित था। मुसोलिनी की राय में राष्ट्रसभ इस कारण कोई कारवाही करने में मग्न था कि उसे ५० से अधिक सदस्य राष्ट्रों के मतैक्य की आवश्यकता थी। अपने इथियोपियन अभियान के समय उसने कहा था “शान्ति-शान्ति की कामना एक बेतुकी बात है। इरुका हमारे सिद्धान्त और प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त न कभी कायम रहा है और न भविष्य में कभी कायम रहेगा। राष्ट्रसभ एक व्यर्थ की मन्था है। हमें अपने जीवन मरण के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में डूचे का यही स्तर था। वह अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यन्याय में विश्वास करता था, राष्ट्रों के बीच शक्तिपूर्ण सहजीवन में नहीं।

विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर की तरह मुसोलिनी के भी कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थे। महायुद्ध में इटली की सेनाओं ने कोई विशिष्ट वीरता प्रदर्शित नहीं की थी। इटली वाले अपनी सैनिक निबलता को समझते थे और उनमें एक प्रकार का हीन भाव उत्पन्न हो गया था। महायुद्ध के उपरान्त पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भी इटली के साथ अपेक्षा का बर्ताव हुआ था और इटली वाले समझते थे कि इसका कारण उनकी दुबलता ही थी। मुसोलिनी ने जिस समय सत्ता अपने हाथों में

ली उस समय इटली में वह हीन भावना सबत्र व्याप्त हो रही थी और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बहुत ऊँची नहीं थी। सुसोलिनी की विदेश नीति का प्रधान उद्देश्य इस दुर्बलता एवं हीन भावना का अन्त करके इटली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सत्कार में सम्मानपूर्ण पद प्राप्त करना और सत्कार की महान् शक्तियों में उस स्थान दिलाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। इसके साथ ही उसका दूसरा उद्देश्य इटली के लिए एक साम्राज्य का निर्माण करना था। महायुद्ध के फलस्वरूप इटली का बाल्कन प्रायद्वीप, पश्चिमी एशिया तथा अफ्रिका में साम्राज्य विस्तार का जो स्वप्न था वह भग्न हो गया था। मित्र राष्ट्रों ने उसे धोखा दिया था। उस इसका प्रतिकार करना था और वर्साय की सन्धि का सशोषण करना था।* इसके अतिरिक्त सुसोलिनी का सतारूढ बना रहना, इसी सफलता पर आधारित था। तानाशाही को सुदृढ बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करके राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि करना। इससे जनता का ध्यान विदेशी घटनाओं की ओर आकर्षित रहता है और तानाशाही स्वच्छन्द रहती है।

भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापना का प्रयास—पेरिस शान्ति सम्मेलन में जब मित्रराष्ट्रों के मध्य लूट का बँटवारा किया जा सकता था तो उस समय इटली की ओर से भूमध्यसागर के पूर्वी भाग में स्थित रोडस तथा डोडिकानीज द्वीप समूहों को प्राप्त करने की माँग प्रस्तुत की गयी। लेकिन वहाँ इसको अस्वीकृत कर दिया गया। सेब्रेज की सन्धि के अनुसार इटली को इन द्वीप समूहों पर से अपने दावे का परित्याग करना पडा। किन्तु सुसोलिनी भूमध्यसागर में पूरी प्रभुता स्थापित कर उसे “रोमन फील” के रूप में परिवर्तित करने का इरादा रखता था। अतएव अधिकार प्राप्त करने के दुरत ही बाद सुसोलिनी ने इन द्वीप समूहों पर कब्जा कर लिया। वहाँ किलाबन्दी की गयी और अच्छे नौसैनिक अड्डे स्थापित किये गये।

कोफू कांड—१९२३ के अगस्त सितम्बर में कोफू को लेकर यूनान के साथ इटली का झगडा हो गया। इसका सम्बन्ध में हम पहले ही पढ चुके हैं कोफू का मामला राष्ट्रसंघ में पेश हुआ और काफो कठिनाई के बाद इसका समाधान हो पाया।

फ्यूम की प्राप्ति—पेरिस शान्ति सम्मेलन में फ्यूम बन्दरगाह में तथा यूनान के प्रश्न पर इटली तथा युगास्लाविया के बीच घोर मतभेद हो गया था। मित्रराष्ट्रों ने १९२० में दोनों देशों में समझौता कराकर फ्यूम को एक स्वतन्त्र बन्दरगाह बना दिया। लेकिन १९२४ में सुसोलिनी ने युगास्लाविया के साथ समझौता करके फ्यूम का उपनगर पोर्ट वेरोस उसे दे दिया और फ्यूम पर स्वयं अधिकार जमा लिया।

रूस से मित्रता—इस प्रकार सुसोलिनी ने इटली की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा भूमध्यसागर में अपनी स्थिति का सुधारने के प्रयत्न शुरू किये। १९२२ में वाशिंगटन की सन्धि के द्वारा नाविक शक्ति में इटली को फ्रांस के साथ समानता का स्तर मिल चुका था। इसके बाद भी वह अपना पक्ष सबल बनाने के लिए मित्र प्राप्त करना चाहता था। पर उस समय यूरोप की स्थिति ऐसी थी कि एक मित्र राज्य की प्राप्ति सरल न थी। यूरोप के अधिकांश देश यथास्थिति के समर्थक और संधि-सशोधन के विरोधी थे। कबल आस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गेरिया ही ऐसे राज्य थे जो सन्धि में सशोधन चाहते थे। ये राज्य इटली की ओर आकर्षित होने लगे और इटली से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने लगा। परन्तु ये सब राज्य छोटे थे। बड़े राज्यों में जर्मनी की दशा क्षीण हो रही थी। केवल रूस बचा था। वह भी सन्धि के सशोधन के पक्ष में था। अतः उसने फरवरी १९२४ में रूस की सोवियत सरकार को वैध मान्यता प्रदान करके उसके साथ व्यापारिक सन्धि कर ली।* वह सोवियत रूस को राष्ट्र-संघ में सम्मिलित करने का प्रयत्न करने लगा और दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। इसके बाद अप्रिल, १९२७ में हंगरी के साथ, सितम्बर १९२८ में यूनान के साथ और फरवरी १९३० में आस्ट्रिया के साथ इटली की मित्रता की सन्धियाँ हुईं।

टिराना की संधि—सुसोलिनी एड्रियाटिक सागर पर पूरा अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए औट्रेण्टो के जलडमरूमध्य पर नियन्त्रण पाना आवश्यक था। सुसोलिनी अब इस पर अपनी दृष्टि जमायी। पर इसके लिए अल्बेनिया से समझौता करना आवश्यक था। अतएव २७ नवम्बर, १९२६ को अल्बेनिया की राजधानी टिराना में एक सन्धि हुई जिसके अनुसार अल्बेनिया इटली का संरक्षित राज्य बन गया। सुसोलिनी धीरे-धीरे अल्बेनिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाता रहा और १९३९ में उसपर कब्जा कर लिया।

हिटलर का उदय तथा फ्रांस-ब्रिटेन से सहयोग—१९३३ के आरम्भ में जर्मनी में हिटलर सत्तारूढ हुआ। इससे सुसोलिनी बड़ा भयभीत हुआ। इसका कारण यह था कि हिटलर आस्ट्रिया की जर्मनी में सम्मिलित कर लेना चाहता था। लेकिन सुसोलिनी चाहता था कि आस्ट्रिया पर इटली का प्रभाव बना रहे। इटली की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। अगर आस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ मिल जाते तो दक्षिणी टायरोल नामक जर्मनी-आस्ट्रियन प्रान्त के लिए, जो वर्साय सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पैदा हो सकता था। आस्ट्रिया और जर्मनी का संधि स्थापित हो जाने से इटली जर्मन के निकट सम्पर्क में आ जाता था।

* Ibid p 16

मुसोलिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अतएव नास्तीक्रांति के फलस्वरूप इटली की विदेश-नीति भाटकीय दग से बदलने लगी। इटली आस्ट्रिया के नास्ती विरोधियों को हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, १९३४ में आस्ट्रियन प्रधान मन्त्री डाइफस की हत्या नास्तियों ने कर दी तो मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की सीमा पर अपने सैनिक को तैनात कर दिया। पर इतने से ही इटली का काम चलनेवाला नहीं था। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांस और इटली का सम्बन्ध निरन्तर खराब ही होता गया। अफ्रिका और नौ-सेना सम्बन्धी विषयों को लेकर दोनों का झगडा और भी गम्भीर हो गया था। किन्तु, आस्ट्रिया पर हिटलर की गृह दृष्टि एक ऐसा खतरा था, जिससे ये दोनों ही देश सामान्य रूप से समझौता करना ही भयस्कर समझते थे और जनवरी, १९३५ में फ्रांस और इटली के बीच एक समझौता हो गया। इस अवसर पर फ्रांस का विदेश मन्त्री लावाल रोम आया था। सम्भवत इती भेंट में मुसोलिनी ने लावाल से अबीसीनिया पर अधिकार करने की अपनी आकांक्षा प्रकट की और ऐमा विश्वास किया जाता है कि लावाल ने मुसोलिनी को यह आश्वासन दिया कि अबीसीनिया में फ्रांस का कोई हित नहीं है अर्थात् उसे छूट दे दी। * इसी तरह की सन्धि उसने चेकोस्लोवाकिया के साथ भी की। १९३४ में इटली राष्ट्र सभ का सदस्य भी हो गया।

१९३५ में जब हिटलर वर्साय-सन्धि को धाराओं को तोड़ा तो इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के प्रतिनिधि स्ट्रेसो नामक स्थान पर मिले और एक समझौता किया जिसके अनुसार हिटलर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा कायम किया गया।

अबीसीनिया-युद्ध

अबीसीनिया पर आक्रमण के कारण—देश का गौरव बढ़ाने के लिए मुसोलिनी अभी तक कोई चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं कर पाया था। लेकिन यह काम उसे करना था और इसके लिए उसने अबीसीनिया को चुना। अबीसीनिया का छोटा-सा राज्य उत्तर पूर्व अफ्रिका में स्थित है। इस देश में इटली की तदनन्तरी की कहानी काफी पुरानी है। १८६६ में ही इटली ने अबीसीनिया पर हमला करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेने का प्रयास किया था। पर अझाबा का लड़ाई में उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। मुसोलिनी इसको भूला नहीं था और वह संपुक्त अजर की ताक में था जब अझाबा की पराजय का प्रतिशोध अबीसीनिया से लेना था। पर इस काम का यह धावा दकर करना चाहता था। इतिहास

१९२८ में इटली ने अबीसीनिया का साथ एक सन्धि की थी जिसके अनुसार, अन्य बातों के अतिरिक्त, इटली ने यह वादा किया था कि वह अबीसीनिया का स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण नहीं करेगा। फिर भी १९३५ में मुसोलिनी ने अबीसीनिया पर चढ़ाई कर दी। इसके क्या कारण थे? इसका पहला कारण यह था कि साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्विता में इटली बहुत देर से शामिल हुआ था और, इस समय तक अबीसीनिया ही एक ऐसा देश बच रहा था, जहाँ इटली का साम्राज्यवादी प्रसार हो सकता था। इटली अपने का एक ऐसी ताकत समझता था, जिसका विस्तार होना अति आवश्यक था। इरिट्रिया, सोमालीलैंड और लीबिया में उसके साम्राज्य पहले से ही स्थापित थे। अगर अबीसीनिया भी उसमें सम्मिलित हो जाता है तो अफ्रिका में इटली का एक विशाल साम्राज्य बन सकता था। इसके अतिरिक्त मुसोलिनी सत्ता में अपने यश और रियासत फैलाना चाहता था। अन्य तानाशाहों की तरह उसे भी कुछ करना चाहिए। हिटलर का नाम प्रतिदिन सत्ता के अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपा करता था। इस क्षेत्र में मुसोलिनी क्यों पीछे रहता? उस साम्राज्यवादी विदेश नीति का अनुसरण करके ही तो वह अपना शासन सुरक्षित रख सकता था। १९३०-३२ के आर्थिक संकट के कारण इटली की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी थी और देश में करीब दस लाख लोग बेकार हो गये थे। इसके अतिरिक्त अबीसीनिया में तरह-तरह के खनिज पदार्थ उपलब्ध थे जिससे इटली का औद्योगिक विकास हो सकता था। फिर, इटली की बढ़ती हुई आबादी का बसाने का प्रश्न था। इसके लिए अबीसीनिया एक अच्छा प्रदेश हो सकता था। अतः मुसोलिनी पर आक्रमण करने का मनसूबा बँधने लगा।

जैसा कि मार्शल डी बोनो की जीवनी से प्रकट है, इटली ने १९३२ में ही अबीसीनिया पर आक्रमण करने का हृदय निश्चय कर लिया था। इटली के प्रसार की आवश्यकता फासिस्ट नीति का एक आधारभूत तत्त्व था और मुसोलिनी इस दिशा में प्रयत्नशील था। १९३१ में जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया और उस अवसर पर राष्ट्रसंघ की निबलता स्पष्ट हो गयी। इससे मुसोलिनी का हौसला बढ़ा। इसके बाद जर्मनी में १९३३ के बाद प्रारम्भ में नात्सी क्रान्ति हो गयी। नात्सी खतरे के अम्बुदय के कारण मुसोलिनी अपनी लक्ष्य की पूर्ति जल्द से-जल्द करना चाहता था। इसके अतिरिक्त नात्सी क्रान्ति से मुसोलिनी को बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिली। सत्तारूढ़ होने के तुरन्त ही वाद हिटलर ने वसाय सन्धि को अमान्य घोषित कर दिया था और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। यह देखकर मुसोलिनी ने अबीसीनिया पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया।

युद्ध का प्रारम्भ—काफी पंतरेवाजी के वाद वालवाल की एक छोटी सी घटना को लेकर इटली ने १९३५ में अबीसीनिया पर आक्रमण शुरू कर दिया। अबीसीनिया राष्ट्रसंघ का एक सदस्य था। अतएव उसने राष्ट्रसंघ में अपील की। राष्ट्रसंघ बहुत दिनों तक इस समस्या के समाधान को कोशिश करता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। राष्ट्रसंघ ने किस तरह अबीसीनिया काण्ड की समस्या पर विचार किया इस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं।

परिणाम—अबीसीनिया काण्ड दो विश्व युद्ध के बीच के काल का एक महत्त्वपूर्ण घटना था। इसने राष्ट्र-संघ की कपजोरी को प्रदर्शित कर दिया कि प्रबल राष्ट्रों के आक्रमण से छोटे और निर्यत्न राष्ट्रों की रक्षा करने में वह असमर्थ है। इस प्रकार इस घटना ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता और आक्रामक-प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। बर्लिन और टोकियो में इस बात पर विशेष रूप से गौर किया गया था।

अबीसीनिया युद्ध और इटली के प्रति अन्य बड़े राष्ट्रों के दब्यु रुख को देखकर हिटलर ने बर्साय-सन्धि की शर्तों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। इस संधि की कुछ शर्तों को वह पहले ही अस्वीकृत कर चुका था। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से लाभ उठाकर मार्च, १९३६ में हिटलर ने सेना भेजकर राइनलैंड पर अपना अधिकार कायम कर लिया। एक तरफ से अब लोकानों सन्धियों का अन्त प्रारम्भ हो गया। आक्रमणकारी को दण्ड नहीं देने का अर्थ आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना ही होता है। सुसोलिनी ने खुलेआम राष्ट्रसंघ विधान का उल्लंघन किया था और सामूहिक रूप से उसको कोई दण्ड नहीं दिया गया।*

रोम-बर्लिन धुरी—अबीसीनिया-काण्ड का प्रभाव जर्मनी और इटली के परस्पर सम्बन्ध पर पड़े बिना नहीं रह सका। अभी तक सुसोलिनी और हिटलर विविध कारणों से एक दूसरे से बहुत दूर थे। ब्रिटिश और फ्रांस ने सुसोलिनी की नीति का विरोध किया था। इसके विपरीत हिटलर सकट के आदि से अन्त तक तटस्थ बना रहा। हिटलर की तटस्थता सुसोलिनी के लिए बहुत बड़ी नैतिक सहायता साबित हुई। इसके फलस्वरूप दोनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने लगा। हिटलर और सुसोलिनी का मेल मिलाप और 'रोम बर्लिन धुरी' की स्थापना अबीसीनिया-काण्ड के प्रत्यक्ष परिणाम थे। अक्टूबर १९३६ में जर्मनी और इटली में एक समझौता हुआ जिसके आधार पर इन धुरी की नींव पड़ी और जो १९४४ तक कायम रही।

रूस का विरोध—इसो बीच में सुसोलिनी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस से अधिक रुष्ट हो गया था। इसका कारण यह था कि तुर्की बॉस्फोरस तथा डाइनेलीज के

जन संयोजकों का पुनः सैनिकरण (Remilitarization) करना चाहता था और इसी दृष्टि से उसने महान् सत्ताओं के इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आमन्त्रित किया था। जून-जुलाई १९६६ में मांट्रों (Montreux) सम्मेलन हुआ, परन्तु इटली उसमें सम्मिलित नहीं हुआ और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा तुर्की ने इटली के सहयोग के बिना ही समझौता कर लिया। इससे इटली को बहुत बुरा लगा और वह रूस के विरुद्ध नवम्बर १९३६ में जर्मनी ने जापान से जो सन्धि (Anti Comintern Pact) की थी, उनमें शामिल हो गया (१९३७)।

स्पेन का गृह-युद्ध

इस प्रकार इटली और जर्मनी में मैत्री आरम्भ हुआ और उसे सुदृढ बनाने का मौका भी साथ-ही-साथ स्पेन में मिल गया। कहा जाता है कि अयोसीनिया के युद्ध ने इटली और जर्मनी का वैमनस्य दूर किया था, किन्तु स्पेन के गृह युद्ध ने दोनों को प्रगाढ मित्र बना दिया।*

गृह-युद्ध की पृष्ठ-भूमि—स्पेन का गृह युद्ध यद्यपि एक राज्य के आन्तरिक स्थिति का विषय है, फिर भी इसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वाभिनय माना जाता है। इसकी महत्ता इस बात में है कि इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों के शक्ति सगठन (group alignment) का आभास पहले ही मिल गया। इस गृह-युद्ध में शक्ति-सगठन कुछ उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार पीछे चल कर द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके कारण सारा यूरोप दो खेमों में विभाजित हो गया।

प्रथम विश्व-युद्ध में स्पेन तन्मूक रहता था। अतएव महायुद्ध के समय उसकी अपूर्व उत्थिति हुई। पर युद्ध के बाद इस प्रकार की स्थिति नहीं कायम रह सकी। युद्ध के समाप्त हो जाने के तुरन्त बाद स्पेन में एक भयंकर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया और बेकारी की समस्या गम्भीर हो गयी। इस पर मजदूरों में असन्तोष बढ़ा, हड़तालें शुरू हुईं और दंगे फसाद होने लगे। १९२१ में स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि हड़तालियों ने वहाँ के प्रधान मन्त्री को हत्या तक कर दी। स्पेन में बराबर विद्रोह और हड़ताल का एक कारण यह भी था कि जनता सरकार का कुशासन से काफी परेशान रहती थी। नाम के लिए तो स्पेन में वैध राजसत्ता थी, पर वास्तव में वहाँ का राजा अलफान्सो पूर्णरूप से तानाशाही करता था। इसलिए स्पेन में शासन के विरुद्ध सदा विद्रोह होते रहते थे। १९२१ में मारक्का में, जिसका एक भाग पर स्पेन का अधिकार था, एक भयंकर विद्रोह हो गया। इस विद्रोह से मोरक्को के राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सेना का बुरी तरह परास्त कर दिया। इससे स्पेन में बड़ी बेचैनी फैली। जनता न समझती कि अलफान्सो

क कुप्रबन्ध के कारण ही मो वक्रों में स्पेन की हार हुई है। जनता इस कुप्रबन्ध के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। अलफान्सो ने देखा कि जनता में विद्रोह की भावना इतनी बढ़ रही है कि निकट भविष्य में उसे राजगद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। अतः सितम्बर, १९२३ में उसने प्रीमो दो रिवेरा नामक एक सेनापति की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। मन्त्रिमण्डल तथा ससदीय शासन का अन्त कर, शासन विधान को रद्द कर और देश में सैनिक कानून लागू करके रिवेरा स्वेच्छाचारी शासन करने लगा। वह इटली की फासिस्ट व्यवस्था का अनुसरण करके स्पेन का सुसोलिनी बनना चाहता था। १९२३ से १९३० तक स्पेन पर वह अपना स्वेच्छाचारी शासन करता रहा। उदार और प्रजातान्त्रिक विचार के सभी लोगों को बंद कर लिया गया। पर, इस तरह की व्यवस्था होने पर भी स्पेनियों में विद्रोह की भावना बलवती ही होती रही। देश में साम्यवाद भी जड़ पकड़ने लगा। समय समय पर दंगे, विद्रोह और हड़तालें होती रहती थीं। इन विद्रोहों का स्वरूप राजतन्त्र-विरोधी भी होने लगा। इसको देख कर अलफान्सो घबरा गया। उसने देखा कि प्रीमो दो रिवेरा के शासन से जनता इतनी असन्तुष्ट हो गयी है कि उसके कारण उस पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः रिवेरा को हटाने के लिए वह पड्यन्त्र करने लगा। रिवेरा ने जब देखा कि उसका साथ देनेवाला सब कोई नहीं रह गया है तो जनवरी, १९३० में उसने पदत्याग कर दिया।

दो रिवेरा के पदत्याग के बाद राजा अलफान्सो ने स्पेन में पुनः वैधानिक शासन स्थापित करने की घोषणा की। वह ससद् के चुनाव को व्यवस्था करने लगा। पर, जनता ने एक विधान-परिपद् की माँग की। अलफान्सो विधान-परिपद् नहीं चाहता था। वह किसी न किसी बहाने विधान परिपद् की माँग टालता रहा। इसी बीच स्पेन में गणतन्त्रीय भावना काफ़ी प्रगति कर रही थी। जमोरा नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में दिसम्बर, १९३० में गणतान्त्रिक और साम्यवादी पार्टियों ने मिल कर राजतन्त्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अलफान्सो इस विद्रोह को दबाने में सर्वथा असमर्थ था। वह स्पेन छोड़ कर फ्रांस भाग गया। उसके बाद स्पेन में एक गणतान्त्रिक सरकार की स्थापना हो गयी। नयी सरकार ने स्पेन की व्यवस्था सुधारने के लिए एतद् ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाये और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। पर जमोरा की सरकार से सभी स्पेनवासियों खुश नहीं थे। एक तरफ़ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो स्पेन में राजतन्त्र की पुनःस्थापना चाहते थे। इस दल में सामन्त, पादरी और कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी थे, जिनका विशेष स्वार्थ और एकाधिकार-कान्तिकारी सरकार की स्थापना के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। दूसरी तरफ़ सब समाजवादी और साम्यवादी थे, जिनके विचार में जमोरा की सरकार ने स्पेनियों

जनता के हित में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार स्पेन दो विरोधी बलों का संघर्ष क्षेत्र बन गया और गणतन्त्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दक्षिणपंथियों और वामपंथियों ने दाव पंच लगाना शुरू कर दिया। १९३१ से १९३३ तक स्पेन का राजनीति इसी आन्तरिक संघर्ष की कहानी है।

स्पेन की आन्तरिक उथल-पुथल का वर्णन इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उसका सर्वांगीण विवरण ही सम्भव है। १९३३ में स्पेनिश-संसद का एक चुनाव हुआ। इसमें वामपंथियों को अधिक सफलता नहीं मिली। चुनाव के बाद रिपब्लिकन दल के नेता लेरू ने एक मन्त्रिमंडल बनाया। किन्तु लेरू सरकार पतिक्रियावादी सरकार साबित हुई। उसने पहले की सरकार की सभी प्रगतिशील योजनाओं को स्थगित कर दिया। इसके विरोध में स्पेन में पुनः छिड़पुट बलबे होने लगे। स्पेन के वामपंथियों जिसमें रेडकल समाजवादी और साम्यवादी सम्मिलित थे, ने अनुभव किया कि यदि वे अपने आपसी झगड़ को भूलकर संगठित नहीं होते हैं, तो स्पेन की गतिशील शक्तियों को जबरदस्त धक्का पहुँचाया जायेगा। अतः उन लोगों ने मिलकर एक 'लोकमोर्चा' का संगठन किया। १९३६ में स्पेनिश संसद का नया चुनाव हुआ। इस चुनाव के 'लोकमोर्चा' में सम्मिलित सभी पार्टियों ने सम्मिलित रूप से चुनाव में भाग लिया और उनके सम्मेलन बहुत बड़ी संख्या में संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव के फलस्वरूप स्पेन में 'लोकमोर्चा' दल का मन्त्रिमंडल कायम हुआ।

लोकमोर्चा दल की सरकार तो कायम हुई पर स्पेन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। दिनांक १७ जुलाई की जो प्रवृत्ति स्पेन में वर्षों से चली आ रही थी, वह 'लोकमोर्चा' की सरकार कायम हो जाने से हल हो नहीं गई। स्पेन में फिर से अराजकता छा गयी और सारी व्यवस्थाएँ छूट मिन्न हो गयीं। १९३६ के चुनाव और जनरल फ्रांको का विद्रोह शुरू होने के बीच २५ अक्टूबर को जन्मा दिये गये थे ३३४ व्यक्तियों का दफ्तर बलब और निजी मालान हमले के शिकार हुए थे ३३१ हॉस्पिटलें हो चुकी थीं डॉक्टरों का बोलबाला था और असंख्य व्यक्ति मारे और घायल किये जा चुके थे। इन घटनाओं में १२ जुलाई १९३६ का काल्वा मटेनी की हत्या सबसे महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इस हत्या के कारण स्पेन में यह युद्ध मचक उठा।

यह युद्ध—जिन प्रकार सम्पूर्ण स्पेन में एकाएक शून्य-युद्ध की आग भड़क उठी उसको देख कर हमें निरास्य पर पहुँचना पसकना है कि सैनिक अक्सरों द्वारा निर्देशित यह विद्रोह प्रकृतया योजनाबद्ध था और इसका तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। वास्तव में स्पेनिश-सरकार को सम्भावित सैनिक विद्रोह की मनाक पहले ही मना

थी और देश को इस विद्रोह से बचाने के लिए वह कुछ कदम भी उठा चुकी था। उदाहरण के तौर पर वेसे सैनिक अफसर, जिनकी वरु दारी सक्षिप्त थी, को हटाने का प्रयास किया गया। अप्रिल के महीने में एक अध्यादेश जारी करके उन सैनिक अफसरों को अनिवार्य रूप से अवकाश ग्रहण कराया गया, जो राजनीति में काफी दिलचस्पी लेते थे। कुछ अफसरों की बदली कर दी गयी। स्पेन का प्रमुख सैनिक अधिपति जनरल फ्रांको भी इन अफसरों में एक था। जुलाई, १९३६ में कुछ और सैनिक अफसर अपने पद से हटा दिये गये या उनका तबादला कर दिया गया। इस प्रकार सैनिक मामलों में बार बार हस्तक्षेप करने के कारण सैनिक अफसरों में सहलका मच गया और उन्होंने सरकार को उलट देने का विचार किया। उसका इस बात का पता था कि सैनिक विद्रोह की अवस्था में उन्हें देश के पूँजीपतियों, प्रति क्रियावादियों तथा सामन्तों की और विदेश से जास्ता जमनी तथा फ्रांसिस्ट इटली से सत्र तरह की सहायताएँ मिल सकती हैं।

१७ जुलाई १९३९ को मोरक्को स्थित स्पेनिश सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेता जनरल फ्रांको हुआ। उसने मोरक्को से सेना लेकर स्पेन के लिए स्थान किया। स्वयं स्पेन में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांको के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। विद्रोहियों के पक्ष में लगभग ९ प्रतिशत अफसर और दस तिहाई सिपाही थे। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों के बाद 'स्वयंसेवकों' के रूप में उन्हें विदेशों सहायता भी मिलने लगी। स्पेन के यह युद्ध में यह दल 'राष्ट्रवादी' कहलाया। स्पेन के गणतान्त्रिक सरकार को किसान, मजदूर तथा कुछ सैनिक अफसरों और सिपाहियों का समर्थन प्राप्त था। सितम्बर, १९३६ में फ्रांसिस्को लारगो केबालेरी स्पेन का प्रधान मंत्री बना और उसके मंत्रिमंडल में समाजवादी और साम्यवादी नेता भी सम्मिलित हुए। ट्रेड यूनियनों के समर्थन से फ्रांको का मुकामला करने के लिए एक 'लोक सेना' का संगठन किया गया, पर वह 'लोक-सेना' फ्रांको की सुमज्जित सेना के सामने नहीं के बराबर थी। आगामी से उसने दक्षिणी स्पेन पर अधिकार कर लिया तथा पूर्णतः स्पेन की तरफ बढ़ने लगा। फ्रांको निरन्तर आगे बढ़ता गया और नवम्बर में स्पेन की राजधानी में डूँड तक पहुँच गया। स्पेन का सरकार हटकर बेलेनिशिया चली गयी तथा राजधानी का पतन निकट प्रतीत होने लगा। ऐसा लगता था कि शीघ्र ही मैनडूड पर फ्रांको का कब्जा हो जायगा। ऐसी स्थिति में जर्मनी और इटली के महान् नेता हिटलर और मुसोलिनी शान्त बैठनेवाले नहीं थे। उन्होंने दुरत ही फ्रांको की 'प्रसन्न और वध सरकार' को कूटनीतिक मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद जर्मनी और इटली ने सैनिक सेना के सदस्य और सिपाही 'स्वयंसेवकों' के रूप में जाज्राफ्रा फ्रांको की मदद के लिए पहुँचने लगे। इसी तरह यूरोप के अन्य उदारवादी देशों, चाकर

सोवियत-संघ, में बहुत सी स्वयंसेवक सेनाएँ इसी उद्देश्य से संगठित की जाने लगीं कि वे स्पेन में जाकर गणतान्त्रिक सरकार को मदद दें। इस तरह की स्थिति में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया था, जिससे लगता था कि यूरोप भर में एक प्रकार का गृह-युद्ध हो गया है, जो स्पेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है। रूस की सहायता से गणतान्त्रिक सरकार की स्थिति कुछ मजबूत होगी और फ्रांस के विरुद्ध सरकारी सेना भारी पड़ने लगी। मैड्रिड का पतन होने से बच गया।

विदेशी प्रतिक्रिया—संसार के लिए स्पेनिश गृह युद्ध का समाचार एक बहुत ही दुःखद घटना थी। १८९८ के बाद इस देश का समाचार शायद कभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर छपा हो। ऐसे वहाँ समय-समय पर विद्रोह, हड़ताल, खून-खराबी इत्यादि होते रहते थे, पर विश्व-राजनीति की दृष्टि से, वे महत्त्वपूर्ण नहीं होते थे। लेकिन, इस बार का स्पेनिश संघर्ष काफी महत्त्वपूर्ण था और तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि स्पेन की घटना विश्व-राजनीति को घटना होकर रहेगी। इसके दो कारण थे—एक था भूमध्यसागर का सामरिक महत्त्व। अयोसीनिया विजय के बाद पूर्वी भूमध्यसागर में इटली का प्रमुख स्थापित हो चुका था। युनायिनी अब पश्चिमी भूमध्यसागर पर भी इसी तरह का अपना प्रभाव स्थापित कर लेना चाहता था। उसने अनुभव किया कि अगर फ्रांस के नेतृत्व में स्पेन में भी फासिस्ट प्रणाली की स्थापना हो जाय तो वह शासन अवश्य ही इटली का समर्थक रहेगा और इस प्रकार पश्चिमी भूमध्यसागर पर उसका प्रभाव कायम हो जायगा। दूसरा कारण सैद्धान्तिक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से यह एक विचारधारा चल पड़ी थी कि एक देश का दूसरे देश से ऐसे राजनीतिक संगठन कायम करने में सहायता करनी चाहिए जो उसके सदृश हो। सर्वप्रथम सोवियत-संघ ने इस नीति को अपनाया था और अब वह चलकर अन्य देशों में इसका अनुसरण करने लगे। जर्मनी के नारसी और इटली के फासिस्ट यह समझते थे कि स्पेन में भी यदि उनकी जैसी शासन प्रणाली स्थापित हो जाय तो उसकी सहानुभूति सदा उनके साथ रहेगी। अब फ्रेंच तथा ब्रिटीश स्पेनिश गृह युद्ध को फासिस्टवाद और साम्यवाद के बीच संघर्ष माना तथा विद्रोहियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा।* फ्रांस की सहायता करने में हिटलर को दो और लाभ भी थे। एक यह था कि फ्रांस के 'सब ताफ' भी एक फासिस्ट शासन की स्थापना हो जायगी। दूसरे, स्पेनिश गृह-युद्ध में जर्मनी की सैन्य के नये तर्कों का प्रयोग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इन वास्तविक उद्देश्यों पर पर्दा डालने के लिए स्पेनिश गृह-युद्ध में फासिस्ट हस्तक्षेप को साम्यवाद के विरुद्ध धर्म-युद्ध का नाम देना लाभदायक था। फासिस्टों के हार्द में यह एक ऐसा संघर्ष था जिसके द्वारा तथाकथित प्रजातान्त्रिक देशों को जनता की बहुत बड़ी सहायता की सहानुभूति प्राप्त की जा सकती थी।

* G Hardy *A Short History of International Affairs*, p 437

जिस तरह स्पेनिश गृह युद्ध का स्वरूप बदल रहा था उसको देखकर यह अनुमान किया जाता था कि दुनिया की गणतन्त्रशासक शक्तियों की सहायभूति और समर्थन गणतान्त्रिक स्पेन की अवश्य है। इस हांगो और इसमें कोई शक नहीं कि गणतान्त्रिक स्पेन को इस तरह का कुछ सहायता मिली भी। गणतान्त्रिक स्पेन को सबसे बड़ा सहायक सोवियत राष्ट्र था। फासिस्टवाद के विरुद्ध गणतान्त्रिक स्पेन को मदद करना सोवियत राष्ट्र अपना परम धर्म समझता था और मैड्रिड में स्थित अपने दूतावास के जरिये उस साम्यवादी दल ने गणतान्त्रिक स्पेन को हर तरह की मदद दी। सोवियत राष्ट्र के मजदूरों ने एक बहुत बड़ी रकम का ऋण स्वरूप में इकट्ठी की। सोवियत नागरिक और सिपाही स्वयंसेवकों के रूप में युद्ध-स्थल पर लड़ने भी गये। पर उस समय सोवियत राष्ट्र उतना शक्तिशाली नहीं था। दूसरे, स्पेन और सोवियत राष्ट्र की सामंजस्य मिली जुली नहीं थी। ऐसी हालत में वह स्पेन को उस मात्रा में मदद नहीं कर सकता था, जिस मात्रा में फ्रांस का हिटलर और मुसोलिनी से सहायता प्राप्त हो रही थी। फिर भी सोवियत राष्ट्र ने यथासम्भव उस परिस्थिति में जो भी हो सकता था किया।*

अपने को प्रजातन्त्र के रक्षक कहनेवाले ब्रिटेन और फ्रांस ने स्पेनिश गृह युद्ध के प्रति क्या रुख अपनाया? इन दोनों देशों का इस समय भी वही रुख रहा जो अबीसीनिया काण्ड के समय था। फासिस्ट-बान्दोलन को सहारा देकर उसको बढ़ाना और फिर उसको गणतान्त्रिक रूप में विरुद्ध उभार देना ब्रिटेन और फ्रांस के उदारवादी शासकों की निश्चित नीति थी। उन दो हिटलर और मुसोलिनी के समी कृत्यों को माफ करने का तैयार थे। इस समय नेवाडल चेम्बर्लेन ब्रिटिश विदेश नीति का कर्णधार था और उसकी सहायता इटली के प्रति थी। जिस समय वह ब्रिटेन का वित्त मंत्री था उसी समय ब्रिटेन और इटली के बीच एक 'मृदु पुरुष करार' (gentle men's agreement) हुआ था जिसके अनुसार दोनों देशों ने भूमध्यसागर में एक दूसरे के हित को मान लिया था। मई १९३० में चेम्बर्लेन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी हो गये और अप्रैल १९३८ में उसके प्रयास के फलस्वरूप ब्रिटेन और इटली में एक सन्धि भी हो गयी। मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में ईडन हो एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली का विरोधी समझा जाता था, इसलिये चेम्बर्लेन से उसको कसौ नहीं पड़ती थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार का रुख स्पेनिश गृह-युद्ध के प्रति क्या होत, यह स्पष्ट है। ब्रिटेन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके सहायभूति गणतान्त्रिक स्पेन के प्रति थी। मजदूर दल और जनसमर्थक इस कोटि में आते थे। पर, ब्रिटेन की अधिवासी जनता पदासीन ही थी। उन्हें रुस के गृह-युद्ध में विदेशी हस्तक्षेप का

परिणाम याद था और अनुदर तथा पूजीवादो अखबारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। अतः वे कुछ कर सकने में असमर्थ थे।

फ्रांस में उस समय 'लोक मोर्चा दल' की सरकार थी और एर्वाँ ब्लूम फ्रांस का प्रधान मन्त्रा थे। स्पेन की सरकार भी इसी प्रकार के 'लाकमार्चा' से बना थी। ऐसी हालत में उम्मीद की जा सकती थी कि फ्रांस गणतान्त्रिक स्पेन को हर प्रकार से सहायता करेगा। फ्रांस के वामपंथियों का भी यह विश्वास था। परन्तु वहाँ के दक्षिणपंथी फासिस्टवाद से साम्यवाद को ही अधिक खतरनाक समझते थे और गणतान्त्रिक स्पेन को वे साम्यवादी स्पेन ही समझते थे। इतनी हीनता पर भी ब्लूम की हृदयिक इच्छा थी कि वह गणतान्त्रिक स्पेन को सहायता करे, परन्तु वह लाभार था। अन्य सभी फ्रांसियों का भाँति वह भी यही सोचता था कि फ्रांस का मुख्य हित ब्रिटेन के साथ कदम मिलाने में ही है। फ्रांस अकेले कुछ काम उठ कर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करके ही आगे बढ़ना था। इस तरह के तर्क से यह निष्कर्ष निश्चित था कि फ्रांस भी ब्रिटेन की तरह गणतान्त्रिक स्पेन को उसके अपने भाग्य पर छोड़ दे। इससे यह भी निश्चित हो गया कि यह युद्ध में प्रगतिवादी स्पेन को फासिस्ट स्पेन के सामने अन्ततः घुटने टेकने पड़ेगे।

अहस्तक्षेप नीति—स्पेन में संघर्ष प्रारम्भ होने के समय से ही यह भय होने लगा था कि कहीं वह यह युद्ध यूरोपीय महायुद्ध का रूप न धारण कर ले। फासिस्ट देश फ्रांस की विजय के लिए काटबद्ध थे और यदि दूररे देशों ने इसका विरोध किया तो महायुद्ध का हो जाना असंभव नहीं था। पर फ्रांस अभी यूरोपीय महायुद्ध के लिए तैयार नहीं था। अतः १ अगस्त १९३६ को एर्वाँ ब्लूम ने फ्रांस की ताकत से ब्रिटेन और इटली की सरकारों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया जिसका आशय था कि उर्युक्त तीनों देश स्पेनिश यह युद्ध के किसी भी दल को युद्धापयोगी सामग्री न दें। ब्रिटिश-सरकार इस प्रकार के एक प्रस्ताव की ताक में थी ही। उसने तुरत इसको मंजूर कर लिया और साथ-ही-साथ यह प्रस्ताव भी रखा कि स्पेनिश यह युद्ध में अहस्तक्षेप के लिए जो व्यवस्था हो, उसमें अन्य देशों का भी शामिल किया जाय। बेल्जियम, पोलैंड और सोवियत संघ से इसका अनुकूल उत्तर मिला और पुर्तगाल, इटली तथा जर्मनी ने इस नीति को सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। अगस्त के अन्त तक मुख्य यूरोपीय शक्तियों ने, जिनमें जर्मनी, इटली और सोवियत-संघ भी थे, एक अहस्तक्षेप समझौता (non intervention agreement) पर हस्ताक्षर कर दिये। समझौते को तुरत कार्यान्वित करने के लिए लन्दन में

“अहस्तक्षेप-समिति” की स्थापना की गयी और १९ सितम्बर से समिति अपना काम भी करने लगी।

इटली और जर्मनी ने अहस्तक्षेप की नीति को इसलिए स्वीकार कर लिया था कि उसका विश्वास था कि कुछ ही दिनों में स्पेन की सरकार वापस लौट आयेगी और फ्रांको विजयी के रूप में मैड्रिड में प्रवेश कर जायेगा। जबतक जनरल फ्रांको को जीतने की आशा थी तबतक उसके समर्थकों का हित इसी में था कि वे स्पेनिश सरकार को मिलनेवाली विदेशी सहायता को बन्द कर दें। विदेशी सहायता नहीं मिलने पर गणतान्त्रिक सरकार अवश्य ही हार जायेगी, फासिस्टों का ऐसा ही विश्वास था पर यह आशा निमूल साबित हुई। समय मिल जाने से स्पेनिश सरकार अधिक सतर्क हो गयी और वह जनरल फ्रांको का डटकर मुकाबला करने लगी। जनरल फ्रांको के लिए विजय का माग उतना सुगम नहीं रहा जितना उसके समर्थक सम्झते थे। ऐसी स्थिति में हिटलर और मुसोलिनी अपने साथी फ्रांको का विकट स्थिति में नहीं छोड़ सकते थे। नवम्बर १९३६ में उन्होंने फ्रांको की सरकार को मायता भी दे दी और फिर उसको मदद देने का निश्चय किया। अहस्तक्षेप समिति में पुर्तगाल, जर्मनी और इटली के प्रतिनिधियों द्वारा यह आरोप बराबर लगाया जाने लगा कि सोवियत-सघ गणतान्त्रिक स्पेन को समझौते के विरुद्ध मदद कर रहा है। इस प्रकार के आरोप सोवियत-सघ द्वारा पुर्तगाल, इटली और जर्मनी पर भी लगाये गये। वास्तव में बात यह थी कि दोनों पक्षों का आरोप सही था। अहस्तक्षेप समझौते का किसी ने आदर नहीं किया और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों पक्ष स्पेनिश गृह-युद्ध के एक या दूसरे का पक्ष लेकर मदद करते रहे। दोनों पक्षों में बहुत बड़ी मात्रा में युद्धाभ्यासों सामग्रियों और वस्त्रोपकरणों आते ही रहे। लन्दन में इन चीजों को रोकने के लिए ‘अहस्तक्षेप-समिति’ के तत्त्वावधान में वार्ताएँ चलाने लगीं। ‘अहस्तक्षेप-समिति’ ने एक नौ-सैनिक गश्त और सीमांत निगरानी प्रणाली स्थापित करने का समझौता किया और १९ अप्रिल से यह गश्त और निगरानी शुरू हो गयी। यह काम सुचारु रूप से चलता रहा। पर इसी समय फ्रांको की नौसैनिक नाकेबंदी को ठाढने के लिए स्पेनिश सरकार ने बमबारी शुरू की। इसी क्रम में २९ मई को एक जर्मन लडाकू जहाज ‘ड्यूटलैण्ड’ बमबारी के कारण बर्बाद हो गया। इसका बदला लेने के लिए दस दिनों के बाद जर्मन नौसैनिकों ने स्पेन के एलमेरिया नामक नगर पर बम बरसाया। जून में जर्मनी और इटली गश्तों के कार्य से अलग हो गये। सीमान्तों पर निगरानी भी बन्द हो गयी और अहस्तक्षेप समिति का सारा काम ठप पड़ गया।

इसी समय ये खबरें आने लगी कि स्पेनिश सरकार तथा तटस्थ देशों के जासूसों पर भूमध्यसागर में अज्ञात देश के पनडुब्बियों द्वारा क्रूरतापूर्ण हमले किये जा रहे

है। सभी जानते थे कि जनरल फ्रांको के पास इस प्रकार की पन्द्रहवीं नहीं थीं और इसलिए सबों का शक इटली पर था। स्पेन और सोवियत संघ की सरकारों ने तो सार्वजनिक तौर पर इटली को इसके लिए दोषी ठहराया। इस स्थिति पर विचार करने के लिए १० सितम्बर को नियोन में भूमध्यसागरास शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ, पर जर्मनी और इटली ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया। सम्मेलन ने भूमध्यसागर में पन्द्रहवीं के हमले पर विचार किया और इसकी रोकना का प्रयत्न किया। उसके बाद इस तरह के हमले घट बन्द हो गये।

जहाँ तक जनरल फ्रांको की 'विदेशी सहायता' मिलने का प्रश्न था, उसमें किस प्रकार की कमी नहीं हुई और जर्मनी तथा इटली यथापूर्व उसका सहायता करते रहे। अक्टूबर में स्पेन में चान्सा हजार इटालियन सैनिकों की उपस्थित सकारात्मक तौर से स्वीकार की गयी। इटालियन अहस्तक्षेप का और भी अधिक प्रामाणिक रूप तब सामने आया जब २९ अक्टूबर को सुमालिना ने स्पेन में मर गये सैनिकों के सम्बन्धियों को भयंकर रूप से हत्या से सुरक्षा दिये और उसी समय हताहतों की एक सूची प्रकाशित की गयी। इस प्रकार स्पेनिश गृह-युद्ध की स्थिति इस प्रकार होती जा रही थी जिसमें फ्रांको का होलाम प्राप्त हो रहा था। इस स्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस का अपनी अद्भुत-शितापूण अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर स्पेनिश सरकार की सहायता करनी चाहिए था। गणतान्त्रिक सरकार भी बर बार यह माँग कर रही थी कि कण्टपूण अहस्तक्षेप नीति का अन्त करके विदेशी सरकारों से सैनिक सामग्री खर देने का उसे मौका दिया जाय, पर लन्दन का अहस्तक्षेप समिति करना काम न तो रही। इसके सामने प्रमुख प्रश्न था वदशा। श्वयसेवकों को स्पेन की भूमि से हटाना। पर, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। गृह युद्ध का परिणाम अन्ततः फ्रांको के पक्ष में हुआ। २८ मार्च, १९३९ का मर्ड्रड पर फ्रांको का कब्जा हो गया जो तीन साल के निरन्तर लड़ाई के बाद स्पेन का गृह-युद्ध समाप्त हुआ। इसके तीन सप्ताह बाद अहस्तक्षेप समिति का विघटित कर दिया गया। फ्रांस से मर्ड्रड पर कब्जा हान के एक दिन पहले २७ फरवरी का ही ब्रिटेन और फ्रांस फ्रांको की सरकार को मान्यता प्रदान कर चुके थे।

इसी तरह प्रमत्त - जर्मनी और इटली ने प्रगाढ दोस्ती स्पेनिश गृह युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कृतनी तक परिणाम था। इस दोस्ती का वास्तविक अर्थ स्पेनिश युद्ध के समय से ही तैयार हो रहा था जब सारे बंगाल में इटली, जर्मनी तथा नु भूति प्रवृत्त करने वाला एकमात्र देश जर्मनी हो पा। स्पेनिश गृह युद्ध के शुरू होने के पुरत बाद इस दोस्ती का एक समकोते के द्वारा, स्पेन में किया गया, किस्से

रोम-बलिन घुरी (अक्टूबर १९३६) कहते हैं। इसके बाद ६ नवम्बर, १९३७ को इटली, जर्मनी और जापान के मध्य हुए कामिनटर्न विरोधी पैक्ट में भी शामिल हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद १२ दिसम्बर को ड्यूने अपने प्रिय मित्र प्यूरर का अनुकरण करते हुए राष्ट्रसंघ से भी अलग हो गया। स्पेन के गृह-युद्ध में फ्रांसिस्को की विजय इसी मित्रता और सयुक्त मोर्चे का परिणाम थी। २२ मई, १९३९ को एक और अनाक्रामक तथा पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि करके इस मित्रता को और पक्का कर दिया गया। इसके अनुसार यह तय हुआ कि दूसरे देश द्वारा हस्ताक्षरकर्ताओं पर किसी प्रकार के आक्रमण की स्थिति में वे एक-दूसरे की मदद करेंगे।

इटालियन सम्राज्य में अल्बेनिया का मिनाया जाना स्पेनिश गृह-युद्ध का एक और दूसरा परिणाम था। स्पेन में फ्रांस की विजय से सुमोलिनो को कम लाभ नहीं हुआ। इससे पश्चिमी भूमध्यसागर में इटली विरोधी गुट बन जाने का सुमोलिनो का भय मिट गया और फ्रांस के विरुद्ध पश्चिम में एक मित्रता मिल गयी। पश्चिम रोम के नये सीजर सुमोलिनो का कुछ घाटा भी हुआ। स्पेन में फ्रांसिस्को की विजय तो ब्यर्थ मिली, पर इटली का कुछ भी पादेशिक लाभ नहीं हुआ। इटालियन सम्राज्य में एक बगमौल की भाँवट नहीं हुई, यद्यपि अयोसीनिया युद्ध से भी अधिक इटालियन सिपाही स्पेनिश गृह युद्ध में मारे जा चुके थे। इस अनिर्णित फ्रांस पर ड्यूने में एक प्रभाव प्यूरर का ही था। इन सब परिणामों को देखकर सुमोलिनो शान्त नहीं बैठ सकता था। इसका अमर सभको तानाशाह पर भी पड़ सकता था। अण्डेन पाटे की पूर्ति व ने दूसरी तरह से कने की मोची। अल्बेनिया पर इटली बहुत दिनों से आँखें गड़ाए हुए था। राष्ट्रसंघ की निवृत्तता और फ्रांस तथा ब्रिटेन की टबू न निकालना उस समय तक पूर्ण परिचय मिल चुका था। ऐसी स्थिति में अखिल, १९३९ में इटली ने अल्बेनिया पर हमला करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया।

(ख) फ्रांस की विदेश नीति (१९१९-१९३९)

विषय प्रवेश—दो विश्व-युद्धों के बीच के काल को फ्रांसिसी विदेश नीति पर 'असंगति तथा पक्षण्ड' (inconsistency and hypocrisy) का आरोप लगाया जाता है। इस काल में फ्रांस का विदेश नीति जर्मनी के भयकर भूत से हमेशा प्रभावित रही। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आन्तरिक राजनीति में भी जर्मनी फ्रांसिसी राजनीति का कन्द्र बिन्दु बना रहा। १९१९ से १९३३ तक फ्रांस की विदेश नीति का केवल एक ही उद्देश्य था—जर्मनी का सदा के लिए कुचन कर रचना। उस वक़्त जब जर्मनी में हिटलर का उत्थान हुआ तो फ्रांस

के सामने जर्मनी के एक अन्य हमले से बचाव की समस्या उपस्थित हो गयी। वस्तुतः फ्रांस की विदेश नीति उधेखवन में पड़ी रही।

सुरक्षा की खोज—युद्ध के तुरत बाद फ्रांस के सामने सबसे प्रमुख समस्या सुरक्षा की थी। लैंगमम ने ठीक ही लिखा है 'मनुष्य की जोविन याद में दो बार जर्मन सैनियों के बूटों की आवाज फ्रांस से भूमि पर सुनाई पड़ी थी और तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य के नागरिकों को भय था कि कहीं दूसरा आक्रमण फिर न हो जाय।'^{*} अतएव युद्ध के बाद फ्रांसीसी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य इसी सुरक्षा को प्राप्त करना था। इसके लिए फ्रांस ने किस तरह यूरप में गुटबन्धियों का जाल बिछा दिया इसका अध्ययन हम कर चुके हैं।

राष्ट्रघट के प्रति फ्रांस का दखल—फ्रांस अपनी सुरक्षा का दूसरा साधन राष्ट्रघट की मानता था। अतएव शुरू में फ्रांस ने राष्ट्रघट का खूब समर्थन किया और उसमें साथ अधिक महयोग किया। राष्ट्रघट की सुरक्षा का शक्तिशाली साधन बनाने के उद्देश्य से उसने जेनेवा प्रोटोकॉल का निर्माण कराया। पर जेनेवा प्रोटोकॉल की अकाल मृत्यु हो गयी। आगे चलकर फ्रांस ने राष्ट्रघट को खाल देना शुरू किया। इटली के अरीसीनिया आक्रमण के समय यह बचन भंग हो गया। फ्रांस के विदेश मंत्री लावाल ने मुशोलिनी का पक्ष लेकर राष्ट्रघट को कितना दुबल बना दिया इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। ये कारण कि फ्रांस ने स्वयं अपने पैरों में कुलहाडी मार ली, क्योंकि उससे राष्ट्रघट, ज जर्मन आक्रमण के विरुद्ध समस्त शक्तियों को एकत्र कर सकता था, निबल गढ़ गया।

जर्मनी के प्रति फ्रांस की नीति—जैसा कि हम कह चुके हैं, युद्ध के तुरत बाद से क्यों तक फ्रांस ने जर्मन के प्रति बड़ी कड़ी नीति का अवलम्बन किया। वह जर्मन का सदा के लिए कुचल कर रखना चाहता था। क्षतिपूर्ति में जर्मन के साथ अधिक कड़ाई का बतार इसी नीति का परिणाम था। क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित फ्रांस और जर्मन के सम्बन्ध का अध्ययन भी हम इस पुस्तक में अन्यत्र कर चुके हैं।

ब्रिटेन का साथ सम्बन्ध—जर्मनी के प्रति कड़ी फ्रांसीसी नीति के कारण युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच घोर मतभेद उत्पन्न हो गया। अतएव ब्रिटेन के साथ भी फ्रांस का सम्बन्ध अच्छा नहीं रहा। इस मतभेद के कारणों का अध्ययन भी हम पहले ही कर चुके हैं।

* Langsam World since 1914 p 318

† Lipsan Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, p

१९२५ में विदेश नीति में परिघटना—युद्ध के बाद जर्मनी के भय से फ्रांस अत्यन्त व्याकुल रहता था। जर्मन सन्ध का अंत करने के लिए वह विविध उपाय करता रहा, लेकिन न तो उसे शान्ति मिली और न जर्मन समझौता का समाधान ही हुआ। अतएव, परेशान होकर उसने जर्मनों के साथ एक समझौता कर लेना ही अच्छा समझा। लोकानों समझौता इसका परिणाम था। लोकानों समझौता के बाद फ्रांस का कुछ राहत मिली। यूरोप में शान्ति का बालावरण स्थापित हुआ और फ्रांस में बाधित सैनिक सेवा की व्यवस्था में एक वर्ष की कमी कर दी गयी।

पेरिस पक्ष—लेकिन फ्रांस के लिए जर्मनों का भय कोई साधारण भय नहीं था। लोकानों समझौता के बावजूद भी फ्रांस सुरक्षा के उद्देश्य से घबरेला हुआ था। वेलिंग-ब्रिगेड पैक्ट इसका एक दूसरा परिणाम हुआ।

राष्ट्रसंघ के अंतर्गत यूरोपीय संघ बनाने का असफल प्रयत्न—पेरिस पैक्ट के बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्री ब्रिगेड ने यूरोप में शान्ति कायम रखने के लिए राष्ट्रसंघ के यूरोपीय सदस्यों का एक उपसंघ निर्माण करने का प्रस्ताव किया और संविध्य में उसके आधार पर यूरोप के संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करने की आशा प्रकट की। यह प्रस्ताव विल्कुल निर्दोष मान्य होना था परन्तु उसमें कई अपत्तियाँ थीं। इंग्लैंड ने उसमें एक बड़ा आपत्त दिखाने की कोशिश की। इस उपसंघ में फ्रांस के तो होने का मत है लेकिन बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग के तीनों राज्य पर इंग्लैंड के डॉमिनियम का मत है मध्य नहीं होता है। इस प्रकार उसमें फ्रांस के छह मत होते जब कि इंग्लैंड का मत एक ही रहता है। इसके अतिरिक्त रूस और तुर्की का भी यूरोप-यूरोप का यह अन्तर्गठन में यह सम्भावना थी कि यह उपसंघ मद के लिए बर्साय व्यवस्था में संशोधन से भी लिए फ्रांस के एक पक्ष का रूप ले लेता है। अतः फ्रांस का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ और फ्रांस अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने, अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिक श्रृंखला देकर अपने मित्रों की सहायता को बढ़ाने के अपनी पुरानी नीति का अनुसरण करने लगा।*

फ्रांस और निरस्त्रीकरण—युद्ध के बाद व्यापक निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास होने लगा था। इसके लिए राष्ट्रसंघ ने भी समझौता हुआ फ्रांस उसमें भाग लेता रहा। किन्तु इन सम्मेलनों में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत १९२२ का जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन काफी महत्त्वपूर्ण था। लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण ही यह सम्मेलन असफल रहा। इस असफलता के मूल में फ्रांस तथा जर्मनी का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण था। इसका विस्तृत अध्ययन भी हम पहले ही कर चुके हैं।

इटलर के उद्योगराम्त फ्रांस की विदेश नीति —

रूस और इटली से मित्रता—प्रोफेसर शूमा ने लिखा है "१९३३ से फ्रांसीसी कूटनीति में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का प्रारम्भ हुआ। फ्रांस द्वारा जर्मनी को अधिक सुविधाएँ देने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप इटलर का उदय हुआ।" वस्तुतः फ्रांस की कठोर नीति इटलर के उत्कर्ष में बहुत सहायक सिद्ध हुई। इटलर के उदय के साथ यूरोप की राजनीतिक स्थिति में घोर परिवर्तन हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय सफट का युग आरम्भ हुआ। अतः तक तो यूरोप में फ्रांस का प्राधान्य बना हुआ था, परन्तु अब उसे जर्मनी की ओर से अपनी सुरक्षा का खतरा दिखाई देने लग। देश के अंदर भी यह समय बड़ा सफट का था। इंग्लैंड के प्रति उसे शंका थी और इटली नाराज था। रूस से भी उसके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। छोटे-बड़े मध्य यूरोप के राज्यों से उसकी मित्रता अवश्य थी, परन्तु जर्मनी के मुकाबले में उनकी सहायता का कोई विशेष मूल्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे किसी बड़ी शक्ति से मित्रता करना आवश्यक मालूम होता था। अतः अब फ्रांस ने रूस और इटली से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न आरम्भ किया। उसने १९३४ में रूस को राष्ट्रमण्डल में प्रवेश करने में सहायता दी और अगले वर्ष उससे एक सन्धि कर ली जिसके अनुसार युद्ध के समय दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया।

आरम्भ में इटली को भी जर्मनी से भय था। अतएव अब फ्रांस और इटली एक दूसरे के निकट आने लगे। १९३४ में इटली और ब्रिटेन से मिलकर उसने आर्स्ट्रिय की स्वतन्त्रता की गारन्टी दी और १९३५ में 'ट्रेसा गुट' का निर्माण किया। इटली को पक्ष रखने के लिए उसने अबीसीनिया के मामले में राष्ट्रमण्डल का पूरा पूरा साथ नहीं दिया जिससे वह इटली के विरुद्ध कई-कई कारवाइ नहीं कर सका और इटली ने अबीसीनिया पर विजय प्राप्त कर ली। इससे राष्ट्रमण्डल की प्रतिष्ठा का बड़ा धक्का लगा। उसकी निबलता अच्छा तरह से प्रकट हो गयी और फ्रांस को सुरक्षा का एक साधन राष्ट्रमण्डल द्वारा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था—नष्ट हो गया। इसके परिणामस्वरूप उसकी सुरक्षा का दूसरा साधन छोटे राज्यों से मैत्री सम्बन्ध-भी नष्ट हो गया। छोटे राज्यों की अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रमण्डल का ही भरोसा था। परन्तु जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रमण्डल इटली जैसे मशक्त राष्ट्र से अबीसीनिया की रक्षा नहीं कर सका तो उन्हें उसका भरोसा नहीं रहा, उन्होंने तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया और जर्मनी के डर से उनकी ओर झुकने लगे।* फ्रांस का उनकी मित्रता के बन्धन पर अब तक

जो प्राधान्य था वह लुप्त हो गया। इतना ही नहीं, जिम इटली को प्रसन्न करने के लिए उसने यह सत्र किया था वह भी निराश हो गया। कारण, फ्रांस ने इस समय दुरंगी चान चली थी। वह इटली और ब्रिटेन दोनों को प्रसन्न करना चाहता था। एक तो भीतर-भीतर वह इटली का समर्थन कर रहा था और दूसरे उसके विरुद्ध कारवाहों में भाग भी ले रहा था। इस कारण फ्रांस की सुझा के सभी साधन नष्ट हो गये। राष्ट्रमध्य निर्बल हो गया छोटे-छोटे राज्यों ने तटस्थता स्वीकार कर ली और ब्रिटेन भी नाराज हो गया। इस प्रकार फ्रांस की स्थिति बड़ी कठिन हो गयी।

फ्रांस की सत्पक्षीकरण नीति का विकास—हिटलर फ्रांस की दुर्दशा को गौर में देख रहा था। उसने स्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया। १९२६ में उसने सेना भेजकर राइन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। १९३० को साँघ भंग हो गयी और फ्रांस की सोमा जर्मनी से बिल्कुल मिल गयी। हिटलर ने इन क्षेत्रों को किला बन्दी भी शुरू कर दी। फ्रांस एक मौका खो गया। यदि इस समय वह बलपूर्वक हिटलर को रोक लेता तो उसके आक्रामक इरादे नहीं बढते। जर्मनी अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। यदि फ्रांस इस समय अपनी सेना हिटलर के विरुद्ध भेज देता तो उसे अवश्य पीछे हटना पड़ता। परन्तु दुर्भाग्यवश फ्रांस ऐसा नहीं कर सका। इस अवसर पर उसने ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया और उससे परामर्श किया। परन्तु ब्रिटेन में इस समय दूसरी ही बात थी। वहाँ के शासक हिटलर के साथ सहानुभूति रखते थे और उस सत्पक्षीकरण चानते थे। सन्दर्भोकरण का युग वहाँ पूरी तरह आ चुका था। अतएव उसके फ्रांस ने राइन प्रदेश में सेना भेजने से मना कर दिया। हिटलर के बढ़ते हुए हौमलों पर रुकावट लगाने का अन्तिम अवसर निफल गया। फ्रांस की इस बम्जारी से स्थिति उसके हान्य से निफल गयी और अब घटना चक्र का निर्धारण फ्रांस की जगह जर्मनी और इंग्लैंड के हाथों में पहुँच गया। वस्तु में अब फ्रांस का कोई विदेश नीति न रही, वह इंग्लैंड की विदेश नीति में सम्मिलित हो गयी क्योंकि अब फ्रांस अपनी विदेश नीति में बिल्कुल इंग्लैंड पर निर्भर रहने लगा *।

स्पेन के यह युद्ध तथा चेकोस्लावाकिया कांड के समय फ्रांस की सत्पक्षीकरण नीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। इन दोनों अवसरों पर फ्रांस की विदेश नीति ब्रिटेन की विदेश नीति में पूर्णतया विलीन हो गयी। फ्रांस की सरकार स्पेन के यह युद्ध में गणतन्त्रिय सरकार को सहायता देना

चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन के कारण वह हस्तक्षेप न करने की नीति का ही अवलम्बन करती रही। यही हालत उस समय हुई जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को हड़पने का निश्चय किया। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए सचि के द्वारा बचन-बद्ध था। लेकिन ब्रिटेन के दबाव में आकर वह म्यूनिख के समझौते (देखिये पृ०) में एक पट्टी बन गया।

जब हिटलर चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह निगल गया तो ब्रिटेन की आँखें खुलीं और उसने सन्तुष्टीकरण की नीति का परत्याग कर दिया। अब हिटलर के प्रति बड़ा रुख अपनाया जाने लगा। फ्रांस ने भी इसका अनुकरण किया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पोलैंड को आगन फ्रांसीसी गारन्टी के बावजूद द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया। इस कारण फ्रांस की सन्तुष्टीकरण की दबू नीति को भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है।

फ्रांस की सन्तुष्टीकरण नीति के कारण—फ्रांस (ब्रिटेन) की सन्तुष्टीकरण की नीति म्यूनिख में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। म्यूनिख समझौता के बाद ब्रिटेन के एक सुप्रसिद्ध अखबार में एक काटू न टिकला था—दो व्यक्ति एक मेमने को भेड़िये के सम्मुख फेंक रहे हैं। भेड़िया था नात्सी जर्मनी ममना था चेकोस्लावाकिया और दो व्यक्ति थे चेम्बलेन और दलादिये। इस निन्दार्थक फ्रांस के प्रधान मन्त्री दलादिये की भूमिका उसनी ही निन्दनीय थी जिन्होंने फ्रांस के प्रधान मन्त्री की। १९३३ के बाद से जर्मनी की शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी और उसी अनुपात में फ्रांस की शक्ति ख खली होती जा रही थी। फ्रांस में फ्रांस के सामने एक ही माग था—इटली और जर्मनी के तानाशाही को हटा दिया जाय। फलतः फ्रांस ने भी वही किया जो ब्रिटेन अपनी टुकड़ों को हटा रहा था। इन दोनों देशों के कर्णधारों ने प्रत्येक बंदम पर टानाशाही के हटाने के लिए झुकाए और इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के स्फोटक तत्वों को तैयार करके हिम्मत बढ़ाई। फ्रांस की सन्तुष्टीकरण नीति का अर्थ क्या है—

(१) सन्तुष्टीकरण की नीति फ्रांस की आन्तरिक शक्ति का परिणाम थी प्रत्येक राष्ट्र से फ्रांस जर्मनी से कमजोर मानता था और विश्वयुद्ध के समय को विचार्यो हुआ था, तो भी वह अपने अन्तर्गत शक्ति का प्रदर्शन करने में जनसखवा, प्राकृतिक साधन, सैनिक शक्ति तथा सैनिकों से युक्त बलों को कम गौर पड़ता था। इस निन्दार्थक अर्थ का अर्थ है कि फ्रांस की नीति (morale) नहीं रह गयी थी।

हुआ। फ्रांस का पूँजीपति वर्ग यह मोचने लगा कि देश का कल्याण जनतान्त्रिक पद्धति से नहीं बल्कि सर्वाधिकारवादी पद्धति से ही हो सकता है। फनस्वरूप ये लोग इटली और जर्मनी की शासन प्रणाली को अनुकरणीय आदर्श बताने लगे। निर्वाण और पराजय के इस वातावरण में जब फ्रांस के लोग फासिस्टवाद की ओर आकर्षित हुए तो देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी नीतियों का पालन होने लगा। यह वर्ग हिटलर का बहुत बड़ा समर्थक हो गया। इस प्रकार फ्रांस में हिटलर को एक पाँचवाँ दस्ता (fifth column) मिला गया। हिटलर ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया। यही पाँचवाँ दस्ता फ्रांस का असल नीति निर्धारक था। ऐसे लोग से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे जर्मनी का विरोध टटतापूर्वक करें। फ्रांस की नीति के इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर शुमॉ ने लिखा है—“उन्होंने विदेश मन्त्रालय को पूर्ण रूप से चेंबर्लेन के अधीन कर दिया। वे युद्ध अथवा युद्ध की घमकी से चेकोस्लावाकिया को बचाने में बहुत डरते थे, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी युद्ध फासिस्टवाद के विरुद्ध प्रजातन्त्र तथा जनता के मोर्चे के नाम पर तथा मास्को के साथ सम्बद्ध होकर, जिन्हा नाम लेना भी भयकर था, लड़ा जा सकता था।”

(३) फ्रांस के समाचार-पत्रों का पाठ भी बड़ा निन्दनीय रहा। वास्तव में सन्तुष्टीकरण की नीति के वे बड़े समर्थक थे। एक तो सभी समाचार पत्र फासिस्टवदी पूँजीपतियों के हाथ में थे। दूसरे फ्रांस के पत्रकार घुरी राष्ट्रों के घुस के रूप में घन प्राप्त करते थे। ऐसी हालत में जर्मनी के विरुद्ध कड़ी नीति के अन्वयन की माँग कमे कर सकते थे ? वे बराबर जर्मनी के साथ सहयोग करते रहे। घुस द्वारा वश भूत पत्रकारों ने प्रायः तथा मास्को की निन्दा को तथा मदनमठ जनता के सामने बार-बार शोर किया ‘चकोस्लोवाकिया के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए।’”

(४) फ्रांस का शासक वर्ग (जिसमें पूँजीपति प्रतिक्रियावादियों का प्राधान्य था) सोवियत-संघ और साम्यवाद से अत्यधिक आतंकित था। वे फ्रांस को साम्यवाद से बचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि साम्यवाद की प्रयोगशाला सोवियत रूस को खत्म करने का सुखस्वप्न भी देखा करते थे। हिटलर और सुमोलिनो घुने धाम सोवियत रूस को गालियाँ देते थे। इस हालत में फ्रांस के अन्वये शासक वर्ग सोचने लगे कि रूस का प्रतिरोध करने तथा फ्रांस को साम्यवाद से बचाने के लिए फासिस्ट अधिनायकों का समर्थन करना चाहिए। यद्यपि १९३५ में फ्रांस ने सोवियत रूस के साथ एक सन्धि कर ली थी, पर इस सन्धि को कार्यान्वित करने का कोई सफल नहीं किया गया। वास्तविक बात यह थी कि फ्रांस के शासक सोवियत संघ के साथ

किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार फ्रांस के शासकों ने अपने वर्गहित की रक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का कुर्बान कर दिया। वस्तुतः पूँजीपति वर्ग के लिए अगने वर्गहित से बढकर कोई प्रिय वस्तु नहीं है। हर देश में सक्ट के समय उनका यही पार्ट रहता है।

(५) जर्मनी में हिटलर के उदय के बाद इटली की मैत्री को हर कीमत पर खरोदने को तैयार था। इसी कारण उसने अनीसोनिया और फिर ब द में स्पेन के युद्ध में इटली को पी छूट दे दो। इटनी के प्रति सन्तुष्टीकरण की नीति अवलम्बन करने के मूल में यही बात थी। लेकिन इसमें फ्राँज को कोई लाभ नहीं हुआ, वरन् उसका सुरक्षा के सभी आधार नष्ट हो गये।

(६) फ्रांस की साधारण ज-ता युद्ध से बहुत भयभीत थी। प्रथम विश्व युद्ध में फ्राँज को काफ़ा क्षति हुई थी और फ्राँज के लोगों पर युद्ध का घोर आतक छाया हुआ था। इस आतक के कारण फ्राँज के लोग यह स च्चे थे कि "बुरा-से-बुरा अन्तर्राष्ट्रीय समझौता अच्छे से अच्छे युद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है।" फ्रांसियों के इस मनोवृत्ति का प्रभाव देश के नीति-निर्धारण पर पड़ना अ वश्यक था।*

इन्हीं परिस्थितियों में फ्राँज ने जर्मनी के प्रति सन्तुष्टीकरण की नीति (policy of appeasement) का अवलम्बन किया। वस्तुतः फ्रांस का राष्ट्रीय मनोत्रल इतना गिर चुका था कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो बोने (Bonnet) ने उस समय भी कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए। फ्राँज के शासक सन्तुष्टीकरण की नीति के इतने बशीभूत हा गये थे कि जब ३ सितम्बर, १९३९ को फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध घोषणा की तो वह बड़ी अनिच्छा के साथ।

(ग) ब्रिटेन की विदेश नीति (१९१९-१९३९)

विषय प्रवेश—दो विश्वयुद्ध के बीच के काल में ब्रिटेन की विदेश नीति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस काल में ब्रिटेन ने परराष्ट्र क्षेत्र में जिस नीति का अवलम्बन किया उसको "सन्तुष्टीकरण की नीति" (Policy of appeasement) कहते हैं। इसका उद्देश्य जापान, जर्मनी और इटली जैसे अतृप्त एवं असतृप्त राष्ट्रों को उनकी माँगें पूरी करते हुए सन्तुष्ट रखना और इस प्रकार शान्ति बनाये रखना था। १९१९ से ही इस नीति का प्रारम्भ हो गया लेकिन यह अपनी चरम सीमा पर पहुँची। १९३८ में जब चेकोस्लोवाकिया की लेकर म्यूनिख का समझौता हुआ। इंग्लैंड में इस नीति के मुख्य सभ्यक सर साइमन होर, हेलिफेक्स और चेम्बेर्लेन थे।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय यूरोप में शान्ति कायम रखने का सगसे प्रमुख साधन शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त माना जाता था। ब्रिटेन के नीति निर्धारण में इसी सिद्धान्त की प्रधानता थी। इसके अनुसार ब्रिटिश द्वीप तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी नीति का अवलम्बन किया जाता ताकि यूरोप का कोई राज्य बहुत अधिक शक्ति प्राप्त नहीं कर ले। यदि ब्रिटेन यह समझ जाता कि कोई राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहा है जिसमें यूरोपीय शक्ति सन्तुलन में गड़बड़ी का खतरा हो गया है तब वह उस राज्य के विरुद्ध गुटबन्दी कर लेता। कभी-कभी एक युद्ध के जीतने के बाद उसने अपने युद्धकालीन मित्रों का साथ छोड़कर अपने शत्रुओं के साथ मित्रता की है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन को स्थायी शत्रु मित्र नहीं है केवल स्थायी स्वाय है।

लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय शान्ति के लिए शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अपर्याप्त है। इसलिए राष्ट्रों ने इस सिद्धान्त का परित्याग करके सामूहिक सुरक्षा का अपनाया और इसके अन्तर्गत राष्ट्रसंघ की स्थापना की गयी। ऐसा अनुमान किया गया कि राष्ट्रसंघ के द्वारा सामूहिक सुरक्षा के आधार पर यूरोप में शान्ति कायम रखी जा सकती है।

वर्साय सन्धि के बाद ब्रिटेन के सामने दो मांग थी—यूरोपीय शक्ति सन्तुलन की नीति का परित्याग करके सामूहिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ का पूर्ण समर्थन करना या यूरोप में सबल राष्ट्र के विरुद्ध निचल राष्ट्रों की सहायता देने की परम्परागत नीति का अवलम्बन करना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बदले में एक आत्मघाती नीति का अनुसरण शुरू किया।*

दोनों युद्धों के बीच के काल में कुछ वर्षों को छोड़ अनुदारदल के हाथ में ब्रिटेन की सत्ता रही। यद्यपि ब्रिटेन की जनता सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में विश्वास रखती थी, लेकिन अनुदारदल को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था। इसका कारण यह था कि यदि इस नीति का पालन किया जाय तो ब्रिटेन के बन्धों पर भारी जिम्मेवारी आ जाती और इसके लिए वह तयार नहीं था। बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश विदेश नीति के 'नर्माण' में कई नवीन तत्त्वों का समावेश हो गया था। इसमें उपनिवेशों का प्रभाव सबसे प्रबल था। ब्रिटिश नीति अब पहले की अपेक्षा उपनिवेशों पर अधिक निर्भर रहने लगी थी। हर बात में ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों का खयाल रखना पड़ता था। इन उपनिवेशों में कनाडा, अर्जेटिना, न्यूजीलैण्ड तथा दक्षिण अफ्रीका काफी महत्त्वपूर्ण थे। यूरोपीय राजनीति की सरगमी से बहुत दूर थे

सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का नाम पर वे ऐसी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं थे जिससे उनके देश का क्षति पहुँचे ।

दूसरी नीति के पालन में भी ब्रिटेन के लिए कठिनाइयाँ थीं । यदि वह निबल राष्ट्रों की सहायता देने की नीति का अवलम्बन करता तो उस हालत में वसाय-सन्धि की सैनिक धाराओं पर अमल करवाना, जर्मनी के शस्त्रोत्पन्न का रोकना और ऐसा सम्भव न होने पर फ्रांस तथा अन्य राष्ट्रों को पूर्ण सहायता देना तथा जर्मनी पर रुकावट डालने के लिए रूस से सहयोग करना आवश्यक था । लेकिन ब्रिटेन इसके लिए भी तैयार नहीं था ।

साम्यवादी रुत का खतरा—तो युद्धोत्तर ब्रिटिश परराष्ट्र नीति में न तो शक्ति सन्तुलन और न सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त ही प्रेरक तत्त्व थे । यदि इसमें कोई तत्त्व था तो वह साम्यवाद का खतरा था और इस काल में इस खतरे को दूर रखना ही ब्रिटिश परराष्ट्र नीति का मूलमंत्र था । ब्रिटेन की नीति निर्धारकों की धारणा थी कि भविष्य में यूरोप में जर्मनी और रूस तथा एशिया में रूस और जापान ही बड़े राज्य होंगे । वह रूस के साम्यवाद को अपने तथा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरनाक मानता था और चाहता था कि पश्चिम में जर्मनी (और इटली) और पूर्व में जापान रूस पर आक्रमण करके उसकी समाप्त कर दें । अतएव दो युद्धों के बीच के काल में वह जर्मनी और जापान को सहायता देता रहा और पूर्व की ओर उमका मार्ग निष्कटक बनाने के लिए फ्रांस को पूर्वी यूरोप के उमके मित्रों को सहायता देने से रोकता रहा । यह भी सम्भव था कि तीनों शक्तियाँ रूस को परास्त करने के बाद ब्रिटिश के लिए खतरनाक बन जायँ, लेकिन उसे यह खतरा साम्यवाद के खतरे के सामने नगण्य दिखायी पड़ता था ।*

जर्मनी के प्रति सहानुभूति—इस स्थिति में ब्रिटेन १९१९ के प्रारम्भ से ही जर्मनी के प्रति सहानुभूति की नीति बरतने लगा । इसी भावना से जेरिन होकर उसने पेरिस के शान्ति सम्मेलन में जर्मनी को खण्ड-खण्ड हो जाने से बचाने का प्रयत्न किया । जर्मनी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने के मूल में एक और बात थी । यूरोपीय शक्ति सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से इंग्लैंड नहीं चाहता था कि फ्रांस यूरोप का एकमात्र शक्तिशाली राज्य रह जाय । इस कारण इंग्लैंड जर्मनी के पुनरोत्थान का प्रबल समर्थक हो गया । इसको लेकर दोनों देशों के बीच घोर मतभेद उत्पन्न हो गया । इस मतभेदों का वर्णन इन पुस्तक में अन्यत्र किया जा चुका है ।

समुष्टीकरण नीति का व्योम—ब्रिटेन फासिस्टवाद को समार का रक्षक समझना है, यह १९२३ में ही कोफ़्ट विवाद के समय पहले पहल स्पष्ट हुआ । इस

* Ibid , p 836

मामले में जब इटली ने राष्ट्रसंघ की अपेक्षा की तो ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ का साथ नहीं दिया और जैसा कि हम देख चुके हैं, 'राजदूतों की समिति' द्वारा मामले का निणय करके उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचायी। १९२१ में मच्चूरिया पर जापान का आक्रमण हुआ। चीन से राष्ट्रसंघ के सामने इस मामला को रखा लेकिन ब्रिटेन के रुख के कारण ही राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका।

इसका बाद १९२३ में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। हिटलर का उदय से समस्त यूरोप में तालका मच गया, लेकिन ब्रिटेन पर इसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पडा। इसका कारण यह था कि हिटलर के "मीन कैम्फ" में ब्रिटेन के प्रति अच्छा व्यवहार करने का आदेश था। हिटलर ने लिखा था कि जर्मनी का ब्रिटेन के साथ झगडा नहीं माल लाना चाहिए और इसका एकमात्र उपाय है नाविक प्रतिस्पर्धा में नहीं पडना। हिटलर ब्रिटेन के राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी जीवन के मामिक स्थल को जानता था। वह था नौ-सेना। ग्रेटब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और उसका साम्राज्य विश्व-व्यापी था। अपनी तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसके पास सुन्द नौ सेना का होना परम आवश्यक था और यह तभी सम्भव था जब वह समुद्र को लहरों पर शासन करे। जब ऊनी किसी शक्ति ने उसकी नौ सेना को चुनौती दी, वह इसका कट्टर दुश्मन बन गया। प्रथम विश्व-युद्ध के पहले जर्मनी के साथ ब्रिटेन को शत्रुता का प्रधान कारण था कैसर द्वारा जर्मनी के लिए एक शक्तिशाली नौ सेना का निर्माण। हिटलर इसे एक महान् गलती मानता था और इस प्रकार के किष्पे प्रतिद्वन्द्विता में नहीं पडना चाहता था। इस हालत में ब्रिटेन को हिटलर से कोई प्रत्यक्ष भय नहीं था। वह आसानी से सन्तुष्टीकरण की नीति का अवलम्बन कर सकता था। इसलिए आगे चलकर जब हिटलर ने राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध विच्छेद किया और जर्मनी का शस्त्रीकरण करने की घोषणा करके वर्मिय सम्बन्ध का भंग कर दिया तब भी ब्रिटेन ने उसका कोई विरोध नहीं किया।

यात यहीं तक सीमित नहीं रही। जून १० १५ में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक नाविक सन्धि करके जर्मनी को इस बात की छूट दे दी कि वह जिस प्रकार के समुद्री जहाज बनाना चाह इस शर्त पर बना ले कि जर्मन जहाजों का वजन अपने जहाजों के वजन के ३५ प्रतिशत से अधिक न हो। इसी समय ब्रिटेन ने जर्मनी को एक और प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार जर्मनी को न केवल वायुसेना रखने की छूट मिल गयी बल्कि उसे अपने निकट पड़ोसियों की वायुसेना की बराबरी पर आने की अनुमति भी प्राप्त हो गयी।

जर्मनी के साथ ब्रिटेन की यह सन्धि सन्तुष्टीकरण नीति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसी एक प्रकार से वर्माय-सन्धि का अन्त ही कर डाला। इसके

बाद मित्रराष्ट्रों को जर्मनी से वर्साय सन्धि का भंग करने की शिकायत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। साथ ही इसने वार्शिंगटन सन्धि तथा नन्दन सन्धि को नष्ट कर दिया। राष्ट्रसंघ को भी बड़ी भारी चोट पहुँची।*

इस प्रकार जब १९३४ में हिटलर ने आस्ट्रिया की सरकार को पलटने का प्रयत्न किया। तो ब्रिटेन की सरकार इसकी चुपचाप देखती रही।

आस्ट्रिया पर हिटलर के आक्रमण के बाद ब्रिटेन के रुख में थोड़ा परिवर्तन हुआ और अप्रिल, १९३५ में हिटलर के विरुद्ध स्ट्रेसो मोचा में शामिल हुआ इसके बाद सुसोलिनी ने अबीसीनिया पर आक्रमण किया। इसके कुछ दिन पूर्व में शान्ति के प्रश्न पर एक जनमत संग्रह हुआ जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वहाँ की अधिकांश जनता राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा का समर्थक थी। इसके कुछ दिनों के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ। अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त करने के लिए वाल्डविन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जी-मान से राष्ट्रसंघ का समर्थन करेगी। इसी आधार पर वह चुनाव में विजयी हुआ। जब अबीसीनिया का मामला राष्ट्रसंघ में पेश हुआ तो ऊपर से दिखाने के लिए ब्रिटेन ने इटली का जोरदार विरोध किया। लेकिन किस प्रकार सर सैम्युअल होर ने लावाल के साथ समझौता किया और इटली के विरुद्ध कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार ने शिथिलता दिखायी इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। सन्तुष्टीकरण की नीति अब एक स्पष्ट रूप धारण कर चुकी थी।

हिटलर ब्रिटेन की कमजोरी को भलीभाँति समझ चुका था। इस हालत में निमग्न होकर उसने अग्नी आकाशाओं की पूति करना शुरू किया। उसने राइन प्रदेश पर आधिपत्य कायम किया। बलपूर्वक आस्ट्रिया पर अधिकार जमाया और अन्त में चेकोस्लावाकिया को हड़प लिया। इसमें हिटलर को ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन मिला।

चेकोस्लोवाकिया की हत्या के बाद इंग्लैण्ड का भ्रम दूर हुआ। अब सन्तुष्टीकरण की नीति का खोखलापालन स्पष्ट होने लगा। इस हालत में वह इस नीति का परित्याग करने लगा। अब उसने पोलैंड, रूमानिया, यूनान, तुर्की को सहायता की गारन्टी दी और रूस से सन्धि करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी थी और किसी भी राष्ट्र को ब्रिटेन में विश्वास नहीं रह गया था। ब्रिटेन में सन्तुष्टीकरण की नीति का मोह अन्त अन्त तक घेरे रहा। हिटलर को रोकने का अब एक ही उपाय बच रहा था—सोवियत रूस के साथ सन्धि

* Schevill B, History of Europe p 800

करना। इसके लिए वार्ताएँ शुरू हुईं, लेकिन कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन का दिल साफ नहीं है। उन्हीं दिनों वह छिपे छिपे हिटलर से भी समझौता करने का प्रयत्न कर रहा था। अतएव रूप से सन्धि नहीं हो सकी और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। यदि ब्रिटेन सन्तुष्टीकरण की नीति का अवलम्बन नहीं किये रहता और समय पर हिटलर का विरोध किये रहता तो उसका हीसला बढ़ता और सभार एक विनाशकारी युद्ध से बच जाता।*

ब्रिटिश सन्तुष्टीकरण-नीति के प्रमुख आधार—

(१) साम्यवादी रूस का आतक— सन्तुष्टीकरण की नीति का प्रमुख आधार साम्यवादी रूस का आतक था। रूस की साम्यवादी क्रांति ने ब्रिटेन के पूंजीपति शासक वर्ग को बहुत आतंकित कर दिया था। इस कारण वे सोवियत सघ और साम्यवाद को अपना प्रधान शत्रु समझने लगे। सोवियत सघ के विरुद्ध घृणा और विद्वेष का रूढ़ धरतने का एक कारण तो सैद्धांतिक मतभेद था, लेकिन इसके भी बढ़कर एक और कारण था। उस समय ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश था और सोवियत सघ उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी था। इस हालत में ब्रिटेन का साम्राज्य तभी सुरक्षित रह सकता था जब उसके उपनिवेशों में साम्यवादी विचार धारा का प्रचार न हो। अतएव ब्रिटेन ने साम्यवादी रूस को अपना “शत्रु नम्बर एक” माना। इस कारण ब्रिटेन में इस समय साम्यवाद के प्रति इतनी अधिक घृणा थी कि इसका लाभ उठाते हुए कोई भी शक्ति उसको बेवकूफ बना सकती थी और रूस विरोधी होने की घोषणा करके उनका सहयोग और समर्थन पा सकती थी। घुरी राष्ट्रों ने इससे पूरा लाभ उठाया। इसी तर्क के आधार पर ब्रिटेन के नीति निर्धारक आक्रामकों को माफ करते गये। चीन पर जापानी आक्रमण की उपेक्षा इसी आधार पर की गयी। तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव सर जान साइमन का ख्याल था कि जापान चीन से नहीं धरन सोवियत साम्यवाद से लड़ने की सैयारी कर रहा है। जर्मनी ने जब बर्साय सघि का उल्लाघन शुरू किया तो ब्रिटेन चुपचाप इसलिए तमाशा देखता रहा कि हिटलर साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था। इसी प्रकार मुसोलिनी के साम्यवाद विरोधी होने के कारण अवीमीनिया पर इटली के आक्रमण को माफ किया। चेकोस्लोवाकिया की हत्या के समय में वह सोवियत विरोधी भावना तो अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। इस प्रकार ब्रिटेन के शासक वर्ग अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण के कारण अविनायकों का हीसला बढ़ाया अर्थात् सोवियत के विरुद्ध उनका समर्थन भी किया। वास्तव में ब्रिटिश राज नीतियों का यह विचार था कि सोवियत रूस के विनाश के लिए जर्मनी का पूरा समर्थन ज़रूरी जाना चाहिए। २८ नवम्बर, १९२४ का ब्रिटिश लाउ सभा में बालते हुए लायड जॉन न बड़ा

या—“बहुत घोड़े समय में इस देश ने अनुदार तत्व जर्मनी को यूरोप में साम्यवाद के विरुद्ध रक्षा की दीवार समझेंगे। वह यूरोप के कन्द्र में है और यदि साम्यवादियों के विरुद्ध उनकी रक्षा पक्ति भंग होती है तो यूरोप में साम्यवाद फैलने की आशंका है। हमें जर्मनी की निन्दा नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी अपने मित्र की भाँति स्वागत करना चाहिए।” ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि १९३९ में ब्रिटेन लम्बो घातचीत क बाद भी सोवियत संघ के साथ फासिस्ट विरोधी मोर्चा बनाने में असमर्थ रहता।*

(२) शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त—ब्रिटेन की सन्तुष्टीकरण नीति का दूसरा मुख्य आधार शक्तिसन्तुलन का परम्परागत पुराना विचार था। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रान्स यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन जाय। फ्रान्स की बढ़ती हुई शक्ति को सन्तुलित करने के लिए जर्मनी का पुनरास्थान आवश्यक माना जाता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के नीति निर्धारकों का यह अनुमान था कि एशिया में जापान और सोवियत संघ तथा यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ भविष्य के वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी हैं। अतः इन शक्तियों को आपस में लडाता रखा जाय और इस तरह एक दूसरे पर दबाव डालते रहें तो ब्रिटेन निर्विरोध अपने विश्व-वापी साम्राज्य का कायम रखे रह सकता है। ब्रिटेन की नीति यह थी कि फ्रान्स के साथ असहयोग करके, उसपर दबाव डाल कर मुसालिनी और हिरोहितो को साम्यवादो रूस के खिलाफ उभाड़ा जाय और उनका सहायता करके साम्यवादी रूस का नाश करवा दिया जाय। इसमें शक्ति सन्तुलन का कोई सिद्धान्त काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सोवियत संघ अभी उहुत कमजोर शक्ति था। हाँ, इस नीति से एक भय अवश्य था। उस हालत में क्या होगा, जब फासिस्ट-शक्तियाँ संगठित होकर सोवियत संघ पर चढ़ बैठें और उसका सत्यानाश कर दें ? उस समय जर्मनी, इटली और जापान का त्रिगुट ता काफ़ी शक्तिशाली हो जायगा और सबसे भी ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा पहुँच सकता है। लेकिन, ब्रिटिश नीति निर्धारकों की निगाह में फासिस्ट खतरा साम्यवादी खतरा से अधिक भयानक नहीं था। ब्रिटेन के शासक वर्ग में यह विचार काफी प्रबल था। इसका मजबूत इमें उन प्रकाशित पुस्तकों और समाचार-पत्रों के लेखों में मिलता है जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये थे, जिनका उस समय ब्रिटेन की सरकार में काफी बोलबाल था।†

लेकिन यह नीति ब्रिटेन के लिए बड़ी मँहगी पड़ी। धुरी राष्ट्रों ने उन सुविधाओं, जो ब्रिटेन से उन्हें प्राप्त हो रही थीं, से पूरा लाभ उठाकर अपनी शक्ति में खूब वृद्धि की और ब्रिटेन ने उनसे विरुद्ध ने किसी प्रकार को गुटबन्दी नहीं

* Schuman *International Politics*, (3rd Ed) p 606

† Schuman *International Politics*, (5th Ed) p 577

कारण ऐसी गुटबन्दी रूस के साथ मिश्रकर तैयार की जा सकती थी, लेकिन ब्रिटेन के शासक साम्यवादी होना से भयभीत होकर ऐसा करने को तैयार नहीं थे। फलतः जिस शक्ति सन्तुलन को कायम रखने के लिए सन्तुष्टीकरण की नीति का अवलम्बन किया गया था वह लक्ष्य ही विफल हो गया।

(३) ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद—पिछले पृष्ठों में हम कह आये हैं कि अनेक कारणों को लेकर युद्ध तर काल में ब्रिटेन और फ्रांस में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया। इस मतभेद के फलस्वरूप भी सन्तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। ब्रिटेन में जर्मनी के लिए सहानुभूति थी और वह उसका पुनरोत्थान चाहता था। लेकिन, फ्रांस ने इस विचार का हमेशा विरोध किया। इस प्रकार इन देशों के पारस्परिक विरोधी के कारण तानाशाहों के विरुद्ध संयुक्त बंदम उठाने में अक्षमर्थ थे। जर्मनी और इटली ने इन विरोधों से पूरा लाभ उठाया। हिटलर न बड़ी खूबी के साथ फ्रांस के विरुद्ध ब्रिटेन की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास किया और इसमें पूरी सफलता भी मिली।

(४) ब्रिटिश नेताओं की अक्षमता—यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि उस ब्रिटेन ने, जिसकी कूटनीतिक प्रौढता जगत प्रसिद्ध है, इतिहास के एक ऐसे युगान्तरकारी क्षण में इस की नीति का अनुसरण क्यों किया? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि उस समय ब्रिटेन की नीति का निर्धारण कुछ अनुभवहीन तथा कट्टर साम्यवाद-विरोधी व्यक्तियों के हाथ में था। कनल विलम्प, वाल्डविन चेम्बरलेन, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मान्टेग्यू नारमन लाडवेमर ब्रूक, जेम्स अस्टर (लन्दन टाइम्स) तथा गारविन (ऑक्जवर्) जैसे पत्रकार डीन इन्ग-जैसे लेखक, वेन्टवरी के आर्चबिशप तथा अनेक पूर्णजीपति, सन्त, जमीन्दार और प्रतिक्रियावादी इस दल के प्रमुख स्तम्भ थे और इन्हीं लोगों के हाथों में ब्रिटेन के भाग्य निर्धारण का काम था। जिस देश की नीति निर्धारक में ऐसे लोगों के हाथ हो वहाँ की नीति साम्यवाद विरोधी नहीं तो और क्या हो सकती थी? चेम्बरलेन इस दल का नेता था, इन लोगों के हाथ ही कठपुतली। इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में शिक्षित ब्रिटिश शासकवर्ग का दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण और अतुरांग ही चुना था और वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में निष्कुल असमर्थ थे। चेम्बरलेन को विश्वास था कि हिटलर का अस्मिष्ट ध्येयन वर्साव सन्धि द्वारा निमित्त अन्यायो को दूर करना है। इसी कारण वह बहुत समय तक हिटलर के शान्तिवाद पर झूठी आस्था करता रहा।

(५) ब्रिटिश जनता के विचार—ब्रिटेन का जनमत अत्यन्त जाग्रत माना जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न किया जा सकता है। क्या की जागरूक जनता ने अपने शासकों की सन्तुष्टीकरण की नीति का विरोध क्यों नहीं

किया। इसके मूल में भी एक महत्त्वपूर्ण बात थी। ब्रिटेन के लोगों में यह सामान्य विश्वास था कि वसाय की सन्धि अत्यन्त कठोर और अन्यायपूर्ण है और यूरोप में स्थायी शान्ति तभी कायम हो सकती है जब इन अन्यायों को दूर करके जर्मन को उपयुक्त स्थान दे दिया जाय। हिटलर ब्रिटेन के निवासियों को इस विचार से पूर्ण परिचित था और उसने प्रचार करके ब्रिटेन के निवासियों को अपने पक्ष में बनाये रखने का भरपूर यत्न किया। इसमें उसको सफलता भी काफी मिली।

(६) ब्रिटेन की दुबलता—ब्रिटेन की आन्तरिक और भौतिक दुबलता भी सन्तुष्टीकरण की नीति का एक कारण था। १९३० के बाद ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी थी और उपनिवेशों में राष्ट्रिय आन्दोलन जोर पकड़ गया था। ऐसी हालत में ब्रिटेन को स्थिति बहुत खराब हो चली थी। चेकोस्लोवाकिया कांड के समय जब सन्तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची तो उस समय ब्रिटेन ने म्यूनिख का समझौता इसलिए कर लिया कि उसकी सैनिक शक्ति कमजोर थी। ऐसा समझा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पास हिटलर के आक्रमण को रोकने का सामर्थ्य नहीं था।*

(७) चेम्बरलेन का व्यक्तित्व—तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन सन्तुष्टीकरण की नीति का प्रतीक था। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में इस व्यक्ति के कुछ अपने विचार थे। अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वह सम्मेलनों और समझौतों पर अधिक जोर देता था और युद्ध से बचना चाहता था। उसने बार-बार सम्मेलनों द्वारा सभी समस्याओं का हल करने पर बल दिया। हाडी साहब चेम्बरलेन के इस धारणा को म्यूनिख समझौता का वास्तविक-कारण मानते हैं।† उसका विश्वास था कि यदि हिटलर और मुसोलिनी की कुछ शिकायतें दूर कर दी जायँ तो वे सन्तुष्ट हो जायेंगे और सभी समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल निकल आवगा। लेकिन यह उसकी गलती थी। उसकी सबसे बड़ी भूल इस विश्वास का भ्रान्तिपूर्ण होना था कि हिटलर और मुसोलिनी की तृष्णा और व्याकांक्षा को शान्त भी किया जा सकता है। वह उसके साधियों का यह भ्रान्त विश्वास था कि “छोटे राष्ट्रों को भेड़ियों के आगे डालने से उनको सन्तुष्ट किया जा सकता है, पर वे यह नहीं समझ सके कि एक लहू का स्वाद लग जाने तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती, जितना सन्तुष्टीकरण किया जायगा, उतना ही अन्तोप बढ़ेगा”‡

David Thomson *Europe Since Napoleon* p 700

† C Hardy *A Short History of International Affairs*, p 177

‡ Schuman, *International politics*, p 604

कारण ऐसी गुरुबन्दी रूस के साथ मिलकर तैयार की जा सकती थी, लेकिन ब्रिटेन के शासक साम्यवादी हौआ से मयमीत होकर ऐसा करने को तैयार नहीं थे। फलतः जिस शक्ति सन्तुलन को कायम रखने के लिए सन्तुष्टीकरण की नीति का अवलम्बन किया गया था वह लक्ष्य ही विफल हो गया।

(३) ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद—पिछले पृष्ठों में हम कह आये हैं कि अनेक कारणों को लेकर युद्ध तर काल में ब्रिटेन और फ्रांस में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया। इस मतभेद के फलस्वरूप भी सन्तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। ब्रिटेन में जर्मनी के लिए सहानुभूति थी और वह उसका पुनरोत्थान चाहता था। लेकिन, फ्रांस ने इस विचार का हमेशा विरोध किया। इस प्रकार इन देशों के पारस्परिक विरोधों के कारण तानाशाहों के विद्वह संयुक्त बंदम उठाने में अक्षमर्थ थे। जर्मनी और इटली ने इन विरोधों से पूरा लाभ उठाया। हिटलर ने बड़ी खूबी के साथ फ्रांस के विरुद्ध ब्रिटेन की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास किया और इसमें पूरी सफलता भी मिली।

(४) ब्रिटिश नेताओं की अवस्था—यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि इस ब्रिटेन ने, जिसकी कूटनीतिक प्रौढता जगत-प्रसिद्ध है, इतिहास के एक ऐसे युगान्तरकारी क्षण में इस की नीति का अनुसरण क्यों किया? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि इस समय ब्रिटेन की नीति का निर्धारण कुछ अनुभवहीन तथा कट्टर साम्यवाद-विरोधी व्यक्तियों के हाथ में था। कनल ग्लिम्प, वाल्डविन चेम्बरलेन, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मान्टेग्यू नारमन लार्डचेम्बरलैंक, जेरीब अस्टर (लन्दन टाइम्स) तथा गारविन (ऑब्जर्वर) जैसे पत्रकार डीन इंग्लैंड जैसे लेखक, वेन्टवरी के आर्चबिशप तथा अनेक पूर्वाजीवित, सन्त, जमीन्दार और प्रतिक्रियावादी इस दल के प्रमुख स्तम्भ थे और इन्हीं लोगों के हाथों में ब्रिटेन के माध्य निर्धारण का काम था। जिस देश की नीति निर्धारक में ऐसे लोगों के हाथ हो वहाँ की नीति साम्यवाद विरोधी नहीं तो और क्या हो सकती थी? चेम्बरलेन इस दल का नेता था, इन लोगों के हाथ ही कठपुतली। इंग्लैंड के पत्रकार रक्तियों में शिक्षित ब्रिटिश शासक वर्ग का दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण और अनुसृत हो चुका था और वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में अक्षम थे। चेम्बरलेन को विश्वास था कि हिटलर का समिष्ट वैश्व बर्गार सन्धि द्वारा निमित्त अन्यायी को दूर करना है। इसी कारण वह बहुत समय तक हिटलर के शान्तिवाद पर झूठी आस्था करता रहा।

(५) ब्रिटिश जनता के विचार—ब्रिटेन का जनमत अत्यन्त अज्ञान माना जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न किया जा सकता है। क्या ही जागरूक जनता ने अपने शासकों की सन्तुष्टीकरण की नीति का विरोध नहीं

किया। इसके मूल में भी एक महत्त्वपूर्ण बात थी। ब्रिटेन के लोगों में यह सामान्य विश्वास था कि बसाय की सन्धि अत्यन्त कठोर और अयायपूर्ण है और यूरोप में स्थायी शान्ति तभी कायम हो सकती है जब इन अन्धाधुंधों को दूर करके जर्मनी को उपयुक्त स्थान दे दिया जाय। हिटलर ब्रिटेन के निवासियों के इस विचार से पूर्ण परिचित था और उसने प्रचार करके ब्रिटेन के निवासियों को अपने पक्ष में बनाय रखने का भरपूर यत्न किया। इसमें उसको सफलता भी काफ़ी मिली।

(६) ब्रिटेन की दुर्बलता—ब्रिटेन की आन्तरिक और भौतिक दुर्बलता भी सन्तुष्टीकरण की नीति का एक कारण था। १९३० के बाद ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी थी और उपनिवेशों में राष्ट्रिय आन्दोलन जोर पकड़ गया था। ऐसी हालत में ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो चली थी। चेकोस्लोवाकिया कांड के समय जब सन्तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची तो उस समय ब्रिटेन ने म्यूनिख का समझौता इसलिए कर लिया कि उनकी सैनिक शक्ति कमजोर थी। ऐसा समझा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पास हिटलर के आक्रमण को रोकने का सामर्थ्य नहीं था।*

(७) चेम्बरलेन का व्यक्तित्व—तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन सन्तुष्टीकरण की नीति का प्रतीक था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में इस व्यक्ति के कुछ अपने विचार थे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वह सम्मेलनों और समझौतों पर अधिक जोर देता था और युद्ध से बचना चाहता था। उसने बार-बार सम्मेलनों द्वारा सभी समस्याओं का हल करने पर बल दिया। हार्डी साहब चेम्बरलेन के इस धारणा को म्यूनिख समझौता का वास्तविक कारण मानते हैं।† उसका विश्वास था कि यदि हिटलर और मुसोलिनी को कुछ शिकायतें दूर कर दी जायँ तो वे सन्तुष्ट हो जायँगे और सभी समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल निबल आवगा। लेकिन यह उसकी गलती थी। उसकी सबसे बड़ी भूल इस विश्वास का भ्रान्तिपूर्ण होना था कि हिटलर और मुसोलिनी की तृष्णा और आकांक्षा को शान्त भी किया जा सकता है। वह उसके साथियों का यह भ्रान्त विश्वास था कि “छाटे राष्ट्रों की भेदियों के आगे डालने से उनको सन्तुष्ट किया जा सकता है, पर वे यह नहीं समझ सके कि एक लहू का स्वाद लग जाने तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती, जितना सन्तुष्टीकरण किया जायगा, उतना ही अडन्तोप बढ़ेगा”‡

* David Thomson *Europe Since Napoleon* p 709

† C Hardy *A Short History of International Affairs*, p

‡ Schuman, *International politics*, p 604

(घ) सायुक्तराज्य अमेरिका की विदेश नीति (१९१६-३६)

विषय प्रवेश—१८७६ के अमरीकी स्वातन्त्र्य संग्राम के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। १७८३ के अन्त तक इस नये राज्य को सभार के सभी राज्यों की मान्यता प्राप्त हो गयी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रों के परिवार का एक सदस्य बन गया। अमेरिका के इतिहास की खास विशेषता यह है कि जन्म से लेकर आज तक वह बेरिफ्ट टोक प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। १८१२ में ब्रिटेन के साथ युद्ध और १८६१ के गृह युद्ध को छोड़कर अमेरिका की भूमि पर एक भी विघ्नकारी युद्ध नहीं हुआ है। फलस्वरूप अमेरिका की प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ी है और उसकी उन्नति दिन दूनी रात चौगनी होती जा रही है। अमेरिका के साथ सोवियत संघ की प्रगति की तुलना करते समय हमें इस तथ्य पर ध्यान रखना चाहिए।

पाथक्वयाद—जन्म का ही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मजबूर होकर अमेरिका के इस नये रिपब्लिक को तटस्थता की नीति का सहारा लेना पड़ा। इस नीति का जन्मदाता थामस जैफसन था। 'शान्तिपूर्ण व्यापार सबके साथ पर झकट पैदा करनेवाली मधियों किसी के साथ भी नहीं' इस नीति का मुख्य आधार था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करे, लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में नहीं फँसे। फ्रांसीसी क्रान्ति के होने तक यह अमेरीकी परराष्ट्र नीति का मुख्य स्तम्भ बना रहा है।

मुनरो सिद्धांत—१८२३ में मुनरो-सिद्धान्त के प्रतिपादन से अमरीकी परराष्ट्र नीति के इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। यह सिद्धान्त यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक चेतावनी था जिसके अनुसार तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति मुनरो ने उनको अमरीकी महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप करने की मनाही की थी। 'हम यह जता देना चाहते हैं कि यदि उन्होंने (यूरोपीय राज्यों) अपना प्रणाली को इस गोलार्द्ध में फैलाने का कोई यत्न किया तो उनके इस यत्न को हमारी शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा समझा जायगा। यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो हम उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अभिप्रतापण दण्ड के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं समझ सकेंगे।' दूसरे शब्दों में यूरोपीय राज्यों को अमरीकी गोलार्द्ध की राजनीति से दूर रहने को कहा गया। इस सिद्धान्त का यह भी मतलब था कि यूरोपीय लोग चाहें तो अमरीकी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, पर उसकी राजनीति में दखल नहीं दे सकते।

अमरीकी साम्राज्यवाद—जेफसन सिद्धान्त और मुनरो सिद्धान्त को ध्यान में रखकर यह कहा जाता है कि अमेरिका विश्व राजनीति में वृथकता (isolation)

की नीति का अनुसरण करता रहा है। मुनरो-सिद्धान्त का असल ध्येय लैटिन-अमेरिका के देशों पर से यूरोपीय साम्राज्यवाद को हटाकर अमरीकी साम्राज्यवाद कायम करना था। अमेरिका में यूरोप का हस्तक्षेप नहीं हो, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अमरीकी प्रजातन्त्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं हो। वास्तव में मुनरो सिद्धान्त के द्वारा अमेरिका के साम्राज्यवादी जीवन की नींव पड़ी और सम्पूर्ण उत्तरीय शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अमरीकी परराष्ट्र नीति का सुख्य लक्ष्य साम्राज्यवादी प्रसार था। इसी सिद्धान्त के अनुसार उसने लैटिन-अमेरिका के प्रजातन्त्रों पर अपना प्रभाव जमाया और इस प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए पनामा-नहर खुदवायी। उसने पचासी राज्यों पर आक्रमण करके अग्ने साम्राज्य का विस्तार किया। ८३४ में मेक्सिको के साथ युद्ध करके उसने कैलिफोर्निया, नेवेडा उटा, अरीजोना और न्यू मेक्सिको पर अपना अधिकार जमाया। १८९८ में उसने स्पेन से युद्ध करके उससे फिलिपाइन द्वीपसमूह, पुर्टोरिको और क्यूबा छिन लिये। उसी वर्ष हवाई के कुछ अमरीकी निवासियों के अनुरोध का बहाना कर उसने हवाई द्वीपसमूह को अपने साम्राज्य में मिला लिया। १९०० में उसने पनामा नहर के इलाके पर अपना आधिपत्य कर लिया और इसके बाद यह घोषित किया कि उसे पब्लिस के लैटिन अमरीकी देशों में शान्ति सुव्यवस्था कायम करने का अधिकार है। लैटिन अमेरिका के देशों में बराबर गड़बड़ी मची रहती थी और संयुक्त राज्य अमेरिका इन अव्यवस्थाओं से नाजायज लाभ उठाता रहा। व्यवस्था के नाम पर उसने निकारगुवा, हायटी आदि राज्यों पर अपना राजनीतिक प्रभाव कायम किया। यह बात ठीक है कि ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं मिले गये, पर इन पर उसका आर्थिक प्रभाव कायम हो गया। व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति पूर्णतया अमेरिका के संरक्षित राज्यों जैसी थी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका का इतिहास उतना ही साम्राज्यवादी है जितना फ्रांस या ब्रिटेन का।

अमेरिका ने जापान पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यद्यपि इसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। वास्तव में जापान का दरवाजा खोलने की श्रेय अमेरिका को ही प्रप्त है। १८५३ में अमेरीकी नौ सेना के एक कप्तान पेरी ने जापान को डरा-धमका कर उसके साथ कुछ संधियों की और अमेरिकी सुविधाएँ प्रप्त कीं। अमेरिका चीन का शोषण करने में भी पीछे नहीं रहा। लैटिन, जिस समय अमेरिका चीन के रंग मंच पर उपस्थित हुआ उस समय तक यूरोप के विभिन्न राज्य उनके शोषण में जुट चुके थे। अतएव अमेरिका को इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नयी नीति का आश्रय लेना पड़ा जिसे 'खुले दरवाजे की नीति' कहते हैं। इसका अर्थ था कि सभी विदेशों को समान

रूप से चीन का शोषण करने की सुविधा मिले और किसी के साथ कोई खास रियायत नहीं हो। इस नीति को कार्यान्वित करने से अमेरिका को काफी लाभ हुआ। जब शापण के विरुद्ध चीन में १९०० का बॉक्सर-विद्रोह हुआ तो इसको दबाने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। बॉक्सर के राष्ट्रीय विद्रोह की क्रूरता से दबाने में अमेरिका का उतना ही हाथ रहा जितना किसी अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी देश का। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी में विश्व-राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका का जबरदस्त इस्सा रहा है। इन सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी परराष्ट्र नीति के लिए 'पृथकता' शब्द का प्रयोग करना उस शब्द का दुरुपयोग करना है। कहने के लिए तो वह विश्व राजनीति के भँवर-जाल से अनग रहा, किन्तु वास्तविकता इससे कोसों दूर है। राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा सफल परराष्ट्र नीति की एक कसौटी मानी जाती है और इस कसौटी पर अमेरिकी परराष्ट्र नीति काफी सफल सिद्ध हुई है। जिस समय अमेरिका के स्वार्थ पर खतरा पहुँचा तो वह विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा और उस स्वार्थ की पूर्ति हासिल करने के बाद वह विश्व राजनीति से सन्यास लेकर एकान्तवात करने लगा। अमेरिकी 'पृथकता' की नीति का वास्तविक अर्थ यही है।

विश्व-राजनीति में विलचस्पी—बीसवीं सदी के प्रारम्भ से अमेरिका विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लेने लगा। १९०१ में थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ और उसी के समय से अमेरिका सभार में अपना हाथ पाँव फैलाने लगा। इस समय अमेरिकी सरकार ने एकाएक यह अनुभव किया कि सयुक्त राज्य वास्तव में विश्व की एक महान् शक्ति है और उसे विश्व को समस्याओं से दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस अनुभव के प्रथम शिकार लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश ही हुए। लेकिन, इसके साथ साथ अमेरिका अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में भी दिलचस्पी लेता रहा। १९०२ के रूस-जापान युद्ध का अन्त कराने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध का अन्त हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसका यह हस्तक्षेप युद्ध का अन्त करके शान्ति स्थापित करने के पवित्र उद्देश्य से नहीं हुआ, बल्कि एशिया के एक देश जापान की विजय की महत्ता कम करने के उद्देश्य से हुआ था। १९०६ में माण्डरी को लेकर फ्रांस और जर्मनी का झगड़ा शुरू हुआ। सयुक्त राज्य ने इस झगड़े में भी मध्यस्थता की और फ्रांस तथा जर्मनी में बीच बचाव कराकर यूरोपीय शान्ति को भंग होने से बचाया। इसके अतिरिक्त रूजवेल्ट ने हेग पंचायती न्यायालय का समर्थन किया और वहाँ दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुकदमे भेजे। किन्तु इतना हान पर ही अमेरिका अपने का यूरोप के झगड़ों से दूर रखकर तटस्थता की नीति पर ही रहना चाहता था।

पनेरिका का विश्व युद्ध—जिस समय अमेरिका मेक्सिको के साथ एक झगडा में फँसा हुआ था उसी समय यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ गया। अमेरिका में बहुत बड़ा सङ्घर्ष में जमन जाति निवास करती थी। उनकी सहानुभूति जर्मनी के पक्ष में थी। लेकिन अधिकांश अमरीकी ब्रिटेन और फ्रांस के पक्षपाती थे और युद्ध में वे फ्रांस और ब्रिटेन की विजय को कामना करते थे। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था। वह अमेरिका को यूरोपीय युद्ध में फँसने से ढाई वर्षों तक बचाये रखा। इस बीच अमेरिका के पूर्णजीपति यूरोपीय युद्ध में आधिक लाभ उठाते रहे। अमरीकियों ने फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी को बड़ी बड़ी रकम ऋण में दे दी। अमेरिका के ऋण कारखाने युद्धाभियोगी सामग्री बनाते रहे और युद्ध-रत देशों के हाथ इन चीजों की बेचकर उन लोगों ने खून मुनाफा कमाया। किन्तु बात यहाँ तक सीमित नहीं रही। १९१४ में जर्मन पनडुब्बियों ने एक ब्रिटिश-जहाज को डुबा दिया, जिसके कारण सैकड़ों अमरीकियों की जानें चली गयीं। सारे अमेरिका में क्रोध का तफान उमड़ पड़ा। इतना होने पर भी विल्सन ने अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित नहीं हान दिया। किन्तु १९१७ के प्रारम्भ में जब जर्मनी ने अनियन्त्रित पनडुब्बी युद्ध की घोषणा की, तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश अवश्यम्भावी हो गया। जब अमरीकी जहाज बेरोक टोक डुबाये जाने लगे तो विल्सन ने काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया और ६ अप्रिल, १९१७ को अमेरिका मित्रराष्ट्रों के पक्ष में प्रवेश कर गया। युद्ध में उसने मुस्तेदी के साथ काम किया और विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। अमेरिका अपने प्रयास में मफल हुआ और उसकी मदद से मित्रराष्ट्र युद्ध में, विजयी हुए।

एक ओर जहाँ युद्ध जीतने के लिए अमेरिका द्वारा मुस्तेदी से कार्रवाइयाँ की जा रही थी वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति विल्सन शान्ति के लिए प्रयास भी कर रहे थे। वास्तव में विल्सन ने १९१८ में ही शान्ति स्थापना के लिए प्रयास किये थे। परन्तु जर्मनी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। १९१८ के आरम्भ में उसने अमेरिका की काँग्रेस के सम्मुख शान्ति स्थापना का अपना वह कार्यक्रम पेश किया, जिसके आधार पर वह युद्धोत्तर समार का निर्माण करना चाहता था। वह विल्सन का प्रसिद्ध 'चौदह सूत्र' था और इसी सूत्र के आधार पर युद्ध का अन्त भी हुआ।

शान्ति सम्मेलन में विल्सन—१९१८ के अन्तिम दिनों में विल्सन यूरोप की जनता में सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेता था, वह एक ऐसे राज्य का प्रधान था, जिसकी मदद से प्रथम विश्व युद्ध जीतना सम्भव हो सका था। इसके अतिरिक्त विल्सन का अपना व्यक्तित्व भी था। युद्ध से तग आकर जनता शान्ति चाहती थी और विल्सन उस समय शान्ति के अघड़ूत का काम कर रहा था। इन सब कारणों

से युद्धोत्तर काल के राजनीतिज्ञों में विल्सन का म्यान एक नायक के सदृश था। एक बहुत बड़े अवसर पर असीमित जिम्मेवारी लेकर विल्सन शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप खाना हुआ।

एक सुसंगठित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कायम करना विल्सन को सबसे बड़े अभिलाषा थी। राष्ट्रसंघ वास्तव में विल्सन का सृजन था और इनकी विश्व शांति का प्रभावशाली यन्त्र बनाने की दिशा में उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। उसी के जोर पर राष्ट्रसंघ को बर्साय सन्धि का एक अभिन्न अंग बनाया गया। पेरिस शान्ति सम्मेलन में उसके 'चौदह सुत्रों' की खिल्ली उड़ायी गयी। लेकिन, आदर्शवादी विल्सन एक ऐसा युगपुरुष था, जो अपने आदर्शों में डिगनेवाला नहीं था। इसकी स्थापना के लिए वह अन्तः अन्त तक लड़ता रहा। पर दुर्भाग्य की बात थी कि उसके आदर्शों की इज्जत स्वयं अमेरिका में ही उठी हुई।

पाथबयबाद का पुनरावतन—युद्ध के बाद अमेरिका के पशुच राजनैतिक पुनः पृथक्ता की नीति का समर्थक बन गया। यूरोपीय राजनीति में अमेरिकी हस्तक्षेप 'फिर कभी नहीं हो' उनका नारा था। नवम्बर, १९१८ में अमेरिका में आम चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति विल्सन को डिमोक्रेटिक पार्टी को सिनेट और कांग्रेस में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। अमेरिकी जनता ने युद्ध में बड़ी मुश्तैदो से भाग लिया था, किन्तु युद्धोत्तर समस्या को सुलझाने में वह अन्वयमनस्कता दिखलाने लगी। पेरिस शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए विल्सन स्वयं पेरिस गया था। इससे बहुत से अमेरिकी उसके डिगड़े हुए थे। उनके विचार में इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा पर बड़ा लग रहा था। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था। वे राष्ट्रपति से अत्यधिक डिगड़े हुए थे, क्योंकि पेरिस शान्ति सम्मेलन के अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में एक भी रिपब्लिकन प्रतिनिधि ही सम्मिलित किया गया था। अतः उन्होंने डटकर विल्सन को पराष्ट्र नीति का विरोध किया। कांग्रेस वर्षा-सन्धि तथा राष्ट्रसंघ का समर्थन करने के लिए तयार नहीं हुई। विल्सन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि कम से कम अमेरिका राष्ट्रसंघ को स्वोच्छ्रित करके उसका सदस्य बन जाय। राष्ट्रसंघ उसके राजनीति जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी और अमेरिका द्वारा इसका टुकड़ा जाना वह नहीं देखना चाहता था। कांग्रेस से निराश होकर वह अमेरिकी जनता की तरफ मुड़ा। उसने रेडियो से अपील की और समूचे देश का दौड़ करके राष्ट्रसंघ के प्रश्न की सीधे जनता के समक्ष रखा। किन्तु उसके इस अधिक प्रयत्न का कोई फल नहीं निकला। मार्च, १९२० में सिनेट ने वर्षा-सन्धि और राष्ट्रसंघ की योजना को विल्कुल नामजूर कर दिया। लगभग दस वर्ष तक विल्सन सिनेट के विरोध में लड़ता रहा। जब उसकी विजय की कोई आशा नहीं रही तो उसका दिल टूट गया। यह सद्मा इतना जबरदस्त था कि विल्सन उसकी

सह नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गयी। विल्सन की मृत्यु के बाद यह झगड़ा कम हो गया। नवम्बर, १९२० के चुनाव में बिन्सन के एक समर्थक की हार हासिल हुई और सिनेट के एक रिपब्लिकन सदस्य चार्ल्स डिक अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मार्च, १९२१ में नये राष्ट्रपति ने घोषणा की कि राष्ट्रसंघ के कार्यों में अमरीकी सरकार कोई भाग नहीं लेगी। वसंत सन्धि के साथ-साथ अन्य सन्धियों को भी रद्द कर दिया गया और उसकी जगह पर अमेरिका ने जमने, आग्रिया और हगरी में पृथक पृथक शान्ति संधियाँ कीं। आरम्भ से ही अमेरिका द्वारा भाग न लेने से राष्ट्रसंघ का बड़ा क्षति पहुँचे, क्योंकि इससे राष्ट्रसंघ का एक बड़े राष्ट्र का नैतिक समर्थन और सहयोग प्राप्त नहीं हो सका।

पुनरावर्तन के कारण— इस प्रकार विल्सन के आदर्शवादी राजनीतिक जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण अन्त हुआ। बीसवीं शताब्दी का ईसासहस्र, शान्ति के मन्दिर का सर्वोच्च पुजारा, सशस्त्र के नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवक्ता, अन्तर-राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय की प्रतिमूर्ति, मानवता का पथ प्रदर्शक और धर्म का अवतार राष्ट्रपति विल्सन, जिसका सारा जीवन राजनीति-शास्त्र के अध्यापन में व्यतीत हुआ था, वह थोड़ा स व्यक्ति का स्वार्थ के समुच्च शक्तिहीन हो गया। मानव-सम्पत्ता के इतिहास में वह बहुत बड़ी बदनाम घटना थी। अमेरिका ने अपने इतने बड़े चरित्रवान् और आदर्शवादी राष्ट्रपति के सिद्धान्तों का अस्वीकृत क्यों कर दिया? इस प्रश्न के अनेक उत्तर दिये जाते हैं। पहली बात यह कही जाती है कि अमरीकी परराष्ट्र नीति की परम्परा ही पृथक्ता की नीति की अवलम्बन करती रही है। परिस्थिति से बाध्य होकर अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ था और एक बार जब युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व राजनीति में विलचस्पी लेना अमेरिका के लिए कोई आवश्यक नहीं रह गया। यूरोपीय राजनीति में विलचस्पी लेने का अर्थ था तरह तरह की झगड़ों में अमेरिका को फँसाये रखना। पर अमरीकी जनता इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे अमेरिका की प्रगति में बाधा पड़ सकती थी। इसीलिए अमरीकी जनता ने विल्सन के सम्मीदवार का आमचुनाव में अस्वीकृत कर दिया।

राष्ट्रसंघ-विघ्नान की दसवीं घारा के सम्बन्ध में अमेरिका में जबरबस्त विरोध था। यह घारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का प्रतिपादित करती थी, जिसके अनुसार आक्रमणकारी के खिलाफ सैनिक और आर्थिक कार्रवाई भी की जा सकती थी। राष्ट्रसंघ के विरोधियों का कहना था कि इस घारा के अनुसार अमेरिका को अन्य देशों की झगड़ों में व्यर्थ ही फँसना पड़ेगा। इस तरह के अनेक कारण युद्धोत्तर अमेरिका की पृथक्तावादी नीति के पक्ष में दिये जाते हैं और वे बहुत अर्थ में ठीक भी हैं। पर विल्सन के किये किये कामों से अपना नाता तोड़ने का वास्तविक

कारण कुछ और भी था। विलसन अपने युग का सबसे बड़ा आदर्शवादी था। वह ससार से युद्ध का अन्त कर देना चाहता था। प्रथम विश्वयुद्ध को वह मा वत का अन्तिम युद्ध समझता था। उसी क शब्दों में यह युद्ध, युद्ध का अन्त करने के लिए लड़ा गया था। दूसरी तरफ अमेरिका में युद्ध के फलस्वरूप एक ऐसे वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी थी, जिसका स्वार्थ युद्ध हाने पर ही सधता था। युद्धोपयोगी सामग्री बनानेवाला यह उद्योगपति वर्ग अमेरिका क राजनीतिक जीवन में काफी प्रभावशाली बग था और इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा पड़्यन्त्र रचा, जिससे विलसन क सिद्धान्त और विश्व शान्ति का प्रतीक राष्ट्रसंघ कफल नहीं हो सके—ससार शान्ति के लिए सराक्षित नहीं हो सके। वास्तविक बात यह थी कि अमेरिका विलसन जैसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान था ही नहीं।

पूर्वी एशिया में विलचस्वी—यूरोपीय राजनीति क सम्बन्ध में अमेरिका मने ही पृथक्ता की नीति का अनुसरण करे, पर पूर्वी एशिया में अमेरिका अपनी गम्भीर उदासीनता की नीति पर स्थिर नहीं रह सकता था। युद्ध समाप्त होने क बाद जापान प्रशासन महासागर का बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। उसके पास बड़े बड़े समुद्री बेड़े थे और ससार म वह तीसरे नम्बर का सामुद्रिक शक्ति हो गया था। जापान इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा था। इसके अमरीकी लोगों को बड़ी चिन्ता हो रही थी। इन्होंने पृथक्ता की नीति का कुछ समय के लिए परित्याग कर देना ही ठीक समझा और नवम्बर, १९२१ में प्रशान्त महासागर की समस्याओं तथा नौ सेना को सीमित करने के उद्देश्य से वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया। इसके सम्बन्ध म हम आगे पढ़ेंगे।

राष्ट्रसंघ से सहयोग—१९२७ में वह जेनेवा नौ सेना सम्मेलन में भी शामिल हुआ। १९२८ में उसने पेरिस पैक्ट को लागू करने में अपना जबरदस्त समर्थन दिया साथ ही राष्ट्रसंघ के कामों में जहाँतहाँ सहयोग किया। राष्ट्रसंघ के बहुत से सम्मेलनों में उसने निरीक्षकों और प्रतिनिधियों को भेजा। १९३१ में वह राष्ट्रसंघ की कौंसिल के साथ मचूरिया सङ्कट पर अपना सहयोग दिया। राष्ट्रसंघ निरस्त्रकरण सम्मेलन में अमेरिका ने भाग लिया। जब १९३२ में रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना और कार्डेल हल परराष्ट्र सचिव तो राष्ट्रसंघ क साथ अमेरिका का सहयोग और भी बढ़ गया। १९१८ में अमेरिक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभ का सदस्य बन गया।

यूरोपीय समस्याएँ और अमेरिका—प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं का हल करने में अमेरिका ने विलचस्वी दिखायी। डावस योजना के अन्तगत उसने क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए जर्मनी को काफ़ी सहायता दी। क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण समस्याओं पर विचार करने के लिए वह

अनेक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ। जब सप्ताह बहुत बड़े आधिक संकट के चंगुल में फँस गया तो अमेरिका ने हूवर-मुहलत की घोषणा की। वह १९३० के विश्व अर्थ सम्मेलन में भी सम्मिलित हुआ। इस तरह युद्धाचर काल में किसी-किसी रूप में अमेरिका विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेता हा रहा।

तटस्थता कानून — अ-य क्षत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका विलकुल पृथक्ता की नीति को अपनाये रहा। १८७० से १ २९ तक के बीच में स९से महत्त्वपूर्ण प्रश्न संयुक्त राज्य में बाहर से आकर बसनेवालों का प्रश्न था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यूरोप और एशिया से बहुत स लोग आकर अमेरिका में बसने लगे थे। विदेशियों का इस बाट को रोकने के लिए १९५१ और १९२४ क बीच अमरीकी कांग्रेस ने दो कानून पास किये। इसमें बाहर स आनेवालो लोगां क स या 'निश्चित कर दी गयी और एशिया के लोगां पर विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया। बारह वर्षों तक अमेरिका क प्रत्येक राष्ट्रपति इस बात का प्रयास करते रहे कि अमेरिका अन्तराष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य बन जाय। इस पर अमेरिका मे काफी बहस हुई और तरह तरह की योजनाएँ उपस्थित की गयी। किन्तु, १९२५ में सिनेट ने इस प्रस्ताव को सदा के लिए नामजूर कर दिया। इसके पहले १९३३ में अमेरिका ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करके एक बहुत बडा काम किया। इसके बाद अमेरिका सोवियत संघ की विकास योजनाओं में अपना योगदान देने लगा।

१९३० के बाद से अन्तराष्ट्रीय राजनीति का वातावरण दृषित होने लगा। ऐसी स्थिति में रिपब्लिक पार्टी ने बढोर तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। यूरोप के बहुत-राज्य अमेरिका क युद्धकालीन कर्ज नहीं चुका रहे थे। भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए १९३४ में कांग्रेस ने जॉन्सन ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि कोई भी सरकार जिसने अमेरिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया है उसे आगे कर्ज नहीं दिया जा सकता। जब युद्ध के काले बादल मझराने लगे तो भावी युद्ध से बचने के लिए कांग्रेस ने १९३४ ३७ के बीच अनेक तटस्थता कानून पास किये, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि किसी युद्धरत देश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायगा, अमेरिका से युद्ध सामग्री नहीं भेजी जायगी और कोई अमरीकी नागरिक युद्धरत देशों के जहाज पर नहीं चलेगा।

तटस्थता की नीति के परिणाम— तटस्थता की इस नीति का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। चीन पर जापानी आक्रमण का राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा कडी आलाचना

तथा मच्ची की सरकार को स्वीकार नहीं करने से ही काम चलनेवाला नहीं था। फासिस्ट शक्तियों के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने को जनतन्त्र का हामी भरनेवाला अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ था और फासिस्ट आक्रमणों के खिलाफ उँगली भी नहीं उठा रहा था। अतः १९३५ में इटली ने इथियोपिया पर हमला किया। १९३६ में स्पेन में यह युद्ध शुरू हुआ और स्पेन के गणतान्त्रिक समर्थकों का अपने कोई मदद नहीं मिली। पश्चिम यूरोप में निरस्त्रीकरण सम्मेलन अस्तित्व ही चुका था और प्रशान्त महासागर में जापान का प्रभुत्व दिनों दिन बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका चुप बैठनेवाला नहीं था। ही मकतता है कि कबो ऐसा दिन भी आये जब अमेरिका का राष्ट्रीय स्वार्थ भी खनरे में पड़ जाय। धीरे-धीरे अमेरिका का जनमत यूरोप में हस्तक्षेप करने के पक्ष में होने लगा। बहुत लोगों ने समझा कि फासिस्ट शक्तियों की प्रगति नहीं रोकने से आक्रमण कारियों को सहायता मिल रही है। अमेरिकी सरकार अब इस बात की चेष्टा करने लगी कि मौका पड़ने पर यूरोप के मामलों में सक्रिय भाग लिया जाय। अमेरिका को सबसे अधिक भय जापान की बढ़ती हुई शक्ति से था। अतएव सुरक्षा के लिए बजट में बड़े बड़े रकमों की व्यवस्था की गयी। धन सेना, न सेना और वायु सेना में अत्यधिक वृद्धि की गयी। रूजवेल्ट बार बार हिटलर और मुसोलिनी से आक्रमण न करने तथा छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता कायम रखने की अपील करता रहा, पर हिटलर ने जमान ससद् में भाषण करते हुए रूजवेल्ट की अपील को मशरूम में उड़ा दिया। १९३७ की तटस्थता कानून जो 'दाम चुकाओ और माल ले जाओ' के सिद्धान्त पर बना था, उसकी अवधि मई, १९३९ में समाप्त होनेवाली थी अमेरिकी सिनेट ने इस ऐक्ट को फिर से नया जीवन दिया, पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति खराब होने पर अमेरिका में ऐसे बहुत लोग थे जो अभी भी तटस्थता की नीति के बहुत बड़े पक्षपाती थे। अमेरिका अभी अपनी स्थिति को निश्चित भी नहीं कर सकता था कि १ सितम्बर, १९३९ को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय महा युद्ध प्रारम्भ हो गया।

लैटिन अमेरिका के साथ सम्बन्ध —

यद्यपि अमेरिका यूरोप तथा सुदूरपूर्व के बखेड़ों से अपने-आपको प्रदूषण करने का प्रयत्न करता रहा, किन्तु इसके साथ ही साथ वह अन्य अमेरिकी देशों के अधिकारिक निष्कट आने का प्रयत्न भी करता रहा। लैटिन अमेरिका के कुछ देशों ने राष्ट्रसंघ का स्वागत इसलिए किया था कि इससे उनके देशों में राष्ट्र राज्य का हस्तक्षेप कम हो जायगा। बहुत-से अमेरिकी देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। लेकिन, जैसे-जैसे समय बीतता गया और कन्नोरी स्पष्ट होती गयी, वैसे-वैसे वे राष्ट्रसंघ को आर से विमुख होवे गये। १९२६ में ब्राजिल और १९३६ में गुआटेमाला, होन्डुरास और निकारागुआ, संयुक्त राज्य का

अनुकरण करते हुए, राष्ट्रसघ से अलग हो गये, पर लैटिन अमेरिका के देश अमेरिका के 'डालर साम्राज्यवाद' से काफी डरते थे। इन देशों पर अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम करना सयुक्त राज्य की परम्परागत नीति थी। मुनरो-सिद्धान्त का यह अर्थ लगाया जाता था कि आवश्यकता पड़ने पर अमरीकी गोलार्ध के मामलों में हस्तक्षेप करना सयुक्त राज्य का अधिकार है। १९०३ में सयुक्त राज्य और क्यूबा में एक सन्धि हुई थी। इस सन्धि के अनुसार सयुक्त राज्य को यह अधिकार दिया गया था कि वह उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हैटी और निकारागुआ में अमरीकी जहाज युद्ध के पूर्व से ही रहते थे। इसी तरह लैटिन अमेरिका के अन्य देशों पर भी सयुक्त राज्य का आधिपत्य कायम रहा। कोई भी राज्य उसकी इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर सकता था, पर १९३० के बाद इस क्षेत्र में अमरीकी नीति में कुछ परिवर्तन होने लगे। १९३३ के प्रारम्भ में निकारागुआ से अमरीकी समुद्री बेड़े हटा लिये गये और तथाकथित 'अच्छे पड़ोसी की नीति' (Good neighbour policy) का श्रोगणश किया गया। विश्व व्यापी आर्थिक संकट और फासिज्म के उत्थान के कारण अमरीकी नीति में आवश्यक परिवर्तन जरूरी हो गया। सयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों की सहानुभूति प्राप्त करके एक अपना अलग गुट बनाना चाहता था। १९३३ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने एक भाषण के सिलसिले में कहा कि 'यह राष्ट्र लैटिन-अमेरिका के देशों के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव रखना चाहता है।' इन शब्दों का अर्थ यह लगा कि सयुक्त राज्य अपने अभी तक के रुख को बदल कर नयी नीति का अवलम्बन करना चाहता है। इसी वर्ष मोन्टेविडो में सातवीं अखिल अमरीकी महासभा हुई। सयुक्त राज्य के परराष्ट्र सचिव ने इसमें भाग लिया और समझौतापूर्ण शब्दों में एक भाषण किया। १९३४ में १९०३ की क्यूबा से की गयी सन्धि को रद्द कर दिया गया और हैटी सयुक्त राज्य का जहाजी बेड़ा अन्तिम रूप से हटा दिया गया। १९३६ में, अ ने पुनर्निर्वाचन के तुरंत बाद ही, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने शान्ति का सुरक्षित बरने के लिए, एक अन्तर-अमरीकी सम्मेलन के लिए लैटिन अमेरिका के देशों को आमंत्रित किया। दिसम्बर, १९३६ में ब्यूनाएयर्स में वह सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं इसमें सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में एक संधि स्वीकार की गयी, जिससे अनुहार यह व्यवस्था की गयी कि 'यदि किसी भी अमरीकी गणराज्य की शान्ति को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो हस्ताक्षरकर्ता शान्तिपूर्ण सहयोग के कदम उठाने पर परामर्श करेंगे'।

पर सयुक्त राज्य और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच आधिकारिक मेलजोल होना आसान बात नहीं थी। लैटिन-अमेरिका के देश सयुक्त राज्य के

आर्थिक नियंत्रण से अत्यन्त असन्तुष्ट थे। उनकी आर्थिक व्यवस्था संयुक्त राज्य के द्वारा इस तरह नियन्त्रित की जाती थी कि जिससे उनका अत्यधिक घाटा छठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य और लैटिन-अमेरिका के राजनीतिक संगठनों में मूल भेद था। स्पेन में फ्रेंकों की विजय की खुरी लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में मनायी गयी। नात्सी और फ़ासिस्ट लोगों के एजेण्ट लैटिन अमेरिका के देशों में अमरीकी विरोधी प्रचार करते थे। इन सब बातों के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के पूर्व अमरीकी महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे।

(ड) सोवियत रूस की विदेश नीति (१९१९-३९)

विषय प्रवेश—लिखित इतिहास में शायद किसी भी राज्य को उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है जितना जन्म के समय सोवियत संघ को करना पड़ा था। सोवियत व्यवस्था की स्थापना के कुछ ही महीनों बाद संसार के पूँजीवादी राज्यों ने मिलकर रूस का गला घोटने और उसके नामोनिशान मिटाने के जो प्रयास किये थे, वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में अद्वितीय घटना थी। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई रहती तो सम्भवतः अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत-संघ की नीति इस काल में कुछ दूसरी ही होती। सोवियत व्यवस्था की तथाकथित कठोरता और रूसी परराष्ट्र नीति में शंका और सन्देह के तत्त्वों के लिए बहुत अंश में पूँजीवादी राष्ट्रों को ही जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम करने के बाद बोलशेविकों की सबसे बड़ी कामना यही थी कि संसार के अन्य राज्य उनको अपनी रीति के अनुसार अपने देश का निर्माण करने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए स्वच्छन्द छोड़ देंगे। इस आशा के साथ साथ उनको यह भय भी था कि पूँजीवादी राज्यों का जब भी मौका मिलेगा, वे परस्पर मिलकर या अकेले ही, सोवियत संघ का सर्वनाश करने से बाज नहीं आयेंगे। प्रारम्भ में ही लेनिन ने बोलशेविकों को यह चेतावनी दी थी कि पूँजीपति शक्तियाँ साम्यवादी रूस पर कभी भी धावा चोल सकती हैं। नवम्बर, १९४० में विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए राष्ट्रपति कालीनिन ने भी कहा था 'हमारी स्थिति शत्रु द्वारा घिरे हुए किले के समान है। इनमें कोई शक नहीं कि यह किला विशाल है, अजेय है, पर यह चारों तरफ से शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ है।' इन शक्तियों को सत्यता १९१८-२० में ही सिद्ध हो चुकी थी।*

पूँजीवादी 'हस्तक्षेप'—१९१८ से १९२० तक सोवियत संघ पर ब्रिटिश, फ्रांस, जापान और अमेरिका द्वारा जो आक्रमण होते गये उनको केवल 'हस्तक्षेप'

*Albjerg and Albjerg, *Europe From 1914 To the Present*, p 159

कहना अनुचित है। रूस में सोवियत व्यवस्था कायम होते ही मित्रराष्ट्रों को इस निष्कष पर पहुँचते देर नहीं लगी कि वहाँ के नये साम्यवादी शासक बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों को अधिकारच्युत करना उनका पुनीत कर्तव्य है। अतः वे रूस के क्रान्ति विरोधियों को, जिनमें कुलीन-वर्ग के सामन्त, पादरी, जार के अनुयायी इत्यादि प्रतिक्रियावादी थे, साम्यवादी सरकार के विरुद्ध भड़काने और प्रोत्साहित करने लगे। मित्रराष्ट्रों का प्रोत्साहन और सक्रिय सहायता पाकर इन क्रान्तिविरोधियों ने साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बोल्शेविकों को लगभग तीन वर्षों तक इनके साथ भीषण संघर्ष करना पड़ा। धमसुधार आन्दोलन के बाद से यूरोप के राज्य स्वयं अपने को और अन्य राज्यों को प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य मानते थे। एक राज्य को दूसरे राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दूसरे राज्य की जनता में असन्तोष फैलाकर किसी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना एकदम गलत बात मानी जाती थी।

अन्तर्राष्ट्रीय नियम के इस सिद्धान्त के उल्लंघन का दोष सोवियत सघ पर भी लगाया जा सकता है। सोवियत नेता विश्व-क्रान्ति की बातें कर रहे थे। उनके विचार में सोवियत सघ एक राष्ट्रीय इकाई नहीं था। उसके अनुसार हर सच्चे साम्यवादी का यह कर्तव्य था कि वह सारे विश्व में उस क्रान्ति का प्रचार करे जो रूस में सफल हो चुकी थी। जबतक शेष ससार से पूँजीवाद का अन्त नहीं हो जाता तब तक रूस को क्रान्तिकारी सरकार टिक नहीं सकेगी। साम्यवादी सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए मार्च, १९१९ में सोवियत-नेताओं ने कामिन्टर्न नामक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना की। इसका मुख्य कार्यालय मास्को में रहा। यह एक स्वतन्त्र सस्था थी और इसमें सभी देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। कामिन्टर्न में रूसी साम्यवादियों की प्रधानता थी और ससार के प्रायः सभी पूँजीवादी राष्ट्र उसे रूस के वैदेशिक विभाग का ही दफ्तर समझते थे। इसकी स्थापना समस्त वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को चलटकर विश्व-यापी साम्यवादी समाज को रचना के लिए हुई थी। इसलिए सभी उसे और उसके साथ रूस को शक की दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी राज्य और साम्यवादी रूस में शत्रुता स्वभाविक और अवश्यम्भावी थी।

इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्र अनेक कारणों से नागज थे। क्रान्ति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और जर्मनी के साथ सन्धि के लिए वार्तालाप करने लगा। जब मित्रराष्ट्रों ने इस वार्तालाप में भाग लेने से इन्कार कर दिया तो सोवियत नेताओं ने वे सारी गुप्त सन्धियाँ प्रकाशित कर दीं जिनसे मित्रराष्ट्रों के वास्तविक युद्ध उद्देश्य का भेद खुल गया। मार्च, १९१८ में रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट

आर्थिक नियंत्रण से अत्यन्त असन्तुष्ट थे। उनकी आर्थिक व्यवस्था सयुक्त राज्य के द्वारा इस तरह नियन्त्रित की जाती थी कि जिससे उनको अत्यधिक घाटा उठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सयुक्त राज्य और लैटिन-अमेरिका के राजनीतिक सगठनों में मूल भेद था। स्पेन में फ्रेंकों की विजय की खुशी लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में मनायी गयी। नात्सी और फासिस्ट लोगों के एजेण्ट लैटिन अमेरिका के देशों में अमरीकी विरोधी प्रचार करते थे। इन सब बातों के बावजूद द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने के पूर्व अमरीकी महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे।

(ड) सोवियत रूस की विदेश नीति (१९१६-३६)

विषय प्रवेश—लिखित इतिहास में शायद किसी भी राज्य को अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है जितना जन्म के समय सोवियत संघ को करना पड़ा था। सोवियत-व्यवस्था की स्थापना के कुछ ही महिनों बाद संसार के पूँजीवादी राज्यों ने मिलकर रूस का गला घोटने और उसके नामनि-शाम मिटाने के जो प्रयास किये थे, वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में अद्वितीय घटना थी। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई रहती तो सम्भवतः अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की नीति इस काल में कुछ दूसरी ही होती। सोवियत व्यवस्था की तथाकथित कठोरता और रूसी परराष्ट्र नीति में शंका और सन्देह के तत्त्वों के लिए बहुत अंश में पूँजीवादो राज्यों को ही जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम करने के वाद बोलशेविकों की सबसे बड़ी कामना यही थी कि संसार के अन्य राज्य उनको अपनी नीति के अनुसार अपने देश का निर्माण करने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए स्वच्छन्द छोड़ देंगे। इस अशा के साथ साथ उनको यह भय भी था कि पूँजीवादो राज्यों का जब भी मौका मिलेगा, वे परस्पर मिलकर या अकेले ही, सोवियत संघ का सर्वनाश करने से बाज नहीं आयेगे। प्रारम्भ में ही लेनिन ने बोलशेविकों को यह चेतावनी दी थी कि पूँजीपति शक्तियों साम्यवादी रूस पर कभी भी धावा बोल सकती हैं। नवम्बर, १९४० में विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए राष्ट्रपति कालीनिन ने भी कहा था 'हमारी स्थिति शत्रु द्वारा घिरे हुए किले के समान है। इनमें कोई शक नहीं कि यह किला विशाल है, अजेय है, पर यह चारों तरफ से शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ है।' इन शक्तियों को सत्यता १९१८-२० में ही सिद्ध हो चुकी थी।*

पूँजीवादो 'हस्तक्षेप'—१९१८ से १९२० तक सोवियत संघ पर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका द्वारा जो आक्रमण होते गये उनको केवल 'हस्तक्षेप'

कहना अनुचित है। रूस में सोवियत व्यवस्था कायम होते ही मित्रराष्ट्रों को इस निष्कर्ष पर पहुँचते देर नहीं लगी कि वहाँ के नये साम्यवादी शासक बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों को अधिकारच्युत करना उनका पुनीत कर्त्तव्य है। अतः वे रूस के क्रान्ति विरोधियों को, जिनमें कुलीन-दरग के सामन्त, पादरी, जार के अनुयायी इत्यादि प्रतिक्रियावादी थे, साम्यवादी सरकार के विरुद्ध भड़काने और प्रोत्साहित करने लगे। मित्रराष्ट्रों का प्रोत्साहन और सक्रिय सहायता पाकर इन क्रान्तिविरोधियों ने साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बोल्शेविकों को लगभग तीन वर्षों तक इनके साथ भीषण संघर्ष करना पड़ा। धर्मसुधार आन्दोलन के बाद से यूरोप के राज्य स्वयं अपने को और अन्य राज्यों को प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य मानते थे। एक राज्य को दूसरे राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दूसरे राज्य की जनता में असन्तोष फैलाकर किसी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना एकदम गलत बात मानी जाती थी।

अन्तर्राष्ट्रीय नियम के इस सिद्धान्त के उल्लंघन का दोष सोवियत संघ पर भी लगाया जा सकता है। सोवियत नेता विश्व-क्रान्ति की बातें कर रहे थे। उनके विचार में सोवियत संघ एक राष्ट्रीय इकाई नहीं था। उसके अनुसार हर संघे साम्यवादी का यह कर्त्तव्य था कि वह सारे विश्व में उस क्रान्ति का प्रचार करे जो रूस में सफल हो चुकी थी। जबतक शेष ससार से पूँजीवाद का अन्त नहीं हो जाता तब तक रूस को क्रान्तिकारी सरकार टिक नहीं सकेगी। साम्यवादी सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए मार्च, १९१९ में सोवियत नेताओं ने कामिन्टर्न नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य कार्यालय मास्को में रहा। यह एक स्वतन्त्र संस्था थी और इसमें सभी देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। कामिन्टर्न में रूसी साम्यवादियों की प्रधानता थी और ससार के प्रायः सभी पूँजीवादी राष्ट्र उसे रूस के वैदेशिक विभाग का ही दफ्तर समझते थे। इसकी स्थापना समस्त वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को चलटकर विश्वव्यापी साम्यवादी समाज की रचना के लिए हुई थी। इसलिए सभी संघे और उसके साथ रूस की शक्ति की दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी राज्य और साम्यवादी रूस में शत्रुता स्वभाविक और अवश्यम्भावी थी।

इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्र अनेक कारणों से नागज्र थे। क्रान्ति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और जर्मनी के साथ संधि के लिए वार्तालाप करने लगा। जब मित्रराष्ट्रों ने इस वार्तालाप में भाग लेने से इन्कार कर दिया तो सोवियत नेताओं ने वे सारी गुप्त सन्धियाँ प्रकाशित कर दीं जिनसे मित्रराष्ट्रों के वास्तविक युद्ध उद्देश्य का भेद खुल गया। मार्च, १९१८ में रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट

लिटोव्स्क की सन्धि कर ली। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी पूर्वी मोर्चा से निश्चिन्त होकर अपनी सारी शक्ति पश्चिमी और दक्षिणी मोर्चों पर लगा रहा था। लेनिन ने जार द्वारा लिये गये सारे विदेशी ऋणों को अस्वीकार कर दिया और सारी विदेशी सम्पत्तियों को जन्त कर लिया। इसके अतिरिक्त सोवियत सरकार ने सप्तर के सभी मजदूरों को युद्ध का विरोध करने को कहा। इन कारणों से रज होकर मित्रराष्ट्र वालशेविकों का दमन करके जर्मनी के विरुद्ध फिर से पूर्वी मोर्चा खोलना चाहते थे। उन्होंने रूस की सोवियत-सरकार को मानने से इन्कार कर दिया और उसक विरुद्ध आधिक नाकेबन्दी करके सेना, धन तथा युद्ध सामग्री से क्रान्ति-विरोधियों की सहायता करनी शुरू कर दी। मित्रराष्ट्रों का सहायता से प्रतिक्रियावादियों ने कई जगह 'श्वेत' सरकारें कायम कर ली।

मित्रराष्ट्र क्रान्तिकारियों को केवल भड़काकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, सोवियत संघ का अन्त करने के लिए उन्होंने स्वयं उस पर घावा बोल दिया। लेकिन, रूस पर आक्रमण करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। उस समय आर्केंजिल तथा मुरमन्स्क में युद्ध सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में पड़ी थी और मित्रराष्ट्रों को भय था कि कहीं ये सामग्रियाँ जर्मनी के हाथ में न पड़ जायँ। अतः इन सामग्रियों को जर्मनी से बचाने के लिए रूस पर आक्रमण करना आवश्यक समझा गया और मित्रराष्ट्रों ने रूस पर बजाय आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने ओडसा, ब्रिटेन ने वाकू, जापान ने पूर्वी साइबेरिया, अमेरिका ने अर्केंजिल तथा ब्लाडोवास्टक तथा रूमानिया ने वेसरेविया पर अपना अपना अधिकार कायम कर लिया। उधर एस्थोनिया, लेटोविया, लिथुआनिया, फिनलैंड तथा काकशस के पार के प्रांतों ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। आन्तरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सोवियत सरकार की हालत शोचनीय थी।

ऐसी स्थिति में रूस की रक्षा करने के लिए ट्राट्स्की के नेतृत्व में 'लाल सेना' मैदान में कूद पड़ी। मित्रराष्ट्र वर्षों से लड़ते लड़ते इतने थक गये थे कि उनमें रूस के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाने की सामर्थ्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त रूस एक विशाल देश था। मित्रराष्ट्रों के लिए रूसियों का डटकर मुकाबला करना आसान नहीं था। शीघ्र ही उनके पाँत्र लखड़ गये और अन्त में वालशेविकों की विजय हुई। मित्रराष्ट्रों की सहायता मिलने के बावजूद क्रान्ति विरोधी प्रतिक्रियावादी अधिक दिनों तक नहीं टिक सके। वालशेविकों ने बड़ी कृता से उनका दमन कर दिया।

१९२० में पोलैंड ने रूस पर आक्रमण कर दिया। शुरू में पोलैंड को विजय मिली लेकिन पाछे चलकर वह हारने लगा और 'लाल सेना' उसका पीछा करते करते चारसा तक पहुँच गयी। अगर पोलैंड ने फ्रांस और ब्रिटेन की मदद नहीं मिली रहती तो चारसा का पतन भी हो गया रहता, पर युद्ध ने एक बार फिर

पलटा घाया और पोलैंड को सेना एक बार आगे बढ़ी। अन्त में दोनों में विराम-सन्धि हो गयी और रिगा की सन्धि (१९२१) ने अनुसार तथाकथित 'वर्जन रेखा' को दोनों देशों के सीमांत क रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार सोवियत संघ का विदेशी आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोह से राण मिला।

सोवियत संघ का बहिष्कार ट्राट्स्की की कुशलता से रूस को विदेशी 'हस्तक्षेप और आन्तरिक विद्रोह से मुक्ति मिल गयी, लेकिन बाल्टोविकों की निगाह में मूल मतभेद का भी फसला नहीं हो सका। यह मतभेद अगर बुद्धि के मैदान में नहीं तो समाचारपत्रों व पृष्ठा और पूँजीव दो राज्यों की व्यावहारिक कारवाह में ज्याँ आ स्यों बना रहा। मित्रराष्ट्रों ने रूस का आधिक बहिष्कार करके उसका व्यापार बन्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भेजने पड़े और उसका सहाय घट्टे गये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस क साथ बहुत जैसा व्यवहार होता था। सोवियत संघ को जान दूकतर १९२१ के व शिगटन सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, यद्यपि प्रशान्त महासागर में उसका भी हित थे। १९२२ में जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें सोवियत-प्रतिनिधि क साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, वह ठीक नहीं था। सोवियत संघ का मान्यता देने क लिए कोई भी पूँजीवादी देश तैयार नहीं था और न उसका कोई राष्ट्रसंघ का सदस्य हो बनाने के लिए इच्छुक था। इसलिए सोवियत संघ भी राष्ट्रसंघ की पूँजीवादी व्यवस्था का एक साधन मात्र समझता था, जिसका सुरक्षित उद्देश्य साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम रखना था। लोकानों पैकट को लेकर भी सोवियत संघ में काफी आशका थी। लोकानों सम्मेलन में सोवियत संघ को आमंत्रित नहीं किया गया था और न इसके द्वारा जर्मनी की पूर्वी सीमाओं को गारंटी ही दी गयी थी। सोवियत संघ क लोगों को सन्देह पैदा हुआ कि भविष्य में रूस क विकसित पूर्वा सीमा पर अनश्य कोई गड़बड़ी होगी। इसी समय फ्रांस और ब्रिटेन में अनुदारदलीय सरकार सत्तारूढ हुई, पोलैंड और लिथुआनिया में प्रतिक्रियावादी तानाशाही आरम्भ हुई, चीन में च्यांगकाई शोक का जमाना आ गया और जापान में चैरन्टोका प्रधानमंत्री बना। लन्दन में सोवियत व्यापारिक एजेन्सी के दफ्तर की तलाशी ली गयी। इस दफ्तर पर यह आरोप लगाया गया कि यह लन्दन में सोवियत प्रचार का केन्द्र है और सैनिक वातों का पता लगाकर मास्को भेजता है। यह दाप रोपण बिल्कुल निराधार था जिसकी ब्रिटिश सरकार साबित नहीं कर सकती थी। सोवियत संघ में इन सब घटनाओं का अर्थ यही लगाया जाता था कि पूँजीवादी राज्य उसको धक्का देने के लिए एक मोके की ताक में हैं। १९२७ में युद्ध मन्त्री बोरोशिलोव ने कहा 'हमें सतक रहना चाहिए। हमलोग चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं।'

सोवियत संघ की शका इतनी जबरदस्त थी कि प्रारम्भ में १९२८ के पेरिस-पैक्ट को सोवियत संघ को पृथक् करने और अन्ततोगत्वा उसके साथ युद्ध छेड़ने का एक 'साधन' बतलाया गया। यह वहना कोई निर्मूल न होगा कि अपने जन्मकाल से ही सोवियत संघ बराबर सबूट की स्थिति में रहा और इसलिए अगर शक या शका उसकी परराष्ट्र-नीति का एक तत्त्व बन गया तो वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोवियत-संघ की परराष्ट्र और आन्तरिक नीतियों का अव्ययन करते समय हमें इस 'संकट की स्थिति' का बराबर ख्याल रखना चाहिए।*

नीति परिवर्तन— १९२१ में सोवियत संघ की परराष्ट्र और आन्तरिक नीतियों ने एक दूसरी दिशा में मोड़ लिया। आन्तरिक कलह और विदेशी आक्रमण के कारण रूस एकदम पस्त हो गया। १९२१-२२ में वहाँ भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें कोई पचास लाख आदमी मर गये। इन सब घटनाओं का प्रभाव रूस की बाह्य और आन्तरिक नीतियों पर पड़ना अवश्य-भावी था। लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे हटने की नीति का अवलम्बन करते हुए तथाकथित 'नयी आर्थिक नीति' (N. E. P.) का अधिगणेश किया, जिसका अर्थ कुछ दिनों के लिए पूँजीवादी व्यवस्था की ओर वापस लौटना था। 'नयी आर्थिक नीति' का अवलम्बन करने से परराष्ट्र नीति में परिवर्तन की सम्भावना भी दिखाई देने लगी। पूँजीवादी देश अभी तक रूस का बहिष्कार कर रहे थे। पर, लेनिन रूस के पुनर्निर्माण के लिए विदेशी पूँजी की सहायता चाहता था। जबतक पूँजीपति राज्यों का अस्तित्व कायम है तबतक व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक था कि सोवियत संघ और इन देशों में किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो जाय। किन्तु कोई भी राष्ट्र रूस के किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने की बात तबतक नहीं धुनना चाहता था जबतक रूस कामिन्टर्न के सार्वव्यापी साम्यवादी प्रचार को रोकने का वचन न दे दे। लेनिन ने इस प्रकार आश्वासन दे दिया और यूरोप के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग खुल गया।

विदेशों से सम्पर्क स्थापना— सोवियत-संघ के सामने प्रमुख प्रश्न राष्ट्रों की मान्यता (recognition) प्राप्त करना था। १९१८ में सभी राज्यों ने रूस के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए थे। क्रान्ति के बाद रूसी नेता इस सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते रहे। लेकिन, १९२१ तक फिनलैंड, लटविया, एस्थोनिया तथा लिथुआनिया को छोड़ कर किसी राज्य ने सोवियत संघ की मान्यता प्रदान नहीं की। सोवियत संघ कम से कम व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित करने को तैयार था। १९२१ के आरम्भ

में सोवियत-सघ ने तुर्की, फारस और अफगानिस्तान से मित्रता की सन्धियों की। परन्तु ये सभी राज्य छोटे-छोटे राज्य थे और इनके साथ सम्पर्क स्थापित होने से सोवियत सघ का काम नहीं चलता था। सोवियत-सघ इसी समय बड़े राष्ट्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहता था। मई, १९२० में एक व्यापारिक शिष्टमण्डल कासिन के नेतृत्व में ब्रिटेन गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया था। इसलिए ब्रिटेन रूस के साथ किसी प्रकार का व्यापारिक समझौता कर लेना चाहता था। रूसी व्यापारिक शिष्टमण्डल के आगमन के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ। उसी वर्ष ब्रिटेन से एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भी मास्को भेजा गया। पर आँगन रूसी व्यापारिक समझौते से दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटेन ने सोवियत-सघ को विधिमत मान्यता (*de jure recognition*) प्रदान नहीं की। पर सोवियत-सघ को तात्थिक मान्यता (*de facto recognition*) मिल गयी।

जेनोआ सम्मेलन— अन्य देशों के साथ रूस का कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित होने के मार्ग में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि रूस ने सभी विदेशी शृणों का अस्वीकार कर दिया था। १९२१ में सोवियत सघ ने कजदार राज्यों को यह सूचित किया कि यद्यपि वह जारशाही शासन द्वारा लिये गये कर्जों को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी वह इस समस्या को सुलझाने के लिए इच्छुक है। रूस ने प्रस्ताव रखा कि उसको मान्यता प्रदान करने, उसके आर्थिक पुनर्निर्माण करने तथा विदेशी कर्जों पर समझौता करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। सोवियत सघ के आर्थिक पुनर्निर्माण में ब्रिटेन भी दिलचस्पी ले रहा था। अतः जब जनवरी, १९२२ में कैनीज (Canees) में मित्रराष्ट्रों का एक सम्मेलन हो रहा था तो लायड जार्ज क प्रयत्न से अन्य राज्यों ने यह मान लिया कि आगामी जेनोआ सम्मेलन में रूस को भी आमन्त्रित किया जाय।

अप्रिल, १९२२ में जेनोआ (Genoa) सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। इसमें सोवियत सघ और जर्मनी के प्रतिनिधियों का मिलाकर ३४ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। वसंत सम्मेलन के बाद यह सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रूस का प्रतिनिधित्व उसका विदेश मन्त्री चिचरिन (Chicherin) कर रहा था। लायड जार्ज को यह आशा थी कि इस सम्मेलन के द्वारा सोवियत सघ और अन्य राष्ट्रों के बीच समझौता कराया जा सकेगा। किन्तु, फ्रांसीसी और बल्जियम के प्रतिनिधियों के दुराग्रह के कारण इस आशा पर भी पानी फिर गया। उनको यह माँग थी कि सोवियत सरकार किसी प्रकार की घातार्थि चलने के पूर्व युद्ध-पूर्व कर्जों को चुकाना स्वीकार कर ले। चिचरिन सभी शृणों का

करने तथा विदेशियों को ज्वत् की गयी सम्पत्ति को वापस लौटाने या उसका मुआवजा वजा देने को तैयार था। किन्तु, इसके बदले में वह तीन बातें चाहता था। (१) निम्न राशियों के 'हस्तक्षेप' से सोवियत संघ को जो नुकसान पहुँचा है उसका मुआवजा दिया जाय, (२) सोवियत सरकार को घुरत विधिवत् मान्यता प्रदान की जाय, और (३) रूस के पुनर्निर्माण के लिए ऋण दिया जाय। इस प्रकार के दावा और प्रतिदावा के कारण जेनोआ में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका और सम्मेलन भग हो गया।

रेपोलो समझौता—जेनोआ सम्मेलन की असफलता का परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी आशा उसके सयोजकों ने नहीं की थी। जब दो 'अद्वैत' एक जगह एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें पारस्परिक सहानुभूति का उत्पन्न होना बिल्कुल स्वामाविक है। जेनोआ में जर्मनी और सोवियत-संघ के साथ ऐसी ही घटना घटी।

रूसी जर्मन मित्रता एक ऐतिहासिक परम्परा की चीज थी। बिस्मार्क की विदेश नीति का यह एक मुख्य उद्देश्य था। केवल कैसर के जर्मनी में ही जर्मनी ने रूस को ठुकरा दिया था, पर युद्ध के बाद इन दोनों देशों में पुनः निकट सम्पर्क स्थापित होना आवश्यक हो गया। यह बात ठीक है कि जर्मनी और साम्यवादी रूस में कोई सैद्धान्तिक समता नहीं थी। एक साम्यवादी था दूसरा बहर पूर्ण वादी। तौभी दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। स्टालिन ने कहा भी था कि 'प्रथम महायुद्ध में पराजित राज्यों के बीच मेल-मिलाप होना परमावश्यक है, नहीं तो विजयी राष्ट्र उनका गला ही घांट देंगे।' उधर जर्मनी भी युद्ध के बाद पूर्व की ओर ही देख रहा था। युद्ध के बाद मित्रराष्ट्रों द्वारा उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उससे खीझकर जर्मनी रूस के साथ मैत्री स्थापित करना चाहता था। जर्मनी का आर्थिक पुनर्निर्माण भी रूस के साथ व्यापारिक समझौता करके सम्भव था। वर्साय-सन्धि और रूस-आधिपत्य के अवसर पर सोवियत संघ ने खुले तौर से जर्मनी के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। इस प्रकार दोनों के बीच मेलमिलाप का वातावरण तैयार हो रहा था।*

इस स्थिति में जेनोआ-सम्मेलन के एक सप्ताह बाद सोवियत और जर्मन प्रतिनिधि जेनोआ से कुछ मील की दूरी पर स्थित रेपोलो नामक एक समुद्रतटीय आनन्द स्थान पर गुप्त रूप से मिले और उन्होंने दोनों देशों के बीच एक मित्रता की सन्धि कर ली। ऊपर से देखने में रूसी जर्मन सन्धि व्यर्थ प्रतीत होती थी। इसके अनुसार जर्मनी ने सोवियत संघ को विधिवत् मान्यता प्रदान कर दी, दोनों ने क्षतिपूर्ति तथा युद्ध पूर्व ऋणों के दावों को छोड़ दिया तथा दोनों के बीच सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया। किन्तु इसका दूरगामी परिणाम काही

महत्त्वपूर्ण था। जैसा प्रोफेसर कार कहते हैं, 'सधि की शर्तों का इतना महत्त्व नहीं था जितना सन्ध होने का।' यूरोप के दो 'अछूत' राज्य आपस में मिल गये। सोवियत सघ की पहली बार एक बड़े राष्ट्र द्वारा कूटनीतिक मान्यता प्राप्त हुई। फ्रांस को बराबर रूसी-जर्मन मेल मिलाप का जो भय बना रहता था वह पूरा होकर रहा। मित्रराष्ट्रों ने इस सधि पर अपनी नागरजगी प्रवृत्त की। विन्तु इसके लिए स्वयं वही दोषी थे। जर्मनी और रूस को व महत्त्वहीन देश मानते हुए उ का बहिष्कार करते चले आ रहे थे। प्रोफेसर कार क शब्दों में 'यह स्वामाविक ही था कि दोनों बहिष्कृत राष्ट्र आपस में गठबंधन कर लें।'*

अप देशों की मांगतएँ—जब एक बड़े राष्ट्र द्वारा सोवियत सघ को मान्यता मिल गयी तब अन्य देश अधिक दिनों तक उसकी सपक्षा नहीं कर सकते थे। जर्मनी ने रूस के साथ कूटनीति सम्बन्ध स्थापित करके अन्य राज्यों के लिए भी मार्ग खोल दिया। १९२४ में ब्रिटेन की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ। वह रूस के साथ ब्रिटेन का कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में था। इसी समय फ्रांस में भी समाजवादी दल की जीत हुई और यूरोपीय देशों तक रूस के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने लगा। १९ फरवरी, १९२४ को ब्रिटेन ने रूस को विधिगत मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद इटली, नावें, आस्ट्रिया स्वेडन, चीन डेनमार्क मेक्सिको और फ्रांस के द्वारा भी उसे मान्यता प्राप्त हो गयी। १९२४ के समाप्त होते होते सोवियत सघ की १५ यूरोपाय राज्यों की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। अगले वर्ष संसार के अधिकांश मुख्य राज्यों की मान्यता भी उसे मिल गयी। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा रहा, जिसने १९३३ तक सोवियत सघ को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की।

रूस अमेरिका सम्बन्ध—वहूत दिनों तक अमेरिका सोवियत सघ का बहिष्कार किये रहा। लेकिन, बीसवीं शताब्दी को तीसरी शताब्दी में अमरीकी नीति में कुछ परिवर्तन होने लगा। इस काल में दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक सम्पर्क स्थापित हुआ। कुछ अमरीकी पत्रकारों और यात्रियों ने रूस का भ्रमण भी किया। अमरीकी इजीनियरों को रूस में नौकरी भी मिली, पर इन सब बातों के बावजूद अमरीकी सरकार सोवियत सघ के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की तैयार नहीं थी। चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में स्थिति कुछ इस तरह बदल रही थी कि अमेरिका अधिक दिनों तक रूस की उपेक्षा नहीं कर सकता था। आर्थिक संकट, मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, जर्मनी में नात्सी पार्टी का उत्थान इत्यादि घटनाओं ने अमेरिका को रूस के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया।

इसके अतिरिक्त स्वयं सोवियत संघ अब कोई साधारण शक्ति नहीं रह गया था। अतः, जब रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ तो वह सोवियत संघ की मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयास करने लगा। लंदन में विश्व अथ सम्मेलन (१९२३) के अवसर पर सर्वप्रथम अमरीकी प्रतिनिधि विलियम वुलिट और रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव की मुलाकात हुई। इसके बाद अक्टूबर में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोवियत राष्ट्रपति कालीनिन को एक पत्र भेजकर दो प्रतिनिधियों को वार्ता करने के लिए वाशिंगटन भेजने का आग्रह किया। नवम्बर में लिटविनोव वाशिंगटन आ पहुँचा और सोवियत-संघ तथा अमेरिका के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध विधिवत् स्थापित हो गया।*

रूस, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ - १९२५ का लोकानों पैक्ट सामूहिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया था। इसके पहले लंदन में एक अप्रिय घटना घट चुकी थी। ब्रिटेन के अनुदार दल का मजदूर दल द्वारा सोवियत संघ को राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देना बिल्कुल पसन्द नहीं था। वे सोवियत सरकार और कामिन्टर्न को एक ही चीज समझते थे। वे लोग ऑग्ल रूसी सम्बन्ध को विगाडने पर तुले हुए थे। अनुदार दल के नेता कामिन्टर्न की गतिविधि से काफी चिन्तित थे। अक्टूबर, १९२४ में ब्रिटेन में आम चुनाव होनेवाला था। चुनाव में जीतने के लिए और ऑग्ल रूसी सम्बन्ध खराब करने के लिए अनुदार-दल के नेताओं ने एक ब्रिटिश समाचार पत्र में एक जाली पत्र प्रकाशित कर दिया। उस समाचारपत्र में एक ऐसी चिट्ठी छपी जिसकी कामिन्टर्न के अध्यक्ष जिनोविच ने ब्रिटिश साम्यवादियों को लिखा था। इसमें यह बतलाया गया था कि ब्रिटिश-साम्यवादो पार्टी को आम-चुनाव में किस प्रकार काम करना चाहिए। इस जाली पत्र के प्रकाशन से ब्रिटेन में तहलका मच गया और चुनाव में अनुदार-दल जीत गया। उसके सत्त रुढ होने के कारण हाल में किये गये ऑग्ल रूसी समझौते का अनुमोदन नहीं हो सका। सोवियत संघ और ब्रिटेन के सम्बन्धों में एक बार पुनः तनाव आ गया।

इस घटना के पृष्ठाधार में लोकानों पैक्ट हुआ जिसमें जर्मनी ने पूर्वी सीमा को कोई गारंटी नहीं दी। इसपर सोवियत-संघ में आशंका और भय का उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक था। बोल्शेविक नेताओं का यह भय बिल्कुल स्वाभाविक था कि मित्रराष्ट्र जर्मनी से समझौता करके रूस के विरुद्ध उसकी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उधर लोकानों समझौते से जर्मनी भी सन्तुष्ट नहीं था। समझौते के अन्तर्गत जर्मनी को बेशर्त राष्ट्रसंघ को एसेम्बली और कॉमिन्स को सदस्यता प्राप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन, जर्मनी की रुदस्यता रोकने के लिए राष्ट्रसंघ में जो

* Barbara Ward, *Russian Foreign Policy* p 21

घाल चली गयी उससे जर्मनी काफ़ी क्षुब्ध हुआ। ऐसी स्थिति में अप्रिल, १९२६ में दोनों देशों के बीच बर्लिन में एक अनाक्रमण समझौता हुआ, जिसके द्वारा दोनों में तटस्थता कायम रखने और एक दूसरे पर आक्रमण न करने के परस्पर बचन दिये। हस्ताक्षर के समय पर इस सन्धि को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। दोनों देशों का कहना था कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करके वचन लोकानों प्रणाली को पूर्वी सीमा पर लागू किया गया है। लेकिन, यह पहला अवसर नहीं था जब सोवियत संघ और जर्मनी ने परस्पर सन्धि करके दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया हो। १९३९ का मास्को पैक्ट जिसने सभार को एक बार फिर चिदित कर दिया। उसकी एक परम्परा थी जो रेपोली और बर्लिन-सन्धियों द्वारा पृष्ठ हो रही थी।

एक रूसी नेता का कहना था कि "रूस के लिए शान्ति उत्तरी ही आवश्यक है जितनी एक व्यक्ति के लिए हवा।" १९३० के बाद रूस में पुनर्निर्माण का कार्य बड़े जोर-शोर से चल रहा था। पुनर्निर्माण का कार्य तभी सम्भव था जब सभार में शान्ति बनी रहे। अतः इस युग में रूसी परराष्ट्र नीति का मुख्य लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना करना था। १९२८ में पेरिस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ जिसके द्वारा राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप से युद्ध के परित्याग की घोषणा की गयी। प्रारम्भ में सोवियत संघ में इस पर हस्ताक्षर करने पर कुछ हिचकिचाहट पैदा हुई और इसको पूर्णोबाद की उपज बताया गया। लेकिन सोवियत संघ में शान्ति के लिए उत्साह इतना बढ़ा-चढ़ा था कि पेरिस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के पहले ही उसने समझौते को परस्पर लागू करने के लिए अपने पड़ोसी देशों से विशेष समझौते सम्पन्न किये। विदेश मन्त्री के पद पर आने के शुरुत बाद लिटविनोव ने पेरिस समझौते की शर्तों को स्थानीय रूप से लागू करने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाये। उसने एक स्वतन्त्र प्रोटोकॉल जारी किया, जिसकी, लिटविनोव प्रोटोकॉल कहते हैं। फरवरी, १९२९ में रूस, पोलैंड, रूमेनिया, लेटविया, एस्थोनिया, लिथुआनिया, तुर्की और फारस ने इस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये। सबों ने पेरिस पैक्ट की शर्तों को मानने का वादा किया।

राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत संघ के रुख का निर्धारण उसके उन पूर्णोबादी राज्यों के साथ सम्बन्ध पर आधारित था जो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। प्रारम्भ में बोलशेविक लोग राष्ट्रसंघ को साम्यवाद के विनाश के लिए पूर्णोबादी राष्ट्रों का एक पड़्यन्त्र समझते थे। परन्तु, १९२७ से अमेरिका की तरह सोवियत सरकार ने राष्ट्रसंघ की विविध गतिविधियों में सहयोग देना प्रारम्भ किया। राष्ट्रसंघ का सदस्य न होते हुए भी सोवियत प्रतिनिधि ने एक सामान्य आधिक सम्मेलन में भाग लिया। इसी वर्ष निरन्धीकरण प्रारम्भिक आयोग में भाग लेने के लिए लिटविनोव के नेतृत्व में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल जेनोवा गया। आयोग की कारवाही में लिटविनोव ने सक्रिय भाग

लिया और अपने प्रभावपूर्ण ढंग से समने यह अपील की कि दूरत ही व्यापक और पूर्ण निरस्त्रीकरण कर लिया जाय ।

सितम्बर, १९३४ में फ्रांस के जबरदस्त समर्थन के कारण रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया और उसे कौंसिल की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त हो गयी । उस समय से सोवियत संघ राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा समर्थक बना रहा । लिटविनीव यहाँ से बराबर सामूहिक सुरक्षा समर्थन करता रहा । राष्ट्रसंघ को सफल बनाने के लिए जितना प्रयास सोवियत-संघ ने किया उसना प्रयास किसी दूसरे देश ने नहीं किया ।

अनाक्रमण-संधियाँ— जिस समय सोवियत संघ राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करने में लगा हुआ था उस समय दुनिया के दूसरे-दूसरे भागों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घट रही थी । १९३१ में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और मंगोलिया की तरफ बढ़ने की सोचने लगा । इधर यूरोप से वेमर रिपब्लिक का अन्त हो चुका था और उसको जगह पर हिटलर के नेतृत्व में नारसी शासन स्थापित हो चुका था । स्टालिन को हिटलर के विषय में कोई भ्रम नहीं था । हिटलर ने लिखा था 'यदि हम आज यूरोप में नयी भूमि और नये प्रदेश की बातें करते हैं तो हम सुरक्षित रूस तथा उसके समीपवर्ती अधीनस्थ राज्यों के बारे में ही सोच सकते हैं ।' स्टालिन के सामने विकट समस्या थी । वह अभी युद्ध के लिए तैयार भी नहीं हो सका था कि दो तरफ से (जापान और जर्मनी) युद्ध के बादल गँडराने लगे । अगर उसको अपनी आत्मरक्षा करनी है तो आदर्शवादी विदेश नीति का परित्याग करना पड़ेगा । सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन होना अवश्य-प्रभावी हो गया ।

संसार भर में लोक मोर्चा (*front populaire*) स्थापित कराना इस नीति परिवर्तन का प्रथम लक्षण था । जर्मन साम्यवादी पार्टी रूस की साम्यवादी पार्टी को छोड़कर यूरोप में सबसे बड़ी पार्टी थी । हिटलर ने इसका नामनिर्वाण मिटा दिया । फासिज्म की बात को अगर रोका नहीं गया तो संसार के सभी साम्यवादी पार्टियों की यही हाल हो सकती है और अन्ततोगत्वा सोवियत संघ का भी अन्त हो सकता है । कामिन्टर्न के सामने यह एक विकट समस्या थी । इसने संसार भर की सभी साम्यवादी पार्टियों से प्रगतिशील पार्टियों को मिनाहर लाक मोर्चा कायम करने की अपील की ।

फ्रांस के साथ संधि—केवल लोक मोर्चा कायम करने से ही काम नहीं चल सकता था । सोवियत संघ की रक्षा के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाना आवश्यक था । अतः, १९३२ के राष्ट्रसंघ के अधिवेशन में लिटविनाव का दखल देना गया । निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बोलते हुए उसने कहा कि केवल निरस्त्रीकरण ही

सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रसंघ को अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए अन्य उपायों का भी अवलम्बन करना चाहिए। किंतु, राष्ट्रसंघ से अन्य उपायों की आशा नहीं की जा सकती थी। अतः लिटविनोव फ्रांसीसी विदेश मन्त्री लुई पायी से वार्ता करने लगा और १९३५ में दोनों देशों के बीच एक अनाक्रमण समझौता हो गया, जिसके अनुसार दानो ने पूर्वी यूरोप की रक्षा के लिए सहयोग करने का वचन दिया। इसके दो सप्ताह बाद इसी प्रकार की दूसरी सन्धि चेकोस्लोवाकिया से भी की गयी। परन्तु इस सन्धि के अनुसार रूस चेकोस्लोवाकिया को सहायता तभी दे सकता था जब फ्रांस भी पूर्व सन्धि के अनुसार सहायता करता।

कुछ समय के लिए यूरोप की कूटनातिक परिस्थिति स्थिर हो गई। लेकिन, पूर्वी एशिया का जापानी खतरा अभी भी मौजूद था। चीन की मदद देकर जापान की प्रगति को रोका जा सकता था। अतः उस समय प्रतिक्रियावादी च्योगकाई शेक का जमाना था, जो जापान को दौड़ना तक नहीं चाहता था। अतः लिटविनोव जापान के साथ एक अनाक्रमण-समझौता करने के लिए प्रयास करने लगा। जापान को खुश करने के लिए सन्धि के अन्तर्गत सचने मचूरिया स्थित पूर्वी चीन रेलवे को जापान के हाथ में देना ही बेच दिया। इसके अतिरिक्त जापानी मछुओं को अनेक सुविधाएँ देने के लिए जापानी श्रावण से अपनी रक्षा के लिए माच, १९३६ में समझे समझौते के माध्यम से अनाक्रमण समझौता कर लिया। इस वर्ष के अन्त में जापान और जापान के बीच कामिन्टर्न-विरोधी एक समझौता हुआ। इस समझौते के लिए अक्टूबर १९३७ में चीन और रूस के बीच एक और समझौता हुआ।

डा० सनयात सेन के नेतृत्व में अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए भीषण संघर्ष कर रहे थे। सोवियत संघ ने उनकी भी यथासम्भव मदद की। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ वरारबर साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता रहा। इन सम्मेलनों में दुनिया के विभिन्न पराधीन राष्ट्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को परस्पर सम्पर्क स्थापित कराने का मौका मिलता रहा। इसके फलस्वरूप इन राष्ट्रों के राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सका। राष्ट्रों के मुक्ति संघाम में सोवियत-संघ को दोन अद्वितीय है।

रूस जर्बन समझौता— १९३४ में सोवियत नीति निर्धारकों का पूर्ण विश्वास हो गया कि एक न एक दिन उन्हें जीवन भरण का युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अब अपनी आत्मरक्षा के लिए वे तैयारी करने लगे। यह तैयारी दो तरह की थी— सैनिक और कूटनीतिक। सैनिक तैयारी के अन्तर्गत सोवियत संघ विधि सपायो से अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाने लगा, २ मई १९३५ का फ्रैंको रूसी अनाक्रमण समझौता इस कूटनीति तैयारी की दिशा में पहला कदम था। फ्रांस और रूस के बीच संधि तो अवश्य हो गयी, किन्तु उनके पूर्ण सहयोग के मार्ग में काफी कठिनाई थी। फ्रांस के रूढ़िवादी अभी भी रूस से घृणा करते थे। यही हालत ब्रिटिश पूँजीपतियों की थी। वे समझते थे कि फासिज्म और साम्यवाद में संघर्ष 'अवश्यम्भावी' है और वे उस दिन की ताक में थे जब हिटलर भूले शेर की तरह रूस पर जा हमला करेगा और उसको दबाकर ही दम लेगा। ब्रिटेन के नीति निर्धारक, जो वहाँ के पूँजीपतियों के हाथों की कठपुतली थे, सोवियत-संघ के साथ सहयोग करने के पक्ष में नहीं थे। इस हालत में फ्रांस चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हिटलर के विरुद्ध उसको ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त नहीं था।*

संघर हिटलर भी रूस के विरुद्ध तैयारी करने में व्यस्त था। अक्टूबर, १९३६ में जर्मनी तथा इटली के बीच मित्रता स्थापित हो चुकी थी, जिसको 'रोम बर्लिन धुरी' कहते हैं। इसी साल नवम्बर में जर्मनी और जापान के बीच कामिट्टेन विरोधी सन्धि हुई और १९३७ में इटली भी इस सन्धि में शामिल हो गया। इस तरह सोवियत-संघ के विरुद्ध तय्यकथित 'रोम बर्लिन-टोकियो-धुरी' की स्थापना हुई। हिटलर अपने उद्देश्य को छिपा कर रखनेवाला व्यक्ति नहीं था। वह बराबर यही बात कहा करता था कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य साम्यवाद की पृथ्वी से उखाड़ फेंकना है। ये सुन कर ब्रिटेन और फ्रांस के नीति निर्धारक सुणी से फूले नहीं समाते थे। ऐसी स्थिति में स्टालिन अबले हिटलर या सुमोलिनी का सामना नहीं कर सकता था। अक्टूबर, १९३५ में सुमोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। सोवियत-संघ ने राष्ट्रसंघ द्वारा इटली के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

करने की मांग की। लेकिन, ब्रिटेन और फ्रांस इसके विरुद्ध थे और इसलिए मुसोलिनी को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया गया। जुलाई, १९३६ में स्पेन में गृह युद्ध छिड़ा। जर्मन और इटली ने स्पेन की गणतन्त्रीय सरकार के खिलाफ जनरल फ्रैंको को मदद देने शुरू की। रूस चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस गणतन्त्रीय सरकार की मदद करें। पर ये दोनों देश हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलम्बन कर रहे थे। सोवियत संघ ने गणतन्त्रीय सरकार की कुछ मदद की। लेकिन उससे क्या होता? ब्रिटेन और फ्रांस तटस्थता की आड़ में चुप बैठकर स्पेन के गणतन्त्र का विनाश में सहायता करते रहे। १९३८ में जर्मनों ने आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। लिटविनोव ने हिटलर के भाषी आक्रमणों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी वर्ष हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़पने का प्रयत्न किया। लिटविनोव ने चेकोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए संयुक्त तैयारी करने की अपील की। फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया में पहले से सन्धि थी। रूस के साथ भी उसकी सन्धि थी, परन्तु वह उसकी सहायता तभी कर सकता था जबकि फ्रांस पहले पहुँचता। पर ब्रिटेन हिटलर को सतुष्ट करना चाहता था और फ्रांस ब्रिटेन के सहयोग के बिना कोई कदम नहीं उठा सकता था। ऐसी हालत में रूस कुछ नहीं कर सका। फ्रांस और ब्रिटेन ने सोवियत संघ को बिना शामिल किये ही हिटलर के साथ म्यूनिख का समझौता कर लिया जिसके फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया का अग भग हो गया। मार्च, १९३६ में हिटलर ने अवशिष्ट चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। इन सब घटनाओं से स्टालिन को पूरा विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्र हिटलर को प्रोत्साहित करके सोवियत-संघ पर आक्रमण करवाना चाहते हैं। म्यूनिख सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत संघ को बुलाया तक नहीं गया था। रूस को पश्चिमी देशों से सहयोग करने की नीति की व्यथता अच्छी तरह प्रकट हो गयी।

मार्च, १९३६ में जब हिटलर समूचे चेकोस्लोवाकिया को निगल गया तो ब्रिटेन और फ्रांस की आँखें खुली। अब वे जर्मनों के खिलाफ गुट कायम करने की बात सोचने लगे। इस गुट में सोवियत संघ को सम्मिलित करना आवश्यक था। पर सोवियत संघ साफ साफ शब्दों में अपने लिए और बाल्टिक सागर के तटीय राज्यों के लिए गारन्टी चाहता था, ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं था। चेकोस्लोवाकिया के बाद पोलैंड की बारी थी। ब्रिटेन पोलैंड को गारन्टी दे चुका था और वह चाहता था कि रूस भी उसको इस तरह की गारन्टी दे दे, पर रूस बिना उपयुक्त गारन्टी लिए कुछ करने की तैयार नहीं था और ब्रिटेन भी इस तरह की कोई गारन्टी नहीं देना चाहता था। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि यदि जर्मनी बाल्टिक-सागर के तटीय देशों पर आक्रमण करते हुए रूस चढ़ बैठता तो ब्रिटेन

और फ्रांस उसकी सहायता के लिए बाध्य नहीं थे। स्टालिन बेवकूफ नहीं था। मई में लिटविनोव ने परराष्ट्र-मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और मोलोटोव उसके पद पर आया। इस घटना से पश्चिमी राष्ट्र कोई सबक नहीं ले सके। लिटविनोव कट्टर कामिस्ट विरोधी था और वह किसी भी हालत में जर्मनी के साथ सन्धि करने को तयार नहीं होता। इसलिए स्टालिन ने उसे हटा देना ही ठीक समझा। रूप जर्मन वार्तालाप शुरू हो चुका था।*

रूस जर्मन अनाक्रमण सन्धि—२३ अगस्त को जर्मन परराष्ट्र-मंत्री रिबनट्रोप मास्को पहुँचा। इसी समय साम्यवादियों के 'लोक मोर्चा' का नारा भी बन्द हो गया। मोलोटोव और रिबनट्रोप बहुत समय तक युक्त वार्ताएँ करते रहे। उस दिन एक अनाक्रमण सन्धि पर दोनों ने हस्तक्षर दिये। सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर अग्रेसे या किसी से मिलकर आक्रमण नहीं करेगा।† अगस्त को सुप्रिम सोवियत ने सन्धि का अनुमोदन कर दिया।

समझौते के कारण—रूस के साथ अनाक्रमण समझौता कर लेना हिटलर की महान् कूटनीतिक सफलता थी। इसके कारण पूर्वी मोर्चे पर रूस के आक्रमण की आशंका का अन्त हो गया। फलस्वरूप अब हिटलर अपनी समूची शक्ति को पश्चिमी मोर्चे पर मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध लगा सकता था। हिटलर अभी तक साम्यवाद का कट्टर विरोधी बना हुआ था। अभी तक का उसका सारा जीवन सोवियत-संघ का विरोध करने और कम्युनिस्टों को कुचलने में लगा था। कामिन्टर्न विरोधी पैक्ट इसी नीति का परिणाम था। लेकिन १९३९ के समझौते ने इस सारी स्थिति को बदल दिया और कट्टर शत्रु एकाएक एक दूसरे से मित्र बन गये। इसके क्या कारण थे। इस महान् कूटनीतिक परिवर्तन का एक कारण यह था कि इस समझौते के दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त से पूरी तरह परिचित थे। कूटनीति का मूल आधार अवसरवादिता होता है। इसमें कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार इसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है। इस समय मास्को में एक ही साथ सन्धियों के लिए दो वार्ताएँ ही रही थीं। पहली वार्ता ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में तथा दूसरी जर्मनी और रूस के बीच में थी। उस समय पोलैण्ड पर जर्मनी की आक्रमण की सम्भावना बढ गयी थी और रूस लिए जर्मनी

* Schuman, *International Politics* (5th Ed), p 421

† अनाक्रमण सन्धि के अतिरिक्त दोनों पक्षों में एक युक्त समझौता भी हुआ था जिसके अनुसार जर्मनी रूस को फिनलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, पोर्लैंड का पूर्ण भाग और रूमानिया का बेसरेविया प्रदेश देना स्वीकार किया।

तथा ब्रिटेन-फ्रांस दोनों ही रुस का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से रुस व साथ सन्धि कर लेने के बड़े प्रयास हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा पोलैण्ड था। रुस की ओर से यह शर्त रखी गयी थी कि आक्रमण का दशा में पोलैण्ड में रुसी सेना को घुसने का अधिकार मिले। लेकिन पोलैण्ड किसी भी दशा में यह नहीं चाहता था कि उसके किसी भू-भाग में रुसी सैनिकों का प्रवेश हो। पोलैण्ड ने इस रुख के कारण सधि वार्ता में गतिराध पैदा हो गया और रुस जर्मनी की ओर मुकने लगा।

पोलैण्ड से भी बटौर रुस जर्मन समझौते का कारण बाल्टिक राज्यों की स्थिति थी। १९१० के रुस की बोलशेविक क्रांति के बाद बाल्टिक सागर के तीन राज्य इटालीया, लैटविया, थि-पुर्निया तथा फिन्लैण्ड स्वतन्त्र राज्य बन गये थे। रुस की सुरक्षा के लिए इन राज्यों को स्थिति बड़े महत्त्व की थी। जब तक यूरोप का कूटनीतिक स्थित शान्त थी तब तक इन राज्यों को कोई भय नहीं था। लेकिन रिटन के उदय पर न्त स्थिति बदल गयी और १९३९ के अन्ते जाते हिटलर का शत्रु बहुत बड़े गया था। रिटल बार बार रुस के विहरण की बलें बिधा करता था। इन नवन परिस्थिति में बाल्टिक राज्यों को अमापारण सामरिक महत्त्व प्राप्त हो गया था। जर्मन के साथ सधि की स्थिति में यदि ये राज्य जर्मनी का साथ दे देता रुस व लिए भयंकर स्थित उत्पन्न हो जा सकती थी। अतः अन्तर्गता का दृष्टि से रुस इन राज्यों की सुरक्षा को शरतोच्युत करता था। जर्मनों के विरुद्ध ब्रिटेन और फ्रांस से मनकर सधि बनाने में रुस ने यह शर्त रखी की जाता बाल्टिक राज्यों और पोलैण्ड की जर्मनों के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी दी जाय अथवा युद्ध छिड़ने पर इन राज्यों में रुस का अपनी सेना ले जाने की सुबधा दी जाय। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुए। अतएव सावियत रुस के साथ सन्धि वार्ता का भग कर देना पड़ा। स्टालिन का छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता का अन्वहरण कर इस प्रकार का कोई ठाम प्रादेशिक लाभ देना को चेम्बरलेन या बर्नादिसे तैयार नहीं थे। अतः उनके साथ रुस का समझौता नहीं हो सका।

रुस जर्मन समझौते ब्रिटेन और फ्रांस के निष्पन्न प्रजयात था। वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्टालिन अपने जन्मजात शत्रु और बटौर विरुधो हिटलर से कोई समझौता कर सकेगा। लेकिन सावियत राष के सामने इसके अतिरक्त कोई दूसरा चारा नहीं था। साम्यवादो रुस के मात ब्रिटेन और फ्रांस की ओर घुसा थी और उसके बिना में वे सदा सहायता देने रहते थे। मूर्ख समझौते के समय ता उनकी नीति चाम सीमा पर पहुँच गयी। ऐसी हालत में जर्मनी से किसी तरह का समझौता कर लेना ही

उचित था। इसके अतिरिक्त जर्मनी से सन्धि करके रूस को कुछ ठोस लाभ प्राप्त हो रहा था जो उसकी सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक था। रूस मावी आक्रमण से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। लेकिन पश्चिमी राष्ट्र इसके लिए तैयार नहीं थे, पर जर्मनी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसे पूर्वी मार्ग की सुरक्षा का तात्कालिक लाभ था और उसका यह विश्वास था कि पश्चिमी राष्ट्रों को हराने के बाद वह रूस से लुइसियाना प्रदेश पुनः प्राप्त कर लेगा।*

नाटका जर्मन के साथ प्रगतिशील साम्यवादों राज्य साविपत सघ के इस सन्धि की कहीं-बहीं बड़ी बड़ी आलोचना हुई है। कुछ लोग इसे सोवियत परराष्ट्र नीति के इतिहास में एक "काला घन्टा" मानते हैं। सोवियत-सघ से उस समय सहानुभूति रखने वाले एशिया के कुछ प्रगतिशील राष्ट्रवादियों ने भी इसकी आलोचना की है।† वास्तव में जर्मन और सोवियत रूस में गठबन्धन एक अजीब बात लगती है। पर यदि हम उस समय की कूटनीतिक स्थिति की तह में जाकर विषय का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि स्टालिन ने जर्मनी के साथ समझौते करके एक महान् दूरदर्शिता का परिचय दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सफल विदेश नीति की कौड़ी माना जाती है और इस दृष्टि से रूस जर्मन समझौता बिल्कुल उचित था। यह सोवियत परराष्ट्र नीति की सबसे बड़ी विजय और स्टालिन के तूफानी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी।‡ स्टालिन ने उस समय की अत्यन्त घण परिस्थिति में रूस को युद्ध की ज्वाला से दूर रखने का प्रयत्न किया। अक्टूबर १९३९ में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो रूस उसमें तटस्थ रहा।

—०—

* David Thomson *Europe Since Napoleon* p 715

† Jawaharlal Nehru *An Autobiography* p 601

‡ Vernadsky, *A History of Russia*, p 394

विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया (West Asia in World Politics)

पश्चिम एशिया का महत्त्व—प्राचीन काल से ही पश्चिमी एशिया* विश्व-राजनीति का तुफानी क्षेत्र रहा है। इसने अनेक प्राचीन सभ्यताओं के उत्थान और पतन देखे हैं। यहीं पर मिस्र, मेसोपोटामिया तथा एजियन की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म, विकास और अन्त हुआ था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशिया ही विश्व के दो महान् धार्मिक आन्दोलन—ईसाई तथा इस्लाम—का जन्म स्थान है। क्रूसेड का ऐतिहासिक युद्ध यहीं पर हुआ था। मध्ययुग का अन्त होते होते इस क्षेत्र का महत्त्व समाप्त होने पर लगा हुआ था। लेकिन, आधुनिक आवागमन के साधनों के विकास के कारण इसका प्राचीन महत्त्व पुनः स्थापित हो गया।

आधुनिक युग में नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था, जिसने इस भू-भाग के सामरिक महत्त्व को समझा। अपने मिस्री अभियान के समय उसने स्वेज नहर का योजना बनायी, जिसको ५० साल बाद ही लेस्पास ने बनाकर तैयार करवाया। इसके बाद के पश्चिम एशिया का इतिहास हम महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग और इसके इर्द गिर्द के भू-भागों पर अपना आधिपत्य अथवा प्रभाव क्षेत्र कायम करने का यूरोप के महान् राष्ट्रों के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता का इतिहास है। पश्चिमी एशिया की जमीन की दृष्टि में ससार का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का भंडार है और आधुनिक युग में पेट्रोल का महत्त्व पर कुछ कहना ही व्यर्थ है। इस बहुमूल्य पदार्थ के बिना आज हम ससार को चलाना भी नहीं कर सकते हैं। अतः विश्व-राजनीति में पश्चिमी एशिया का स्थान समझने के लिए हमें इन दो बातों—स्वेज नहर और पेट्रोल—पर अवश्य ही ध्यान देना होगा।

प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व पश्चिमी एशिया का इतिहास टर्की-साम्राज्य का इतिहास है। इस महायुद्ध में तुर्की जर्मनी का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था और जर्मनी के भाग्य के साथ ही उसके भाग्य का भी निर्णय हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की समुद्र तट पर तहस नहस और बर्बाद हो गया। युद्ध के समय मिस्र-

* १९११ में भारत सरकार ने एक अधिनियम द्वारा यह तय किया कि अब सुदूर पूर्व (Far East) और मध्य पूर्व (Middle East) को क्रमशः पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया कहा जाय। अतएव इस पुस्तक में इन्हीं शब्दों का व्यवहार होगा।

राष्ट्रों को तुर्की-साम्राज्य की प्रजाओं की मदद की आवश्यकता थी। मित्रराष्ट्र इनको तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भड़काते थे और उनको तरह-तुर्ह के आश्वासन दिये हुए थे। इनमें एक प्रमुख आश्वासन यह था कि युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद उन्हें स्वतन्त्रता दे दी जायगी। लेकिन, ठीक इसके विपरीत जब युद्ध चल ही रहा था, उसी समय मित्रराष्ट्र तुर्की साम्राज्य का विभाजन करके उसे आपस में बाँट लेने की गुप्त सन्धि कर चुके थे। पेरिस की शान्ति सम्मेलन में विलियम के 'चौदह सूत्रों' के १२ वें सूत्र, मित्रराष्ट्रों के आश्वासनों और इन गुप्त सन्धियों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ही कठिन काम साबित हुआ। अन्त में संक्षेप प्रणाली का आविष्कार कर इस समस्या का समाधान किया गया। इसके अनुसार सीरिया फ्रान्स के संरक्षण में और इराक, जाहान तथा फिलिस्तीन ब्रिटेन के संरक्षण में चले गये। उधर मिस्र, सूडन, यमन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाठ इत्यादि देशों पर पहले से ही ब्रिटेन का प्रभाव था। पराजित तुर्की के साथ पेरिस में जो सन्धि की गयी वह सेन की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार तुर्की का एक बहुत बड़ा भू-भाग उसके हाथ से निकल गया और विशाल तुर्की साम्राज्य एक बहुत ही छोटे देश के रूप में परिवर्तित हो गया।

शान्ति सन्धि के बाद विश्व राजनीति में पश्चिमी एशिया प्रमुख भाग लेने लगा। उसी बीच उस क्षेत्र की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुके थे। इस क्षेत्र के निजाही पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के राजनीतिक और आर्थिक शासन को चुपचाप रहने के लिए तैयार नहीं थे। उधर पश्चिमी राज्य भी इनका शोषण करने लिए वटिन्द्र थे। क्या मिस्र, क्या सीरिया, क्या फरस, क्या फिलिस्तीन, सबकी वे अपनी गुलामी की जंजीर में जकड़ लेना चाहता था। यहाँ तक कि प्रमुख साम्राज्य तुर्की का भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अँवरजाल में फँसाकर पराजित में गुलाम बनाने का प्रयत्न किया गया। एक तरफ स्वतन्त्रता के प्रेमो अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए बराह रहे थे तो दूसरी तरफ से उनपर क्रूर दमन का चक्र चल रहा था। वा विश्व-युद्धों के बीच पश्चिमी एशिया का इतिहास इसी ही प्रयत्नों के बीच संघर्ष का इतिहास है।

(१) तुर्की की विदेश नीति

(Foreign Policy of Turkish Republic)

युद्ध के बाद तुर्की की स्थिति—पहले विश्व युद्ध में जर्मनी का पक्ष लेकर तुर्की भी युद्ध में शामिल हुआ था। लेकिन ३१ अक्टूबर १९१८ को युद्ध में तुर्की तरह पराजित होकर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। पेरिस शान्ति-सम्मेलन में तुर्की के साथ समझौता करने के लिए जो सन्धि तयार हुई उसको सेन की सन्धि

कहते हैं। अन्य शान्ति सन्धियों की तरह सेत्र की सन्धि भी एक आरोपित सन्धि थी। तुर्कों का सुल्तान इस सन्धि को मान लेने के लिए तैयार था, जेकिन तुर्कों के राष्ट्रवादी इसके एकदम विरुद्ध थे। इस राष्ट्रवादी तत्त्वों का नेता मुस्तफा कमालपाशा नामक एक व्यक्ति था। जिस समय तुर्कों को सरकार सेत्र को सन्धि को स्वीकार कर रही थी उस समय मुस्तफा कमालपाशा अनातोलिया में इन्सपेक्टर-जनरल के पद पर कार्य कर रहा था। उसका विचार था कि तुर्कों को यह सन्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए और यदि आवश्यकता ही तो युद्ध को फिर से प्रारम्भ करके इसका मुकाबला करना चाहिए। तुर्कों के देशमन्त्र उसके विचारों से सहमत थे। कमालपाशा तरकानोन सरकार को कमजोरियों से भलीभाँति परिचित था। उस समय खयाल में जबतक यह सरकार कायम रहेगी तबतक तुर्कों समार में अपना उचित और गौरवपूर्ण स्थान नहीं पा सकता था। अब अनातोलिया में अपने सुल्तानों सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बड़ा करके एक स्वतन्त्र समानान्तर सरकार की स्थापना कर लो, जिसकी राजधानी अंकोरा थायी गयी। कमालपाशा ने साफ साफ शब्दों में सेत्र को सन्धि स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

ऐसी स्थिति में यूनानी प्रधानमन्त्री बेनिजेलास ने मित्रराष्ट्रों के सामने यह प्रस्ताव रखकर उन्हें इस बात के लिए लिए राजी कर लिया कि तुर्कों से सेत्र की सन्धि स्वीकार कराने के लिए एशिया माइनर स्थित स्मर्ना के प्रदेश पर यूनानी सेना बजा कर ले। ब्रिटेन इसके लिए यूनान को बर्ज देने को तैयार हो गया। इटली भी इस अपवित्र कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार था। कुछ ही दिनों में इन दोनों देशों की सेना तुर्कों की भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए चल पड़े। अपने कट्टर और अत्यन्त घृणित शत्रुओं द्वारा तुर्कों की भूमि पर इस प्रकार अतिक्रमण किये जाने पर तुर्की ने बहुत रोष प्रकट किया। इस रोष के फलस्वरूप कमालपाशा का नेतृत्व और भी मजबूत हो गया। वह साम्राज्यवादी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया।

यूनान और इटली की सेना तुर्कों में बढ़ती गयी और अगस्त, १९२० में मित्रराष्ट्रों ने तुर्की सुल्तान से सेत्र की सन्धि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया। पर कमालपाशा ने यूनान और इटली के साथ युद्ध जारी रखा। कुछ दिनों के बाद यह अनुभव करके कि तुर्कों के साथ युद्ध जारी रखना व्यर्थ है, इटली की सरकार ने सन्तुष्टि में कमालपाशा के प्रतिनिधि के साथ युक्त रूप से यह समझौता कर लिया कि तुर्कों के सारे प्रदेशों से इटली सेनाएँ मापस बुला ली जायेंगी। अब मैदान में अकेला यूनान ही बच रहा। १९१९ से १९२२ तक तुर्कों और यूनान में युद्ध चलता रहा।

इसी बीच मित्रराष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा हो गया। १९२१ में दौलेशेविक रूस ने कमाल-सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। इसके पहले अक्टूबर, १९२० में यूनान के राजा अलेक्जेंडर की मृत्यु एक पाल्म बन्दर के वाटने से हो गयी। इसके बाद यूनान में आम चुनाव हुआ। फलस्वरूप वेनिजेलास सरकार का पतन हो गया और जर्मनी का रुग्णक कान्सटान्टिन यूनान की गद्दी पर बैठा। विविध कारणों से मित्रराष्ट्रों की सहानुभूति कान्सटान्टिन के प्रति नहीं हो सकती थी। इटली कमाल पाशा से समझौता कर चुका था और १९२१ में फ्रांस ने भी कमालपाशा सरकार के साथ एक सन्धि कर ली। यूनान की मदद करनेवाला कोई नहीं रहा। यूनानियों को धीरे धीरे पंछे खदेड़ दिया गया और सितम्बर, १९२२ में सुल्तान कमाल ने एशिया की भूमि से अन्तिम यूनानी सेना को भी मार भगाया। फ्रांस और ब्रिटेन अब यह अनुभव करने लगे कि तुर्कों के साथ झगडा जारी रखना बेकार है। वे अब इस फिर्क में थे कि तुर्कों के साथ समझौता करके उससे कुछ ऐसी अर्थिक सुविधाएँ प्राप्त कर ली जायँ जिससे फ्रांस और ब्रिटेन के पूर्णजीवितियों को उस देश का आर्थिक शोषण करने का मौका प्राप्त होता रहे। ऐसी स्थिति में यूनान और तुर्की के बीच विराम सन्धि करा दी गयी और इस तरह लुसान में होनेवाले शान्ति सम्मेलन के लिए रास्ता तैयार हो गया।

लुसान की सन्धि— तुर्की की नयी सरकार के साथ सत्र विवादप्रस्त मामलों का नये सिरे से निवटारा करने के लिए ३० नवम्बर, १९२२ को स्विट्जरलैण्ड के अन्यतम नगर लुसान में एक सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें भाग लेनेवाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूनान, जापान, अमेरिका, रूस, रूमेनिया, यूगोस्लाविया और तुर्की थे। बहुत बड़े विवाद के बाद १५ जुलाई १९२३ को एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ जिसको लुसान की सन्धि काते है। इस सन्धि के अनुसार पूर्वी ग्रेस, स्मार्ना, थ्रेसलिया, अनातोल्या, सीलिया इत्यादि प्रदेश, जो सेब्र की सन्धि के अन्तर्गत विविध यूरोपीय राज्य का दे दिय गये थे, तुर्की को पुनः वपस मिल गये। सतिपति की रकम में भारी कमी कर दी गयी। कुदिस्तान पर तुर्की का प्रभुत्व मान लिया गया और इराक तथा तुर्की की सीमा निश्चित करने का प्रश्न अस्थायी के लिए स्थगित कर दिया गया। सेब्र की सन्धि द्वारा बोस्पारस और डाडैनेल्स के जलडमरूमध्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण कायम किया गया था। लुसान-सन्धि के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से इस पर तुर्की का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पर तुर्की जलडमरूमध्यों के आस-पास केवल विलादन्दी नहीं कर सकता था। सवार के सभी देशों के जहाज इस मार्ग से आ-जा सकते थे। इस प्रकार लुसान की सन्धि के द्वारा मित्रराष्ट्रों और तुर्की का झगडा समाप्त हुआ। इस सन्धि की विशेषता यह थी कि यह आरौपत सन्धि नहीं थी, बल्कि बातचीत के द्वारा तैयार

की गयी थी और इसलिए युद्ध के बाद होनेवाली अन्य सन्धियों की अपेक्षा अधिक बढ़े और स्थायी थी। एक विद्वान् लेखक के शब्दों में "सेत्र की सन्धि को पूर्णतया छूट कर उसके स्थान पर लुसान की सन्धि करना कमालपाशा की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी विजय थी।" दो सौ सालों से तुर्की यूरोप का 'रोगी' कहलाता था और पश्चिमी राष्ट्र इस काल में निरन्तर उसको खूटने का प्रयास करते आ रहे थे। वह जमाना अब समाप्त हो चुका था।

तुर्की की विदेश नीति के मूल— लुसान सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बाद कमालपाशा का ध्यान आन्तरिक पुनर्निर्माण की ओर ढाकूँट हुआ और उसके प्रयास से कुछ ही दिनों में तुर्की एक आधुनिक राज्य बन गया। आन्तरिक सुधार कर लेने के बाद कमालपाशा के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह तुर्की के लिए एक आदर्श विदेश-नीति का अवलम्बन करे। कमालपाशा का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह नवजात तुर्की रिपब्लिक का, बाह्य और आन्तरिक खतरों से रक्षा करे। इसके लिए यह आवश्यक था कि वह पुराने तुर्की साम्राज्य की आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी विदेश नीति का परित्याग कर दे। रिपब्लिक की स्थापना के बाद राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा तुर्की की विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य था। पुराने साम्राज्य को फिर से स्थापित करने का अब प्रश्न ही नहीं था। कमालपाशा का विचार था कि तुर्की को साम्राज्य से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए पुरानी तुर्की साम्राज्य की विदेश नीति के मूल तत्त्व 'अखिल इस्लाम-आन्दोलन' का रुख परित्याग कर दिया गया। कमालपाशा के विचार में राजनीति और धर्म में कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। १९३१ में तुर्की की विदेश-सन्धि ने कहा कि हमलोग आन्तरिक या बाह्य किसी भी नीति में धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। संक्षेप में, धर्मनिरपेक्षता नवीन तुर्की की विदेश नीति की एक विशेषता बनी।

युद्ध के बाद तुर्की के साथ निम्नलिखित घटने ने जो अत्यन्त क्रिये थे उनके फलस्वरूप जन्म से ही स्वतन्त्र तुर्की साम्राज्यवाद का विरोधी हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस का प्रोत्साहन पाकर यू. एन. ने किस प्रकार तुर्की पर आक्रमण कर दिया था, इसके हमलोग देख चुके हैं।

मोसुल विवाद को लेकर साम्राज्यवादी विरोधी भावना और भी पुष्ट हो गयी। लुसान-सन्धि द्वारा यह तय हुआ था कि तुर्की और इराक की सीमाओं का निर्धारण केन्द्र तुर्की और ब्रिटेन के एक मंत्रीपूर्ण सम्झौते के अनुसार निर्धारित किया जायगा। इराक उस समय ब्रिटिश संरक्षण में था और इसलिए ब्रिटेन मोसुल का क्षेत्र इराक में सम्मिलित करना चाहता था। उपर कमालपाशा का कहना था कि 'मोसुल तुर्की का अभिन्न अंग है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता।'

जब ब्रिटेन और तुर्की सम्झौता नहीं हो सका तो यह मामला राष्ट्रमण्डल में भेजा गया। राष्ट्रमण्डल ने अपना निणय ब्रिटेन के पक्ष में दिया। तुर्की देशमत्तों का यह सारा काबू एक सग ठन स साम्राज्यवादी षडयन्त्र जैसा प्रतीत होता था। ऐसी स्थिति में उसका साम्राज्यवाद का विरोधी होना आवश्यक था। इस प्रकार नवीन तुर्की की विदेश नीति के चार स्तम्भ थे—घर्मनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद-विरोधी, राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति और राष्ट्रिय सुरक्षा की व्यवस्था। दो विश्वयुद्धों के बीच में इन्हीं चार मूल आधारों पर तुर्की गणराज्य की विदेश नीति विकसित हुई।

तुर्की की विदेश नीति साम्राज्यवाद विरोधी तत्त्व का क्षेत्र कोई सीमित नहीं था। इसका एक अर्थ तुर्की पर परोक्ष या प्रत्यक्ष राति से किसी प्रकार के साम्राज्यवाद की कायम होने से रोकना था। इसका दूसरा मतलब तुर्की को पुरानी साम्राज्यवाद की नीति का परित्याग भी करना था। साम्राज्यवाद विरोधी होने का मतलब यह भी था कि सत्तार के पराधीन देशों के स्वतन्त्रता सधाम के प्रति सहानुभूति प्रकट की जाय और उन्हें यथासम्भव नैतिक और कूटनीतिक सहयता दी जाय। अन्य देशों के साथ तुर्की ने जा सन्धियों की उनमें इस भावना को यथासम्भव स्थान देव जाय।

१. मोन्ट्रे (Montreux) की सन्धि—राष्ट्रीयता की भावना तुर्की-विदेश नीति की प्रभावित बरत रही। तुर्की के समाचार पत्र इस बात को बराबर दुहराते रहे कि जलडमरूमध्य पर तुर्की के अधिकार को किसी प्रकार सीमित करना उसका राष्ट्रीय सम्मान है। लुवान सन्धि के द्वारा यह तय किया गया था कि तुर्की जलडमरूमध्य के व्यापार पास क्लॉस्-द' नहीं बर सकता है। १९३६ में तुर्की ने सम्बन्धित राज्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे इस बात की अनुमति दे दें कि तुर्की इस प्रदेश में अपनी इच्छानुसार क्लॉस्-द' बर सके। स्विट्जरलैंड के मोन्ट्रे नामक स्थान में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ और तुर्की का किनावा-दो करने की अनुमति दे दी गयी। तुर्की को यह अधिकार भी प्राप्त हुआ कि युद्ध के समय वह सभ्य पक्ष के जगों जगानों को इस जलमग से खाने जाने से रोक सके। इस सम्झौते के परिणामस्वरूप तुर्की के मामलों के विदेशी हस्तक्षेप सदा के लिए सठ गया।

रुम के साथ सम्बन्ध—अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण तुर्की और सोवियत सघ में मित्रता स्थापित होने का दिशा में कोई खास दिक्कत नहीं थी। जिस समय तुर्की महान् राष्ट्रिय कठिनायियों से घिरा पड़ा था और युवान की सैन्य उसका भूमि का रौंद रहा था वैसे कठिन समय में सोवियत-रूस ही एक ऐसा देश था जिसे कमाल सरकार का भा यता दी थी। युद्ध के बाद तुर्की के साथ युद्ध-व्यवहार तथा मामुन विवाद में साम्राज्यवादियों के षडयन्त्र के कारण तुर्की का यह विश्व सहा गया था कि पश्चिमी राष्ट्र उसको तग करने के लिए कूटसबहल है।

इसके अतिरिक्त तुर्की और सोवियत-संघ दोनों के साथ राष्ट्रों की महत्नी में 'संयुक्त' और व्यञ्जहार किया जाता था। दोनों देश इस स्थिति से अपने को निकालना चाहते थे। अतः १९२१ में ही दोनों देशों की सरकारों ने मास्को में एक मित्रता-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस सन्धि के अनुसार दोनों हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने इस बात को मान लिया कि एशिया के विभिन्न देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके बाद दोनों देशों के राजनीतिज्ञ और सैनिक विशेष एक दूसरे के देश में भ्रमण करते रहे। १७ दिसम्बर, १९२५ को तुर्की विदेश मन्त्री पेरिस गया और यहाँ सोवियत संघ के प्रतिनिधि से मिलकर एक मित्रता तथा अनाक्रमण-सन्धि पर हस्ताक्षर किया। संधि दम सत्र के लिए की गयी थी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः दृश्यायी जा सकता था। यह सन्धि बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि विगत दो सौ वर्षों से दोनों देश एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे थे।

१९५ में पेरिस-सन्धि को दुहराकर इसकी अवधि दस साल के लिए और बढ़ा दी गयी और मरकरी तौर पर दोनों देशों का सम्बन्ध अच्छा बना रहा। पर, जहाँ तक आन्तरिक राजनीति का सम्बन्ध था, तुर्की सरकार साम्यवाद का कट्टर विरोधी बनी रही। वास्तव में तुर्की के शासकवर्ग के अधिकांश व्यक्ति कुलीन घराने के थे और इसलिए साम्यवाद का विरोध करना अपना धर्म ही समझते थे। इसलिए सोवियत संघ से कोई महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहायता नहीं ली जाती थी। जब तुर्की में साम्यवादी पंचार बढ़ने लगा तब कमालपाशा पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भी घना सम्बन्ध स्थापित करने की बात सोचने लगा।*

अन्य यूरोपीय देशों से सन्धियाँ—१९२८ में तुर्की ने इटली के साथ मित्रता की एक सन्धि की। १९२९ में फ्रांस के साथ भी एक सन्धि हो गयी। इसके अनुसार तुर्की-नीग्रिया सीमान्त पर तुर्की के पक्ष में कुछ परिवर्तन हुए। १९२७ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 'लोटस' जहाज से सम्बन्धित फ्रांसीसी-तुर्की विवाद पर अपना निर्णय दिया जो तुर्की के ही पक्ष में था। इससे राष्ट्रसंघ में तुर्की का विश्वास बढ़ा और १९२९ में यह इसका सदस्य बन गया।

अमेरिका और तुर्की—युद्ध के बाद अमेरिका और तुर्की का सम्बन्ध कुछ विचित्र था। यद्यपि दोनों राज्यों में किसी ने विधिवत युद्ध की घोषणा नहीं की थी, फिर भी दोनों के कूटनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद हो गये थे। इस सम्बन्ध को पुनः स्थापित करने के लिए एक नयी सन्धि की आवश्यकता थी। अमरीकी 'सनेट' में कई वर्षों तक तुर्की के साथ सन्धि करने के विषय पर बहस चलती रही। लेकिन, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच तुर्की उन देशों

* S N Fisher, *The Middle East* p 403

के म लो पर अत्यधिक कर लगाने लगा, जिनके साथ उनका कूटनीतिक सम्बन्ध नहो था। अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए अन्त में अमेरिका को १९२७ में तुर्की के साथ सन्धि करनी पड़ी। तुर्की की राजधानी में एक अमरीकी राजदूत रहन लगा।

तुर्की के पड़ोसी राष्ट्र—१९३० में तुर्की और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें इस बात को मान्यता दी गयी कि तुर्की पश्चिमी एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों का नेता है। १९२१ में तुर्की फारस और अफगानिस्तान के बीच एक मैत्री सन्धि हुई। १९२६ में फारस के साथ एक दूसरा सन्धि हुई।

तुर्की और बाल्कन-प्रायद्वीप के राज्य—बाल्कन-प्रायद्वीप की राजनीति में दिलचस्पी लेना तुर्की के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। १९२३ में हंगरी और १९२४ में आस्ट्रेलिया के साथ उनकी मैत्री-सन्धि हुई। यूनान, यूगोस्लाविया और बुल्गेरिया के साथ तुर्की का कुछ विरोध था। १९२५ में यूगोस्लाविया और बुल्गेरिया के साथ मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिक्कतों को दूर कर दिया गया। १९२८ में इटली और १९२९ में यूनान के साथ तुर्की की सन्धि हुई। इसके अनुसार हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह वचन दिया कि वे शान्तिपूर्ण ढंग से अपने फतवों का फैसला करेंगे। १९३३ में यूनान और तुर्की में दस साल के लिए एक सन्धि हुई। फलस्वरूप, दोनों देशों का सम्बन्ध बहुत अच्छा हो गया। तुर्की का सम्बन्ध बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के साथ इतना अच्छा हो गया कि वह बाल्कन देशों के सम्मेलनों में भाग लेने लगा। यहाँ तक कि द्वितीय बाल्कन सम्मेलन का अधिवेशन तुर्की की राजधानी में ही हुआ था और तुर्की बाल्कन युद्ध का प्रमुख सदस्य हो गया।

युद्ध के अवसर पर—१९३३ में हिटलर जर्मन का प्रधान मंत्री बना और उसके कुछ ही दिनों बाद युद्ध के बादल महगाने लगे। सम्भावित आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए जून, १९३९ में तुर्की ने फ्रांस के साथ एक अनक्रम सन्धि की। इसके साथ ही अंग्रेज तुर्की सम्बन्ध में काफी सुधार होने लगा। जब १९३८ में ब्रिटिश सम्राट् का राजतिलक हुआ तो उस अवसर पर तुर्की का प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हुआ। मई, १९३८ में तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ। इसके अनुसार ब्रिटेन ने तुर्की को वज्र देने का वचन दिया। १९३९ में इन दोनों देशों के बीच भी एक अनाक्रमण सन्धि पर हस्ताक्षर हो गया। अगस्त, १९३९ में हिटलर और स्टालिन के बीच समझौता हुआ तो इस घटना से तुर्की को काफी दुःख हुआ और वह रूस से सतक रहने लगा। इसी साल रूस के अनेक अन्वेषण पर भी तुर्की उसके साथ सन्धि करने को तैयार नहीं हुआ।

जब द्वितीय विश्व युद्ध द्विधा तो दुर्भाग ने तटस्थ रहने का प्रयास किया और इसमें उसको सफलता भी मिली ।


(२) फिलिस्तीन की समस्या

फिलिस्तीन यहूदियों का मूल निवास-स्थान है । शुरू में वे यहाँ रहते थे और यहाँ से सत्तार के बने कोने में फने थे । इन यहूदियों की सबसे बड़ी अभिलाषा फिलिस्तीन को अपना राष्ट्रीय घर बनाना था । उनकी यह आशा कभी लुप्त नहीं हुई, बल्कि समय के प्रगति के साथ साथ और भी बलवती होती रही । उन्नीसवीं शताब्दी में बाहर से अतस्य यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस गये । रूस और पूर्वोपरोप में बसे यहूदियों में फिलिस्तीन लौटने की भावना सबसे अधिक प्रबल थी, क्योंकि इन देशों में उनपर घोर अत्याचार होता था । १८९६ में डा० थियोडोर हर्ज़ल (Theoder Herzl) द्वारा 'फिलिस्तीन लीटो' आन्दोलन को एक निश्चित राजनीतिक रूप दे दिया गया । उन्होंने अपने 'एक यहूदी राज्य' नामक पुस्तक में लिखा "इतिहास साक्षी है कि हमलोगों के राष्ट्रीय चरित्र का स्तर बहुत ही ऊँचा रहा है । यहूदियों की राष्ट्रीयता को बर्बाद नहीं किया जा सकता । यहूदियों की सम्प्रापक राष्ट्रीय समस्या है और विश्वव्यापी सम या बनाकर ही इसका समाधान किया जा सकता है ।" १८९७ में यहूदियों का एक सम्मेलन स्विट्ज़रलैंड में हुआ । इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक 'राष्ट्रीय घर' की माँग की गयी । १९०२ में रूसी यहूदियों पर घोर अत्याचार किया गया । ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऊगन्दा में बसने की अनुमति दे दी । पर यहूदी लोग 'फिलिस्तीन में ही बसना चाहते थे और उनका यह आन्दोलन बीसवीं सदी के प्रारम्भ में काफी मजबूत हो गया ।*

बलफोर-घोषणा— ब्रिटेन को यहूदी-आन्दोलन से काफी सहानुभूति थी । वह धरतियों के बीच में ऐसे देश का सुपान कर देना चाहते थे जो सुगमता से 'ब्रिटेन' के प्रभाव में रह सके । महायुद्ध के समय फिलिस्तीन का विस्तृत भू भाग अंगरेजों के कब्जे में आ गया । यहूदियों के प्रांत अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए २ नवम्बर, १९१७ को लाड बेलफोर ने ब्रिटिश-संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश-सरकार फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय निवास स्थान की स्थापना के पक्ष में है और इस उद्देश्य को सिद्धि सरलता से कराने के लिए वह परसक प्रयत्न करेगी ।" इजराइल की उत्पत्ति का बीजारोपण इसी घोषणा में हुआ था ।

फिलिस्तीन पर ब्रिटिश-सरकारता — पेरिस शान्ति-सम्मेलन में डा० बीजमान के नेतृत्व में यहूदियों का एक प्रति-घिमण्डल अपनी माँग रखने के लिए पेरिस,

पहुँचा। शान्ति सम्मेलन से एकत्रित पश्चिमी राज्यों की सहायुभूति यहूदियों के पक्ष में थी। इसका एक कारण यह था कि यहूदी रूस के प्रबल विरोधी थे। शान्ति सम्मेलन में फिनरलैंड पर ब्रिटेन की संरक्षता स्थापित करने का निर्णय हुआ। इस निष्पत्ति में नैल्कोर-वर्द्धोपण को अक्षय्य मान लिया गया था। फिलिस्तीन में संरक्षण प्रणाली स्थापित करने की शर्तों के अनुसार संरक्षक राज्य का यह बतव्य निर्धारित किया गया कि वह 'सम देश को ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति में रखे कि यहूदियों के लिए स्वदेश स्थापित करना सम्भव हो सके



सथा इनके माध्यम से ही चाप फिलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहे।'

'फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण कायम होने से ब्रिटेन को काफी लाभ हुआ। सामरिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्त्व था। उस समय विश्व में राष्ट्रीय आन्दोलन-चढ़ी तेजी से चल रहा था। इस कारण ब्रिटेन यह भ्रमोभा नहीं रख सकता था कि मिस्र में सेना रचना उसके लिए सुरक्षित है। पर फिलिस्तीन पर संरक्षता कायम हो जाने के बाद ब्रिटेन यहाँ अपनी रणनीति निरिच्छक रूप से रख सकता था। यहाँ से बसल खेज नहर पर ही बज्जा कायम रखना सुगम नहीं हो गया, क्योंकि यह अपने पूर्वी साम्राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी

भूत कुछ निश्चिन्त हो गया। ब्रिटेन का प्रोत्साहन पाकर लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन जाकर बसने लगे। यहूदियों का यह आवागमन फिलिस्तीन के यहूदसखक निवासी अरबों को परन्द नहीं था। हर दृष्टि से यहूदी उनसे बड़े-छूटे थे और उनको मय था कि कहीं जागे चलकर नभय यहूदा प्रकृष्टे हुए अरबों पर अपना आधिपत्य न कायम कर लें। इस कारण फिलिस्तीन में शर्म ही जातिगत विराध की अंगन प्रज्वलित हो उठी। अप्रिल, १९२० में सरक्षण-पाली के एलान होने के तुरत बाद जेरुसलम में यहूदी विरोधी दंगे हो गये और १९२२ से १९२५ तक जातिगत अन्क उप-इव होते रहे।

सरक्षण पद्धति को यहूदी सम्बन्धित शर्तों को पूरा करना बठिन कार्य था। एककाल में अपने लाभ के लिए मित्रर प्टो द्वारा अरबों को राष्ट्रीय महत्वाकीक्षाओं की प्रोत्साहित किया गया था। विन्दु यहुर्दियों के दिये वचन और अरबों को दिये गये आश्वासन में परस्पर विरोध था और इसलिए मविष्य में बठिनाइयों का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था। १९१९ में फिलिस्तीन में वस्तुतः अरब लोग ही निवास करते थे। पर रक्षक पद्धति स्थपित होने के बाद इस देश का द्वार यहूदियों के लिए खुल गया और कुछ ही दिनों में फिलिस्तीन विश्व के यहूदों की राष्ट्रीय गतिविधि का केन्द्र बन गया। यूरोप में आर्थिक राकट के प्रारम्भ होने के कारण फिलिस्तीन में यहूदियों का आगमन और भी बढ़ गया। अतिरिक्त यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में बसे हुए यहूदियों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। य ल ग घन शिक्षा और स्कुल की दृष्टि से अन्य जातियों का अपेक्षा बहुत अगे बढ़े हुए थे। जमनी पोलैंड, इगरा इत्यादि देशों के लोग उनकी ऊंचो स्थिति का ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे और इसलिए उनको घगन का यथामुम्भव प्रयत्न करते रहते थे। जमनी में नात्सी क्रान्त के बाद यहूदियों में भगदड मच गयी। यहूदियों का यत्रनाई देना नात्सी पार्टी का सिद्धान्त ही था। हिटलर यहूदियों की गतिविधि का प्रथम विश्व युद्ध में जमनी का पराजय का एक प्रमुख कारण बतलाता था और उन पर तरह-तरह का अत्याचार करना अपना कर्तव्य मानता था। जमनी में यहूदियों का टिकना बिलकुल असम्भव हो गया। व जमनी छुडकर तेजी से भागने और फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। १९१९ में फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या ८३,००० थी। पर १९३२ के अन्त तक यह संख्या सैंटीस लाख तक पहुँच गयी और यदि अधिकारीगण इस बाढ़ का कड़ाई से नहीं रोकते ता यह संख्या और भी अधिक बढ़ जाती *।

राजनीतिक और स्थिरता की दृष्टि से यहूदी लोग अरबों से काफी बड़े-छूटे थे। उनका राजनीतिक संगठन काफी दृढ था। व संगठित और उन दशाल थे। उनके

प्रयास से फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया का वाणिज्य केन्द्र बन गया। इसके विपरीत अरब लोग अशिक्षित, असंगठित और पूँजीहीन थे तथा वे यहूदियों को बराबरी नहीं कर सकते थे। यहूदियों के अगमन के कारण अपने ही देश में वे हीन बन रहे थे। अतः वे इसका विरोध करने लगे। फलस्वरूप, फिलिस्तीन में बराबर उपद्रव होने लगा। प्रायः ऐसा होता था कि अरब लोग पहले यहूदियों पर आक्रमण करते। इन दंगों में ब्रिटिश शासन की सहानुभूति स्वभावतः यहूदियों के पक्ष में होती थी और उनकी पक्ष लेकर ब्रिटिश पुलिस और सेना अरबों पर घोर अत्याचार करती थी। युद्ध के बाद फिलिस्तीन का इतिहास इन्हीं दंगों और बलावों की कहानी है।

साम्राज्यवादों ब्रिटेन की स्थिति इन दो जातियों के बीच में थी। फिलिस्तीन का शासन-प्रबन्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक मन्त्रालय के अन्दर था और एक ब्रिटिश हाईकमिश्नर वहाँ के शासन के लिए जिम्मेदार था। १९२२ में सर हबर्ट सेमुएल फिलिस्तीन का हाईकमिश्नर था। १ सितम्बर, १९२२ को उसने एक विधान की घोषणा की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) फिलिस्तीन पर शासन करने के लिए एक हाईकमिश्नर हो। वह एक कार्यकारी समिति, जिसके सदस्य उसके द्वारा मनोनीत हो की महायत्ता से शासन करें। (२) कानून बनाने के लिए एक विधान मंडल हो, जिसमें कुछ सदस्य जातियों के अनुपात के अनुसार निर्वाचित और कुछ हाईकमिश्नर द्वारा मनोनीत हों। अरब लोग इस विधान से कन्टुष्ट नहीं हुए। वे फिलिस्तीन को एकमात्र अपना देश समझते थे और इसलिए स्वशासन का अधिकार माँगने लगे। उनकी दूसरी माँग थी यहूदियों के माँग को रोकना। अतः हीने १९२२ के विधान का अम्बोद्धृत कर दिया। इसके बाद हाईकमिश्नर निरंकुश रूप से शासन करने लगा।

यहूदी लोग बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में आकर बस रहे थे। धार्मिक अरब बाशिन्दों का भी गरीब थे इसलिए वे अच्छी-बच्छी जमीन यहूदियों के हाथ में चले गये। यहूदी बहुत ही उद्यमी और कमशाल थे और उनके प्रयास के फलस्वरूप फिलिस्तीन बड़े तेजी से उन्नति करने लगा। यहूदी नगर तेज अर्थोन्नति का स्वरूप धारण करने लगे। ये नगर यूरोप के नगरों की बराबरी करने लगे। समस्त समय ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था, जिसका बजट बराबर बढ़ा लिये रहता था।

इस क्रमसे अरब लोगों को कोई काम नहीं पड़ना। यहूदियों की संख्या में वे नगण्य हो गये। एक ही देश फिलिस्तीन में अलग अलग दो दुनिया बन गयी—

एक यहूदियों की और दूसरी अरबों की। अरब लोग अपनी गिरती हुई दशा को देखकर बचने थे। अतः, वे केवल ब्रिटिश-शासन के प्रति असहयोग की नीति का ही अवलम्बन नहीं करते रहे, अपितु यहूदियों के आप्रवास का भी घोर विरोध करते रहे। यह विरोध बराबर विद्रोह और दंगे का रूप धारण कर लेता। इन विद्रोहों में १९२९ का विद्रोह सबसे अधिक भयानक था। इसका कारण धार्मिक था। जेरूसलम में एक स्थान है जिमको अरब और यहूदी दोनों ही पवित्र मानते हैं। इस स्थान को अरबों और यहूदियों से पृथक् करने के लिए एक दीवार है। पूर्व शासन के समय यहूदियों को इस दीवार के निकट खड़ा होकर प्रार्थना करने की अनुमति थी। लेकिन, इसके आस पास वे किसी प्रकार का चबूतरा या दीवार नहीं खड़ा कर सकते थे। २४ सितम्बर, १९२८ के दिन यहूदियों ने दीवार के पास एक और पक्की दीवार खड़ी कर दी। अरबों को यह बात पसन्द नहीं आयी और पुलिस ने आकर इस दीवार को हटा दिया।

यह घटना तो बहुत छोटी थी, लेकिन इसको लेकर फिलिस्तीन में, कुछ दिनों के बाद, साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये। कुछ ही दिनों के अंदर लगभग २०० यहूदी मौत का शिकार हो गये। यहूदी बस्तियों में आग लगा दी गयी। स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि उ द्रव को दबाने के लिए ब्रिटिश-सरकार को बाहर से सेना भेजनी पड़ी। उपद्रव को दबाने के बाद ब्रिटिश-सरकार ने सर जॉन सिम्पसन को नेतृत्व में उपद्रव के कारणों की जाँच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। सिम्पसन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अरबों की शिकायत के मुख्य कारण राजनीतिक और धार्मिक थे। यहूदी लोग बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में आकर बस रहे थे। विश्व-यहूदी संघ की ओर से वे घर-घर यहूदियों को फिलिस्तीन आने के लिए मांग-व्यय और यहाँ बसने के लिए आर्थिक सहायता दे जाते थे। अरब लोग अनुभव करने लगे कि उनका अपना ही देश यहूदियों के हाथ में चला जा रहा है। सिम्पसन रिपोर्ट में कहा गया था कि यहूदियों के बहुत बड़ी संख्या में आकर बसने के कारण फिलिस्तीन के अरबों में काफी बचनी है। उसने सिफारिश की कि यहूदियों के आप्रवास को एकदम रोक दिया जाय।

इस रिपोर्ट को मानकर १९३१ में ब्रिटिश-सरकार ने यहूदियों के आप्रवास को रोक दिया। इससे अरब लोग कुछ मन्द्बुद्ध हुए और विधानमण्डल के चुनाव में भाग लेने को तैयार हो गये। इस बात पर यहूदियों ने इसका विरोध किया। विधानमण्डल में अरबों के बराबर प्रतिनिधित्व चाहते थे। यह सम्भव नहीं था और इसलिए इस योजना का भी परित्याग कर देना पड़ा। अतः ब्रिटिश-सरकार की

नीति का विरोध यहूदी लोग करते रहे। यहूदी-आप्रवास को नियन्त्रित करने के विरुद्ध उन्होंने विप्रवृत्तियों का आन्दोलन खड़ा किया। ब्रिटिश सरकार 'यहूदी' शब्द के विरोध की घोषणा नहीं कर सकती थी और १९२२ में उसे अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। एक खास वर्ग के यहूदियों को फिलिस्तीन में आकर बसने की अनुमति मिल गयी। इससे अरबों की बेचैनी और घी बढ़ गया। प्रतिक्रिया स्वरूप १९२५ के बाद अरबों का राष्ट्रीय आन्दोलन फिर से जोर पकड़ना लगा। इस आन्दोलन पर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। उस समय इथापिया युद्ध की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश प्रभाव और शक्ति दोनों घट रहे हैं और इटली का प्रचार ने इस बात को और फैलाया। ठीक इसी समय मिस्र और सिरिया में राष्ट्रवादों का टोलन का प्रवृत्ति मिल रही थी। इस घटनाओं ने फिलिस्तीन के अरबों का दिमाग पर और बल डाला। नवम्बर, १९२५ में अरबों के विविध राजनीतिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और ब्रिटिश सरकार के सामने निम्नलिखित मांग पेश की—(१) 'फिलिस्तीन में प्रजातांत्रिक शासन अविलम्ब स्थापित की जाय। (२) घोषणा कर्तव्य है कि भविष्य में कोई यहूदी फिलिस्तीन में जमीन नहीं खरीद सकें। (३) फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रविष्टि पर पूर्णतया रोक लगा दी जाय। ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को दृष्टिपूर्वक मान लिया।

शांतिमय उपायों से फिलिस्तीन की समस्या हल करने के जन्म सारे उपाय समाप्त हो गये तब अरबों ने एक बार फिर सार्वभौमिक उपायों का आग्रह किया। अप्रैल, १९३५ में सलाहों ने एक 'राष्ट्रीय हॉस्पिटल' की घोषणा कर दी। शुरू में तो यह हॉस्पिटल इको-टुकी हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन पछे चलकर इन्ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। शहर में हॉस्पिटलें हुईं और इधर उधर गाँवों का सुदृढ़। हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए एक अरब-उच्च समिति की स्थापना की गयी और जल्दतम के मुफती इसके संचालक नियुक्त हुए। जगह जगह पर दंगे शुरू हुए और ब्रिटिश अफसर तथा यहूदी लोगों पर हमले शुरू हो गये। बरीर चार सौ यहूदों, आठ सौ अरबों और कुछ अँगरेज अफसर इस बलवत्त रिकार हुए। अन्त में बहुत बड़ी सेना 'फिलिस्तीन भेजी गयी। इसी बीच अक्टूबर में इराक, ट्रान्सजोर्डान, सदी अरबों, यमन आदि के शासक 'अरब उच्च समिति' को शांति का मांग उपनान की सलाह देने लगे। अरब लोग इस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हो गये और नवम्बर के अन्त तक शान्ति स्थापित हो गयी। समस्या की जाँच करने के लिए एक शही आयोग नियुक्त किया गया। आयोग का कार्य अरबों द्वारा उपद्रव प्रारम्भ किये जाने के कारणों का पता लगाना तथा विचारों करनी थी। इस आयोग के अध्यक्ष साइड पील थे। हाइ

महीनों की जाँच-रहताल तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बातें सुनने के बाद आयोग ने ब्रिटेन लौटकर जुलाई, १९३७ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना असम्भव है। अतः उसने फिलिस्तीन के विभाजन के लिए योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार तीन भागों में उसका विभाजन हो रहा था। योजना के अनुसार जेरूसलम का धार्मिक स्थान, जहाँ अरब और यहूदी दोनों अच्छी बड़ी संख्या में निवास करना चाहते थे, स्थायी रूप से ब्रिटेन के अधिकार में रखने की व्यवस्था की गयी। समुद्र तट से इसका सम्बन्ध रखने के लिए जाफा बन्दरगाह तक एक गलियारे का भी प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त गैलिली तथा समुद्रतटीय मैदानों को मिलाकर एक यहूदी सार्वभौम राज्य का निर्माण करने और शेष भाग को ट्रान्सजोर्डान के साथ मिला कर एक अरब राज्य बना देने की चर्चा की गयी थी। पील-आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा कि सारी योजनाओं की संरक्षक राज्य, ट्रांसजोर्डान, फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों के बीच मैत्री सन्धियों द्वारा पक्का कर दिया जाय, फिलिस्तीन के अरब और यहूदी राज्य पूर्णरूप से स्वतन्त्र माने जायँ और इन दोनों राज्यों की राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने की कोशिश की जाय।

पील-आयोग की रिपोर्ट आलोचना का शिकार होने से बच नहीं सकी। यह योजना न तो यहूदियों की पसन्द थी और न अरबों की। यहाँ तक की राष्ट्र-संघ के संरक्षण राज्य-आयोग, जिसके सामने यह योजना रखी गयी थी, ने भी इसे नापसन्द किया। इस योजना के अनुसार प्रस्तावित यहूदी राज्य में ओलोगिक दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र, जैसे—जोरडन नदी पर जल-बन्धुत शक्ति स्टेशन और मृत सागर (Dead Sea) पर पोटाश का कारखाना, सम्मिलित नहीं थे। उन्होंने हैफा और गैलिली के अन्य नगरों पर ब्रिटिश शासन को अनिश्चित काल तक बनाये रखने पर भी आपत्ति की। अरबों ने गैलिली के अपने अन्य भाइयों से बिल्कुल जाने और भूमध्य सागर के बन्दरगाहों से सम्बन्ध बिच्छेद हो जाने की शिकायत की। कोई भी पथ इस योजना को बिना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये मानने की तैयार नहीं था। इराक सरकार ने उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ में विरोध पत्र भेजा। यहूदी कांग्रेस के अधिवेशन में भी योजना की तीव्र आलोचना हुई। अरबों और यहूदियों ने दोनों स्पष्ट रूप से पील योजना का अस्वीकृत कर दिया और १९३७ के अन्तिम महीनों में अरब आन्दोलन पुनः गम्भीर रूप से बढ़कू सठा। अनेक स्थानों पर दंगे हुए और अनेक व्यक्ति अरबों के क्रोध का शिकार हुए। न केवल यहूदियों और अगरेजों की ही बल्कि उन अरबों की भी हत्याएँ की गयी जो समझौता के पक्ष में थे। १९३८ तक फिलिस्तीन की यह दशा बनी रही। अगरेजों ने बदला लेने के लिए

यहूदियों को मद्दकाना शुरू किया। परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के उपद्रव ने मयकर रूप धारण कर लिया। १९३८ तक सैंतीस सौ सत्रह व्यक्ति मौत के घाट उतारे जा चुके थे। १९३९ के मई तक छिटपुट बलबे विद्रोह हाते रहे।

पील रिपोर्ट यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा मजूर कर ली गयी, लेकिन ब्रिटिश संसद् उस समय इनको मजूर करने को तैयार नहीं हुई। इस योजना की व्यवहारिकता पर विचारार्थ एक और आयोग की नियुक्ति की गयी। इसके अध्यक्ष सर जॉन सडहेड थे। १९३८ के शुरू में आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। अक्टूबर, १९३८ में सडहेड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आयोग ने फिलिस्तीन विभाजन का निश्चित विरोध किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी फिलिस्तीन विभाजन की योजना का परित्याग कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार यह यत्न करने लगी कि यहूदियों और अरबों में कोई ऐसा समझौता हो जाय, जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो।* इसके लिए लन्दन में एक गोलमेज परिषद् का आयोजन किया गया। यहूदियों और अरबों को ब्रिटेन के सामने अपना मामला पृथक् रूप से रखने के लिए आमंत्रित किया गया। पड़ोस के अन्य अरब राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया।

गोलमेज-सम्मेलन का अधिवेशन फरवरी मार्च, १९३९ में लन्दन में हुआ अरब-प्रतिनिधियों ने यहूदी प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में बैठने से इन्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन में वहाँ अलग अलग हुई। ऐसा माना जाता था कि एक ही जगह दो सम्मेलन हो रहे हैं। अरबों और यहूदियों में इतना अधिक मतभेद था कि वे किसी भी बात पर सहमत होने को तैयार नहीं थे। अरब अपनी स्वतन्त्रता तथा यहूदी आप्रवास को रोकने की माँग करते और यहूदी लोग बेलफोर-घोषणा को कार्यान्वित करने की माँग करते। ब्रिटिश सरकार के समझौता कराने के सारे प्रयास निष्फल हुए और कुछ सप्ताहों के प्रयत्न के बाद सम्मेलन भंग हो गया। फिलिस्तीन की समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ और अरब तथा यहूदियों में परस्पर संघर्ष होता रहा।

ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अपना ही हल लादने का निश्चय किया। १७ मई, १९३९ को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार यह वादा किया गया है कि वर्षों में फिलिस्तीन को एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया जायगा। यहूदियों के आप्रवास को सीमित करने की बात भी इसमें कही गयी। दस वर्षों तक केवल पचहत्तर हजार यहूदी ही फिलिस्तीन जा सकते थे। उसके बाद उनका आप्रवास बिल्कुल बन्द हो जाता था। इस दस साल

की अवधि में भूमि की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गयी थी। इसके बाद अगर दोनों जातियों में समझौता हो गया तो ब्रिटेन फिलिस्तीन को स्वतन्त्र कर देगा। इस प्रस्ताव को यहूदियों और अरबों ने फिर नामजूर कर दिया। यहूदियों का कहना था कि ब्रिटिश श्वेतपत्र उनके साथ एक महान विश्वासघात है। अरब लोग भी इससे असन्मूढ थे। इसी बीच द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन के मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। फिलिस्तीन में बहुत बड़ी संख्या में अंगरेजी फौज लाकर रख दी गयी, जिससे वहाँ कोई विद्रोह नहीं हो।

बीस वर्ष के निरन्तर प्रयास के बाद भी ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करने में अमफल रही। अगर ब्रिटिश सरकार दिल से इस समस्या का समाधान करना चाहती तो यह कोई कठिन या असम्भव कार्य नहीं था। लेकिन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति, अथवा साम्राज्यवादी नीतियों की तरह ही, 'फूट डालो और शासन करो' की रही है। जिस प्रकार भारतवर्ष में वह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा कर शासन करती रही, उसी प्रकार की नीति वह फिलिस्तीन के मामले में भी अनुसरण कर रही थी। ऐसी अवस्था में इस समस्या को सुलझाना आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से यहूदियों का पक्ष लेती थी। इसका कारण था कि बहुत से ब्रिटिश नागरिक ऐसा समझते थे कि फिलिस्तीन पर वास्तव में यहूदियों का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहूदी जाति को यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में और खासकर जर्मनी में जिस क्रूरता से सताया जा रहा था, उसको देखते हुए उनके लिए एक स्वदेश का होना आवश्यक प्रतीत होता था। लेकिन वास्तविक बात यह थी कि ब्रिटिश-सरकार पश्चिमी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद को सहारा देने के लिए एक पिछलगुआ यहूदी राज्य का सृजन करना चाहती थी। फिलिस्तीन की समस्या का गम्भीर होने का यही कारण था।

आंग्ल-मिस्री सम्बन्ध

(१९१९-१९३६)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिस्र की स्थिति पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की स्थिति से भिन्न थी। युद्ध के शुरू होने तक तुर्की सुल्तान का वैधानिक अधिकार इस देश पर कायम था। किन्तु, प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टिगोच से वह ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग था। १९१२ में ब्रिटेन ने मिस्र पर आधिपत्य जमाने का पहला-पहल मौका मिला था। उसके बाद इस देश पर ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता ही गया। १९१४ में जब युद्ध छिटा और तुर्की का सुल्तान जर्मनी का पक्ष लेकर

शामिल हुआ तो ब्रिटेन ने इस मौके से लाभ उठाकर यह घोषणा कर मिस्र देशों की अधीनता से मुक्त करके ब्रिटेन की सरसता में रख दिया जाता है।

मिस्रवासियों को यह परिवर्तन एकदम पसन्द नहीं आया। यह तो केवल एक विदेशी शासन को हटाकर दूसरे विदेशी शासन को लादना था। युद्ध के समय उनमें घोर असन्तोष फैला हुआ था। उनकी मातृभूमि पर विदेशी सेनाएँ रहती थी। मिलिशियों को ब्रिटिश-लोग एक श्रमिक सेना में भरता करते थे बिनका काम सीरिया और फिलिस्तीन के रणक्षेत्र में रसद पहुँचाना था। मिस्र की कृषि पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था क्योंकि देश के सभी योग्य मजदूर जबरदस्ती युद्ध के काम में रख लिये जाते थे। इसके फलस्वरूप जगलुल पाशा के नेतृत्व में मिस्र में एक जबरदस्त राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो गया। जगलुल ने एक राष्ट्रीय दल का संगठन किया, जिसका नाम वफद पार्टी था। १९१८-१९ में राष्ट्रीय आन्दोलन की सीढ़ी अपनी चरम सीमा पर थी। १९१८ में जगलुल काहिरा स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला और उससे मिस्र की स्वाधीनता की माँग की। इसी वर्ष वह एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ मिस्र की स्वतन्त्रता का प्रश्न रखने के लिए पेरिस शान्ति-सम्मेलन में जा रहा था, पर अँगरेजों ने मार्ग में ही उसे गिरफ्तार कर लिया और माल्टा में नजरबन्द कर दिया। यह समाचार जब मिस्र पहुँचा तो वहाँ पर एक जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बलबे और हड़ताल से सरकार एकदम पस्त हो गयी। अन्त में सीरिया से फौज मगाकर अँगरेजों ने बड़ी क्रूरता से उस विद्रोह का दमन किया।

मिस्र की क्रान्ति से अँगरेजों ने यह अनुभव किया कि मिस्री राष्ट्रीयता को सैनिक बल के द्वारा नहीं दबाया जा सकता है। उन्होंने जगलुल पाशा को जेल से मुक्त कर दिया। जगलुल माल्टा से पेरिस के लिए रवाना हुआ, जहाँ शान्ति-सम्मेलन में उसने मिस्र की माँगें पेश कीं।

१९२२ की संधि—इसी बीच मिस्र के शासन स्वरूप में वैधानिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से ब्रिटिश-सरकार ने लार्ड मिलनर को मिस्र भेजा। वापस लौटकर मिलनर ने यह रिपोर्ट दी कि मिस्र पर से ब्रिटिश सरसता हटाकर उसको 'स्वतन्त्र' कर दिया जाय, किन्तु स्वज नहर और मिस्र की विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण यथा पूर्व कायम रहे। मिस्री देशमक्त ब्रिटेन को इस प्रकार की विशेष सुविधा नहीं देना चाहते थे। अतः मिस्री वार्तालाप भग हो गया और मिस्र में एक बार फिर से जबरदस्त विद्रोह छठ खडा हुआ। इसपर जगलुल पाशा और उसके साथियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जनरल ऐलेन्थी ने अपनी सरकार को यह सूचना दी कि मिस्र की राष्ट्रीय भावनाओं को मन्दित नहीं किया गया, तो वहाँ क्रान्ति होकर ही रहेगी। अब ब्रिटिश सरकार

की आँखें खुलीं और मिस्र की स्थिति में सुधार करने के लिए वह शीघ्रता से काम करने लगी। २८ फरवरी, १९२२ को लार्ड एलेन्बी ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन मिस्र को स्वाधीन देश मानता है और उसपर उसकी सरक्षता समाप्त होती है। पर ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा के लिए इस उद्घोषणा में चार और अतिरिक्त शर्तें लगा दीं। वे थीं—(१) स्वेज क्षेत्र की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना रखी जाय। (२) मिस्र की विदेशी आक्रमण से बचाने का काम ब्रिटेन के जिम्मे रहे। (३) अँगरेजों या अन्य विदेशी नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश-सरकार पर रहे। (४) सूडान पहले की तरह ही ब्रिटेन की अधीनता में रहे।

स्पष्ट है कि यह स्वतन्त्रता कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। अतः मिस्र के राष्ट्रीय नेता इस सन्धि से सन्तुष्ट नहीं हुए। पर ब्रिटेन की सैनिक शक्ति के सामने वे अतहाय थे। सुल्तान अब्दुल हक के फौज को विवश होकर समझौते को मान लेना पड़ा। इसी वर्ष मिस्र में एक नये संविधान की रचना हुई, जिसमें संसदीय शासन पद्धति की व्यवस्था की गयी।

बिद्रोह की दूसरी लहर—१९२३ में मिस्र में आम चुनाव हुआ। जगलुल पाशा अपने साथियों सहित मिस्र आ पहुँचा और चुनाव में उसने जमकर भाग लिया। फलस्वरूप वफद पार्टी की विजय हुई और वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन बैठा। प्रधानमंत्री के पद पर आते ही उसने १९२२ को 'स्वतन्त्रता' की एकपक्षीय उद्घोषणा को समाप्त करने और उसके बदले में समानता के स्तर पर दूसरी संधि करने की माँग की। उस समय ब्रिटेन में रामजे मैकडनल्ड के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार काम कर रही थी। जगलुल पाशा को आशा थी कि मजदूर दल की मिस्र की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति होगी। लेकिन, यह केवल भ्रम मात्र था। इसके लिए १९२४ में वह लंदन गया। पर ब्रिटिश-सरकार ने उसकी माँगें अस्वीकृत कर दीं।

जब शान्तिमय उपायों से विदेशी सत्ता का अन्त असम्भव हो जाता है तब हिंसा का अवलम्बन करना आवश्यक हो जाता है। मिस्र के साथ भी यही बात हुई। बहुत-से हिंसात्मक काम शुरू हुए और अनेक ब्रिटिश अफसर मौत के घाट उतार दिये गये। नवम्बर १९२४ में मिली सेना के सरदार तथा सूडान के गवर्नर जनरल सर लीस्टेक की हत्या हो गयी। मिस्र के राजा और प्रधानमंत्री दोनों ने इस हत्या की निंदा की और वादा किया कि वे हत्यारे को कड़ी से-कड़ी सजा देंगे। लेकिन, ब्रिटिश सरकार मिस्र को सबक सिखाना चाहती थी। लार्ड एलेन्बी ने दूरत ही एक अन्तिमैत्य दिया, जिसमें निम्नलिखित माँगें पेश की गयीं—(१) हत्या के लिए मिस्र की सरकार क्षमा याचना करे और यह वादा करे कि भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना नहीं होगी। (२) पाँच लाख पाँड चुमाना दिया, (३) हत्या के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाय और

के खिलाफ मिस्र में समय-समय पर जो प्रदर्शन होने हैं, उनको हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाय । (४) सूडान स्थित मिस्री सिपाही को दूर ही वापस बुला लिया जाय । (५) मिस्र के वित्त और गृह मंत्रालय में अगरेजी परामर्श दाताओं को रखा जाय । इसके अतिरिक्त मिस्र को यह भी सूचना दी गयी कि सूडान में खेती की सिंचाई के लिए नील नदी के जल को प्रयुक्त किया जायगा । अन्तिमेत्यम् को सैनिक बल देने के लिए एलेन्वो ने ब्रिटिश फौज को सिक् दरिया पर आधिपत्य करने का हुक्म दे दिया ।

अन्तिमेत्यम् को मजूर करने के अतिरिक्त मिस्र के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था । जगलुल पाशा ने ब्रिटेन के सभी माँगें मान ली और २४ घंटे में हरजाना की पूरा रकम भी चुका दी । पर सूडान और नील नदी विषयक माँगों को पूरा करना उसके लिए सम्भव नहीं था । नील नदी मिस्र का प्राण है और सूडान की सिंचाई के लिए इसके जल को प्रयुक्त करने का अर्थ समूचे मिस्र को महारा का मरुस्थल बना देना था । इस स्थिति में जगलुल पाशा ने त्यागपत्र दे दिया और ससद् के अध्यक्ष अहमद जिवारपाशा के नेतृत्व में एक नया मंत्रिमण्डल बना । मिस्री ससद् ने राष्ट्रसभ में अपील की । पर राष्ट्रसभ से यह कहकर कि मिस्र और ब्रिटेन का झगडा कोई अन्तर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया । नये प्रधानमन्त्री के सामने अब कोई चारा नहीं था और उसने ब्रिटेन की सभी माँगें स्वीकार कर लीं । सिक् दरिया से ब्रिटिश सेना वापस बुला ली गयी और पीछे चलकर नील नदी सम्बन्धी निर्णय भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया । इस घटना का परिणाम यही हुआ कि मिस्र पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकजा काफी मजबूत हो गया और सूडान पर मिस्र का रक्षा सहा प्रभाव भी जाता रहा ।

१९२४ से १९३६ का काल—लिस्टेक हत्याकाण्ड के साथ ऑग्ल मिस्री सम्बन्ध का एक अध्याय समाप्त हो गया । इसके बाद के मिस्री इतिहास में मुख्यत दो बातें देखने को मिलती हैं—ब्रिटेन के साथ वातचीत करके मिस्री राष्ट्रीय आकांक्षा की परिपूर्ति करने के प्रयास और मिस्र की आन्तरिक राजनीति में वपद पार्टी तथा राजा के बीच संघर्ष । १९२८ से १९३० तक मिस्री सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच फरवरी, १९३० की उदघोषणा को समाप्त करने के लिए तीन वार्ताएँ हुईं, लेकिन सबके सब व्यर्थ सिद्ध हुईं ।

मिस्र की आन्तरिक राजनीति भी ऑग्ल मिस्री सम्बन्ध से प्रभावित होती रही । वपद पार्टी मिस्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और ससद् में भी इसका बहुमत था । पर यह वट्टर राष्ट्रवादी पार्टी थी और ब्रिटेन की इस पार्टी की सरकार

का शासन कतई पसन्द नहीं था। १९३५ में लार्ड लायड मिल में ब्रिटिश-हार्ड-कमिश्नर के पद पर नियुक्त था और वह मिस्री सरकार को पूर्णतया अपने हाथों में कठपुतली को तरह रखना चाहता था। मिल का राजा और राजदरबार के अफसर समके खिलाफ थे और वे उन्हें जैसे चाहता नचाता रहता था। ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वपद-पार्टी का शासन के कार्यभार से अलग रख जाय। इसलिए ससद् में इस पार्टी का बहुमत होते हुए भी इस दल का अपना मन्त्रिमण्डल नहीं बन सकता था। १९२७ में जगलुल पाशा की मृत्यु हो गयी और उसके बाद नहस पाशा वपद-दल का नेता बना। इसी समय ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी। मजदूर दल कुछ प्रगतिवादी पार्टी थी और इसलिए ब्रिटेन की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। नहस पाशा कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया।

ब्रिटेन को वपद पार्टी फूटी आँखों नहीं सुहाती थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादी राजा पर इस बात का दबाव डालने लगे कि वह सविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन करे जिससे वपद पार्टी के लिए मन्त्रिमण्डल बनाना कठिन हो जाय। १९३० का मिस्री सविधान इसी दबाव का परिणाम था। इस सविधान के अनुसार जब १९३१ में आम चुनाव हुआ तो वपद पार्टी ने उसका बहिष्कार कर दिया। चुनाव के बाद सिदकी पाशा का मन्त्रिमण्डल बना। सिदकी वस्तुतः अँगरेजों का एजेन्ट था, मिस्रियों का प्रतिनिधि नहीं। ब्रिटिश-सरकार की आज्ञानुसार वह सब काम करता था। ऐसी स्थिति में अँगरेज मिस्री सम्बन्ध में कोई विशेष परिवर्तन नही हो सकता था। मिल पर ब्रिटिश हार्ड कमिश्नर मनमानी ढंग से कठपुतली सरकार के सहारे शासन करता रहा।

१९३६ की सन्धि

इसी बीच अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे जिसका प्रभाव अँगरेज-मिस्री सम्बन्ध पर पड़ना अवश्यम्भावी था। १९३५ में सुलोलीनो ने इथियोपिया पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके पूर्व १९३४ में सिदकी पाशा प्रधानमंत्री के पद से हट गया था और उसकी जगह पर स्वतन्त्र विचार का व्यक्ति नसीम पाशा प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसकी मलाह पर राजा ने १९३० का सविधान रद्द कर दिया। १९२३ के सविधान को फिर से लागू किया। इसी समय फौद प्रथम की मृत्यु हो गयी और उसकी जगह पर उसका नवालिग पुत्र फौद द्वितीय मिल की गद्दी पर बैठा। मई, १९३६ में १९२३ के सविधान के अनुसार चुनाव हुआ और इसमें वपद-पार्टी का असाधारण प्रादुर्भाव हुआ। नहस पाशा एक बार फिर मिल का प्रधानमंत्री बना।

मन्त्रिमण्डल बनाने के तुरत बाद नहस पाशा १९२२ की ब्रिटिश सद्घोषणा को रद्द करने की माँग करने लगा। इथोपिया पर इटली का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटेन के लिए मिस्र का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया था। अँगरेज लोग अनुभव करने लगे कि मिस्रियों को सतुष्ट कर उनके साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित रखने में ही अपना हित है। मिस्र के राष्ट्रवादियों ने भी अनुभव किया कि सुमोलिनी का खतरा ब्रिटिश-सारक्षता से भी अधिक भयानक है। विदेशी आक्रमण से मिस्र की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन की मदद आवश्यक जान पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में दोनों देश अपने-अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा हटने को तैयार थे। १९१६ की अँग्रेज मिस्री सन्धि की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी।

नहस पाशा के नेतृत्व में तेरह व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डल लंदन के लिए रवाना हुआ और २६ अगस्त, १९३६ को ब्रिटेन और मिस्र ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। सन्धि बीस साल तक लागू रहनेवाली थी। इसके अनुसार—

- (१) मिस्र को प्रभुसत्तायुक्त पूर्ण स्वतन्त्र राज्य मान लिया गया।
- (२) बाहरी आक्रमण के विरुद्ध मिस्र की रक्षा करने का भार ब्रिटेन ने ग्रहण किया। युद्ध की स्थिति में मिस्र के द्वारा ब्रिटेन को हर प्रकार की सुविधाएँ देने का वादा किया गया।
- (३) स्वेज-नहर के उत्तरी क्षेत्र में ब्रिटेन को अपनी सेना रखने का अधिकार मिला। शान्ति-काल में इन सैनिकों की संख्या बस हजार से अधिक नहीं हो सकती थी। आठ साल के अन्दर ब्रिटेन ने मिस्र स्थित अपनी सेना हटा लेने का वादा दिया।
- (४) मिस्र की सेना और पुलिस से अँगरेज अफसर हटा लिये गये। इसकी जगह पर मिस्र में एक ब्रिटिश-सैनिक मिशन रखने का प्रबन्ध किया गया, जिसके जिम्मे सैनिक वार्ता पर मिस्र को सलाह देने का काम सुपुर्द किया गया। मिस्र सैनिक अफसरों को ब्रिटेन में ही शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था।
- (५) सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का संयुक्त सरसक (Joint condominium) कायम किया गया और मिस्री लोगों को बिना किसी रूकावट के सूडान में बसने की स्वाधीनता मिल गयी। ब्रिटेन ने इस बात का प्रयत्न करने का वादा किया कि मिस्र में जिन विदेशी राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका अन्त कर दिया जाय।
- (६) ब्रिटेन ने यह भी यत्न करने का वादा किया कि मिस्र राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त कर ले।
- (७) ब्रिटेन का राजदूत मिस्र में और मिस्र का राजदूत ब्रिटेन में रहने लगा।

अगर हम सन्धि की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो यह कहना न होगा कि मिस्र पर ब्रिटिश गुलामी का शिकजा उतना ही मजबूत बना रहा जितना पड़े था। मिस्र की भूमि पर विदेशी सेना की रहना ही था और उसकी आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत तरीके मौजूद ही थे। किन्तु १९२२ की सद्घोषणा की अपेक्षा यह सन्धि अवश्य ही अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह थी की

विदेशियों के जान माल को रक्षा का भार पूर्ण रूप से मिस्र को प्राप्त हो गया। किन्तु, अन्य दृष्टियों से मिस्र पराधीन राज्यों की श्रेणी में ही रहा। इसीलिए जब इस सन्धि की मिस्र ससद् में अनुमोदन के लिए पेश किया गया, तो वहाँ इसकी तीव्र आलोचना हुई, पर २२ दिसम्बर, १९३६ को सन्धि का अनुमोदन कर दिया गया।

८ मई, १९३७ को मिस्र से विदेशी विशेषाधिकार का अन्त करने के लिए सम्बन्धित देशों का सम्मेलन मोन्ट्रो में हुआ। सम्मेलन में विदेशी विशेषाधिकार को अन्त करने का निर्णय ही गया। २६ मई को मिस्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया। पर, १९३९ में जब महायुद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन ने मिस्र पर पुन अपना साम्राज्यवादी शिकजा मजबूत कर लिया। वास्तव में १९३६ की सन्धि मिस्र की समस्याओं का अन्तिम रूप में हल न कर सकी। इसके लिए मिस्र को एक नर्गिव और नासिर की आवश्यकता थी। पर यह अँगल मिस्र सम्बन्ध के दूसरे अध्याय की बात है।

(३) ट्रांसजोर्डान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद

जोर्डान नदी के पूर्वी तरफ की भूमि को ट्रांसजोर्डान कहते हैं। नवम्बर, १९१८ और जुलाई, १९२० के बीच में यह अरब राज्य का एक भाग था। अमीर फैजल के नेतृत्व में यह राज्य मित्रराष्ट्रों की सहायता से संगठित किया गया था और तुर्की-साम्राज्य के विरुद्ध अरब भावना को भड़काना इसका मुख्य उद्देश्य था। जब मित्रराष्ट्रों का काम निकल गया और युद्ध में वे विजयी हो गये, तो अरबों की सहायता की उन्हें अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी। अतः जुलाई, १९२० में फ्रांसीसी सेना सीरिया पर अपना आधिपत्य जमाकर फैजल को वहाँ से निकाल-बाहर किया। इसके बाद मार्च, १९२१ तक ट्रांसजोर्डान में कोई स्थानीय शासन नहीं था। इस समूचे भू भाग पर ब्रिटेन की सरक्षता स्थापित कर दी गयी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को परोक्ष रीति से लादने के लिए अँगरेजों को एक व्यक्ति भी मिल गया। वह अमीर फैजल का बड़ा भाई अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का ट्रांसजोर्डान का शासक बनाने की कहानी इस प्रकार है— फरवरी, १९२१ में अब्दुल्ला एक छोटी सेना के साथ ट्रांसजोर्डान में घुस गया। उसका उद्देश्य फ्रांस अधिभूत सीरिया पर आक्रमण करके अपने भाई फैजल को पुन सीरिया की गद्दी पर बैठाना था। लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने उसको ऐसा करने से रोक दिया और इसके बदले में उसको ट्रांसजोर्डान का अमीर बना दिया। अब्दुल्ला इतने ही से काफी खुश हो गया और अपने भाई तथा सीरिया को बहुत जल्दी भूल गया। अँगरेजों का बठपुतला बनकर ट्रांसजोर्डान का अमीर कहलाना ही उसके लिए पर्याप्त प्रतीत होता था।

राष्ट्रसंघ के द्वारा ट्रांसजोर्डान का संरक्षण ब्रिटेन की प्राप्त हुआ। शर्तों में यह साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया था कि ट्रांसजोर्डान के

में यहूदियों को बसने नहीं दिया जायगा। यही कारण है कि ट्रांसजोर्डान के इतिहास में कोई विवादपूर्ण या सनसनीरोक्त घटना नहीं घटी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को छोड़कर किसी अन्य यूरोपीय राज्य को इससे कोई सम्पर्क नहीं था। इसलिए महान राज्यों के बीच इस भू-भाग को लेकर कोई प्रतिद्वन्द्विता भी नहीं थी। ब्रिटेन जैसा चाहता अन्दुल्ला को कठपुतली की तरह नचाता। उसकी सरकार के प्रत्येक विभाग में अँगरेज सलाहकार रहते थे और उन्हीं की राय पर अन्दुल्ला का शासन चलता था। १९२८ में ब्रिटेन और ट्रांसजोर्डान के बीच एक सन्धि करके इस व्यवस्था को विधिवत् अनुमोदित कर दिया गया। ब्रिटेन की आर्थिक सहायता पर ही सम्पूर्ण राज्य की शासन-व्यवस्था आश्रित थी। सैनिक मामलों में ट्रांसजोर्डान पूर्ण रूप से ब्रिटेन का गुलाम था। सर्वप्रथम कप्तान पिक और उसके बाद मेजर गल्ब के नेतृत्व में ट्रांसजोर्डान की सेना आधुनिक ढंग से संगठित की गयी और इसको 'अरब लिजन' का नाम दिया गया। ट्रांसजोर्डान के वाशिन्दों में, जो अधिकतर बनजारे थे, राजनीतिक जागृति की दू तक नहीं थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अँगरेज लोग निर्विरोध इस देश का आधिक शोषण करते रहे।

(४) इराक में ब्रिटिश साम्राज्यवाद

प्रथम विश्व युद्ध के समय ही ब्रिटेन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेसोपोटेमिया और फारस की खाड़ी में उसके महत्त्वपूर्ण स्वार्थ है। युद्ध के आरम्भ होने के शुरुआत बाद भारत से एक बहुत बड़ी फौज मेसोपोटेमिया भेजी गयी और इस प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया गया। युद्ध के बाद इस प्रदेश की, जिसको अब हम इराक कहेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी में अच्छी तरह जकड़ लेने का अथक प्रयास किया गया। लेकिन इस समय तक इराक के अरबों में राष्ट्रीय जागृति हो चुकी थी। युद्ध के समय उन्हें स्वशासन का आश्वासन दिया गया था और इसीके आधार पर उन्होंने मित्रराष्ट्रों की मदद की थी। पर, युद्ध में काम निकालने के बाद मित्रराष्ट्र अपना रंग बिल्कुल बदल चुके थे और इराकियों को स्वतन्त्र करने के बदले में उन्हें गुलामी की जजोर में जकड़ने की कोशिश की जा रही थी। राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार इराक का ब्रिटिश संरक्षता के अन्तर्गत रख दिया गया। इराक के लोग संरक्षता का वास्तविक मतलब समझते थे। अतएव जून, १९२० में पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इराक में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। करीब छह महीनों तक यह विद्रोह चलता रहा। अनेक ब्रिटिश अफसर मार डाले गये। छह महीनों की अवधि में घायल और मृतकों की संख्या लगभग दस हजार तक पहुँच गयी। ब्रिटेन के लिए इराक की महत्ता उसके समुद्र तेल कु

तथा भारत और यूरोप के बीच वायु-पथ को लेकर थी। इसलिए ब्रिटेन इस भू भाग को छोड़ना नहीं चाहता था। इराकी विद्रोह को पहले पूर्णतया दमन कर दिया गया। लेकिन, केवल दमन की नीति से ही काम चलनेवाला नहीं था। इराकियों को सन्तुष्ट रखने के लिए आर्थिक स्वशासन का अधिकार देना भी आवश्यक था। उस समय इराक के हाई कमिश्नर के पद पर सर पेनसो कोक्स नियत था। उसने बाठ अरब राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक 'राष्ट्रीय सरकार' संगठित की। इस समय इराक को गद्दी खाली पड़ी थी। इसके पहले सीरिया से फ्रांसिसियों ने फैजल को निकाल-बाहर कर दिया था। फैजल इराक पहुँचा और एक जबरदस्त बहुमत के द्वारा वहाँ का राजा चुन लिया गया। २३ अगस्त, १९२१ को वह विधिवत इराक के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ।

फैजल के सिंहासनारूढ़ होने के बाद इराक के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इराक के सामने बाह्य और आन्तरिक अनेक समस्याएँ थीं। इस देश को अन्दर भिन्न भिन्न जातियों का निवास करती थी और उनको एक सूत्र में बाँधकर एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करने की समस्या थी। इराक के लोग काफी पिछड़े हुए थे। उनकी दशा सुधारकर जीवन-स्तर को ऊँचा करना दूसरी समस्या थी। बाह्य दृष्टि से ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध की समस्या थी। इराक ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के चंगुल से जल्द से-जल्द मुक्त होना चाहता था, पर यह आसान नहीं था।

सुरक्षक पद्धति का विरोध इतना जबरदस्त हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने उसके साथ एक सन्धि कर लेना ही श्रेयस्कर समझा। अक्टूबर, १९२२ में दोनों देशों के बीच एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार इराक स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर फैजल का 'सलाहकार' हो गया। 'सलाहकार' का काम इराक के आर्थिक, सैनिक और विदेश सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देना था। प्रारम्भ में यह सन्धि बीस साल के लिए की गयी थी। लेकिन, पीछे चलकर इसकी अवधि घटाकर चार साल के लिए कर दी गयी। सन्धि में प्रायः उन सभी अधिकारों का समावेश कर दिया गया था जो ब्रिटेन को एक सुरक्षक राज्य की हैसियत से मिलने वाला था।

इराकवाले इस सन्धि से सन्तुष्ट नहीं हुए। वे ब्रिटिश गुलामी से जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते थे। अतः ३० जून, १९३० को इराक और ब्रिटेन के बीच १९३२ साल के लिए एक दूसरी सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटेन ने इराक को यह अधिकार दिए कि १९३२ में वह इराक की राष्ट्रसभ की सदस्यता प्राप्त कराने का प्रयत्न करे। इराक की सुरक्षा, विदेश नीति इत्यादि पर ब्रिटेन का नियन्त्रण रहेगा। ३ अक्टूबर, १९३० को इराक राष्ट्रसभ का सदस्य बन गया। राष्ट्रसभ द्वारा इराक को अनेक गारंटियाँ देनी पड़ीं। इस प्रकार नाब के सिंहासन पर उठने के बाद

वन गया। पर वास्तव में प्रत्येक दृष्टिकोण से वह अँगरेजों के ही कब्जे में रहा। १९३० की सन्धि की शर्तों के अनुसार वह पूर्णतया ब्रिटेन के संरक्षण में ही रहा।*

(५) लेबनान और सीरिया

१९१६ के साइक्स-पिकोट-सन्धि के अनुसार सीरिया और लेबनान का भू-भाग फ्रांस की संरक्षता में रख दिया गया था। इसी सन्धि के द्वारा यह भी तय हुआ था कि पश्चिम-एशिया में फ्रांस और ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्रों के बीच में एक स्वतन्त्र राज्य होगा। ब्रिटेन का प्रस्ताहन पाकर ३ अक्टूबर, १९२८ को अँगरेजों का विश्वस्त मित्र अमीर फ़ैजल अपने सैनिकों के साथ दमिश्क आ कर और ब्रिटिश सरकार की सहायता से वहाँ अरब फ़डा पहरा दिया तथा शीघ्र ही एक स्वतन्त्र सरकार का निर्माण कर लिया। पेरिस शान्ति-सम्मेलन में लायड आर्ज ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि सीरिया पर फ्रांसीसी दावे को मान लेना अरबों के साथ विश्वासघात होगा। सीरियावाले भी फ्रांसीसियों से घृणा करते थे। वे अपने को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, संरक्षित राज्य के रूप में नहीं। यदि परिस्थितिवश संरक्षण-प्रणाली को उसके देश पर लागू भी किया गया तो वह फ्रांस के अधीन नहीं होना चाहिए।

सीरिया में फ्रांस की दिलचस्पी बहुत पुरानी थी। उनका कहना था कि युद्धकालीन गुप्त सन्धियों के अनुसार यह भू-भाग फ्रांसीसी कब्जे में रहना चाहिए। लेकिन, स्थिति इसके विपरीत थी और अमीर फ़ैजल पर ब्रिटेन का अत्यधिक प्रभाव था। सीरिया पर अपना साम्राज्यवाद लादने के लिए फ्रांस एक मौके की तलाश में था। २४ अप्रिल, १९२० को सानेरमो सम्मेलन द्वारा जब सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण के अधीन सौंपने का एलान हुआ तो सीरिया में इसके विरुद्ध इतनी अशान्ति फैली कि फ्रांसीसियों को इस देश पर कब्जा जमाने का अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया। उपद्रव के क्रम में अरबों और फ्रांसीसी सैनिकों में सुठभेड़ हो गयी और फ्रांसीसियों ने इस अवसर से लाभ उठाकर सीरिया पर आक्रमण कर फ़ैजल को देश से बाहर निकाल दिया।

फ्रांसीसी 'फुट डालो और शासन करो' की युक्ति से इस देश पर शासन करने लगे। फ्रांस के संरक्षण शासन का क्षेत्र संरक्षण के प्रारम्भिक समय से ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया—सीरिया और लेबनान। लेबनान में अरब ईसाई बहुत संख्यक थे। इस क्षेत्र में एक रिपब्लिकन सरकार थी, जो समय समय पर फ्रांसीसी सहायता से अपना कार्य करती थी। इन ईसाइयों से फ्रांसीसी अरबों

व्यवहार करते थे। अतः छोटी मोटी शिकायत के होते हुए भी लेबनान के ईसाई फ्रांसीसी-संरक्षण से सन्तुष्ट थे। १९२५ में लेबनान के लिए विधान बनाया गया, जिसके अनुसार वहाँ पर ससदीय शासन की व्यवस्था की गयी। लेकिन, कुछ ही दिनों में यहाँ अरबों और ईसाइयों में राजनीतिक तनाव शुरू हुए। इसलिए १९३४ में लेबनान के लिए एक नया विधान बनाया गया, जिससे ससद् की प्रतिनिधित्व-प्रणाली में कुछ हेरफेर कर दिया गया। धीरे धीरे लेबनान में यह प्रथा स्थापित हो गयी कि लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई होगा और प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम। इसके अतिरिक्त लेबनान में कोई खास राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ।

सीरिया के साथ ऐसी बात नहीं थी। सीरिया में अरब राष्ट्रीयता चतनी ही प्रबल थी, जितनी इराक और फिलिस्तीन में। अतः सीरिया में भी 'फुट डालो और शासन करो' की उसी म. माज्यव दी नीति का अवलम्बन किया गया। सारे देश को पहले पृथक् राज्यों में बाँट दिया गया। सीरिया से छन तीन क्षेत्रों को पृथक् कर दिया गया, जिसमें मुख्यतः गैर-अरब बसते थे। उनमें से दो क्षेत्र—लेटेकिया और जेबल डूज- फ्रांसीसी प्रशासन के अन्तर्गत रखे गये। उत्तर में एलेक्जेंड्रिया का सुकी जिला एक स्वायत्तशासित प्रान्त हो गया। देश के इस विभाजन के कारण सीरिया में स्थानीय आन्दोलन होने लगे। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी शासकगण सीरिया के स्कूलों और अदालतों में फ्रांसीसी भाषा को अत्यधिक बढ़ाना दे रहे थे और आर्थिक दृष्टिकोण से सीरिया को फ्रांसीसी शिकजे में जकड़ लेने का प्रयास भी हो रहा था। इस नीति के प्रति सीरिया के अरबों ने गमीर रोष का प्रदर्शन किया। समय समय पर गमीर विद्रोह होते रहे, जिनमें १९२५ का विद्रोह प्रमुख था। इस संघर्ष के अरंभ में फ्रांस सी से नकों की बुरी तरह हारना पडा। उनके सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए और सीरियाई राष्ट्रपतियों ने उनके शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया। अन्त में फ्रांसीसी सैनिकों ने दमनक पर बम बरसाकर इस जन-विद्रोह को कुचल दिया। नये फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अरबों ने पहुँचकर सुलह समझौता कराया और अहमद नर्मिने की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय सरकार' का संगठन करके अगस्त, १९२६ में सत्ता का श्ठ कराया।

जुलाई, १९२७ में पौनसी सीरिया का नया राष्ट्रपति बन कर आया। वह सीरिया के लिए सीरियावासियों द्वारा ही एक संवैधान प्रणयान का प्रस्ताव था। पदग्रहण करते ही उसने इस विद्या में काम करना शुरू किया। १९२८ में सीरिया ससद् के लिए चुनाव हुआ। निश्चित ससद् को की रूपरखा तैयार करने का बहा गया। ऐसे यह आश्वासन समय आ जाने पर सीरिया को फ्रांस का सम्बन्ध इराक और

तब यह एक सन्धि के आधार पर स्थापित किया जायगा। ७ अगस्त को संसद ने भावी सविधान का एक मसविदा तैयार किया। पर इसके अनेक उपबन्ध फ्रांसीसी हाईकमिश्नर को नापसन्द थे और इसलिए उसने उसको मजूर करने से इन्कार कर दिया। मई, १९३० में उसने स्वयं एक सविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। कुछ विरोध और प्रदर्शन के बाद सीरियावालों ने यह सविधान मजूर कर लिया। १९३२ में इस सविधान के अनुसार चुनाव हुआ और सोरियाई राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई।

इस समय सीरिया की राजनीति पर पड़ोसी राष्ट्रों की राजनीति का प्रभाव पड़ा। १९३० में इराक और ब्रिटेन में एक संधि हो चुकी थी और १९३२ में इराक राष्ट्रसंधि का सदस्य बन चुका था। सीरिया के निवासी स्वायत्त शासन के लिए कम से-कम उतना योग्य हो गये थे, जितना इराक के निवासी। सीरिया के राष्ट्रवादो फ्रांस के साथ भी अँगुल इराकी सन्धि की तरह ही अपना सम्बन्ध कायम करना चाहते थे। अतः १९३३ में अँगुल-इराकी नमूने पर एक फ्रेंको-सीरिया संधि करने के लिए वार्ता हुई। इस सन्धि के अनुसार सीरिया की सुरक्षा और विदेश-नीति पच्चीस सालों तक फ्रांस के नियन्त्रण में होनेवाली थी। सीरिया के राष्ट्रवादियों ने इसका घोर विरोध किया। सोरियाई संसद ने इसका अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि संसद का अनुमोदन सन्धि को नहीं प्राप्त हो सकता है तो फ्रांसीसी अधिकारियों ने अनिश्चित काल के लिए संसद को भग कर दिया। इसके बाद सीरिया के सविधान को बिल्कुल विलम्बित कर दिया गया।

इन घटनाओं के कारण सीरिया के राष्ट्रवादो अधीर हो उठे। इसी सन मिस्र के राष्ट्रवादो आन्दोलन का कुछ सफलता मिल चुकी थी और १९३६ अँगुल मिस्र सन्धि हो चुकी थी। सीरिया के राष्ट्रवादियों को इससे प्रेरण प्राप्त हुई। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध १९३६ के प्रारम्भ में विद्रोह होना शुरू हुआ। गली गली में फ्रांसीसियों और सीरियाइयों के बीच मुठभेडे हुई। सीरिया में आम हड़ताल मनायी गयी। अन्त में बाध्य होकर फ्रांसीसी हाईकमिश्नर ने राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक सरकार का संगठन करना पड़ा। सोरियाई विरोध से बचने के लिए मार्च के अन्तिम दिनों में फ्रांसीसी सरकार ने एक सीरिया प्रतिनिधिमण्डल को संधि की यातचीत करने के लिए पेरिस में आमंत्रित किया। ९ सितम्बर, १९३६ को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिये। यह सन्धि अँगुल इराकी सन्धि के नमूने पर तैयार की गयी थी। यह एक मैत्री सन्धि थी, जो सीरिया के राष्ट्रसंधि क सदस्य होने पर लागू होनेवाली थी और सीरिया को राष्ट्रसंधि की सदस्यता इस सन्धि के अनुमोदन के तीन घण्टे के मध्य

प्राप्त कराई जानेवाली थी। फ्रांस को सीरिया की भूमि पर सेना तथा सीरियाई विदेश-नीति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया था।

निश्चय है कि इस प्रकार की सधि सीरिया के सभ राष्ट्रवासियों को किसी भी हालत में अच्छी नहीं जैचती। वे इसका विरोध करने लगे, इसलिए सन्धि के अनुमोदन में विलम्ब हो गया। फ्रांसीसी ससद् भी शीघ्र ही इन सन्धि का अनुमोदन नहीं कर सकी। फ्रेंको सीरियन सम्बन्ध के बिगड़ने का *स समय एक दूसरा कारण भी था। फ्रांस एलेक्जान्ड्रिया का जिला तुर्की को देने के लिए बातचीत कर रहा था। जून, १९३९ में उसने तुर्की के साथ एक समझौता भी कर लिया जिसके अनुसार एलेक्जान्ड्रिया का जिला तुर्की को इस शर्त पर सौंप दिया गया कि तुर्की लाग सीरिया पर अपने अन्य सभी दावों का परित्याग कर देंगे तथा उस देश में फ्रांस-विरोधी कोई कारवाई नही करेंगे। इस प्रकार सीरिया के विखण्डन की नाति का सीरियावासियों ने घोर विरोध किया और राष्ट्रवादी उपद्रव पुन प्रारम्भ हुए। ७ जुलाई १९३९ को सीरिया क राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी नीति क विरोध में पदत्याग कर दिया। इसके बाद सीरिया की ससद् भंग कर दी गयी और इसकी जगह अब फ्रांसीसी हाईकमिश्नर का निरकुश शासन शुरू हुआ। वास्तव में बात यह थी कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी गम्भीर हो गयी थी और हिटलर का सकट इतना निकट आ गया था कि फ्रांस सीरिया को छोड़ना नहीं चाहता था।* सीरिया को छाड़ने का अर्थ पूर्वी भूमध्यसागर में फ्रांसीसी अड्डे को तोड़ देना, और तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखकर फ्रांस के लिए ऐसा करना शायद सम्भव नहीं था। अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता का अपहरण करना साम्राज्यवाद का मुख्य सिद्धान्त है और अन्य साम्राज्यवादियों की अपेक्षा फ्रांस का इस सिद्धान्त में अधिक विश्वास रहा है। ऐसी स्थिति में सीरिया की स्वतन्त्रता को कल्पना ही व्यथ थी। द्वितीय विश्व-युद्ध काल में सीरिया फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के चंगुल में बुरी तरह फँसा रहा।


* S, N Fisher, op. cit, p 417

विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया (East Asia in World Politics)

पेरिस शांति सम्मेलन और पूर्वी एशिया—जब १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो १९२० को अँगन जापानी सन्धि की शर्तों के अनुसार जापान भी ब्रिटेन का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हो गया। २५ अगस्त, १९१४ को जापान की सरकार ने जर्मनी को यह 'सलाह' दी कि क्याच चाऊ से वह अपना सैनिक अड्डा हटा ले और शांदग प्रान्त में जर्मनों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वे जापान को हस्तान्तरित कर दिये जायें 'ताकि वह उन्हें चीन को सहायक को वापस लौटा देने की व्यवस्था कर सके।' यह था जापान का युद्ध अन्तिम-मंथम जिसका जवाब जर्मनी से सात दिनों के भीतर ही माँगा गया था। जब २२ अगस्त तक जर्मनी की सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो अगले दिन २३ अगस्त को जापान ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दो और क्याच चाऊ पर बाधितल जमा लिया। इसके बाद जनवरी, १९१५ में जापान ने चीन के सामने प्रसिद्ध 'इक्कीस माँगों' पेश कीं। विषय होकर चीन ने जापान के अधिकांश माँगों को स्वीकार कर लिया। वास्तव में पूर्वी एशिया का रास्ता जापान के लिए बिन्दु साफ था, क्योंकि यूरोपीय राज्य युद्ध में मक्के हुए थे और इस अवसर से लाभ उठाकर जापान ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खूब फैलाया।

१४ अगस्त, १९१७ को चीन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में चीन का प्रवेश जापान को एकदम पसन्द नहीं पड़ा, क्योंकि इससे युद्ध के बाद, चीन को भी प्रादेशिक तथा अन्य फायदे प्राप्त हो सकते थे। चीन को युद्ध से बड़ी बड़ी आशाएँ थीं। उसे विश्वास था कि विजय के 'चौरस घण्टों' के लागू होने से चीन को भी फायदा होगा तथा यूरोपीय राज्य अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर देंगे और समस्त स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो जायगा। पेरिस के शान्ति सम्मेलन में चीन ने अपनी अनेक माँगें पेश कीं। उनमें प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं—(१) शांदग प्रदेश उसे लौटा दिया जाय। (२) चीन के विदेशी विशेषाधिकार तथा अन्य अद्यतन सुनिपातों एवं शर्तों का ख़त का दिया जाय। पर, चीन के माँग में निराशा ही सिद्ध हुई थी। जहाँ तक

शांति का प्रश्न था ब्रिटेन, फ्रांस और इटली पहले से ही इस प्रदेश को जापान



१९२०-२१ में पूर्वी एशिया

का हस्तान्तरित करने को बचनबद्ध थे। केवल राष्ट्रपति विल्सन ने ही इस को

सोल का विरोध किया। लेकिन जब जापानी प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रसंघ की बहिष्कार करने की धमकी दी तो वे भी इस प्रश्न पर शान्त हो गये। शान्ति सम्मेलन में चीन को कुछ न मिला। शान्ति ग पर जापान का अधिकार कायम रहा। चीन की सरकार ने विरोध में शान्तिसंधियों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

वार्शिंगटन-सम्मेलन

सम्मेलन की पृष्ठभूमि—वर्साय-सन्धि के बाद पूर्वी एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के समय जापान का साम्राज्यवादी जीवन प्रारम्भ हुआ था उसका प्रथम चरण बड़ी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। जापान की साम्राज्यवादी भूख बहुत अशक्त शान्त हो चुकी थी। पर, वह साम्राज्यवाद के मीठे फल को एक बार चख चुका था। अब उसके लिए यह असम्भव था कि वह फिर इसको द्वारा चलने का प्रयास न करे। जापान का कहना था कि शान्ति सम्मेलन में उसके साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। वह अपने को, जर्मनी और इटली की तरह, 'अल्प' राज्यों की कोटि में रखता था। शान्ति-सम्मेलन में अमेरिका के दबाव के कारण जापान को अपनी अनेक मांगों का परित्याग करना पड़ा था। जापान के शासक यह अनुभव करने लगे थे कि समार में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धान्त ही प्रयत्न रहे। जब तक जापान अपनी सैन्य-शक्ति नहीं बढ़ा लेता तब तक पश्चिम के महान् राष्ट्र उनकी अवहेलना ही करते रहेंगे। जापान समझता था कि उसका सबसे बड़ा विरोधी संयुक्तराज्य अमेरिका है। अतएव अमेरिका से जोहा लेने के लिए वह आवश्यक तैयारी करने लगा।

पूर्वी एशिया में जापान की शक्ति—संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के सम्बन्ध निरन्तर खराब हो रहे थे, इसमें कई कारण थे। इस क्षेत्र में जापान की शक्ति दिनोंदिन बढ़ रही थी जिसके कारण अमेरिका का चिन्तित होना स्वाभाविक था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान पर नियन्त्रण रखनेवाली दो शक्तियाँ थीं—जर्मनी और रूस। लेकिन युद्ध के बाद इन दोनों शक्तियों का पतन हो गया। जर्मनी परास्त पड़ा था और रूस में क्रान्ति की धूम मची थी। इससे इस प्रदेश में जापान का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही जापान ने अपना प्रभाव बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। जब समार के सभी देशों का ध्यान युद्ध-प्रयत्नों में लगा हुआ था, उसी समय जापान ने स्थिति से लाभ उठाकर चीन के समक्ष अपनी प्रसिद्ध "इक्कीव मांगें" (Twenty-one Demands) रखी थीं। इसका उद्देश्य चीन में जापान की स्थिति को सुदृढ़ बनाना था। ये मांगें पाँच भागों में विभक्त थीं और यदि चीन इनका इतना

मान लेता तो उसकी स्थिति जापान के संरक्षित राज्य जैसी हो जाती। तौमी चीन को कई माँगों का विवश हाकर स्वीकार करना पड़ा।

इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी एशिया में खुना दरवाजा की नीति का अनुसरण कर रहा था त्पार "इक्कीस माँगों" से इसका स्पष्ट खांडन हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने इन माँगों का विरोध किया। "संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार", अमरीकी विदेश मन्त्री विअन ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा, "ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहा कर सकता जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के सन्धिपत्रों द्वारा प्राप्त अधिकारों का, चीन की राजनीतिक अथवा प्रादेशिक अखंडता का "खुला दरवाजा" की नीति का हनन हाता हा।" कुछ दिनों तक जापान अमेरिका की चेतावनी का टालता रहा, लेकिन २ नवम्बर १९१७ को उसने एक समझौता कर लेना ही ठीक समझा। इस समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान की सरकारों ने यह स्वीकार किया कि "प्रादेशिक समोपता देशों में विशेष सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है। अतएव संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यह स्वीकार करती है कि चीन में जापान के विशेष स्वार्थ हैं।" इस प्रकार अमेरिका ने चीन में जापान के विशेष स्वार्थ को मान लिया। जापान के लिए यह बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ।

फिर भी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मनमुटाव का अन्त नहीं हुआ। जापान चीन तथा प्रशान्त महासागर में जर्मनी के इलाकों तथा उपनिवेशों पर अधिकार करना चाहता था। अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था।

याप द्वीप का झगडा—जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का मतभेद पेरिस शान्ति-सम्मेलन में उग्र रूप से प्रकट हुआ। मतभेद का एक कारण प्रशान्त महासागर में स्थित याप टापू था। यह टापू पश्चिमी कौरालाहन द्वीप में था। युद्ध के समय जापान ने इसे जर्मनी से छीन लिया था। इस छोटे-से टापू का एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व था। गुआम से मनीला जानेवाली तथा हिन्देशिया से शंघाई जानेवाली समुद्री तारों का यह केन्द्र था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इस टापू पर जापान का अधिकार कायम रहे। अतएव पेरिस शान्ति-सम्मेलन में राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव रखा कि याप द्वीप का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। लेकिन विलसन का प्रस्ताव मान्य नहा हुआ और यह द्वीप जापान की संरक्षता में रख दिया गया। अमेरिका के लिए इस स्थिति को कबूल करना बड़ा कठिन सिद्ध हुआ। अतएव दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा।

आगल जापानी संधि—जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में तनाव का एक और कारण आगल-जापानी संधि थी। १९०२ में यह सन्धि पूर्वी एशिया में रूस और जर्मनी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की गयी थी। इसमें इगलैंड

ने जापान को आश्वासन दिया था कि यदि वह किसी देश से युद्ध में फँस जाय तो इंग्लैंड उसकी सहायता करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को यह सन्धि एकदम पसन्द नहीं आ रही थी। उसको भय था कि यदि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया तो उसमें इंग्लैंड सयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जापान की सहायता करेगा। १९२० में इस सन्धि का नवीनीकरण हुआ। अमेरिका ने आपत्ति की। इस पर अमरीकी सरकार को ब्रिटेन ने यह आश्वासन दिया कि सयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के बीच लड़ाई होने पर सन्धि को लागू नहीं किया जायगा। लेकिन अमरीकी सरकार को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका को यह विश्वास था कि अब यह सन्धि उसके खिलाफ की जा रही है, क्योंकि युद्ध के बाद जर्मनी और रूस दोनों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड पर भी तरह तरह के दबाव डाले जा रहे थे कि वह इस सन्धि को रद्द कर दें। इस हालत में पूर्वी एशिया के लिए एक नयी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

नौसैनिक होड—प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व कायम करने के मार्ग में जापान सयुक्त राज्य अमेरिका को अपना प्रबल विरोधी समझता था। अतएव यह अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी नाविक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। इसके लिए जापान में सगठित प्रयास होने लगा। जापान के इस प्रयास को देखकर अमेरिका के शासक घबड़ा गये। अतएव इस नौसैनिक प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त करने तथा पूर्वी एशिया की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए वाशिंगटन में ११ अगस्त १९२१ को एक सम्मेलन बुलाया गया। अमरीकी राष्ट्रपति हार्डिंज ने इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, बर्लिन, हॉलैंड और पुर्तगाल को निमन्त्रित किया।

वाशिंगटन सम्मेलन—सप्तर की प्रमुख ९ शक्तियों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में १२ नवम्बर १९२१ से ६ फरवरी १९२२ तक हुआ। इस सम्मेलन में जो समझौते हुए उनको हम सात भागों में बाँट सकते हैं—

१. नौसैनिक सन्धि—यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुई थी। इसकी पंचशक्ति नौसैनिक सन्धि बाते (The Five Power Naval Treaty)। इसका उद्देश्य नाविक शक्ति का अन्त करना था और इसका विस्तृत अध्ययन हम पढ़ने ही के लिये चुके हैं।

२. पहली घुबुराघुट सन्धि—१३ दिसम्बर १९२१ को जापान, अमरीकी ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच एक सन्धि हुई। इसने द्वारा तय किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता प्रशान्त महासागर में स्थित एक-दूसरे के अधिकृत प्रदेशों में

अधिकारों का परस्पर सम्मान करेंगे और यदि इन अधिकारों के सम्बन्ध में उनमें कोई मतभेद हो गया या अन्य किसी राज्य को आक्रमणात्मक कार्रवाई के कारण उन्हें किसी प्रकार का खतरा हुआ तो वे आपस में परामर्श करेंगे। सन्धि करनेवाले देशों की यह अधिकार होगा कि किसी महाशक्ति की आक्रामक कार्रवाई द्वारा उनके अधिकारों को हानि पहुँचाने की सम्भावना है तो वे एक दूसरे से इस विषय में पूरा पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इस सन्धि का महत्त्व इस बात में था कि इसका फलस्वरूप १९०२ की आंग्ल-जापानी सन्धि का अन्त हो गया। कहना न हागा कि यह सन्धि ब्रिटिश डोमोनियन और अमेरिका में काफी बदनाम हो चुकी थी। कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देश ब्रिटिश-सरकार पर बराबर इस सन्धि को अन्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। पर बिना कोई अन्य व्यवस्था किये ब्रिटिश सरकार इस सन्धि का अन्त करना नहीं चाहती थी। वाशिंगटन सम्मेलन से उत्पन्न इस सन्धि के द्वारा यह व्यवस्था उपलब्ध हो गयी और अन्ततोगत्वा आंग्ल जापानी सन्धि को 'शानदार तरीके से दफना' दिया गया। इस सन्धि का फलस्वरूप युद्धोत्तर काल में अमेरिका पहली बार सामान्य हित के मामलों पर अन्य बड़े राष्ट्रों से कुछ बातों में परामर्श करने तथा अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो गया।

(३) प्रथम नवराष्ट्र सन्धि—तीसरी सन्धि नवराष्ट्र सन्धि (Nine Power Treaty) कहलाती है और इसका सम्बन्ध चीन से था। सन्धि के अनुसार सम्मेलन में शामिल हुए सभी राष्ट्रों ने वादा किया कि वे चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करेंगे। इसका अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह वचन भी दिया कि वे चीन की वर्तमान स्थिति से लाभ उठाकर उससे ऐसा कोई भी विशिष्ट अधिकार या सुविधाएँ प्राप्त नहीं करेंगे, जिनसे अन्य राज्यों के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी हो। यह सन्धि चीन के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं, अपितु जापान के प्रसार का रोकने के लिए की गयी थी। चीन में 'खुले दरवाजे' की नीति को कायम रखा गया और पश्चिमी राज्यों के बहुत से विशेषाधिकार कायम रहे।

अमेरिका में इस सन्धि को बहुत महत्त्व दिया गया। वे इसे 'खुले दरवाजे' की नीति की विजय तथा 'चीन का भोगनाकाटी' मानते थे, किन्तु इस सन्धि में कई कमियाँ थीं। इसका क्रियान्वित करना मुख्य रूप से महाशक्तियों की सद्भावना पर छोड़ दिया गया था, इसके पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वम (Bass) ने इस त्रिपय में सत्य ही लिखा है कि 'यह सामूहिक सुरक्षा का समझौता नहीं था, किन्तु महाशक्तियों द्वारा स्वयमेव कुछ अधिकार छोड़ने की घोषणा मात्र थी। ग्रिंसवोल्ड के शब्दों में यह सन्धि सुदूरपूर्व के विरोधी स्वार्थों में बहा तक

शांति स्थापित रख सकती थी, उहाँ तक स्याही और क्लम द्वारा शान्ति बनाये रखना सम्भव था।

(४) दूसरी नवराष्ट्र-संधि—व शिगटन सम्मेलन में सम्मिलित नौ राष्ट्रों के बीच एक और सन्धि हुई जिसके द्वारा चीन को रूपने देश में आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाने के पहले से अधिक अधिकार दिये गये।

(५) पटशक्ति संधि—ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली तथा चीन के बीच एक संधि हुई। इस द्वारा जर्मनी के समुद्री तारों का आपस में बाँटने का निश्चय किया गया।

(६) दूसरी चतुराष्ट्र संधि—इस सन्धि के द्वारा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित टापुओं में विभिन्न शक्तियों के अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा का निश्चय किया।

(७) अमेरिका और जापान का समझौता—याप द्वीप के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच एक संधि हुई। पेरिस शान्ति सम्मेलन द्वारा इस टापू पर जापान का संरक्षण स्वीकार किया गया था, लेकिन अमेरिका इस स्थिति को ब्यूल करने के लिए तैयार नहीं था। अतएव वाशिगटन-सम्मेलन में इन दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसके द्वारा इस द्वीप समूह में अमेरिका को जापान के तुल्य समानाधिकार और स्वतन्त्र प्रवेश का अधिकार मिल गया।

चीन जापान समझौता—इन सन्धियों के अतिरिक्त वाशिगटन सम्मेलन के बाहर, चीन और जापान व बीच एक दूसरी विशेष संधि हुई जिसके द्वारा जापान ने शांग्ग प्रदेश चीन को लौटा देने का वचन दिया। १९२२ व दिसम्बर में दक्षिण प्रदेश चीन को वापस मिल गया। लेकिन जापान को चीन के कुछ रेल लाइनें (Tsiang-Tsingtas Railway) पर पाँच वर्ष तक नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया।

वाशिगटन-सम्मेलन के परिणाम

मर्त्य—पूर्वी एशिया के इतिहास में वाशिगटन सम्मेलन का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्त्व इस बात में है कि इसने इस क्षेत्र की विविध समस्याओं को हल करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया। इस सम्मन्ध में यह कहा जाता है कि पेरिस का शान्ति-सम्मेलन जिस समस्या को नहीं सुलझा सका उसको वाशिगटन सम्मेलन ने सफलतापूर्वक सम्भल किया। इस सम्मेलन की दूरबीन व्यवस्था स्थापित करने में अत्यन्त सफलता मिली, लेकिन पूर्वी एशिया की समस्या की ओर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया था। वाशिगटन सम्मेलन के मुख्य फल

पूर्वी एशिया की समस्या का समाधान करना था। इसके दो प्रधान उद्देश्य थे—
 (१) इंग्लैंड, जापान और अमेरिका के नौ सैनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा
 (२) जापान की शक्ति पर अकुश लगाना ताकि चीन की अखण्डता का अन्त हो
 तथा सभी देशों को चीन में व्यापार करने का समान अधिकार रहे। वाशिंगटन-
 सम्मेलन में जो सन्धियाँ हुईं उनसे ये दोनों उद्देश्य पूरे हो गये। नौसैनिक सन्धि
 ने पहले उद्देश्य को तथा चतुर्दश सन्धि ने दूसरे उद्देश्य का पूरा किया। इ० एच०
 कार्ट ने इस सम्मेलन के प्रभाव का विवेचन करते हुए लिखा है कि इससे पश्चान्त
 महासागर में चीन की प्रादेशिक अखण्डता की तथा भारत अफ्रीकी नौसैनिक प्रभुता
 को चुनौती देने वाला जापान का स्रकट दूर हो गया। जापान को बाध्य किया गया
 कि वह चीन को सुख भूमि युद्ध के समय प्राप्त किये हुए लाखों ल मी का परित्याग
 कर दे तथा महाशक्तियों ने संयुक्त रूप से चीन की प्रादेशिक अखण्डता तथा राज-
 नैतिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाये रखने का समझौता किया। इससे चीन को
 अपनी स्थिति सम्हालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन के समझौतों ने अष्ट-
 शष्ट पर होनेवाले विशाल व्यय में भारी बचत को। इसने आरन-जापानो सन्धि को
 समाप्त कर इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी और तनाव को कम किया। इससे
 अगले दस वर्षों के लिए पूर्वी एशिया में शांति बनी रही।

वाशिंगटन सम्मेलन के दोष—इन अच्छे परिणामों के अतिरिक्त वाशिंगटन
 की सन्धियों में कुछ दोष भी थे। इसको सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि इसमें
 शम्शा शस्त्रों का नियन्त्रण बहुत सीमित रूप से किया गया था। बड़े युद्धपोतों
 पर पाबन्दी तो लगा दी गयी। लेकिन छोटे-छोटे जहाजों पर कोई नियन्त्रण नहीं
 लगा।

इन सन्धियों के द्वारा चीन में सभी राज्यों को समान अवसर प्राप्त हुआ।
 लेकिन इस बात में एक त्रुटि थी। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का कोई
 षपाय नहीं निकाला गया। पिछले सौ वर्षों में चीन के साथ इन राज्यों की कई
 सन्धियाँ हुईं थीं जिनके अनुसार उन्हें कई विशेषाधिकार मिले थे। इन विशेषा-
 धिकारों को रद्द नहीं किया गया। चीन की प्रादेशिक अखण्डता और राज-
 नीतिक स्वतन्त्रता पर तो बहुत भार अवश्य दिया गया, लेकिन, इसका वास्तविक
 उद्देश्य जापान के प्रभाव के प्रसार को रोकना था। यदि ऐसा नहीं होता तो ये
 राज्य चीन में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों का परित्याग अवश्य कर देते। लेकिन
 ऐसा नहीं हुआ। अतएव चीन और जापान दोनों वाशिंगटन में स्थापित व्यवस्था
 से असन्तुष्ट थे।

इन समझौतों से जापान विशेष दर से रुष्ट था। इस समय जापान नौसैनिक
 प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता था। इसीलिए उसने नौ सेना पर लगाये गये प्रतिबन्ध

को स्वीकार कर लिया। लेकिन जापान में ऐसे जगहों की कमी नहीं थी जो इस सन्धि को अत्यन्त अपमानजनक तथा अन्यायपूर्ण मानते थे। फिलहाल जापान ने विवश होकर इन बातों को मान लिया, लेकिन उसने दिल से कमी भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जापान के इस प्रबल रोष का मीषण विस्फोट बाद में मचूरिया और पर्ल हार्बर में हुआ।

चीन की राजनीति—वाशिंगटन के सम्मेलन के शुरुत बाद चीन में मयानक गृह-युद्ध भड़क उठा। १९११ में सनयात सेन के नेतृत्व में जो चीन की क्रांति ई थी उससे चीन का राष्ट्रीय हित नहीं हो सका था और सारा चीन आपसी कल का शिकार बन गया था। मचूरिया वस्तुतः स्वतन्त्र हो गया था और चीन में सनयात के नेतृत्व में मध्य चीन एक दूसरा ही राज्य बन चुका था। शेण चीन में सनयात सेन की कोमिन्तांग-पार्टी की प्रधानता थी, जिसका केन्द्र कैंटन था। कोमिन्तांग-पार्टी ने सारे चीन को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया। पर, उसको बनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहली बात कि स्वयं चीनियों में राष्ट्रीय भाव का अभाव था। सैकड़ों वर्ष की परम्परा ने चीनी जनता को चीन को एक राष्ट्र के रूप में सोचने के बजाय कुटुम्ब और बस्ती के रूप में ही सोचना सिखाया। इसके अतिरिक्त विदेशी हस्तक्षेप का भी प्रश्न था। आर्थिक दृष्टि से चीन वस्तुतः विदेशी राज्यों का उपनिवेश था। इन विदेशी राज्यों का हित इसी बात में था कि चीन सदा के लिए असंगठित और आपसी कलह का शिकार बना रहे। चीनी राष्ट्रीय आन्दोलन और एकता को बढ़ाने के लिए डा० सेन ने विदेशी सहायता पाने की आवश्यकता महसूस की। अमेरिका और ब्रिटेन से उन्हें बड़ी आशाएँ थीं, मगर दोनों ने या और भी किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र ने उन्हें सहायता नहीं दी। चीन के शोषण में सबका स्वार्थ था। १९३३ में डा० सेन सौवियत सघ की तरफ मुड़े। सौवियत-सघ से सहायता मिलने की सन्धे विशेष आशा थी। क्रांति के बाद सौवियत सघ ने अपने को साम्राज्यवाद-विरोधी घोषित किया था और सहायता देने के लिए भी उद्यत था। अतः १९२३ में दोनों देशों के बीच समझौता रखा दिया। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध वोरोडिन था। १९२३ में वह कैंटन आया और रूसी कम्युनिस्ट-पार्टी के दंग पर कोमिन्तांग पार्टी को ऐसे शक्तिशाली राष्ट्रों के आधार पर संगठित करना शुरू किया, जिससे वह सर्वसाधारण की पार्टी हो सके। कोमिन्तांग को एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया, जिससे कम्युनिस्ट, देश-सकै जिससे चीन को साम्राज्यवादी और सामन्ती आधिपत्य से मुक्ति मिले और उसका राजनीतिक एकीकरण हो जाय।

चीन के सम्मुख केवल राष्ट्रीय एकता का ही प्रश्न नहीं था, उसे विदेशी गुलामी से मुक्त होना था। उन्नीसवीं सदी से ही चीन में साम्राज्यवादियों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त था और सारा देश ‘प्रभाव क्षेत्र’ में बाँट लिया गया था। चीन की शिक्षित और तरुण पीढ़ी इन विशेष सुविधाओं का उग्र विरोध करती थी। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जर्मनी और रूस चीन में विशेष सुविधाओं से वंचित हो गये, तो अन्य ‘असमान संधियों’ को रद्द कराने का आन्दोलन और भी व्यापक रूप धारण करने लगा। मार्च, १९२५ में सनयात सेन की मृत्यु हो गयी। पर, यह आंदोलन तीव्र गति से बढ़ता ही गया। साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों को रोकने के लिए मजदूरों और छात्रों के जबरदस्त प्रदर्शन हुए। जब कैटन के मजदूरों पर विदेशी बस्ती में गोली चलायी गयी तो हांगकांग के मजदूरों ने ऐसा हड़ताल की, जो मजदूर-हड़ताल के इतिहास में अभूतपूर्व थी। परन्तु यह बात यहीं तक सीमित नहीं रही। चीन के मामले में हस्तक्षेप करने की दिशा में ब्रिटेन सबसे आगे रहता था। १९२५ में शंघाई के मिलों में एक हड़ताल हुई और इसमें एक हड़ताली मजदूर मार डाला गया। इसके विरुद्ध चीनी विद्यार्थियों ने एक विशाल साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिल्कुल शान्तिपूर्ण था। पर ब्रिटिश-पुलिस अफसर इस पर गोली बरसाने से बाज नहीं आये जिसके फलस्वरूप बहुत-से छात्र मारे गये। ब्रिटिश पुलिस की इतना कठोर कार्रवाई के लिए सम्भवत कोई औचित्य नहीं था। इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा रुख अपनाया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी उत्तेजना और भी बढ़ गयी। जून, १९२५ में कैटन की ब्रिटिश बस्ती में छात्रों की भीड़ पर मशीनगन चलायी गयी और अँगरेज हत्यारों ने ५२ व्यक्तियों को मार डाला। सारे चीन में क्रोध की लहर भड़क उठी। ब्रिटिश-विरोधी भावना इतनी तीव्र थी कि चीनियों ने ब्रिटिश-माल के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया, जिसके फलस्वरूप कई महिनों तक हांगकांग का व्यापार बंद हो गया और अँगरेज पूँजीपतियों को अपार नुकसान उठाना पड़ा।

इतने बड़े पमाने पर जन-आगृति को देखकर साम्राज्यवादी घबड़ा गये और उन्होंने राष्ट्रवादी चीन के साथ किसी प्रकार का समझौता कर लेना ही ध्येयस्कर समझा। चीन की राष्ट्रीय सरकार ने घोषणा की कि असमान संधियों की अवधि पूरी हो जाने के बाद चीन उसका अन्त कर देगा। इस स्थिति से बचने के लिए १९२८ में अमेरिका ने चीन के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार उसने वचन दिया कि १ जनवरी, १९२९ से चीन को अपनी चुगी निर्धारित करने का पूरा अधिकार रहेगा। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस आदि ग्यारह देशों ने भी अमेरिका का अनुसरण करते हुए चुगी-निर्धारण के अधिकार का परित्याग कर दिया। पर चीन में अभी विदेशियों के लिए विशेष सुविधा बनी हुई थी। सितम्बर, १९२८ में चीन

के विदेश मन्त्री ने विदेशी सरकारों को यह सूचित किया कि वे चीन में प्राप्त अपनी विशेष सुविधाओं का अन्त करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठावें। इटली, डेनमार्क पुतगाल और बेल्जियम ने तो इन सुविधाओं का परित्याग कर दिया, लेकिन तथाकथित बड़े राष्ट्र अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसका एक प्रमुख कारण स्वयं चीन का घरेलू कलह था। डा० सनयात सेन की मृत्यु के बाद कोमिन्तांग पार्टी का नेता च्यांग काई शेक हुआ। उसमें राष्ट्रीयता की भावना तो थी, पर वह पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली था और वरत ही राष्ट्रीय (counter revolution) का नेता हो गया। कोमिन्तांग पार्टी वामपथी और दक्षिणपथी दो दलों में बँट गयी। वामपथी दल, जिसमें साम्यवादियों की प्रधानता थी, रूसी मित्रता का समर्थक था और चाहता था कि बोरोडिन के सहयोग से पार्टी की क्रांतिकारी परम्पराएँ जारी रखी जायें। दक्षिणपथी च्यांग काई-शेक था और इस दल पर ब्रिटेन का प्रभाव था। यह दल साम्राज्यवादियों से समझौता करके चीन के उद्धार का प्रस्ताव देता था। च्यांग को न तो साम्यवाद से कोई सहानुभूति थी और न उसे रूसी सलाहकारों का चीन में रहना ही पसन्द था। साम्राज्यवादियों का समर्थन पाकर च्यांग का प्रभाव बढ़ने लगा और आमानी से उसने चीन को राजसत्ता को हथप लिया। बोरोडिन और अन्य रूसी सलाहकार मान्की वापस भेज दिये गये और चीनी कम्युनिस्टों को जेल में डूँस दिया गया। इसके बाद चीनी सामन्तवाद और विदेशी साम्राज्यवाद में गठबन्धन हो गया और कोमिन्तांग सरकार को अनुमति से ही अब चीन का शोषण होने लगा। चीन के उद्योगों को प्रोत्साहन न देकर च्यांग विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने लगा, जिसके फलस्वरूप देश के आर्थिक जीवन पर विदेशी साम्राज्यवाद ने अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया। चीनी मजदूर और किसान की अवस्था दयनीय हो गयी और मजदूरों के लोगों का जवन स्तर दिनोदिन गिरता गया। सम्पूर्ण चीन विदेशी शोषण का क्षेत्र बन गया।

ऐसी स्थिति में जापत चीन में च्यांग के विरुद्ध विद्रोह होना अवश्यमावी था। विदेशियों के समूख साम उवादी च्यांग ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके विरुद्ध चीन में जन-आन्दोलन जड़ पकड़ने लगा। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में च्यांग काई शेक शासन के विरुद्ध एक जवरदस्त जन आन्दोलन शुरू हुआ, जो बीछे चलकर एक गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। १९२७ से १९३६ तक चीन में यह गृह-युद्ध चलता रहा।

जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव और मञ्चूरिया काण्ड

वर्तमान शताब्दी की तीसरी दशक के पूर्वार्ध में जापानी साम्राज्यवाद शिथिल पड़ गया था। इसके अनेक कारण थे। १९२१ के आर्थिकदल-

समझते थे जापान के मनसूरों पर एक प्रकार से नियन्त्रण लगा दिया था। सत्तरक अन्य प्रमुख राष्ट्रों के साथ जापान ने भी वचन दिया था कि वह चीन की स्वतन्त्रता और अखण्डता पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। युद्धोत्तर-काल में राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी थी और जापान इसका सदस्य था। इस स्थिति में दूसरे देश पर आक्रमण करना अब खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त स्वयं जापान की सरकार में इस समय उदारवादियों की प्रधानता थी, उद्योगवादियों की नहीं। पर जापानी साम्राज्यवाद की यह शिथिलता क्षणिक थी। वस्तुतः जापानी साम्राज्यवाद के जीवन में यह 'ठहरो और स्थिति का अध्ययन करो' का काल था। बीसवीं शताब्दी की तृतीय दशक के अन्तिम वर्षों में जापान का यह 'अध्ययन' समाप्त हो गया और इसन बाद जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव एक नये जोश के साथ हुआ।

इस पुनरोद्भव का सबसे जबरदस्त कारण १९३० का विश्वव्यापी आर्थिक संकट था। जापान की आबादी में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। यह लगभग ९ लाख प्रतिवर्ष की प्रोपण गति से बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए जापान को जगह चाहिए थी। विदेशों में प्रवास इस समस्या का एक समाधान हो सकता था। किन्तु अमेरिका और आस्ट्रेलिया महादेशों के प्रवास नियमों के द्वारा जापानी आप्रवास को एकदम बन्द कर दिया था। कोई भी जापानी इन महादेशों के किसी भी देश में जाकर नहीं बस सकता था। व्यावहारिक दृष्टिकोण से जापानी लोग चीन में भी जाकर नहीं बस सकते थे, क्योंकि जापानियों की अपेक्षा चीनी मजदूरों का जीवन स्तर निम्न था, वे कम मजदूरी पर काम कर सकते थे और इस प्रतिस्पर्धा में जापानी लोग टिक नहा सकते थे। जापानी नेता कहते थे कि यदि मच्चूरिया पर कब्जा हो जाय तो यह समस्या बहुत अर्थों में हल हो जा सकती है। अधिक दृष्टिकोण से भी जापान दिन-प्रतिदिन विदेशी आयात निर्यात पर आश्रित होता जा रहा था। उसे प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कच्चे माल का आयात करना पड़ता था। इसलिए विदेशी बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जापान के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। जापानी माल का निर्यात सामान्यतया दो मुख्य दिशाओं में होता था। एक के कच्चे रेशम का बाजार अमेरिका और सूती कपड़े का बाजार चीन था। रेशम बिलासों की वस्तु है और अमेरिका में जब आर्थिक प्रलय शुरू हुआ तो किसी व्यक्ति के पास बिलासों की वस्तु खरीदने की क्षमता नहीं रह गयी। जापान के व्यापार पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर चीन में बराबर जापान विरोधी भावना बनी रहती थी, जिसके कारण वहाँ बार-बार जापानी मालों का बहिष्कार आन्दोलन होता रहता था। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट के कारण दुनिया का प्रत्येक राज्य आर्थिक क्षेत्र में संरक्षण-

नीति का अनुसरण कर रहा था। इससे जापानी माल बिकने में दिक्कत हो रही थी जापान अनुभव करता था कि उसका व्यापिक क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अपने मालों को खपाने के लिए जापान एक 'विस्तृत आर्थिक क्षेत्र' (larger economic area) की आवश्यकता महसूस करता था, जहाँ उसे आयात करो और सरसजनीति का डर न हो।

मंचूरिया का महत्त्व—इन परिस्थितियों में जापान के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह मंचूरिया के विस्तृत उपजाऊ प्रदेश पर अपना निपन्त्रण कायम करे। वास्तव में इस क्षेत्र पर १८९४ से ही जापान की आँखें गड़ी हुई थीं और उस समय से लेकर प्रथम विश्व-युद्ध तक जापान मंचूरिया में अपना पैर पूरी तरह जमा चुका था। मंचूरिया की रेलवे लाइनें जापान के ठेके में थीं और जापानियों ने 'एक्कीस मागो' क द्वारा मंचूरिया स्थित पट्टेवाले क्षेत्र और रेलवे पर जापान के कब्जे की अर्वाच बढ़ाकर ९९ वष तक कर दी गयी थी और जापानी लोगों को वहाँ जाकर बसने तथा कारोबार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। चीन ने कमी भी इन शर्तों को दिल से नहीं माना और इनके विरुद्ध बराबर आपत्ति करता रहा। वाशिंगटन सम्मेलन में भी यह प्रश्न उठाया गया। किन्तु, जापानियों ने मंचूरिया में प्राप्त अधिकारों का परित्याग करने से साफ साफ इन्कार कर दिया। मंचूरिया में जापानी लोगों को बसाकर आबादी की समस्या का हल किया जा सकता था। मंचूरिया का बाजार जापान के लिए सुरक्षित हो सकता था और यहाँ पर आयात कर का सम्मेलन भी नहीं उठ सकता था। इसके अतिरिक्त मंचूरिया में परमाण्वक कच्चे माल, लोहा, कोयला, तेल आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो जापानी उद्योगों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण थे। साम्यवादी रुख के चरक्य से इसका सामरिक महत्त्व भी अधिक बढ़ गया था। इन कारणों के अतिरिक्त कम्युनिस्ट प्रचार और कौमिन्तांग का विरोध इस प्रकार की परिस्थिति का सृजन कर रहे थे, जिससे जापान मंचूरिया को अलग स्वतन्त्र राज्य के रूप में ही चाहता था।

इसके विपरीत राष्ट्रवादी चीन मंचूरिया को चीन में मिलाकर चीन को राष्ट्र नीतिक एकता के एक अध्याय को समाप्त करना चाहता था। मई, १९१७ में राष्ट्रवादी सेना उत्तर की ओर बढ़ी और कुछ ही दिनों में वह पीली नदी तक पहुँच गयी। अब जापान सरकार की आँखें खुलीं। मंचूरिया को राष्ट्रवादी चीन से खाने के लिए उसने कुछ सैनिक डुकड़ियाँ शान्दंग के इलाके में उतार दीं और कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों पर कब्जा कर लिया, ताकि राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सैनिक कार्रवाई कर लेने के बाद जापान ने मंचूरिया को चीन से

शामिल करने के विरुद्ध कूटनीतिक विरोध प्रकट किया। जब मचूरिया के तत्कालीन शासक चॉंगत्सोलीन ने अप्रिल, १९२८ में राष्ट्ववादी सरकार से समझौता कर लेने का विचार प्रकट किया तब एक रहस्यपूर्ण बम के फूटने से उसकी मृत्यु हो गयी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बम दुर्घटना जापानी पडयन्त्र का ही परिणाम था। चॉंगत्सोलीन का पुत्र चोंग सुएह लियांग पहले से ही राष्ट्रीय सरकार के साथ एकीकरण चाहता था। जब वह मचूरिया की गद्दी पर बैठा तो १८ जुलाई, १९२८ को जापानियों ने उसे चेतावनी दी कि मचूरिया को चीन में मिला लेने से हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। पर जापानी चेतावनी का कोई नतीजा नहीं निकला और दिसम्बर, १९२८ के अन्त में मचूरिया विधिवत् चीन का एक अभिन्न अंग बन गया।

मचूरिया-विजय की तयारी— मचूरिया में राजनीतिक परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप जापान के सैनिक और असेैनिक अधिकारियों में प्रतिद्वन्द्विता शुरू हो गयी। मचूरिया पर कोमिन्तांग का झण्डा फहराया गया और जापान के शासकगण चुपचाप देखते रह गये। इसको रोकने के लिए कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की गयी। असेैनिक राजनीतिक नेता भी मचूरिया की परिवर्तित स्थिति का विरोध करते थे, किन्तु उनका तरीका उपवादी नहीं था। इसके विपरीत स्थल और जल सेना के उच्चाधिकारीगण मचूरिया पर आक्रमण करके उसे चीन से छुड़ा लेना चाहते थे। सैनिक अफसरों में फासिज्म की भावना प्रबल थी और जैसा प्राय होता है, उन्हें जापान के उद्योगपतियों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त था। सैनिक अफसर जापान की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। यह क्रम १९०९ में शुरू हुआ और इसके बाद से सैनिक अफसरों ने असेैनिक अधिकारियों पर अपनी इच्छाएँ थोपनी शुरू कीं। वे अपनी इच्छानुसार मन्त्रिमण्डल बनाने और हटाने लगे। जो जो राजनेता उनका विरोध करते उनकी सीधे हत्या कर दी जाती थी।* सैनिकों का कहना था कि चीन के विरुद्ध जबरदस्ती का उपाय अपनाया जाना चाहिए और उग्र विदेश नीति का अवलम्बन करना चाहिए।† आर्थिक संकट के कारण निराश और चीनी राष्ट्रपकारों की पुनरावृत्ति से सैनिकवादियों को जापानी जनता का समर्थन प्राप्त करने में देर नहीं लगी। सैनिकवाद का सितारा तभी तक बुलन्द रहता है जब तक दूसरे देशों के साथ युद्ध चलता रहे। इसलिए अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रखने के लिए जापानी सैनिक अफसर एक युद्ध शुरू करने की

* उदाहरण के लिए, १४ नवम्बर, १९३० को प्रधान मन्त्री हेमागुशी, उसके बाद प्रधान मन्त्री इनकार, २६ फरवरी, १९३६ को वित्तमन्त्री ताकाहाशी राजमोहर (का रक्त सेवो तथा अनरल वाटनोब की हत्या कर दी गयी।

तैयारी करने लगे। चीन युद्ध के लिए एक अच्छा क्षेत्र था और मंचूरिया एक सर्वोत्तम बहाना भी। अगर जापान मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है तो जापान की राजनीति में सैनिक अधिकारों की स्थिति सुरक्षित रहेगी। पश्चिम क राष्ट्रों की तरफ से मंचूरिया-विजय का विरोध हो सकता था। पर, सैनिक अफसरों ने अनुभव किया कि उनको यह कहकर आसानी से शान्त कर दिया जा सकता है कि जापान का अन्तिम उद्देश्य चीन नहीं, बल्कि सोवियत संघ है और चीन के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उसका असल उद्देश्य 'एशिया को साम्यवाद से बचाना' है। यह बात सुनकर पश्चिम के 'उदार' देश केवल प्रसन्न ही नहीं होंगे, अपितु जापान के पवित्र काय, में सहायता भी देंगे। जापानी सैनिकवादियों का यह तर्क पीछे चलकर सत्य भी सिद्ध हुआ।

जब मंचूरिया पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया गया तो उसके लिए तैयारी होने लगी। १७ अगस्त, १९२१ को जापान में सैनिक विमानों से पर गिराये गये, जिसमें कहा गया था कि सारा राष्ट्र मंचूरिया में जापानी सुविधाओं पर अतिक्रमण से उत्पन्न खतरों से सचेत रहे। चीन के अधिकारी इन तैयारियों के उद्देश्य को अच्छी तरह समझ रहे थे। वे लोग भी सतर्क हो गये और मुकडेन स्थित चीनी सेना का सघर्ष से बचाने के लिए सतर्कता और धीरज रखने का आदेश दिया गया। पर, १९३१ की नाटकीय घटनाओं के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। सितम्बर तक सैनिकवादियों ने पूर्णतया शासन पर कब्जा कायम कर लिया था। उधर सारा सत्तार आर्थिक प्रलय में डूबा हुआ था। सब अपने ही घर को सम्हालने में व्यस्त थे। जापान साम्राज्यवादियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने के लिए इससे बढ़कर अच्छा मौका मिल सकता था।

मंचूरिया-काण्ड

१८ सितम्बर, १९३१ को रात के मुकडेन नामक स्थान में एक रहस्यमयी घटना घट गयी। मुकडेन में पन्द्रह हजार जापानी सैनिक रहते थे। एक तियि को एक जोर का विस्फोट हुआ और उसके बाद कुछ गोलियाँ चलीं। इस घटना के कुछ दिन पूर्व से ही जापानी सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे जिसके क्रम में रायफल और मशीनगन की बहुत-सी गोलियाँ चनायी गयी थीं। अतः एक रात्रि की घटना ने लोगों का ध्यान खास तौर से आकृष्ट नहीं किया। पर सघेरे जब मुकडेन के निवासी जगते ता उ होने अपने को जापानी सैनिकों के कब्जे में पाया। जापानी सैनिक अधिकारियों द्वारा इस कार्रवाई का कारण यह बतलाया गया कि चीनी सेना की एक टुकड़ी उस रात गुप्त रेनथ लाइन का का प्रपत्न कर रही थी। इस पर धरत ही जापानी रणर तुनाये ग के मय


छोटी-सी सुठभेड़ हो गयी। इसके बाद १०,००० चीनी सैनिकों को, जो अपने बैगों में सो रहे थे ठितर-बितर करके निश्चय कर दिया गया और समूचे क्षेत्र में जापानी सेना तेनात कर दी गयी। इतनी बड़ी घटना बिना किसी खास हो-हल्ला किये ही समाप्त हो गयी। मुकडेन शांतिपूर्वक जापानियों के बच्चे में चला गया।

इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि मुकडेन की सारी घटना एक योजना बद्ध घटना थी, जिसकी तैयारी जापानी सैनिकवादियों ने सोच-समझकर की थी। चार दिनों के भीतर की मुकडेन के उत्तर में ९० मील के घेरे में स्थित सभी चीनी नगरों पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। बिन्दु जापान की साम्राज्यवादी भूख इतने से ही शान्त नहीं हुई। 'चीनी लुटेरों से जापानी जान माल की रक्षा' करने की नाम पर आधिपत्य का क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। यह सब काम स्थानीय जापानी सैनिक अधिकारियों के आदेश पर ही हो रहा था। टोकियो-सरकार सम्भवतः इनसे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मुख्य जापानी सेनापति के आदेश पर प्रान्तीय चीनी सरकार, जिसका प्रधान सुए हलियाग था, खदेड़ दी गयी। नवम्बर के मध्य तक उत्तरी मन्चूरिया का विशाल भू-भाग जापानियों के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद जापानी सेना दक्षिण की ओर बढ़ी। ८ अक्टूबर को जापानी विमानों ने चिनचोप पर बम गिराये और ३ जनवरी, १९२२ को उसपर कब्जा कर लिया। ४ जनवरी को जापानी चीन की महान् दीवार के सगम पर स्थित शानहाइ बवान में पहुँच गये और इस प्रकार सारे दक्षिण मन्चूरिया पर उनका पूर्ण आधिपत्य कायम हो गया।

चीन में मन्चूरिया पर आक्रमण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जगह-जगह पर दंगे हुए और जापान बहिष्कार आन्दोलन जोर-शोर से चलाया गया। प्रत्येक स्थान में जापान-विरोधी राष्ट्रीय सघ की स्थापना हुई। जो लोग जापानियों के साथ सम्बन्ध रखते हुए पाये गये उनका केवल सामाजिक बहिष्कार ही नहीं हुआ, अपितु कैद, छुर्माना और कुछ मामलों में मौत की सजा भी दी गयी। इसके अतिरिक्त जापानी हस्तक्षेप के फलस्वरूप चीन में राजनीतिक एकता भी हो गयी।

मन्चूरिया-काण्ड की प्रतिक्रिया सारे ससार में हुई। जापानी आक्रमण का समाचार सुनते ही सारा ससार स्तब्ध हो गया। जापानी सरकार कह रही थी कि जापान चीन के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने का कोई विचार नहीं रखता है और चीनी लुटेरों से जापानियों की रक्षा करने के लिए ही सैनिक कार्रवाई की गयी है। जापान के प्रचारक गला फाड़ फाड़ कह रहे थे कि मन्चूरिया में उनकी कार्रवाई युद्ध नहीं बल्कि एक 'पुलिस कार्रवाई' है। परन्तु ससार के लोग इतने बेवकूफ नहीं थे। अधिकांश लोगों के लिए यह घटना उन सारे प्रयासों के लिए

जो दुनिया के नेतागण शान्ति को सुरक्षित बनाने के लिए १९१९ से ही करते आ रहे थे, एक जबरदस्त धक्का था। यह काण्ड केवल राष्ट्रमध्य के विधान का ही उल्लंघन नहीं था, अपितु इसमें पेरिस-पैक्ट और वार्सिंगटन में की गयी नौ राष्ट्रों की सन्धि का घोर अतिक्रमण होता था। सामूहिक सुरक्षा का सारा सिद्धान्त खतरे



में था। किन्तु, कोई इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से तैयार नहीं था। चीन को धकेले ही इसका सामना करना था। वहाँ शुरू से ही उच्छेजना फैली हुई थी। २८ जनवरी को शंघाई में एक प्रतिशोषात्मक घटना हो गयी। उस दिन पाँच जापानी बौद्ध भिक्षुओं पर शंघाई के नागरिकों ने हमला कर

दिया, जिनमें से एक की मृत्यु हो गयी। जापान के सैनिक अधिकारियों को चीन को सबक देने का एक अच्छा बहाना मिल गया। जापान से दूरत एक अन्ति-मेथ्यम् खाना किया गया और २९ तारोख से जापान ने शघाई में भी सैनिक कार-वाई शुरू कर दी। एक बड़ी सेना शघाई में उतारी गयी और बम वर्षा करके नगर के एक भाग को बिल्कुल जला दिया गया। किन्तु जापान अभी स्थायी रूप से शघाई पर आधिपत्य रखना नहीं चाहता था। ब्रिटेन को मध्यस्थता के कारण मई के महीने तक उसको अपनी सारी सेना शघाई से वापस बुला लेनी पड़ी।

शघाई से जो सेना हटाई गयी उसको जापान वापस न भेजकर जापानी आधिपत्य को मजबूत करने के लिए मचूरिया भेज दिया गया। इसके साथ ही साथ जापानियों ने अपने अधीन मचूरिया के लिए एक प्रान्तोय सरकार स्थापित करने की नीति भी अपना ली थी। १९ फरवरी, १९३२ को यह निश्चय किया गया कि चीन के पदच्युत प्राचीन राजवश के अन्तिम राजा पूयी के राष्ट्रपतित्व में 'मचूकूओ' नाम का एक गणतन्त्र स्थापित किया जाय। ९ मार्च को यह राज्य स्थापित हुआ और सितम्बर में जापान ने इसको एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सरकारी तौर पर मान्यता दे दी। मचूकूओ नाममात्र का एक पृथक् स्वतन्त्र राज्य था। बन्दूत वह पूर्ण रूप से जापानियों के हाथ का कठपुतली था। जापान को इसना कहने का मौका अवश्य मिला गया कि उसने मचूरिया के लोगों का आत्मनिर्णय के अधिकार दे दिया है। पर, सारी दुनिया वास्तविकता को समझती थी।

राष्ट्रसभ और मचूरिया काण्ड— मचूरिया पर आक्रमण होते ही नानकिंग-सरकार ने दूरत इसका घोर विरोध किया और उसने तीन दिनों के बाद, २१ सितम्बर १९३१ को, राष्ट्रसभ के विधान के अनुसार सारा चीन जापान विवाद कौंसिल के सम्मुख रखा। राष्ट्रसभ ने इस सम्बन्ध में क्या किया इसका अध्ययन हम कर चुके हैं।

जिस समय राष्ट्रसभ एसेम्बली अपने अधिवेशन में व्यस्त थी उस समय जापान चीन के एक दूसरे प्रदेश जिहोल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। २५ फरवरी को जापानी सेना ने इस प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद अप्रिल में जापानी सेना चीन की बीवार पार करके पैकिंग पर हमला करने की तैयारी करने लगी। चीन ने देखा कि अकेले जापान का विरोध करना व्यर्थ है। फलस्वरूप ३ मई को तोंगकू में एक विराम सन्धि हो गयी। इसके अनुसार चीन को बीवार के पूर्व हजार बगमोल क्षेत्र को खैन्य विहोना कर दिया गया। जापानी साम्राज्यवाद का एक दूसरा परिच्छेद इस तरह समाप्त हो गया।

मचूरिया काण्ड का महत्व— प्रोफेसर कार के शब्दों में मचूरिया काण्ड प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण

ऐतिहासिक घटना थी। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा जिस सम्भावना को टालने की कोशिश की गयी थी, वह टली नहीं और प्रशान्त महासागर में शक्ति संघर्ष प्रारम्भ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहले चार आक्रमणार्थक कारवायों का आश्रय लिया गया था, और इसमें आक्रमणकारी को अपूर्व सफलता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि दुनिया के सब राष्ट्र मिल-जुल कर कार्य करते और जापान की कारवायों का विरोध करते तो जापान कुचल दिया जा सकता था। लेकिन यूरोप के बड़े राष्ट्र ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनमें यह अटूट विश्वास पैदा हो गया था कि जापान का अन्तिम लक्ष्य सोवियत संघ है, इसके अतिरिक्त १९३१-३२ में यूरोप के राज्य मंचूरिया को लेकर एक दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ करना नहीं चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध की याद अभी बिल्कुल ताजी थी और उसको ध्यान में रखकर कोई देश दूसरा युद्ध मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर चान एक एशियाई देश था और यदि उसपर आक्रमण हो ही रहा था, तो बुरा क्या हुआ। पश्चिमी देश बदनियति के कारण यह भूल गये कि जापानी आक्रमण एक रोग का लक्षण है जो यूरोप में भी फैल सकता है। वे जापान के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी करने को भी तैयार नहीं थे। इसका कारण यह था कि उस समय सारा ससार आर्थिक संकट के चंगुल में फँसा हुआ था और इस तरह की नाकेबन्दी का अर्थ उस संकट को और तीव्र बनाना था। इन चार प्रमुख कारणों से जापान को कोई दण्ड नहीं दिया गया। उसके सारे अपराध माफ कर दिये गये। परन्तु, इसका दूरगामी परिणाम अत्यन्त भयंकर हुआ। एक अपराधी को क्षमा करने का अर्थ दूसरे अपराधी को प्रोत्साहित करना होता है और अन्ततोगत्वा इसका परिणाम भी यही हुआ। मंचूरिया काण्ड ने घटनाओं की उस शृंखला का स्वर्णतन्त्र किया, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इथोपिया काण्ड, चेकोस्लोवाकिया-काण्ड, पोलिश काण्ड आदि सभी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को मंचूरिया काण्ड से प्रेरणा मिली थी।

चीन-जापान-युद्ध

'साम्यवाद का सतरा' — मई, १९३३ में चीन और जापान के बीच तान्त्रिक में धराम संधि हुई थी। इसके बाद कुछ दिनों के लिए दोनों देशों के बीच संधि बन्द रही। किन्तु, जापान केवल मंचूरिया पर कब्जा करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। मंचूरिया-काण्ड के अवसर पर राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सका था। अन्ततोगत्वा समझौते समझ गया था कि राष्ट्रसंघ उसके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। चीन का विद्यालय भू-भाग उसके सामने था। वह इन भू-भागों को इकट्ठा कर साम्राज्यवाद की अपनी भूख को निर्बिरोध शान्त कर सकता था। चीन की अर्थ-व्यवस्था के लिए ऐसी दयनीय हो गयी थी कि जापान उसके आसनों से नाश करने का प्रयत्न कर रहा था।

उठा सकता था। इस समय चीन के राजनीतिक नममडल में च्यांग काई शेक का सितारा बुलन्द था। वह जापानियों के साथ मेल जोल कर अपनी स्थिति को सुदृढ करना चाहता था। उधर जापान च्यांग की इस कमजोरी को समझता था और आये दिन नयी नयी मांग रखता जाता था। चीन में च्यांग का इस नीति का विरोध होने लगा। यद्यपि चीन का साम्यवादी पार्टी अवैध घोषित थी और उसके साथ केन्द्रीय सरकार का युद्ध चल रहा था, तो भी बहुत से लोग लाल ऋण्डे के नीचे इकट्ठे होने लगे। जापान के विरुद्ध चीन में प्रतिरोध की भावना बढन लगी। जापान-विरोधी तत्त्वों का नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट-पार्टी करती थी। उसका कहना था कि गृह-युद्ध का अन्त करके जापानियों के विरुद्ध एक संयुक्त राष्ट्रीय मार्चा का निर्माण किया जाय। किन्तु च्यांग काई शेक कम्युनिस्टों से किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं था। वह जापान से बढ़कर कम्युनिस्ट को अपना शत्रु समझता था। उसका कहना था कि 'जापानी चमरोग है और कम्युनिस्ट हृदय रोग है। एक से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन दूसरे से नहीं।' वह जापानियों के सामने आत्म-समर्पण करने को तैयार था। लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए साम्यवादियों से समझौता करने को तैयार नहीं था। वह जापानी आक्रमण का बिल्कुल भूल गया। उसको यह बात याद ही नहीं रही कि चीन के एक भू भाग पर जापानियों का कब्जा है और वहाँ से उनका हटाना उसका पुनोत् राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके विपरीत वह अपनी सारी शक्ति साम्यवादियों के विरुद्ध लगा रहा था। सारा चीन एक विचित्र कुचक्र में फँस गया था। जापानी कहते थे कि चीन पर आक्रमण साम्यवाद के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का दिशा में प्रथम कदम है। पश्चिम के साम्राज्यवादी राष्ट्र जापान के इस अपराध को इसीलिए क्षमा करते जा रहे थे कि जापान को ऐसी कार्रवाई से अन्ततोगत्वा साम्यवादियों को क्षति पहुँचेगी। च्यांग काई शेक भी साम्यवादी विरोधी भावना से प्रेरित हो रहा था। साम्यवाद के विरोध के नाम पर समूचे चीन का बलिदान किया जा रहा था।

'एशिया एशियाइयो का' — उधर जापान चीन पर दूसरी चढ़ाई करने की पृष्ठभूमि तैयार करने में व्यस्त था। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार आवश्यक था। वह पराधीन एशिया के पश्चिम-विरोधी भावनाओं को भड़काकर एशिया के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की चाल चलने लगा। जापान ने 'एशिया एशियाइयो के लिए' का नारा बुलन्द करके तथाकथित 'एशियाई सुनरो-सिद्धान्त' को प्रतिपादित किया। जिम प्रकार १८२३ में राष्ट्रपति सुनरो ने यह घोषणा की थी कि यूरोप क राज्यों को अमरीकी महादेशों को राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार जापान ने भी यह घोषणा की कि एशिया ही एशिया के यूरोपीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन, 'एशियाई सुनरो' ने

लक्ष्य भी वही था जो मूल सुनरो-सिद्धान्त का था। सयुक्ताष्ट्रिय अमेरिका ने सुनरो सिद्धान्त का प्रयोग लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना साम्राज्यवाद लागू करने के लिए किया था। 'जापानी सुनरो-सिद्धान्त' का भी यही लक्ष्य था। पश्चिम के विरुद्ध एशियाई भावनाओं को भड़काकर जापान पश्चिमी साम्राज्यवाद को उखाड़कर एशिया में अपना साम्राज्यवाद लागू करना चाहता था। इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार कर और जापानी जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल देने के बाद जापानी शासक इस युद्ध की तैयारी करने लगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध का भाग बनने वाला था।

चीनी राष्ट्रीयता—जब कोई देश लड़ाई छेड़ने के लिए हुला हुआ हा तो उसके लिए कारण ढूँढ़ निकालना कोई कठिन काम नहीं है। जापान चीन के विरुद्ध जल्द-से-जल्द युद्ध आरम्भ करना चाहता था, क्योंकि चीन की राजनीतिक परिस्थिति में तीव्रगति से परिवर्तन हो रहे थे। १९३६ में उत्तर-पश्चिम में कम्युनिस्टों का सर्वनाश करने के लिए च्यांग काई शेक स्वयं एक सेना लेकर उस प्रदेश में गया। वहाँ कम्युनिस्टों ने च्यांग के सेनापतियों की सहायता से ही उसे (च्यांग) सियान नामक स्थान पर कैद कर लिया। कम्युनिस्टों ने वादा किया कि वे च्यांग को अपना वेदा मानकर जापान के विरुद्ध लड़ने का तैयार हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यह युद्ध बन्द करके जापानियों के विरुद्ध च्यांग के नेतृत्व में एक सयुक्त मोर्चा कायम किया जाय। च्यांग काई-शेक इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था। जापान सारे चीन को हड़प जाय, लेकिन वह कम्युनिस्टों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हो सकता था। कई दिनों तक कम्युनिस्ट नेता च्यांग की समझौते-बुझौते रहे। अन्त में वे उसको प्रभावित करने में सफल हो गये। च्यांग काई शेक इस बात पर राजी हो गया कि उनके साथ मिलकर वह जापान से युद्ध करे। कम्युनिस्ट-पार्टी की कार्यवाही पर से रोक हटा दी गयी। यह युद्ध बन्द हो गया। राजनीतिक कैदी रिहा कर दिये गये। प्रेस और समाजों पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये। कोमिन्तांग शासन में जनता को पहली बार राब नीतिक स्वतन्त्रता मिली। देश में एक नये जीवन का संचार हुआ। जापान के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना बलवती हो गयी। सारा चीन राष्ट्रीय मुक्ति की भावना में खोत-प्रोत हो गया।


चीन-जापान-युद्ध—जिस घटना के फलस्वरूप चीन जापान का हुला युद्ध शुरू हुआ वह लूकाओचियाओ की घटना थी। सामरिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और जापान इस स्थान पर अपना अधिकार बनाना चाहता था। इस सभ्र में चीनियों का सत्ताजित करने के लिए जापानी सेना बराबर युद्धाभ्यास किया करता थी। किन्तु, चीन सरकार की आर स चीनी सैनिकों की

सख्त हिदायत थी कि वे कोई ऐसा उत्तेजनापूर्ण काम नहीं करें, जिससे स्थिति खराब हो। एक दिन जापानियों ने एक लापता आदमी को खोजने के लिए लूकाओचियाओ के पास वाम्पिंग में घुसने की इजाजत मागी। इजाजत मिलने में कुछ देर ही गयी और एकाएक जापानी सेना ने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया। चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया और इस प्रकार ८ जुलाई, १९३७ को चीन और जापान के बीच युद्ध का दूसरा चरण प्रारम्भ हो गया। स्टालिन ने एक बार कहा था कि “आधुनिक युग में युद्ध घोषित नहीं किये जाते, वे केवल शुरू कर दिये जाते हैं।” उसके इस कथन को जापान को इस कायवाहो ने अक्षरशः सत्य साबित कर दिया। जापान को ठरफ से युद्ध की सरकारी घोषणा नहीं की गयी, पर ०५वहारत युद्ध शुरू हो गया।

द्वितीय चीन-जापान युद्ध का विस्तारपूर्वक उल्लेख कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि चीनी सेना जापान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जापानी सेना आगे बढ़ती गयी और १९३७ के अन्त होने के पहले ही नानकिंग पर जापान का अधिकार हो गया और सारा पूर्वी चीन जापान के कब्जे के चला गया। चीन के भागों में बाँट गया स्वतंत्र चीन और जापान द्वारा अधिकृत क्षेत्र। चीन ने एक बार फिर राष्ट्रसभ में अपील की। पर इस समय तक राष्ट्रसभ एक विलकुल शक्तिहीन सस्था हो चुका था। एसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास करके जापान की कार्रवाइयों की निन्दा की। किन्तु, प्रस्ताव मात्र से चीन की रक्षा होनेवाली नहीं थी। जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। उसकी सेना निरन्तर आगे बढ़ती गयी। चीनियों ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों का अवलम्बन किया और युद्ध जारी रखा। जापान के विरुद्ध चीन का संघर्ष जारी रहा और जब १९३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया तो यह संघर्ष उस विश्वव्यापी युद्ध का ही एक अंग बन गया, जिसका अन्त १९४५ में हुआ। यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र ने चीन की कोई मदद नहीं की, उल्टे ब्रिटिश सरकार ने बर्मा चीन सड़क को, जिससे चीन को कुछ सहायता पहुँच जाती थी, बन्द कर दिया।

युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्झौते

विषय प्रवेश — म्यूनिख सम्झौते के समय चर्चिल ने कहा था— “ब्रिटन और फ्रांस को इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा है। उ होने अपमान को चुना है पर शीघ्र ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा।” चर्चिल की भविष्यवाणी ठीक निकली और पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के साथ १ सितम्बर, १९३९ को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जो अगस्त १९४५ तक चलता रहा। छ वर्षों तक चलनेवाले इस युद्ध ने अनेक चढ़ाव-उतार देखे। १९४२ के मध्य तक हिटलर की सेना सारे यूरोप को रौंदती रही एक के बाद दूसरे देश को कुचलती रही। इतनी छोटी अवधि में लगभग सारा यूरोप जर्मनी के पैरों पर लोटने लगा था। अतलांतिक



से बोलगा और भूमध्यसागर से काकेशस तक समकी तृती बालने लगी थी। वि० १९४२ के अन्तिम दिनों में स्थिति ने पलटा खाय़ा और हिटलर का सितारा कमजोर पड़ने लगा। इस समय तक युद्ध केवल यूरोपीय युद्ध ही नहीं रह गया था। जर्मन जापान, अमेरिका, और सोवियत संघ के प्रवेश के कारण इसका स्वरूप विश्वव्यापी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था। १९४५ में घुी राष्ट्रों की पराजय तक द्रुतगति से घटने वाली युद्ध की इन घटनाओं का उल्लेख यहाँ सम्मन नहीं है।

इसलिए यहाँ हम केवल युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों पर ही प्रकाश डालेंगे।

अतलांतिक चार्टर-१४ अगस्त, १९४१ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चर्चिल और अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मुलाकात अतलांतिक महासागर के मध्य एक युद्धपोत में हुई। इस मुलाकात में मित्रराष्ट्रों के युद्ध उद्देश्यों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जो अतलांतिक चार्टर के नाम से मशहूर हुआ। इसमें निम्नलिखित आठ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था।

(१) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन अपना प्रादेशिक अथवा किमी प्रकार का विस्तार नहीं चाहते।

(२) वे कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन भी नहीं चाहते जो उस देश की जनता की स्वतन्त्र इच्छा के प्रतिकूल हों।

(३) वे सब लोगों द्वारा अपनी शासन पद्धति को चुनने का अधिकार का सम्मान करते हैं और यह चाहते हैं कि जिन लोगों के स्वशासन का अधिकार बन-पूर्वक छीन लिया गया है, उन्हें वे वापस कर लिये जायें।

(४) वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सब छोटे बड़े राष्ट्रों को चाहे वे विजेता हों या विजित, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार और कच्चे माल की सुविधाएँ समान रूप से प्राप्त हों।

(५) वे यह चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में सब देशों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करें ताकि मजदूरों की दशा में सुधार हो तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति और सुरक्षा को सम्भव बनाया जा सके।

(६) नास्ती अत्याचार को अन्तिम रूप में नष्ट करने के उपरान्त वे ऐसी शान्ति की स्थापना को आशा करते हैं, जो सभी राष्ट्रों को अपनी अरबों सोमाओं के भौत, सुरक्षित रहने का साधन दे सके तथा जो यह आश्वासन दे सके कि सभी मनुष्य सभी देशों में भय तथा युद्ध से स्वतन्त्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

(७) उनका यह भी विश्वास है कि इस प्रकार की शान्ति सामुद्रिक स्वतंत्रता को गारन्टी देगी।

(८) उनका विश्वास है कि सभार के सभी राष्ट्रों का साम्प्रतिक एवं अस्थायिक कारणों की दृष्टि से शक्ति के प्रयोग का छोड़ देना चाहिए। विश्व में शान्ति के लिए निरस्त्रीकरण आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा—१ जनवरी, १९४२ को संयुक्त राष्ट्रों की एक घोषणा निकली। इससे पहले ७ दिनभर, १९४१ को संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हो चुका था और राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह पर जर्मनी, जापान, तथा इटली के विरुद्ध संध्य करनेवाले राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रों का नाम दिया गया था।

इसमें २६ राष्ट्र सम्मिलित थे और इन राष्ट्रों ने एक घोषणा पत्र निकालकर अलास्का चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया तथा यह प्रतिज्ञा की कि वे धुरी राष्ट्रों के साथ कभी भी पृथक सर्त नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे।

कैंसाबल का-सम्मेलन— १४ २४ जनवरी, १९४३ में मोरक्को के कैसाबल में चर्चिल, रूजवेल्ट तथा जनरल देगाल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह घोषणा की गयी कि उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण करने के पूर्व इटली पर आक्रमण करके उसे पराजित किया जाय।

मास्को-सम्मेलन— मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य में मास्को में १९-३० अक्टूबर, १९४३ को एक सम्मेलन हुआ। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस के विदेश मंत्री मित्र और उन्होंने आस्ट्रिया, इटली तथा जर्मनी के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की। साथ ही सम्मेलन में सम्मिलित राष्ट्रों के युद्ध प्रयत्नों में सामन्जस्य स्थापित करने तथा यूरोपीय समस्याओं पर विचार करने के लिए लन्दन में एक आयोग की स्थापना की गयी जिससे परामर्शदात्री आयोग कहा गया। एक स्वतन्त्र आस्ट्रिया के निर्माण की बात कही गयी और इटली से फासिज्म का अन्त कर प्रजातन्त्रिक संस्था की स्थापना का सबलप किया गया। जर्मन अत्याचारों के बारे में यह कहा गया कि जर्मनी को परास्त करने के बाद भीषण क्रूरता करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जायगा। इसी सम्मेलन में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा की गयी। यही संगठन बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के नाम से कायम हुआ।

काहिरा सम्मेलन— २२ २५ नवम्बर, १९४३ की मित्र की राजधानी काहिरा में रूजवेल्ट, चर्चिल और व्हाइटिंग काई शोक का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों की नीति की निश्चय किया गया कि १९१४ में जपान ने उसके जो प्रदेश (मन्चूरिया फारमोसा, पेस्काडोरेज द्वीप समूह) बलपूर्वक छीने हैं वे वापस कर दिये जायेंगे। कोरिया को यह आश्वासन दिया गया कि युद्धोपरांत उसे पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया जायगा।

तेहरान सम्मेलन— २२ २४ नवम्बर, १९४३ को ईरान की राजधानी तेहरान में संयुक्त राष्ट्रों के तीन बड़े नेताओं—चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ तीनों मित्र देशों के सेनाध्यक्षों ने जर्मन सैनिकों के विनाश की योजनाएँ तैयार की। तेहरान सम्मेलन के निर्णयों का तीन भागों में विभाजन किया गया था। प्रथम भाग में जर्मन के विरुद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय और द्वितीय भाग पर भ्रूव विश्वास व्यक्त किया गया था। दासता और अत्याचार को खत्म करने के लिए अन्य देशों का सहयोग माँगा गया था। इसका दूसरा भाग है २६

सम्बन्धित था जिसमें "तीन बड़ों" ने उसकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने का आश्वासन दिया था। समझौते का तृतीय भाग एक गुप्त समझौता था जो बाद में १९४६ में प्रकाशित किया गया। इसमें यह व्यवस्था थी कि नार्मण्डी में मित्रराष्ट्रों का दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत सघ जर्मनी पर घनघोर आक्रमण करे ताकि हिटलर पूर्वी मोर्चे से अपनी सेना पश्चिमी मोर्चे पर न ला सके। तुर्की को युद्ध में शामिल करने का यत्न किया गया तथा यूगोस्लाविया में माशल टीटो के नेतृत्व में चलने वाले नात्सा विरोधी जन-आन्दोलन की सहायता देने का निश्चय किया गया।

ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन — २१ जुलाई, १९४५ को सयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन ब्रिटेन युद्ध में हुआ जिसमें चौबालीस राज्यों का प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित करने का निश्चय किया गया।

डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन—तेहरान सम्मेलन में तीन बड़े राष्ट्रों ने युद्धोपरान्त एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का निर्माण करने का निश्चय किया था। इस निश्चय को व्यावहारिक रूप देने के लिए २१ अगस्त से ७ अक्टूबर, १९४४ तक वाशिंगटन के निकट डम्बार्टन ओक्स नामक स्थान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें सयुक्त राष्ट्रसघ की रूपरेखा निर्धारित की गयी। सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि २५ अप्रिल, १९४५ को सयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन सैनफ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर का निर्माण करे।

यूबेक सम्मेलन — ११ सितम्बर, १९४४ को रूजवेल्ट तथा चर्चिल यूबेक नामक स्थान पर मिले और जर्मनी में विभिन्न देशों द्वारा अधिभूत किये जानवाले क्षेत्रों के समय घ में समझौता किया।

मास्को सम्मेलन — ९ अक्टूबर, १९४४ को चर्चिल और स्टालिन का एक सम्मेलन मास्को में हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि बुल्गेरिया और रूमानिया पर सोवियत संघ तथा यूनान पर ब्रिटेन का विशेष प्राधान्य बना रहगा।

याल्टा सम्मेलन — युद्धकालीन सम्मेलनों में याल्टा सम्मेलन (४-११ फरवरी, १९४५) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन ने जिस समस्याओं को जन्म दिया उसका युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी सम्मेलन के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। कोरिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट अपने परामर्शदाताओं के साथ एकर हुए और इसमें सयुक्त राष्ट्रसघ, यूरोप, जर्मनी, तथा पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण निणय किये गये। इसके कुछ निणय बहुत दिनों तक गुप्त रखे गये। १९५५ के अमरीकी विदेश विभाग ने इसको पहले पहल प्रकाशित किया। याल्टा-

सम्बन्धित था जिसमें "तीन बड़ों" ने उसकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने का आश्वासन दिया था। समझौते का तृतीय भाग एक गुप्त समझौता था जो बाद में १९४६ में प्रकाशित किया गया। इसमें यह व्यवस्था थी कि नार्मण्डी में मित्रराष्ट्रों का दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत संघ जर्मनी पर घनघोर आक्रमण करे ताकि हिटलर पूर्वी मोर्चे से अपनी सेना पश्चिमी मोर्चे पर न ला सके। तुर्की का युद्ध में शामिल करने का यत्न किया गया तथा यूगोस्लाविया में माशेल टोटो के नेतृत्व में चलने वाले नात्सा विरोधी जन-आन्दोलन को सहायता देने का निश्चय किया गया।

ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन — २१ जुलाई, १९४६ को संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन ब्रिटेन युद्ध में हुआ जिसमें चौवालीस राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित करने का निश्चय किया गया।

डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन—तेहरान सम्मेलन में तीन बड़े राष्ट्रों ने युद्धोपरान्त एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया था। इस निश्चय को व्यावहारिक रूप देने के लिए २१ अगस्त से ७ दिसम्बर, १९४४ तक वाशिंगटन के निकट डम्बार्टन ओक्स नामक स्थान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ की रूपरेखा निर्धारित की गयी। सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि २५ अप्रैल, १९४५ को संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन सैनफ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर का निर्माण करे।

क्युबेक सम्मेलन — ११ सितम्बर, १९४४ को क्यूबेक तथा चर्चिल क्युबेक नामक स्थान पर ब्रिटेन और जर्मनी में विभिन्न देशों द्वारा अधिकृत किये जानेवाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में समझौता किया।

मास्को सम्मेलन — ९ अक्टूबर, १९४४ को चर्चिल और स्टालिन का एक सम्मेलन मास्को में हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि बुल्गेरिया और रूमानिया पर सोवियत संघ तथा यूनान पर ब्रिटेन का विशेष प्राधान्य बना रहेगा।

याल्टा सम्मेलन — युद्धकालीन सम्मेलनों में याल्टा सम्मेलन (४-११ फरवरी १९४५) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन ने जिस समस्याओं को जन्म दिया उसका युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी सम्मेलन के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। कोरिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर स्टालिन, चर्चिल और क्यूबेक अपने परामर्शदाताओं के साथ एक्ट हुए और इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, जर्मनी, तथा पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये। इसके कुछ निर्णय बहुत दिनों तक गुप्त रखे गये। १९५५ के अमरीकी विदेश विभाग ने इसकी पहले पहल प्रकाशित किया। याल्टा-

इसमें २६ राष्ट्र सम्मिलित थे और इन राष्ट्रों ने एक घोषणा पत्र निकालकर अतलित्व चार्टर के सिद्धांतों का समर्थन किया तथा यह प्रतिज्ञा की कि वे धुरी राष्ट्रों के साथ कभी भी घृष्टक संधि नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे।

कैंसाबल का सम्मेलन— १४ २४ जनवरी, १९४३ में मोरक्को के कैसाबलिका में चर्चिल, रूजवेल्ट तथा जनरल दगाल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह घोषणा की गयी कि उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण करने के पूर्व इटली पर आक्रमण करके उसे पराजित किया जाय।

मास्को सम्मेलन— मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य में मास्को में १९-३० अक्टूबर, १९४३ को एक सम्मेलन हुआ। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस के विदेश मन्त्री मित्र और उन्होंने आस्ट्रिया, इटली तथा जर्मनी के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की। साथ ही सम्मेलन में सम्मिलित राज्यों के युद्ध प्रयत्नों में सामन्जस्य स्थापित करने तथा यूरोपीय समयावधों पर विचार करने के लिए लन्दन में एक आयोग की स्थापना की गयी जिससे परामर्शदात्री आयोग कहा गया। एक स्वतन्त्र आस्ट्रिया के निर्माण की बात कही गयी और इटली से फासिज्म का अन्त कर प्रज तान्त्रिक संस्था की स्थापना का सबलप किया गया। जर्मन अत्याचारों के बारे में यह कहा गया कि जर्मनी को परास्त करने के बाद भीषण क्रूरता करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जायगा। इसी सम्मेलन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की स्थापना की घोषणा की गयी यही सगठन बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के नाम से कायम हुआ।

काहिरा सम्मेलन— २२ २५ नवम्बर, १९४३ की मिस्र की राजधानी काहिरा में रूजवेल्ट, चर्चिल और च्यांग काई शेक का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों की नीति को निश्चय किया गया कि १९१४ में जपान ने उसके जो प्रदेश (मन्चूरिया फारमोशा, पेस्काडोरेज द्वीप समूह) बलपूर्वक हथिने वे वपस कर दिये जायेंगे। कोरिया की यह आशासन दिया गया कि युबोयान्द उसे पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया जायगा।

तेहरान सम्मेलन— २२-२४ नवम्बर, १९४३ को ईरान की राजधानी तेहरान में संयुक्त राष्ट्रों के तान बड़े नेताओं— चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ तीनों मित्र दलों के सेनाध्यक्षों ने जर्मन सेनाओं के विनाश की योजनाएँ तैयार की। तेहरान सम्मेलन के निर्णयों की तीन भागों में विभाजन किया गया था। प्रथम भाग में जर्मन के विरुद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय और अन्त विजय पर प्रभु विश्वास व्यक्त किया गया था। दासता और अत्याचार को मित्रों के लिए अन्य देशों का सहयोग माँगा गया था। इसका दूसरा भाग ईरान के

सम्बन्धित था जिसमें "तीन बड़े" ने उसकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने का आश्वासन दिया था। समझौते का तृतीय भाग एक गुप्त समझौता था जो बाद में १९४६ में प्रकाशित किया गया। इसमें यह व्यवस्था थी कि नार्मण्डी में मित्रराष्ट्रों का दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत संघ जर्मनी पर घनघोर आक्रमण करे ताकि हिटलर पूर्वी मोर्चे से अपनी सेना पश्चिमी मोर्चे पर न ला सके। तुर्की को युद्ध में शामिल करने का यत्न किया गया तथा यूगोस्लाविया में माशल टोटो क नेतृत्व में चलने वाले नात्सी विरोधी जन-आन्दोलन को सहायता देने का निश्चय किया गया।

ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन— २१ जुलाई, १९४५ को सयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन ब्रिटेन बुड्स में हुआ जिसमें चौवालिस राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित करने का निश्चय किया गया।

डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन—तेहरान सम्मेलन में तीन बड़े राष्ट्रों ने युद्धोपरान्त एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया था। इस निश्चय को व्यावहारिक रूप देने के लिए २१ अगस्त से ७ अक्टूबर, १९४५ तक वॉशिंगटन के निकट डम्बार्टन ओक्स नामक स्थान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें सयुक्त राष्ट्रसंघ की रूपरेखा निर्धारित की गयी। सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि २५ अप्रिल, १९४५ को सयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन सैनफ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का निर्माण करे।

यूबेक सम्मेलन— ११ सितम्बर, १९४५ को रूजवेल्ट तथा चर्चिल यूबेक नामक स्थान पर मिले और जर्मनी में विभिन्न देशों द्वारा अधिकृत किये जानेवाले क्षेत्रों के समन्वय में समझौता किया।

मास्को सम्मेलन— ९ अक्टूबर, १९४५ को चर्चिल और स्टालिन का एक सम्मेलन मास्को में हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि बुल्गेरिया और रूमानिया पर सोवियत संघ तथा यूनान पर ब्रिटेन का विशेष प्राधान्य बना रहगा।

याल्टा सम्मेलन— युद्धकालीन सम्मेलनों में याल्टा सम्मेलन (४-११ फरवरी, १९४५) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन ने जिस समस्याओं को जन्म दिया उसका युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी सम्मेलन के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। क्रिमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट अपने परामर्शदाताओं के साथ एकर हुए और इसमें सयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, जर्मनी, तथा पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये। इसके कुछ निर्णय बहुत दिनों तक गुप्त रखे गये। १९५५ के अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी पहली पहल प्रकाशित किया। याल्टा-

सम्मेलन के निम्नलिखित निर्णय हुए—(१) २५ अप्रिल, १९४५ को सैनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन के लिए बुलाया जाय। इसमें श्वेत रूस और यूक्रेन को पृथक् रूप से आमन्त्रित किया जाय। (२) यूरोप में नात्सी और फासिस्ट दासता से मुक्त देशों में अतलान्तिक चाटर के विद्वान्तों के अनुसार जनतान्त्रिक पद्धति की सरकारें स्थापित की जाँय तथा आक्रामक देशों द्वारा छीने हुए प्रदेश उन राज्यों को वापस कर दिया जाँय जिनसे स-हँ लिया गया था। (३) यूरोप में शान्ति और सुरक्षा के लिए जर्मनी का निरस्त्रकरण किया जाय, युद्ध में क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के अपराध की जाँच के लिए एक अदालत कायम किया जाय तथा जर्मनी से क्षतिपूर्ति ली जाय। क्षतिपूर्ति की राशि २० अरब डालर निश्चित की गयी और यह भी निश्चित हुआ कि इसका आधा भाग सोवियत संघ को दिया जाय। पोलैंड की पूर्वी सीमा "कजन रेखा" को कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार किया जाय और पोलैंड में यथाशीघ्र स्वतन्त्र सरकार की स्थापना की जाय। (४) यूगोस्लाविया में माशल टीटो के नेतृत्व में सरकार बने। (५) यूरोप में युद्ध समाप्त होने के तीन महीनों के बाद सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दे। (६) पूर्व एशिया में रूस को अनेक सुविधाएँ देने का निश्चय किया गया, जैसे—(क) साखालोन द्वीप का दक्षिणी भाग और इसका समीप का पोर्ट आर्थर टापू रूस को वापस मिले, (ख) टाइटेन के बन्दरगाह का अन्त र्राष्ट्रीयकरण हो, (ग) चीनी पूर्वी रेलवे तथा दक्षिणी मच्चीया रेलवे पर सोवियत चीनी कम्पनी का संयुक्त स्वामित्व स्थापित हो, तथा (घ) क्युराइल द्वीप सोवियत संघ को लौटा दिया जाय।

सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन — २५ अप्रिल, १९४५ से २६ जून, १९४५ तक सैनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण से सम्बन्धित था। अतएव इस पर अधिक विचार हम, अगले अध्याय में करेंगे।

बैठक अन्य राजधानियों में भी हो सकती थी। इसका तात्कालिक कार्य इटली, रूमानिया, ब्रुगेरिया, हगरी और फिनलैंड क साथ सन्धि करना तथा उनके प्रादेशिक प्रश्नों पर निर्णय करना था। इसके अतिरिक्त जर्मनी के साथ वो जानेवाली संधि की रूपरेखा भी तैयार करना इसका काम था।

(२) जर्मनी क साथ अन्तिम सन्धि करने के पहले उसके साथ व्यवहार करने के दस राजनीतिक सिद्धान्तों, नौ आर्थिक सिद्धान्तों, दस क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों, जर्मन नौसेना के बँटवारे के छ सिद्धान्तों तथा जर्मनी के व्यापारिक महान्तों के बँटवारे के पाँच सिद्धान्तों को निश्चय किया गया। राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी को चार देशों क (अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और रूसी) अधिकार-क्षेत्रों में बाँटा गया और उनके नियन्त्रण के लिए चार महान् राज्यों के प्रतिनिधियों को एक परिषद् बनाई गयी। यह भी निश्चय किया गया कि जर्मनी को पूण रूप से निःशस्त्र तथा सभी नास्ती सगठनों को भंग किया जाय। इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय जिन्होंने युद्ध में क्रूर आचरण किये थे। जर्मनी में जनतांत्रिक शासन कायम करने तथा नागरिक स्वतन्त्रता पुनः कायम करने का भी निश्चय किया गया। इसके अलावे जर्मनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने क तरीकों को निश्चित किया गया।

(३) इस सम्मेलन ने पोलैंड के सम्बन्ध में यह निश्चय किया कि वहाँ वयस्क मताधिकार क अधिकार पर स्वतन्त्र चुनाव कराया जाय। साथ ही अस्थायी रूप से उसकी सीमा को भी निश्चित किया गया।

(४) यह भी निश्चित हुआ कि इटली, ब्रुगेरिया, फिनलैंड, हगरी के साथ संधियाँ करके उन्हें सयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाय।

(५) ईरान से मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ छुट वापस बुला लेने का भी निणय हुआ।

(६) टैजियर का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय बनाने का निर्णय हुआ।

(७) आस्ट्रिया से क्षतिपूर्ति नहीं होने का निर्णय किया गया।

(८) जापान से किस शर्त पर आत्मसमर्पण कराया जाय यह भी इस सम्मेलन में निश्चय किया गया। जापान के सैनिक तत्त्वों का सम्मूलन, युद्धोपरांत वहाँ मित्रराष्ट्रों का सैनिक शासन और जापान का पूण निरस्त्रीकरण तथा लोकतन्त्रात्मक आधार पर जापानी सरकार का सगठन करने का निश्चय यहीं पर हुआ था। जब जापान ने इन शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया तो उसके दो नगरों हिरोशिमा और नागाशाकी पर अणुबम गिराकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हुआ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

(U N O.)

शान्ति सन्धियाँ :—

युद्धोत्तर विश्व की समस्याएँ — युद्धोत्तर विश्व के सामने अनेक समस्याएँ थीं और इनमें सबसे विकट समस्या शान्ति की स्थापना थी। इसके लिए पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ शान्ति-सम्मौता करना सबसे पहला काम था। लेकिन इस बार पराजित राष्ट्रों के साथ सन्धि करना अनेक कारणों से अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। १९१९ में यह समस्या उतनी कठिन न थी जितनी १९४५ में। उस समय तो युद्ध के कुछ दिनों के बाद पेरिस में एक शान्ति सम्मेलन हुआ और पराजित देशों के साथ सन्धियाँ हो गयीं। पर इस शान्ति सम्मेलन के पूरे एक तरह के अनेक शान्ति-सम्मेलनों का आयोजन करना पडा। पोट्सडाम सम्मेलन के निर्णयानुसार शान्ति सन्धि के लिए एक विदेश मन्त्रियों की परिपद बनायी गयी थी। लेकिन इस समय तक गुटबन्धियों का प्रादुर्भाव और “शोतयुद्ध” का प्रारम्भ हो चुका था। अतएव विदेश मन्त्रियों की परिपद पेरिस, न्यूयाक, मास्को तथा ल दन की बैठकों में दोनों पक्षों के मतभेद बड़े सघ रूप से प्रकट हुए। फिर भी, काफी विचार-विमर्श के बाद १० फरवरी, १९४७ को इटली, रूमानिया, हंगरी, बुल्गेरिया और फिनलैंड के साथ सन्धियाँ हो गयीं। किन्तु शोतयुद्ध में जर्मनी के आने के कारण जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान से सन्धि न हो सकी। बहुत कठिन नीतिक तैयारी और वातालाप के बाद ४ सितम्बर, १९५१ को सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन में कुछ राष्ट्रों ने जापान के साथ सन्धि कर ली। भारत, जर्मा और सम्भवतः गुट के देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जर्मनी के साथ तो अभी तक शान्ति सम्मौता नहीं हो सका है। युद्ध के बाद पराजित जर्मनी चार भागों में बाँट दिया गया और प्रत्येक भाग पर चार बड़े राष्ट्रों का अलग अलग अधिकार स्थापित किया गया। पीछे चलकर जर्मनी स्पष्टतः दो भागों में बाँट गया—पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पश्चात्य राष्ट्रों के अधीन और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अधीन रहा। शोत युद्ध के प्रारम्भ होने से जर्मनी की समस्या और अधिक जटिल गयी और दोनों भाग पृथक-पृथक सरकारों के अधीन स्वतन्त्र राज्य बन गये। अभी तक जर्मनी इस स्थिति में है। उनके साथ विधिवत शान्ति-सन्धि नहीं हो सकी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति—युद्धोत्तर विश्व की सबसे गम्भीर समस्या स्थायी शान्ति की स्थापना की आवश्यकता थी। लिखित इतिहास में द्वितीय विश्वयुद्ध से अधिक भयंकर और संहारकारी युद्ध पहले कभी नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में आधुनिकतम अस्त्रशस्त्रों का प्रयोग हुआ था और इसके फलस्वरूप जो बर्बादी हुई थी उसका अन्दाजा लगाना साधारण कल्पना के बाहर की चीज थी। इस कटुतथ्य ने विचारशील व्यक्तियों का मानव जाति की रक्षा के लिए शान्ति का सुरक्षित बनाये रखने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में निर्माण की तीव्र आवश्यकता अनुभव करायी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी इस आवश्यकता को महसूस किया गया था और राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी आवश्यकता का परिणाम था। जिस समय राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय दुनियाँ के लोगों में यह आशा जगी थी कि अब सभ्य युद्धों से सुरक्षित हो गया है और मानव समाज को पुनः विध्वंसकारी युद्धों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा दुनियाँ में चिर शान्ति कायम हो जायेगी। पर, १९१९ में इस आशा पर पानी फिर गया। राष्ट्रसंघ क रहेते हुए द्वितीय विश्व-युद्ध छूट गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ में अनेक त्रुटियाँ थीं और इसलिए वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वथा असमर्थ रहा। अतएव यदि विश्व-शान्ति को ठोस आधार देना है तो एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी, जो पुराने राष्ट्रसंघ से अधिक शक्तिशाली हो ताकि शान्ति पर पुनः खतरा उपस्थित न हो। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी अनुभव का परिणाम था।

डम्बार्टन ओक्स—३० अक्टूबर, १९४३ को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा चीन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन मास्को में हुआ। इस सम्मेलन में अन्तर्लान्तिक-चार्टर के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए एक विश्व-संस्था कायम करने पर जोर दिया गया। चार राष्ट्रों के विदेश-मंत्रियों की इस घोषणा के दो महीने बाद स्टालिन, रुजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में पहले पहल एक दूसरे से मिले और तीनों ने स्थायी शान्ति कायम करने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया। इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रों के बीच मित्रता गाढी होती गयी और इसी वातावरण में ७ अक्टूबर, १९४४ को सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधियों का एक बैठक डम्बार्टन ओक्स में हुई। संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रारम्भिक रूप-रेखा यहीं तैयार की गयी। जब प्रतिनिधियों के बीच भावी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के प्रारूप पर मतभेद हो गया तो इस प्रस्ताव का अन्य मित्रराष्ट्रों की सरकारी के पास भेजा गया। उसी मर में इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हुआ।

सतक्रासिस्की सम्मेलन—डम्बार्टन ओक्स के प्रस्ताव में प्रस्तावित सुरक्षा-परिषद् में मतदान की प्रणाली पर कोई विचार नहीं हो सका था। यह महत्वपूर्ण

घात भूल से छूट गयी थी। अतः इसको तय करने के लिए ११ फरवरी, १९४५ को स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल याल्टा में मिले। याल्टा सम्मेलन में इस समस्या का समाधान हो गया। सुरक्षा परिषद् में तथाकथित 'बोटी' इसी समझौता का परिणाम था। इन सभी प्रश्नों का समाधान के बाद २५ अप्रैल, १९४५ को सैनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया और २६ जून को पचास राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसपर हस्ताक्षर कर दिये। "संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किये हैं," राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा, "वह एक ऐसी शक्तिशाली नौवें है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।" विश्व के इतिहास में वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हो चुका था।

नया संगठन क्यों ? — यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा होता है कि १९४५ में पुराने राष्ट्रसंघ का ही पुनर्संगठन क्यों नहीं किया गया ? यदि इसकी जगह पर एक सवधा नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण क्यों किया गया ? पुराने राष्ट्रसंघ को फिर से चालू कर दिया जाता तो उन अनेक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, जिनका सामना करना पड़ा था। पर एक नयी संस्था को जन्म देने के कुछ कारण थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ में सोवियत-संघ और संयुक्तराज्य अमेरिका को रखना जरूरी था और पुराने राष्ट्रसंघ के साथ इन दोनों देशों का सम्बन्ध अच्छा नहीं था। अमेरिका ने प्रारम्भ में ही राष्ट्रसंघ को अस्वीकृत कर दिया था और सोवियत-संघ को उससे निकाल दिया गया था। ये दोनों देश इन कारणों से राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होना नहीं पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त पुराने राष्ट्रसंघ का नाम असफलताओं से जुट गया था। एक असफल समस्या को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा एक नयी संस्था का सृजन करना की ध्येयस्वरूप समझा गया।*

संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म — २ अप्रैल, १९४६ को राष्ट्रसंघ एसेम्बली का अन्तिम अधिवेशन हुआ और २९ अप्रैल को प्रतिनिधिमण्डलों ने सवसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसका आशय यह था कि "आज से, अर्थात् वर्तमान अधिवेशन के अन्त से, राष्ट्रसंघ का अस्तित्व समाप्त होता है।" इस प्रकार उस संस्था का अन्त हो गया जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति कायम रखने के लिए की गयी थी। इसके छहबोस साल बाद १८४५ में, एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ। यह था संयुक्त राष्ट्रसंघ। १० फरवरी, १९४६ को लन्दन में वेस्टमिनस्टर के सुन्दर-हॉल में प्रथम बार इसकी एसेम्बली की बैठक हुई। यह तिथि राष्ट्रसंघ के जन्म की छहबोसवीं वषगाँठ थी। सर्व प्रथम तरह

तरह के चुनाव सम्पन्न हुए। एम्बली के स्थायी सभापति समितियों व सदस्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद् के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य, महासचिव की नियुक्ति इत्यादि महत्वपूर्ण काम सम्पन्न करके १५ फरवरी को सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन का स्थगित कर दिया।*

संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्वरूप

संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण का समय चुनते समय राष्ट्रसंघ सम्बन्धी अनुभवों से भी लाभ उठाया गया। राष्ट्रसंघ का निर्माण वर्साय की सधि से सम्बद्ध था, अतः कुछ देशों द्वारा उस पर यह आरोप लगाया जा सका कि यह विजेता देशों द्वारा घोषी गयी अनुचित शान्ति सन्धि को कायम रखने तथा उसे स्थायी बनाने का माध्यम मात्र है। फलतः उसका समर्थक भी कुछ कमजोरी महसूस करते थे। अतः संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण युद्ध समाप्ति से पूर्व करके उसे शान्ति-सन्धि से सम्बद्ध नहीं होने दिया और वह उन आरोपों से बच सका जो राष्ट्रसंघ पर लगाए जा सके थे।

जिस तरह राष्ट्रसंघ प्रथम महायुद्ध का परिणाम था और भावी युद्धों को रोकने के लिए प्रथम महायुद्धों के कारणों को ध्यान में रखा गया था, उसी तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वितीय महायुद्ध का परिणाम है और उसकी व्यवस्थाएँ यह ध्यान में रखकर की गयी हैं कि जिन कारणों से द्वितीय महायुद्ध हुआ, वे कारण फिर से उत्पन्न न होने दिए जाएँ। अतः एक हद तक वह द्वितीय महायुद्धों के कारणों के विश्लेषण पर आधारित है। उसकी व्यवस्थाएँ भविष्य की भी ध्यान में रख कर की गयी हैं। उनमें यह धारणा मौजूद है कि रंग भेद और उपनिवेशवाद भावी संकटों का कारण बन सकते हैं। अतः घोषणा पत्र में मौलिक मानव अधिकारों पर जोर दिया गया है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र दूरदर्शी भी है।

सघोय संगठन—संयुक्त राष्ट्रसंघ कन्द्रित संगठन न होकर एक प्रकार से सघोय संगठन (Federal Organisation) है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वायत्त सत्ता प्राप्त विशिष्ट एजेंसियों की व्यवस्था करके सन्ने सत्ता का विवेन्त्रीकरण किया है। ये एजेंसियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहयोग तथा निदेशन में काम करती हैं, लेकिन अपने अपने विषय सम्बन्धी कार्य-कलापों

* पुराने राष्ट्रसंघ के साथ यहाँ एक तुलना कर देना आवश्यक है। राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति युद्ध के बाद हुई थी और उसका विधान वर्साय सधि का एक भाग ही था। (वेबिण्ट पृष्ठ १५५) संयुक्त राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति की प्रक्रिया युद्ध के समय से ही शुरू हो गयी थी जैसा कि संयुक्त विधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से स्पष्ट हो जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्रसंघ का वर्तमान राष्ट्रसंघ विधान की तरह किसी शान्ति सन्धि का भाग ही नहीं है।

के लिए वे स्वतन्त्र हैं। उस तरह उसने अलग क्षेत्रों में पहले से काम करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा बाद में कायम होने वाली एजेंसियों में समन्वय स्थापित किया है, उन पर शासन या आधिपत्य नहीं। इन एजेंसियों के रूप में विषयवार कार्य क्षेत्रों का बँटवारा हो जाने से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक संस्था की अपेक्षा व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर—संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान को चार्टर (Charter) कहते हैं। इस चार्टर में १११ धाराएँ हैं। पुराने राष्ट्रसंघ के विधान में केवल २६ धाराएँ थी। चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसंघ के गठन, उनके विभिन्न प्रायों की कार्य-विधि इत्यादि सभी चीजों का विशद वर्णन है।

उद्देश्य और सिद्धांत—चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार उद्देश्य हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना, शांति के खतरे को प्रभावपूर्वक सामूहिक प्रयत्नों से रोकना, शांति भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं कानून के सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुनमाना, (२) व्यापक शान्ति को पोषाहित करते हुए समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को बढ़ावा देना, (३) सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानव-अधिकारों तथा मौलिक-स्वतन्त्रताओं को बिना-किसी-भेद-भाव-से प्रोत्साहित करना, तथा (४) संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक ऐसा केन्द्र बनाना जहाँ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो सके।

संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है—(१) यह संस्था राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त पर अवलम्बित रहेगी।* (२) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रति अपने दायित्व को निभायेंगे। (३) सभी सदस्य राष्ट्र अपने मतों की शान्तिपूर्ण तरीकों से सुलझायेंगे। (४) कोई भी सदस्य राज्य किसी दूसरे की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण नहीं करेगा। (५) कोई भी देश चार्टर के विरुद्ध काम करनेवाले देश की सहायता नहीं करेगा। (६) संस्था इस बात को देखेगी कि गैर-सदस्य राज्य कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाय। (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सदस्यता—संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सदस्य वे इकायन राज्य थे जिन्होंने सैन्य फौजियों में चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। चार्टर की धारा चार के अनुसार दूसरे देश भी इसके सदस्य हो सकते हैं, बशर्ते कि वे 'शांतिप्रिय' हों तथा चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने और उनको पूरा करने के 'योग्य और इच्छुक' हों।

* सुरक्षा-परिषद् में पाँच महात्त राष्ट्रों को जो विशिष्ट स्थान मिले हैं वह समानता के इस सिद्धान्त के प्रतिरूप हैं।

ममके जाते हों। ऐसे सदस्यों की सदस्यता सुरक्षा रिपट को त्रिकारिण पर (जिसमें पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है) साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से मजूर कर सकती है। अतः सदस्यों की संख्या बढ़ कर एक सौ चौबीस हो गयी है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्य

अफगानिस्तान, अल्बेनिया, अल्जीरिया, अरजेन्टायना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजिल, बुल्गेरिया, बर्मा, ब्रूनडो, बाइलो रूस, कम्बोडिया, कनाडा, केमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सिलोन, चाद, चील, चीन (फारमोशा), कांगो, लाबिया, कोलम्बिया, कोस्टा रिका क्यूबा, साइप्रस, चेकोस्लोवाकिया, ड होमी, डेनमार्क, डोमिनिक्न गणराज्य, इक्वेडोर, इक स्लावाडोर, इथोपिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नाइकारा गुआ, नाइजर, फ्रांस, गाबोन, गेम्बिया, घाना, यूनान, गुयाना, गुयाना, हाइटी, होन्डुरस, हंगरी, आइसलैंड, भारत, इजरायल, ईराक, ईरान, आयरलैंड इटली, आइवोरी कोस्ट, जमाइका, जापान, जोर्डान, कोरिया, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, सीरिया, लूक्सेम्बर्ग, कूवैत, मलेशिया, मलाडिव, माली, मोरिसानिया, मेक्सिको, मोरक्का, नेपाल, निदरलैंड, स्वेडन, नाइजेरिया, नारवे, पाह्य भूगोलिया, पाकिस्तान, पनामा, परागुए, पेरू, फिलिपाइन्स, पोलैंड, पोर्ट गाल र्मेनिया, भौडागास्कर, माल्टा, ट्यूनिस, साऊदी अरेबिया, सियरा लियोन, सेने गल, सिंगापुर, स्पेन, मोमालिया, सूडान सोरिया, टेन्जेनिया, थाइलैंड, तागो, तोंगा, तुर्की, संयुक्त अरब गणराज्य, सोवियत संघ, उगान्डा, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सुरूगव, अपर वोल्टा, दक्षिण अफ्रीका संघ, युक्रेनियन रूस वनेजुएला, येमेन, यूगोस्लाविया, जेम्बिया, मलावी, रूआन्डा, इन्डानीशिया, मोरिसश।

संसार के स्वतंत्र राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं — अर्थात् विश्व में नौ ऐसे स्वतंत्र राज्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने हैं और न निकट भविष्य में बनने की आशा है। इसमें चीन, पश्चिमी जर्मनी, पूर्व जर्मनी, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, तथा श्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का प्रश्न तबतक नहीं सुलझ सकता जबतक संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पक्ष में न हो जाय। जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का जबतक राजनीतिक एकीकरण नहीं हो जाता तबतक उनको सदस्यता का भी कोई सवाल नहीं उठता। मार्च १९६६ में पूर्वी जर्मनी ने संघ के सदस्य बनने के लिए आवेदन भी दिया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के विरोध

कारण इस पर कुछ नहीं हुआ। स्विट्जरलैण्ड भी सघ का सदस्य नहीं है। उसने अपनी स्वेच्छा से सघ में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी सयुक्त राष्ट्रसघ के कार्यकलापों से स्विट्जरलैण्ड पूरी तरह सहयोग करता है। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी का राज्य भी गर राजनीतिक कार्यों में सयुक्त राष्ट्रसघ के साथ सहयोग करता है।

सघ से इन्डोनीशिया का असंग होना— यद्यपि चार्टर में सघ की सदस्यता परित्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके सदस्य राज्य सार्वभौम होते हैं और सार्वभौमिकता में सघ की सदस्यता छोड़ना अन्तर्निहित है। इसी अर्थ का प्रयोग करते हुए इन्डोनीशिया राष्ट्रसघ की सदस्यता का परित्याग करके सघ से अलग हो गया। इस तरह की यह पहली घटना है। जनवरी, १९६५ को इन्डोनीशिया ने सघ से अलग होने की विधिगत सूचना दे दी। उस दिन सयुक्त राष्ट्रसघ में स्थित इन्डोनीशिया के राजदूत ने सघ के महासचिव को एक पत्र देकर यह सूचित किया कि उनका देश अब सघ की किसी सम्बद्ध सस्या से भी कोई सम्पर्क नहीं रखेगा। इन्डोनीशिया के इस निर्णय का कारण सुरक्षा परिषद् के अस्थायी पदों में सब पर मलेशिया का चुना जाना था। मलेशिया के प्रति इन्डोनीशिया का रुख शुरू से ही शत्रुतापूर्ण रहा है और जब वह सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य चुना गया तो राष्ट्रपति सुवर्ण के लिए यह बात बतहा हो गयी। मार्च, १९६५ के अन्त होने तक इन्डोनीशिया का सघ के साथ सारा सम्बन्ध समाप्त हो गया। सयुक्त राष्ट्रसघ के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना थी। उस समय ऐसा लगा कि सघ का अन्त अब निश्चित रूप से प्रारम्भ हो गया। राष्ट्रपति सुवर्ण ने यह भी घोषणा की कि ये कुछ राज्यों को मिलाकर एक दूसरा सयुक्त राष्ट्रसघ बनायेंगे। लेकिन उनकी यह धमकी कामयाब नहीं हुई। १९६५ के दिसम्बर में पाकिस्तान ने भी सघ छोड़ने की धमकी दी थी। लेकिन उसकी सघ छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में इन्डोनीशिया की आन्तरिक राजनीति में उथल-पुथल हुआ और वहाँ एक नयी सरकार बनी। इस सरकार ने पुन सयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और पुन २८ दिसम्बर, १९६६ को सघ में शामिल हो गया।

चार्टर में सदस्यता समाप्त करने की कोई बात नहीं कही गयी है।* चार्टर के उल्लंघन करने पर उस राज्य को सयुक्त राष्ट्रसघ से निकाला जा सकता है या उसकी सभी सुविधाएँ स्थगित कर दी जा सकती हैं (धारा ५-६)। सभी सदस्यों को अपनी सी घियों और समझौतों को सचिवालय में दर्ज करना पड़ता है। चार्टर में किसी भी प्रकार का सशोधन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से हो सकता है।

* राष्ट्रसघ विधान में ऐसी व्यवस्था थी।

इसमें पाँच बड़े राष्ट्रों की सहमति आवश्यक है। (धारा १०८-१०९)^१ राष्ट्रसंघ की तरह सयुक्त राष्ट्रसंघ को आय सदस्य राज्यों के चन्दों पर निर्भर है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग—

सयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य अंगों को संख्या छ है^२—साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्,^३ संरक्षण परिषद्^४ सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।^५ अंगने पृष्ठों में हम इन अंगों के संगठन और कार्यविधि पर प्रकाश डालेंगे।

साधारण-सभा

साधारण-सभा (General Assembly) —सयुक्त राष्ट्रसंघ सबसे बड़ी संस्था है। इसको 'संसार की नगर सभा'^६ भी कहते हैं। सयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य इसका सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वाट देने का अधिकार है। साल में एक बार (सितम्बर में) इसकी बैठक होती है। पर बहुमत की माँग पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। ऐसे विशेष अधिवेशन फिलिस्तीन की समस्या पर २८ अप्रिल से १५ मई १९४७ का तथा १६ अप्रिल से १४ मई १९४८ को बुलाये गये। मध्यपूर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १९५६ को तथा हंगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १९५६ को ऐसे अधिवेशन हुए थे। ८-२१ अगस्त १९५८ को लेजानान की समस्या तथा १७-२० सितम्बर १९६० को कांगों की समस्या पर विचार करने के लिए भी साधारण-सभा क विशेष अधिवेशन हुए थे। इसी तरह जून १९६७ में अरब इजराइल संघर्ष पर विचार करने के लिए भी संघ की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन हुआ था। महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कार्रवाई के लिए दो तिहाई मतों को आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही होता है।

साधारण सभा का कार्य सात समितियों के जरिये होता है।^७ वे हैं — (१) राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति, (२) आर्थिक तथा वित्तीय, (३) सामाजिक तथा मानवीय, (४) संरक्षण, (५) प्रशासनिक एवं बजट-सम्बन्धी (६) कानूनी

- १ राष्ट्रसंघ विधान में संशोधन के लिए सभी सदस्य राज्यों की सहमति आवश्यक थी।
- २ राष्ट्रसंघ के तीन मुख्य अंग थे।
- ३ यह सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत एक सर्वथा नवीन संस्था है। राष्ट्रसंघ में इस प्रकार की संस्था की कोई व्यवस्था नहीं थी।
- ४ राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जो स्थायी संरक्षण आयोग था वह उनका एक सम्बद्ध अंग था, मुख्य अंग नहीं।
- ५ राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका मुख्य नहीं था।
- ६ 'town meeting of the world' —मिनेटर् वेन्डे बर्ग।
- ७ यह व्यवस्था राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत भी मौजूद थी।

समिति तथा (७) विशेष राजनीतिक समिति । इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियात्मक समितियाँ हैं—(१) सामान्य समिति को संपूर्ण समितियों की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करती है । (२) प्रमाण-पत्र समिति (Credential Committee) यह प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करती है ।

साधारण-सभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनती है । इसके "महत्त्वपूर्ण विषय" दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णय सामान्य बहुमत से होते हैं । महत्त्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं—शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिशें, नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्य का निष्कासन, सुरक्षा-परिषद् के विषय तथा संघ के अन्य अंगों के सदस्यों के चुनाव ।

साधारण सभा के कार्य और अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं । इसको मोटा मोटी चार भागों में बाँटा जा सकता है—विश्व-शान्ति कायम रखने का प्रयास करना, संयुक्त राष्ट्रसंघ के विविध पदाधिकारियों का चुनाव करना, संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखना तथा अन्य कार्य ।

प्रथम कार्य के अन्तर्गत साधारण सभा के अधिकार काफी विस्तृत हैं । वह किसी भी समस्या पर जो विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए घातक है, विचार करके अपनी सिफारिश दे सकती है । वह शान्ति और सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर विचार करके भी अपनी सिफारिश दे सकती है । सुरक्षा की समस्या पर ध्यान रखते हुए वह निरस्त्रीकरण की दिशा में भी प्रयास कर सकती है । इनके अतिरिक्त वह राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाली किसी भी स्थिति को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सिफारिशें पेश कर सकती है ।

द्वितीय कार्य के अन्तर्गत वह सुरक्षा-परिषद् के लिए छह अस्थायी हथकड़ी, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के अठारह सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के दस न्यायाधीशों का चुनाव तथा सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को नियुक्त करना तथा उसी की सिफारिश पर नये राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना इत्यादि बातें आती हैं ।

तृतीय कार्य के अन्तर्गत साधारण सभा सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य विभागों से रिपोर्ट प्राप्त करके उनपर विचार करता है और अपना मत प्रकट करती है ।

इनके अतिरिक्त साधारण सभा को कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं । वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के वजह पर विचार करके उस पर अपना निर्णय देती है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक महयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास और नियमबद्धीकरण, मानव अधिकारों तथा मौखिक स्वतंत्रता, सैनिक सामाजिक, साम्प्रतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आवश्यक करम उठाया इत्यादि इस कार्य के अन्तर्गत आते हैं ।

इस तरह देखने से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण-सभा के अधिकार काफी व्यापक हैं। पर चार्टर के द्वारा इन अधिकारों को काफी सीमित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए साधारण सभा ऐसे वाद विवाद अथवा परिस्थिति, जो सुरक्षा परिषद् के सामने पेश हो, पर तब कोई विचार नहीं कर सकती है (धारा १२) जब तक स्वयं सुरक्षा-परिषद् इसके लिए प्राथना नहीं करे। साधारण सभा कोई ससद् नहीं है। इसके प्रतिनिधि केवल बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। वे कोई ऐमा कानून या नियम नहीं बना सकते, जो किसी राज्य को कुल्लु करने पर बाध्य कर सके।

छोटी एसेम्बली और शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव—१९५७ तक सोवियत रूस और अमेरिका के शक्ति युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद् में वीटो के प्रयोग के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया। विश्व में शान्ति बनाये रखना कठिन काम हो गया। अतएव इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए १३ नवम्बर, १९५७ को साधारण सभा ने अन्तरिम समिति (Interim Committee) नामक एक नया सहायक संस्था स्थापित की। इसी समिति को "छोटी एसेम्बली" कहा जाता है। साधारण सभा का जब अधिवेशन नहा हो रहा हो उस समय यह उक्त सभा के कार्य को कर सकती है। यह सुरक्षा परिषद् के दायित्वों पर भी ध्यान रख सकती है। साधारण सभा के सदस्यों को इसमें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। आरम्भ में छोटी एसेम्बली दो वर्षों के लिए चुनायी गयी थी। लेकिन १९५९ में इसकी अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। साम्यवादी देशों ने इस संगठन का घोर विरोध किया था।

१९५० में कोरिया के युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद् में बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। सोवियत संघ द्वारा जब वीटो का प्रयोग बहुत हाने लगा तो पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति में साधारण सभा को विचार करने और आवश्यक कार्यवाही कराने का अधिकार प्रदान किया जाय। साधारण सभा में महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। वहाँ वीटो की व्यवस्था नहीं है। अतएव वहाँ से कोई कार्यवाही हो सकती है। सभ में यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद् के साथ साधारण सभा से अथवा सभ के सदस्यों के बहुमत २५ घंटे का नोटिस देकर साधारण सभा का आवश्यक विशेष अधिवेशन बुना जा सकता है। यदि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो हो और वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो साधारण सभा ३०

दूरत विचार कर सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा शान्ति के लिए कोई कारवाई कर सकती है।

महासभा का बदलता स्वरूप

इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है। पहले संघ की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सस्था सुरक्षा परिषद् थी। लेकिन इस प्रस्ताव ने साधारण सभा को सुरक्षा-परिषद् से अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। यद्यपि इसके कारण वीटा की व्यवस्था का अन्त हुआ है, लेकिन उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का हल निकल आया है।

वस्तुतः शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित होने के बाद से सुरक्षा परिषद् की तुलना में साधारण सभा का महत्त्व उत्तरात्तर बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का विचार था सुरक्षा परिषद् संघ की प्रधान कार्यकारी बनी हो और साधारण सभा एक वाद-विवाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी कारण चार्टर द्वारा जहाँ परिषद् को बाह्यकारी शक्तियाँ प्रदान की गयीं वहाँ साधारण-सभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। लेकिन कालांतर में परिस्थितियों के चलते यह स्थिति बदल गयी और साधारण सभा का महत्त्व निरन्तर बढ़ता गया। इसके विपरीत सुरक्षा परिषद् का प्रभाव घटा है। साधारण सभा के महत्त्व में इस वृद्धि के उपयुक्त कारण के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। इनमें एक प्रमुख बात यह है कि इसकी सदस्य संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। आज इसके सदस्यों की संख्या एक सौ चौबीस तक पहुँच गयी है और संसार के इन्ने गिने कुछ राष्ट्र ही इसकी सदस्यता से अब वंचित रह गये हैं। इसकी तुलना में सुरक्षा परिषद् में केवल पन्द्रह सदस्य हैं। इस दृष्टिकोण से वह सच्चे अर्थ में विश्व की प्रतिनिधि सस्था नहीं कही जा सकती है। साधारण सभा ने अतः मानव जाति की समस्या का रूप धारण कर लिया है जिसमें सदस्य राष्ट्र शान्ति पूर्ण परिवर्तनों की अनेक समस्याओं पर विचार करने का साधन ढूँढ रहे हैं और वह भी कानून तथा संसदीय प्रक्रिया की ढाँचा में। साधारण सभा में सदस्य राज्य स्वतन्त्र रूप से अपनी शिजायतों, प्रस्ताव और सुझाव आदि प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह विश्व का "उपयुक्त अंतःकरण" ((open conscience of the world) बन गया है। इसमें संसार की सभी समस्याओं—राजनीतिक और गैर राजनीतिक पर विचार किया जाता है। यह छहलेखनीय है कि साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख भाग लिया है। इसने संघ के सम्मुख लगे गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है और फिलिस्तीन, कश्मीर कोरिया, चीन आदि संघर्ष स्थलों में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

सुरक्षा-परिषद् (Security Council)

सुरक्षा परिषद् सयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। चाटर् के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का काम रखने का "प्रधान उत्तरदायित्व" इसी को सौंपा गया है। इसके सदस्यों की संख्या चाटर् द्वारा निश्चित कर दी गयी है। * सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत-यून, ब्रिटेन, फ्रांस और 'चीन' इसके स्थायी सदस्य हैं तथा छ अस्थायी सदस्यों का चुनाव संसद रण सभा दो तिहाई मतों से दो वर्षों के लिए करता थी। १९६५ में चाटर् के संशोधन करके सुरक्षा परिषद् के संगठन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिस समय सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी उस समय उसकी कुल संख्या ६ इकावन थी। अतएव सुरक्षा परिषद् में ग्यारह सदस्य रहे गये। ब्रिटेन, अमेरिका के बाद से सयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या निरन्तर बढ़ते चली गयी है और अफ्रीका के कई देश स्वतन्त्र होकर इसके सदस्य बन गये। इन इन्तरे में भी आवश्यक था कि इसी अनुपात में सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या भी बढ़ती जाए। १७ दिसम्बर, १९६३ को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव संकेतित करके सुरक्षा परिषद् के संशोधन की एक सिफारिश की जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या ग्यारह से बढ़ाकर पन्द्रह, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा के सत्ताइस कर दी जाय तथा सामान्य समिति को संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत रखा जाय।

लिए आमन्त्रित किये जा सकते हैं। १९६६ के फरवरी में उत्तरी और दक्षिणी वीयतनाम के प्रतिनिधियों को इसी आधार पर आमन्त्रित किया गया था, यद्यपि उत्तरी वीयतनाम ने इस आमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन विशेष रूप से आमन्त्रित सदस्यों को परिषद् में वोट देने का अधिकार नहीं होता। वे बवल उसकी कायवाही में माग ले सकते हैं।

सुरक्षा-परिषद् के कार्य और अधिकार—चाटर की २४ वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद् का मुख्य काम “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना है” यह उन झगड़ों या परिस्थितियों पर तत्काल विचार करती है जो शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हो या इस प्रकार की सम्भावना हो गयी हो।

चाटर की ३३-३८ धारा तक सुरक्षा परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के शान्तिपूर्ण निबटारे के सम्बन्ध में तथा ३९, ५१ धारा तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सफट में डालने, इसे भंग करने तथा आक्रमण रोकने की कायवाही के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया गया है। परिषद् अपने निणयों का क्रियान्वित करने के लिये सदस्यों को पहले ऐसे उपायों को व्यवहार में लाने के लिये कह सकती है जिनमें सेना के उपयोग की आवश्यकता न हो। यदि ये उपाय पर्याप्त न हों तो सुरक्षा परिषद् “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने” या फिर से स्थापित करने के लिये जल, थल, वायु-सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। चाटर की ४३ वीं धारा के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिये “सुरक्षा परिषद् के माँगने पर और नियम-समझौते के अनुसार अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता तथा सुविधाएँ” प्रस्तुत करने का बचन देते हैं। ४१ वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद् “सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजनाएँ” एक सैनिक स्टाफ समिति की सलाह और सहायता से बनायगी। यह सैनिक स्टाफ समिति (Military Staff Committee) सुरक्षा परिषद् को निम्न विषयों में सहायता और परामर्श देगी— अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक आवश्यकताएँ, इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियन्त्रण सम्भावित निरस्त्र कर इस समिति के सदस्य सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों के मुख्य सैनिक अधिकारी (Chief of Staff) या उनके प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिषद् का कार्य के लिये दी गयी सशस्त्र सेनाओं का सामरिक संचालन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद् के अधीन होगी (धारा ४७)। सुरक्षा परिषद् को भी कार्यवाही तय करेगी, उसे पूरा करने में सब सदस्य सांशुद्धिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे (धारा ५०)।

सुरक्षा-परिषद् की मतदान-प्रणाली या 'वीटो'—संयुक्त राष्ट्रसंघ की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो सबसे अधिक चर्चा और विवाद को विषय रही है, सुरक्षा परिषद् में बड़े राष्ट्रों को प्राप्त निषेधाधिकार (Veto) सम्बन्धी व्यवस्था है। यह व्यवस्था सबसे महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व-शान्ति और सुरक्षा उसी पर निर्भर करती है और इस तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ का भविष्य इसी व्यवस्था की सफलता असफलता पर निर्भर करता है। इसके विवादास्पद होने का कारण यह रहा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन करती है। यह विशेष चर्चा का विषय इसलिए रही है कि इसका प्रयोग बहुत बड़े बड़े और महत्त्वपूर्ण मामलों में किया गया है तथा बड़े राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर दुरुपयोग के आरोप लगाये गये हैं।

सुरक्षा परिषद् के "पाँच महान्" सदस्यों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। चार्टर की रूढ़ि वाँ धारा के अनुसार परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक वोट देने का अधिकार है। पर स्थिति इतनी साधारण नहीं है। परिषद् के कार्यक्रम को दो भागों में बाँटा जाता है—साधारण (procedural) और असाधारण (substantive)। साधारण बातों में जिसमें परिषद् के कार्यक्रम सम्बन्धी बातें आती हैं, किन्हीं नौ सदस्यों के स्वीकारात्मक (affirmative) वोट आने से प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। अन्य सभी मामलों में कम से कम नौ सदस्यों का स्वीकारात्मक वोटों में पाँच स्थायी सदस्यों का वोट आवश्यक है। इन पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी अपनी असहमति प्रकट करे और अपना वोट प्रस्ताव के विरुद्ध दे दे तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जायगा। इसी को सुरक्षा-परिषद् के मतदान प्रणाली या 'वीटो' कहते हैं।* सुरक्षा परिषद् के महत्त्वपूर्ण निषेधों पर इन पाँच महान् राज्यों की सहमति आवश्यक है।† यदि परिषद् का कोई भी सदस्य (स्थायी अथवा अस्थायी) किसी ऋण्डे से संबंधित हो तो वह मतदान में भाग नहीं ले सकता। सुरक्षा-परिषद् के अधिवेशन में वं राज्य भी आमन्त्रित किये जा सकते हैं, जिनका ऋण्डे से सम्बन्ध हो, जिस पर परिषद् विचार कर रही हो और जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं। पर उन्हें वाट देने का अधिकार नहीं होता।

* इस दृष्टि से पुराने राष्ट्रसंघ में सभी राज्यों को 'वीटो' का अधिकार था, क्योंकि उसमें मतैक्य (unanimity) का नियम था।

† यदि कोई महान् राज्य सुरक्षा परिषद् की बैठक में अनुपस्थित हो अथवा अपना वोट न दे तो वह 'वीटो' नहीं समझा जायगा। प्रारम्भ में इस प्रश्न पर काफी वाद विवाद हुआ। सोवियत-संघ का कहना था कि उपयुक्त दोनों अवस्थाओं को 'वीटो' का प्रयोग हो समझा जाना चाहिए। अ य देश इस व्याख्या से सहमत नहीं हुए। अन्त में यह मान लिया गया कि वोट का उपयोग न करना या परिषद् की बैठक में अनुपस्थित रहन को 'वीटो' नहीं माना जायगा। इस तरह कहा जा सकता है कि इस परम्परा को लेकर चार्टर में एक मशौधन हो गया है।

तथाकथित 'वीटो' का अधिकार एक बहुत-ही विवादास्पद विषय बन गया है। इसके विरोधियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्रों को समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। ऐसी स्थिति में कुछ राज्यों को विश्व सभ्या में विशिष्ट स्थान देकर उस सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है। युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब 'शान्ति युद्ध' का समावेश हुआ और दुनिया दो खेमों में बँट गयी तब इसका असर संयुक्त राष्ट्रसंघ पर भी पडना शुरू हुआ। यह भी दो भागों में विभाजित हो गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ अपने गुट का एकमात्र प्रतिनिधि था। इस स्थिति से लाभ उठाकर पश्चात्य शक्तियाँ हर विषय पर सोवियत संघ को तंग करने लगीं। वहाँ से बराबर ऐसे प्रस्ताव पास होने लगे जो सोवियत गुट के विरुद्ध हात थे। अतएव अपने बचाव के लिए सोवियत-संघ 'वीटो' का प्रयोग करने लगा। इस 'वीटो' की सख्ती दिनोंदिन बढ़ने लगी। अमेरिका और उसके पिछलगुआ देशों ने ही हल्ला मचाना शुरू किया। वे कहने लगे कि यह बुरा बड़ा 'अत्याचार' है। महान् राज्य 'कानून से परे' नहीं हो सकते, इत्यादि, इत्यादि। वीटो को हटाने की माँग की जाने लगी।

वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रीय आधिपत्य बन गया और बहुमत का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। केलसन ने लिखा है कि वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाँच स्थायी सदस्यों का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता स्थापित हो गयी है। वीटो के द्वारा उन सदस्यों को समान माना गया है। पर वीटो की व्यवस्था इस सिद्धान्त का उल्लंघन करती है। उससे संघ की व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हुआ है और इसलिए इसका अन्त कर देना चाहिए। * अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा रूस पर बारम्बार यह आरोप लगाया गया है कि उसने निपेधाधिकार का दुरुपयोग किया है। उनकी आलोचनाओं से कभी-कभी यह ध्वनि निकलती है मानों व निपेधाधिकार के विरोधी हों, पर बात ऐसी नहीं है। अमेरिका द्वारा प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह वीटो वाला विश्व संगठन ही स्वीकार करेगा और यदि हमने वीटो की व्यवस्था नहीं होगी तो वह उसके लिए सर्वथा अस्वीकार्य होगा। सुरक्षा परिषद में वीटो का समर्थक जितना सावियत रुम है उतना ही पश्चिमी दुर्गमों। इस हालत में मा इसको हटाने की माँग की जाती है।

पर यहाँ पर मतला देना आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद से वीटो को हटाने को हटा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। सावियत संघ का संयुक्त राष्ट्रसंघ एक प्रभावशाली सदस्य बनाये रखने के लिए व्यवस्था कर रहा है। वीटो की व्यवस्था न हाने पर अमेरिका और ब्रिटेन निरर्थक विश्व हटाने का बहुमत प्राप्त है, रूस और उसके गहवाली राष्ट्रों को हर मोर्चे पर पराजित कर

सकते थे। इस हालत में सयुक्त राष्ट्रसंघ पश्चिमी गुट के हाथों में एक कठपुतली बन जाता और सोवियत संघ का समर्थन शामिल रहना व्यर्थ होता। वीटो की व्यवस्था ने रूस को सयुक्त राष्ट्रसंघ में उतना ही प्रभावकारी बना रखा है जितना प्रभावकारी अमेरिका और ब्रिटेन का बहुमत है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात यह है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो। चाटर् के जन्मदाताओं ने 'सामूहिक सुरक्षा' के सिद्धान्त को स्वीकार कर सयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म दिया था और इसलिए वोटों की व्यवस्था की गयी थी। इस सिद्धान्त के मूल में यह बात थी कि शान्तिप्रिय राज्य मिल जुलकर काम करेंगे और शान्ति भंग करनेवाले के विरुद्ध सामूहिक रूप से कारवाही करेंगे। और इसके निर्माताओं ने यह स्पष्ट ही समझा था कि अगर सुरक्षा परिषद किसी महान् राज्य के विचार के विरुद्ध कोई कारवाही करती है तो इसका अर्थ विश्व शान्ति नहीं, वरन् विश्व युद्ध होगा,* क्योंकि एक महान् राज्य उस कारवाही का अवश्य ही विरोध करेगा और इन्हीं विरोधों से तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ जायगा। अब वोटों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि श्री जवाहरलाल कहते थे, विश्व युद्ध को सम्भावनाओं को हटाना तथा विवादों को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है। वीटो पद्धति का इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। यदि इस पद्धति का अन्त कर दिया जाय तो इसके परिणामस्वरूप सयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त ही जायगा। निषेधाधिकार की व्यवस्था ने शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चय करके यह भी तय कर दिया है कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह बहुत सोच-विचार कर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। वह ऐसा निर्णय नही कर सकेगी जिन्हें पूरा करने की शक्ति उसमें न हो। चूंकि उसके निर्णयों के लिए पाँचों बड़े राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य है, अतएव उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में उन पर सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अब उसका कार्यवाहियों की सफलता प्रायः निश्चित हुआ करेगी।

इसके अलावे वीटो कई अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफल भी हुआ है। उदाहरणार्थ, जब कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत था और ब्रिटेन तथा अमेरिका खल्लेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे तो सोवियत संघ के वीटो के प्रयोग ने ही स्थिति को सज्जाला। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी पक्षों ने समस्या के एक दूसरे समाधान को ढूँढ़ निकालने का प्रयास

* But as the framers clearly perceived the fact is inescapable that any coercion of a Great power or of a small power supported by a Great Power is prescription not for law order or peace, but for wholesale violence - Schuman, *International Politics* (5th Ed) pp 232-33

किया जो सबको मान्य हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ और सशस्त्र
कायम रखने के लिए वोटों अति आवश्यक है। यदि यह व्यवस्था न होती तो
संयुक्त राष्ट्रसंघ में केवल एक ही गुट की प्रधानता हो जाती और उसे मनमानी करने
की पूरी छूट मिल जाती।

—कुछ लोगों ने वोटों का भण्डासुर का धरदान माना है।* इसमें कोई सन्देह
नहीं कि किसी विशेष परिस्थिति में विश्वशांति और संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए यह
घातक भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह कहना कि इसके कारण ही संयुक्त राष्ट्र
संघ की असफलता हो रही है उचित नहीं प्रतीत होता। जैसा कि ए० ई०
स्टेनम ने कहा है।

“वोटों हमारी कठिनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है। वह रुस के
लोगों के साथ हमारे दुर्भाग्यपूर्ण विभेदों का प्रतिबिम्ब मात्र ही है। यदि हम हमसे
बचना चाहते हैं तो हम उन विभेदों को तय कर लेना चाहिए केवल मत
दान की विधि को बदलना यथेष्ट न होगा। मतैक्य के नियम का जन्म अन्त
राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं से हुआ है। यदि पांच महान् राज्यों
किसी मामले पर राजी नहीं होते तो उसमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक
बड़े युद्ध को पैदा करेगा। संयुक्त राज्य की स्थापना इसी सम्भावना से बचने के
लिए हुई थी।”†

कुछ भी हो, वर्तमान परिस्थिति में वोटों की व्यवस्था विश्व शान्ति तथा
संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए हितकर साबित हुई है। यह व्यवस्था इस धारणा पर आधा
रित है कि बड़े राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे और विश्व शान्ति कायम
रखने का जो महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व उन्होंने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है, उसका
निर्वाह करेंगे।

इसके अतिरिक्त, “शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव” (Uniting for
Peace Resolution)‡ स्वीकृत होने एवं लघु एसेम्बली (Little Assembly)

* “Veto is Frankenstein”

† Schuman, *International Politics*, (5th Ed) p 212

‡ इस प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्रसंघ के सगठन तथा साधारण सभा एवं सुरक्षा परिषद् के
पारस्परिक सम्बन्धों में एक महान् अंतर आ गया है। १९५० में जब कोरिया का युद्ध शुरू हुआ
और उत्तर कोरिया के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई सोवियत वोटों के कारण असम्भव हो गयी तो
साधारण सभा ने ३ नवम्बर, १९५० को एक प्रस्ताव स्वीकृत करके यह तय कर दिया कि प्रत्येक
भी महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए चौबिस घण्टे के अंदर साधारण सभा की बैठक
हुलाये जा सकती है। सुरक्षा परिषद् का मतदान प्रणाली में वोटों की व्यवस्था है। अतः वहाँ
जिब का स्थिति आ जाता है। लेकिन साधारण सभा में महत्त्वपूर्ण बातों पर दो तिहाई वोट का
ही आवश्यकता पड़ती है। अतएव किसी समस्या का लेकर सुरक्षा परिषद् में विचार की स्थिति
आ गयी हो साधारण सभा में लाया जा सकता है और वहाँ के दो तिहाई बहुमत से उसका समा
धान निकाला जा सकता है।

की स्थापना से वोटों का महत्त्व गौण पड़ गया है। अब वीटो का प्रभाव मुख्य रूप से सक्षयता के सम्बन्ध में रह गया। विश्वशान्ति के सम्बन्ध में अब साधारण सभा को अत्यन्त विस्तृत अधिकार मिल गये हैं जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई काम एक नहीं सकता। वीटो के कायम रहते हुए भी साधारण सभा द्वारा बहुत-से कामों को सम्पन्न कराया जा सकता है। चाल्सरलीचर ने लिखा है कि बड़ी असहमति का लक्षण है, कारण नहीं। इसलिए वीटो का समाप्त कर देने से विरोधी गुटों का मतभेद नहीं समाप्त होगा। अतएव संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए निषेधाधिकार (veto) की व्यवस्था अभी अत्यन्त आवश्यक है।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्

(Social and Economic Council)

चार्टर की ६१वीं से ७२वीं धाराओं में एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की व्यवस्था की गयी है। इस परिषद् में साधारण सभा द्वारा चुने गये अद्वारक सदस्य होते थे। १९६५ में चार्टर में जो सुशोधन हुआ उसके अनुसार यह संख्या बढ़ाकर सत्ताइस कर दी गयी है। इसमें नौ सीटों को जो वृद्धि हुई है उसके बँटवारा की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है—मात मीटें अफ्रिकी एशियाई देशों को, एक लैटिन अमरीकी देशों को तथा एक पश्चिमी यूरोपीय देशों को। इनमें से छह सदस्य प्रतिवर्ष तीन साल के लिए निर्वाचित होते हैं। जिन सदस्यों की अवधि समाप्त हो जाय वे चुनाव के लिए पुनः लड़ा जा सकते हैं। परिषद् में निणय साधारण बहुमत से होता है। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।

परिषद् के उद्देश्य — इस संस्था को संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों

इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक स्वरूप में महान् परिवर्तन हो गया है। चार्टर के निर्माताओं के उद्देश्य या कि सुरक्षा परिषद् को साधारण सभा से अधिक शक्तिशाली संस्था बनाया जाए, पर जब सुरक्षा परिषद् अपनी शक्ति के प्रयोग में अक्षम साबित हुई तो उसके महत्वपूर्ण अधिकार को साधारण सभा को हस्तान्तरित कर दिया गया। अब सुरक्षा परिषद् जो काम कर सकती है वही साधारण सभा भी कर सकती है। उदाहरण के लिए १९५१ के स्वेज नहर की समस्या को ही ले। अब ब्रिटेन और फ्रान्स ने मित्र पर आक्रमण कर दिया तो यह प्रश्न सुरक्षा परिषद् के सामने पेश हुआ। आग्रह प्रतीति वोटों के कारण वह संस्था इस सम्बन्ध में कुछ न कर सकी। अन्त में इस प्रश्न को साधारण सभा में ले जाया गया जहाँ स्वेज सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यदि संयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ रहता तो यह सम्भव नहीं था। इस प्रकार साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् के अधिकारों में काफी परिवर्तन हो चुका है। अब साधारण सभा को केवल 'सहाय सभा, नहीं कहा जा सकता है।

को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वह उपयुक्त विषयों का अध्ययन करती है, इन पर रिपोर्ट देती है तथा यदि आवश्यकता पड़े तो और विषय अध्ययन के लिए व्यवस्था कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद् का काम विश्व को युद्ध के आतंक से रक्षा करना है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद् मानव की रक्षा गरीबी, बीमारी तथा दरिद्रता से करती है और इस प्रकार युद्ध के मानसिक कारणों के उन्मूलन को चेष्टा करती है।

संघ सभा व अधीन संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सिफारिश करना तथा अध्ययन करना तथा उस दिशा में प्रेरणा प्रदान करना, मानव अधिकारों व आधारभूत स्वतन्त्रता की मान्यता को व उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, और अपनी अधिकार परिधि में आने वाले मामलों के विषय में महासभा में पेश करने के लिए सन्धियों के मतविदे तैयार करना, विशेष एजेन्सियों से समझौतों के बारे में बातचीत करना तथा उन शर्तों को अंकित करना जिनके अनुसार वे संयुक्तराष्ट्र से सम्बद्ध हो सके, परामर्श एवं सिफारिश प्रदान करते हुए, तथा साधारण सभा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश करके उन एजेन्सियों की गतिविधियों तथा कामों में समन्वय खना, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों और विशेष एजेन्सियों की प्रार्थना पर उनके लिए महासभा द्वारा स्वीकृत सेवाएँ उपलब्ध करना और आर्थिक व सामाजिक परिषद् जिन विषयों पर विचार करती है, उनसे सम्बन्धित गग-सरकारी एजेन्सियों से परामर्श करना है।

सहायक अग- आर्थिक और सामाजिक परिषद् आयोगों तथा समितियों द्वारा कार्य-संचालन करता है। उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यकारी आयोगों की स्थापना की जा चुकी है—

१	यातायात व संचार आयोग	१५ सदस्य
२	परिगणना आयोग	१५ सदस्य
३	आवादी आयोग	१५ सदस्य
४	सामाजिक आयोग	१८ सदस्य
५	मानव अधिकार आयोग	१८ सदस्य
६	नारी अधिकार सम्बन्धी आयोग	१८ सदस्य
७	मादक पदार्थ आयोग	१५ सदस्य
८	अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग	१८ सदस्य

इन आयोगों के निर्वाचित (Elected) सदस्य होते हैं और उनका निर्वाचन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा किया जाता है। मादक पदार्थ सम्बन्धित आयोग के प्रतिनिधियों को सीधे उनकी सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य आयोगों के लिए सदस्य देश महासचिव से परामर्श करके अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं ताकि प्रत्येक आयोग के अधीन विभिन्न क्षेत्रों का सशुद्ध प्रतिनिधित्व हो सक। इन नियुक्तियों को बाद में परिषद् स्वीकृत करती है।

इस परिषद् द्वारा नियुक्त एक उप-आयोग भी है जिसका नाम है 'भेदभाव' रोकथाम एवं अल्पसंख्या सुरक्षा सम्बन्धी कमिशन। इसका बारह सदस्य होते हैं। इस उप आयोग के अलावा तीन प्रादेशिक आयोगों की स्थापना भी की गयी है—

- (१) यूरोप निमित्त आर्थिक आयोग।
- (२) एशिया तथा सुदूरपूर्वार्ध आर्थिक आयोग।
- (३) लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग।

इसके अतिरिक्त इस परिषद् की विशेष सस्थाएँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं - स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि (U N International Children Emergency Fund)। ११ दिसम्बर १९४६ को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य बाल-कल्याण के विविध कार्य, बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के कार्यक्रमों की सहायता देना है। सप्ताह के एक सौ बारह देशों में यह सन्ध्या अत्यन्त ही सराहनीय काम कर रही है।

प्राविधिक सहायता—आर्थिक और सामाजिक परिषद् का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य सप्ताह के पिछड़े हुए देशों को प्राविधिक सहायता (Technical Assistance) देना है। सप्ताह में ऐसे असंख्य देश हैं। इन देशों को दो प्रकार की सहायता चाहिए—(१) प्राविधिक दक्षता (Technical Skill) जिसके द्वारा सप्ताह के पिछड़े हुए राष्ट्र नयी विधियों और उपार्यों की सहायता से उत्पादन बढ़ाकर अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। (२) आवश्यक उपकरणों, यन्त्रों, मशीनों, भवनों, सड़कों, बन्दरगाहों, उद्योग तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् इन देशों में विशेषज्ञों को भेजती है तथा उन्हें हर तरह की सहायता करती है ताकि वे अपनी उन्नति कर सकें। इसके लिए एक टेकनिकल सहायता बोर्ड की स्थापना की गयी है। इसमें एक प्रबन्धक-अध्यक्ष तथा सम्बन्धित एजेंसियों के प्रबन्धक अध्यक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि होते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव प्रबन्धक अध्यक्ष की नियुक्ति एजेंसियों के परामर्श से करते हैं। बोर्ड आर्थिक और सामाजिक परिषद् की एक स्थायी समिति (टेकनिकल

सहायता समिति) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये समितियाँ नीतियों तथा प्रगति पर विचार करती हैं। साथ ही टेकनिकल सहायता के भावी कार्यक्रम पर निष्कारिण करती हैं। किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भाग लेने वाली सस्थाओं को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए उनकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होती है।

मानवीय अधिकार—द्वितीय विश्व-युद्ध काल में मानव के मौलिक अधिकारों का बड़ा हानन हुआ था। अतएव युद्ध के समय से ही यह माँग की जाने लगी थी कि ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि भविष्य में इन क्रूरताओं को पुनरावृत्ति न हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिपद का यह उत्तरदायित्व मौपा कि वह मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनावे। इस कार्य को पूरा करने के लिए परिपद ने विभिन्न मानवीय अधिकारों का अध्ययन किया तथा इसके लिए अनेक आयोग स्थापित किये गये। दासता तथा बेगार का, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों का तथा राज्यहीन एवं शरणार्थियों की समस्याओं का अध्ययन किया गया। परिपद को सिफारिश पर साधारण सभा ने जातिनाश (Genocide) के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के द्वारा किसी प्रजाति या धर्मावलम्बी को सगठित रूप से विनष्ट करने के प्रयत्नों का अवैध घोषित किया गया। इसमें अतिरिक्त परिपद ने शिवों की स्थिति पर तथा प्रेस और सूचना की स्वतन्त्रता पर आयोग बनाकर इनके सम्बन्ध में कई समझौतों के प्रारूप तैयार किये।

इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महान् काम मानवीय अधिकारों की घोषणा थी। सामाजिक और आर्थिक परिपद के एक आयोग की सिफारिश पर साधारण सभा ने १० सितम्बर १९४८ को मानवीय अधिकारों पर एक घोषणा पत्र स्वीकार किया। इस घोषणा में प्रस्तावना के अतिरिक्त तीस धाराएँ हैं। इनमें राजनीतिक, दीवानी, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का विशद बर्णन है। इनमें मुख्य रूप से अन्तःकरण (Conscience), धर्म, सम्पत्ति रखने, वोट देने, लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व पाने तथा दूसरे देश में शरण तथा काम पाने, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित होने तथा शिक्षा एवं विश्राम पाने के अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को महत्ता को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष १० दिसम्बर को मानवीय अधिकार दिवस मनाया जाता है।

विशिष्ट एजेन्सियों से सम्बन्ध—विभिन्न विशिष्ट अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सम्बन्ध के सम करना आर्थिक और सामाजिक परिपद की जिम्मेदारी है।

सभी तक निम्नलिखित एजेन्सियों के साथ सयुक्त राष्ट्रसंघ का समन्वितता हुआ है—

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, (२) सयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, (३) सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, (४) विश्व स्वास्थ्य संगठन, (५) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, (६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (७) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, (८) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक-उद्यम संगठन, (९) विश्व डाक संघ, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार व्यवस्था संघ और, (११) विश्व श्रद्धा विज्ञान संगठन ।

सरक्षण-परिषद्

(Trusteeship Council)

सरक्षण-परिषद् —सरक्षण परिषद् (Trusteeship Council) सयुक्त

राष्ट्रसंघ का चौथा प्रमुख अंग है । इसकी स्थापना पुराने राष्ट्रसंघ की सरक्षण व्यवस्था (mandate system) के स्थान पर की गयी है । सरक्षण पद्धति का मूल सिद्धान्त यह है कि आधुनिक संसार में ऐसे कुछ प्रदेश हैं जिसके निवासी पिछड़े हुए और अविकसित हैं । उनकी सन्नति अन्य सभ्य और उन्नत देशों की सहायता से ही सम्भव है । सभ्य देशों का यह कर्त्तव्य है कि वे उनके विकास में यथासम्भव सहायता दें और उस काल तक अपने को न्यासी (trust) समझकर उसकी हितों की देखभाल करें जब तक वे स्वयं अपना शासन सम्हालने योग्य न हो जायें । जिन देशों को यह कार्य सौंपा जाय वे उनको सयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख करें । राष्ट्रसंघ की सरक्षण-पद्धति में केवल जर्मनी और तुर्की के उपनिवेश शामिल किये थे, लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था में सभी पराधीन देश या क्षेत्र आ गये हैं ।

चार्टर के अनुसार सरक्षण पद्धति के लक्ष्य हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का बढावा देना, (२) स्वशासन की दिशा में संरक्षित प्रदेश के निवासियों का विकास करना, (३) मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन एवं उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा (४) सामाजिक, आर्थिक तथा वाणिज्य-सम्बन्धी मामलों में सयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना ।

सरक्षण परिषद् के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रदेशों का प्रशासन आता है—

- (१) वे प्रदेश जो सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन के साथ सैनफ्रांसिस्को-नेशनस की सरक्षण व्यवस्था के अन्दर शामिल थे, (२) वे जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शत्रु राज्यों से छीन लिये गये थे तथा (३) वे प्रदेश जिनको उपनिवेशवादी राज्यों ने स्वेच्छा से सयुक्त राष्ट्र को दे दिया हो सरक्षण सम्बन्धी समझौतों में उन शर्तों का

उल्लेख होना अनिवार्य है जिसके अनुसार सरक्षित प्रदेशों का सम्बन्ध चलाया जाता है। साथ ही इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि कौन सी सस्था उन पर शासन करेगी। शासन-प्रयन्ध चलानेवाली सस्था कोई एक अथवा कई देश समूह अथवा स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ हो सकता है। उन प्रदेशों को छोड़कर जिन्हें "सामाजिक महत्त्व का क्षेत्र" घोषित किया हो, समस्त सरक्षित देशों का प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से साधारण सभा सुरक्षण परिषद् की सहायता से करती है। यदि वह सामाजिक महत्त्व का प्रदेश हो तो उसका प्रबन्ध सुरक्षण परिषद् की सहायता से सुरक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सुरक्षण परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख अंग है तथापि उसे स्वतन्त्र शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उसे साधारण सभा तथा सुरक्षा-परिषद् के अधीन काम करना पड़ता है।

सुरक्षण-परिषद् के सदस्य सरक्षित प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, वेल्जियम, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद् के सरक्षित प्रदेशों का शासन करनेवाले देशों में चीन और सोवियत संघ तथा इतनी ही संख्या में तीन वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा चुने जानेवाले देश हैं। इसके सब निर्णय एवं स्थिति और वोट देनेवाले सदस्यों के बहुमत से किये जाते हैं। वर्ष में इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

सुरक्षण परिषद् सरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन की देख-रेख के लिए अनेक प्रकार के साधनों को काम में लाती है। उनमें से प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—(१) प्रशासकीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टें, (२) सरक्षित क्षेत्रों की जनता के आवेदन पत्र तथा (३) सरक्षित प्रदेशों में घटनास्थल पर जाकर जाँच। इन दृष्टिकोणों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रसंघ की सुरक्षण प्रणाली से संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षण पद्धति बहुत बातों में आगे है। उसके जैसे अधिकार प्राप्त हैं जो मै-डैर पद्धति की न थे।*

सरक्षित प्रवेश —जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, चार्टर में यह व्यवस्था भी की गयी है कि उपनिवेशवादी राज्य अपने उपनिवेश का भी संध की सुरक्षा में सौंप देंगे। लेकिन किसी उपनिवेशवादी राज्य ने इस तरह की सदारता नहीं प्रदर्शित की। दक्षिण अफ्रिकी यूनियन ने तो राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सौंपे गये दक्षिण पश्चिम अफ्रिका के सरक्षित प्रदेश को भी नये संध के न्यास पद्धति के अन्तर्गत सौंपने से इन्कार कर दिया। इसकी सारे सार में बड़ी कड़ी आलोचना हुई। इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा गया और न्यायालय का यह निर्णय हुआ कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षण परिषद्

की सुरक्षता में रखा जाय। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी यूनियन की सरकार ने ऐसा करने से साफ साफ इन्कार कर दिया। फिर भी चूँकि यह पुराने राष्ट्रसंघ की सुरक्षता में था और उसके उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस पर निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त था, अतएव साधारण सभा ने इसके शासन के सम्बन्ध में प्राप्त होनेवाली वार्षिक रिपोर्टों की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इस प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में रिपोर्टें भेजने से इन्कार कर दिया। संघ की ओर से इस पर सुरक्षता कायम करने के कितने प्रयास हुए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी यूनियन की सरकार के सह के कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षण पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित ११ प्रदेश थे—

सुरक्षित प्रदेश	शासन करनेवाले देश	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	जनसंख्या
१ न्यूगिनी	ऑस्ट्रेलिया	९३,०००	१०,०६,२०००
२ रूआंडा चरूडी	बेल्जियम	२०,९१६	३७,१८,६९६
३ फ्रेंच कैमरून	फ्रांस	६६,७६७	२७,०२,५०,०१
४ फ्रेंच टोगोलैंड	फ्रांस	२१,२३६	९,४४,४४६
५ पश्चिमी समोआ	न्यूजीलैंड	१,११३	७२,९३६
६ टांगानिका	ग्रेट ब्रिटेन	३,४०,८१	७०,७९,५५७
७ ब्रिटिश कैमरून	ग्रेट ब्रिटेन	३,४०,८१	९,९१,०००
८ नौरू	ऑस्ट्रेलिया	८२	३,१६२
९ प्रशान्त महासागर के द्वीप	संयुक्त राज्य अमेरिका	६८७	६०,६०००
१० सुमालीलैंड	इटली	९४,०००	९१५,०००,१
११ ब्रिटिश टोगोलैंड	ग्रेट ब्रिटेन	२२,९८२	७,२४,४०८

इन सुरक्षित प्रदेशों में ९ पुराने राष्ट्रसंघ की सुरक्षण पद्धति के अन्तर्गत थे। ब्रिटिश टोगोलैंड जो पहले ब्रिटेन द्वारा शासित होता था, ६ मार्च, १९५७ को घाना के साथ मिलकर स्वतन्त्र राज्य बन गया। फ्रेंच कैमरून १ जनवरी, १९६० को तथा फ्रेंच टोगोलैंड २७ अप्रिल, १९६० को स्वतन्त्र हो गया। १९६१ में ब्रिटिश कैमरून, टांगानिका, पश्चिमी समोआ और रूआंडा-चरूडी स्वतन्त्र हो गये।

एक नियमित राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि मण्डल हर वर्ष सुरक्षित प्रदेशों के दोरे के लिए भेजा जाता है। १९४८ में इसी प्रकार एक टोली (ब्रिटेन द्वारा शासित) टांगानिका और (बेल्जियम द्वारा शासित) रूआंडा चरूडी गई थी। १९४९ में एक टोली (फ्रांस द्वारा शासित) कैमरून और टोगोलैंड और (ब्रिटेन द्वारा शासित) कैमरून और टोगोलैंड गयी थी। १९५० और

१९१३ तथा १९५६ में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने नौरू, न्यूगिनी, पश्चिमी सामोआ और प्रशान्त द्वीपों वाले संरक्षित प्रदेशों का दौरा किया था। १९५१, १९५४ तथा १९५७ में एक दूसरा मिशन पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों रुवांडा, उरुन्डी, टंगानिका व सोमाली लैंड का दौरा करने गया। १९४७ में एक आवेदन पर विशेष मिशन ने पश्चिमी सामोआ का दौरा किया। पश्चिमी अफ्रीका के चार संरक्षित प्रदेशों का दौरा एक मिशन द्वारा १९५२ और फिर १९५५ में किया गया। १९५७ तक संरक्षण परिषद् ने १०५७ आवेदन पत्रों पर विचार भी किया।

राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धतियों में तुलना—संयुक्त राष्ट्रसंघ में जिस संरक्षण पद्धति की व्यवस्था की गयी है वह पुराने राष्ट्रसंघ की व्यवस्था से कई दृष्टियों से उत्कृष्ट है। इसकी उत्कृष्टता निम्नलिखित बातों में स्पष्ट होती है—

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति में केवल जर्मनी और तुर्की से छीने गये प्रदेश ही शामिल किये गये थे लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था में केवल शत्रु से छीने गये प्रदेश हैं, बल्कि स्वशासन न करनेवाले पराधीन और उपनिवेशवाद के शिकार हुए देश भी शामिल हैं। इस प्रकार, इसका क्षेत्र पहली की संरक्षण पद्धति से बहुत भिन्न है।

(२) नवीन व्यवस्था में संरक्षित प्रदेशों पर शासन करनेवाली शक्तियों पर मेंडेट प्रणाली की अपेक्षा अधिक कड़ा नियन्त्रण है। राष्ट्रसंघीय व्यवस्था में स्थायी संरक्षण आयोग (Permanent Mandate Commission) को संरक्षित प्रदेशों में जाकर न तो निरीक्षण करने का अधिकार था और न वह वहाँ के निवासियों के किसी प्राथम-पत्र पर विचार कर सकता था। इस प्रकार वह संरक्षित प्रदेशों के सम्बन्ध में देखने और सुनने दोनों प्रकार के अधिकारों से वंचित था। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत संरक्षण परिषद् आवेदन पत्र पर विचार कर सकती है तथा संरक्षित प्रदेशों में निरीक्षक मण्डल भी भेज सकती है। अतएव इसका निरीक्षण पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी और क्षमतापूर्ण है।

(३) राष्ट्रसंघीय संरक्षण-व्यवस्था विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित करने के सिवा और कुछ न थी। इसमें इन प्रदेशों को उत्तरी, स्वशासन और स्वतन्त्रता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति में स्वशासन का विचार बिल्कुल स्पष्ट है और शासन करने वाले देशों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे अपने प्रदेशों को स्वशासन और

स्वतन्त्रता के लिए समर्थ तथा योग्य बनायें। इसमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन की स्पष्ट व्यवस्था है। राष्ट्रसंघ की संरक्षण प्रणाली में ऐसा नहीं था।

(४) पुरानी व्यवस्था में संरक्षण प्रदेशों की समस्या स्थायी संरक्षण आयोग का विषय समझी जाती थी। इस आयोग की स्थिति महत्त्वपूर्ण नहीं थी और इसलिए इसके कार्यों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। किन्तु नयी व्यवस्था में यह विषय संरक्षण परिषद् की अपेक्षा साधारण सभा में अधिक आगे आगे आलाोचक है। वे संरक्षित प्रदेशों की हितचिन्ता और कल्याण के लिए बहुत व्यग्र एवं चिन्तित रहते हैं। अतः पुरानी व्यवस्था में संरक्षित प्रदेश प्रायः उपेक्षित रहते थे, किन्तु अब सयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षित प्रदेशों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

(५) सयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति के प्रधान अंग संरक्षण परिषद् की बनावट, संगठन और अधिकार पुराने राष्ट्रसंघ के स्थायी संरक्षण आयोग की अपेक्षा अधिक सुसंगठित, शक्तिशाली, स्वतन्त्र तथा सन्तुलित है। स्थायी संरक्षण आयोग में केवल विशेषज्ञ होते थे। वे लोग प्रायः शासक देशों के होते थे। अतः यह एकपक्षीय और असन्तुलित संगठन था। इसमें शासक वर्ग की ही प्रधानता थी, लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण परिषद् में न केवल प्रशासन करने वाले देश हैं, इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य और इनकी संख्या एक द्वाबर साधारण सभा से चुने जाने वाले सदस्य हैं। इससे परिषद् में केवल शासक देशों की प्रधानता नहीं रहती। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व होने से सन्तुलन बरतना है। अपनी कार्यवाही के नियम बनाने में पूरी स्वतन्त्रता है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता स्थायी संरक्षण आयोग को नहीं थी। इन सब कारणों से सयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति थोड़े समय में ही संरक्षित प्रदेशों के हितों की रक्षा सुधारने तथा उन्हें स्वतन्त्रता दिलाने में राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक सफल हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन

(International Co-operation)

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत रखा जाय या एक दूसरे नये न्यायालय की स्थापना की जाय। इस विषय पर दो मत थे। एक पक्ष का कहना था कि पुराने न्यायालय की ईमानदारी और निष्पक्षता की परम्परा देखकर उसी को कायम रखना ठीक होगा। दूसरे पक्ष का कहना था कि चूंकि पुराने न्यायालय के प्रति अमेरिका और सोवियत संघ का रुख अच्छा नहीं था, इसलिए उसको हटाकर एक नये न्यायालय की स्थापना करना ही अच्छा होगा। अन्त में दूसरे पक्ष के विचार को ही मान लिया गया और उसके अनुसार एक नये न्यायालय की स्थापना की गयी। पर सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत स्थापित न्यायालय को एक नया न्यायालय कहना उचित भी नहीं है। केवल नाम परिवर्तन को छोड़कर और पुराने न्यायालय के विधान में कुछ शब्दक परिवर्तन के अतिरिक्त नये न्यायालय में कोई नवीनता नहीं है। यह वही पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे राष्ट्रसंघ ने १९२१ में हेग में स्थापित किया था। सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर ने उक्त पुराने न्यायालय में जान डाली है।

संगठन—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पन्द्रह न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति सयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा होती है। ये दो संस्थाएँ न्यायाधीशों का निर्वाचन करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए सम्मीदवारों को उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति तथा अपने राज्य के कानून और अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीशों की निर्वाचन प्रणाली कुछ पेचीदा है। न्यायालय के सदस्यों को साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् उन लोगों की सूची में से चुनती है, जिन को सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र मनोनित करते हैं। जिस व्यक्ति को साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है वे न्यायालय के न्यायाधीश चुन लिये जाते हैं। पर इस चुनाव में यह ध्यान देना पड़ता है कि सभी सदस्य राष्ट्रों को यथासम्भव न्यायालय में प्रतिनिधित्व मिल जाय। दो न्यायाधीश एक ही राज्य के नहीं होने चाहिये। न्यायाधीशों का साधारण कार्यकाल ९ वर्ष का है। पर वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।

जहाँ तक न्यायालय की कार्यविधि का प्रश्न है, पन्द्रहो न्यायाधीश मिलकर मामले की सुनवाई करते हैं। कम-से-कम नौ न्यायाधीशों के उपस्थित रहने पर ही राय या निर्णय किया जा सकता है। उस देश का न्यायाधीश मामले के निर्णय में मांग नहीं ले सकता है जिस देश से सम्बद्ध कगड़े पर न्यायालय विचार कर रहा हो। पर यदि कोई ऐसा राज्य जिसको न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो और उससे सम्बद्ध कोई कगड़ा न्यायालय के समस्त विचाराधीन हो तो उसे देश के न्यायाधीशों को भी न्यायालय की कार्रवाई में मांग लेने के लिए

अमन्त्रित किया जा सकता है। उनसे सनाह ली जा सकती है, पर निर्णय में उनका कोई हाथ नहीं होगा।

क्षेत्राधिकार— अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी है। सयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। गैर सदस्य-राज्य भी यदि वे न्यायालय का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सदस्य-राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक कानून और न्यायिक प्रश्न पर विचार करना न्यायालय का पहला काम है। सदस्य राज्यों को अधिकार है कि वे किसी राज्य के साथ अपने झगड़ों को न्यायालय के सामने निर्णय के लिए उपस्थित कर सकें। यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों तथा परम्पराओं से सम्बद्ध भी हो सकता है। पर हर मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य नहीं है। जैसे ही मामलों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होता है जिसको झगड़ों से सम्बद्ध राज्य ऐसा मान लेते हैं। यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सगठन की सबसे बड़ी कमजोरी है।

राज्यों की स्वतन्त्रता है कि वे अल्पकाल या सदा के लिए अपने मामलों का निर्णय इस न्यायालय से कराने का निश्चय करें। पर एक बार ऐसा निर्णय कर लेने के बाद ऐसे राज्यों के मामले स्वतः इस न्यायालय के विचाराधीन हो जाते हैं। इसके बाद यदि कोई राज्य अपने किसी मामले को न्यायालय के कार्यक्रम से हटाना चाहे तो उसको यह बतलाना पड़ता है कि अमुक विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यदि किसी दो राज्य में सन्धि की व्याख्या को लेकर कोई वाद-विवाद उपस्थित हो गया हो और वे यदि इसकी उचित व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कराने के लिए सहमत हों तो न्यायालय को उस प्रकार के किसी सन्धि की व्याख्या करने का अधिकार है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के विविध अंगों को परामर्श देना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूसरा प्रमुख कार्य है। साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् किसी भी वैधानिक मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकती है। पर, न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग (जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद्) भी न्यायालय से किसी वैधानिक विषय पर परामर्श ले सकते हैं।

सचिवालय

(Secretariat)

सयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्पादन के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गयी है। चाटर के पन्द्रहवें अध्याय में धारा ९७ से १०१ तक इसके सगठन

का वर्णन है। इसका सगठन प्रायः वैसा ही है जैसा राष्ट्रसंघ के सचिवालय का था। सचिवालय में सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर साधारण समा द्वारा नियुक्ति किया गया एक महासचिव और उतने पदाधिकारी होती है जितने इस संस्था के लिए आवश्यक समझे जायें। महासचिव सचिवालय की सहायता से अपना कार्य करता है। यदि हम राष्ट्रसंघ की सचिवालय से वर्तमान सचिव की तुलना करते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण अन्तर मिलेगा और यह अन्तर महासचिव के काय और अधिकारों से सम्बन्धित है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत महासचिवालय की कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं और उनमें कुछ ऐसे कर्तव्यों का पालन करना है जिसका पुराने राष्ट्रसंघ में सर्वथा अभाव था। चार्टर के अनुसार महासचिव के निम्नलिखित काय हैं—

(१) यदि महासचिव यह समझे कि किसी मामले के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है तो वह सुरक्षा परिषद् का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकता है। यह महासचिव का सबसे बड़ा अधिकार है। इस तरह का कोई अधिकार राष्ट्रसंघ के महासचिव को न था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का महासचिव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर विश्व शांति कायम रखने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

(२) महासचिव प्रतिषेध संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्बन्ध के साधारण समा को वापिक रिपोर्ट देता है।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंग उसे जो काम सौंपते हैं, उन्हें पूरा करता है।

700 (४) महासचिव संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति साधारण समा द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार करता है। इन नियुक्तियों के समय उनकी कार्य निपुणता, योग्यता और ईमानदारी पर ध्यान दिया जाता है। इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि जहाँ तक हो सके विश्व के विभिन्न देशों के कर्मचारी मर्ती किए जा सकें ताकि अधिकाधिक देशों का सचिवालय नेवाओं में प्रतिनिधित्व मिल सके। अपने कर्तव्य का पालन करते समय महासचिव और उनके स्टाफ से अपेक्षित है कि वे किसी भी सरकार अथवा संयुक्त राष्ट्र के बाहर किसी रूप में से न तो आदेश ही प्राप्त करेंगे और न उनसे माँगेंगे, उनसे अपेक्षित है कि वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे यह प्रतीत हो कि उनके काम पर किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के रूप में मान्यता देना होता है। लेकिन कई बार इस आदेश के विपरीत काम हुआ है। कुछ वर्ष पहले कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन बहुत चप होने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के अपने प्रयाग का प्रयोग करते हुए महासचिव की सहायता से संघ में कार्य करने

घाले, विन्स्टन चर्चिल प्रभृति घाले कुछ अमरीकियों को सचिवालय से निष्कासित किया था। सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तय किया है कि वे इस बात का आदर करेंगे कि सचिवालय का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय होगा और वे उन दायित्वों के निर्वाह में कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे।

महासचिव की स्थिति—सयुक्त राष्ट्रसंघ में महासचिव के पद पर अभी तक तीन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। १ फरवरी, १९४६ को नावें के त्रिग्वोली (Trygve Lie) पाँच वर्ष के लिए महासचिव के पद पर नियुक्त किये गये थे। एक नवम्बर १९५० को उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। १० नवम्बर, १९५२ को उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। १० अप्रिल, १९५३ को स्वेडन के डाग हैमरशोल्ड (Dag Hammarskjöld) को उनके स्थान पर महासचिव नियुक्त किया गया। २६ सितम्बर, १९५७ को हैमरशोल्ड को १० अप्रिल, १९५८ से शुरू होने वाले पाँच वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। लेकिन १८ सितम्बर, १९६१ को हवाई दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर बर्मा के यू थान्त (U Thant) को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया। बाद में उनकी नियुक्ति पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक कर दी गयी।

अक्टूबर १९६६ में महासचिव यूथान्त का कार्यकाल पूरा हो रहा था। अगले वर्षों के लिए यह पद किसको दिया जाय यह एक कठिन समस्या थी। विश्व की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यूथान्त ने निश्चय किया कि वे पुनः इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन चारों ओर से सभी देशों ने मिलकर अनुरोध किया कि वे दूसरे कार्यकाल को स्वीकार कर लें। यूथान्त को विश्व जनमत के समझ मुकना पड़ा और वे सर्वसम्मति से पुनः संघ के महासचिव चुन लिये गये।

सचिवालय में महासचिव के पद बड़े महत्त्व का है। उसे केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। वेह शान्ति पर खतरा की स्थिति पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करा सकता है।

राजनीतिक मामलों में महासचिव कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, यह एक दो-तीन उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। १९५० में जब रूस ने यह घोषणा की कि वह राष्ट्रसंघ की कार्यवाहियों में तब तक हिस्सा नहीं लेगा जब तक चीन की कम्युनिस्ट सरकार को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जायगा तब तक राष्ट्रसंघ के समझ भयकर संकट उपस्थित हो गया था। इस समस्या को हल करने के लिए महासचिव त्रिग्वोली ने पर्याप्त प्रयास किया और बड़े देशों के प्रधानों के साथ बातचीत करने के लिए करीब करीब आधे विश्व की यात्रा

की। उन्होंने सदस्य-राज्यों से अपीलें कीं और सम्मति के लिए योजनाएँ प्रस्तुत कीं। १९५० में भी जब कोरिया के सम्बन्ध में विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् को बैठक बुलाई गई तो महासचिव त्रिग्वीली ने ही इस समस्या पर सर्व प्रथम प्रकाश डाला और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील की। उसके बाद जब परिषद् ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने की वृत्त दे दी तो उन सैन्य कार्यवाहियों के लिए सदस्य राज्यों का सहयोग हासिल करने और उसमें सम्बन्ध स्थापित करने की जिम्मेदारी महासचिव को ही उठानी पड़ी।

इसी तरह काँगों में छिड़े गृह-युद्ध के समय भी महासचिव को बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह करना पड़ा। वहाँ गृह-युद्ध समाप्त करके शान्ति स्थापना की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने ऊपर ली। काँगों में राष्ट्रसंघ की सेना भेजी गयी जहाँ उसे भयकर युद्ध करने पड़े। महासचिव हैमरशोल्ड ने इस सैनिक अभियान का निर्देशन किया और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्हें कई बार काँगों जाना पड़ा। इसी क्रम में उनकी मृत्यु भी हो गयी। इससे स्पष्ट है कि महासचिव पर कितनी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं तथा कौसी विकट परिस्थितियों में अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है।

महासचिव की राजनीतिक जिम्मेवारियों का ताजा मिशाल प्रस्तुत करता है १९६५ में भारत-पाकिस्तान के युद्ध में उसका पार्ट। जब सितम्बर, १९६५ में इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ा तो उनमें युद्ध बन्द करवाने के लिए महासचिव ने बनेक प्रयास किये। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बन्द कराने में महासचिव का पार्ट बहुत ही महत्त्वपूर्ण था।

महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के बनेक मौके मिलते हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ उसका सम्पर्क बराबर रहता है। इसलिए वह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त के लिए सरकारों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। उसे यह स्वतन्त्रता होती है कि वह सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्रालय में जा सके और स्वतन्त्रतापूर्वक सलाह मशविरा कर सके। महासचिव सार्वजनिक भाषण भी दे सकता है। इस कारण वह विश्व के जनमत को प्रभावित कर सकता है। वह अपनी रिपोर्टों में इस तथ्य को सिफारिश भी कर सकता

प्रस्ताव आया तो रूस ने उसका विरोध किया। अमेरिका ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव रखा कि उनके कार्यकाल की अवधि, जो पाँच वर्षों की थी, बढ़ा दी जाय। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस निर्णय के कारण भयंकर कटुता उत्पन्न हो गयी। त्रिभूली के बंद समझौते द्वारा हैमरशोल्ड महासचिव बनाये गये। पर रूस उनसे भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। सितम्बर १९६० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में भाषण करते हुए रूस के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने कहा कि संघ के महासचिव “एकाधिकारवादी पूँजीवादियों के चाकर हैं और पश्चिमी शक्तियाँ महासचिव के पद का अपने स्वार्थों के लिए लाभ उठाती हैं। महासचिव डाग हैमरशोल्ड ने कांगों के संकट का सामना करने के लिए क्रियान्वित किये जाने वाले उपायों में पक्षपात का प्रदर्शन किया है और उसने उपनिवेशवादियों तथा इनका समर्थन करने वाले देशों का साथ दिया है। अतः यह न्यायपूर्ण एवं उचित होगा कि महासचिव के पद पर एक व्यक्ति को न रखा जाय, किंतु तीन व्यक्तियों को रखा जाय, एक व्यक्ति पश्चिमी राज्यों का प्रतिनिधि हो, दूसरा कम्युनिष्ट देशों का तथा तीसरा तटस्थ देशों का। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय का स्थान संयुक्त राज्य अमरीका में होने से बड़ी असुविधाएँ होती हैं। इसे किसी ऐसे स्थान में ले जाया जाना चाहिए, जहाँ इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन का कार्य अधिक क्षमता के साथ हो सके। स्विटजरलैंड या आस्ट्रिया ऐसे स्थान हो सकते हैं। यदि इसका मुख्य कार्यालय सोवियत यूनियन में रखा जाना उचित समझा जाय तो हम इस बात का वचन देते हैं कि इसके कार्य के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जायँगी।”

इस प्रकार सोवियत संघ ने सचिवालय के नये सिरे से संगठन की माँग की। लेकिन इस प्रस्ताव का पूरे जोश के साथ कहीं से समर्थन नहीं मिला। इस प्रस्ताव में कई कठिनाइयाँ थीं। यदि महासचिव का पद तीन विभिन्न प्रवृत्तियों के व्यक्तियों में बाँट दिया जाता तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में पूरा गतिरोध पैदा हो जाता और उसका सारा काम ठप पड़ जाता। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। कांगों के मामले को लेकर रूस ने हैमरशोल्ड पर सार्वजनिक रूप से अनेक आरोप लगाये तथा दोषारोपण किये। उससे इस्तीफा देने की माँग भी की गयी। लेकिन हैमरशोल्ड इन आरोपों से जरा भी विचलित नहीं हुए और कांगों में बड़ी दृढ़ता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे। इसी क्रम में विमान दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गयी।

चार्टर के संशोधन की समस्या

प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था करना आवश्यक माना गया है। इसके अभाव में कोई भी संगठन नवीन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को

नहीं डाल सकता। जो चीज आज अच्छी मालूम पड़ती है वही भविष्य में जाकर बुरी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने इस तथ्य को महसूस किया और इसलिए चार्टर में सशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख कर दिया। चार्टर में सशोधन से सम्बन्धित दो धाराएँ हैं—१०८ और १०९। १०८ वीं धारा के अनुसार चार्टर में किसी भी संशोधन के स्वीकृत होने के लिए साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत होना तथा सुरक्षा परिषद् का सात सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इन सात सदस्यों में पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। धारा १०९ में कहा गया है कि जब कभी चार्टर के संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जायगा। इसके लागू होने के दसवें वर्ष में ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव साधारण सभा में पेश किया जा सकता है। यदि इस सम्मेलन ने कोई संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तो उसको लागू होने के लिए साधारण सभा के दो-तिहाई बहुमत तथा स्थायी सदस्यों सहित सुरक्षा परिषद् के सात वोटों का समर्थन आवश्यक होगा।

इस तरह का कोई सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है और न निकट भविष्य में होने की सम्भावना ही है। ३ जून, १९५७ को साधारण सभा में इस विषय पर एक प्रस्ताव पास हुआ और सम्मेलन क बुलाये जाने को १९५९ तक स्थगित कर दिया गया। चार्टर में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार तब तक नहीं हो सकता जबतक शक्ति गुटों के सघर्ष की छयता में कमी नहीं आती। इसका कारण यह है कि चार्टर में कोई भी संशोधन अभी क्रियान्वित हो सकता है जब संयुक्त राष्ट्रसंघ के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत तथा सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य—अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस और कोमिन्तांग चीन तथा रूस चाहेंगे हैं। किन्तु पहली चार शक्तियाँ जो परिवर्तन करना चाहेंगी, उन्हें सोवियत यूनियन नहीं स्वीकार करेगा और रूस के उपयुक्त प्रस्ताव पहली चार शक्तियों को मान्य नहीं है। इन पाँचों शक्तियों में इस विषय में कोई समझौता होना बहुत कठिन है।

इस कठिनाई के बावजूद चार्टर में संशोधन की माँग दिनों दिन बढ़ती ही गयी है। लेकिन संघ के जन्म के पाँच वर्षों के अन्दर किसी संशोधन के विषय में सोचना ही व्यर्थ था। उस काल में शीत युद्ध का चरम विकास हो चुका था। फिर भी इस काल में व्याख्या के द्वारा चार्टर के मूल स्वरूप में एक दो परिवर्तन अवश्य हुए। उदाहरण के लिए उस समय एक बात को लेकर बड़ा मतभेद था। यह कहना बड़ा कठिन था कि यदि सुरक्षा परिषद् की बैठक में कोई स्थायी सदस्य अनुपस्थित रहे अथवा उपस्थित रहकर भी मतदान में किसी तरह भाग नहीं लेता उसे निषेधाधिकार का प्रयोग माना जायगा या नहीं।

शुरू में इस सम्बन्ध में यह धारणा थी कि इसे "वीटो" का प्रयोग ही मानना चाहिए। लेकिन १९५० के कोरिया-युद्ध के समय इस प्रश्न का हल निकाल दिया गया। उस समय सोवियत संघ सुरक्षा परिषद् का बहिष्कार कर रहा था। उसकी अनुपस्थिति में परिषद् ने कई प्रस्ताव पास किये। बाद में जब सोवियत संघ परिषद् की कायवाही में भाग लेने लगा तो उसने यह कहा कि उसकी अनुपस्थिति में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे सब अवैध हैं क्योंकि उन प्रस्तावों का एक स्थायी सदस्य का समर्थन नहीं मिला है और उन पर रूस का वीटो-प्रयोग मानना चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद् को यह तर्क मान्य नहीं हुआ। उसने यह निश्चय किया कि स्थायी सदस्यों की अनुपस्थिति अथवा मतदान में भाग नहीं लेना वीटो का प्रयोग नहीं माना जायगा।

चार्टर के स्वरूप में एक महान् परिवर्तन "शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव" के कारण हुआ। पिछले पृष्ठों में हम बतला चुके हैं कि किस तरह इस प्रस्ताव ने साधारण सभा को सुरक्षा परिषद् से भी अधिक महत्त्वपूर्ण सभ्या बना दिया है। इस तरह केवल व्याख्या के आधार पर ही चार्टर में दो परिवर्तन हो चुके हैं।

सोवियत संघ चार्टर के सशोधन का बराबर से विरोध करता आ रहा है। फिर भी, १९६० में उसने सशोधन के लिए कई प्रस्ताव रखे। २८ सितम्बर, १९६० को सोवियत प्रधान मन्त्री खरुचेव ने न्यूयार्क में यह घोषणा की कि अब चार्टर में सशोधन करना बड़ा आवश्यक है। इसका निर्माण तब हुआ था जब सयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था और साम्यवादी गुट इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना अब है। अफ्रिका तथा एशिया के सपनिवेश स्वतन्त्र नहीं हुए थे। अब इन सारं परिवर्तनों के अनुरूप सयुक्त राष्ट्रसंघ के सगठन में परिवर्तन होना चाहिए।

सशोधन के सम्बन्ध में रूस की मुख्य मांगें चार थीं—(१) सयुक्त राष्ट्रसंघ की परिषदों से सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व कम किया जाय, इनमें अफ्रिका तथा एशिया के देशों का अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। (२) संघ में साम्यवादी चीन का स्थान दिया जाय। (३) संघ के महामन्त्रि का पद तीन व्यक्तियों में बाँट दिया जाय। (४) संघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका से हटा कर किसी दूसरे देश में ले जाया जाय।

लेकिन सोवियत रूस के इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिल सका और सशोधन की बात वहीं तक रह गयी।

प्रथम सशोधन— जिस समय सयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापना हुई थी, उस समय इसके सदस्यों की संख्या केवल ५१ थी। अब यह संख्या १२४ हो गयी है।

इसके आरम्भिक ५१ सदस्यों में २२ अमरीकी महादेशों के, १४ यूरोप के, ९ एशिया के और अफ्रिका के बसल ४ सदस्य थे। बाद में अमरीकी महादेशों के सदस्यों में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, किन्तु यूरोप के सदस्य बढ़कर २७ हो गये। १९५८ में एशिया के सदस्यों की संख्या २३ हो गयी। १९६० में अफ्रिका के १६ नये सदस्य बने। उसके बाद अफ्रिकी देशों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही और अब अफ्रिका और एशिया के देश बहुसंख्यक हो गये हैं। सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या ११ थी। इन सीटों का बँटवारा इस ढंग से होता था कि एशिया और अफ्रिका के देशों को दो से अधिक सीट का मिलना मुश्किल था, यद्यपि वे अब सघ में बहुसंख्यक हो गये थे। परिषद् के स्थायी सदस्यों में भी एशिया और अफ्रिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एशिया का एक देश चीन सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य अवश्य है, किन्तु वह न्याय काई शोक का फारमोशा वाला चीन है, जिसका चीन की मुख्य भूमि में कोई प्रभुत्व नहीं है। इस हालत में १९५९ के बाद से चार्टर के संशोधन की माँग ने सघ रूप धारण कर लिया। अक्टूबर, १९५९ में संयुक्त राष्ट्र सघ की राजनीतिक समिति में सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया। कहा गया कि संयुक्त राष्ट्रसघ की सदस्य संख्या निरन्तर बढ़ रही है लेकिन उसके प्रमुख अंगों के संगठन में कोई विकास नहीं हुआ है। इन में एशिया और अफ्रिका के देशों का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है। इस त्रुटि को दूर करना आवश्यक है।

अतएव १९६३ में साधारण सभा ने चार्टर के संशोधन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद् की सदस्य-संख्या ११ से बढ़कर १५ तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद् की संख्या १८ से २७ करने की सिफारिश की गयी थी। ३१ अगस्त, १९६५ तक सघ के सदस्यों ने इस संशोधन का अनुमोदन कर दिया और इस प्रकार चार्टर में पहला संशोधन क्रियान्वित हुआ। १ जनवरी, १९६६ को नये सदस्य अपनी जगह पर आ गये। साधारण सभा के प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सुरक्षा परिषद् के १० अस्थायी सीटों में ५ सीटें एशिया और अफ्रिका के देशों को मिलेंगी। इसी तरह का बँटवारा आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सम्बन्ध में भी किया गया।

१९६७ के अरब इजरायल युद्ध के तदर्थ में चार्टर का अनौपचारिक संशोधन १९६७ में हुए अरब इजरायल युद्ध के संयुक्त राष्ट्रसघ के संगठन को परोक्ष रूप से प्रभावित किया और इसके फलस्वरूप अनौपचारिक ढंग से चार्टर द्वारा स्थापित व्यवस्था में एक संशोधन हुआ है। अरब इजरायल युद्ध छिड़ते ही सुरक्षा परिषद् ने इस पर विचार करना शुरू किया और उसने कई प्रस्ताव भी स्वीकार किये। लेकिन सीटों

यत संघ सुरक्षा परिषद् की कार्यवाहियों से सन्तुष्ट नहीं था। अतः शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव के अन्तर्गत उठने साधारण सभा की बैठक की माँग की।

चाटर में यह व्यवस्था है कि यदि कोई समस्या सुरक्षा परिषद् में पस्तुत है। तो परिषद् की राय क बिना साधारण सभा में उस पर बहस नहीं हो सकता है। शान्ति क लिए एकता के प्रस्ताव क अन्तर्गत वह प्रश्न साधारण सभा में तभी जा सकता है जब वोटो के प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद् कुछ करने में असमर्थ हो जाय। अरब-इजरायल युद्ध के समय सुरक्षा परिषद् में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ और न कमी वोटो का ही प्रयोग हुआ। इस हालत में सोवियत संघ की माँग पर साधारण सभा की बैठक नहीं हानी चाहिए थी। अतएव साधारण सभा के लिए जब सोवियत संघ का मुक्ताव आया तो कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया। यह कहा गया कि इस परिस्थिति में साधारण सभा की बैठक को बुलाना चार्टर के दृष्टिकोण से अवैधानिक होगा। लोकन अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया और चाटर के प्रावधान पर खयाल किये बिना १- जून, १९६७ को साधारण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर एक नयी परम्परा कायम की गयी। इस परम्परा के आधार पर ऐसी परिस्थिति में साधारण सभा की बैठक भविष्य में भी बुलायी जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चार्टर में अनौपचारिक ढंग से एक और संशोधन हो गया है।

चाटर की त्रुटियाँ और उनको दूर करने के उपाय — यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन हो गया है, फिर भी उसमें कई त्रुटियाँ अभी भी मौजूद हैं जिनको दूर करना आवश्यक है।

संवैधानिक व्याख्या की समस्या — चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि अधिकाधिक संवैधानिक व्याख्या (authoritative constitutional interpretation) की व्यवस्था का अभाव है। जिस तरह प्रत्येक कानून की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह चार्टर की संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता भी निरन्तर पड़ती रहती है। प्रश्न उठता है कि इस तरह की व्याख्या करने का अधिकार किसको है और यह व्याख्या किस आधार पर होना चाहिए। इस सम्बन्ध में चार्टर मौन है। पुराने राष्ट्रसंघ के विधान में भी यह त्रुटि थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न की भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में इसको लेकर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। उदाहरण के लिए चार्टर की एक धारा में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी सार्वभौम राष्ट्र के अग्रस्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धरेल्ल क्षेत्र के इस विधान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को कार्यवाहियों का क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया है। पुराने राष्ट्रसंघ में भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन यह निर्णय करने का अधिकार

कौमिल को दिया गया था कि कौन से मामले घरेलू मामले समझ जाय। कोई भी राष्ट्र स्वयं निर्णय नहीं कर सकता था कि कौन सा मामला उसका घरेलू मामला है। संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है जिससे संयुक्त राष्ट्र संधि के किसी भी अंग को यह निर्णय करने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्राप्त हो। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को स्वयं यह निर्णय करने का अधिकार है कि कौन-सा मामला उनका घरेलू मामला है और इस तरह के चार्टर की व्यवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए स्वतन्त्र है।

इसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ है। दक्षिण अफ्रिका में प्रजासी भारतीयों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है। उसका प्रतिकार के लिए भारत ने जब कभी संयुक्त राष्ट्र संधि में यह प्रश्न उठाया है तब दक्षिण अफ्रिका ने इसी आधार पर भारतीय प्रस्ताव का विरोध किया यह उसका घरेलू मामला है। घरेलू मामलों के नाम पर कई बार संयुक्त राष्ट्र संधि की कार्यवाही रोकने को प्रयत्न किया गया है। अतएव संधि को शक्तिशाली बनाने के लिए इसका समुचित सविधान होना चाहिए। वैधानिक व्याख्या की समस्या का समुचित समाधान करके इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। चूंकि चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था है और उसे राष्ट्र संधि की मुख्य न्यायिक अंग की सजा दी गई है, इसलिए वैधानिक व्याख्या करने का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संधि की सफलता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को शक्तिशाली बनाना परम आवश्यक है।

सदस्यता की समस्या—अन्तर्राष्ट्रीय सगठन जो प्रमुख और वैधानिक समस्याएँ उत्पन्न करता है उसमें सदस्यता की समस्या विशेष महत्व रखती है। किसी भी सगठन की सदस्यता सम्बन्धी नीति, उसके उद्देश्य, स्वतंत्र और प्रभावकारिता को प्रकट करती है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन को सदस्यता विश्व के सभी देशों के लिए खुली हुई न हो तो सगठन निरव्यवधानी नहीं बन सकेगा। संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर की चौथी धारा में सदस्यता के लिए दो शर्तें रखी गयी हैं। पहली शर्त यह है कि सदस्यता के इच्छुक आवेदक राज्य को शांति प्रेम होना तथा चार्टर में दिये गये दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्य होनी चाहिए। अब यह निष्पत्ति करना बड़ा कठिन है कि कौन-सा देश शांति प्रेम और कौन सा जगज्जोर है। इसकी दूसरी शर्त सुरक्षा परिषद द्वारा सिफारिश तथा साधारण सभा का निष्पत्ति है। इस शर्त के कारण सदस्यता को लेकर हम के अन्दर कई विवाद घटे हैं। सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संधि में शक्तिशाली तथा पश्चिमी राज्य अपनी स्थिति सुदृढ़ करने अपने विरोधी राज्यों के शांति का विरोध करते रहे और इस पर कई बार वोट का प्रयोग किया गया।

रूस ने इटली, पुर्तगाल, जापान, आयर, फिनलैंड आदि देशों के संघ में प्रवेश का घोर विरोध किया, क्योंकि वह इन राज्यों को अमेरिका का समर्थक समझता था। इसी तरह अमेरिका ने भी कम्युनिस्ट गुट के राज्यों के प्रवेश का विरोध किया।

चीन की सदस्यता के प्रश्न ने कई संवैधानिक समस्याएँ उत्पन्न कर दी और यह इस बात का एक अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण है कि सदस्यता के सवाल को किस प्रकार से राजनैतिक सवाल बना दिया गया है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की है और फारमोसा की सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार मानता है। इस आधार पर उसने अपने बहुमत के बल पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं करवा दिया।

चीन के एक सवाल ने एक और चलकन भी पैदा कर दी है। ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता तो प्रदान की है लेकिन वे राष्ट्रसंघ में उसे प्रतिनिधित्व देने का विरोध करते हैं। इस तरह मान्यता और प्रतिनिधित्व को भी दो अलग-अलग चीजें मान लिया गया है। अमल में इसका परिणाम यह हो सकता है कि मान्यता तो एक सरकार को दी जाय और राष्ट्रसंघ में प्रतिनिधित्व किसी दूसरी सरकार को, जैसा कि चीन के मामले में हुआ।

संयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों द्वारा सदस्यता के प्रश्न पर सदैव संवैधानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। इससे संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्दर दोनों गुटों के बीच भयंकर कटुता उत्पन्न हुई है और संघ में सब देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो रहा है। अतएव यह आवश्यक है कि चार्टर में संशोधन हो। कम से कम सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की शर्त को ही हटा देना चाहिए।

सुरक्षा परिषद में मतदान की योगपूर्ण व्यवस्था—चार्टर की सत्ताशक्तियों धारा में सुरक्षा परिषद में मतदान की व्यवस्था में "प्रक्रिया सम्बन्धी (Procedural matters) तथा "अन्य सभी विषय" (on all other matters) शब्दों का प्रयोग है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन से मामले "प्रक्रिया सम्बन्धी (Procedural)" माने जायें और कौन कौन से नहीं, यानि किन मामलों में सुरक्षा परिषद (Security Council) द्वारा निपेधाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है और कौन से नहीं है। इसका निर्णय भी सुरक्षा परिषद स्वयं ही करती है और इस निर्णय में सभी पचास सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इससे सुरक्षा परिषद को कोई बड़ा राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है तो अपने निपेधाधिकार द्वारा उसे हस्तक्षेप करने में सक्षम है।

घोषित करा सकता है और उसके बाद निषेधाधिकार का दुबारा प्रयोग करके निर्णय तथा कार्यवाही को रोक सकता है। फलतः सुरक्षा परिषद् केवल ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है और निर्णय कर सकती है अथवा केवल ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे पाँचों बड़े राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो। यह व्यवस्था अत्यन्त अनिश्चित और अस्पष्ट है। इसकी अस्पष्टता से ही वीटो का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अतएव वीटो के प्रयोग को कम करने के लिए इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी है।

क्षेत्रीय संगठन को समस्या—चाटर्स की ५२वीं और ५२वीं धाराओं में संयुक्त राष्ट्रमंडल सदस्य-राज्यों को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठन बनाने की अनुमति दी गयी है। जिस समय चाटर्स की रचना हो रही थी उसी समय कुछ महाशक्तियों द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए छूट रहनी चाहिए, उस समय भी यह समस्या बिल्कुल स्पष्ट थी कि क्षेत्रीय संगठनों पर केन्द्रीय नियन्त्रण रख पाना कठिन साबित हो सकता है और इन गुटों की प्रतिस्पर्धा विश्व सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण क्षेत्रीय संगठन के लिए छूट देनी पड़ी। चाटर्स में यह व्यवस्था की गई कि मौजूदा क्षेत्रीय संगठन कायम रह सकते हैं और भविष्य में भी क्षेत्रीय संगठन बनाये जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यह व्यवस्था की गई कि ये क्षेत्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्रमंडल के सहायक के रूप में हों और केन्द्रीय संगठन का इन क्षेत्रीय संगठनों के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण रहे।

क्षेत्रीय संगठनों के लिए छूट इसलिए दी गई ताकि स्थानीय तथा क्षेत्रीय विवादों का निपटारा इन संगठनों के माध्यम से हो सके, ऐसे विवादों के निपटारे के लिए सुरक्षा परिषद् उन्हें इस्तेमाल कर सके और स्थानीय विवादों को सुरक्षा परिषद् में लाने की आवश्यकता कम पडा करे। चाटर्स में यह व्यवस्था की गई कि यदि सुरक्षा परिषद् उचित समझे तो वह अपने निर्णयों को भी इन संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित करा सकती है। इस प्रकार यह कोशिश की गई है कि क्षेत्रीय संगठन विश्व संगठन से ज्यादा महत्त्व ग्रहण न कर सके और उनकी नियन्त्रण में रहें। परन्तु स्थिति यह है कि क्षेत्रीय संगठनों ने स्वतन्त्र सत्ता के रूप में दिनों दिन व्यापक अधिक महत्त्व ग्रहण कर लिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्रमंडल के नियंत्रण में चलने की कोशिश नहीं की। उनके अस्तित्व से विश्व शांति की पूर्ति भी नहीं हो सकी है कि व स्थानीय मामलों को निपटारा करने में और इस तरह सुरक्षा परिषद् के काम के बाध को हटका देंगे। इस कारण सुरक्षा परिषद् को भी अपने निर्णयों का क्रियान्वित कराने के लिए इन्हें इस्तेमाल करनी पड़ी है जो आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

संगठन उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकने के योग्य तो साबित नहीं हुए हैं जिन्हें दृष्टिगत रखकर चार्टर में उनके निर्माण की छूट दी गई थी, लेकिन उनके अस्तित्व से जिन खतरों की आशंका थी वे जरूर उत्पन्न हो गये हैं। क्षेत्रीय गुटों की प्रतिस्पर्धा विश्व-सुरक्षा के लिए एक नई समस्या बन गई है। क्षेत्रीय संगठन के नाम पर नेटो, सिसाटो आदि कई सैनिक गुट बन गये हैं। इन सैनिक गुटबन्धियों से शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिला है और शान्ति की समस्या जटिलतर होती गयी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि चार्टर में संशोधन किया जाय और यह व्यवस्था हो कि भविष्य में ऐसे सैनिक संगठन नहीं बन सकें। अच्छा होता यदि चार्टर से ५१वीं और ५२वीं धाराओं को ही हटा दिया जाता।

संरक्षण व्यवस्था की त्रुटि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद शान्ति के भयंकर शत्रु रहे हैं। दो विश्व युद्ध बहुत हद तक इन्हीं के परिणाम थे। अतएव विश्व को शान्ति के लिए सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि उपनिवेशवाद का पूरा उन्मूलन हो जाय और ससार के सभी देश पूर्ण स्वतन्त्र हों। लेकिन सभी भी ससार के सभी देश आजाद नहीं हुए हैं। अफ्रिका के कई देशों पर अभी यूरोपीय साम्राज्यवाद का गठ बना हुआ है। उपनिवेशवाद की समस्या का सामना करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में संरक्षण व्यवस्था (Trusteeship system) कायम की गयी तथा एक संरक्षण परिषद् का निर्माण हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण व्यवस्था में कई त्रुटियाँ हैं। इससे सम्बन्धित धारा ७६ (ख) बड़ी अस्पष्ट है। इसमें पराधीन देशों को स्वतन्त्र करने की बात कही गयी है। लेकिन इसके लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है। यह गलत है। विभिन्न पराधीन प्रदेशों के विकास का स्तर देखते हुए उनको कितने वर्ष में स्वाधीनता दी जाय, इसका उल्लेख चार्टर में अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संरक्षण व्यवस्था सम्बन्धी धारा ७७ (क) का संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि पुराने राष्ट्रसंघ के सभी संरक्षित प्रदेश संयुक्त राष्ट्रसंघ संरक्षण परिषद् का अंग समझे जायें। दक्षिण अफ्रिकी यूनियन द्वारा दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका को संरक्षित प्रदेश नहीं बनाने के दुरायस के कारण यह संशोधन आवश्यक है।

राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना

प्रोफेसर शुर्मा का कथन है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ (U N O) पुराने राष्ट्रसंघ (League of Nations) का परिवर्तित रूप है।* यह सत्य है

"The United Nations Organisation is the League of Nations in a new guise"

—Schuman *International Politics*, p

कि नई अंशों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, लेकिन दोनों में बहुत कम का हा मौलिक अन्तर है। दोनों का प्रधान उद्देश्य सभार की रक्षा युद्ध से करना है। दोनों ही प्रमुखता युक्त स्वतन्त्र राज्यों का संघ है। दोनों में किसी को अग्रमान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि बनाने का अधिकार नहीं है। दोनों सब विवादों के निणय के सर्वोत्तम उपाय परस्पर वार्तानाय द्वारा समझौता करना समझते हैं। दोनों में क्षेत्राधिकार राज्य पर है, किसी को व्यक्ति से कोई मन्तव्य नहीं है। दोनों में किसी को राज्यों या जनक नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। दोनों का काम सदस्य राज्यों के चर्चा पर निर्भर है। दोनों की सफलता इनकी मत्ता और शक्ति पर नहीं, किन्तु सदस्यों के स्वैच्छापूर्वक दिये सहयोग पर निर्भर है। दोनों के प्रधान साधन प्रेरणा, परामर्श, वार्तानाय, ताद-विवाद तथा लोकमत के प्रभाव हैं।

संगठन की दृष्टि से भी दोनों प्राय एक से हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष अंगों से युक्त है लेकिन मौलिक रूप से दोनों के मौलिक अंग लगभग एक जैसे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय, राष्ट्रसंघ की एसेम्बली, कांसिल, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय के प्रतिरूप ही माने जा सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों की गति विधियों में मौलिक अन्तर नहीं है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों संस्थाओं में किसी तरह का अन्तर नहीं है। यदि हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह प्रतीत होगा कि दोनों में अनेक सादृश्य के बावजूद कई अन्तर भी हैं। कुछ अंशों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्थाएँ राष्ट्रसंघ की व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। इस कारण यह राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली संगठन है। इन दोनों के मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं —

(१) राष्ट्रसंघ की स्थापना युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म युद्ध के खत्म होने के पहले ही हो चुका था। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में की गयी थी। वहीं पर इसके लिए एक राष्ट्रसंघ आयोग की स्थापना हुई जिसने उसके विधान का निर्माण किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय में वार्तानाय युद्धकालीन मित्रराष्ट्रीय सम्मेलनों में ही शुरू हो गयी थी। डम्बर्टन ओक्स तथा संनफ्रांसिस्को सम्मेलनों में ही इसका प्रारम्भ और चार्टर तैयार हो गया था।

(२) राष्ट्रसंघ का विधान (Covenant) वसाय की सन्धि तथा अन्य शान्ति सन्धियों का अभिन्न अंग था और इसका एक उद्देश्य इन सन्धियों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं की रक्षा करना था। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान

(Charter) का स्वतन्त्र अस्तित्व है। यह किसी शान्ति सन्धि का अनिवार्य भाग नहीं है।

(३) दोनों के विधान के आकार में भी अन्तर है। राष्ट्रसंघ के विधान (Covenant) में केवल २६ धाराएँ थी, लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में १११ धाराएँ हैं।

(४) दोनों के संगठन में भी कई अन्तर हैं। राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग केवल तीन थे एसेम्बली, कौन्सिल और सचिवालय। लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान अंग छह हैं। ये हैं साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, सरक्षण परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। आर्थिक और सामाजिक परिषद् एक बिल्कुल नवीन समस्या है। इससे यह स्पष्ट है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ के जिम्मे केवल राजनीतिक काम ही नहीं बरन् आर्थिक सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक कार्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत मानव के कल्याण और उसके व्यक्तित्व के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस कार्य के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत कई विशिष्ट संस्थाएँ हैं जिनका पुराने राष्ट्रसंघ में अभाव ही था। सयुक्त राष्ट्रसंघ इस भावना पर आधारित है कि युद्ध के कारण पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। अतएव यदि स्थायी शान्ति कायम रखना हो तो पहले मनुष्य को उसकी चिन्ताओं से मुक्त करना होगा।

(५) दोनों के उद्देश्य में भी एक अन्तर प्रतीत होता है। राष्ट्रसंघ का विधान इस वाक्य से शुरू होता है—“अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की गारंटी के लिए” स्पष्ट है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर शान्ति से अधिक बल दिया गया था। लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर शुरू में कहता है कि उसका उद्देश्य “प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की विभीषिका से रक्षा करना” है और बाद में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी है। अतएव यह स्पष्ट है कि विश्व शान्ति पर सयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिक जोर दिया है।

में बाधा डाल सकता था, लेकिन साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत की व्यवस्था के कारण इस तरह की कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र सभ में सभी सदस्य राज्यों को विशेषाधिकार (Veto) का अधिकार प्राप्त था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सभ में क्वल सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों के ही वोटो का अधिकार है।

(७) लेकिन एक दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा राष्ट्र सभ की एसेम्बली से निवल प्रतीत होती है। राष्ट्र सभ की एसेम्बली में यदि कोई निर्णय हो जाता था तो उसका पालन सभी सदस्य राज्यों के लिए आवश्यक हो जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा एक क्वल सिफारिश करनेवाली सभा है। इसका निर्णय मानना या न मानना सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर है।

(८) संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् राष्ट्र सभ की कौंसिल से अधिक प्रभावकारी है। यह एक स्थायी संस्था है और हर पखवारे में इसकी बैठक होती है। राष्ट्र सभ की कौंसिल के माध्यम से ही बात नहीं थी। इसकी बैठक वर्ष में केवल तीन बार होती थी। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो सुरक्षा परिषद् की बैठक क्वल बिलम्ब बुलायी जा सकती है।

(९) संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में साधारण सभा और सुरक्षा परिषद् के कार्यों का राष्ट्र सभ की एसेम्बली तथा कौंसिल के कार्यों की अपेक्षा विभाजन करके निश्चित और स्पष्ट है। राष्ट्र सभ में इसका अभाव था जिस कारण यह कारण दुर्लभ संस्था हो गयी थी। चार्टर के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् को सौंपा गया है। अतएव सुरक्षा परिषद् के कार्य-क्षेत्र राष्ट्र सभ की कौंसिल को अपेक्षा सीमित होते हुए भी स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र सभ के लिए एकता के प्रस्ताव के कारण साधारण सभा की भी विश्व शांति की रक्षा की जिम्मेवारी मिल गयी है, लेकिन इसका निर्वाह वह सभी करेगी जो सुरक्षा परिषद् में वोटो के प्रयोग के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया हो और दुर्लभ खतरे में पड़ गयी हो। इस स्थिति में भी साधारण सभा इस पर विचार कर सकती है और सिफारिश ही कर सकती है। किसी कार्यवाही को करने का अधिकार सुरक्षा परिषद् को ही है। इस कारण सुरक्षा परिषद् राष्ट्र सभ की कौंसिल से अधिक प्रभावशाली है।

(१०) संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में मनुष्य के भौतिक कल्याण मानवोपकार के कारो तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए सभ के अन्तर्गत एक विशेष अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद् को स्थापना की गयी। इस परिषद् ने मानव कल्याण के क्षेत्र में बड़े काम किये हैं। राष्ट्र सभ के विधान में इस सम्मन्ध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।

(११) आत्म रक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के विधान में कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी थी। धारा १५ (७) में इस सम्बन्ध में कुछ बातें थीं अवश्य, लेकिन वे अस्पष्ट थीं। किन्तु चार्टर की ५१वीं तथा ५२वीं धाराओं में आत्म रक्षा से सम्बन्धित बातें कही गयी हैं जो बहुत ही स्पष्ट हैं। धारा ५१ के द्वारा सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कार्रवाई किये जाने के पहले आक्रमण का शिकार बने राज्यों की आत्म रक्षा का अधिकार बड़े स्पष्ट शब्दों में किया गया है। धारा ५२ के द्वारा शान्ति रक्षा तथा अन्तर्क्षा के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय संगठन बनाने का अधिकार भी दिया गया है। राष्ट्रसंघ के विधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(१२) सयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षण व्यवस्था (Trusteeship System) राष्ट्रसंघ की सुरक्षण व्यवस्था (mandate system) से बहुत भिन्न, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।

(१३) सचिवालय के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्रसंघ का महासचिव राष्ट्रसंघ के यह सचिव से अधिक शक्तिशाली है। इसका अध्ययन भी हम पहले कर चुके हैं।

(१४) घरेलू अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों संगठनों में अन्तर है। चार्टर और राष्ट्रसंघ के विधान दोनों में यह व्यवस्था थी कि अन्तर्गत राष्ट्रीय संगठन सदस्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रसंघ में इस विषय का निर्णय कि कौन सी बात घरेलू मामला के अन्दर आयेगी सदस्य राज्यों पर नहीं छोड़ा गया था। इसके निर्धारण की जिम्मेवारी बँट गयी थी। लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत चार्टर के द्वारा यह निर्णय नहीं किया गया है कि घरेलू क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा। उसने प्रत्येक सदस्य को इसका निर्णय करने की स्वतन्त्रता प्रदान की है। इस कारण सयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्य क्षेत्र बहुत सकुचित हो गया है।

(१५) आक्रमणों तथा शान्तिभंग को रोकने के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्रसंघ पुराने राष्ट्रसंघ से अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं—

आक्रमण देश के विरुद्ध राष्ट्रसंघ मौका पड़ने पर कोई कार्रवाई कर सकता था, लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ इसके आगे है। वह आक्रमण होने और आक्रमण की सम्भावना होने पर भी कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रसंघ में आक्रामक देश के विरुद्ध सुस्य रूप से आधिक प्रतिबन्धों की व्यवस्था थी, लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ में चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद् को शान्ति भंग की समस्या के समाधान के लिए सैनिक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। उसकी सैनिक योजनाओं की कार्या-

नियत करने के लिए सैनिक स्टाफ समिति की स्थापना की गयी है। अतएव संयुक्त राष्ट्रसंघ में आक्रामक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था राष्ट्रसंघ से अधिक सुन्दर है।

आक्रमण को रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक बड़ा भेद यह भी है कि पहले में इस कार्यवाही करने के लिए सब सदस्यों को पूरी स्वतन्त्रता थी। राष्ट्रसंघ के विधान की सोलहवाँ धारा के अनुसार यह निर्णय करना संघ के सदस्यों का कार्य था कि किसी सदस्य ने राष्ट्रसंघ के विधान के दायित्वों का उल्लंघन किया है या नहीं तथा उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाय या नहीं। राष्ट्रसंघ के विधान में सदस्यों पर सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई बाधयता नहीं थी। किन्तु चार्टर में शान्ति भंग की दशा का निश्चित करना और सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय करना सदस्यों पर नहीं, किन्तु सुरक्षा परिषद पर छोड़ दिया गया है और उसके निर्णय का पालन सदस्यों की इच्छा पर नहीं, किन्तु आवश्यक है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में आक्रमणों का मुकाबला करने की व्यवस्था पुराने राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक अच्छी और शक्तिशाली है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य

अपने जीवित के अल्प काल में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने कई अन्तर्राष्ट्रीय विवाद आये हैं जिनको उसने सुलझाने का प्रयास किया है। यद्यपि उनमें उसकी सफलता बहुत ही कम मिली है। इन विवादों और उसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों का विवरण इस प्रकार है—

(१) ईरान का विवाद—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ में उपस्थित होनेवाला पहला विवाद था। १९ जनवरी, १९४६ को ईरान ने सोवियत संघ के विरुद्ध उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अभियोग लगाया। ईरान ने सुरक्षा परिषद को यह सूचना दी कि रूसी सेना उसे बाजरवाइजन प्रांत में घुसी हुई है और इसे खाली नहीं कर रही है, सुरक्षा परिषद में पश्चिमी गुट के राष्ट्रों ने ईरान का जबरदस्त समर्थन किया। वास्तव में यह भगड़ा स्पष्ट रूप से दो गुटों का झगडा था। जराय में सोवियत प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद से प्रार्थना की कि यूनान में विद्यमान ब्रिटिश फौज को निकालने के लिए कार्रवाई की जाय। इस प्रकार सुरक्षा परिषद का कार्य इस विवाद से शुरू हुआ जो अल्पकाल ही दुर्भाग्यमय था। मस्को में आनेवाली वस्तुओं का घाका यही से बनना शुरू हो गया। अमेरिका और रूस अपने शीत युद्ध को संयुक्त राष्ट्रसंघ में घसीट लाये। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए शुभ नशा था। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में उत्तम नहीं हुए थे और तबहीं वे सय किये जा सकते थे।* लेकिन दोनों में है

कोई पक्ष विशेषकर अमरीकी पक्ष मानने वाला नहीं था। सोवियत संघ के आग्रह पर भी ईरान की समस्या को सुरक्षा परिषद् के कार्यक्रम से नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि स्वयं ईरानी प्रतिनिधि ने ऐसा ही आग्रह किया। पर अमरीकी गुट ने इसे भी नामजूर कर दिया। अन्त में लाञ्छन होकर सोवियत प्रतिनिधि को वीटो का प्रयोग करना पड़ा। २१ मर्च, १९४६ का सोवियत सेना स्वेच्छा से ईरान से हट गई और इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन इसको सुरक्षा-परिषद् की सफलता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रूस द्वारा सेना हटाने का मुख्य कारण परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही नहीं थी।

इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद् में ऐसे प्रस्ताव रखने लगे जिन्हें वे जानते थे कि सोवियत प्रतिनिधि कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रत्येक मामले में मत सोवियत संघ के विरुद्ध आये और तब सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करना शुरू किया। १९५२ के मध्य तक इन सोवियत वीटो की संख्या ६० तक पहुँच गयी। दोनों गुट अब एक दूसरे को अपमानित करने की पूर्ण कोशिश में जुट गये थे। दो वर्ष के अन्दर ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि सयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त हो जायगा। स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी। इसलिए २३ सितम्बर, १९४७ को महासचिव त्रिग्वोलो ने वाल्टा तथा रौनफ्रांसिस्को की भवना को फिर से लाने का अरुफल प्रयत्न किया। पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

(ii) सीरिया लेबनान का विवाद—४ फरवरी, १९४६ को सीरिया तथा लेबनान ने अपनी भूमि पर फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति को "अपनी सत्ता के गम्भीर उल्लंघन" के रूप में घोषित किया और यह मांग की कि ये सेनाएँ शीघ्र वापस बुला ली जायँ। सयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें सैनिकों को यथासम्भव शीघ्र ही हटाने के विषय में विश्वास प्रकट किया गया था। इस पर सोवियत संघ ने विदेशी सनाओं को तत्काल हटाने का एक संशोधन पेश किया। जब यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो सोवियत प्रतिनिधि ने मूल प्रस्ताव के विरुद्ध वीटो दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में फ्रान्स और ब्रिटेन को अपनी सेना हटा लेनी पड़ी।

(iii) यूनान का विवाद—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनान में कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ रहा था और वहाँ की प्रतिक्रियावादी सरकार हट कर चलाए चिन्तित थी। इस हालत में अपने ब्रिटेन से सैनिक सहायता की याचना की और अंत में ब्रिटेन से सेना भेज दी गयी। इस पर कम्युनिस्ट खापेनारी ने निवृत्त क कम्युनिस्ट देशों से सहायता लेना शुरू किया। इसी बीच २१ जनवर, १९४६ को सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह कहा कि यूनान में ब्रिटिश सेना की उपस्थिति उस देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप है, और उससे

विश्वशान्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। लेकिन सुरक्षा परिषद् ने प्रस्ताव को नहीं माना। उसने यूनान में विदेशी हस्तक्षेप की स्थिति को मानने इन्कार कर दिया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के चढ़ाने पर यूनान यह शिकायत की कि कम्युनिस्ट राज्य छापेमारों को सहायता कर रहे हैं। इस शिकायत की जांच करने के लिए सुरक्षा परिषद् ने एक आयोग की स्थापना की २७ मई, १९४७ को इस आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि कम्युनिस्ट बल्गेरिया, बुर्गेरिया और यूगोस्लाविया से छापेमारों को सहायता मिल रही है। किन्तु जब सुरक्षा परिषद् ने इस विषय पर अधिक अन्वेषण करना चाहा तो सोवियत प्रतिनिधि ने इसे धोटी कर दिया। अतः सितम्बर, १९४७ में यूनान का प्रश्न साधारण सभा में लाया गया। बड़े लम्बे चौड़े और कटु विवाद के बाद बाल्कन में एक आयोग भेजने का निश्चय किया गया। किन्तु इस आयोग को साधारण सभा की विचारियों को कार्यान्वित करने में सफलता नहीं मिली। वाद में यूनान की स्थिति कुछ सुधरी। स्टालिन और मार्शल टीटो में झगडा हो जाने के कारण यूगोस्लाविया ने छापेमारों को मदद करना बन्द कर दिया। उधर अरब अमरीकी गुट का यूनान के आन्तरिक मामले में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप होता रहा और संयुक्त राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका।

(१४) बर्लिन के घेरे का मामला—१९४५ के पोटसडाम सम्मेलन के अनुसार बर्लिन नगर सोवियत, फ्रांस, ब्रिटेन के नियन्त्रण में बाँट दिया गया था। पश्चिमी बर्लिन अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के नियन्त्रण में और पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियन्त्रण में था। बर्लिन ने पश्चिमी भागों का मार्ग पूर्वी जर्मनी होकर गुजरता था जो सोवियत नियन्त्रण में था। पोटसडाम सम्मेलन में यह तय हुआ था कि दोनों जर्मनों को आर्थिक एकता कायम रखी जायगी। लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से झगडा करने पर तूले हुए थे। अतएव पोटसडाम निर्णय की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने क्षेत्र में एक नयी मुद्रा का प्रचलन किया जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ से झगडा अनिवार्य हो गया। पश्चिमी शक्तों की शक्ति से चुन्ब होकर १ मार्च, १९४८ को रूस ने पश्चिमी बर्लिन के स्थल और जल के सब मार्ग बंद कर दिये। अब पश्चिमी बर्लिन तक पहुँचने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के पास केवल हवाई मार्ग ही बच गया। स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गयी।

इसी बीच ४ अक्टूबर, १९४८ को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अलग अलग सुरक्षा परिषद् के सामने यह शिकायत पेश की कि सोवियत संघ का बर्लिन का घेराव अत्यायपूर्ण है और इससे एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। सोवियत संघ ने इसका विरोध किया और यह कहा कि यह कदम केवल पश्चिमी देशों के पदचरम से पूर्वी जर्मनों के आर्थिक संगठन को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है।

सोवियत प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि बर्लिन का प्रश्न जर्मनी की समूची समस्याओं से सम्बन्ध है और इसलिए उस पर पृथक विचार करना गलत होगा। याहटा और पोट-सडाम समझौतों का इवाला देते हुए सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि इस विषय पर केवल विदेश मन्त्री परिषद् में ही विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सोवियत संघ के तर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सुरक्षा परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार करने का निर्णय किया। इस पर सोवियत प्रतिनिधि परिषद् की बैठक से छठकर चला गया। २२ अक्टूबर को सुरक्षा परिषद् के छ सदस्यों ने समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पेश किया, पर वह सोवियत संघ को मान्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद कई तरीकों का अवलम्बन किया गया, पर किसी से कोई वांछित फल नहीं निकला। अन्त में चारों शक्तियों के बीच वार्ताएँ हुईं और ४ मई, १९४९ को बर्लिन के प्रश्न पर समझौता हो गया। यह दृश्य हुआ कि न्य पार और दक्षिण के ऊपर दोनों पक्षों ने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं वे उठा लिये जायेंगे २२ मई, १९४९ को जर्मनी की समस्या पर विचार करने के लिए विदेश मन्त्रियों की परिषद् की बैठक होगी। इस प्रकार बर्लिन के घेरे के विवाद का अन्त हुआ और विश्व-शांति भंग होने से बच गयी।


(v) इंडोनीशिया का प्रश्न— यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ को इन्हीं दिनों में कुछ सफलता मिली है तो वह इंडोनीशिया (Indonesia) का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इंडोनीशिया पर हाँडैट का कब्जा था। युद्ध के समय जापान ने उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध के खतम होने के बाद हाँडैट प्रान्त इंडोनीशिया पर आधिपत्य जमा लेना चाहता था। लेकिन जापानियों के निकलने के बाद वहाँ एक स्वतन्त्र गणराज्य का स्थापना हो चुकी थी। परन्तु परमाणु होलैंड और स्वतन्त्र इंडोनीशिया में संघर्ष हुआ। अक्टूबर, १९४७ में भारत और आस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद् का एक संकल्प पारित किया।

हालैंड की सरकार ने शुरू में इस प्रस्ताव का विरोध किया पर अन्त में बाध्य होकर उसको वार्ता शुरू करनी पड़ी। अगस्त में एक सम्मेलन बुलाना निश्चित किया गया। सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा आयोग का यह आदेश दिया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में सहायता दे। लग्बी सन्धिवातों के बाद डचों ने अपनी सेनाएँ जावा और सुमात्रा से हटा लीं। २३ अगस्त, १९४७ को सम्बद्ध पक्षों का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें यह निश्चित हुआ कि ३० दिसम्बर, १९४९ तक इंडोनेशिया के गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तांतरित कर दी जाय। यह निर्णय लागू हुआ और २७ दिसम्बर को इंडोनेशिया स्वतंत्र गणराज्य मान लिया गया।

(vi) फिलिस्तीन की समस्या—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन की समस्या अत्यन्त गम्भीर हो गयी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस पर ब्रिटेन का सरकार कायम हुआ था। लेकिन यहाँ पर कभी अमन-चैन नहीं रही। एरबों और यहूदियों में बराबर संघर्ष होता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति और भी नष्ट हो गयी। ब्रिटेन के लिए इस पर अपना संवर्धन कायम रखना असम्भव हो गया। फरवरी, १९४७ में ब्रिटेन ने यह निश्चय किया कि फिलिस्तीन की समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा जाय और २ अप्रैल, १९४७ को यह समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघ की संघ संभा में रखा गया। १५ मई को इस संसद पर विचार करने के लिए संभा का विशेष अधिवेशन हुआ और उसी दिन इस समस्या के अन्वयन के लिए एक विशेष समिति नियुक्त हुई। २३ अगस्त, १९४७ को इस समिति ने यह निर्णय किया कि फिलिस्तीन को दो भागों में बाँट दिया जाय—एक भाग में अरब राज्य तथा दूसरे में यहूदी राज्य की स्थापना की जाय। इसके अतिरिक्त जेरुसलम में एक विशेष क्षेत्र की रचना की जाय और उसमें अन्तर्राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण संभा ने इस सुझाव को मान लिया और यह निश्चित किया कि फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण का अन्त कर दिया जायगा और १ अगस्त, १९४८ तक यहाँ से अंग्रेजी फौजें हट जायेंगी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन की योजना का अरबों और यहूदियों दोनों ने विरोध किया। वहाँ पुनः बड़े पैमाने पर सामुदायिक दंगे शुरू हुए। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन आयोग ने संघ को यह सूचना दी कि फिलिस्तीन की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है और यदि अंग्रेज वहाँ से हट गये तो पुनः बराजकता छा जायगी। इसलिए समस्या पर पुनर्विचार करने के लिए साधारण संभा का एक दूसरा विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के अरबों और यहूदियों में एक समझौता हो गया और एका युद्ध बन्द हो गया। २९ मई १९४८ में इन दोनों में विराम सन्धि हुआ निश्चित हुआ। सुरक्षा परिषद् ने एक विराम सन्धि आयोग भी नियुक्त कर दिया।

१० मई १९४८ को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपना सारवाण छोड़ा लिया



उसी दिन फिलिस्तीन के यहूदियों ने इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर

दी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरत ही उसकी मान्यता दे दी। इसके द्वा-
बाद अरब राज्यों ने इजरायल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी। सुरक्षा
परिषद् की बैठक हुई और एक प्रस्ताव स्वीकृत करके सभी राज्यों से यह अनुरोध
किया गया कि वे फिलिस्तीन में सैनिक कार्रवाई को बन्द कर दें।

इसके पूर्व १४ मई, १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने
फिलिस्तीन में शान्ति-स्थापना करने के लिए एक मध्यस्थ (mediator) की
नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया और स्वेडेन के काउन्ट बर्नाडोट को इस पद पर
नियुक्त कर दिया गया। ११ जून को बर्नाडोट के प्रयास से चार सप्ताह के लिए
दोनों पक्षों में विराम-सन्धि हो गयी, लेकिन इस अवधि के समाप्त होते ही अरबों ने
यहूदियों पर फिर आक्रमण कर दिया। सुरक्षापरिषद् में सोवियत सघ और
अमेरिका से पहले-पहल एक साथ मिलकर इजरायल की सहायता देने का प्रस्ताव
रखा, किन्तु सुरक्षा परिषद् के कुछ अन्य सदस्यों से मतदान में भाग नहीं लिया
और इसलिए प्रस्ताव पास नहीं हो सका। छवर युद्ध के मैदान में इजरायल
विजयी हो रहा था। ११ जून तक उसने अरबों को अपनी भूमि से खदेड़ दिया था।

इसी बीच सुरक्षा-परिषद् ने एक और प्रस्ताव पास करके युद्धरत देशों को
युद्ध बन्द कर देने का आदेश दिया। १८ जुलाई को युद्ध तो बन्द हो गया
लेकिन उपद्रव होते ही रहे। १७ सितम्बर को यहूदियों ने बर्नाडोट को हत्या भी
कर दी। उसके बाद उस पद पर डा० राल्फ बुचे नियुक्त हुए। उनके प्रयासों से
दोनों पक्षों के बीच विराम सन्धि हो गयी। साधारण सभा ने बाद में एक स०
रा० समझौता आयोग की स्थापना की और लड़ाई पूर्णतया बन्द हो गयी।
इजरायल को अपने पड़ोसी अरब राज्यों से सन्धियाँ हुईं और तब जाकर इस प्रदेश
में शान्ति कायम हुई।

(vii) स्पेन—अप्रिल १९४६ में पोलैंड के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव रखा कि स्पेन
में फ्रैंको का शासन अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा है। पश्चिमी राज्यों ने
जब इस प्रस्ताव में कुछ सशोधन किये तो सोवियत सघ ने वीटो का प्रयोग कर
दिया। लेकिन सघ की साधारण सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि फ्रैंको की
सरकार को सघ की सदस्यता न दी जाय और सभी सदस्य राजव उसके साथ
कूटनीतिक सम्बन्ध खत्म कर दें। बाद में जब अमेरिका से फातिस्त्ववाद का
समर्थन करने का पूर्ण निश्चय कर लिया तो उसके प्रभाव से साधारण सभा ने
जनवरी, १९५० में अपने पुराने प्रस्ताव को रद्द करके स्पेन को संयुक्त राष्ट्र सघ का
सदस्य बना दिया।

(viii) फोर्तु चैनल विवाद—अक्टूबर १९५६ में अन्वेनिया के प्रादेशिक समुद्र में
विधायी गयी एक सुरंग से दो ब्रिटिश युद्धपोतों को क्षति पहुँची। ब्रिटेन सुरक्षा

परिषद् से इसके सम्बन्ध में शिकायत की और अल्बेनिया से क्षतिपूर्ति की मांग की। जब इस आशय का प्रस्ताव पास होने लगा तो सीविपत सघ ने वीटो का प्रयोग करके इसको रद्द करा दिया। अन्त में सुरक्षा परिषद् के एक प्रस्ताव पर ब्रिटेन इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। वहाँ निर्णय उसके पक्ष में हुआ और अल्बेनिया को चौबीस लाख डालर क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया। पर उसने इस हजाना को देने से साफ साफ इन्कार कर दिया।

(ix) ट्रीस्टे की समस्या—१९४७ में इटली के साथ जो शांति-सन्धि हुई थी उसके अनुसार ट्रीस्टे को एक अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह बना दिया गया था। यह व्यवस्था की गयी थी कि इसके शासन का संचालन सुरक्षा परिषद् द्वारा नियत एक गवर्नर करेगा। गवर्नर की नियुक्ति तक ट्रेस्टे दो क्षेत्रों में बँटा था—क्षेत्र 'अ' पर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का अधिकार था और क्षेत्र 'ब' पर यूगोस्लोविया का। १९४८ में पश्चिमी देशों ने ट्रीस्टे को इटली को देने की योजना बनायी थी। यूगोस्लोविया ने इसका विरोध किया और २८ जुलाई, १९४८ को उसने सुरक्षा परिषद् से यह प्रार्थना की कि क्षेत्र 'अ' में पश्चिमी गुटों द्वारा लागू की जानेवाली योजना इटली की सधि के विरुद्ध है, इसलिए इसको रद्द किया जाय तथा दूरत गवर्नर की बहाली हो। लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में सात वोट नहीं आ सके। अतः इस पर विचार ही नहीं किया गया और गवर्नर की नियुक्ति भी नहीं हुई।

इसके बाद स्थिति और भी बिगड़ने लगी। अक्टूबर १९५३ में पश्चिमी राज्यों ने 'अ' क्षेत्र को इटली को सौंपने की पुनः एक योजना बनायी। इस पर यूगोस्लोविया के माशाल टोटो ने घमण्डा दी कि यदि उस क्षेत्र में इटली की सेना जायगी तो यूगोस्लोविया भी अपनी सेना भेज देगा। स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने समय से कायम लिया यद्यपि ट्रीस्टे ने अपने क्षेत्र से अपनी सेनाएँ नहीं हटायीं। सुरक्षा परिषद् में बहुत दिनों तक इस प्रश्न पर वाद विवाद होता रहा, पर कोई निष्पत्ति नहीं निकला। अन्त में इटली और यूगोस्लोविया में इस प्रश्न पर अक्टूबर १९५४ में एक समझौता हो गया जिसके अनुसार क्षेत्र 'अ' पर इटली का तथा क्षेत्र 'ब' पर यूगोस्लोविया का आधिपत्य मान लिया गया।

(x) ब्रिटेन और फारस का तेल का झगडा—फारस के वार्षिक जीवन का आधार पेट्रोल को खाने है और इन पर अँगरेज ईरानी तेल कम्पनी का पूर्ण अधिकार था। १ मई, १९५१ को फारस की ससद् ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया और इस विवाद को वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। जब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से कोई परिणाम नहीं निकला तो ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद् को इस मामले को अपने हाथ में लेने की

प्रार्थना की, लेकिन परिपक्व इस पर कोई विचार नहीं प्रकट कर सकती थी, क्योंकि यह न्यायालय के विचाराधीन था।

(२१) दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न—दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के साथ बर्तों की गौरी सरकार रंगभेद नीति के आधार पर बहुत ही बुरा बर्ताव करती रही है। १९४५ आते आते रंगभेद की नीति अपने मूल रूप में उपस्थित हो गयी। जी-जी अत्याचार पहने नहीं किये गये थे, वे सब अब होने लगे थे। अतएव जून, १९४६ में भारत इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र सभ में ले गया। दक्षिण अफ्रिका की सरकार पर मानव के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अफ्रिकी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव का विरोध किया। उसका कहना था कि रंगभेद की नीति उसका राज्य का आंतरिक मामला है और उसमें संयुक्त राष्ट्र सभ की हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सभ के जीवन में जितना विचार इस प्रश्न पर हुआ है उतना किसी अन्य प्रश्न पर नहीं हुआ है। साधारण सभा के प्रत्येक अधिवेशन में इस पर विचार होता है और प्रस्ताव पास होता है। फिर भी यह समस्या ज्यों-की-सी पूर्ववत् ही बनी हुई है। वास्तविक बात यह है कि दक्षिण अफ्रिका की सरकार को इस बात पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। न्यू अमेरिका में इसी रंगभेद की नीति के आधार पर नीचों लोगों पर घोर अमानुषिक अत्याचार होता है। ऐसी हालत में अमेरिका विस मुँह से दक्षिणी अफ्रिका का विरोध करेगा। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण अफ्रिका अमेरिका का प्रबल समर्थक तथा कड़ा कम्युनिस्ट विरोधी है। अमेरिका ऐसे मित्र को रज नहीं कर सकता।

(२२) कश्मीर की समस्या

समस्या का सूत्रपात—१५ अगस्त, १९४७ को विभाजन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में दो राज्यों—भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतंत्र के पूर्व भारत में बहुत से देशी राज्य थे जिनका ब्रिटिश सरकार क माय विचारान्वियों के आधार पर सम्बन्ध कायम था। स्वतन्त्रता देने के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय देशी राज्य अपनी इच्छानुसार अपने स्थिति का निर्धारण करेंगे। वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान क साथ मिल सकते हैं। कश्मीर इसी तरह का एक देशी राज्य था जिनका शासन तो एक हिन्दू था, लेकिन जिसकी आबादी का बहुमत मुस्लिम था। कश्मीर के शासन स्वतन्त्र रहने का निम्न विचार। लेकिन पाकिस्तान इस राज्य का हिन्दू शासक मिथ्या चाहता था। शुरू में उसने कश्मीर पर जादिक प्रयत्न किया किन्तु अल्प मात्रा में पाकिस्तान क सभ्यता का प्रभाव पड़ा। लेकिन १९४७ में

सकल सभ पाकिस्तान सरकार की सहायता और प्रेरणा से उत्तर पश्चिमी संघ प्रान्त के कवायलियों ने २२ अक्टूबर, १९५७ को कश्मीर पर हमला कर दिया। हमलावर कवायलियों ने उत्तरी-पश्चिमी कश्मीर को जीतते हुए चार दिनों के बन्दर धीनगर से पच्चीस मील दूर ब रामूला तक पहुँच गये। ऐसी नाजुक स्थिति में कश्मीर के राजा के सामने कोई चारा नहीं रहा। उसने कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की और हमलावरों से रक्षा के लिए भारत से सैनिक सहायता की याचना की। भारत सरकार ने इस अनुरोध को मान लिया और दुरत ही सेना भेज दी गयी। युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ-साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया।

कवायली लोग पाकिस्तान के माग से कश्मीर पर आक्रमण कर रहे थे। अतएव भारत सरकार ने पाकिस्तान से आप्रह किया वह कवायलियों का रास्ता बन्द कर दे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसका उत्तर तक न दिया। वास्तविक बात यह थी कि पाकिस्तान की सरकार स्वयं हमलावर कवायलियों को युद्धोपयोगी सामग्रियों से सहायता कर रही थी। इस हालत में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर की धारा ३४ और २५ के अन्तर्गत सुरक्षा-परिषद् से यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता पाकर कवायली लोग भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भंग होने का भय है। अतएव सुरक्षा परिषद् इस आक्रमण को बन्द कराने के लिए कदम उठावे। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खण्डन किया और उसपर अनेक प्रत्यागोप लगाते हुए कहा कि भारत में कश्मीर का विलयन अवैध है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद् में एक ऐसा मामला आया जिसका इतिहास पश्चिमी राष्ट्रों की बेईमानी और अन्याय की एक दुःखद कहानी है।

भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद् को कोई निश्चित निर्णय लेना चाहिए था। उसकी आक्रमण करने वालों के विरुद्ध तत्काल कारवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात यह थी कि सुरक्षा परिषद् में अमरीकी गुट का बहुमत था और भारत शीत-युद्ध के क्षेत्र में असह्यता की नीति का अवलम्बन कर रहा था जो अमेरिका की फूटी आँखों भी नहीं सुहाता था। इसके विपरीत पाकिस्तान इस गुट का एक पिछलगुआ था। अतएव अमरीकी गुट ने टालफटोल की नीति अपनाकर वास्तविक प्रश्न को खोमल करने का यत्न किया। २० जनवरी को सुरक्षा परिषद् से तीन सदस्यों के एक आयोग की स्थापना का फैसला किया जिसका एक सदस्य भारत की सिफारिश पर, दूसरा पाकिस्तान की सिफारिश पर तथा तीसरा इन दोनों की सिफारिश पर नियुक्त होता। आयोग को जाँच पड़ताल और मध्यस्थता का काम सौंपा गया। भारत ने इस आयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया को और पाकिस्तान ने अर्जेंटाइना को चुना, पर ये दोनों

राज्य तीसरे नाम के लिए सहमत नहा हो सके। इस कारण सुरक्षा परिषद् ने अध्यक्ष ने समुक्त राज्य अमेरिका को आयोग का तीसरा सदस्य मनोनीत कर दिया। २१ अप्रिल को सुरक्षा परिषद् ने आयोग में दो और सदस्य बढ़ा दिये। ये सदस्य कोलम्बिया और बेल्जियम थे। इस पाँच राज्यों से आयोग बना उसका नाम "भारत और पाकिस्तान के लिए समुक्तराष्ट्र का आयोग" (United Nations Commission for India and Pakistan) पड़ा। इसी बीच सुरक्षा परिषद् ने एक और प्रस्ताव पास किया और यह सिफारिश की कि कश्मीर से विदेशी कब्र-यत्ती, पाकिस्तान के नागरिक और भारतीय सेना हटा लिए जाय और भारत भाषण लेखन को स्वतन्त्रता प्रदान करके जनमत संग्रह के लिए उचित वातावरण तैयार करे।

समुक्त राष्ट्र आयोग (U. N. C. I. P.) के साथ समुक्तराष्ट्र आयोग ने अपना काम ही ठरत शुरू कर दिया। विवाद के दोनों पक्षों से निम्ने और उनके विचारों से अवगत होने के पश्चात् उसने दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने को कहा और समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसके मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित थे—(१) पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले तथा विदेशी कब्रयतियों और कश्मीर में सामान्य रूप से न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वहाँ से हटाने का प्रयास करें, (२) इस प्रकार के क्षेत्र को जिसको पाकिस्तान सेना ने खाली कर दिया है, उसका शासन प्रबन्ध आयोग के निरीक्षण में स्थानीय अधिकारी करें। (३) जब पाकिस्तान इन दोनों शर्तों को पूरा कर ले और आयोग इसकी सूचना भारत को दे दे तो भारत भी अपनी सेना का अधिकार कश्मीर से हटा लें, (४) अन्तिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सीमाओं के भीतर छतनी हो सीमाएँ रखें जितनी इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

शुरू में पाकिस्तान ने इन शर्तों को मानने में टालमटोल की, पर बाद में कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके बाद लम्बी वार्ता के बाद १ जनवरी, १९४९ को दोनों पक्ष युद्ध बन्द कर देने पर सहमत हो गये। एक युद्ध विराम रेखा निश्चय की गयी और इसकी देखभाल के लिए आयोग ने निम्न राष्ट्रों के निरीक्षक नियत किये। कश्मीर का अन्तिम फैसला जनमत संग्रह द्वारा होने को था। अतएव जनमत संग्रह के प्रशासन के लिए अमरीकी नागरिक मैचैस्टर निमिट्ज को नियुक्त किया गया। प्रशासक बनकर वह कश्मीर पहुँचा और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से जनमत संग्रह के सिद्धांतों पर बातें करने लगा। पर दोनों देश इस प्रश्न पर राजी नहीं हो सके। मैचैस्टर निमिट्ज ने तब पदत्याग कर दिया।

मैकनाटन योजना—इसके बाद पाकिस्तान के आक्रामक इरादों के कारण कश्मीर की समस्या पुनः गम्भीर होने लगी। इस हॉलत में २९ दिसम्बर, १९४९ को सुरक्षा परिषद् के कनाडियन अध्यक्ष जेनरल मैकनाटन ने समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसको मैकनाटन योजना (Mc Naughton Plan) कहते हैं। इस योजना में भी पाकिस्तानी आक्रमण को काइ चला नहीं थी और अक्रान्त तथा अक्रान्ता को एक ही स्तर पर रखा गया था। इसमें पाकिस्तानी सेना को हटाने के साथ साथ भारतीय सेना को हटाने की बात भी थी। इस प्रकार कश्मीर का अस्वैयकरण करके जनमत सग्रह का प्रस्ताव किया गया था। अनेक कारणों से भारत को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था।^{*} इसलिए उसने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया।

डिक्शन मिशन—मैकनाटन योजना के विफल होने पर २४ फरवरी, १९५० को सुरक्षा परिषद् ने एक और प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसका आशय पाँच महीने के भीतर कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाएँ हटाने का था। इस काम की आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर ओथेन डिक्शन को सौंपा गया। मई १९५० में डिक्शन ने अपना काम शुरू किया। उसने कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाएँ हटाने पर जोर दिया। डिक्शन की अन्तिम योजना समूचे कश्मीर में जनमत सग्रह के स्थान पर इसका विभाजन करने की थी। उसका यह प्रस्ताव था कि जो क्षेत्र पाकिस्तानी अधिकार में है वह उसके साथ रहे, जो भारतीय सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र है भारत में रहे और कश्मीर घाटी का भाग्य निणय जनमत सग्रह द्वारा हो। लेकिन यह योजना दोनों पक्षों में किसी को भी मान्य न हुई। भारत अपनी सेना हटाने पर भी नहीं राजी हुआ क्योंकि उसके विचार में पाकिस्तान की सेना कश्मीर में आक्रमण करने के लिए आयी थी और भारतीय सेना कश्मीर सरकार के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए गयी थी। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि यद्यपि सर डिक्शन ने यह स्वीकार किया था कि "कश्मीर में विरोधी कवायलियों तथा मई १९४८ में पाकिस्तान की नियमित सेनाओं

* मैकनाटन योजना पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्रमंडल में भारतीय प्रतिनिधि श्री वेनगल नरसिंह राव ने कहा—“Today the position is that Pakistan which through out 1948 denied giving any aid either to the invaders or to the 'Azad Kashmir' forces, is now itself not only an invader but in actual occupation of nearly half the area of the state without any lawful authority from any source. This is naked aggression of which no one can approve but there is no sign of disapproval in the present proposal, the Mc Naughton proposal.”

का प्रवेश अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन था।" फिर भी उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही स्तर पर रखा। इस हालत में डिक्शन यह समझ गया कि कश्मीर को समस्या उससे नहीं सुलझ सकती है। अतएव उसने मुझ पर परिषद् से अनुरोध किया कि उसे उसके पद भार से मुक्त कर दिया जाय। सुरक्षा परिषद् को उसने यह भी परामर्श दिया कि दोनों पक्षों को प्रत्यक्ष बातों करके इस प्रश्न को हल करना चाहिये।

ग्राहम मिशन—सर ओवेन डिक्शन की विफलता के बाद लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन ने कश्मीर समस्या का समाधान का एक और यत्न किया। इसमें असेम्बली तथा पंचायती फेसले का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन भारत को इस तरह का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं हो सकता था। इसी समय कश्मीर की सरकार ने सविधान बनाने के लिए एक सविधान परिषद् के निर्वाचन की योजना बनायी। इस पर फरवरी १९५१ में पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रश्न को पुनः सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया। परिषद् ने ब्रिटेन और अमेरिका के एक समुदाय प्रस्ताव को पाम करके सर ओवेन डिक्शन के एक उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया जो कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाओं को हटाकर जनमत सप्प रास्ता तैयार कर सके। २० अप्रिल को फिर एक अमरीकी नागरिक डॉ. ग्राहम को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया।

ग्राहम अगले दो वर्षों तक इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता रहा। इसके लिए उसने अनेक प्रस्ताव रखे। पर कोई भी प्रस्ताव दोनों पक्षों को नहीं था। २७ मार्च, १९५३ को ग्राहम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में डिक्शन की भाँति यह सुझाव दिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान में प्रत्यक्ष बातों होनी चाहिए।

प्रधान मंत्रियों की बातों—ग्राहम के उपर्युक्त सुझाव के अनुसार दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने लन्दन, कराँची और नयी दिल्ली में कश्मीर के सम्बन्ध में वार्तालाप किया जिसमें उन्होंने यह तय किया कि जनमत सप्प १९५४ में कायम हो जाय और उसकी देख रेख के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय। जनमत सप्प के प्रशासक का नाम पर दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर भी, दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच मन ध्यवहार होता रहा।

कश्मीर समस्या के स्वच्छ में परिवर्तन—इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिसके पल्लवस्वरूप कश्मीर समस्या के स्वच्छ में आमूल परिवर्तन हो गया। १९५३ में पाकिस्तान पश्चिमी युट में शामिल हो गया। अक्टूबर १९५३ में अमेरिका से लौटते हुए एक रात्रि में जिसके अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका से

लेना स्वीकार किया। बाद में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट और दक्षिण पूर्व एशिया (Seato) के सैनिक सगठनों में शामिल हो गया। कश्मीर की समस्या पर इन घटनाओं का तत्कालिक प्रभाव पड़ा। भारत ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का विरोध किया। कश्मीर में सयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से जो अमरीकी नागरिक काम कर रहे थे उनको भारत सरकार ने ४८ घंटे के अन्दर निकल जाने का आदेश दिया। यद्यपि अमेरिका की सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का उद्देश्य भारत को क्षति पहुँचाना नहीं है, लेकिन इस तक को कैसे माना जा सकता था। जब पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने कहा कि "सैनिक सहायता से कश्मीर की समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी" तो उनका इरादा एकदम स्पष्ट हो गया। स्थिति की गम्भीरता पर विचार करते हुए १ मार्च, १९५४ को प० नेहरू ने भारतीय लोकसभा में कहा

'सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को दो गयी सैनिक सहायता का यदि दुर्भाव होता है इससे दूसरों पर हमला किया जाना है तो वह ऐसे आक्रमण को रोकेंगा। परन्तु हमारा विचार अनुभव यह बतलाता है कि आक्रमण होता है और उसे रोकने का कोई रत्न नहीं किया जाता। साढ़े छ वर्ष पहले कश्मीर पर भीषण हमला हुआ था, किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका ने आज तक इसको निन्दा नहीं की और हमें यह कहा जाता रहा है कि हम शान्ति बनाये रखने के लिए इस पर आग्रह नहीं कर। सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गयी सहायता से आक्रमण को प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियों के उत्पन्न होने को सम्भावना है। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यह सहायता कश्मीर की समस्या को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। यह इस बात का सूचक है कि उनका मन किस प्रकार मोचग है और वह सैनिक सहायता को किस प्रकार प्रयोग करना चाते हैं।'

सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सैन्य सगठनों में पाकिस्तान के शामिल हो जाने से कश्मीर की समस्या "शीत युद्ध" के क्षेत्र में आ गया। कश्मीर स्थित गिलगिट में अमेरिका द्वारा बड्डा बनाना चाहता था। गिलगिट सोवियत संघ के बहुत निकट पड़ता है, इस हालत में वह कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता था। यों तो पहले से ही साम्प्रदायी जगत् को सहानुभूति भारत के प्रति रही है, पर अब तो सोवियत संघ कश्मीर के मामले पर खुले आम भारत का पूर्ण समर्थन करने लगा। १९५५ में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री बुनगानिन तथा पार्टी के सेक्रेटरी श्री खर्चुचेव भारत आये। कश्मीर भ्रमण के समय उन्होंने संघना को कि "सोवियत संघ कश्मीर को भारत का अविभक्त अंग मानता है यदि आव-

तथा रिपोर्ट देने की बात थी, सेना भेजने का कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया।

सुरक्षा परिषद् के इस प्रस्ताव के अनुसार गुन्नार जारिंग १४ मार्च, १९५७ को पाकिस्तान पहुँचे और उसके दस दिनों के बाद भारत आये। दोनों पक्षों से बातचीत करने के पश्चात् उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचते देर न लगी कि दोनों में समझौता करना असम्भव है। यह स्वीकार करते हुए कि पिछले नौ वर्षों में कश्मीर की स्थिति में मौलिक परिवर्तन हो गया है रिपोर्ट में समस्या को सुलझाने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

पुनः ग्राहम मिशन—जिस दिन जारिंग रिपोटर सुरक्षा-परिषद में पेश की गयी उसी दिन परिषद की पाकिस्तान सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भारत के विरुद्ध तरह तरह के आरोप लगाये गये थे। पाकिस्तान की इन शिकायतों पर विचार करने के लिए २४ सितम्बर, १९५७ को सुरक्षा परिषद की एक और बैठक हुई। दिसम्बर, १९५७ तक इस समस्या पर विचार होता रहा। परिषद् में घण्टों तक भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के भाषण कई दिनों तक चलते रहे। अन्त में २ दिसम्बर को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार समस्या को सुलझाने के लिए डा० फ्रैंक ग्राहम की पुनः भारत भेजने का निश्चय किया गया। प्रस्ताव के द्वारा दोनों देशों से यह आग्रह किया गया कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे वातावरण खराब हो। सोवियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पर इस बार उसने वोटों का प्रयोग नहीं किया।

पारित प्रस्ताव के अनुसार डा० फ्रैंक ग्राहम २२ जनवरी से २५ जनवरी, १९५८ तक भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करते रहे। ३ अप्रिल, १९५८ को सुरक्षा परिषद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने पाँच प्रस्ताव रखे थे। इस प्रस्तावों में प्रायः पुरानी बातों को ही दुहराया गया था, पाकिस्तानी आक्रामकता की कोई चर्चा नहीं थी। इसलिए यद्यपि पाकिस्तान ने विद्वान्तरूप में इसे स्वीकार कर लिया, पर भारत ने इसको नामजूर कर दिया।

१९६२ ६४ में—इसके बाद कुछ दिनों तक सुरक्षा परिषद मौन रही। लेकिन जून १९६२ में अमेरिका के दबाव से बाध्य होकर आयरलैण्ड ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर सम्बन्धित एक और प्रस्ताव रखा। जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष बातचीत प्रारम्भ करें और ऐसी कोई कारवाई न करें जिससे उस क्षेत्र को शान्ति भंग हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाय। सोवियत सभ ने पुनः वोटों का प्रयोग करके इस रद्द कर दिया। इसके उपरान्त सुरक्षा परिषद् ने कश्मीर के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं की।

अक्टूबर, १९६२ में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रारम्भ से कश्मीर की समस्या में एक नयी सरगमीं आयी। इसी स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह से भारत और पाकिस्तान के बीच मन्त्रियों के स्तर पर वार्ताएँ शुरू हुईं। ऐसी सम्मोद की जाती थी कि मन्त्रियों के स्तर पर वार्ता सम्पन्न होने पर प्रधान मन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयुब खान स्वयं बातचीत करेंगे। लेकिन इन वार्ताओं से अन्ततः कोई लाभ नहीं हुआ। बातचीत के मध्य में फरवरी, १९६३ में पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता करके अधिकृत कश्मीर का एक बहुत बड़ा भू-भाग चीन को दे दिया। भारत ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि कश्मीर में पाकिस्तान स्वयं हमलावर है और उसको किसी दूसरे के साथ कश्मीर पर किसी तरह का समझौता करने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने इस समझौते पर विरोध प्रकट करते हुए सुरक्षा-परिषद् को इसकी सूचना दे दी। जून, १९६३ में मन्त्रियों के स्तर पर समझौते का जो वार्ता हो रही थी, वह समाप्त हो गया और उससे कोई लाभ नहीं पहुँचा।

१९६४ के प्रारम्भिक महिनों में कश्मीर समस्या के इतिहास में एक नया अध्याय हुआ। २८ दिसम्बर, १९६३ का श्रीनगर के हजरतबाल मस्जिद से पेगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चोरी चला गया। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी नेताओं ने साम्प्रदायिक घृणा विद्वेष फलाये। पाकिस्तानी अखबारों ने भारत के विरुद्ध जहर उगलना शुरू किया। फलतः पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गये। इस दंगे में हजारों मरे और हजारों शरणार्थी भागकर पश्चिम बंगाल चले आये। इसके प्रतिक्रियास्वरूप भारत के कुछ भागों में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए। पाकिस्तान ने इस स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया और अप्रैल, १९६४ में कश्मीर की समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद् में ले गया। हजरत बाल कांड को लेकर कश्मीर में जो सरगमीं आयी उसकी पाकिस्तान ने 'कश्मीरियों का विद्रोह' बतलाया और सयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन इस बैठक में सुरक्षा परिषद् कुछ न कर सकी और यह निश्चय किया गया कि ३ मई, १९६४ के दिन कश्मीर समस्या पर परिषद् विचार करे।

शुरू मई में कश्मीर की सरकार ने शेख अब्दुल्ला को जेल से मुक्त कर दिया। बहुत दिनों से पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा था कि कश्मीर के एक नए नेता शेख अब्दुल्ला को जेल में बन्द करके भारत सरकार कश्मीर की जनता को कुचले हुए है। इस झूठे प्रचार का भङ्गफोड़ करने के उद्देश्य से सरकार ने शब्द को रिहा कर दिया। पर जेल से छुटते ही शेख ने कश्मीर के लिए आत्मनिर्भरता के अधिकार और जनमत संग्रह की मांग की। इसी घाटाघाण में ५ मई, १९६४ को कश्मीर के प्रश्न पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक में पाकिस्तान

के प्रतिनिधि भी झूटो तथा भारतीय प्रतिनिधि धी धागला ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर में जनमत संग्रह की अपनी पुरानी मांग रखी। भारतीय प्रतिनिधि ने पुनः इसका विरोध किया। अन्त में, अन्य अवसरों की तरह, इस बार भी सुरक्षा परिषद् किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सकी। परिषद् में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके द्वारा दोनों पक्षों से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करते रहें।

पाकिस्तान का घुसपैठी आक्रमण — अगस्त, १९६५ में कश्मीर की समस्या ने पुनः भयंकर रूप धारण कर लिया। ५ अगस्त को तीन हजार के लगभग पाकिस्तानी कश्मीर युद्ध विराम रेखा को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस गये। इनमें से अधिकांश 'आजाद कश्मीर सेना' के सैनिक थे, लेकिन वे असैनिक पोशाक में घुसे थे। ये घुसपैठी आधुनिकतम अस्त्रशस्त्रों से लैस थे और इनका उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में तोड़ फोड़, लूट और आतंक फैलाना था। सम्भवतः पाकिस्तान का इरादा १९४७ के इतिहास को दुहराना था। ९ अगस्त को शेख अब्दुल्ला के कैद की बपगाँठ के अवसर पर कश्मीर जनमत संग्रह दल ने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसी दिन घुसपैठियों को अपनी कारवाहई शुरू करनी थी ताकि पाकिस्तान को यह कहने का मौका मिल जाय कि कश्मीर की जनता ने भारत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। भारत सरकार ने इस घटना की सूचना विराम रेखा पर स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षकों को दे दी। इन पर्यवेक्षकों ने स्थिति की जाँच पड़ताल की और संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निम्मो (General Nimmo) ने महासचिव को इस बात की सूचना दी कि असैनिक पोशाक में बहुत से लोग सीमा के उस पार से भारतीय क्षेत्र में घुसे हैं। १० अगस्त को महासचिव यू थान्ट ने भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपनी सरकारों को समय से काम लेने की सलाह दें।

इसी बीच भारतीय सेना ने घुसपैठियों की घर-पकड़ शुरू की और कश्मीर में शान्ति स्थापना के कार्य में सलग्न हो गयी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह घुसपैठियों का सामना करने के लिए तैयार है और महासचिव को पाकिस्तान से अनुरोध करना चाहिए कि वे इन व्यक्तियों को वापस बुला लें। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री जेड० ए० भुट्टो ने कहा कि उनका देश किसी तरह इन घुसपैठियों से सम्बद्ध नहीं है। १८ अगस्त को यह सुनने में आया कि महासचिव ने कश्मीर की स्थिति पर एक वक्तव्य तैयार किया है जिसमें वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार बताया गया है, लेकिन पाकिस्तान तथा अमरीकी गुट के दबाव में आकार महासचिव ने उस वक्तव्य को प्रकाशित नहीं कराया। यू थान्ट ने रक्त

बूँच को भारतीय उपमहाद्वीप में भेजने का विचार किया, लेकिन यह इरादा भी त्याग दिया गया।

इसके उपरान्त महासचिव ने जनरल निम्नो को न्यूयार्क बुलाया। २६ अगस्त को जनरल निम्नो न्यूयार्क पहुँचे और महासचिव को उन्होंने कश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश की। कश्मीर के प्रश्न पर अपनी मन्त्रणा का दौरा पूरा करने के बाद महासचिव समस्या के समाधान के लिए नये सिरे से कदम उठाने पर विचार करने लगे। उन्होंने यह बतलाया कि कश्मीर क लडाई के बारे में जनरल निम्नो ने जो रिपोर्ट दी है उसको अभी वे प्रकाशित नहीं करेंगे। सुरक्षा परिषद् की बैठक में इसको पेश किया जायगा।

भारत पाक युद्ध — १ सितम्बर को पाकिस्तान का नियमित सेना से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पारकर भारतीय भू भाग पर आक्रमण कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। युद्ध की अग्न फलने की सम्भावना बहुत बढ़ गयी। महासचिव ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों से मन्त्रणा की और पाकिस्तान और भारत दोनों से युद्ध बन्द करने की अपील की। ४ सितम्बर को भारत ने इसका जवाब दिया। उसका कहना था कि जबतक पाकिस्तान घुसपैठियों को वापस नहीं बुला लेता और आक्रमण बन्द नहीं कर देता तबतक भारत युद्ध बन्द करने में लाचार है।

सुरक्षा परिषद् की बैठक — उसी दिन ४ सितम्बर को सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई। कश्मीर की समस्या पर विचार करने के लिए परिषद् की यह १२०वीं बैठक थी। भारत ने परिषद् से यह मांग की कि वह पाकिस्तान को कश्मीर में आक्रामक घोषित करे और पाकिस्तान से यह मांग करे कि वह कश्मीर के सब भागों से अपनी सेना हटा ले। भारतीय प्रतिनिधि श्री पार्थसारथी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आक्रमण के द्वारा १९४९ में कराची में हुए युद्ध विराम समझौते को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और युद्ध विराम रेखा को कसाईखाने के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बहस का प्रारम्भ करते हुए श्री पार्थसारथी ने कहा कि सुरक्षा परिषद् पिछले १८ वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में असफल रही है क्योंकि वह इस समस्या के साथ तथ्य कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया है, मानने से हमेशा इनकार करती रही है। उन्होंने कहा कि "कश्मीर में आजकल जो हो रहा है वह पुन एक भारी आक्रमण है। न्यायविहीन पाकिस्तानी दाव से सुरक्षा परिषद् पथभ्रष्ट, भ्रम और बहकावे में पड़ गयी है।"

पाकिस्तानी प्रतिनिधि श्री सैयद अमजाद अली ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि द्वारा दिया हुआ एक भी वक्त य ऐसा नशा है जो कि मनगढ़त न हो और तथ्यों के आधार पर तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ह्य निवाचित सदस्यों की ओर से मलयेशिया ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कश्मीर में अविश्राम

युद्ध विराम लागू करने के लिए भारत और पाकिस्तान से माँग की गयी थी। इसमें सम्मान करने और युद्ध विराम रखा के अपने भागों में सब सेनिकों को वापस बुलाने के लिए आपह करती है।

मलेशियाई प्रतिनिधि श्री राधाकृष्ण रमानी ने कहा कि प्रस्ताव इससे अधिक कुंठ नहीं कर सकता, उसमें केवल अविलम्ब युद्ध को बन्द करने की माग की गयी है। परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

परिषद् का यह प्रस्ताव अनेक त्रुटियों से घरा पडा था। इसमें कश्मीर में पाकिस्तान के नये आक्रमण को निन्दा न करके पुन उस ऐतिहासिक भूल को दुहराया गया जो १९४७ में पाकिस्तानी आक्रमण के समय की गयी थी। इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को वर्तमान हमलों के लिए दोषी बताया था, तो सुरक्षा परिषद् की यह उपेक्षा न्याय का गला घोटने के समान थी। सुरक्षा परिषद् की उक्त बैठक महासचिव थान्त की रिपोर्ट पर विचार के लिए जब बुलायी गयी थी तब उस पर कोई विचार ही न किया जाना विस्मयकारी था। यह विस्मय उस समय और अधिक हो जाता है जब कि मूल प्रश्न पर विचार न कर आक्रामक पाकिस्तान तथा आक्रान्त भारत को समान कीटि में रखने का प्रयत्न किया गया। सुरक्षा परिषद् में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत बताया जाता है, उसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों से तत्काल युद्ध-विराम करने की अपील की गयी। लेकिन वास्तविकता को धोर अपेक्षा कर केवल औपचारिक कार्रवाई से कोई लाभ नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद् के सदस्यों ने इसपर तनिक भी विचार नहीं किया। युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर फज अदायगी तो कर दी गयी, किन्तु इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया कि आक्रमणकारी पाकिस्तान को अपनी सेना पीछे हटाने का आदेश दिया जाय। जबतक कश्मीर पर नया हमला करने वाले देश को न रोका जायगा तबतक आखिर युद्ध बन्द भी कैसे हो सकता है? इस बात की ओर सुरक्षा-परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों का ध्यान न जाना अत्यन्त खेदजनक था।

यह स्थिति उस समय और भी गम्भीर चिन्ता का कारण बन जाती है, जब कि महासचिव थान्त की कारभोर सम्बन्धी रिपोर्ट पर क ई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। एक ओर तो महासचिव श्री थान्त की पहली रिपोर्ट तथा उनके कश्मीर सम्बन्धी वक्तव्य को प्रकाशित नहीं होने दिया गया, फिर जब तत्सम्बन्धी गोपनीय रिपोर्ट संप्रसृत की गयी तब भी उसपर ध्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक ही नहीं घोर अनर्थकारी भी था। इस रिपोर्ट में महासचिव श्री थान्त ने जब पाकिस्तान को ही वर्तमान घर्षों के लिए दोषी ठहराया तो फिर सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य को इसे कहने में सकोच क्यों हुआ?

६ सितम्बर को युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की दूसरी बैठक हुई। यू थान्त ने परिषद् को सूचित किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध बन्द करने से इन्कार कर दिया है। उस रात सुरक्षा परिषद् ने सर्वसम्मति से एक सकटकालीन प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत और पाकिस्तान को तत्काल युद्ध 'बन्द करने के लिए कहा गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने सशस्त्र सैनिकों को उन स्थानों पर लौटा लें जहाँ वे गत ५ अगस्त को थे। प्रस्ताव में महासचिव से प्रार्थना की गयी थी कि वे इस प्रस्ताव को तथा ५ सितम्बर के प्रस्ताव को मनवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न का उपयोग करें।

उसी समय महासचिव ने यह घोषणा की कि वे बहुत शीघ्र युद्ध बन्द कराने के लिए पाकिस्तान और भारत जायेंगे।

यू थान्त का शान्ति अभियान— सुरक्षा परिषद् के इस प्रस्ताव के आधार पर ९ सितम्बर को यू थान्त कार्रवाई पहुँचे। तीन दिनों तक पाकिस्तानी नेताओं से चर्चा होने बातचीत की। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को मजूर करने के लिए तीन शर्तें रखीं—

१ युद्ध विराम के बाद सम्पूर्ण कश्मीर से भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पूरी तरह हटा ले।

२ जनमत संग्रह होने तक कश्मीर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अफ्रीकी एशियाई देशों की सेना रखी जाय।

३ तीन महीनों के भीतर कश्मीर में सुरक्षा परिषद् के ५ जनवरी, १९४९ ई० के प्रस्ताव के अनुसार जनमत संग्रह के लिए मतदान किया जाय।

इन शर्तों ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान युद्ध बन्द करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तीनों शर्तें ऐसी थीं जिनकी भारत किसी हालत में नहीं मान सकता था। १२ सितम्बर को महासचिव दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भारतीय प्रधान मन्त्री से उन्होंने तुरत युद्ध बन्द कर देने का प्रस्ताव रखा। भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने के लिए स्वतन्त्र है। १५ सितम्बर को राष्ट्रपति अणुब धर्म ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया। यू थान्त द्वारा शान्ति अभियान में विफल होकर न्यूयार्क लौट गया।

न्यूयार्क पहुँच कर १६ सितम्बर को महासचिव ने सुरक्षा परिषद् में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की। इस प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि पाकिस्तान राजी हो तो भारत बिना शर्त युद्ध बन्द करने का सुझाव मानने को तैयार था। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का स्वीकार करने की सूचना नहीं दी। अन्ततः उसने प्रस्ताव को अन्त्येष्ट रूप से टुट्टा दिया है।

सुरक्षा परिषद् की तीसरी बैठक—२८ सितम्बर को यू थान्त की भारत पाकिस्तान यात्रा की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक फिर हुई। यू थान्त ने परिषद् से माँग की कि चार्टर की धारा ४० के अधीन सुरक्षा परिषद् भारत और पाकिस्तान को लड़ाई बन्द करने का आदेश दें और यदि वे युद्ध विराम न करे तो चार्टर की ३९वीं धारा के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय। महासचिव ने कहा कि चार्टर की ४०वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद् भारत पाकिस्तान को और आगे सैनिक कार्रवाई से विरत होने तथा युद्ध विराम के लिए आदेश दे सकती है। १९४८ में सुरक्षा परिषद् ने फिलिस्तीन के प्रश्न पर इस प्रकार का आदेश दिया था। यू थान्त ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं से दूरत एक शीघ्र सम्मेलन करने के लिए परिषद् अपील कर सकती है। यह सम्मेलन सघ के सहयोग से किसी तटस्थ देश में हो सकता है।

भारतीय प्रतिनिधि श्री एम० सी० झागला ने परिषद् से कहा कि पहले यह यह निश्चित करे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन आक्रामक है।

श्री झागला ने घोषणा की कि मौलिक प्रश्न यह है कि आक्रामक कौन है? यही उपयुक्त समय है जब कि आक्रमणकारी को आक्रमणकारी कहा जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमध्यय पर्यवेसकों के रिपोर्ट में यह बात साफ साफ कही गयी है कि ५ अगस्त को कश्मीर में सशस्त्र अतिक्रमणकारी सीमा पार करके पाकिस्तान से भारत में घुसे।

श्री झागला ने कहा कि राष्ट्रपति अयूब खॉं का कष्ट और दुराग्रहपूर्ण रुख इसी लिए था कि वे कल की पकिंग की घमकी के बारे में पहले से ही जानते थे। अयूब खॉं चाहते हैं कि भारत दोनों मोरचों पर लड़े। वे चाहते हैं कि चीन भारत पर हमला बोल दे।

उन्होंने कहा कि जानबूझकर राष्ट्रपति अयूब खॉं का नवीनतम पत्र यू थान्त को उसी समय दिया गया जब कि चीन ने भारत को चुनौती दी। चीन ने भारत को चुनौती दी थी कि यदि वह तिब्बत-सिक्किम सीमा के अपने सैनिक ठिकानों को नष्ट नहीं करता तो इसका परिणाम भयानक होगा।

श्री झागला ने कहा कि हमारी सरकार कश्मीर में किसी भी विदेशी सेना भेजने का विरोध करगी। कश्मीर में जन्मत सगह का भी भारत विरोध करेगा।

मलेशिया के प्रतिनिधि राधाकृष्ण रमानी ने बहस में भारत का समर्थन किया और कहा कि परिषद् को एक चतुर्दश्रीय प्रस्ताव पास करना चाहिए जिसमें युद्ध विराम के लिए महासचिव की अपील स्वीकार करने की भारतीय तत्परता की सराहना की जाय, शर्तों की स्वीकृति बिना पाकिस्तान द्वारा उसे न मानने के हठ पर खेद

प्रकट किया जाय, कश्मीर में पाकिस्तान के सशस्त्र अतिक्रमण को भर्त्सना की जाय तथा पाकिस्तान से लड़ाई बन्द करने को कहा जाय।

रूसी प्रतिनिधि ने भारत पाकिस्तान संधि से लाभ उठानेवाले पक्षों को चर्चा बनी दी और कहा कि ये पक्ष अपने विस्तारवादी इरादों और नापाक नीतियों के कारण यह सब कुछ कर रहे हैं। भारत-पाकिस्तान के संधि में केवल उर्दू लोगों को लाभ पहुँच सकता है जो विश्व की जनता में नापाक इरादों से फूट-डालना चाहते हैं तथा जिनके विस्तारवादी एव साम्रज्यवादी इरादे हैं। सुरक्षा परिषद् को इस बात पर जोर देना है कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनपर ज़ात अमल किया जाय। घोषितनाम में अमेरिकी आक्रमण से गम्भीर बनी स्थिति भारत पाकिस्तान के संधि से और गम्भीर हो उठी है और एशिया में तनाव बढ़ गया है। संधि रूस की सीमा के और निकट आ गया है। अतः रूस और ज्यादा चिन्तित है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी युद्ध विराम का समर्थन किया।

सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में केवल जोर्डन ही अकेला वह देश रहा जिसने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद् को कश्मीर का प्रश्न हल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए जो चल रहे संधि की जड़ है। सुरक्षा परिषद् को कश्मीर का प्रश्न सुलझाने में अन्तिम निर्णय के अधिकार पर बल देने की जरूरत है। बिना इसके भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए कोई समान आधार नहीं दिखाई पड़ता।

सुरक्षा परिषद् ने अपनी २० सितम्बर की बैठक में दस मतों से निदर्लैंड द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पास किया। जोर्डन ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में परिषद् ने भारत और पाकिस्तान को आदेश दिया कि वे बुधवार को साढ़े बारह बजे से युद्ध बन्द करने का आदेश जारी करें और बाद में अपने सारे सैनिक उन स्थानों पर वापस हटा लें जहाँ वे अगस्त, १९६५ में थे। महासचिव से कहा गया कि वे युद्ध विराम के निरीक्षण और सेनाओं की वापसी के निगरानी के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करें। साथ ही सभी देशों से कहा गया कि वे ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे स्थिति और बिगड़े। परिषद् ने इस बात पर विचार करने का भी निश्चय किया कि वर्तमान झगड़े में निहित राजनीतिक समस्या के हल के लिए युद्ध विराम के बाद क्या कदम उठाये जायें।

प्रस्ताव की समीक्षा - सुरक्षा परिषद् का यह प्रस्ताव भारत के साथ एक अन्याय था। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उक्त आदेश केवल पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए था। कारण, पाकिस्तान ने ही सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। भारत ने तो उसे पहले ही बिना शर्त मान लिया था। भारत जब युद्धवादी के प्रस्ताव को

स्वीकार करने के लिए तैयार था तो कोई कारण नहीं कि उसे भी उक्त आदेश दिया जाय। आक्रमणकारी तथा आक्रान्त दोनों के साथ एक प्रकार का यह व्यवहार बहुत ही खटकनेवाला था। युद्ध बन्द करने का आदेश तो उस देश को दिया जाना चाहिए जिसने युद्ध शुरू किया हो। पाकिस्तान ने ही भारत पर आक्रमण किया था और वह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रतिनिधि श्री छागला का यह कथन सवथा उचित एवं युक्तियुक्त रहा कि युद्धबन्दी का आदेश केवल पाकिस्तान को ही दिया जाय जिसने भारत पर आक्रमण किया है। प्रस्ताव में भारत को आदेश देने की तो कोई भावश्यकता ही नहीं थी। वह तो पहले से ही इसके लिए तैयार था वरतें पाकिस्तान भी इसे स्वीकार करे।

प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री थान्त के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे स्पष्ट है कि भारत तो शान्ति के निमित्त युद्ध विराम के लिए प्रसन्न था किन्तु पाकिस्तान की दुरायही शक्तों के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। भारत इस बात के लिए प्रसन्न था कि महासचिव थान्त के प्रस्ताव को मान ले किन्तु जब पाकिस्तान बिना शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार ही नहीं हुआ तो क्या किया जाता। इस प्रकार महासचिव थान्त का असफल बनाने का सारा दोष पाकिस्तान तथा उसे प्रोत्साहन देनेवाले देशों पर था। शुक्रवार को रात को सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव श्री थान्त ने अपने इस प्रयास के बारे में जो रिपोर्ट दी, उससे भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है। सुरक्षा परिषद को पहले ही महासचिव की रिपोर्ट पर विचार कर पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करना चाहिये था। यह न कर बहुत बड़ी गलती की गयी। थान्त के प्रयास को विफल कर पुनः पाकिस्तान ने हिमाकत की और शान्तिप्रिय देशों की इच्छा एवं आग्रह को ठुकराया। यही नहीं, पाकिस्तान राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में भी जिस प्रकार की बातें करने लगा था, वह उसके औद्ध्य की सूचक था।

इस बार भी सुरक्षा परिषद ने मूल प्रश्न की उपेक्षा कर पाकिस्तान के आक्रमणकारी स्वरूप पर पर्दा डालने की कोशिश की। यह पहला अवसर नहीं जब कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया हो। १९५७ में भी उसने यही काम किया था। अब जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के कश्मीर स्थित प्रधान पयवेसक जनरल निम्नो ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को हमला करनेवाला घोषित किया और उसकी पुष्टि महासचिव श्री थान्त ने भी अपनी सुरक्षा-परिषद की रिपोर्ट में की, इसके बाद भी पाकिस्तान को हमलावर घोषित न करना भारत के साथ सरासर अन्याय करना था। प्रस्ताव में यदि युद्धबन्दी का ही आदेश होता तो बात दूसरी होती। इसमें कश्मीर की राजनीतिक समस्या के समाधानों की भी चर्चा की

गयी थी। प्रस्ताव में इसका उल्लेख अप्रासंगिक एवं अनावश्यक था। कारण कश्मीर पर भारत की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता। १९४७ में भी भारत ने ही कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की फरियाद की थी। उस समय भी भारत को न्याय नहीं मिला और पाकिस्तान के आक्रमणकारी रूप प्रकट होने पर भी वह किसी प्रकार लाञ्छित एवं दण्डित नहीं हुआ। इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि तथा सर्वोच्च आधिकारी की यह रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, उस समय भी पाकिस्तान को आक्रमणकारी न घोषित करना बड़े ही आश्चर्य की बात है। स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद युद्ध के आसार पर बैठी हुई है तथा वहाँ राजनीतिक स्वार्थों के अनुसार निर्णय हुआ करते हैं। न्याय तथा सत्य का परिषद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात सुरक्षा परिषद के नये आदेश से स्पष्ट हो जाती है। सुरक्षा परिषद की बैठक में युद्ध विराम के बाद वर्तमान संघर्ष की मूल समस्या के समाधान की जो बात कही वह वही ही अनर्थमूलक था।

युद्ध-विराम-यद्यपि भारत के लिए इस प्रस्ताव की स्वीकार करना बड़ा कठिन था, लेकिन शान्ति के नाम पर उसने इसे स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने २२ सितम्बर को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अतएव युद्ध विराम का समय सुरक्षा परिषद द्वारा बढ़ा दिया गया। २३ सितम्बर को सुबह ३ बजकर ३० मिनट पर दोनों पक्षों ने युद्ध बन्द कर दिया।


यद्यपि सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव के द्वारा भारत के साथ न्याय नहीं किया लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बन्द करा देना उसकी एक बृहत् बनी सफलता मानी जायगी। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव यू थान्त के प्रभाव भी सराहनीय माने जायेंगे।

(xiii) कोरिया की समस्या

सूत्रपात - युद्धोत्तर काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कोरिया की समस्या सबसे गम्भीर और महत्त्वपूर्ण समस्या मानी जाती है, क्योंकि इसको लेकर १९५० में जो युद्ध छिड़ा उसकी मावी तृतीय विश्वयुद्ध का एक छोटा रूप माना जा सकता था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के छोटे से इतिहास में इसका विशेष महत्त्व है। इस युद्ध में पहले दो विरोधी महाशक्तियाँ आमने सामने खड़ी थी और इसलिए कोरिया में संयुक्तराष्ट्र की कार्यवाही अत्यन्त महत्त्वशील थी। इसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य में अनेक प्रश्न सामने लाकर खड़े कर दिये।*

युद्ध के पूर्व कोरिया जापान के साम्राज्य के अन्तर्गत था। काहिरा और १९४५ डाम सम्मेलन में वह घापना की गयी थी कि युद्धोत्तरान्त कोरिया स्वतन्त्र रहेगा।

में जापान की पराजय के बाद कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया, ३८ अक्षांश रेखा के उत्तर सोवियत संघ तथा दक्षिण में सयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य कायम हो गया। यही रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बाँटती है। इसके बाद यह प्रयास



होने लगा कि दोनों कोरिया का एकीकरण हो। लेकिन शीत युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण यह अटलमड हो गया। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ के प्रभाव के साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई और दक्षिण कोरिया में अमेरिका अपना

प्रभाव जमाने लगा। दोनों ही पक्ष कारिया में अपनी स्थिति दृढ़ बनाना चाहते थे। इस हालत में कारिया में एकीकरण के प्रश्न पर किसी समझौते का होना असम्भव हो गया।

सितम्बर, १९४७ में कोरिया का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के सामने पेश हुआ। नवम्बर में सभा ने एक प्रस्ताव पास करके कोरिया के दोनों क्षेत्रों में चुनाव का आदेश दिया तथा चुनाव कराने के लिए 'संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोरिया पर अस्थायी आयोग' स्थापित किया। किन्तु रूस ने इस आयोग की उत्तर कोरिया में प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर आयोग ने केवल दक्षिण कोरिया में ही चुनाव का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप डा० सिंगमन रो के नेतृत्व में दक्षिण पक्षी दलों ने विजय प्राप्त की। इसके बाद दक्षिण कोरिया में डा० सिंगमन रो की अध्यक्षता में एक गणराज्य की स्थापना हुई। १२ दिसम्बर, १९४७ को साधारण सभा ने इसको कोरिया का वैध सरकार मान लिया। इसी बीच सोवियत संघ ने भी उत्तर कोरिया में जनरल किम इल सघ की अध्यक्षता में एक कोरियाई जनवादी गणराज्य की स्थापना कर दी। दक्षिण कोरिया को सरकार की अमेरिका के सभी पिछलग्गू देशों ने मान्यता प्रदान कर दी और उत्तर कोरिया सरकार को साम्यवादी देशों की मान्यता मिल गयी।

इसी बीच साधारण सभा ने एक और प्रस्ताव स्वीकृत करके अमेरिका और रूस को यह आदेश दिया कि वे कोरिया से अपनी अपनी सेना हटा लें। इस प्रस्ताव के आधार पर १९४८ के अन्त में सोवियत सेना उत्तर कोरिया से तथा जून १९५१ में अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया से हटा ली गयी। उधर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कोरिया के एकीकरण के लिए सात सदस्यों का एक आयोग बना दिया। लेकिन एकीकरण का कार्य बड़ा कठिन था। कोरिया शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया था और दोनों में संघर्ष अवश्यभावी प्रतीत हो रहा था। सीमाओं पर दिन प्रतिदिन दोनों पक्षों में सुठभेड़ हाती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में कोरिया की समस्या जटिल बनती जा रही थी।

कोरिया युद्ध— २५ जून १९५० को "उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया।" संयुक्त राष्ट्रसंघ के कोरियाई आयोग ने यह सवाद दिया कि यह आक्रमण अधोपिप्त, पूर्ण आयोजित एवं पूर्ण तैयारी के साथ हुआ है। २७ जून को इस आक्रमण पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाई गयी। एक प्रस्ताव पास हुआ कि "शान्ति भंग हुई है" और इसलिए संघ के सदस्य-राज्य "कोरिया के प्रजातन्त्र को ऐसी सहायता प्रदान करें जो उत्तर कोरिया के आक्रमण को खदेड़ने तथा उस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के निर-आवश्यक है।" संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीनी सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत

रूस उस समय सुरक्षा परिषद् का बहिष्कार किए हुए था। अतएव सोवियत की अनुपस्थिति में ही परिषद् ने एक के विरुद्ध सात मता से अमेरिका का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उत्तर कोरिया आक्रमणकारी घोषित किया गया। अन्य राष्ट्रों से कहा गया कि वे सयुक्त राष्ट्रसंघ के इस कार्य में सहायता दें। अमेरिका से बचाव प्राप्त युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को "सयुक्त राष्ट्रसंघ का युद्ध" कहा गया। लेकिन वस्तुतः यह अमेरिका का युद्ध था। बात यह थी कि सुरक्षा परिषद् के निर्णय के पहले ही अमेरिका ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। परिषद् की दूसरी बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि फारमोसा को आक्रमण से बचाने के लिए तथा दक्षिण कोरिया को मदद देने के निमित्त राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमरीकी सेनाएँ और नौ सेनाएँ भेजने का आदेश जारी कर दिया है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के कुछ निष्पक्ष सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध किया। वे सैनिक कार्रवाई के बदले शान्तिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान का सुझाव दे रहे थे। सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव की बड़ी निन्दा की। उसने परिषद् के सभी निर्णयों को गलत बतनाया, क्योंकि सारे निर्णय सुरक्षा-परिषद् के एक स्थायी सदस्य (रूस) की अनुपस्थिति में हुए थे। लेकिन सोवियत विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। ७ जुलाई, १९५० को सुरक्षा परिषद् ने एक और प्रस्ताव पास किया और इस युद्ध के लिए एक सयुक्त जमान बनाया और सयुक्त राज्य अमेरिका को इसका सेनापति निश्चित किया गया। जब सुरक्षा परिषद इस तरह की गैर कानूनी काम करती रही तब सोवियत संघ के लिए परिषद् में पुन लौट आना आवश्यक हो गया। अगस्त में सोवियत प्रतिनिधि जेकम मलिनिक ने परिषद् में अपना स्थान ग्रहण कर लिया।

इसी बीच "सयुक्त राष्ट्र की सेना" में सोलह राष्ट्र सम्मिलित हो गये। इसका प्रधान सेनापति जनरल मैकार्थर बनाया गया। युद्ध बड़ी तेजी से चलने लगा। पर प्रारम्भ में उत्तर कोरिया को ही विजय मिलती रही। थोड़े ही दिनों में उसने दक्षिण कोरिया को राजधानी सिओल पर कब्जा कर लिया। जब अमेरिका युद्ध में बुरी तरह हारने लगा तो उसने उत्तर कोरिया के विरुद्ध कोशु युद्ध (bacteriological warfare) शुरू कर दिया। यह अन्तराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन था, लेकिन युद्ध में नियम की परवाह नहीं की जाती। कोशु युद्ध शुरू करने से अमेरिका की स्थिति कुछ समझली और वह उत्तर कोरिया की सेना को पीछे की ओर हटाना शुरू किया। जब सयुक्त राष्ट्रसंघ (अर्थात् अमेरिका) की सेना उत्तर में बढ़ने लगी तब भारत के प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल ने ३८ अक्षांश रेखा से आगे न बढ़ने की अपील की। लेकिन अमेरिका नहीं मानता। यह प्रशान्त महासागर

और सम्पूर्ण पूर्वी एशिया में अमरीकी प्रभुता कायम करने का प्रश्न था। जनरल मैकार्थर न केवल उत्तरी सीमा पर स्थित यालू नदी तक अपनी सेनाएँ ले जाना चाहता था वरन् वह मंचूरिया पर भी अधिकार कर लेना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से यही से उत्तर कोरिया की युद्ध-सामग्री पहुँच रही थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमरीका को सेना के सातवें दस्ते को फारमोसा पर निगरानी रखने का भी आदेश दे दिया। यह चीन के आन्तरिक मामले में लज्जाहीन हस्तक्षेप था। इस हालत में कोरियाई युद्ध में जनवादी चीन का हस्तक्षेप अक्षय्यभावी हो गया।

चीन का हस्तक्षेप—जब अमेरिका के कीटाणु युद्ध के कारण उत्तरी कोरिया हारने लगा और मैकार्थर का आक्रामक इरादा स्पष्ट हो गया तो चीन ने कोरियाई युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय किया और युद्ध में कम्युनिस्ट चीन के "स्वयं सेवक" भाग लेने लगे। इससे युद्ध की समस्या और गम्भीर हो गयी। यह मामला सुरक्षा परिषद में लाया गया। वहाँ एक प्रस्ताव रखा गया कि चीन की सरकार उत्तरी कोरिया को मदद देना बन्द कर दे। परन्तु सोवियत वीटो के कारण यह प्रस्ताव रद्द हो गया। इस समय भारत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का बड़ा यत्न किया। भारत के कहने सुनने पर चीन बातचीत करने पर राजी हुआ और तब में अपना प्रतिनिधि भेजने का निश्चय किया। कोरिया में विराम सन्धि के लिए चीन की तीन माँगें थीं— फारमोसा की मुक्ति, कोरिया के विदेशी सेना हटाने तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ में जनवादी चीन का प्रतिनिधित्व। पर अमेरिका को यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। १ फरवरी, १९५२ को अमेरिका के प्रभाव से साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके चीन को भी आक्रामकता से थोपित कर दिया। यह एक मूखनापूर्ण प्रस्ताव था जिसका भारत ने जो जान के विरोध किया।

विराम संधि—कोरिया में युद्ध ने घनघोर रूप धारण कर लिया। राष्ट्रपति ट्रूमैन अणुबम का प्रयोग करने जा रहे थे। पर उनमें सुबुद्धि आयी और ब्रिटन के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं करने का वादा किया। लेकिन मैकार्थर अपनी छत्र नीति की कयाबिन्धत करने पर दृढ़ता हुआ था। वह राष्ट्रपति की अज्ञानता करने पर आमादा था। इसलिए मैकार्थर को सेनापति पद से हटाकर दिया गया और जनरल रिजवे ने कमान ग्रहण की। २ मई, १९५३ को राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने एक और प्रस्ताव पास करके चीन और उत्तर कोरिया को युद्ध सामग्री भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। परन्तु इस समय तक लोग युद्ध से तंग आ गये थे। युद्ध केवल कोरिया के ही एक लाख बयालीस हजार सैनिक मारे जा चुके थे। अमेरिका विराम संधि की बातें चलने लगा। २० जुलाई, १९५३ को यह बातचीत प्रारम्भ हुई। लेकिन इस पर देढ़ साल तक बातचीत होती रही। युद्ध विराम-रेखा का दर हो

गयी लेकिन कोरिया के युद्ध-बन्धियों को समस्या सबसे जटिल थी। ८ जुलाई को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। पाँच तटस्थ राष्ट्रों का एक आयाग बना जिसके जिम्मे युद्ध बन्धियों की बदला-बदली का काम सँपा गया। २७ जून १९५३ को युद्ध विराम सन्धि पर हस्ताक्षर हो गया और कोरिया का युद्ध बन्द हो गया।

प्राफेसर शुमां कोरिया युद्ध को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्तों का एक सफल परीक्षण मानते हैं।* ए० ई० स्टीवेन्सन ने भी लिखा है कि "कोरिया के युद्ध की निरर्थकता का विचार उसी समय फैला जब एक विराम सन्धि के विषय में बातचीत आरम्भ हुई और वास्तव में, जब हमने अक्रमण को रोकने तथा आक्रमणकारियों को नहीं भगाने, जहाँ सब आये थे, के आरम्भिक उद्देश्य की सिद्धि कर ली थी। सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रथम महान् सामूहिक सैनिक चेष्टा ने यह सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शक्ति से काम लेने तथा शान्ति से काम लेने दोनों रूपों को प्रयोग करने योग्य है। हम लोगों ने सामूहिक सुरक्षा की एक मध्यस्थता की स्थापना की और ऐतिहासिक उन्नति कर ली है।† जान फास्टर डलेश ने भी ऐसा ही दावा किया। लेकिन शीतयुद्ध के स्वरूप को समझने वाले इन तर्कों से कभी प्रभावित नहीं हुए। यह किमी भी हालत में संयुक्त राष्ट्र का युद्ध नहीं था, यह सयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध था जिसमें उसको हार माननी पड़ी थी। सयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव ने १४ जुलाई १९५० को पचास राज्यों से कोरिया में सेना भेजने की अपील की थी, जिसमें ३५ ने तो इन्कार कर दिया या उत्तर ही नहीं दिया, जब कि न राज्यों ने सेनाएँ भेजी वे अमरीकी गुट के थे और उन्होंने भी बहुत कम मात्रा में सेना भेजी थी। यह एक विशुद्ध अमरीकी युद्ध था जिनका सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं था।

फिर भी कोरियाई युद्ध का सयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे प्रथम इसने सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में चार्टर की व्यवस्था में एक संशोधन करके इसे एंजिन्ड बना दिया। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानना सदस्य राज्यों के लिए आवश्यक था। लेकिन सुरक्षा परिषद् इस निर्णय का परिणाम जानती थी। इसलिए उसने सदस्यों से सेना भेजने के लिए सिफारिश की जिसका मतलब यह था कि यह सदस्यों की इच्छा पर है कि वे सैनिक सहायता दें या न दें। फिर शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पास करके तथा सोवियत रूस को अनुपस्थिति में सुरक्षा परिषद् में निर्णय लेकर वोटों के सम्बन्ध में उसने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया।

* Schuman *International Politics* (1953 ed.) pp 219 and 225
 † A E Stevenson *Foreign Affairs*, April 1952

(xiv) बर्मा में चीनी सेनाएँ— १९५३ में बर्मा में राष्ट्रवादी चीन की सेनाएँ गुप्त कर उत्पात मचाना शुरू कर दीं। बर्मा ने संयुक्त राष्ट्र को साधारण सभा में इस बात को शिकायत की और धमुरोध किया कि इन सैनिकों को दूरत बाहर निकाला जाय। २३ अप्रिल, १९५३ को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके बर्मा में राष्ट्रवादी चीन की सेनाओं की उपस्थिति की निंदा की और उन्हें हटाने का आदेश दिया। लेकिन इस प्रस्ताव का कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। १९५४ में बर्मा ने सूचित किया कि इस विषय में बहुत ही कम प्रगति हुई है। इसी बीच अमेरिका सहित चार राष्ट्रों ने मिलकर इन सैनिकों को निकालना शुरू किया और कुछ ही दिनों में बर्मा इन सैनिकों से मुक्त हो गया।

(xv) ट्यूनिश और मोरक्को के प्रश्न—ट्यूनिश और मोरक्को दोनों पहले फ्रांस का साम्राज्य के अन्तर्गत थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों में स्वतन्त्रता के लिए जबरदस्त आन्दोलन चल पड़ा। १९५२ में कुछ अरब राज्यों ने सुरक्षा परिषद में इन दो देशों की स्वतन्त्रता का प्रश्न उठाया। फ्रांस ने आपत्ति की कि यह उसका घालू मामला है और सुरक्षा परिषद ने भी इस पर विचार नहीं करने का निर्णय किया। तब एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों ने इस प्रश्न को साधारण सभा में उठाया। फ्रांस ने फिर विरोध किया, पर सभा ने इन दोनों देशों को अति शीघ्र स्वतन्त्रता प्रदान करने का सिफारिश की। इस पर फ्रांस का प्रतिनिधि नम्रा छाड़कर चला गया। सातव और आठवें साधारण अधिवेशनों में इन प्रश्नों पर खून गरमागरम बहस हुई। विश्व का लोकमत ट्यूनिश और मोरक्को के पक्ष में था। फ्रांस इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। इसलिए १९५५ में ट्यूनिश तथा १९५६ में मोरक्को को स्वतन्त्र कर देना पड़ा। १९५६ में ये दोनों स्वतन्त्र देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के संस्थापक बना लिये गये।

(xvi) रवेज नहर की समस्या

स्वेज के सफ़ेद का प्रारम्भ—रवेज नहर १८६९ में बना था और इसका सञ्चालन एक स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस का बहिर्काश शेयर था। इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक सेना रखती थी। नवम्बर १९५० में मिस्र की सरकार ने यह माँग की कि १९५६ की संधि की, जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन मिस्र में स्वेज नहर के रक्षार्थ सेना रखता है, रद्द किया जाय और ब्रिटिश सेना स्वेज क्षेत्र का खाली कर दे। लेकिन ब्रिटेन ने इन माँगों को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच मिस्र का राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया और २७ जुलाई, १९५४ को ब्रिटेन को मिस्र के साथ एक नयी सन्धि करके स्वेज क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी पड़ी। सन्धि के अनुसार यह तय हुआ कि यदि स्वेज नहर पर कोई खतरा उत्पन्न हो तो ब्रिटेन इसकी रक्षा के लिए पुनः सेना भज सकता है। मिस्र की सरकार ने भी नहर में नौ-चालक की रक्षक प्रथा की गारंटी दी।

इस समय तक मिस्र का राज्य प्रधान कर्नल नासिर हो चुका था। राष्ट्रपति नासिर एक कट्टर राष्ट्रवादी और पश्चिमी साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। मिस्र के आर्थिक विकास के लिए वह नील नदी में अस्वान बाँध का निर्माण करना चाहता था। यह अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से ही सम्भव था। अमेरिका ने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह अमरीकी गुट में शामिल हो जाता है तो उसके सुँह माँगी मदद दी जा सकती है। नासिर ने इन्कार कर दिया। फिर अमेरिका ने अस्वान बाँध के लिए मदद देने का वादा कर दिया।

इसी समय फिलिस्तीन युद्ध के लिए मिस्र को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ी। अमेरिका ने यह समझ कर कि इन शस्त्रों का उपयोग इजरायल पर होगा, अस्त्र शस्त्र देने से इन्कार कर दिया। नासिर तब सोवियत गुट से अस्त्र शस्त्र खरीदने लगा। यह बात अमेरिका को एकदम पसन्द नहीं आयी। उसने मिस्र को फिर से डराना-धमकाना शुरू किया। जब नासिर इस पर भी उनके मनोकून काम करने की तैयार नहीं हुआ तब अमेरिका और ब्रिटेन ने यह कह दिया कि वे अब अस्वान बाँध के लिए कोई मदद नहीं देंगे।

नासिर ईट का जवान पत्थर से देना जानता था। उसने २६ जुल ई १९५६ को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और मिस्र में स्वेज नहर कंपनी की सम्पत्ति जब्त कर ली। इससे प्राप्त धन राशि से ही उसने अस्वान बाँध को बनाने का निश्चय किया।

राष्ट्रीयकरण की प्रतिक्रिया स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की उद्घोषणा से फ्रांस और ब्रिटेन में तहलका मच गया। ब्रिटेन की सरकार ने मिस्र के इस कार्य को स्वेच्छाचारितापूर्ण बतलाया और २७ जुलाई को मिस्र के पास एक विरोध पत्र भेजा। नासिर ने इस विरोध पत्र को नामजूर कर दिया। उसका कहना था कि मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण अपनी संप्रभुता के आधार पर किया है और साथ ही स्वेज नहर में जहाजों के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं उपस्थित की गयी है। इस पर ब्रिटेन काफी रज हुआ और उसने मिस्र के सभी स्टलिंग को जब्त कर लिया। मिस्र पर और भी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये। फ्रांस ने भी ब्रिटेन का ही अनुसरण किया। अमेरिका महित अन्य साम्राज्यवादी देशों से भी ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन मिला। महान् शक्तियों में सावियत संघ ने मिस्र का साथ दिया।

एक दिन सम्मेलन— ब्रिटेन और फ्रांस के लिए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण एक घोर दमनासत था। इसलिए इस सङ्कट पर विचार करने के लिए २ अगस्त को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के विदेशी मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ यह निणय किया गया कि स्वेज सङ्कट पर विचार करने के लिए एक दिन में चौथी राष्ट्र का एक सम्मेलन बुनाया जाय जो स्वेज नहर के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय सस्था को

व्यवस्था पर विचार करे तथा मिस्र के हितों के साथ-साथ नहर को उपयोग करने वाले अन्य राष्ट्रों के हितों पर भी विचार हो।

१६ अगस्त को लन्दन में सम्मेलन शुरू हुआ। उसमें बाइस राष्ट्राँ ने ही भाग लेना स्वीकार किया।* सम्मेलन में तीन योजनाएँ रखी गयीं—डनेस योजना, शेपोलोव योजना तथा मेनन योजना। डलेस योजना में १९८८ के समझौते की प्रस्तावना को ही भाँति यह कहा गया था कि इस नहर को सब देशों के लिए युद्ध और शांतकाल में समान रूप से खुला रहना चाहिए। साथ ही, इस योजना में नहर पर मिस्र की सर्वोच्च सत्ता की मान्यता दी गयी तथा नहर को चलाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस बोर्ड को अपने कार्यों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ को देनी थी और उसे कार्य करने के लिए अधिकार एवं सुविधाएँ मिस्र की सरकार से प्राप्त करनी थी।

रूसी विदेश मन्त्री शेपोलोव ने अपनी योजना में मिस्र के सम्प्रभु अधिकारों को मान्यता देते हुए सभी देशों के लिए नहर को हमेशा स्वतन्त्र और खुली रखने तथा मिस्र द्वारा नहर की सुरक्षा, मरम्मत आदि की व्यवस्था की माँग की। किन्तु भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन के प्रयास से शेपोलोव ने अपनी योजना वास्तव में ले ली।

डलेस योजना से सत्रथा भिन्न एक योजना (मेनन योजना) भारत ने १९५३ को जिसमें नहर पर मिस्र की सर्वोच्च सत्ता का तथा इसे सदा खुला रखने का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वयं नहर के उपयोग करनेवाले देशों की एक पारमर्शदात्री संस्था बनाने की बात थी। परन्तु २३ अगस्त को सम्मेलन में भाग लेनेवाले सत्रह देशों ने डलेस योजना का ही समर्थन किया। सम्मेलन ने इस योजना को बारटेलिया के प्रधान मन्त्री डा० मेंजीज की बाहिरा भेजने का निणय किया। डा० मेंजीज जब योजना के साथ काँग्रेस पहुँचे और योजना का पेश किया तो राष्ट्रपति नासिर ने उसको ठुकरा दिया।

स्वेज नहर प्रमोक्ता सघ —जब नासिर ने लन्दन सम्मेलन की योजना को ठुकरा दिया तो १९ सितम्बर को लन्दन में फिर अठारह राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने एक स्वयं नहर प्रमोक्ता सघ (Suez Canal Users' Association) की व्यवस्था की। इस सघ का एक कार्यालय खाना गया तथा अमेरिका में डेनमार्क के राजदूत बारेन्स का इसका प्रशासक भी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जान गये कि इस प्रमोक्ता सघ से भी स्वयं नहर पर अपना अधिकार अधिकार फिर से कायम नहीं होने को है। अतः वे सारे विचार को वास्तव में परिपक्व में ले गये।

* सम्मेलन में मिस्र और यूनान सम्मिलित नहीं हुए।

सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव १— २६ सितम्बर को स्वेज का विवाद सुरक्षा परिषद के ममक्ष उपस्थित हुआ तथा २३ अक्टूबर १९५६ को सुरक्षा परिषद ने स्वेज की समस्या को हल करने के लिए छठे सिद्धान्ता का प्रतिपादन एक प्रस्ताव के रूप में किया। इनके अलावे नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण करने का सुझाव भी इसमें दिया गया था। पर साविधत रूप ने वोटों का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

मिस्र पर आक्रमण — अक्टूबर और फ्रांस पर हमला करके स्वेज नहर पर आधिपत्य जमाने की योजना बनाने लगे। उनके परामर्श और प्रोत्साहन से २६ अक्टूबर, १९५६ को इजरायल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिस्र पर हमला बोल दिया। ब्रिटेन ने इसका पुलिस कारवाही कहा और मिस्र पर गोलाबारी शुरू हुई। सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्य और सप्ताह के दो महाशक्ति चाटर का उल्लंघन करते हुए सयुक्तराष्ट्र के एक अन्य सदस्य राज्य पर आक्रमण कर दिये थे। सघ के जीवन में घोर संकट का समय आ गया था।

स० रा० स० और मिस्र — ३० अक्टूबर को अमेरिका के आग्रह पर सुरक्षा-परिषद की बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि कोई भी राष्ट्र मिस्र में शक्ति का प्रयोग नहीं करे। परन्तु ब्रिटेन और फ्रांस ने वोटों का प्रयोग कर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इसके बाद यूगोस्लाविया की माँग पर साधारण सभा के अधिवेशन को बुनाया गया। २ नवम्बर को सयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा ने अमेरिका का एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें कहा गया था कि मिस्र में अँगन फ्रांसीसी इजरायली सैनिक कारवाही एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, और इसको अविलम्ब बन्द किया जाय। ४ नवम्बर को सभा ने कनाडा का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि सघ के महासचिव डाग हैमरशोन्ड मिस्र में लड़ाई बन्द करन तथा युद्ध विराम की देखभाल के लिए सयुक्तराष्ट्र सघ की एक आपात्कालीन सेना की याचना प्रस्तुत करें। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को मानने में आनाकानी की। तब आयी ५ नवम्बर को साविधत रूप की धमकी। साविधत सघ के प्रधान मंत्री ने आक्रमणकारियों को स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दी कि यदि एक निश्चित समय तक मिस्र पर हमला बन्द नहीं किया गया तो साविधत सघ नवीनतम शक्तों के साथ इस संकट में हस्तक्षेप करेगा। इस चेतावनी से सारा दुनिया में त्राहि त्राहि मच गयी। तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना दिखाई पडने लगी। ब्रिटेन और फ्रांस डर गये और उन्होंने युद्ध बन्द कर दिया।

७ नवम्बर, १९५६ को सयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने एशियाई अफ्रीकी देशों द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और

सेनाएँ मिल से हटा ली जायँ और स्वेज नहर के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाय । इन प्रस्तावों के फलस्वरूप युद्ध बन्द हो गया । मिल ने इस आश्वासन पर कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना कर रहने पर उसकी प्रभुसत्ता पर कोई आँच नहीं आयगी, इस प्रस्ताव को मान लिया । इधर संघ के महासचिव संयुक्तराष्ट्र को सेना के संगठन में जुट गये । इसमें प्रस्ताव के अनुसार दस देशों के छ हजार सैनिकों को शामिल किया जाना था । इस सेना के संचालन का भार मेजर जेनाल इ० एस० बर्न्स को सौंपा गया । २५ नवम्बर को इस सेना का पहला दस्ता मिल पहुँचा ।

अभी तक आक्रमणकारियों की सेना मिल से हटी नहीं थी । २४ नवम्बर को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके आक्रमणकारियों को यह आदेश दिया कि वे यथाशीघ्र अपनी सेनाएँ वापस बुला लें । ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरत ही ऐसा कर दिया । पर इजरायल हटने का नाम ही नहीं लेता था । इसपर संघ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके इजरायल को हटाने का आदेश दिया । इजरायल ने इन प्रस्तावों पर भी ध्यान नहीं दिया । इसके बाद सभा ने एक और प्रस्ताव पास करके सदस्य-राज्यों को आदेश दिया कि वे इजरायल को किसी प्रकार की आर्थिक या सैनिक सहायता न दें । इस पर इजरायल को भी हटना पड़ा । ७ मार्च, १९५७ तक मिल से सारी विदेशी सेनाएँ हट गयी ।

स्वेज युद्ध के समय नहर में जहाजों को डुबो कर उसकी नौ चालन के लिए सवथा बेमार बना दिया गया था । संयुक्तराष्ट्र की सहायता से मिल की सरकार ने उसे साफ करवाकर फिर से नौ चालन के योग्य बना दिया । बाद में मिल ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह सूचना दी कि नहर साधारण यातायात के लिए खोल दी गयी है । स्वेज पर मिल का पूर्ण अधिकार कायम हो गया और नहर को सभी देशों के लिए खोल दिया गया ।

स्वेज काण्ड के परिणाम — कई दृष्टिकोणों से स्वेज का सकट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है । इससे साम्राज्यवाद को एक गहरा धक्का लगा, ब्रिटेन में प्रधान मन्त्री ईडन का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, नासिर की सत्ता मिल में सुरक्षित हो गयी तथा सोवियत संघ की शक्ति का खूब प्रचार हुआ । अमरीकी गुट में दरार पड़ गयी और एक कमजोर राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं मान मयादा कायम रह गयी । लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा । मिल में युद्ध बन्द करने और विदेशी सेना को हटाने में उसे पूरी सफलता मिली । इसका एकमात्र कारण यह था कि अमेरिका और रूस दोनों एसा चाहते थे । अतएव स्वेज संकट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता का मुख्य आधार इन दो महाशक्तियों का सहयोगी है ।

(xvii) हंगरी का प्रश्न

पृष्ठ भूमि—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हंगरी में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई। १९४६ में सोवियत संघ और हंगरी में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार रूस की सेनाएँ हंगरी में रहती थीं। २३ अक्टूबर, १९५६ को हंगरी के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के नेतृत्व में वहाँ विद्रोह हो गया। इन तत्त्वों को सयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मिल रही थी। अतएव हंगरी की सरकार ने सोवियत सरकार से यह अनुरोध किया कि वह हंगरी में अमन-चैन कायम रखने के लिए सैनिक सहायता दे। कुछ दिनों में विद्रोह दब गया, हंगरी-सरकार की इच्छा से सोवियत सेना वापस बुला ली गयी। लेकिन सोवियत सेनाओं के लौटते ही विद्रोहियों ने फिर अपना सर उठाया और बड़े पैमाने पर बलवे विद्रोह शुरू हुए। विद्रोहियों की मांग थी कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री इमरे नॉज (Imre Nagy) को फिर से प्रधान मन्त्री बनाया जाय। अतएव नॉज को फिर से प्रधान मन्त्री बना दिया गया। इस समय तक विद्रोहियों को अमेरिका से काफी प्रोत्साहन मिल चुका था। अब वह हंगरी से सोवियत सेना हटाने की मांग करने लगे। इमरे नॉज विवश होकर सोवियत सेना हटाने की माँग करने लगा। १ नवम्बर को हंगरी में एक नयी सयुक्त सरकार बनायी, वारसा पैक्ट का परित्याग कर दिया और सयुक्तराष्ट्र संघ में अपनी तटस्थता की रक्षा करने की प्रार्थना की। इस पर हंगरी के समाजवादी पद्धति के समर्थकों ने इमरे नॉज की सरकार को चलट दिया और जानोस काडार के नेतृत्व में एक नयी सरकार बना। काडार ने तुरत ही विद्रोहियों को दबाने के लिए सोवियत संघ से सेना भेजने का अनुरोध किया। सोवियत संघ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपनी सेना भेज दी और अमर की प्रस्तावित प्रतिक्रान्ति तुरत ही दबा दी गयी।

सुरक्षा-परिपद में हंगरी का प्रश्न—जब सोवियत संघ की सेना हंगरी में प्रतिक्रान्ति को दबाने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसी समय इमरे नॉज ने सुरक्षा-परिपद से रूसी हस्तक्षेप के विरुद्ध अपने देश की रक्षा की प्रार्थना की। सयुक्त राज्य अमेरिका को एक अच्छा अवसर मिल गया। ४ नवम्बर, १९५६ को उसने सुरक्षा-परिपद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आशा व्यक्त की गयी थी कि सोवियत संघ अपनी सेना को हंगरी से वापस बुलाकर अपने हस्तक्षेप का अन्त करे। प्रस्ताव पर बोलते हुए सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी सेना हंगरी में वहाँ की सरकार के बुलाने पर गयी है और इसलिए सुरक्षा परिपद को इस बात में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने सुरक्षा परिपद को इस प्रस्ताव को नहीं पास करने का अनुरोध किया। लेकिन जब अंत में प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो सोवियत संघ ने वीटा का प्रयोग करके उसे रद्द कर दिया।

साधारण सभा में हगरी का पक्ष — इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने हगरी के प्रश्न पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक की माँग की। १ नवम्बर को साधारण सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। यहाँ एक प्रस्ताव रखा गया जिसका आशय था कि रूस हगरी से अपनी सेना हटा ले ताकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र का देख रेख में चुनाव कराया जा सके। सोवियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। लेकिन इसका कोई पभाव नहीं पड़ा और सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोवियत विरोधी प्रस्तावों का ताता लग गया। हगरी से सम्बन्धित दस प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत और स्वीकार किये गये। शीत युद्ध के महारथियों को एक अच्छा मौका मिला गया था और वे इस अवसर को किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहते थे।

१० जनवरी, १९५७ को सभा ने एक प्रस्ताव पास करके पाँच देशों की एक समिति स्थापित की और हगरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए महासचिव को भेजने का निश्चय किया। लेकिन हगरी की सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। ३ दिसम्बर को उसने यह सूचना दी कि वह महासचिव को बाद में किसी तारीख को बुडापेस्ट में स्वागत करने के लिए तैयार है किन्तु वह किसी भी हालत में निरीक्षकों को हगरी आने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके पूर्व १२ दिसम्बर, १९५६ को सभा एक सावियत विरोधी प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी जिसमें कहा गया था कि "उसने हगरी की स्वतन्त्रता का अपहरण करके हगरी को जनता के मौलिक अधिकारों के उपयोग में बाधा डालकर 'चाटर का उल्लंघन' किया है। निष्पक्ष विचार के लोग इस प्रस्ताव की गम्भीरता को तब समझते जब साधारण सभा इसी तरह के प्रस्ताव दक्षिण अफ्रिका तथा फ्रांस की सरकार के विरुद्ध पास किये होती। लेकिन इन देशों में अमेरिका के विद्वलभ्युओं का शासन था और इसलिए वहाँ मानव के मौलिक अधिकारों का दमन नहीं हो रहा था। इस कारण इन प्रस्तावों के मूल में जो बातें थीं वे सभी समझने योग्य थीं। रूस ने इन प्रस्तावों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र सभ (या अमेरिका) को कोई सफलता नहीं मिली।

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका हगरी के प्रश्न का सघ में बार बार उठाता रहा। १० जनवरी, १९५७ के प्रस्ताव के आधार पर जिस समिति का संगठन हुआ था उसको हगरी में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी। इसलिए हगरी के सभ गकर आनेवाले कुछ शरणार्थियों से भेड़ की और उनकी गवाही के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सावियत सघ को हगरी में हस्तक्षेप के लिए दोषी ठहराया गया। १० सितम्बर, १९५७ को साधारण सभा का ग्यारहवाँ अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार हुआ और बाद में एक प्रस्ताव

पास करके फिर सोवियत हस्तक्षेप की निंदा की गयी। साथ ही, सयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष प्रिंस वान वैथियाकोन को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह हंगरी जाकर वहाँ सयुक्त राष्ट्रसंघ के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करे। लेकिन हंगरी की सरकार सयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं हुई। ऐसे हंगरी की समस्या अभी भी सयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष उपस्थित है पर उसका कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है।

(xvii) अल्जीरिया की समस्या और सयुक्त राष्ट्र— उत्तरी अफ्रिका में स्थित अल्जीरिया फ्रांस का एक उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन चल पड़ा। १ नवम्बर, १९५४ से इस आन्दोलन ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। फ्रांस ने बड़ी क्रूरता से इससे दमन का निश्चय किया। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवादी अल्जीरियाई प्रतिदिन सैबडों की सख्या में कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाने लगे। जब स्थिति असह्य हो गयी तो एशियाई अफ्रिकी देशों ने इस प्रश्न को सयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने का निश्चय किया। १९५६ में सयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के वापिक अधिवेशन के अवसर पर अल्जीरिया की स्वाधीनता का प्रश्न सभा में उठाया गया। फ्रांस ने अल्जीरिया विषयक प्रस्ताव का घोर विरोध किया। उसने अल्जीरिया के प्रश्न को फ्रांस का घरेलू मामला बताया। फ्रांस ने सयुक्त राष्ट्रसंघ का बहिष्कार भी कर दिया किन्तु एशियाई अफ्रिकी देश अल्जीरियाई समस्या के समाधान लिए संघ में बराबर प्रस्ताव लाते रहे। ८ दिसम्बर, १९५९ को साधारण सभा की राजनीतिक समिति ने इस विषय पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसमें फ्रांस से अल्जीरिया की स्वतन्त्रता देने की बात कही गयी थी। लेकिन जब यह प्रस्ताव साधारण सभा में लाया गया तो आवश्यक बहुमत के नहीं मिलने के कारण पास नहीं हो सका। १९६० में फिर एक प्रस्ताव रखा गया कि सयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में अल्जीरिया में जनमत संग्रह कराया जाय। फ्रांस ने इसे भी नहीं माना। पर १९६१ में विश्व के जनमत तथा अल्जीरिया युद्ध की बर्बादियों से बाध्य होकर फ्रांस को अल्जीरिया की स्वतन्त्र कर देना पड़ा।

(xix) कांगो की समस्या

विषय प्रवेश— सयुक्त राष्ट्रसंघ की सबसे कठिन परीक्षा कांगो में हुई। कांगो मध्य अफ्रिका में स्थित है और यह छ प्रान्तों में बँटा हुआ है—कटांगा, लिओपोल्डविले, कीबू वसाई, ओरियेन्टल और इक्वेटर। इसमें कई तरह की आदिम जातियाँ निवास करती हैं जिनकी अलग अलग भाषाएँ हैं। कांगो अपनी खनिज सम्पदा को लेकर संसार का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, यह देश संसार के औद्योगिक हीरो को अस्सी प्रतिशत आवश्यकता पूरा करता है। अणुबम के

निर्माण का प्रधान तत्त्व यूरेनियम को लेकर सधार में इस देश का असाधारण महत्त्व है।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण से १९५९ तक यह राज्य बेल्जियम के अधि-कार में था। यहाँ का शासन एक गवर्नर जेनरल द्वारा होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस देश में बेल्जियम साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। इस आन्दोलन का एक नेता था भूतपूर्व डाकिया पेट्रिस लुमुम्बा १९६० के जनवरी में उसे कैद की सजा दी गयी थी, मगर उसे फौज ही माफ कर दिया गया इसक बाद वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होनेवाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया। इस सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि जून १९६० में कांगो को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जायगा। २० जून, १९६० को कांगो स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया। इस नवीन अफ्रिकी गणराज्य का प्रधानमन्त्री लुमुम्बा तथा राष्ट्रपति जोसेफ कमाबू नियुक्त किये गये।

किन्तु कांगो के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अत्यन्त महंगी साबित हुई। कांगो के राष्ट्रीय जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण विशेषताएँ जातीयता और प्रान्तीयता था। वहाँ के निवासियों में बड़ी फूट थी। अतएव स्वतन्त्रता के तुरत बाद कांगो के छ प्रायों में बनी हुई कबोले जातियाँ स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगीं। दूसरी बात यह थी कि बेल्जियम ने सदृच्छा तथा उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर कांगो का स्वतन्त्र नहीं किया था। उसे बाध्य होकर कांगो को स्वतन्त्र करना पड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कांगो की स्वतन्त्रता का पक्षपाती नहीं था, क्योंकि अविश्व पदायों विशेषकर यूरेनियम को लेकर इस देश की अमरीकी प्रभाव में रखना अति आवश्यक माना जाता था। लेकिन पेट्रिस लुमुम्बा एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति था जो अपने देश पर किसी बाह्य प्रभाव को सहने के लिए तैयार नहीं था। जब साम्राज्यवादियों को यह विश्वास हो गया कि लुमुम्बा किसी तरह उनके जाल में नहीं फँसेगा तो उन्होंने पुरानी साम्राज्यवादी नीति 'फूट डालो और शासन करो' का अनुसरण किया। साथ ही, लुमुम्बा सरकार को असफल बनाने के लिए शीघ्र ही कारवायों भी शुरू कर दी गयीं।

अभी तक कांगो के शासन और उसकी अर्थ व्यवस्था बेल्जियम लोग ही चलाते आ रहे थे। कांगोवासियों को इसके लिए कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दी गयी। कांगो के स्वतन्त्र होने के बाद ऐसे हजारों बेल्जियम स्वदेश लौट गये या जान बूझकर बेल्जियम लौट आने के लिए प्रेरित किये। इस कारण कांगो का शासन और उसकी अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल ठप्प पड़ गयी। सारे देश में अराजकता छा गयी। इस अवसर से लाभ उठाकर कांगो की विभिन्न जातियों ने पार्थिववादी आन्दोलन शुरू कर दिया। देश में सर्वत्र हिंसात्मक उपद्रव शुरू हुए। साम्राज्यवादियों की चाल सफल होते दीखने लगी।

इस प्रकार प्रारम्भ से ही प्रधानमन्त्री लुमुम्बा की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। देश में शासन-व्यवस्था कायम रखने के लिए २५ हजार सैनिकों की एक कांगोली सेना अक्षय्य थी, मगर इसमें कोई भी कांगोली अफसर नहीं था। इस कारण सेना में अनुशासन नामक कोई चीज नहीं थी। ६ जुलाई, १९६० को लिओपोल्डविले में सेना ने विद्रोह कर दिया। कांगोली सैनिक बेल्जियन अफसरों तथा अपनी सरकार के आदेशों की अवज्ञा और अपने वेतन में वृद्धि की माँग करने लगे। लुमुम्बा ने इनकी कुछ माँगें मान ली, पर कांगो की अराजक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूरत ही कांगो में बसे बेल्जियम तथा अन्य यूरोपीय नागरिकों पर आक्रमण होने लगे तथा उनकी सम्पत्ति लूटी जाने लगी। बेल्जियन सरकार ने इस पर बेल्जियनों की रक्षा के बहाने ९ जुलाई को कांगो में अपनी सेना भेज दी। यह बेल्जियन के द्वारा कांगो के मामले में गुला हस्तक्षेप था। लुमुम्बा ने इसका विरोध किया। इसके बाद ही बेल्जियन के पड़ोस से ११ जुलाई को कांगो के एक प्रन्त कटागा ने शोम्बे के नेतृत्व में लिओपोल्ड के विरुद्ध विद्रोह करके एक पृथक स्वतन्त्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। शोम्बे सरकार को बेल्जियम ने मदद देना शुरू कर दिया। इस पर कांगो ने बेल्जियम पर सन्धि भंग करने का आरोप लगाया।

सयुक्त राष्ट्रसंघ ने कांगो का मामला— लुमुम्बा सरकार ने इसको बेल्जियम द्वारा कांगो पर आक्रमण माना और १२ जुलाई को सयुक्त राष्ट्रसंघ से यह प्रार्थना की कि कांगो को बेल्जियम के आक्रमण से रक्षा करने के लिए दूरत सैनिक सहायता दी जाय। सयुक्त राष्ट्र में जाते ही कांगो का मामला शीत युद्ध के क्षेत्र में चला आया। सोवियत संघ ने सयुक्त राज्य अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि दगे दबाने के बहाने वह बेल्जियम सेनाओं को पुनः “औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के लिए” भेजा जा रहा है। १३ जुलाई, १९६० को सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई और महासचिव डाग हैमरशोल्ड ने कांगो सरकार को अविलम्ब सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की। इस बैठक में रूस और अमेरिका बुरी तरह एक दूसरे के विरुद्ध चलरू पड़े। सोवियत संघ ने बेल्जियम के आक्रमण की निन्दा की तथा अमेरिका पर कांगो की स्वतन्त्रता छीनने का पड़ोस का दोषारोपण किया। अमेरिका ने इस दोषारोपण का खण्डन किया। सुरक्षा परिषद् ने टयूनिशिया का एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बेल्जियम को कांगो से अपनी सेना को हटाने का आदेश दिया गया था और महासचिव को यह अधिकार दिया गया कि जब तक कांगो की रक्षा करने वाली सेना अपने कार्यों में समर्थ न हो तब तक उसको आवश्यक सैनिक सहायता दी जाय। इसी समय स्त्रुचेव ने यह घोषणा की कि यदि कांगो पर पश्चिमी देशों का आक्रमण जारी रहा तो सोवियत संघ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं करेगा।

सघ द्वारा कांगो में हस्तक्षेप— सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार २८ जुलाई को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना कांगो पहुँच गयी। इसने बेल्जियम और कांगोली सैनिकों का संघर्ष बंद कराया तथा हवाई अड्डों पर अधिकार कर लिया ताकि विदेशी सेना उनका उपयोग कर कांगो में हस्तक्षेप नहीं करे। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कांगोली सेना को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया ताकि सरकार स्वयं विद्रोहियों का दमन कर सके। जुलाई के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र की सेनाएँ कटांगा को छोड़कर कांगो के सभी प्रान्तों में पहुँच गयीं। अब कांगो का मामला चलकने लगा। अमल प्रश्न था बेल्जियम सेनाओं को हटाना तथा कटांगा की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त करना। बेल्जियम अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार नहीं था और कटांगा के प्रधान मंत्री शोम्बे ने यह घोषणा की कि वह अपने प्रदेश में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना को प्रवेश नहीं करने देगा। उसने कटांगा को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्य को अनुचित बतलाया। इस हालत में यह स्पष्ट था कि रक्तपात के बिना संघ की सेना कटांगा में नहीं प्रवेश कर सकती थी। हैमरशोल्ड इससे बचना चाहता था। उसने घोषणा की कि संघ की सेना कटांगा में नहीं घुसेगी। इसके बाद सुरक्षा परिषद में इस पर विचार होने लगा। वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें बेल्जियम फौजों को कटांगा से तुरत हट जाने की मांग थी। इस प्रस्ताव ने कटांगा में राष्ट्रसंघ की सेना का प्रवेश भी आवश्यक बतलाया। सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए महासचिव हैमरशोल्ड स्वयं २४० व्यक्तियों की स्वेडिश सेना लेकर कटांगा के लिए रवाना हुए और १६ अगस्त को यह सेना कटांगा में प्रवेश कर गयी।

सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में कहा गया था कि कटांगा में संघ की फौज कांगो के गृह युद्ध में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस कारण संघीय फौज के कटांगा पहुँचने से शोम्बे की स्थिति सुरक्षित हो गयी, क्योंकि जब तक संघ की सेना वहाँ थी तब तक लूसुम्बा उसे कांगो में सम्मिलित होने के लिए सैनिक दबाव नहीं डाल सकता था। लूसुम्बा इस स्थिति को भलीभाँति समझ रहा था और ऐसी करने में हैमरशोल्ड सहाय था। इसलिए उसने महासचिव के कार्यों का विरोध किया और उस पर अविश्वास प्रकट किया। उसने मांग की कि कटांगा में स्वेडिश सेना के बदले अफ्रिकी सेना भेजी जानी चाहिए क्योंकि संघ के यूरोपीय सेना के कारण वहाँ बेल्जियम की सत्ता सुदृढ़ हो रही है। साथ ही, उसने सुरक्षा परिषद को यह भी बतला दिया कि यदि एक सप्ताह के अंदर कटांगा के प्रश्न का सतृप्त जनक समाधान नहीं हुआ तो वह एक मित्र अफ्रिकी राज्य की सहायता से कटांगा में कांगोली सेना भेज देगा।

भीषण गृह युद्ध— इसके बाद कांगो में भीषण गृह युद्ध शुरू हुआ। उसके दून प्रान्त भी अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने लगे। इसमें कटाई और बिन्दू प्रान्त

का विद्रोह अत्यन्त भीषण था। इसको दबाने के लिए लुमुम्बा ने सोवियत संघ से सहायता लेना शुरू किया। संघर बेल्जियम ने विद्रोहियों को मदद देना शुरू किया। कांगो में इस समय तक भीषण रक्तपात शुरू हो गया था। इस हालत में सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति बढ़ी कठिन हो रही थी। विदेशी हस्तक्षेप से कांगो को बचाने के लिए संघ ने सभी हवाई अड्डों पर अधिकार कर लिया। लेकिन यह महासचिव हैमरशोल्ड का पक्षपातपूर्ण काय था। पार्थक्यवादियों को कांगो में पहुँची हुई बेल्जियम सेनाओं से तो खूब मदद मिल रही थी, लेकिन हवाई अड्डों पर संघ द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय कांगोली सरकार को सोवियत सहायता मिलना बन्द हो गया था।

सितम्बर के प्रारम्भ में प्रधान मन्त्री लुमुम्बा और राष्ट्रपति कासाबुजू में संघर्ष छिड़ने के कारण कांगो की स्थिति और डबाडोल हो गयी। राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री को और प्रधान मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत करने का नाटक बड़ी तीव्र गति से खेला जा रहा था। इस हालत में यह भी मुश्किल हो गया कि सयुक्त राष्ट्रसंघ किस सरकार को मान्यता प्रदान करे। यह युद्ध के अतिरिक्त कांगो की राजनीति में अब एक यह चलकन भी पैदा हो गयी। इसी स्थिति में ७ सितम्बर को हैमरशोल्ड ने कांगो की स्थिति पर राष्ट्रसंघ में अपनी एक रिपोर्ट रखी जिसमें विदेशी हस्तक्षेप की चर्चा की गयी थी। उसने यह सुझाव रखा कि कांगो की सेनाओं को यह-युद्ध के भीषण विस्फोट से पहले ही निःशस्त्र कर देना चाहिए। ८ सितम्बर को बेल्जियम द्वारा कटांगा में हथियार पहुँचाने की तथा बेल्जियम सेनाओं के वहाँ बने रहने की निन्दा की और सुरक्षा-परिषद् से इस विषय में कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट आदेश मांगा। जब ११ सितम्बर को सुरक्षा परिषद् ने इस पर विचार करना शुरू किया तो इस समय इसमें भाग लेने के लिए कांगो से दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मण्डल आये। अब सुरक्षा परिषद् के सामने यह प्रश्न आ गया कि वह कासाबुजू या लुमुम्बा किसके प्रतिनिधि मण्डल को माने। अतएव सुरक्षा-परिषद् ने अपने अधिवेशन को स्थगित कर दिया और यह निश्चय किया कि १७ सितम्बर को कांगो की समस्या पर विचार करने के लिए साधारण सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय।

११ सितम्बर को राष्ट्रपति कासाबुजू ने प्रधान मन्त्री लुमुम्बा को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन लुमुम्बा वरत ही कैद से निकल भागा और ससद् के समयन से अपने को राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री दोनों ही घोषित कर लिया। कासाबुजू-लुमुम्बा संघर्ष से कांगोली सेना बहुत परेशान हो गयी थी। अतएव १४ सितम्बर को कर्नल मोडू ने दोनों पक्षों को तटस्थ बनाने के लिए कांगो को सत्ता अपने हाथ में ले ली और आदेश निकाल दिया कि १९६० के अन्त तक कांगो में सैनिक शासन

रहेगा। जब तक देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो जायगा तबतक कासाबुद्ध और लुमुम्बा दोनों निलम्बित समझे जायेंगे।

मोवूत को पार्थक्यवादियों और कासाबुद्ध का समर्थन प्राप्त था। उसने दूरत ही सोवियत नागरिकों और राजदूत को कांगो से चले जाने का आदेश दिया और लुमुम्बा के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। अतएव लुमुम्बा सयुक्त राष्ट्रसंघ की सेनाओं के संरक्षण में चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह वहाँ से भाग निकला और मोवूत के विरुद्ध लोगों को उसका नाश शुरू किया। उसने मांग रखी कि घाना और गिनी की सेनाओं के अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य सेनाओं का निकाल दिया जाय। कर्नल मोवूत ने यह मांग की कि सयुक्त राष्ट्रसंघ लुमुम्बा को समर्पित कर दे। पर सघ न ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस पर कांगोली सैनिकों ने देश में उत्थात मचाना शुरू किया। लुमुम्बा के पक्षपातियों ने भी मोवूत का विरोध जारी रखा। किसी तरह कांगो में कुछ दिनों के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रवास से शान्ति कायम हुई।

हैमरशोल्ट की स्थिति—कांगो के इस संघर्ष और गृह युद्ध में सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डाग हैमरशोल्ट की स्थिति अत्यन्त कठिन हो रही थी। वह कांगो की राजनीति में सयुक्त राष्ट्र को तटस्थ रखना चाहता था। उसकी इस नीति की सोवियत संघ तथा लुमुम्बा के समर्थक राष्ट्रों द्वारा बड़ी बड़ी आलोचना हो रही थी। उनका कहना था कि राष्ट्रसंघ को लुमुम्बा की वैध सरकार का समर्थन करना चाहिए। सोवियत संघ ने यह मांग की कि चूंकि हैमरशोल्ट का कार्य पक्षपातपूर्ण हो रहा है इसलिए उसे दूरत पदत्याग कर देना चाहिए। लेकिन महासचिव ने पदत्याग करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद भी सोवियत संघ ने आक्षेप जारी रखा। खुश्चेव ने सचिवालय के सँगठन के सुधार की मांग की। लेकिन हैमरशोल्ट अपनी स्थिति पर डटे रहे। उसने कांगो की समस्या पर परामर्श देने के लिए अद्वारह सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी और भारत के श्री राजेश्वर दयाल को कांगो में अपनी विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुछ दिनों के बाद श्री राजेश्वर दयाल ने कांगो पर अपनी एक लम्बी चौड़ी रिपोर्ट महासचिव को प्रस्तुत की जिसमें कांगो का एक अत्यन्त ही मार्मिक और भयावह चित्र उपस्थित किया गया था।

साधारण सभा ने कांगो का प्रश्न—नवम्बर १९६० में जब संघ की साधारण सभा कांगो की समस्या पर विचार करने लगी तो सबसे पहला प्रश्न यह उठा कि संघ कासाबुद्ध के प्रतिनिधि मण्डल और लुमुम्बा के प्रतिनिधि मण्डल में किस को मान्यता दे। २३ नवम्बर, १९६० को साधारण सभा ने बहुमत से कासाबुद्ध के प्रतिनिधि मण्डल को मान्यता प्रदान कर दी। सभी सघ किसी निष्पक्ष पर प्रश्न को नहीं पाया था कि कांगो में एक दूसरा नाटक शुरू हो गया।

लूमुम्बा की भाषणा—२७ नवम्बर को लूमुम्बा एक बार फिर सयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षण से चुपचाप मांग खड़ा हुआ। ओरियन्टल प्रदेश में अभी भी उसके समर्थकों की संख्या काफी थी। अतएव वह इस प्रदेश की राजधानी स्टैनलीविले पहुँचकर अपना संघर्ष जारी रखना चाहता था। किन्तु स्टैनलीविले के रास्ते में ही कर्नल मोयूतू के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मोयूतू ने यह घोषणा की कि लूमुम्बा पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जायगा।

सुरक्षा-परिषद का प्रस्ताव—इस घटना से कांगो की स्थिति और खतरनाक हो गयी। ८ दिसम्बर को सुरक्षा-परिषद् ने इस पर विचार करना आरम्भ किया। सोवियत संघ ने एक प्रस्ताव रखकर यह मांग की कि लूमुम्बा को तुरत मुक्त किया जाय, मोयूतू की सेना को निरस्त किया जाय, उसके हथियार और आमदनी के स्रोतों का पता लगाने के लिए एशियाई-अफ्रिकी राज्यों का एक आयोग बनाया जाय, बेल्जियमों को कांगो से हटाया जाय तथा कांगोली संसद् का अधिवेशन तुरत बुलाया जाय। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ के इस न्यायोचित प्रस्ताव को बहुमत से रद्द कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव को रूस ने अपना वोटो का प्रयोग करके रद्द कर दिया। जब सुरक्षा-परिषद् में इस प्रकार गतिरोध उत्पन्न हो गया तो १७ दिसम्बर को साधारण सभा में भारत, घाना, मिस्र, इंडोनीशिया, इराक तथा युगोस्लाविया ने एक संयुक्त प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव से बेल्जियम को आदेश दिया गया कि वह अपनी सशस्त्र सेना कांगो से वापस बुलाये, सयुक्त राष्ट्रसंघ कांगो में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेवारी ले, सभी राजनीतिक बन्धियों को रिहा करके संसद् का अधिवेशन बुलाया जाय, कोई विदेशी सत्ता कांगो में हस्तक्षेप नहीं करे, आदि आदि। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। पर इसके बाद भी कांगो की स्थिति में कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ।

लूमुम्बा की हत्या—१९६१ में कांगो की राजनीति में फिर से नाटकीय घटनाएँ घटने लगीं। १५ जनवरी को कासाबुजू ने यह मांग की कि राजेश्वर दयाल को कांगो से शीघ्र वापस बुलाया जाय, क्योंकि वे सयुक्त राष्ट्र के निष्पक्ष प्रतिनिधि नहीं हैं। १३ जनवरी को प्राधिकृत रूप में कटांगा में यह घोषणा की गयी कि लूमुम्बा एक दिन पहले कटांगा के एक छोटे गाँव के निवासियों द्वारा मार डाले गये। प्रायः समस्त संसार में इस हत्या की तीव्र भद्रसना की गयी लूमुम्बा की हत्या ग्रामवासियों द्वारा की गयी। इस समाचार पर किसी ने विश्वास नहीं किया। यह सन्देह किया जा रहा कि इसमें बेल्जियम का पूरा हाथ है। लूमुम्बा के साथ उसके कई अन्य साथियों की भी हत्या कर दी गयी।

सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव— लुम्ब्या की हत्या एक गम्भीर घटना थी इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह साम्राज्यवादी साजिशों का परिणाम था जिसके सिद्ध सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डाग हैमरशोल्ड की पक्षपातपूर्ण नीति बहुत हद तक जिम्मेवार थी। अतएव सोवियत संघ ने पुनः यह माँग की कि हैमरशोल्ड अपने पद से हट जायँ। १५ जनवरी को हैमरशोल्ड ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए पद त्याग करने से इन्कार कर दिया। कांगो की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली रही थी। २१ जनवरी को सुरक्षा परिषद् ने एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि कांगो में गृह-युद्ध को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सयुक्त राष्ट्रसंघ बल का प्रयोग भी करे। इसके तुरत बाद सयुक्त राष्ट्रसंघ एक कमान नियत किया गया। आयरलैंड के जेनरल सियन मैक्ओवन सेनापति बनाये गये। भारत ने सयुक्त राष्ट्र को तीन हजार सैनिक देने का वादा किया। जब यह प्रतीत होने लगा कि इस बार सयुक्त राष्ट्रसंघ कटांगा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा तो राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना करते हुए बेल्जियम ने भी एक बहुत बड़ी सेना कटांगा में भेज दी। कटांगा सरकार ने भारतीय फौज के आगमन का बड़ा विरोध किया। १२ मार्च, १९६१ को कांगो में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ जिहाँ वहाँ के तीन नेताओं (जिसमें शोम्बे भी शामिल थे) ने कांगो के विभिन्न राज्यों का एक महासंघ स्थापित करने का निश्चय किया। किन्तु २ अप्रिल को शोम्बे महासंघ में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। जुलाई में सयुक्तराष्ट्रसंघ के तत्वाधान में कांगोली संसद् का एक अधिवेशन बुलाया गया। इसके दूसरे दिन प्रधान मन्त्री जोसेफ इलियो की सरकार ने पद-त्याग कर दिया और २ अगस्त को साइरिल अदौला कांगो का प्रधान मन्त्री बनाया गया। इसके बाद से कांगो की केन्द्रीय सरकार के प्रति शोम्बे का रुख और भी अवज्ञापूर्ण हो गया और सयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करने से उसने इन्कार कर दिया। १ दिसम्बर को सयुक्त राष्ट्रसंघ ने कटांगा सरकार के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और १३ सितम्बर को कटांगा प्रदेश पर नियन्त्रण रखने तथा केन्द्रीय कांगोली सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिए एलिजाबेथविले के सार्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने कटांगा में संघ के इस कार्य की बहुत बड़ी निन्दा की और इसे अवैध एवं अनुचित बतलाया। ब्रिटिश समाचार-पत्र और बी० बी० सी० ने कटांगा में अवस्थित भारतीय सैन्य दल के विरुद्ध लगातार निंदा मापन शुरू किया। भारतीय सैनिकों द्वारा कटांगा के नागरिकों पर किये गये तथाकथित अत्याचारों की बातें नियोजित प्रचारित की गयीं।

हैमरशोल्ड की हत्या— इधर कुछ दिनों से, विशेषकर लुम्ब्या की हत्या के बाद से तथा सोवियत संघ की आलोचनाओं से घबड़ाकर महासचिव डाग हैमरशोल्ड

कांगो की राजनीति में उचित कार्य करने में व्यस्त हो गये। कटांगा को केन्द्रीय कांगोली शासन के अन्दर लाना उनकी निश्चित इच्छा हो गई थी। यह बात अमेरिका और ब्रिटेन को एकदम पसन्द नहीं आयी। अतएव अब साम्राज्यवादियों द्वारा डाग हैमरशोल्ड का काम तमाम करने का पड्यन्त्र शुरू हो गया। इस पड्यन्त्र में वेलिप्रयन सेना के उच्च पदाधिकारी शोम्बे तथा उत्तरी रोडेशिया के प्रधान मन्त्री सर राव बेलेन्सकी सम्मिलित थे। सितम्बर के महीने में महासचिव कांगो की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कांगो गये। उनके वायुयान को पड्यन्त्रकारियों ने मार गिराया और उससे सभी मुसाफिर इस दुर्घटना के कारण जलकर खत्म हो गये। इधर कुछ दिनों से हैपरशाल्ड शान्ति तथा संध के सभी उच्च सिद्धान्तों के प्रतीक बन गये थे। उनकी हत्या से सारे ससार में शोक का वातावरण छा गया। २८ सितम्बर को ही इस घटना पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिषद् की एक बैठक बुलाई गयी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया था और उसके महासचिव ही अब नहीं रहे। चर्टर के द्वारा कोई महासचिव के पद की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए एक नये महासचिव की नियुक्त अविलम्ब करने की आवश्यकता थी। कुछ दिनों के बाद बर्मा के यू थान्त इस पद पर नियुक्त किये गये।

विराम संधि — हैमरशोल्ड की हत्या से सारे ससार में सनसनी फैल गयी और संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी समझने लगे कि कांगो में किसी तरह के गृह-युद्ध की बन्द करना आवश्यक है। शोम्बे के विरुद्ध विश्व व्यापी जनमत तैयार होने लगा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब संध उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा जिसमें अमेरिका और रूस दोनों का समर्थन उसे प्राप्त होगा। अतएव शोम्बे ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से एक समझौता कर लेना ही ठोक समझा। २० सितम्बर को कटांगा और संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच युद्ध बन्द करने के निमित्त एक इकरारनामा में हस्ताक्षर हुए। लेकिन ३ अक्टूबर को शोम्बे ने राष्ट्रसंघ के ऊपर इकरारनामा भंग करने का आरोप लगाकर संध अधिकारियों और कटांगा के प्रतिनिधियों के बीच समझौते की जो बातचीत चल रही थी उसको भंग कर दिया। १३ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों और शोम्बे ने अन्तिम रूप से युद्ध बन्द करने के एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये। लेकिन अब केन्द्रीय कांगोली सरकार की भारी थी। उसने इस इकरारनामे को मानने से इन्कार कर दिया जिससे संध और कटांगा को सेना के बीच शत्रुतामूलक कार्रवाई फिर से शुरू हो गयी। इस बार संध एक पृथक प्रदेश के रूप में कटांगा के अस्तित्व को सदा के लिए मिटा देने का रद्द संकल्प कर चुका था, किन्तु ब्रिटिश सरकार की चालों के कारण उनके समस्त प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार को नीति से हट कर कटांगा में

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिनिधि डा० कोनर ओब्राचन ने पद त्याग कर दिया। संघ द्वारा कांगो में जो जो सैनिक कार्रवाईयों की जा रही थी, उनका समर्थन करना तो दूर रहा, ब्रिटिश सरकार खुल्लमखुल्ला शोम्बे सरकार का पक्ष ग्रहण कर रही थी।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ का धैर्य समाप्त हो रहा था। शांति के शत्रुतापूर्ण रुख के कारण महासचिव को विवश होकर पुनः सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। इस बार संघ की सेना पूरी तैयार थी और बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की गयी। संघ की सेना ने तेजी से बढ़ते हुए कई स्थानों पर कब्जा कर लिया तथा शांति को भागकर दक्षिण रोडेसिया में शरण लेनी पड़ी। अन्त में शोम्बे को झुकना पड़ा और कासाबुजू के प्रमुख सैनिक गठ में आत्म समर्पण कर दिया। इसके बदले में अदोला सरकार द्वारा शोम्बे और उसके अन्य साधियों को क्षमादान का आश्वासन दिया गया। महासचिव यू थान्त ने कटांगा के एकीकरण के लिए एक वृत्तमयी योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है—

(१) केन्द्रीय प्रशासक आयोग द्वारा कटांगा प्रान्त प्रशासन का अस्थायी रूप से संचालन। इस संक्रान्ति काल में कटांगा सरकार के सभी अधिकारी अपने अपने पदां पर काम करते रहेंगे।

(२) केन्द्रीय सेना में कटांगा की सेना और सैन्य अधिकारियों का विलयन।

(३) केन्द्रीय सरकार के विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियमों को कटांगा पर लागू किया जायगा।

(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा कटांगा में बैंक का नियन्त्रण।

(५) कांगो की केन्द्रीय सरकार की मुद्रा का चलन।

(६) केन्द्रीय सरकार के आर्थिक विशेषताओं की कटांगा में नियुक्ति ताकि वे सम्पूर्ण देश की आर्थिक दृग्ति में योग दे सकें।

अंतिम समझौता—फरवरी १९६३ में कांगो की जटिल समस्याओं का समाधान हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के छः सूत्री प्रस्तावों के आशर पर कटांगा कांगो के साथ सम्मिलित कर लिया गया यद्यपि कटांगा को काफ़ी स्वायत्तता मिली। इस समझौता के बाद शोम्बे का प्रभाव पूरी तरह क्षीण हो गया और उन्हें भागकर पेरिस जाना पड़ा। केन्द्रीय सरकार द्वारा कटांगा प्रान्त का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि शोम्बे अब किसी तरह स्वतन्त्र नहीं प्राप्त कर सका। बाद में राष्ट्रपति कासाबुजू ने कांगोली संसद की भी भंग कर दिया।


इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि कांगो में संघ को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

(xx) साइप्रस की समस्या—भूमध्यसागर में स्थित साइप्रस का द्वीप १८७८ से ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। इस द्वीप के निवासी तुर्क और यूनानी हैं। यूनानी लोग धार्मिक-विशेष मकारियास के नेतृत्व में 'इनीसिस' आन्दोलन चला रहे थे, जिसका उद्देश्य साइप्रस को यूनान के साथ मिला देना था। इसके विपरीत तुर्क लोग इस द्वीप को तुर्कों के अधीन रखना चाहते थे। 'इनीसिस' आन्दोलन को यूनान का समर्थन प्राप्त था और तुर्क लोगों की माँग को तुर्की का। चरम ब्रिटेन इस द्वीप के सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए छोट्टे को तैयार नहीं था। साइप्रस के यूनानियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत जोर से आन्दोलन चलाया। इयोक दल कायम करके साइप्रस में उन्होंने आतंक का राज्य कायम कर दिया। 'ब्रिटेन इस आन्दोलन को दबाता रहा। साइप्रस के प्रश्न का लेकर अन्तराष्ट्रिय सभ्यता में फूट पडने लगी। तुर्की, यूनान और 'ब्रिटेन तीनों इस सभ्यता के सदस्य थे और साइप्रस को लेकर तीनों का सम्बन्ध खराब होने लगा। संयुक्त राष्ट्रमण्डल में भी यह प्रश्न गया, पर वह कुछ न कर न सका। ब्रिटेन ने समझौता के अनेक प्रस्ताव रखे। जब यूनान कोई प्रस्ताव मजूर करता तो तुर्की उसे नामजूर कर देता और जब तुर्की किसी प्रस्ताव को मजूर करता तो यूनान नामजूर कर देता। साइप्रस की समस्या में जिज्ञा की स्थिति आ गयी। अन्तराष्ट्रिय सभ्यता में फूट पडते देख अमेरिका की चिन्ता बढने लगी। अन्त में उसके प्रयास से १९ फरवरी १९५९ को लन्दन में साइप्रस के प्रश्न पर एक समझौता हो गया। इसके अनुसार साइप्रस न यूनान का अंग रहा और न- तुर्की का। यह 'स्वतन्त्र गणराज्य' हो गया किन्तु ब्रिटेन के सैनिक अड्डे वहाँ पूर्ववत् बने हुए हैं।

साइप्रस में तुर्क और यूनानी दोनों रहते हैं।* गणतन्त्र का जो स विधान बना उसमें इस बात की चेष्टा की गयी कि दोनों सम्प्रदायों के अधिकार सुरक्षित रहें चूँकि तुर्की अन्तराष्ट्रिय सभ्यता का सदस्य है इसलिए स विधान के द्वारा उन्हें कई तरह के विशेषाधिकार भी दिये गये। कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर तुर्की की अनुमति ले लेना स विधान के द्वारा आवश्यक बना दिया गया। लेकिन इसके कारण साइप्रस के शासन में गतिरोध उत्पन्न होने लगा। इस स्थिति को खत्म करने के उद्देश्य से नवम्बर १९६३ में राष्ट्रपति ने स विधान में सशोधन के लिए एक तरह सूत्री प्रस्ताव रखा। तुर्की ने इस प्रस्तावों का घोर विरोध किया क्योंकि यदि वे प्रस्ताव मान लिये जाते तो साइप्रस की राजधानी निकीसिया में उनकी स्थिति बड़ी हीन हो जाती। अतएव दिसम्बर १९६३ में यूनानी तुर्क विरोध एका-एक प्रबल हो गया। साइप्रस की राजधानी निकीसिया में तुर्की ने आतंकवादी कार्य आरम्भ कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फसाद शुरू हुए और कुछ

* साइप्रस में १,००,००० तुर्क, और ५,००,००० यूनानी हैं।

दिनों में लगभग दो सौ व्यक्ति मार डाले गये । साइप्रस की पुलिस इन दंगों को रोक नहीं सकी, क्योंकि पुलिस में भी दोनों सम्प्रदाय के सिपाही थे और वे स्वयं आपस में ही सघर्ष करने लगे ।* इस हालत में तुर्की और यूनान के सघर्ष की सम्भावना बढ़ गयी । जब स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटेन ने सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव यू थान्त से अमुरोध किया कि वह कोई कार्रवाई करें ताकि तुर्की और यूनान में युद्ध न छिड़ जाय । महामन्त्रिण ले० जेनरल पी० एस० ज्ञानी (भारत) को कुछ सैनिकों के साथ साइप्रस भेजा जिसका काम साइप्रस में शान्ति व्यवस्था कायम करना था । इसी बीच लंदन में राजनीतिक समझौता के लिए सम्मेलन का आयोजन (जनवरी १९६४) हुआ जिसमें तुर्की, यूनान, ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा साइप्रस के निवासी तुर्क और यूनानियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन में यह सुझाव रखा गया कि साइप्रस में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के लिए 'नाटो' संगठन की सेना भेजी जाय, पर राष्ट्रपति मकारियोस ने इस प्रस्ताव को नामजूर कर दिया, पर वे सयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना के लिए तैयार थे ।



सघर साइप्रस में दोनों सम्प्रदायों के विद्वेष में जरा भी कमी नहीं बनी और छिटपुट दंगे होते ही रहे । इस हालत में साइप्रस की सरकार इस दमना को लेकर सुरक्षा परिषद् पहुँची । सुरक्षा परिषद् ने सयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह आदेश दिया कि वह साइप्रस में शांति बनाने रखने के लिए एक सेना भेजें ।

* साइप्रस गणराज्य का अपनी कोई सेना नहीं है । पुलिस के विचारियों को १९०० है जिसमें १००० के लगभग तुर्क हैं ।

करें और ३० जून, १९६४ तक साइप्रस की शान्ति व्यवस्था की जिम्मेवारी इसी सेना पर रहे। इस तरह की एक सेना साइप्रस पहुँच गयी और किसी तरह वहाँ के दगा की रोषने का प्रयास किया।

१२ जून १९६४ को साइप्रस में पुनः एकाएक तुर्क और यूनानियों के बीच घनघोर सशाम छिड़ गया। ३० जून को साइप्रस पर से संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण हटने वाला था और तुर्क लोगों को यह आशंका थी कि ३० जून के बाद साइप्रस के यूनानी उन पर घोर अत्याचार करेंगे। तुर्की सरकार के प्रचार के कारण साइप्रस की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। इस स्थिति में साइप्रस की समस्या पर विचार करने के लिए २० जून, १९६४ को सुरक्षा-परिषद की एक बैठक हुई और इस बैठक ने निश्चय किया कि साइप्रस में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेना २६ सितम्बर १९६४ तक वहीं रहे। जुलाई १९६४ में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सम्मेलन हुआ (साइप्रस भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है) और इस सम्मेलन में भी साइप्रस की समस्या पर विचार किया गया। लेकिन वहाँ भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

८ अगस्त १९६४ को तुर्की के कुछ हवाई बम-बर्पकों ने साइप्रस की कुछ थीक बस्तियों पर हमला कर दिया। तुर्की का यह कहना था कि साइप्रस की सेना उन बस्तियों की ओर जा रही थी जिन पर तुर्क लोग निवास करते हैं और उनकी रक्षा के लिए इस सेना का सफाया करना आवश्यक था। तुर्की की इस सैनिक कार्रवाई फलस्वरूप बहुत सी बस्तियाँ नष्ट हो गयीं और सैकड़ों की सख्या में लोग मारे गये।

इस स्थिति पर विचार करने के लिए दूरत ही सुरक्षा परिषद की बैठक बुलायी गयी। यूनान का प्रतिनिधि ने कहा कि यदि तुर्की तत्काल आक्रमण बन्द नहीं कर देता तो उसकी सरकार के लिए साइप्रस की समस्या में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जायगा। तुर्की के प्रतिनिधि ने अपने पक्ष में दलीलें पेश कीं। अन्त में यह निश्चय हुआ कि परिषद के अध्यक्ष दानो पक्षों से युद्ध बन्द करने की अपील करें। इसके बाद सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि (१) परिषद सभी सम्बद्ध राज्यों से अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश देती है, (२) उनसे यह अपील करती है कि साइप्रस में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए वह साइप्रस में स्थित संयुक्त राष्ट्र के कमान से सहयोग करें तथा (३) ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे स्थिति समझलने के बदले बिगड़ जाय।

सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को साइप्रस की सरकार ने दूरत मान लिया। तुर्की की सरकार ने भी परिषद के आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से भूमध्यसागर में उत्पन्न इस नये अन्त-

अब तक समझा यही जाता था कि वह मारा जा चुका था और ब्रिटेन के मलबे में दब गया था। जब निर्वासित सरकार के अध्यक्ष हसन वस्ताखी चला तो उससे प्रकट होने पर इमाम सुह्रमद को (जो रिश्ते में हसन का चाचा लगता था) शासन सत्ता सौंप दी और स्वयं उसकी आज्ञा के प्रबन्धन-न्त्री बन गया।

अब घटनाओं ने एक खूनी मोड़ लिया। अक्टूबर समाप्त होते ही राजतन्त्रवादियों व गणतन्त्रवादियों में भीषण संघर्ष ही गया। सऊदी अरब जन घन व शर्शों से राजतन्त्रवादियों की सहायता करने लगा और अरब (संयुक्त अरब गणराज्य) ने गणराज्य वाली यमनी सरकार की सहायता दस हजार से भी अधिक सैनिक युद्ध में भेज दिये। इस प्रकार यह युद्ध यमन का गृहयुद्ध न रह कर अब अरब राज्यों के युद्ध का रूप धारण करने लगा जिस स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई।

यमन का युद्ध कहीं-और अधिक भयावह रूप न धर ले, इससे आशंका होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा दृष्टक्षेप किया गया। २४ मार्च १९६३ को संघ की ओर से राल्फ बुच तथ्यों की जाँच के लिए यमन भेजे गये। डा० बुच ने यमनी गणराज्य के राष्ट्रपति सल्लाल से मुलाकात की और दुद्धयस्त क्षेत्रों की निरीक्षण किया। तत्पश्चात् वे काहिरा में राष्ट्रपति नासिर से मिले। उन्होंने दोनों पक्षों को इस बात के लिए प्रेरित किया वे यमन के गृहयुद्ध में भेजे गये अपने सैनिकों को वापस बुला लें और समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूँढने में सहायक हों। डा० बुच के प्रयास सफल हुए। २० मार्च को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने न्यूयार्क में बताया कि राष्ट्रपति नासिर ने अपने लगभग पच्चीस हजार सैनिकों को इस शर्त पर यमन से वापस बुला लेना मान लिया है कि यमन की स्थलीय सीमाओं से कोई दूसरा देश में सैनिक या अथवा प्रकार की युद्ध सामग्री नहीं पहुँचायेगा।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों के फलस्वरूप बाह्य शक्तियों के यमन से धीरे धीरे अपनी सेनाएँ हटाना आरम्भ कर दी और यमन में शान्ति स्थापित हो गयी।

(२४.११) वीयतनाम की समस्या—१९५४ के जेनेवा समझौता के अनुसार वीयतनाम दो भागों में बँट गया—उत्तरी वीयतनाम और दक्षिणी वीयतनाम। उत्तर में साम्य-व्यवस्था कायम हुई और दक्षिण में एक गैर साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई जहाँ अमरीकी प्रभाव पूर्ण रूप से कायम हुआ। यह बिन्कुल स्वाभाविक था कि दोनों वीयतनामों में कभी मेलमिल नहीं हो। शुरु से ही वे एक दूसरे के मिटाने की चष्टा करते रहे और इस कारण इस क्षेत्र में कभी पूर्ण शान्ति नहीं रही। लेकिन वीयतनाम या

उसके निकटवर्ती लाओस के उपद्रव कमी सयुक्त राष्ट्रसंघ के विचारार्थ पेश नहीं किये गये क्योंकि जेनेवा समझौते के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की स्थापना हुई थी जो हिन्द चीन की समस्याओं को सुलझाने का यत्न करती रहती थी ।

अगस्त १९६४ में वीयतनाम की स्थिति एकाएक भयंकर हो गयी । ५ अगस्त को अमरीकी विमानों ने एकाएक उत्तरी वीयतनाम के कुछ सैनिक अड्डों, मोटान किन की खाड़ी के सटे स्थित थे, पर घावा बोल दिया । सयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने एक टेलीविजन ब्रडकास्ट में कहा कि उत्तरी वीयतनाम टानकिन की खाड़ी में गरत लग नेवाले जहाजों पर यदा कदा आक्रमण करता रहता है और यह स्थिति अब इतनी असह्य हो गयी है कि अमेरिका कार्यवाही करने से बाज नहीं आ सकता । आत्म रक्षा के नाम पर अमेरिका ने अपने आक्रामक कार्रवाई को उचित बतलाया । साथ ही, अपने आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् में अपील भी कर दी । इस प्रकार हिन्द चीन की समस्या का एक पहलू पहले पहल सयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने पेश हुआ ।

७ अगस्त १९६४ को सुरक्षा परिषद् ने यह निश्चय किया कि समस्या पर विचार शुरू करने के पूर्व उत्तरी वीयतनाम और दक्षिणी वीयतनाम दोनों की परिषद की बैठक बुलाया जाय । लेकिन उत्तरी वीयतनाम ने परिषद् के नियन्त्रण को अस्वीकार कर दिया । इस स्थिति में सुरक्षा परिषद्, वीयतनाम के सम्बन्ध में कुछ न कर सकी और तब से लेकर अमेरिका वहाँ मनमानी सैनिक कार्रवाई करता रहा । अमेरिका ने वैदल वायटकांग छापामारों के खिलाफ ही काम नहीं किया, बरन् उत्तरी वीयतनाम पर भी यदा-कदा आक्रमण करना शुरू किया । सम्पूर्ण १९६५ में अमेरिका की भड़कानेवाली कार्रवाई होती रही । सत्तार के लोकमत ने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका कोई परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ । सपर युद्ध के मैदान में कम्युनिस्टों ने अमेरिका का बड़ा-कड़ा प्रतिरोध किया । अतः सत्तार के लोकमत के प्रभाव तथा विरोधी दल के सैनिक प्रतिरोध से बाध्य होकर अमेरिका को यह घोषणा करनी पड़ी कि वह १९६५ के किस्मस से इस आशा पर उत्तरी वीयतनाम के खिलाफ गोलावारी बन्द करता है कि कम्युनिस्ट लोग भी युद्ध बन्द कर दगे लेकिन वीयतनामी कम्युनिस्टों का यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआ और यदा-कदा उनके छिटपुट हमले होते रहे । इस हालत में सौतीस दिनों के बाद सयुक्त राज्य अमेरिका ने १२ जनवरी, १९६६ से पुनः उत्तरी वीयतनाम के महत्त्वपूर्ण स्थलों पर गोलावारी शुरू कर दी ।

सुरक्षा परिषद में वीयतनाम का प्रश्न— सयुक्त राज्य अमेरिका यह मानता था कि उसको इस कार्रवाई का सारा सत्तार विरोध करेगा । अतः अपने को निरपेक्ष

सिद्ध करने के उद्देश्य से उसने चीतनाम की समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद में उठाने का निश्चय किया। प्रचार के सिवा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमेरिकी प्रतिनिधि आर्थर गोल्डवर्ग ने सुरक्षा परिषद द्वारा चीतनाम की स्थिति पर विचार करने की माँग की। परिषद की बैठक के पहले ही उत्तरी चीतनाम की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस समस्या के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ से सहयोग करने के लिए कतई तैयार नहीं है और वह संघ के किसी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है।

१ फरवरी, १९६६ को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। अमेरिकी प्रतिनिधि गोल्डवर्ग ने परिषद से अनुरोध किया कि वह एक चीतनाम शान्ति सम्मेलन की व्यवस्था कर तथा उत्तरी और दक्षिणी चीतनाम की प्रतिनिधियों को सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाय। अमेरिका के इस प्रस्ताव का सोवियत संघ तथा फ्रांस ने विरोध किया। सोवियत प्रतिनिधि ने इस बात पर आपत्ति की कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के मंच को प्रचारार्थक कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है। उनका कहना था कि चीतनाम समस्या को जेनेवा समझौता के अनुसार सुलझाना ठीक होगा। सोवियत प्रतिनिधि ने अमेरिकी बमबारी की आलोचना की और कहा कि अमेरिका चीतनाम में आग के साथ खेल रहा है। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने भी चीतनाम में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का विरोध किया। उसका कहना था कि जब इस समस्या से सम्बद्ध दो राष्ट्रों (चीन और उत्तरी चीतनाम) का संयुक्त राष्ट्रसंघ में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस हालत में संघ को इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रांस और सोवियत संघ के अतिरिक्त परिषद के कुछ अन्य सदस्यों ने भी अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया।

इस हालत में परिषद में नौ आवश्यक वोटों के अभाव में यह भी निर्णय नहीं हो सका कि चीतनाम की समस्या पर सुरक्षा परिषद बहस करे। २ फरवरी को सुरक्षा परिषद ने बैठक को स्थगित कर दिया। चीतनाम की समस्या पर परिषद कोई फैसला नहीं कर सकी। अच्छा होता यदि परिषद दोनों पक्षों को हमले और जवाबी हमले तथा भड़कानेवाली कारवाइयों करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाती जिससे की आग और न बटे।

(XXII) वयूबा का इश्न—वयूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इण्डोस का सबसे बड़ा टापू है। वहाँ अमेरिका सामर्थक सरकार को एक क्रांति द्वारा पिडेल कास्ट्रो ने २ जून, १९५९ को सत्ता हथकौटी और अपनी रूस समर्थक सरकार की स्थापना कर दी। ३ सितम्बर, १९६२ में रूस ने घोषणा की कि रूस ने वयूबा को शरणागति की सहायता देना स्वीकार कर लिया है ताकि वह साम्राज्यवादियों के संघट से अपने

देश की रक्षा कर सके। ४ सितम्बर को अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा कि रूस द्वारा क्यूबा को पच्चीस सौ मील तक मार करने वाले विमानभेदी प्रक्षेपणास्त्र एवं १००० मील तक प्रक्षेपणास्त्र फेंकने वाली पनडुब्बिया आदि दी गई है जिससे उनके राष्ट्र की सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अक्टूबर में राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि क्यूबा में सुरक्षा सैनिक सहायता से प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने वाले शक्तिशाली अड्डे स्थापित किये जा रहे हैं और अब क्यूबा की सामुद्रिक भावेबन्दी की जायगी ताकि इन अड्डों को आणविक शस्त्रों से सुसज्जित करने वाली सामग्री क्यूबा न पहुँच सके।

उपरोक्त घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा का यह मामला सुरक्षा परिषद् में और अमेरिकन राज्यों के मध्य में भेजा तथा यह घोषणा किया कि क्यूबा जाने वाले आक्रामक शस्त्रों से लदे जहाजों को वापिस लौटा दिया जायगा। राष्ट्रपति की इस घोषणा ने महान् अन्तर्राष्ट्रीय सवट उत्पन्न कर दिया क्योंकि यह रूस जैसी महाशक्ति को चुनौती देनावनी थी कि वह कास्ट्रो सरकार को सैनिक सहायता न पहुँचाये।

घोषणा के अनुरूप अमेरिका द्वारा २४ अक्टूबर, १९६२ को क्यूबा की घात बन्दी लागू कर दी गयी। सवट की गम्भीरता अनुभव करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसी दिन रूसी प्रधानमंत्री श्री क्लुश्चेव और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कैनेडी को पत्र लिखे। उन्होंने अमेरिका से यह अनुरोध किया कि वह दो सप्ताह तक जलयानों की तलाशी लेने की कार्यवाही स्थगित रखे। रूसी प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया गया कि इस अवधि में रूस कोई प्रक्षेपणास्त्र या आणविक अस्त्र क्यूबा न भेजे। पत्र लिखने के पश्चात् महासचिव दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने को अथक रूप से प्रयत्नशील हो गये। संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा में भाषण करते हुए उन्होंने क्यूबा में प्रक्षेपणास्त्र अड्डों के विकास व निर्माण को तुरन्त रोक देने का अनुरोध किया।

३० अक्टूबर को महासचिव इसी सिलसिले में स्वयं क्यूबा गये और उन्होंने क्यूबा सरकार के महत्त्वपूर्ण सदस्यों से संयुक्त राष्ट्र घायी पर्यवसकों द्वारा निर्दिष्ट किये जाने के बारे में सलाह मशविरा किया। महासचिव के प्रयत्नों के फलस्वरूप वार्ताकरण में सुधार होने और तनाव कम होने में पूरी सहायता मिली और ३० अक्टूबर को ही क्लुश्चेव ने घोषणा की कि वे क्यूबा से सभी प्रक्षेपणास्त्र और आक्रामक अड्डों को हटाने को सहमत हैं और द्वीप पर स्थित सभी आक्रामक अड्डों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में तोड़ दिया जायगा।

उत्पश्चात् सभ के पर्यवसकों की देख रेख में सोवियत आक्रमणकारी २५ अड्डों को क्यूबा से हटाने का कार्य सन्तोषजनक गति से पूरा हो गया और २६ अक्टूबर

एक बार पुनः विश्व को युद्ध के कगार से वापस लौटा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका खेती की।

(xxiv) दक्षिण रोडेसिया की समस्या—अफ्रिका में प्रजातिवाद का एक अन्य अन्धाकार दक्षिण रोडेसिया है। वहाँ श्वेत अल्पसंख्यक यूरोपीय बहुसंख्यक अफ्रिकी निवासियों पर शासन कर रहे हैं और उन पर घोर अत्याचार हो रहा है। यह देश ब्रिटेन के मातहत में सन् १९५३ में ही चला गया। १९५३ में इसकी आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता मिली और १९६४ से इसके प्रधान मन्त्री इवान स्मिथ निरन्तर यह प्रयास करते थे कि दक्षिण रोडेसिया पूर्ण स्वतन्त्र हो जाय। लेकिन दक्षिण रोडेसिया को पूर्ण स्वतन्त्र करने में कुछ बाधाएँ थीं। स्वतन्त्रता के पूर्व यहाँ के मूल निवासियों को श्वेत अत्याचार से रक्षा के लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक था। इसका एक मात्र उपाय यह था कि दक्षिण रोडेसिया को सभी निवासियों को मताधिकार का समान अधिकार दे दिया जाय। लेकिन अल्पसंख्यक यूरोपीय इस तरह की किसी व्यवस्था का समर्थन करने को तैयार न थे, क्योंकि ऐसा हो जाने से उसको प्रभुत्ता समाप्त हो जाती। १९५३ से ही दक्षिण रोडेसिया की सरकार पर श्वेत यूरोपीयों ने कब्जा कर लिया था और जब वहाँ के अफ्रिकी निवासी अपने अधिकारों को माँग करने लगे तो यूरोपीयों की ओर से यह प्रयत्न होने लगा कि दक्षिण रोडेसिया ब्रिटेन के प्रभुत्व से एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे। इस तरह की कोई कार्यवाही विद्रोह माना जाता। अतएव इवान स्मिथ की सरकार ने समझौता करके स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जब उसमें उसको सफलता नहीं मिली तो ११ नवम्बर १९६५ को उसने एकतरफी स्वतन्त्रता का एलान कर दिया।

दक्षिण रोडेसिया द्वारा स्वतन्त्रता का इस तरह एलान किये जाने से संसार के समस्त एक महान् संकट उत्पन्न हो गया। यह सम्भव नहीं था कि उस देश के बहुसंख्यक अफ्रिकी चुन्नाप श्वेत अत्याचारों को सहन करते रहें। इसके अतिरिक्त इस बात का भी खतरा था कि पड़ोस के अफ्रिकी राज्य अपने रोडेसियाई बन्धुओं की सहायता के लिए कदम उठावें। इसका मतलब होता दक्षिण रोडेसिया की सरकार तथा अफ्रिकी देशों के बीच युद्ध। इस प्रकार एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा ने परिस्थितियों को उत्पन्न किया जिनमें एक युद्ध की सम्भावना देखने लगी। इसमें ब्रिटिश सरकार का पार्ट बड़ा ही निन्दनीय था। उसे दूरतः स्मिथ सरकार के खिलाफ सैनिक कारवाही करना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण विश्व का लोकमत बड़ा विक्षुब्ध था।

इस हालत में अनेक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा-परिपत्र से अनुरोध किया कि यह दक्षिण रोडेसिया सरकार द्वारा एकतरफी

स्वतन्त्रता की घोषणा से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करें। इसी तरह की माँग कई एशियाई अफ्रीकी देशों की ओर से भी की गयी।

१२ नवम्बर, १९६५ को सुरक्षा-परिषद् की बैठक दक्षिण रोडेेशिया की समस्या पर विचार करने के लिए हुई। परिषद् ने दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल और भारत को कार्यवाही में भाग लेने के लिए विशेष आमन्त्रण भेजा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। परिषद् में भाषण देते हुए ब्रिटिश विदेश मन्त्री माइकेल स्टुअर्ट ने, स्मिथ सरकार की कारवाही की निन्दा की और सयुक्त राष्ट्र सभ के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे स्मिथ सरकार के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सरकार की सहायता करें तथा दक्षिण रोडेेशिया सरकार को किसी प्रकार की मदद नहो दें।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री के इस भाषण ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें नेकनिशी की पूर्ण अभाव था और उसका उद्देश्य सत्तार की केवल धोखा देना था। ब्रिटेन को स्मिथ सरकार की कार्रवाई को विद्रोह मानना चाहिए था और उसे कुचनने के लिए सैनिक कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन इस तरह के किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया। ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने दक्षिण रोडेेशिया के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाने का भी सुझाव दिया, लेकिन तेल पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई चर्चा नहीं की गयी। बाद में परिषद् ने जोर्डान के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में कहा था कि "सुरक्षा परिषद् दक्षिण रोडेेशिया की अल्पसंख्यक प्रजातिवादी सरकार की एकतरफ़ी स्वतन्त्रता की घोषणा की निन्दा करती है तथा सभ के सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे इस अवैध सरकार को मान्यता प्रदान न करें तथा उसके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहो रखें।" यह प्रस्ताव परिषद् में निर्धारित स्वीकार कर लिया गया, लेकिन फ्रांस ने मतदान में हिस्सा इसलिए नही लिया कि वह दक्षिण रोडेेशिया की समस्या को "ब्रिटेन की आन्तरिक समस्या" मानता था। फिर भी फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह स्मिथ सरकार के कार्य की निन्दा करता है।

१३ नवम्बर को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक पुन बुलायी गयी। इसमें ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा कि सयुक्त राष्ट्र सभ के सभी सदस्य-राज्य ब्रिटिश सरकार को स्मिथ सरकार के विद्रोह को दबाने में इस तरह की मदद करें। इसी बैठक में सभ के छत्तीस अफ्रीकी सदस्यों की ओर से आयरलैंड के फोस्ट ने एक प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य स्मिथ सरकार के विद्रोह को कुचनने के लिए एक सयुक्त राष्ट्रम घाय सैना का निर्माण करना था। इस प्रस्ताव में स्मिथ सरकार के खिलाफ सैनिक कार्रवाई पर विशेष बल दिया गया था। लेकिन परिषद् किसी प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहो कर सकी और १६ नवम्बर १९६५ को

उसको बैठक स्थगित कर दी गयी। २० नवम्बर को सुरक्षा परिषद् ने पुनः इस समस्या पर विचार किया। दक्षिण रोडेशिया के खिनाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया और यह निश्चित हुआ कि तेल का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। यह समझा गया कि तेल के अभाव में स्मिथ की सरकार सड़क में पड़ जायगी और उसके द्वारा यह का अन्त हो जायगा। लेकिन अभी तक स्मिथ सरकार के अन्त का कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहा है और निष्कर्ष के रूप में यही कहना पड़ता है कि दक्षिण रोडेशिया के श्वेत अल्पसंख्यक सरकार के अत्याचार से बहुसंख्यक अफ्रिकियों की रक्षा करने में सयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्णतया असफल रहा है।

(xxv) डोमोनिकन गणराज्य में अमरीकी हस्तक्षेप— २५ अप्रिल, १९६५ को लैटिन अमेरिका के एक छोटे से देश डोमोनिकन गणराज्य में गृह-युद्ध छिड़ गया। विद्रोहियों ने सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शासन पर अधिकार जमा लिया। क्रान्तिकारियों को सरकार सयुक्त राज्य अमेरिका की विरोधी थी और इसलिए अपने पड़ोस में एक ऐसी सरकार को स्थापना अमेरिका नहीं देख सकता था। उसने इस गृह युद्ध में हस्तक्षेप करके विद्रोही सरकार को कुचलने का निश्चय किया और डोमोनिकन गणराज्य में बसे हुए अमरीकी नागरिकों की रक्षा के नाम पर अमरीकी सरकार ने वहाँ एक विशाल सेना खाना कर दिया। गणराज्य की जनता ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया और उसके विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया।

सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्यवाही का विरोध किया और १ मई को सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करके डोमोनिकन गणराज्य में अमरीकी आक्रमण को बन्द कराये। ४ मई को परिषद् की बैठक हुई। अमरीकी प्रतिनिधि बदलाई स्टोवेनसन ने कहा कि गणराज्य में गडबडी के मूल में कम्युनिस्ट है और अमेरिका ने अमरीकी नागरिकों के रक्षार्थ सेना भेजा है। सोवियत प्रतिनिधि ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि अमरीकी नागरिकों की रक्षा का प्रश्न एक निरा बहाना है और अमेरिका गणराज्य में आक्रमण का नमन नृत्य कर रहा है। इसी बीच अमरीकी राज्यों के सगठन के प्रयास से गृह-युद्ध कुछ समय के लिए बन्द हो गया। १४ मई को सुरक्षा परिषद् की दूसरी बैठक हुई और सवसम्मत से यह निणय हुआ कि राष्ट्रसंघ डोमोनिकन गणराज्य की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक पयवेक्षक भेजे। पयवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में गणराज्य की स्थिति को चिन्ताजनक बताया।

२३ मई को सयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के चार राज्यों ने मिलकर एक अन्तर अमरीकी शान्ति सेना का सगठन किया और अमरीकी राज्यों

के सगठन (OAS) ने इस सेना को यह अधिकार दिया कि वह डोमीनिकन गणराज्य में शान्ति स्थापना का कार्य करे। अन्तर-अमरीकी शान्ति सेना गणराज्य पहुँची और वहाँ को राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। सोवियत सघ ने पुन इसका विरोध किया और सुरक्षा परिषद में यह माँग रखी कि तथाकथित शान्ति सेना गणराज्य से हटाया जाय और उसकी जगह पर एक राष्ट्रसघीय सेना कायम जाय लेकिन सुरक्षा परिषद को यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ और डोमीनिकन गणराज्य में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित अमरीकी शान्ति सेना गणराज्य में बनी हुई है। डोमीनिकन में यह युद्ध बन्द हो चुका है और वहाँ अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार काम कर रही है। सघ की यह प्रमुख सफलता है।

(xxvi) अरब इजरायल सघष—अरब इजरायल सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन हम आगे उपयुक्त स्थान पर करेंगे। यहाँ हम इस सघष में संयुक्त राष्ट्रसघ की भूमिका का ही वर्णन करेंगे।

१९५६ के अरब इजरायल सघर्ष में युद्ध विराम होने पर संयुक्त राष्ट्रसघ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना गान्जा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात की गयी थी ताकि मिस्र और इजरायल के बीच किसी सघर्ष के विस्फोट को रोका जा सके। १९६७ के प्रारम्भ से ही इजरायल और अरब राज्यों का सम्बन्ध तनावपूर्ण हो रहा था। मई के शुरू में उनके बीच बढ़ती हुई तनावनी अत्यन्त विस्फोटक हो गयी। इस हालत में राष्ट्रपति नासिर ने सघ के महासचिव यू थान्त के समक्ष यह माँग रखी कि वे गान्जा और मिस्र के अन्य क्षेत्रों से सघीय सेना हटा ले। मिस्र को इस तरह के माँग करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सम्भावित खतरे को ध्यान में रखकर महासचिव को क्या रुख अपनाना चाहिए था और सघीय सेना को वापस बुलाना चाहिए था। यू थान्त ने इस तरह का काम नहीं किया। वे मिस्र की हताशता का ख्याल रखते हुए सघीय सेना वापस बुलाने पर राजी हो गये और हटाने का काम शुरू भी हो गया। संयुक्त राष्ट्रसघ की सेना के हट जाने के बाद इजरायल और संयुक्त अरब गणराज्य की सीमाओं पर स्थिति अत्यन्त खतरनाक हो गयी। अब दोनों को सघर्ष से कोई रोकनेवाला नहीं था। दोनों राष्ट्रों की सामने सामने हो गयीं। सीरिया और जोर्डान में भी युद्ध की तैयारी होने लगी। इधर सघर्ष को टालने के लिए महासचिव के प्रयास भी जारी रहे।

मिस्र, छाऊदी अरब तथा इजरायल से सटे अरबी देशों की खाड़ी है जो इजरायल के बहाजों को लाल सागर में पहुँचने के लिए रास्ता देती है। इजरायल इस खाड़ी को अपनी जीवन-रेखा मानता है। २३ मई, १९६७ को राष्ट्रपति नासिर ने इजरायल

जहाजों को अकाबा की खाड़ी में प्रवेश करने की मनाही कर दी। इस घोषणा ने स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बना दिया। इजरायल ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि भीषणतम युद्ध का खतरा भेलेकर भी वह अकाबा की खाड़ी को अपने लिए खुला रखेगा।

ऐसी हालत में अब यह प्रायः निश्चित हो गया कि पश्चिम एशिया में एक भयंकर विस्फोट होकर रहेगा। स्थिति की गम्भीरता को देखकर महासचिव यू थान्त बीच बचाव के लिए काहिरा पहुँचे और मध्यस्थता करके सवट को टालने का यत्न किया। लेकिन काहिरा में उन्हें ऐसा कोई उत्साहपूर्वक लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। जिससे शान्ति के प्रयत्नों को और मजबूत किया जा सके। अतः निराश होकर यू थान्त न्यूयार्क लौट आये।

सुरक्षा परिषद की बैठक— २४ मई, १९६७ को पश्चिम एशिया की इस विस्फोटक स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में सयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ ने एक दूसरे को स्थिति को विस्फोटक बनाने के लिए जिम्मेवार ठहराया। सोवियत प्रतिनिधि ने स्थिति को बिगाड़ने की सारी जिम्मेवारी इजरायल पर मढ़ा और ब्रिटेन तथा अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल को आक्रामक कार्यों में बढ़ावा दे रहे हैं। जवाब में अमेरिका ने तनाव के लिए सोवियत कूटनीति को जिम्मेवार बतलाया। इस गतिराश की स्थिति में परिषद की बैठक स्थगित हो गयी। बाद में भी परिषद की कई बैठकें हुईं लेकिन उनसे कोई नतीजा नहीं निकला।

५ जून, १९६७ को अरब देशों और इजरायल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गयी। युद्ध के छिड़ते ही न्यूयार्क में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गयी। भारतीय प्रतिनिधि ने परिषद में मांग की कि वह अरब-इजरायल युद्ध बन्द करने और दोनों पक्षों को अपनी सेना ४ जून की स्थिति में लाने की मांग करे। उधर युद्ध में इजरायल की विजय हासिल हो रही थी। उसने सीरिया, जोर्डान तथा सयुक्त अरब गणराज्य के बहुत बड़े भू-भाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। परिषद की इस बैठक में अमरीकी प्रतिनिधि ने भी एक प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में तनाव नहीं बढ़ने देना चाहिए और कूटनीतिक उपायों के जरिये किसी समाधान तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। यह अमरीकी प्रस्ताव सोवियत संघ को मान्य नहीं था। यदि अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त मत प्राप्त कर लेता तो सोवियत संघ वीटो का प्रयोग अवश्य करता। अतः प्रस्ताव पर मत-गणना का कार्य टाल दिया गया। बैठक में इजरायली प्रतिनिधि ने बड़ा बड़ा रुख अपनाया। उसने कहा कि अकाबा की खाड़ी पर अपने अधिकार के सम्बन्ध में इजरायल दृढ़ है और उसमें जहाजों के अबाध रूप में बेरोकटोक यात्रा करने की स्थिति

के अलावा कोई भी दूसरी स्थिति उसकी मान्य नहीं है। सीरियाई प्रतिनिधि ने युद्ध का सारा दोष इजरायल पर मढ़ा। सीरियाई प्रतिनिधि फेदोरेंको ने साम्राज्यवादी शक्तियों को पश्चिमी एशियाई सक्तों के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए अरब राष्ट्रों को हर तरह की महायत्ना देने का आश्वासन दिया। अन्त में, ६ जून को परिषद् ने युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया। इजरायली प्रतिनिधि ने घोषणा की कि उसकी सरकार युद्ध बन्द कर देने का तैयार है, लेकिन अरब देशों की ओर से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया।

उधर युद्ध में जोडान की हालत बहुत खराब होती जा रही थी अतएव उनमें युद्ध बन्द कर देने की माग रजोकार कर ली। ७ जून को परिषद् ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में यह माग की गयी थी कि युद्धरत सभी देश रात आठ बजे से (धीनबीच समय) युद्ध बन्द कर दे। सुरक्षा का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में मित्त का भी पूरा पलायन हो गया था। अतएव उसके समक्ष युद्ध बन्द करने कसिवा कोई चारा नहीं रहा। ८ जून को इजरायल और मित्त के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया ने भी अपने ओर से युद्ध बन्द कर देने की घोषणा कर दी।

युद्ध में सलग्न सभी राष्ट्रों द्वारा इस घोषणा के बावजूद कि वे युद्ध विराम की माग को कायान्वित करेगे। ९ जून को स्वेज नहर के किनारे और इजरायल सीरिया सीमावर्ती पहाड़ियों पर युद्ध जारी रहा। इजरायल ने सीरिया पर अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखी। वह सीरिया के क्षेत्र में स्थित कुछ सामरिक महत्त्व के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। इस हालत में पश्चिम एशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए ९-१० जून को पुनः सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई। भारत और सीरिया संध के प्रतिनिधि ने माग की कि इजरायल को आक्रामक घोषित किया जाय। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। महासचिव को यह कहा गया कि वे वस्तुस्थिति का पता लगाये। महासचिव ने जो रिपोर्ट दी उसमें स्पष्ट था कि इजरायली सेना आक्रामक कार्रवाई में सलग्न है और युद्ध चल रहा है। अतएव सुरक्षा परिषद् ने एक और प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि सीरिया और इजरायल दो घंटों में युद्ध बन्द कर दे। इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह जिन स्थलों पर कब्जा करना चाहता था, उस पर कब्जा कर चुका था। सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अतएव दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम की कार्रवाई कर ली और १० जून को दोनों पक्षों में पूर्णतया लड़ाई बन्द हो गयी। इस युद्ध विराम के बाद भी स्वेज क्षेत्र में झड़पे होती रही। जिनसे युद्ध पुनः शुरू होने का खतरा उपस्थित हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का पक्षीय रूप से पालन करने की अपील की। १० जुलाई को स्वेज के किनारे संयुक्त राष्ट्र संधीय प्रेक्षक रखने पर संयुक्त अरब गणराज्य सहमत हो गया। १६ जनवरी को

स्वेज नहर क्षेत्र में संघ के पर्यवेक्षकों की देख रेख में युद्ध-विराम पुन लागू हो गया ।

युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना के लिए कई प्रयास किये हैं जो सफलता और असफलताओं एवं आशा और आकांक्षाओं के बीच झूलते रहे हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ की निगरानी के बावजूद अरब राज्यों और इजरायल में प्रायः सैनिक झड़पें हो जाती हैं । इस तरह की बातें तब तक होती रहेंगी जब तक अरब इजरायल कटुता का कोई राजनीतिक समाधान नहीं ढूँढ लिया जाय । संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों के फलस्वरूप अरबों तथा इजरायलियों के बीच तत्काल के लिए युद्ध बन्द हो गया लेकिन स्थायी शान्ति अभी कासों दूर है । इन क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को सतत प्रयत्नशील रहना है ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर-राजनीतिक कार्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य उत्सर्गाधिकार सार में अमन कायम रखना है । राष्ट्रीयों के बीच उत्पन्न राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों का जानिपूर्ण तरीकों से सुनमाना इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है । लेकिन इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी हैं जिनका उद्देश्य मानव के भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहयोग देना है । संघ के चार्टर में मानवीय सांस्कृतिक एवं आर्थिक कार्यों को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । इन कार्यों को संघ कई विशिष्ट एजेंसियों (Specialised Agencies) एवं आयोगों की सहायता से करता है । इस तरह की कई एजेंसियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बद्ध हैं । कार्यों की दृष्टि से इन्हें चार भागों में बाँटा जा सकता है—(१) आर्थिक, (२) संचार साधन, (३) संस्कृति सम्बन्धी तथा (४) स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी । इनके अतिरिक्त कुछ विशेष आयोग भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत कार्य करते हैं । इन सबका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है—

आर्थिक कार्य और संगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक कार्यों को करने के लिए चार मुख्य संस्थाओं का निर्माण किया गया । ये हैं (क) अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन (I L O), (ख) खाद्य कृषि संगठन (Food and Agricultural Organisation, F A O), (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund, I M F), तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निकाय (International Finance Corporation) ।

अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन एक पुराना अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है । इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और यह राष्ट्रसंघ (League of

Nations } के साथ सम्बद्ध था। राष्ट्रसंघ के अन्त के बाद इस संगठन को फिर से जीवित किया गया और इसको संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। इसके संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। यह वैसा ही रहा जैसा पहले था। लेकिन १९४४ में फिलाडेल्फिया में भ्रम संगठन की एक बैठक हुई और उसमें भ्रम संगठन की ओर से एक घोषणा निकाली गयी। इस घोषणा ने अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त बतलाये—

(१) भ्रम वस्तु नहीं है। (२) दरिद्रता की समृद्धि के लिए खतरनाक है। (३) मनुष्य की उन्नति के लिए संगठन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता परम आवश्यक है। (४) प्रत्येक देश को अभाव और दरिद्रता के विरुद्ध पूरे जोश के साथ युद्ध करना चाहिए। इन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन ने मजदूरों के कल्याण की आवश्यक माना और इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया—

(१) जीवन निवाह और पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक और पूरी मजदूरी मिले।

(२) मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यों का विस्तार हो।

(३) मजदूरों के लिए पर्याप्त भोजन एवं निवास गृहों की व्यवस्था हो।

(४) मजदूरों को सामूहिक रूप से सौदा करने (collective bargain) का अधिकार प्रदान किया जाय।

(५) उन्हें अवसरों की पूरी समानता मिले।

(६) उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो।

इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए १९४६ में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बद्ध कर लिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन का मुख्य लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मजदूरों की दशा को उन्नत करना, उनके जीवन मान को ऊँचा उठाना तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बढावा देना है। इसके लिए संगठन विविध प्रकार के धर्मिक समझौतों (Conventions) तथा सिफारिशों (Recommendations) को तैयार करता है। इनका उद्देश्य भ्रम सम्बन्धी दशाओं का अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों का निर्माण करना है। इसके सदस्य राज्य इन समझौतों और सिफारिशों को मानकर उनके अनुरूप कानून बनाते हैं तथा धर्मिकों की दशा में सुधार करते हैं। १९६५ तक ऐसे एक सौ नब्बे समझौतों का अनुमोदन विभिन्न सरकार कर चुकी है। संगठन की कई सिफारिशों को भी सदस्य राज्यों ने मान लिया है।

खाद्य और कृषि संगठन

खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तगत १९५५ में स्थापित हो चुका था। यह संस्था जटिलाटिड मानव

में प्रकट की गयी। ऐसी शान्ति की स्थापना की आशा से कायम की गयी थी जिससे दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास हो सके कि वह अपना जीवन किसी तरह की कमी महसूस किये बिना व्यतीत कर सकता है। इसकी स्थापना १६ अक्टूबर, १९४५ को हुई जब ब्यूवेक में इसके सविधान पर हस्ताक्षर किये गये।

संगठन— खाद्य और कृषि संगठन के मुख्य अंग एक सम्मेलन, एक परिषद् तथा डाइरेक्टर जनरल और उसका स्टॉफ है। सम्मेलन में हर सदस्य देश का एक-एक प्रतिनिधि होता है। यह सम्मेलन संगठन की नीति का निर्धारण करता है तथा बजट स्वीकार करता है। परिषद् में सम्मेलन द्वारा चुने गये चौबीस सदस्य होते हैं। परिषद् सम्मेलन के अधिवेशन समाप्त होते और शुरू होने की अवधि में काम करती है। इसका प्रधान कार्यालय रोम में स्थित है। इस कार्यालय का प्रधान डाइरेक्टर जनरल होता है।

उद्देश्य— खाद्य और कृषि संगठन का मुख्य उद्देश्य पौष्टिक सुराक की व्यवस्था, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, ऐसी व्यवस्था करना कि फार्मा, जंगलों और मछली उद्योग वाले क्षेत्र में सभी तरह की खाने पीने की चीजों और अनाज आदि का उत्पादन बढ़े और उनका समुचित बटवारा हो। इसके लिए कई तरह की कोशिश करती है, ग्रामीणों की हालत सुधार करने का सुझाव देती है और इन उपायों से दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर बचत करने में मदद देती है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह संस्था दुनिया के भूमि और पानी के मूल साधनों के विकास में योग देती है, और माल की खपत के लिए एक स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मंडी बनाने को बढावा देती है, और अन्य कामों में अलावा यह दुनिया भर में नये किस्म के पौधों की बदला बदली को भी बढावा देती है। मसाले के देशों में कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार करती है। मधेशियों के बीमारियों को रोक्थाम के लिए यह कार्यक्रम बनाती है और इसके लिए त्रिविध देशों को तकनीकी सहायता देती है। पौष्टिक खुराक और खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करना, भूमि क बटवारे को रोकना, जंगल लगाना, सिंचाई के लिए सुझाव देना जमा की हुई खाद्यान्नों को नष्ट होने से बचाना और रसायनिक खाद तैयार करने में राष्ट्रों की सहायता करना इसके अन्य कार्य हैं।

खाद्य और कृषि संगठन का एक काम अविकसित देशों की विकास योजना में सहायता देने के लिए विशेषज्ञों की योजना भी है। यह खाद्य और कृषि के प्रत्येक समस्या पर विभिन्न देशों को तकनीकी सहायता और परामर्श देता है तथा प्रतिवर्ष विश्व खाद्यान्नों का सर्वेक्षण करता है। भारत के कई प्रदेशों में इसने बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में बड़ी सहायता की है। संसार के अन्य कई देश भी इस संगठन

से लाभ उठा चुके हैं। इसने कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। राष्ट्रसंघ में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) को स्थापना २७ सितम्बर, १९४५ को हुई थी, जबकि ब्रिटेन उद्घाटन समझौता के अनुसार इसके कोष का अस्सी प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था। ३६ दिसम्बर, १९६१ तक स्वर्ण एवं विभिन्न देशों की मुद्राओं में इसकी प्राप्त पूँजी पन्द्रह अरब, चार कोटि चौतिस लाख डालर था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के अभाव पर सुदृढ़ एवं विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना, न्यून अर्थाथ के विनिमय की सुविधा देना, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय को सुदृढ़ करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व प्रणालियों की स्थापना आदि इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैदेशिक मुद्रा या सोना की बिक्री सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श भी देता है। यह लागत के मामले में मुद्रा स्फीति को रोकता है तथा व्यापार पर होनेवाले नियंत्रण में कमी लाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह वैदेशिक विनिमय के साधन सभी सदस्यों के लिए सुलभ करता है। अर्थपूर्ण पर यह किसी भी सदस्य राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एवं मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है। इसके सत्रह कार्यकारी सचालकों में पाँच ऐसे सदस्य होते हैं, जो सबसे अधिक राशि प्रदान करने वाले सदस्यों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष बारह सदस्य राष्ट्रों के गवर्नरों द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें एक प्रबन्ध सचालक और एक उप प्रबन्ध सचालक होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक (I B R D)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की योजना का अग्रपाठ भी ब्रिटेन उद्घाटन सम्मेलन में ही हुआ था, किन्तु इसने अपना कार्य जून १९४६ में प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य उत्पादन सम्बन्धी कामों के लिए पूँजी लगाने की सुविधा देकर सदस्य देशों के प्रदेशों के विकास और पुनर्निर्माण में सहायता देना, गैर सरकारी विदेशी पूँजी लगाने को बढ़ावा देना, और अगर गैर सरकारी पूँजी आगाने में बाधा न हो तो गैर सरकारी पूँजी को कमी को अपने कोष और करने के साधनों में से उत्पादन कार्यों के लिए धन के रूप में देकर पूरा करना, अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार के सतुलित विकास को बढ़ावा देना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सदस्यों के उत्पादन साधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजी लगाने को बढ़ावा रखना देकर अदायगी की स्थिति में सतुलन बनाए, उद्योग के पुर्निर्माण तथा आर्थिक विकास की सुविधाओं के लिए कर्ज देना या कर्ज की गारण्टी देना है। ऐसा करके यह उत्पादन कार्यों के लिए राष्ट्रों के बीच पूँजी के हेर फेर का बढ़ावा देता है। ये कर्ज सदस्य देशों, उनकी राजनीतिक उपशाखाओं और उनके प्रदेशों में गैर-सरकारी उद्योगों का दिए जा सकते हैं। बैंक की सहायता सिर्फ वज्र देने या कर्ज की गारण्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह देशों की प्राथना पर अलग अलग कामों के लिए प्रतिनिधि मंडल भी भेजा करता है।

संगठन—गवर्नरों का एक बोर्ड, जिसमें हर सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर और एक बैकल्पिक गवर्नर होता है। बोर्ड को बैंक के पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रबन्ध डायरेक्टर, जिनमें से पाँच की नियुक्ति वे देश करते हैं जिनके सबसे अधिक शेयर हात हैं और दूसरों का चुनाव बाकी सदस्यों के गवर्नर करते हैं। गवर्नरों के बोर्ड ने प्रबंध डायरेक्टरों को, समझौते की धाराओं द्वारा गवर्नरों के लिए सुरक्षित अधिकारों के अलावा, सभी अधिकारों के प्रयोग की अनुमति दे रखी है। इसके अलावा प्रबंध डायरेक्टरों द्वारा चुना गया एक प्रधान और अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है। प्रधान अपने पद की हैसियत से प्रबंध डायरेक्टरों का 'एकम आफिशियो' चेयरमैन और बैंक के स्टाफ का अध्यक्ष है।

प्रधान नीति सम्बन्धी सवालों के बारे में प्रबंध-डायरेक्टरों का निर्णय मुख्य है। उस पर बैंक के काम-काज और बैंक के व्यक्तियों तथा स्टाफ के संगठन, उनकी नियुक्तियों और उनकी बढास्तगी आदि करने की जिम्मेदारी होती है। बैंक के व्यक्तियों में उप प्रधान विभिन्न विभागों के सुबिधा भी शामिल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I T C)

इसकी स्थापना जुलाई, १९५६ में की गयी। २० फरवरी, १९५७ से यह सयुक्त राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अमिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है, तथापि इसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है। इसका कोष अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कोष से बिलकुल पृथक् है।

इसका उद्देश्य सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में उत्पादक निजी उद्यमों की बढ़ती को प्रोत्साहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। यह निजी उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। उन कर्जों की अदायगी के लिए सयुक्त राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह की गारण्टी नहीं ली जाती। अधिकतर ऐसे सदस्य-राष्ट्रों को कर्ज दिये जाते

हैं, जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। यह एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-लागत को घट्टि करने में यह नियम सहायक होता है। साठ विभिन्न देशों द्वारा इसकी प्राथित पुत्री (सन्तकाइन्ड कैपिटल) नौ करोड़ साठ लाख डालर है। ३१ जगवरी १९६२ तक इसने अठारह देशों को पौने छ करोड़ डालर दिये हैं। इसके कार्य संचालन के नि'नत्त एक संचालक मडल है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सनी कार्य पालक निर्देशक, जो कम-से कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष पदेन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

संचार सम्बन्धी सगठन और कार्य

अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एविलेशन सगठन (I C A O)

१९५४ में शिकागो में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एविलेशन सम्मेलन में राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इकरारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रैल, १९५७ को हुई। अन्तर्राष्ट्रीय उडडयन-सम्बन्धी प्रतिमान एवं विनियमन निश्चित करना तथा उडडयन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह अन्तर्राष्ट्रीय उडडयन-विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तैयार करता है। इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से सम्बद्ध अनेक आर्थिक समस्याओं से है। इस सगठन के कार्य संपादन के लिए सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामान्य समिति होती है। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करती है, जिसमें इसका अनुमानित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये इक्कीस राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद् का गठन होता है। इसके गठन में वायु परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तर्राष्ट्रीय असाभिक उडडयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देश एवं भौगोलिक दृष्टि से वितरित क्षेत्र में फेले देशों का ध्यान रखा जाता है। यह परिषद् इस सगठन की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को उडडयन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है। परिषद् अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसका प्रधान कार्यालय मैण्ट्रियल (कनाडा) में है। उसके महामंत्री हैं रानाल्ड सेकडोलन।

विश्व-डाक-सघ (W P U)

इसकी स्थापना ९ अक्टूबर, १९७४ को बर्न में हुए डाक सम्मेलन के स्वीकृत इकरारनामे के आधार पर १ जुन १९७५ को की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—इस सघ में सम्मिलित हुए सभी देशों में डाक संपादी सुविधाओं का विकास करना, डाक-सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण करना,

एक देश को डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना आदि। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य यह मान लेता है कि 'सबके अपने देश की डाक को भेजने के लिए जो सर्वोत्तम साधन है, उन्ही साधनों द्वारा वह अन्य सदस्य राष्ट्रों की डाक को भेजने की व्यवस्था करेगा।' इसका कार्य संचालन विश्व-डाक महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यों की एक कार्याकारिणी समिति करती है। इसके वर्तमान निदेशक एडवर्ड वबर (स्विटजरलैंड) हैं। इसका प्रधान कार्यालय स्विटजरलैंड के बर्न नगर में है।

अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (I T U)

इसकी स्थापना सर्वप्रथम १८६५ में 'इन्टरनेशनल टेलिग्राफ यूनियन' के नाम से हुई। १९३२ में मैड्रिड में हुए रेडियो टेलिग्राफ सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इन्टरनेशनल टेलि कम्युनिकेशन यूनियन) पड़ा। १९४७ में इसका पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर १९५१ को वुनिस एरीज में हुए पूर्णधिकार-प्राप्त राजदूत सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार १ जनवरी, १९५४ से इसका शासन काय चल रहा है। तार टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा व्यवसायिक को कम से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमादि बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह हर प्रकार के दूर-संचार (टेलि-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सभी राष्ट्रों के दूर-संचार-विययक समान उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करता है।

इसके कार्य संचालन के लिए पूर्णधिकार-प्राप्त राजदूतों का एक संघ है, जिसकी बैठक हर पाँचवें वर्ष हुआ करती है। अठारह सदस्यों की इसकी प्रशासकीय परिषद् है। इसकी बैठक वर्ष में साधारणतया एक बार होती है, लेकिन छह सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठकें भी हो सकती हैं। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में है।

विश्व ऋतु-विज्ञान संघ (W M O)

विश्व ऋतु विज्ञान संस्था की संघि सितम्बर, १९४७ में वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान संस्था के डायरेक्टरों के बारहवें सम्मेलन में स्वीकार की गई थी। २३ मार्च १९५० को इसका उद्घाटन हुआ, जब कि तीस स्वीकृति पत्र जमा कर दिये गए।

संघ—विश्व ऋतु विज्ञान कांग्रेस, जिसमें सभी सदस्यों की ओर से उनकी ऋतु विज्ञान सम्बन्धी व्यवस्थाओं के अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी

हर चार वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक होती है। यह श्रुत विज्ञान सम्मेली प्रयासों और कार्यविधियों के बारे में टेकनिकल नियम स्वीकार करती है और आम नीति निर्धारित करती है।

उसकी प्रबन्ध समिती कांग्रेस के प्रस्तावों के पालन की देख रक्ष करती है, अध्ययन की प्रेरणा देती है और उन मामलों के बारे में सिफारिशें करती है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना आवश्यक हो। यह सदस्यों को टेकनिकल जानकारी, सलाह और सहायता देती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आवश्यक होती है। इसके सदस्य विश्व श्रुत-विज्ञान सम्मेली के प्रधान और उप प्रधान, सस्था की श्रुत-विज्ञान सम्बन्धी छ पादेशिक सगठनों के स निर्वाचित सदस्य होते हैं।

छ पादेशिक श्रुत विज्ञान-सगठन (अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमरीका, उत्तर और मध्यम अमरीका, यूरोप और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त) टेकनिकल कमिशन तथा सचिवालय इस सस्था के अन्य अंग हैं।

उद्देश्य - इस सगठन के उद्देश्य श्रुत-विज्ञान सम्बन्धी पढताल के केन्द्र या श्रुत विज्ञान के बारे में भूगर्भ सम्बन्धी पढताल के लिए केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सल बनाना, श्रुत विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्र की स्थापना करना और उन्हें ठोक-ठीक तरह से सचालित करना है। मौलम सम्बन्धी जानकारियों के शीघ्रतम आदान प्रदान के लिए व्यवस्था करना श्रुत विज्ञान सम्बन्धी पढताल के मापदण्ड निश्चित करने को प्रोत्साहित करना और पढताल और ऑकड़ों के बारे में एक-सी जानकारी का प्रकाशन करना, तथा विमान सचालन, जहाजरानी, कृषि और दूसरे मानवीय उद्योगों में श्रुत विज्ञान से लाभ उठाने को बढावा देना भी इसके कार्य हैं। श्रुत विज्ञान के बारे में खोज और ट्रेनिंग का बढावा देना और इस प्रकार की खोज और ट्रेनिंग के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं में सम्पर्क बनाये रखने में यह मदद देता है।

इस सगठन सम्बन्धी समझौते को इक्कीस राज्यों ने मजूर किया और इसलिए वे ही इसके मूल सदस्य हैं।

अन्तर-सरकारी नागरिक सलाहकार-सस्था

सगठन--इस सस्था के समस्त सदस्यों की एक असेम्बली है जिनका अधिवेशन हर दूसरे साल होता है। वही सस्था की नीति निर्धारित करती है।

असेम्बली के अधिवेशनों के बीच एक काँसिल सगठन के समस्त अंग चलाती है। वह जहाजरानी सुरक्षा के नियमों को स्वीकार करने के लिए ह.स।

से सिफारिशें करने के अतिरिक्त अन्य काम भी करती है। कौंसिल में सीलह सदस्य होते हैं। जिनमें आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाएँ उपलब्ध करने में अभिरूचि हो तथा आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जल मर्ग व्यापार में अभिरूचि हो।

इस सस्था की एक जहाजरानी सुरक्षा समिति है जो जहाजरानी सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के बारे में सदस्यों की सिफारिशें भेजती है। इस समिति में चौदह सदस्य होते हैं जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा उन सदस्य राष्ट्रों में से किया जाता है, जिनकी जहाजरानी सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अभिरूचि हो।

उद्देश्य—इस सस्था का उद्देश्य सागर में सुरक्षा और दूसरे टेकनिकल मामलों के लिए सरकारी नियम और व्यवहार में सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था करना, सरकारों के अानवश्यक प्रतिबन्धों और भेदभाव को दूर करने में मदद देना, जहाज कम्पनियों के अनुचित प्रतिबन्धों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करना, जहाज रानी के बारे में ऐसे किसी भी मामलों पर विचार करना जिसे सयुक्त राष्ट्र का कोई अंग या विशेष एजेंसी पेश करे, और सस्था के विचारधीन मामलों के बारे में सरकारों के बीच सूचना देने की व्यवस्था करना है।

यह सस्था इन कामों की व्यवस्था भी करती है—सम्मौतों और सन्धियों का मसविदा तैयार करना और उनके लिए सरकारों और विभिन्न सरकारी सस्थाओं से सिफारिश करना, और जरूरत पडने पर सम्मेलन बुनाना। यह सलाह मशविग करती है और सलाह भी देती है।

इस सगठन क लिए पेंतिस राष्ट्री द्वारा सयुक्त राष्ट्र मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस में एक सम्मौता तैयार किया गया था, जो ६ मार्च, १९४८ को हस्ताक्षरों के लिए रखा गया। यह सम्मौता १७ मार्च, १९६८ को उस समय लागू हुआ जबकि इफ्रीस राज्यों ने स्वीकार कर लिया।

सयुक्तराष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था

(UNESCO)

सांस्कृतिक कार्यक्रम — सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO) की स्थापना ४ नवम्बर १९४६ को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की सस्था है जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के विकास से है। यह मित्रराष्ट्रों के शिक्षा मन्त्रियों के युद्ध कालीन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ। नवम्बर १९४५ में इसके सन्धिधान का निर्माण आरम्भ हुआ। आरम्भ में इसके बचल बीस

हर चार वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक होती है। यह ऋतु विज्ञान सम्बन्धी प्रथाओं और कायविधियों के बारे में टेकनिकल नियम स्वीकार करती है और आम नीति निर्धारित करती है।

उसकी प्रबन्ध कमेटी कांग्रेस के प्रस्तावों के पालन की देख रेख करती है, अध्यायन की प्रेरणा देती है और उन मामलों के बारे में सिफारिशें करती है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना आवश्यक हो। यह सदस्यों को टेकनिकल जानकारों, सलाह और सहायता देती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आवश्यक होती है। इसके सदस्य विश्व ऋतु विज्ञान संस्था के प्रधान और उप प्रधान, संस्था की ऋतु विज्ञान सम्बन्धी छः प्रादेशिक सगठनों के छः निर्वाचित सदस्य होते हैं।

छः प्रादेशिक ऋतु विज्ञान-सगठन (अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमरीका, उत्तर और मध्यम अमरीका, यूरोप और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त) टेकनिकल कमिशन तथा सचिवालय इस संस्था के अन्य अंग हैं।

उद्देश्य - इस सगठन के उद्देश्य ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी पढ़ताल के केन्द्र या ऋतु विज्ञान के बारे में भूगर्भ सम्बन्धी पढ़ताल के लिए केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सरल बनाना, ऋतु विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्र को स्थापना करना और उन्हें ठीक ठीक तरह से संचालित करना है। मौसम सम्बन्धी जानकारियों के शीघ्रतम आदान प्रदान के लिए व्यवस्था करना ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी पढ़ताल के मापदण्ड निश्चित करने को प्रोत्साहित करना और पढ़ताल और अर्कडों के बारे में एक-सी जानकारी का प्रकाशन करना, तथा विमान संचालन, जहाजरानी, कृषि और दूररे मानवीय उद्योगों में ऋतु विज्ञान से लाभ उठाने को बढ़ावा देना भी इसके कार्य हैं। ऋतु विज्ञान के बारे में खोज और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और इस प्रकार की खोज और ट्रेनिंग के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं में सम्पर्क बनाये रखने में यह मदद देता है।

इस सगठन सम्बन्धी समझौते को इक्कीस राज्यों ने मंजूर किया और इसलिए वे ही इसके मूल सदस्य हैं।

अन्तर-सरकारी नागरिक सलाहकार-संस्था

सगठन—इस संस्था के समस्त सदस्यों की एक असेम्बली है जिसका अधिवेशन हर दूसरे साल होता है। वही संस्था की नीति निर्धारित करती है।

असेम्बली के अधिवेशनों के बीच एक कौंसिल सगठन के समस्त कार्य चलाती है। यह जहाजरानी सुरक्षा के नियमों को स्वीकार करने के लिए सदस्यों

से सिफारिशें करने के अतिरिक्त अन्य काम भी करती है। कौंसिल में सोलह सदस्य होते हैं। जिनमें आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाएँ उपलब्ध करने में अभिरूचि हो तथा आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जल मर्ग व्यापार में अभिरूचि हो।

इस सस्था की एक जहाजरानी सुरक्षा समिति है जो जहाजरानी सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के बारे में सदस्यों को सिफारिशें भेजती है। इस समिति में चौदह सदस्य होते हैं जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा उन सदस्य राष्ट्रों में से किया जाता है, जिनकी जहाजरानी सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अभिरूचि हो।

उद्देश्य—इस सस्था का उद्देश्य सागर में सुरक्षा और दूसरे टेकनिकल मामलों के लिए सरकारी नियम और व्यवहार में सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था करना, सरकारों के अनावश्यक प्रतिबन्धों और भेदभाव को दूर करने में मदद देना, जहाज कम्पनियों के अनुचित प्रतिबन्धों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करना, जहाज रानी के बारे में ऐसे किसी भी मामलों पर विचार करना जिसे सयुक्त राष्ट्र का कोई अंग या विशेष एजेंसी पेश करे, और सस्था के विचारधीन मामलों के बारे में सरकारों के बीच सूचना देने की व्यवस्था करना है।

यह सस्था इन कामों की व्यवस्था भी करती है—समझौतों और सन्धियों का मसविदा तैयार करना और उनके लिए सरकारों और विभिन्न सरकारी सस्थाओं से सिफारिश करना, और जरूरत पड़ने पर सम्मेलन बुलाना। यह सलाह-मशविर्ग करती है और सलाह भी देती है।

इस सगठन के लिए पेंतिस राष्ट्रों द्वारा सयुक्त राष्ट्र मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस में एक समझौता तैयार किया गया था, जो ६ मार्च, १९४८ को हस्ताक्षरों के लिए रखा गया। यह समझौता १७ मार्च, १९६८ को उस समय लागू हुआ जबकि इक्कीस राज्यों ने स्वीकार कर लिया।

सयुक्तराष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था

(UNESCO)

सांस्कृतिक कार्यक्रम — सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO) की स्थापना ४ नवम्बर १९४६ को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की सस्था है जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के विकास से है। यह मित्रराष्ट्रों के शिक्षा मन्त्रियों के युद्ध कालीन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ। नवम्बर १९४५ में इसके सत्रिधान का निर्माण आरम्भ हुआ। आरम्भ में इसके बबल घीस

हर चार वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक होती है। यह मृत-विज्ञान सम्बन्धी प्रथाओं और कार्यविधियों के बारे में टेकनिकल नियम स्वीकार करती है और आम नीति निर्धारित करती है।

उसकी प्रबन्ध कमेटी कांग्रेस के प्रस्तावों के पालन की देख रेख करती है, अध्ययन की प्रेरणा देती है और उन मामलों के बारे में सिकारिशें करती है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना आवश्यक हो। यह सदस्यों को टेकनिकल जानकारों, सलाह और सहायता देता है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आवश्यक होती है। इसके सदस्य विश्व मृत विज्ञान सस्था के प्रधान और उप प्रधान, सस्था की मृत-विज्ञान सम्बन्धी छः प्रादेशिक सगठनों के छः निर्वाचित सदस्य होते हैं।

छः प्रादेशिक मृत विज्ञान-सगठन (अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमरीका, उत्तर और मध्यम अमरीका, यूरोप और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त) टेकनिकल कमीशन तथा सचिवालय इस सस्था के अन्य अंग हैं।

उद्देश्य - इस सगठन के उद्देश्य मृत-विज्ञान सम्बन्धी पढताल के केन्द्र या मृत विज्ञान के बारे में भ्रम सम्बन्धी पढताल के लिए केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सरल बनाना, मृत विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्र की स्थापना करना और उन्हें ठीक ठीक तरह से संचालित करना है। मौलिक सम्बन्धी जानकारियों के शीघ्रतम आदान प्रदान के लिए व्यवस्था करना मृत विज्ञान सम्बन्धी पढताल के मापदण्ड निश्चित करने को प्रोत्साहित करना और पढताल और आँकड़ों के बारे में एक-सी जानकारी का प्रकाशन करना, तथा विमान संचालन, जहाजरानी, कृषि और दूसरे मानवीय उद्योगों में मृत विज्ञान से लाभ उठाने को बढ़ावा देना भी इसके काय है। मृत विज्ञान के बारे में खोज और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और इस प्रकार की खोज और ट्रेनिंग के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं में सम्पर्क बनाये रखने में यह मदद देता है।

इस सगठन सम्बन्धी समझौते को इक्कीस राज्यों ने मञ्जूर किया और इसलिए वे ही इसके मूल सदस्य हैं।

अन्तर-सरकारी नागरिक सलाहकार-मस्था

सगठन—इस मस्था के समस्त सदस्यों को एक असेम्बली है जिसका अधिवेशन हर दूसरे साल होता है। वही मस्था की नीति निर्धारित करती है।

असेम्बली के अधिवेशनों के बीच एक कौंसिल सगठन के समस्त कार्य चलाती है। यह जहाजरानी सुरक्षा के नियमों को स्वीकार करने के लिए सदस्यों

से सिफारिशें करने के अतिरिक्त अन्य काम भी करती है। कौंसिल में सोलह सदस्य होते हैं। जिनमें आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाएँ उपलब्ध करने में अभिरूचि हो तथा आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जल मर्ग व्यापार में अभिरूचि हो।

इस सस्था की एक जहाजरानी सुरक्षा समिति है जो जहाजरानी सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के बारे में सदस्यों को सिफारिशें भेजती है। इस समिति में चौदह सदस्य होते हैं जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा उन सदस्य राष्ट्रों में से किया जाता है, जिनकी जहाजरानी सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अभिरूचि हो।

उद्देश्य—इस सस्था का उद्देश्य सागर में सुरक्षा और दूसरे टेकनिकल मामलों के लिए सरकारी नियम और व्यवहार में सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था करना, सरकारों के अनावश्यक प्रतिबन्धों और भेदभाव को दूर करने में मदद देना, जहाज कम्पनियों के अनुचित प्रतिबन्धों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करना, जहाज रानी के बारे में ऐसे किसी भी मामलों पर विचार करना जिसे सयुक्त राष्ट्र का कोई अंग या विशेष एजेंसी पेश करे, और सस्था के विचारधीन मामलों के बारे में सरकारों के बीच सूचना देने की व्यवस्था करना है।

यह सस्था इन कामों की व्यवस्था भी करती है—समझौतों और सन्धियों का मसविदा तैयार करना और उनके लिए सरकारों और विभिन्न सरकारी सस्थाओं से सिफारिश करना, और जरूरत पड़ने पर सम्मेलन बुलाना। यह सलाह-मशविरा करती है और सलाह भी देती है।

इस सगठन के लिए पैंतिस राष्ट्रों द्वारा सयुक्त राष्ट्र मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस में एक समझौता तैयार किया गया था, जो ६ मार्च, १९४८ को हस्ताक्षरों के लिए रखा गया। यह समझौता १७ मार्च, १९६८ को उस समय लागू हुआ जबकि इक्कीस राज्यों ने स्वीकार कर लिया।

सयुक्तराष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था

(UNESCO)

सांस्कृतिक कार्यक्रम — सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO) की स्थापना ८ नवम्बर १९४६ को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की सस्था है जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के विकास से है। यह मित्रराष्ट्रों के शिक्षा मन्त्रियों के युद्ध कालीन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ। नवम्बर १९४५ में इसके सन्निधान का निर्माण आरम्भ हुआ। आरम्भ में इसके बवल वीस

सदस्य थे लेकिन अब इसकी संख्या एक सौ बीस तक पहुँच गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह जो घोषणा की गयी है कि सत्कार के सब लोगों को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, इसके प्रति न्याय एवं विधिवत् शासन के प्रति विश्वासियों में आदर-की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके सविधान में इसका उद्देश्य शान्ति और सुरक्षा की वृद्धि बताया गया है और इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि "युद्ध मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है, इसलिए शान्ति को सुरक्षित रखने की आधार शिलाएँ भी मनुष्य के दिमाग में बनायी जानी चाहिए।" अतः यूनेस्को का उद्देश्य—मानव—के—दिमाग को इस तरह बदल देना है कि युद्ध की सम्भावना समाप्त हो जाय। इसका उद्देश्य न्याय, कानून के नियम, मानव अधिकारों और मूल बातों में स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान का भावना जगाने के लिए, जिनकी संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र में सभी राष्ट्रों के लोगों के लिए जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेद भाव के बिना गारन्टी दी गई है—शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति द्वारा राष्ट्रों के बीच मेल-जोल बढ़ाकर शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में योग देना है।

अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए उपलब्ध समस्त जन सम्बन्धी साधनों के द्वारा राष्ट्रों में आपसी ज्ञान और सह-भावना बढ़ाने के कार्य में योग देती है। संस्कृति और शिक्षा के प्रचार को नयी प्रेरणा देती है, और ज्ञान को जीवित रखती है, उसकी वृद्धि करती है और उसका प्रचार करती है तथा विज्ञान को शिक्षा और समझ रूप को प्रोत्साहित करती है।

संगठन — यूनेस्को के तीन अंग हैं—सामान्य सम्मेलन (General Conference), कार्यवाहक बोर्ड (Executive Board), तथा सचिवालय। सामान्य सम्मेलन में सदस्य राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि रहता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। यह संस्था की नीति एवं कार्यक्रम का निर्धारण करती है। कार्यवाहक बोर्ड में चौबीस सदस्य होते हैं जिनका चुनाव सामान्य सम्मेलन करता है। वर्ष में इसकी दो बैठकें होती हैं और यूनेस्को के कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। सचिवालय एक डायरेक्टर के मातहत में काम करता है इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है।

कार्य क्रम—यूनेस्को का कार्य क्रम मुख्य रूप से आठ भागों में विभक्त है। ये निम्नलिखित हैं—

(१) शिक्षा—यूनेस्को ने शिक्षा के सम्बन्ध में तीन लक्ष्यों का अपनाया है—शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उत्थिति तथा विश्व समुदायों में रहने की शिक्षा

इसमें मौलिक शिक्षा और साक्षरता के प्रचार पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए यूनेस्को विविध देशों में परामर्श देनेवाले विशेषज्ञों को भेजता है। सामूहिक शिक्षा पर यूनेस्को ने बड़ा बल दिया है। यूनेस्को का ध्येय अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी भी है। अतएव यह विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी अनेकानेक योजनाओं में सहायता देती है। इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य युद्ध उत्पन्न करनेवाले विचारों के विरुद्ध स सार के लोगों को शिक्षित करना है। युद्ध का एक कारण प्रजातीय भेदता का मिथ्याभिमान होता है। यूनेस्को इसका अन्त करने का उद्देश्य रखता है और इसलिए प्रजातिवाद के विरुद्ध इसने विभिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित किया है। साम्प्रदायिक संघर्ष और तनाव शान्ति भंग कर देते हैं, इन तनावों के मूल कारणों की खोज यूनेस्को की ओर से की गयी है।

प्राकृतिक विज्ञान—प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में इन्गे वैज्ञानिकों के सभा सम्मेलनों का आयोजन, वैज्ञानिक सगठनों की सहायता, अनुसन्धान प्रकाशन तथा वैज्ञानिक शिक्षा का कार्य किया है।

सामाजिक विज्ञान—सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसके प्रधान कार्य इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संघों का निर्माण और सहायता, विचार गोष्ठियों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय तनावों पर साहित्य का प्रकाशन करना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान बुलेटिन, (International Social Science Bulletin) का प्रकाशन करता है।

सांस्कृतिक कार्य—इसका सांस्कृतिक कार्य विभिन्न कलाओं और दर्शन से सम्बन्धित है, इनके विषय में अनुसन्धान, सभा-सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों का आयोजन तथा विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है।

विद्वानों का आदान प्रदान—विद्वानों के आदान प्रदान की व्यवस्था भी यूनेस्को करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है, विभिन्न समूहों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये जाते हैं।

सामूहिक शिक्षा—सामूहिक शिक्षा और प्रचार में इसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें अन्धों के शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। यूनेस्को ने सब देशों में शिक्षाप्रसार के विभिन्न साधनों—प्रेस, फिल्म, रेडियो द्वारा शिक्षा सामग्री के स्वतन्त्र प्रवाह सम्बन्धी अनेक प्रकार के कार्य हैं।

पुनर्वास—इसने संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा आदि में जनवल्याणकारी संस्थाओं द्वारा धन सप्लाई करके इससे विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास में बड़ी सहायता पहुँचायी है।

तकनीकी सहायता- सघ के अन्तर्गत विशेष सगठनों की भांति यह प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को उपयुक्त परामर्शों द्वारा लाभ पहुँचाता है।

स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी कार्य

अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी — इस अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी (International Atomic Agency) की स्थापना २९ जुलाई, १९५६ को हुई। संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रधान कार्यालय, न्यूयार्क में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अक्टूबर, १९५६ को उसकी नियमावली स्वीकार की गयी थी और वह तब लागू हुई जब कि कम से कम आठ हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने, जिनमें कनाडा, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी थे अपने स्वीकृति पत्र जमा कर दिए। एजेंसी का संयुक्त राष्ट्र सघ के साथ कार्य सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र की साधारण-सभा द्वारा नवम्बर, १९५६ तथा एजेंसी की जेनरल कांफ्रेंस के द्वारा अक्टूबर, १९५७ में स्वीकार किया गया।

सद्देश्य—संसार भर में शान्ति, व्यवस्था तथा सम्पन्नता में अणुशक्ति के योग का बढ़ावा देना तथा विस्तृत करना और यह मुनिश्चित करना कि उसके द्वारा की जाने वाली सहायता का नैतिक सद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जायगा।

सगठन — नियमावली में एक वार्षिक वार्षिक सम्मेलन, एक गवर्नर बोर्ड, एक कर्मचारी मण्डल जिसका मुखिया एक महानिदेशक होता है, की व्यवस्था है। साधारण सभा में एजेंसी के समस्त सदस्य होते हैं। इसके निषेधित वार्षिक अधिवेशन होते हैं तथा आवश्यकतानुसार विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। सभी अन्य बातों के अलावा गवर्नर बोर्ड के सदस्यों को निर्वाचित करती है, बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती है एजेंसी के बजट को स्वीकार करती है और संयुक्त राष्ट्र को पेश करने के लिए रिपोर्ट स्वीकार करती है। साधारण सभा नियमावली के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी विषय पर विचार कर सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (W H O)

विश्व-यापी पैमाने पर स्वास्थ्य की समस्या का समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत एक विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) की स्थापना की गयी है। सामाजिक और आर्थिक परिपक्वता के एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन करके इसका गन्विधान बनवाया और ७ अप्रैल १९४८ को इस संगठन की स्थापना कर दी गयी।

इस संगठन के तीन अंग हैं —(१) सब सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधियों की असेम्बली, (२) असेम्बली द्वारा चुने गये अट्टारह व्यक्तियों द्वारा नियत होने वाले चिकित्सा आदि का विशेष ज्ञान रखने वाले अट्टारह व्यक्तियों का कार्यवाहक (Executive) बोर्ड, (३) सचिवालय । अफ्रिका, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्यसागर और पश्चिमी प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों के लिए इसके प्रादेशिक संगठन हैं । इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य ससार को बीमारी से मुक्त करना है । इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन निम्न कामों को करता है—(१) अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन तथा समन्वय, (२) महामारियों तथा बीमारियों के उन्मूलन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, (३) स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसन्धान, (४) आकस्मिक चोटों को रोकने का यत्न करना, (५) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना, (६) बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय नामों के निदान सम्बन्धी कार्यों में एकरूपता स्थापित करना, (७) लोगों के वातावरणय स्वास्थ्य को तथा आहार, पापण, सफाई, निवासस्थान तथा काम करने की दशाओं को उन्नत करना (८) खाद्य पदार्थों, दवाइयों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय मापक निश्चित करना, (९) स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा इनके विशेष संगठनों तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना, तथा (१०) स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासनात्मक और सामाजिक प्राविधियों का अध्ययन करना ।

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन ने अपने क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं और इन कार्यों का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है —इसने यूनान में मलेरिया निरोध के लिए बड़े पैमाने पर सहायता की और वहाँ इस बीमारी के उन्मूलन में संगठन को पर्याप्त सफलता मिली । भारत में इसने क्षय रोग के निवारण के लिए बी० सी० जी० वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दी । इथियोपिया की सरकार के लिए चिकित्सा के शिक्षण की एक विस्तृत योजना बनायी तथा इटालीयन सरकार को बन्दरगाहों में स्वास्थ्य की परिस्थितियाँ उत्कृष्ट बनाने में सहायता दी । इसने विभिन्न देशों की आवश्यक दवाइयों तथा डाक्टरों का बहुमूल्य सामान उपलब्ध कराया तथा अल्पविकसित देशों की सरकारों द्वारा मुफ्ताने गये सरकारी अफसरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं । मलेरिया निरोध के लिए विभिन्न देशों को डी० डी० टी० तथा अन्य बीमारियों रोकने के लिए पेन्सिलोन यादि दवाइयाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्रदान की हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपातकालीन कोष

बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए संघ के अन्तर्गत साधारण-सभा ने ११ सितम्बर १९४६ को अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की

स्थापना की यह सस्था आर्थिक और सामाजिक परिपक्व-की देख रेख में काम करती है। १९५० ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने इसके कार्य क्षेत्र को बढाकर सार भर के विशेषकर अविक्तित देशों के बालकों की हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था की। १९५३ में यह कोष स्थायी बना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य सार सभी देशों में हो रहा है। इसके द्वारा मलेरिया, यक्ष्मा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रसूतिकाग्रहों एवं शिशु-कल्याण केंद्रों की स्थापना, धातुविद्या-प्रशिक्षण, शिशु आहार की व्यवस्था, दुग्ध संरक्षण और वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकम्प, बाढ आदि के समय यह विभाग प्रसूतिकाग्रों एवं शिशुओं की अपक्षित सहायता करता है।

इस सस्था की सहायता से भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों और स्कूलों में सौ से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, जहाँ परिचारिकाओं की धातुविद्या की शिक्षा दी जाती है। मातृमगल एवं शिशु-कल्याण के लिए यह सस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है। १९६२ में इस सस्था के कार्यों का बहुत विस्तार किया गया। इस समय एक सौ सोलह देशों एवं क्षेत्रों में इसकी ५०० परियोजनाएँ चल रही हैं।

विश्व-शरणार्थी-संगठन (U N H C R)

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण-सभा द्वारा १ जनवरी, १९५१ को हुई थी। प्रारम्भ में इसका कार्य काल १९५८ तक ही रखा गया था, किन्तु पुन इसकी अवधि वृद्धि १९६६ तक के लिए की गई। इस सस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण देना है। यह सस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करती है। शरणार्थियों के लिए काम घ घे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहाय्य आदि प्राप्त करने के अधिकार इस सस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने के लिए रिपोर्ट भी दी जाती है।

जो शरणार्थी बसाये नहीं जा सकें थे, उनकी संख्या १९६२ के आरम्भ में अस्सी हजार (१९६१) से घटकर अठ्ठावन हजार हो गई है। उसी प्रकार उक्त काल में कैम्प में रहनेवालों की संख्या पन्द्रह हजार से घटकर नौ हजार रह गई। इस सस्था के वर्तमान उच्चायुक्त फेलिक्स शनीडर (स्विटजरलैंड) हैं।

संघ के गैर-राजनीतिक कार्यों का मूल्यांकन

पुराने राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ का गैरराजनीतिक कार्यों में सराहनीय सफलता मिलती है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा

ऐसे ही अन्य कार्यों में सयुक्त राष्ट्रसंघ को विभिन्न सस्थाओं-संगठनों से सहायता के लागों को अत्यधिक लाभ पहुँचा है। इससे धर्म संगठन ने मजदूरों को दशा को उन्नत किया है तथा खाद्य एवं कृषि संगठन ने अन्न का उत्पादन बढ़ा कर अकालों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया है। विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने बीमारियों के प्रतिरोध में बड़ी सहायता पहुँचायी है और यूनेस्को ने मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के लिए बड़े ही प्रशंसनीय कार्य किये हैं। एक समालोचक ने ठोक हो कहा है कि 'निरस्त्रीकरण और राजनीतिक कार्यों का खरगोश तो अभी तक ले रहा, किन्तु संघ की विशेष सस्थाओं को प्राविधिक सहायता और सहयोग का बहुधा बहुत आगे बढ़ गया है।' वस्तुतः सयुक्त राष्ट्रसंघ के कल्याणकारी कार्य उसके राजनीतिक कार्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सफल रहे हैं।

सयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन

महान प्रयोग की असफलता—युद्धों का निवारण, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में इतने विशाल पैमाने पर पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था। चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की उन बुराइयों को दूर करने का यत्न किया गया जिनके कारण पुराना राष्ट्रसंघ असफल हो गया था और सयुक्त राष्ट्रसंघ का पहले की अपेक्षा एक उत्कृष्ट और शक्तिशाली संगठन बनाया गया था। इसका संगठन और कार्य-पद्धति का सिलसिला सत्रोसवीं शताब्दी के किसी भी व्यक्ति को महान् आश्चर्य में डाल दे सकता है। यदि उस युग का कोई आदमी जो उठे और सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में पहुँच जाय तो वह इस प्रयोग को देखकर दंग हो जा सकता है। इतने पवित्र और महान् प्रयोग के लिए वह द्वितीय विश्व युद्धकालीन राजनेताओं की धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने संघ की मशीन का निर्माण किया। लेकिन कुछ दिनों के अध्ययन के बाद उसको पता चल जायगा कि संघ की मशीन त्रुटियों से परिपूर्ण है और इसके एक भाग दूसरे से किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है। अपने २०-२१ वर्ष के जीवन में सयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य में प्रायः विफलता का सामना ही करना पड़ा है। इसकी विफलताएँ निम्नलिखित तथ्यों से प्रकट हो जाती हैं —

सयुक्त राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य राष्ट्रीय के बीच हथियारबन्दी की होक को रोकना था। लेकिन संघ अभी तक निरस्त्रीकरण के तथा अणुबमों के परीक्षणों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के बीच समझौता नहीं करा सका है।

२ दक्षिण अफ्रिका को श्वेत-सरकार ने सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर और उद्देश्यों का धार अतिक्रमण किया है। वह भारतीय तथा अश्वेत जातियों के साथ

स्थापना की यह सस्था आर्थिक और सामाजिक परिपक्व-की देख-रेख में काम करती है। १९५० ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर संसार भर के विशेषकर अ विकसित देशों के गालकों की हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था की। १९५२ में यह कोष स्थायी बना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य संसार के प्राय सभी देशों में हो रहा है। इसके द्वारा मलेरिया, यक्ष्मा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रसूतिकाग्रहों एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना, धातृविद्या-प्रशिक्षण, शिशु आहार की व्यवस्था, दुग्ध संरक्षण और वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकम्प, बाढ आदि के समय यह विभाग प्रसूतिकाग्रों एवं शिशुओं की अपेक्षित महायत्न करता है।

इस सस्था की महायत्न से भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों और स्कूलों में सौ से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, जहाँ परिचारिकाओं की धातृविद्या की शिक्षा दी जाती है। मातृमंगल एवं शिशु कल्याण के लिए यह सस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है। १९६२ में इस सस्था के कार्यों का बहुत विस्तार किया गया। इस समय एक सौ सोलह देशों एवं क्षेत्रों में इसकी ५०० परियोजनाएँ चल रही हैं।

विश्व-शरणार्थी-संगठन (U N H C R)

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण-सभा द्वारा १ जनवरी, १९५१ को हुई थी। प्रारम्भ में इसका कार्य काल १९५८ तक ही रखा गया था, किन्तु पुनः इसकी अवधि वृद्धि १९६६ तक के लिए की गई। इस सस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण देना है। यह सस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करती है। शरणार्थियों के लिए काम घरे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहाय्य आदि प्राप्त करने के अधिकार इस सस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने के लिए रिपोट भी दी जाती है।

जो शरणार्थी बसाये नहीं जा सकें, उनकी संख्या १९६२ के आरम्भ में अस्सी हजार (१९६१) से घटकर अठ्ठावन हजार हो गई है। उसी प्रकार एक काल में कैम्प में रहनेवालों की संख्या पन्द्रह हजार से घटकर नौ हजार रह गई। इस सस्था के वर्तमान संचायक फेलिक्स शनीडर (स्विटजरलैंड) है।

संघ के गैर-राजनीतिक कार्यों का मूल्यांकन

पुराने राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ का गैर राजनीतिक कार्यों में सराहनीय सफलता मिलती है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा

ऐसे ही अन्य कार्यों में सयुक्त राष्ट्रसंघ को विभिन्न सस्थाओं-संगठनों से सकारक लोगों को अत्यधिक लाभ पहुँचा है। इससे भ्रम संगठन ने मजदूरों की दशा को उन्नत किया है तथा खाद्य एवं कृषि संगठन ने अन्न का उत्पादन बढ़ा कर अकालों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया है। विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने वोमारियों के प्रतिरोध में बड़ी सहायता पहुँचायी है और यूनेस्को ने मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के लिए बड़े ही प्रशंसनीय कार्य किये हैं। एक समालोचक ने ठीक ही कहा है कि 'निरस्त्रीकरण और राजनीतिक कार्यों का खरगोश तो अमीर की ले रहा, किन्तु संघ की विशेष सस्थाओं को प्राविधिक सहायता और सहयोग का ढ़लुआ बहुत आगे बढ़ गया है।' यस्तुत सयुक्त राष्ट्रसंघ के कल्याणकारी कार्य उसके राजनीतिक कार्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सफल रहे हैं।

सयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन

महान प्रयोग की असफलता—युद्धों के निवारण, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में इतने विशाल पैमाने पर पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था। चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की उन बुराइयों को दूर करने का यत्न किया गया जिनके कारण पुराना राष्ट्रसंघ असफल हो गया था और सयुक्त राष्ट्रसंघ का पहले की अपेक्षा एक उत्कृष्ट और शक्तिशाली संगठन बनाया गया था। इसका संगठन और कार्य-पद्धति का सिलसिला सत्रहवीं शताब्दी के किसी भी व्यक्ति को महान् आश्चर्य में डाल दे सकता है। यदि उस युग का कोई आदमी जो उठे और सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में पहुँच जाय तो वह इस प्रयोग को देखकर दंग हो जा सकता है। इतने पवित्र और महान् प्रयोग के लिए वह द्वितीय विश्वयुद्धकालीन राजनेताओं को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने संघ की मशीन का निर्माण किया। लेकिन कुछ दिनों के अध्ययन के बाद उसको पता चल जायगा कि संघ की मशीन त्रुटियों से परिपूर्ण है और इसके एक भाग दूसरे से किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है। अपने २०-२१ वर्ष के जीवन में सयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य में प्रायः विफलता का सामना ही करना पड़ा है। इसकी विफलताएँ निम्नलिखित तथ्यों से प्रकट हो जाती हैं —

१. सयुक्त राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य राष्ट्रीय के बीच हथियारबन्दी की होड़ को रोकना था। लेकिन संघ अभी तक निरस्त्रीकरण के तथा अणुबमों के परीक्षणों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के बीच समझौता नहीं करा सका है।

२. दक्षिण अफ्रिका की श्वेत-सरकार ने सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर और धर्देश्यों का घोर अतिक्रमण किया है। वह भारतीय तथा अश्वेत जातियों के साथ

प्रजातीय दुर्व्यवहार बरक सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा सुदुघोषित मौलिक मानवीय अधिकारों का उन्मूलन करती रही है।—इसके अतिरिक्त अभी तक सयुक्त राष्ट्रसंघ इस सरकार से गण्टसंघ के सुरक्षित प्रदेश दक्षिण पश्चिमी अफ्रिका को वापस नहीं ले सका है।

३ सयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य संसार के एक ऐसे सत्याग का वातावरण कायम करना था जिसमें युद्ध की सम्भावनाएँ कम हों। लेकिन पूर्व और पश्चिम-के मतभेदा तथा महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध का मिटाने में यह पुणतया अमफल रहा है।

४ सदस्यता के सम्बन्ध में भी सयुक्त राष्ट्रसंघ अमफल रहा है। इसके अन्दर आपसी मतभेद इतना अधिक है कि अभी तक चीन, जर्मनी, कोरिया आदि देश इसका सदस्य नहीं बन पाये हैं। संघ में इन राज्यों का अभी तक न शामिल होना इनकी त्रुटियों का द्योतक है।

५ महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में सयुक्त राष्ट्रसंघ बहुत अमफल रहा है। इसके समक्ष कश्मीर का प्रश्न १९४७ से हो पड़ा हुआ है, लेकिन संघ इस समस्या को नहीं सुलझा पाया है जिसके कारण १९६५ में पाकिस्तान और भारत के बीच तीन सप्ताहों तक भयंकर युद्ध हुआ। संसार में सकट पैदा करने वाले अभी तीन स्थल हैं—जर्मनी कोरिया और वियतनाम और सयुक्त राष्ट्रसंघ में इन समस्याओं को सुलझाने का कोई यत्न नहीं हुआ है।

इतने विशाल अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग की महान् विफलता इतनी अल्प अवधि में क्यों और कैसे हो गयी? इसका एक ही उत्तर है—अमरीकी और सोवियत गुट का मतभेद। सयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल आधार महान् शक्तियों में सहयोग था। चाँटकर जन्मदाताओं ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार कर सयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म दिया था और इस सिद्धान्त के मूल में यह बात थी कि शान्तिप्रिय राज्य मिल जुलकर काम करेंगे और शान्ति भंग करने वाले के विरुद्ध संगठित होकर कारवाही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सयुक्त राष्ट्रसंघ अपने जन्म के तुरंत ही बाद पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। महाशक्तियों के परस्पर विरोधी स्वार्थ संघ के रगमच पर इतने जल्दी प्रकट हुए कि एक ही दशाब्दी में उसके भाग्य का फैसला हो गया। यदि ये राष्ट्र सहयोग की भावना से प्रेरित होकर काम करते तो उन्हें अवश्य सफलता मिलती। उदाहरण के लिए १९६५ में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति का समझालने में सयुक्त राष्ट्रसंघ इसलिए सफल रहा कि सुरक्षा-परिषद् के सभी सदस्यों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया। सितम्बर १९६५ में जो भी प्रस्ताव सुरक्षा-परिषद् में पारित हुए उन सबों पर महाशक्तियों के बीच संपूर्ण मतैक्य देखा गया। संघ के इतिहास में यह एक असाधारण

बात थी। इस घटना को हम सयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता का चरम सीमा मान सकते हैं और इसके मूल में महाशक्तियों का सहयोग था। लेकिन अभी तक तो संघ का इतिहास रहा है उसको देखकर सयुक्त राष्ट्रसंघ को विभक्त राष्ट्रसंघ (Disunited Nations) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस बात को मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न पर सयुक्त राष्ट्रसंघ अमल रहा है और युद्ध के कारणों का निवारण, जो उसका प्रधान उद्देश्य है, अभी तक नहीं कर सका है। विश्व में ऐसी अनेकानेक समस्याएँ बनी हुई हैं जिनको लेकर किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो जा सकता है।

संघ की उपलब्धियाँ (Achievements) — इस तथ्य के बावजूद हम यही नहीं कह सकते कि सयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से असफल रहा है। यह महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में विफल अवश्य रहा है, लेकिन इन विफलताओं को अतिरजित करना भी ठीक नहीं है। सयुक्त राष्ट्रसंघ को कुछ उल्लेखनीय सफलताएँ भी मिली हैं।

राजनीतिक विवादा के समाधान — सयुक्त राष्ट्रसंघ को कई राजनीतिक विवादों के समाधान में भी सफलता मिली है इनका वर्णन इस प्रकार है—

१ यद्यपि संघ कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर सका है, लेकिन इस विवाद में उसकी तीन सफलताएँ उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम, उसने भारत और पाकिस्तान में शुरू शुरू में युद्ध को बन्द कराया। उसके बाद लगभग अठारह वर्षों तक कश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर पहरा देकर दोनों देशों को युद्ध छेड़ने से रोका है, और अन्त में जब सितम्बर १९६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच बाजाघा युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध को बन्द कराने में सयुक्त राष्ट्रसंघ को बड़ी सफलता मिली।

२ इण्डोनीशिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर जब इण्डोनीशियाई गणराज्य और डच सरकार के बीच युद्ध हुआ तो संघ युद्ध का अन्त कराने में सयुक्त राष्ट्रसंघ ने बड़ी सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया और संघ के दबाव के कारण युद्ध बन्द करना पडा। बाद में पश्चिमी हरियन को लेकर इन दोनों पक्षों में पुनः तनातनी बढ़ी तो सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने प्रयास करके इस समस्या के समाधान में सहायता पहुँचायी।

३ १९५० में जब उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया में युद्ध छिडा तो सयुक्त राष्ट्रसंघ ने पुनः हस्तक्षेप करके इस युद्ध को फैलने से रोकवाया। कुछ लोग कोरिया की घटना को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की सफलता मानते हैं।

४ स्वेज के मामले में सयुक्त राष्ट्रसंघ ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल आक्रमण से मिस्र की रक्षा करने तथा युद्ध को रोकने में पूरी सफलता पायी है। उस समय यदि सयुक्त राष्ट्रसंघ न होता तो सम्भवतः मिस्र बर्बाद हो जाता, मध्य पूर्व में युद्ध फैल जाता तथा साम्राज्यवादी राज्य स्वेज नहर को हथप लेते। राष्ट्रसंघ इराक, सीरिया तथा लेबनान से विदेशी सेनाएँ हटाने में भी सफल हुआ है।

५ यूरोप में बर्लिन के घेरे की समस्या को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बढ़ गया था। संघ ने इस तनाव को दूर करने में सफलता पायी है।

६ साइप्रस को लेकर तुर्की और यूनान में युद्ध होने की पूरी सम्भावना १९६४ में हो गयी थी। इस मामले में हस्तक्षेप करके सयुक्त राष्ट्रसंघ ने ऐसे युद्ध को छड़ने से रोका है और यह उसकी एक सफलता मानो जा सकती है।

७ १९६२ में क्यूबा को लेकर सोवियत संघ और सयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध छिड़ सकता था। इस संकट के समाधान में भी संघ का कार्य उत्कृष्ट-नीय रहा।

इस प्रकार हम पण्डित नेहरू के शब्दों में कह सकते हैं कि "सयुक्त राष्ट्रसंघ ने कई बार हमारे बार-बार उत्पन्न होनेवाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं।" इसके अतिरिक्त यह संघ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में सेफ्टीवाल्व (safety valve) का काम भी करता है। यह विभिन्न देशों के गुस्सों को शांत करने का एक अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम है। जब भी कोई संकटकालीन परिस्थिति संघ के समक्ष आती है उससे सम्बद्ध राष्ट्र-राष्ट्रसंघ के रंगमंच से बोलकर अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। संघ भी कोई काम चलाऊ उपाय निकालकर तत्काल के लिए युद्ध की सम्भावना को टाल देता है। और जब एकबार यह सम्भावना टल जाती है तो बाद में इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए रास्ता खुल जाता है। चीन द्वारा अमेरिकी हवावाजों को गिरफ्तारी पर अमेरिका में कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ रोप अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था और इस कारण दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने की पूरी सम्भावना हो गयी थी। लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के प्रयासों के फलस्वरूप यह सम्भावना टल गयी। उस समय डा० बुन्दे ने ठीक ही कहा था कि "सयुक्त राष्ट्रसंघ की मुख्य विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों की बातचीत में स्पष्ट रहता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करतें रहें, उतना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि इतने समय तक युद्ध की सम्भावना टल जाती है।"

उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भी प्रयास सफलता मिली है। इन्डोनेशिया, मोरक्का, ट्यूनिशिया तथा अल्जीरिया को स्वतन्त्र कराने में सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। शुरू में इन देशों की स्वतन्त्रता के प्रश्न की काफ़ी टालन का प्रयत्न किया गया, किन्तु अन्त में उपनिवेशवादी राज्यों का विवश होना पड़ा और उन्हें स्वतन्त्रता देनी पड़ी। इस काम में सयुक्त राष्ट्रसंघ का दबाव एक निर्णायक दबाव सिद्ध हुआ। इनके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्रसंघ की मरक्षण-वृद्धि के अन्तर्गत भी कई उपनिवेश अब तक स्वतन्त्र हो चुके हैं। ये सारी बातें संघ की महत्त्वपूर्ण सफलताएँ मानी जायँगी।

गर-राजनैतिक क्षेत्रों की सफलताएँ गैर-राजनैतिक क्षेत्रों में तो सयुक्त राष्ट्रसंघ को बहुत ही सफलताएँ मिली हैं। अर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में उसकी सफलताएँ असदिग्ध, निर्विवाद तथा सराहनीय हैं। खाद्य संगठन (FAO) ने अन्न का उत्पादन बढ़ाकर दुभिहों का तथा भूखमरी का निवारण किया है, श्रम संगठन (ILO) ने श्रमिकों की दशा को बहुत उत्तम किया है। स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बड़े पैमाने पर पेन्सिलीन, डी० डी० टी० आदि दवाइयों के वितरण से बीमारियों के प्रतिरोध में बड़ी सहायता पहुँचायी है, महामारियों का प्रसार रोक रखा है। यूनेस्को ने निरक्षरता उन्मूलन, नवीन ज्ञान के विश्व-व्यापी प्रचार तथा सांस्कृतिक कार्यों में बड़ा सहयोग दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल-प्रापातकालीन कोष (UNICEF) ने संसार के बच्चों की हिकाजत के लिए सराहनीय कार्य किये हैं। इन उपलब्धियों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

नैतिक दबाव का साधन—सयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व के लोकमत का रगमच और नैतिक दबाव का एक शक्तिशाली साधन है। यह व्याक्रामक देशों के इरादों का झडाफोड करने का बड़ा ही उपयुक्त साधन है। रूसी प्रतिनिधियों ने इस मंच का अपने प्रचार के लिए खूब उपयोग किया है और अमेरिका के ढोंग और मिथ्या-चार का पदाकाश किया है। उपनिवेशवादी शक्तियों के बबर कृत्यों तथा क्रूरतापूर्ण अत्याचारों को चला जय यहाँ की जाता है तो उनका प्रचार जग भर में सारे संसार में हा जाता है। सभी देशों पर इसका प्रभाव पता है। इस प्रकार व्याक्रामक प्रवृत्ति के राष्टों पर सयुक्त राष्ट्रसंघ नैतिक दबाव डालकर उन्हें अच्छे रास्ते पर आने के लिए बाध्य करत है। यह नैतिक दबाव सैनिक दबाव से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। इसी कारण रूस ने ईरान से सेनाएँ हटायी थीं, फ्रांस को अपने उत्तरी अफ्रिका के उपनिवेशों का परित्याग करना पड़ा था तथा इंडोनेशिया को स्वतन्त्रता मिली थी। इस दृष्टि से सयुक्त राष्ट्रसंघ एक बड़ा ही उपयोगी संगठन है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्थल—सयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थल है। इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द और भ्रातृत्व में बड़ी वृद्धि हुई है। यहाँ कई देशों के विभिन्न प्रजापति के घर्मावलिम्बियों के प्रतिनिधि एक सभा-मंच पर एकत्र होते हैं और बातचीत करते हैं, गोष्ठियों और वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं, प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके परस्पर मित्र बनते हैं। इसका फलस्वरूप कई जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है। फास्टर वल्लेस ने लिखा है कि फरवरी १९४९ में बर्लिन को घेरे की समस्या अब बहुत गम्भीर हो गयी और इस सम्बन्ध में गतिराध पैदा हो गयी तो लेक्जवल्सेस में प्रतिनिधियों के वसरे में रूसी प्रतिनिधि मलिन की उपस्थिति से इस प्रश्न पर पुन चर्चा हुई और इससे समस्या के समाधान में बड़ी सहायता मिली।

सयुक्त राष्ट्रसंघ की कुछ समस्याएँ

सयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के संच की समस्या—सयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य काम युद्ध के कारणों का निवारण करके शांति का स्थापना करना है। इस सदस्य राज्यों में तरह तरह के मतभेद हैं और कभी कभी यह मतभेद उग्र रूप धारण कर लेता है। यद्यपि संघ के सदस्यों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझाने का वादा किया है, लेकिन जब महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ की समस्या उत्पन्न आती है तो वे बल प्रयोग से भी बाज नहीं आते। ऐसे ही समय में सयुक्त राष्ट्रसंघ की आवश्यकता पड़ती है कि यह हस्तक्षेप करके युद्ध को बंद कराव। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए संघ की एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता है, लेकिन चाटर के निर्माण के समय यह सम्भव नहीं था। संघ को पैसे का अभाव था और यह निश्चय किया गया कि शान्ति के रक्षाय जत्र भी संघ का सैनिक कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सदस्य राज्यों अपनी सेना से उसकी सहायता करेंगे।

संघ के बीस वर्ष के जीवन काल में कई बार इस तरह का प्रयोग करना पड़ा है। अफ़्गानिस्तान और फिलिस्तीन में युद्ध विराम रखा जा रहा तथा विपक्षियों के बीच शान्ति बनाये रखने के लिए उसे सेना की आवश्यकता पड़ी है। कोरिया के युद्ध में भी उसे सेना की जरूरत पड़ी थी। साइप्रस में शान्ति बनाने के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना उस क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन संघ का बहुत बड़ा पैमाने पर लोगों में सैनिक धारणाई करनी पड़ी है। संघ की अपनी सेना की आवश्यकता पड़ी है, सदस्य राज्यों ने उसकी मदद नहीं की।

इसके साथ ही शान्ति के रक्षार्थ सयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के खर्च की समस्या भा है। कांगो में संघ की सैनिक कार्रवाई के कारण खर्च की जो समस्या सामने आयी उसने कुछ दिनों के लिए १९६४-६५ में सयुक्त राष्ट्रसंघ को एकदम निष्क्रिय बना दिया था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इसी कारण सयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त हो जायगा। संघ के जीवन में यह बड़ा ही संकटपूर्ण चलन था। अतएव इसका विस्तृत विवेचन बाँझनीय है।

गाजा क्षेत्र में मिस्र और इजरायल के बीच शान्ति बनाये रखने तथा कांगो में सैनिक कार्रवाई करने के कारण सयुक्त राष्ट्रसंघ को अपार धन का व्यय करना पड़ा था। यह सोचा गया था कि इस खर्च को सदस्य राज्यों का चन्दे से पूरा किया जायगा। यद्यपि रूस में राष्ट्रसंघीय कार्रवाई का समर्थन किया था और चन्दा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जब उसे कांगो में सयुक्त राष्ट्रसंघ की नीति पसन्द नहीं आयी तो उसने अपना हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। पूर्वी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों ने भी रूस का अनुकरण करते हुए अपना हिस्सा नहीं दिया और फ्रांस ने भी इस तरह चन्दा देने से इन्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में संघ के बजट में एक सौ चात्तीस लाख डालर घटा हो गया। इस घाटे के बजट ने सयुक्त राष्ट्रसंघ में एक महान् वित्तीय संकट पैदा कर दिया जिसके कारण संघ का काम चलना असम्भव हो गया।

वित्तीय संकट के अतिरिक्त इस समस्या ने एक राजनीतिक संकट भी उत्पन्न कर दिया। चाटर की उन्नीसवीं धारा में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि सदस्यराज्य अपने हिस्से का चन्दा लगाता दो वर्ष तक नहीं देंगे तो उन्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जायगा। कांगो में सयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्रवाई को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था। अतएव वह चाहता था कि सोवियत संघ अपने हिस्से के चन्दे का अदायगी कर दे। उधर सोवियत संघ ने उस कार्रवाई की प्रक्रिया का विरोध किया था, इसलिए उसने यह कहकर कि कांगो में कार्रवाई के द्वारा संघ के चाटर का उल्लंघन हुआ है, वह चन्दा नहीं दिया। इस हालत में चन्दे की यह समस्या पूर्व और पश्चिम के शीत युद्ध का एक भाग बन गया। अमेरिका ने निश्चय किया कि वह चाटर की उन्नीसवीं धारा के अनुसार सोवियत संघ को वोट के अधिकार से वंचित करने का प्रस्ताव माध्यम सभा में रखेगा। इस हालत में यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो सोवियत संघ के समक्ष सयुक्त राष्ट्र छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इसका परिणाम होता है सयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त। इस प्रकार संघ के जीवन में एक अत्यन्त संकटापन्न स्थिति आ गयी।

१९६३ के अन्त में इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा गया। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कांगो में जो खर्च हुआ है वह चार्टर की १७ (२) धारा के अनुसार ठीक है और सोवियत रूस को अपने हिस्से का चन्दा अदा कर देना चाहिए। लेकिन रूस ने न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। इस हालत में १९६४ में जब साधारण सभा का सन्नीसवीं साधारण अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो यह वित्तीय समस्या अमेरिका और रूस के बीच द्वन्द्व का एक मुख्य कारण बन गया। अमेरिका ने धमकी दी कि वह चार्टर की सन्नीसवीं धारा के अनुसार काम करने की माँग करेगा। इस निश्चय ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के भविष्य को अनिश्चित बना दिया।*

आशका के इस वातावरण में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा का सन्नीसवीं साधारण अधिवेशन सितम्बर १९६४ में प्रारम्भ हुआ। दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान पर डिगे हुए थे और इस कारण संघ के अन्त की सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी। फलतः इस अधिवेशन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सका और ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया जिससे राट की नौबत आवे और अमेरिका तथा रूस को ताकत आजमाने का मौका मिले। वित्तीय संकट से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए साधारण सभा ने इकोसवीं राष्ट्रों को मिलाकर एक समिति और चार राष्ट्रों की एक सद्भावना समिति का निर्माण किया। इन समितियों के जिम्मे यह काम नहीं सौंपा गया कि वे बीच बचाव करके इन समस्या के समाधान का यत्न करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि संघ के वज्रट कषाटे की पूर्ति के लिए सदस्य राज्य स्वेच्छा से कुछ धन (voluntary peace keeping fund) दें ताकि टत्काल के लिए संघ को वित्तीय संकट से छुटकाया मिले। अमेरिकी निदेश सचिव डीन रस्क तथा सोवियत निदेश मंत्री योमिको के बीच इस प्रस्ताव पर बार्ताएँ हुईं और सोवियत संघ स्वेच्छा से कुछ चन्दा देने को तैयार हो गया। लेकिन योमिको ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा बिये गये खर्च में औपचारिक रूप से किसी तरह का हिस्सा बहन नहीं करेगा। लेकिन संयुक्त र. य अमेरिका यह माँग करता है कि रूस का इस मद में अपना हिस्सा का घोटा भी भाग चुका देना चाहिए और तभी वह संघ की सदस्यता में बोट दे सकता है।

* Washington's threat of demand for the invocation of Article 19th of the Charter has produced a first rate international crisis. A possible Russian walk out would have been the start of a big crumble the beginning of the end of the United Nations. France too is in the same boat with her A U N without proper Chinese representation is little less than itself, a U N without Russia or France seems unthinkable — *Hindustan Times* September 8, 1964

इस प्रकार गतिरोध ज्यों का-त्यों बना रहा और साधारण सभा के अधिवेशन को दो बार स्थगित करना पड़ा। १९ फरवरी १९६५ को साधारण-सभा ने अपने अध्यक्ष एलेक्स क्वेयसन साके (घाना) को इस समस्या पर विचार करने के लिए एक दूसरी समिति को निर्माण करने का अधिकार दिया। २७ फरवरी को अध्यक्ष ने तैंतीस राज्यों को मिलाकर एक समिति का निर्माण किया।

सयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण-सभा का बीसवाँ अधिवेशन २१ सितम्बर, १९६५ को प्रारम्भ होने वाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार भी १९६४ के अधिवेशन की भाँति संघ में गतिरोध रहेगा और कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं हो सकेगा। अतएव ब्रिटेन और अमेरिका ने इस प्रश्न पर झुक जाना ही उचित समझा। १६ जुलाई, १९६५ को ब्रिटिश विदेश मन्त्रालय से यह घोषणा की गयी कि ब्रिटिश सरकार का यह विचार है कि रूस, फ्रांस आदि देशों के पास जो बकाया है उसको खत्म कर दिया गया। इसके ठीक एक महीने बाद इसी तरह की घोषणा सयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीकी प्रतिनिधि श्री गोल्डवग ने की। इस प्रकार तिसरी सक्ति से उत्पन्न गतिरोध का अन्त हुआ। बीसवें अधिवेशन के प्रारम्भ के पूर्व एलेक्स क्वेयसन साके समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। समिति ने सिफारिश की थी कि बकाया के भुगतान की माफ कर दिया जाय और सदस्य-राज्य स्नेच्छा से संघ का आर्थिक सहायता दें। इस प्रकार सयुक्त राष्ट्रसंघ पर से एक महान् सक्ति टला।

इ इंडोनीशिया द्वारा सबस्यता का परित्याग— १९६५ का वर्ष संघ के जीवन में और कारणों से भी सक्ति का वर्ष था। इसी वर्ष २१ जनवरी को इन्डोनीशिया ने यह घोषणा की कि वह सयुक्त राष्ट्रसंघ को छोड़ रहा है और माच आते-आते उसने संघ के साथ अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद कर लिये। सयुक्त राष्ट्रसंघ के जीवन में यह पहला अवसर था जब कि किसी सदस्य ने अपनी सदस्यता का परित्याग किया हो। सदस्यता का परित्याग पर संघ का चार्टर मौन है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को एकबार सदस्य बन जाने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन इन्डोनीशिया की कायवाही ने इसको गलत साबित कर दिया और ऐसा मालूम पड़ा कि सयुक्त राष्ट्रसंघ अब वही रास्ता अपना रहा है जिसके कारण पुराने राष्ट्रसंघ का पतन हुआ था। राष्ट्रसंघ के निकलनेवाला पहला देश जापान था और उसके बाद सदस्यता छोड़ने का एक ताँता बँध गया। राष्ट्रसंघ के लिए यह प्रवृत्ति बड़ा घातक सिद्ध हुई सयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष भी अब इसी तरह की परिस्थिति आ गयी है। संघ के भविष्य के लिए यह बात अच्छी नहीं थी। लेकिन संघ के राज्य से यह बीमारी फैलने नहीं पायी और कुछ दिनों के उपरान्त इन्डोनीशिया पुन संघ में शामिल हो गया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध— जब सयुक्त राष्ट्रसंघ इसी संकट की स्थिति से गुजर रहा था उसी समय कश्मीर को लेकर सितम्बर, १९६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास करके दोनों युद्धरत देशों से युद्ध बन्द करने का अनुरोध किया और महामन्त्रि मंडल शान्ति के प्रयास में स्वयं भारतीय उपमहादेश में आये। लेकिन इन दोनों देशों में युद्ध बन्द नहीं हुआ। इस संकट के समाधान में संघ की प्रारम्भिक असफलता ने इसके भविष्य को और अनिश्चित बना दिया। लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के आदेशों को मानकर युद्ध बन्द कर दिया। इस संकट के अवसर पर सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों के बीच पूरा मतभेद रहा और उनके अपूर्व सहयोग के फलस्वरूप एशिया का एक खूनी युद्ध बन्द हो गया। यह सयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद निराशा के सारे बादल उड़ गये और जिन क्षेत्रों में संघ के भविष्य के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की जा रही थी वह समाप्त हो गयी। वित्तीय संकट का समाधान और भारत-पाक युद्ध को बंद कराने में सफलता इन दोनों बातों ने सयुक्त राष्ट्रसंघ में एक नयी जान फूँक दी है और उसका भविष्य बहुत ही आशापूर्ण हो गया। २४ अक्टूबर १९६५ को सयुक्त राष्ट्रसंघ का जन-मोत्सव सारे संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महामन्त्रि मंडल ने जो सन्देश दिया था वह आशावादिता से परिपूर्ण था। महामन्त्रि ने यह आशा व्यक्त की कि दस वर्षों के बाद संघ का चाटर राष्ट्रों का सम्बन्ध नियमित करने का एकमात्र साधन रह जायगा। विगत बीस वर्षों में यद्यपि संघ की आशातीत सफलताएँ नहीं मिली हैं लेकिन यह तो मानना ही पडगा कि संघ के कारण दुनिया कई संकटों से बच गयी है।* सयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियाँ तथा उसके भविष्य में विश्वास का यह प्रबल प्रमाण माना जायगा।

अरब इजरायल-युद्ध—जून १९६७ में इजरायल युद्ध के कारण भी सयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। उस समय भी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण संघ पूरी तरह असफल रहेगा और तृतीय विश्व-युद्ध की सम्भावना भी बहुत बढ़ गयी। लेकिन इस संकट में भी सयुक्त-राष्ट्र संघ ने अच्छी उपयोगिता का परिचय दिया और सतत प्रयत्न के बाद युद्ध बन्द कराने में उसकी सफलता मिली। युद्ध-विराम के बाद भी अरब राष्ट्रीय और इजरायल के मध्य बराबर झड़पें हो रही हैं, लेकिन संघ की जागरूकता ने इस युद्ध को फैलने से रोका है।

* "After another decade I would like to see the U N Charter actually used by all the nations as the guide working to the realities of the 20th century that is what it was intended to be. That is what it can be if the policies of nations take account of today's realities rather than those of the past.

U. Thant *Hindustan Times*, October 24, 1955

उपसंहार—संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुए आज लगभग तेईस वर्ष हो चुके हैं। इस काल के दौरान में इसने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं वे यद्यपि सन्तोषजनक नहीं हैं, फिर भी उपयोगिता की दृष्टि से उनको ओझल नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्रसंघ जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है वे महत्त्वपूर्ण हैं। यह मूल रूप से सत्कार को युद्ध से मुक्ति दिलाना चाहता है ताकि मानवता को उन बुरे परिणामों को मुगतने का मौका न मिले जिन्हें वह विगत दो युद्धों द्वारा मुगत चुकी है। यह एक मात्र संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता ला सकती है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संघ की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाय और संघ के सदस्य, विशेषकर महान् राष्ट्र, चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहकर उनपर क्रियात्मक आचरण करें। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता का यह मूल आधार है।

शीत युद्ध और सशस्त्र शान्ति (Cold War & Armed Peace)

शीत-युद्ध का उत्पत्ति—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में गहरा मतभेद युद्धोत्तर काल की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य है। आज दुनिया में जो भी घटना घटे, चाहे उसका सम्बन्ध क्यूबा से हो या कश्मीर से अथवा बर्लिन से हो या कारिया से, उनके मूल में इन्हीं दो प्रतिद्वन्द्वियों का मतभेद काम करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स सार के रगमच पर दो ही प्रथम काटि की महाशक्तियाँ रह गयीं—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। युद्ध के समय ये दोनों देश परस्पर मित्र थे। एक साथ मिलकर उन्होंने नात्सीवाद और फासिस्ट-वाद का विरोध किया था। लेकिन छपर युद्ध का खतम होते ही दोनों के बीच तीन मतभेद शुरू हो गया। देखते-देखते इन मतभेदों ने इतने तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य उत्पन्न कर दिया कि १९४६-४७ में ही प्रतीत होने लगा कि तृतीय विश्व-युद्ध अपश्यम्भावी है। लेकिन युद्धोत्तर काल में इतनी जल्दी पुन एक लड़ाई शुरू कर देना उतना आसान नहीं रह गया था। अतएव इस बार वारुद तथा गोले गोलियों की लड़ाई शुरू नहीं हुई। युद्ध के तुरत बाद दोनों प्रतिद्वन्द्वियों के बीच आतवार के पृष्ठों और राजनीतिक प्रचारों से युद्ध शुरू हो गया। यह वाक्य युद्ध था जिसका शीत-युद्ध (cold war) भी कहते हैं। इस शीत युद्ध का दायरा अमेरिका और रूस तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें स सार के सभी देशों को घसीट लिया गया। आज का लगभग सम्पूर्ण स सार इन दो गुटों का समर्थक है और इस प्रकार दुनिया पुन दो खेमों में विभाजित हो गयी है। यह युद्धोत्तर काल की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का मौलिक तथ्य है।

यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिटलर के विरुद्ध कन्धे-से कन्धा मिला कर लडनेवाले मिराष्ट्र युद्ध के तुरत बाद आपस में इस प्रकार लडने लगे हैं और शान्ति की बात तो दूर रही नाममात्र को शान्ति भी नहीं है। वस्तुत जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वह “सशस्त्र शान्ति” (armed peace) का युग है। इस तरह की स्थिति क्यों और कैसे आ गयी। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए इस शीत युद्ध का कारण समझना आवश्यक है।

शीत-युद्ध के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन एक साथ थे, लेकिन युद्ध के खतम होने के पहले ही सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से

मतभेद शुरू हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि सोवियत संघ तथा ब्रिटेन और अमेरिका का युद्धकालीन सहयोग स्थायी था, किन्तु उनका पारस्परिक मतभेद मूलभूत एव ऐतिहासिक थे। इस मतभेद का सुरुवात १९१७ में ही हुआ जब रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। १९१९-१९२९ के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ के साथ कैसा व्यवहार किया, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध के समय हिटलर के आतंक ने सोवियत संघ को पश्चिमी राज्यों का मित्र बना दिया और २६ मई १९४२ को सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध पारस्परिक सहायता की एक बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। पाश्चात्य देशों का अविश्वास को दूर करने के लिए २२ मई १९४४ को सोवियत संघ ने पश्चिमी विरोधी प्रचार को एक प्रमुख संस्था 'कॉमिन्टार्न' के विघटन की घोषणा की। १९४२ के बाद मित्र राष्ट्रों के कैसाबॉनका, हाटिंभ्रग, मास्का, काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन ब्रुक्स, डार्मार्टनओकम, याल्टा तथा सैनफ्रांसिस्को में कई सम्मेलन हुए और इनमें सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मिल जुलकर काम किया। २७ फरवरी १९४५ को चर्चिल ने कहा कि "सोवियत संघ का नेतागण पश्चिमी गणतंत्रों के साथ समान तथा सम्मानपूर्ण मैत्री का जीवन बसर करना चाहते हैं। उनके शब्द ही इतकी प्रतिज्ञाएँ हैं। चार दिन बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बतलाया कि "मुझे विश्वास है कि याल्टा सम्मेलन के फलस्वरूप यूरोप की राजनीति स्थिति में स्थिरता आयेगी"। इन विचारों से ऐसा प्रतीत होने लगा कि लन्दन और वाशिंगटन युद्धोत्तर काल की समस्याओं के समाधान में मास्को से सहयोग लेगा। लेकिन सोवियत नेताओं की सारी आशाएँ व्यर्थ सिद्ध हुईं और विजय के उपरान्त उनका सम्बन्ध पश्चिमी राष्ट्रों की सैन्य नीति के कारण खराब होने लगा तथा उनका "अनोखा गठबन्धन" अस्त-व्यस्त होने लगा। युद्ध-काल के साथी युद्धोपरान्त एक दूसरे के लिए अजनबी बन गये तथा आनेवाले वर्षों में वे एक दूसरे के प्रणों के प्यासे हो गये। उनकी पुरानी शत्रुता तथा सन्देह पुनः जग उठे जिसने शीत युद्ध का जन्म दिया। इस शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे—

१ द्वितीय मोर्चा का प्रश्न—शीत-युद्ध की उत्पत्ति का पहला कारण युद्धकाल में दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ सन्देह और अविश्वास था। ऐसा देखा गया है कि प्रायः सभी युद्धों के बाद युद्धकालीन मित्रराष्ट्र एक दूसरे के विरोधी या कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और अमेरिका के बीच इसी प्रकार का मतभेद हो गया था। पर इस बार अमेरिका युद्ध के समय से ही सन्देह और मतभेद शुरू हो गया था। इसका

“द्वितीय मोर्चे” से सम्बन्धित था। जिस समय युद्ध चल रहा था और हिटलर सोवियत सघ को दबोचे हुए थे उस समय स्टालिन अपने मित्र राज्यों से पश्चिमी यूरोप में हिटलर के विरुद्ध एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने के लिए बराबर अनुरोध करता था। इसका इस अनुरोध का उद्देश्य यह था कि यदि पश्चिम में मोर्चा खुल गया तो सोवियत सघ पर जर्मनी के प्रहार में बहुत कमी जा जायगी (क्योंकि उस हालत में जर्मनी को दा मार्चा पर लड़ना पड़ता) और सोवियत सघ को सांस लेने का मौका मिल जायगा। पर महीनों तक रूजवेल्ट और चर्चिल इस अनुरोध का टालते रहे। उसी समय से स्टालिन को अपने मित्र राज्यों की नेकनियती में शका होने लगी। सोवियत इतिहासकारों का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने खूब सोच समझकर तथा जान-बूझ कर यह देर की थी ताकि जर्मनी किसी तरह रूस की साम्यवादी व्यवस्था का तमाम कर दे।*

१९४४ क प्रारम्भ में जब द्वितीय मार्चा का खोलने की याजना बनने लगी तब स्टालिन की शका और पुष्ट होने लगी। जिस छोखेबाजी से हिटलर ने सोवियत सघ पर चढ़ाई की थी उसको ध्यान में रखकर मास्को के नीति निर्धारक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि यदि सोवियत सघ को भावी खतरे से बचाना हो तो उसे जर्मनी और रूस के बीच क देशों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में स्टालिन पूर्वी यूरोप क देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लेना चाहता था। चर्चिल इस रहस्य को भली-भाँति समझता था। अतएव जब दूसरा मोर्चा खोलने की बात होने लगी तो उसने यह योजना रखी कि ब्रिटेन और अमेरिका को सेनाएँ फ्रांस की तरफ से नहीं, बरन् बाल्कन प्रायद्वीप से यूरोप में उतर की ओर बढ़े ताकि रूस की सेना पूर्वी यूरोप में बहुत आगे न बढ़ सके। इस योजना से रूजवेल्ट सहमत नहीं हुआ, लेकिन इसने पूँजीवादी देशों की मानसिक प्रवृत्ति का तो स्पष्ट कर हा दिया। स्टालिन भली भाँति समझ गया कि ब्रिटेन और अमेरिका उसके कैसे शुभचिन्तक हैं।

२ पुरातन-ध्ववस्था की स्थापना का प्रयास— ती, इस प्रकार पूर्वी यूरोप पर प्रभुत्व कायम करने की प्रतिद्वन्द्विता युद्ध काल में ही शुरू हो गयी। इसलिए दोनों पक्ष जर्मनी से जीते गये प्रदेशों में उसके विरुद्ध स्वातन्त्र्य सघष करने वाले विभिन्न दलों में अपना समर्थन करने वाले दलों का समर्थन करने तथा मान्यता देने लगे। उपर इटली खमी पूरी तरह परास्त भी नहीं हुआ था कि इधर कम्युनिस्टों को समाप्त करने क लिए ब्रिटेन और अमेरिका सुसोलिनो के फासिस्ट दल से सहयोग करन लगे। यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट नेता माथल टोटो को रूस का जवरदस्त

* G Dadyants The Second Front Fact and fiction, in International Affairs (Moscow) March 1959 pp 13 19

† Schuman International politics (53 Ed) p 95

समर्थन प्राप्त होने लगा, और दूसरी ओर ब्रिटेन अमेरिका वहाँ पुनः राजतन्त्र और पुरातन व्यवस्था कायम करने की योजना बनाने लगे। चुनाव में भी ब्रिटेन कम्युनिस्ट विरुद्धी राजसत्तावादी दल का समर्थन कर रहा था। इन कारणाँ से रूस के मन में सन्देह की धारणा दिन प्रतिदिन पृष्ठ होने लगी।*

२ रूस द्वारा याहटा दौर घाल्टा समझौते का अतिक्रमण—सोवियत सघ को ओर से भी ऐसी ही कार्रवाईयाँ होने लगीं। रूस की विजयी लाल सेना जहाँ भी पहुँचती कम्युनिस्टों की प्रास्ताहित और उनके विरोधी तत्त्वों का सफाया करती। इससे ब्रिटेन और अमेरिका का एक चिंतित होना स्वाभाविक था। सोवियत सघ के प्रति ब्रिटेन का सन्देह तो इतना बढ़ गया कि अक्टूबर, १९४४ में उसने रूस के साथ समझौता करके यह तय कर लिया कि लाल सेना का प्रभाव क्षेत्र रूमानिया और बुल्गेरिया समझा जाय, यूनान आंग्ल अमरीकी अधिकार में रहे तथा यूगोस्लाविया हंगरी पर दोनों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाय। लेकिन इस समझौते से सन्देह का अन्त नहीं बरन उसमें और वृद्धि हुई। कूटनीतिक दाव पेंच लपने रहे और युद्ध खत्म होते ही सोवियत सघ पूर्वी यूरोप के प्रायः सभी देशों में साम्यवादी व्यवस्था कायम कराने में सफल हो गया। यह कार्रवाई अमेरिका और ब्रिटेन को एकदम असन्द नहीं आयी। १९४५ के याहटा सम्मेलन में मित्रराष्ट्रों ने यह फैसला किया था कि "नास्तियों को मुक्त किये राष्ट्र अपनी इच्छानुसार लोकतन्त्रीय सस्था चुनेंगे तथा इसके लिए मित्रराष्ट्रों के बीच सम्मिलित विचार विनिमय किया जायगा।" अतएव उन लोगों ने अब यह बोपारोपण किया कि सोवियत सघ के ये काय याहटा के निर्णयों के विरुद्ध हैं।

४ ईरान से रूसी सेनाओं का न हटाया जाना—युद्ध के दौरान में सोवियत सेनाओं ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था, किन्तु युद्ध के बाद आंग्ल-अमरीकी सेनाएँ तो दक्षिणी ईरान से शीघ्र ही हटा ली गईं, पर सोवियत सेनाएँ अपने स्थान पर ज्यों-की त्यों जमी रहीं। काफी समय के बाद अमेरिका तथा इंग्लैण्ड द्वारा सयुक्त राष्ट्र सघ की सहायता से रूस पर सयुक्त दबाव डालने के परिणामस्वरूप ही सोवियत सेनाएँ वहाँ से हटने के लिए तैयार हुईं।

* The causes of the cold war should be sought not in the alleged desire of the Soviet Union to impose a new order of things upon other countries but in the real desire of some Western Powers to impose the old order upon people who did not want them. The cold war was caused by the reckless plans of the most aggressive circles of imperialism which, overestimating their own strength, seriously sought to turn back the march of History — G Dadyants 'The Cold War Past and Present' in *International Affairs*, Moscow June 1960 pp 5 10

५ तुर्की पर रूसी दबाव—युद्ध के बाद सोवियत संघ तुर्की पर दबाव डालकर उसे कुछ तुर्की की भूमि और बोमपोरस में नौ सैनिक बड़े बनान का अधिकार माँग रहा था। पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका बड़ा बड़ा विरोध किया।

६ यूनान में सोवियत संघ का दबाव—जर्मनी के आत्म समर्पण से पूर्व ही रूसी सेनाओं ने यूनान के उत्तर में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र की जनता के ऊपर साम्यवादी शासनतंत्र बलपूर्वक धापे गये तथा उनकी स्वतन्त्रता एवं चुनाव अधिकार का नृशसनापूर्वक दमन किया गया। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में साम्यवादी दल बहुत छोटे छोटे तथा अपेक्षाकृत नगण्य अनुयायियों वाले थे। सोवियत सेनाओं ने इन साम्यवादी दलों को खुली और पूर्ण सहायता दी। कुछ ही वर्षों में यूनान तथा बाल्टिक समुद्र के मध्य बसे हुए सभी राज्यों में 'सर्वहारा की तानाशाही' स्थापित कर दी गई।

७ रूस का अमेरिका विरोधी प्रचार-अभियान—युद्ध के खतम होत ही रूस के समाचार-पत्रों ने अमेरिकी नीतियों तथा नीति निर्धारकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका बड़ा क्रुद्ध हुआ। अमेरिकी समाचार पत्रों ने भी ऐसा ही रुख अपनाया और सोवियत संघ तथा सोवियत सेनाओं पर गालियों की बौछार होने लगी। इस हालत में दोनों देशों का सम्बन्ध बिगड़ना अनिवार्य था।

८ अणुबम का आविष्कार—श्वेत-युद्ध के समाप्त का एक और प्रमुख कारण अणुबम का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा और नागाशाकी को ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्रराष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा लेकिन सोवियत रूस से इसका रहस्य जान बूझकर गुप्त रखा गया। रूस को इसके जबरदस्त सदमा पहुँचा और उससे एक घोर विस्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता को कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ा।

९ सोवियत विरोधी प्रचार-अभियान—इस समय पश्चिमी देशों के समाचार-पत्र साम्यवादी देशों के प्रति पुनःपुनः घृणा-प्रचार में मग्न थे। साम्यवादी खतरे को खूब तूल देकर और बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया तथा मारकी के भावी दुर्गदों के प्रति जनता में भय की भावना पैदा की गई। ज्योंही सोवियत सेनाएँ बलिन के निकट पहुँची अमेरिकी समाचार पत्रों ने निम्न प्रकार के अन्तर्गत शीर्षकों से अपने पन्ने रगने शुरू कर दिये—'साम्यवादो प्रसार से ईसाई सभ्यता के ह्यूने का खतरा' (Red Wave Threatens to Drown

Christian Civilization) — 'हाट स 'यूवाक' जनरल' तथा "म वियत स्र्घ विश्व का एकमात्र आक्रामक राज्य (Soviet Union is the only Aggressor in the World)—शिकागो ट्रिब्यून' ।

सोवियत अधिकारियों के लिए एक ऐसे देश, जिसके प्रति उनके हृदय में पहले से ही काफी अविश्वास था, के समाचार पत्रों की इन घोषणाओं पर क्षुब्ध होना स्वाभाविक ही था ।

इन कारणों से युद्ध समाप्त होते होते दोनों पक्षा में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया और समय के साथ-साथ इसकी उग्रता भी बढ़ती गयी । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, सम्मेलनों आदि में ये मतभेद प्रकट होने लगे । इसके बाद समाचार-पत्रों और रेडियो द्वारा भाषण, वाग्युद्ध और प्रचार युद्ध आरम्भ हुआ— शीघ्र ही सारी दुनिया दो गुटों में बँट गयी, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम गुट (western bloc) और सोवियत संघ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट गुट । पश्चिमी गुट अपने क "स्वतन्त्र विश्व" (free world) कहने लगा । सोवियत गुट के "लोह परदे" (iron curtain) के विश्व की उपाधि दी गयी । फिर ससार क लागो क सामने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का हौवा उर्पान्धित किया गया । अमेरिका की ओर से यह प्रचार किया जाने लगा कि सोवियत संघ के "नये साम्राज्यवादी" सारे ससार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं । इससे ससार को बचाना आवश्यक है । उधर सोवियत संघ ने डालर साम्राज्यवाद और वाल स्ट्रीट क पूँजों पतियों का भडाफोड शुरू किया । अमेरिका ने इस युद्ध को एक सैद्धान्तिक* रूप प्रदान किया कि यह साम्यवादी दासता और प्रजातांत्रिक स्वतन्त्रता का संघर्ष है । इन आरोपों और प्रत्यारोपों में युद्धात्तर विश्व को सारी समस्याएँ गौण पड़ गयी ।

शीत-युद्ध की प्रगति—एक बार जब शीत युद्ध शुरू हो गया तो उसमें कोई कमी आये इसकी परवाह किसी को भी न रही । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों क संघर्ष क अन्तरे बन्न गये । सुरक्षा परिषद् की पहली

*सत्य बात यह है कि इस मतभेद में सिद्धांत का कोई प्रश्न निहित नहीं है । अमेरिका का कगड़ा साम्यवादी "दासता" से नहीं बरन् साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था से था । यदि वह तथाकथित साम्यवादी "दासता" से घृणा करता तो समय समय पर उस 'दासता' के एक देश यूगोस्लाविया को क्यों मदद देता है ? और ससार के जिस क्षेत्र को "स्वतन्त्र विश्व" कहा जाता है उसमें स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण अमेरिका के फ्रांसिस्वादी देश भी तो सम्मिलित हैं । इन सब तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि सोवियत संघ और अमेरिका क मतभेद का मौलिक कारण आर्थिक है । एक विद्वान लेखक ने लिखा है कि यदि [किंहीं तरह अमेरिका भी प्रात साम्यवादी व्यवस्था वाना देश होना तो सोवियत संघ से हथी आर्थिक कारण को लेकर दोनों देशों में मतभेद रहता ।

वैठक में ही सोवियत प्रतिनिधि ने पश्चिमी गुट पर बड़े बड़े और छत्र आक्षेप किये । फिर उसको जवाब भी वैसे स्पष्ट मिले । उसके बाद शायद ही ऐसी कोई वैठक या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हो जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर भीषण आरोप प्रत्यारोप न लग ये हों । एक के बाद दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय घटना घटती गयी और शीत-युद्ध का इतिहास बढ़ता गया । फा स ने रूसी सेना या यूनान से ब्रिटिश सेना हटाने का प्रश्न ही या कोई दूसरा प्रश्न स्व शीत युद्ध के इतिहास के ही भाग है । शीत युद्ध का सबसे भीषण अघाघा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् साबित हुआ । आरम्भ में साधारण सभा में रूस को बवल पाँच और पश्चिमी गुट के बत्तीस वोट थे । लेकिन सुरक्षा-परिषद् में रूस ने अपने वीटो के अधिकार का पूरा लाभ उठाया । उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था ।

शीत युद्ध को मयानक बनाने का असल श्रेय कुटिल और घोर साम्राज्यवादी राजनेता विल्सन चर्चिल को है । १९४६ में अमेरिका के फुल्टन नॉमिक-नगर में भाषण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उससे एक नयी पद्धति का सूत्रपात किया । “हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर,” चर्चिल ने ५ मार्च १९४६ को राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में कहा, “हमके दूसरे स्वरूप के स स्थापन को रोकना चाहिए ।” उसने “स्वतन्त्रता की द्वीपशिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए” एक आंग्ल-अमरीकी गठबन्धन की माग की । उसका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए (Containment of Communism) पर सम्भव उपाय का अवलम्बन किया जाय । अमेरिका में चर्चिल के विचारों का सबसे बड़ा समर्थक अमरीकी सिनेट का एक सदस्य वेंडेनवग था । उसके बाद क्या पृष्ठना था ? समूचे अमेरिका में सोवियत विराधी भावना का तूफान फूट पड़ा । २९ सितम्बर, १९४६ को बिनेस के कहने पर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए० वेल्लेस से त्यागपत्र देने को कहा, क्योंकि उसने १२ सितम्बर का न्यूयार्क में एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैत्री स्थापना की अपील की थी । राज्य सचिव डीन एचिसन ने १९ फरवरी, १९४७ को सिनेट के सम्मुख कहा कि “रूस की विदेश-नीति आक्रामक तथा विस्तारवादी है ।” अप्रिल १९४६ के बाद दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम उगलना शुरू किया तथा पूर और पश्चिम की शत्रुता एक नमन तथ्य बन गया । १२ मार्च, १९४७ को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने “सोवियत विस्तार को रोकने के लिए” ट्रूमैन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । ५ जून, १९४७ का साम्यवाद व विरोध के नाम पर प्रॉग्रेड मार्शल-योजना का सूत्रपात हुआ । सोवियत गुट के देशों ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया और सारी योजना को अमरीकी साम्राज्यवाद की योजना कहकर उसकी निन्दा की । २५ अक्टूबर को मार्शल योजना के जवाब में यूरोप के ९ कम्युनिस्ट देशों का

कोमिनफार्म स्थापित किया गया। अब बात बात पर झगडा होने लगा। पराजित राज्यों के माथ कैसा व्यवहार किया जाय इसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों में उग्र मतभेद था।

चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम होने पर शीत युद्ध की भयकरता और बढ़ी। चाटर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद् का एक स्थायी सदस्य है। जब च्यांग काई शेक की सरकार भागकर फारमोसा चली गयी, तो कम्युनिस्ट चीन ने सुरक्षा-परिषद् में अपनी जगह की माँग की। लेकिन पश्चिमी गुट नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद् में सोवियत सघ का एक और समर्थक हो जाय। अतएव संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की नयी सरकार को मान्यता देने से इन्कार कर दिया और संयुक्त राष्ट्रसघ में उसको स्थान मिलने का विरोध किया। इस कारण आज तक चीन को संयुक्त राष्ट्रसघ में अपना स्थान नहीं मिल सका है। इसके मूल में शीत युद्ध ही विद्यमान है।

बर्लिन का घेरा और कोरिया क युद्ध के समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। बर्लिन क घेरा के समय ही दोनों पक्षों को ताकत आजमाने का मौका पहले-पहल मिला और शीत युद्ध में अमेरिका का रुख बड़ा हो गया। अब सोवियत सघ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह-तरह के सैनिक सगठनों की स्थापना करने लगे।* कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिमी और कम्युनिस्ट गुट के बीच युद्ध था। इस अवसर पर शीत-युद्ध सशस्त्र युद्ध में परिणत हो गया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् से सोवियत सघ की अनुपस्थिति का खूब नाजायज फायदा उठाया। उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित करवाया और उसके विरुद्ध सैनिक कारवाहों का प्रस्ताव पास करवाया। यद्यपि १९५३ में कोरिया युद्ध बन्द हो गया, लेकिन दोनों गुटों के बीच शीत-युद्ध चलता रहा।

१९५३ में शीत-युद्ध की तीव्रता में कुछ परिवर्तन आया। इस युद्ध के महान् सन्नायक राष्ट्रपति ट्रुमेन और स्टालिन थे। जनवरी, १९५३ में आइसनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके विदेश सचिव डलेस अत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के मुख्य निर्धारक हुए। इसी समय ५ मार्च, १९५३ को स्टालिन की मृत्यु हो गयी। अगस्त १९५३ में सोवियत सघ का प्रथम आणविक परीक्षण हुआ। हथियार क क्षेत्र में दोनों गुटों के मध्य जो प्यारि थी अब यह घीरे घीरे कम होने लगी।

* 'The Berlin blockade from early 1948 until may 1949 was the first open test in the cold war. It was a struggle fought with weapons of blockade and air lift and not only this test did harden American resolution to carry containment to completion it also helped to bring about the birth of the North Atlantic Treaty Organisation in April 1949.—Peter Lyons, *Neutralsm* p, 32

इसके बाद आया **हिन्दचीन का प्रश्न**। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ चलने वाले युद्ध में दोनों गुटों ने अलग-अलग पक्षों का समर्थन किया। शीत-युद्ध के कारण हिन्दचीन का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। फिर अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार का रोकने के लिए **सैनिक समझौतों और सैन्य सगठनों** को स्थापित करने का नीति अपनायी तथा **नाटो, सीटो और बगदाद पैक्ट** बनाये। रूस ने इनकी वही कड़ी ब्यालोचना की और इनके जवाब में वारसा पैक्ट कायम कर लिया। इन सगठनों के विषय में हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। इसी तरह संसार के सबसे प्रमुख प्रश्न निरस्त्रीकरण पर दोनों में घोर मतभेद चला। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर शीत युद्ध का पृष्ठाधार में दोनों दलों का दृष्टिकोण निर्धारित होन लगे। अमेरिका स्वभावतः पूँजावाद और साम्राज्यवाद का समर्थक है। उसके मित्र देश साम्राज्यवादी ही थे। इस हालत में रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के **उपनिवेशवाद का उग्र विरोध** किया। उसने खुल शब्दों में पराधीन देशों को आजादी का समर्थन किया। इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर शीत युद्ध का कम से कम एक लाभ द्रव्य प्रतीत होता है। ऐसे तो सोवियत रूस शुरू से ही उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, लेकिन शीत युद्ध के कारण इस विरोध में और उग्रता आयी। सोवियत सघ दिन रात उपनिवेशवाद पर हमला करता रहा और इस प्रकार साम्राज्यवादियों को अपना अपवित्र अधिकार हटाने पर बाध्य किया।

१९५५ से १९५८ तक पश्चिमी एशिया शीत-युद्ध का भयंकर अखाड़ा बना रहा। इस क्षेत्र के सामरिक महत्त्व और तेल कूपों पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनों में घोर संघर्ष होता रहा। फारस का तेल-विवाद, स्वान नहर का मकड़, लेबनान में अमरोकी फौज का उतरना, इराक की क्रान्ति आदि अवसरों पर दोनों पक्ष ताल ठोककर मैदान में डट गये। जब राष्ट्रपति आइसनहावर ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त—आइसनहावर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तो दोनों पक्षों का संघर्ष और भी उग्र हो गया। इस तरह के सैकड़ों दृष्टांत दिये जा सकते हैं। शक्य है, कोई भी ऐसी घटना इधर नहीं घटी है जो शीत युद्ध का परिणाम न हो या उससे प्रभावित न रहा हो।

खुश्चेव की अमरीकी यात्रा—१९५९ के मध्य में कुछ कारणों से शीत युद्ध में कुछ बर्फी पड़ी। २ अगस्त को “बीसवीं शताब्दी का सबसे महान् कूटनीतिक चमत्कार” हुआ। उस दिन मास्को में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और वाशिंगटन में स्वयं राष्ट्रपति आइसनहावर ने एक ही समय में यह घोषणा की कि कुछ ही दिनों में सोवियत रूस के प्रधान मंत्री निकैता खुश्चेव संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संघ का भ्रमण करेंगे। सारे संसार में इस समाचार का स्वागत हुआ। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शीत युद्ध सदा के लिए बन्द हो गया और दोनों देश मिलकर संसार में स्थायी शान्ति की नींव डाल देंगे।

इसके पूर्व मिकोयान अमेरिका का और सपराभूपति निक्शन रूस यात्रा कर चुके थे। इन यात्राओं का महत्त्व अब सत्रको ज्ञात हान लगा। बहुत दिनों से दुनिया में एक शिखर-सम्मेलन (summit conference) की माँग आ रही थी। इसका तात्पर्य यह था कि महाशक्तियों के शासनाध्यक्ष एक जगह मिलें और सत्तार की कठिन समस्याओं का समाधान कर लें। ३ अगस्त को घोषणा ने इस सम्मेलन के माग को प्रशस्त कर दिया।

१५ सितम्बर को खुश्चेव अमेरिका पहुँचा। लगभग एक महीने तक वह अमेरिका के विविध स्थानों का भ्रमण करता रहा। उस ही अपवाद को छोड़कर कभी वह ई अप्रिय घटना नहीं घटी। सर्वत्र उसका स्वागत हुआ। इस यात्रा के फलस्वरूप यह आशा जमने लगी कि इस शीत-युद्ध में कमी आयेगी और अन्ततः उसका अन्त हो जायेगा। खुश्चेव के अमेरिका भ्रमण का परिणाम अच्छा ही निकला। यह तय हुआ कि मई, १९६० में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत रूस की यात्रा करे। मरकरारी तोर पर सोवियत संघ ने उन्हें निमन्त्रण भी भेज दिया। लेकिन इसी समय अमेरिका के पागलपन ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसका कारण था यू२ जासूसी विमान कांड।

यू-२ विमान कांड—रुक मई, १९६० को अमेरिका का एक वायुयान सोवियत सीमा का अतिक्रमण करके दो हजार कीलोमीटर अन्दर घुस गया। जब उसके अक्रामक इरादों का पता स्पष्ट रूप से चल गया तो स्टर्डलैवाइक के निरुद्ध उसे राकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया। विमान के निरीक्षण से पता चला कि यह एक जासूसी विमान था क्योंकि इसमें जासूसी के अनेक यन्त्र और उपकरण पकड़े गये। सोवियत संघ इस विमान का चालक पावर्स बच गया और पकड़ लिया गया। उसने इस बात को कबूल किया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण तथा सैनिक अड्डों की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। विमान में विज्ञापन यन्त्र लगे हुए थे जो सोवियत प्रदेश पर उड़ते उड़ते विभिन्न स्थानों का फोटो ले रहे थे। खुश्चेव ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। शुरू में तो अमेरिकी सरकार ने ऐसी उड़ान का खंडन किया, लेकिन बाद में यह समझकर कि पावर्स सम्भवतः मर चुका है, यह कहा कि दुर्भाग्य से सोवियत सीमा के पास एक विमान अड्डे के वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उड़ रहा था। किन्तु जब पावर्स के शोषित रहने और दोष स्वीकार करने का पता चला तो उन्हें यह स्वीकार करना पडा कि यह विमान सोवियत आकाश में सैनिक अड्डों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।

यदि बात इतनी ही तक रहती तो सम्भवतः मामला नहीं बढ़ता। लेकिन राष्ट्रपति आइसनहावर ने कहा कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाई जान-बूझकर

करता है और भविष्य में भी करेगा। उनका कहना था कि सोवियत संघ की सामरिक कार्रवाईयाँ सुप्त रहती हैं और पर्ल हार्बर जैसे आकस्मिक आक्रमणों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वतंत्र विश्व के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस वक्तव्य के बाद खुश्चेव गुस्ता से आगबवूला हो गया। उसने इस जासूसी उडान को एक अत्यन्त उच्चैजनात्मक कार्य और सोवियत राष्ट्र का घोर अपमान बताया। उसने गर्जन करत हुए अमेरिका से स्थिति को विगाड़ने वाली तथा शान्ति को सक्कट में डालनेवाली ऐसी घटनाओं को बन्द करने की माँग की और साथ ही साथ यह धमकी दी कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हुई और युद्ध छिड़ा तो उसक लिए एकमात्र संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेवार होगा। संसार में सब जगह अमरीकी कार्रवाई की निन्दा हुई। जब अमेरिका ने क्षतिपूर्ति करने और माफी माँगने से इन्कार कर दिया तो सोवियत संघ ने सुरक्षा-परिपद् में इस घटना की शिकायत की। परिपद् में सोवियत प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें अमेरिका के इस जासूसी कारनामे की निन्दा की गयी थी और इसकी चार्टर के सिद्धान्तों के प्रतिकूल बतलाया गया था। प्रस्ताव में अमेरिका से अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे कार्यों को शीघ्र बन्द कर दे।

अमरीकी प्रतिनिधि हेनरी वेवट लॉज ने कहा कि इस जासूसी उडान को 'आक्रमण' नहीं कहा जा सकता। उसने अमेरिका और अन्य देशों में रूसी जासूसी का दृष्टान्त देना शुरू किया। उसने कहा कि सोवियत प्रतिनिधि का यह वचन सत्य नहीं है कि सोवियत प्रदेश पर ऐसी उडानें निरन्तर करते रहना अमरीकी सरकार का नीति है। राष्ट्रपति वाइसनहावर ने यह आश्वासन दे दिया है कि ऐसी उडानें बन्द कर दी गयी हैं। सुरक्षा परिपद् में प्रस्ताव पर खूब गरमागरम और नाटकीय टग* स बहस हुई। लेकिन अन्त में प्रस्ताव रद्द ही गया। इसके पक्ष में केवल रूस और पोलैंड क वोट आये।

इस बीच खुश्चेव ने अपने भाषणों और वक्तव्यों से अमेरिका पर प्रबल आक्षेप किये और भविष्य में ऐसी जासूसी के विरुद्ध राकेटों द्वारा बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। यू२ विमान पाकिस्तान, तुर्की और नाबे में स्थित अमरीकी हवाई अड्डे से उड़ते थे। खुश्चेव ने इन देशों को भी चेतावनी दी कि वे अपने यहाँ से ऐसे अड्डे हटा लें। इन देशों को उसने कहा "आग से मत खेलिये।

* अमरीकी प्रतिनिधि केवल लॉज न बड़े ही नाटकीय ढंग से परिपद् के मेज पर एक बस्तु रखी। यह अमेरिका की सरकारी राजमुद्रा का एक काष्ठ प्रतिरूपि थी जिसकी रूसी सरकार ने मास्को में अमरीकी राजदूत को दूतावास में लगाने के लिए भेंट की थी। इसमें अमरीकी दूतावास में होनेवाले सभी वार्तालाप को अंकित करने तथा बाहर सम्वाद भेजने के अति सूक्ष्म यंत्र लग हुए थे। यह मुद्रा बहुत दिनों तक दूतावास के कार्यालय में लगी रही और इससे राजदूत के वार्तालाप की सूचना सोवियत अधिकारियों को मिलती रही।

यदि भविष्य में कोई विमान इन देशों के अड्डों से आया तो रूस अपने प्रक्षेपणास्त्रों (missile) द्वारा उसको नष्ट कर देगा"। रूस में पावर्स पर मुकदमा चला और उसे जाबूसी कार्य करने के अभियोग पर दस वर्ष की सख्त सजा दी गयी।

यू-२ कांड ने शीत युद्ध में तूफान ला दिया। रूस ने इसका खूब प्रचार किया और उससे खूब लाम उठाया। ख्रुश्चेव ने यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठायी कि रूस शान्ति का सबसे बड़ा प्रेमी और अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के लिए वही एकमात्र जिम्मेवार है। अमेरिका के सैन्य संगठन रूस पर आक्रमण करने के लिए बनाये गये हैं। यू-२ विमान इन सैन्य संगठनों के देश—तुर्की एवं पाकिस्तान—से होकर आया था और इसका लक्ष्य नाटो के सदस्य राज्य नावों पहुँचना था। अतएव रूस को इन देशों को चेतावनी देने का अवसर मिल गया। अब अमरीकी अड्डों को इजाजत देनेवाले देश यह अनुभव करने लगे कि यू-२ विमानों को अपने देश में ठहराया भयकर खतरों को मोल लेना है। लेकिन यू-२ काण्ड का सर्वाधिक घातक प्रभाव पेरिस के शिखर-सम्मेलन पर पड़ा।

पेरिस का शिखर सम्मेलन—शिखर सम्मेलन को माँग बहुत दिनों से हो रही थी। जब सोवियत प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव अमेरिका गये तो कैम्पडेविड राष्ट्रपति आइसनहावर से मुलाकात करने के समय यह निश्चय हुआ कि पेरिस में एक शिखर-सम्मेलन हो। इस निश्चय के बाद "शीत-युद्ध के बर्फ में पहली दरार" दोखने लगी। पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि १६ मई, १९६० को यह सम्मेलन पेरिस में शुरू हो। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाध्यक्ष सम्मिलित हों, बर्लिन जर्मनी, निरस्त्रकरण आदि जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार तथा उनके समाधान का प्रयास किया जाय।

लेकिन शिखर सम्मेलन शुरू होने के दो सप्ताह पूर्व (१ मई) यू-२ विमान-कांड हो गया। इसको लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया। फिर भी यह सम्भावना नहीं प्रतीत हो रही थी कि शिखर सम्मेलन असफल हो जायगा। ११ मई को सुप्रिम सोवियत में बोलते हुए ख्रुश्चेव ने इस आशय का आश्वासन भी दिया था। "अयुक्त राज्य अमेरिका के इस उत्तेजनापूर्ण काय से" ख्रुश्चेव ने कहा, "हमें अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। पेरिस में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायगा।" लेकिन जब पेरिस में शिखर-सम्मेलन शुरू हुआ तो ख्रुश्चेव ने यू-२ का प्रश्न उठा ही दिया। अमेरिका की जासूसी कार्रवाई की तीव्र भर्त्सना करते हुए उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से कुछ माँगे रखे। उसने कहा कि अमेरिका को अपनी जासूसी काम की निन्दा करनी

* नीचे पावर्स को छोड़ दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

प्रकाश में आकर अन्त्य अमरीकी गणराज्य भी क्यूबा के साथ अछूत सा व्यवहार करने लगे। उसे "अमरीकी राज्यों के संगठन" से निकाल भी दिया गया। इस हालत में क्यूबा अधिकाधिक मात्रा में सोवियत संघ के मैत्री और सद्भावना पर आभित होगे लगा। सघर संयुक्त राज्य के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय बन रही थी। अमरीकी महाद्वीप के बीच में लाल कण्डा फहराये यह कैसे सह्य हो सकता था। अमरीकी शरीर में क्यूबा एक कोढ़" माना जाने लगा। इस हालत में संयुक्त राज्य फेरट्रो की सरकार को चलट कर समकी जगह पर कुछ पिछुनयुत्री एव प्रति-क्रियावादियों की सरकार कायम करने का पड्यन्त्र करने लगा। विदेश नीति के में राष्ट्रपति कैंनेडी का यह पहला कार्य था।

क्यूबा में जय फेरट्रो की सरकार कायम हुई तो उस समय कुछ क्यूबन मागकर संयुक्त राज्य चले गये। इन्हीं शरणार्थियों के नाम पर संयुक्त राज्य में एक "क्यूबा लि सेना" संगठित की जाने लगी। लेकिन वास्तव में इस "सेना" के सैनिक संयुक्त राज्य के सैनिक थे। इस सेना द्वारा क्यूबा पर आक्रमण करने की तैयारी थी। क्यूबा का अपराध या समाजवादी व्यवस्था को अपनाना तथा सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध बढ़ाना। १९६१ के अप्रिल में क्यूबा पर आक्रमण कर तैयारी हो गयी तो १७ तारीख को तथा कथित "क्यूबा निवासियों" द्वारा सरकार कायम कर सैनिक आक्रमण करने के पीछे संयुक्त राज्य

गया। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर से बढ़ गया। अपराधी ने तो अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और वह हँसते गाते वाशिंगटन वापस लौट आया। लेकिन पेरिस की घटना से ख़ुश्चैव को ग्लानि अवश्य हुई। अतएव कुछ दिनों के बाद उसे कहना पड़ा कि “रूस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा।” १० नवम्बर, १९६० को ख़ुश्चैव का एक और महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हुआ। उसमें उसने कहा “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सब प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, किन्तु समय बीतने के साथ ऐसे सम्बन्धों की कटुता दूर हो जाती है। इसकी परवाह नहीं कीजिए कि समुद्र कितना तूफानी है। तूफान के बाद हमेशा शान्ति आती है। यही अन्ततः यू-२ विमान की घटना के सम्बन्ध में होगी। इसकी जासूसी उड़ान एक शत्रुतापूर्ण कार्य था, किन्तु कुछ समय बाद यह तूफान भी शान्त हो जायगा।”

इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें जी. एफ. क्वैलरलड कैनेडी निर्वाचित हुए। नये राष्ट्रपति से यह आशा की जाने लगी कि वह शीत युद्ध में कमी करने के लिए अवश्य ही प्रयास करेगा। यथाई देते हुए ख़ुश्चैव ने ऐसी ही आशा व्यक्त की थी और कैनेडी ने एक अत्यन्त ही आशावादी जवाब दिया था। लेकिन नया राष्ट्रपति पुराने से भी एक रदम आगे बढ़ गया। क्यूबा में उसकी जो कारतूतें हुईं उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नया प्रशामन शीत युद्ध का उत्तम ही बड़ा समर्थक रहा जितना इसके पूर्वज थे।

क्यूबा की घटना—१९५८ में क्यूबा में डॉ॰ फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी जनवादी सरकार की स्थापना हुई। इस घटना ने शीत युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। यहाँ से क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद का घोर शिकार बना हुआ था। उसके आर्थिक जीवन पर अमरीकी पूंजीपतियों का पकाधिकार था। कैस्ट्रो के हाथ में क्यूबा की सत्ता आने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी हो गया। समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने-वाला यह क्रांतिकारी व्यक्ति संयुक्त राज्य के डालर साम्राज्यवाद का घोर विरोधी था। उसने दूरत ही अपने देश के आर्थिक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। इससे सर्वाधिक घाटा संयुक्त राज्य के उन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को पहुँचा जो अमेरिका के प्रशामन पर प्रभाव रखते थे। तत्कालीन विदेश मन्त्रि जॉन फास्टर डलेस ने भी क्यूबा में अग्नौ व्यक्तिगत आर्थिक स्वाधेय था। अतएव संयुक्त राज्य की नीति निवारकों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय का मन्वना स्वाभाविक था।

कैस्ट्रो ने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का शुरुआत ही कर ही साथ ही कम्युनिस्ट गुट के साथ भी उनकी सम्बन्ध निरन्तर बढ़ाए लगे। सन्निवृत्त सभ के साथ उसका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ। कैस्ट्रो के समाजवादी प्रयत्नों से हिन्दू संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सहिष्कार करने लगा और उसके

चाहिए, उसके लिए माफी माँगनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजनारमक कार्य को बन्द करना चाहिए तथा इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। “यदि ऐसा नहीं किया जाता,” खुश्चेव ने कहा, “तो सोवियत संघ शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बात करना एकदम बेकार सम्मेलन है और वह उसमें भाग नहीं ले सकता। इस सम्मेलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि यह अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जनवरी में हो सक।” खुश्चेव ने राष्ट्रपति आइसनहावर को अपना नित भी किया। दगाल और मैकमिलन से तो उसने हाथ मिलाया, पर जब आइसनहावर ने हाथ बटाय़ा तो खुश्चेव ने इन्कार कर दिया। आइसनहावर शिखर-सम्मेलन के बाद सोवियत रूस आनेवाले थे। मारा कार्यक्रम बन्द चुका था। खुश्चेव ने कहा कि सोवियत रूस इस निम्न्त्रण को वापस लेता है और अमरीकी राष्ट्रपति का बन्द रूस जान की कोई आवश्यकता नहीं है।

खुश्चेव के इस आचरण से आइसनहावर स्तब्ध रह गया। उसने आश्वासन दिया कि यू-२ की घटना के बाद जासूरी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए सम्मेलन का कार्य बन्द करने के लिए इस घटना को बहाना बनाना अनुचित है। खुश्चेव ने कहा कि भविष्य में इन उड़ानों का शुरू करने का इरादा हो या नहीं यदि फिर कोई जासूरी विमान आया तो उसकी भी बड़ी दुर्गति होगी जो यू-२ का हुआ है। उसको आइसनहावर के आश्वासन से सन्तोष नहीं हुआ और अपनी माँगों पर वह डटा रहा। दगाल और मैकमिलन ने गतिरोध को दूर करने का यत्न किया, पर वह विफल रह। सम्मेलन के दूसरे सत्र में खुश्चेव नहीं आया इसलिए सम्मेलन को कायवाही बन्द कर देनी पड़ी।

शिखर-सम्मेलन की असफलता शीत युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ठापी ठहराया। खुश्चेव सम्मेलन में एक ऐसा आक्रामक देश के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने की तैयार न था जिसने अपना अपराध ही स्वीकार नहीं किया था। दूसरे ओर आइसनहावर का कहना था कि खुश्चेव ने जान-बूझकर वील का ताड़ बनाया है। अमेरिका ने जासूरी उड़ानों को बन्द कर देने का आश्वासन दे दिया है। इस पर भी यदि सोवियत प्रधान मन्त्री नहीं मानते हैं तो इसकी असफलता का सारा उत्तरदायित्व उन पर है। सोवियत प्रधान मन्त्री का व्यवहार, आइसनहावर का कहना था, यह व्यक्त करता है कि वे मास्को से पेरिस बवल सम्मेलन का विफल बनाने के लिए जाये थे।

शिखर सम्मेलन की असफलता से सारे छसारे में गहरी निराशा छा गयी। जो लोग सोचते थे कि शीत युद्ध का अन्त हो जायगा उसकी आशा पर पानी फिर

गया। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर से बढ़ गया। अपराधी ने तो अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और वह हँसते गाते वाशिंगटन वापस लौट आया। लेकिन पेरिस की घटना से स्ट्रुचेव को ग्लानि अवश्य हुई। अतएव कुछ दिनों के बाद उसे कहना पड़ा कि “रूस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा।” १० नवम्बर, १९६० को स्ट्रुचेव का एक और महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हुआ। उसमें उसने कहा “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सब प्रकार का तनाव उत्पन्न होते हैं, किन्तु समय बीतने के साथ ऐसे सम्बन्धों की कटुता दूर हो जाती है। इसकी परवाह न कीजिए कि समुद्र किटना तूफानी है। तफान के बाद हमेशा शान्ति आती है। यही अन्ततः ५-० विमान की घटना के सम्बन्ध में होगा। इसकी जासूसी उड़ान एक शत्रुतापूर्ण कार्य था, किन्तु कुछ समय बाद यह तफान भी शान्त हो जायगा।”

इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसमें जॉन फिट्ज़रलड केनेडी निर्वाचित हुए। नये राष्ट्रपति से यह आशा की जाने लगी कि वह शीत युद्ध में कमी करने के लिए अवश्य ही प्रयास करेगा। बधाई देते हुए स्ट्रुचेव ने ऐसी ही आशा व्यक्त की थी और केनेडी ने एक अत्यन्त ही आशावादी जवाब दिया था। लेकिन नया राष्ट्रपति पुराने से भी एक कदम आगे बढ़ गया। बयूबा में उसकी जाकरतूँ हुई उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नया प्रशासन शीत युद्ध का उत्तम ही बड़ा समयक रहा जितना इसके पूर्वज थे।

बयूबा की घटना—१९५८ में बयूबा में डा० फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी जनवादी सरकार की स्थापना हुई। इस घटना ने शीत युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। वर्षों से बयूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद का घोर शिकार बना हुआ था। उसके आर्थिक जीवन पर अमरीकी पूंजीपतियों का प्रकाधिकार था। कैस्ट्रो के हाथ में बयूबा की सत्ता आने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी हो गया। समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने-वाला यह क्रांतिकारी व्यक्ति संयुक्त राज्य के डालर साम्राज्यवाद का घोर विरोधी था। उसने तुरन्त ही अपने देश के आर्थिक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। इससे सर्वाधिक घाटा संयुक्त राज्य के उन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को पहुँचा जो अमेरिका के प्रशासन पर प्रभाव रखते थे। तत्कालीन विदेश सचिव जॉन फास्टर डनेस भी बयूबा में अग्न्याग्नि व्यक्तित्व का स्वागत था। अतएव संयुक्त राज्य की नीति निष्ठा का क्षेत्र में खनबली का मसना स्वाभाविक था।

कैस्ट्रो ने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना तो शुरू ही कर दी साथ ही कम्युनिस्ट गुट के साथ भी उनका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ने लगा। स वियतनाम के साथ उसका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ। कैस्ट्रो के समाजवादी पक्षियों से चिढ़कर संयुक्त राज्य अमेरिका उसका बहिष्कार करने लगा और उसके

प्रभाव में आकर अन्य अमरीकी गणराज्य भी क्यूबा के साथ अछूत सा व्यवहार करने लगे। उसे "अमरीकी राष्ट्रों के संगठन" से निकाल भी दिया गया। इस हालत में क्यूबा अधिकाधिक मात्रा में सोवियत सघ के मैत्री और सद्भावना पर आश्रित होने लगा। उधर सयुक्त राज्य के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय बन रही थी। अमरीकी महाद्वीप के बीच में लाल भण्डा फहराये यह कैसा मह्य हो सकता था। "स्वस्थ अमरीकी शरीर में क्यूबा एक कोढ़" माना जाने लगा। इस हालत में सयुक्त राज्य कैस्ट्रो की सरकार को उलट कर उसकी जगह पर कुछ पिछलगुओं एवं प्रतिक्रियावादियों की सरकार कायम करने का पडयन्त्र करने लगा। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति कैनेडी का यह पहला कार्य था।

क्यूबा में जब कैस्ट्रो की सरकार कायम हुई तो उस समय कुछ क्यूबन भागकर सयुक्त राज्य चले गये। इन्हीं शरणार्थियों के नाम पर सयुक्त राज्य में एक "क्यूबा मुक्ति सेना" संगठित की जाने लगी। लेकिन वास्तव में इस "सेना" के सैनिक सयुक्त राज्य के सैनिक थे। इस सेना द्वारा क्यूबा पर आक्रमण करने की तैयारी होने लगी। क्यूबा का अपराध या समाजवादी व्यवस्था को अपनाना तथा सोवियत सघ के साथ सम्बन्ध बढ़ाना। १९६१ के अप्रिल में क्यूबा पर आक्रमण करने की जब पूरी तैयारी हो गयी तो १७ तारीख को तथा कथित क्यूबा निवासियों ने एक अस्थायी सरकार कायम कर सैनिक आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। सोवियत रूस की सरकार ने इस आक्रमण के पीछे सयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ बतलाया। लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आरोप को स्वीकार किया। इस पर सोवियत सघ ने धमकी दी कि यदि क्यूबा पर बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ तो सोवियत सघ चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। सारी दुनिया में सयुक्त राज्य अमेरिका की इस कार्रवाई की निन्दा की गयी। इस कारण क्यूबा में अमेरिका का पडयन्त्र पूरा नहीं हो सका और आक्रमणकारियों को कैस्ट्रो सरकार की सना ने बुरी तरह पराजित कर दिया। यह राष्ट्रपति कैनेडी की बहुत बड़ी पराजय और कैस्ट्रो की बहुत बड़ी विजय थी। आक्रमण में भाग लेने वाले बहुतेर अमरीकी पकड़ लिये गये और जब कैस्ट्रो ने सयुक्त राज्य से युद्ध का हरजाना बयल लिया तभी इन कैदियों को मुक्त किया गया।

अमेरिका की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप क्यूबा और सोवियत सघ का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ होने लगा। कैस्ट्रो की सरकार को सोवियत सघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी। क्यूबा के वायुयान चालक रूसी मोग विमान की चलाने की प्रशिक्षण चेक-स्लोवाकिया में पाने लगी। अमरीकी महादेश में अपना एक समर्थक पा लेना समाजवादी जगत का एक बहुत बड़ी मफलता थी। इसीलिए क्यूबा अमेरिका की आँखों का कौटा बन रहा था।

अक्टूबर, १९६२ में क्यूबा की समस्या ने अत्यन्त ही गम्भीर रूप धारण कर लिया। रूस ने वहाँ नये-नये सैनिक अड्डे कायम कर भिये थे। इन अड्डों में राउट प्रक्षेपास्त्र (rocket missile) रखे जाने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह इस स्थिति को किसी हालत में कबूल नहीं कर सकता कि रूस के आक्रामक हथियार अमेरिका के इतने नदीव रखे जायँ। राष्ट्रपति क्वेनेडी ने इसका कड़ा विरोध किया और कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे विश्व शान्ति पर छतरा उपस्थित हो गया। शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर आ गया।

२२ अक्टूबर, १९६२ को राष्ट्रपति क्वेनेडी ने क्यूबा के नाकेबन्दी (blockade) की घोषणा की। अमरीकी नौ-सेना का आदेश दिया गया कि वह ऐसे सभी जहाजों को जो आक्रामक हथियार लादकर क्यूबा जा रहे हों उनको रोका जाय ताकि वे क्यूबा नहीं पहुँच सकें। इसी समय सोवियत सघ के कुछ जहाज क्यूबा जा रहे थे। अब प्रश्न यह था कि सोवियत जहाजों को अमरीकी नौ सेना रोकगा, सोवियत सघ इसका विरोध करेगा और जब अमेरिका नहीं मानेगा तो दोनों महान् शक्तियों में युद्ध शुरू हो जायगा जिसका मतलब था—तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन यह एक सन्देहजनक बात है कि राष्ट्रपति क्वेनेडी विश्व युद्ध की जोखिम मोल लेने को तैयार थे। उनका इरादा सम्भवतः क्यूबा से कैस्ट्रो-शासन का अन्त करना था। लेकिन उनकी कारवाह से सोवियत सघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष तनाव तो उत्पन्न ही हो गया।

संयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव यू थान्त ने देखा कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है और इससे युद्ध छिड़ सकता है। अतएव उन्होंने एक सुझाव रखा कि एक निश्चित काल तक अमेरिका नाकेबन्दी को लागू नहीं करे और इस काल में सोवियत सघ कैरेबियन समुद्र में अपना जहाज न भेजे तथा इस बीच में बातचीत करके इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया जाय। क्लुशचेव ने क्यूबा समस्या पर विचार करने के लिए शिखर-सम्मेलन की माँग की। लेकिन राष्ट्रपति क्वेनेडी "अभी या कभी नहीं" पर दृढ़ हुए थे। उन्होंने इन दोनों सुझावों को नामजूर कर दिया। विश्व-युद्ध के काले बादल मँडराने लगे।

क्लुशचेव शीत युद्ध की इस राजनीति को भली भाँति समझ रहा था। विश्व-युद्ध का तो उसे भय नहीं था, लेकिन इस संकट से क्यूबा की कैस्ट्रो सरकार का अन्त अवश्यम्भावी प्रतीत हो रहा था। अतएव काफी सोच-समझकर वह क्यूबा में स्थित सभी सोवियत अड्डों को हटा लेने पर राजी हो गये। यह तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सघ की देखरेख में सारे सोवियत यन्त्र क्यूबा हटा लिये जायेंगे।

क्यूबा की यह घटना शीत-युद्ध के इतिहास में सोवियत सघ को सबसे बड़ी पराजय और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यह

प्रभाव में आकर अन्य अमरीकी गणराज्य भी क्यूबा के साथ अछूत सा व्यवहार करने लगे। उसे "अमरीकी राज्यों के सगठन" से निकाल भी दिया गया। इस हालत में क्यूबा अधिकाधिक मात्रा में सोवियत सघ के मैत्री और सद्भावना पर आश्रित होने लगा। उधर सयुक्त राज्य के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय बन रही थी। अमरीकी महाद्वीप के बीच में लाल भण्डा फहराये यह कैसे सह्य हो सकता था। "स्वस्थ अमरीकी शरीर में क्यूबा एक कोढ़" माना जाने लगा। इस हालत में सयुक्त राज्य कैस्ट्रो की सरकार को उलट कर उसकी जगह पर कुछ पिछलगुओं एवं प्रतिक्रियावादियों की सरकार कायम करने का पटयन्त्र करने लगा। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति कैनेडी का यह पहला कार्य था।

क्यूबा में जब कैस्ट्रो की सरकार कायम हुई तो उस समय कुछ क्यूबन भागकर सयुक्त राज्य चले गये। इन्हीं शरणार्थियों के नाम पर सयुक्त राज्य में एक "क्यूबा मुक्ति सेना" सर्गाठल की जाने लगी। लेकिन वास्तव में इस "सेना" के सैनिक सयुक्त राज्य के सैनिक थे। इस सेना द्वारा क्यूबा पर आक्रमण करने की तैयारी होने लगी। क्यूबा का अपराध या समाजवादी व्यवस्था को अपनाना तथा सोवियत सघ के साथ सम्बन्ध बढ़ाना। १९६१ के अप्रिल में क्यूबा पर आक्रमण करने का जब पूरी तैयारी हो गयी तो १७ तारीख को तथा कथित क्यूबा निवासियों ने एक अस्थायी सरकार कायम कर सैनिक आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। सोवियत रूस की सरकार ने इस आक्रमण के पीछे सयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ बतलाया। लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आरोप को स्वीकार किया। इस पर सोवियत सघ ने धमकी दी कि यदि क्यूबा पर बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ तो सोवियत सघ चुपचाप नहीं बैठे रहेगा। सारी दुनिया में सयुक्त राज्य अमेरिका की इस कार्रवाई की निन्दा की गयी। इस कारण क्यूबा में अमेरिका का पडयन्त्र पूरा नहीं हो सका और आक्रमणकारियों को कैस्ट्रो सरकार की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया। यह राष्ट्रपति कैनेडी की बहुत बड़ी पराजय और कैस्ट्रो को बहुत बड़ी विजय थी। आक्रमण में भाग लेने वाले बहुतेरे अमरीकी पकड़ लिये गये और जब कैस्ट्रो ने सयुक्त राज्य से युद्ध का हरजाना वसूल लिया उभां इन कैदियों को मुक्त किया गया।

अमेरिका की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप क्यूबा और सोवियत सघ का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ होने लगा। कैस्ट्रो की सरकार को सोवियत सघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी। क्यूबा के वायुयान चालक रूसी भाग विमान की चलाने की प्रशिक्षण चेकास्लोवाकिया में पाने लगी। अमरीकी महादेश में अपना एक समथक पा लेना समाजवादी जगत का एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसीलिए क्यूबा अमेरिका की आँखों का काँटा बन रहा था।

अक्टूबर, १९६२ में क्यूबा की समस्या ने अत्यन्त ही गम्भीर रूप धारण कर लिया। रूस ने वहाँ नये नये नैतिक अड्डे कायम कर लिये थे। इन अड्डों में राकेट प्रक्षेपास्त्र (rocket missile) रखे जाने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह इस स्थिति को किमी हालत में बतूल नहीं कर सकता कि रूस के आक्रामक हथियार अमेरिका के इतने नज़दीक रखे जायें। राष्ट्रपति क्वेनेडी ने इसका कड़ा विरोध किया और कुछ ऐसा कदम चढाया जिससे विश्व शान्ति पर खतरा उपस्थित हो गया। शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर आ गया।

२२ अक्टूबर, १९६२ को राष्ट्रपति क्वेनेडी ने क्यूबा के नाकेबन्दी (blockade) की घोषणा की। अमरीकी नौ सेना का आदेश दिया गया कि वह ऐसे सभी जहाजों को जो आक्रामक हथियार लादकर क्यूबा जा रहे हों उनकी रोक जाय ताकि वे क्यूबा नहीं पहुँच सकें। इसी समय सोवियत सघ के कुछ जहाज क्यूबा जा रहे थे। अब प्रश्न यह था कि सोवियत जहाजों को अमरीकी नौ सेना रोकगा, सोवियत सघ इसका विरोध करेगा और जब अमेरिका नहीं मानेगा तो दोनों महान् शक्तियों में युद्ध शुरू हो जायगा जिसका मतलब था—तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन यह एक सन्देशजनक बात है कि राष्ट्रपति क्वेनेडी विश्व युद्ध की जोखिम मोल लेने को तैयार थे। उनका इरादा सम्भवतः क्यूबा से कैस्ट्रो-शासन का अन्त करना था। लेकिन उनकी कारवाह से सोवियत सघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष तनाव तो उत्पन्न हो ही गया।

संयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव यू थान्त ने देखा कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है और इससे युद्ध छिड़ सकता है। अतएव उन्होंने एक सुझाव रखा कि एक निश्चित काल तक अमेरिका नाकेबन्दी को लागू नहीं करे और इस काल में सोवियत सघ कैरेबियन समुद्र में अपना जहाज न भेजे तथा इस बीच में बातचीत करके इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया जाय। ख्रुश्चेव ने क्यूबा समस्या पर विचार करने के लिए शिखर-सम्मेलन की माँग की। लेकिन राष्ट्रपति क्वेनेडी "अभी या कभी नहीं" पर चले हुए थे। उन्होंने इन दोनों सुझावों का नामज़ूर कर दिया। विश्व युद्ध के काले बादल मँडराने लगे।

ख्रुश्चेव शीत युद्ध की इस राजनीति को भली भाँति समझ रहा था। विश्व-युद्ध का तो उसे भय नहीं था, लेकिन इस सबूट से क्यूबा की कैस्ट्रो सरकार का अन्त अवश्यमावी प्रतीत हो रहा था। अतएव काफी सोच-समझकर वह क्यूबा में स्थित सभी सोवियत अड्डों का हटा लेने पर राजी हो गये। यह तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सघ की देखरेख में सारे सोवियत यन्त्र क्यूबा हटा लिये जायेंगे।

क्यूबा की यह घटना शीत युद्ध के इतिहास में सोवियत सघ की सबसे बड़ी पराजय और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यह

क्यूबा में अमरीकी मांगों को रूस द्वारा स्वीकार कर लेने का अर्थ रूस की पराजय नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति कनेडी ने ख्रुश्चेव की बड़ी ठारीफ की और उसे सत्कार का महान् राजता कहा। निःसन्देह यह शीत युद्ध की भाषा नहीं थी।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों की नीति में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। सोवियत संघ की नीति में तो अवश्य ही परिवर्तन हो चुका है। ख्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिनवादी नीति को छोड़कर राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति अपना रही थी। ख्रुश्चेव का कहना था कि विश्व में समाजवाद का प्रचार युद्ध के द्वारा नहीं हो सकता। युद्ध होने पर सारे भारत का विनाश हो जायगा। “लेकिन हमने एक नयी दुनिया बसायी—समाजवादी दुनिया—है और हम शान्तिपूर्ण वातावरण में इसका पूर्ण उपभोग करना चाहते हैं।” अतएव पूँजीवाद के साथ ख्रुश्चेव शान्तिपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता चाहता था। उसका अटल विश्वास था कि साम्यवादी व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से करोड़ गुना श्रेष्ठ है और अन्त में इसकी विजय निश्चित है। इस विजय को शान्तिपूर्वक हासिल किया जा सकता है।

साम्यवादी दुनिया में ठीक इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा थी। जिसका नेतृत्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। चीन कम्युनिस्टों का कहना है कि पूँजीवाद के साथ समाजवाद का अस्तित्व एक बंदूकी बात है। देवता और दानव एक साथ अगल-बगल में नहीं रह सकते। दानव रूपी पूँजीवाद का विनाश करना प्रत्येक कम्युनिस्ट का परम पुनीत कर्त्तव्य है। शान्तिपूर्ण सहजीवन की बात बरने वाले अगल मार्क्सवादी नहीं हो सकते।

इस प्रकार, साम्यवादी दुनिया में भयंकर सैद्धांतिक मतभेद (ideological differences) उत्पन्न हो गया और दोनों विचारधाराओं में जमकर संघर्ष शुरू हुआ। इसको लेकर सोवियत संघ और जनवादी चीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया। सोवियत संघ की पार्टी में भी इस प्रश्न पर मतभेद था। वहाँ अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्टालिनवादी कहा जाता था और वे ख्रुश्चेव की नीति के प्रबल विरोधी थे। कहा जाता था कि क्रेमलिन में स्टालिनवादियों और ख्रुश्चेववादियों में निरन्तर संघर्ष चल रहा था। स्टालिनवादी इस ताक में लगे हुए थे कि मौका पाकर ख्रुश्चेव के सत्ता को उलट दिया जाय।

कम्युनिस्ट दुनिया के इस संघर्ष का प्रभाव शीत-युद्ध पर पड़ा। पश्चिमी गुट के दृष्टि इस हालत में तो ऐसा काम करना नहीं चाहत जिसमें ख्रुश्चेव की पराजय और बदनामी हो, और उसे लाभ उठाकर क्रेमलिन में स्टालिनवादी शासन हो जाय। ख्रुश्चेव के बने रहने से अमेरिका को कुछ लाभ दीखता ही या नहीं, पर अमरीकी गुट के अन्य प्रमुख देश, जिनका बल्ल्याण शान्ति बने रहने में ही है,

कहा जाता है कि सोवियत सभ को अमेरिका ने चुनौती दी लेकिन रुम युद्ध के डर से दबकर पीछे हट गया। ऊपर से देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन कुछ लोग इस घटना को अमेरिका की विजय नहीं मानते। उनका कहना है कि १९३२ क क्यूबा-सकट में अमल प्रश्न विश्व युद्ध का नहीं बरन् केस्ट्रो सरकार के कायम रहने का था और स्तुश्चेव ने क्यूबा से सैनिक उद्धा हटाकर केस्ट्रो सरकार को पत्तन से बचा लिया। इस दृष्टि से वास्तविक विजय सोवियत सभ की हुई है। इस तक में कुछ तथ्य अवश्य है। कहा जाता है कि जब सोवियत सभ ने उद्धे हटाने की बात मान ली ता वार्शिगटन की सरकारी हलकों में घोर निराशा छा गयी थी। यह निराशा इसलिए हुई की अमेरिका की मनोकामना पूरी नही हो सकी।

शीत-युद्ध में शिथिलता

क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध में कुछ शिथिलता आयी और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सभ दोनों ने अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तनावपूर्ण वातावरण बनाये रखना व्यर्थ है और कैनेडी और स्तुश्चेव दोनों ने पारस्परिक सम्बन्ध में सुधार के लिए कई मराहनीय काय किये। क्रेमलिन तथा वाइट हाउस दोनों क बीच सीधा सम्पर्क कायम करने के लिए भीषा टेलिफोन की लाइन (hot line) की व्यवस्था की गयी ताकि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संकट क समय दोनों देशों के शासनाध्यक्ष प्रत्यक्ष वार्ता कर सकें। इस नये वातावरण में निरस्त्रीकरण की दिशा में भी उत्तरेखनीय प्रगति हुई। २५ जुलाई, १९६३ को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत सभ क मध्य वाशिंगटन, बाह्य अन्तरिक्ष तथा समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगानेवाली एक संधि हुई। १९५५ की आस्टिया की शान्ति संधि के बाद पूर्व और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था। संधि पर हस्ताक्षर करते समय यह घोषणा की गयी कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घटाने तथा शान्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहला बड़ा पग है।

रूस चीन के सैद्धांतिक विवाद का शीत युद्ध पर प्रभाव—रूस और चीन क मध्य सैद्धान्तिक विवाद के कारण भी शीत युद्ध में शिथिलता आयी है। क्यूबा संकट के समय स्तुश्चेव ने बड़ समय से काम लिया था। यह इस बात का प्रमाण था कि सोवियत सभ शीत युद्ध की राजनीति में विश्वास नही करता और विश्व शांति को कायम रखने क लिए वह बहुत कुछ त्याग कर सकता है। नहीं ता, यदि स्तुश्चेव डट जाता तो तृतीय विश्व युद्ध को रोकना अगम्भव था। सारे सभार में स्तुश्चेव ने अपनी शान्तिपूर्ण मरजीवन की नीति की नेकनियती को साबित कर दिया। हममें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पीछे चलकर बड़े समय से काम लिया।

क्यूबा में अमरीकी मांगों को रूस द्वारा स्वीकार कर लेने का अर्थ रूस की पराजय नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति कनेडी ने ख़ुश्चेव की बड़ा तारीफ़ का और उसे सत्कार का महान् राजता कहा। नि सन्देह यह शीत युद्ध की भाषा नहीं थी।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों की नीति में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सोवियत सघ की नीति में ता अत्रश्य ही परिवर्तन हो चुका है। ख़ुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिनवादी नीति को छोड़कर राष्ट्रीय की नीति शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति अपना रही थी। ख़ुश्चेव का कहना था कि विश्व में समाजवाद का प्रचार युद्ध के द्वारा नहीं हो सकता। युद्ध होने पर सारे मानस का विनाश हो जायगा। "लेकिन हमने एक नयी दुनिया बनायी—समाजवादी दुनिया—है और हम शान्तिपूर्ण वातावरण में इसका पूर्ण उपभोग करना चाहते हैं।" अतएव पूँजीवाद के साथ ख़ुश्चेव शान्तिपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता चाहता था। उसका अटल विश्वास था कि साम्यवादी व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से बराबर गुना श्रेष्ठ है और अन्त में इसकी विजय निश्चित है। इस विजय को शान्तिपूर्वक हासिल किया जा सकता है।

साम्यवादी दुनिया में ठीक इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा थी। जिसका नेतृत्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। चीन कम्युनिस्टों का कहना है कि पूँजीवाद के साथ समाजवाद का अस्तित्व एक वेदकी बात है। देवता और दानव एक साथ अगल-बगल में नहीं रह सकते। दानव रूपी पूँजीवाद का विनाश करना प्रत्येक कम्युनिस्ट का परम पुनीत कर्तव्य है। शान्तिपूर्ण सहजीवन की बात करने वाले अटल मार्क्सवादी नहीं हो सकते।

इस प्रकार, साम्यवादी दुनिया में भयंकर सैद्धांतिक मतभेद (ideological differences) उत्पन्न हो गया और दोनों विचारधाराओं में जमकर सघष शुरू हुआ। इसको लेकर सोवियत सघ और जनवादी चीन का सम्बंध बहुत खराब हो गया। सोवियत सघ की पार्टी में भी इस प्रश्न पर मतभेद था। वहाँ अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी स्टालिनवादी कहा जाता था और वे ख़ुश्चेव की नीति के प्रबल विरोधी थे। कहा जाता था कि क्रेमलिन में स्टालिनवादियों और ख़ुश्चेववादियों में निरन्तर सघष चल रहा था। स्टालिनवादी इस ताक में लगे हुए थे कि मौका पाकर ख़ुश्चेव के तख़्ता को उलट दिया जाय।

(कम्युनिस्ट दुनिया के इस सघष का प्रभाव शीत-युद्ध पर पड़ा। पश्चिमी गुट के दृष्टि इस हालत में तो ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसमें ख़ुश्चेव की पराजय और बदनामी हो, और उसे लाम उठाकर क्रेमलिन में स्टालिनवादी शासन हो जाय। ख़ुश्चेव के बने रहने से अमेरिका की कुछ लाभ दीखता हो या नहीं, पर अमरीकी गुट के अन्य प्रमुख देश, जिनका कल्याण शान्ति बने रहने में ही है,

अवश्य ही स्तूश्चेव की शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति से प्रभावित थे। अतएव संयुक्त राज्य पर उनका दबाव था कि वह कोई ऐसा उत्तेजनात्मक कार्य न करे जिससे स्तूश्चेव की बदामी हो, और उसका पसंडा कमजोर पड़ जाय। पश्चिमी गुट समझता था कि उसका हित इसी में है कि सोवियत संघ और जनवादी चीन का मतभेद और गहरा हो। चीन की आक्रामक नीति से सब क सब ब्रतत थे। इस हालत में चीन को संसार में अकला करने में उनका भी हित निहित था। इस नये तथ्य के सामने आने से अब इस बात की चर्चा चल पड़ी कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब चीन के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत रूस का एक संयुक्त मोर्चा बने।^{११} स्तूश्चेव के पतन के बाद भी रूस और चीन के मतभेदों का अन्त नहीं हुआ। इस कारण, अर्थात् रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद के कारण, शीत-युद्ध में कुछ शिथिलता आ गयी इनमें कोई सन्देह नहीं। अब देखना है कि यह स्थिति कबतक कायम रहती है।

इस प्रकार स्तूश्चेव और कनेडी दोनों के प्रयत्नों के फलस्वरूप शीत-युद्ध में कुछ शिथिलता आयी और शान्तिप्रिय देशों की जनता यह अनुभव करने लगी कि ये दोनों महान् नेता संसार में शीघ्र ही विश्वास और शान्ति का वातावरण प्रस्तुत कर देंगे। क्यूबा की घटना के बाद राष्ट्रपति कनेडी ने अधिक समय से काम लिया और ऐसी किमी उग्र नीति का अवलम्बन नहीं किया जिससे शीत युद्ध पुनः प्रारम्भ हो जाय। सम्भवतः अमरीकी प्रशासन रूस और चीन के झगड़े का परिणाम देखने के लिए उत्सुक था और इसके बाद ही वह इस सम्बन्ध में कोई फैसला करना चाहता था। इस तथ्य का बावजूद यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति कनेडी एक उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे और शीत युद्ध को रोकने के लिए पक्षपाती थे। लेकिन दुर्भाग्यवश २३ नवम्बर, १९६३ को अमेरिका के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के षडयन्त्र के फलस्वरूप डालास नगर में उनको हत्या कर दी गयी। इसके लगभग एक वर्ष बाद १५ अक्टूबर १९६४ को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्तूश्चेव को प्रधान मन्त्री के पद से मुक्त कर दिया।

१९६४ के बाद शीत युद्ध— कनेडी के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सम्हाला। नये राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति की नीतियों को ही कार्यान्वित करेंगे और शीत युद्ध को फैलाने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति जॉनसन ने अपने शासन का प्रारम्भिक दिनों में अपने दिये गये वचनों का पालन किया और अमेरिका को ओर से तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिसके आधार

पर यह कहा जाय कि अमरीकी प्रशासन शीत युद्ध के फैलाव के लिए चंष्टा कर रहा हो।

सघर स्त्रुचेन के पतन के बाद अक्टूबर १९६४ में सोवियत सघ का नेतृत्व दा व्यक्तियों—कोसिजिन और ब्रेजनेव के हाथों में आया और इस क्षेत्र में बहुत से क्षेत्रों में आशका हुई कि सोवियत सघ का नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और इसलिए सोवियत सघ की विदेश-नीति में एक क्रान्ति परिवर्तन आयागा। लोकन यह आशका शीघ्र ही जाती रही। सोवियत सघ के नेताओं ने दुरत ही यह घोषणा की कि वे भूत-पूर्व प्रधानमन्त्री स्त्रुचव की विदेश-नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सोवियत सघ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करता रहेगा, निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास करगा तथा शीत युद्ध में तीव्रता नहीं आन देगा।

कैनेडी और स्त्रुचव के उत्तराधिकारियों ने यद्यपि उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए शीत-युद्ध का शिथिल करने का आशवासन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका और सशर की इससे पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकी। इसके लिए अमरीकी प्रशासन की जिम्मेवारी सबसे अधिक है जिसने वियतनाम की राजनीति में जबरदस्ती दृष्टक्षेप करके शीत युद्ध के दबते हुए आग का खादकर भड़काने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति पद को सम्हालने के कुछ दिनों के बाद जानसन ने 'वियतनाम के प्रति एक अर्थात् उग्र और आक्रामक नीति का अवलम्बन किया। उत्तरी वियतनाम की सीमा में बौर घुसकर अमेरिका के वायुयानों ने बम बरसाना शुरू किया और वियतनाम युद्ध को अधिकधिक फैलाने की कोशिश की गयी। सोवियत सघ ने अमरिका के इन आक्रामक कार्रवाई का बडा बडा विरोध किया और इस समस्या को लेकर दोनों के बीच शीत युद्ध पुनः शुरू हुआ।

वियतनाम-युद्ध के अलावे समय समय पर अनेक अन्य घटनाएँ भी घटीं जिनसे शीत युद्ध में उठार-चढाव चलता रहा। १९६४ में रूस द्वारा कांगो आदि में सयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापक कार्यों के व्यय के अपने अश की अदायगी से इन्कार करने और अमेरिका के इस मांग ने कि यदि रूस अपना अश अदा नहीं करे तो चार्टर के अनुसार उसे साधारण समा में मताधिकार से वचित कर दिया जाय, शीत युद्ध का अत्यधिक उग्र करके एक बडी सक्कटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी। इस प्रश्न पर अमेरिका और सोवियत सघ दोनों ने बडा बडा रुब अचनामा और ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके विषाद के चलते विश्व स स्या टूट जायागा। लेकिन बाद में इस समस्या का एक सबमान्य समाधान निकल आया और इस प्रकार शीत युद्ध का एक अध्याय समाप्त हुआ।

अरब इजरायल सघष और शीत युद्ध—मई, १९६७ में अरब इजरायल सम्बन्ध में पुन तनाव आया और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी। सोवियत सघ ने इजरायल के विरुद्ध अरब राज्यों का पक्ष लिया और अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह इजरायल को आक्रामक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके जबाब में अमेरिका ने तनाव की वृद्धि के लिए सोवियत कूटनीति को दोषी ठहराया। जब राष्ट्रपति नासिर ने अक्रामा की खाड़ी की नाकेबन्दी की घोषणा की अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे गलत बताया। सोवियत सघ ने अरब राज्यों का पुन जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उसने पश्चिमी राष्ट्रों को चेतावनी दी कि वे पश्चिम एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करें। इस प्रकार पश्चिम एशिया के सङ्घ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया और दोनों के जहाजी बड़े भूमध्य-सागर में चक्कर काटने लगे। स्थिति बड़ी नाजुक हो गयी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सघ के बीच इजरायल और अरब जगत की आत्म में सीधी टकराव हो जायगी।

अरब इजरायल सघर्ष के समय शीत युद्ध का यह अनोखा नाटक सुरक्षा-परिपद की प्रत्येक बैठकों में देखने को मिला जहाँ अमेरिका और सोवियत सघ एक दूसरे पर आरोप तथा प्रत्यारोप करते रहे और एक दूसरे को अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि तथा पश्चिम एशिया में युद्ध के विस्फोट के लिए जिम्मेवार ठहराते रहे।

अरब इजरायल युद्ध का परिणाम सोवियत सघ के मनोमुकुल नहीं हो सका। उससे जबरदस्त समर्थन के बावजूद अरब राज्य इजरायल से द्व में बुरी तरह पराजित हुए। इजरायल को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से प्रत्यक्ष और पराक्ष सहायता मिली थी, लेकिन सोवियत सघ ने अरबों को युद्ध में कोई सक्रिय सहायता नहा की। इस कारण अरब जगत तथा अन्य क्षेत्रों में सोवियत नीति और इरादों का गलत व्यथ लगाया जाने लगा और सोवियत सघ को बदनाम करने की कोशिश की गयी। सोवियत सघ पर यह आरोप किया गया कि कोई मित्र राज्य उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोवियत सघ ने अपनी स्थिति को कायम करने के लिए अरब राज्यों का पक्ष लेते हुए यह माग की कि अरब इजरायल सघर्ष का मामला संयुक्त राष्ट्रसघ की साधारण सभा में पेश किया जाय। शुरू में अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन बाद में वह राजी हो गया और १८ जून, १९६७ को अरब इजरायल सघष से उत्पन्न विवाद साधारण सभा में पेश हुआ। सोवियत प्रधानमन्त्री कोसिजिन स्वयं इस आपात्कालीन अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयार्क पहुँचे। कोसिजिन ने साधारण सभा में स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव अरब भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगी राज्य इसको मानने के लिए तैयार नहा थे। अत १९ जून की बैठक में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने सभा से वाक्यासट करके अपने राय का परि

चय दिया। कोसिजिन ने अमरीकी प्रशासन पर कड़वे प्रहार किये। अरब इजरायल संघर्ष के सन्दर्भ में यह शीत युद्ध का चरम विकास था।

ग्लासबरो का शिखर सम्मेलन—सयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के अधिवेशन में आये हुए सोवियत प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने राष्ट्रपति जॉनसन से ग्लासबरो में मुनाकात की। शुरू में दिलो ख्वाहिश होने के बावजूद जानसन और कोसिजिन में से कोई भी शिखर-वार्ता के लिए उत्सुक नहीं होखना चाहता था। पश्चिमी साम्राज्य-वार्तादयो स साँठ गौंठ करने के चीन और अल्बेनिया के प्रकट आरोपों, टीटो जैसे नेताओं द्वारा “मुलायमियत” की शिकायत और सशक्त अरब देशों की भावनाओं को देखते हुए कोसिजिन ने शुरू में ही यह बताया कि सयुक्त राष्ट्र में वह अपनी बात मनवाने आये हैं, अमेरिका से कोई लेन देन का समझौता करने नहीं। जॉनसन की ओर से भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन एकाएक यह निश्चय हुआ कि ग्लासबरो नगर में दोनों शासनाध्यक्ष मिले तथा वर्तमान समस्या पर विचार-विमर्श करें।

सोवियत संघ और अमेरिका के शासनाध्यक्षों का यह शिखर सम्मेलन ग्लासबरो में २३ जून से २६ जून (१९६७) तक चला। १९६१ में जेनेवा में खुश्चेव के बाद यह दोनों देशों के शासनाध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन था। इस सम्मेलन के सम्बन्ध में संसार के समाचारपत्रों में तरह तरह की अटकलवाजियाँ लगायी गयीं। यह कहा गया कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य एक गुप्त समझौता हो गया है जिसमें सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया में इस शर्त पर अपना रुख नरम करने का वादा किया है कि अमेरिका वियतनाम के युद्ध को सीमित कर देगा। लेकिन इस तरह की कोई बात नही हुई। दोनों नेताओं ने घंटों एकान्त में मन्त्रणा की। वियतनाम तथा पश्चिमी एशिया पर मुख्य रूप से वैचारिक आदान-प्रदान हुए और निरस्त्रकरण तथा परमाणु शक्ति के विस्तार के सवाल भी अछूते नहीं रहे।

शिखर-सम्मेलन पर चीन के हाईड्राचन बम परीक्षण का साया पड़ रहा था। चीन की उग्रवादी नीतियों और हर क्षेत्र में अन्तर्विरोधों का फायदा उठाकर मतभेदों की दरार में अपनी टांग ब्रह्माने की काशिशें दोनों महत्ती शक्तियों को समय-समय पर असमझ में डालकर एक दूसरे के नजदीक लाती रही है। ग्लासबरो में निश्चय ही कोई सौदेबाजी नहीं हुई, लेकिन इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी अवश्य आयी। महत्ती शक्तियों के बीच पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में सहमति का दायरा बनता दिखायी पड़ा। इस शिखर सम्मेलन के बाद शीत युद्ध की उग्रता में कमी अवश्य आयी और दोनों देश कुछ अधिक सधम से भाषा का प्रयोग करने लगे।

वियतनाम युद्ध—पश्चिम एशिया के संकट के अतिरिक्त १९६७-६८ में वियतनाम के प्रश्न ने शीत युद्ध में अग्नि का काम किया है। वियतनाम में चलनेवाला संघर्ष

शीत युद्ध में उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। इस प्रश्न का लेकर पश्चिम और पूर एक दूसरे पर आरोपों पर प्रत्यारोपों की कड़ी लगात रहे है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई है। लेकिन अप्रिल १९६८ में राष्ट्रपति जानसन द्वारा पुन अमरीकी राष्ट्रपति क लिए सम्भीदवार न हाने तथा उत्तरो वियतनाम पर बमबारी रोकने की घोषणा से तनाव में बहुत कमी आयी है। वियतनाम में शान्ति समझौता के लिए व ताएँ हो रही हैं और व द यह सफल हुआ ना सम्भव है कि शीत युद्ध का एक और मह न कारण लुप्त हो जाय।

शीत-युद्ध की वर्तमान स्थिति— यह कहना मजथा गलत होगा कि शीत युद्ध अब खत्म हो गया है लेकिन उसकी छया छहर हाल क वर्षों में अवश्य घटी है। विभिन्न मतभेदाँ तक छतार-छट नाँ के बायजूद स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् घोर-घोर पूर और पश्चिम के शीत युद्ध की तीव्रता में निश्चित रूप से कमी आयी है। यह दोनाँ ही गुट यह महसूस करने लगे हैं कि बिना एक सहारक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन सम्भव नहीं है और यदि काँ ऐमा युद्ध हुआ तो इममें दानों ही गुटों का सपनाश हो जायगा। इम अनुभूति ने दानों ही पक्षों का सह अस्तित्व को अनिवायता में विश्वास दिला दिया है जिससे शीत युद्ध की गर्मी बहुत हद तक शान्त होती जा रही है और एक प्रकार से उसने ट-राठ रिच (cool co operation) का रूप धारण कर लिया है। सोवियत संघ ने पूँजीवादो अमेरिका को मिटाने क मकल्प का परि त्याग कर दिया है और अमेरिका भी सोवियत संघ पर अब विश्वास करने लगा है। इस प्रकार १९५१ के बाद के शीत युद्ध के इतिहास के अध्ययन से यह निष्कप निकलता है कि यद्यपि समय समय पर ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनसे यदा कदा काफी अ-नर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हो जाता है, फिर भी, एडवर्ड क्रॉकशा के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि “क्यूबा के बाद उधार एक ही दिशा में बढ़ रहा है। वाशिंगटन के साथ एक लगातार और गुप्त कथोपकथन क साथ ‘उष्ण स्थलों का एक क्रमिक शीतली करण’ (damping down) हुआ है।” इधर हाल के वर्षों से इन दानों देशों क पारस्परिक सम्ब धों की देखने से यह स्पष्ट लगता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनाँ ही अपने आपसी सम्बन्ध को सुधारने में जुटे हुए हैं। परमाणु शक्ति क विस्तार पर दानाँ रोक लगाना चाहते हैं। दूसरे मामलों में भी ‘हॉट लाइन’ का उपयोग किया जाता है। हाल में जब अमेरिका का एक जहाज जासूसी करता हुआ उत्तरी कोरिया की समुद्र सीमा में पकडा गया तो उसको रिहाई के लिए अमेरिका अधिकारियों ने सब से पहले क्रेमलिन से सम्बन्ध स्थापित किया। रूसी नेताओं ने उत्तर कोरिया पर दबाव डालना उचित नहीं समझा, यह बात अलग है। उत्तर वियतनाम की बन्दरगाह हाईफाङ्ग में रूसी जहाज सैनिक साज सामान पहुँचाते रहते हैं, लेकिन अमेरिका

नीसेना रोक-टोक नहीं करती, शायद इसलिए कि सीधे ड्रेडनोबो को रोक युद्ध का विस्तार अमेरिका नहीं करना चाहता। इस अलिखित समझौते या मर्यादापालन के बावजूद दोनों पक्ष ईट का जवाब पत्थर से विधिवत् देते रहे हैं। अमेरिका ने यदि उत्तर वियतनाम पर बमबारी करके युद्ध का विस्तार किया है तो सत्रियत सघ ने भी उसका जवाब उत्तर वियतनाम को उन्नत अस्त्र शस्त्र भेज कर दिया है। कहा जाता है कि रूस ने वियतनाम का ऐसे प्रक्षेपास्त्र भेजे हैं जो समुद्र तट से बीस मील की दूरी तक शत्रु के युद्ध पोतों को नष्ट कर सकते हैं। यह टोगकिन को खाड़ी में अमेरिकी विमान आहक पोतों के लिए चेतावनी है। इस प्रकार भीतर-ही भीतर एक दूसरे की काट चलती रहती है, लेकिन शीत युद्ध अपना पुराना उग्र रूप धारण नहीं कर रहा है।

मैन्य सन्धियाँ और सगठन

विषय प्रवेश—द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्रमंडल का चार्टर बना तो उसकी ५२वीं धारा में प्रादेशिक सैन्य सगठनों (regional military alliances) का मान्यता दी गयी। इसमें कहा गया कि अन्तराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का स्थापित रखने के लिए ऐसे प्रादेशिक सगठनों और अभिकारणों की स्थापना की जा सकती है जो चार्टर में सन्निहित उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों से मेल खाते हों।

चार्टर की यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं प्रतीत होती। इसके कई कारण हैं। एक तो यह शीत युद्ध के परिणाम हैं और फिर वह तरह से इन्होंने शीत युद्ध को प्रभावित करके अंतराष्ट्रीय तनाव को बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें संयुक्त राष्ट्रमंडल के महत्त्व को ही कम कर दिया है। विश्व शान्ति कायम रखने के लिए १९९९ में ही शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त का परिष्कार कर दिया गया था और उसकी जगह पर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया गया था। लेकिन इन सैन्य सगठनों ने शक्ति सन्तुलन के उस पुराने और अत्यन्त सिद्धांत का फल से एक नया जीवन प्रदान किया है।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सैन्य सगठनों की स्थापना के आ दालन का सूत्रपात करने का श्रेय ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विक्टर चर्चिल को दिया जाता है। १९४६ में अमेरिका के फुल्टन नामक नगर में इस बयोद्ध राजनयिता का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उसने लोह आवरण (iron curtain) का सी मत करने तथा कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए हर सम्भव उपायों का अवलम्बन करने की अपील की। अमेरिका में शीत युद्ध के महारथियों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। ११ जून, १९४८ का अमेरिका के सीनेट ने ब्रेडनवग का एक प्रस्ताव चौंसठ के विधुत चार मतों से स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि

संयुक्त राज्य "निरन्तर एवं प्रभावपूर्ण आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहायता के आधार पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक आत्मरक्षा के लिए प्रादेशिक और सामूहिक संगठनों" को क्रमिक रूप से विकसित करने का प्रयास करे।* फलस्वरूप, पिछले वर्षों में इस प्रकार के संगठनों और समझौतों की बाढ़ आ गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले कुछ प्रमुख समझौते तथा संगठन निम्नलिखित हैं।

(१) अमरीकी राज्यों का संगठन—१९४८ में कोलम्बिया के बेगोटा नगर में अमरीकी राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुकूल अमरीकी महाद्वीपों में एक प्रादेशिक संगठन की स्थापना की गयी। इसका नाम है अमरीकी राज्यों का संगठन (Organization of American States, O A S)। इस संगठन का एक विधान है जिसमें सदस्य राज्यों के अधिकार-वर्तव्य, विवादा के शान्तिपूर्ण हल, सामूहिक सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग का उल्लेख किया गया है। वन डा के सहित अमरीकी महाद्वीप के सभी राज्य इसके सदस्य हो सकते हैं। इस संगठन के पाँच अंग हैं—(१) अन्तर अमरीकी सम्मेलन, जो संगठन के सभी अंगों के स्वरूप, कार्य, संगठन, नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण करता है। इसकी बैठक पाँच वर्ष में एक बार होती है। (२) विदेश मंत्रियों की बैठक, जो आवश्यक विषयों पर विचार करती है। इसकी बैठक किसी सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में बुलायी जा सकती है। इसकी सहायता के लिए एक परामशदात्री प्रतिरक्षा समिति भी होती है। (३) परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है। यह एक स्थायी और निरन्तर काम करनेवाली संस्था है। इस अंग का प्रधान कार्य शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा इस संगठन के विभिन्न अंगों के कार्यों को देखभाल है। (४) मलिल अमरीकी यूनियन, जो संगठन का सचिवालय है। (५) विशिष्ट संगठन, जो विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है।

अमरीकी राज्यों के संगठन में रीओ सन्धि (Rio Treaty) का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। पारस्परिक सहायता को इस अन्तर अमरीकी संघ का लक्ष्य पश्चिमी गालाह में सैनिक आक्रमण होना अथवा शान्ति भंग का भय हान की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। इसका द्वारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक के अमरीकी क्षेत्र में एक सुरक्षा क्षेत्र निश्चित किया गया है जिसपर होनेवाला कोई भी आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण समझा जायगा और इस सन्धि के सभी हस्ताक्षरकारी राज्य इसके प्रतिरोध में सहायता प्रदान करेगा।

ब्रुसेल्स सन्धि संगठन—बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में १७ मार्च, १९४८ को ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग ने एक सन्धि पर

हस्ताक्षर किये थे जिसको ब्रुसेल्स पैक्ट कहते हैं। इस सन्धि की अवधि पचास वर्ष की है। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को पैदा करना है। इस सन्धि की चौथी धारा में यह कहा गया है कि यदि इसपर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश अपनी सम्पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को प्रदान करेंगे। १९५८ में पेरिस के एक अन्य समझौते के अनुसार इस सन्धि में जर्मनी और इटली का भी शामिल कर लिया गया और अब सगठन का नया नाम पश्चिमी यूरोपीय सघ (Western European Union) रखा गया है। इस सधि में सम्मिलित राज्यों ने पारस्परिक परामर्श के लिए प्रत्येक देश के विदेश मन्त्रियों द्वारा निर्मित एक यूरोपीय परिषद् (Council of Europe) की रचना की है।

स्पष्ट है कि यह सन्धि सोवियत सघ के विरुद्ध की गयी है। जब तक जर्मनी और इटली इसमें शामिल नहीं हुए थे, तबतक यह कहा जा सकता था कि यह जर्मनी के पुनरोत्थान का रोकने के लिए किया गया है।* लेकिन भूतपूर्व न रूसी और फासिस्ट शक्तियों के शामिल हो जाने से इसका स्वरूप एवढम स्पष्ट हो गया है।

उत्तर अटलांटिक संधि सगठन—युद्धोत्तर काल के मैन्य सगठनों में उत्तर अटलान्तिक संधि सगठन (North Atlantic Treaty Organisation, (NATO)) सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चार अप्रिल, १९४९ को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोप के दस राज्यों ने एक बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर करके 'नाटो' के सगठन का जन्म दिया। फरवरी १९५२ में यूनान और तुर्की तथा मई १९५५ में पश्चिमी जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार नाटो की कुल सदस्य संख्या अभी पंद्रह है। इस सगठन का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में रूस के तथाकथित विस्तार को रोकना है और इसको जन्म देने में दो कारणों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है— सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति तथा सम्भावित सोवियत आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसघ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सकने की सम्भावना। इस सन्धि का रहस्य इसकी पाँचवा धारा से निहित है। यह इस प्रकार है 'सन्धि पर हस्ताक्षर करने

जर्मन आक्रमणों के विरुद्ध चार माच, १९४६ को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पचास वर्षों के लिए एक सन्धि हुई थी, जिसको डकर्स का सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार जर्मन आक्रमण की स्थिति में या जर्मनी द्वारा आक्रमण नीति का अनुसरण करने की स्थिति में अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की स्थिति में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था है।

† बल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड, लक्जमबर्ग, हाँड पुर्तगाल, ब्रिटेन और नावे।

संयुक्त राज्य "निरन्तर एवं प्रभावपूर्ण आत्मनिभरता एवं पारस्परिक सहायता के आधार पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक आत्मरक्षा के लिए प्रादेशिक और सामूहिक संगठनों" को क्रमिक रूप से विकसित करने का प्रयास करे।* फलस्वरूप, पिछले वर्षों में इस प्रकार के संगठनों और समझौतों की बाढ़ आ गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले कुछ प्रमुख समझौते तथा संगठन निम्नलिखित हैं

(१) अमरीकी राज्यों का संगठन—१९४८ में कोर्लाभिया के वेगोटा नगर में अमरीकी राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुकूल अमरीकी महाद्वीपों में एक प्रादेशिक संगठन की स्थापना की गयी। इसका नाम है अमरीकी राज्यों का संगठन (Organization of American States, O A S)। इस संगठन का एक विधान है जिसमें सदस्य राज्यों के अधिकार-वर्तक्य, विवादा के शान्तिपूर्ण हल, सामूहिक सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग का उल्लेख किया गया है। उन डा के सहित अमरीकी महाद्वीप के सभी राज्य इसके सदस्य हो सकते हैं। इस संगठन के पाँच अंग हैं—(१) अन्तर अमरीकी सम्मेलन, जो संगठन के सभी अंगों के स्वरूप, कार्य, संगठन, नीति तथा कार्यक्रम का निवारण करता है। इसकी बैठक पाँच वर्ष में एक बार होती है। (२) विदेश मंत्रियों की बैठक, जो आवश्यक विषयों पर विचार करती है। इसकी बैठक किसी संसद आक्रमण की स्थिति में बुलाई जा सकती है। इसकी सहायता के लिए एक परामशदात्री प्रतिरक्षा समिति भी हाती है। (३) परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है। यह एक स्थायी और निरन्तर काम करनेवाली संस्था है। इस अंग का प्रधान कार्य शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा इस संगठन के विभिन्न अंगों के कार्यों की देखभाल है। (४) अखिल अमरीकी यूनिशन, जो संगठन का सचिवालय है। (५) विशिष्ट संगठन, जो विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है।

अमरीकी राज्यों के संगठन में रीओ सन्धि (Rio Treaty) का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। पारस्परिक सहायता को इस अन्तर अमरीकी संघ का लक्ष्य पश्चिमी गालाद्द में सैनिक आक्रमण होने अथवा शान्ति भंग का मय होने की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। इसके द्वारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक के अमरीकी क्षेत्र में एक सुरक्षा क्षेत्र निश्चित किया गया है जिसपर होनेवाला कोई भी आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण समझा जायगा और इस सन्धि के सभी हस्ताक्षरकारी राज्य इसके प्रतिरोध में सहायता प्रदान करेंगे।

ब्रसेल्स सन्धि संगठन—बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में १७ मार्च, १९४८ को ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जम्बर्ग ने एक सन्धि पर

हस्ताक्षर किये थे जिसको ब्रूसेल्स पैक्ट कहते हैं। इस सन्धि को अवधि पचास वर्ष की है। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ बनाना तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को पैदा करना है। इस सन्धि की चौथी धारा में यह कहा गया है कि यदि इसपर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश अपनी सम्पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को प्रदान करेंगे। १९५८ में पेरिस के एक अन्य समझौते के अनुसार इस सन्धि में जर्मनी और इटली को भी शामिल कर लिया गया और अब सगठन का नया नाम पश्चिमी यूरोपीय सघ (Western European Union) रखा गया है। इस सधि में सम्मिलित राज्यों ने पारस्परिक परामर्श के लिए प्रत्येक देश के विदेश मन्त्रियों द्वारा निर्मित एक यूरोपीय परिषद् (Council of Europe) की रचना की है।

स्पष्ट है कि यह सन्धि सोवियत सघ के विरुद्ध की गयी है। जब तक जर्मनी और इटली इसमें शामिल नहीं हुए थे, तबतक यह कहा जा सकता था कि यह जर्मनी के पुनरोत्थान को रोकने के लिए किया गया है।* लेकिन भूतपूर्व न रूसी और फासिस्ट शक्तियों के शामिल हो जाने से इसका स्वरूप एवढम स्पष्ट हो गया है।

उत्तर अटलांटिक संधि सगठन—युद्धोत्तर काल के मेन्य सगठनों में उत्तर अटलांटिक संधि सगठन (North Atlantic Treaty Organisation, (NATO) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। चार अप्रिल, १९४९ को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोप के दस राज्यों ने एक बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर करके 'नाटो' के सगठन का जन्म दिया। फरवरी १९५२ में यूनान और तुर्की तथा मई १९५५ में पश्चिमी जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार नाटो की कुल सदस्य संख्या अभी पंद्रह है। इस सगठन का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में रूस के तथाकथित विस्तार को रोकना है और इसको जन्म देने में दो कारणों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है— सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति तथा सम्भावित सोवियत आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसघ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सकने की सम्भावना। इस सन्धि का रहस्य हमको पाँचवीं धारा से निहित है। यह इस प्रकार है 'सन्धि पर हस्ताक्षर करने

जर्मन आक्रमणों के विरुद्ध चार मार्च १९४९ को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पचास वर्षों के लिए एक सन्धि हुई थी, जिसको डब्लू का सन्धि कहते हैं। इस संधि के अनुसार जर्मन आक्रमण की स्थिति में या जर्मनी द्वारा आक्रमण नीति का अनुसरण करने की स्थिति में अथवा सुरक्षा परिषद् द्वारा जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाही करने की स्थिति में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था है।

* बलिजयव, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, हालैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और नार्वे।

वाले पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक या एक से अधिक पर आक्रमण उन सबके विरुद्ध आक्रमण समझा गया और इसलिए व यह स्वीकार करते हैं कि यदि इस प्रकार का सशस्त्र आक्रमण होता है, तो उनमें से प्रत्येक, संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की ५१ वीं धारा द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अथवा सामूहिक व्यापारिक अधिकार के अनुसार कार्य करता हुआ शीघ्र ही व्यक्तिगत रूप से या अन्य पक्षों के साथ, इस प्रकार के आक्रान्त दल अथवा दलों की सहायता करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा वह आवश्यक समझेगा, जिसमें उत्तरी अटलान्टिक क्षेत्र में सुरक्षा की पुनः स्थापना के लिए सशस्त्र शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है।” सन्धि की अन्य धाराओं में सन्धिकर्ताओं ने आधिकारिक सहायता का तथा सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता विकसित करने का वर्णन है।*

नाटो के संगठन में शीघ्र स्थान पर उत्तर अटलान्टिक परिषद् है जिसका वष में दो या तीन बैठकें होती हैं तथा जिसमें प्रत्येक देश का विदेश मन्त्री या प्रतिक्षा मन्त्री भाग ले सकते हैं। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है। इनके समापति प्रतिवर्ष बागं बारी से विभिन्न देशों के मन्त्रों होते हैं। नाटो के कार्य संचालन के लिए एक मुख्य सचिव और उसका सचिवालय होता है। मुख्य सचिव को नियुक्ति पण्डित करती है।

नाटो की एक सैनिक समिति है जिसके सदस्य नाटो देशों के मुख्य सैनिक अधिकारी (Chief of Staff) होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य पारषद् का सैनिक मामलों में परामर्श देना है। १९५० में परिषद् ने पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए सब देशों की एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और इसको मित्र शक्तियों के मुख्य कार्यालय (Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe, SHAPE) के अधीन रखा। इसके प्रथम सर्वोच्च सेनापति जनरल आइसनहॉवर १९५१ में बनाये गये थे। “शेप” के अतिरिक्त नाटो की दो और कमान हैं - प्रतिलान्तिक सागर कमान और चैनल कमान। १९५२ में नाटो की अनुरानी योजनाओं का एष्टम हथियारों से लैस किया गया।

नाटो के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। एक तो यह सोवियत संघ की चेतावनी है कि यदि उसने नाटो के किसी सदस्य-राज्य पर आक्रमण किया तो हस्ताक्षर करने वाले

इसके अतिरिक्त १ सितम्बर, १९४१ को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को मित्राकार एक ओर (सुरक्षा सन्धि कायम हुई) जिनका अर्थ अटलान्टिक पक्ष (Atlantic Pact) कहते हैं। इसके अनुसार इन राज्यों के बीच पारस्परिक परामर्श की व्यवस्था रखने तथा प्रशांत महासागर का शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए विश्व सम्मिलितों की एक परिषद् का व्यवस्था का गयो है। यह सन्धि अनिश्चित काल के लिए है कि तु यदि कोई राज्य इस संगठन को छोड़ना चाहे तो उस एक वर्ष की नोटिफिकेशन देना करने का अधिकार है।

सभी देश उसका प्रतिरोध करेंगे। इसका दूसरा लक्ष्य सयुक्त राज्य अमेरिका को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना है ताकि आक्रमण होने की स्थिति में वह युद्ध में शीघ्र हो शामिल हो जाय। पिछले दो विश्व युद्धों की तरह लड़ाई में सम्मिलित होने में वह अब देर नहीं लगायेगा। लेकिन नाटो को वस्तु में प्रादेशिक संगठन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसमें तुर्की, यूनान और इटली जैसे व देश भी शामिल हैं जिनको अन्तर्राष्ट्रिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता।

नाटो की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एकदम बिघाक्त हो गया। सोवियत संघ इसकी एक आक्रामक सैन्य संगठन मानता रहा और इसका प्रबल विरोध करता है। शीत युद्ध को विस्तृत करने और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने में इसने काफी हाथ बँटाया है। लेकिन इस हाल में फ्रान्स इस सैन्य संगठन से अलग हो गया है। फलस्वरूप नाटो संगठन दिन प्रति-दिन कमजोर होता जा रहा है।

वारसा पैक्ट—नाटो के जवाब में कम्युनिस्ट देशों को मिलाकर सोवियत संघ ने जो संगठन कायम किया है उसका वारसा पैक्ट या पूर्वी यूरोपीय संघ संगठन कहते हैं। शुरू में सोवियत संघ ने नाटो का घोर विरोध किया, पर अब इस विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला तो १४ मई १९५५ को पूर्वी यूरोप के आठ देशों—अल्बेनिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया और सोवियत रूस—का मिलाकर दोम वष के लिए एक सन्धि की। “सुरक्षा और शान्ति” के इस समझौते की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति स्थापित करने पर बल दिया गया है और यह कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप के संघ तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनश्चीकरण से यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ कर और यूरोप में शान्ति स्थापित रखें। इस पैक्ट की सुरक्ष व्यवस्था इसकी तीसरी धारा में सन्निहित है। इसमें कहा गया है कि यदि सन्धि में सम्मिलित किसी सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण होता है तो अन्य सभी देश उसकी सैनिक सहायता देंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाँचवी धारा में एक संयुक्त सैनिक बल की स्थापना की गयी है। इसका अधीन इन सब देशों की सेनाएँ रहती हैं और इनका एक सर्वोच्च सेनापति होता है। वह पैक्ट के महासचिव तथा सेनापति जेनरल स्टॉफ के साथ परामर्श करके सेनाओं को संगठित करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रदेशों में वितरित करते हैं। यूरोप में इसकी तीन कमानें और पूर्वी एशिया में एक कमान रखी गयी है। इस प्रकार वारसा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब है।

वारसा पैक्ट में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से घनिष्ठ सहयोग की व्यवस्था की गयी है और कहा गया है कि इसके सदस्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शान्तिपूर्ण उपायों से करेंगे।

सामान्य प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक राजनीतिक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी है। इसकी वष में दो बार बैठकें होती हैं। इससे अन्य सहायक सस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है। इसका मुख्य कार्यालय मास्को में है।

वारसा पैक्ट के अतिरिक्त कम्युनिस्ट देशों में पारस्परिक सहायता की बीस सन्धियाँ हुई हैं। १४ फरवरी, १९५० को चीन और रूस में ३० वर्ष के लिए एक मित्रता एवं पारस्परिक सहानता की सन्धि हुई। इसके द्वारा मास्को ने कम्युनिस्ट चीन पर जापान अथवा जापान के साथ सम्बद्ध किसी शक्ति द्वारा सैनिक आक्रमण होने की दशा में पूरी सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

पंचम सन्धि सगठन तथा बगदाद पैक्ट—आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वज नहर और तेल कूपों का लेकर पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) का अत्यधिक महत्त्व है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का प्रभुत्व था, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में राष्ट्रीयता का तूफान आ गया। इस तूफान का शिकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद हुआ। ब्रिटिश फौज को मिस्र और स्वेज का प्रदेश खाली कर देना पडा और अन्य देश भी ब्रिटिश दामता से मुक्त होने लगे। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को यह चिन्ता हुई कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव के हट जाने से कहीं उसकी जगह पर सोवियत रूस का प्रभाव न बढ़ जाय। इसलिए अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में कुछ करना था ताकि यहाँ साम्यवादी प्रसार न हो सके। इसके लिए एक योजना बनायी गयी जिसके अन्तर्गत ऑर्गन अमरीकी गुट एक ऐसी प्रतिरक्षा सन्धि की स्थापना करना चाहता था जिसमें अरब तथा पश्चिम एशिया के अन्य राष्ट्र सम्मिलित हो जायें। सवप्रथम मिस्र को इस जाल में फँसान की कोशिश की गयी। पर जब उस देश ने इसमें सम्मिलित होने से इंकार कर दिया तो ब्रिटेन और अमेरिका दुवों की ओर झुके और नहाँ के शासकों की इस दिशा में कदम छठाने पर राजी कर लिया। ६ जनवरी, १९५५ को दुवों का प्रधान मन्त्री मेंडरोम एक सद्भावना मण्डल के माध्यम से इराक पहुँचा और छ दिनों तक इराक के शासकों से बातचीत करने के बाद उसकी एक सन्धि करने पर राजी कर लिया। इस प्रकार ब्रिटेन की प्रेरणा और निर्देश से २४ जनवरी १९५५ को दुर्क इराक सन्धि के रूप में एक सगठन का जन्म हुआ। चूँकि इस सन्धि पर हस्ताक्षर बगदाद में हुआ इसलिए इसका बगदाद सन्धि कहते थे। प्रकृत रूप से इस सन्धि का उद्देश्य साम्यवादी प्रसार का रोकना था, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य पश्चिमी एशिया विशेषतः अरब देशों को बंटती हुई राष्ट्रीयता तथा पश्चिमी सर्वाधिकारवाद विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए अरब देशों में गहरा फूट पैदा करना था। इस कारण अरब लोगों ने इस सन्धि का घोर विरोध किया। लेकिन इन विरोधों का कोई असर नहीं हुआ और बगदाद सन्धि कायम हो गयी।

बगदाद सन्धि की पाचवीं धारा में कहा गया था कि उसकी सदस्यता ऐसे सभी राज्यों के लिए खुली हुई है जो पश्चिमी एशिया की सुरक्षा में सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं। पैक्ट का उद्देश्य ऐसे उपायों की निश्चित करना था जिससे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में महयोग की स्थापना की जा सके। अतएव पैक्ट का लक्ष्य एक सैनिक गुट की रचना करना था जिसका प्रधान उद्देश्य सोवियत संघ की दक्षिणी सीमा में लगे राज्यों में उसके विरुद्ध गुटबन्दी तथा उन देशों में अमेरिका के सैनिक और हवाई अड्डे स्थापित करना था। इसलिए सोवियत संघ ने इसका उग्र विरोध किया। पैक्ट का एक सदस्य पाकिस्तान था। इसलिए भारत भी बहुत कड़ शब्दों में इसकी आलोचना करता रहा।

१९५८ में बगदाद सन्धि परिषद् की चौथी बैठक १४ जुलाई से टन्सन्बूल में होनेवाली थी। जिस समय इराक के शाह फैजल और प्रधान मंत्री नूरी अस्सईद इस्तन्बूल जाने की तैयारी कर रहे थे उसी समय इराकी सेना के प्रगतिशील अफसरों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाह तथा प्रधान मंत्री दोनों को मार डाला। नूरी अस्सईद साम्राज्यवादियों का परम मित्र था। बगदाद सन्धि की स्थापना में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसकी मौन के साथ ही बगदाद सन्धि का भविष्य अन्धकारमय हो गया। नयी क्रांतिकारी सरकार ने तुरत ही घोषणा कर दी कि उसकी इस सैन्य सगठन से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मवाल था बगदाद के बिना बगदाद सन्धि का क्या हो? अपने भारत भ्रमण के समय स्त्रुश्चेव ने कहा था कि "बगदाद सन्धि शीघ्र ही बैलून की तरह आप हो आप फूट जायगी।" उसका कथन ठीक निकला।

लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन हार मानने की तैयार नहीं थे। सन्धि को भंग कर देना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक पराजय होता। अतएव उसी समय से बगदाद सन्धि के स्थान पर एक दूसरा सुदृढ सगठन कायम करने का प्रयास होने लगा। २४ मार्च १९५९ को इराक इस सन्धि सगठन से बाजासा पृथक हो गया। इस हालत में इराक की राजधानी बगदाद पर इसका नामकरण निरर्थक हो गया। अतएव २१ अगस्त, १९५९ को बगदाद सन्धि को केन्द्रीय सन्धि सगठन [Central Treaty Organisation (CTO)] का नाम दिया गया। इराक को छोड़ कर पुराने बगदाद पैक्ट के सभी सदस्य रह गये हैं।

दक्षिण पू्व एशिया सन्धि सगठन—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में च्यांग काई शेक की सरकार का प्रभाव और कम्युनिस्टों के उद्भव ने सशुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिष्ठा की जबरदस्त धक्का पहुँचाया। चीन के कम्युनिस्ट सत्ता पर अधिकार उमाने के बाद पड़ोस के देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का मदद देने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका उद्देश्य साम्यवाद का प्रसार था। कोरिया-

युद्ध में चीन के हस्तक्षेप का एक यह भी कारण था। कम्युनिस्ट चीन ने मलाया और हिन्द चीन के कम्युनिस्टों को भी मदद देनी शुरू की। इस कारण पश्चिमी गुट की चिन्ता बढ़ी। १९५३ में हो च्चिन ने कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार के विरोध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह पत्राव रखा कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाय। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड भी प्रशान्त महासागर में साम्यवाद का प्रसार करने के लिए घातक समझ रहे थे। लेकिन शुरू में संयुक्त राज्य इस क्षेत्र के लिए एक सैन्य संगठन का खतना बड़ा समर्थक नहीं था। लेकिन हिन्दचीन को लड़ाई के परिणामों न अमेरिका का इम और कदम उठाने पर बाध्य कर दिया। १९५४ के शुरू में हिन्द चीन को लड़ाई बड़ी गम्भीर हो गयी। डा० हो ची मीन्ह के नेतृत्व में वीयतनाम के राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका सहायता के वायूद फ्रेंच साम्राज्यवाद पर करार प्रहार किये। जब स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी तो हिन्द चीन की समस्या पर विचार करने के लिए जनेवा में जुलाई, १९५४ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यहाँ एक समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप उत्तरी वीयतनाम कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस निष्पत्ति को नहीं माना।

इमत्र बाद अमेरीकी विदेश सचिव जान फास्टर टनेम ने नाटो की तरह दक्षिण-पूर्व एशिया में एक सैन्य संगठन कायम करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। समन इस क्षेत्र में अपने समर्थकों को संगठित करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप ८ सितम्बर, १९५४ का मनोला में आस्ट्रेलिया, फ्रान्स ब्रिटेन न्यूजीलैंड, पाकिस्तान फिलिपाइन्स थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पारस्परिक सहायता और सामूहिक सुरक्षा को एक सन्धि हुई। इसी सन्धि के आधार पर दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन, (South East Asia Treaty Organisation, SEATO) की स्थापना हुई।

मोटा सन्धि की पहली धारा में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण निपटारे की तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी भी रूप में शक्ति प्रयोग और बमकी का प्रयोग न अपनाने की प्रतिज्ञा की गयी है। इसकी तीसरी धारा में बाह्यिक सन्धि और सामाजिक कल्याण के लिए सहयोग करने का वचन दिया गया। लेकिन सन्धि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चौथी धारा है जिसमें कहा गया है कि इस सन्धि के अन्तर्गत किसी भी देश के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण होने या शांति भंग का भय होने पर यह सबके समान खतरे की स्थिति होगी। पाँचवी धारा में इस सन्धि से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार करने के लिए या किसी योजना पर सलाह लेने के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में एक एक प्रतिनिधि से निर्मित होनेवाली एक परिषद् का वर्णन है। इसका प्रधान कार्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है।

सन्धि के साथ सयुक्त राज्य अमेरिका का एक व्याख्यापत्र भी जुटा हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि धारा चार में वर्णित आक्रमण का अभिप्राय साम्यवादी आक्रमण है। इसका यह अर्थ है कि अमेरिका कम्युनिस्टों द्वारा आक्रमण हान पर ही इन राज्यों को सहायता देगा।

यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम सौटो सन्धि पर विचार करते हैं तो हमें उसकी घटाओं में प्रयुक्त भाषा और उसके वास्तविक उद्देश्यों में धार अन्तर दिखाने पड़ता है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। सामरिक दृष्टि से हिन्द चीन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। जब १९५४ में कम्युनिस्टों को यहाँ विजय मिलने लगी तो पश्चिमी जगत में घोर निराशा व्याप्त हो गयी। वे अनुभव करने लगे कि हिन्द चीन को खो देने का मतलब थाइलैण्ड बर्मा तथा मलय प्रायद्वीप पर कम्युनिस्ट आधिपत्य का कायम हो जाना होगा। स्वयं राष्ट्रपति आइसनहावर ने कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में राज्यों की एक ऐसी कतार लगी है जिसमें एक के पतन ने वाद सम्पूर्ण ढाँचा ही बालू की भीत की तरह ढहकर खत्म हो जायगा। अमेरिका किना भी हालत में इस स्थिति का आन की अनुमति नहीं दे सकता था। अतएव राष्ट्रियता तथा साम्यवाद के वग को रोकने के लिए भीटो की स्थापना उसक दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक हो गया। इसके संगठन के मूल में एक ही बात थी—कम्युनिस्टों, दक्षिणी विषतनाम तथा लाओस की कम्युनिस्टों के प्रभाव में जाने से रोकना। १९५४ के बाद दक्षिण पूर्व एशिया और विशेषकर हिन्द चीन में जो घटनाएँ घटी हैं उनका मूल में सयुक्त राज्य अमेरिका की यही धारणा है।

अमेरिका के अतिरिक्त जो अन्य देश इस सन्धि में शामिल हुए हैं, उनका भी अपना अपना स्वाध है। एक तो वे सब साम्यवाद के विरोधी हैं और दूसरे, ब्रिटेन और फ्रांस किसी तरह अपने पुराने उपनिवेशों पर अपना नियन्त्रण कायम रखना चाहते हैं। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा फिलिपाइन्स ने जापान के उत्थान को रोकने के उद्देश्य से इस सन्धि का साथ दिया है तथा पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर की समस्या हल करवाने के लिए इस सन्धि में सम्मिलित हुआ है।

एशिया के सभी स्वतन्त्रता प्रेमी देशों ने इस सन्धि का धार विरोध किया है। यह एशियाई देशों में घुट पैदा करने तथा उनपर पश्चिमी घुट डालने का उद्देश्य रखने के निमित्त कायम किया गया है। वी० के० कृष्ण मेनन ने इस सन्धि के "संरक्षण पद्धति (Protectorate) का आधुनिक रूप" का उद्देश्य बताया है। उन्होंने इसके सम्बन्ध में कहा था कि यह सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत ही, अन्तर्गत विश्व में शान्ति में वृद्धि के स्थान पर उनाव और असुरक्षा का कारण बन सकता है।

* Friedmann, *An Introduction to World Politics*, p. 361.

का सुनरो सिद्धांत है जिससे दक्षिण पूर्वी देशों पर जबरदस्ती थोपा गया है। चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई ने इस "सामूहिक सुरक्षा के आवरण से आवेष्टित आक्रमण का साधन" बताया था। वस्तुतः सीटो पुराने उपनिवेशवाद का आधुनिक संस्करण है।

संघ सगठनों का प्रभाव — इस गक्षिप्त अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युद्धोत्तर विश्व में सैनिक सगठनों की एक बाढ आ गयी है। आश्चर्य तो यह है कि ये सारी संधियाँ शान्ति और सयुक्त राष्ट्र चाटर के नाम पर की गयी हैं। इनके औचित्य को स्थापित करने के लिए हमेशा चाटर की ५१वीं और ५२वीं धारा का हवाला दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह चाटर क सिद्धांतों के विपरीत है और इसे शक्ति सन्तुलन के प्राचीन और व्यर्थ सिद्धांत को पुनः एक नया जीवन मिला है। चाटर ने तो अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् पर सौंपा था और वह सुरक्षा परिषद् कायम है। फिर उसके ऊपर दजनों सुरक्षा परिषद को निमाण करने की क्या आवश्यकता है? इन सगठनों का अस्तित्व सयुक्त राष्ट्र सभ को शक्ति को क्षीण करता है। ये शान्ति के अग्रदूत नहीं वरन् युद्ध के निमन्त्रण हैं। इसने सयुक्त राष्ट्र सभ के विकास की समस्त सम्भावनाओं को नष्ट कर दिया है।* जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ये चाटर का व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाते। उनके कारण सुरक्षा में कोई वृद्धि नहीं होती वरन् शीत युद्ध और भय में ही वृद्धि होती है।

ये गुटबन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान नहीं हैं। उनकी उपस्थिति ही युद्ध के दूषित वातावरण को तैयार करती और समस्याओं को छलकाती रहती है। एक गुट दूसरे गुट के सैन्य सगठनों को अपने सोने पर तने हुए कटार की भाँति समझता है। ये प्रत्येक राष्ट्र की "हमेशा युद्ध की स्थिति में रहो" की स्थिति में रहने के लिए बाध्य करते हैं। इनके कारण सन्धि के सदस्य राष्ट्रों को अपने देश की भूमि पर विदेशी सेना रखना पड़ता है जो उस राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव हमेशा बना रहता है और शीत युद्ध में तन्तक कमी नहीं हो सकती जबतक इन सगठनों का अस्तित्व बना रहे। इनके ही कारण निरक्षीकरण की समस्या मो नहीं सुलझ रही है।

✓ M 90 — निरक्षीकरण की समस्या

शीत-युद्ध ने सबसे अधिक निरक्षीकरण की समस्या को प्रभावित किया है। इसी के कारण ही आजतक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। द्वितीय

विश्व युद्ध के अन्त होने के तुरत बाद ही यह समस्या पुन सामने खड़ी हो गयी। इस पर शीघ्र ही विचार-विमर्श शुरू हुआ जो आज भी बिना कोई सफलता प्राप्त किये जारी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह समस्या और भी जटिल होकर सामने आयी। युद्ध के पहने तो यह प्रश्न पुराने तरीकों के बख्त शस्त्रों (conventional weapons) तक ही सीमित था। लेकिन इस बार राष्ट्रों के शस्त्रागार में एक नये मयानक अस्त्र का प्रवेश हो चुका था। वह था परमाणु बम। फलस्वरूप सत्तार के सभी शक्ति प्रेमी लोगों की यह कामना थी कि शस्त्रास्त्र के उत्पादन में घन और जनशक्ति का अपव्यय बंद किया जाय और उसका मनुष्य जाति के समृद्धि एवं सुख के लिए प्रयोग हो। इसी अनुभव के कारण, समस्या को जटिलता के बावजूद, निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास होते आ रहे हैं, यद्यपि अभी तक ये सारे प्रयास अमफल हो रहे हैं। यहाँ पर इन असफलताओं को गिनाना आवश्यक नहीं है। फिर भी, निरस्त्रीकरण की समस्या को जटिलता और रहस्य को जानने के लिए उनका एक सक्षिप्त विवरण आवश्यक है।

समस्या की उत्पत्ति—संयुक्त राष्ट्रसंघ चाटोर की दूसरी धारा में निरस्त्रीकरण

की चर्चा की गयी है— १९४६ के अन्तिम दिनों में रूस ने सर्वप्रथम निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। लिटविनोव की तरह सोवियत विदेश मन्त्री मालोताव ने हर प्रकार के हथियारों के उत्पादन को पूर्ण रूप से बन्द कर देने का प्रस्ताव रखा। १४ सितम्बर, १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके सुरक्षा परिषद को इस आशय का आदेश दिया कि वह हथियारबन्दी की होड़ को बन्द करे और निरस्त्रीकरण के लिए योजना बनाये। इसके बाद दो आयोगों की स्थापना हुई—अणुशक्ति आयोग और परम्परागत शस्त्रास्त्रों के लिए आयोग। पहले का उद्देश्य परमाणु बम के उत्पादन को सीमित करना था और दूसरे का शस्त्राशय तथा सेनाओं को कम करने की योजना बनाना था। लेकिन, निरस्त्रीकरण की समस्या, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अब कोई साधारण समस्या नहीं थी। परमाणु बम के आविष्कार और जापान पर उसके प्रयोग के बाद अस्त्र-शस्त्रों के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हो चुका था। उस समय परमाणु-बम पर केवल अमेरिका का ही एकाधिकार था। अपने को कमजोर स्थिति में पाकर रूस ने प्रस्ताव रखा कि परमाणु बम के उत्पादन पर शीघ्र ही नियन्त्रण हो जाना चाहिए और जितने बमों का उत्पादन हो चुका है, उन्हें जल्द से-जल्द बर्बाद कर देना उचित होगा। इस समय तक शीत युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया दो भागों में बँट चुकी थी। कूटनीतिक पैतरेबाजी शुरू हो गयी थी। ऐसी स्थिति में रूसी प्रस्ताव को मानना असम्भव था। अमेरिका ने जोर-शोर से परमाणु बम का उत्पादन शुरू किया। रूस ने अमेरिका पर यह

दापारोपण किया कि अमेरिका विश्व शांति का शत्रु है और वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। निरस्त्रीकरण सम्मेलनों दोनों दलों की तरफ से तरह तरह के प्रस्ताव और याजनाएँ प्रस्तुत की जान लगीं। अमेरिका परावर वैसा प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा, जिसको वह जानता था कि रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसी तरह रूस भी वैसा ही प्रस्ताव रखता रहा, जिसको वह जानता था कि अमेरिका उसे कभी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। निरस्त्रीकरण वार्तालाप ठप्प पड़ गया। पीछे चलकर रूस द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किये जाने पर भी अमेरिका अपनी जिद्द पर अट्टा रहा। रूसी परमाणु बम के उत्तर में अमेरिका ने दक्षिणी जर्मनी का अस्त्र-शस्त्रों से लैस करना शुरू किया। तरह-तरह के सैन्य-मगडन और सैन्य संधियाँ कायम की गयीं। विश्व शांति का भावप्य पुन अन्ध-कारमय हो गया। नूतन उपयुक्त दानों आयोगों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। लेकिन, इसके साथ साथ निरस्त्रीकरण वार्तालाप भी जारी रहा। अक्टूबर १९५० में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने यह सुझाव दिया कि दोनों आयोग को मिलाकर एक आयोग की रचना कर दी जाय। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई जिसके सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य और कनाडा बन ये गये। परंतु इस आयोग की स्थापना से भी कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए १९५३ में गतिरोध के निराकरण के लिए साधारण सभा ने यह सुझाव दिया कि इस काम के लिए एक उपसमिति की रचना की जाय। अतएव निरस्त्रीकरण समस्या पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसभ ने अप्रैल, १९५४ में एक उपसमिति की स्थापना की। इसके सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस और कनाडा हुए। इसी उपसमिति में वषों तक निरस्त्रीकरण प्रश्न पर बातचीत होती रही। भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते हैं। दुनिया के लोगों की आशा बँधती है कि अब शान्ति की मजिल अधिक दूर नहीं है। फिर एकाएक कोई पक्ष उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। दुनिया की आशाओं पर पानी फिर जाता है और इसी चढाव-उतराव में निरस्त्रीकरण की समस्या परिक्रमा करती रहती है।

निरस्त्रीकरण की राजनीति—वास्तविक बात यह है कि निरस्त्रीकरण वार्तालाप का असल द्येय केवल प्रचार करना होता है। इन सम्मेलनों में प्रस्ताव केवल इसी उद्देश्य से पेश किये जाते हैं कि अगर विपक्षी उसे स्वीकार कर लेगा तो सामरिक दृष्टिकोण से उसकी स्थिति कमजोर हो जायगी, और अगर वह उसे अस्वीकार कर देगा तो सत्तार में यह प्रचार करने का मौका मिल जायगा कि असुख देश शान्ति का शत्रु है और युद्ध करना चाहता है। इसे शत्रु पक्ष को किंवदन्त्याविमूट करने की कूटनीति कहते हैं। इन वार्तालापों में शतरंज की एक एक गीटी खूब

सोवियत समझकर चली जाती है ताकि सॉप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। अतः जब रूस परमाणु बम के क्षेत्र में अमेरिका से बहुत पीछे था तब वह बराबर इसी प्रस्ताव को रखा करता था कि परमाणु बम के उत्पादन और प्रयोग का बन्द कर दिया जाय। उधर पश्चिम के राष्ट्र यह जानते हुए कि सोवियत संघ पुराने तरीकों व अस्त्र शस्त्रों में उनसे काफी आगे है बराबर यह प्रस्ताव रखते थे कि इन हथियारों को सीमित करना चाहिए। यह तय था कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रस्ताव को नहीं मानेगा। कटुता और मनमुटाव के इस वातावरण में निरस्त्रीकरण-वातालाप चलता रहता है, सम्मेलन होता रहता है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योजनाएँ केवल प्रचार के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से नहीं। जबतक इस तरह का दूषित वातावरण रहेगा, तब तक ऐसा अनुमान करना कि कोई भी दल निरस्त्रीकरण का कोई प्रस्ताव मान लेगा कतल एक भ्रम होगा।

१९५५ का समझौता—इस तरह की स्थिति में निरस्त्रीकरण वातालाप तभी कुछ सतोपजनक हो सकता है जब दोनों पक्ष हथियारों के उत्पादन में एक समान स्तर पर पहुँच जायें—कोई पक्ष न किसी से कम हो और न अधिक। हथियारों में एक सद्बलन का स्तर हो जाय। इस तरह की स्थिति १९५५ के मध्य में कुछ हो गयी थी। अतः उस साल सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों में बहुत-से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और पश्चिमी राष्ट्रों ने भी बहुत से रूसी प्रस्ताव मान लिये थे। उस समय जब निरस्त्रीकरण उपसमिति को बैठक हुई तो एक सामान्य समझौता सम्पन्न हो गया। इसके अनुसार आणविक तथा बड़े पैमाने के विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के बनाने तथा उपयोग पर नियन्त्रण लाने, शस्त्र सेनाओं तथा परम्परागत शस्त्रों में भारी कमी लाने, प्रभावकारी नियन्त्रणकारिणी संस्था की स्थापना करने, सैनिक खर्च कम करने, सशस्त्र सेनाओं को सख्ता घटाने, आणविक शक्ति के शान्तिकारी प्रयोग करने आदि की व्यवस्थाएँ मान्य हो गयी थी। फिर भी न्योरे को लेकर उलझन बनी ही रही। यह निश्चित नहीं हो सका कि कब इसे लागू किया जायगा।

जेनेवा सम्मेलन—जुलाई १९५५ में जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधान मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति आइसनहायर ने अपनी 'खुले आकाशों की योजना' (Open Skies Plan) को प्रस्तुत किया। इस योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ एक दूसरे को अपनी सैनिक गतिविधियों से अवगत कराया करें और एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अवसर दिया जाय। उनका कहना था कि इस प्रकार निरस्त्रीकरण को सम्भव बनाने के लिए प्रभावशाली निरीक्षण पद्धति को शुरू किया जा सकता था। लेकिन सोवियत प्रधान मंत्री ने इसकी मढ़ी टंगी आलोचना की। किसी भी हालत में यह सोवियत संघ को मान्य

नहीं हो सकता था। कारण, अमेरिका के सैनिक अट्टे ससार भर में फैले हुए थे और रूस का कवल अपने देश में। इस हालत में अमेरिका तो रूस का सारा भेद जान जाता और सावियत सघ कुछ भी न पता लगा पाता। अतएव सोवियत प्रधान मंत्री बुलगानिन ने एक दूसरा ही प्रस्ताव सम्मेलन में प्रस्तुत किया जिसमें यह माग की गयी थी कि निरस्त्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेन्सी की स्थापना की जाय जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निरीक्षकों की नियुक्ति हो, सभी देशों से विदेशी सैनिक अड्डों को खत्म किया जाय, आणविक शस्त्रों का परीक्षण पर पाबंदी लगायी जाय और परम्परागत शस्त्रों में कमी की जाय। यह प्रस्ताव पश्चिम का मान्य नहीं हुआ। शिखर सम्मेलन में यह मतभेद सुलझ नहीं सका और बाद में जब अक्टूबर १९५५ में सम्मया क समाधान के लिए विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ तो उसे भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली। इसके बाद १ दिसम्बर १९५५ को भारत ने भी एक प्रस्ताव रखा। इसमें आणविक शस्त्रों का परीक्षण पर पाबंदी लगाने की माग की गयी थी। शर्याशस्त्रों के सम्बन्ध में एक अल्पकालीन सन्धि का सुझाव दिया गया था। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी मानने से इन्कार कर दिया।

लन्दन सम्मेलन—इसके बाद १९५६ के फरवरी तक निरस्त्रीकरण उपसमिति की कई बैठकें हुईं। लेकिन इस समय तक दोनों गुटों का मतभेद बहुत गहरा हो चुका था। वहाँ पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इस हालत में १४ जून १९५७ को लन्दन में निरस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति की एक बैठक शुरू हुई। इसमें सावियत सघ ने तीन सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यह इस प्रकार था— (१) दावप के लिए आणविक परीक्षण बन्द कर दिये जायँ, (२) परीक्षण की बन्दी को कार्यान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाय तथा (३) उपयुक्त वैज्ञानिक यन्त्रों के सहित अमेरिका, रूस, ब्रिटेन को मिलाकर प्रशांत महासागर-क्षेत्र में नियंत्रण चौकियाँ स्थापित की जायँ ताकि इस समझौते के कायकरण पर गिरानी रखी जा सके। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों को यह ठोस प्रस्ताव भी मान्य नहीं हुआ और इसकी स्वीकार करने के बजाय वे अपना ही सुझाव देते रहे। लगभग सत्तरह सप्ताहों तक उपसमिति इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करती रही। इस विचार विमर्श के दौरान में आइसनहावर ने अपने 'युने आकाशों' के प्रस्ताव को पुन पेश किया। यह प्रस्ताव किसी भी हालत में सोवियत सघ को मान्य नहीं हो सकता था। सोवियत प्रतिनिधि जोरिन ने बड़ बड़ मापण दिये। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। अन्त में ६ सितम्बर, १९५७ को उपसमिति में निरस्त्रीकरण की बात-चीत की अमफलता घोषित कर दी गयी। उसके बाद उसकी बैठक बन्द हो गयी।

भारत का प्रस्ताव—२६ मित वर हो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह माँग की गयी कि निरस्त्रीकरण आयोग और उसकी उपसमिति में सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय। इस प्रस्ताव में और भी कई अन्य सुझाव दिये गये थे जिसमें आपत्तिक शस्त्राशया को खत्म करने पर अधिक जोर दिया गया था। प्रस्ताव ठाँव स्वीकृत हो गया लेकिन उसपर कोई कदम नहीं उठाया गया।

स्पूतनिक क्रांति—इसी बीच २६ अगस्त, १९५७ को सोवियत संघ ने यह दावा किया कि उसने अन्तर महादेशीय दूर क्षेपक अस्त्र (inter-continental ballistic missile) का सफल परीक्षण कर लिया है और इससे विध्वंसक बम के गोले को दुनिया के किसी भी हिस्से में महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फेंका जा सकता है। यह रॉकेटों तथा प्रबल शक्तिशाली इंधनों का परिणाम था। पश्चिम को पहचने ता इस पर विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन जब ४ अक्टूबर १९५८ (प्रोफेसर यूमा के शब्दों में मानव इतिहास को चिरस्मरणीय तिथि) का रूप ने पृथ्वी के चारों ओर घूमनेवाला एक कृत्रिम उपग्रह (Sputnik) छोड़ दिया तो सारा पश्चिमी जगत् स्तब्ध रह गया। निरस्त्रीकरण की समस्या पर इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम कह आये हैं, निरस्त्रीकरण वार्तालाप सभी कुछ सन्तोषजनक हो सकता है जब हथियारों के क्षेत्र में कुछ सन्तुलन स्थापित हो जाय। लेकिन जब भी इस तरह का सन्तुलन बिगड़ जाय और हथियारों के क्षेत्र में एक पक्ष का पलड़ा भारी हो जाय तो निरस्त्रीकरण का वार्तालाप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अन्तर महादेशीय दूर क्षेपक अस्त्र तथा स्पूतनिक ने इस सन्तुलन को बिगाड़ दिया। फलस्वरूप सोवियत संघ अब कड़ा रुख अवलम्बन करने लगा।

२७ अक्टूबर, १९५७ को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डाग हैमरशोल्ड को सोवियत विदेश मंत्री गोमिको का एक पत्र मिला। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि निरस्त्रीकरण उपसमिति का भंग कर दिया जाय और उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों द्वारा निर्मित एक स्थायी निरस्त्रीकरण आयोग की रचना की जाय। इस आयोग को हमेशा काम करना चाहिए और उसके अडिक्टेड मुले होने चाहिए। सोवियत विदेश मंत्री ने इस बात पर विराय प्रकट किया कि अभी तक निरस्त्रीकरण की समस्या पर महाशक्तियों मध्य कोई ठोस प्रचार वात करती चन आयी है जैसे यह कोई उनकी अग्रिम समस्या है। प्रस्तुत इस समस्या में सभी राष्ट्रों को दिलचस्पी है और इस अस्त्र वि नियंत्रण सार्वसर्वों का स्थान मिलना चाहिए।

मयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ और १९ नवम्बर, १९५७ को उसने निरस्त्रीकरण आयोग की सदस्य सङ्घ्या १२ से बढ़ाकर २५ करने का निश्चय किया। सुरक्षा परिषद् के ग्यारह सदस्यों के अतिरिक्त इसमें १३ और राज्य मनोनीत किये गये। निरस्त्रीकरण आयोग और उपसमिति को भंग करने का सावियत प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इस पर सोवियत प्रतिनिधि ने यह सूचना दी कि नये आयोग की प्रस्तावित सदस्यता उसे मान्य नहीं है और इसलिए वह अब से आयोग को कार्यवाहियाँ में भाग नहीं लेगा।

वृत्तगानित योजना—इस पृष्ठभूमि में सोवियत सभ की ओर से आये हुए प्रस्तावों को पश्चिमी गुट हमेशा शका की दृष्टि से देखने लगा। फिर भी, ३ फरवरी १९५८ की प्रधान मन्त्री बुत्तगानिन ने राष्ट्रपति आइसनहावर क सम्मुख निरस्त्रीकरण की एक विस्तृत योजना रखी। इसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया था—(क) अणुमों क परीक्षण को बन्द किया जाय, (ख) अमेरिका, रूस और ब्रिटेन आपविक शर्तों का परित्याग कर दें, (ग) जाटा तथा चारसा पैकेट क देशों में आक्रमण समझौता हो, (घ) जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाया जाय, तथा (ङ) आकस्मिक आक्रमणों को रोका जाय। १५ मार्च १९५८ को सोवियत विदेश मन्त्रालय ने इन्ही प्रस्तावों के आधार पर कुछ प्रस्ताव रखे। इसमें सैनिक प्रयोजनों के लिए बाह्य आकाश (outer space) के प्रयोग का निषेध तथा समुक्त राष्ट्रसंघ की देख रेख में एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था द्वारा उपयुक्त निषेध के पालन का निरीक्षण सम्मिलित था। पर, अमरीकी गुट की ओर से इसका भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं आया।

राशकी योजना—इसी समय (१४ फरवरी, १९५८) पोलैंड के विदेश मन्त्री ने एक अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शांति बनाये रखने के लिए पोलैंड, चेकास्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणुहीन क्षेत्र (atom free zone) बनाने का सुझाव दिया गया था। अर्थात् इन देशों में आपविक अस्त्रों का निर्माण, सञ्चाल और उपयोग नहीं हो। सोवियत सभ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर अमेरिका की तरफ से फिर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला।

जब सोवियत सभ केधिव वि प्रस्तावों की इस तरह अवहेलना होती रही तो ३१ मार्च, १९५८ को उसने एकतरफा काम किया जो उस समय अत्यन्त ही सराहनीय समझा गया। उस दिन सुप्रिम सोवियत ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि सोवियत सभ ने इस आशा में सभी प्रकार के आपविक परीक्षणों को बन्द कर रहा है कि अन्य देश भी उसका अनुकरण करेंगे।

किन्तु यदि दूसरे देश आणविक परीक्षण बन्द नहा करगे तो सोवियत सघ भी उन्हें पुनः शुरु कर देगा।

आइसनहावर का जवाब—अमरीकी प्रशासन सोवियत सघ के स्पूतनिक कूटनीति से तग आ गया था। इसलिए २ अप्रिल, १९५८ को राष्ट्रपति आइसनहावर ने रूस के इन प्रस्तावों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोवियत सघ के ये सारे प्रस्ताव और आणविक परीक्षण का स्थगन प्रचारात्मक कार्य है। उन्होंने सोवियत सघ के इन कार्रवाइयों का उल्लेख किया जिनके कारण निरसोकरण की सारी योजनाएँ अब तक असफल हुई थी। इसके बाद ९ अप्रिल को उसने यह घोषणा की कि एनोत्रोटाक में चल रहे अमरीकी आणविक परीक्षण के समाप्त होने पर अमेरिका को यदि यह निश्चय हो गया कि सोवियत सघ ने वास्तव में परीक्षण बन्द कर दिये हैं तो संयुक्त राज्य भी उन्हें बन्द करने की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा।

जेनेवा सम्मेलन—३, अक्टूबर, १९५८ से जेनेवा में निरसोकरण पर अनेक प्रस्ताव पास किये गये। रूस ने यह प्रस्ताव रखा कि ये परीक्षण हमेशा के लिए बन्द कर दिये जायें। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का कहना था कि परीक्षण निरीक्षण के साथ इसे बवल एक बर्ष तक के लिए बन्द किया जाय। कुछ बातों पर दोनों पक्ष सहमत भी हुए, लेकिन मतभेद अभी भी इतना उग्र था कि समझौते का कोई गुंजाइश नहा रह गयी थी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में रूसचेव का प्रस्ताव—अरनी अमेरिजी यात्रा (१९५९) के दौरान में सोवियत प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को साधारण सभा में भाषण दिया। इसमें उसने निरसोकरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिनका साधारण सभा ने एकमत से अनुमोदन किया और जिन्हें समूचे सभार को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। यह पूर्ण एवं सामान्य निरसोकरण (complete and general disarmament) का प्रस्ताव था। अरनी नेकनीयती को सिद्ध करके लिए सोवियत सघ ने निरसोकरण के विषय मन्तर्राष्ट्रीय समझौते के निरसोकरण के बिना अरनी सैनिक शक्ति में बारह लाख सिपाहियों को कटौती कर दो

—सोवियत सरकार ने इस कदम का समूचे सभार को शान्ति प्रिय जनता ने एकमत से स्वागत किया।

रूसचेव का पूरा एवं सामान्य निरसोकरण का प्रस्ताव तीर मजिनों के भी निरसोकरण का कार्य का सम्पन्न करने की एक बृहत योजना था। रूसचेव सुझाव दिया कि चार बर्ष की अवधि में छत्र राज्यों का पूर्ण निरसोकरण कर ले चाहिए ताकि उसके बाद किसी राज्य के पास युद्ध करने का कोई साधन न

जाय। पूण निरस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी राज्यों द्वारा सब प्रकार की सशस्त्र सेनाओं का परित्याग करना था। इस लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता था। केवल आन्तरिक सुरक्षा के लिए राज्य थोड़ी सी आवश्यक पुलिस और सेना रख सकते हैं। गुरुशेखर जानता था कि पश्चिम की यह योजना स्वीकार नहीं होगी। अतएव समने इसी के साथ एक आंशिक निरस्त्रीकरण की योजना भी प्रस्तुत की। इनमें निम्नलिखित बातें रखी गयी थी—(१) नाटो संगठन के सदस्यों तथा पश्चिमी राज्यों के साथ वारसा पैक्ट के राज्यों का एक अनाक्रमण सन्धि हो, (२) एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रामिक आक्रमण रोकने के विषय में समझौता करे (३) यूरोपीय राज्यों से सभी विदेशी सेनाओं को हटाया जाय, (४) विदेश के प्रदेशों से सभी सैनिक अटूट हटा लिये जायँ, (५) मध्य यूरोप में आणविक आयुधों से रहित (nuclear free zone) क्षेत्र कायम किया जाय, तथा (६) एक विशेष क्षेत्र में नियन्त्रण और निरीक्षण की व्यवस्था स्थापित की जाय। नियन्त्रण के सम्बन्ध में गुरुशेखर ने कहा "वे (पश्चिमी राज्य) ऐसे प्रस्ताव रखते हैं जिनमें न आत्म निरस्त्रीकरण की बात रहती है और न पूण निरस्त्रीकरण की, बल्कि जिनमें निरस्त्रीकरण की बात ही नही रहती है, केवल हथियारों पर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाहियों की अर्थात् निरस्त्रीकरण के बिना नियन्त्रण की बात रहती है। किन्तु यह कोई देखा बिना नही रह सकता कि निरस्त्रीकरण के बिना नियन्त्रण स्थापित करना अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी प्रणाली की स्थापित करना होगा जिससे शान्ति को सुदृढ़ करने में मदद मिलनी ही दूर रही, सम्भावित आक्रमणों के लिए जनगण के लिए खतरनाक योजनाएँ कार्यान्वित करना सुगम हो जायगा। निरस्त्रीकरण का समझौता हा जान के बाद हम उसे कार्यान्वित करने के लिए कठोर नियन्त्रण के पक्ष में हैं, किन्तु हम निरस्त्रीकरण के बिना नियन्त्रण की नहीं चाहते।"

गुरुशेखर की इस योजना का स्वागत सर्वत्र संसार में हुआ। लेकिन शीत-युद्ध के महारथियों को यह बात समझ में नही आयी। गुरुशेखर के इस प्रस्ताव की वैसी ही खिल्ली उड़ायी गयी जैसे १९५२ के जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में रुबी प्रतिनिधि लिटविनोव के पूण निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव की उड़ायी गयी थी। अतएव निरस्त्रीकरण समस्या का गतिराव दूर नही हो सका।

जेनेवा-सम्मेलन—१९६० में जेनेवा में फिर निरस्त्रीकरण आयोग पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन शुरू हुआ। इस बार एक ही साथ दो सम्मेलन चल रहे थे, एक दस राज्यों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन तथा दूसरे आणविक क्लब (Atom club) के तीन सदस्यों का आणविक परीक्षणों को विषय करने सम्बन्ध में कांफ्रेंस। लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में भी कोई प्रगति नही हो सकी। निरस्त्रीकरण और

नियन्त्रण पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाना अवश्यम्भावी था। अतएव २९ जून, १९६० को दस राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन भग्न हो गया।

यदि हम १९४६ से १९६० तक की निरस्त्रीकरण समस्या का विश्लेषण कर तो दोनों पक्षों में घोर मतभेद देखने को मिलता है। इस मतभेद को इस प्रकार रखा जा सकता है —

	अमरीकी गुट का दृष्टिकोण	सोवियत गुंघ का दृष्टिकोण
१ आणविक परीक्षण—	आणविक परीक्षण के निरीक्षण की उपयुक्त व्यवस्था पर समझौता होने के बाद ये परीक्षण दो वर्ष के लिए बन्द किये जायें। जब आणविक आयुधों का उत्पादन बन्द हो जाय तो ऐसे परीक्षण बिरकुल बन्द कर दिये जायें।	ऐसे सब आणविक परीक्षण बन्द कर दिये जायें जिनका वर्तमान साधनों से पता लगाया जाना सम्भव है। जब तक इनके पता लगाने का विश्वसनीय साधन नहीं निकल आता तब तक सभी आणविक शक्तियाँ स्वच्छा से ऐसे परीक्षण बन्द कर दें।
२ नियन्त्रण—	पहले नियन्त्रण की व्यवस्था निश्चित की जाय और तब निरस्त्रीकरण हो।	पहले निरस्त्रीकरण पर समझौता हो जाय और तब बाद में कठोर नियन्त्रण ठायम करके उसकी कार्यान्वित किया जाय।
३ आणविक आयुध—	आणविक विस्फोट हाने वाली सामग्रियों के उत्पादन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण पद्धति होनी चाहिए और इस पद्धति को कार्यान्वित होते ही सब आयुधों का उत्पादन बन्द होना चाहिए।	आणविक आयुधों का प्रयोग सत्था बन्द होना चाहिए और जय दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को हटा ल तो इन्हें सत्था नष्ट कर देना चाहिए।

अमरीकी गुट का दृष्टिकोण

सोवियत सघ का दृष्टिकोण

४ सैनिकी की
संख्या—

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस की सेनाएँ २१ लाख तक सीमित होनी चाहिए। वह अन्य देशों की सेनाओं के सम्बन्ध में उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत सघ पर्येक १७ लाख सैनिक रखें तथा ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना की अधिकतम संख्या साठे नौ लाख हो।

५ सुला आकाश—

उत्तरी अमेरिका, सावियत रूस तथा उत्तरी महासागर के बड़े भाग के आकाश दोनों देशों के लिए खुले रहने चाहिए।

सन्धन, रोगा, एथेन्स और मेडिड से घिरा हुआ यूरोपीय क्षेत्र तथा अमेरिका के पश्चिमी भाग से तथा सोवियत सघ के पूर्वी भाग से लगा हुआ प्रशांत महासागर के क्षेत्र के अवकाश को सम्मूक्त रखा जाय।

६ बाह्य अंतरिक्ष—

बाह्य अंतरिक्ष में राकेट छूटने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण संस्था को इसकी सूचना देनी चाहिए। बाह्य अंतरिक्ष में सैनिक प्रयोजन के लिए राकेट नहीं भेजना चाहिए।

सैनिक राकेटों को नष्ट कर देना चाहिए और उसका उत्पन्न एकदम बन्द होना चाहिए।

जुलाई १९६० से अगस्त १९६३ तक निरस्त्रीकरण में प्रगति—इस प्रकार निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर दोनों गुटों में मौलिक मतभेद है। दिसम्बर १९६० में सोवियत सघ ने दस राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण आयोग का बहिष्कार कर दिया। उसका कहना था कि निरस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों का एक आयोग बनना चाहिए। यह मुक्तपक्ष पश्चिमी देशों का मान्य नहीं हुआ। १९६१ में १२ राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना करके इन दोनों विचारधाराओं में कुछ मेल कराया गया। अब निरस्त्रीकरण की समस्या पर यही संस्था विचार करती रहती है। इस आयोग के १२ सदस्य निम्नलिखित हैं— संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, सोवियत सघ, बुल्गेरिया,

रूमानिया, पोलंड, चेकोस्लोवाकिया, ब्राजील, बर्मा, भारत, मिस्र मेक्सिको, अवीसीनिया, स्वेडन और नाइजीरिया। फ्रांस ने शुरू में ही कह दिया कि वह इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। अतएव यह वस्तुतः १७ राष्ट्रों का आयोग रह गया है।

१९६१ में निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। १९५८ में सोवियत संघ ने आणविक परीक्षणों को बन्द कर दिया था। लेकिन अधिक दिनों तक वह इन परीक्षणों का बन्द नहीं कर सका। अक्टूबर, १९६१ में उसने पुनः इसका इस आधार पर शुरू कर दिया कि 'रूस द्वारा परीक्षण बन्द करने की अवधि में ब्रिटेन और अमेरिका ने अधिकतम सैनिक लाभ उठाया है।' सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि वह अक्टूबर के अन्त में एक ५० मेगाटन बम का परीक्षण करेगा। २८ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके सोवियत संघ से यह अपील की कि वह इस परीक्षण को न करे। लेकिन सोवियत संघ पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ा और ५० मेगाटन बम का परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही किया गया।

३ नवम्बर, १९६१ को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की राजनीतिक समिति में पाँच राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत ने प्रस्ताव रखा कि अणु परीक्षण तब तक बन्द कर दिये जाय जब तक इस पर समझौता नहीं हो जाता है। इन प्रस्तावों का संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस चारों ने विरोध किया। फिर भी, प्रस्ताव एक जबरदस्त बहुमत से स्वीकृत हो गया। ६ नवम्बर को इसी प्रस्ताव को साधारण सभा ने भी ७१ वोटों से स्वीकार कर लिया। २१ अक्टूबर को आणविक आयुधों के नियन्त्रण पर साधारण सभा ने एक और प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि आणविक आयुधों का अन्त संयुक्त राष्ट्रसभ के चाटर का खुला उल्लंघन है। इसके द्वारा अन्तर्जातीय अणु अस्त्रों को अपील की गयी थी कि वे शीघ्र इस बात पर कोई समझौता करके प्रस्ताव को यह भी कहा गया था कि अफ्रिका में किसी तरह का अणु अस्त्र कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध में अपना मत दिया।

के सम्मेलन पर राजी हो गया। विदेश मन्त्रियों का यह सम्मेलन हुआ भी, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच माच में जेनेवा में निरस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन शुरू हुआ। भारत ने प्रस्ताव रखा कि आणविक परीक्षणों का पता लगाने के लिए तटस्थ देशों में स्टेशन कायम किये जायें। निष्पल वाताहँ चलती रही। लेकिन जब अप्रिल में संयुक्त राज्य ने आणविक परीक्षण शुरू कर दिया तो ये वार्ताएँ भी बेकार हो गयी। जुलाई में सोवियत संघ में भी परीक्षण शुरू कर दिया और निरस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो गयी। ऐसे राष्ट्रपति कैनेडी और श्री न्शुचेव के बीच इस प्रश्न पर पत्राचार होता रहा। १३ फरवरी, १९६३ को जेनेवा में फिर से निरस्त्रीकरण आयोग का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। उसी दिन सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों गुट यह समझौता करें कि दूसरे देशों की भूमि में तीन महान् आणविक शक्तियाँ आणविक अड्डे नहीं कायम करेंगे। सोवियत प्रतिनिधि वेसलो बुजनेटमोन ने इसके लिए एक सन्धि का ब्योरेवार मसविदा भी प्रस्तुत किया। लेकिन पश्चिमी गुट को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। जब अमेरिका ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो सोवियत-संघ ने समझौते नहीं माना। निरस्त्रीकरण आयोग मन्सी तरह के प्रस्ताव आते रहते हैं, उन पर कभी मतैक्य भी होगा यह कहना कठिन है।

अगस्त-१९६३ का समझौता—निरस्त्रीकरण आयोग का काय इसी मन्दर गति से जेनेवा में चल रहा था। समे समय १० जून, १९६३ को राष्ट्रपति कैनेडी ने यह घोषणा की कि आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध त्रिपयक सन्धि के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, और रूस के बीच शीघ्र ही मास्को में वार्ता शुरू होगी। "यह त्रिपयक प्रधान मन्त्री मैकमिलन न्शुचेव और मेर बीच समझौते के अनुसार किया गया है।" इस घोषणा में यह कहा गया कि इस प्रश्न पर त्रिपयक करने के लिए आगामी मध्य जुलाई तक राष्ट्रपति कैनेडी और प्रधान मन्त्री मैकमिलन के विशेष दूत मास्को जायेंगे।

१४ जुलाई को अमरीकी दूत श्री हैरिसन और ब्रिटेन का लॉट हेल्शम मास्को पहुँच और १६ जुलाई से सोवियत प्रतिनिधि श्री कन्स्ट्राई पोमिन्को से उनकी वार्ताएँ शुरू हुईं और २५ जुलाई १९६३ का तीनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इसके अनुसार वायु वाकाश, वायुमण्डल और जल के भीतर अब परमाणविक परीक्षण बंद कर देने का निश्चय किया गया। भूगर्भ परीक्षण पर रोक लगाने का सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका। अगस्त १९६३ में तीनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने इस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये और १० अक्टूबर को सधि लागू कर दी गयी। सधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि बं जाने अधिकांश क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमण्डल में, इसकी सीमाओं में वायु अंतरिक्ष में

प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों के जल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करने और इस प्रकार के आणविक विस्फोटों को रोक देंगे।

संधि में यह भी उल्लिखित है कि यह असीमित अत्रिधि के लिए है, हालाँकि हस्ताक्षरकता प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को उस संधि की बाध्यताओं से मुक्त कर ले, जब वह यह निणय करे कि इस संधि से सम्बन्धित ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है। इस धारा में कहा गया है कि उपर्युक्त अवस्था में संधि से हटने की इच्छा करने वाले देश संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को तीन महीने पहले अपने पृथक् होने का नोटिस दे देगा। यही इसकी पृथक् होने वाली धारा कहलाती है। संधि की इस पृथक्करण की धारा में स्पष्ट है कि यदि फ्रांस और चीन अपने अणु परीक्षण जारी रखते हैं और भारत को या अन्य किसी राष्ट्र का ऐसा अनुभव हाता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट है, तो वह इस संधि पर हस्ताक्षर करने पर भी इससे अलग होकर अपने प्रति-रक्षात्मक साधनों को बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं।

इस संधि में स्थल, जल और आकाश में किये जाने वाले अणु परीक्षणों पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है, अतः स्वभावतः यह प्रश्न पैदा होता है कि भूमिगत (Underground) परीक्षण पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भूमिगत परीक्षणों की पकड़ों के लिए इनको जाँच करने की कोई सतोपजनक और सबसम्मत विधि नहीं निकल सकी तथा रूस ने इस बात का धार विरोध किया कि ऐसे परीक्षणों की जाँच विस्फोट के स्थान पर जाकर की जाय। रूस को यह अर्थात् न था कि अमेरिका रूसी प्रदेश में जाकर अणु परीक्षणों के स्थानों का निरीक्षण करे। रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये निरीक्षण बेकार हैं क्योंकि अब ऐसे यंत्र बन चुके हैं जो दूरवर्ती स्थानों की भूमि के भीतर हाने वाले विस्फोटों की हलचल अंकित करते रहते हैं। सभी दृष्टिकोण के विपरीत अमेरिका का विचार था कि भूमि के अंदर किये जानेवाले आणविक विस्फोटों की भूचाल के धक्के से पृथक् करना असम्भव है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि तीन महान् शक्तियों के बीच आणविक परीक्षण सम्बन्धित यह संधि निरस्त्रकरण के क्षेत्र में ही नहीं बरन् सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण और युगान्तरकारी घटना मानी जायगी। चीन और फ्रांस का झोडकर सारे सत्तार ने इस समझौते का स्वागत किया। इस समझौते का महत्त्व सत्तार के महान् राजनताओं की प्रतिक्रियाओं को जानकर ही स्पष्ट हो जाता है। समझौते के बाद टेलीविजन कार्यक्रम पर बाल्टे हुए नृत्य मैनेटी ने कहा कि सावियत सघ के साथ आशयक परमाणविक परीक्षण

पूर्व और पश्चिम के शीत युद्ध रूढ़ी अन्वकार में एक प्रकाश-स्तम्भ है। राष्ट्रपति ने कहा कि 'म आशान्वित होकर आज बोल रहा हूँ। यद्यपि हमसे दुनिया की सारी समस्याएँ खत्म नहीं हो जाती, फिर भी यह मानव जाति के लिए जीत है। इस संधि का अर्थ सिर्फ यही है कि और अधिक परीक्षणों को हम तीनों समान रूप से खतरनाक मानते हैं। इस सन्धि से हमारे सारे विवादों का हल नहीं होगा और न यह युद्ध का खतरा मिटा देता है। लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, शांति और विवेक की दिशा में, दुनिया में तनाव घटाने और समझौता का क्षेत्र व्यापक बनाने में यह एक कदम हो सकता है। ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री मैकमिलन ने इस सन्धि पर बोलते हुए कहा कि आंशिक परमाणु विक परीक्षण रोक संधि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है और यह पहला अवसर है कि इस भयानक शक्ति को नियंत्रित करने की दिशा में हमलोग एक बात पर राजी हुए हैं। श्री ख्रूचेव ने भी इसी संधि को "एक अच्छी शुरुआत" और युगान्तकारी घटना बतलाया लका को प्रधान मंत्री श्रीमती भडारनायक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तीन महान् राष्ट्रों द्वारा वर्तमान समझौता "अन्तराष्ट्रीय विश्वास के नये युग का श्री गणेश करेगा तथा सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का मार्ग खोल देगा।'

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपन विक परीक्षण पर राक से मगबिधत यह समझौता केवल निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में ही एक महान् घटना नहीं था, वरन् पर शीत युद्ध को समाप्ति को दिया में भी एक असह्यार शुरुआत था जिसके फलस्वरूप सभार के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा।

निरस्त्रीकरण के अर्थ प्रयास—इस सन्धि पर अभी तक लगभग एक सौ आठ देशों ने अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। केवल चीन और फ्रांस द्वारा इस समझौते का विरोध हुआ। पर शांति के समर्थकों का इतने कोई विशेष निराशा नहीं हुई। इस संधि से जो पारस्परिक सम्भाव का वातावरण स्रज्जित हुआ उसका प्रभाव निरस्त्रीकरण सम्मेलन पर अनिवाय रूप से पड़ा। २१ जनवरी १९६४ को जेनेवा से पुन इस आयोग का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। लेकिन इस सम्मेलन में पुन कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। १८ सितम्बर १९६४ को इसका अधिवेशन समाप्त हो गया। इसी के कुछ दिनों के बाद चीन ने अपने प्रथम अणुबम का परीक्षण किया। १९६३ के जेनेवा सम्मेलन का यह प्रथम उल्लंघन था। सार सभार में इसकी बड़ी कटु आलोचना हुई। २९ नवम्बर १९६४ का संयुक्त राष्ट्रसभ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके निरस्त्रीकरण आयोग से आग्रह किया कि परमाणुविक आघुधों के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्वक कोई समझौता हाना चाहिये। सभ को इस छ घुसी प्रस्ताव का सावियत सभ ने विरोध किया और पना प्रतीत होने लगा कि एक बार पुन अमेरिका और रूस इस बात पर चलक जायेंगे।

७ दिसम्बर, १९६४ को उस समय ११५ सदस्यों वाली ताधारण सभा में रूसी विदेशमन्त्री योमिको ने एक ११ सूत्री निरस्त्रीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य विश्व तनाव को कम करना और निरस्त्रीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर होना था। यह प्रस्ताव सक्षप में इस प्रकार था १ सैनिक वजट में कमी, २ दूसरे देशों में स्थित सैनिकों को हटाना तथा उनमें कमी करना, ३ अन्य देशों में विदेशी सैनिक अड्डा की समाप्ति, ४ अणु आयुधों के विस्तार पर रोक, ५ अणु आयुधों के प्रयोग पर रोक, ६ अणु विहीन क्षेत्रों का निमाण, ७ बमबपक विमानों की समाप्ति, ८ भूमिगत आणविक आयुधों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध, ९ नाटो और वारसा' देशों में अनाक्रमण संधि, १० आकस्मिक आक्रमण पर रोक तथा ११ सैनिकों की कुल संख्या में कमी।

रूस का यह प्रस्ताव अमरीकी गुट को स्वीकार्य नहीं हुआ।

दोना पक्षों के मतभेदों का दूर करने के उद्देश्य से २७ जुलाई, १९६५ को जेनेवा में निरस्त्रीकरण आयोग की बैठक फिर बुलायी गयी। इस सम्मेलन ने अपने द्वारा अब तक के किये गये कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु सम्मेलन के आरम्भ होने के समय ही रूसी और अमरीकी मतभेद तेजी से उभर आये। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने ऐसे ऐसे भाषण दिये कि सम्मेलन के भाग्य का फैसला हो गया। यद्यपि दोनों ही पक्षों में आणविक आयुधों की भयानकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद न था, लेकिन इन आयुधों को नियंत्रित करने के तरीकों के बीच स्पष्टतः तीव्र मौलिक मतभेद थे। निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने अपनी सफलता के विषय में रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह इस अधिवेशन में किसी भी विशेष समझौते पर नहीं पहुँच सका है न तो आम और पूण निरस्त्रीकरण के प्रश्नों पर ही और न अन्तरराष्ट्रीय तनाव को कम करने के उपायों पर ही किसी तरह की कोई सफलता मिली है। आयोग अध्यक्ष समिति ने यह विश्वास अवश्य प्रकट किया कि अधिवेशन में हुए वाद-विवाद और विचारों के आदान-प्रदान आयोग के भावी समझौता प्रयासों में अवश्य लाभदायक हो सकती है। सितम्बर में आयोग का यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया।

१६ नवम्बर, १९६५ को भारत सहित एकसठ अन्य सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र-सभ की राजनीतिक समिति में यह प्रस्ताव रखा कि अक्टूबर १९६८ के आदि सम्मेलन के निर्णयों को संयुक्त राष्ट्रसभ द्वारा स्वीकार किया जाय और इस पर विस्तार से विचार करने के लिए साम्यवादी चीन सहित अष्टाष्ट राष्ट्रों का एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में १९६९ के पहले हुआ जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय, लेकिन सम्मेलन के होने के लिए राजी नहीं हुआ।

२७ जनवरी, १९६६ को गिरखीकरण आयाग का सम्मेलन पुनः जेनेवा में शुरू हुआ। जो अगस्त १९२६ तक पूरा नात महोने तक चन्ता रहा। सम्मेलन के प्रारम्भ में महासचिव यथास्त न एक सन्देश भगा जिसमें कहा गया कि परमाणविक आयुधों के सम्बन्ध में इस वार आयाग का अवश्य ही कुल करना चाहिए। पाप पाल छठे, राष्ट्रपति जानसन और रूसी प्रधानमन्त्री कोसीजिन ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये। दोनों ही आर से प्रस्ताव-प्रतिप्रस्ताव अये किन्तु दोनों ने एक दूसरे के मसविदे का दापपण बताते हुए अस्वीकार कर दिया। १६ अगस्त, १९६६ को संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त आयुधों की नीति की आलोचना करते हुए सोवियत प्रतिनिधि रोचीन ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ तो सम्मेलनों में अणु आयुधों के नियन्त्रण की बात कह कर सभार का सुमराह कर रहा है और दूसरी तरफ 'नाटो' के माध्यम से पश्चिमी जर्मनों तथा गेर अणु आयुधों वाले अन्य राष्ट्रों में भी अणु आयुधों का विस्तार कर रहा है जैसा कि जुलाई १९६६ में इस वारे में नाटो सगठन के राष्ट्रों का निणय हो चुका है।

इसी सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से आप्रह किया कि वह अपने 'अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं' का दुरत परित्याग करे। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत, ब्राजील, वर्मा, इथापिया, मेक्सिका, नाइजीरिया, स्वीडेन और संयुक्त अरब गणराज्य आठ तटस्थ राष्ट्रों ने इस बात की माग की कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस भ्रूण अणु परीक्षा का भी बन्द करने की बात दुरत स्वीकार कर, परन्तु सम्मेलन में दोनों ही शक्तियाँ अपनी हठवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती रहीं जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि यह सम्मेलन भी बिना किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निणय के ही समाप्त हो गया।

१९६८ की परमाणविक संधि

नवम्बर १९६६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण सम्बन्धी संधि के एक समझौते (non-proliferation treaty) का प्रस्ताव पास कर दिया। संधि के १२२ सदस्यों में से ११० न पक्ष में मतदान किया। अल्बेनिया विरोध करता रहा और ब्यूवा तटस्थ रहा। प्रस्तावित संधि का उद्देश्य यह था कि परमाणु अस्त्रों को बनाने पर रोक लने, जो देश परमाणु अस्त्रविहीन हैं वे इसे न बनायें जो परमाणु अस्त्रों से लैस हैं वे भी अब इसका निर्माण बन्द करें।

महासभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाने के बाद समस्या की जो वे वा निरन्वीकरण आयोग के समक्ष लाया गया जो संधि का एक मसविदा तैयार करता। १८ मार्च, १९६७ को संधि बातों का सिलसिला छ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

अगस्त १९८७ के अन्तिम सत्राह में अमरीकी प्रतिनिधि फास्टर और सोवियत प्रतिनिधि रास्चिन ने यह ऐलाप किया कि परमाणु अस्त्र संधि के मसविदे के बारे में सोवियत संध और अमरिका मे माटे तौर पर समझौता हो गया है और उस समझौते क अनुसार संधि का एक मसविदा हम विचारार्थ यहा पश कर रहे है । दा बड राष्ट्री में रजामदी होने की यह खबर मिलते ही इस मामले से सम्बद्ध छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि चौकन्ने होकर बठ गये । संधि का मसविदा उडा लम्बा चौडा था और उसकी भूमिका भी खास लम्बी-चौडी थी, तो भी परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्रों की शकाओं और उनक सन्देहों का कोई समाधान नहा हो सका ।

मसविदे के पहले अनुच्छेद में यह कहा गया था कि परमाणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने मे किसी प्रकार की सहायता नहो देंगे ।

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया कि हस्ताक्षर करने वाले परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने की कोई काशिश नहीं करेंगे ।

तीसरा अनुच्छेद परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में था । इस अनुच्छेद में कुल एक पक्ति थी ।

चौथा अनुच्छेद उन राष्ट्रों को आश्वस्त करने के लिए रखा गया था जिन्होंने अपने यहाँ आपत्तिक उपयोग का काफी विकास कर लिया है । इसमें कहा गया था कि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों का असैनिक काया क लिए परमाणु शक्ति का विकास करने में पूरी छूट रहेगी ।

पाँचवें, छठे और सातवें अनुच्छेद में कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ थी ।

लेकिन प्रस्तावित सन्धि में वहीं भी यह नही बताया गया था कि अगर किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों पर कोई परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र हमला करता है तो हस्ताक्षर करने वाले देश उसके बचाव की क्या व्यवस्था करेंगे । तीसरे अनुच्छेद के बारे में कोई समझौता न हो सकने के कारण फिलहाल किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परिकल्पना भी नहीं हो सकी है जो किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र को परमाणु-अस्त्र बनाने मे रोक सके, जो विभिन्न देशों के परमाणु शक्ति के विकास के कार्यक्रमों का निरीक्षण और नियन्त्रण करके यह गारन्टी दे सक कि असैनिक उपयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सैनिक उपयोग में नहीं आयागा, और जो हस्ताक्षर करने वाले परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों में परमाणु शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी और सामग्री दिला सके ।

स्पष्ट है कि इस तरह की व्यवस्थाओं के अभाव में संधि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है । इसीलिए परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों ने मसविदे की जम कर आलोचना की । फ्रांस और चीन बिरादरी से बाहर रहने वाले इन दो

परमाणु अस्त्र-सम्पन्न देशों ने भी मसविदे का विरोध किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस संधि की सोवियत सशोधनवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद की संधि ठहराया और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य चीन के विरुद्ध एक अन्तराष्ट्रीय संगठन तैयार करना है।

पेरिस में फ्रांसीसी सरकार ने पहले इस मसविदे पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया क्योंकि फ्रांस वर्तमान जेनेवा वाता से सम्बन्ध नहीं है। बाद में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हम यह मानते हैं कि परमाणु-अस्त्र के प्रसार पर रोक लगनी चाहिए, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि सभी राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने लगेंगे तो सभ्यता का सवनाश हो जायगा। लेकिन साथ में हम यह कहना चाहते हैं कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और सोवियत संघ जैसे उन बड़े राष्ट्रों से है जिनहीन बड़े पैमाने पर परमाणु अस्त्र बना कर रख लिये हैं। अतः यह आवश्यक है कि वे परमाणु-अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगा दें और इस समय एक पास जितने परमाणु अस्त्र हैं उन्हें अंतराष्ट्रीय देखरेख में नष्ट करवा दें। पश्चिमी जर्मन के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सब कुछ मसविदे के तीसरे अनुच्छेद पर निर्भर है और इसी अनुच्छेद के बारे में अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। स्पेन के समाचार पत्रों ने लिखा है कि प्रस्तावित सन्धि और कुछ नहीं, परमाणु शक्ति के क्षेत्र में सोवियत संघ और अमेरिका का एकाधिकार बनाये रखने की सन्धि है।

सन्धि पर सबसे ज्यादा आपत्ति पश्चिमी जर्मनी, इटली और भारत की थी। पश्चिम जर्मन और इटली यह महसूस करते हैं कि परमाणु अस्त्र सम्पन्न सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन के सामने वे यूरोप में नगण्य होकर रह जायेंगे। भारत को परमाणु अस्त्र सम्पन्न चीन से जबरदस्त खतरा है और प्रस्तावित सन्धि इस खतरे को दूर नहीं कर सकती।

दुर्लभ मिला कर प्रस्तावित सन्धि का महत्त्व मात्र इतना रह गया है कि सोवियत संघ और अमेरिका अपने किसी मित्र राष्ट्र को परमाणु-अस्त्र न देने के विषय में सहमत हो गये और यह इस बात का जोर प्रमाण है कि वे यह मनाने लगे हैं कि मित्रों और पिछलगुओं को सुला कर सीधे आपस में बाँट कर खा लेना ज्यादा सुविधाजनक और लाभप्रद रहेगा। अगर प्रस्तावित सन्धि मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो परमाणु अस्त्र सम्पन्न होने के नाते सोवियत संघ और अमेरिका दो बड़े राष्ट्र पद पर कुछ और इस्तीफान से प्रतिष्ठित हो जायेंगे। निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था हो जाने पर वे वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टि से विकसित किन्तु परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों में परमाणु शक्ति कार्यक्रमों की जासूसी खुलेआम और विधिवत करते रहते।

२४ अप्रिल १९६८ को साधारण सभा का विशेष अधिवेशन इस प्रस्तावित परमाणविक आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि पर विचार करने के लिए प्रारम्भ हुआ। लगभग सात सप्ताह तक इस प्रारूप पर सभा की राजनीतिक समिति में विचार विमर्श होता रहा। ११ जून को समिति ने एक प्रबल बहुमत से सन्धि पर अपनी स्वीकृति देते हुए यह अनुरोध किया कि इस पर हस्ताक्षर लेने का काम शुरू हो और यथासम्भव शीघ्र इसकी पूर्णता की जाय। समिति ने आशा व्यक्त की कि अखिल संघ-अधिक राष्ट्रीय द्वारा इस सन्धि का पालन किया जायगा।

१३ जून, १९६८ को यह प्रस्ताव साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। सन्धि के पक्ष में पचासवें और विपक्ष में चार वोट आये। इक्कीस सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतदान में भाग नहीं लेनेवालों में आठ की संख्या मतदान में फ़ास का भाग नहीं लेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अन्य सदस्यों में इस सन्धि से वाध्य नहीं होगा। अन्वेनिया ने, जो पिकिंग सन्धि के अन्तर्गत है प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दिया। विपक्ष में वोट देनेवाले अन्य सदस्यों में, तमानिया और जाम्बिया थे।

सोवियत सभ और अमेरिका दोनों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रबल समर्थक हो गये हैं।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सचि त्रुटि रहित है। इस सन्धि में तो एक और यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जो राष्ट्र अबतक परमाणु बम नहीं बना पाये हैं वे भविष्य में भी कभी नहीं बनायेंगे और दूसरी ओर अणु-आयुध के आक्रमण से उद्बचाने के लिए जो आश्वासन दिया गया है वह यह कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से आक्रान्त देशों को अणु-आयुध से सहायता की जायगी और इसका निर्णय सुरक्षा-परिषद् करेगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 'आक्रमण' शब्द की व्युत्पत्ति नहीं की है जिससे किसी को यह भ्रम बना रहेगा कि सुरक्षा परिषद् किस हालत में किसको आक्रमणकारी समझेगी। दूसरी बात यह है कि यदि सुरक्षा परिषद् में किसी स्थायी सदस्य ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर किसी आक्रान्त देश की रक्षा के आश्वासन से वंचित कर दिया तो फिर आश्वासन का क्या महत्त्व रह जायगा। इस प्रकार सन्धि में और भी कई बातें हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं।

अपरिहार — निरस्त्रोकरण के दुःखद इतिहास का सक्षिप्त अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्षों में कुछ मौलिक मतभेद हैं। लेकिन विश्व शान्ति के लिए इस समस्या का हल अत्यन्त आवश्यक है और यह भी अति शीघ्र होना चाहिए। इसका एक कारण यह है कि अभी तक अणुबलब (nuclear club) की सदस्यता बहुत ही सीमित है। केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन अभी तक इन बमों को बना पाये हैं। लेकिन यह निश्चय है कि इस क्लब की सदस्यता बढ़ती जायगी। हर देश में इस पर शोध कार्य हो रहे हैं। ऐसा वर्वास किया जा रहा है कि भारत, अर्जेन्टीना, ब्राज़िल, दक्षिण अफ्रिका तथा स्वेडन आदि देशों ने परमाणुबलब क्लब के क्षेत्र में प्रगति कर ली है और वे शीघ्र ही इन आयुधों से अपने को सम्पन्न कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अब यह भी प्रयास होने लगा है कि सरल तथा सस्ती विधि से परमाणु अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन हो। वैज्ञानिक लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। यदि ऐसा हो गया तो इन दिव्यसक आयुधों पर निरन्त्रण असम्भव हो जायगा। परमाणुबमों से भी अधिक भयकर उनको टोनेवाले साधन हैं जिनमें दिन प्रतिदिन सतततन्त्र प्रगति होती जा रही है। रॉकेट तथा अन्तर महाद्वीपीय दूर क्षेपक यंत्र तो पहले से थे ही, अब पोलरिस क्षेपक यंत्रों (Polaris missile) का विलन भी बहुत अगे बढ़ चुका है। पोलरिस क्षेपक यंत्र मध्यम दूरी (medium range) के ऐसे रॉकेट हैं जिनमें परमाणुबलब आयुध लदे रहते हैं। उनसे स्थल, समुद्र और समुद्र के भीतर से बम छुड़ा जा सकता है। इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है जिसके कारण अणुबलब आयुधों की सामरिक स्थिति में धीरे परिवर्तन हो गया है। स्थलीय अणुओं से रॉकेट

द्वारा अणुप्रम छोड़ने में एक जोखिम था कि शत्रु के रॉकेट उनको नष्ट न कर दें। लेकिन पोलरिस क्षेपक यन्त्र पन्डुवियों में लड़े रहते हैं और पानी के भीतर से वहाँ से सूचना मिलते आणविक आयुधों को छोड़ सकते हैं। चूंकि ये पन्डुवियों पानी के भीतर बराबर चलती-फिरती रहती हैं इसलिए शत्रुपक्ष को इसका पता नहीं लगा सकता है और वे नष्ट होने में बच सकती हैं। स्कॉटलैंड के होलीलाच में अमेरिका का एक पोलरिस अड्डा कायम हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनुष्य अपने विनाश की पूरी तैयारी में सलग्न हो गया है और अब लौटन की स्थिति नहीं आयगी। इस कारण निरस्त्रीकरण समस्या का तुरत समाधान अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसके लिए सबसे पहले शीत युद्ध को बन्द करने की आवश्यकता है। जब तक शीत युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव रहेगा तत्तक निरस्त्रीकरण की कोई वार्ता सफल नहीं हो सकती। सौभाग्य की बात है कि आज विश्व का जनमत इसके लिए पहले से बहुत अधिक सूक्ष्म हो गया है, क्योंकि निरस्त्रीकरण की असफलता का अर्थ अस्त्र का विनाश है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति (Foreign Policy of the U S A)

अमेरिकी विदेश-नीति का मूलाधार—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में एक महान क्रान्ति हुई। हम इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद संयुक्त राज्य ने विश्व राजनीति में, सदा की भाँति, पार्थक्यवादी नीति का ही अनुसरण किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नयी परिस्थितियों का आगमन के कारण अमेरिका के लिए फिर से पार्थक्यवादी नीति का अनुसरण करना असम्भव हो गया। इसका सर्वोपरि कारण था युद्ध के बाद एक नवीन शक्ति के रूप में सोवियत संघ का प्रादुर्भाव।* अमेरिकी प्रशासन ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की खतरों की सज्ञा दी और अपने को विश्व का नेता मानकर ससार को इस खतरों से बचाने के लिए दौड़ पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दूरत बाद सोवियत सहायता से जिस तरह पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी व्यवस्था संगठित की गयी थी उसकी अमेरिका ने रूस की विस्तारवादी नीति का परिणाम बतलाया। युद्धोत्तर काल में इस प्रकार रूस के प्रभाव में जो वृद्धि हुई उससे अमेरिका भयभीत और सशक्त हो गया। यह स्वमाधिक भी था। अमेरिका पूँजीवाद का गढ़ है और सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सोवियत संघ के प्रभाव में वृद्धि का अर्थ था अमेरिकी पूँजीपतियों द्वारा सर्वसाधारण के विश्वव्यापी शोषण का अन्त। इस तरह की स्थिति निहित स्वार्थ (vested interests) के लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं करेंगे। अतएव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का मूलाधार साम्यवादी प्रभाव के प्रसार को रोकना और यदि समभव हो तथा मौका मिल जाय तो उसका पूर्ण विनाश करना था। इस प्रकार युद्ध के

* America could safely afford isolationism after 1920 for the defeat of the Central Powers was followed by a new balance of power in Europe and Asia. America could not safely afford isolationism after 1945, for the defeat of the Triple Alliance was followed by a new hegemony of the Communist Powers over Europe and Asia.

—F. L. Schuman *International Politics* (5th Ed.) p. 497

१ 'यह तथ्य ज्ञान अतः वा हम उक्त सत्य ही जानना। अमेरिका मित्र व हम मध्य व रूस व प्रति अमेरिका की नीति का इन पंक्तियों में व्यक्त किया था— Soviet Russia is a menace far greater than the rest of the U S A must prepare in its self-defence to wipe out every city and village in Russia.

बाद अमेरिका ने साम्यवाद के विरुद्ध जेहाद चलाने का निणय कर लिया। शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए।

ट्रूमैन सिद्धान्त

पूर्वी यूरोप के अतिरिक्त फ्रांस, इटली, यूनान और तुर्की में साम्यवादी आन्दोलन काफी सुदृढ़ था और युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये देश भी कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना लेंगे। इसके लिए इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही अनुकूल थी। अतएव राष्ट्रपति ट्रूमैन ने शंभ्र ही यह निर्णय किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया जाय। आर्थिक सहायता को सफल बनाने के लिए राजनीतिक स्थिति को भी अपने पक्ष में करना आवश्यक था। अतएव इन देशों की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का निर्णय भी साथ ही साथ लिया गया। इस तरह सोवियत-संघ और अमेरिका में एक नये प्रकार का युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसका पहला स्थल यूनान था।

यूनान की समस्या— युद्ध-काल में यूनान में साम्यवादी आन्दोलन काफी प्रगति कर चुका था। लेकिन अपने विश्व व्यापी साम्रज्यवादी शक्ति के संरक्षण के लिए ब्रिटेन इस देश पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता था। १९४४ के अक्टूबर में सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यूनान को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया। अब ब्रिटेन ने यूनानी साम्यवादी पार्टियों की विरोधी पार्टियों—राजसत्तावादी पार्टियों—का समर्थन करना और यूनान की राजनीति में हस्तक्षेप करके कम्युनिस्टों का दमन करना शुरू किया। यह १९४४ के समझौते का उल्लंघन था। इसी स्थिति में मार्च, १९४५ में यूनान में चुनाव हुआ जिसमें राजसत्तावादियों को पूर्ण बहुमत मिला और सितम्बर में वहाँ राजतन्त्र की स्थापना कर दी गयी। अब कम्युनिस्टों का दमन और जोर शोर से शुरू हुआ। इस दमन से बचने के लिए वे उत्तर की पहाड़ियों में जा छिपे और वहाँ से यूनानी सरकार के विरुद्ध गुगिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कम्युनिस्ट गुगिल्लों को निकट के साम्यवादी देशों से सहायता मिल रही थी। रूस इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था। यदि राजसत्तावादी दल विदेशी सहायता से प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण करके कम्युनिस्टों का दमन कर रहा था, तो पड़ोस के साम्यवादी देश इसका सहन कैसे कर सकते थे।

दिसम्बर, १९४६ में यूनान ने सुरक्षा परिषद् में “विद्रोही दलों को विदेशों से सहायता दिये जाने की” शिकायत पेश की। सयुक्त राष्ट्रसंघ की एक आयोग

ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनान के विद्रोहियों को युगोस्लाविया, अल्बेनिया आदि देशों से सहायता मिल रही है। ब्रिटेन के लिए अनेके कम्युनिस्टों का मुकाबला करना अत्यन्त कठिन था। उसकी आर्थिक स्थिति युद्ध के बाद स्वयं इतनी खराब हो गयी थी कि यूनान में वह और अधिक सेना नहीं भेज सकता था। उसने अमेरिका से यूनान की साम्यवादी खतरे से बचाने का अनुरोध किया। उसने वार्शिंगटन को यह सूचित किया कि "ब्रिटिश सरकार आर्थिक कारणों से विवश होकर बतमान विसौ वर्ष की समाप्ति तक पाँच सप्ताह के भीतर अपनी सेनाएँ यूनान से हटा लेगी।" ब्रिटेन के इस निश्चय ने समुक्त राज्य अमेरिका को चिन्तित कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश फौजों को हटते ही वह सम्पूर्ण क्षेत्र साम्यवाद की बाढ में डूब जाता। २६ फरवरी, १९४७ को ट्रूमैन ने यह निश्चय किया कि अमेरिका का "ऐसे देशों की रक्षा" अवश्य करनी चाहिए। इसी निश्चय के फलस्वरूप अमेरिका ने यूनान को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम बनाया।

तुर्की की समस्या - तुर्की स्थित दो जल डमरूमध्यों को लेकर युद्ध के बाद तुर्की और सोवियत संघ का सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण हो गया। १९१६ में मांजो का एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार तुर्की ने वादा किया था कि वह जलडमरूमध्य से सभी राष्ट्रों के युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को स्वतन्त्रतापूर्वक गुजरने देगा। लेकिन १९५५ में परिस्थिति बहुत बदल चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अनेक रणपोत इस रास्ते से गुजरते थे और तुर्की ने इसमें उनकी सहायता का था। सोवियत सुरक्षा के लिए यह बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। अतः अब अपनी सुरक्षा-समस्या को सुन्दर करने के उद्देश्य से ७ अगस्त १९५६ को मास्को ने तुर्की के सम्मुख जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में यह माँग की कि ये युद्ध और शान्ति-काल में सब देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए खुले रहें, काला सागर की शक्तियों के युद्धपोतों के लिए ये सदा खुले रहें, विशेष अवस्था को छोड़ कर काला सागर से मित्र शक्तियों के युद्धपोतों का इनमें से गुजरना निषिद्ध होना चाहिए, जलडमरूमध्यों का शासन प्रबन्ध तुर्की और काला सागर की शक्तियों द्वारा हो तथा उनकी रक्षा तुर्की और सोवियत संघ के सामान्य साधनों से हो।

यदि तुर्की पर यह बात छोड़ दी जाती तो सम्भवतः वह इन सभी माँगों का मान लेता। लेकिन अमेरिका की सलाह पर उसने इन प्रस्तावों का मानन से इन्कार कर दिया। इस पर सोवियत संघ तुर्की के बीच तनातनी बढ़ी। अमेरिकी ने यह आराप लगाया कि सोवियत-संघ तुर्की पर आक्रमण करने की-तैयारी कर रहा है, अमेरिका अखबारों के "विशेष प्रतिनिधियों" ने इन अफवाहों की पुष्टि की। अब तुर्की बहुत डर गया। तुर्की का अमेरिकी जाल में फँसाने का प्रयत्न पूरी तरह सफल हो गया। १९४६ का बजट तुर्की संसद के समक्ष पेश हुआ। उसमें अर्धा

से अधिक सैनिक कार्यों के लिए था, लेकिन तुर्कों के लिए प्रतिरक्षा पर इतनी बड़ी रकम व्यय करना असंभव था। इससे उसकी अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती और इतना करने पर भी रूस जैसी महाशक्ति का मुकाबला वह नहीं कर सकता था। उसने अब अमेरिका से सहायता माँगी और ट्रूमैन ने इसकी सहप स्वीकार कर लिया।

ईरान की समस्या—द्वितीय महायुद्ध में, तेन का एक प्रधान उत्पादक और रूस को पश्चिमी सहायता पहुँचाने का मार्ग होने के कारण, ईरान का सामरिक महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया था। अतः युद्ध काल में अगस्त १९४४ में रूसी सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर और ब्रिटिश सेनाओं ने दक्षिणी ईरान पर अधिकार कर लिया। १९४२ में ईरान के साथ ब्रिटेन और रूस को एक सन्धि हुई जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ईरान में सावियत एवं ब्रिटिश सेनाओं का अधिकार का स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था कर दी गई कि युद्ध के समाप्ति के बाद छ महीने के भीतर विदेशी सेनाएँ ईरान से हटा ली जायेंगी।

१९४५ में जर्मनी के परास्त होने पर २ मार्च, १९४६ की तिथि ईरान से ब्रिटिश और अथ सभी सेनाओं का हटाने की निश्चित हुई। परन्तु इसी मध्य यह घटना घटी कि नवम्बर, १९४५ में रूसी अधिकृत आजर बाइजान में तुर्क पार्टी ने ईरान की राजधानी तेहरान के विरुद्ध विद्रोह काट्टे हुए अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की, जत्र तेहरान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेनाएँ वहाँ भेती तो रूसी सेनाओं ने उन्हें वहाँ प्रविष्ट नहीं होने दिया। इस समस्या के हल के लिए रूस पर दबाव डालने की दृष्टि से अमेरिका ने कहा कि यदि सभी विदेशी सेनाएँ ईरान से जायें तो वह १ जनवरी, १९४६ तक अपनी सेनाएँ हटा लेगा। २ दिसम्बर को रूसियों द्वारा अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिये जाने पर १९ जनवरी, १९४६ को ईरान ने यह प्रश्न सुझा-परिपद में उठाया। रूस ने विरोध करते हुए कहा कि यह विषय सयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परिपद ने दोनों ही पक्षों का प्रत्यक्ष व ता द्वारा इस प्रश्न का समाधान करने को कहा। अन्त में अप्रैल, १९४६ में रूस का तेहरान के साथ एक समझौता हुआ जिनके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि १ मई १९४६ तक रूसी सेना ईरान खाली कर दे और ५० प्रतिशत रूस हिस्से वाली सोवियत ईरानी तेल कम्पनी स्थापित की जाय। समझौते के अनुसार मई में रूसी फोर्जे ईरान से हट गई और जून में सम्पूर्ण आजर बाइजान तेहरान के अधिकार में आ गया लेकिन इसके बाद ही ईरान की पालियामेंट (मजलिस) ने सयुक्त तेल कम्पनी स्थापित करनेवाला समझौता अस्वीकृत कर दिया।

अमेरिकी विदेश विभाग ने यूनान, तुर्की और फारस की घटनाओं का अर्थ यह लगाया कि इस क्षेत्र में सोवियत संघ अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए कूट

सकल्प है। अपनी हित के रक्षार्थ इसको रोकना आवश्यक था। अतएव ट्रूमैन ने इन देशों को आर्थिक सहायता देकर "मार्स्यवादी प्रसार" को रोकने की नीति अपनायी। इस प्रकार की जो नीति अपनायी गयी उसको ट्रूमैन सिद्धांत (Truman Doctrine) कहते हैं।

— ट्रूमैन सिद्धांत—राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमरीकी कांग्रेस से यह विचारिश की कि यूनान और तुर्की का सहायता देने के लिए ४० करोड़ डालर का अनुदान स्वीकार किया जाय। १२ मार्च, १९४७ को राष्ट्रपति का ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्र देशों को बाह्य प्रभाव से रक्षा करना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा

आज यूनाना राज्य का सत्ता संकट में है। इसका कारण कम्युनिस्टों की सरकार को चुनौती देने वाले कई हजार सशस्त्र बर्तियों के आतंकवादी कार्य हैं। यूनाना सरकार इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। उसकी सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उसे सहायता देनी चाहिए। तुर्की की भांति यही स्थिति है। अभी हाल में तुर्किया के कई देशों में सर्वाधिकारवादी शासन बहाल का जाता की इच्छा के विरुद्ध स्थापित कर दिये गये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने याल्टा सम्मेलन का भंग करते हुए पोलैंड, रूमानिया, युगोस्लाविया में धमका और रूबान में स्थापित शासनों के विरुद्ध प्रतिवाद किया है।

मरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यह नीति हाना चाहिए कि वह बाह्य दबाव से या सशस्त्र अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किये जाने वाले शासन का प्रतिरोध करने वाली स्वतंत्र जनता का समर्थन करे। मरा विश्वास है कि हम स्वतंत्र जनता को अपने तरीकों से अपना भाग्य निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। मरा विश्वास है कि हमारा सहायता प्रधानतः आर्थिक और वित्तीय सहायता द्वारा हानी चाहिए, जो कि आर्थिक स्थायित्व और सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यदि यूनान सशस्त्र अल्पसंख्यकों के हाथ में आ जाता है तो इसका तात्कालिक और भाषण प्रभाव इसके पनासे पर पड़ेगा। समस्त मध्य-पूर्व में गड़बड़ जो अशांति का साधारण ही लक्षण है। इसका प्रभाव यूरोप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली जनता पर पड़ेगा। स्वतंत्र संस्थाओं का विश्व और स्वाधीनता का अपहरण न केवल उत्तर लिए वरन् समस्त विश्व के लिए घातक होगा।

सर्वाधिकारवादी शासन के बान्धन और दरिद्रता में जनता है। उनका विकास और वृद्धि निषेधता तथा संघर्ष में होता है। जब जनता में उत्तम जावन के लिए आशा नष्ट होता है तो इसका पूर्ण विकास होता है, हम यह आशा नष्ट नहीं होने देनी चाहिए।

जगत का स्वतंत्र जनता जनता स्वाधीनता बनाये रखने के लिए हमारा जोर निवार रहा है। यदि हमने नेतृत्व में चुक का ता समस्त विश्व का शान्ति सन्तुष्ट में पड़ जायगा। हम अपने राष्ट्र के कल्याण का संकल्पपूर्व बना देंगे। समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के कारण हमारा ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उन समस्त उत्तरदायित्वों को पण रूप में निभायेगा।

यह था कि ट्रूमैन सिद्धान्त जिसने युद्धोत्तर काल में अमरीकी साम्राज्यवाद की नींव रखी। अमरीकी कॉंग्रेस ने तुरत इसकी स्वीकार कर लिया और यूनान तथा तुर्की को चालीस करोड़ डालर की सहायता देने का राष्ट्रपति ट्रूमैन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

ट्रूमैन सिद्धान्त कई दृष्टियों से एक क्रान्तिकारी कदम था जिसने अमेरिका को विदेश-नीति को एक नया मोड़ दिया। इसने सारी दुनिया का ही संयुक्त राज्य अमेरिका मान लिया। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था "दुनिया में जहाँ कहीं शान्ति भंग करनेवाला प्रयत्न या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जायगी और वह इसको रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा"। इस प्रकार इस घोषणा के द्वारा अमेरिका ने अपने को मार सत्ता का रक्षक नियुक्त कर लिया। इसके पूर्व अमेरिका अपना कार्यक्षेत्र अमरीकी गोलाबद्ध का ही समझता आ रहा था। अब यह कार्य क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया। इस दृष्टिकोण से ट्रूमैन सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का वृद्ध और विश्वव्यापी रूप बनकर आया। इस सिद्धान्त के और भी कई महत्त्व थे। यह आनेवाली शीत युद्ध घोषणा और मास्को के साथ सहयोग करने की नीति का परित्याग की सूचना थी। इसके फलस्वरूप सत्ता अब स्पष्ट दो विरोधी गुटों में बँट गया।

लेकिन ट्रूमैन सिद्धान्त का वास्तविक स्वरूप कुछ दूसरा ही था। इसके द्वारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जीवन में एक नया आध्याय प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः यह साम्राज्यवाद का एक नया रूप था जिसको अमेरिका का डालर साम्राज्यवाद कहा जाता है। बात यह थी कि अमेरिका के कथनानुसार मध्यपूर्व में ब्रिटिश प्रभाव के घट जाने से एक "राजनीतिक शून्यता" कायम हो गयी थी। यह भय था कि इस शून्यता को सोवियत संघ आकर न भर दे। अतएव मध्यपूर्व में ब्रिटेन की जगह साम्यवाद द्वारा लेने से पहले ही अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेना चाहता था। तुर्की और यूनान को स्वतन्त्रता की रक्षा के नाम पर सहायता देना दोग के सिवा कुछ और नहीं था, क्योंकि उस समय इन दोनों देशों में स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र नामक कोई चीज नहीं थी जिनकी रक्षा के लिए अमरीकी सहायता आवश्यक थी। सोवियत इतिहासकारों के अनुसार यह "मध्यपूर्व के अविभक्तित-देशों की आर्थिक कठिनाइयों का अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाना था। सहायता के नाम पर इन देशों के साथ ऐसे समझौते होते हैं जिनसे अमरीकी अर्थ-व्यवस्था इन पर लद जाती है। वह इन देशों के कच्चे मालों पर अधिकार कर लेता है तथा सैनिक अड्डों को अपने अधीन कर लेता है।" ट्रूमैन स्वतन्त्रता या लोकतन्त्र की रक्षा नहीं, किन्तु इसके नाम पर तेल की रक्षा करना चाहता था। जैसा कि उसने स्वयं कहा था "यदि ईरान के तेल पर रूसियों का अधिकार हो

गया तो विश्व का शक्ति सन्तुलन बिगड़ जायगा और पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था को इससे भारी क्षति पहुँचेगी।”

ट्रूमैन सिद्धान्त सयुक्त राष्ट्रसंघ पर भी घातक प्रहार था। यदि तुर्की और यूनान के लिए सहायता आवश्यक थी तो इसको सयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से जाना चाहिए था। अमेरिका द्वारा उन्हें सीधे सहायता देने का अर्थ संघ को निर्बल बनाना था। लेकिन इस समय सयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के विरोध में पगल हो गया था और उसका किसी चीज की परवाह नहीं थी।

४ - माशल योजना—युद्ध के कारण यूरोप की अर्थ-व्यवस्था एकदम खिन्न-भिन्न हो गयी थी और चारों ओर असन्तोष, दरिद्रता और आर्थिक कष्ट का साम्राज्य छाया हुआ था। ऐसी हालत में यूरोप में स्वतः साम्यवादो व्यवस्था फैल जाती। अतएव अमेरिका के सामने प्रश्न था—युद्ध विध्वंस यूरोप का पुनर्निर्माण करके उसे साम्यवाद से बचाना। अमेरिकी विदेश मन्त्री जॉर्ज माशल इन स्थिति को मनी-मौति समझ रहा था। अप्रिल १९४७ में जब वह यूरोप से लौटकर वाशिंगटन पहुँचा तो उसने इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय युरोप के आर्थिक पुनरोद्धार का यत्न नहीं किया गया तो वह कम्युनिस्ट हो जायगा। ५ जून १९४७ को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने सुप्रसिद्ध भाषण में उसने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसी आधार पर “भूखमरी, गरोवा, निराशा एवं अव्यवस्था” का सामना करने के लिए माशल योजना (Marshall Plan) का निर्माण हुआ। इसके अन्तर्गत सयुक्त राज्य अमेरिका ने चार वर्षों की अवधि (१९४८-५२) के लिए पश्चिमी यूरोप के सोलह देशों को बीस अरब डालर की सहायता देना स्वीकार किया।

माशल योजना के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह “ममतामयिक कृपणों तक इतिहास की सर्वाधिक दिलचस्प और युग प्रवृत्तक घटनाओं में से एक थी।” मन्मथ है, इसका स्वरूप ऐसा रहा है, लेकिन तत्काल के लिए इसने रूस और पश्चिम के विरोध को अत्यन्त कम बना दिया। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों में अमेरिका ने यूरोप को लगभग न्यूरह मिलियन डालर की सहायता दी। यूरोप साम्यवाद के चपट में आने से बच गया, लेकिन यूरोप पर सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व अत्यन्त कायम हो गया। इस योजना के आधार पर अमेरिका यूरोपीय देशों का हर तरह का आदेश देने लगा और सहायता पाने के लिए इन आदेशों का पालन आवश्यक था। उदाहरणार्थ, माशल योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए यह शर्त लगायी गयी कि सहायता पाने वाले देश अपने सरकारी बैंक कम्युनिस्टों को बाहर जगह नहीं देंगे। १९४६-४७ में फ्रांस की सरकारों में कम्युनिस्टों को बाहर जगह नहीं देंगे। १९४६ में ब्लुम फ्रांस के लिए बचाने का निर्णय हुआ। वहाँ उसे स्था

शब्दों में कहा कि वह पहले पेरिस लीगे, कम्युनिस्टों का सरकार से निकाले और तब पुन वाशिंगटन आकर सहायता की याचना करे। इटली के साथ भी अमेरिका का ऐसा ही व्यवहार हुआ। इस प्रकार फ्रांस और इटली की माश-योजना के अन्तगत सहायता पाने के लिए अमेरिका का आदेश पालन करके अपने देश की सरकारों से साम्यवादी तत्त्वों को निकालना पड़ा।

मार्शल योजना में शामिल होने के लिए साम्यवादी देशों को भी आमन्त्रित किया गया। लेकिन उनलोगों ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। सोवियत-संघ ने इस पर प्रबल आक्षेप किये और इसको अमरीकी साम्राज्यवाद का लादने का यत्न बताया। उसने इसे एक विशुद्ध साम्यवाद विरोधी योजना के रूप में ग्रहण करते हुए इसका प्रत्युत्तर सितम्बर १९४७ में कामिनफार्म की स्थापना के रूप में दिया।

एक प्रकार से मार्शल योजना ट्रूमैन सिद्धांत का पूरक था और उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ अवरोध की नीति को और आगे बढ़ाने का काम किया। जैसा कि जी० सी० स्मिथ ने लिखा "इसका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा पहल ही घोषित अवरोध नीति के अनुसार अमेरिका पर प्रदर्शन में पश्चिम यूरोप की वय व्यवस्थाओं को सुन्दर करना था।"

३— चार सूत्री कार्यक्रम—मार्शल योजना का उद्देश्य केवल यूरोप की आर्थिक-व्यवस्था को मजबूत बनाना था। इसी बीच चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई। इस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचैन कर दिया। अब उसे नवजागत राज्यों तथा उपनिवेशों को चिन्ता हुई। इस बात की सम्भावना बहुत बढ़ गयी कि ऐसे अधिकसंख्यक देशों में साम्यवाद का प्रचार होने लगे। अल्प विकसित देश साम्यवादी प्रसार के लिए उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते थे। अतएव अमरीकी प्रशासन ने प्रदेशों में साम्यवादी प्रसार के अवरोध के लिए अमरीकी विदेश नीति की चार सूत्री कार्यक्रम (Point Four Programme) की घोषणा की। २० जूरी १९४९ को ट्रूमैन ने कहा "आगामी वर्षों में शान्ति और स्वतन्त्रता के कार्यक्रम में चार प्रधान बातों पर प्रलब्ध किया जायगा—(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ का अविचलित समर्थन, (२) विश्व के अधिक पुनरोद्धार को जारी रखना (३) आक्रमणों व खतरों के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्रिय राज्यों की शक्ति बढ़ाना तथा (४) अल्पविकसित देशों के विकास के लिए प्राविधिक सहायता देना।" ट्रूमैन के प्रशासन काल में, चाहे इसका वास्तविक उद्देश्य जैसा भी रहा हो, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अमेरिका की विदेश-नीति संचालित होती रही।

कॉंग्रेस ने १९५० के "अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम" के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इसके द्वारा विकसित देशों को नुक़्तों की और आर्थिक

सहायता देने की नीति की नींव पड़ी जो आगे के दिनों में उत्तरोत्तर बढ़ती रही। इस सहायता में अमेरिका का निस्वार्थ भाव कम था। उसने इस कार्यक्रम को इसलिए अपनाया कि इसके द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों को रक्षा हो रही थी। अमेरिका का उद्देश्य शीत युद्ध में इन राज्यों का समर्थन प्राप्त करना था।

सैनिक संधियों की नीति—संयुक्त राज्य अमेरिका केवल आर्थिक सहायता कार्यक्रम से ही संतुष्ट नहीं हो रहा था। वह सोवियत संघ को चारों तरफ से सैनिक सगठनों एवं अमरीकी नियन्त्रित सैनिक अड्डों में घेर कर रखना चाहता था। अक्टूबर १९४८ में मिनेट ने एक पत्र व स्वीकार किया और उनके आधार पर सभार के विभिन्न देशों के साथ सैनिक संधियों और सम्झौतों किये गये और विविध प्रकार के सैनिक सगठन कायम किये गये। इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। इन सगठनों के अतिरिक्त नवम्बर १९४९ में यूरोपीय देशों की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए तथा उन्हें नवीनतम रण सामग्रियों से लैस करने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता का कार्यक्रम (mutual defence assistance programme) बनाया गया। फिर, अक्टूबर १९५१ में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बना। इसके अतिरिक्त यू० एस० ए० मित्रुअन मिशुगिटो एप्रोप्रियेशन ऐक्ट (U S A Mutual Security Appropriation Act) पास हुआ। जिसके अनुसार संयुक्त राज्य के साथ सैनिक संधि करनेवाले देशों की सहायता के लिए सात अरब, तैरवीस करोड़ डालर की सहायता की व्यवस्था की गयी। बहुत से देशों को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सैनिक सहायता मिली। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप सभार में अमेरिका के सैनिक अड्डों कायम हो गये और सहायता पाने वाले देश सामरिक दृष्टिकोण से पूर्णतया अमेरिका के प्रभाव में आ गये। १९५१ तक अमेरिका का नाटो में सम्मिलित यूरोप के राज्य जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा फिलिपाइन्स के साथ पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि हो चुकी थी।

साम्यवाद के साथ अविनयरीक्षण—इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ी तेजी से सैनिक संधियों के माग पर अगे बढ़ने लगा। इस नीति को कार्यान्वित करने में वह तब और बेचैन हुआ जब १९४९ में सोवियत संघ ने एटम बम के रहस्यों को खोज निकाला और अमेरिका के परमाणविक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सोवियत संघ द्वारा एटम बम के सफल परिक्षण से संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया। अमेरिका के लिए अब साम्यवाद का खतरा पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का चिन्तित होना स्वाभाविक था। अब उसने निर्णय किया कि इसके पहले ही सोवियत संघ बहुत शक्तिशाली हो जाय उसको युद्ध में फँसाकर उसकी सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में रूस द्वारा अणुबम के सफल परीक्षण के बाद अमेरिका में प्रतिकारात्मक युद्ध (prev

entive war) की भावना बहुत बलवती हो गयी। जून १९५० का कारिया का युद्ध इसी नीति का परिणाम था।

कोरिया में युद्ध के विस्फोट की जिम्मेवारी उत्तर कोरिया के मधे मठी गयी और सयुक्त राष्ट्र सभ ने भी ऐसा की प्रस्ताव पास किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। उस समय सुरक्षा परिषद् में सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव सर्वोच्च था और सोवियत रूस परिषद् का बहिष्कार किये हुए था। अतएव इस प्रस्ताव को कोई महत्त्व नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत ऐसे बहुत प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध का प्रारम्भ दक्षिण कोरियाई सरकार और अमरीकी नीति का परिणाम था। उदाहरण के लिए एक अमरीकी सेनापति ने बतलाया था कि यदि कोरिया नहीं होता तो हमें कोरिया का प्रश्न बनाना पड़ता। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने युद्ध की तैयारी पहले से कर रखी थी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने प्रधान विधमन री ने यह कई बार कहा था कि मई और जून १९५० कोरिया के इतिहास में अत्यन्त ही सन्कटपूर्ण काल होगा। रुइ-मत्री कीम आई शेक ने तो यहाँ तक कहा था कि यद्यपि हमलोग हमला प्रारम्भ करगे, किन्तु उचित कारण के लिए एक बहाना जरूर बनाना होगा। इन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका को युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

कोरिया युद्ध जून १९५० से जुलाई १९५३ तक चला और इसके परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि साम्यवादी जगत् से खुली टक्कर में अमेरिका के लिए निष्पायक विजय पाना असम्भव है। सम्भवत इस अनुभव ने अमेरिका को युद्ध बन्द करने को प्रेरित किया।

6— अमरीकी विदेश नीति में खुले संघर्ष का काल—अमरीकी विदेश नीति में कोरिया युद्ध का विशेष महत्त्व है। इसके पूर्व अमरीकी विदेश नीति शीत युद्ध से प्रभावित रही। लेकिन १९५०-५३ का काल शीत-युद्ध की जगह खुले संघर्ष या सक्रिय युद्ध का रहा। इसलिए यह काल खुले संघर्ष का काल माना जाता है। इस अवधि में अवरोध नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को अपक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्त्व दिया गया। अमरीकी नीति में सैनिक शक्ति के उपयोग एवं सैनिक तथा प्रतिरक्षा समझौतों के महत्त्व की विचारधारा बलवती हुई। इस प्रकार अब अमेरिका अपनी विदेश नीति में आर्थिक और सैनिक दोनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा। आज भी ये दोनों तत्व अमरीकी विदेश नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं।

7— “साम्यवाद से मुक्ति” की नीति—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में १९५३ कई दृष्टियां से महत्त्वपूर्ण था। जनवरी १९५३ में जनरल आइसनहावर का नये राष्ट्रपति क रूप में चुनाव हुआ। अपने निर्वाचन अभियान क समय उसने कोरिया

समाप्त करने का वचन दिया था और जुलाई १९५३ में कोरिया का युद्ध समाप्त भी हो गया। इसके पूव ही मार्च १९५३ में स्टालिन का मृत्यु हो चुकी थी। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में आया उन्होंने पूर्वापेक्षा कुछ लचीली और समझौतापूर्ण नीतियाँ अपनायीं चाहीं। रूस द्वारा परमाणु बमका निमाण (और अगस्त १९५३ में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण) तथा विपुल अमरीकी महायुद्ध के बाद चीन में साम्यवाद की विषय, इन दो बातों से यह उमीद हुई कि अमेरिका अपनी विदेश नीति पर एक नयी टाँट डालेगा। कोरिया युद्ध में किसी भी पक्ष को निणयक विजय प्राप्त न होने से आइसनहावर प्रशासन ने इस बात को मली माँति समझ लिया कि एक महाविनाशकारी युद्ध के बिना, जिसमें विजेता और विजित दोनों ही नष्ट हो जायेंगे, साम्यवादी रूस को पराजित नहीं किया जा सकता है। यह सम्भावना की गयी कि इन नवोन तथ्यों तथा अनुभूति के फलस्वरूप अमेरिका अपना पुरानी नीति का परित्याग कर रूस के साथ सह अस्तित्व का इच्छा अथवा अन्विष्टापूर्वक स्वीकार कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हम यह बताने हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के आतक से प्रभावित रही। उसी नीति का मध्य बिन्दु यही था और इसी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी नीति का निर्धारण किया। इस नीति का उद्घाटन १९५७ में टमैन सिद्धान्त के प्रतिपादन से शुरू हुआ था और इसको साम्यवाद के अवरोध (Containment of Communism) की संज्ञा दी गयी थी। इसका उद्देश्य यह था कि जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गयी उनको पुरी का त्वाँ छान दिया जाय, लेकिन इससे अन्य देशों में इसका विस्तार नहीं होने दिया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक सहायता की नीति और मैन्य संगठनों के तरीकों का अयनाया गया था। लेकिन १९५३ में इस नीति में परिवर्तन हुआ। राष्ट्रपति आइसनहावर के विदेश सचिव डलेस ने अवरोध सिद्धान्त को "नकारात्मक अथहान तथा अनैतिक बताया और उनमें लोगों को साम्यवादियों के भार से 'मुक्त' (Liberate) करने की योजनाओं का जिक्र छेडा। राष्ट्रपति आइसनहावर ने भी कहा

हम कुछ काल्पनिक लाभों की प्राप्ति के लिए किमा भी देश का जनता को दासत्व के पजा द्वारा जकड पात हुए नहीं दख सकते जिस स्वतन्त्रता की हम अमरीकी देशों तथा यूरोप में अनुभूति पव रखा करते हैं वन स्वतंत्रता जान पशिया में खतरो स विरो दुइ है।

इस नई नीति को प्रथम क्रियात्मक अभिव्यक्ति २ फरवरी, १९५३ को हुई जब आइसनहावर ने फारमोसा के शासक च्यांग काई शेक से कहा कि अमरीका सातर्न वेष्ठा के प्रयोग सम्बन्धी सब प्रतिबन्ध हटा रहा है, और जब उसन वहाँ के 'राष्ट्रवादियों' को 'मुख्य चीन वापस जाने' की 'अनुमति दे दी। आइसनहावर क

इस कदम का 'फारमोसा क नि तटस्थीकरण' (De-Neutralization of Formosa) की सजा दी जाती है। १९ जून १९५३ को जुलियस रोजेनबर्ग तथा उसकी पत्नी ईथेल रोजेनबर्ग को सोवियत संघ को आणविक 'भेद' हस्तांतरित करने के आरोप में, विद्युत् द्वारा फांसी दे दी गई। 'मकार्थीवाद' (McCarthyism) या साम्यवाद-विरोधी धारणाएँ अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क पर विकृत प्रभाव डालने लगीं। जून १९५३ में आइमनहावर ने घोषणा की

'हम किन्ना पन्ना व्यवस्था या सर्पि म हिम्ना नहा ले ग जिम्का उद्देश्य पूर्वी यूरोपाय देशों पर सोवियत प्रभुत्व को दमना रचना के विरुद्ध जारी रखना हो, अथवा इन देशों को जनता के अनिच्छित दाम्बत्व पर मोहर लगाना हो।

इस प्रकार अमेरिका की नीति उग्रतर होती गयी और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया कि एक सैनिक जेनरल अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में (आइमनहावर) अमेरिका की पूरी तरह टुकड़ देगा। इसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्द चीन में साम्यवादो आ दोलन बड़े जोरों पर था और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का वहाँ से पनायन हो रहा था।

जब मई १९५४ में डन वीन फू का पतन हुआ तो पश्चिमी राष्ट्र गभीरतापूर्वक यह महसूस करने लगे कि "जिस शक्ति के पास हिन्द चीन का राजनीतिक नियंत्रण होगा उस शक्ति की कृपा पर ही थाईलैंड का अस्तित्व कायम रह सकता है, उसका बर्मा पर जबरदस्त प्रभाव रहेगा और अतंतोगत्वा वह मलायन प्रायद्वीप को दूसरे देशों से अलग करने में सफलता प्राप्त कर लेगा।"* इस अनुमति की अभिव्यक्ति भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर के कथन से होती है जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में राज्यों की एक ऐसी कृत्तर लगी है जिसमें यदि एक राज्य का पतन हुआ तो सब राज्यों का सम्पूर्ण ढाचा ही गिर कर खत्म हो जायगा। सयुक्त राज्य अमेरिका भला इस स्थिति को अरहेलना कैसे कर सकता था। यद्यपि उसका न इस क्षेत्र में औपनिवेशिक साम्राज्य था और न इस क्षेत्र से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही था, तो भी उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि साम्यवाद व राष्ट्रवाद की वेगवती धारा की हम क्षेत्र में अवसद्ध करने की प्रत्येक कोशिश की जाय।

अतएव जब जुलाई १९५४ में हिन्द चीन की समस्या के समाधान के लिए जेनेवा में सम्मेलन हुआ तो अमेरिका ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया और अमरीकी विदेश मंत्री डेन्स ने हर कोशिश की ताकि सम्मेलन व्यरुफल हो जाय। लेकिन इसमें अमेरिका की असफलता मिली। हिन्द चीन के सम्बन्ध में समझौता हो गया। तत्र पद में सितम्बर १९५४ में समने थाइलैंड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान,

ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिलाकर दक्षिण पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा संधि का जन्म दिया और सीटो (Seato) की स्थापना की।

— पारस्परिक सहिष्णुता की नीति — परन्तु अमेरिका की यह मुक्ति दिलानेवाली नीति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। १९७४ के अन्त में परिस्थितियाँ बदलीं जिनके कारण “मुक्ति की नीति” का परित्याग करना पड़ा तथा समकी जगह पर पारस्परिक सुलह या समझौता (Policy of Accommodation) की नीति अपनायी पड़ी। साम्यवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका के नागरिकों से इतना अधिक कर वसूल किया जाने लगा कि वहाँ इस नीति का विरोध शुरू हुआ। यूरोपीय देशों को यह भय था कि बढ़ते हुई सैनिक नाकेबन्दों तथा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए तनावों से कक्षा युद्ध की अग्नि हो न प्रज्वलित हो सके। अमेरिका में भी यह महसूस किया जा रहा था कि बल प्रयोग की चर्चा और सैनिकवाद के प्रदर्शन से विदेशों में अपने मित्रों की सहायता में वृद्धि नहीं की जा सकती तथा इन चीजों से बाह्य जनों का प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, ५ मार्च १९७३ को स्टालिन की मृत्यु के बाद मास्को लगातार ‘पश्चिम’ देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। पाश्चात्य जगत, विशेषकर अमेरिका में लागू इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा स्थितियों पर सोवियत नेताओं के वक्तव्यों का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग ऐसे थे जो रूसियों की सत्यनिष्ठा का समर्थन करते थे तथा कुछ, जिनका नेता डनेस था, ऐसे थे जिन्होंने यह विश्वास था कि रूस के नये शासक वर्ग के वचनों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सोवियत सेनाओं ने अपनी मूल धारणाएँ परिवर्तित या संशोधित कर ली हैं। लेकिन शान्ति की माँग इतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि डलेस जैसे राजनीतिज्ञ भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे और अमेरिकी विदेश नीति में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति सुलह की भावना का समावेश होने लगा। १९५५ में विश्व में सर्वप्रथम जनता तथा राजनीतिज्ञों के प्रतिष्ठित पर शान्तिपूर्ण सहजीवन की भावना हावी थी और अमेरिका को अपनी नीति के एक मूल मान्यता का परित्याग करना पड़ा। इसका परिणाम था जुलाई, १९५५ का जेनेवा का शिखर सम्मेलन जिसमें अमेरिका के आइसनहावर, ब्रिटेन के ईडन, फ्रांस के फॉवरे तथा सोवियत संघ के बुखारिन सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के बाद शीत युद्ध में कुछ कमी आयी और विश्व में सद्भावना का एक नया वातावरण पैदा हुआ जिसे जेनेवा की भावना (Spirit of Geneva) की संज्ञा दी गयी।

पश्चिमी एशिया (Middle East) और अमेरिका —

सल-राजनीति—युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की राजनीतिक में बढ़ी दिलचस्पी दिखलायी है। इसका एक कारण है कि यह क्षेत्र

सोवियत संघ से बहुत निकट पड़ता है। लेकिन हमसे भी बहर पश्चिमी एशिया के देशों में सयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी का कारण वहाँ का पेट्रोल है। युद्ध काल में सयुक्त राज्य का पश्चिमी एशिया के तेल-व्यवसाय में काफी हिस्सा हो गया था। १९३६ में इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी तेरह प्रतिशत थी। १९४४ में यह बयालीस प्रतिशत तक पहुँच गयी। * १९५० में अरब देशों में अमेरिका की कुल लागत अरबों करोड़ डालर हो गयी थी। इस प्रकार पश्चिमी एशिया के तेल पर अपना नियन्त्रण कायम करने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र के आन्तरिक मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगा। यह आवश्यक भी था। जब तक इन देशों पर अमेरिका का अर्थसाधन साम्राज्य कायम नहीं हो जाता तब तक तेल कैसे सुरक्षित रह सकता था। अतएव इसके लिए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में सैनिक गठबन्धनों को प्रश्रय दिया है तथा भ्रम राजतन्त्रों एवं सामन्तवादी शासकों का समर्थन किया है।

पश्चिमी एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप — युद्ध के बाद तुर्की और फारस व साथ सयुक्त राज्य के सम्बन्धों का वर्णन हम कर चुके हैं। इन देशों के अतिरिक्त सयुक्त राज्य सौदी अरेबिया एवं फिलिस्तीन में भी दिलचस्पी रखता था। सौदी अरेबिया के तेल कूपों पर तो अमेरिका का अधिकार था ही, वह वहाँ सोने की खानों को भी अपने नियन्त्रण में करना चाहता था। इसके लिए वहाँ अमरीकी पूँजी से सौदी अरेबिया माइनिंग सिण्डिकेट की स्थापना की गयी और इस संस्था को साना निवालेने का अधिकार दे दिया गया। अमेरिका फिलिस्तीन के विभाजन और यहूदी राज्य इजरायल की स्थापना का बहुत बड़ा समर्थक था, क्योंकि उसका विश्वास था कि पश्चिमी एशिया में यहूदी राज्य की स्थापना से अमरीकी प्रभाव के प्रसार के लिए एक सुरक्षित साधन प्राप्त हो जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका की यह मनोकामना पूरी हुई। इसके अतिरिक्त युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया के राज्यों में जाइतनी सैनिक क्रान्तियाँ हुई हैं वे ज्यादातर अमरीकी हस्तक्षेप के कारण ही हुई हैं। फारस तो पूर्णतया अमेरिका के नियन्त्रण में है। १९४७ में अमेरिका ने फारस को दो करोड़, साठ लाख डालर के हथियार संधार दिये और तेहरान में एक अमरीकी सैनिक मिशन की स्थापना की। १९४९ में फारस और अमेरिका के बीच एक और समझौता हुआ जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि फारस के सैनिक विषय सयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति के बिना किसी दूसरे देश के सैनिक विशेषज्ञों को परामर्श के लिए नहीं सीधे जायेंगे। नवम्बर, १९४९ में फारस का शाह अमेरिका गया और आर्थिक एवं सैनिक सहायता के बदले अपने देश की पूरी तरह बेच दिया। जब वह अमेरिक

* George Kirk, *The Middle East in War*, p 25

से लौटा तो जनवरी १९५० में फारस के मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन हुआ। अमरीकी दूतावास के सिफारिश पर प्रतिक्रियावादी जनरल अली रजमरा को प्रधान मन्त्री बनाया गया। लेकिन १९५१ में फारस में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी। इस समय तक डॉ० मुसद्दिक वहाँ का प्रधान मन्त्री हो गया था। उसने तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे सबसे अधिक नुकसान तो ब्रिटेन को हो रहा था, लेकिन मुसद्दिक का राष्ट्रीयकरण की योजना को अक्षरफल बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ा छोड़ी। अमेरिका के दबाव से मुसद्दिक की योजना पक्षा, शाह ने उसको वरधारत करके देश में फौजी शासन लागू कर दिया। तबसे फारस शान्त है। वह कुख्यात 'बगदाद सिन्ध' (अब 'से-टा') का सदस्य बना लिया गया है और अमेरिका का पूर्ण नियन्त्रण में है।

पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सौच संगठन — संसार के अन्य क्षेत्रों की तरह अमेरिका शुरू से ही पश्चिमी एशिया और निकट के अफ्रीकी देशों को मिलाकर एक सैन्य संगठन कायम करना चाहता था। लेकिन बहुत दिनों तक उसको इसमें सफलता नहीं मिली। अन्त में वह बगदाद सिन्ध कायम करने में सफल रहा। पश्चिम एशिया की राजनीति में इस सिन्ध (अब से टो) का काफी प्रभाव है।

आइसनहावर सिद्धांत—१९५६ का स्वेजसुद्ध पश्चिम एशिया के इतिहास में घूर्तन-बिन्दु माना जा सकता है। इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के बचे खुचे प्रभाव को नुदा के लिए खत्म कर दिया और मिस्र का राष्ट्रपति नासिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता साबित हुआ। नासिर को सोवियत सघ की सहायता से इतनी बड़ी विजय हासिल हुई थी। अतएव वह उसके प्रति सहायुभूति रखता था। पश्चिमी एशिया में सोवियत प्रभाव को इस तरह बढ़ते देख अमेरिका में गार चिन्ता और निराशा हुई। अमेरिका ने तो कभी इस बात का नाता ही नहीं कि इस क्षेत्र की असल समस्या राष्ट्रीयता की है। अतएव उसने अरब राष्ट्रीयता को सधमा करते हुए शक्ति रिचता (power vacuum) के सिद्धान्त की मायता दी। इसका तात्पर्य यह था कि ब्रिटिश प्रभाव के हट जाने से इस क्षेत्र में एक तरह की राजनीति शून्यता आ गयी है और इस कारण इस बात का खतरा बन नष्ट गया है कि रुन्दन द्वारा रिक्र किया गया स्थान मारका न ले ले। अतएव हम मिस्र का सामना तत्काल लिए। ५ जून, १९५६ का राष्ट्रपति आइसनहावर ने पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में एक नीति की घोषणा की जिसका आइसनहावर सिद्धांत (Eisenhower Doctrine) कहते हैं।

आइसनहावर सिद्धांत की घोषणा ५ जनवरी, १९५७ का राष्ट्रपति आइसनहावर द्वारा कांग्रेस को भेजा गये एक संदेश में की गयी। यह संदेश मध्यपूर्व के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति की घोषणा थी। इस संदेश के अन्तर्गत

कांग्रेस के दोनों सदनों ने एक कानून का निर्माण किया। इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में अपनी विवह बुद्धि से "साम्यवादी आक्रमण" को रोकने के लिए फौज भेजने तथा सैनिक कमाववाही करने का अधिकार मिला। इसको मुख्य व्यवस्थाप निम्न थी

(क) इसके प्रथम भाग में मध्यपूर्व में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह "मध्यपूर्व के सामान्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वाधीनता उनाये रखने वाले" किसी देश को आर्थिक सहायता दे सकता है।

(ख) अधिनियम के दूसरे भाग के द्वारा राष्ट्रपति को 'मध्य पूर्व के राष्ट्रों की अखण्डता और स्वतंत्रता तथा विश्व शान्ति की सुरक्षा के लिए उन देशों के द्वारा चाहने पर सैनिक सहायता देने के अधिकार दिये गये। साथ ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित किसी देश से शस्त्र आक्रमण होने की स्थिति में सुसज्जित सेना भेजने का भी अधिकार दिया गया।

(ग) अधिनियम के तीसरे भाग में इस सहायता की व्यवस्था सम्बन्धी बातों का उल्लेख है और पाँचव भाग में इस कार्य की प्रति वष जनवरी और जुलाई में कांग्रेस को रिपोर्ट देने की व्यवस्था है।

कांग्रेस ने आइसनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन सहायता के इच्छुक मध्यपूर्व के देशों की सहायता के लिए दो सौ मिलियन डालर की धनराशि की स्वीकृति दी।

आइसनहावर सिद्धान्त का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह सिद्धान्त ट्रूमैन सिद्धान्त का एक विकसित रूप था -

✓ प्रथम, ट्रूमैन सिद्धान्त में सहायता का क्षेत्र बिल्कुल सुनिश्चित—टर्की और यूनान था, जबकि आइसनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिका राष्ट्रपति मध्यपूर्व के विशाल प्रदेश में किसी भी देश की सहायता दे सकता था।

✓ दूसरे, इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का क्षेत्र भी अधिक व्यापक था। जहाँ ट्रूमैन सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रधानत आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई थी वहाँ आइसनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार की सहायता की व्यवस्था थी।

✓ तीसरे, इस सिद्धान्त का राष्ट्रपति को ट्रूमैन सिद्धान्त की अपेक्षा ठोपाई भेजने व लड़ाई छेड़ने के अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये।

✓ चौथे, इस सिद्धान्त में आक्रमण की प्रकृति की भी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहायता वाध्य साम्यवादी आक्रमण अथवा उसकी आशंका पर सम्बन्धित देशों की प्रार्थना और इच्छा पर ही भेजी जायगी।

आइसनहावर सिद्धान्त की प्रतिक्रियाएँ और सिद्धान्त का विश्लेषण— आइसनहावर सिद्धान्त और कानून की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हुईं। मध्यपूर्व में जोर्डन, लेबनान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान आदि ने इसका स्वगत किया। परन्तु, मिस्र और सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बताया। सोवियत रूस ने इसका घोर विरोध करते हुए इसे सयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामक नीति की शृंखला की एक और कड़ी कहा। स्वर्गीय श्री नेहरू ने शक्ति शून्य के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा—‘यदि पश्चिमी एशिया में एक शून्य है तो यह स्वयं उस क्षेत्र के देशों के द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि दूसरे लोग आने का प्रयत्न करते हैं तो विपत्ति प्रारम्भ हो जाती है और सुरक्षा के स्थान पर हम उसका चूल्हा पाते हैं।’ ब्रिटिश राष्ट्र के एक बड़ मत ने भी आइसनहावर सिद्धान्त के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की। अनेक अध्येतों द्वारा यह कह कर इस सिद्धान्त की आलोचना की गयी कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध रक्षा कवच तैयार करना न होकर ब्रिटिश और फ्रेंच प्रभाव समाप्त करके उसके स्थान पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। प्रसिद्ध विद्वान डी० एफ फ्लेमिंग का मत है कि आइसनहावर सिद्धान्त ने शीत-युद्ध को प्रोत्साहित करने में बड़ी सहायता दी। * मिस्र और सीरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका का यह कदम ब्रिटिश फ्रेंच साम्राज्यवाद का जुआ उतार फेंकने वाली अरब राष्ट्रीयता को कुचलाने की चार इजरायल को अरबों के विरुद्ध आक्रमण से लिए प्रोत्साहित करने की साजिश है।

आइसनहावर सिद्धान्त का प्रयोग—इस सिद्धान्त की घोषणा होते ही अमेरिका पश्चिमी एशिया के राज्यों को इसके जाल में फँसाने की चेष्टा करने लगा। कुछ दिनों के बाद इजरायल, लेबनान और लीबिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया। परन्तु, सीरिया और यमन ने इसे अस्वीकार कर दिया तथा सडान और मिस्र इस पर मौन रह गये। लेबनान और जोर्डन में इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया, पर दोनों जगह वह असफल रहा।

लेबनान में अमरीकी सेना का प्रवेश—लेबनान का राष्ट्रपति चार्म तथा प्रधान मन्त्री सामी सोलह पश्चिमी गुट के समर्थक होने के नाते आइसनहावर सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन यहाँ की जनता इसके विरुद्ध थी। अतएव मई १९५८ में इस सरकार के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हो गया। लेबनान के विदेश मन्त्री ने यह आरोप लगाया कि इस विद्रोह को राष्ट्रपति नासिर ने भड़काया है और वही विद्रोहियों की सहायता कर रहा है। लेबनान की सरकार इस आरोप के साथ अपनी शिकायत सुरक्षा परिषद में ले गयी। सुरक्षा-परिषद् ने एक आयोग की स्थापना की। जाँच पड़ताल के बाद आयोग ने लेबनान के आरोपों को गलत

चतलाया । लेकिन लेबनान की सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया ।

जुलाई १९५८ में अमरीकी सरकार ने राष्ट्रपति चार्ल्स से यह प्रार्थना करवायी कि लेबनान की स्थिति ठीक करने के लिए अमरीकी सेना वहाँ भेजी जाय और पन्द्रह जुलाई को १५०० अमरीकी सैनिक बेरुत में उतर पड़े । बीस जुलाई तक इन सैनिकों की संख्या दस हजार तक पहुँच गयी । अमरीकी सेना को सहायता से विद्रोह दूरत दबा दिया गया, लेकिन लेबनान की जनता ने अमरीकी सेना का घोर विरोध किया । सोवियत संघ ने सुरक्षा-परिषद में यह प्रस्ताव रखा कि लेबनान से अमरीकी सेना वापस बुला ली जाय । लेकिन अमरीकी बहुमत से नियन्त्रित सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को नामचूर कर दिया । इससे बाद यह प्रश्न साधारण सभा में रखा गया । तेईस अगस्त को यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलाने की मांग की गयी थी लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने में साफ साफ इन्कार कर दिया ।

छठे लेबनान में अमरीकी सेना के बावजूद छिट फुट यह युद्ध चल ही रहा था । जब ३१ जुलाई को चेइक नया राष्ट्रपति चुना गया तो यह युद्ध शान्त हो गया । चेइक की सरकार ने मांग की कि अमरीकी फौज दूरत लेबनान से हटा ली जाय । जब अमेरिका के सामने बहाना करने का कोई चारा नहीं रहा और उसे अपनी सेना हटाने पर बाध्य होना पड़ा । २६ अक्टूबर १९५८ को काफी अपमानित होकर अमरीकी सेना को वापस लौट जाना पड़ा ।

जोर्डान में हस्तक्षेप—१४ जुलाई, १९५८ को ईराक में एक सैनिक क्रांति हुई और पश्चिमी गुट के सभी समर्थक मार डाल गये । जोर्डान पर इस क्रांति का दूरत प्रभाव पड़ा । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अरब राष्ट्रीयता का दूसरा शिकार अब जोर्डान का शाही परिवार ही होगा । इस स्थिति में जोर्डान के शाह हुसैन ने पश्चिमी राज्यों से सहायता मांगी । ब्रिटेन ने शीघ्र ही अपनी सेना जोर्डान भेज दी । इसमें अमेरिका का पूरा समर्थन उसे प्राप्त था । स्वयं अमेरिका ने शाह हुसैन को पचहत्तर लाख डालर की नयी आर्थिक सहायता दी ।

लेकिन यहाँ भी अमेरिका की कुछ न चन सकी और उसके साथी सयुक्त राज्य ब्रिटेन को सयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा क १३ अगस्त वाले प्रस्ताव के अनुसार अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी ।

बाइसाहावर सिद्धांत का मूलांकन—आइसनहावर सिद्धान्त के प्रयोग के सक्षिप्त अन्वयन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका कोई सफलता नहीं मिली और पश्चिमी एशिया पर अमेरिका का वैसा नग्न साम्राज्य नहीं कायम हो सका जो उसका इरादा था । इस क्षेत्र में शान्ति स्थापना की बात तो दूर रही,

इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में भी खूब वृद्धि हुई और कई बार विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के भय से ग्रस्त होना पड़ा। इन घटनाओं के कारण पश्चिमी एशिया में अमेरिकी विरोधी भावना की एक लहर दौड़ पड़ी और साम्यवादी तत्वों को काफी महारा मिली। अमेरिका का नाम समूचे पश्चिम एशिया से सामन्तवाद तथा प्रातिक्रियावाद के समर्थकों के साथ जुट गया।

ट्रूमैन सिद्धान्त की तरह आइसनहावर सिद्धान्त भी समुक्त राष्ट्रसंघ को निर्बल बनाने वाला था, क्योंकि इसके द्वारा समुक्त राष्ट्रसंघ का काम समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने हाथ में लेने का यत्न किया गया। समुक्त राज्य अमेरिका ने समुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षक दल की रिपोर्ट के विरुद्ध लेबनान में अपनी टेनाएँ भेजी जो अनुचित थी। यह इसके साम्राज्यवाद का सूचक और संघ में उसके अविश्वास का परिनायक था। संघ के प्रेक्षक दल की रिपोर्ट के बाद भी अमेरिका की यह कारवाही यह सिद्ध करती थी कि वह इस सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपने प्रभाव और नियन्त्रण का भूखा था।

आइसनहावर का सिद्धान्त असफल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अरब राष्ट्रीयता की उपेक्षा पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अरब देशों में राष्ट्रीयता का नवीन जागरण हुआ है और इसलिए अरब देश अब किसी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप का सहन को तैयार नहीं हैं। इसकी असफलता का दूसरा कारण है राष्ट्रपति वनल नासिर का व्यक्तित्व जो बीसवीं शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा शत्रु है।

आइसनहावर सिद्धान्त का मध्यपूर्व में साम्यवादी और सोवियत प्रभाव को रोकने में सफलता नहीं मिली। लेबानन और जोर्डान में सैनिक हस्तक्षेप का प्रभाव छलटा पड़ा और इन दोनों देशों में पश्चिम विरोधी भावनाओं का जन्म मजबूत हो गया। जोर्डान में अमेरिकी सहायता से शाह हुसेन के विरुद्ध विद्रोह का ठोका देवा दिया गया, परन्तु सीरिया इराक और मिस्र में सोवियत प्रभाव को दृढ़ि हुई और इराक बगदाद पैकट में अलग हो गया।

पश्चिम यूरोप में अमेरिकी प्रभाव में ह्रास

सैनिक गठबन्धन और आर्थिक सहायता की नीति के कारण प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बन गया था। यह स्थिति यूरोप के कुछ राष्ट्रों को एकदम अस्वीकार नहीं लगी। विशयकर फ्रांस इसके लिए बहुत चिन्तित था। लेकिन अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देशों को गांठ सगठन का सदस्य बनाने की सहायता नहीं थी। उसका विचार था कि नाटो का कार्यक्षेत्र बदल प्रतिरक्षात्मक तथा सैनिक सगठन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अन्तर्देशीय क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए। २५ अप्रैल, १९५६ का टन्ग ने कहा कि 'नाटो'

एक प्रतिरक्षात्मक गठबन्धन से “कुछ अधिक बन सकता है तथा उसको ऐसा बनाया भी जाना चाहिए।” अब समय आ गया है कि ‘नाटो’ को अपने प्रारम्भिक चरण से विकसित करके पूर्ण अर्थ प्रदान किया जाय।” इसी प्रकार कनाडा के विदेश मन्त्री लेस्टर बी० मियसन ने १२ अप्रैल को कहा कि ‘नाटो’ को “प्रतिरक्षात्मक नीति की एक एजेन्सी मात्र से कुछ अधिक होना चाहिए।” फनत ‘उत्तरी एटलांटिक परिपद्’ ने ४५ मई, १९५६ को, कुछ अन्य बातों के अतिरिक्त, तीन मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया जो “नाटो सहायकों के गैर सैनिक क्षेत्रों तक विस्तृत करने तथा अन्तर्गतिक समुदाय में अधिक एकता लाने के लिए” समुचित माघन तथा तरीक चुग सके। इस समिति ने एक ३६ सुत्रोंय प्रश्न-तालिका सकलित की तथा ‘नाटो’ के सदस्यों में समान हित के मामलों पर “स्वाभाविक विचार विनिमय या मन्त्रणा”, सास्कृतिक तथा आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता के सम्मूलन, और अधिक-से अधिक अवसरों पर सैनिक अभ्यास करने के सुझाव दिये।

नाटो में मतभेद— अमेरिका के इस प्रयास से पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की चिन्ता और भी बढ़ गया और वे नाटो सगठन से घीरे घीरे सशक्त होने लगे। इसी हालत में १९५६ में स्वेज का सकट आया और इस सकट क समय नाटो सगठन में पहले पहल तनाव उत्पन्न हुआ। अमेरिका ने इंग्लैण्ड और फ्रांस द्वारा मिस्र पर किये गये आक्रमण का विरोध किया। ११ १४ दिसम्बर, १९५६ को नाटो की परिपद् में डनेस ने मिस्र पर आत्मन फ्रांसोसो आक्रमण को निन्दा की तथा सयुक्त राष्ट्र-सभ के कार्यो का समर्थन किया। इस पर ब्रिटेन और उससे भी अधिक फ्रान अमेरिका से नाराज हुआ।

इसके बाद नाटो सगठन क आन्तरिक मतभेद कई बार स्पष्ट रूप से सामने आये। साइप्रस के विवाद को लेकर नाटो के दो सदस्य-राज्य—यूनान और तुर्की—एक दूसरे से उलझ गये। १९५८ में यूनान की सरकार ने नाटो के किसी भी सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया। मतभेद तत्र और तीव्र हो गया जब नाटो ने दिसम्बर १९६१ में गोआ विवाद में पुतगाल को ओर से सशस्त्र हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

यूरोपीय राज्यों में फ्रांस सबसे अधिक सशक्त था। नाटो सगठन के प्रति उसकी कई शिकायते थीं। अतएव फ्रांस को प्रसन्न करने के लिए १९५९ में निम्न लिखित निणय किये गये—

१ फ्रांस का अपने भूमध्यसागरीय नौसेना दस्ते पर युद्धकाल में भी पूर्ण राष्ट्रीय नियन्त्रण बनाये रखने का अधिकार दे दिया गया।

२ अमरीकी लड़ाकू तथा यमरपक सैन्य टुकड़ियों को फ्रांस से हटाकर ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी के अड्डों में भेजन का निश्चय किया गया।

१९५९ के बाद से नाटो संगठन में कई दरारें उत्पन्न हो गयी हैं और अमेरिका की सारी पश्चिमी यूरोपीय नीति असफल होती जा रही है। नाटो का संगठन शीत युद्ध का परिणाम था। जब शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और सोवियत विस्तार का कुछ भय था तो पश्चिमी यूरोप के राज्यों के लिए अमरीकी प्रभाव को स्वीकार करना स्वाभाविक था। लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध की बर्फ पिघलने लगी वैसे वैसे अमरीकी प्रभुत्व में चुनौती मिलने लगी। परमाणु शक्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एकाधिकार तथा आर्थिक कमजोरियों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को अमरीकी नतृत्व स्वीकार कर लेने को विवश कर दिया था, किन्तु समय चलने पर ये दोनों स्थितियाँ बदल गयी और नाटो के सदस्य राज्य 'स्वतन्त्रता' का प्रदर्शन करने लगे। वे अब अमरीकी आदेशों के अनुसार अपनी अनिच्छा प्रदर्शित करने लगे क्योंकि अटलांटिक गुट राष्ट्रीय आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक नहीं रह गया था।

परमाणविक अस्त्रों के विकास ने युद्ध कला का एकदम परिवर्तित कर दिया पश्चिमी यूरोप के देश अब यह अनुभव करने लगे कि पूर्व और पश्चिम के बीच कोई भी भावी युद्ध परमाणविक युद्ध होगा जिसमें स्थल सेनाओं की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी और ऐसे युद्ध में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों अशुशक्तियों में से किसके पास शत्रु की प्रतिशोषात्मक सामर्थ्य (retaliatory capacity) को जल्दी समाप्त करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त परमाणविक शस्त्रों की निषेधात्मक सामर्थ्य (deterrent capacity) ने एक तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना को छत्म कर दिया है। सोवियत गुट और अमरीकी गुट यह समझने लगे हैं कि एक परमाणविक युद्ध में किसी भी पक्ष के लिए विजय असम्भव है। पश्चिमी गुट में यह धारणा फैलती जा रही है कि मानव का भविष्य सैनिक गठबंधनों से नहीं, पारस्परिक सद्भावना से ही संज्वल बनाया जा सकता है।

यही कारण है कि फ्रान्स नाटो की ओर से निरन्तर विमुख हाता गया और उसने कई बातों में नाटो से सहयोग करने से इन्कार कर दिया और फ्रांस की ओर से मार्च १९६६ में यह घोषणा भी कर दी है कि तीन वर्ष के अन्दर इस संगठन के साथ अपना सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा। अब फ्रान्स नाटो से अलग हो गया है। फ्रान्स के निक्ल जान से नाटो का संगठन महत्त्वहीन हो गया है। अमरीका की युद्धोत्तर यूरोपीय नीति का विशाल भवन वस्तुतः धराशायी हो गया है।

पूर्वी एशिया और संयुक्त राज्य

चीन और अमेरिका—१९५४ में जापान की पराजय के बाद, संयुक्त राज्य ने पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व कायम करने की चेष्टा की। जापान पराजित होकर अमेरिका के सैनिक कब्जे में आ गया किन्तु चीन में राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों के बीच जो यह युद्ध चल रहा था उसकी चरम

परिणति समीप आ रही थी। अमेरिका ने साम्यवादियों के दमन के लिए ध्याग कोई शोक को सरकार को पूरी सहायता की। इसके बावजूद चीन की राष्ट्रवादी सरकार हारती आ रही थी और साम्यवादी जीते चले जा रहे थे। १९४० आने आते चीन की राष्ट्रवादी सेना चीन की मुख्य भूमि से पराजित होकर हटती गयी और अन्त में फारमोसा भागकर चली आयी अमेरिका की लाय सैनिक सहायता भी ध्याग की भ्रष्ट सरकार की रक्षा नहीं कर सकी। यह सयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी पराजय थी। द्वितीय विश्व-युद्ध के फलस्वरूप प्रशान्त महासागर में अमेरिका का पूण प्रभुत्व कायम हो गया था। चीन में कम्युनिस्ट शक्ति का अभ्युदय इस प्रभुत्व के लिए सबसे महान् चुनौती बन गया।* चीन में साम्यवादी व्यवस्था के कायम होने से चीन क्वल सयुक्त राज्य अमेरिका के नियन्त्रण से ही मुक्त न हो गया, अपितु उसने पूर्वी एशिया के शक्ति सन्तुलन में एक महान् परिवर्तन उपस्थित कर दिया जो अमेरिका के विरुद्ध था। चीन जो पिछले एक शताब्दी तक शोषित होता रहा था, अब एक नया जन्म पाकर उठ खड़ा हुआ था।

लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उसने चीन की नयी सरकार को अभी तक मान्यता नहीं प्रदान की है और न उसे सयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य ही बनने दिया है। अमेरिका फारमोसा की सरकार का ही मान्यता देता है और इस कठपुतली सरकार को बचाने के लिए उसने अपनी नौ सेना सुभेद कर दी है। ऐसी नीति का अनुसरण करके सयुक्त राज्य ने काहिरा पर पीटसडहाम की घोषणाओं का उल्लंघन किया है। अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं प्रदान करने तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ में उसका स्थान नहीं दिलाने के कारण पूर्वी एशिया की राजनीति हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में रहती है। चीन अमेरिका को अपना शत्रु नवम्बर एक मानता है।

साम्यवादी चीन के कारण कोरिया की राजनीति भी उलझ गयी। कोरियाई समस्या में सयुक्त राज्य अमेरिका ने किम नीति का अवलम्बन किया उसकी पूरी चर्चा हम इस पुस्तक में अन्यत्र कर चुके हैं।

जापान और अमेरिका—द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पराजित होकर अमेरिका के सैनिक बन्धु में चला गया। किन्तु रूस के साथ मतभेद होने के कारण जापान के साथ शान्ति सन्धि नहीं हो सकी। तबतक जापान पर अमेरिका का सैनिक शासन कायम रहा। जनरल मैकआर्थर के सेनापतित्व में जापान में जो अमेरिकी शासन कायम हुआ उसके फलस्वरूप वह देश पूरी तरह से सयुक्त राज्य के

* V. M. Dean, *America's Future in the Pacific* p. 232

नियन्त्रण में आ गया। फिर, १९५१ में सैनफ्रांसिस्को के सम्मेलन में जापान के साथ अन्य युद्धरत देशों की सन्धि हो गयी। इसके द्वारा जापान को कोरिया और फारमोसा पर से अपना अधिकार हटाना पडा तथा पेस्कार्डस, ब्युराईल तथा श्वा-लोन के भाग अमेरिका को सौंपने पडे। जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका का मित्र तथा संरक्षित राज्य होने की शर्त पर अपनी राजसत्ता को पुन प्राप्त कर ली। ८ सितम्बर, १९५१ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के साथ अनिश्चित काल के लिए प्रतिरक्षा समझौता (U S Japanese Defence Pact) किया। इसके अन्तर्गत जापान पर बाह्य सशस्त्र आक्रमण होने की दशा में अथवा बाह्य शक्तियों को भडकाने से या हस्तक्षेप से तथा बड़े पमाने पर उपद्रव होने की दशा में जापान में जापानी सरकार को सैनिक सहायता देने की व्यवस्था है। इसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान ने अपने देश में जल, स्थल तथा वायु सेनाएँ रखने का अधिकार पूर्वी एशिया में शान्ति सुरक्षा बनाये रखने के लिए दिया है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वीकृति के बिना किसी तीसरी शक्ति को अपने देश में अड्डे बनाने, किलाबन्दी करने, सेना रखने या इसके गुजरने का मर्म नहीं दे सकता। निश्चय ही इस सन्धि के द्वारा जापान की स्थिति अमेरिका के एक संरक्षित राज्य जैसी हो गयी है। जापान की जनता ने इसका घोर विरोध किया है, पर अमेरिका क सैन्य बल क सामने उनकी कुछ न चल सकी है।

१ सितम्बर, १९५४ को द्रशान्त महासागर में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से अमेरिका न आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के साथ भी एक सुरक्षा सन्धि की। इसके पहले ३० अगस्त १९५१ को फिलिपाइन्स के साथ भी उसकी एक पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि हो चुकी थी।

हिन्द चीन को समस्या और अमेरिका—साम्यवादी चीन के अग्रदूत ने हिन्दचीन के प्रति अमेरिकी नीति को भी प्रभावित किया। हिन्दचीन को लडाई में अमेरिका फ्रेंच साम्राज्यवाद का पक्ष लेकर कूद पटना चाहता था। लेकिन परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। १९५४ में हिन्द चीन पर जो अनेका समझौता हुआ उसका अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन हिन्दचीन के युद्ध और उसमें कम्युनिस्टों की विजय ने अमेरिका को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सैनिक संगठन कायम करने पर बाध्य किया। दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन की स्थापना अमेरिका की इसी नीति का परिणाम थी।

जनेवा समझौता के द्वारा कम्बोडिया और लाओस को तटस्थ राज्य घोषित किया गया था। लेकिन संयुक्त राज्य को यह स्थिति पसन्द नहीं थी। यह इन राज्यों को अपने जाल में फँसाने की कोशिश करने लगा। १९५९ में अमेरिकी

पडयन्त्र के फलस्वरूप लाओस का तटस्थ प्रधान मन्त्री प्रिस सुवण फूमा पदच्युत करा दिया गया और वहाँ पर अमेरिका की एक कठपुतली सरकार कायम हो गयी। इस कारण लाओस में यह युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी। कई वर्षों तक यह यह युद्ध चलता रहा। अमेरिकी अभी भी हिन्द चीन में इसी तरह की आक्रामक नीति का अनुसरण कर रहा है जिसके कारण वहाँ की राजनीति हमेशा तनावपूर्ण बनी रहती है। जून १९६४ में कम्बोडिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा-परिषद् में अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह कम्बोडिया के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुरक्षा परिषद् में इस पर काफी बहस हुई और कम्बोडिया को सौव्यत सघ का जवर्दम्त समर्थन प्राप्त हुआ। हिन्द चीन की राजनीति में इस क बयडर हमेशा उठा करते हैं और इसके लिए अमेरिका की आक्रामक नीति एक मात्र जिम्मेवार है।

कैनेडी-प्रशासन-काल में अमेरिकी विदेश नीति

विदेश नीति की नयी सीमा—२ नवम्बर १९६० से अमेरिकी विदेश नीति की बागडोर राष्ट्रपति कैनेडी के हाथों में आ गयी। कैनेडी अमेरिका का सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति और अद्भुत साहस तथा सुकबूक के व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में अत्यन्त साहसपूर्ण दूरगामी परिवर्तन किये। अमेरिकी विदेश नीति के विश्लेषण वर्त्ता १९६० क वर्ष को अक्षफन वर्ष मानते हैं। इस वर्ष बलिन का मण्डला पुन उभर आया तथा मई का शिखर सम्मेलन विफल सिद्ध हुआ था। जून में जापान में सुरक्षा-सन्धि के विरुद्ध कई उपद्रव हुए जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को अपना दौरा स्थगित कर देना पडा था। वयूबा में अमेरिका की बड़ी मानहानि हुई थी तथा एटलांटिक सन्धि में दरारें उत्पन्न हो गयी थीं। नये राष्ट्रपति ने इन सारी बातों को समझा। १५ जुलाई १९६१ का उन्होंने कहा "हम आज एक नयी सीमा की आर पर खड़े हैं—यह १९६० का सीमा प्रदेश है।" तत्काल न खतरों और समस्याओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये खतरे काफी समय तक बने रहेंगे। इन समस्याओं की समाप्ति अनिश्चित है, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें प्रयास तो शुरू ही कर देना चाहिए।

कैनेडी के प्रशासन काल में वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति उसे इतना सजीव और सचेतन बना दिया कि ऐसा लगने लगा कि मानों अमेरिका की विदेश नीति में एक नयी जान आ गयी हो। कैनेडी का विश्वास था कि समझौतों और वार्तानाप के द्वारा पूर्व और पश्चिम के भेदा को मिटाया जा सकता है, उनका यह भी कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती उस भाग से दी जा रही है जो कि शीत युद्ध में शामिल नहीं है। कैनेडी ने यह कहा कि विश्व में साम्यवाद के अतिरिक्त गरीबी और अन्य प्रकार

की तानाशाहियों भी शत्रु है। यह एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य था और अमरीकी विदेश नीति के लिए एक सर्वथा नवीन मोड़ था। अमरीकी प्रशासन ने पहले-पहल इस तथ्य को मान्यता दी कि विश्व की सारी परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नहीं है। यदि दुनिया की समस्याओं का सज्जित समाधान निकालना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक सीमा-प्रदेशों पर भी ध्यान देना होगा, केवल सैनिक बल पर मरोघा करके इनका समाधान नहीं होगा।

सितम्बर १९५९ में आइसनहावर और ख्रुश्चेव के मिलन के बाद जो कैम्प डेविड की भावना आयी थी, कैनेडी प्रशासन ने उसे मान लिया और उसके अनुरूप आचरण करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि अब महाशक्तियों को यह समझ लेना चाहिए कि उनके हित स्पष्ट हैं और अधिक दिनों तक वे अपने मारस्परिक सम्बन्ध को खराब बनाये नहीं रख सकते हैं। जून १९६१ में वियना में राष्ट्रपति कैनेडी की मुलाकात ख्रुश्चेव से हुई। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कहा "केवल इस प्रकार के विचार-विमर्श के द्वारा ही मैं दस बार में निश्चित हो सका कि ख्रुश्चेव यह जानते हैं कि हम वस्तुमान तथा भविष्य को किस प्रकार भिन्न रूप से सोचते हैं। हमारा दृष्टिकोण पुरो तरह परस्पर विरोधी है किन्तु अब मैं हम यह तो जान गये कि हम कहाँ खड़े हैं।" कनेडी का कहना था कि दोनों गुटों के बीच अस्पष्टता, सन्देह तथा गलतफहमी के कारण अनेक सङ्घटन एवं परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं किन्तु विचारों के प्रत्यक्ष आदान-प्रदान से उन्हें मिटाया जा सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने प्रशासन-काल के प्रारम्भिक दिनों में अमरीकी विदेश नीति को एक नयी सोमा देने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी १९६१ में राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया कि लाओस का समस्या का कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जाय। इसी महीने उन्होंने व्याणविक परीक्षण के प्रयोग पर नियन्त्रण लगाने के सम्बन्ध में महाशक्तियों के गतिरोध को दूर करने का यत्न किया। इन मारी बातों से यह प्रतीत हुआ कि जब राष्ट्रपति ने साम्यवादो-परम्या के प्रति सख्त अस्तिव का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, जब अवसर आया तो उन्होंने सोवियत संघ के प्रति रूढ़ नीति का भी अन्तर्गमन किया। इस दृष्टिकोण से 'नाटा' के आर्थिक और राजनैतिक आधारों का मजबूत करने की ओर महत्त्वपूर्ण कदम उठये गये और "बफादार मित्रों" की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। जून १९६१ में सोवियत संघ के जमनी के सम्बन्ध में यह घमकी दी कि वह पूर्वीय जमनी के साथ पृथक रूप से गति कर लेगा तथा पश्चिमी राष्ट्रों को बर्लिन में प्रवेश करने वाले सन्धि का अंत कर देगा। इस पर कैनेडी ने यकी रदवा

के साथ सोवियत सघ को यह चेतावनी दी कि रूस की एक पक्षीय कायवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। राष्ट्रपति ने इस प्रश्न पर इतना कड़ा खल अपनाया कि सोवियत सघ को अपने इरादों को बदलना पड़ा।

व्यूबा का संकट— वैदेशिक नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति कैनेडी के प्रशासन काल में व्यूबा का संकट सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना ने राष्ट्रपति की विदेश नीति को पूर्णतया सफल सिद्ध किया। लेकिन इसक साथ ही इसने यह भी सिद्ध कर दिया कि अमरीकी विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है और “नवीन सीमा” की बात नयी बोलत में पुराने शराब की कहावत चरिताग करती है।

व्यूबा संकट के बारे में हम इस पुस्तक में पहले ही विचार कर चुके हैं। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि ४ सितम्बर १९६२ को अपने एक वक्तव्य में राष्ट्रपति ने बतलाया कि सरकार को प्राप्त एक सूचना के अनुसार सोवियत सघ में व्यूबा में एक गगनभेदी प्रक्षेपणास्त्र तथा अथ सामरिक सामग्री भेज रहा है जिसे अमरीकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। राष्ट्रपति ने सोवियत सघ को चेतावनी दी कि वह इस तरह का खतरनाक काम नहीं करे।

व्यूबा में रूसी सैनिक अड्डा कायम होने से निश्चय हो सयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और राष्ट्रपति को इस तरह की चेतावनी देने का अधिकार भी था। लेकिन उस समय कैनेडी महोदय यह भूल रहे थे कि अमेरिका ने स्वयं सारे विश्व में और सोवियत सघ के हर दरवाजे पर अपना सैनिक अड्डा कायम कर लिया है। यदि अमेरिका को इस तरह सैनिक अड्डा कायम करने का हक था तो वह हक सोवियत सघ को भी मिल सकता था। लेकिन विश्व का सर्वाधिक ताकतवर राष्ट्र होने के नाते सयुक्त राज्य अमेरिका दूसरों के हक को इस तरह की मान्यता नहीं दे सकता था। अतः २३ अक्टूबर, १९६२ को व्यूबा में रूसी अड्डों की स्थापना की निन्दा करते हुए राष्ट्रपति ने व्यूबा की घोषणा कर दी जिसके अनुसार अमेरिका के जहाजों द्वारा व्यूबा का बन्दरगाहों को घेर लेना था ताकि यहाँ के अड्डों का वाणविक शस्त्रों से सुसज्जित करनेवाली सामग्री नहीं भेजी जा सके। राष्ट्रपति कैनेडी की इस घोषणा ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महान् सफट उत्पन्न कर दिया क्योंकि उनका यह कार्य सोवियत सघ को स्पष्ट धमकी था कि वह व्यूबा को सैनिक सहायता देना बन्द कर दे अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाय। इस मौके पर सोवियत सघ ने दूरदर्शिता से काम लिया और व्यूबा में अड्डों को उड़वा लेने की बात पर सहमत हो गया। राष्ट्रपति कैनेडी ने कुश्चेव को इस निर्णय को “एक महान् राजनेता का निर्णय” कहा, लेकिन कुछ अमरीकी पत्रों ने युद्धे शब्दों में कहा कि “रूस ने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की।”

बयूवा के सक्क के उपरान्त राष्ट्रपति कैनेडी ने दूरदृष्टिता से काम लिया और सोवियत सघ को अनावश्यक रूप से अपमानित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके दुरत ही बाद कैनेडी-प्रशासन ने निरस्त्रीकरण को दिशा में प्रगति करने का भरसक प्रयास किया। इसके फलस्वरूप २५ जुलाई, १९६३ को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत सघ के बीच अणु-परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ। शीत युद्ध को कम करने में इस सन्धि से बड़ी सहायता मिली।

बयूवा और वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि कैनेडी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति कुछ परिवर्तनों के साथ अपनी पुरानी लकीरों पर ही चलती रही। इस काल में अमेरिका की विदेश-नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

राष्ट्रपति जॉनसन के काल में अमरीकी विदेश-नीति

२० नवम्बर, १९६३ को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के उपरान्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति लिन्डन जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाद में १९६४ के निर्वाचन में विजयी होकर पुनः इस पद पर नियुक्त हुए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दुरत बाद जॉनसन ने घोषणा की कि वे विदेश नीति के क्षेत्र में भूतपूर्व राष्ट्रपति के पद चिन्ह पर ही चलेंगे और अमरीकी विदेश नीति के मूल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायगा। जॉनसन ने अपनी नीति निर्धारण के सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान रखा है और उसके प्रशासन-काल में अमरीकी नीति लगभग वही रही है जो पहले थी। जॉनसन ने शीत युद्ध के विस्तार को रोकने का यत्न करते हुए विश्व के मसलों पर उसी तरह के उद्यम और आक्रामक ऋष्टिकोण को अपनाया है जो राष्ट्रपति कैनेडी के थे। जॉनसन-प्रशासन की विदेश नीति का अध्ययन हम मुख्यतः दो समस्याओं के सन्दर्भ में करेंगे— वियतनाम तथा १९६७ के पश्चिम एशिया सक्क के सम्बन्ध में।

वियतनाम सघ और अमेरिका— वियतनाम की समस्या पर हम आगे विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि वियतनाम समस्या पर आक्रामक रुख अपनाने का निणय राष्ट्रपति कैनेडी के काल में ही लिया गया था और जॉनसन के काल में यह नीति उत्तरात्तर उग्रतर और आक्रामक होती गयी है। १९६०-६१ में दक्षिण वियतनाम में वियतकांग छापामारों की गतिविधि बहुत बढ़ गयी। इस हालत में दक्षिण वियतनाम की सरकार ने अमेरिका से सहायता की याचना की जिसके लिए अमरीकी सरकार सहर्ष तैयार हो गयी। ४ जनवरी, १९६२ को सेगोन में एक अमरीकी सैनिक कमान स्थापित की गयी और चार हजार अमरीकी सैनिक वहाँ छतार दिये गये। अगस्त १९६४ में वियतनाम में विषम परि

स्थिति उत्पन्न हो गयी। अमरीकी सेना पर वियतनाम छापामारों का निरन्तर हमला होता रहा। इसक प्रतिशोध स्वरूप अमेरिका ने ७ फरवरी १९६५ को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले आरम्भ कर दिये। फलतः सयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी वियतनाम में प्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हो गयी। उस समय से ~~मार्च १९६८~~ तक अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को पराजित करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। हजारों की संख्या में अमरीकी सैनिक, जहाज आदि इस युद्ध में नष्ट हुए हैं। इसका प्रभाव अमेरिका की अर्थ व्यवस्था पर पड़ा है और अमरीकी मुद्रा डालर सकट में फँस गया है। इन सभी कारणों से वियतनाम युद्ध क प्रति जॉनसन प्रशासन का रुख स्वयं अमेरिका में गम्भीर बालोचना का पात्र बना है। अमरीकी नागरिकों को एक बहुत बड़ा संख्या ने इस नीति का विरोध किया है। यदि अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर अपनी विनाशकारी बमबर्षा बन्द करके सहयोग को रचनात्मक घातावरण पैदा करे तो युद्ध विराम करके समझौते का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो सकता है। यह विचार दुनिया के सभी समझदार लोगों का है और अमेरिका के अभिन्न मित्रों ने भी उस पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला है। लेकिन मार्च १९६८ तक सयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने पर विभी तरह राजी नहीं था। उसने महासचिव यू थान्त के विविध अपीलों पर भी ध्यान नहीं देते हुए अपने दुराग्रह का परिचय दिया है। लगभग तीन वर्षों से अमेरिका ने प्रबल बमबर्षा द्वारा हनाई की सन्धि वार्ता के लिए बाध्य करने की कोशिश की है, परन्तु इसका प्रभाव सल्टा ही पडा है। इस बमबर्षा ने उत्तरी वियतनाम में निरन्तर सघर्ष चलाने के लिए अपूर्व साहस और दृढता का संचार किया है। १९६७ के अन्त तक इस युद्ध में अमेरिका का पलडा भारी रहा। लेकिन १९६८ के शुरू होते ही उत्तर वियतनामी सेना तथा विमत्तकाग छापामारों ने बड़े जोश के साथ युद्ध में प्रवेश किया और मार्च, १९६८ में अमेरिका को कई भोषण पराजयों का सामना करना पडा। इस युद्ध में अमेरिका की अपार क्षति हुई और इसने वीयतनाम के प्रति अमरीकी नीति में परिवर्तन कराने को बाध्य कर दिया।

अमरीकी नीति में परिवर्तन— ३१ मार्च १९६८ को राष्ट्र के नाम वियतनाम के प्रश्न पर राष्ट्रपति जॉनसन का एक ब्राइकास्ट हुआ। इस ब्राइकास्ट में राष्ट्रपति ने दो मुख्य बातें कहीं (१) वियतनाम में शान्ति वाता क माग को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने उत्तरी वियतनाम की बमबारी आंशिक रूप से बन्द कर देने का आदेश दे दिया है और (२) "मैं राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं लूँगा और उसके लिए डेमाके टिक पाटों का मनोनयन ही स्वीकार करूँगा।" राष्ट्रपति की ये दोनों घोषणाएँ अत्यन्त नाटकीय और आकस्मिक थीं।

इन घोषणाओं से शान्ति-वाता क लिए हनाई की शर्तें पूरी नहीं हुईं फिर भी साक्ष्यित समाचार एजेन्सी तास क शब्दों में "अभी यह कहना सुनिश्चित है कि यह

कदम वियतनामी नीति को विकलता को सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है अथवा चुनाव पूर्व की एक च ल । ' बमबारी कम करने और उम्मीदवारों की व पनी की घोषणाएँ चाहे जिस उद्देश्य से की गयी हों उनके महत्त्व को इन्कार नहीं किया जा सकता । सर्व प्रथम यह उन विश्व शान्ति के समर्थकों की सबसे बड़ी सफलता है जो वर्षों से मयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनाम में अपने आक्रमण को बन्द करने को सलाह दे रहे थे । दक्षिण वियतनाम में अमेरिका की करारी मैनिफ हार हुई है और दक्षिण वियतनाम की सरकार को किसी तरह का पचड़ा देकर खड़ा नहीं रखा जा सकता है । यह भी कहा जा सकता है कि वियतनाम के सम्बन्ध में जानमन का निर्णय शान्ति या मवेच्छता से उद्भूत नहीं था । वह ट्रूमैन के काय-काल के समय से लेकर अबतक आदो हुई अन्तर्राष्ट्रीय चौरुती की जिम्मेदारियों का निवाह न कर सकने की प्रथम स्वीकारोक्ति थी । "मुनरो सिद्धान्त" के अधोन सयुक्त राज्य अमेरिका अमरीकी गोलाबद्ध को ही अपने प्रभाव क्षेत्र की परिधि में शामिल करता था । लेकिन घीरे घीरे परिस्थितियों ने उसका दायरा अटनाटिक और प्रशान्त महासागर पार करक हिन्द महासागर के देशों तक प्रसार दिया । इस विपुल विस्तार में अमेरिका का मामर्थ्य पसरकर ऐसे विन्दु पर पहुच गया कि या तो वह खिमट कर अपनी रक्षा करे अथवा बिखर जाय । अमेरिका ने अपनी रक्षा का ही निणय लिया है । इसके अतिरिक्त यह वियतनाम से अमेरिका के सम्भावित वापसी (चाह वह जब हो) का पहला लक्षण था । इस घोषणा से यह सिद्ध हो गया कि यह हम लोगों के जमाने का "स्पेन का फ़ोडा था । उन्नीसवीं शताब्दी क प्रारम्भ में स्पेन में नेपोलियन

"The announcement that the USA was putting a stop to its illegal bombing raids over most parts of the territory of the Democratic Republic of Vietnam together with the other announcement that President Johnson will not stand for re election is the biggest political victory up to date of the peace loving forces through out the world who have been demanding an end to the US A s war of aggression in Vietnam

Above all it is indicative of the resounding military defeats that the US aggressors have already suffered at the hands of the heroic people of South Vietnam as well as in its political raids over North Vietnam

Together with the military debacle, the entire superstructure of the U S puppet administration in South Vietnam has crumbled with the aggressive forces reduced to holding on to a number of cities and towns and military bases in South Vietnam

New Age (Delhi), April, 1968

वीनापार्ट को जो दुर्गति हुई थी उसी तरह को दुर्गति और अपमान वियतनाम में जॉनसन को सहना पड़ा है।

राष्ट्रपति जॉनसन के ३१ मार्च के ब्राडकास्ट को जो भी महत्त्व हो, यह तो मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसके साथ ही वियतनाम के प्रति अमेरिकी नीति का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है।

कोरिया और प्बेलो सकट

राष्ट्रपति आइमनहावर के कायकाल में अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय चौकदारी की जो जिम्मेदारी ले रखी थी, उसके कार्यक्षेत्र को राष्ट्रपति जॉनसन ने और भी बढ़ाया है। इधर हाल के वर्षों में सम्पूर्ण विश्व में अमेरिकी सी० आई० ए० (Central Intelligence Agency) की गतिविधि बहुत बढ़ी है और अमेरिका के जासूमी वाहक सदैव समार के सभी देशों, विशेषकर समाजवादी तथा तटस्थतावादी देशों का निरीक्षण करते रहते हैं। इसी तरह के एक जासूमी पोत प्बेलो (Peublo) को २३ जनवरी, १९६८ को उत्तर कोरिया ने अपने प्रादेशिक जल में पकड़ लिया और उस पर सवार ८३ व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी सरकार का कहना था कि ९०६ टन वजनो यह पोत वास्तव में जासूमी पोत नहीं था, बल्कि "सूचना संग्रह का सहायक पोत" था और उसे जापान सागर में समुद्र तट से २५ मील दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए उत्तर कोरिया की सरकार को उसे अपने अधिकार में करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उत्तर कोरिया ने जलरोज को छाड़ने से साफ साफ इन्कार कर दिया। अमेरिकी सरकार ने सोवियत संघ की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपना प्रभाव डालकर उत्तर कोरिया की सरकार को पोत वापस भेजने के लिए बाध्य करे। लेकिन सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन ने कहा कि जतनक मामले को छानबीन नहीं हो जायगी और तथ्यों का पता नही लग जायगा तबतक सोवियत सरकार अमेरिका को सन्तुष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठायगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गयी, क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार ने जलपोत पर पकड़े गये अमेरिकियों पर जासूमी का मुकदमा चलाने का निश्चय किया। उत्तर कोरिया को डराने धमकाने के उद्देश्य से अमेरिका ने सैनिक तैयारी शुरू कर दी। तीन दिनों के भीतर ही उसने एक बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारियाँ पूरी कर ली थीं, दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका के ५५ हजार सैनिक अगले बन्दूक लेकर उठ खड़े हुए। अमेरिका का सरकार ने अगले वायुसेना और नौ सेना क सैनिकों को दूरत युद्ध-भूमि में रवाना हो जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।

इन घमकियों से डरे बिना उत्तर कोरिया ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वह किसी भी हालत में जासूस पोत वापस नहीं करेगा। संयुक्त राज्य ने तब इस मामले को सुरक्षा-परिपक्व मं छठाने की बात की। इस पर उत्तर कोरिया की सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में पारित कोई भी प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं होगा।

प्वेन्लो-कांड के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतना ही समय से काम लिया जितना क्यूबा-सकट के समय सोवियत संघ ने लिया था। अपनी तमाम सैनिक सन्नद्धता के बावजूद उसने जहदीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसी बीच सोवियत प्रधान मंत्री कोसिजिन ने यह राय दी कि यदि अमरीकी सरकार अपनी इस गुस्ताखी को माफी मांग ले तो प्वेन्लो को रिहा किया जा सकता है। अतः में अमेरिका को इसी समाधान का आशय लेना पड़ा और तब जाकर प्वेन्लो कांड से उठा हुआ तूफान शान्त हुआ। अमरीकी विदेश सचिव डोन रस्क ने एक ब्राडकास्ट में यह कबूल किया कि प्वेन्लो जासूसी पोत "भूल से उत्तर कोरिया के प्रादेशिक जाल में भटक गया था।" इस स्वीकारोक्ति के पश्चात् उत्तर कोरिया की सरकार ने प्वेन्लो को छोड़ दिया और इस प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय सकट का समाधान हुआ।

१९६७ से पश्चिम एशिया का सकट और जॉनसन प्रशासन की नीति—

जून १९६७ के प्रथम सप्ताह में अरब राज्यों और इजरायल के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ उसमें अमरीकी सरकार ने जो रुख अपनाया वह स्पष्टतः अरब विरोधी था। अरब गणराज्य ने युद्ध शुरू हाते ही यह आराप लगाया कि इजरायली आक्रमण की तैयारी बहुत पहले ही की जा रही थी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस आक्रमण को योजना बनायी गयी थी। अपने इस कथन के समर्थन में अरब राज्य अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रथमतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम जर्मनी की सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि वह इजरायल को हथियार दे। बाद में इस बात का भेद खुल गया और जब अरब राज्यों ने इसका विरोध किया तो पश्चिम जर्मनी की सरकार ने शेष हथियारों को भेजना बन्द कर दिया। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं इजरायल को हथियार देना शुरू किया। द्वितीयतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरब देशों में अपनी जासूसी गतिविधि बढ़ाकर अरब राज्यों की सामरिक स्थिति का पता इजरायल को दिया है। सी० आई० एफ० के अजेन्ट अरब राज्यों की सैनिक स्थिति को जानने का हर सम्भव प्रयास करते रहें। ये सारी बातें अरब राज्यों को इजरायल के युद्ध बान्धवों से मालूम हुईं।

इसके प्रतिरिक्त कूटनीतिक दृष्टिकोण से अरब राज्यों को घोरता में रखने के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जानबूझकर कई कारवाइयाँ की गयीं। इजरायली आक्रमण से पूर्व राष्ट्रपति जॉनसन के कुछ ऐसे वक्तव्य प्रकाशित

हुए जिनका उद्देश्य केवल अरब राज्यों को घेरा में रखने को था। पश्चिम एशिया में जब स्थिति बिगडने लगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित कीं। उधर कूटनीतिक वातावरण चल रही थी और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायली आक्रमण की योजना बना रहा था।

जून के प्रथम सप्ताह में जब सैनिक कार्यवाही शुरू हुई तो अमेरिका ने निश्चय ही अरब विरोधी रुख अपनाया। संघर्ष प्रारम्भ होने पर अमेरिका के अधिकारी इस बात से अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते रहे कि आक्रमणकारी कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवक्ताओं ने इस संघर्ष में तटस्थ रहने की बात कही जा कि उनकी पूर्ण घोषणाओं के विरुद्ध थी कि वह इस क्षेत्र में आक्रमण का विरोध करता है और मध्यपूर्व के सभी राज्यों को प्रादेशिक अखण्डता का समर्थन करता है। सुरक्षा परिषद् में अमेरिकी प्रतिनिधि का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा तथा वह प्रारम्भ से ही इस बात का विरोध करता रहा कि आक्रमणकारी सेनाएँ वापस जायँ। जब सुरक्षा परिषद् सीरिया की भूमि पर हुए आक्रमण पर विचार करने जा रही थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस प्रकार का पडव्यन्त्र किया ताकि इजरायल के आक्रमण को रोकने से सम्बन्धित प्रस्ताव में देरी की जा सके। अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद् में जो प्रस्ताव का प्रारूप रखा गया था उसमें यह कहा गया था कि अरब क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी कुछ शर्तों के साथ हो। इसका अर्थ यह था कि पहले फिलिस्तीन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं का समाधान हो और तभी इजरायली सेना हटायी जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जिसमें इजरायल के वापस हटने की तथा इजरायल के आक्रमण की निन्दा करने की बात कही गयी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को साधारण सभा के अधिवेशन को बुनाने के रूपी प्रस्ताव का भी विरोध किया और जब साधारण-सभा की बैठक हुई तो अमेरिकी प्रशासन ने सदस्य राज्यों पर दबाव डालकर इसे व्यर्थ सिद्ध करा दिया।

अरब इजरायल संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस दृष्टिकोण का अमेरिकी हित पर अच्छा असर नहीं पड़ा। सभी अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेद कर दिया और सम्पूर्ण अरब जगत् में अमेरिका विरोधी भावना का तूफान फूट पड़ा। बाहिरा स्थिति अमेरिकी दूतावास में जनता ने आग लगा दी और सभी अरब राज्यों ने अपने देश में रहते हुए अमेरिकी नागरिकों को तत्काल वापस चले जाने का आदेश दे दिया। इन सब घटनाओं के बवजूद अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अरब विरोधी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहने की भाँति वह आज भी इजरायल का पूरा समर्थन कर रहा है।

अमरीकी विदेश-नीति का मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर विदेश नीति के इस संक्षिप्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उसकी नीति उपनिवेशवाद विरोधी कभी नहीं रही है। उल्टे अमेरिका ने स्वयं आर्थिक और सैनिक सहायता की नीति द्वारा विश्व में अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया है। लैटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया के देशों में अमेरिका के साम्राज्यवादी आकांक्षाओं ने खुलकर खेला है। उसने हर जगह के राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध किया है। यह बात ठीक है कि अमेरिका ने अपने उपनिवेश फिलीपाइन्स को स्वतन्त्र कर दिया है और उसका प्रत्यक्ष उपनिवेश कहीं नहीं है। इसका कारण यह है कि अमेरिका इस बात को भलीभाँति जानता है कि आज के युग में युद्ध पूर्व साम्राज्यवादी व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता है। अमेरिका को प्रत्यक्ष साम्राज्य नहीं है लेकिन सत्तार के अधिकांश भाग में उसका अदृश्य साम्राज्य तो कायम ही है। उसने सत्तार के अनेक देशों में अपने सैनिक बड़े कायम कर लिये हैं और अरब देशों के साथ असमान आर्थिक और सैनिक संबंधों को बना रखा है जिसके परिणामस्वरूप उन देशों को वही काम करना पड़ता है जो अमरीकी प्रशासन को मजूर होता है। पश्चिमी एशिया के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए उसने इस क्षेत्र के आन्तरिक मामलों में खुल कर हस्तक्षेप किया है। पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को अपने भाव में रखने के लिए उसने चीन में ध्यांग काई शेक, दक्षिणी कोरिया में सिंगमनरी और वियतनाम में बाओ दाई के भ्रष्ट शासकों का समर्थन किया है। लैटिन अमेरिका के फासिस्ट शासनतन्त्र उसी के समर्थन से आज तक कायम हैं। यूरोप के फासिस्ट तत्त्वों को भी उसका पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका स्पेन के फासिस्ट फ्रोंटो और पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व नारिस्सों का सबसे बड़ा समर्थक है। उसने सत्तार भर में सैन्य सगठनों का स्थापित करके विश्व का राजनीतिक वातावरण दूषित कर दिया है। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर वह इसी तरह अपने जिद्द पर डटा हुआ है। सत्तार के तटस्थ राष्ट्र उसकी आँखों के काटे बने हुए हैं और अपनी अपार सम्पदा के बल पर वह उन्हें खराद लेने का इरादा रखता है। इसी नीति के परिणामस्वरूप अमेरिका की प्रांथ में कीर्ति वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि उसमें बहुत कमी हुई है। उसके पुराने साथी भी उसकी नीति से ऊब कर अमरीकी चंगुल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इस हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने इसकी भलीभाँति स्पष्ट कर दिया है। अमरीकी विदेश नीति की असफलता का इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है? एक अमरीकी लेखक ने ठीक ही लिखा है कि "आज एशिया और अफ्रिका में हमारी पहचान स्वतन्त्रता के प्रतीक की हैतियत से नहीं, अपितु बन्दूकों से होती है।" १९६८ के मध्य में हम इन "बन्दूकों" के साथ सी० आइ० ए० को भी जोड़ दे सकते हैं।

सोवियत संघ की विदेश-नीति

(Foreign Policy of the Soviet Union)

सोवियत विदेश नीति के मूलाधार—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत-संघ विश्व राजनीति का मुख्य केन्द्र बना हुआ है। सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र है जहाँ मार्क्स के विचारों को सर्वप्रथम कार्यान्वित किया गया था। इस कारण सोवियत संघ के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन पर साम्यवाद के सिद्धान्तों का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ा है। विचारधारा की दृष्टि से सोवियत संघ विश्व को दो स्पष्ट भागों में मानकर चलता है। पहला भाग समाजवादो है और दूसरा पूँजीवादो। पहले भाग का नेता वह स्वयं को मानता है। मार्क्सवादो एवं लेनिनवादो विचारधारा ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम माना है। जब पूँजीवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तो उसमें अनेक अन्तर्विरोध पैदा हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका स्वतः पतन आरम्भ हो जाता है। पूँजीवाद के प्रसार से ही साम्राज्यवादी युद्धों का जन्म होता है, उपनिवेश बसते हैं तथा प्रतिक्रिया स्वरूप इन उपनिवेशों में पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष का उदय होता है। मार्क्सवादो लेनिनवादी विचारधारा के अनुसार दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ में पूँजीवादी व्यवस्था ही है। इसके मतानुसार युद्धों का अस्तित्व तबतक रहेगा जबतक पूँजीवादी व्यवस्था रहेगी। यह विचारधारा इस बात में भी विश्वास करती है कि पूँजीवाद का पतन समाजवाद के आगमन का आधार है। इस दृष्टिकोण से समाजवादी देश सोवियत संघ को हमेशा पूँजीवादी एवं साम्राज्यवादो देशों के विरुद्ध रहना है। सोवियत संघ को विदेश नीति मौलिक रूप से इसी मान्यता पर आधारित है।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त सोवियत संघ की विदेश नीति को स्पष्टतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: स्टालिन की नीति तथा स्टालिनोत्तर काल की नयी विदेश नीति पहला काल अगस्त १९४५ से मार्च १९५३ तक है जब स्टालिन की मृत्यु हुई। दूसरा काल अप्रैल, १९५३ से प्रारम्भ होता है। नूँकी सोवियत संघ की विदेश नीति अमरीकी विदेशी-नीति के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और उसकी अधिकांश घटनाओं का वर्णन पिछले अध्यायों में हो चुका है, अतः यहाँ हम केवल रूसी विदेश-नीति की कुछ मुख्य विशेषताओं का ही विशेष अध्ययन करेंगे।

स्टालिन-युग में सोवियत विदेश-नीति

विदेश-नीति का निर्धारण—द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों के साथ पूर्ण सहयोग किया था। युद्धकालीन सम्मेलनों में भाग लेकर उसने अपने इस निश्चय को प्रकट किया कि वह न केवल युद्ध की जीत का आकांक्षी है, अपितु वह युद्ध के बाद की शान्ति को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना की मजबूत आधारशिला पर खड़ा करना चाहता है। २७ फरवरी, १९४५ को ब्रिटिश लोकसभा में बोले हुए विन्सटन चर्चिल ने भी इस बात की पुष्टि की थी "सोवियत नेता" चर्चिल ने कहा था, पश्चिमी प्रजातन्त्र के साथ सम्मानपूर्ण मैत्री एवं समानता के साथ रहना चाहते हैं।" लेकिन पश्चिमी जगत के नीति निर्धारक जैसे व्यक्ति ये जो आरम्भ से ही सोवियत संघ से घृणा करते आ रहे थे। इसलिए युद्ध के बाद उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपना घृणा और अविश्वास को छोड़कर उसके साथ सहयोग करें। दूसरा मोर्चा खोलने में विलम्ब, अणुबम की गोपनीयता आदि बातें जिनके कारण शीत-युद्ध शुरू हुआ, की लेकर दोनों पक्षों में युद्ध काल से ही मनमुटाव पैदा होने लगा। स्पष्ट अविश्वास विश्वास का जन्म नहीं दे सकता था और युद्ध के बाद सोवियत संघ को इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि उसके प्रति पश्चिमी राष्ट्रों के रुख में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। व अभी भी सोवियत संघ के विनाश के लिए प्रयत्नशील है और उनके साथ मैत्री असम्भव है। पहले से ही अविश्वास यस्तु स्टालिन सब पूरी तरह भटक उठा जब दूसरे युद्ध ने युद्धोत्तर स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की। स्टालिन ने बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया। उसने निश्चय कर लिया कि पश्चिम के साथ उसका समझौता किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। इस विचार ने विश्व राजनीति में यह युद्ध के खत्म होते ही शीत-युद्ध की जन्म दिया।

सोवियत संघ ने इस परिस्थिति में अपना मुख्य लक्ष्य समुक्त राज्य अमेरिका को बनाया। युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ का भीषण प्रतिद्वन्द्वी के रूप में प्रकट हुआ और उसके सग में इस तरह की बाधाएँ उपस्थित करने लगा। सोवियत संघ के प्रति उसका दृष्टिकोण उत्तरोत्तर बड़ा होता गया। सोवियत संघ ने समुक्त राज्य अमेरिका का अपना दृष्टमन नम्बर एक माना और आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उसे नीचा दिखाना सोवियत संघ की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य हो गया।

विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार की नीति — समुक्त विश्व में साम्यवादी

सिद्धान्त का प्रसार कर पूँजीवाद का उन्मूलन करना तथा साम्यवादी व्यवस्था कायम करना मार्क्सवाद का एक मौलिक सिद्धान्त है और युद्ध के बाद सोवियत संघ की ही यह काम करना था। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की परिस्थिति बदल

गयी थी और यह सोवियत संघ के अनुकूल थी। युद्ध काल में वह यूरोप के मध्य तक पहुँच गया था। इसके पूर्व सत्तार के दो शक्तिशाली राज्य— जर्मनी और जापान विश्व-राजनैतिक रंगमंच से गायब हो गये थे। सोवियत प्रभुत्व को जबरदस्त चुनौती इन्हीं दो शक्तियों से मिल सकती थी। लेकिन अब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। पश्चिमी यूरोप की हालत भी अत्यन्त चिन्ताजनक थी। युद्ध के कारण वे त्रिकुल बर्बाद हो चुके थे। वहाँ की सरकारों में स्थिरता नहीं थी। यूरोप के उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की जयदस्त लहर दौड़ रही थी। इस हालत में रूस के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने तथा साम्यवाद को विश्वव्यापी बनाने का स्वर्ण अवसर था। ६ नवम्बर को मोलोटोव ने ठीक ही कहा था “हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सभी सड़कें साम्यवाद की ओर से ले जाने वाली हैं।” सोवियत संघ ने इस परिस्थिति को समझकर अपनी नीति को इस तरह बदलने की चेष्टा की जिससे विश्व का पलड़ा उसी की ओर मुका रहे। स्टालिन प्रद्वोतर विश्व की समस्या के समाधान में शीघ्रता करना नहीं चाहता था। वह अड़ गेवाजी करके इसमें विलम्ब करना चाहता था ताकि सत्तार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल हो। मास्को के विदेश मन्त्री सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्शल जब सोवियत नीति से ध्याकुल हो गया तो स्टालिन ने उसे कहा था “घबड़ ने की कोई बात नहीं है। समय हमारे पक्ष में है, वह स्वयं समझौता करा देगा।” मार्शल को इसका अर्थ समझने में देर नहीं लगी।

स्टालिन का विचार था कि इस समय पश्चिमी देशों पर प्रबल दबाव डालकर विश्व में साम्यवाद का प्रसार किया जा सकता है। अतः उसने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हर जगह भोषण दबाव डालना शुरू किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टालिन ने विदेशी राष्ट्रों में सोवियत समर्थक आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने तथा विरोधी राष्ट्रों के आपसी फूट से लाभ उठाने की नीति को अपनाया। तुर्की, फारस और यूनान व प्रति सोवियत नीति, बर्लिन का घेरा, कोरिया युद्ध में साम्यवादी पक्ष का समर्थन, अमेरिका के साथ तीव्र शीत युद्ध आदि घटनाएँ इसी पृष्ठाधार में समझी जा सकती हैं। स्टालिन की इस नीति के फलस्वरूप शीत युद्ध काफी उग्र हो गया। इसका प्रभाव अमेरिका की विदेश-नीति पर पड़ा। साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए उसने हर सम्भव उपाय किये। यह सत्य है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इस तरह की नीति नहीं अपनाये रहता तो आज सत्तार के अधिकांश हिस्सों में समाजवादी व्यवस्था कायम हो गयी रहती।

२— पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव की स्थापना— द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का अपार विनाश हुआ था। आइसनहायर ने इस सम्बन्ध में लिखा है “१९४५ में जब हवाई जहाज से हम सोवियत रूस गये तो हमने इसकी पश्चिमी सीमा

से मास्को तक के विशाल प्रदेश में एक भी मकान खड़ा नहीं देखा।”* विनाश और विध्वंस के इस ताण्डव में रूस द्वारा उठायी गयी असीम जन धन की हानि का सही अन्दाज लगाना अत्यंत कठिन है। कहा जाता है कि युद्ध में कम से कम छेड़ कराइ सोवियत नागरिक अवश्य ही मारे गये थे। सम्पत्ति की हानि का अन्दाज ६७९,०००,०००,००० रुबल लगाया जाता है। बर्बादी में १८०० ध्वस्त नगरों तथा ७०,००० उजारे गये ग्रामों के ६,०००,००० भवन जिनमें ८४,००० स्कूल, ४३,००० पुस्तकालय, ३१,००० कारखाने, १३,००० पुल तथा ४०,००० मोल रेल को लाइने थी।† रूस पर इस बर्बादी का गहरा प्रभाव पडा और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उनकी विदेश नीति का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि उसके पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य उसके समर्थक बन जायें। १९१९ से १९४५ तक के इतिहास और पश्चिमी राज्यों का सोवियत संघ के प्रति रुख ने उसे बाध्य किया कि वह अपने चारों ओर समर्थक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करे, अणुबम के रहस्यों का पता लगावे, जर्मनी और जापान को तब तक के लिए दुबल बनाये रखे जबतक वहाँ साम्यवादी व्यवस्था न कायम हो जाय और चीन, तुर्की, फारस आदि देशों पर उनका प्रभाव कायम हो जाय।

लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध के दूरत बाद यह आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के पड़ोसी राज्यों पर सोवियत प्रभुत्व कायम हो। इसके लिए परिस्थिति सोवियत संघ के साथ थी। पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दासता से सोवियत-संघ ने ही मुक्ति दिलाई थी। इस कारण इन देशों में सोवियत संघ के प्रति अणुबम सहानुभूति थी। इसके अतिरिक्त युद्ध काल में इन देशों में कम्युनिस्ट आन्दोलन की काफी प्रगति हुई थी। इसलिए युद्ध समाप्त होने के दो वर्षों के भीतर ही इन देशों में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया। अल्बेनिया, रूमानिया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लो-वाकिया और यूगोस्लाविया पर कुछ ही समय में सोवियत संघ का आधिपत्य और राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया। याहटा स्मोलन में पश्चिमी शक्तियों ने पूर्वी यूरोप के देशों को “रूसी प्रभाव क्षेत्र” मान लिया था। रूस ने पहले तो इन देशों में राष्ट्रीय एकता वाली सब दलों की मिली भली सरकारों का गठन किया, लेकिन बाद में गैर कम्युनिस्टों को बदनाम करके उन्हें सरकार से निकालना शुरू किया और कुछ ही दिनों में कम्युनिस्टों का पूर्ण प्रभुत्व इन राज्यों पर कायम हो गया। पश्चिमी शक्तियों को रूस की इस प्रभाव वृद्धि से शका का हाना स्वामाविक था। इसलिए युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा करा दी। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह सोवियत संघ

* Lishenhower Crusade in Europe p 53

† Schuman International Politics (5th Ed) p 429

की आश्चर्यजनक सफलता थी। इतनी अल्प काल में और संगठित विरोध के बावजूद पूर्वी यूरोप के सात देशों को "लाल" बना लेना कोई मामूली बात नहीं हो सकती थी।

राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी शक्तियों को लगा ही था, आर्थिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रभुत्व से पश्चिमी देशों और रूस के तनावों में अभिवृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिम देशों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात करता था। पश्चिमी के कुछ देश तो अपनी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिए पूर्वी यूरोप पर आश्रित थे, उदाहरणार्थ भारती लकड़ी और निकिल (Nickel) पश्चिम की अर्धकांशत पूर्वी युरोपियन देशों से ही प्राप्त होती थी। ये देश के सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चले जाने से पश्चिम के लिए 'निर्यातक' देश नहीं रहे जिससे पश्चिम के कुछ देशों की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। साथ ही पूर्वी यूरोप में बैंकों, कारखानों और उद्योग संघों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से पश्चिमी देशों की जो पूँजी इन देशों में लगी हुई थी, जिससे भी उन्हें ह्रास घटना पड़ा। इन सब बातों का परिणाम यही निकला कि पश्चिमी देशों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों के प्रति पूर्ण कटुता पैदा हो गयी।

लेकिन इसकी परवाह किये बिना सोवियत संघ और इन राज्यों के बीच अनिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सम्बन्ध कायम हुआ। सोवियत संघ ने इन देशों को हर तरह की आर्थिक और प्राविधिक सहायता दी ताकि उनका पुनर्निर्माण जल्द से जल्द हो सके। पश्चिमी राष्ट्रों की घमकी भरी कार्रवाइयों ने इस बात को भी आवश्यक बना दिया कि इन देशों से अनिष्ट सैनिक सम्बन्ध कायम हो। अतएव सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में मित्रता तथा पारस्परिक सहायता की अनेक सन्धियों हुईं। इन सभी सन्धियों में १९५५ का वारसा पैक्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है। प्रायः यह कहा जाता है कि पूर्वी यूरोप के देश स्वतन्त्र नहीं हैं, वरन् वे सोवियत संघ के उपनिवेश बन गये हैं। उन्हें पिछलगुआ राज्य (Satellite States) तथा सोवियत संघ की इस आचार पर सम्राज्यवादी देश कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ के साम्राज्य की सजा दी जा सकती है। शीत-युद्ध की भाषा में इस तरह के सारे आरोप ठीक हैं, लेकिन साम्यवाद के दृष्टिकोण से पूर्वी यूरोप के देशों को न तो सोवियत उपनिवेश कहना ही ठीक ऊँचा है और न पिछलगुआ राज्य ही। इन देशों के साथ संघ का बैसा सम्बन्ध नहीं है जो साम्राज्यवादी देशों और उपनिवेशों में पाये

है। साम्राज्यवादा देश अपने लाभ के लिए उपनिवेशों का शोषण करते हैं। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया है। १९४५ के पूर्व इन देशों में अर्थ जमींदारों और पँजीपतियों का शासन कायम था। सोवियत संघ ने इन निहित स्वार्थों की शक्ति के सम्मूलन में अवश्य ही इन राज्यों की सहायता की है और उनके आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। इसको मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद इन देशों की जनता का रहन सहन का स्तर काफी ऊँचा उठा है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूसी साम्राज्यवाद की बात बिल्कुल निराधार है।

इसी तरह पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ का कठपुतली या पिछलगुआ राज्य कहना भी अनुचित है। इन देशों का पास्परिक सम्बन्ध समानता के स्तर पर कायम है। एक बहुत छोटी सी बात इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। १९६२ में सोवियत संघ और चीन में घोर सैद्धान्तिक मतभेद शुरू हुआ और उस मतभेद में छोटे से कम्युनिस्ट राज्य अल्बेनिया ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए चीन का साथ दिया। यदि अल्बेनिया रूस का उपनिवेश या कठपुतली राज्य रहता तो उसके लिए ऐसा करना कैसे सम्भव था।

फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि स्टालिन के जीवन-काल में पूर्वी यूरोप साम्यवादी देशों पर सोवियत संघ का गहरा प्रभाव रहा। यह आवश्यक भी था। स्टालिन किसी ऐसे जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं था जिसके कारण सोवियत सुरक्षा व्यवस्था किसी तरह कमजोर पड़ जाय। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कराने के लिए अमरीकी प्रशासन से करेडों डालकर खर्च करने की व्यवस्था खाने बजट में कर ली थी। इस कारण स्टालिन हमेशा सशंकित रहता था। कम्युनिस्ट देशों पर उसकी कड़ी निगरानी रहती थी जिससे साम्यवादी व्यवस्था के नष्ट होने की कोई सम्भावना नहीं रहे। इस हालत में इन देशों की राजनीति में सोवियत संघ का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

स्टालिन और यूगोस्लाविया—सोवियत संघ की इस नीति का प्रभाव साम्यवादी परिवार पर द्रुत पड़ा। यूगोस्लाविया को यह नीति एकदम पसंद नहीं आयी। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई थी। मार्शल टीटो एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था। टीटो ने रूसी सेना की सहायता से नहीं कि वृ अपने बल से यूगोस्लाविया को जर्मनी की दाहवा से मुक्त किया था। अतः उसे स्टालिन के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी यह स्वामाविक था कि इन दोनों साम्यवादी देशों में घनिष्ठतम सम्बन्ध कायम रहे।

अतएव १९४९ में दोनों देशों के बीच एक सहयोग एवं मैत्री-सन्धि हुई। इसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे को मदद देने का वादा किया। यूगोस्लाविया "कामिनफार्म" का सदस्य भी बन गया और अपना भाग्य सोवियत संघ के साथ जुटा दिया। क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में, क्या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, सब जगह वह सोवियत संघ का समर्थन करता रहा? सोवियत-संघ साम्यवादी दुनिया का नेता था, देशों की व्यवस्था एक ही थी, दोनों एक ही सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। अतः दोनों देशों के बीच लड़ाई-झगडा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

सैद्धान्तिक एकता पर आधारित यह मित्रता अटूट न थी। कुछ कारणवश मित्रता की इस दीवार में भीतर-ही भीतर दरारें पड़ने लगीं। मार्शल टीटो को यह सूचना मिली कि यूगोस्लाविया स्थित सोवियत 'लाल सेना' अपने अधिकार की सीमा पार कर यूगोस्लाविया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। टीटो इसको सहने के लिए तैयार नहीं था। वह इन सेनाओं को वापस बुलाने की माँग करने लगा तथा सोवियत नागरिक और सैनिक अफसरों की गतिविधियों पर बड़ी निगरानी रखने लगे। स्टालिन टीटो की इन 'हरकतों' को सहने के लिए तैयार नहीं था। उसने टीटो की इन कार्रवाइयों का बड़ा विरोध किया। 'कामिनफार्म'* के सम्मुख यह झगडा पेश हुआ। उस संस्था ने अपना फौजला सोवियत संघ के पक्ष में ही दिया। स्टालिन अब टीटो को धमकाने डराने लगा। यूगोस्लाविया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिये गये और उसके विरुद्ध आधिकारिक नाकबन्दी कर दी गयी। यूगोस्लाविया को 'कामिनफार्म' से भी निकाल दिया गया।

(१) 'सोह के पर्दा' (Iron Curtain) की नीति :— युद्ध के दूरत बाद सोवियत संघ के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राज्यों की नीति उग्रतर होती जा रही थी। अमेरिका ने साम्यवादी प्रसार को सीमित (containment of communism) की नीति अपनायी। इसके अन्तर्गत साम्यवादी देशों की जनता को साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भड़काकर विद्रोह कराने का कार्यक्रम भी रखा गया। साम्यवादी देशों के इर्द-गिर्द अज्ञात रेडियो स्टेशन कायम किये गये जिनका नाम "आजाद हगरी

* १९८७ में वारसा में यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गेरिया, रूमानिया, सोवियत संघ और इटली कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ और इसके द्वारा बेलग्रेड में साम्यवादी सूचना संस्थान (Cominform) की स्थापना की गयी। "स अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में विभिन्न देशों के केन्द्रीय साम्यवादी दलों की केन्द्रीय समिति के दो प्रतिनिधि हों" इसका कार्य "पारस्परिक सहमति के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यों में करना था। कामिनफार्म का वास्तविक उद्देश्य बिरु-व्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन करना था। १९५६ में जब सोवियत विदेश-नीति में परिवर्तन हुआ तो कामिनफार्म को दिया गया।

रेडियो”, “आजाद पोलैंड रेडियो” आदि रखे गये और इनके माध्यम से जहरीला प्रचार-कार्य शुरू हुआ। स्टालिन को यह समझते देर नहीं लगी कि पश्चिमी राज्य साम्यवादी व्यवस्था की सच्चाई फेंकने का प्रयत्न जोर-शोर से शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के इस उद्देश्य को विफल बनाने का एक ही उपाय था—साम्यवादी जगत के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ा करना कि उसके भीतर अमरीकी प्रचार का प्रवेश न होने पाये। स्टालिन ने यह निर्णय कर लिया कि साम्यवादी जगत और गैर साम्यवादी देशों के बीच किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखा जाय और १९४५ के बाद इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए सोवियत संघ में कई कानून बने। विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाह की मनाही कर दी गयी। युद्ध काल में अनेक रूसी स्त्रियों ने विदेशी सैनिकों के साथ विवाह कर लिया था। युद्ध के बाद वे अपने पति के पास जाना चाहती थीं लेकिन सोवियत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

विदेशी राजदूतों तथा पत्र प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी कड़ाई का व्यवहार किया गया। विदेशों के जो राजदूत मास्को में रहते थे उनको सोवियत संघ में घूमने फिरने की स्वतन्त्रता नहीं थी। वे निश्चित स्थानों पर तथा निश्चित अधिकारियों से ही बातचीत कर सकते थे। अन्य कम्युनिस्ट देश भी विदेशी राजदूतों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। विदेशी पत्र प्रतिनिधियों पर तो और भी कड़ा प्रतिबन्ध था। एक तो उन्हें सोवियत संघ में घाने की इजाजत ही नहीं मिलती थी और वे यदि किसी तरह इजाजत पाकर आ गये तो उन्हें निश्चित स्थानों पर ही रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त रूसी नागरिकों के विदेश भ्रमण पर नियन्त्रण लगा दिया गया था। गैर कम्युनिस्ट देशों के व्यक्तियों को भी रूस जाने की आज्ञा बहुत कम मिलती थी। स्टालिन स्वयं किसी से न मिलता जुलता था और न अधिक बातें करता था। युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी मृत्यु तक उसने भारतीय राजदूत डा० राधाकृष्णन के अतिरिक्त किसी राजदूत से मुलाकात नहीं की।

सोवियत संघ की इस नीति और व्यवस्था को नये-नये शब्दों को गढ़ने में दक्ष ब्रिटिश राजनीतिज्ञ चर्चिल ने लौह आवरण या लोहे के परदे। (Iron curtain) कहा। इसमें कोई सन्देह नहीं की यह लौह आवरण था और अमेरिका की सय आक्रामक नीति के कारण यह आवश्यक भी था।

5 उरनिवेशवाद का विरोध और शान्ति का समर्थन — लौह आवरण को लेकर सोवियत व्यवस्था की आलोचना मले ही की जाय, पर एक बात निश्चय है कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध सोवियत विदेश नीति का शुरू से ही मूलाधार रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ एक ओर समुक्त राज्य न सब जगह

उपनिवेशवाद का समर्थन किया, वहाँ सोवियत सघ ने उसका धीरे धीरे विरोध किया है। युद्धोत्तर काल में एशिया और अफ्रिका के सभी राष्ट्रीय सघों को सोवियत सघ का जोरदार समर्थन किया है।

युद्धोपरान्त सोवियत सघ ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने तथा स्थायी शान्ति-की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। यह आवश्यक भी था। युद्ध का क्या परिणाम होता है, इसको सोवियत सघ भली-भाँति समझता था। युद्ध में जितनी हानियाँ उसकी हुई थीं उतनी किसी की नहीं। इसलिए युद्धोत्तर काल में परमाणु बमों के आतंक से पीड़ित मानवता के परित्राण के लिए उसने शान्ति आन्दोलन पर बहुत बल दिया और पश्चिमी देशों को युद्ध-लोलुप (war monger) कहकर उन्हें बदनाम किया। १९४८ में सोवियत सघ की प्रेरणा से पोलैंड के नगर ब्रोस्लाफ में 'विश्व शान्ति सम्मेलन' बुलाया गया और इसके बाद लगातार ससार के कई नगरों में इसके अनेक सम्मेलन हुए तथा विश्व शान्ति सम्मेलन की स्थापना हुई। १९५० में इस समिति की बैठक स्टॉकहोम में हुई जिसमें अणुबमों पर पाबंदी लगाने की जोरदार अपील की गयी थी। सोवियत सघ द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन ससार भर में काफी लोकप्रिय हुआ है। इसने एशिया और अफ्रिका के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत सघ को पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और उपनिवेशवाद विरोधी मानने लगे। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत सघ के इस शक्तिशाली आन्दोलन को एक "निररे टोंग" की सजा दी और कहा कि यह तटस्थ एवं गैर साम्यवादी देशों को अपनी ओर आकृष्ट करने तथा समर्थक बनाने का सोवियत कूटनीतिक जाल है।

मार्च १९५१ में सुप्रिम सोवियत ने एक कानून पास किया जिसका नाम शान्ति प्रतिरक्षा कानून है। इस कानून के द्वारा सोवियत सघ में युद्ध के पक्ष में प्रचार को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। स्थायी शान्ति के लिए सोवियत सघ निरस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता है। इसलिए शुरू से ही अपने निरस्त्रीकरण का जगरदस्त समर्थन किया है। इस क्षेत्र में सोवियत सघ का रुख अत्यन्त सतृप्त रहता है। यदि उसके निरस्त्रीकरण के अस्तावों को मान लिया जाता तो आज ससार का वातावरण इस तरह दूषित नहीं हुआ रहता।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत नीति—स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत सघ ने सयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया था। वस्तुतः सयुक्त राष्ट्र इसी विश्वास पर आधारित था (और है) कि महाशक्तियाँ विशेषतः सोवियत सघ और सयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य कर दें हुए सघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बनेंगी। परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी और अपने जन्म काल के कुछ ही समय उपरांत सघ शीत-युद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया। लगभग

प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर सघ के मंच पर उपस्थित हुए। चूंकि सघ में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्वयं बहुमत था, अतः सोवियत रूस ने अपने को एक स्थायी एवं निरन्तर अल्पमत में पाया। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद् में खुल कर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ पश्चिम शक्तियों के इशारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष में कोई प्रभावशाली कार्य न कर सके। कोरिया युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकीं। इस घटना से रूस ने यह समझ लिया कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाहियों में भाग लेकर, परिषद् की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के इशारों को अधिक अच्छी तरह रोक सकता है बनिस्बत इसके कि वह सघ से बाहर रहे और ऐसी चेष्टा करे। इस अनुभूति के बाद से ही फिर कभी रूस ने सघ की बैठकों का बहिष्कार नहीं किया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत सघ ने सुरक्षा-परिषद् में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को धाराशाही किया। सोवियत सघ ने ही इस विश्व समस्या की अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अंग बनने से रोका है।

स्टालिन की नीति का मूलमंत्रण — एक दृष्टि से स्टालिन की नीति अवश्य ही सफल रही है। सोवियत सघ के साथ १९१९ के बाद मित्रराष्ट्रों का जैसा व्यवहार हुआ था और हिटलर ने उस पर जिस तरह आक्रमण किया था उस पर नजर रखते हुए युद्ध के समय में ही स्टालिन ने यह निश्चय कर लिया था कि भावी खतरों से बचने के लिए वह अग्ने चारों ओर ऐसे समर्थक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करे जो भावी युद्ध में उसकी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करें और विरोधी शक्तियों के अट्टे न बनें। इस उद्देश्य की पूर्ति में स्टालिन को पूरी सफलता मिली। लेकिन स्टालिन की नीति के कुछ मयानक परिणाम भी निकले। इसके फलस्वरूप सोवियत सघ के विरोधी गुट में सुन्दर एकता कायम हो गयी। उसकी कठोर और दबाव की नीति से मध्यस्थ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों ने स्वयं के बढ़ते हुए प्रभाव की रोकने तथा साम्यवादी प्रसार को सीमित करने के अनेक उपाय किये। टूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, अन्तर्जातिक समझौता आदि की स्थापनाएँ इसी नीति के परिणामस्वरूप हुईं। इर्क, युनान और ईरान में हस्तक्षेप की नीति के कारण सोवियत सघ की काफी बदनामी हुई। बहुत अर्थों में इसी कारण कोरिया तथा हिन्द चीन में सबट चरन्तन हुए। तटस्थ राष्ट्रों की मित्रता के लिए भी सही मन्त्रों में सोवियत सघ सफल नहीं हो सका। जो देश उसके कट्टर समर्थक नहीं थे उन्हें यह अपना शत्रु समझना था

भारत को ही, उसकी अखलमनता की नीति के कारण, स्टालिन अपना विरोधी मानता था। १९५२ में विशिस्की ने कृष्ण मेनन को फटकारते हुए कहा था "अच्छे से-अच्छे रूप में तुम स्वप्नदर्शी और आदर्शवादी हो। बुरे-से बुरे रूप में तुम अपनी स्थिति नहीं जानते और मथकर अमरोकी नीति के प्रच्छन्न सर्थक हो।" इससे भी बढ़कर यूगोस्लाविया के साथ ऋग्ढा करके उसने साम्यवादी परिवार में फूट पैदा कर दी। रूस के वैदेशिक सम्पर्क को कम करके उसने अविश्वास और सन्देश का जन्म दिया। सोवियत सघ के समर्थकों की संख्या में घट्टि नहो हुई और शक्ति-सन्तुलन का पलढा सोवियत गुट की ओर नहो झुका सका। वस्तुतः, १९५२ तक, जॉर्ज एफ० मेनन के शब्दों में सोवियत नीति "अनुर्वर हो गयी थी।" इस परिस्थिति में यह आवश्यक था कि स्टालिन की मृ यु (५ मार्च, १९५३) के बाद इस नीति में परिवर्तन हो।

स्टालिनोत्तर विदेश-नीति

✓ *ambush*

स्टालिन के बाद मेलेन्कोव सोवियत सघ का प्रधान मन्त्री बना और इरत ही सोवियत नीति में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। स्टालिन पूँजीवाद और सामाजवाद में सधर्प और पूँजीवाद के "अवश्यम्भावी विनाश" में विश्वास करता था। शान्तिपूर्ण सह-जीवन के सिद्धान्त में उसकी कोई आस्था नहो थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारी मेलेन्कोव ने यह आश्वासन दिया कि अब "समाजवादी और पूँजीवादी देशों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन स्थापित करने की दिशा में प्रबल प्रयत्न किया जायगा।" १५ मार्च १९५३ को सुप्रिम सोवियत में मेलेन्कोव का जो भाषण हुआ उसमें नवीन शासन की विदेश-नीति का महत्त्वपूर्ण उल्लेख किया गया था। 'सोवियत विदेशी नीति का सञ्चालन' उसने कहा, "शान्ति को सुदृढ बनाने की दृष्टि से किया जायगा। कोई ऐसा विवाद नहो है जिसका शान्तिपूर्ण समाधान नहो हो सकता है। यह सिद्धान्त सयुक्त राज्य सहित विश्व के सभी देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।" इस वक्तव्य से पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत सघ की विदेश नीति में परिवर्तन का क्रम प्रारम्भ हो गया था। पश्चिमी देशों के विरुद्ध रूस द्वारा किये जानेवाले प्रचार की उग्रता में बहुत कमी आयी। पश्चिम के विरुद्ध विपवमन का वाय बन्द हो गया तथा विदेश मन्त्री विशिस्की ने सयुक्त राज्य अमेरिका से "मित्रता की सुरग में आधे रास्ते तक आगे बढ़कर रूस से मिलने" का अनुरोध किया।

नयी विदेशी नीति के परिणाम शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगे। कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो गया तथा १९ अप्रिल १९५३ को उसके सम्बन्ध में एक समझौता हा गया। किनलण्ड के घेनिक अड्डे सोवियत सैनिकों ने खाली कर दिये। जापान

के साथ युद्ध की स्थिति ममाप्त हो गयी तथा पश्चिमी जर्मनी, यूनान एवं इजरायल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ। वास्तविकता के साथ सन्धि हुई तथा तुर्की के प्रति कुछ मृदु नीति अंगीकार की गयी। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर करके उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की चेष्टा की गयी। कामिनफार्म को भंग कर दिया गया तथा सोवियत सैनिकों की सख्खा घटा दी गयी। सोवियत सघ ने निरस्त्रीकरण के नये प्रस्ताव रखे तथा कुछ समय के लिए आणविक परीक्षणों को बन्द कर दिया। बाह्य दुनिया से निकटतम सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत सघ लोहे की दीवार में बन्द नहीं समझा जाय।) स्टालिन विश्व को दो विरोधी गुटों में बँटा मानता था, लेकिन नयी नीति के अनुसार इसकी शक्ति सतृप्तन की प्रक्रिया माना गया और इसको अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ राष्ट्रों की सदृष्टता प्राप्त करने की चेष्टा की गयी। इसके लिए सोवियत रूस के नये नेताओं ने 'आजा कूटनीति' का अवलम्बन किया। अब सोवियत सघ के उच्च नेता दूसरे देशों का भ्रमण करने और उन देशों से मैत्री कायम करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए रूस के नेता 'शिखर सम्मेलन' पर चल देने लगे। दीर्घकालीन कगड़े की समस्याओं को तय करने के लिए विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन समय-समय पर बुलाये जाने लगे ताकि वह शिखर - सम्मेलन के मार्ग को प्रशस्त कर सके। सोवियत सघ ने विश्व के पिछड़े राष्ट्रों के प्रति भी अपनी सहायता भूति प्रदर्शित की और उन्हें यथासम्भव सहायता देने का वचन दिया। इन सब कारणों से शीत-युद्ध की उग्रता कम हुई और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में मन्दी आयी।

हंगरी तथा सोवियत सघ—८ फरवरी, १९५५ को मैले-क्रोव प्रधान मन्त्री के पद से हट गया और मार्शल बुलगानिन प्रधान मन्त्री बनाया गया। ख्रुश्चेव पार्टी का रैक्लेटरी नियुक्त हुआ। १४ फरवरी, १९५६ को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी कायसे का बीसवाँ अधिवेशन हुआ। इसमें ख्रुश्चेव ने स्पष्ट शब्दों में स्टालिन की व्यक्ति पूजा (Personality cult) की तथा उसको कठोर दमन-नीति की निन्दा की। ख्रुश्चेव ने स्टालिनवाद को घञ्जी-घञ्जी सडा दी तथा स्टालिन को देवता के पद से गिराते हुए सब विषयों में उसके प्रभाव और सिद्धान्तों को हटाने की निरस्ता-
लिनीकरण (Destalinisation) की नीति ग्रहण की। यूगोस्लाविया को मिलाने का प्रयत्न किया गया। अक्टूबर १९५५ में ही ख्रुश्चेव टोटो को मनाने बेलग्रेड जा चुका था। वहाँ १९५६ की घटनाओं पर उसने सावजनिक तौर पर खेद प्रकट किया और टोटो से झील को कि वह नीती बातों को धून जाय। जून १९५६ में मार्शल टोटो को सोवियत सघ बुलाया गया। इसके पूर्व टोटो को प्रसन्न करने के लिए टोटो विरोधी सोवियत विदेश मन्त्री मोलीतोव को हटाकर सेविनोव को उग्र पद पर

लाया गया। टीटो प्रसन्न हो गया। साम्यवादी दुनिया में एकता कायम हो गयी।
ऐसी एकता जो अमी कायम नहीं हुई थी।

कुछ ही दिनों में यह पता चलने लगा कि साम्यवादी जगत् की एकता
उतनी सुदृढ नहीं है जितना सोचा गया था। स्टालिन विरोधी ख्रुश्चेव की घण्टियों
और टीटो के अपराधों को क्षमा होते देख, पूर्वो यूरोप के अन्य साम्यवादी देश कफी
प्रभावित हुए। इन सभी देशों में स्टालिनवादो थे। यदि सोवियत-सघ से स्टालिनवाद
खत्म हो गया, टीटो को साम्यवादी समुदाय में पुन वापस ले लिया गया, तो अन्य
देशों में स्टालिनवादी क्यों शासन करेंगे ? इन देशों के 'टीटो', जो जेल में बन्द थे,
उनको छोड़ने की मांग होने लगी। सबसे पहले इस तरह की मांग पोलैण्ड में हुई।
पोलैण्ड के 'टीटो' गोमुनका थे और स्टालिनवादी रकोस्वस्की। जून, १९५६ में
पोलैण्ड में एक बलवा (पोत्रनान बलवा) हो गया। यह बलवा तो दबा दिया गया,
लेकिन कुछ ही दिनों में स्टालिनवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त विद्रोह हो गया, इसके
फलस्वरूप स्टालिनवादियों का शासन पोलैण्ड से उठ गया और गोमुनका पोलैण्ड के
कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया। गोमुनका के नेतृत्व में सोवियत सघ और
पोलैण्ड के सम्बन्ध पूर्ववत् अच्छे रहे हैं।

पोलैण्ड का विद्रोह तो दब गया, लेकिन एक पड़ोसी साम्यवादी देश हंगरी
पर इसका तात्कालिक प्रभाव पडा। २३ अक्टूबर, १९५६ को हंगरी में प्रतिक्रिया-
वादी तत्त्वों के नेतृत्व में हंगरी में एक साम्यवाद विरोधी विद्रोह हो गया। कई
दिनों तक बुडापेस्ट की सड़कों पर सोवियत सेना (जो बारसा सन्धि के अन्तर्गत वहाँ
रखी गयी थी) और साम्यवाद विरोधी तत्त्वों (जिनको अमरीकी सहायता मिल
रही थी) के बीच युद्ध होता रहा। विद्रोहियों की मांग थी कि स्टालिनवादियों
को हटाया जाय और टीटोवादियों को हंगरी की सत्ता सौंपी जाय। १५ अक्टूबर
को नेरो को पार्टी सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया और कादर उसकी जगह पर
नियुक्त हुआ। इमरे नॉज प्रधानमंत्री बना। इस समय तक विद्रोहियों को अमेरिका
से काफो प्रोत्साहन और सहायता भिन चुकी थी। विद्रोही अब हंगरी से सोवियत
सेना हटाने की मांग करने लगे। इमरे नॉज विवश होकर सोवियत-सेना हटाने की
मांग करने लगा। इस पर हंगरी सरकार ने उसको कैद कर लिया। पीछे १९५८
में उसको फाँपी दे दी गयी। इमरे नॉज के हट जाने पर हंगरी का विद्रोह दबा
दिया गया। हंगरी के प्रश्न को लेकर पश्चिमी राज्यों ने काफो ही हलना
मचाया। बहुत दिनों तक संयुक्त राष्ट्रसघ में इस प्रश्न पर गरमागरम बहस होती
रही। इसी समय स्वेज सफ्ट भी प्राप्ति हो गया था। इन दोनों घटनाओं
को लेकर शीत युद्ध में फिर उप्रता आ गयी। इसके कारण फिर से मावियत सघ
और यूगोस्लाविया का सम्बन्ध खराब हो गया। यूगोस्लाविया के दूतावास से इमरे

नाँज को छल प्रपञ्च से ले जाया गया था। टीटो ने इसका घोर विरोध किया। सभार में सोवियत सघ की काफी बदनामी हुई। हगरी में उसके हस्तक्षेप को अनुचित बतलाया गया और कहा गया कि ऐसा करके सोवियत सघ ने साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। लेकिन सोवियत सघ ने अपने हस्तक्षेप के पक्ष में तीन तर्क प्रस्तुत किये हैं। पहली बात यह कि सोवियत हस्तक्षेप हगरी की सरकार के अनुरोध पर किया गया था। द्वितीय, सोवियत सघ की सुरक्षा के लिए यह हस्तक्षेप आवश्यक था। हगरी में प्रतिक्रियावादो तत्वों की विजय से सोवियत सघ की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। तृतीय, हगरी के विद्रोह में वहाँ के फासिस्ट नेता होयी का महत्वपूर्ण हाथ था और फासिस्टवाद का दमन करने के लिए युद्धकालीन मित्रराष्ट्र बचनबद्ध थे।

१०. सोवियत विदेश-नीति में शान्तिपूर्णा सह-अस्तित्व का सिद्धान्त

स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत सघ की विदेश नीति में एक मूल तत्व के रूप में शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त का समावेश हुआ। इसका उद्भव मेलेन्कोव के काल में ही हुआ, लेकिन खुश्चेव और कोसिगिन के प्रधान मन्त्रीत्व काल में इसका पूर्ण विकास हुआ। विकसित रूप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रूसी साम्यवादी दल की बीसवीं कांग्रेस (१९५६) में हुई। साथ ही सोवियत सघ की नवीन विदेश नीति के मुख्य लक्षणों का प्रतिपादन किया गया। इस विदेश-नीति की पाँच मुख्य विशेषताएँ बतलायी गयीं—

(i) स्टालिन युग में सभी गैर-साम्यवादी देशों को सोवियत सघ का शत्रु माना जाता था। एशिया और अफ्रिका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। खुश्चेव ने इस नीति को अस्वीकार किया और यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी देश सोवियत सघ के शत्रु नहीं हैं।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। स्टालिन की सघनादी, कठोर और शकालु नीति का परित्याग कर दिया गया।—

(iii) सोवियत सघ द्वारा विश्व की अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनायी गयी।

(iv) यात्राओं की कूटनीति स्वीकार की गयी। यह माना गया कि दूसरे देशों से अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सोवियत नेताओं को सौहार्दपूर्ण आचरण को शिथिल कर अन्य देशों की यात्रा करनी चाहिए तथा गैर साम्यवादी देशों से मधुर सम्बन्ध की स्थापना करनी चाहिए।

(v) पश्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मानते हुए उनको निन्दा करनी चाहिए। लेकिन उनमें साथ खुले संघर्ष की नीति का

परित्याग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्त्रुचेव ने कहा था "सोवियत संघ शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का मानता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध करने को नहीं सोच रहे हैं। हम शान्तिपूर्ण निर्माण में रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना चाहते हैं।"

'चूँकि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहलू हो गया है, अतः हम पहले इसी पर विचार करेंगे।

शान्ति सह अस्तित्व की नई सोवियत नीति के अनुसार गैर-साम्यवादी देशों को तीन वर्गों में बाँटा गया, (१) संयुक्त राज्य अमेरिका, (२) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश, एवं (३) तटस्थ देश, जैसे—भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, भिन्न, सीरिया, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैण्ड। पहले रूस दुनिया में दो ही रंग के फूल देखता था लाल और सफेद। अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे सभी प्रकार के फूल देखने लगा। पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के अतिरिक्त सब तरह से फूलों के समूली मूलन की थी, अब वह सब के साथ-साथ रहने के 'शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व' की बात करने लगा। सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के ११ मई १९५६ को तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बुल्गानिन ने कहा था :

"शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है, अपितु वह एक जीवित यथार्थ है। वह सोवियत संघ तथा यूरोप और एशिया के बहुत से देशों की वैदेशिक नीति का मूल तत्व है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आज की परिस्थिति में और कोई दूसरा मार्ग सम्भव नहीं है। हमारे सामने केवल दो ही मार्ग हैं—शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अथवा इतिहास का सबसे अधिक विनाशकारी युद्ध। इनके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसीलिए समस्त जनगण की चाहे वे समाजवादी परिस्थितियों में रहते हों अथवा पूँजीवादी परिस्थितियों में यह आकांक्षा है कि सह-अस्तित्व को स्थाय एवं स्थिर बनाया जाय।

स्त्रुचेव ने इस सिद्धान्त को एक ऐतिहासिक पृष्ठाधार भी दिया। उसने यह दावा किया कि अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त लेनिन की देन है। सोवियत नेताओं का कहना है कि यदि विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं वाले देशों को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की धमकी दी गयी तो इसको देनेवाला सोवियत संघ या समाजवादी गुट नहीं होगा। इसका कारण यह है कि कोई भी समाजवादी देश युद्ध छेड़ने की बात सोच ही नहीं सकता। युद्ध पूँजीवादी व्यवस्था की चीज है जहाँ बग-विभेद रहता है और विभिन्न वर्ग वाले युद्ध का सहारा लेकर अपनी उन्नति का यत्न करते हैं। सोवियत संघ या कोई भी समाजवादी देश युद्ध नहीं छेड़ सकता, क्योंकि वहाँ वर्ग-भेद को मिटा दिया गया है।

संघर्ष का अभाव है। इसे मानते समय साम्यवादी लोग विश्व क्रान्ति के विचार को छोड़ नहीं देते वरन् कुछ समय के लिए टाल देते हैं, तो इस विचार का प्रतिपादन शे'पिलोव ने निम्न शब्दों में किया है

“क्रान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व संघर्ष बिहोन जीवन नहीं है। जब तक विभिन्न प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाएँ कायम रहेगी उनके बीच मनसूटाव होना अपरिहार्य है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एक राजनैतिक, आर्थिक एवं सैद्धांतिक संघर्ष है। सह-अस्तित्व का अर्थ एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को हथियारों से सुलभाने का प्रयत्न करना है किन्तु वह शांतिपूर्ण कार्यों तथा आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रतियोगिता करना है। हम यदि जीवन के मूलभूत नियमों को वग संघर्ष के नियमों को मुला दे गे तो हम मार्क्सवादी या लेनिनवादी नहीं रह जायेंगे।

सोवियत नेताओं का कहना है कि यदि अमरीकी सरकार यह स्वीकार कर ले कि विश्व में एक समाजवादी दुनिया भी कायम है जिसको जीने तथा अपने आदर्शों के अनुरूप उन्नति करने का अधिकार है तो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को खत्म होते देर नहीं लगेगी। सोवियत संघ इस बात को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता कि संसार के प्रत्येक देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका हावी जाय। यदि अमरीका पूँजीवादी विश्व का सर्वाधिक अधिक विकसित और शक्तिशाली देश है तो सोवियत संघ भी सबसे शक्तिशाली देश है। अतएव इन दोनों देशों के लिए यह बाँझनीय है कि वे अपने पारस्परिक मतभेदों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं वरन् आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता द्वारा करें। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए ख्रुश्चेव ने कहा था।

“हम कहते हैं कि समाज का विकास उसके नियमों के अनुसार होता है और आज वह युग आ गया है जबकि पूँजीवाद को अपने से अधिक विकसित सामाजिक-प्रणाली समाजवाद के लिए मार्ग खाली करना पड़ेगा। यह बात मुझ कम्युनिस्ट पर आश्रित नहीं है और न तुम एक पूँजीवादी पर आश्रित है। नहीं, यह एक वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रक्रिया है इस बात को मार्क्स और एंजिल्स ने अच्छी प्रकार से प्रमाणित कर दिया है और इसे लेनिन ने भली-भाँति विकसित किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सोवियत संघ शान्ति तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व चाहता है। यदि हमारे देश पर आक्रमण नहीं किया गया तो हमारा देश कभी युद्ध नहीं करेगा। हम न तो संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध युद्ध करने का बात मोचते हैं और न किसी दूसरे देश के खिलाफ हमारा ऐसा इरादा है—चाहे वह देश सोवियत संघ के निकट हो अथवा दूर, क्यों कि ऐसा करना हमारे सिद्धान्त का उल्लंघन करना है। हम शान्तिपूर्ण निर्माण और रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना चाहते हैं।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में सोवियत संघ का अटूट विश्वास है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) श्लार्ड १९५३ में कोरिया युद्ध को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने अपना सहयोग दिया।

(२) जनवरी-फरवरी १९५४ में चार महान् शक्तियों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन हो सका जिसमें यह निश्चय किया गया कि अप्रिल में हिन्द-चीन की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन हो। यह सम्मेलन हुआ और हिन्द चीन की समस्या को सुलझाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुआ।

(३) मई, १९५५ में वास्ट्रिया के साथ सन्धि हुई।

(४) जुलाई, १९५५ में चार महान् शक्तियों का एक शिखर-सम्मेलन हुआ। १९४४ के पोटसडाम-सम्मेलन के बाद यह चार बड़ों की पहली बैठक थी।

(५) जून, १९५५ में सोवियत संघ ने कृष्ण सागरीय प्रदेश में टर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक माँगों के परित्याग की घोषणा की।

(६) १९५५ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के चुनाव के समय घ में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि डाग हैमरशोल्ड की नियुक्ति इस पद पर हो। लेकिन बाद में सोवियत नेताओं ने अपने दुराग्रह को छोड़ दिया और हैमरशोल्ड को महासचिव स्वीकार कर लिया।

(७) १९५५ में रूस के समर्थन से चीन ने अमेरिका के ग्यारह विमान चालक बन्दियों को रिहा कर दिया।

(८) १९५५ में ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता को बढ़ाने के लिए सोवियत-संघ और पश्चिमी राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इसके पूर्व सोवियत संघ नये राज्यों की सदस्यता का विरोधी था। फलतः दिसम्बर, १९५५ में अठारह नये राज्यों को संघ की सदस्यता मिली।

(९) १९५६ में कामिनफार्म को भंग कर दिया गया।

(१०) १९६३ में परमाणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में यह पहली सफलता थी।

(११) इसी वर्ष वाशिंगटन और मास्का के बीच सीधा टेलिफोन और रेडियो सभ्यक स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि किसी भी सकटकालीन स्थिति में दोनों देशों के शासनाध्यक्ष सीधे बातचीत कर सकें ताकि किसी तरह की गलतफहमी नहीं फैले।

(१२) १९६५ के भारत पाकिस्तान संघ के दोनों देशों ने अर्द्ध सहयोग का परिचय दिया।

(१३) १९६८ में निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित दूसरी सन्धि सम्भव हुई।

इस प्रकार शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त के आधार पर स्तुश्च और बाद में कोसिजिन के काल में पूव और पश्चिम के सभ्य धर्म में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए और शीत-युद्ध की छत्रता में बड़ी कमी आयी।

लेकिन इन बातों को लेकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका परस्पर मित्र बन गये। इसके विपरीत राजनैतिक शत्रु के रूप में दोनों की स्थिति यथापूर्व रही और दोनों अपनी कूटनीतिक दाँव पेंच में चलन रहे। फर्क केवल साधन और तरीकों में था। स्टालिनकालीन उद्यवादी नीति का स्थान चातुर्यपूर्ण और गहन कूटनीतिक उदार नीति ने ले लिया। दोनों के सम्बन्ध में कई ऐसे मौके आये जब तनाव बढ़ गया और शीत युद्ध में चयना आ गयी। १९५६ का स्वेज तथा हगरी संकट, १९६० का यू-२ विमानकांड, १९६२ का ब्यूबा संकट, १९६५-६६ का वियतनाम युद्ध तथा १९६७ का पश्चिम एशिया संकट इसके कुछ उदाहरण हैं जब दोनों महाशक्तियाँ संघर्ष के बहुत निकट आ गयीं और तृतीय विश्व-युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ गयी। फिर भी इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक अवसर पर संकट को टालने के लिए दोनों पक्षों ने विवेक और समय से काम लिया है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही इस बात अनुभव करने लगे हैं कि ऐनिक शक्ति उद्यवा युद्ध के द्वारा एक दूसरे को समाप्त करने की नीति अव्यावहारिक और आत्मघाती है और यदि सह अस्तित्व के सिद्धान्त को नहीं माना गया तो उसका एकमात्र विकल्प होगा सह-विनाश।

यात्रा कूटनीति और आर्थिक सहायता की नीति—

स्टालिन के समय में सोवियत संघ एक फौलादी घेरे के अन्दर रहता था। गैर साम्यवादी देशों से उसका सम्पर्क बिल्कुल नहीं रहता था। लेकिन, लौह आवरण की इस नीति के कुछ बड़े दुष्परिणाम निकले। इसके कारण अन्य देशों में सोवियत संघ के प्रति सन्देह और अविश्वास की भावनाएँ उत्पन्न हुईं जिससे सोवियत गुट के समर्थकों की संख्या और शक्ति में काफी कमी हुई। स्टालिनोत्तर सोवियत संघ ने इस नीति का परित्याग कर दिया और दूसरे देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने की नयी नीति का अवलम्बन करने का निश्चय किया। इस काल में सोवियत संघ से अनेक ससदीय, सांस्कृतिक, सद्भावना शिष्टमण्डल दूसरे दूसरे देशों में भेजे गये और उन देशों से ऐसे शिष्टमण्डल सोवियत संघ आने के लिए आमन्त्रित किये गये। यात्राओं का आदान प्रदान यहाँ तक सीमित नहीं रहा। अब सोवियत संघ के चोटी के नेता भी अन्य देशों का भ्रमण करने लगे। यह स्टालिन की नीति के सबसे विपरीत था। स्टालिन केवल एक बार तेहरान-सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत संघ से बाहर निकला था। लेकिन सोवियत संघ के नये नेताओं ने दूसरे देशों का सद्भाव और मैत्री प्राप्त करने के लिए विदेशों में यात्रा करना आरम्भ किया। इसी तरह अन्य देशों के राज्याध्यक्ष, प्रधान मंत्री आदि को भी सोवियत संघ आने के लिए आमन्त्रित किया गया। जून १९५५

में भारत के प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू सोवियत सरकार के आमन्त्रण पर गये। जुलाई १९६० में भारतीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सोवियत संघ का भ्रमण किया। रूस की सर्वसाधारण जनता ने इन भारतीय राजनेताओं का भव्य स्वागत किया। स्टालिन के समय ऐसी बात को कहना नहीं की जा सकती थी। नवम्बर दिसम्बर १९५५ में सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री बुलगानिन तथा पार्टी के सेक्रेटरी ख्रुश्चेव भारत भ्रमण के लिए आये। इसी क्रम में इन लोगों की जर्मनी और हिन्देशिया की यात्रा भी की। बुलगानिन और ख्रुश्चेव के भारत भ्रमण से सोवियत संघ और भारत के सम्बन्धों में बहुत सुधार हुआ। दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भावना में काफी वृद्धि हुई। कलकत्ता में जनता द्वारा ख्रुश्चेव का स्वागत हुआ, शायद आज तक कहीं भी किसी राजनेता का नहीं हुआ है। १९५६ में बुलगानिन और ख्रुश्चेव ब्रिटेन गये। १९५९ के आरम्भ में सोवियत संघ के एक मन्त्री श्री निकोयान ने अमेरिका की यात्रा की। १० जनवरी को राष्ट्रपति आइसनहावर ने ह्वाइट हाउस में इस रूसी राजनीतिज्ञ का भव्य स्वागत किया। १९४५ के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्ध में ऐसी घटना पहले-पहल हुई थी। निकोयान ने शीत युद्ध बन्द करने का अपील की और उसके स्थान पर "शान्तिपूर्ण प्रतिबोधिता" पर बल दिया। आइसनहावर का उत्तर भी घतना ही मधुर था। कहीं भी साम्यवादी दासता, मुक्ति अन्दोलन, साम्यवाद को सीमित करना या पीछे टकेलने की चर्चा उन्होंने नहीं की। इसके कुछ ही दिनों बाद, सोवियत सरकार के आमन्त्रण पर अमरीकी उपराष्ट्रपति निककसन ने सोवियत संघ का भ्रमण किया।

लेकिन यात्राओं की यह कूटनीति अगस्त, १९५६ में अपना चरम सीमा पर पहुँची जब उस दिन यह घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों के अन्दर सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संघ का भ्रमण करेंगे। सारी दुनिया ने इस समाचार का स्वागत किया। इन यात्राओं के महत्त्व पर ब्रिटिश समाचार पत्र डेली मेल ने जो टिप्पणी लिखी वह इस प्रकार है "इन दो राजनेताओं की यात्राओं के आदान प्रदान के फलस्वरूप वह दिन अब दूर नहीं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ हो जायगा। इस युग में न केवल सशस्त्र की जटिल समस्याओं-निरस्त्रीकरण, परमाणविक, परीक्षण शीत-युद्ध इत्यादि का ही समाधान होगा, बल्कि यदि दोनों देशों के बीच एक अनाक्रमण संधि हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वह दिन अब दूर नहीं जब मात्रा खे-तुंग अमेरिका की यात्रा और अमरीकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा करेंगे और फिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र एक नया युग।"

१५ अगस्त, १९५९ को ख़ुश्चेव अमेरिका पहुँचा और २८ सितम्बर तक वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण करता रहा। १७ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रसघ को साधारण सभा में उसका ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उसने शीत युद्ध तथा हथियारबन्दी की होड़ को समाप्त करने पर तथा सब देशों द्वारा शान्तिपूर्ण सहजीवन और मैत्रीपूर्ण सहयोग के पालन पर बड़ा बल दिया। २५ सितम्बर को कैम्प डेविड में उसने राष्ट्रपति आइसनहावर से मुलाकात की। तीन दिनों तक दोनों राजनेत/ओं के बीच विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श होता रहा। २८ सितम्बर को ख़ुश्चेव ने कहा कि “राष्ट्रपति आइसनहावर से मेरी बड़ी मधुर वार्ता हुई है। हमने जिन प्रश्नों पर विचार किया है उन सबके बारे में यह पाया गया है कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण और विचार एक से हैं।” ख़ुश्चेव की इस यात्रा से दोनों देशों में बड़े सौहार्द और प्रीति का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस सौहार्द को कैम्पडेविड की भावना (Spirit of Camp David) का नाम दिया गया। यह कहा गया कि इस भावना से प्रेरित होकर दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने का सम्मिलित प्रयास करेंगे, जिससे शीत युद्ध की बरफ पिघलेगी और विश्व शान्ति की नींव मजबूत पड़ जायगी। कैम्प डेविड वार्ता के बाद जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ वह भी इसी भावना से प्रोत्-प्रोत् था। “श्री ख़ुश्चेव और आइसनहावर इस बात पर सहमत हैं” वक्तव्य में कहा गया था, “कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निष्पक्ष शान्तिपूर्ण साधना द्वारा वार्तालाप और चर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए।” कैम्प डेविड वाशिंगटन लौटने पर ख़ुश्चेव ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति आइसनहावर ने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है और “उनके पोतों ने यह तय किया है कि राष्ट्रपति १९६० के अन्त में सोवियत सघ की यात्रा करें। इस शर्त को उनके दादाओं” ने मान लिया है।

ख़ुश्चेव की यह अमरीकी यात्रा युद्धोत्तर काल के कूटनीतिक इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना थी। जो देश कुछ वर्ष पूर्व एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे वे अपने को एक ही परिवार का सदस्य मानने लगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि पूर्व और पश्चिम का तनाव तथा संघर्ष अब दूर ही खत्म हो जायगा।

फरवरी-मार्च १९६० में ख़ुश्चेव ने भारत, बर्मा, अफगानिस्तान तथा हिन्द-शिया की यात्रा की। इन देशों के लाखों व्यक्तियों ने उनके दशन किये और भाषण सुने।

शिल्लर-सम्मेलन—यात्राओं की कूटनीति के अतिरिक्त इस समय रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के शिल्लर-सम्मेलन पर भी बहुत जोर दिया। जुलाई, १९५५

में जेनेवा का सम्मेलन, जिसमें हिन्द चीन की समस्या सुलझाया गया था, इसी नीति का परिणाम था। लेकिन विश्व में और भी समस्याएँ थीं जिनके समाधान के लिए शिखर सम्मेलन आवश्यक था। कैम्प डेविड में आइसनहावर और खुशुचेव ने इसकी आवश्यकता महसूस की थी। पश्चिमी देश इस तरह के सम्मेलन के लिए अब राजी होने लगे थे। इसी समस्या पर विचार करने के लिए १९ से २१ दिसम्बर १९५९ तक पेरिस में राष्ट्रपति आइसनहावर, फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल, ब्रिटिश प्रधान मंत्री मैकमिलन, पश्चिमी जर्मनी के चान्सेलर कोनार्ड आडेनौर से मिले जहाँ अन्य समस्याओं के साथ शिखर सम्मेलन बुलाने की सम्भावना पर भी विचार किया गया। सोवियत संघ से वात्सा करने के बाद यह तय हुआ कि ४ मई, १९६० को पेरिस में चार बड़े राष्ट्रों—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ—के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हो। उस दिन शिखर सम्मेलन तो प्रारम्भ हुआ लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण। इसके कुछ दिन पूर्व यू२ विमान कांड घटित हो चुका था। इस विमान कांड ने शिखर-सम्मेलन के भाग्य का ही फलता कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया, शीत युद्ध में पुन प्रबलता आयी। कैम्प डेविड की भावना लुप्त होने लगी और संसार का भाग्य पुन अनिश्चित हो गया।

आर्थिक सहायता की नीति—युद्ध के बाद ट्रूमैन-सिद्धान्त और माशल-योजना के अन्तर्गत समुक्त राज्य अमेरिका युद्ध घृष्ट देशों के पुनर्निर्माण में पर्याप्त सहायता कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने अविक्तित राज्यों के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। अमेरिका की यह सहायता केवल उसके मित्र राज्यों तक ही समिन्ति नहीं रही, वरन् इसमें वे तटस्थ देश भी शामिल किये गये थे जो बहुत बातों पर अमेरिका का विरोध करते थे। एक तरफ जहाँ समुक्त राज्य अमेरिका इस कार्य पर करोड़ों डालर खर्च कर रहा था, वहाँ उसका प्रतिद्वन्दी सोवियत संघ स्टालिन के नेतृत्व में लौह-आवरण की नीति का अनुसरण कर रहा था। सोवियत संघ के नये नेताओं ने इस नीति का परित्याग कर दिया और दूसरे देशों में साम्यवाद के प्रसार के लिए अमेरिका का अनुसरण करते हुए आर्थिक सहायता की नीति ग्रहण की। इस नीति के अन्तर्गत सपने एशिया में अनेक अविक्तित देशों की सहायता की है। भारत में सोवियत सहायता से मिलाई में लोहे का कारखाना तथा अन्य भारी मशीनों के कारखाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये। सोवियत संघाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये। सोवियत संघाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये। सोवियत संघाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये।

सोवियत सहायता और अमरीकी सहायता में एक बहुत बड़ा अन्तर है। अमरीकी सहायता में किसी-न-किसी तरह की शर्त अवश्य लगी रहती है। उदाहरणार्थ, १९६३ में जब लका की सरकार ने कुछ उद्योगों का, जिसमें अमरीकी पूँजी भी सम्मिलित थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अमरीकी सरकार ने लका को सहायता देना बन्द कर दिया। लेकिन सोवियत संघ बिना किसी शर्त की सहायता प्रदान करता रहा। आर्थिक क्षेत्र में सोवियत संघ की इस नीति के कारण पश्चिम के औद्योगिक देशों में काफी घबड़ाहट उत्पन्न हो गयी है। जैसा कि वाल्टर लिप्मैन ने लिखा है “पहले सोवियत रूस ने परमाणविक आयुद्धों पर पश्चिमी के एकाधिकार को भंग किया, अब वह अविभाजित देशों का आर्थिक नेतृत्व ग्रहण करके पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने लगा है।”

स्टालिन के लौह आवरण को तोड़ने के लिए ख्रुश्चेव काल में एक और काम हुआ है। विदेशियों के रूस भ्रमण पर पहले जो कठोर प्रतिबन्ध था, उसमें काफी ढिलाई कर दी गयी। मास्को में एक पेट्रिश लुगुम्बा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जहाँ सभार भर के कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थी सोवियत संघ के खर्च पर अध्ययन करने के लिए बुलाये जाते हैं।

सोवियत संघ और जर्मनी—हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप का औचित्य रहा हो या नहीं, लेकिन इसने शीत-युद्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ कर दिया। इस कारण जर्मनी की राजनीति में एक नयी सरगर्मी आयी। १९४८ में बर्लिन की नावेबन्दी के बाद जर्मनी की समस्या को लेकर १९५८ के शीत युद्ध तक कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं घटी। लेकिन उस वर्ष नवम्बर में सोवियत प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव ने जर्मनी के सम्बन्ध में एक सनसनीखेज की घोषणा कर दी। उसने कहा कि सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी से शान्ति समझौता करके पूर्वी बर्लिन का शासन उसी को हस्तान्तरित करने का निश्चय कर चुका है। उसने पश्चिमी राज्यों को चुनौती दी कि मई १९५९ तक वे जर्मनी के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य निर्णय पर पहुँच जायँ, अन्यथा सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी के साथ अकेले ही सन्धि कर लेगा। यह घोषणा सुनकर पश्चिमी जगत में खलबली मच गयी। पश्चिमी राष्ट्र ख्रुश्चेव के प्रस्ताव को किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे। अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने दो मार्ग थे—या तो वे सोवियत संघ को, जो वह करना चाहता है, करने दे, अन्यथा ताकत का प्रयोग कर उसका विरोध करे, जिसका अर्थ होता तृतीय विश्व युद्ध। यह स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई मार्ग उन्हें मान्य नहीं होता। युद्ध उस दशा में किया जा सकता था, जब शत्रु कमजोर प्रतीत हो। पर, अब स्थिति ऐसी नहीं रह गयी है। इस पर भी तत्कालीन अमरीकी विदेश-सचिव सोवियत संघ के साथ बर्लिन के प्रश्न पर लोहा लेने को तैयार था। लेकिन अमेरिका के यूरोपीय साथी यह जोखिम उठाने के लिए कतई तैयार नहीं थे। व

कूटनीतिक वार्ता द्वारा जर्मन-समस्या का कोई समाधान ढूँढने के पक्षपाती थे। स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करके ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मैकमिलन फरवरी, १९५९ में दौड़े दौड़े मास्को गये और ख्रुश्चेव को मई तक के अन्तिम-त्यम को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा लेने पर राजी कर लिया। अमरीकी क्षेत्रों में मैकमिलन को इस मास्को यात्रा की तुलना चेम्बरलेन की म्युनिख यात्रा से की गयी। लेकिन मैकमिलन को पूर्ण विश्वास था कि कूटनीतिक वार्ता के द्वारा जर्मन समस्या का समाधान हो सकता है। मास्को के बाद वे वाशिंगटन गये और राष्ट्रपति आइसनहावर से मुलकात करके बड़े राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के एक सम्मेलन के लिए उन्हें राजी करा लिया। इसी बीच अमरीकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस की मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप अमरीकी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन हुआ और अमेरिका वार्ता के लिए तैयार हो गया। जर्मनी की समस्या पर विचार करने के लिए मई, १९५९ में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन जेनेवा में शुरू हुआ।

विदेश मन्त्रियों का जेनेवा-सम्मेलन—इस सम्मेलन के आरम्भ में पश्चमी देशों ने सयुक्त रूप से जर्मनी के एकीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। योमिको ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और ९ जून को उसने अपना अलग प्रस्ताव पेश किया जिसमें तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। योमिको ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि पश्चिमी राष्ट्र इन सिद्धान्तों के आधार पर दो वर्ष के भीतर कोई समझौता नहीं कर सके तो रूस पूर्वी जर्मनी के साथ अलग से सन्धि कर लेगा। पश्चिमी राष्ट्रों ने योमिको के इस प्रस्ताव को अन्तिम-त्यम की सशर्त स्वीकार लेगा। ने इसे पूर्णतया अस्वीकार्य बताया। इस प्रकार जेनेवा सम्मेलन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। जर्मनी के प्रश्न पर सोवियत संघ और पश्चिमी गुट में जो मतभेद है वे मुख्यतः इन दोनों बातों पर है—(१) रूस का पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को समानता के स्तर पर रखना है और इसी आधार पर बात चलाना चाहता है। पश्चिमी राज्य इस समानता को स्वीकार नहीं करते। के बी जर्मनी को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। (२) सोवियत संघ के बी जर्मनी को

शिखर-सम्मेलन के बाद—शिखर-सम्मेलन के भंग होते ही ख्रुश्चेव ने कहा कि रूस पूर्वी जर्मनी ने पृथक् सन्धि कर लेगा। लेकिन १९ मई, १९६० को पूर्वी बर्लिन में बोलते हुए उसने वादा किया कि जर्मनी के सम्बन्ध में वह ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे शान्ति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो जाय। उसने कहा—“हम सन्धि वार्ता की प्रतीक्षा करेंगे। यदि अगला राष्ट्रपति (संयुक्त राज्य अमेरिका का) हमारे साथ सन्धि चर्चा नहीं करेगा तो हम उसके बदल चुने जाने वाले राष्ट्रपति की प्रतीक्षा करेंगे। जर्मनी से सम्बन्धित सभी नये शिखर सम्मेलन के बाद होंगे और सोवियत संघ इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को विगाड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा।”

वियना सम्मेलन के बाद—जून १९६१ में राष्ट्रपति कैंनेडी वियना गये और वहाँ १ से ५ जून तक सोवियत प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव से वार्तालाप किया। ख्रुश्चेव ने उन्हें जर्मनी और बर्लिन के सम्बन्ध में एक स्मृति पत्र दिया। पश्चिम और पूर्व जर्मनी की स्वतन्त्र सत्ता की स्वीकृति, जर्मनी के साथ सन्धि और पश्चिम बर्लिन को निरक्ष स्वाधीन नगर के रूप में परिणत करना यही स्मृति पत्र का प्रस्ताव था। ख्रुश्चेव ने एक बार फिर धमकी दी कि एक निश्चित अवधि के भीतर ये सारे काय सम्पन्न हो जाने चाहिए। इस कारण एक बार फिर से जर्मनी तथा बर्लिन की समस्या को लेकर यूरोप की राजनीति अट्टल हो गयी।

बर्लिन की दीवार—जब युद्ध में जर्मनी हार रहा था, उसी समय जर्मनी के सम्बन्ध में लन्दन का जो समझौता हुआ था उसके द्वारा यह निश्चय किया गया था कि बर्लिन यद्यपि विभाजित रहेगा लेकिन उसके सभी क्षेत्रों के बीच आवागमन के सभी साधन खुले रहेंगे और उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा। लेकिन इसी बीच जब शीत युद्ध शुरू हुआ और जर्मनी समस्या को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कट उत्पन्न होने लगे तो पश्चिमी देशों ने पश्चिमी बर्लिन में अपना जासूसी अड्डा कायम कर लिया। यहीं से वे जासूस पूर्वी बर्लिन में अपना कार्य किया करते थे। इसके अतिरिक्त पूर्वी बर्लिन के निवासी कुछ भड़काने पर और कुछ पश्चिमी बर्लिन में अच्छी नोकरी प्राप्त करने का लालसा से प्रेरित होकर पूर्वी बर्लिन को छोड़कर भागने लगे। ऐसे लोगों को पश्चिमी राज्यों से बैसे शरणार्थियों की सहायता दी जो “सोवियत गुलामों से” मुक्ति पाने के लिए पूर्वी बर्लिन से भाग रहे थे। ऐसे लोगों को पूर्वी बर्लिन छोड़ने के लिए काफी प्रोत्साहन भी दिया जाता था। जब पश्चिमी राष्ट्रों के ये गैर कानूनी कार्य अपनी सीमा पार गये तो १७ अगस्त को सोवियत संघ ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच विभाजक रेखा पर पूर्वी जर्मनी की सरकार ने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी ताकि दोनों बर्लिन में किसी प्रकार का सम्पर्क

न रहे और बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये इधर के लोग न उधर जायें और न उधर से लोग इधर आवें। सोवियत सघ की प्रेरणा से पूर्वी जर्मनी सरकार के इस काय से भी दोनों गुटों के बीच काफ़ी उत्तेजना फैली।

जुलाई १९६२ में बर्लिन की दीवार को लेकर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गयी। पूर्वी बर्लिन के कुछ नागरिक अवैध रूप से दीवार फाँदकर पश्चिमी बर्लिन पहुँचने के प्रयास करते समय कम्युनिस्ट प्रहारियों द्वारा या तो पकड़ लिये गये या गोली से मार दिये गये। इस घटना से भी सोवियत सघ और पश्चिमी देशों के बीच खूब तनाव बढ़ा, पर कुछ ही दिनों में यह तनाव कम हो गया। उस समय से लेकर १९६८ तक बर्लिन के सम्बन्ध में ऐसी कोई असाधारण घटना नहीं घटी है जो उल्लेखनीय हो।

क्यूबा का संकट और सोवियत सघ—१९६२ का क्यूबा संकट सोवियत विदेश नीति की एक बड़ी कठिन परीक्षा थी। १९५९ में क्यूबा में फ़िडेल् कास्ट्रो के नेतृत्व में जिस क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना हुई उसका स्पष्ट मुकाबला सोवियत सघ की ओर था। इस सरकार को मिटाने के लिए अमरीकी सरकार शुरू से ही कटिबद्ध थी। इसलिए सोवियत सघ ने इसको आर्थिक और सैनिक सहायता देना शुरू किया। क्यूबा के प्रति सोवियत नीति के सम्बन्ध में कई बातें कही गयी हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ह्यूम का मत था कि वस्तुतः खुश्चेव का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण का न होकर अपनी शक्ति को बढ़ाना और उसका प्रदर्शन करना मात्र था ताकि सोवियत रूस अमेरिका से अननी, बर्लिन आदि के प्रश्नों पर शक्ति की स्थिति (Position of Strength) से बात कर सकता। रूस को यह विश्वास था कि अमेरिका को क्यूबा के सोवियत अड्डों से घेर कर और अमरीकी नगरों को अपने प्रक्षेपणार्थों का सुगम लक्ष्य बनाने के बाद वह अमेरिका में मनमानो रियायतें प्राप्त कर सकेगा। यह वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका की कठोर अभिपरीक्षा थी। पर, रूस की यह योजना दो कारणों से विफल हुई। प्रथम तो योजनापूण होने से पहले ही उसका भेद खुल गया जिससे रूस अथा अमेरिका के शक्ति सन्तुलन में कोई अन्तर न आ सका, और दूसरे अमरीकी राष्ट्रपति ने दृढ़ संकल्प तथा समय का प्रदर्शन किया।

मास्का ने क्यूबा संकट को चाहे किषी कारण से उत्पन्न किये हो, किन्तु यह निश्चित है कि इस संकट की समाप्ति कैनेडी की दृढ़ता व खुश्चेव के विवेक दोनों से हुई।

सोवियत सघ और चीन :

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच यह युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस यह युद्ध का स्वरूप भयानक हो गया। सोवियत सघ के लिए विकटून स्वामाधि

था कि वह उस गृह-युद्ध की गतिविधि को अच्छी तरह देखे। लेकिन चीन के साम्यवादियों को सोवियत संघ से कोई सहायता नहीं मिली। जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका च्यांग कोई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की सहायता जी-जान से कर रहा था वहीं सोवियत संघ तटस्थ राज्य की तरह खड़ा होकर इस गृह युद्ध की प्रगति को देख रहा था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। स्टालिन चीन के आन्दोलन का साम्यवादी आन्दोलन नहीं मानता था। १ जुलाई, १९४९ को माओत्सेतुंग ने “जनता के लोकतन्त्रीय अधिनायकतन्त्र” के विषय पर लिखे अपने सुप्रसिद्ध लेख में बताया कि चीन का नवोन लोकतन्त्र चार वर्गों—मजदूर, किसान, लघु बुर्जुआ तथा राष्ट्रीय बुर्जुआ—का सम्मिलित संगठन होगा। इसका नेतृत्व साम्यवादी दल द्वारा किसान और मजदूर करेंगे। एक साम्यवादी व्यवस्था का स्वरूप ऐसा भी हो सकता है इसको समझने में स्टालिन लाचार था। पर चीन में साम्यवादी आन्दोलन की जड़ इतनी मजबूत हो गयी थी कि सोवियत सहायता के अभाव में भी कम्युनिस्टों को विजय मिली। च्यांग काई शेक पराजित कर दिया गया और १ अक्टूबर, १९४९ को पेरिंग में चीन के जनवादी गणराज्य की घोषणा हो गयी।

पारस्परिक सुरक्षा समझौता—जब चीन में कम्युनिस्ट राज्य कायम हो गया तो सोवियत संघ के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि साम्यवादी परिवार के इस नये सदस्य का वह हार्दिक स्वागत करें। चीन के इस नये गणराज्य पर भयकर खतरे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका अस्तित्व मिटाने के लिए उपयुक्त अवसर को ताक में लगा रहता था। अतएव अमरीकी आक्रमण से चीन की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने फरवरी १९५० में उसके साथ पारस्परिक सुरक्षा की सन्धि की। इन सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने वादा किया कि जापान द्वारा अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण होने की स्थिति में वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह सन्धि तीस वर्ष की अवधि के लिए की गयी है। इसी सन्धि के द्वारा सोवियत संघ ने चीन को चांगहुन रेलवे और दाइरन तथा पोट्टे आर्थर के बन्दरगाह लौटा दिये। इसके अतिरिक्त, इसी सन्धि के अनुसार सोवियत संघ ने चीन को तीन अरब डालर का कर्ज देना भी स्वीकार किया। इसके बाद भी कई अन्य समझौते हुए और चीन को सोवियत संघ द्वारा कई तरह की सहायता मिलती रही।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन की भाग्यता का प्रश्न—चीन में नये गणराज्य की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसके प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठा। अमेरिका ने चीन के साम्यवादी गणराज्य को मान्यता नहीं दी और वह च्यांग काई शेक को फारमोसा स्थित सरकार को ही चीन का वास्तविक सरकार मानता रहा। इसी

कारण संयुक्त राष्ट्रसभ में जनवादी चीन को उसका न्यायपूर्ण स्थान नहीं मिल सका। १९४९ से ही सोवियत सभ इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसभ में बराबर उठाता रहा। वह बराबर इस बात की मांग करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्रसभ और उसकी सुरक्षा परिषद् में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जाय। शुरू में जब सोवियत सभ को इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने स्वयं संयुक्त राष्ट्रसभ का उद्दिष्टकार कर दिया। लेकिन जब कोरिया में लड़ाई शुरू हुई और सुरक्षा परिषद् में परिस्थिति बदलने लगी तो रूस पुनः संयुक्त राष्ट्रसभ में चला आया। उसके बाद से वह बराबर चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाता रहा है।

चीन और रूस का पहला मतभेद— १९५६ के हगरी कांड को लेकर सोवियत सभ और चीन में पहले पहल मतभेद हुआ। फरवरी, १९५७ में माओत्से तुंग ने हगरी में सोवियत कार्रवाई की बड़ी कड़ी निन्दा की। इसी अवसर पर माओ का प्रसिद्ध 'सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने दो' वाला भाषण हुआ। दूसरे शब्दों में माओ ने राष्ट्रीय साम्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। साम्यवादी उलान में हरे रंग के फूल खिलने चाहिए, इसी में उसको भीष्ट है। एक दूसरे दृष्टिकोण से यह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन था। इस पृष्ठाधार में आज आश्चर्य होता है कि चीन अब "सैकड़ों फूलों के खिलने" और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में क्या विश्वास नहीं करता।

चीन और रूस का सैद्धान्तिक झगडा— सोवियत सभ और जनवादी चीन में आजकल एक भयंकर सैद्धान्तिक झगडा चला रहा है और इसके मूल में शान्तिपूर्ण सहजीवन का सिद्धान्त है। स्टालिन के बाद शान्तिपूर्ण सहजीवन का सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व बन गया है। शुरू में, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, चीन के साम्यवादी नेता भी इस सिद्धान्त में विश्वास करते थे और इसमें उनका विश्वास सोवियत सभ से अधिक गहरा था। लेकिन विगत पाँच छ वर्षों से चीन के कम्युनिस्ट शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को गलत मानने लगे हैं। उनका खयाल है कि पूँजीवाद अब केवल "कागजी शेर" रह गया है जो अब अतिम साँसे ले रहा है। उसे केवल एक धक्का लगाने की देर है, उसका अन्त अवश्यम्भावी है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करके नहीं, बरन् इसको खूब बढ़ाकर यह अन्तिम धक्का लगाया जा सकता है। इसके लिए चीन तृतीय विश्व युद्ध की ओर खम लेने के लिए भी तैयार है। स्टालिन की तरह चीन राष्ट्र की रक्षयता में भी विश्वास नहीं करता। चीन के कम्युनिस्टों के अनुसार संसार में अब दो ही शक्तियाँ हैं— साम्यवादी और गैर-साम्यवादी। यही कारण है कि १९६२ के अक्टूबर में बयान के प्रति सोवियत सभ की बरती गयी नीति की निन्दा चीन में साध्वनिक और ठीक

की गयी। चीन के दृष्टिकोण से सोवियत संघ ने क्यूबा में दबकर साम्यवादी आन्दोलन को गहरा धक्का लगाया है। फिर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने के लिए ही चीन ने अक्टूबर १९६२ में भारत पर आक्रमण किया। सैद्धान्तिक और शांतिपूर्ण सहजोवन के सिद्धान्त के आधार पर सोवियत संघ ने चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के इस दृष्टिकोण का विरोध किया। चीन में इसको शत्रुतापूर्ण कार्य माना गया। सोवियत रूस द्वारा भारत का समर्थन चीन के लिए एक आघात था और चीन के नेताओं ने अभी तक सोवियत संघ का इसके लिए क्षमा नहीं किया है। फलतः आज साम्यवादी दुनिया में गहरी फूट पैदा हो गयी है। सोवियत संघ और चीन का सम्बन्ध बहुत बिगड़ गया है। चीन को रूस से जा अधिक और प्राविधिक सहायता मिल रही थी उसकी सोवियत सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत की तरह, सोवियत संघ के साथ भी चीन का सामाजिक विवाद शुरू हो गया है।

जुलाई १९६३ का सम्मेलन—चीन और रूस के इस सैद्धान्तिक मतभेद को सुलझाने के लिए प्रयास भी किये गये हैं। मार्च १९६३ में खुश्चव ने माओत्से-तुंग को मास्को आकर इस मतभेद को वात्सा द्वारा तय करने का प्रस्ताव रखा। माओत्से तुंग, जो अपने को साम्यवादी जगत् का सबसे बरिष्ठ नेता मानता है, ने मास्को जाने से इन्कार कर दिया। काफ़ी विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि ५ जुलाई, १९६३ को मास्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हो जिसमें इस मतभेद पर विवाद करके इसका सुलझाने का प्रयास किया जाय। इस सम्मेलन के शुरू होने के एक सप्ताह पूरे सोवियत संघ की सरकार ने मास्को स्थित चीनी दूतावास के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को दो दिन के अन्दर सोवियत भूमि को छोड़ने का आदेश दिया। उन पर सोवियत विरोधी दलों बॉटने और कार्य करने का आरोप लगाया था। चीन की सरकार ने इसका घोर विरोध किया। ऐसी हालत में ५ जुलाई से शुरू होने वाले सम्मेलन के भाग्य का निणय हो गया। कटुता का वातावरण इतना व्याप्त हो गया था कि लगभग दस दिनों की वात्साओं के बाद भी सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा और साम्यवादी जगत् के दोनों देशों का सम्मेलन भग हो गया।

सैद्धान्तिक मतभेद को सुलझाने वाले दोनों देशों के सम्मेलन की असफलता के बाद चीन और सोवियत संघ का पारस्परिक सम्बन्ध और भी खराब हो गया है। अभी फ़िनहलाल दोनों देश एक दूसरे के बिचूद कडुवा प्रचार कर रहे हैं और यह अफ़सोस भी सुनने में आती रहती है कि वह दिन अब दूर नहीं जब सोवियत संघ और चीन का कूटनीतिक सम्बन्ध भी समाप्त हो जाय।

१९६६ तक घटो घटनाओं ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि चीन और सोवियत संघ का विरोध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अब एक स्थायी तथ्य हो गया है। चीन ने जिस तरह अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में रूस के भाग लेने का विरोध किया वह इस बात का सूचक था कि अब पेकिंग तथा मास्को निकट भविष्य में कभी एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते। मार्च २३-२६ १९६४ का चौबीस एशियाई अफ्रीका देश का कोलम्बो में एक सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य संसार के सभी एशियाई-अफ्रीकी देशों का सम्मेलन बुलाना था। सम्मेलन में यह तय किया गया कि अक्टूबर १९६४ में काहिरा में तटस्थ राज्यों का एक सम्मेलन हो। इस सम्मेलन में किन-किन देशों को बुलाया जाय इस पर विचार करने के लिए जकार्ता में बीस राज्यों का सम्मेलन हुआ। भारत आदि देशों का विचार था कि सोवियत संघ को भी एक एशियाई राज्य माना जाय और उसे भी प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाय। लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका कहना था कि किसी भी दृष्टि से सोवियत संघ को एशिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसके कुछ भाग एशिया में है पर मूलतः वह एक यूरोपीय देश है। रूस के खिलाफ चीन का प्रबल विरोध हुआ और इसलिए यह निश्चय हो गया है कि प्रस्तावित सम्मेलन में सोवियत संघ को आमन्त्रित न किया जाय।

इसी समय चीन के रेडियो और समाचार-पत्र खुशेचन सूत्रों पर व्यक्तित्व हमला करने लगे। खुशेचन को अमेरिका पिट्टू कहा गया। सोवियत नेतृत्व पर और भी कई प्रत्यक्ष आक्षेप किये गये। रूस को ओर से भा ऐसा ही जवाब आया। लेकिन सोवियत संघ के जवाब की भाषा सयमित थी। किसी चीनी नेता का नाम लेकर चीन पर आक्षेप नहीं किये गये। १९६४ के मध्य में चीन की ओर से कई लेख प्रकाशित किये गये जिसमें सोवियत संघ के दोषों को गिनाया गया तथा यह बतलाने का यत्न किया गया कि सोवियत संघ साम्यवाद के मार्ग से दूर हट गया है और इसके लिए खुशेचन के नेतृत्व को एकमात्र दोषी बतलाया गया। कुछ दिनों के बाद सोवियत समाचार-पत्रों में चीन के विरुद्ध कई आरोप प्रकाशित हुए।

खुशेचन का पतन और चीन रूस विवाद—१६ अक्टूबर १९६४ को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने खुशेचन को प्रधान मन्त्री के पद से अपदस्थ कर दिया। चीन में खुशेचन के इस पतन के उपलक्ष्य में खुशियाँ मनायी गयी। चीन के नेताओं में यह विश्वास पैदा हुआ कि अब तब तक चीन सोवियत संघ की पार्टी ने उनके सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और खुशेचन के हटाने से दोनों देशों का पुराना मधुर सम्बन्ध फिर से स्थापित हो जायगा। लेकिन यह एक भ्रम सिद्ध हुआ। खुशेचन के बाद कोसिजिन सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री और क्रैमलिन पार्टी के

सेक्रेटरी नियुक्त हुए। नये नेतृत्व ने तुरत ही स्पष्ट कर दिया कि सोवियत सघ अपने सिद्धान्त पर डटा हुआ है और इस विषय पर पेकिंग से समझौता करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सोवियत पत्र 'प्रावदा' ने खुश्चेव के पतन के तुरत बाद चीन विरोधी लेखों की प्रकाशित करना शुरू किया। इससे इस बात की पुष्टि हो गयी कि नये नेतृत्व ने नीति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है।

ब्रेजनेव द्वारा सावधानिक तौर पर यह घोषित किया जाना कि सोवियत सघ खुश्चेव द्वारा निर्धारित नीति को परित्याग करने को तैयार नहीं है, चीन के नेताओं का असन्न कान के लिए पर्याप्त था। फिर खुश्चेव के पतन से लाभ उठाने के लिए चीन के नेताओं ने एक प्रयास किया। रूसी बोलशेविक क्रान्ति के ४७ वें वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई मास्को गये। अल्बेनिया, जो रूस-चीन विवाद में चीन का समर्थन करता है, को इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। यह इस बात का संकेत था कि सोवियत सघ अपने स्थान से डिगने का इरादा नहीं रखता। फिर भी, चाऊ एन-लाई ने इस अवसर से लाभ उठाने का यत्न किया। क्रमलिन के भाषण में उसने सोवियत नेताओं से अपील की कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के लिए प्रयास करना परम आवश्यक है, और सोवियत नेताओं को इस कार्य में चीन का साथ देना चाहिए। उसने साम्यवादो जगत में फूट पैदा करने की जिम्मेवारी अमेरिका पर रखी और सोवियत नेताओं का साम्राज्यवादी चालों से सावधान रहने की चेतावनी दी। अपने जवाब में सोवियत नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि शान्तिपूर्ण सह-जीवन के सिद्धान्त में नरनका अटूट विश्वास है और किसी भी हालत में वे इस सिद्धान्त का परित्याग नहीं करेंगे। इस हालत में समझौता के सारे प्रयास बेकार हो गये और चाऊ एन लाई की निराश होकर पेकिंग लौटना पडा।

इसके एक वर्ष के बाद ३१ अक्टूबर १९६५ को जब सोवियत सघ क्रान्ति वार्षिकोत्सव मनाने जा रहा था, चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर सोवियत सघ के खिलाफ प्रचार युद्ध शुरू कर दिया। पेकिंग पिपुल्स डेली में प्रकाशित एक लेख में सोवियत सघ के खिलाफ सभी आरोपों को बहुत कड़ शब्दों में दुहराया गया। दो सप्ताह पूर्व यही अल्बेनिया की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र में प्रकाशित हुआ था। लेख में कहा गया था कि वीयतनाम को हड़पने के लिए अमेरिका और सोवियत सघ में एक युद्ध समझौता हुआ है और इसीलिए सोवियत सघ वीयतनाम में अमेरिकी आक्रमण को उपेक्षा कर रहा है। इसमें सोवियत सघ की निरस्त्रीकरण की नीति की कटु आलोचना की गयी थी और इसको एक ऐसा चाल बतलाया था जिसमें अमेरिका और रूस अन्य देशों को सैनिक दृष्टि से कमजोर बनाकर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं।

सोवियत सघ और साम्यवादी चीन का सिद्धान्तिक मतभेद अब बहुत गहरा हो चुका है और इसके अन्त को कोई सम्भावना नहीं है। यह अभी खत्म हो सकता है कि दोनों में से कोई पक्ष अपने सिद्धान्त को एकदम छोड़ दे। इस मतभेद में समझौता करने का कोई सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि समझौता के लिए दोनों पक्षों के सिद्धान्तों में कुछ सामान्य बातों का होना आवश्यक है और इस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। मिलन कोवनर के शब्दों में "एक विशाल ज्वालामुखी की तरह विरोध और सघर्ष को चिनगारियाँ जो अबतक मित्रता एवं सम्भावना के आवरण से आच्छादित थीं। पूर्ण सक्रिय होकर चमक उठी हैं और उसके शांत होने की सम्भावना निकट भविष्य में नहीं दिखायी देती।"

सोवियत सघ का नया नेतृत्व और विदेश नीति

अक्टूबर १९६४ में ख्रुश्चेव के पतन के बाद सोवियत सघ का नेतृत्व दो नये व्यक्तियों — कोसिगिन और ब्रेजनेव के हाथों आया। इस समय बहुत हलकों में यह आशंका हुई कि नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और इसलिए सोवियत सघ को विदेश-नीति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। लेकिन यह आशंका दूर हो समाप्त हो गयी जब सोवियत सघ के नये नेताओं ने यह घोषणा की कि वे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव की विदेश-नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे। नये नेतृत्व को बार से यह घोषणा की गयी कि सोवियत सघ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करता रहेगा, परमाणविक परीक्षण को बन्द कराने तथा निरस्त्रोकरण के लिए प्रयास करेगा, शीत-युद्ध में भाष्यता नहीं आने देगा और सप्तर अविभाजित राज्यों की विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए सहायता देता रहेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले दो वर्षों में सोवियत विदेश-नीति ने सिद्धान्तों का अवलम्बन किया है और अभी तक कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जाय कि उसमें कोई विशेष परिवर्तन हुआ है या होने की सम्भावना है। अमेरिका के साथ चलकने और शीत-युद्ध को फिर से चालू करने का अवसर सोवियत सघ को मिला है। वीयतनाम में अमरीकी नीति को लेकर अमेरिका और सोवियत सघ में भीषण प्रचार-युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन सोवियत नेताओं ने स्थिति को बिगाड़ने का जरा भी यत्न नहीं किया है और उनका प्रयास यही रहा है कि वीयतनाम की समस्या बार्ता द्वारा सुलभ जाय। सोवियत सघ की इस नीति की आलाचना केवल चीन में ही नहीं वरन् कुछ अन्य हलकों में भी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को युद्ध बन्द करने की बाध्य करने के लिए सोवियत सघ को कड़ा दबा अपनाना चाहिए। सम्भव है चीन के साथ अपने मतभेदों के कारण सोवियत सघ इस तरह दबा नहीं अपना रहा है

क्योंकि उत्तरी वीयतनाम की कम्युनिस्ट सरकार सैद्धान्तिक ऋगड़े में चीन का समर्थन करती है। लेकिन चीन के साथ ऋगड़े को लेकर सोवियत संघ के जैसा महान् देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को भूल जाय, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जायगा। वीयतनाम समस्या के सम्बन्ध में विश्व-शान्ति के लिए, सोवियत नीति का पुनर्निर्धारण आवश्यक प्रतीत होता है।

ताशकंद सोवियत कूटनीति का नया अध्याय — १९६५ के सितम्बर में सोवियत कूटनीति ने एक नया मोड़ लिया। १ सितम्बर को भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के ऋगड़े को लेकर युद्ध शुरू हुआ और देखते देखते इस युद्ध ने भय-कर रूप धारण कर लिया। ऐसी हालत में सोवियत संघ बड़ा पेशीपेश में पड़ गया। उसे भय था कि एशिया के दो पड़ोसी देशों के युद्ध से अमेरिका और ब्रिटेन का साम्राज्यवादी गुट तथा चीन दोनों नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अतएव स्थिति को सम्हालने के लिए सोवियत प्रधान मन्त्री श्री कोसिगिन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारत के प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे युद्ध तत्काल बन्द कर दें। सोवियत प्रधान मन्त्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि यदि दोनों पक्ष समझौता-वार्ता करने को तैयार हैं तो सोवियत संघ अपनी भूमि पर शान्तिपूर्ण वातावरण में बातचीत करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करने को तैयार है। यदि दोनों पक्षों को समझौता के लिए सोवियत संघ की आवश्यकता पड़े तो वह इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है।

सोवियत संघ का यह सुझाव सोवियत कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कदम था। अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सोवियत संघ ने मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन दो राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ बनकर उनके आपसी ऋगड़ों को सुलझाने के सोवियत प्रस्ताव ने संसार को स्तब्ध कर दिया। अंग्ल अमेरिकी गुट में इस सुझाव पर छींटे उड़ाये गये और इसको उपहास्यास्पद बताया गया। अमेरिका और विशेषकर ब्रिटेन में यह विचार व्यक्त किया गया कि सोवियत संघ का यह प्रयास निरर्थक है और इसे कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः बात यह थी कि अभी तक इन दोनों देशों पर ब्रिटेन का कूटनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से इस प्रभाव का अन्त जरूरी सा था। अतएव पश्चिम के प्रेक्षकों ने इस प्रस्ताव को असफलता की भविष्यवाणी की।

सोवियत संघ के प्रस्ताव को भारत ने दूरत और कुछ आनाकानी के बाद पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। युद्ध बन्द हो जाने के बाद यह निश्चय हुआ कि ४ जनवरी १९६६ के सोवियत संघ के प्राचीन नगर ताशकन्द में भारतीय

प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति मिलें और समझौता का प्रयास करें। सोवियत संघ ने यह आश्वासन दिया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रधान मन्त्री कोसिजिन इस प्रयास को सफल बनाने में हर तरह की सहायता करेंगे।

४ जनवरी १९६६ की ताशकन्द "दूरमिथे भवन" में, जिसका अर्थ "तटस्थता भवन" है, भारत के प्रधान मन्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सोवियत प्रधान मन्त्री का शिखर-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। मसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको यह आशा थी कि ताशकन्द सम्मेलन सफल होगा। यात्रा प्रारम्भ करने पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह चुके थे कि काश्मीर के बिना भारत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। भारत के प्रधान मन्त्री ने भी कहा कि वे काश्मीर के प्रश्न पर किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। सोवियत संघ में भी समझौते के प्रश्न पर सन्देह प्रकट किया गया। 'तास' ने अपने विशेष समाचार में कहा कि दोनों देशों के विवादों को, जो लगभग अठारह वर्षों से विग्रह की स्थिति में है, सुलझाना आसान काम नहीं है। फिर भी, सम्मेलन शुरू होने के पहले प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने कहा कि "रूस की जनता की आशा है कि यह वार्ता सफल होगी।" सोवियत विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ताशकन्द का वायुमण्डल आशाप्रद है और उसमें फलदायक परिवर्तनों की आशा की जा सकती है।

पाँच दिनों की बातचीत के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि सम्मेलन किसी हालत में सफल नहीं हो सकता। पाकिस्तान काश्मीर का प्रश्न छठाने को जिद पर डटा हुआ था और भारत बातचीत करने से इन्कार कर रहा था। भारत का कहना था कि दोनों देशों को "युद्ध नहीं करो" की घोषणा करनी चाहिए। पाकिस्तान इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस हालत में जैसे जैत ताशकन्द वार्ता का अन्त करीब आता गया वैसे वैसे भारत पाकिस्तान में मतैक्य की आशा क्षीण होती गयी। ९ जनवरी की एक पाकिस्तानी प्रवक्ता ने पत्र प्रतिनिधियों के सामने यह घोषित कर दिया कि पाकिस्तान को 'भारत का युद्ध नहीं करो' का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि जबतक काश्मीर के प्रति पाकिस्तानी दावे का निबटारा नहीं हो जाता या इस दावे को निचटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर ली जाती, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं करेगा का कोई समझौता व्यर्थ होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता के कथन के बाद अपने प्रेस सम्मेलन में भारत के विदेश मन्त्रालय के सचिव श्री सी० एस० काने ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रस्ताव के दुबाराये जाने की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति एक दूसरे से काफी दूर है। उ होने कहा कि वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है।

सोवियत कूटनीति का जादू—११ जनवरी १९६६ को सवेरे यह प्रायः नश्चय हो गया था कि ताशकन्द वार्ता असफल हो गयी और सम्भवतः सम्मेलन अन्त पर एक सयुक्त विज्ञापित का निकालना भी कठिन है। लेकिन सोवियत कूटनीति अत्यन्त सक्रिय थी। ताशकन्द में सोवियत सघ के शीर्ष नेता मौजूद और २० जनवरी को उनके अथक प्रयास का फलस्वरूप गतिरोध टूट गया और १ बजे उध्या को यह सकेत मिलने लगा कि भारत और पाकिस्तान में किसी तरह का समझौता हो जायगा। १ बजे रात को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति अयूब खान तथा प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने प्रधानमन्त्री कोसिजिन की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। जो बात केवल शरह घंटे पूर्व असम्भव प्रतीत होती थी उसको सोवियत कूटनीति के जादू ने सम्भव बना दिया। ताशकन्द वार्ता की सफलता केवल प्रधान मन्त्री कोसिजिन की सफलता ही नहीं, वरन् पिछले कुछ वर्षों में सोवियत कूटनीति की सबसे महान् सफलता थी।*

सोवियत कूटनीति की सफलता के कारण —सभी भविष्यवाणियों के बावजूद ताशकन्द सम्मेलन सफल हुआ, इसका प्रमुख कारण है सोवियत कूटनीति की ईमानदारी और निष्पक्षता। यह बात सत्य है, जैसा कि सोवियत न्यूज एजेन्सी 'तास' ने कहा था कि—“यह बात सभी भली-भाँति जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में शत्रुता का बीज उपनिवेशवादियों द्वारा बोया गया है जो दोनों देशों की जनता को शान्ति और भेदहीन वातावरण में रहने देने के इच्छुक नहीं है।” सोवियत कूटनीति में इस तरह का कोई स्वार्थ नहीं था। उसने एक निष्पक्ष वातावरण में दोनों देशों के कणधारों को मिलाया और समझौता कराने में उनकी सहायता की जिसमें स्वार्थ की भावना का सर्वथा अभाव था। सोवियत नेताओं के सहानुभूतिपूर्ण आचरण तथा सद्भावना से सम्मेलन को सफल बनाने में सफलता मिली।

* The agreement which Prime Minister Shastri and President Ayub Khan signed at Tashkent on January 11 is not a triumph of Indian diplomacy. It is also not a triumph of Pakistani diplomacy. It is an outstanding triumph of Soviet diplomacy. At Tashkent, the Soviet Union emerged as a major factor in Asian affairs. It pushed aside China and kept off any western intervention. In bringing together India and Pakistan outside the pale of the Security Council the Soviet Union did something which the Security Council could not do and any other Big Power could not have hoped to do. For the first time over Kashmir, India and Pakistan have agreed to carry out certain obligations directly between themselves, and this is the measure of the Soviet Success.

—M Chalpathi Rao *The Tashkent Agreement* in *The Illustrated Weekly of India*—March 8, 1966, p 15

सोवियत कूटनीति की सफलता का एक और कारण था और यह कारण भौगोलिक था। सोवियत संघ यूरोप के साथ साथ एशिया का भी एक देश है और एशिया में शान्ति बने रहे यह उसके हक में भी अच्छा है। अतएव सोवियत नेताओं के कार्य एशिया में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से हुए। इस प्रकार का कार्य इमानदारी के साथ किया जाय तो उसमें सफलता का मिलना अवश्यम्भवी होता है।

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के कतिपय प्रेक्षकों का अनुमान है कि ताशकन्द सम्मेलन और भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में सोवियत संघ की दिलचस्पी उसके पाकिस्तान के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण का प्रतीक है। शुरु में सोवियत संघ पाकिस्तान से बड़ा रह था। इसके वह कारण थे पाकिस्तान सोवियत विरोधी सैनिक गुटों (सेंटो सीटो) का सदस्य था। उसने अपनी भूमि में अमेरिका को सैनिक अड्डा दे रखा था। सोवियत संघ इस बात को नहीं भूल सकता था कि इसी सैनिक अड्डों का पता लगाने के लिए भेजा गया यू० २ विमान पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डा से ही उड़ा था। अतः रावलपिंडी के प्रति सोवियत रूस का इस स्वाभाविक था।

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता। खश्चेव के पतन के बाद सोवियत संघ और पाकिस्तान के सम्बन्धों में भी सुधार होने लगा। इस सुधार के लक्षण १९६५ में प्रकट हुए जब उस वर्ष के अप्रैल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने रूस की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच अनेक व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक समझौते हुए। रूस की इस नीति में परिवर्तन आने का कारण सम्भवतः पाकिस्तान की चीन से बढ़ती हुई मैत्री थी। सोवियत संघ के लिए अमिष्ट नहीं था कि उसके एक पड़ोसी देश में उसके प्रति-

* With Tashkent, something altogether new has come into the world. The Tashkent episode will have an emotional impact on the relationship between the three great neighbours—India, Pakistan and Russia.

Kosygin was able to do what neither Harold Wilson nor Lyndon Johnson could have done. That is not because he is cleverer than they, but in the last analysis, because he is nearer.

Great Britain, in spite of the ties of the Commonwealth, has been helpless. The United States, in spite of its wealth and power, has been ineffective.

The critical advantage of Soviet Union has not been due to race, colour or culture but to geography. The Soviet Union can talk with authority about peace in Asia because it is a power with an Asian frontier of thousands of miles. —Hindustan Times January 8, 1966

स्पर्धा चीन के प्रभाव में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अनुभव हुआ कि सितों तथा सैंटो सघि सगठनों का सदस्य होते हुए भी यदि पाकिस्तान साम्यवादी चीन से घनिष्ठता बढ़ा सकता है तो सोवियत संघ के साथ भी उसकी मैत्री बढ़ सकती है।

इस पृष्ठाधार में दोनों देशों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ है। कश्मीर के विवाद में खुशचैव खुले रूप से भारत के साथ था। लेकिन १९६५ के भारत-पाकिस्तान संघर्ष और बाद में ताशकन्द सम्मेलन के समय सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर माना। राजनीतिक प्रेक्षकों का मत है कि यह पाकिस्तान के प्रति सोवियत संघ के बदलते हुए दृष्टिकोण का प्रतीक है। पाकिस्तान की तरफ सोवियत नीति में मैत्री पूर्ण रुख अपनाये जाने के मूल में यह उद्देश्य निहित प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को अपना मित्र बनाकर वह उस पर चीन और अमेरिका के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभावकारी दग पर अकुश लगाना चाहता है। अप्रैल १९६८ में प्रधान मंत्री कोसिजिन ने पाकिस्तान की यात्रा की। यद्यपि इस यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विवादों पर दोनों के दृष्टिकोणों में महान् अन्तर स्पष्टतया दिखायी पड़ा, लेकिन यह मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ हो।

अरब-इजरायल युद्ध और सोवियत संघ— जून १९६७ के अरब-इजरायल संघर्ष में सोवियत संघ ने अरब राज्यों का खुलकर समर्थन किया और उसका रुख निश्चय ही इजरायल विरोधी रहा। इजरायल की स्थापना के समय सोवियत संघ का रुख कुछ दूसरा ही था। जिस समय इजरायल की स्थापना हुई उस समय सोवियत-संघ ने उसको तत्काल अपनी मान्यता प्रदान की। १९४८ के फिलीस्तीन संघर्ष में भी उसने इजरायल का समर्थन किया था और अरब राज्यों के आक्रमण को अनुचित तथा अन्यायपूर्ण बतलाया था। बाद में जब सोवियत संघ ने यह अनुभव किया कि मध्यपूर्व के अरब राज्यों में समाजवादी क्रान्ति सम्भव हो सकती है और वहाँ सोवियत प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया और अरब-इजरायल सम्बन्ध के प्रति उसकी नीति बदल गयी। अरब-इजरायल विवाद में उसने अरबों को नैतिक समर्थन देना शुरू किया और बाद में सैनिक सहायता भी दी गयी। १९५५ और १९६७ के बीच अरब राज्यों को सोवियत संघ से बहुत बड़ी मात्रा में सामरिक साजो-सामान प्राप्त हुए। मिस्र और सीरिया की सेनाओं को सोवियत विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाने लगा। १९५६ के स्वज-सकट के समय सोवियत संघ ने इजरायल आक्रमण की चड़ी कड़ी आलाचना की और अरबों का पूर्ण समर्थन किया।

१९६७ के सकट के समय सोवियत सघ बड़े पेशोपेश में पड़ा रहा। युद्ध शुरू होने से पहले उसने स्पष्ट रूप से अरबों का समर्थन किया था। इजरायल का कहना है कि सोवियत सघ के प्रचार अभिकरणों ने इजरायल के सम्बन्ध में जिन बातों का प्रचार किया वे अरब राज्यों का उभाड़नेवाली थी। ९ जून १९६७ को राष्ट्रपति नासिर ने कहा कि "सोवियत सघ में हमारे मित्रों ने पिछले माह के प्रारम्भ में ही मास्को गये ससदीय प्रतिनिधि मंडल को यह चेतावनी दी थी कि (इजरायल में) सीरिया के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनायी जा रही है। इसके पूर्व २८ मई, १९६७ को सोवियत सघ के मार्शल ग्रेचको ने कहा "सोवियत सघ, उसकी सशस्त्र सेना, उसकी जनता और सरकार अरबों के साथ है और उनको निरन्तर प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान करती रहेंगी। हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और हम तुम्हें सहायता प्रदान करते रहेंगे क्योंकि यह सोवियत राष्ट्र की, उसके दल की तथा उसकी सरकार की नीति है। सुरक्षा मंत्रालय की ओर से तथा सोवियत राष्ट्र के नाम पर हम तुम्हारी सफलता और जीत की कामना करते हैं।"

इस प्रकार का कथन युद्धरत राष्ट्रों को भड़काने के लिए पर्याप्त होता है। जून १९६७ में जब सघर्ष शुरू हो गया तो सोवियत सघ इस क्षेत्र में विश्व युद्ध का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार था यदि साम्राज्यवादी शक्तियाँ इजरायल का पक्ष लेकर अरब राज्यों पर आक्रमण कर देती। फिर भी इस सम्भावना को ख्याल में रखते हुए उसने अपने कई युद्धपोतों को भूमध्यसागर में ला छोड़ा। अरब देशों की जनता को यह विश्वास था कि घुरे समय में सोवियत सघ अरबों का साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त अरब गणराज्य और सीरिया फिटते रहे लेकिन सोवियत सघ ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस कारण बहुत क्षेत्रों में सोवियत सघ पर आक्षेप किये गये कि कोई मित्र राज्य उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह का आरोप सर्वथा निराधार है। सोवियत-सघ का इस युद्ध में कूदना तोमरे विश्व युद्ध की निमन्त्रण देना था। वह इसकी जोखिम भी उठा सकता था, लेकिन सोवियत-सघ का इस्तक्षेप तभी उचित होता जब अमेरिका और ब्रिटेन भी पुलमखुल्ला इजरायल का पक्ष लेकर लड़ते। अरब देशों का कहना है कि इजरायल को अमरीकी और ब्रिटिश सहायता मिली थी, लेकिन सोवियत सघ ने इस बात को नहीं माना था।

फिर भी, सोवियत-सघ को अपनी स्थिति का पता था। वह जानता था कि अरब जगत् या अन्य क्षेत्रों में उसकी नीति और इरादों का गलत अर्थ लगाया जायगा और उसे बदनाम करने का प्रयास किया जायगा। अतएव कूटनीतिक स्तर पर सोवियत-सघ ने इजरायल के खिलाफ बड़ा कड़ा रुख अपनाया। सुरक्षा-परिषद् में सोवियत प्रतिनिधि बार बार इजरायल को आक्रामक कहता रहा। बार में

इजरायल ने युद्ध जारी रखा तब सोवियत सरकार ने इजरायल को चेतावनी दी कि यदि वह युद्ध नहीं बन्द करता है तो इजरायल की आधिक नाकबन्दों की जायगी और सम्भवतः सोवियत गुट के देश उसके साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध भी तोड़ ले। इजरायल पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और युद्ध विराम मान लेने पर भी सीरिया पर उसकी आक्रामक कार्रवाई जारी रही। इस हालत में सोवियत संघ ने इजरायल के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिया। समाजवादी खेमा के अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया।

इजरायल के साथ सोवियत संघ का कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लेना ही पर्याप्त नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि पश्चिम एशिया में सोवियत कूटनीति असफल रही है। वहाँ ऐसा विश्वास होने लगा कि सोवियत संघ शाब्दिक सान्त्वना से अधिक उन्हें कुछ नहीं दे सकता है, जबकि अमेरिका का बेवाक हाथ इजरायल की पीठ पर है। चीन के प्रचार ने इस बात पर विशेष बल दिया और उसकी ओर से सोवियत-संघ को बदनाम करने के भरसक प्रयास किये गये। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सोवियत-संघ अपनी स्थिति को फिर से कायम करने के लिए काफी परेशान हुआ। अरब देशों ने अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए और इस आशा से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा दूसरे दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करे, सोवियत संघ ने साधारण सभा के आपातकालीन अधिवेशन बुलाने की माँग की और प्रधानमंत्री कोसिजिन स्वयं इसमें भाग लेने के लिए न्यूयार्क पहुँचे। सभा में उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव रखा जिसमें इजरायली आक्रमण की निन्दा की गयी थी तथा हस्तगत अरब क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने की माँग की गयी थी। कोसिजिन का कहना था कि जबतक इजरायल की सेनाएँ इन क्षेत्रों में बनी रहेंगी उस समय तक किसी भी क्षण पश्चिमी एशिया में युद्ध छिड़ सकता है। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए जब इजरायल के विदेश मंत्री अब्बा इवान ने सोवियत नीति की घोर निन्दा की तो सोवियत प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही सभा का बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गये।

पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बाद २२ जून, १९६७ को सावित्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति नासिर के साथ राजनीतिक तथा कूटनीतिक बातों के लिए काहिरा पधारे। आगमन के समय हवाई अड्डे पर सोवियत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि "हम विजय प्राप्त करने तक लड़ते रहेंगे"। माशल जखारोव के नेतृत्व में एक रूसी सैनिक प्रतिनिधिपण्डल भी मिय पटुचा तथा युद्ध के बाद अरब का गणराज्य की सुरक्षात्मक आवश्यकताओं का अध्ययन किया। इन सब बातों के बाद यह आशा दी गयी कि सोवियत संघ संयुक्त अरब गणराज्य का इतना आधुनिकतम सामरिक साधन सौदेगा तारि ह'जगत दिये गये क्षेत्रों से इजरायल का हटा सके

तथा भविष्य में उसके आक्रमण की सम्भावनाओं को रोका जा सके। इसके बाद संयुक्त अरब गणराज्य को अपार मात्रा में सोवियत संघ से सैनिक सहायता मिली है। फिलहाल सोवियत संघ अरब राज्यों का पूरा समर्थन कर रहा है। उसकी सारी सहानुभूति अरबों के साथ है।

सोवियत संघ का वियतनाम

१९६२ के बाद ख्रुश्चेव ने वियतनाम के प्रश्न में दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया था, हालांकि वह वियतनाम का समर्थक और अमरीकी हस्तक्षेप का विरोधी था। वियतनाम के प्रति सोवियत संघ की इस तटस्थतावादी नीति के मूल्य में चीन के साथ सैद्धान्तिक मतभेद था। ख्रुश्चेव का कथन था कि वियतनाम संघर्ष में उत्तरी वियतनाम और वियतनाम को सहायता देने का अर्थ अन्ततः चीन को सहायता देना तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सम्को प्रबल बनाना था, क्योंकि वियतनाम के कम्युनिस्ट चीन के प्रभाव में थे। फिर, यदि सोवियत संघ वियतनाम में सम्झौता कराके शान्ति स्थापित करने का यत्न करता तो वह चीन को अपने विरुद्ध यह प्रचार करने का अवसर प्रदान करता कि मास्को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में साम्यवादी देशों को सहायता नहीं कर रहा है तथा वह उनका नेतृत्व करने की योग्यता नहीं रखता। इसे साम्यवादी जगत में रूस बहुत बदनाम हो जाता। रूस ऐसी किसी भी स्थिति को ठीक नहीं मानता था। अतः ख्रुश्चेव ने इस प्रश्न पर कम से कम दिलचस्पी लेना ही उचित समझा।

परन्तु १९६४ में अमेरिका द्वारा वियतनाम में खुले सैनिक हस्तक्षेप के बढ़ जाने से सोवियत संघ वियतनाम के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गया। सोवियत संघ के प्रधान मंत्री कोसिजिन ने यह घोषणा की (जनवरी १९६५) कि 'चूँकि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के सैनिक ठिकानों पर बम वर्षा करने का निश्चय किया है, अतएव सोवियत संघ उत्तर वियतनाम को अपने बचाव के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। उसी महीने में प्रधान मंत्री कोसिजिन हनोई पहुँचे। जब स्पष्ट हो गया कि सोवियत नेता दक्षिण पूर्व एशिया में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे। इसके बाद ही उत्तर वियतनाम में सोवियत संघ से प्रचुर मात्रा में जेट विमान तथा भूमि से आकाश में फेंके जाने वाले प्रक्षेपणास्त्र पहुँचने लगे। १३ अप्रिल, १९६७ को वियतनाम और सोवियत संघ में सैनिक सहायता देने की बात पर एक सम्झौता हुआ और उत्तर वियतनाम को लगातार सोवियत संघ से सैनिक सहायता मिलती रही। सोवियत संघ ने वियतनाम में अमरीकी नीति की वट्टु आलोचना की है। ३२ मार्च को जब राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में बमबारी को सीमित करने की घोषणा की तब सोवियत संघ ने इस्को पहली

अप्रिल का मजाक कहा। उसकी कहना है कि जॉनसन की घोषणा से उत्तर वियतनाम की मांगें पूरी नहीं होती। फिर भी समझौता-वार्ता के लिए सोवियत सघ पूरी सहायता देने के लिए तैयार है।

पश्चिम के प्रति सोवियत सघ का नया रुख

सुरुच। के बाद की सोवियत विदेश नीति में पश्चिम के प्रति किसी विशेष र्ण वर्तन का संकेत नहीं मिला है। अक्टूबर १९६६ में सोवियत विदेश मन्त्री ग्रीनिको ने अमरीकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर निरशंकाकरण और वियतनाम के प्रश्न पर बातचीत की, यद्यपि उनमें किसी प्रकार का मतभेद प्रकट नहीं हो पाया। अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा सोवियत प्रधान मन्त्री कोसिगिन को अपने देश आने का निमन्त्रण दिया गया और यह भी संकेत किया गया कि बसले में यह रुख की यात्रा के निमन्त्रण का स्वागत करेंगे। जून १९६७ में हुए अरब इजरायल सघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुए पश्चिमी एशियायी संकट पर संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा का जो अधिवेशन जून १९६७ में हुआ उसमें भग लेने के लिए सोवियत प्रधानमन्त्री कोसिगिन स्वयं उपस्थित हुए। इस मौक स लाभ उठाकर र्नासबरो में दोनों नेताओं ने घण्टों एक-एक में मन्त्रणा की। वियतनाम और पश्चिमी एशिया पर मुख्य रूप से वैचारिक आदान प्रदान हुआ तथा निशंकाकरण और परमाणु शक्ति के विस्तार के सवाल भी बहूते नहीं रहे। मुलाकात के बाद परमाणु अस्थी के विस्तार पर रोक लगाने के बारे में दोनों पक्षों की ओर से अनुकूल वातावरण बन सकने की बात कही गई।

दोनों नेताओं की पारस्परिक वार्ता और दोनों राष्ट्रों की एक दूसरे के प्रति सयम बरतने की कूटनीति से यही सागत है कि आधुनिक विश्व की राजनीति में सोवियत रुख और साम्यवादी चीन की अपेक्षा सोवियत रुख और संयुक्त राज्य अमरीका एक दूसरे के अधिक नबदीक अने लगे हैं तथा विचार विनिमय द्वारा समस्याओं के हल का प्रयास करने लगे हैं। किन्तु यह स्थिति वागे क्व तक बनी रहेगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रेमलिन में यूरोप के साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की जून १९६७ में हुई बैठक में सोवियत नेताओं की इस बात के लिए बटु आलोचना की गई थी कि व अमरीका और अनेक पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति उदार नीति को अरना रहे है।

सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन

सोवियत सघ की विदेश नीति विरोधकर स्टालिन के नीति आज विश्व शान्ति की स्थायी और सुरक्षित बनने के लिए

तत्त्व साबित हो रहा है। उसने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का जो नारा फिर से बुझाने का प्रयास किया है उसका प्रभाव आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता दिखायी पड़ रहा है। लेकिन इस बात पर आज विद्वानों और कुशल प्रेक्षकों के बीच धोर मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि रूस के सह-अस्तित्व का नारा एक ढोंग है जो तटस्थ राष्ट्रों को अपना समर्थक बनाने के लिए रचा गया है। रूस वास्तव में नहीं बल्कि दिखलाने के लिए शान्तिवाद के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है। कुछ दूसरे समीक्षक इसको सोवियत व्यवस्था में सन्निहित दुर्बलताओं और अन्तर्विरोधों का परिचायक मानते हैं। कुछ और लोगों का कहना है विश्व क्रान्ति में रूस का उत्साह नन्द पड़ गया है। इसीलिए सोवियत संघ अधिक उदारवादी हुआ है और नयी विदेश नीति का निर्धारण साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित न होकर वस्तु स्थिति पर आधारित है। प्रोफेसर टायननो ने साम्यवादी आन्दोलन की दलना इस्लाम के साथ की है। उनके मताधिकार साम्यवाद इस्लाम की तरह सैनिकवादी आन्दोलन और उग्र प्रचार है जो अब शिथिल पड़ता जा रहा है। इस्लाम के प्रारम्भिक अनुयायियों ने मजहबी जोश में आकर अनेक देशों को जीतकर जख्म लागों को मुसलमान बनाया। पर कालान्तर में उनका जोश मन्द पड़ गया और दूसरे धर्मों के साथ समझौता करने के लिए वे विवश हो गये। उसी प्रकार उग्र प्रचार और अप्रत्याशित प्रसार के बाद साम्यवाद के अनुयायियों का जोश भी अब ठण्डा पड़ गया है और वे शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का बात करने लगे हैं। किन्तु प्रोफेसर रावर्ट आर्त्स हुपे टायननो के इस विचार से सहमत नहा है। उन्हीं के शब्दों में—
 “इस्लाम के उत्साह में मन्दता कई शताब्दियों के बाद लाखों व्यक्तियों को मुसलमान बनाने और मारने के बाद विरोधी शक्तियों के प्रबल होने से आयी थी। साम्यवाद में अभी ऐसी कोई अवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती।”

सोवियत संघ के सह अस्तित्व के नारे पर इस तरह के कई विचार प्रकट किये गये हैं और भविष्य में भी किये जायेंगे। पर इन सबों में अमरीकी दृष्टिकोण अत्यन्त हास्यास्पद है। इसके अनुसार सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था क्षिप्र भिन्न हो रही है। रूस में उदारवादी प्रवृत्ति का अभ्युदय तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का नारा इसी आर्थिक विघटन का परिणाम है। पर यदि तथ्यों के आधार पर इस दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाय तो यह निराधार प्रतीत होता है। शान्ति के लिए सोवियत संघ का प्रयास उसकी दुर्बलता का परिचायक नहा है। सैनिक दृष्टि से आज का सोवियत संघ ५ सार का सबसे शक्तिशाली देश है। आर्थिक क्षेत्र में भी उसने पहले की अपेक्षा अधिक प्रगति की है। सोवियत संघ के सामाजिक जीवन का स्तर भी उँचा उठा है। अतएव स्टालिनोत्तर सोवियत विदेश नीति का अध्ययन हमें इन सभी आर्थिक, सामाजिक और सामरिक परिवर्तनों की


पृष्ठभूमि में करना होगा। पिछले पन्द्रह वर्षों में सोवियत संघ ने जो प्रगति की है उसके फलस्वरूप सोवियत नागरिकों और नेताओं को अपनी साम्यवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता में अटूट विश्वास कायम हो गया है। इसके साथ ही वे यह भी समझने लगे हैं कि संसार के लोगों के सामने इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए युद्ध का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। यह श्रेष्ठता शान्तिमय वातावरण में आप ही आप सिद्ध हो जायगी। वर्तमान सोवियत विदेश नीति, और उसके शांतिपूर्ण सह जीवन का मूल सिद्धान्त इसा विश्वास पर आधारित है।

विश्व-राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका

(१) यूरोप

विश्व-राजनीति में यूरोप की स्थिति—आज से केवल पच्चीस तीस वर्ष पहले यूरोप अन्तर्ग्राहीय राजनीति की सभी गतिविधियों का केन्द्र था। सभार की सभी समस्याओं का समाधान लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम इत्यादि राजधानियों में बैठे बैठे हो जाता था। लेकिन आज ये सब जगह ऐतिहासिक स्थान हो गये हैं। कभी कभी इन जगहों के नाम अखबार के प्रथम पृष्ठ पर छप जाते हैं, लेकिन उनका पुराना महत्त्व अब समाप्त हो चुका है। आज यूरोप के देश जर्जर होकर पस्त पड़े हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से उनको इतनी अपार क्षति पहुँची कि वे अपने को संहाल नहीं पा रहे हैं। एशिया और अफ्रिका के उनके अधिकांश उपनिवेश समाप्त हो चुके हैं और जो बच रहे हैं, वे बौद्ध बन गये हैं। बहुत दिनों तक सारा पश्चिमी यूरोप अमेरिका पर आश्रित था। यदि अमेरिका कुछ समय के लिए अपनी सहायता बन्द कर देता तो इन देशों की आँखों के सामने अंधेरा छा जाता था। युद्ध काल में परिवर्तन हो जाने के कारण इनका महत्त्व और भी गौण पड़ गया है। पश्चिमी यूरोप देशों को, ब्रिटेन और सोवियत मात्रा से फ्रांस को छोड़कर, न तो परमाणुबम है और न द्रुतगामी वायुयान ही। सामरिक दृष्टि से वे साधारण शक्ति हो चुके हैं। जिस यूरोप ने कभी सभार पर शासन किया वह अब जर्जर होकर लड़खड़ा रहा है। सभार का शक्ति-सन्तुलन अब उनके ऊपर निर्भर नहीं करता। उनकी आन्तरिक स्थिति अब इतनी खराब हो गयी है कि सब के सब अब अपने घर की संहालने में ही व्यस्त हैं। अन्तर्ग्राहीय राजनीति की दृष्टि से यूरोप का स्थान उपक्षिप्त हो गया है। युद्ध के बाद सोवियत सघ और सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख शक्तियों के रूप में उत्कर्ष पश्चिम यूरोप के देशों को व्यथित करने लगा है। इन दो नवीन महाशक्तियों के बीच में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के लिए व्याप्तरक्षा और सशान्ति का विकृत प्रश्न उपस्थित हो गया है। परन्तु इन देशों को सबसे अधिक भय सोवियत साम्यवाद से लगता है। इस भय के निराकरण के लिए इन राज्यों ने अब अपना आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण आवश्यक समझा है।

युद्ध के बाद यूरोपीय एकता का आन्दोलन सर्वप्रथम बर्लिन ने चलाया। १९५६ में ज्यूरिच में नयी परिस्थिति का विश्लेषण करत हुए उसने कहा 'इसका सर्वोत्तम उपाय क्या है? इलाज एक यूरोपीय परिवार की रचना है और उसे एक ऐसा ढाँचा प्रदान करना है जिसके नियंत्रण में यह शान्ति, सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता



विश्व
राजनीति
में
यूरोप
एशिया
और
अफ्रीका

के साथ रह सके । हमें एक प्रकार का "यूरोप का संयुक्त राज्य" कायम करना चाहिए । केवल इसी मांग का अनुसरण करके करोड़ों मेहनतकशों का उन्नत प्रसन्नता और आशाओं की उपलब्धि हो सक्ती जिनसे रहने योग्य जीवन का निर्माण होता है ।"

संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऐसे संगठनों को आवश्यक समझता था । ५ जून १९४४ को अमरीकी विदेश सचिव माशल ने पश्चिमी यूरोप के देशों से यह अनुरोध किया कि वे अपनी आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आपस में एकता स्थापित करें । उसने आश्वासन दिया कि इस काम में अमेरिका उन्हें सहायता देने के लिए तैयार है । इन वक्तव्यों से प्रेरणा लेकर जनवरी १९४८ में ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविन् ने यूरोप के एकीकरण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसके फलस्वरूप पश्चिमी देशों में विभिन्न क्षेत्रों में सहायता स्थापित कराने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ तैयार की गयीं । इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन—१६ अप्रिल, १९४८ को यूरोप के १७ राष्ट्रों ने पेरिस में एक बैठक बुलाकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (Organisation for European Economic Co-operation) का निर्माण किया । इसमें यूरोप के अठारह राज्य सम्मिलित हैं । इसका उद्देश्य इसके सदस्यों को ऐसी सहायता करना था जिससे वे बाह्य सहायता के बिना अपने आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक स्तर तक पहुँचा सकें, अपना उत्पादन बढ़ायें, अपने औद्योगिक समस्याओं तथा कृषि व्यवस्था का विकास और आधुनिकीकरण करें, व्यापार का विस्तार कर, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को घटाएँ, तथा अपनी अर्थव्यवस्था और सुत्रापद्धति को सुदृढ बनाएँ । इसके निर्माण का उद्देश्य माशल योजना अथवा यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जावेवाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाना था । १९५३ के बाद से इस संगठन ने व्यापार, उत्पादन वृद्धि तथा अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं ।

१९६० में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को इस संस्था में सम्मिलित करने के लिए इस संस्था का पुनर्गठन कर इसका नाम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development) रखा गया । इसके कार्य सच लन के लिए एक परिषद् तथा एक कार्य समिति है । इसका प्रधान कार्यालय पेरिस है ।

यूरोपीय कौंसिल— ५ मई १९४९ को अपने सामान्य आदर्शों तथा सिद्धांतों की सुरक्षा के निमित्त सदस्यों के बीच अधिकतम एकरा कायम करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को प्राप्ताहित करने के लिए यूरोपीय कांसिल (Council

of Europe) को स्थापना हुई। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, नावे, स्वीडन, निडरलैंड आदि इसके सदस्य थे। फिर तुर्की, यूनान, आयरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रिया तथा १९६१ में साइप्रस को भी इसकी सदस्यता दे दी गयी। इसका प्रधान कार्यालय स्ट्रासबर्ग में है। इसको एक मन्त्रपरिषद् और एक परामशदात्री समा है।

यूरोपीय अबापणी सघ—सितम्बर १९५० में इस सघ की स्थापना हुई और यह यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन से सम्बद्ध था। इसका प्रयोजन अन्तर यूरोपीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना था। इसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और अनायासियों के मुक्तान में बड़ी सुविधा मिली। २७ दिसम्बर, १९५८ को जब पश्चिमी यूरोप की मुद्रा व्यवस्था में सगठनात्मक परिवर्तन किये गये तो इसका अन्त कर दिया गया।

यूरोपीय कोयला एव हस्त्रात समुदाय—१९५० में फ्रांस के विदेश मन्त्री शुमों के प्रस्ताव के आधार पर १० अगस्त १९५२ को यूरोपीय कोयला एव इस्पात समुदाय (European Coal and Steel Community) को स्थापना की गयी। १८ अप्रिल १९५१ को बेल्जियम, निडरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये और समुदाय का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होने वाली प्रतिस्पर्धा को दूर कर एकता स्थापित करना है। इसमें सम्मिलित देशों को कोयला तथा इस्पात के साधनों को समान शर्तों के आधार पर पहुँचने की सुविधा है सदस्य-राज्यों के लिए एक सम्मिलित बाजार को व्यवस्था की गयी है। उक्त वस्तुओं पर लगनेवाले ऋई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेद पूर्ण नीति का वहिष्कार कर दिया गया है।

यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय—१ जनवरी, १९५८ को यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय (Euratom) नामक संस्था कायम हुई। इसके सदस्य हैं फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, इटली, निडरलैंड और लक्जमबर्ग। यह संस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य करती है। सदस्य राज्यों में पाये जानेवाले यूरेनियम और थोरियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होता है और वही बिना किसी भद्र भाव के इसका वितरण अणुशक्ति प्रतिष्ठानों के बीच करता है। इस समुदाय को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समर्थन भी प्राप्त है। इसका कार्य प्रचालन एक आयोग क द्वारा होता है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय—उपरोक्त छ राष्ट्रों ने २५ मार्च १९५७ को रोम की एक बैठक में कायना और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का भी एक सम्मिलित बाजार कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, व्यावसायिक नीति के एकीकरण आदि के उद्देश्य से एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके

१ जनवरी, १९५८ को यूरोपीय आर्थिक नामक संस्था की नींव पड़ी। पीछे चलकर इसका नाम यूरोपीय सम्मिलित बाजार (European Common Market) पड़ा।

यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद—१९५९ को ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, नार्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद (European Free Trade Association) कायम किया। १९६१ में फिनलैंड भी इसमें सम्मिलित हो गया। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार की कठिनाइयों को दूर कर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सरादनों पर लगनेवाले अन्तरिक करों में क्रमशः कमी करना तथा अन्ततः उठाना है। इसके योजनानुसार १९७० तक सभी आयात कर तथा वाणिज्य शुल्क उठाने का लक्ष्य रखा गया। यह समस्त पश्चिमी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत लाना चाहता है। इसके कार्य-संचालन के लिए एक मन्त्रि परिषद् है और इसका प्रधान-कार्यालय जेनेवा में है।

ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति

वर्तमान विश्व की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के अतिरिक्त शक्ति स्तर पर जिस देश का स्थान है, वह निश्चय ही ग्रेट ब्रिटेन है। लेकिन विश्व राजनीति में उसका वह पुराना महत्त्व अब नहीं रह गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वह संसार का सबसे महान् देश था। दुनिया के हर कोने में उसके उपनिवेश थे। ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें सूर्य कभी नहीं डबता था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के इस सर्वोपरि स्थान को सदा के लिए समाप्त कर दिया। युद्ध के पूर्व अपने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा करना तथा यूरोप में शक्ति-सन्तुलन की स्थापना करना ब्रिटिश विदेश-नीति की दो विशेषताएँ थीं। लेकिन वर्तमान विश्व राजनीति में ब्रिटेन के पास न तो बड़ा साम्राज्य ही रहा और न शक्ति सन्तुलन कायम रखने का सामर्थ्य ही अतः उसने शान्तिकाल में ही सुरक्षा रणियों की व्यवस्था निर्माण करना आरम्भ कर दी।

ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका—संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन ने घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न किया है। दोनों के बीच गहरे बन्धन कायम हुए। एक बार चर्चिच ने कहा था कि 'हमारे अस्तित्व की सम्पूर्ण नींव संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सन्धि, मित्रता तथा बढ़ती हुई भाईचारे की भावना पर आधारित है।' वस्तुतः युद्ध के बाद ब्रिटेन की दयनीय आर्थिक दशा ने उसको अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य कर दिया। अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उसने मासुल योजना को स्वीकार किया और उससे अन्ततः पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसके बाद उसने टूमैन सिद्धान्त को भी मान लिया।

सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध प्रारम्भ हुआ उसमें ब्रिटेन ने अमेरिका का पूरा पूरा समर्थन किया।* यद्यपि ब्रिटेन अमेरिकी गुट में एक सहायक के रूप में रहा, फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि पाश्चात्य जगत् का नेतृत्व अब ब्रिटेन के हाथ में नहीं है। अतः अमेरिका के साथ रहने के कारण ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुँचा है। उसका साम्रज्य लुप्त होता गया और अनेक स्थानों पर उसका स्थान सयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे पुराने ब्रिटिश डोमिनियनों ने राष्ट्रमण्डल से बाहर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ पेंट गनना उचित समझा। पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटेन के चले जाने से जो शक्ति रिक्तता पैदा हुई उसे अमेरिका ने भरा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन चार शक्तियों का जर्मनी में अधिकार हुआ था उनमें से एक घेरे ब्रिटेन भी था। पश्चिमी जर्मनी में अपने भाग का शासन चलाते समय उसने फ्रांस तथा अमेरिका के साथ पूरा पूरा सहयोग किया। निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सभी वार्ताओं में ब्रिटेन और अमेरिका की नीति में सामान्यतः सामंजस्य रहा और लन्दन ने वाशिंगटन को पूर्ण समर्थन दिया। सितम्बर, १९५८ में ब्रिटेन ने सयुक्त राज्य अमेरिका आस्ट्रेलिया फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान फिलिपाइन्स, थाइलैंड आदि के साथ द्वारस्परिक सहायता और सामूहिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर करके सिटो को जन्म दिया। ब्रिटेन ने १९५७ में प्रतिपादित आइसनहावर सिद्धान्त के प्रयोग में अमेरिका का जबरदस्त समर्थन किया और जोर्डान में उसने स्वयं इस सिद्धान्त का प्रयोग किया।

इन दोनों के बीच इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी दोनों विश्व के विभिन्न मसलों पर कभी कभी विपरीत दृष्टिकोण भी रखते आ रहे हैं और अपने तीव्र मतभेदों को व्यक्त करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच मतभेद कई बातों पर हैं, लेकिन कुछ मुख्य बात निम्नलिखित हैं।

ब्रिटेन चीन के साथ समझौते पूर्ण रवैया अपनाना चाहता है। इसी कारण उसने अमेरिका के विरोध के बावजूद साम्यवादी चीन का सन्ध्या दी और उसका

* द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन की नीति दयार्थवादी रहा। उस समय उसने कुछ ऐसा व्यवहार जबरन किया था ताकि पश्चिम के साथ सोवियत संघ का सहायक सम्भव बन सके। ब्रिटेन के लोगों ने सोवियत संघ के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण एवं व्यवहार का आलोचना की। ब्रिटेन का दाना प्रमुख राजनीतिक पाटिया इस बात पर एकमत थी कि सोवियत संघ एक अन्य साम्यवादी देश के साथ सहायक सम्बन्ध स्थापित हो। यही कारण है कि ब्रिटेन ने सोवियत संघ तथा उसके गुट के अन्य देशों के साथ विस्तृत व्यापारिक सम्बन्ध कायम रखने का नीति का अपनाने का मुकाम दिया। लेकिन जापिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन सयुक्त राज्य अमेरिका पर इस हद तक जाति हो गया था कि अमेरिका का विरोध वह एकदम नहीं कर सकता था।

विचार है कि चीन को सयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने दिया जाय। उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भी अमरीकी दख क प्रति ब्रिटेन में असन्तोष रहा है। उसका मत है कि हिन्द चीन, उत्तरी अफ्रिका, पश्चिमी एशिया आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश लक्ष्यों और हितों क प्रति अमरिका का रुख विशेष सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। १९५६ में जब राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया और ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा इस सम्बन्ध में जो आक्रामक नीति अपनायी गयी उसका भी समर्थन अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने मिस्र की भूमि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौज के प्रवेश का घोर विरोध किया।

ब्रिटेन ने भी कई बार अमेरिका को आक्रामक नीति पर अकुश लगाने का यत्न किया है। कोरिया युद्ध (१९५१-५२) में जब अमेरिका हारने लगा तो उसने अणुबम के प्रयोग का निश्चय किया। ब्रिटेन ने दवाव डालकर अमेरिका के इस इरादे को कार्यान्वित होने से रोका। १९६३ क ब्यूबा सक्ट में भी ब्रिटेन ने अमेरिका को समय से काम लाने की चेतावनी दी। वियतनाम युद्ध के सम्बन्ध में भी ब्रिटेन का रुख अमेरिका की अपेक्षा अधिक नरम रहा है। १९६७ के अरब इजरायल संघर्ष में भी ब्रिटिश और अमरीकी नीतियों में सामीप्य नहीं था।

सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को दृढ़ करने के अतिरिक्त ब्रिटेन ने अन्य पश्चिमी देशों को भी साथ लाने की कोशिश की और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने क्षेत्रीय योजनाओं का विकास किया। इस नीति पर चलते हुए ४ मार्च, १९४७ को ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य डन्कर्क की सन्धि हुई जिसका उद्देश्य घावी जर्मन आक्रमणों क विरुद्ध एक-दूसरे की सहायता करना था। इसके बाद १७ मार्च, १९४८ को ब्रिटेन ने बेल्जियम, निदरलैंडस, लक्जमबर्ग और फ्रांस के साथ मिलकर ब्रुसेल्स सन्धि की। इस सन्धि ने पश्चिमी यूरोपीय संघ की जन्म दिया। इसके द्वारा यह निश्चय हुआ कि यदि हस्ताक्षर कर्ता देशों में से किसी एक पर सैनिक आक्रमण हुआ तो अन्य देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा ५१ के अन्तर्गत आक्रान्त देश की सहायता करेगे। इसके पश्चात् नाटो की रचना हुई जिसका ब्रिटेन एक प्रभावशाली सदस्य बना। नाटो में सम्मिलित होकर ब्रिटेन ने सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ खुला सैनिक गठबन्धन कर लिया और साम्यवाद के खिलाफ जेहाद में अमेरिका का विचारसपात्र सहयोगी बन गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसने कई यूरोपीय संगठनों को कायम करने में हाथ बँटाया। इन संगठनों की चर्चा इस पुस्तक में पहल ही की जा चुकी है।

ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बाजार— जनवरी, १९५८ में बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंडस तथा लक्जमबर्ग को मिलाकर एक यूरोपीय साझा

बाजार (European Common Market) की स्थापना हुई। शुरू में ब्रिटेन मुख्यतः तीन कारणों से इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। सर्वप्रथम, उसे इसकी सफलता में बड़ा सन्देह था। द्वितीयतः, राष्ट्रमण्डल के देश नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन इस साम्राज्य बाजार में शामिल हो। इस हालत में राष्ट्रमण्डलीय देशों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तृतीयतः, विश्व में अपनी स्थिति ऊँचा बनाये रखने के लिए ब्रिटेन किसी ऐसे सगठन में सम्मिलित होना नहीं चाहता था जिसमें वह अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सके।

यूरोपीय साम्राज्य बाजार में नहीं शामिल होने का नतीजा ब्रिटेन के लिए बड़ा बुरा सिद्ध हुआ, इसका कुप्रभाव उसकी अर्थ व्यवस्था पर पड़ने लगा। इससे बचने के लिए ब्रिटेन ने एक यूरोपीय मुक्त व्यापार सघ (European Free Trade Association) कायम किया। लेकिन यह सघ यूरोपीय साम्राज्य बाजार का सुकाबला नहीं कर सका। ब्रिटेन का यूरोपीय बाजार सङ्कुचित होने लगा। यूरोप के साथ उसका निर्यात व्यापार घट गया, उसकी कृषि-वस्तुओं की मंडी समाप्त हो गयी और यह शका व्यक्त की जाने लगी कि यूरोप के साथ उसका सारा व्यापारिक सम्बन्ध टूट जायगा। इस हालत में ब्रिटेन अब यूरोपीय साम्राज्य बाजार में सम्मिलित होने के लिए यत्न करने लगा। लेकिन फ्रांस ने उसके प्रवेश का कड़ा विरोध किया। इसका कारण यह था कि यदि ब्रिटेन साम्राज्य बाजार में सम्मिलित हो जाता तो फ्रांस की प्रभुता का अन्त हो जाता। इसलिए जब जनवरी १९६३ में इस सगठन का विशेष अधिवेशन ब्रिटेन को सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाया गया तो फ्रांस ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया और वीटो का प्रयोग कर उसे रद्द कर दिया। इसके बाद भी ब्रिटेन साम्राज्य बाजार का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा। फ्रांस से अनुनय-विनय करके उसको इसके लिए राजी कर लिया गया। मई १९६७ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री विल्सन ने इस बात की घोषणा की कि फ्रांस साम्राज्य बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश पर राजी हो गया है। अतएव यूरोपीय साम्राज्य बाजार में अब ब्रिटेन का प्रवेश प्रायः निश्चय हो चुका है।

अन्य देशों के साथ ब्रिटेन का सम्बन्ध — एशिया और अफ्रिका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति ब्रिटेन का रुख अच्छा नहीं रहा है। इस कारण इन क्षेत्रों में उसकी बड़ी कड़ी आलोचना होती है। भारत के साथ काश्मीर के मामले पर तथा मिस्र के साथ स्वयं एवं इजरायल के मामले पर ब्रिटेन ने न्याय का गला घाटने का प्रयास किया है। १९५६ तथा १९६७ में क्रमशः स्वयं नहर तथा अरब-इजरायल सघर्ष के प्रति उसने जिस दृष्टिकोण को अपनाया उसके कारण आज भी पश्चिम एशिया के देशों के साथ उसका सम्बन्ध तनावपूर्ण बना हुआ है। उसने रंग-भेद नीति के प्रति दक्षिण अफ्रीकी सरकार तथा रोडेशिया की इजान स्मिथ के साथ विशेष सहानुभूति दर्शाया है। इनके खिलाफ किसी भी सक्रिय कार्रवाही का उसने विरोध किया है। अफ्रिका में वह रोडेशिया की अल्पसंख्यक गोरी सरकार की नीतियाँ को वह

रोक सका है। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं कि रोडेशिया की स्मिथ सरकार को ब्रिटेन का गुप्त एव अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है।

राष्ट्रमंडल—ब्रिटेन को अपने पुराने गौरव का याद दिलाने के लिए अब एक ही सस्था बच गयी है और वह है राष्ट्रमंडल। इसकी उत्पत्ति १८८७ में हुई थी। उस समय यह कोलोनियल कान्फ्रेंस के नाम से सम्बोधित होता था। बाद में इसका नाम इम्पेरियल कांफ्रेंस, ब्रिटेन कॉमन्वेल्थ और १९५० में कॉमन्वेल्थ पड़ा। आज राष्ट्रमंडल में बीस देश शामिल हैं। ये देश ब्रिटेन के पुराने उपनिवेश हैं। इन पुराने उपनिवेशों पर वह राष्ट्रमंडल के माध्यम से ही अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम किये हुए हैं। इससे सहारे अपने हितों का सुरक्षित बनाये रखने का उसने कुशल और सफल प्रयास किया है।

विश्व राजनीति में ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति पर से ब्रिटेन का प्रभाव निरन्तर घटता ही गया है। दुनिया का यह पुराना शेर अब बिरजूटा पस्त पड़ गया है और अपने अस्तित्व और विकास के लिए पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित हो गया है। फिर भी अभी हाल तक कुछ लोगों की यह धारणा थी कि “ब्रिटेन चाहे विश्व की सर्वोच्च शक्ति न हो, किन्तु फिर भी वह एक महान् शक्ति अवश्य है तथा उसे विश्व व्यापी रूप में सोचना ही पड़ता है।” इस धारणा को स्वयं ब्रिटेन ने ही अब निर्मूल सिद्ध कर दिया है। पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन के अभी भी बहुत सारे स्वार्थ हैं। इनकी रक्षा के लिए वह हाल तक यत्नशील रहा है। इसके लिए उसने कई सैनिक दायित्व भी कबूल किये थे। लेकिन ब्रिटेन की आर्थिक अवस्था दिनों दिन इतनी खराब होती जा रही है कि वह अब इन आर्म्स को ढालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए १९६६ के अन्तिम दिनों में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन ‘स्वेज से पूर्व’ (East of Suez) के अपने सभी दायित्वों को छोड़ने जा रहा है। इस नीति का वर्तमान प्रभाव पूर्व एशिया पर पड़ने वाला है। अभी तक इस क्षेत्र को ब्रिटेन का सैनिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन ब्रिटेन के हटते ही इस क्षेत्र के सुरक्षा की समस्या गम्भीर हो जायगी। लेकिन ब्रिटेन अब किसी को अनुग्रहित करने में अपने को लाचार पा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “इंग्लैंड जो पहले दूसरों को जीतने के लिए था, उसने अब स्वयं का विजित कर लिया है।”

फ्रांस की विदेश नीति

आश्रित फ्रांस और विदेश नीति—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राजनीति में फ्रांस का स्थान बिल्कुल नगण्य हो गया। उसकी सारी शक्ति और स्वायत्ति समाप्त हो गयी। देश की अस्थिर राजनीति ने उसकी परेशानी को और

भी बढ़ा दिया। १९४६ से १९५८ के बीच फ्रांस में २२ मंत्रिमंडल बने और टूट। युद्ध के विध्वंस और अस्थिर राजनीति ने फ्रांस को इतना पथ्य बना दिया कि वह किसी प्रकार की प्रभावशाली विदेश नीति नहीं अपना सकता था। अपनी सुरक्षा और जायिक सन्नति के लिए वह पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित हो गया। मार्च, १९४७ में उसने ब्रिटेन के साथ डकार्क की सन्धि की, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका माशल याजना के अन्तर्गत सहायता पाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सम्हालने के लिए यत्न किया। उसने पश्चिम यूरोप के राजनीतिक एकीकरण की विभिन्न योजनाओं में सहयोग किया, व सेल्स पैकट और नाटो का मदस्थ बना तथा बहुत दिनों बाद यूरोप के पाँच राज्यों से मिलकर यूरोपीय सभ्ता व जार की स्थापना की।

फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता बहुत पुरानी थी। १८७०-७१ में ही उसे जर्मनी के साथ प्रथम बार पराजित होना पड़ा था। फिर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी ने उसको बुरी तरह कुचला था। यही बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई। उस पृष्ठाधार में यह सम्मोद की जा सकती थी कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद फ्रांस जर्मनी का कुचल कर रखेगा और कभी उसको उत्थान का मौका नहीं देगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति इससे भिन्न थी। वह जर्मनी को सोवियत सघ के विरुद्ध शक्तिशाली बनाकर खड़ा करना चाहता था। इस हालत में फ्रांस को अपनी इच्छा के विरुद्ध अमेरिका के साथ सहयोग करना पड़ा और जर्मनी के सम्बन्ध में उसको उसी नीति का अवलम्बन करना पड़ा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे। जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न पर वह सोवियत सघ के विरुद्ध ब्रिटेन और अमेरिका का साथ देता रहा।

यूरोप के अशियाई विवादों में फ्रांस ने कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं लिया। युद्ध के तुरत बाद उसे हिन्दचीन में राष्ट्रवादियों के साथ जूझना पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस निरन्तर हारता रहा और अन्त में उसे हिन्द-चीन को छोड़ना पड़ा। कोरिया के युद्ध में भी फ्रांस प्रमुख भाग नहीं ले सका, क्योंकि इस समय वह हिन्द-चीन के युद्ध में फँसा हुआ था। १९५६ में ब्रिटेन के साथ मिलकर उसने मिस्र पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ भी उसे सफलता नष्ट मिली। इस प्रकार १९५८ के मध्य तक फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर सका।

राष्ट्रपति दगाल का उदय—मई, १९५८ में राजनीतिक अस्थिरता से तग आकर फ्रांस ने दगाल को प्रधान मंत्री चुना और पाँचवें गणराज्य का उदय हुआ। सितम्बर १९५९ में एक नये संविधान के अनुसार दगाल राष्ट्रपति बनाया गया। इस समय फ्रांस अल्जीरिया के राष्ट्रवादी आन्दोलन में फँसा हुआ था। अल्जीरिया में फ्रांस का गहरा स्वार्थ था। इसलिए दगाल के पहले के सभी फ्रांसीसी नेता

कह चुके थे कि वे अल्जीरिया से किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। इस कारण वहाँ का राष्ट्रवादी आन्दोलन उग्रतर होता जा रहा था और उसकी दवाने में फ्रांस को अपार घन और जन की क्षति उठानी पड़ रही थी। अल्जीरिया युद्ध को लेकर फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। दगाल ने अल्जीरिया युद्ध के इस स्वरूप को समझा और युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया। फ्रांस में इस नीति का बड़ा कड़ा विरोध हुआ, लेकिन दगाल अपने निश्चय पर डटा रहा और १ जुलाई, १९६२ को अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजतानि से सम्बन्ध पाने की चेष्टा - अल्जीरिया संघर्ष की समाप्त करके दगाल फ्रांस के लिए पुनः अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। इसके लिए फ्रांस को अमरीकी और ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करना आवश्यक था। इसी नाति से प्रेरित होकर उसने यूरोपीय साम्राज्य बाजार में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं करने दिया। इस कारण अटलांटिक संगठन में फूट पड़ गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत चाहता था कि ब्रिटेन को यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सदस्यता मिल जाय। इसके लिए उसने फ्रांस पर बहुत अधिक दबाव भी डाला। लेकिन फ्रांस ने इसकी परवाह नहीं की और ब्रिटेन को साम्राज्य बाजार में नहीं घुसने दिया। इतना ही नहीं, कुछ और बातों को लेकर भी फ्रांस तथा ब्रिटेन और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गये। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर इनमें मतभेद नहीं। जब फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया तो उसने उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। फ्रांस की इस नीति से पश्चिमी गुट को एकता की जबरदस्त धक्का पहुँचा है।

लेकिन इससे भी बढ़कर घटना नाटो को पोलिश यत्र से युक्त करने के प्रस्ताव को लेकर घटी है। अमेरिका ने निश्चय किया कि नाटो की सेना का इस आधुनिकतम यन्त्र से लैस किया जाय। ब्रिटेन इसके लिए तैयार हो गया। १९६२ में राष्ट्रपति कैनेडी और प्रधान मंत्री मैकमिलन में नाटो का समझौता हुआ जिसके द्वारा यह तय हो गया कि नाटो राज्यों की सेनाओं की पोलिश यन्त्रों से लैस किया जाय। पर फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया और उसने निर्णय ले लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा।

एक ओर बल को लेकर राष्ट्रपति दगाल विश्व राजनीति की समस्या बना हुआ है। १९६३ में फ्रांस की सरकार ने चीन को साम्राज्यवाद सरकार को मायता प्रदान कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य कई देशों ने इसका पार विरोध किया। दगाल पर कूटनीतिक दबाव भी डाले गये। पर, इसका कोई असर नहीं पड़ा और चीन तथा फ्रांस के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो गया। यह एक

महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रपति दगाल का अपना अलग ही रास्ता है जो नाटो राज्यों से भिन्न है।

चीन की कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति दगाल ने संसार के समक्ष एक और सुझाव रखा। उसका कहना था कि दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डाँवाडोल है। इसलिए इस क्षेत्र का अन्तराष्ट्रीय समझौता करके तटस्थीकरण (Neutralisation of S E Asian region) कर दिया जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों ने राष्ट्रपति दगाल के इस सुझाव का भी विरोध किया है। जुलाई १९६३ में जब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ में आणविक परीक्षण से एक एक समझौता हुआ तो दगाल ने स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव दे दिया 'व फ्रांस स रूढ़ि को नहीं मानेगा।

ब्रिटेन को यूरोपीय सम्मिलित बाजार में शामिल नहीं होने देना, नाटो समझौते के अनुसार नाटो के सैन्य संगठन में परिवर्तन को रोकना, चीन को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करना, आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध-संधि पर हस्तक्षर करने से इंकार करना तथा दक्षिण पूर्व एशिया के तटस्थीकरण का प्रस्ताव रखना ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण अटलांटिक समुदाय की एकता भंग होती है।

फ्रांस द्वारा नाटो के परित्याग की योजना—१२ मार्च १९६६ को राष्ट्रपति दगाल ने यह घोषणा कर दी कि फ्रांस नाटो संगठन से अलग हो जाना चाहता है। फ्रांस का यह निर्णय पश्चिमी गुट पर एक विनम्र बमपात था। नाटो का प्रधान कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यदि फ्रांस इस संगठन से अलग हो गया तो नाटो को अपने सारे कार्यालय यहाँ से हटाने पड़ेंगे। फ्रांस ने यह भी निश्चय कर लिया है कि तीन वर्ष के अन्दर वह अपने सभी अफसरों को नाटो की सेवा से वापस बुला लेगा और उसके साथ अपने सारे सभ्य षो को समाप्त कर लेगा। इस घोषणा के कारण पश्चिमी गुट पर एक महान् सिकट आ गया है। इसके और भी भयकर परिणाम हो सकते हैं। नाटो में पश्चिमी जर्मनी को इस शर्त पर १९५५ में शामिल किया गया था कि पश्चिमी जर्मनी स्वतन्त्र रूप से सैनिक शक्ति नहीं बढ़ायेगा। इस शर्त के लिए फ्रांस बहुत दृढ़ था। जब फ्रांस नाटो से निकल जायगा तो पश्चिमी जर्मनी भी इस शर्त से मुक्त हो जायगा और तब वहाँ सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का कार्यक्रम जोर शोर से चल सकता है। पश्चिमी जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिक्रिया सोवियत गुट के देशों में होगी और इस हथियारबन्दी की होड़ का कुचक्र फिर जोरों से चलना शुरू होगा। राष्ट्रपति दगाल का यह निर्णय कई भयकर परिणामों से युक्त है। इसके कारण यूरोप की कूटनीतिक स्थिति खराब हो सकती है और पश्चिमी जर्मनी को लेकर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती है।

एशियाई समस्याएँ

एशिया और अफ्रिका के देशों में नव जागरण बीसवीं शताब्दी के इतिहास का सबसे महान और महत्त्वशील तथ्य है। सदियों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फँसे रहे। एशिया के देश तो पुराने साम्राज्यवाद के युग में ही यूरोपीय साम्राज्यवाद के अनन्त अन्धकार में डूब गये, लेकिन अफ्रिका कुछ दिनों तक इस रोग से बचा रहा। नवीन साम्राज्यवाद के आगमन से अफ्रिका भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार होने से नहीं बच सका। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय यूरोपीय देशों के इस विशाल साम्राज्य क्षेत्र में सत्तार की जनसंख्या के आवे से अधिक लोग निवास करते थे और उनका अवाध शोषण होता रहता था। परन्तु, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदली और एक नये सत्तार का अभ्युदय होने लगा। तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ में इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन बड़े जोर शोर से प्रारम्भ हुए जिनके फलस्वरूप जो देश कल तक दासता के बन्धनों में जकड़े हुए थे, वे आज बन्धन मुक्त होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। जिन देशों को कल तक अपने जीवन का निर्माण करने का अधिकार नहीं था वे अब उन्नत राष्ट्र के जीवन के सञ्चालन में प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। वारतव में, बीसवीं शताब्दी एशिया और अफ्रिका के पुनर्जागरण का युग है। इस तरह स्थिति में जा पूर्ण दर्शन हुआ है उसको लाने में भारत की स्वतन्त्रता और जनवादी चीन के अभ्युदय से बड़ी सहायता मिली है।

चीन का जागरण और साम्यवादी चीन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—सत्रीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही नेपोलियन ने चेतावनी देते हुए कहा था “चीन वह एक दैत्य पत्ता सो रहा है। उसको सोने दो क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा।” चीन में साम्यवादी दल के अभ्युदय और उत्कर्ष ने आज इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर डाला है। यूरोपीय साम्राज्यवाद को एक जबरदस्त धक्का देने में इसका भी महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस घटना ने भी एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद का टिकना असंभव बनाया है। अतएव इसका सक्षिप्त विवरण आवश्यक है।

१ अक्टूबर, १९४९ को पेरिंग में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना, चीन के एक युद्ध में चर्चा का हिस्सा के राष्ट्रवादी दल की पराजय और माओ त्से तुंग की विजय जैसे हुई, इसका वर्णन करना इस वर्णन के क्षेत्र में नहीं आता। इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि सोवियत संघ की सदाचीनता और समृद्ध



चीन की स्थिति पर प्रभाव—इस क्रान्ति ने स्वयं चीन को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। यद्यपि साम्यवादी क्रान्ति के पूर्व ही चीन की गणना विश्व की महान शक्तियों में होती थी, किन्तु वास्तविक रूप में चीन महान् शक्ति कहलाने योग्य नहीं था। १९४९ की क्रान्ति के फलस्वरूप चीन वास्तव में एक महान् शक्ति के रूप में उदित हुआ है। यह सत्य है कि चीन को सत्तार के अधिकांश देशों की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसको उचित स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जगत की प्रत्येक घटना उसके व्यवहार से प्रभावित होती है और विश्व का कोई भी राष्ट्र उसकी उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत-संघ जैसी महान शक्तियों के लिए भी चीन आज एक चुनौती बना हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव—युद्धों के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण से चीनी क्रान्ति की सफलता युद्धांतर काल की राजनीति में सावियत संघ की प्रबल सफलता और संयुक्त राज्य अमेरिका की महान् पराजय है।* जापान की पराजय के उपरान्त अमेरिका ने चीन की तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकार की विपुल आर्थिक और सैनिक सहायता की थी। परन्तु इतनी प्रचुर सहायता के बावजूद न्यांग काई-शेक साम्यवादियों के हाथों जुरी तरह पराजित हुआ जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा का गहरा आघात पहुँचा।

नवीन शक्ति-पटुतन—चीन में साम्यवादियों की विजय ने साम्यवाद और पश्चिमी शक्तियों के मध्य एक नया शक्ति सतुतन स्थापित कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध से पहले एक मात्र मावयत संघ ही विश्व का साम्यवादी देश था। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त पूर्वी यूरोप के विभिन्न देश—पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया और बाह्य मंगोलिया में साम्यवाद शासन की स्थापना हो गई। लेकिन साम्यवादो चीन के उदय से पूर्व जनसंख्या, सैन्य शक्ति, आर्थिक स्रोतों आदि सभी दृष्टिकोणों से पश्चिमी गुट साम्यवादो गुट से अधिक शक्तिशाली था। साम्यवादो चीन के उदय से पासा पलट गया। आज स्थिति यह है कि यदि संपूर्ण साम्यवादो जगत और पश्चिमी जगत को शक्ति की दृष्टि से आँका जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी गुट किसी श्रेष्ठतर स्थिति में है। जनसंख्या की दृष्टि से तो साम्यवादो गुट पश्चिमी गुट से आगे बढ़ा हुआ है ही, लेकिन सैनिक शक्ति के क्षेत्र में भी वह पश्चिमी गुट को पछाड़ने की स्थिति में जाने लगा है।

एशिया और अफ्रिका पर प्रभाव—साम्यवादो चीन की क्रान्ति के फलस्वरूप एशिया का इतिहास बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इस महादेश में साम्यवाद के विस्तार का रास्ता पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया है। पश्चिम और पश्चिम-पूरुब के मत्तानुसार चीन की साम्यवादी, क्रान्ति का 'सम्पूर्ण एशिया पर क्रान्तिकारी

प्रभाव पडना निश्चित है।" एक ओर तो इसने एशिया और अफ्रिका में राष्ट्रवादी शक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित किया है और दूसरा तरफ विश्व के सभी पिछड़े हुए राष्ट्रों के औद्योगिक विकास के लिए परीक्षण-स्थल होता जा रहा है। पूंजीवादी के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए यह एक महान प्रयोग के रूप में काम कर रहा है। इस कारण इस घटना ने अमेरिका को विशेष रूप से चिन्तित बना दिया है। एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उसे अपनी नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े हैं। जैसे—

(क) अमेरिका ने फारमोसा में च्यांग की भगाड़ी राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया।

(ख) उसने यूरोप के अतिरिक्त एशिया में भी साम्यवाद के अवरोध की नीति पर आचरण करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक तरफ ता एशियाई देशों के गैर साम्यवादी तत्वों का अधिकाधिक आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई गई और दूसरी तरफ उन्हें सैनिक साज्जामान दिया गया तथा साम्यवादी विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना करने के मार्ग का अनुसरण किया गया। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में सीटो और पश्चिमी एशिया में बगदाद पैक्ट या सेन्टो की स्थापना इसी नीति का परिणाम था।

(ग) अमेरिका ने यह भी निश्चय कि यदि आवश्यकता हुई तो यह स्वयं अपने सैनिक साधनों से प्रत्यक्ष रूप में साम्यवादो प्रसार का विरोध करेगा। इसी निश्चय के फलस्वरूप १९५० में दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिकी फौजें साम्यवादियों से युद्धरत हुईं और आज वियतनाम में अमेरिकी सेना उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान चला रही है। एशिया महाद्वीप के और भी अनेक राष्ट्र साम्यवाद के अग्रगण्य केन्द्रों के सैनिक सहायता और सैनिक संगठनों के जाल में फसाये गये।

(घ) विपुल सैनिक सहायता के बावजूद अमेरिकी नीति-निर्माताओं को इस तथ्य की पर्याप्त सहायता से साम्यवाद के प्रसार को नहीं रोकना पड़ा। अतः अमेरिकी नीति के अन्तर्गत विकसित और पिछड़े हुए देशों को अधिकाधिक सैनिक सहायता देने की नीति का अनुसरण किया गया। अमेरिका ने जापान और भारत के आर्थिक प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए सुन्दर दुर्ग बनाने का प्रयत्न किया। अमेरिका ने भूखेरी और गरीबी के परिस्थितियों को दूर करने के लिए अनुकूल होता है। अतः इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए अमेरिका ने

सोवियत संघ पर प्रभाव—चीन की साम्यवादी क्रान्ति ने केवल अमेरिका के समक्ष ही नहीं बरन् सोवियत संघ के समक्ष भी एक महान् समस्या ला गूड़ी कर दी है। शुरू में चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना सोवियत संघ के लिए बरदान सिद्ध हुई क्योंकि इस क्रान्ति के फलस्वरूप साम्यवादी जगत् साधन, स्रोतों और सैन्य बल में काफी समृद्ध बन गया। लेकिन कुछ ही वर्षों के अन्दर चीन सोवियत संघ के लिए महान् संकट का कारण बन गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन आजकल सोवियत संघ का कटुतम प्रतिद्वन्द्वी बन गया है और यहाँ तक कि दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष की आशंका भी बहुत बढ़ गयी है। इसने साम्यवादी जगत् में सोवियत संघ के नेतृत्व को चुनौती दी है। सोवियत संघ के लिए यह एक गम्भीरतम समस्या बन गयी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन में साम्यवादियों की विजय का विश्व राजनीति पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इससे नवीन समस्याएँ और उलझनें उत्पन्न हुई हैं तथा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व-राजनीति का केन्द्र स्थल बन गया है। १९२१ में जनरल स्मट्स द्वारा कहे गये ये शब्द कि "रगमच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर में पहुँच गया है" सम्भवतः उस समय सत्य नहीं था, परन्तु साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप विश्व राजनीति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों से आज वे शब्द विश्व राजनीति की यथार्थता के परिचायक बन गये हैं।

सिद्धांत चीनी वैदेशिक नीति के आधार और लक्ष्य

साम्यवादी विचारधारा—चीन की विदेश नीति का मुख्य आधार मार्क्स और लेनिन की विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा को ही अपनाकर चीन ने अपने अतात के अपमान को धाया है। चीन में आधुनिक कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं सांस्कृतिक विकास इसलिए सम्भव हो सका है कि उसने क्रान्ति द्वारा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका है। मन्सुमन्द लेनिनवाद के सफल परीक्षण के फलस्वरूप ही चीन के जन जीवन में महान् क्रान्ति आयी है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि चीन की विदेश नीति इन विचारधाराओं से प्रभावित रहे। इस दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के पददलित राष्ट्रों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार चीन अपना उत्तरदायित्व मानता है।

उपनिवेशवाद और पूँजीवाद का विरोध—साम्यवादी देश होने के कारण चीन पूँजीवाद का बट्टर विरोधी है। वह अफ्रीका और अमेरिका जैसे पूँजीवादी और उपनिवेशवादी देशों से साथ प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में पीछे अतीत के अनुभवों की कटुता काम करती है जबकि उसे साम्राज्यवाद की शक्तियों के अत्याचार एवं शोषण का शिकार बनना पड़ा था। अतएव इस समय जहाँ भी

कहाँ उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध होता है वहाँ चीन का हस्तक्षेप प्रायः अनिवार्य हो जाता है। चीन के नेताओं का कथन है कि सम्पूर्ण शोषित देशों में चीनी जनता अपना प्रतिनिध देखती है। इसलिए एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमेरिका के देशों में जहाँ भी साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आन्दोलन चला है। चीन ने यथाशक्ति इन सघना में अपना योगदान दिया है। शोषित देशों में राष्ट्रवादी तत्त्वों को उभाड़कर वहाँ साम्यवादी क्रांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना चीन की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त तथा आधारभूत तत्व रहा है।

२. राष्ट्रीय हित का तत्त्व— किसी भी देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं कर सकती। चीन की विदेश नीति पर भी यह सिद्धान्त लागू होता है। लेकिन वहाँ सिद्धान्त और राष्ट्रीय हित दोनों साथ साथ चलते हैं। 'सिद्धान्त' राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है तथा 'राष्ट्रीय हित' के अनुसार सिद्धान्त को ढालने का यत्न किया जाता है। इसीलिए जहाँ सोवियत सघ निरस्त्रीकरण पर जोर देते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर चल रहा है, वहाँ चीन द्वारा इन बातों की कटु आलोचना होती है। चीन के नेताओं का ख्याल है कि इन नीतियों को अपनाकर चीन का राष्ट्रीय हित नहीं सधता है। अतएव चीन के नेताओं के प्रत्येक कार्य का मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर को बढ़ाना है। वे चीन को सोवियत सघ और अमेरिका के समक्ष बनाने का इरादा रखते हैं। वे महान् शक्ति बनने के लिए सभी साधनों को जुटाने में यत्नशील है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए चीन के नेता हर तरह का बलिदान करने को तैयार हैं।

विदेश नीति के साधने— सम्पूर्ण ससार में साम्यवाद का प्रचार करना चीन अपनी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य मानता है। इसके लिए वह किसी भी साधन का प्रयोग करने और हर तरह का बलिदान करने को तैयार है। एक बार चाऊ एन लाइ ने कहा था "यदि आधे विश्व को साम्यवादी बनाने के प्रयत्न में चीन की आधी जनसंख्या को बलि देनी पड़े, तो भी हमें कोई परवाह-नहीं होगी।" इसलिए वे युद्ध से नहीं डरते। चीन के विदेश नीति के निर्माता युद्धलोलुप या जगबोर नहीं हैं (जैसा कि उन्हें चित्रित किया जाता है) लेकिन यदि लक्ष्य की पूर्ति के लिए युद्ध आवश्यक ही हो जाय तो वे इस जोखिम को घटाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। माओ-त्से तुंग ने लिखा है 'हम साम्यवादी युद्ध को सवन्धापक मानते हैं। यह युद्ध अनुचित व हीनर उचित मार्क्सवादी होता है। रूस ने ब दूक की जोर पर समाजवाद कायम किया है। सारा ससार केवल ब दूक की सहायता से ही बदल जा सकता है। बन्दूक से छुटकारा पाने के लिए बन्दूक हाथ में लेनी होगी। अतएव चीन के नेता शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त को नहीं मानते। उनका ख्याल है कि साम्यवाद तथा पूँजीवाद में सघना अनिवार्य है और इस सघना के लिए पूरी तरह तैयार रहना है।

चीन के नेताओं का विश्वास है कि साम्यवाद और पूँजीवाद का संघर्ष घुसत खत्म होनेवाला नहीं है। संघर्ष की उनकी योजना काफी लम्बी है। उनका विचार है कि पूँजीवादी देशों में दृढ़ निश्चय तथा साहस नहीं होता। इसलिए जब उनके विरुद्ध सावधानों के साथ अवसर देखकर एक लम्बा संघर्ष छेड़ा जायगा तो वे टिक नहीं सकेंगे। लम्बे संघर्ष के कार्यक्रम के अधीन पूँजीवादी और पाखंडी समाजवादी देशों का तीव्र विरोध किया जाता है और अन्य देशों के साम्यवादी दलों की सहायता की जाती है। चीन का कहना है कि दुनिया में जब तक पूँजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था रहेगी तब तक शान्ति नहीं स्थापित हो सकती। दुनिया में स्थायी शान्ति के लिए इनको नष्ट करना परम आवश्यक है।

साम्यवादी चीन की विदेश नीति

मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, १९४९ में जन परामर्शदात्री सम्मेलन में साम्यवादी चीन की विदेश नीति इस प्रकार निर्धारित की गयी "चीनी गणराज्य का विदेश नीति का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता, संप्रभुता तथा प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करना, स्थायी विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखना, विभिन्न राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा आक्रमण और युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना है। चीनी गणराज्य विदेशों में बसनेवाले चीनियों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा। चीनी गणराज्य उन सभी लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान करेगा जो जनहित, शान्ति तथा जनतन्त्र के लिए संचालित संघर्ष में भाग लेने के कारण अपनी सरकार द्वारा सताये गये हों।"

इसके आधार पर १ अक्टूबर १९४९ को चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के निम्नालिखित लक्ष्य निर्धारित किये चीन की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता की रक्षा करना, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रयत्न करना, उन विदेशों सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर चुकी हों, साम्राज्यवादियों और विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का साथ देना तथा प्रयासी चीनियों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा करना।

साम्यवादी चीन और फारमोसा—चीनी विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य चीन की स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करना है। इस लक्ष्य का अभिप्राय यह है कि साम्यवादी चीन देश के उन भूभागों पर भी अपना अधिकार मानता है जिन पर गिम्तांग सरकार का अधिकार है। इस प्रकार फारमोसा या ताइवान पर चीन की सरकार अपना प्रभुत्व मानती है। वस्तुतः फारमोसा हमेशा से ही चीन का विभिन्न

अग रहता आया है। १९०८ में इस पर जापान का अधिकार कायम हुआ था लेकिन १९४५ में जापान जब युद्ध में हार गया तो फारमोसा पुन चीन को वापस मिल गया। चीन की सरकार ने इस द्वीप समूह का नाम ताइवान रखा। जब १९४९ में साम्यवादियों ने च्यांग-काई शेक की राष्ट्रवादी सेना को चीन की मुख्य भूमि से खदेड़ दिया तो च्यांग ने भागकर फारमोसा द्वीप में शरण ली। फारमोसा के पश्चिम पेस्काडोरस के अड़तालीस छोटे टापू और चीन के तट से बारह मील दूर स्थित किमाय और मात्सु टापू हैं। इस समय इन सब टापुओं पर च्यांग-काई-शेक का अधिकार है। परन्तु साम्यवादी चीन इन टापुओं को अपना अंग मानता और इनको अपने अधिकार में लाना चाहता है। उसने इन टापुओं का हस्तगत करने के लिए पिछले वर्षों में प्रयत्न भी किये हैं जिससे एक महान अन्तर्राष्ट्रीय छकट पैदा हुआ है। इन द्वीप समूहों पर चीन के आक्रमण को रोकने की जिम्मेवारी सयुक्त राज्य अमेरिका ने ले ली है। उसने शुरू में च्यांग को सहायता देना आरम्भ किया। जब १९५० में कोरिया की लड़ाई शुरू हुई तो राष्ट्रपति ट्रुमैन ने अमेरिका के सातवें सैनिक वेडे (U S Seventh Fleet) को आज्ञा दी कि वह फारमोसा का सुरक्षा के लिए चला जाय। १९५४ में फारमोसा और अमेरिका के बीच एक पारस्परिक सुरक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार फारमोसा की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेवारी हो गयी।

चीन का कहना है कि फारमोसा पर अमेरिका नौसेना की सहायता से च्यांग का शासन उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अतएव वह इसको युक्ति के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है। इन टापुओं को जीतने का प्रयास उसने १९५५ में किया था। लेकिन अमेरिका के प्रतिरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिल सकी। १९५८ में किमाय और मात्सु को जीतने का प्रबल प्रयास हुआ। २३ अगस्त को चीन ने इन टापुओं पर भीषण गोलाबारी आरम्भ कर दी। यह प्रयास बहुत जबदस्त था। अमरीकी रक्षा बेडे का इन टापुओं में कुमक पहुँचाने में बीस दिन लग गये। जब सयुक्त राज्य अमेरिका ने यह धमकी दी कि किमाय और मात्सु को लेकर अत्यन्त भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी तो खुश्चेव ने अमेरिका को यह चेतावनी दी कि यदि चीन पर कोई आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ इसको अपने ऊपर आक्रमण समझेगा। भारतीय प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू ने भी इस प्रश्न पर चीन का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि कोई देश अपने समुद्र तट से बारह मील दूर के टापू को आक्रमण का अड्डा बनाना वर्दस्ति नहीं कर सकता। लेकिन ७ अक्टूबर को चीन ने स्वयं गोलाबारी बन्द करने की घोषणा कर दी। तब ल यह छकट शान्त हो गया किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पुन क्व सुरक्षा विच्छोड हो जाय। साम्यवादी चीन अभी भी फारमोसा को अपना महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय अंग मानता है और उसको विदेश नीति का एक लक्ष्य इस टापू को किसी तरह प्राप्त करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मैत्री पूर्ण सम्बन्ध की स्थापना—१९४९ से १९५२ तक की अवधि में साम्यवादो चीन ने विदेश नीति के क्षेत्र में मुख्यतः रूस का अनुसरण किया। उसका अपना कोई स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं रहा। लेकिन १९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद चीन की अपनी विदेश नीति समरने लगी। यह मृदुतावादी नीति थी और उस समय चीन ने शान्तिपूर्ण सहजीवन का नारा बुलंद किया। इसका उद्देश्य एशिया और अफ्रिका के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करना था। इस काल में चीन को पहले-पहले एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। यह था हिन्द चीन से सम्बन्धित जेनेवा सम्मेलन (१९५४)। इस सम्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री ने यह अनुभव किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध और सन्धियों स्थापित करके चीन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति पर चलते हुए चीन नव प्रथम अप्रिल १९५४ में तिब्बत के बारे में भारत से सन्धि की और पंचशाल के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। बहुत अर्थ तक चीन की विदेश नीति पंचशाल के सिद्धान्तों से अनुप्राणित रही। १९५५ में उसने एशियाई अफ्रिकी देशों के बालुंग सम्मेलन में भाग लिया।

चीन और समुक्त राज्य अमेरिका—प्रोफेसर शुमों ने लिखा है “लाल चीन की विदेश नीति, अधिकांश रूप में, अमेरिका के विरुद्ध थी, क्योंकि समुक्त राज्य अमेरिका ने नये शासन के शत्रुओं का हथियार दिये थे, उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था, निरन्तर उसको उलटने की चेष्टा की थी, फारमासा में राष्ट्रवादी सरकार का संरक्षण किया था तथा चीन की मुख्य भूमि के सम्भावित हुटकारों की दृष्टि से रक्षा को नवीन सहायता दी थी। यही कारण था कि पेकिंग को सहानुभूति सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग तथा हिन्द चीन, मलाया तथा अन्यत्र साम्राज्यवाद विरोधी लाल विद्रोहियों की सहायता की ओर थी।” साम्यवादो चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। वस्तुतः पश्चिमी राज्यों के प्रति चीन वासियों को परम्परा घृणा और विराघ का बदला साम्यवादी चीन अमेरिका से चुकाने पर उत्तारू प्रतीत होता है और अमेरिका का अपमानित करने तथा नाचा दिखाने का कोई मौका वह हाथ से नहा जाने देता।

अमेरिका के प्रति चीन के इस दृष्टिकोण के कई कारण हैं और इनमें सबसे प्रमुख है अमेरिका द्वारा चीन का नामोनियान मिटाने का इरादा। वस्तुतः १९४९ से ही चीन अमेरिका की आँखों का कटा बना हुआ है। शुरू में अमेरिका ने रक्षा का इशारा की पूरी सहायता की ताकि साम्यवादो किसी तरह यह युद्ध में

नहीं जीते। बाद में जब कोमि तांग दल रव्य वो फारमोसा में चीन के गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया तो कम्युनिस्ट चीन के लिए यह खतरा पैदा हो गया कि कहीं अमरीकी शक्तों की सम्पत्ता से हस्तक्षेप द्वारा चीन का नवजात साम्यवादी शासन को नष्ट करने का यत्न न हो। अमेरिका के चीन विरोधी कार्रवाइयों का अन्त यही नहीं हुआ। सह फारमोसा की कोमिन्तांग सरकार को ही चीन की वास्तविक सरकार मानती रहो। इसलिए साम्यवादी चीन को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी और संयुक्त राष्ट्र सभ में चीन का प्रवेश को रोका। इसके अलावा साम्यवादी चीन के सदस्य के प्रारम्भिक वर्षों में अमेरिका में एक राजनीतिक विवाद शुरू हुआ जिसमें कई सुप्रसिद्ध अमरीकी विद्वानों का राजनीतिज्ञों ने चीन में साम्यवादियों की विजय के लिए टमैन प्रशासन को उत्सवदायी ठहराया। इस विवाद के स दम में अमेरिका में जो विचार प्रकट किये गये उनमें फलस्वरूप चीन के नेताओं का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अमेरिका वाले अभी चीन के विनाश का स्वप्न देख रहे हैं। इस कारण चीनी साम्यवादियों में अमेरिका के प्रति घोर घृणा का जन्म हुआ। चीनी युवक और युवतियों के मस्तिष्क में यह बात ठूस ठूस कर भर दी गई कि ससार में अमेरिका ही उनका महान्तम शत्रु है।

१९५० के कोरिया युद्ध ने इस धारण को और पुष्ट कर दिया। कोरिया में अमरीकी सैनिक कार्यवाही चीनियों को अपने एक निकटवर्ती मित्र-राज्य के विरुद्ध अमरीकी आक्रमण के समान प्रतीत हुई। साम्यवादी चीन किसी भी हालत में यह सहने को तैयार नहीं था। अतएव ज्योंही अमरीकी सेना चालू नामक स्थान के पास पहुँची त्योंही चीन सैनिकों ने उनका बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया और कोरिया का युद्ध अब प्रधानत अमेरिका तथा चीन का युद्ध बन गया। कोरियाई युद्ध के फलस्वरूप अमरीकी नीति निर्माताओं ने चीन को उराने धमकाने के उद्देश्य से फारमोसा की कोमिन्तांग सरकार को और भी अधिक सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। इसी समय अमेरिका विश्व के विविध क्षेत्रों में कई सैनिक संगठन कायम किये। साम्यवादी चीन ने इन सैन्य संगठनों की भर्त्सना यह कहकर की कि इन सबका उद्देश्य विश्व में अमरीकी प्रभुत्व की स्थापना करना है। अमरीकियों के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बंद कर दिये गये। अमरीकी पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी। चीन स्थित अमरीकी सम्पत्ति भी जन्त कर ली गई। अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पूर्णतः हत विक्षत कर दिये गये। उसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक कूटनीतिक सभी प्रकार के सामानों पर रोक लगा दी गई। कोरियाई युद्ध में जिन अमरीकी चालकों को बंदी बना लिया गया था, उन्हें भी बड़े वाद-विवाद के बाद और सोवियत रूस के आग्रह पर मुक्त किया गया।

१९५४ में हिन्द-चीन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया। डीन-विन फ में फ्रेंच सेनाओं की निर्णायक पराजय के उपरान्त जब वार्शिंगटन ने भारी सख्या में अपनी सेनायें फ्रांस को सहायतार्थ भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और साम्यवादी चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया लेकिन जेनेवा समझौता सम्पन्न होने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टल गई। १९५९ में चीन और अमेरिका के बीच सघर्ष के और नये कारण उपस्थित हो गये। लाओस में सघर्ष के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने के लिए ही सुदूर पूर्व में सघर्ष चाहता है। तिब्बत के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख देख कर भी चीन को भारी असन्तोष हुआ। इसके अतिरिक्त जनवरी, १९६० में जापान तथा अमेरिका के बीच सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि हुई। इससे भी चीन के सम्बन्ध कटु बने। पेकिंग रेडियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादी षडयन्त्र रचने का आरोप लगाया। ९ सितम्बर, १९६२ को साम्यवादी की वायु सेना ने कूओमिन्तांग सेना के एक यू-२ सैनिक ज्ञान-वायुयान को चीन की मुख्य भूमि पर मार गिराया। चीन सरकार ने इस घटना पर एक विस्तृत बयान जारी किया और इस विमान की उड़ान का उत्तरदायी अमेरिका को ठहराया। अक्टूबर, १९६२ में क्यूबा संकट के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध धार विप वमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विशाल प्रदर्शन सगठित किये गये, क्यूबा समर्थक नारे लगाये गये और क्यूबा के नेताओं के चित्र प्रदर्शित किये गये। १९६२ में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत को प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी। इससे भी साम्यवादी चीन के आक्रोश में वृद्धि हुई।

१९६५ ६६ में ~~वियतनाम-समस्या को लेकर~~ अमेरिका चीन की कटुता में पुन वृद्धि हुई। वियतनाम में शान्ति स्थापना के कार्य में विलम्ब के लिए बहुत साम्यवादी चीन भी जिम्मेवार है। यह मुख्यतः चीन की नीति का ही परिणाम है कि उत्तरी वियतनाम की सरकार सभी शान्ति-प्रस्तावों के विरुद्ध कठोर रुख ग्रहण किये हुए केवल अपने ही प्रस्तावों को मानने पर जार दे रही है। उत्तरी वियतनाम की सरकार को पेकिंग ने निरन्तर अपना समर्थन देकर उत्तर वियतनामियों का मनोबल ऊँचा रखा है। वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति को चीन अपने विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही मानता है और वियतनाम की समस्या को इसी दृष्टिकोण से देखता है।

चीन की उग्र विदेश नीति का उदाहरण - अमेरिका के इस तरह के निरन्तर चीन विरोधी नीति ने चीन को मृदुतावादी नीति का परित्याग करने और एक अत्यन्त उग्र विदेश नीति का अवलम्बन करने के लिए बाध्य किया है। १९६८ के अंतिम महीनों से चीन की विदेश नीति में इस तरह का परिवर्तन दिखायी पड़ता है। अपनी

नयी उपनिधि का प्रारम्भ करते हुए चीन ने सर्वप्रथम उन मार्गों का प्रयत्न विरोध किया जिनके अनुसार साम्यवाद ही नीति में कुछ शोधन होना चाहिए था। इसको लेकर बाद में चीन और सोवियत संघ के विरुद्ध घोर सैद्धान्तिक मतभेद प्रारम्भ हुआ। इसके बाद चीन ने प्रायः सभी अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर कड़ा रुख अपनाना शुरू किया और उसकी नीति अधिकाधिक उग्र और आक्रामक होती गयी। तिब्बत के प्रति उसे बड़ी ही कड़ी नीति का अवलम्बन किया और दलाई लामा को देश छोड़ने पर विवश किया। भारत के साथ भीमा-विवाद में भी उसका रुख शनैः शनैः कठोर होता गया। १९६२ में इस विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच प्रकृत युद्ध भी हुआ। उग्र रूस शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थक बनता गया। इस कारण उसके प्रति भी चीन का दृष्टिकोण अधिकाधिक विरोधपूर्ण होता गया। यह विरोध निरन्तर बढ़ता ही गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि समाजवादी जगत दो खेमों में विभाजित हो गया। चीन को उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम तथा अल्बेनिया का समर्थन प्राप्त हुआ लेकिन अन्य समाजवादी राज्य रूस का समर्थन करते रहे। अतः उन देशों के साथ भी चीन का सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं रहा। जब तो रूस के विरुद्ध चीन ने खुला संघर्ष प्रारम्भ कर दिया है और साम्यवादी जगत पर सोवियत संघ के प्रभाव को उसने बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। इस चुनौती में चीन को पर्याप्त सफलता मिली है। आज साम्यवाद दुनिया दो भागों में बँट गयी है। एक भाग चीन के नेतृत्व को स्वीकार करने लगा है। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ की चीन कम्युनिस्ट पार्टी में चीन के समर्थक न हो।

साम्यवादी चीन और एशिया पर प्रभाव स्थापना का प्रश्न—

साम्यवादी चीन और एशिया पर प्रभाव स्थापना का प्रश्न— साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने के बाद जब चीन ने दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा तो उसे पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में सर्वत्र अव्यवस्था असन्तोष अशांति ही दिखायी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में बिल्कुल अराजक स्थिति छापी हुई थी। युद्धोपरान्त यूरोप को भी यह दशा थी और स्टालिन ने इस स्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। यूरोप में सोवियत संघ की सफलता देख नीची साम्यवादियों की लिप्सा भी जग उठी और उन्होंने यह स्वप्न देखना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार यूरोप में रूस साम्यवादी जगत की धुरी है उसी प्रकार साम्यवादी चीन भी समस्त एशिया पर अपना प्रभुत्व और नियन्त्रण क्यों न कायम कर ले। ऐसा करने के लिए तात्कालिक परिस्थितियाँ भी अल्पकालिक अनुकूल थीं, क्योंकि स्थानीय राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर वह सहज ही उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार बिना आक्रमण किये हुए दक्षिण एशिया में इसके प्रभाव विस्तार का मार्ग खुला हुआ था। अतएव साम्यवादी चीन ने समस्त एशिया पर अपना प्रभाव कायम करने का अपनी

विदेश नीति का लक्ष्य बनाया। इस प्रकार एशिया में साम्यवादी चीन के निम्नलिखित लक्ष्य बन गये—

- (१) सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद की स्थापना,
- (२) एशिया का नेतृत्व ग्रहण करना,
- (३) दक्षिणपूर्व एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों का उपयोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए करना,
- (४) साम्यवाद का नेतृत्व रूस के हाथ से उन्हे-उन्हे छीनकर सभार में साम्यवाद का एकछत्र नेता बनना,
- (५) पहले सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द कर एशियाई देशों का विश्वास प्राप्त करना और उन्हें घेरावर और अरक्षित पावर दपन नियन्त्रण में लाना,
- (६) यदि आवश्यकता पड़े तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा, विद्रोह, तोड़ फोड़ और हर प्रकार के विध्वसात्मक उपायों का अवलम्बन करना।

कारिया के युद्ध में हस्तक्षेप, हिन्द-चीन में साम्यवादो आन्दोलन का सक्रिय समर्थन और भारत के साथ १९६२ में सीमा युद्ध इन सारो घटनाओं को इन्ही रूढ़ियों की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। साम्यवादी चीन द्वारा दक्षिणपूर्वी एशिया के देशों में सघर्षरत तत्त्वों को खेनिक सहायता देने के बाद स्थिति निरन्तर बिभम होती गयी। इस नीति का परिणाम है कि लगभग आधा हिन्द-चीन इस समय साम्यवादियों के कब्जे में है और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के किसी भी प्रयास को ये हाथ में से नहीं जाने दे रहे हैं। बियतनाम और लाओस में उत्पन्न स्थिति इसके ज्वलत उदाहरण हैं।

अपनी नवीन छत्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर १९६२ से एक नया कूटनीतिक अभियान शुरू किया। अफ्रिका के देशों में उसका स्थान पहले से ही ऊँचा था, क्योंकि उसने अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय आ दालनों का शुरू से ही समर्थन किया। अल्जीरिया के स्वतन्त्रता सघाम में चीन ने विशेष दिलचस्पी ली थी। अफ्रीकी महादेश को चीन क्रान्ति के लिए एकदम उपयुक्त मानता है। इसलिए वहाँ अपने प्रभाव के प्रसार के लिए दिसम्बर १९६३ में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई ने विभिन्न अफ्रीकी देशों की यात्रा की। आठ सप्ताह की इस यात्रा में उसने सयुक्त अरब गणराज्य, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, घाना, माली गिनी, मुडागा, इथोपिया,

सोमालिया, आदि देशों की यात्रा की। फिर फरवरी १९६४ में बरमा, पाकिस्तान और लका की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान में चाऊ ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि इस क्षेत्र पर से अमरीकी और सोवियत प्रभाव उठ जाय और उसके बदले में चीन का प्रभाव कायम हो जाय तथा भारत के साथ चीन के विवाद में इन्हीं देशों का समर्थन उसे मिल जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति में उस समय चीन की आंशिक सफलता अवश्य मिली। पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा समर्थक बन गया।

चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन

उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान रखकर इस पुस्तक के १९६४ के संस्करण में चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन इन शब्दों में किया गया था—

‘हम भले ही कहत कि चीन का विदेश नीति मूलतः आक्रामक है और वह सम्पूर्ण एशिया पर अपना साम्राज्य कायम करने का दावा रखता है, लेकिन यदि निष्पक्ष भाव से हम उसका मूल्यांकन कर तो हम यह मानना पड़ेगा कि विदेश नीति के क्षेत्र में चीन को अधिक-से अधिक सफलता मिली है। इसके निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) ‘नाटा और ‘सिटो संगठनों में दरार पैदा करने में चीन की वृत्तनाति सफल रही है। प्राप्त से वृत्तनीतिक मायता प्राप्त करके तथा पाकिस्तान को अपना समर्थक बनाकर उसने मध्य अमेरिका को ही नहीं बरन बरने अ य देशों को आश्चरित कर दिया है।

(२) अफ्रिका के कई देशों में चीन का प्रभाव दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। १९६३-६४ में चीन के प्रधानमन्त्री ने कई अफ्रिकी देशों का भ्रमण किया और वहाँ उसका शानदार स्वागत हुआ। यह तथ्य भी चीन की विदेश नीति की सफलता का प्रबल प्रमाण है।

(३) बर्मा, घाना और इंडोनेशिया पर चीन का अवरदस्त प्रभाव है। भारत-चीन विवाद में बर्मा ने चीन का ही अधिक समर्थन किया है। यहाँ हाल इंडोनेशिया का भी है। जाज इंडोनेशिया मलयेशिया का जो प्रबल विरोध कर रहा है। उसका पाछे चीन की वृत्तनाति बहुत समर्थक है। यहाँ तक कि लका भी भारत-चीन विवाद में चीन का ही अधिक समर्थन करता है। लका की राजधानी के लम्बो चीन पर भारत विरोधी प्रचार का एक मुख्य केन्द्र है।

१९६८ के मध्य में अब यह आवश्यक हो गया है कि चीन की विदेश नीति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में दूसरा निष्पक्ष निकाजा जाय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की स्थिति अब बहुत डोँवाडोल हो गयी है। १९६४ के नवम्बर में यू.एच.ए. के पतन के बाद यह आशा पैदा हुई थी कि चीन और सोवियत मध्य के मतभेद का अन्त हो जायगा तो दोनों साम्यवादी देश पुनः सहयोग और मैत्री के बन्धन में बँध

* बर्मा, नेपाल और पाकिस्तान के साथ चीन का कुछ सामान्य सम्बन्ध विवाद था। १९६६ में समझौता के द्वारा इन सम्बन्धों का अन्त कर दिया गया।

जायेंगे। इसके लिए चीन की ओर से प्रयास भी हुए, लेकिन सोवियत सघ क नये नेतृत्व न अपने सिद्धान्त को छोड़कर चीन के साथ समझौता करने से इन्कार कर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सोवियत सघ क साथ चीन का मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी तत्त्व बनकर आया है। ख़ुशचेव के पतन के बाद भी सोवियत सघ से समझौता नहीं कर पाना चीन की विदेश-नीति की एक प्रमुख विफलता है।

वेन वेल्ला द्वारा शासित अल्जीरिया में चीन का अत्याधिक प्रभाव था। वेनवेल्ला साम्यवादो चीन का एक बहुत बड़ा समर्थक था। इसलिए चीनी कूटनाति से प्रेरित होकर उसने जून, १९६५ में अल्जीयर्स में एक एशियाई अफ्रिकी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के जरिये चीन अफ्रिका में अपनी घाक जमाना चाहता था। परन्तु सम्मेलन शुरू होने से पहले ही वेनवेल्ला का पतन हो गया। इस प्रकार चीन की यहाँ भी कूटनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा।

१९६५ के मध्य तक ससार के तीन देश चीन के बहुत बड़े समर्थक थे। ये देश थे पाकिस्तान, घाना, और इडानीशिया। लेकिन १९६६ क प्रारम्भ में चीन को इन देशों की मित्रता को गँवा देना पड़ा है। सितम्बर, १९६५ में भारत पाकिस्तान युद्ध क समय चीन ने पाकिस्तान का जबरदस्त समर्थन किया। भारत पर सैनिक दबाव डालकर परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सहायता करने के लिए उसने भारत चीन सीमान्त पर सैनिक हलचल शुरू कर दी और भारत को एक घमकी से भरा अल्टिमेटम भेजा। लेकिन चीन की इन सारी बरतूतों से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। बस्तुतः पाकिस्तान के हक में इसका बसर बुरा ही हुआ। चीन के साथ उसके गठबन्धन के कारण न तो अमेरिका ही उसकी मदद के लिए तैयार हुआ और न सोवियत सघ ने ही उसका समर्थन किया। भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के कूटनीतिक पलायन के मूल में चीन के साथ उसकी बतूतों हुई मैत्री थी।

घाना के राष्ट्रपति इन्क्रुमा चीन के जबरदस्त समर्थक थे और चीनी नेताओं का उनपर बेहद प्रभाव था। बस्तुतः घाना के माध्यम से ही चीन अफ्रिका में अपना प्रभाव फैला रहा था। लेकिन फरवरी १९६६ में घाना में एक सैनिक क्रान्ति हो गयी जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति इन्क्रुमा को अपदस्थ हा जाना पड़ा। जिस समय घाना की राजधानी आक्करा में यह नाटकीय परिवर्तन हो रहा था उस समय राष्ट्रपति इन्क्रुमा पेकिंग में ही थे।

अफ्रिका के रगमच पर से इन्कुमा के हटने से चीन की नीति को जबरदस्त धक्का लगा है। इस कारण अफ्रिका में चीन के प्रभाव का विस्तार रुक सा गया है। यह सत्य है कि घाना की सैनिक क्रान्ति का एक मूल कारण इन्कुमा पर चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव था।

चीन के दूसरे मित्र राज्य इडोनीशिया की भी कुछ ऐसी ही दुर्गति हुई है। राष्ट्रपति सुकर्ण चीन के बहुत बड़े समर्थक थे। इडोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सुकर्ण शासन चला रहे थे। १९६५ के १ अक्टूबर को इडोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से एक विद्रोह शुरू कराया और प्रारम्भ में इस विद्रोह को कुछ सफलता भी मिली। कहा जाता है कि इस विद्रोह में चीन का हाथ भी था। विद्रोहियों ने सेना के कुछ उच्च पदाधिकारियों की हत्या कर दी। बाद में इडोनीशिया में इस कम्युनिस्ट विद्रोह के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और वहाँ एक जबरदस्त कम्युनिस्ट तथा चीन विरोधी आन्दोलन चल पड़ा। इडोनीशिया में कम्युनिस्टों और गैर कम्युनिस्टों के बीच बाजाघा युद्ध शुरू हो गया। इस क्रम में केवल पाँच महीनों के अन्दर नब्बे हजार के लगभग कम्युनिस्टों की मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में हत्या की जिम्मेवार बहुत अशों में चीन की विदेश नीति को दिया जा सकता है।

इडोनीशिया में कम्युनिस्टों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसने चीन के प्रभाव को वहाँ से भी मिटा दिया है। इस आन्दोलन के क्रम में कई बार चीनी दूतावास में संपन्न हुए और चीन विरोधी प्रदर्शन हुए। चीन को बराबर इन घटनाओं के विरुद्ध धमकी भरा विरोध पत्र भेजना पड़ा। लेकिन इडोनीशिया में चीन विरोधी अभियान १२ मार्च १९६६ को चरम सीमा पर पहुँच गया जब जनरल सुहार्तो ने राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ विद्रोह करके शासन का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर ले लिया। इस विद्रोह का मुख्य कारण राष्ट्रपति सुकर्ण द्वारा जनरल नसूतियों को सरकार से हटाया जाना था क्योंकि नसूतियों चीन के विरोधी माने जाते थे। इडोनीशिया की अन्तिम घटना चीन के विरुद्ध है। इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि नयी सरकार ने अपने विदेश मन्त्री डा० सुवान्द्रियों को कैद कर लिया और उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया। स्पष्ट है कि इडोनीशिया में भी चीन का प्रभाव समाप्त हो गया है। पाकिस्तान और इडोनीशिया को मिलाकर एशिया में एक नया सगठन हाथम करने का चीनी स्वप्न समाप्त हो गया है, इन्कुमा के पतन से अफ्रिका में भी उसके प्रभाव का विस्तार रुक गया है तथा चीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है।

१९६६ में चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य "चीन के सभी क्षेत्रों में पूँजीवादी विचाराधारा का सम्मूलोन्मूलन करना" तथा ऐसे बुद्धिवादियों का प्रबल प्रतिवाद करना था जो "सामन्तवादी, पूँजीवादी तथा सशोषणवादी विचारों का प्रचार कर रहे हैं।" इसके लिए लाल रक्षकों का एक दल संगठित किया गया। लाल रक्षकों की गतिविधियों के कारण चीन में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। विदेश में रहनेवाले चीनियों का स्थानीय लोगों के साथ और पेरिंग स्थित दूतावासों में रहनेवाले एशियाइयों के साथ भी लाल रक्षकों को व्यवहार बड़ा अमरुत रहा। इन वारदातों के कारण भी चीन अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम हुआ है।

उत्तर वियतनाम पर से भी चीन का प्रभाव घटता हुआ प्रतीत होता है। चीन चाहता था कि उत्तर वियतनाम किसी हालत में अमेरिका के साथ समझौता वागों के लिए तैयार नहीं हो और इस उद्देश्य से वह उत्तरी वियतनामी सरकार को हमेशा उत्तेजित करता रहता था। लेकिन जब से सोवियत संघ ने उत्तर वियतनाम को सैनिक सहायता देना शुरू किया तबसे चीन का प्रभाव घटने लगा। उत्तर वियतनाम द्वारा अमेरिका के समझौता प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना (३ अप्रिल १९६८) इस बात का प्रमाण प्रतीत होता है कि चीन का प्रभाव उस देश पर से घटा है।

पाकिस्तान की विदेश नीति

पाकिस्तान का जन्म—१४ अगस्त १९४७ को भारतीय उपमहादीप का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की अध्यक्ष सुह्रमद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल बने और प्रधान मंत्री का पद भी लियाकत अली खॉं ने सम्हाली। अपने जन्म के कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। जिन्ना पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता थे। कोई भी राजनीतिक नेता उनका विरोध नहीं कर सकता था। १९४८ में उनकी मृत्यु हो गयी जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन में एक प्रकार की रिक्तता आ गयी। जिन्ना के उपरान्त पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व प्रधान मंत्री लियाकत अली खॉं ने सम्हाली, लेकिन जिन्ना की तुलना में वे लोकप्रिय न थे। उस समय पाकिस्तान के समक्ष जो समस्याएँ थीं उनमें कश्मीर की समस्या, नहरों पानी की समस्या, अर्थिक समस्या तथा शरणार्थियों की समस्याएँ प्रमुख थीं। लियाकत अली खॉं अपने शासनकाल में इनमें से किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाये। देश में असन्तुष्टि बढ़ता गया और अक्टूबर १९५१ का संवैधानिक सभा में एक अफगान युवक ने उनकी हत्या कर दी। इन घटना के बाद खानाभा खान ने एक अफगान युवक ने उनकी हत्या कर दी। इन घटना के बाद खानाभा निजामुद्दीन प्रधान मंत्री तथा गुलाम मुहम्मद गवर्नर जनरल बने। लेकिन देश की किसी भी समस्या का समाधान वे लोग नहीं कर सके।

सैनिक तानाशाही की स्थापना—१९५३ तक इन समस्याओं ने गम्भीर रूप धारण कर लिया और ७ अप्रिल १९५३ को गवर्नर जनरल ने निजामुद्दीन मन्त्रिमंडल को भंग कर दिया और अमेरिका स्थित पाकिस्तान के राजदूत श्री मुहम्मद अली को प्रधान मंत्री बनाया। इसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका से सैनिक सहायता मिलने लगी।

लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का अंत नहीं हुआ। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उधर अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक सहायता मिल रही थी। अब पाकिस्तान की सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभाव सम्पन्न बन गयी थी। उसके जनरलों के मन में सत्ता की प्यास जाग उठी थी। ७ अक्टूबर १९५८ को प्रधान सेनापति जनरल अयूब के नेतृत्व में देना ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सत्ता हस्तगत कर लिया। प्रेसिडेंट इस्कन्दर मिर्जा ने घोषणा करके देश में माशुल लॉ लागू कर दिया, नवनिमित्त संविधान स्थापित कर दिया, संविधान सभा को भंग कर दी गयी, और समस्त राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया।

कुछ दिनों तक इस्कन्दर मिर्जा और जनरल अयूब मिन चुनकर शासन चलाते रहे। लेकिन वे अधिक समय तक सहयोग नहीं कर सके। इस्कन्दर मिर्जा को अपना पद छोड़ना पड़ा और सत्ता पूरी तरह जनरल अयूब के हाथों में आ गयी। इसके उपरान्त जनरल अयूब पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह बन गये और पाकिस्तान में अभी उनकी यही तानाशाही कायम है। जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। १७ फरवरी, १९६० को हुए "चुनावों" में उन्होंने पाकिस्तान में "मौलिक लोकतंत्र" (Basic Democracy) लागू करने की घोषणा की।

पाकिस्तान की विदेश नीति—पाकिस्तान की विदेश-नीति का केवल एक ही लक्ष्य है—भारत को नीचा दिखाना और इसका मूल आधार कश्मीर ही समस्या है। कश्मीर के प्रश्न पर भारत को झुकने के लिए बाध्य करना और कश्मीर का भारत से विलग कर पाकिस्तान में मिलाकर पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य है। अतएव आरम्भ से ही उसे भारत के विरुद्ध अपना पक्ष मजबूत करने और सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे मित्रों की आवश्यकता थी जो कश्मीर के प्रश्न पर उसका समर्थन करते और साथ ही पूरी सैनिक सहायता भी देते। अतएव इन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने आरम्भ से ही तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया। कश्मीर के अतिरिक्त एक और तथ्य न पाकिस्तानी विदेश नीति को प्रभावित किया है। सत्तार का सबसे बड़ा इस्लामी राज्य होने के नाते पाकिस्तान की यह इच्छा रही कि वह सम्पूर्ण इस्लामी जगत का नेतृत्व करे। लेकिन पाकिस्तान की नीति में सफलता नहीं मिल सकी।

पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ सैनिक गठबन्धन में बँध जाने का निर्णय किया। इसका वास्तविक कारण साम्यवाद का विरोध नहीं था। इस नीति को अरनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे—

१ पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ सैनिक गठबन्धनों में बँधकर भारत को भयभीत एवं आतंकित करना।

२ सैनिक दृष्टि से अपने को इतना शक्तिशाली बना लेना कि भारत किसी भी हालत में उसके सैनिक दृष्टि में श्रेष्ठ न हो पावे।

३ भारत के विरुद्ध पश्चिम राष्टों का समर्थन प्राप्त करना।

४ भारत के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होकर कश्मीर समस्या को अपने अनुकूल हल कराने के लिए भारत को बाध्य करना।

इस प्रकार भारत को अपना घोर शत्रु मानना पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य आधार है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह भारत को हानि पहुंचाने और कठिनाई में डालने के लिए साम्यवाद से भी गठबन्धन करने की तैयार रहता है, जैसा कि आजकल चीन के साथ उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध से स्पष्ट है। यद्यपि पाकिस्तान सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अधिकांशतः पश्चिमी देशों का समर्थन करता रहा है, लेकिन उधर कुछ वर्षों से साम्यवादी देशों के प्रति उसकी नीति में कुछ परिवर्तन आया है। अब वह साम्यवादी देशों से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सचेष्ट है। पाकिस्तान के शासक कई बार पश्चिमी देशों को इस बात की चेतावनी भी दे चुके हैं कि यदि उन्होंने कश्मीर के प्रश्न पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन नहीं किया तो उसे अपनी विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चीन के प्रति पाकिस्तान की मैत्रीपूर्ण नीति उसकी अक्सरवादिता का नहीं बल्कि भारत के प्रति उसकी दुर्भावना का स्पष्ट परिचालक है।

इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने सोवियत संघ को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के विरोध के कारण ही पाकिस्तान की कश्मीर सम्बन्धी मनोकामना पूरी नहीं हो पायी है। अतएव पाकिस्तान ने सोवियत संघ के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करके उसको भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। १९६४ में प्रेसिडेंट अयूब खॉं की सोवियत रूस की यात्रा इसी उद्देश्य से हुई थी। इसके उपरान्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुनफिहार अली भूट्टा भी कई बार सोवियत संघ का दौरा कर चुके थे।

जनवरी १९६६ में तायकद वार्ता में सोवियत प्रधान मंत्री के आमन्त्रण पर शामिल होना पाकिस्तान की शान्तिवादी विदेश नीति का परिचायक नहीं बल्कि

सोवियत सघ को प्रसन्न करने का प्रयत्न ही माना जायगा । लेकिन कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत सघ की नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वह कश्मीर को भारत का अंग मानता है । दूसरे, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को भी रूस शका की दृष्टि से देखता है । इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में शीत युद्ध लाने के लिए सोवियत सघ पाकिस्तान को ही दावी मानता है । १९५४ में अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो सैनिक संधि हुई और जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान को साम्यवाद के विरोध के नाम पर जो सैनिक सहायता मिली, उसे सोवियत सघ कैसे भूल सकता है । पाकिस्तान में अमेरिका के कई सैनिक अट्टे भी कायम हैं जो सोवियत सघ की सुरक्षा की दृष्टि से बड़े खतरनाक हैं । कई बार सोवियत नेता पाकिस्तान को रूस विरोधी कार्यवाही के लिए चेतावनी भी दे चुके हैं । यू—२ विमान कांड के अवसर पर सोवियत प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि पाकिस्तान ने अपने हवाई बलों की सोवियत रूस के विरुद्ध जासूसी छाने करने के लिए प्रयुक्त होने दिया तो रूस एक ही प्रहार से उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देगा ।

कश्मीर नीति का मूलाधार—जैसा कि हम कह चुके हैं, पाकिस्तान भारत को अपना सबसे प्रबल शत्रु मानता है । वस्तुतः पाकिस्तान के शासकों और भारत के शासक वर्ग में पुरानी सैद्धान्तिक शत्रुता चली आ रही है । भारत के स्वाधीनता संघर्ष में ये एक दूसरे के विरोधी थे और दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को लेकर उनमें निरन्तर उग्र मतभेद रहे थे । उन्हें यह भी मालूम था कि भारत के नेताओं ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है । अतः उनको पुरानी विरोधी भावना मरी नहीं और वे भारत का हर बात पर विरोध करने और उसे अपना शत्रु मानने पर दृढ़ हुए थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस मतभेद ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया । पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था । अतएव भारत और पाकिस्तान के बीच मौलिक मतभेद है । यह मध्यकालीन धर्मान्धता तथा आधुनिक धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद और सैनिक तानाशाही का मतभेद है । अतएव यह मानना कि पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के प्रश्न की लेकर झगडा है, गलत होगा । वास्तविकता यह है कि यदि कश्मीर को समस्या न होती तो इस तरह की किसी दूसरी समस्या को खडा करना पड़ता । बात यह है कि पाकिस्तान को अपना पड़ोसी भारत फूटी आँखों नहीं भाता ।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की आन्तरिक राजनीति भी कश्मीर के प्रश्न का एक तत्त्व है । देश की जनता का ध्यान आन्तरिक अव्यवस्था और समस्याओं से हटाने के लिए एक सरल उपाय यह होता है कि कोई विदेशी दुश्मन पैदा कर दिया जाय । जन साधारण को विदेशी दुश्मन द्वारा उत्पन्न खतरे की बात

आसानी से समझ में आ जाता है इसके फलस्वरूप देश में अस्थायी तौर पर एकता भी स्थापित की जा सकती है। इस भूमिका के लिए पाकिस्तान ने भारत को चुना है और पाकिस्तान की विदेश-नीति का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानियों के दिल दिमाग में भारत के प्रति घृणा और क्रोध की आग जलाना है। इस एक लक्ष्य के समक्ष पाकिस्तान अन्य बातों को महत्त्व नहीं देता। इस हालत में यदि कश्मीर का प्रश्न नहीं रहता तो भी उसे पैदा किया जाता। पाकिस्तान ने विभिन्न देशों के साथ जो सैनिक संधियाँ की हैं, वह वस्तुतः पश्चिमी देशों अथवा सम्बन्धित देशों से सहानुभूति रखने के कारण नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए की गयी है।

मुस्लिम जगत का नेतृत्व—पाकिस्तान की विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य विश्व के सभी मुस्लिम देशों को एकता के सूत्र में बाँधकर एक पान इस्लामिक सघ की स्थापना करना भी था। उसने इस बात का बड़ा ध्यान किया है कि वह पश्चिम एशिया और समस्त अरब देशों का एक सघ बनाकर उसका नेतृत्व करे। इसके मूक क भारत से अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान पाना भी है। लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के विरोध के कारण पाकिस्तान की यह नीति सफल नहीं हो सकी, यद्यपि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान ने कई बड़म भी उठाये। पाकिस्तान में १९५० और १९५४ में दो बार मुस्लिम देशों के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। पाकिस्तान द्वारा पराधीनता की वेड़ी में जकड़े हुए कई मुस्लिम देशों का समय समय पर समर्थन भी हुआ है। इस्लामी देशों के प्रमुख प्रवक्ता और समर्थक के रूप में उसने अपने आप को प्रस्तुत का प्रयास भी किया। लेकिन स्वयं नहीं सकट के समय जब एक मुस्लिम देश पर विपत्ति आयी तो उसने साम्राज्यवादी देशों का ही साथ दिया जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा का बहुत ठेस पहुँची। अफगानिस्तान के सम्बन्ध बिगड़ने के कारण भी मुस्लिम जगत की एकता सम्बन्धी पाकिस्तान के स्वप्न साकार नहीं हुए। आज भी यह समस्या पूर्ववत् कायम है और पख्तूनिस्तान के प्रश्न को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों में तनाव अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गया है। दूब-उ रखा को पाकिस्तान प्ररुगानिस्तान सीमा-रेखा बनाए रखने में पाकिस्तान की विदेश नीति सदा सक्रिय रहती है।

पाकिस्तान विदेश नीति के कुछ तथ्य—इस विश्लेषण के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

(१) पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक सैनिक सुरक्षा संधि से आवद्ध है। इस संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को अमेरिका से सुपन्न सैनिक सहायता मिलती है।

(२) पाकिस्तान ने १९५४ में अमेरिका और तुर्की के साथ पारस्परिक सुरक्षा संधि कर ली और वगदाद संधि (अब सेंटो) और सिटो में भी सम्मिलित हो गया । इन सैनिक संधियों में शामिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वह खुले रूप से पश्चिमी देशों का समर्थक बन गया ।

(३) लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति का मुराब उद्देश्य भारत का विरोध करना है । अतएव पिछले पाँच छ वर्षों से उपर्युक्त विदेश नीति कई तरह की कलाबाजियों दिखा रही है । एक तरफ तो पश्चिमी गुट में शामिल है और दूसरी तरफ उस गुट के प्रधान शत्रु चीन के साथ भी मेलजोल बढ़ा रहा है ।

(४) एशियाई देशों के संगठन और एकता में पाकिस्तान का विश्वास नहीं है क्योंकि विभिन्न जातियों और धर्मावलम्बियों का एक सूत्र में आवद्ध होने और मित्र बनकर रहने के सिद्धान्त में पाकिस्तान विश्वास नहीं करता ।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थतावाद पर पाकिस्तान को जरा भी विश्वास नहीं है । यद्यपि समय समय पर पाकिस्तान के कुछ दलों ने तटस्थ नीति अपनाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया है, लेकिन पाकिस्तान के शासक इस नीति को राष्ट्रीय हित में हानिकारक मानते हैं । अस्तुत पाकिस्तान की विदेशनीति का निर्धारण वहाँ के राजनीतिक नेताओं द्वारा नहीं बल्कि विशेषज्ञों द्वारा होता रहा है ।

भारत-पाक युद्ध और वर्तमान विदेश नीति—१९६५ के मध्य में एशिया की राजनीति में एक नवीन तथ्य का उदय हो रहा था । पाकिस्तान, चीन और इन्डोनेशिया के सम्बन्ध दिनोंदिन बहुत बढ़ रहे थे और इसको देखकर “पिंडो-पकिंग जकार्ता धुरी” की स्थापना की बात को जा रही थी । अस्तुत इन तीनों देशों का सम्बन्ध बढ़ा ही घनिष्ठ हो गया था । इस बात का प्रबल प्रमाण तब मिला जब सितम्बर १९६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया । कम्युनिस्ट चीन ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को सहायता देने का उद्देश्य से भारत का विरुद्ध बढ़ा कड़ा रुख अपनाया तथा चीन-भारत सीमा पर सैनिक गतिविधि भी प्रारम्भ कर दिया । भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को इसे अवश्य ही कुछ लाभ हुआ । कम से कम कुछ दिनों तक पाकिस्तानियों का मनोबल तो उसने अवश्य ही ऊँचा किया । चीन की इस मित्रतापूर्ण कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के शासकों ने अपनी कृतज्ञता भी प्रकट की ।

इंडोनेशिया से भी पाकिस्तान को लोहाही समर्थन मिला । राष्ट्रपति मुकर्ण ने भारत को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, पाकिस्तान का सैनिक सहायता का मरोषा

दिया और इंडोनेशिया के नागरिकों को भारतीय दूतावास में उपद्रव करने को मडकाया गया। यद्यपि पाकिस्तान को युद्ध में इससे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहा हुआ, लेकिन एशिया में जिस "धुरी" का उदय हो रहा था उसके सुट्ट होने की सम्भावना स्पष्ट होने लगी। चीन के तरफ से भी कोई प्रभावकारी कदम नही उठाया गया। इससे पाकिस्तान को कुछ निराशा अवश्य हुई।

भारत के साथ युद्ध के समय पाकिस्तान को और भी निराशाएँ हुईं। पश्चिमी राज्यों ने भी उसका पूरा समर्थन नहीं किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सैनिक सहायता देना स्थगित कर दिया। जब तुर्की और ईरान ने पाकिस्तान को सहायता देने का वचन दिया तो बहुत अर्शों में पश्चिमी राज्यों के दबाव के कारण वे भी वैसा नहीं कर सके। सुरक्षा परिषद् में जोर्डान के सिवा किसी राज्य ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। मलयेशिया के प्रतिनिधि ने तो पाकिस्तान की कड़ो आलोचना की।* पाकिस्तान को सैनिक पराजय नही वरन् अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति दबाव ने भी भारत के साथ युद्ध बन्द कर देने को बाध्य किया। इस युद्ध ने पाकिस्तान की सम्पूर्ण नीति सैनिक और कूटनीतिक के खोखलापन को स्पष्ट कर दिया।

ताशकन्द सम्मेलन—ताशकन्द सम्मेलन को पाकिस्तान को विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण अध्याय माना जा सकता है। जिस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था उसी समय सोवियत प्रधानमन्त्री को और से युद्ध बन्द करने और सोवियत भूमि पर समझौता-वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति अयूब खॉं को एक पत्र मिला। ऐसा ही पत्र भारत के प्रधान मन्त्री को भी प्राप्त हुआ। भारत ने तो इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले आनाकानी की। बाद में इसको बुलते को तिनका का सहारा मानकर स्वीकार कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे किसी सम्मेलन पर विश्वास नहीं किया। ताशकन्द में सम्मेलन होने के कुछ ही दिनों पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन के समक्ष गिडगिडने के लिए जब अयूब खॉं संयुक्त राज्य अमेरिका गये तो इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसभ में एक भाषण दिया। उस भाषण में वहाँ भी ताशकन्द सम्मेलन की चर्चा नहीं की गयी। ये सारी बातें इस बात का द्योतक हैं कि पाकिस्तान के शासकों में विदेश नीति के सम्बन्ध में एक स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी।

मलयेशिया का इस तरह का विरोध १ पाकिस्तान ने वहाँ में (१९६५) एक साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध ताड़ लिए। लेकिन हम सम्बन्ध बिच्छेरे में करमार के तरेन पर मलयेशिया को नाति उसना महत्त्वपूर्ण नहीं था। वास्तविक बात यह थी कि इशानाशिया पुरु स हा मलयेशिया को दुरनन रहा और इशानाशिया का प्रयत्न करने के लिए पाकिस्तान ने उसके साथ अपना सम्बन्ध ताड़ लना ही अच्छा समझा।

शुरु में सोवियत सभ द्वारा आयोजित ताशकन्द सम्मेलन की उपेक्षा करना और बाद में फिर स्वीकार करके उस सम्मेलन में भाग लेना इस तथ्य का सूचक है कि विदेश नीति के क्षेत्र में उस समय पाकिस्तान के शासक किर्कतव्य विमूढ़ हो गये थे। किर्कतव्यविमूढ़ता की यह स्थिति आज भी पाकिस्तान की विदेश नीति में वर्तमान है।

पाकिस्तान की विदेश नीति आज वस्तुतः एक चोराहे पर खड़ी है और यह कब कैसा मोड़ ले कहा नहीं जा सकता। भारत को नीचा दिखलाने और कश्मीर को हड़ाने के लिए साम्यवाद के विरोध के नाम पर उसने पहले पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दिया। जब उसे कोई लाभ नष्ट हुआ तो उसने चीन के साथ गठबन्धन किया लेकिन चीन की मैत्री से भी उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा। अब पाकिस्तान को एक दूसरे प्रयोग में सहन है। वह अब सोवियत सघ की ओर झुक रहा है। ताशकन्द सम्मेलन में शामिल होना और सोवियत सघ की बात मानकर भारत के साथ एक अस्थायी समझौता कर लेना इस नीति का प्रारम्भ था। इसके बाद सोवियत सघ के साथ उसका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहा है। इधर हाल में सोवियत सघ और पाकिस्तानमें कई समझौते हुए हैं और दोनों देशों के राजनेताओं का भ्रमण जारी है। अप्रिल १९६८ में प्रधानमंत्री कोसिजिन का पाकिस्तान यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरु हुआ है। सोवियत सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में एक इस्पात कारखाना तथा एक आणविक शक्ति के द्र खुलने जा रहा है। यदि सोवियत सघ के साथ पाकिस्तान का इन्निष्ट सम्बन्ध स्थापित हुआ तो यह भारत और एशिया की शान्ति के हक में एक अच्छा करम होगा। सोवियत सघ के मैत्रीपूर्ण तथा सहायुभूति पूर्ण नीति के प्रभाव से कश्मीर की समस्या का उचित समाधान हो सकता है, पाकिस्तान में धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद की भावना बढ़ सकती है और भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्ध में सुधार हो सकता है।

विश्व राजनीति में इटोनीशिया

याजावी के लिए सघष - द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान के आत्म समर्पण के दो दिनों बाद १७ अगस्त, १९४५ को इटोनीशिया ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और इटोनीशिया गणराज्य के नाम से एक नये स्वाधीन राज्य की स्थापना हुई। इस विशाल द्वीप पुंज पर द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम इल्लेह का शासन था। युद्ध के काल में इटोनीशिया पर जापानियों का कब्जा हो गया। जापान के आत्मसमर्पण करने के पहले यह तय किया गया कि युद्ध के बाद पर पुनः उच्च प्रभुत्वता को कायम किया जायगा।

समर्थन किया। लेकिन इसी बीच स्वतन्त्र इंडोनीशिया गणराज्य की स्थापना हो गयी। जब मित्र राज्यों की सेना इंडोनीशिया में चली तो वहाँ की जनता में क्रोध और विरोध की भावना समझ पडी। उन्होंने समझा कि ये सेनाएँ इंडोनीशिया पुनः डच साम्राज्यवाद को लादने चली आयी हैं। अतएव २३ अक्टूबर १९४५ को इंडोनीशियाई युवकों और ब्रिटिश सेनाओं में खूनकर जोरदार टकरा हो गयी। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के हजारों व्यक्ति मारे गये। २५ अक्टूबर १९४५ को इंडोनीशिया की राष्ट्रवादी सरकार ने यह घोषणा की कि वह प्रयुक्तता के हस्तान्तरण के विषय में डच सरकार से समझौता वार्ता करने के लिए तैयार है। मध्यस्थों के प्रयास से निदर्लैंड भी वार्ता के लिए तैयार हो गया और उसने एक नौ सूत्री प्रस्ताव रखा। लेकिन इंडोनीशिया ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। दोनों पक्षों ने समझौता करने के कई प्रयास हुए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली।

सुरक्षा परिषद में इंडोनीशिया का प्रश्न—इसी बीच १७ जनवरी, १९४६ को यूकेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह आरोप लगाया कि ब्रिटेन और डचों की सेनाओं ने इंडोनीशिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया है और उनका यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। उसने यह माँग की कि संयुक्त राष्ट्र इस बात को जाँच करे और इंडोनीशिया को विदेशी सेनाओं से मुक्ति दिलावे। सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार तो अवश्य किया लेकिन बहुमत के अभाव में प्रस्ताव गिर गया और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

डचों द्वारा फूट डालने की नीति—इंडोनीशिया और डच सरकार में समझौता करने के लिए सुरक्षा परिषद के बाहर भी कई प्रयास हुए। १३ मार्च, १९४६ को इंडोनीशियाई गणराज्य के प्रधान मंत्री शहरयार ने यह प्रस्ताव रखा कि वार्ता प्रारम्भ करने के पहले डच सरकार इंडोनीशिया क गणराज्य को मायता प्रदान कर दे और समझौता होते ही इंडोनीशिया से अपनी सेना वापस बुला ले। डच सरकार इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। १४ अप्रिल, १९४६ को हेग में दोनों दलों के बीच एक समझौता वार्ता प्रारम्भ भी हुई लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। २४ अप्रिल को यह वार्ता भंग हो गयी। दोनों पक्ष अब पहले से बहुत कठोर हो गये थे।

इस हालत में डच सरकार ने इंडोनीशिया को जनता में फूट पैदा कराने की नीति का अवलम्बन किया। सधर इंडोनीशिया के कुछ स्वार्थी वर्गों और भाड़े के दंडुओं को प्रोत्साहित कर उनसे १९४६ में मेंटिरो सम्मेलन का आयोजन कराया। इसमें शामिल होने वालों ने गणराज्य का विरोध किया और हालैंड की सहायता

में एक सघोय राज्य की स्थापना की मांग की। इस तरह के और भी कई प्रयास किये गये और इंडोनेशिया में पार्थक्यवादी आंदोलन ने जोर मकड़ लिया।

प्रथम "पुलिस कार्यवाही"—२७ मई, १९४७ को इंडोनेशिया स्थित डच गवर्नर ने अविलम्ब एक सघोय परिषद् की स्थापना की और साम्राज्य के अन्तर्गत एक सघोय गणराज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इंडोनेशिया के गणराज्य ने डच सरकार के इस प्रयास को एक चुनौती के रूप में ग्रहण किया। २७ जून को प्रधान मंत्री शहरायार ने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर सजरफुद्दीन इंडोनेशिया गणराज्य की प्रधान मंत्री बनाये गये। यह परिस्थिति को विषम बनाने की सूचना थी। सजरफुद्दीन सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया और डच-प्रस्ताव को स्पष्ट शर्तों में मानने से इन्कार कर दिया। इंडोनेशिया की स्थिति गम्भीर होने लगी। १४ जुलाई, १९४७ को डच सरकार ने गणराज्य की सरकार को यह अल्टिमेटम दिया कि वह १६ जुलाई तक डच विरोधी हिंसात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कर दे, विदेशी नागरिकों को जन्त सम्पत्ति वापस कर दें और डच अधिकृत क्षेत्रों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध को सटा ले, अन्यथा डच सरकार इनके विरुद्ध अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करेगी। गणराज्य की सरकार में इस अल्टिमेटम को अस्वीकार कर दिया। फलतः २१ जुलाई को डच सेनाओं ने जावा और सुमात्रा पर हमला बोल दिया। डच सरकार ने इसको "सीमित पुलिस कार्यवाही" बतलाया और इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को दे दी।

२८ जुलाई को भारत के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू और शेख हसन एल बन्ना ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से इंडोनेशिया में अविलम्ब हस्तक्षेप करने की अपील की और भारत सरकार ने डच वायुयानों को अपने क्षेत्र से गुजरने की मनाही कर दी। २३ जुलाई को भारत और आस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद् के समक्ष हिन्देशिया के प्रश्न को पुनः प्रस्तुत किया। १ अगस्त, १९४७ से २६ अगस्त, १९४७ तक सुरक्षा परिषद् में समस्या पर निरन्तर विचार विमर्श होता रहा। सुरक्षा परिषद् ने दोनों पक्षों का अविलम्ब युद्ध बन्द कर देने और पंच फेसने अथवा शांतिपूर्ण समझौता वार्ता द्वारा समस्या को सुलझाने के लिए कहा। सुरक्षा परिषद् में युद्ध विराम आयोग की स्थापना का प्रस्ताव तो नहीं पास हो सका लेकिन एक सकार्य समिति (Good Offices Committee) की स्थापना कर दी गयी। इस समिति के प्रयासों से लड़ाई बन्द हो गयी और हॉलैंड तथा गणराज्य ने १७ जनवरी, १९४८ को एक विराम संधि के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद दोनों पक्षों में स्थायी सन्धि के लिए वार्ता चलने लगी। इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव आये। लेकिन पुनः दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो सका। डच सरकार ने "संयुक्त राज्य इंडोनेशिया" को अन्तिम एव औपचारिक रूप प्रदान करने का निश्चय किया

तथा सघ और उसके सदस्यों के अधिकारों को अधिक महत्त्व प्रदान करके गणराज्य की स्थिति को गिराने की कोशिश की। मार्च १९४८ में डच सरकार ने "निदरलैंड इस्ट इंडिज" के लिए एक "कार्यकारी सघीय सरकार" की नियुक्ति की। किंतु गणराज्य ने स्वयं को इससे सम्बद्ध करने से इन्कार कर दिया। इसी बीच १६ १७ अगस्त को तिमूर (बरेविया) में वह अभियंता घटना घट गयी जिसके फलस्वरूप गणराज्य के सैनिकों और डच सैनिकों में पुनः जोरदार संघर्ष छिड़ गया।

दूसरी पुलिस कायदाही—१६ दिसम्बर, १९४८ को युद्ध विराम संधि पुनः भंग कर दी गयी और दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष छिड़ गया। गणराज्य का सेना सितर बितर कर दी गयी और उसके नेताओं को कैद कर लिया गया। सुरक्षा परिषद् के एक सत्रकालीन बैठक में २२ दिसम्बर को समस्या पर पुनः विचार किया गया। उसने हार्लैंड को लडाई बन्द करने, गणराज्य के प्रधान तथा अन्य राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए कहा। इसी बीच २० जनवरी, १९४९ से २३ जनवरी तक नयी दिल्ली इंडोनीशिया की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डच कार्यवाही की जोरदार निन्दा की गयी। २८ जनवरी, १९४९ को सुरक्षा परिषद् ने दूसरा युद्ध-विराम आदेश जारी किया। डचों ने कुछ समय तक तो इस प्रस्ताव का विरोध किया। किन्तु, बाद में अमेरिका के दबाव में २ मार्च, १९४९ को वे हेग में इस विषय में गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार हो गये। लग्नी संधि वार्ता के बाद डचों ने अपनी सेनाएँ जावा और सुमात्रा से हटा लीं। हेग का सम्मेलन २३ अगस्त से २ नवम्बर, १९४९ तक हुआ। २ नवम्बर को एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार सयुक्तराज्य इंडोनीशिया को १६ राज्यों सहित नीदरलैंड्स की सामेदारी में एक ही सम्प्रभु की छत्रछाया में समान स्तर पर एक सार्वभौम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में परिणत करने का निश्चय किया गया। लेकिन प्रस्तावित सघ सरकार में 'डच न्यूगिनी' या 'वेस्ट इरियन' को समाविष्ट नहीं किया गया। २७ दिसम्बर, १९४९ को एक औपचारिक समारोह में इंडोनाशिया ने डच शासकों से पूर्ण सावभौविकता प्राप्त की। राजधानी का नाम बटेविया से बदलकर जकार्ता (Djakarta) रखा गया। वाशिंगटन ने शीघ्र ही नये राज्य का कूटनीतिक मान्यता प्रदान की तथा उसको राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

इंडोनीशिया गणराज्य की स्थापना—लेकिन डच 'क्राउन' की छत्रछाया में उपरोक्त 'सघीय सयुक्त राज्य इंडोनाशिया' की स्थापना से भी देश में शान्ति का वातावरण न बनाया जा सका। इंडोनीशियावासी नीदरलैंड्स से पूर्णरूपेण पृथक एक 'एकात्मक' राज्य के इच्छुक थे। उन्होंने राज्य के 'सघीय' स्वरूप को खत्म करने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ किया तथा १५ अगस्त, १९५० को

सोलह राज्यों के मूल सघ (federation) के स्थान पर 'इंडोनीशिया गणतन्त्र' (Republic of Indonesia) के नाम ने सोलह प्रान्तों वाले एक एकात्मक राज्य की स्थापना की गई। १० अगस्त, १९५४ को पारस्परिक सहमति से इंडोनीशिया तथा नीदरलैंड्स के मध्य प्रस्तावित सघ को भी दफना दिया गया तथा दोनों देशों ने परस्पर सार्वभौम राज्यों वाले सम्बन्ध स्थापित किये।

पश्चिम इरियन की समस्या—लेकिन इसके बाद भी इंडोनीशिया और हालैंड में पारस्परिक मतभेद बना रहा। यह मतभेद कई बातों पर था जिसमें सबसे प्रमुख विवाद पश्चिमी इरियन (Irian) की समस्या के साथ सम्बद्ध था। हालैंड ने इंडोनीशिया का तो स्वतन्त्र कर दिया लेकिन डच न्यूगिनी (इरियन) इंडोनीशिया को सपने से इन्कार कर दिया। यह स्वाभाविक था कि इंडोनीशिया डच साम्राज्यवाद के इस अवशेष को अपनी भूमि से मिटाने का प्रयास करे। गोवा का भारत के साथ मिलन के बिना जिस तरह भारत की स्वाधीनता अपूर्ण थी उसी प्रकार न्यूगिनी का एक अंश जब तक हालैंड के अधीन रहता तब तक इंडोनीशिया की स्वाधीनता भी अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त डचों के इस प्रदेश में बने रहने से इंडोनीशिया की स्वाधीनता के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता था।

इंडोनीशिया गणराज्य अपने जन्म के समय से ही पश्चिमी इरियन की वापस किये जाने की जोदार माग करता रहा। हालैंड ने यह आश्वासन दिया था कि १९५० तक यह समस्या सुलझा ली जायगी, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। पश्चिमी इरियन की समस्या पर विचार करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गयी जिसमें डच और इंडोनीशिया के प्रतिनिधि शामिल किये गये, लेकिन मतभेद सुलझाया नहीं जा सका। २३ दिसम्बर को आयोग की बार्ता खत्म हो गयी और इंडोनीशिया के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि अब इस प्रश्न पर हालैंड से बार्ता केवल सत्ता के हस्तान्तरण के प्रश्न पर ही होगी। राष्ट्रपति सुकर्ण ने इरियन को मुक्त करने की घोषणा की। १८ अगस्त, १९५४ को इंडोनीशिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसघ में यह अनुरोध किया कि वह इस मामले में दिलचस्पी लेकर दोनों पक्षों का उचित हल ढूँढ़ने में सहायता करें। हालैंड ने इसका विरोध किया।

१९ नवम्बर, १९५७ को संयुक्त राष्ट्रसघ १९ अफ्रीशियाई राष्ट्रों ने पश्चिमी इरियन से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पेश किया। लेकिन साधारण सभा में इस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। सघ में समय न मिलने के कारण इंडोनीशिया की जनता में व्यापक रोष पैदा हुआ। जनता ने उपद्रव शुरू करके डच सयोग, कारखानों, बैंकों, कार्यालयों आदि पर अधिकार करना शुरू किया। इंडोनीशिया में डचों की सारी सम्पत्ति पर अधिकार करने की चप्टा

की गयी। इ डोनीशिया की सरकार ने भी कठोर कार्रवाई की। उसने दस हजार टच नागरिकों को निष्कासित कर दिया।

इ डोनीशिया के पड़ोसी आस्ट्रेलिया ने हालैंड का समर्थन किया और दोनों ने इ डोनीशिया की इस कार्रवाई का बड़ा विरोध किया। हालैंड ने अपने दो युद्धपोत न्यूगिनी के लिए रवाना कर दिये। इसके बाद बहुत से सैनिक वहाँ भेजे गये। इ डोनीशिया ने इसका विरोध किया। पश्चिम-इरियन को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर हालैंड की अड़ गेवाजी तथा इस प्रकार की सैनिक कारवाही को देखते हुए राष्ट्रपति सुवण ने हालैंड के साथ राजनीतिक सम्बन्ध भंग करने की घोषणा कर दी।

इ डोनीशिया और हालैंड का सम्बन्ध पुन बिगड़ते देख अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव यूथात ने पश्चिम इरियन की समस्या के समाधान के लिए यत्न करना शुरू किया। लेकिन वाशिंगटन में राष्ट्रपति कैनेडी के प्रेरणा से हालैंड के प्रतिनिधि और इ डोनीशियाई राजदूत के मध्य जो वार्ता हुई उसका कोई सतोपजनक परिणाम नहीं निकला। इसी समय अमरीकी कूटनीतिज्ञ एल्सवथ बकर ने समस्या के समाधान हेतु एक योजना प्रस्तुत की जो बकर-योजना कहलायी। इस योजना के आधार पर हालैंड और इ डोनीशिया में पश्चिम इरियन के प्रश्न पर समझौता हो गया और दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से समस्या को हल करने की बात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया और मई, १९६४ में पश्चिम इरियन को डच प्रभुसत्ता से मुक्ति मिल गयी तथा वह इ डोनीशिया के अधिकार में आ गया। इस प्रकार तेरह बर के लम्बे विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान हुआ।

इ डोनीशिया को आंतरिक राजनीति—विश्व राजनीति के प्रति इ डोनीशिया का दृष्टिकोण बहुत कुछ उसकी अपनी आंतरिक परिस्थितियाँ से प्रभावित रहा है। अतएव इ डोनीशिया की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी आन्तरिक राजनीति को समझना आवश्यक है। जब देश विदेशी आधिपत्य से मुक्त हुआ तो उसकी ८० प्रतिशत जनता अशिक्षित थी। इसक अतिरिक्त जनसंख्या के बहुजातीय स्वरूपके कारण देश में फूट तथा मतभेदों का जन्म हुआ और कुछ काल तक गणराज्य में पूर्ण अराजकता कायम रही। राजनीतिक पार्टियों की अधिकता ने देश में पूर्ण अण्यवस्था फैला दी। इ डोनीशिया में 'राष्ट्रवादी दल' (The Nationalist or the PNI) 'साम्यवादी दल' (The PKI) तथा मुसलमानों में दो संगठन 'मुस्लिम सभ' या, मसजुमी (The Muslim Federation or the MasJumi) तथा 'रूढ़ीवादी इस्लाम' (Orthodox Islam)

चार मुख्य प्रतिद्वन्द्वी थे। अक्टूबर १९५६ में राष्ट्रपति सुकर्ण ने इतने सारे राजनीतिक दलों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट रूप से प्रकट किया तथा एशियाई देशों के लिए पश्चात्य सदारवादी गठन को हानिकारक बताया।

१९५२ में पश्चिमी राष्ट्रा की समर्थक मसजुमी सरकार को पारस्परिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अमरीकी सहायता स्वीकार करने के कारण एक अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अल्पस्थ कर दिया गया तथा राष्ट्रवादियों ने साम्यवादियों की सहायता से डा० अली शासिमिदजोजो के नेतृत्व में नयी सरकार का निर्माण किया। इंडोनीशिया में प्रथम संसदीय चुनाव सितम्बर १९५५ में हुआ। इसमें बाइस राजनीतिक दलों ने अपने अपने सम्मीक्षित खंडे किये। अतएव किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिल सका और एक मिली जुली सरकार की स्थापना की गयी। इसका शीघ्र ही बाद सरकार की आधिक नीति से असंतुष्ट होकर सुमात्रा और कुछ अन्य द्वीपों के लोगों ने विद्रोह कर दिया और १४ मार्च, १९५७ को डा० शासिमिदजोजो के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा। राष्ट्रपति सुकर्ण ने सारे देश में सैनिक शासन लागू कर दिया और डा० जुआंडा को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। उनके मन्त्रिमण्डल में केवल विशेषज्ञों को ही रखा गया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने देश के समस्त अपने दिग्दर्शित लोकतन्त्र (Guided democracy) की योजना रखी। लेकिन सुमात्रा, बोनिनो तथा सेलिविस के द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने से इन्कार करते रहे और उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। विद्रोहियों की क्रान्तिकारी परिषद् ने १० फरवरी, १९५८ को इंडोनीशिया की सरकार को यह अल्टि-मेटम दिया कि वह साम्यवादियों से सहानुभूति रखने वाली डा० जुआंडा की सरकार को भगकर साम्यवादी विहीन मन्त्रिमण्डल का गठन करे और दिग्दर्शित लोकतन्त्र के ढोंग का परित्याग कर दे। १५ फरवरी, १९५८ को सुमात्रा के विद्रोहियों ने एक पृथक सरकार स्थापित कर ली। इस समय राष्ट्रपति सुकर्ण अवकाश में थे और विदेश भ्रमण पर गये थे। वे दूरत वापस आये और विद्रोहियों को कुचलने का आदेश जारी कर दिया। १५ मार्च, १९५८ को विद्रोहियों पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया गया और सारे देश में आपात की घोषणा कर दी गयी। चार महीनों के अन्दर सारे विद्रोही कुचल दिये गये और इंडोनीशिया की केन्द्रीय सरकार पुनः अपनी सत्ता सम्पूर्ण इंडोनीशिया पर स्थापित करने में सफल हो गयी।

१२ जनवरी, १९६० को सुकर्ण ने "दिग्दर्शित लोकतन्त्र" को अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद अपनी अधिपक्षता में राष्ट्रपति ने नेशनल फ्रंट के नाम से एक नया राजनीतिक संगठन तथा पिपुल्स कन्सल्टेशन काउंसिल के नाम से एक सर्वोच्च राज्य सभा की स्थापना की घोषणा की। ५ मार्च, १९६० को सुकर्ण ने संसद् को भंग कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रपति सुकर्ण

इडोनीशिया के तानाशाह बन बैठे। इसके विरोध में १९६३ में राष्ट्रपति सुकर्ण के हत्या के दो पल किये गये। लेकिन पडयन्त्रकारियों को सफलता नहीं मिली।

इडोनीशिया की विदेश नीति

तटस्थता का दृष्टिकोण— आन्तरिक क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता तथा वार्थिक कठिनाई के कारण इन्डोनीशिया को विश्व राजनीति के प्रति असफलता की नीति ही सर्वोत्तम दिखाई पड़ी। इन्डोनीशिया के नेताओं पर विश्व राजनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण का बहुत प्रभाव था तथा १९५१ में ही संयुक्त राष्ट्रसभ दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति सुकर्ण ने घोषणा की थी कि "हमारी स्थिति विरोधी गुटों से अलग रहने का है। हम इन विरोधी गुटों के बीच एक पुल के रूप में सहायक होने की आशा रखते हैं।" आजादी की लड़ाई के समय सोवियत संघ ने जिस जोश के साथ इन्डोनीशिया का समर्थन किया था, उसको इन्डोनीशिया के नेता अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इसका कारण था कि वे शीत युद्ध को अपने देह में नहीं लाने देना चाहते थे। फलतः शुरू में इन्डोनीशिया के साम्यवादियों को कदम लेना पड़ा था। रुस ने इन्डोनीशिया की गड़बड़ स्थिति से लाभ उठाने में अपनी असफलता के कारण शीघ्र ही रुख बदल दिया और कटुता को न बदलने देने के लिए २० सितम्बर १९५६ को इन्डोनीशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इसी तरह इन्डोनीशिया को अमेरिका से भी नफरत थी। स्वतन्त्रता के संघर्ष में अमेरिका कई तरह से उच्च की सहायता करता था। फिर भी इन्डोनीशिया ने अपने से काम लिया और दोनों गुटों के साथ तटस्थता की नीति के आधार पर अपने सम्बन्ध कायम किये। इन्डोनीशिया ने अमरीकी तकनीकी सहायता स्वीकार किया लेकिन उसने अमेरिका के पारस्परिक सुरक्षा समझौते में भाग लेने से इंकार कर दिया। उसने १९५४ में स्थापित दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य सगठन (Seato) का विरोध किया, जिन्से १९५६ में अमरीकी सचिव डेलस का जकार्ता में द्वारिक सत्र गठन किया गया तथा उसी वर्ष राष्ट्रपति सुकर्ण का भी दक्षिणपूर्व में उठने ही गरम जोशों से स्वागत हुआ। इन्डोनीशिया को सरकार ने शीघ्रता से साम्यवादी चीन की मान्यता प्रदान की तथा फिलिपाईन्स के साथ स्थायी मैत्री को एक सन्धि भी उसी के साथ की। जकार्ता ने कारिया में चीन को आक्रमणकारी घोषित करके अमरीकी मुद्रा को स्वीकार नहीं किया। उसने इसी प्रकार एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में पश्चिमी साम्राज्यवाद की मरहना की। उसने कई जगहों पर संयुक्त राष्ट्रसभ में मोक्षित संघ को भी निन्दा की। इन्डोनीशियाई नेताओं ने भारत को 'तटस्थता' तथा उपनिवेशवाद विरोधी नीति की प्रशंसा की, लेकिन उद्दान नहीं दिन्ता का सम्बन्धानुकरण न करके राष्ट्रसभ में कई अवसरों पर भारत के पक्ष में भाग भी लेना था।

एशियाई देशों को सगठित करना और उन्हें एकता के सूत्र में आवद्ध करना इन्डोनीशिया की प्रारम्भिक विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। उसने इस काम में इतनी दिलचस्पी ली कि उसके सम्मान में १९५५ में जकार्ता से पचहत्तर मील दूर बाडु ग में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। बाडु ग सम्मेलन आधुनिक एशिया के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

इन्डोनीशिया और चीन— इन्डोनीशिया और चीन का सम्बन्ध विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि इन्डोनीशिया में हजारों-हजार की सख्या में चीनी लोग निवास करते हैं। शुरू में चीन के साथ इन्डोनीशिया का सम्बन्ध बड़ा अच्छा रहा। इन्डोनीशिया ने तुरत चीन को मान्यता दी और कोरिया युद्ध में चीन को आक्रामक घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध किया। १९५५ के बाडु ग-सम्मेलन में चीन और इन्डोनीशिया के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ और दोनों देशों की सरकारों ने इन्डोनीशिया में बसे चीनियों की स्थिति की देख रेख के लिए एक समझौता किया। इसके बाद दोनों देशों सम्बन्ध बड़ा मैत्रीपूर्ण रहा।

लेकिन १९५९ के आरम्भ में मैत्री के ये घागे टूटने लगे। उस समय इन्डोनीशिया की सरकार ने चीनियों के व्यापारिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया। ये चीनी व्यापारी इन्डोनीशिया के व्यापारिक जीवन पर एकाधिकार कायम किये हुए थे जिसका प्रभाव इन्डोनीशिया की धर्म व्यवस्था पर बड़ा बुरा पड़ रहा था। कम्युनिस्ट चीन की सरकार ने इन्डोनीशिया की इस नीति का बड़ा विरोध किया। २२ दिसम्बर, १९५९ को चीन ने सुझाव दिया कि प्रवासी चीनियों की स्थिति पर चीन और इन्डोनीशिया में कोई समझौता हो जाना चाहिए। इन्डोनीशिया की सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। फलतः दोनों देशों का सम्बन्ध बड़ा कट्टर हो गया। लेकिन १९६० में इन्डोनीशिया में बसे प्रवासी चीनियों के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया तथा चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध पुनः अच्छा हो गया।

मलेशिया का निर्माण— इसी समय इन्डोनीशिया के पड़ोस में मलेशिया का निर्माण की योजना बनी। इसी योजना ने चीन और इन्डोनीशिया को बहुत निकट ला दिया। कम्युनिस्टों के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से ही मलाया के प्रधान मंत्री टंकु अब्दुल रहमान ने मलेशिया संघ की योजना बनायी। चीन के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक था। उधर इन्डोनीशिया में भी राष्ट्रपति सुकर्णो साम्यवादी पार्टी पी० के० आई० के सहयोग पर आधित थे। अतएव दोनों देशों ने मलेशिया संघ की योजना को असफल बनाने का निश्चय किया। राष्ट्रपति सुकर्णो ने खुलेआम यह घोषणा की कि वे इस संघ की शक्ति का प्रयोग का अन्त कर देंगे।

इस तरह की घनकी वे शुरू से अंत तक देते आये हैं। इस कार्य में चीन ने उनका पूरा समर्थन किया है।

इसके विपरीत पश्चिमी शक्तियों ने मलेशिया सब का पूरा समर्थन किया क्योंकि यह सब चीनी साम्यवाद के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अतएव इन्डोनीशिया पश्चिमी गुट का बहुत कड़ा विरोधी हो गया है। इस तरह की लेकर भारत के साथ भी उसका सम्बन्ध खराब हो गया। सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया था। इस हलत में जब चीन मलेशिया का विरोध कर रहा था तो भारत के लिए यह विलकुल स्वाभाविक था कि वह मलेशिया के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करे। भारत का हित इसी में है कि चीन के प्रभाव का विस्तार न हो जो मलेशिया की स्थापना इसी प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए की गया था। अतएव इस कारण भारत और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध बिगड़ने लगा और इन्डोनीशिया में भारत विरोधी अभियान शुरू हुआ।

एशिया में नया शक्ति समूह इस प्रकार मलेशिया की स्थापना और उसके प्रति इन्डोनीशिया की नीति, एशिया की राजनीति और शक्ति समूह (group alignment) में एक घोर परिवर्तन कर दिया। इन्डोनीशिया पश्चिमी शक्तियों का कट्टर विरोधी बन गया तथा भारत के साथ उसका अच्छा सम्बन्ध भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही इन्डोनीशिया और कम्युनिस्ट चीन एक दूसरे के बहुत निश्चय आ गये। इसमें एक तीसरी शक्ति का भी प्रवेश हो गया। वह था पाकिस्तान। हम कह आये हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य कर्नोर को प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पहले पश्चिमी गुट में शामिल हुआ। लेकिन जब इससे कोई लाभ नहीं हुआ तो वह चीन को ओर झुकने लगा। १९६०-६२ के मध्य चीन और पाकिस्तान के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ। अब एशिया के तीन राज्यों—कम्युनिस्ट चीन, पाकिस्तान और इन्डोनीशिया में नया घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ। प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर ये तीनों देश एक-उपर विचार प्रकट करने लगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करार लगे। इनका सहयोग इतना बढ़ गया कि इनके इस सहयोग को “ट्रिबो पिटिंग अकावा पुरो” की उठा दी जाने लगी। १९६८ के अक्टूबर में हुए काहिरा के तटस्थ राष्ट्रीय सम्मेलन में इन तीनों देशों ने एक नीति का अनुसरण किया और तीनों का सहयोग पराकाष्ठा पर पहुँच गया।

मलेशिया के विरोध में इन्डोनीशिया एकदम अपना हाँ गया। समन अमेरिका के साथ अपने सारे बार्थिक सम्बन्ध तोड़ लिये। मलेशिया के प्रति इन्डोनीशिया की प्रथा इतनी तीव्र हो गयी थी कि जनवरी १९६५ में उसने समुद्र

राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की भी घोषणा कर दी। चूंकि मलेशिया सुरक्षा परिषद् का सदस्य चुन लिया गया, इसके विरोध में इन्डोनेशिया ने यह कार्यवाही की। राष्ट्रपति सुकर्ण ने यह भी धमकी दी कि वे एशिया और अफ्रिका के विक्षुब्ध देशों को मिलाकर एक दूसरे संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना करेंगे।

भारत-पाक युद्ध और इन्डोनेशिया—एशिया के इतिहास में १९६५ का वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेगा। इस युद्ध में इन्डोनेशिया और चीन ने पाकिस्तान के आक्रामक कारवाइ का पूरा पूरा समर्थन किया। 'हिंडो-पैकिंग जकार्ता धुरी' के सहयोग का इस अवसर पर चरम विकास हुआ। इन्डोनेशिया के उपद्रवकारियों ने भारतीय दूतावास को लूट लिया और सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। चीन ने भी सीमान्त पर सैनिक गतिविधि शुरू कर दी। पाकिस्तान ने यह धमकी दी कि यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ उसके मनोनुकूल कार्य नहीं करता तो वह भी संघ से अपने को पृथक् कर लेगा। बाद में पाकिस्तान ने मलये शिया के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद् में मलये शियाई प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की आक्रामक कारवाइ का बड़ा विरोध किया था। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय ऐसा प्रतीत हान लगा था कि 'हिंडो-पैकिंग जकार्ता धुरी' अब एशिया की राजनीति में एक तथ्य बनकर आया है जो स्थायी सिद्ध होगा।

इन्डोनेशिया की आ-तरिक गडबडों 'हिंडो-पैकिंग जकार्ता धुरी' का अर्थ—लेकिन पाकिस्तान, कम्युनिस्ट चीन तथा इन्डोनेशिया का यह नव-संगठन स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। इसका कारण था इन्डोनेशिया को आन्तरिक उथल-पुथल। इन्डोनेशिया की पी० के० आई० चीन कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर एशिया के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों में शक्तिशाली है। इस दल को सरकारी १९६५ के मध्य में साठे सतरह लाख थी। इस दल के नेता डॉ० एन० एदित (D N Aidit) थे। रूस और चीन के बीच जो सैद्धान्तिक विवाद चल रहा था उसमें एदित की सहानुभूति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी। राष्ट्रपति सुकर्ण पर पी० के० आई० का दबल प्रभाव है और इसी प्रभाव के कारण चीन और इन्डोनेशिया का सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहा था। दोनों के मंत्रों का वाषिष्ठोत्सव दोनों राष्ट्रों की राजधानियों में बड़े समारोह के साथ मनाया जाता था। जकार्ता में मानि-नोबाकी के मुकामले में लिन श्याओ चीन का स्वागत हमेशा शानदार रहा। इन्डोनेशियाई कम्युनिस्ट दल ने सुकर्ण का पूरा साथ दिया है। जबतक पश्चिमी इरियन की समस्या थी तबतक देश के राजनीतिक दलों में एकता बनी रही। लेकिन पश्चिमी इरियन का शासन सम्भालने के बाद घटकाभीन स्थिति बनाए हो गयी और आर्थिक समस्या सर्वोपरि हो गयी। जबतक इन्डोनेशियाई संघ

और पी० के० आर्ह० पश्चिमो हरियन को हथियाने की माँग ने साथ रहे पर जब आर्थिक प्रश्न सामने आया तो दोनों में सघष अनिवाय हो गया। कम्युनिस्ट दैनिक पत्र "हेरियन रनजात" ने इस सक्क के बारे में चेतावनी देते हुए लिखा था "समस्या हमारे सामने यह है कि यहसख्यकों और अहरसख्यकों के हितों में किसका हित सर्वाधिक जरूरी है—नगरों एव ग्रामों की जनता का अथवा अपहर्ताओं का ? इन दो में से एक का परित्याग तो करना ही होगा। दोनों के स्वार्थों की रक्षा एक साथ सम्भव नहीं।" १९६५ के मध्य आते आते इन्डोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रपति सुकण की आर्थिक नीति से पूरे तरह असन्तुष्ट हो गयी थी और उनके खिलाफ विद्रोह करने की साजिश में जुट गयी थी।

३० सितम्बर, १९६५ को कम्युनिस्ट द्वारा प्रेरित राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ एक सैनिक विद्रोह हो गया। राष्ट्रपति भवन के सैनिकों का कमान्डर ले० क० उन्तुंग (Lt Col Untung) ने एकाएक भवन पर घावा करके राष्ट्रपति सुकण के शासन का अन्त करने का बड़ा ही साहसी यत्न किया। ले० क० उन्तुंग ने सुरक्षा मन्त्री जनरल नसूतियों तथा इन्डोनीशियाई सेना के कई उच्च अफसरों को कैद कर लिया और राष्ट्रपति डा० सुकर्ण को 'रक्षात्मक कैद' में रख दिया। पैत लीस व्यक्तियों को एक क्रान्तिकारी परिषद् बना ली गयी जिसका काम देश का शासन चलाना होता।

लेकिन यह विद्रोह दूरत हो दबा दिया गया। राष्ट्रपति सुकण के प्रति वफादारी खनेवाली सेना ने दूरत काम किया और विद्रोह को कुचन दिया। विद्रोहियों ने सेना के छ उच्च पदाधिकारियों को हत्या कर दी और वे जावा की राजधानी जकार्ता भाग गये। जनरल नसूतियों और राष्ट्रपति सुकर्ण को जान किसी तरह बच गयी।

राष्ट्रपति सुकण इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट पार्टी को शांति से परिचित थे। अतएव उन्होंने इस घटना को भूल जाने की अपील की और विद्रोहियों को क्षमा कर देने का आश्वासन दिया। लेकिन इन्डोनीशियाई सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत दिनों से घोर विरोध चला आ रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ ऐसी पार्टियाँ भी थीं जो धार्मिक कटाका से प्रभावित थीं। इन लोगों ने कम्युनिस्टों का सफाया करने का इसे अच्छा अवसर समझा। अतएव देश में छिटपुट कम्युनिस्टों और इन शक्तियों में सघष होने लगा। ५ अक्टूबर, १९६५ को इन्डोनीशिया के एकाधिक सगठनों ने यह माँग की कि पी० के० आर्ह० का उभर उठना घोषित कर दिया जाय। इन माँगों के साथ साथ कम्युनिस्ट विरोध प्रदर्शन और बनव भी शुरू हुए। १८ अक्टूबर को नेता ने पी० के० आर्ह० का अर्थ घोषित कर दिया तथा पार्टी के कार्यालय तथा समाचार पत्र अन्त कर लिये गये।

इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध ने चीन विरोधी आन्दोलन का रूप भी धारण कर लिया। जकार्ता में एक चीनी विश्वविद्यालय था। इसमें आग लगा दी गयी। चीनी दूतावास पर भी हमले हुए। लोगों का खयाल था कि ३० सितम्बर के विद्रोह में चीन का हाथ था और इसलिए वे चीन के साथ सम्बन्ध विच्छेद की माँग करने लगे। इन्डोनीशिया में चीन विरोधी अभियान के विरुद्ध चीन की सरकार ने बड़ा कड़ा विरोध पत्र भेजा। ऐसा प्रतीत हुआ कि चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध अब सदा-सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। रिंडी-पिक्किंग जकार्ता घुसी की बात हवा में उड़ गयी। राष्ट्रपति सुवर्ण पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सके।

इन्डोनीशिया की आन्तरिक गड़बड़ी एशिया के इतिहास की एक युगान्तकारी घटना मानी जा सकती है। इसने इन्डोनीशिया को ही शक्तिहीन नहीं बना दिया है, वरन् एशिया में जो एक नये शक्ति संगठन का उदय हो रहा था, उसका भी अन्त कर दिया। राष्ट्रपति सुवर्ण ने कई बार एकता के लिए अपील की, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सम्पूर्ण इन्डोनीशिया में कम्युनिस्ट और चीन-विरोधी लहर चल पड़ी और इसको लेकर वहाँ की राजनीति बिल्कुल अनिश्चित हो गयी थी। अक्टूबर १९६५ से फरवरी १९६६ तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब इन्डोनीशिया में कोई उपद्रव नहीं हुआ हो। राष्ट्रपति सुवर्ण पूरी तरह से कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिशाली सेना के प्रभाव में आ गये और वे किसी भी मूल्य पर चीन को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। इन्डोनीशिया में चीन के विरुद्ध जो वातावरण तैयार हुआ उसने रिंडी-पिक्किंग-जकार्ता घुसी का अन्त करके ही छोड़ा।

१२ मार्च, १९६६ को इन्डोनीशिया का यह राजनीतिक नाटक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। उस दिन ले० जनरल सुहातो के नेतृत्व में सैनिक नेताओं ने राष्ट्रपति सुवर्ण के साथ लम्बी बातचीत के बाद इन्डोनीशिया में शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता अपने हाथ में ले ली। जकार्ता रेडियो ने घोषित किया राष्ट्रपति सुवर्ण ने जनरल सुहातो को अपने सारे अधिकार सौंप दिये हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में पुनः कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन था। ११ मार्च का दिन भर छात्रों के कम्युनिस्ट विरोधी प्रदर्शनों के कारण स्थिति काफी खराब हो गयी थी। इस हालत में सेना ने हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति सुवर्ण से सत्ता अपने हाथ में ले ली। इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट पार्टी पर दुरत रोक लगा दी गयी। यद्यपि सुवर्ण राष्ट्रपति बन रहे लेकिन वास्तविक सत्ता उनके हाथ से छीन ली गयी। इस घोषणा का इन्डोनीशिया पर तत्काल प्रभाव पड़ा। सेना ने बड़ा विजयोत्सव मनाया और इस विजयोत्सव में लाखों छात्रों एवं नागरिकों ने भी भाग लिया और प्युशियाँ मनायीं। सुहातो ने

उत्तरीय सदस्यों के एक मित्रमण्डल हो घोषणा की जिसके प्रधान मंत्री वे स्वयं बने। डा० अरम मलिक विदेश मंत्री नियुक्त हुए। सुकर्ण के सारे अधिकार छीन लिये गये।

इन्डोनेशिया में इस आन्तरिक राजनीति का विदेश-नीति पर तत्काल प्रभाव पड़ा। नये विदेश मंत्री डा० मलिक ने घोषणा की कि इन्डोनेशिया "मलयेशिया कुत्रन दा" आन्दोलन का अंग बनने का इरादा रखता है। जून १९६६ में उन्होंने मलयेशिया के विदेश मंत्री तुन अब्दुल रत्नाक के साथ बैरुक्त में मलयेशिया विरोधी अभियान समाप्त करने के सिनडिकले में मैत्रीपूर्ण वार्ता की और अगस्त १९६६ में इन दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण स्थापित हो गया। सुकर्ण ने "नव उपनिवेशवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद" का नष्ट करने के आवेश में विश्व सस्थाओं, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक आदि से त्याग पत्र द दिया था। इन्डोनेशिया की नयी सरकार पुनः इन सस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने को चेष्टा की और सितम्बर १९६६ में पुनः संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हो गया। मलयेशिया के प्रतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी इन्डोनेशिया के सम्बन्धों में सुधार हुआ है।

मलयेशिया का प्रश्न

वर्षों के ब्रिटिश दासता के बाद १९५७ में मलाया की स्वतन्त्रता मिली थी और टोन यहाँ को मुख्य पैदावार है और इनके व्यापार से मलाया में काफी धन आ जाता है। लेकिन राजनीति दृष्टि से मलाया को कुछ कठिनाइयाँ मी थी। एक तो यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ़ा हो जबरदस्त था। और दूसरे यहाँ प्रवासी चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का प्रभाव फैलने के लिए तो वे महत्वपूर्ण माध्यम है ही, अधिक संख्या के कारण मलाया में राजनीतिक जीवन पर भी उनका प्रभुत्व हो गया था।

मलयेशिया की जनता—

	कुल	चीनी
(१) मलाया	७०,००,०००	२६,००,०००
(२) सिंगापुर	७,६०,०००	२,६०,०००
(३) उत्तरी बोर्नियो	४,६०,०००	१,००,०००
(४) सारावाक	७,६०,०००	२,६०,०००
	८६,६०,०००	३६,८०,०००

मलाया के लिए यह एक विकट समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए मलाया के प्रधान मन्त्री टकु अब्दुल रहमान ने मलाया, सिंगापुर, उत्तरी चीनियों, ब्रिटीश और सारवाक को मिलाकर मलेशिया नामक एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया। इस संघ के उद्देश्य थे—(१) चीन के विस्तार को रोकना, (२) इस क्षेत्र के राजनैतिक जीवन पर जासी चीनियों के प्रभाव को कम करना तथा (३) इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना।

पहले तो सिंगापुर ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। पीछे इस प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत में सिंगापुर के ७१ प्रतिशत लोगों ने सिंगापुर को मलेशिया में शामिल होने के पक्ष में वाट दिया। कुछ कारणों से फिलिपाइन्स ने भी मलेशिया संघ का विरोध किया, पर ब्रिटेन के हस्तक्षेप से वह भी शान्त हो गया।

मलेशिया संघ के प्रश्न को लेकर १९६३ के प्रारम्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सबट खड़ा हा गया था। दक्षिण पूर्व एशिया पर चीन की छाया निरन्तर पसर रही थी। मलेशिया का निर्माण उसका इस छाया से बचने के लिये एक प्रयत्न था। इसी कारण चीन इसका विरोधी था वह इसी कारण इंडोनेशिया को भडका रहा था कि वह मलेशिया का विरोध करे। इंडोनेशिया ने इस संघ का प्रबल विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना हो जाय। इससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता था। इस कारण इंडोनेशिया ने इसका विरोध किया। वहाँ के विदेश-मन्त्री सुवादिग्रो ने मलाया को यह धमकी दी थी कि यदि मलेशिया संघ कायम हो गया तो इंडोनेशिया इसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। इंडोनेशिया की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए मलाया न दक्षिण-पूर्व एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स को मिलाकर "माफिलिन्दो" संघ बनाना स्वीकार कर लिया। इससे आशा की जाती थी कि मनीला समझौता के बाद इंडोनेशिया शान्त हो जायगा। लेकिन इसकी यह आशा पूर्ण नहीं हो सकी। इंडोनेशिया उसका विरोध करता ही रहा।

अनेक विघ्न बाधाओं के बाद अन्ततः १६ सितम्बर १९६३ को मलेशिया-संघ का निर्माण हो गया। संघ को ब्रिटेन की पूरी सहायता प्राप्त थी। मलेशिया-संघ का निर्माण के विरोध में जकार्ता में ब्रिटिश दूतावास के समक्ष इंडोनेशिया के निवासियों ने हिंसात्मक उग्र प्रदर्शन किये और दूतावास की इमारत का काफ़ा क्षति पहुँचायी। इस हिंसात्मक प्रदर्शन की मलेशिया संघ पर भी बहुत ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और १७ दिसम्बर को क्वालालम्पुर स्थित इंडोनेशियाई दूतावास के समक्ष मलेशिया की जनता ने उग्र और हिंसात्मक प्रदर्शन किये। यही नहीं, मलेशिया की नवनिर्मित सरकार ने विरोध प्रकट करते हुए इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स दोनों से ही कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये। इसी दिन इंडोनेशिया

की सरकार ने मलयेशिया को मान्यता देने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इंडोनेशिया ने मलयेशिया के प्रतिनिधित्व पर आपत्ति की।

मलयेशिया संघ का लेकर इंडोनेशिया ने काफी उत्प्रेत मचाया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने घोषणा की कि वह मलयपूर्वक इस संघ का नामोनिशान मिटा देंगे। मई १९६४ में इन दोनों राज्यों के बीच तनावनी खूब बढ़ी। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के बीच युद्ध शुरू होकर ही रहेगा। इस स्थिति को टालने के लिए २० जून १९६४ को टोकियो में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें इंडोनेशिया, फिलिपिन्स तथा मलेशिया के शासनाध्यक्ष शामिल हुए। लेकिन मतभेद इतना गहरा था कि किसी तरह का समझौता नहीं हो सका। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने घोषणा की कि वह मलयेशिया को कुचलकर ही दम लेंगे।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया द्वारा मलयेशिया का इतना उग्र विरोध क्यों हुआ? तथ्य यहाँ यह है कि पश्चिमी इरियन का प्राप्ति कर हा सुकर्ण को प्रादेशिक महत्वाकांक्षा खतम नहीं हुई। उनका नजर उत्तरी बार्नियो पर बराबर रही है और सुकर्ण उस भी इंडोनेशिया के छत्र छाया में लाना चाहते थे। इसी प्रश्न को लेकर मलयेशिया के साथ उनका सारा मतभेद था। इंडोनेशिया को माँग यह थी कि पहले उत्तरी बार्नियो को ब्रिटेन आजद कर दे और तदुपान्त स्वतन्त्र बार्नियो मलयेशिया में शामिल होने या न होने का फैसला करे। लेकिन ब्रिटेन उसकी यह माँग स्वीकार करने का तैयार नहीं हुआ। इसलिए इंडोनेशिया ने मलयेशिया के निर्माण का विरोध किया और राष्ट्रपति सुकर्ण ने इसका नामोनिशान मिटाने की कसम खायी।

मलयेशिया संघ और सिंगापुर—सिंगापुर शुरू में ही मलयेशिया संघ में शामिल होना नहीं चाहता था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने उसको संघ में शामिल होने के लिए बाध्य किया। संघ में शामिल होकर सिंगापुर की जायिक कठनाई पहले से बहुत बढ़ गयी। अक्टूबर ६ अगस्त, १९६५ को सिंगापुर मलयेशिया संघ से अलग हो गया। ६-७ अगस्त को मलयेशिया संघ और सिंगापुर में एक सन्धि हुई। सिंगापुर के सुरक्षा के काम तथा विदेश-नीति के सम्बन्ध में मलयेशिया की सरकार से परामर्श लेने का वचन दिया। यह तय हुआ कि सिंगापुर किसी ऐसे देश के साथ कोई सन्धि-उपक्रांता नहीं करेगा जिससे मलयेशिया की सुरक्षा खतरा में पड़ जाय। सिंगापुर स्वतन्त्र होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। अब मलयेशिया संघ में मलाया, उत्तरी बार्नियो, ब्रुनी, सारवाक रह गये हैं।

मलयेशिया की वर्तमान स्थिति—मलयेशिया संघ से सिंगापुर के अलग हो जाने से इंडोनेशिया के विरोध में कोई कमी नहीं आयी। मलयेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय सफाई का मुख्य कारण बना रहा। लेकिन यह निश्चय हो गया कि इंडोनेशिया के किसी विरोध के कारण इस संघ का अन्त नहीं हो

सकता। अक्टूबर १९६५ से स्वयं इडानीशिया में भयकर रङ्ग कलह प्रारम्भ हुआ। इस हालत में इडानीशिया के नेताओं को "मलयेशिया कुचलो" अभियान को बन्द करना पड़ा। इडानीशिया का आन्तरिक राजनीति को देखकर यह प्रायः निश्चित हो गया कि मलयेशिया के चलते दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी और धीरे-धीरे दोनों देश इस बहुतायुक्त अध्याय को भूलकर अपने सम्बन्धों का एक नया अध्याय शुरू करेंगे।

हिन्द-चीन की समस्या

दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या हिन्द चीन की है। उत्तरोत्तरी शताब्दी में फ्रांस ने इस देश पर आधिपत्य कायम किया था। अपने इस उपनिवेश को फ्रांस ने कई भागों में बाँट लिया था। कोचीन चीन पर उसका प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन आन्नाम, टोंगकिंग, कम्बोडिया तथा लाओस फ्रांस के संरक्षित राज्य थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में इस देश पर जापान का अधिकार कायम हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांस ने पुनः यहाँ अपना साम्राज्य कायम करने का प्रयास किया। इसका विरोध हुआ और हाँचा मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम (अन्नाम) में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सघन शुरू हुआ। हाँचा मिन्ह कम्युनिस्ट था। अतएव रूस और चीन से उसको सहायता मिलने लगी। पाँच वर्ष के युद्ध के बाद फ्रांस की सरकार की हार होने लगी। मार्च १९५४ में डीनवीन फू का फ्रांसद्वारा समझौते के बज्जे में आ गया। इस स्थिति में हिन्द चीन के युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। विदेश रुचि डलेस ने कहा कि अमेरिका हिन्द चीन को कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं पडने देगा। इसका अर्थ अमेरिका द्वारा युद्ध में कूटना और तीसरे विश्व युद्ध का भी गणशय या क्योंकि सावधान सध पहले से ही एक पक्ष का समर्थन कर रहा था।

जेनेवा समझौता - लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध के पक्ष में नष्ट थे और इसलिए अमेरिका को कुछ नहीं चली। २१ जुन ई, १९५४ को हिन्द चीन की समस्या पर विचार करने के लिए जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें उत्तरी देशों ने भाग लिया और अन्त में एक समझौता हो गया जिसको जेनेवा समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार वियतनाम दो भागों में बाँट गया—उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम के उत्तर में हनोई नदी से लगे हुए सारे प्रदेश साम्यवादियों को और इससे दक्षिण के सारे प्रदेश दक्षिणी वियतनाम का भाग हुए। समझौते को शर्तों को पूरा तरह पालन करने के लिए दोनों सदस्यों का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग भी स्थापित किया गया। भारत, पोलैंड और कनाडा इसका सदस्य बनाये गये।

लाओस—लेकिन जेनेवा-समझौता से हिन्द चीन की समस्या का अन्तिम समाधान नहीं हो सका। इसके द्वारा लाओस का एक तटस्थ राज्य बनाया गया

था, लेकिन अमेरिका इसकी अग्ने गूट में निलाना चाहता था। अतएव उसका पडयन्त्र शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप १९५९ में लाओस में गृह युद्ध की शुरुआत पदा हो गयी। जब अमेरिका को समर्थकों ने नवम्बर १९५० के त्रयोदश को समझौते को भंग कर दिया, तब पैपेट लाओ ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। लाओस की सरकार ने सप्टिक राशसघ में अगोल को। सुरक्ष परिपद की एक उपसमिति घटना-स्थल पर पहुँची। जनवरी १९६० में नेतृत्व फूमिनी के नेतृत्व में धैरिक दवाव को कारण फुट सानानिकों ने त्याग पत्र दे दिया। नये निर्वाचन में राष्ट्रीय हित रक्षा समिति' को बहुमत प्राप्त हुआ। इसी जून, १९६० में सोमसार्निथ • अघन एक दक्षिण पचीय सरकार की स्थापना हुई। ९ अगस्त १९६० को कम्पन कांगली के नेतृत्व में एक मैरिक विद्रोह हो गया। समन ल आस की राजधानी वेंटियाने पर अधिकार कर लिया और वहाँ को फूमिनोमावन सरकार को उखाड़ फका। इसके साथ ही उसने सोवत्राफूमि के नेतृत्व में एक तटस्थ सरकार की स्थापना की। फूमि की सरकार का कम्पुनिस्ट देशों ने मान लिया। इस पर १ दिसम्बर १९६० में सेनापति फूमिनोमावन ने दक्षिण की ओर से सेना इकट्ठी कर अमेरिका को सहायता से राजधानी वेंटियाने पर अधिकार कर लिया और प्रिंसवान ओम वा प्रधान मंत्री बनाया। फ्रैण्टेन कांगली भागकर उत्तर की ओर चला गया और वहाँ पैपेट लाओ गुरिल्ला लडाकुओं तथा वियतनाम के जरिये रूस से सहायता प्राप्त कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस तरह एक भीषण गृह-युद्ध शुरू हुआ जिसमें एक पक्ष का समर्थन सोवियत संघ और दूसरे पक्ष का अमेरिका करने लगा। १९६१ के आरम्भ में कम्पुनिस्ट सेना ने उत्तर पूरब के तीन प्रान्तों पर अधिकार कर लिया।

लाओस को गृह युद्ध में अमेरिका और रूस के हस्तक्षेप से विश्व शान्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया। इस पर भारत ने जनेवा सम्मेलन द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग (जिसके सदस्य भारत, पोलैंड और कनाडा हैं) को पुनर्जीवित करने का सुझाव रखा जा मान लिया गया। २४ अगस्त १९६१ को ब्रिटेन और सोवियत संघ ने सम्मिलित भाव से लाओस में युद्ध बन्द कराने का अह्वान किया। इसके चार दिनों के बाद विलनी में अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को पुनर्जीवित किया गया और लाओस के सेनापतियों ने युद्ध बन्द करने का आदेश जारी कर दिया।

इस बीच लाओस की समस्या पर विचार करने के लिए कम्बुडिया ने यह प्रस्ताव रखा कि चौदह राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुनाया जाय। रूस ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि पश्चिम के किसी तटस्थ राष्ट्र में यह सम्मेलन हो और उनमें व राष्ट्रों का १९५९ के जनेवा सम्मेलन के हस्ताक्षरकारी हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के तीनों सदस्य तथा लाओस के तीनों पड़ोसी देशों (वियतनाम, थाईलैंड और दक्षिण वियतनाम) को बुनाया जाय। यह प्रस्ताव मान लिया गया और १२ मई, १९६१ को जनेवा में १४ राष्ट्रों

का एक सम्मेलन हुआ। लेकिन यहाँ इस प्रश्न पर कोई निणय नहीं हो सका कि लाओस का प्रतिनिधित्व कौन करे। पीछे अमेरिका और रूस इस बात पर सहमत हो गये कि सम्मेलन में लाओस के तीनों पक्ष के प्रतिनिधि भाग लें। १७ मई को इन तीनों प्रतिनिधिमण्डलों ने इस सिद्धान्त को मान लिया कि लाओस में एक मयुक्त सरकार का सगठन किया जाय। २१ जून को इन तीनों पक्षों में एक समझौता हो गया और वे लाओस की एक राष्ट्रीय संघ सरकार गठित करने पर राजी हो गये। ८ अक्टूबर, १९६१ को तटस्थ नेता राजकुमार सोवन्ना फौउमा को भावी अस्थायी सरकार का प्रधान मन्त्री बनाना स्वीकार कर लिया। ११ दिसम्बर को चौदह राष्ट्रों के लाओस सम्मेलन में लाओस के मयुक्त मन्त्रिमण्डल के गठन पर वहाँ के सभी राजकुमार एवमत हुए और २३ जून के दिन यह सोवन्ना फौउमा के प्रधानमन्त्री के मयुक्त मन्त्रिमण्डल सगठित कर दिया गया। ऐसा विश्वास किया गया कि लाओस की स्थिति अब शांत रहगी। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ दिनों तक लाओस में शान्तिपूर्ण स्थिति बनी रही। लेकिन १९६२ के मार्च में अमरीकी षडयन्त्र के कारण लाओस के विदेश मन्त्री की हत्या हो गयी और वहाँ पुनः गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया।

लाओस में भविष्य में भी इस तरह की स्थिति बनी रहगी। यद्यपि इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था की देख रेख के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग है, पर यह आयोग शायद ही दो विरोधी गुटों के संघर्ष को रोकने में समर्थ रहे। किन्तु हाल (अगस्त १९६६) इस क्षेत्र में शान्त कायम है।

कम्बोडिया—९ नवम्बर, १९५३ को कम्बोडिया ने अपने को पूर्ण स्वतन्त्र राज्य



घोषित किया। यहाँ की मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष नरोत्तम सिहनक हैं। कम्बोडिया भारत की तरह स्वतन्त्र और तटस्थ नीति का अनुयायी है और साम्यवादी देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध रखने के लिए सचेष्ट है। दक्षिण-पूर्व एशिया में लाओस और विशतनाम में साम्यवादियों और गैर-साम्यवादियों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें सिहनक तटस्थ हैं और किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सिहनक ने दक्षिण-पूर्व एशिया सैन्य सगठन में शामिल होने से इन्कार कर दिया। इसलिए शुरू से ही अमेरिका उनसे कुपित है।

उसके बढ़ाने-घटाने पर थाइलैंड हमेशा कम्बोडिया विरोधी कार्रवाई करना

रहता है। उन्होंने कई बार यह चेतावनी दी है कि थाइलैण्ड का अनुचित हस्तक्षेप कम्बोडिया को साम्यवाद की गुट की ओर झुकने को बाध कर रहा है।

नरोत्तम सिंहनक का झुकाव चीन की ओर कुछ अधिक प्रतीत होता था। १९६३ के नवम्बर में उन्होंने यह घोषणा की कि कम्बोडिया की सरकार भविष्य में किसी प्रकार की अमरीकी सहायता नहीं लेगी। इसका कारण बताते हुए उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका की सरकार विरोधियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है तथा थाइलैण्ड को कम्बोडिया के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाही करने के लिए प्रोत्साहित है।

नरोत्तम सिंहनक की यह घोषणा अमेरिका के लिए अत्यन्त अपमानजनक बात थी। उसने ट्रिस्नक के इस कारनाम का बदला लेने का निश्चय किया और थाइलैण्ड की आड़ में कम्बोडिया की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। कम्बोडिया सरकार के लिए ऐसी स्थिति बसहा हो गयी। अमेरिका के खिलाफ ३ जून, १९६४ की सुरक्षा परिषद की बैठक में मोरक्को की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें सभी राष्ट्रों में यह अपील की गयी थी कि वे कम्बोडिया के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि सुरक्षा-परिषद के तीन सदस्यों का एक मिशन कम्बोडिया जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करे। लेकिन अमेरिका के विरोध के कारण इस समस्या पर कोई कार्रवाई ही हो सकी। फिनलैंड कम्बोडिया को स्थिति शांत है।

वियतनाम की समस्या


वियतनाम आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक नश्वर संहार और युद्ध का केन्द्र बना हुआ है और इस बात की सम्भावना है कि यदि यहाँ की विगड़ती हुई स्थिति पर शीघ्रता से कार्रवाई नहीं पाया गया तो वियतनाम का युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है।

जेनेवा समझौता — वियतनाम हिन्द-चीन का सबसे अधिक शिक्षाली राष्ट्र था। इसका क्षेत्रफल १,२७,००० वर्ग मील है। लगभग दो हजार से भी अधिक समय से यह राष्ट्र कई नामों से अलग-अलग भागों में बँटा हुआ है। एक समय इस पर चीन का भी अधिकार था। लेकिन उत्तरी तथा उत्तरी में जब हिन्द-चीन पर फ्रांस का अधिकार कायम हुआ, तो वियतनाम भी फ्रांस के कब्जे में चला गया। १९५४ के जेनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम में दो राज्यों का जन्म हुआ। वियतनाम गणराज्य और वियतमिन्ह। वियतमिन्ह को उत्तरी वियतनाम तथा वियतनाम गणराज्य को दक्षिणी वियतनाम भी कहते हैं। उत्तरी वियतनाम पर साम्यवादियों का

नियंत्रण है और हो-चिन्ह इसके राष्ट्रपति है। दक्षिण वियतनाम के प्रधान मंत्री निगादिन दिएम थे जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी और अमेरिका के पूर्ण प्रभाव में थे।

२१ जुलाई, १९५८ को जेनेवा में हिन्द-चीन क सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि १९५६ में वियतनाम के एकीकरण के लिए मतदान होगा। इस बात के लिए कि दोनों पक्ष सन्धि शर्तों का पूरी तरह पालन करें। एक त्रिपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग (International Control Commission) भी स्थापित किया गया। इसके ऊपर जेनेवा-समझौते का पालन कराने और दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति स्थापित रखने का दायित्व डाला गया। भारत, कनाडा और पोलैंड इस कमीशन के सदस्य नियुक्त किये गये।

जेनेवा-समझौते के बाद से दोनों वियतनामों के एकीकरण की माँग वियतनामियों द्वारा बराबर होती रही और उत्तर के कम्युनिस्टों ने इस माँग का पूरा समर्थन किया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव से प्रभावित होकर दक्षिण वियतनाम का सरकार हमेशा इस माँग का ठुकराती रही। जब शान्तिपूर्ण तरीकों से एकीकरण को माँगों की




एकदम उपेक्षा कर दो गयी ता दक्षिण वियतनाम की जनता ने इसके लिए आन्दोलन शुरू किया और वियतकांग (Vietcong) के नाम से एक संगठन कायम करके सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कायवाही शुरू कर दी। वियतकांग आंदोलन को उत्तरी वियतनाम का पूरा समर्थन मिल गया। वियतकांग संगठन ने बाद में द्वापामार युद्ध शुरू कर दिया जिसने पोछे चलकर वियतनाम में एक गृह-युद्ध का रूप धारण कर लिया।

१९६८ का आरम्भ—१९५९ में युद्ध विराम के बाद जैसे ही सम्भववादी वियतमिह ने हथौड़े में ब्रान पर जमा लिये, उसने जेनेवा-समझौते के उपरान्त सत्तरहवीं

अक्षांश रेखा के दक्षिण का प्रदेश खाली करते समय प्रियाल सख्तता में अस्त्र शस्त्र छिपाकर छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त कुछ छापामार दस्तों को भी व पीछे छोड़ते गये। विभाजन के उपरान्त हनोई स्थित साम्यवादी सरकार ने तत्कालीन क्राय अपना सैनिक शक्ति बढ़ाने शुरू की और चीन तथा सोवियत संघ से काफी सैनिक सहायता प्राप्त की। सैनिक शक्ति बढ़ा लेने के बाद हनोई सरकार ने निगोदिन दिवस के आक्रामक कारवाइयाँ से तग बाकर वियतनाम के साम्यवादियों का मदद देना शुरू कर दिया। वियतकांग छापामार दस्तों को हनोई से सहायता मलने लगी। सितम्बर १९६० में लाओ डंग पार्टी का हनोई में तीसरा सम्मेलन हुआ और इसमें दक्षिण वियतनाम को मुक्त करने का निणय लिया गया। इस निर्णय के तीन महीने बाद हनोई में दक्षिण वियतनाम को मुक्त करने के लिए एक मोचो संगठित किया गया और इसके बाद दिसम्बर १९६१ में दक्षिणी वियतनाम के लिए वियतनामी पीपुल्स रिवाल्यूशन-री पार्टी नामक एक दल भी संगठित कर लिया गया। इस स्थिति में वियतनाम की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी और १९६१ में बड़े पैमाने पर वहाँ पुनः एक युद्ध छिड़ गया। इस सङ्घर्ष ने एक नियमित युद्ध का रूप धारण कर लिया। स्थिति काबू से बाहर होते देख, दक्षिण वियतनाम के

राष्ट्रपति ने अमेरिका से सैनिक

सहायता मागी। मई १९६१ में अमेरिकी उपराष्ट्रपति लिन्डन बॉर्नसन ने सैगोन का दौरा किया। वापस लौटकर उसने अपनी सरकार से यह सिफारिश की कि दक्षिण वियतनाम की अमेरिकी सहायता में वृद्धि की जाय। इस पर राष्ट्रपति केंनेडी ने अक्टूबर १९६१ में मैक्सवेल टेलर को दक्षिण वियतनाम इसलिए भेजा कि वह साम्यवादी चुनौती का सामना करने के लिए सैगोन सरकार की आवश्यकताओं को जाँचें।



१० दिसम्बर को अमेरिकी

प्रशासन के ग्रेट डिपार्टमेंट ने

“शान्ति को खतरा” के नाम से दो भागों में एक श्वेत पत्र निकाला और यह आरोप लगाया कि वियतकांग मुक्ति-आन्दोलन का निर्देशन तथा संचालन उत्तरी

त्रियतनाम से होता है। दक्षिण त्रियतनाम की सरकार और अमरीकी प्रशासन का यह खुला आरोप था कि हवाई सरकार का यह प्रयास है कि वह दक्षिण त्रियतनाम की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हैं। साम्यवादी त्रियतनाम लोगों ने शस्त्राश्रय की सहायता देकर वहाँ की सरकार को नष्ट कर दे और दक्षिण त्रियतनाम को उत्तर त्रियतनाम के साथ मिला ले।

वस्तुतः यह श्वेड-रत्र त्रियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप के लिए एक बहाना था। ४ जनवरी १९६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण त्रियतनाम का वार्षिक और सैनिक सहायता देने की याचना घोषित की। लगभग एक महीने बाद सैगान में एक अमरीकी सैनिक कमान स्थापित की गयी और वहाँ चार हजार अमरीकी सैनिक पठा दिये गये। त्रियतनाम में प्रत्यक्ष अमरीकी आक्रमण का इतिहास यही स शुरू होता है।

सोवियत संघ ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। इसका फलस्वरूप स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी। अतएव अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को यह काम साधा गया कि वह त्रियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए प्रयास करे। आयोग ने विराम-सन्धि की व्यवस्था की। जून १९६२ में आयोग की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि उत्तरा त्रियतनाम में ऐसा आन्दोलन चल रहा है जिसका लक्ष्य दक्षिण त्रियतनाम का नष्ट करना है। लेकिन पोलैण्ड इससे सहमत नहीं हुआ। इस कारण त्रियतनाम के संकट का कोई स्थायी हल नहीं हो पाया है।

वास्तविक बात यह थी त्रियतनाम गणराज्य में निर्मादिन दिएम की तानाशाही थी और जनता उसका अत्याचारों से एकदम तंग आ गयी थी। उसकी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण त्रियतनाम में आतंक का राज्य लागू हुआ था। सरकार की धार्मिक-अधर्षणुत-नी-नीति से त्रियतनाम की बोद्ध जनता अत्यन्त क्षुब्ध हो गयी और कई बोद्ध भिक्षुओं ने सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने प्राणों का होम किया। - अनेक-बोद्ध-भिक्षु-अपने-ब-ने-पर-पेट्रोल-छिड़क-कर-सड़कों-पर-जल-मरे। लेकिन दिएम सरकार की नीति का उसकी भावना ऊनू द्वारा नियन्त्रित हातो थी, तनिक भी नरम नहीं पडी। यहाँ तक कि दिएम सरकार ने अमेरिका के परामर्श पर भी ध्यान नहीं दिया है।

दिएम की इस नीति के विरोध में १ नवम्बर, १९६३ को त्रियतनाम गणराज्य की सेना ने दिएम सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सरकार को तख्ता सेलट दिया। विद्रोहियों द्वारा स्थापित सैनिक जनता ने यह स्पष्ट घोषणा की कि बोद्धों के प्रति सरकार की अधर्षणु नीति के कारण ही उन्हें सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाने

के लिए विवश होना पड़ा। राष्ट्रपति दिएम और उनके भाई को गिरफ्तार कर गोली से उड़ा दिया। सैनिक क्रांति के नेता मेजर जेनरल आंगवान मिन्ह ने घोषणा की कि विषतनाम साम्यवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेगा तथा उन सभी समझौतों का सम्मान करेगा जो पिछले सरकार ने अन्य देशों के साथ किये हैं। वरुद्ध नयी सरकार का साम्यवादियों के खिलाफ जेहाद जारी रखा और इसलिए समझौता की सारी आशाएँ लुप्त हो गयीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन और सहायता से दक्षिण वियतनाम की सरकार विपतकाग छायामारी का दमन कर रही।

दक्षिण वियतनाम की नयी सरकार को अमरीकी सहायता और समर्थन का आश्वासन देने के लिए सितम्बर १९६३ में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव रोबर्ट मैकनमारा ने कुछ अन्त-उच्च अधिकारियों के साथ सैगोन का दौरा किया और घोषणा की कि दक्षिण वियतनाम को जबतक आवश्यकता होगी, अमरीकी सैनिक सहायता दी जायेगी। फिर अमेरिका की इस घोषणा से विपतकागों के सहम में कोई कमो नहीं आया। ८ मार्च, १९६४ को मैकनमारा और अन्य सैनिक तथा राजनैतिक अधिकारी पुनः सैगोन गये। २३ जून, १९६४ को राष्ट्रपति जानसन द्वारा संयुक्त सेनाध्यक्षों के प्रधान और अमेरिका के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जनरल मैकमवेल टेनर को दक्षिण वियतनाम में राजदूत नियुक्त किया गया। इन नारी घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम में अपनी वृत्त अक्रमक करवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है।

उत्तर वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण - अगस्त १९६४ में वियतनाम में और भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। ६ अगस्त को दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की स्थिति का घोषणा की गयी और उत्तर वियतनाम के खिलाफ प्रत्याक्रमण की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका यही चाहता था। ५ अगस्त को अमरीकी विमानों ने ताकाएक उत्तरी वियतनाम के कुछ सैनिक अड्डों, जो टानकिन की खाड़ी से भटे स्थित थे, पर धावा बाल दिया। अमेरिका का कहना था कि उत्तरी वियतनाम टानकिन की खाड़ी में गश्त लगानेवाले अमरीकी जहजों पर यश क्रदा आक्रमण करता रहता है और यह स्थिति अब असह्य हो गयी है। इसलिए अमेरिका कारवाई करने के लिए विवश है। अमेरिका को इस आक्रामक कारवाई से वियतनामो कम्युनिस्ट अत्यन्त उत्तेजित हो उठे और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर छायामारी युद्ध शुरू किया। सावियत संघ ने अमेरिका को यह चेनावनो दी कि यदि हमला हुआ तो वह उत्तरी वियतनाम को भरपूर सहायता देने को बाध्य होगा। चीन ने भी घोषणा की कि यद्यपि पेकिंग ने हिंद चीन

में एक भी सैनिक नहीं भेजा है, लेकिन यदि उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण हुआ तो उसमें सत्र का बाँध टूट जायगा।

परिस्थिति दिन-प्रतिदिन विपन्नतर होती गई। साम्यवादी वियतकांग छापामारों ने दक्षिण वियतनाम के सैनिक अड्डों को तहस नहस करने का प्रयास शुरू कर दिया। १ नवम्बर, १९६४ को वियतकांग छापामारों ने वियेत होआ के हवाई अड्डे पर भीषण हमला करके सत्ताइस विमान नष्ट कर दिये। इस आक्रमण में अनेक अमरीकी सैनिक मरे और घायल हुए। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने अपनी उत्तरी वियतनामी नीति पर बोलते हुए स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम द्वारा वियतकांग छापामारों को दी जाने वाली सैनिक सहायता बन्द करने के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। जॉनसन ने कहा कि यह सैनिक सहायता लाओस के माग से जा रही है और जेनेवा-सम्मेलन के सवथा प्रतिकूल है। दिसम्बर, १९६४ को हाइट हाउस से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसमें दक्षिण वियतनाम को सैनिक सहायता देने का वचन दिया गया। १९६५ के आरम्भ में दक्षिण वियतनाम में बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किये जिससे स्थिति विशेष तनावपूर्ण हो गई। इन प्रदर्शनों को, जिनमें युद्ध-विगम वार्ता आरम्भ करने तथा वियतनाम व पुनः एकीकरण का माग की गई था, क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया।

इसके बाद ही अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सेना पर वियतकांग के आक्रमण के प्रतिशोधस्वरूप ७ फरवरी १९६५ को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले आरम्भ कर दिये। अमेरिकी वायुयान वियतकांग सैनिकों को सहायता पहुँचाने वाले सैनिक अड्डों, पुनों, तेल भण्डारों और सामरिक महत्त्व के अन्य ठिकानों पर भयंकर बमबारी करने लगे। २७ फरवरी १९६५ का वाटिंगटन ने अपनी नीति को पृष्ठ करने के लिए उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिण वियतनाम पर वियतकांग छापामारों द्वारा किये जाने वाले हमलों का विस्तृत विवरण एक श्वेतपत्र के रूप में प्रकाशित किया। इसमें यह दिखलाने का प्रयास किया गया कि वियतकांग आन्दोलन दक्षिण वियतनाम का स्थानीय आन्दोलन नहीं बल्कि उत्तर वियतनाम सरकार द्वारा प्रेरित आन्दोलन है। वियतकांग संगठन को उत्तरी वियतनाम से हर तरह की सहायता मिलती है और इसमें चीन भी शामिल है। इस श्वेत-पत्र के प्रकाशन का दृष्टेय वियतनाम में अमरीकी आक्रामक नीति को सही बताना था। लेकिन दुनिया में प्रायः हर जगह अमरीकी कारबाही का विरोध हुआ। साक्षर रूप और चीन ने अमरीकी बमबारी की बटु आलोचना की और कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी। परन्तु, अमेरिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ और माचूक महाने से उसके हवाई हमल की गति में तेजी आने

लगी। इस हमले में अमेरिका ने निपेनो गेमा (Nipalm bomb) का प्रयोग भी शुरू किया जो युद्ध-नियम के सर्वथा विनाश है। ये हमले रेलवे, राह, पुल, राई औद्योगिक और सैनिक अड्डों पर होते थे और इनका संदेश्य उत्तरी वियतनाम की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को अस्त-व्यस्त करना था। अमेरिका के जगन्नाथ-नीति निधारकों का विश्वास था कि उत्तरी वियतनाम इस नुस्त्रान की पृष्ठभूमि में अधिक दिनों तक प्रतिरोध नहीं कर सकेगा और हथियार ढाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

समझौता के प्रस्ताव—वियतनाम में अमेरिका को हारवाह को निन्दा सर्वत्र हुई। इस हारवाह में विश्व युद्ध की सम्भावनाएँ थीं क्योंकि चीन उत्तर वियतनाम की आर था और सोवियत संघ की सहानुभूति भी उस प्राप्त थी। यदि चीन और सोवियत संघ चुनकर उत्तरी वियतनाम के पक्ष में आ जाते तो यह सक्षम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन और सोवियत संघ के बीच का संघर्ष हो जाता है। साम्यवादी गुट में पैदा हुए फूटसे यह सम्भावना टली रही लेकिन यह कहना कठिन था कि रूस और चीन कब तक उत्तरी वियतनाम की अमेरिका के हाथों इस तरह हत्या होने देखते रहेंगे। अतएव चारों ओर से यह भाग हान लगी कि अमेरिका हवाई हमला बंद कर दे और चार्ज के लिए प्रयास करे। भारत और फ्रांस की सरकारों ने एक दूसरे जेनेवा सम्मेलन की मांग की। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव यु-यन्ग ने अविश्वसनीय वार्ता शुरू करने की प्रयत्न की और समार के सत्तरह सदस्य राष्ट्रों ने युद्ध को तत्काल बन्द कर देने का अनुशास किया।

७ अप्रिल १९६९ को राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा कि वे उत्तरी वियतनाम के साथ "विना शर्त की बातचीत" करने के लिए तैयार हैं यदि दक्षिण वियतनाम की स्वतन्त्रता मान ली जाय और संयुक्त राज्य अमेरिका का बर्हों सेना रखने की अनुमति मिले। यह "विना शर्त की बातचीत" का अर्थ यह था, क्योंकि दूसरे ही वाक्य में दो शर्तें लगा दी गयी थीं। उत्तरी वियतनाम ने इस प्रस्ताव को नामजूर करते हुए १२ अप्रिल को एक चार सूत्री वाक्य समझौता का प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि वियतनाम से सभी विदेशी सैन्य हटा ली जायें, जेनेवा समझौता को पूरी तरह लागू किया जाय, दक्षिण वियतनाम को सरकार में वियतनाम को जगह मिले और १९५४ के जेनेवा समझौते के अनुसार वियतनाम के एकीकरण के लिए मतदान हो। अमेरिका को यह प्रस्ताव मजूर नहीं हुआ और इस प्रकार समझौता के बारे में प्रयास बेकार हो गया।

उनको तहस-नहस करने में छापामारो का काफी सफलता मिली। इसमें क्रुद्ध हाकर अमेरिका ने जोर जोरा का हमला शुरू कर दिया। सावियत सघ और चीन ने अमेरिका का चेतावनी दी कि वह अपनी जाक्रामक कारवाइ तुरत बन्द कर दे जथवा स्थिति काबू में बाहर हो जायगा।

इस परिस्थिति में ८ जुलाई १९६५ का ब्रिटिश प्रधान मंत्री हैराल्ड विन्सन ने अपने मन्त्रिमंडल के एक सदस्य हैरोल्ड डेनिस को हनोई भेजा। डेनिस राष्ट्रपति हाच मिन्ह का व्यक्तिगत मित्र था और यह आशा की गयी थी कि वह अपने प्रभाव से उत्तरी वियतनाम का समझौता-पत्रा कराने के लिए राजी कर लेगा। लेकिन डेनिस की भी कोई सफलता नहीं मिली। उत्तरी वियतनाम का प्रुट विवाम था कि युद्ध में अमेरिका को पराजित करेंगे ही।

इसी समय घाना के राष्ट्रपति इन्क्रुमा ने राष्ट्रपति होचे मिन्ह का एक पत्र लिखा जोर हनोई जाने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति हा-ची मिन्ह ने उनका अपने देश में स्वागत करने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमरीकी हवाई हमले की स्थिति में उनका हवाई जाना खतरे में खाली नहीं है। तदुपरान्त इन्क्रुमाने अपने विदेश मंत्री का राष्ट्रपति जानमा के पास भेजा और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वह हवाई हमले को बन्द करने की प्रार्थना में ताकि घाना के राष्ट्रपति समझौता पत्रा के लिए रास्ता साफ करने के लिए हवाई जा सके। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी तरह का आश्वासन उन से इन्कार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के अध्यक्ष के प्रयास—नवम्बर १९६५ में एक इटालियन नागरिक प्राफेसर गिजो गिया लापिरा (Giorgio La Pira) ने हनोई में राष्ट्रपति हाच मिन्ह से मुलाकात की और संयुक्तराष्ट्र सघ के अध्यक्ष एमिन्दोर फनफानी (Aminore Fanfani) को गुप्त ढंग से यह सूचित किया कि राष्ट्रपति हाच मिन्ह विना शर्त के समझौता पत्रा के लिए तैयार हैं। फनफानी ने इस सूचना के आधार पर राष्ट्रपति जानमा का वतलाया कि शान्ति-स्थापना के लिए हा-ची मिन्ह “किसी व्यक्ति से किसी जगह” मिलने का तैयार हैं और अमरीकी फौज को पहले हटा लेने की काइ-शुच नहा है। यह उम्मीद की गयी थी कि जबतक यह बात पूरी तरह स्पष्ट न हो जाय तबतक इन्कार भेद नही खाला जाय। लेकिन अमेरिका शांति नहीं चाहता था और इस प्रयास का कुठित करने के उद्देश्य से १० दिसम्बर, १९६५ का उसने दो पत्र प्रकाशित करना दिये एक पत्र जिसका २० नवम्बर का श्री फनफानी ने लिखा था और दूसरा विदेश सचिव डोग रस्क का पत्र जिसमें उन्होंने जनवरी १९६५ मिनम्बर का श्री फनफानी का लिखा था।

पत्रा के प्रकाशन ने सम्भवत हनोई सरकार का प्रतिकार न डाल दिया और १८ दिसम्बर का उसने स्पष्ट इन्कार किया कि उनमें सभा ना किया के उद्देश्य

समझौता वाता प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है। हुनाई सरकार ने शान्ति समझौता के लिए पुनः उन चार शर्तों का रखा जिसका प्रस्ताव वह पहले १३ अप्रिल का कर चुका था। इस प्रकार शान्ति का यह प्रयास भी विफल रहा।

१९६६ ई. हवाई हमले-१९६५ ई. क्रिस्मस क अवसर पर अमेरिका की विदेश मन्त्रालय ने वह घोषणा कि कुछ दिना के लिए अमेरिका इस उम्मीद पर हवाई हमला बन्द कर रहा है कि उत्तर वियतनाम को सरकार समझौता-वाता के लिए तैयार हो जायगा। सताम दिना तक यह हमला बन्द रहा। लेकिन ३१ जनवरी, १९६६ का अमेरिका ने पुनः बहुत बड़ पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इसका साथ ही उसने प्रचारक उद्देश्य में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध भी किया। सुरक्षा परिषद में काठ निणय नहा हा गया और वियतनाम पर अमेरिकी गलाबारी जारी रही।

१९६६ में सम्पूर्ण वियतनाम समस्या का समाधान के अनेक प्रयास किए जाते रहे, किन्तु उत्तरी वियतनाम निर्मललिखित चार शर्तों पर डटा रहा

- (क) संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण वियतनाम में अपनी सारी सैन्य बल हटाये।
- (ख) दक्षिण वियतनाम में संधि वाता वापस आने के लिए सुरक्षा सैनिकों के राजनीतिक संगठन 'राष्ट्रीय मुक्ति मार्च' से की जाय क्योंकि यही दक्षिण वियतनाम की जनता का एकमात्र प्रतिनिधि है।
- (ग) समझौते के लिए उत्तरी वियतनाम को 'चतुर्भुज' योजना स्वीकार की जाय।
- (घ) उत्तरी वियतनाम पर की जाने वाली सैन्य बलों का हटाने का बन्द किया जाय।

राष्ट्रपति होच मिन्ह न त्रिदन, कनाडा, भारत आदि अनेक देशों का और समाजवादी राष्ट्रों का पत्र भेजे जिनमें उपरोक्त शर्तों पर बल दिया गया। ये पत्र जनवरी, १९६६ में भेजे गए थे। भारत के राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने प्रत्युत्तर में लिखा कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष हाने के बाद भारत १९५४ के जेनेवा-समझौते के अनुसार दोनों देशों का एकाकरण करना चाहता है। डॉ० राधाकृष्णन के लिखने कि भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में यही अनुरोध है कि सन्धि-बन्द की जाय और संयुक्त राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता में तटस्थ देशों में सेना प्राप्त करके एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि संगठन किया जाय जो इस समस्या का समाधान हाने तक दोनों देशों को सीमाओं पर शान्ति स्थापित करने का कार्य करे। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने वियतनाम में युद्ध प्रारम्भ के लिए जेनेवा-सम्मेलन को पुनः आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शर्तों को स्वीकार करने का महत्त्व न था ता सीमित संधि जेनेवा सम्मेलन का प्रस्ताव

बुलान के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उत्तरी वियतनाम इसके लिए सहमत न हो जाय।

फ्रेंच राष्ट्रपति डेगाल ने भी उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी बम प्रया और दक्षिण वियतनाम में उनके हस्तक्षेप का घोर आरोप किया। एशियाई देशों की ओर से यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि अमेरिका को दक्षिण वियतनाम से सभी फौजे हटा लेनी चाहिए और वियतनाम-समस्या का समाधान जनैवा-समझौते के अनुसार दाना भागा का पुनः एकीकरण करके तथा इनकी तटस्थ दंग बना कर किया जाना चाहिये।

मनीला सम्मेलन—नवम्बर, १९६६ में दक्षिण वियतनाम में गहरी दिलचस्पी लेने वाले और अमरीकी पिछलापूए गणना का एक सम्मेलन मनीला में हुआ। इसमें दक्षिण वियतनाम, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, न्यूजीलैंड, थाइलैंड और सयुक्त राज्य अमेरिका के शासनाध्यक्ष सम्मिलित हुए। सम्मेलन में यह कहा गया कि सम्मिलित राज्यों का उद्देश्य "वियतनामो जनता का आत्मनिर्भरता से मुक्त करना है।" इस अतिरिक्त सम्मेलन में वियतनाम को समस्या के हर पहलू पर विचार किया गया। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने प्रथम त्रिश यात्रा के लिए एशिया का ही चुनकर मन्त्रिपरिषद् के रूप में अपने मित्रों को यह आश्वासन देने का चलन किया कि एशियाई देशों को सुरक्षा का अमेरिका द्वारा परिमानता है। एशिया में कम्युनिस्ट प्रभाव का रोकना के लिए जाधिक पुननिर्माण के कार्य पर विचार किया गया। दक्षिण वियतनाम में सैनिक सफलता के बाद पहला स्थान जाधिक विकास का ही माना गया।

मनीला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वियतनाम में युद्ध प्रयत्नों का अधिक चुस्त बनाना था। इसमें युद्ध के सामरिक पहलू पर हर दृष्टि से विचार किया गया और निश्चय किया गया कि युद्ध को जल्द-से जल्द खतम करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जायें। निश्चय है कि इस नीति से वियतनाम की समस्या सुनिश्चित वाली नहीं थी।

इसी बीच यू-थात पर एक कायकाल के लिए नर्वनम्मत में सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव चुन लिये जाने के पुरत वाद ही उठाने में अरुद पक्षा से वियतनाम में युद्ध बन्द करने का आग्रह किया और यह बतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो विश्व-युद्ध की सम्भावना बहुत बलवानगी। इस तरह के उक्तव्य उन्हाने का उद्देश्य है कि सम्मिलित सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से विशय रूप से आग्रह किया कि अपनी तरफ से वह वियतनाम में युद्ध बन्द कर दे। परन्तु अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उत्तर वियतनाम पर अमरीकी बमबारी जारी रही, युद्ध का विस्तार होता रहा और समस्या दिनोदिन उलझती गयी।

लाइ रसेल की "अदालत" का निणय—इस बीच विख्यात दार्शनिक लाइ रसेल की अदालत ने अमेरिका का वियतनाम में युद्ध अपराधी घोषित कर दिया है। लगभग एक सप्ताह की बैठक के बाद १० मई, १९६७ को अदालत ने मान लिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत वियतनाम में अमेरिका ने आक्रामक कार्रवाई की है और उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी का अपराधी अमेरिका है। इस गैर-सरकारी अदालत ने अपनी जांच पड़ताल १९२८ के स्लोग-त्रियां पैक्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर, न्यूयॉर्क युद्ध अपराधी अदालत और वियतनाम सम्बंधी १९५४ के जेनेवा समझौते के आधार पर की। अदालत ने फिलहाल अमेरिका को काइ "दंड" नहीं दिया, लेकिन जगले अधिवेशन में शायद अमेरिका को "दंड" दिया जाय।

१९६७ का अन्त आते-आते वियतनाम-युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। सामायिक और अय महारक जगों की प्रयोगशाला दक्षिण वियतनाम में उत्तर वियतनाम के और वियतनाम के सैनिकों पर और उनका गढ़ माने जानेवाले क्षेत्रों पर इतने अधिक बम गिराये गये जितने दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान में जर्मनी ने ब्रिटेन पर नहीं गिराये थे। युद्ध के अन्तर्गत के समय लगभग दस सौ विमानों ने साठ दिनों तक हर रात एक-एक टन भार के बम गिराये थे। इस भाषण युद्ध में अब हताहता की संख्या उताना व्यर्थ है। अनुमान है कि लगभग एक हजार अमेरिकी हवाई जहाज उत्तर वियतनाम में लटके हुए नष्ट हुए हैं। ये लडाकू जहाज अत्यन्त आधुनिक प्रकार के शस्त्रों से लैस थे और इनका मूल्य तीन अरब डालर से कम नहीं पड़ेगा। उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ने उत्तर वियतनामी सेना और वियतकांग छापामारों से लड़ने के लिए अमेरिका का खर्च प्रतिवर्ष दो-दोई अरब डालर हो गया था। इतना खर्च के बाद भी अमेरिका उत्तर वियतनाम को आत्मसमर्पण करने पर विवश नहीं कर सका है। बम-बर्षा के कारण उत्तर वियतनाम की प्रायः सभी जीवन-रेखाएँ (life lines) नष्ट कर दी गयी हैं। फिर भी वह युद्ध में डटा हुआ रहा और डटकर सुकायला करता रहा। वियतनाम की जनता इस बात पर रूढ़ है कि भले ही उनका सारा देश नष्ट हो जाय, लेकिन तो भी वे लड़ना नहीं छोड़ेगे। एक पर्यटक के अनुसार उत्तर वियतनाम के लोग साम्यवाद के लिए नहीं अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर वियतनाम में अमेरिका एक ऐसी शक्ति का पक्ष लेकर लड़ रहा है जिसके दिन अब लड़ चुकें हैं।

- वियतनाम सम्बन्धी अमेरिकी नीति स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में भीषण आलोचना का विषय बन गया। १९६८ में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के सन्दर्भ में यह आलोचना दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती गयी। मनोनयन के लिए

जानसन क विरोधी रिपब्लिक नेता मिनेटर यूजीन मैकार्थी न "वियतनाम के गृह-युद्ध में अमरीकी दम्बलन्दाजी" की कटु आलाचना की और कहा कि "राजनीति में, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से वियतनाम का युद्ध अब वाञ्छनीय नहीं है" और अमरीका का अपना हस्तक्षेप शीघ्रतया अन्त कर देना चाहिए। इसी तरह क विचार राष्ट्रपति पद पर मनोनयन क लिए एक अन्य डेमाक्रैटिक उम्मीदवार राबर्ट कैडी द्वारा भी व्यक्त किये गये। अमरीका का जनमत जिस तरह वियतनाम क प्रश्न पर जानसन-नीति का विरोधी होता जा रहा था, उसका दम्बकर यह निश्चित-सा प्रतीत होता था कि जागामी चुनाव में जॉनसन पराजित होकर रहेंगे।

अमरीकी जनमत का जॉनसन-विराधी होने का एक और विशेष कारण था। वियतनाम-युद्ध में दिन-प्रतिदिन क खर्च का जा हिमात्र है, उसको अभी तक अमरीका जैसा देश ही बर्दास्त किये हुए है। दुनिया का कोई एक देश इस अपार खर्च का किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता था। लेकिन वियतनाम युद्ध का आर्थिक भार अमरीका क लिए भी असह्य होता गया और वहाँ एक भीषण आर्थिक संकट क सभी आसार दिखायी पड़ने लगे। अमरीका क शाध-सन्तुलन में घाटे की वृद्धि होने लगी जिमके फलस्वरूप दुनिया भर में फैले डालरा की माख गिरने लगी। इस स्थिति पर अमरीकी सरकार दब में बनी करके ही नियन्त्रण कर सकती थी। लेकिन जानसन प्रशासन की टांग वियतनामो मगरमन्त्र क सुँह में ऐसी फस गयी थी कि खर्च कम करना ता दूर दूर उतार की नीयत जा रही थी। वियतनाम में अतिरिक्त व्यय के कारण अमरीका में महंगाई मुद्रा-फॉरति का दुष्प्रभाव शुरू हो गया और अमरीकी जनता पर नय नय कर लगाने को नीयत आ गयी। इन हालत में जानसन सरकार के विरुद्ध बुन्द-सारा उठने लगे।

फरवरी-माच १९६८ का युद्ध—फरवरी १९६८ क प्रारंभ में उत्तरी वियतनाम के सैनिकों ने बड़ बृहत् पैमाने पर दक्षिण वियतनाम क मैनिफेस्टा पर हमला कर दिया। १७ फरवरी का रात में वियतनाम सैनिकों ने सायुजितम् रोकटों और माटरों क गालों में अमरीकी शक्ति क प्रतीक दुर्ग पटगान मैगाना स्थित जेनरल बेस्टमोरलैड का मुख्यालय) पर धावा चाल दिया और अमरीका क मित्रराष्ट्रा के सैनिकों क ठिकाना को अन्तुो स्वामी खर ला। इनके साथ ही दक्षिण वियतनाम क सैतास शहरों तथा सामरिक महत्व क ठिकानों पर भी उनका हमला हुआ। इन हमलों में चेसान्ह और हुए नगर पर हमला काफी महत्वपूर्ण था। कुछ दिन पहले अमरीकी ने यह दावा किया था कि उत्तर वियतनाम अब पराजित हो रहा है और अमरीका शीघ्र ही वियतनाम में पूर्ण मैनिफेस्टा प्राप्त कर लेगा। लेकिन फरवरी में जिम विद्युत् गति से वियतनाम का दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण हुआ और जिम तरह उन्होंने अमरीकी दूतावास में घुसकर वहाँ युद्ध

का संचालन क्रिया उममे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के लिए वियतनाम का युद्ध जीतना असम्भव है। सैगोन के पास और शहर के कई भीतरी भागों में भी वियतकांग जोग अमरीकी सैनिकों को चोच भेषण युद्ध हुआ। फरवरी-मार्च १९६८ की अवधि में वियतकांग ने एक के बाद एक लगातार तीन सुनियोजित आक्रमण करके जहाँ एक तरफ यह निद्र कर दिया कि उनका होसले पहले जैसे ही बुलन्द है, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों का अपार क्षति का सामना करना पड़ा और साथ ही दक्षिण वियतनामों नागरिक अपना हाथ में शरणार्थी बन गये। मार्च में वियतकांग ह्यापामारों का आक्रमण और भी उपहास्य था। 'ज्वल फरवर'-मार्च के इस युद्ध में ही दोनों ही पक्षांशों लगभग तोस पतीस हजार व्यक्ति मारे गये। इनमें हजारों की संख्या में असन्निह नागरिक भी सम्मिलित थे।

वियतकांग के इस हमले का प्रतिरोध करने में अमरीकी सैनिकों ने अव्यर्थ महसूस करने लगा। इसलिए जनरल वरटमोरलड ने राष्ट्रपति जॉनसन से दस लाख और सैनिक वियतनाम भेजने की मांग की। १ फरवरी का अमेरिका ने वियतनाम में और दस हजार सैनिक भेजने का फैसला किया और २८ फरवरी का यह घापणा भी की गयी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम में परमाणु इस्तेमाल का प्रयोग की बात सोच रहा है। वियतनाम में अब अमरीकी सैनिकों की संख्या पांच लाख, दस हजार हो गयी।

आर्थिक संकट—अमेरिका के इस निणय से यह निश्चय हो गया कि वियतनाम में अब पहले से भी अधिक युद्ध का विस्तार हो जा रहा है। इन सम्भावनाओं ने एक बिकट आर्थिक संकट पैदा कर दिया जिसने चपेट में करल अमेरिका ही नहीं बरन् यूरोप के अन्य देश भी आ गये। जैसे ही जनरल वरटमोरलड ने राष्ट्रपति जॉनसन से दस लाख और सैनिक वियतनाम में भेजने की मांग की कि यूरोप के देशों और सट्टेबाजों ने डालर फरकर मानने के लिए मुँह पनारना शुरू किया। सान का बाजार तेज हो गया। डालर को साख रमूय विश्व में धडल्ले से गिरने लगी। संकट ने पेरिस से मुँह पसारना शुरू किया। पेरिस के स्वर्ण बाजार में पैतालिस डालर प्रति आन की दर से साना विक्रम लगा (सरकारी भाव पतीस डालर प्रति प्राप्त था)। सरकारी तौर पर देखने से वियतनाम में युद्ध के विस्तार से सोने की माँग का कोई सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ा, लेकिन इसका पूरा सम्बन्ध वियतनाम से था। इन तरह का भगदड़ ने अमेरिका के समथ भयकर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। इन पर नियन्त्रण पाने के लिए त्रैक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। लेकिन इस पर भी डालर की साख-भ्रमणवृत्त नहीं हुई। अमेरिका के वित्तीय विशेषज्ञ अब यह कहने लगे कि अमेरिका को स्वण-विनिमय मान को तिलांजलि देकर डालर की मौजूदगी

त्रिनिदाद की रक्षा करनी चाहिए। इन प्रकार, सयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह एक जायिक सकट के भेंवर जान में फँस गया।

वियतनाम में शान्ति की सम्भावनाएँ—फरवरी मार्च की सैनिक पराजय और जायिक सकट ने निद्र कर दिया कि सयुक्त राज्य अमेरिका को अन्ततः वियतनाम से वापस जाना ही पडगा। उधर देश के अन्दर जानसन का विरोध प्रता जा रहा था। राष्ट्रपति जॉनसन के समक्ष अब कोई रास्ता नहीं रहा। ३१ मार्च, १९६८ को राष्ट्रपति ने त्रिस्मयजनक भाषण दिया जिसमें उन्होंने उत्तर वियतनाम पर अमरारी सीमित करने तथा राष्ट्रपति पद की अपनी उम्मीदवारों की वापसी की घोषणा की। जॉनसन का इस घोषणा का सब्र स्वागत हुआ और इसके फलस्वरूप वियतनाम में शान्ति स्थापना की सम्भावना बहुत बढ़ गयी। अगले दिन राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि वियतनाम युद्ध में सम्मिलित सहयोगी राष्ट्रों से त्रिचार-त्रिमश करने के लिए हवाई द्रोप जायेंगे।

जानसन द्वारा उत्तर वियतनाम पर अमरारी सीमित करने का उद्देश्य यह बतलाया गया कि इनसे शांति वाता के लिए माग जुजगा। सयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधियों में बना समझौता होगा यह बहुत दूर की बात है क्योंकि उत्तर वियतनाम अभी केवल समझौता-वाता के लिए बातचीत चलाने के लिए ही राजी हुआ है। ३ अप्रिल को हवाई रडियो ने युद्ध-दो की अपनी पुरानी शर्तों का उल्लेख करते हुए अतः कहा था “जा कुछ भी हो, उत्तर वियतनाम सरकार ने बिना शर्त के अमरारी बन्द करने और हमारे खिलाफ युद्ध की दूसरी कार्रवाईयाँ बन्द करने के बारे में अमरीकी प्रतिनिधि से सम्पर्क करने का फैसला किया है जिससे कि बातचीत शुरू की जा सके।” हवाई की इस प्रतिक्रिया से वियतनाम में शान्ति की सम्भावना बढ़ गयी है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक दाब-पेंच चलते रहे। पूरे अप्रिल भर इसी बात पर विवाद रहा कि शान्ति वाता किस स्थान पर है। अतः इसके लिए पेरिस स्थान नियत किया गया और मई १९६८ में उत्तर कोरिया तथा अमरीकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू भी हो गयी।

✓ (३) पश्चिम एशिया और अरब जगत

पश्चिम एशिया और अरब जगत पर प्रभाव डालने वाले तत्त्व—विश्व की राजनीति में पश्चिम एशिया और अरब जगत में द्वितीय विश्व युद्धान्तर काल में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका आई है। इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं— फारस, इराक, इजरायल, सीरिया, जोर्डान, लेबनान, मिस्र (सयुक्त अरब गणराज्य), अल्जीरिया,

मोरक्को, ट्यूनिशिया, यमन, सऊदी अरेबिया आदि। इस क्षेत्र की राजनीति का समझने के पहले हमें उन तत्त्वों का अध्ययन करना पड़ेगा जिन्होंने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया है।

माग—पश्चिमी एशिया पूर्व और पश्चिम का मगम स्थल है। पूर्व में पश्चिम क बीच आने जाने का माग इसी क्षेत्र में गजरता है। महत्त्वपूर्ण नहर इसी क्षेत्र में स्थित है तथा बड़ी बड़ी हवाई कम्पनिया क जहाजा क वायुमाग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। इसलिए इस क्षेत्र पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपना प्रभुत्व रखना चाहती ह। स्वेज का जलमाग यूरोप का दक्षिणी ओर पूर्वी एशिया, जास्टेलिया, अमेरिका तथा अफ्रीका से जाडता है। पश्चिमी यूरोप क आधुनिक कारखाना म तैयार होने वाले माल दक्षिण पूर्वी एशिया क इसी प्रदेश के जलमाग से हाकर जाता है और उसे अपने उद्योग-धन्धा का चनाने का एक प्रधान आवश्यक तत्त्व पट्टाल भी इसी माग से प्राप्त हाता है। स्वज नहर क बन्द हा जाने क पूज ओर पश्चिम का व्यापार खत्म हो जा सकता ह। अतएव इस जनमाग की सुरक्षा पश्चिमी यूरोप के लिए जीवन तथा मरण का प्रश्न ह। इसीलिए द्वितीय विश्व-युद्ध क बाद ससार पर प्रभाव ओर आधिपत्य कायम करने क लिए अमेरिका ओर सोवियत सघ में हाड चली ता वह क्षेत्र बडा महत्त्वपूर्ण हो गया। अमरीकी सरकार ने इस क्षेत्र क महत्त्व की निम्न दृष्टि से देखना शुरू किया—यदि पश्चिम एशिया में सान्निध्यत प्रभाव पट जाता ह और पश्चिमी यूरोप के लिए यह माग बन्द हा जाता है ता तेल मुगमतापूर्वक उपलब्ध न होने से उसका मारा आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त तथा निश्चिन्न हा जाता ह। इस कारण पश्चिमी यूरोप ओर अमेरिका इस क्षेत्र में अपने विरोधी सोवियत सघ की प्रभाव वृद्धि का कभी सहन नहा कर सकते।

पश्चिमी एशिया क देशों का एक बडा महत्त्व यह भी है कि ये इस समय तुर्कों में अफगानिस्तान तक सोवियत सघ की सीमा माने जाते ह। यदि इन देशों में अमेरिका की सैनिक अड्डे प्राप्त हो जाय तो युद्ध हाने की स्थिति में वहाँ मुगमतापूर्वक आक्रमण किया जा सकता है। इसी दृष्टि से इस क्षेत्र में सैनिक सगठना की स्थापना की गयी। बगदाद पैक्ट का निमाण इसी दृष्टिकोण में किया गया। बगदाद सन्धि क खत्म हाने पर कन्द्रीय सन्धि सगठन का कायम करने का भी यही उद्देश्य था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पश्चिमी राज्य विशपतया ब्रिटेन इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाना नहीं चाहता था जिसक कारण मिस्र, ईरान, इराक इत्यादि देशों में प्रजल राष्ट्रीय आन्दोलन चला। युद्ध के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सैनिक अड्डे कायम करने शुरू किये। इस समय अमेरिका के पास घाहरन (सऊदी अरेबिया) में एक बहुत बडा हवाई अड्डा है और यहाँ अमरीकी सेना भी रहती है। ओर भी, कई अन्य जगहा पर इसके अनेक फौजी अड्डे ह। उसक समुद्री बड इस क्षेत्र क

समुद्रा पर चक्रवर्तन काटते रहते हैं। पून में पश्चिम की यात्रियाँ तथा माल दान वाले अमरीकी हवाई कम्पनियों के मार्गों का जाल भी इस क्षेत्र में विस्तारित है।

स्वज की भौतिक भूमध्य सागर का तथा इसे कृष्ण सागर के साथ जोड़नेवाले जलडमरूमध्यों का भी बड़ा सामरिक महत्त्व है। इस समय इन पर तुर्की का अधिकार है। पिछले शताब्दी में रूस इन्हें तुर्की से हस्तगत करके भूमध्य सागर में पहुँचना चाहता था। लेकिन ब्रिटन के विरोध के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी, रूस इस पर आग्रह करने की महत्तयाक्षा पालता रहा। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर भी उसने तुर्की पर इसके लिए दबाव डाला, किन्तु पश्चिमी राज्यों के तीव्र विरोध के कारण वह अभी तक इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। यदि रूस इन जलडमरूमध्यों पर अधिकार कर ले तो उसके जगह जहाँ पूर्वी भूमध्य सागर में होकर एशिया और आस्ट्रेलिया को जानेवाले मार्ग की सुरक्षा की कठिनाई में डाल सकते हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से रूस का इस क्षेत्र में प्रवेश अवाञ्छनीय माना जाता है। इन जलडमरूमध्यों को रूस के हाथ में न जाने देने के लिए यह आवश्यक है कि यूनान और तुर्की का रूसी मार्गों का तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया जाय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टूमैन सिद्धान्त तथा आइजनाहार सिद्धान्त की घोषणा इसी दृष्टि से की गयी। इसी प्रकार भूमध्य सागर के तट पर यदि रूस को कोई अनुकूल देश प्राप्त हो जाय तो पश्चिम का मित्र तुर्की उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से घिर जायगा और तब उन हालत में पश्चिमी देशों के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी स्थिति बनाये रखना बड़ा कठिन हो जायगा। इसलिए पश्चिम को यह विशेष चिन्ता है कि सीरिया और लेबनान में सोवियत प्रभाव न बढ़े पाय। इसी कारण आइजनाहार सिद्धान्त के अनुसार १५ जुलाई, १९४८ का लेबनान में अमरीकी फौज उतारी गयी थी।

तेल-भण्डार—पश्चिमी एशिया की महत्ता का दूसरा कारण वतमान औद्योगिक जीवन के एक प्रमुख आधार पेट्रोल का यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। विश्व में पेट्रोल का उत्पादन होता है, उसका ६० प्रतिशत भाग इस क्षेत्र से निकाला जाता है और उसमें भी अधिक तेल मिलने का सम्भावना है। यह तेल यूरोप के आर्थिक जीवन का प्राण है। सोवियत रूस के लिए यह तेल प्राण है और पश्चिमी एशिया के उद्योगीय गरीब देशों के लिए जाय का मुख्य स्रोत है। अपने उद्योग-धन्धों का चलाने के लिए सारा यूरोप इसी पर आश्रित है। यदि यूरोप का यहाँ से तेल का मिलना बंद हो जाय तो वहाँ का सारा जीवन ठप्प पड़ जायगा। वहाँ के वायुयान, समुद्र जहाज, माटर, गाड़ियों और जल-पारखाना का चलना एकदम बंद हो जा सकता है। युद्धकाल में यदि यह प्रवेश पश्चिम के हाथ में नहीं रहा तो युद्ध में उसका लड़ना असम्भव हो जायगा। इस कारण पश्चिम को तेल इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहता है।

मदद की थी। इसलिए मारे अरब-राज्य अमेरिका के कट्टर विरोधी हो गये। फिलहाल अरब राज्यों की नीति इस यहूदी राज्य का विरोध करना, उस पर सशस्त्र आक्रमण करके उसका नानोनिशान मिटा देना है। इस कारण इस क्षेत्र की स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रहती है। यहूदियों और अरबों में बराबर संघर्ष होते रहते हैं।

अरब राष्ट्रीयता का विस्फोट—पश्चिम एशिया में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद राष्ट्रीयता का प्रबल तूफान जाया। दूसरी ओर आंग्ल-अमरीकी गुट विविध लक्ष्यों का ध्यान में रखकर इस क्षेत्र पर अपना आर्थिक और सैनिक नियन्त्रण कायम रखना चाहता था। इस कारण अरब राष्ट्रवाद तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद में खूली टक्कर हो गयी। इस टक्कर में सोवियत संघ ने राष्ट्रवाद का पक्ष लिया और पश्चिमी एशिया के देशों का अपना पूरा समर्थन दिया। फलतः पश्चिमी एशिया शीत युद्ध का एक अखाड़ा बन गया।



विश्व-राजनीति में मिस्र

मिस्र और ब्रिटेन का सम्बन्ध—मिस्र में ब्रिटेन की दिलचस्पी १८६६ में स्वयं नहर बनाने के बाद हुई। १९१६ में ब्रिटेन ने मिस्र को एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। तब से मिस्र में ब्रिटेन का खिलाफ बराबर विद्रोह होता रहा। लेकिन ब्रिटेन इस विद्रोह को दबाता रहा।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद तक मिस्र और ब्रिटेन का सम्बन्ध १९२६ की संधि के आधार पर कायम था जिसकी अवधि बीस वर्ष की थी। यद्यपि इस संधि के द्वारा मिस्र का स्वतन्त्र राज्य मान लिया गया था तो भी उसकी भूमि पर विदेशी सेना रहती थी और उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत तरीके मौजूद थे। अतएव १९३६ में विश्व-युद्ध छिड़ने पर ब्रिटेन ने मिस्र पर पन अपना साम्राज्यवादी शिकजा मजबूत कर लिया।

युद्ध समाप्त हो जाने पर मिस्र ने १९६६ की संधि में सशोधन तथा मिस्र से ब्रिटिश फौज हटाने की मांग की। साथ ही उसने यह मांग भी की कि सूडान की समस्या का हल नील घाटी की एकता के आधार पर होनी चाहिए। १९४६ में काफी विचार-विचारों के बाद ब्रिटेन और मिस्र में यह तय पाया कि १९ माघ, १९४६ तक स्वयं क्षेत्र तथा सितम्बर, १९४६ तक शेप मिस्री प्रदेश से ब्रिटेन अपनी सेना हटा लेगा। किन्तु सूडान के प्रश्न पर गतिरोध हो जाने से यह समझौता लागू नहीं हो सका।

जुलाई १९४७ में मिस्र में सुरक्षा परिषद् से अपील की कि वह अंग्रेजों को हटाने में उसकी सहायता कर और सूडान में ब्रिटिश शासन का अन्त कराव। ब्रिटेन ने १९३६ की संधि का हवाला देते हुए मिस्र में अपनी सेना रखने के अधिकार का अधिकार बतलाया। सुरक्षा परिषद् इस पर कोई निष्पत्ति नहीं ले सकी।

इसके बाद मित्र मंत्रिपरिषद् विरोधी भावना बढा उग्र हो गया। अक्टूबर, १९४६ में मित्री प्रधानमंत्री नेहरो ने १९२६ की सन्धि के रद्द होने की घोषणा कर दी और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वह अपनी सेना वापस बुला ले। उस समय मित्र का राजा फारुक था। अंगरेजों का उम पर गहरा प्रभाव था। उनके वहकाव में आकर उन्होंने नेहरो पाशा का प्रस्ताव स्वीकार किया। मित्र को सेना में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। २६ जुलाई, १९५२ को काहिरा में वादशाह के विरुद्ध एकाएक सैनिक क्रांति हो गयी। इसके नेता जनरल नगीब और कर्नल नासिर थे। परानी सरकार का अपदस्थ करके नगीब की प्रत्यक्षता में एक सैनिकान्त्र की स्थापना हुई। फारुक मित्र छोड़कर भाग गया।

क्रान्तिकारी सरकार ने देश की उन्नति के लिए अनेक कार्य किये। लेकिन असल मित्र की भूमि में अंग्रेजों का हटाना था। उग्र ब्रिटेन हटने का नाम नहीं ले रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ मित्र वाले ने आतङ्कवादी आन्दोलन शुरू किया। इसका स्वरूप दतना उग्र हो गया कि जुलाई १९४४ में ब्रिटेन को मित्र के साथ समझौता करके यह वादा करना पडा कि उसकी सना बौम महीना के अन्दर स्वयं नहर-क्षेत्र खाली कर देगी। इस समय तक देशद्रोह के अभिभाग में नगीब को प्रस्तावित कर दिया गया था और कर्नल नासिर मित्र का शाननाभ्यक्ष प्रभु चुका था।

मित्र का राष्ट्रपति नासिर एक कट्टर राष्ट्रवादी और पारचाय मान्न व्यक्त का कट्टर दुश्मन है। यह नील नदी में अस्वान-प्रकृत का निर्माण करना चाहता था। यह अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता में ही सम्भव था। अमेरिका ने उम्क सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि यह माल-अमेरिकी षट में सम्मिलित हो जाय तो उसका मु. हमीगी मदद दी जा सकती है। लेकिन नासिर ने इन्कार कर दिया कि अमेरिका को पूरी तरह पता चल गया कि नहरों को तरह नासिर उम्क इन्कार करने वाला नहीं है। तब उसने अस्वान-प्रकृत के लिए अग्रिम षट्ट देन में नासिर कर दिया।

इस समय फिनिश्टीन युद्ध के लिए मित्र का अग्रिम षट्ट देन में नासिर कर दिया। अमेरिका ने यह जानकर कि इन शर्तों का प्रभाव इन्कार करने में नासिर उम्क इन्कार कर दिया। नासिर अग्र सामन्त इन्कार कर दिया। यह बात अमेरिका का एकदम पारचाय मान्न व्यक्त का कट्टर दुश्मन है। तब उसने अस्वान-प्रकृत के लिए अग्रिम षट्ट देन में नासिर कर दिया।

स्वयं नहर का निर्माण शुरू करने के लिए अग्र सामन्त इन्कार कर दिया। तब उसने अस्वान-प्रकृत के लिए अग्रिम षट्ट देन में नासिर कर दिया।

कर दिया। स्वयं नहर के अधिकार जबर त्रिटेन और फ्रान्स के थे। इन शांति काफ़ी हा-हलना मन्त्रालय। स्वयं नहर का प्रयत्न करने के एक प्रयाग किये गये। नामिर का डगने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये गये और जय इस पर फौलादी तन्त्रा का प्रया नामिर नहीं भुक्ता ता इस प्रश्न का सुरक्षा-परिष्कार ले जाया गया। यहाँ भागमन्त्रा का काई समाधान नहीं हा सका। निराश हाकर त्रिटेन, फ्रान्स और इंग्लैण्ड ने मिलकर २६ अक्टूबर का मिस्र पर आक्रमण कर दिया। नामिर ने अहाटरी के साथ शत्रु का साथ मानना किया। अन्त में मानियत सघ की धमकी म डरकर आक्रमणकारिया का युद्ध बंद करना पडा। ७ नवम्बर को युद्ध समाप्त हो गया। स्वयं नहर पर मिस्र का पूर्ण अधिकार मान्य हो गया। अन्त मिस्र अन्तर्ने ही उसका प्रचालन कर रहा है।

वज नहर की इस घटना के फलस्वरूप पश्चिमी एशिया के देशों में त्रिटेन की प्रतिष्ठा बहुत अधिक नीचे गिर गयी। त्रिटेन के प्रधान मन्त्री एन्थाना रूडेन का पदत्याग करना पडा और अन्त क्षेत्र में त्रिटेन का प्रभाव सदा के लिए खत्म हो गया।

पश्चिमी एशिया और अरब दुनिया में कनल नामिर का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्त्वशील है। यह अरब राष्ट्रीयता और एकता का प्रतीक माना जाता है। सारा अरब जगत् में 'नामिरवाद' एक जबरदस्त आन्दोलन हो गया है। इस क्षेत्र के किसी भी घटना में उसके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव अमूर्त रहता है। वह समूचे अरब जगत् का आत्मा और रक्षक माना जाता है। विदेश-नीति में नामिर 'तटस्थतावाद' का समर्थक है।

फारस और ब्रिटेन

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की जो लहर एशियाई देशों में चली उसमें फारस अछूता नहीं रह सका। फारस यद्यपि एक स्वयं प्र राज्य था, फिर भी प्रत्येक दृष्टि से उस पर ब्रिटेन का प्रभाव था। इस देश के अधिक जीवन का आधार पेट्रोल की खाने है और इस पर अंग्ल इरानी तेल कम्पनी का पूर्णतया अधिकार था। १ मई, १९५१ की फारस की समझौता (मन्त्रालय) ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। डा० सुमदिक उस समय फारस के प्रधान मन्त्री थे। ब्रिटेन ने उसकी सरकार का उखाड़ फूटने के अनेक प्रयाग किये। जय उसका इस कुत्साय में सफलता नहीं मिली ता इस विवाद को सुरक्षा परिष्कार में ले जाया गया। सुरक्षा-परिष्कार इसका काई समाधान नहीं निकाल सका। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि यह मामला उस क्षेत्राधिकार से बाहर है।

जब साम्राज्यवादियों ने रूखा क्रिष्णी तरह उनकी दाल नहीं गेलती तब ये मुसद्दिक-परकार की उलटने का पडयन्त्र करने लगे। इसमें लिए शाह का समर्थन पाना आवश्यक था। शाह पडयन्त्रकारियों के चक्कम में जा गया। १५ अगस्त, १९५३ का कर्नेल नासीर के नेतृत्व में मुसद्दिक-परकार का उलटने का प्रथम प्रयास हुआ। यह विद्रोह असफल रहा। विद्रोह कुचल दिये गये। शाह रोम भाग खटा हुआ। पाते पाते उमर मुसद्दिक का प्रबन्धन कर लिया और उनकी जगह जनरल जहदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। १९ अगस्त का मुसद्दिक के विरुद्ध एक दूबारा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह मफल हुआ। मुसद्दिक कैद कर लिया गया। उसपर मुसद्दमा चलाया गया और तीन साल की सजा दी गयी। अगस्त, १९५६ का उसे सुत कर दिया गया।

८ अगस्त, १९५४ का तेल-विवाद का 'निमाधान' हुआ गया। इसके अनुसार फारस के तेल कृपा का संचालन जब जाठ अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की एक संयुक्त मन्था द्वारा होता है। फारस का सुनाफा का लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है।

ईराक की क्रान्ति—युद्धोत्तर काल में एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सबसे जड़दस्त गढ़ ईराक था, जहाँ पर शाह फैजल जोर उमरक प्रधानमंत्री नूरी सईद साम्राज्यवाद के एजेन्ट के रूप में अपना स्वतन्त्राचारी शासन कर रहे थे। मध्यपूर्व में अगदाद अमरीकी सुरक्षा पद्धति का कन्द्र था। कुख्यात 'अगदाद-सन्धि' का संचालन वही सं होता था। १४ जुलाई, १९५८ का उस सन्धि-संगठन की एक बैठक इस्ताम्बुल में होनेवाली थी। कहा जाता है कि जिन समय शाह फैजल और नूरी सईद इस्ताम्बुल जाने का तयारी कर रहे थे उसी समय ईराकी सना के प्रगतिशील अफसरों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह क्रान्ति पूर्णरूपेण सफल रही। ईराक का प्रतिक्रियावादी तानाशाह नूरी सईद शाही परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिये गये। बनल कामि के नेतृत्व में ईराक में एक गणतन्त्र की स्थापना की गयी। नयी क्रान्तिकारी सरकार ने 'अगदाद-सन्धि' के प्रधान दफ्तर में अपना ताला बन्द कर दिया।

युद्धोत्तर काल की क्रान्तियों में ईराक की यह क्रान्ति सबसे महत्वपूर्ण क्रान्ति थी। अगदाद पश्चिमी साम्राज्यवाद का गढ़ था और इसी गढ़ में आग लग गयी। नूरी सईद-जैसा कफादार भाड़े का टट्ट पश्चिमी देशों का आज तक नहा मिले थे। 'अगदाद सन्धि' उसी का सृजन था। उसकी मौत के साथ-साथ ऐसा प्रतीत होने लगा कि अरब-जगत में पश्चिमी साम्राज्यवाद को अन्तिम निशानों में टूट चुकी है। अमेरिका और ब्रिटन इस स्थिति का कबूल नहा कर सकते थे। ठीक इसी समय लेनान में एक गृह-युद्ध चल रहा था। विद्रोहियों को दवाने के लिए लेनान की सरकार अमरीकी सन्ध-सहायता की याचना कर रही थी। ईराकी-क्रान्ति के

तुरत बाद अमेरिका ने लेबनान में अपनी फौज उतार दी। उधर जोर्डान के शाह सैनिक मदद ले। कुछ ही घंटा में ब्रिटिश फौज भी जोर्डान में उतर गयी। अमरीकी और ब्रिटिश-फौज का लेबनान और जोर्डान में लाने का ज्वल उद्देश्य यह था कि मौफा पाकर ईराक पर आक्रमण कर नयी क्रान्तिकार, सरकार का खत्म कर दिया जाय। राष्ट्रपति नासिर से स्पष्ट शब्दा में यह दिया कि यदि ईराक पर कोई आक्रमण हुआ तो मिस्र चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। वह दौड़ा मास्को गया और सुझेव में जाते करार सावियत-आवासन प्राप्त कर लिया। सावियत संघ ने भी घोषणा कर दी कि यदि ईराक में हस्तक्षेप हुआ तो तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन का पता चला कि ईराक में उनकी दाल नहीं गलगी। अतः कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपने को वापस बुला लिया। इस तरह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय संकट टल गया।

१९६३ की क्रांति— १९५८ से १९६६ के बीच तक इराक में जनन कामिम के नेतृत्व में सैनिकतंत्र कायम रहा। शुरू में तो इराक में क्रान्तिकारी नेताओं का ज्वल नासिर की सहानुभूति प्राप्त थी, लेकिन वे मिस्र के प्रभाव से जाने का सुझाव रखना चाहते थे। अतएव मिस्र और इराक का सम्बन्ध तुरत त्रिगुणित गया। इसका एक और कारण था। कर्नल कामिम साम्यवादी विचारधारा से कुछ प्रभावित था और इराकी कम्युनिस्टों का समर्थन भी उसे प्राप्त था। इन सब बातों का लेकर इराक की आन्तरिक राजनीति बड़ी तनावपूर्ण रहती थी। सन् १९६६ में नासिरवाद के पक्षपाती सैनिक अफ़सरो ने एक द्वारा क्रान्ति करके कामिम को सरकार से उलट दिया और उनको हत्या कर दी।

अरब-एकता

(5)

संयुक्त अरब गणराज्य— अरब देशों में राजीनीति का अर्थ अरब राज्यों की एकता भी है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इस गणराज्य ने जड़ पकड़ ली है और अरब राज्यों में अपने को एक मात्र में जोड़ने की इच्छा उठी प्रचलित रही है। १९४५ में अरब लीग की स्थापना इसी एकता की भावना का परिणाम था। अरबों के मध्य में इजरायल के सृजन से इस भावना को और भी उल्लेख मिलता है। अतएव अरब देशों में एकता के लिए सरकारी और गैर सरकारी तौर पर एक गणराज्य चल रहा है। स्वयं युद्ध के बाद-गिद जाडान, सीरिया और मिस्र का मिलाकर एक संघ कायम करने की बात चला रही थी। जोर्डान पीछे चलकर इतना अलग हो गया। तब १९५७ में सीरिया और मिस्र को मिलाकर एक संयुक्त अरब गणराज्य की स्थापना ली गयी। सीरिया और मिस्र एक ही देश हो गये। इसका

तुरत वाद जोर्डान और ईराक ने मिलकर अपना एक जलग सघ कायम कर लिया। लेकिन १९५८ की ईराकी-क्रान्ति के फलस्वरूप इस सघ का अन्त हा गया।

सीरिया और मिस्र का सयुक्त अरब गणराज्य वस्तुतः एकता का परिणाम न होकर सीरिया में साम्यवाद के उदये हुए प्रभाव का रोकने का प्रयत्न था। पश्चिम एशिया में सीरिया एक ऐसा राज्य था जिसका मौजियत गुट के देशों के साथ बड़ा अच्छा सम्बन्ध था और इस अच्छे सम्बन्ध में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। इस कारण यह भावना पुष्ट होने लगी कि सीरिया तुरत ही साम्यवादी व्यवस्था अपना लेगा। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत शक्तिशाली थी। इस स्थिति में यह अफवाह प्रसार उड़नी थी कि पश्चिमो दश किसी न-किसी प्रधान सीरिया में हस्तक्षेप करगे। इन सम्भावना से बचने के लिए सीरिया ने मिस्र के साथ मिल जाने का निणय किया।*

मिस्र के साथ मिल जाने से सीरिया को राजनीतिक और आर्थिक घाटा हुआ। इस सघ के निर्माण में सीरिया को कोई लाभ नहीं पहुँचा और उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गयीं। अतएव मितम्बर १९६४ में सीरिया में कुछ सैनिक अफसरों ने क्रान्ति करके सयुक्त अरब गणराज्य से निकल जाने का घोषणा कर दी। राष्ट्रपति नासिर ने पहले तो इसका विरोध किया और सीरिया में इस "विद्रोह" को दबाने के लिए एक सना भी भेजी गयी। लेकिन जब सीरिया ने प्रतिरोध करने का निश्चय किया तो सना वापस बुला ली गयी। सयुक्त अरब गणराज्य में सम्मिलित होने के कारण सीरिया के सयुक्तराष्ट्र सघ की सदस्यता समाप्त हो गयी थी। लेकिन मिस्र से जलग हाने पर उसने फिर से सयुक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा प्रदर्शित की और उसे पुनः सघ की सदस्यता दे दी गयी।

मार्च, १९६३ में ईराक की क्रान्ति के तुरत बाद सीरिया में भी एक क्रान्ति हो गयी। इस सैनिक क्रान्ति के नेता नासिर के पक्षपाती थे। अतएव जब फिर यह चर्चा चल पड़ी कि ये तीनों अरब राज्य (ईराक, सीरिया और मिस्र) मिलकर एक सघ बना लें। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

अरब लीग— अरब एकता को कायम रखने तथा उस पर ध्यान देने के उद्देश्य से २२ मार्च, १९४५ को काहिरा में अरब राष्ट्राँ ने एक मन्थन पर हस्ताक्षर करके एक सघ का निर्माण किया जिसको अरब लीग (Arab League) कहते हैं। इस सघ में पहले सात राज्यों शामिल हुए थे—मिस्र, सीरिया, इराक, जोर्डान, मजदी अरब, यमन और लेबनान। बाद में लीबिया भी इसमें शामिल हुआ। १९५६ में

* मार्च १९५८ में अपना स्वतन्त्रता और राजनीतिक सत्ता कायम रखते हुए यमन भी सयुक्त अरब गणराज्य में सम्मिलित हुआ था। लेकिन जनवरी १९६१ में यमन सयुक्त अरब गणराज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

सूडान, १९५८ में ट्यूनिशिया और मार्क्को, १९६२ में कुवैत तथा १९६२ में अल्जीरिया इसके सदस्य बन गये। अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों के बीच हुए समझौतों का क्रियात्मक रूप देना, उनमें जायगी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना, समय-समय पर इसकी बैठक बुलाना, राजनीतिक क्षेत्र में महयाग, सदस्य राष्ट्रों की स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा, अरब राष्ट्रों से सम्बद्ध कार्यों पर विचार विमर्श तथा जायिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एवं परिवहन सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग करना है।

लेकिन अन्तराष्ट्रीय राजनीति में सदस्य राष्ट्रों के जायसी झगड़, पैमाने तथा कड़ुता के कारण अरब लीग अभी तक काई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाया है। अरब राष्ट्रों में एकता का संस्था अभाव है। पश्चिमी शक्तियाँ अपने स्वायत्त-माधन के लिए उनमें हमेशा फूट डालती जायी हैं। फलस्वरूप इस सभ्य में वह मजबूती नहीं पायी जाती जिसकी आवश्यकता है। कुछ अरब राष्ट्रों ने आइसनहावर सिद्धान्त का मानकर इस संगठन की जड़ का खाखला बना दिया है। मिस्र की महत्त्वाकांक्षा से भी इसका जाघात पहुँचा है। राष्ट्रपति नासिर इस सभ्य पर अपना प्रभुत्व जायम रखना चाहता है और अन्य अरब राष्ट्र इसका विरोध करते हैं। इसलिए १९५६ में ट्यूनिशिया इसमें जना गया है, लेकिन १९६० में वह पुनः लीग में शामिल हो गया।



अरब-इजरायल सम्बन्ध

फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र की स्थापना—फिलिस्तीन के जन्मगत एक यहूदी-राज्य कायम है, इसके लिए यहूदी जाति के लोग बहुत दिनों से प्रयास करते आ रहे थे। प्रथम विश्व-युद्ध के मध्य और बाद जब फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सरकार की पूरी सहानुभूति थी। लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। उन मध्य फिलिस्तीन मुख्य रूप से अरबों को बसायी थी और उन्होंने अपनी भूमि पर किसी भी यहूदी राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध तक यहूदियों को अपने लक्ष्य पूर्ति की दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली।

१९४७ में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही फिलिस्तीन में यहूदी आन्दोलन पुनः सक्रिय हो उठा। फिलिस्तीन पर अभी भी ब्रिटिश सरकार कायम था। जून १९४९ में ब्रिटेन ने जाम बुलाया हुआ और लंडन पार्टी रुत्ताहूत हुआ ता यहूदियों का इसमें प्रयत्न होई। उनका विद्वान था कि नयी सरकार उनकी माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करगी। लेकिन जब लंडन पार्टी की सरकार जून १९४९

में फाइ कदम नहीं उठाया तो यहूदी व्यग्र हो उठे और उपद्रव मचाने लगे। युद्ध के समाप्त होते ही फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के मौनिक संगठन कायम हो गए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन अरबों और यहूदियों के बीच यहूदियों की जाग में झुलसने लगा। चारों ओर अशान्ति और अराजकता फैल गयी। यहूदी लोग फिलिस्तीन में इस तरह की अव्यवस्था पैदा कर देना चाहते थे कि अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर भाग जायें और तब व अरबों का पराजित करके अपने राज्य की स्थापना कर लें।

युद्धोपरान्त ब्रिटेन एक अत्यन्त कमजोर राष्ट्र बन गया। फिलिस्तीन में व्यवस्था कायम रखना उनका मामूली काम नहीं रहा। ब्रिटेन ने स्थिति को काबू से बाहर जाते देख फिलिस्तीन को छोड़ने का निश्चय कर लिया और १९४७ में मारा मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्थिति की जाँच पड़ताल के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १ अगस्त, १९४७ को इस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें यह सिफारिश की गयी थी कि फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया जाय—एक भाग में अरबों राज्य की स्थापना हो और दूसरे में यहूदियों का राज्य की। इसके बाद जर्मन के विशेष क्षेत्र की रचना की जाय और उसमें अन्तर्राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था हो। संयुक्त राष्ट्र की माधुर्य सभा ने आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना का स्वीकार कर लिया और उसका कार्यान्वयन करने के लिए एक फिलिस्तीन आयोग नियुक्त किया। ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह १५ मई, १९४८ का अपनी संरक्षण की अवधि पूरी होने पर अपनी सैन्य और प्रभुत्व फिलिस्तीन से हटा लेगा।

फिलिस्तीन आयोग ने उड़ी कठिन परिस्थिति में अपना काम प्रारम्भ किया। संधि द्वारा निर्धारित फिलिस्तीन विभाजन की योजना यहूदियों और अरबों दोनों के लिए अमान्य थी। अरबों इस बात पर दुःखी हुए थे कि उनकी मातृभूमि से कोई विदेशी राज्य स्थापित नहीं हो। दूसरी ओर यहूदियों का अपना राज्य कायम करने के लिए यह निश्चय था। फलतः दाना हो पक्षा ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए संधि का सहारा लिया और फिलिस्तीन यह युद्ध का जन्माड्ड बन गया। दानो पक्षा ने घोर हिंसापूर्ण उपायों का आश्रय लिया।

प्रथम अरब इजरायल युद्ध (१९४८)—१९४८-१९४९ ई. में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन पर से ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व हटा लिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के फैसले के लिए इन्तजार न करके यहूदियों ने उसी समय तत्कालीन इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। इस नये राज्य की सुरक्षा ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन की मान्यता मिल गयी।

अरब राष्ट्र इजरायल की स्थापना की स्वीकार करने का तैयार नहीं थे। जिस दिन इन यहूदी राष्ट्र की स्थापना हुई उसी दिन मिस्र, जोर्डान, इराक और सीरिया को मनाए फिलिस्तीन में घुस पड़ी और इजरायल पर आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन इजरायल ने डक्टर अरबा का सुकात्रला किया और अपने उत्कृष्ट रण-कौशल तथा विदेशी सहायता के कारण विजयी रहा। इन युद्ध के दौरान म लाखा अरबों को इजरायल छोड़ कर भागना पड़ा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मध्यस्थ राष्ट्र कुवैत के प्रयत्नों से १९४९ में दानो पक्षों के बीच युद्ध बन्द हुआ।

जिस समय दानो पक्षों में युद्ध बन्द हुआ उस समय इजरायल का पलड़ा बहुत भारी था। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इजरायल का क्षेत्रफल छुपाने का बगमाल तय किया था। लेकिन युद्ध के बाद उसका क्षेत्रफल बृहत्तर हो चर्गमील हो गया। इन सम्पूर्ण क्षेत्र में उसने जाले अरबों का उन्होंने निष्कासित बाहर किया। इस युद्ध में मिस्र ने गाजा तथा गेरशा पर अधिकार कर लिया था और जेरुसलम के उत्तरी भाग से यहूदियों का भगा दिया था। इस हालत में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से जा ममझौता हुआ उसके अनुसार मिस्र का गाजा पट्टी पर अधिकार स्वीकार किया गया और वहाँ अरब शरणार्थियों का बसाने का प्रबन्ध किया गया। जेरुसलम नगर दो हिस्सा में बाँट दिया गया। लगभग एक लाख की आबादी वाला बड़ा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में आया और पचास हजार की अरब आबादी वाला हिस्सा जोर्डान के अधिकार में रहा। इस तरह दानो राष्ट्रों का सीमा इन नगर में से होकर गुजरती हुई रहने लगी। इजरायल ने भागे हुए अरबों का लौटने की अनुमति नहीं दी, बरन् उच हुण अरबों का इजरायल से भागना शुरू किया। १९५३ तक दस लाख अरबों का इजरायल छोड़कर भाग जाना पड़ा।

अरब-इजरायल विरोध—इजरायल राष्ट्र की स्थापना और फिर युद्ध में इजरायल के हाथ पराजय ने सम्पूर्ण अरब जगत् को इजरायल का स्थायी दुश्मन बना दिया। अरब राष्ट्रों का विरोध मिस्र, सीरिया, जोर्डान आदि का इस बात का पड़ा दुःख और सदमा था कि प्रथम तो वे फिलिस्तीन के विभाजन का नहीं इराक तक और अरब इजरायल की स्थापना हो ली और उन्होंने युद्ध के मैदान में उसका विरोध किया ता भी उन्हें पराजित होना पड़ा। लेकिन इस पर भी अरब राष्ट्रों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने निश्चय किया कि इजरायल का अधिकार अधिकार करके उसका गला घाटा जायगा। अरब-इजरायल के लिए मिस्र ने स्वयंसेवक भेज कर दिया। इजरायली "सन्दिग्धों" से सामान लाने और वहाँ से सामान लाने वाले जहाजों का आगमन पूर्णतः बन्द कर दिया गया। इजरायल के साथ सभी अरब देशों ने अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ लिये। इराक ने पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया।

इजरायल राज्य इस तरह एक ही साथ विभिन्न समस्याओं से घिर गया। इसी समय दुनिया के हर कोने में निवासित यहूदी इजरायल में आकर बसने लगे। इजरायली सरकार के समक्ष इन शरणार्थियों का पसाने और उनके जीवन-यापन के साधनों की व्यवस्था करना ही समस्या थी। इसके अतिरिक्त इजरायल में रतीली भूमि थी और पानी के कमी के कारण उनका आगमन नहीं किया जा सकता था। इन सभी समस्याओं के ऊपर हर क्षण अरबों से संघर्ष छिड़ जाने की सम्भावना थी।

इजरायल ने बड़े धैर्य और साहस के साथ इन सारी कठिनाइयों का मुकाबला किया। उसने यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये और अमेरिका के सम्पर्क यहूदियों से निपुल आर्थिक सहायता प्राप्त की। देखते ही देखते मरुस्थल में हरे-भरे खेत लहराने लगे, आधुनिक उद्योग-धन्धे स्थापित हो गये। अरबों की चुनौती यहूदियों की प्रगति नहीं रोक सकी और इजरायल पश्चिमी एशिया का सबसे सम्पन्न और विकसित देश हो गया।

इजरायल की प्रगति ने अरब राज्यों को और भी चिन्तित कर दिया और वे इजरायल का नामानिश्चान मिटाने लिए दृढ़ संकल्प हो गये। अतः सीमावर्ती अरब राज्यों और इजरायल के मध्य छिंटपुट सैनिक झड़पें होने लगीं। इस तरह की सुठभेड अधिकतर इजरायल जॉर्डन सीमा पर होती रही। सितम्बर १९५४ में इजरायली-मिस्री सीमा पर भी स्थिति गम्भीर हो गयी। २८ फरवरी, १९५५ का मिस्री और इजरायली सेना में जो सुठभेड हुई उसके फलस्वरूप दोनों पक्षा ५७२ सैनिक हताहत हुए। २ नवम्बर, १९५५ का इजरायल के प्रधानमंत्री ने अरब-इजरायल समस्याओं का समाधान के लिए अरब राज्यों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव का टुकरा दिया। इसके बाद इजरायल और अरब की सीमा और भी विस्फोटक हो गयी। १९५५ में मिस्र और मोरिया के साथ इजरायल की कई सैनिक झड़पें हुईं। मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी गया। मई १९५६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के तनाव में थोड़ी कमी आयी।

द्वितीय अरब-इजरायल संघर्ष (१९५६)— जुलाई १९५६ में स्वयं नहर के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इजरायल, मिस्र और जॉर्डन की सीमाओं पर स्थिति पुनः गम्भीर हो गयी। इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायल का अपना हथकड़ा बनाया और मिस्र पर प्रत्यक्ष आक्रमण करने का बहाना बनाने के लिए उन्होंने इजरायल को मिस्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उत्तेजित किया। २६ अक्टूबर, १९५६ का इजरायल ने एकाएक सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण कर दिया। इजरायल ने कहा कि यह प्रदेश फेदाचिन संगठन का अड्डा है जहाँ से इजरायल पर हमेशा आक्रमण होता रहता है। उसका उद्देश्य इन्हीं अड्डों को नष्ट करना है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मिस्र को अकेले ही तीन शक्तियों से झुझना पड़ा।

पाँच दिनों की लड़ाई के बाद लगभग सम्पूर्ण सिनाइ प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण स्थापित हो गया। मिस्र पर तीन राष्‍ट्रा क दम हमले का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा गया और ७ नवम्बर, १९६७ का संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके युद्धबन्दी का आदेश दिया और यह कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल अविलम्ब मिस्र की भूमि से अपनी सेना हटा लें। दस प्रस्ताव के अनुसार महासचिव द्वारा दस दशा की सैनिक टुकड़ियों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय सेना का छ हजार सैनिकों का संघ की अध्यक्षता में यहाँ शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव का पालन करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने २२ दिसम्बर, १९५६ को मिस्र से अपनी फौज हटा ली। किन्तु इजरायल ने गाजापट्टी तथा शमल-शेख-क्षेत्र से अपनी फौजें हटाने से इन्कार कर दिया। १९ जनवरी तथा २ फरवरी, १९५७ का साधारण सभा ने इजरायल द्वारा फौजे हटाने तथा महासचिव को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अन्य प्रस्ताव पास किये। इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब इन शक्तियों के एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करके साधारणसभा ने यह निणय किया कि इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के आदेश का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक तथा सैनिक सहायता देना बन्द कर दें। इस पर १ मार्च, १९५७ को इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाना स्वीकार कर लिया और ७ मार्च को मिस्र से सब सेनाएँ हटा ली गयी। इजरायल की प्रमुख शक्तें ये थी अरबिया की खाड़ी तथा तिरान (Tiran) जलडमरूमध्यों में इजरायल सहित सब दशा के लिए नौ-चालन की पूरी स्वतंत्रता है और संयुक्त राष्ट्रसंघ उस समय तक गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखे जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो जाता।

✓ इजरायल और अरब राज्यों के बीच तनाव के कारण— यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के कारण मिस्र और इजरायल के मध्य की समाप्ति हो गयी लेकिन दोनों पक्षों में स्थायी शान्ति कायम नहीं हो सकी। अरब राज्यों ने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अरब नेताओं ने अपने इस इरादे को कि उनका उद्देश्य इजरायल के अस्तित्व का समाप्त करना है ताकि

* अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तर-पश्चिम में इसका सिनाई प्रायद्वीप और सऊदी अरेबिया के मध्य में बड़ा हुआ भाग है। इजरायल राज्य का दक्षिणा छोर इस खाड़ी के उत्तर में है। इजरायल के लिए इसका सामरिक महत्त्व यह है कि यदि मिस्र उसके लिए स्वज-नहर नहीं खोलता तो वह एशिया और अरब से आनेवाले जहाजों का माल इस खाड़ी में जहाजों को लाकर प्राप्त कर सकता है और स्वज नहर के अभाव में भी अपना काम चला सकता है। तिरान लाल सागर के उत्तरा तिर पर अकाबा खाड़ी के प्रवेश द्वार पर सऊदी अरेबिया के अधिकार में एक टापू है। वहाँ से अकाबा खाड़ी में जाने वाले जहाजों का नियन्त्रित किया जा सकता है। अत इजरायल की दृष्टि में यह बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

विश्व के मानचित्र से उसका नामानिश्चान मिट जाय, कभी छिपाने का यत्न नहीं किया। अरबों के इस सरुल्प के मूल में कई कारण हैं। इसका प्रथम कारण सीमा सम्बन्धी विवाद है। इजरायल चारों तरफ से अरब राज्यों एवं यहूदी-जिर्जानो जातियों से घिरा हुआ है। ये सभी देश उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इन देशों का मत है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने १९४७ में जो विभाजन किया था और इजरायल की जागीर निर्धारित की थी उसी में इजरायल का राज्य रहे। १९६७ के युद्ध में उसने जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, उसको गह छोड़ दे। चूंकि इजरायल इन प्रदेशों पर से अपना अधिकार हटाने के लिए तैयार नहीं है इसलिए अरब राज्यों के साथ परावर उसका संघर्ष चलता रहता है। मार्च, १९६२ में टाइबरिस झील के प्रदेश में सीरिया और इजरायल के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका मूल में यही बात थी।

अरबों और इजरायल के मध्य झगडा का दूसरा कारण शस्त्रास्त्रों की दौड़ है। जुलाई, १९६२ में अरब गणराज्यों का यह रहस्य खुल गया कि वे इस प्रकार के सैनिक प्रक्षेपणास्त्र बनाने में सफल हैं जिनकी महायुद्ध से इजरायल को शीघ्र ही पराजित किया जा सके। ऐसी स्थिति में इजरायल का अपनी रक्षा-व्यवस्था शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक मध्यपूर्व के देशों को हथियार न देने की नीति अपना रहा था, किन्तु अब वह यह मानने लगा कि इस क्षेत्र में शान्ति तभी रहेगी जबकि यहाँ की सैनिक शक्ति में संतुलन बना रहे। इसी मायता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सितम्बर, १९६२ में यह निर्णय लिया कि वह इजरायल को ऐसे प्रक्षेपणास्त्र देगा जो कि जल्द दूरी तक मार सकें तथा शत्रु के वायुयानों को गिरा सकें। इजरायल की मांग ऐसे प्रक्षेपणास्त्रों के लिए थी जिनके माध्यम से वे अपने देश में रह कर ही शत्रु के अड्डों को नष्ट कर सकें। अमेरिका द्वारा जो भी सहायता इजरायल को प्रदान की गई उसे अरब राज्यों द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्य माना गया।

अरब राज्यों तथा इजरायल के बीच झगडे का तीसरा कारण जोर्डान नदी का जल है। यह नदी कुल १५० मील लम्बी है, फिर भी इजरायल और अरब राज्यों के बीच यह तीव्र कलह का कारण बनी हुई है इसका कारण है कि यह सीरिया, लेबनान, इजरायल और जोर्डान के चार राज्यों से होकर बहती है। इनकी दो धाराएँ हैं। इनमें से एक लेबनान और दूसरी सीरिया में निकलती है। दाना मिलकर जोर्डान नदी के रूप में परिणत हो जाती है और इजरायल में प्रवेश करती है तथा इजरायल और जोर्डान राज्यों की सीमा को विभाजित करती है। इस नदी के जल का उपयोग कौन करे और कैसे करे, यह विवाद का एक विषय है। इसका पानी के उपयोग के सम्बन्ध में झगडा इतना बढ़ गया कि एरिफ जॉन्स्टन का मध्यस्थता करनी पड़ी। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि जल का ६७ प्रतिशत भाग अरब राज्यों का तथा ३ प्रतिशत भाग इजरायल का उपयोग के लिए प्रदान

किया जाय। इजरायल ने अपने जल का उपयोग करने के लिए योजना प्रारम्भ कर दी। इस योजना के कार्यान्वयन होने में उसका नगेज का मरुस्थल हरा-भरा हो जाता, इजरायल समृद्ध हो जाता तथा अपनी जनसंख्या बढ़ाकर शक्ति का विकास कर लेता है। अरब राज्य इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फलतः जनवरी, १९६४ में तेरह अरब राज्यों का काहिरा में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें जार्डन नदी के जल, अरब राज्यों की संयुक्त सेना तथा इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने की समस्याओं पर विचार किया गया। किन्तु अरब राज्यों के बीच गहरा मतभेद होने के कारण इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला।

अरबों और यहूदियों में मतभेद का तीसरा कारण अरब शरणार्थियों की समस्या है। इजरायल की स्थापना के बाद यहूदिया द्वारा जा नीतियां अपनाई गईं उनके कारण फिलिस्तीन के दस लाख से भी अधिक अरबों का देश छोड़ कर भागना पड़ा। वे सब पड़ोसी अरब राज्यों में शरणार्थियों के रूप में रहने लगे। शरणार्थियों की समस्या ने अरब राज्यों के ऊपर अनेक उत्तरदायित्व डाल दिये तथा कठिनाइयों पैदा कर दी। ये राज्य इन शरणार्थियों को अपने राज्य में पसाने तथा उसका नागरिक बनने के इच्छुक नहीं थे। दूसरी ओर इजरायल भी उन्हें वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सहायता एवं कार्य अभिकरण को इन शरणार्थियों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। यह अभिकरण सन् १९६३ तक के लिए था। इसके अध्यक्ष डा० जॉनमन के मतानुसार इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाय कि शरणार्थियों की इच्छा जान कर तदनुसार उन्हें उसी देश में बसा दिया जाय। यह सुझाव किसी भी पक्ष को माननीय न था। फलतः संघ ने एक अन्य प्रस्ताव पार करके शरणार्थियों की देखभाल करने वाले इस कार्य की अवधि ३० जून, १९६५ तक कर दी। शरणार्थियों के कष्ट और कठिनाइयों दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव उत्पाने में एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है।

१९५७ से अरब इजरायल संघर्ष का एक संक्षिप्त इतिहास — इन संघर्षों से अरब राज्यों और इजरायल के पारस्परिक सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे। १९५७ में इजरायल और जोर्डान की सीमाओं पर अनेक छिंट पट्ट घटनाएँ हुईं। इनके कारण दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति आ गई और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को इस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। मिस्र और इजरायल के सम्बन्ध भी पुनः तनावपूर्ण होते गये। फरवरी-माघ १९५६ में स्वयं के रास्ते से जानेवाले इजरायल से सुदूरपूर्वी देशों का नियंत्रण स्थित गये माल के अनेक विदेशी जहाजों को संयुक्त अरब गणराज्य ने रोक लिया। परिणामस्वरूप दोनों देशों में बहुत अधिक तनाव बढ़ गया। इजरायल द्वारा सुरमा-परिषद् में शिमावत की गई। इजरायली प्रतिनिधि ने परिषद् के सदस्यों को लिखे गये एक पत्र

मे सयुक्त ऋत्र गणराज्य क इम कदम की निन्दा की और आरोप लगाया कि वह "स्वज नहर ममझौते तथा सुरक्षा परिषद क १ मितम्बर, १९५१ के उत प्रस्ताव को जिममे मित्व स त्मिी भा दिशा मे जा रह माल और जहाजा को स्वज नहर से गुजरने त्ने के लिए र्हा गया था, नग्न भनहलना है।" दूसरी ओर काहिरा ने यह र्हा कि इजरायल का स्वज नहर से अपने मालवाहक जहाजो का भेजन का काइ अधिकार नहा है, क्याकि इजरायल और ऋत्र देशा क मध्य 'युद्धन्धिति' अभीतरक मौजूद है। मई १९४९ में सयुक्त ऋत्र गणराज्य द्वारा एक डनिश मालना जहाज का जा हँफा र्न्दरगाह से इजरायली सामान हागकाग तथा जापान ले जा रहा था, रोक लिया गया। इजरायली प्रधानमन्त्री न इम कार्यवाही को इजरायली हिता तथा सयुक्त राष्ट्र-सघ क चाटर और सुरक्षा परिषद क निणया पर एक भारी चाट र्ताया। अगस्त, १९५९ मे पुन ऐसी ही घटनाएँ घटा और इजरायली प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद का ध्यान आकषित करते हुए सयुक्त ऋत्र-गणराज्य की इन कार्यवाहिया का ममुद्री डकैती के कार्य बताया।

सीरिया के साथ भी इजरायल क झगडे चलते रह। फरवरी १९६० मे तारफिर नामक स्थान पर दोनों की सैनिक टुकडिया मे जबरदस्त मुठभेड हुई। फरवरी क अन्तिम सप्ताह म इजरायल से लगती हुई सामा पर सयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं क जमाव स उडो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हा गई। इजरायल ने सुरक्षा-परिषद को सूचित किया कि इम क्षेत्र मे शाति तभी स्थापित हा सकती है जबकि सयुक्त ऋत्र गणराज्य इजरायल क प्रति सक्रिय शत्रुता की नीति का परित्याग कर दे। मार्च १९६० मे इजरायली प्रधानमन्त्री बनगुरियो अमेरिका गये। राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने उन्हें आश्वासन दिया कि अरब-आक्रमण की स्थिति मे अमेरिका इजरायल का सहायता देगा। दूसरी ओर कर्नल नाभिर ने सयुक्तराष्ट्र सघ को सूचित किया कि इजरायल द्वारा मिरियायी क्षेत्र पर आक्रमण मित्व पर आक्रमण समझा जायगा तथा सयुक्त ऋत्र गणराज्य स्थिति के अनुकूल प्रतिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

अरब राष्ट्रा और इजरायल के सम्बन्ध दिन प्रति-दिन विगलते चले गये। मार्च १९६२ म इजरायल सीरिया सीमा पर फिर से दुर्घटनायें होने लगा। सुरक्षा-परिषद मे पारित एक प्रस्ताव मे कहा गया कि दोनों दशों का युद्ध विराम ममझौते पर अमल करना चाहिये। अगस्त, १९६२ म सीरिया और इजरायल मे पुन गम्भीर सैनिक मुठभेडें हुईं। सुरक्षा-परिषद की एक विशेष बैठक म ममस्या पर विचार किया गया और महासचिव ऊ-थाट ने दाना दशा से आत्मनिर्भर रखने की अपील की। परिषद मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया की निन्दा

करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु सोवियत संघ ने इसे निपधाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया।

जून १९६७ की पूर्व की स्थिति — १९६४ के काहिरा शिखर सम्मेलन के उपरान्त अरब इजरायल सम्बन्ध में पुनः तनाव बटने लगा। इजरायल के अस्तित्व का मिटाने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अरब राज्यों द्वारा इजरायल में घुसपैठ करके ताड़फोड़ करने की कार्यवाही अत्यंत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। सीरिया और जोर्डान से घुसपैठियों के दस्ते इजरायल में घुस आते थे और तरह-तरह के उत्पात मचाते थे। ४ नवम्बर, १९६६ का इजरायल ने इन कार्यवाहियों के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद में शिकायत की। परिषद में समस्या के समाधान के लिए जो एक प्रस्ताव रखा गया वह सावियत 'जीटा' के कारण गिर गया। इसके बाद इजरायल ने जोर्डान के उन अड्डों पर आक्रमण कर दिया (नवम्बर १०) जहाँ से घुसपैठी इजरायल में घुसते थे। ७ अप्रिल, १९६७ का इजरायल ने सीरिया के विरुद्ध भी ऐसी ही कारवाई की। दोनों देशों के बीच झिड़पटपट हो रही। इजरायल ने सीरिया के छह मीग विमानों का मार गिराया। इस समय सीरिया और संयुक्त अरब गणराज्य हाल ही की एक सन्धि में बँध हुए थे। इस सन्धि के द्वारा यह निश्चय किया गया था कि यदि एक पर इजरायल हमला कर दे तो उसको दूसरा भी अपने पर हमला मानना। लेकिन सीरिया और इजरायल की इस झड़प में संयुक्त अरब गणराज्य शांत रहा और उमन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया।

७ अप्रिल की घटना के बाद इजरायल और सीरिया की सीमा पर स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण हो गयी। सीमाओं पर दाना पक्ष के सैनिकों का जमाव होने लगा। ऐसा समझा गया कि इजरायल सीरिया पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी में व्यस्त है। बाद में, जैसा कि राष्ट्रपति नार्मिर ने बतलाया, उक्त सावियत सूत्रों से यह जानकारी मिली कि इजरायल सीरिया पर आक्रमण करने का पूरी तैयारी कर चुका है।

इस विस्फोटक स्थिति में अरब देशों में भी सैनिक तैयारी होने लगी। गजा क्षेत्र में १९५६ से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की आपात मना रखा गया था ताकि मिस्र और इजरायल में संघर्ष का रास्ता बंद न हो। राष्ट्रपति नार्मिर ने यह मीग की कि यह सना इस क्षेत्र से हटा ली जाय। संघ के महासचिव ने इस मीग का नवीकार कर लिया और आपात मना हटा ली गया। इनके दुर्गम हाथ में संयुक्त अरब गणराज्य की सना सिनाइ प्रायद्वीप से मिस्र इजरायल सीमा पर आ डटी। सीरिया और जोर्डान में भी युद्ध का तैयारी होने लगी।

मिस्र, सऊदी अरब तथा इजरायल से सटे अक्रावा की खाड़ी है जो इजरायल का लाल सागर में पहुँचने का रास्ता देती है। इजरायल इस खाड़ी का अपनी 'जीवन रेखा' मानता है। २३ मई, १९६७ को संयुक्त अरब गणराज्य को सरकार ने इजरायल को जहाजों को अक्रावा की खाड़ी में प्रवेश की मनाही कर दी। नासिर ने घापणा की कि खाड़ी का अन्तर्राष्ट्रीय जल भाग नहीं है। यह मिस्र और सऊदी अरब के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए इजरायल को इधर से आवागमन करने का कोई अधिकार नहीं है।

संयुक्त अरब गणराज्य की इस घापणा ने स्थिति का अत्यन्त गम्भीर बना दिया। इजरायल के लिए स्वयं नहर पहले से ही बन्द थी, अक्रावा की खाड़ी बन्द करके उसका गला घोटने का प्रयास किया गया। ऐसा हालत में अब यह प्रायः निश्चित हो गया कि पश्चिम एशिया में भयंकर विस्फोट हाकर रहगा। स्थिति की गम्भीरता का देखकर संयुक्त राष्ट्रमंडल के महासचिव यूथार्त काहिरा पहुँच गए और मध्यस्थता करके इस संकट को टालने का प्रयास किया। लेकिन काहिरा में उन्हें काह ऐमा उस्माहमद के लक्षण दिखायी नहा पडा जिसे शांति के प्रयास का और मजबूत किया जा सके। अतः निराशा हाकर महासचिव न्यूयार्क लौट आये।

उधर पश्चिमी एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर सुरक्षा परिषद में विचार शुरू हुआ। परिषद की २४ मई की बैठक में सावित्रत सभ ने स्थिति का त्रिगुणने की चिन्मकारी इजरायल पर मन्ना और ब्रिटेन तथा अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल का सन्ना द रह हैं। जबकि अमेरिका ने तनाव में वृद्धि के लिए मानियत कूटनीति की जिम्मेदार ततलाया। इस गतिरोध की स्थिति में सुरक्षा परिषद की बैठक स्थगित हो गयी।

ब्रिटेन और अमेरिका ने अक्रावा की खाड़ी के प्रवेश को गलत तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन तताया। २६ मई का इन दाना ने इजरायल के प्रधान मंत्री एदकात्न का इस बात का आह्वान दिया कि वह अक्रावा की खाड़ी की नाफामन्दी खत्म करने के लिए कार्रवाई करे। साथ ही, ब्रिटेन ने पश्चिमी यूरोप के देशों में अनुरोध किया कि खाड़ी को स्वतन्त्र करने में वे सहयोग दें। पश्चिम यूरोप के देश ने इन झगड़ी में पड़ने में इन्कार कर दिया और राष्ट्रपति डगाल ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि वे ऐसी किसी कार्रवाई में सहयोग करने का तैयार नहीं हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में चार राष्ट्रों का एक बैठक हो। लेकिन सावित्रत मंडल का यह प्रस्ताव मान्य नहीं था।

ब्रिटेन और अमेरिका का बरदहस्त पाकर इजरायल ने घापणा का कि अक्रावा की नाफामन्दी आक्रमण दुलन है और यदि वह खत्म नहा किया गया ता

इजरायल बल प्रयोग करके इस नाकेबन्दी को तोड़ देगा। स्थिति उत्तरात्तर गम्भीर होने लगी। सोवियत-संघ के युद्ध पोत दरा दानियाल पार करके भूमध्य-सागर में प्रविष्ट करने लगे। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में चक्कर काटने लगे। अरब देशों की नैतिक तैयारी भी शुरू हुई। जाडान के शाह हुसैन काहिरा पहुँचें और नामिर को यह वचन दिया कि यदि इजरायल से संघ छिड़ गया तो जोर्डान अरब राज्यों का साथ देगा। ट्यूनिशिया, मारका, लेबनान और सूडान ने भी ऐसी ही घोषणाएँ कीं। अल्जीरिया ने पश्चिम एशिया में तत्काल फौज भेजने का निर्णय किया। इजरायल में भी युद्ध की तैयारी होने लगी। जनरल डायन जो १९५६ के मिस्र-इजरायल युद्ध में प्यारिस प्राप्त कर चुके थे, को इजरायल का रक्षा-मंत्री नियुक्त किया गया और देश में लामबन्दी की घोषणा कर दी गयी। सारा पश्चिम एशिया देखते ही देखते युद्ध के मैदान में परिणत हो गया। किसी भी क्षण युद्ध का विस्फोट हो सकता है और इसका विश्व युद्ध में परिणत होने की सम्भावना थी। स्थिति ऐसी आ गयी थी कि लगता था कि संयुक्त-राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इजरायल और अरब जगत की जाड़ में सीधी टक्कर हो जायगी। इस बीच सुरक्षा-परिषद की कई बैठकें हुईं, लेकिन उनसे कोई नतीजा नहीं निकला।

✓ तृतीय अरब-इजरायल युद्ध (१९६७)—इस विषय परिस्थिति में पिछले बीस वर्षों से लगातार फूट पड़ने के लिए बेचैन पश्चिम एशिया की अरब बनावत यहूदी राजनीति का अस्थिर ज्वालामुखी ५ जून, १९६७ का अचानक विस्फोट के साथ एकाएक फूट ही पड़ा। यहूदी राज्य और अरब जगत के बीच एक तरह से यह युद्ध अनिवार्य और अवश्यम्भावी था। पिछले पखवार अरब देशों ने यह निश्चय कर लिया था कि इजरायल की किरकिरी उन्हें अपनी आँखा से निकालनी ही है। अरब देशों को अपनी सेनाएँ इजरायल के गद्-गिर्द उपयुक्त ठिकाना पर पहुँचाने के लिए कम से कम १० दिन का समय चाहिए था। तब इजरायल की स्थिति और नाजुक हो गयी होती। इस हालत में इजरायल ने अति शीघ्र शत्रु पर हमला करने का निश्चय किया। ५ जून को इजरायली विमानों ने एकाएक काहिरा और मिस्र के अन्य हवाई जड़ों पर हमला कर दिया। संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की नामा पर गाजा पट्टी से लेकर दक्षिण इजरायल के नगरीय क्षेत्र तक, दाना आर की फौजों में सुठभेड हो गयी। युद्ध के प्रथम दिन उभय पक्षा ने अपनी-अपनी सामनाओं के बारे में उद्घोषणाएँ कीं। लेकिन दूसरे ही दिन यह स्पष्ट हो गया कि हमला के सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप इजरायली सेना के कब्जे में आ गया और बचाव नहीं किया जा सका। पूर्वा किनारे तक पहुँच गये।

सयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण होने के साथ ही जोर्डान और सीरिया के साथ भी इजरायल का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में सीरियायी फौज को कुछ सफलता अवश्य मिली, लेकिन जाडान आठ घण्टे भी इजरायल की मार को नहीं सह सका। इजरायली सेना न जेरुसलम के नगर तथा इसके उत्तर-पूर्व के इलाका पर कब्जा कर लिया। जाडान को हथियार डालने पर विवश होना पड़ा। चन्द ही दिनों में जोर्डान के लगभग बीस हजार सैनिक और असैनिक नागरिक मारे गये। अरब देशों की मदद के लिए जल्जीरिया, सूडान, यमन, कुवैत और मऊदी अरब की कुमकें इजरायल की भीमानी की आर अवश्य बढ़ी थी, लेकिन युद्ध की स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

सुरक्षा-परिपद और युद्ध विराम — युद्ध के छिड़ते ही न्यूयार्क में सुरक्षा-परिपद की बैठक बुलाई गयी। भारतीय प्रतिनिधि ने परिपद में माँग की कि यह अरब-इजरायल युद्ध बन्द करने और दोनों पक्षों का अपनी सेना ४ जून की स्थिति में घापस लाने की माँग करें। ६ जून का परिपद ने युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पाम किया। इजरायल युद्ध बन्द करने को तयार हो गया, लेकिन अरब देशों की आर से यह प्रस्ताव टुकरा दिया गया। उधर युद्ध में जाडान की हालत सबसे बुरी हो रही थी। अतएव उसने युद्ध बन्द कर देने की माँग स्वीकार कर ली। ७ जून को परिपद ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में यह माँग की गयी थी कि युद्धरत सभी दश रात के आठ बजे से (ग्रिनवीच समय) युद्ध बन्द कर दें। सुरक्षा परिपद का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में भी मित्त का पूरा पलायन हो गया था। अतएव उसका समक्ष युद्ध बन्द करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। ८ जून को इजरायल और मित्त के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया ने भी अपनी आर से युद्ध बन्द करने की घापसा कर दी।

युद्ध में सलग्न सभी राष्ट्रों द्वारा इस घोषणा के बावजूद व युद्ध विराम की माँग को कार्यान्वित करेंगे, ९ जून को स्वज नहर के किनारे और इजरायल-सीरिया सीमावर्ती पहाड़ों में युद्ध जारी रहा। सीरिया पर इजरायल ने अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखी। वह सीरिया के क्षेत्र में स्थित कुछ सामरिक महत्त्व के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। इस हालत में पश्चिम एशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए ६-१० जून को पुन सुरक्षा-परिपद की बैठक हुई। भारत और सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने माँग की कि इजरायल को आक्रामक घापसत किया जाय। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। महासचिव को यह कहा गया कि वह वस्तुस्थिति का पता लगाय। महासचिव का रिपोर्ट दी उसमें स्पष्ट था कि इजरायली सेना आक्रामक कार्रवाई में मग्न है और युद्ध चल रहा है। अतएव सुरक्षा परिपद ने एक और प्रस्ताव पाम कर

आदेश दिया कि सीरिया और इजरायल दो घटो में युद्ध बन्द कर दे। इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह जिन स्थला पर कब्जा करना चाहता था, उन पर कब्जा कर चुका था। सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अतएव दानो पक्षों ने तत्काल युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया और १० जून का दाना पक्षों में पूर्णतया लड़ाई बन्द हो गयी।

राष्ट्रपति नासिर की स्थिति—यह निश्चय था कि सयुक्त अरब गणराज्य के सैनिक पलायन का प्रभाव अरब देशों की आन्तरिक राजनीति पर पड़े। सयुक्त अरब गणराज्य की करारी हार हुई और वह भी एक ऐसे घुणित दुश्मन के हाथों जिसका अस्तित्व मिटाने के लिए राष्ट्रपति नासिर निकले थे। ६ जून को एक रेडियो प्रसारण में उन्होंने इस बात का कबूल किया कि अरब देशों की बहुत बड़ी हार हुई है। अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नासिर ने अमेरिका और ब्रिटेन पर यह आरोप लगाया कि उनके विमानों ने इजरायल की सहायता की और युद्ध में हिस्सा लिया है। इस तरह का अभियाग उन्होंने ७ जून का ही लगाया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इसका खण्डन किया। अरब जगत पर इन खण्डनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सभी वशा ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध निच्छेद कर लिया और सम्पूर्ण अरब जगत में अमेरिका विरोधी भावना का नूतन फूट पड़ा। काहिरा स्थित अमरीकी दूतावास में आग लगा दी गयी। अरब राज्या न आदेश दिया कि सभी अमरीकी और ब्रिटिश नागरिक अपने देश लौट जायें। यह भी घोषित किया गया कि युद्ध में जिन देशों ने इजरायल की सहायता की है उनका अरब देश तल की आपत्ति गहा करगे।

राष्ट्रपति नासिर द्वारा यह घोषित किये जाने पर वे अपने पद से जलज हा रहे ह, मार अरब देशों में खलपलो मच गयी। इसमें कोई सन्देह नहा कि नासिर अरब दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं और जनता में उनकी काफी लोकप्रियता है। अरब जनता मानती है कि नासिर के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति उनका नरुत्त नहीं कर सकता है। अतएव रेडियो प्रसारण के कुछ ही क्षणों बाद काहिरा में प्रदर्शन शुरू हुए और यह माँग की गयी कि नासिर अपने पद पर न रहें। इन तरह की माँग अन्य अरब देशों के नागरिकों तथा सरकारों में भी आयी। इस लाकृत के समक्ष नासिर का झुकना पड़ा और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

शान्ति-समझौता—युद्ध की समाप्ति के बाद शान्ति समझौता का राय दूसरा बन्द हाता है। इस शान्ति समझौता का स्वरूप क्या था। यह स्पष्ट है पुरे में एक पक्ष पुरा तरह हारा है और दूसरा पक्ष विजय के मद में चूर है। इसलिए इजरायल ने अपना अरबों में भावों शान्ति समझौता के लिए दो चार शर्तें रखा है। उमरा पहली शर्त है कि वह जमीन हार डुल्ल जगहा का नहा छोडगा। इन जगहा में

गाजापट्टी, शमलशेख, जेरुसलम और जोर्डान नदी के पश्चिम ऋभू-भाग तथा नीरिनाइ क्षेत्र के कुछ पहाड़ी भाग सम्मिलित हैं। इजरायल को यह भी माँग है कि नदन नहर तथा अकाबा की खाड़ी से उसके आवागमन के अधिकार को मान्यता मिले। इस मौक़े में इजरायल एक तीसरा लाभ उठाना चाहता था। अभी तक अरब देशों ने इजरायल को मान्यता नहीं प्रदान की है। इजरायल इसे प्राप्त कर लेना चाहता है। उसका कहना है कि इजरायल विविध अरब राज्यों से पृथक-पृथक प्रत्यक्ष मधि-वाता करगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ मिस्र के प्रतिपादन कर दे, लेकिन यता का काम सम्बद्ध राज्यों द्वारा जल-जलग हा। इस प्रकार इजरायल विजेता की भाषा में बात करने लगा है और चाहता है कि आत्मरक्षण से उत्पन्न लाभ को वह सुगुण कर दे।

जाहिर है कि इनमें से कई माँगें महज सौदागरी की दृष्टि से पेश की गयी हैं। किन्तु राष्ट्रपति नार्सिसर भुक्ने का तैयार नहीं हैं। युद्ध में पराजय के बाद अरब देशों के नेता तटस्थ देशों तथा सोवियत संघ की सहायता से कूटनीतिक मोर्चा पर जीतने के लिए अब जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने घोषित किया है कि वे एक इच्छा अरब भूमि भी हाथ में नहीं जाने देंगे, अपनी प्रभुसत्ता में सुई को नोक के बराबर कमी नहीं आने देंगे तथा इजरायल को युद्ध द्वारा हथियारों की जमात का काम फायदा नही उठाने देंगे।

इस प्रकार अरब राज्यों और इजरायल द्वारा जा नीतियाँ अपनायी जा रही हैं वे एक दूसरे के विलकुल विपरीत हैं और निकट भविष्य में उनके बीच कोई मेल होने की सम्भावना नहीं दिखायी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से यद्यपि अरब इजरायल समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, किन्तु अभी तक स्थिति विशेष आशाप्रद नहीं हुई है। सोरिया और संयुक्त अरब गणराज्य युद्ध में विनष्ट अपनी सैन्य सामग्री की पूर्ति सोवियत संघ की सहायता से कर चुके हैं और इजरायल भी पश्चिमी देशों विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से अपनी विनष्ट शक्ति को बहुत कुछ पूरा कर चुका है। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति कायम है और इस कारण सीमा पर हमेशा नैतिक झड़प होती रहती है।

पिछले तीन वर्षों के अरब इजरायल सम्बन्ध का ध्यान में रखते हुए १९६७ के युद्ध के बाद अरब इजरायल सम्बन्ध का अर्थ क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब बहुत कुछ इजरायल के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इजरायल ने अपनी विजय के मद में आकर उड़े-उड़े दाव किये हैं। राजनयिक दृष्टि से इजरायल को यह बहुत उड़ी गलती होगी, हालाँकि विजय अक्सर विजयों में घमासान नहीं पाता कि पराजित दश का मनाविज्ञान भिन्न होता है। आप की स्थिति में, जहाँ अरब देशों के लिए यह जरूरी है कि एक ओर वे अपनी शक्ति गुम।

और दूसरी श्रार इजरायल की शक्ति को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीतिवा का निधारण करें (अर्थात् इजरायल क अस्तित्व को मानकर उसे उखाड फेंकन की धमकी न दें), वहाँ इजरायल क लिए भी जरूरी है कि वह मधि की शर्त पर अपने विजय गर्व को हावी न होन दे और अरब क्षेत्रो पर अधिकार करने की बात भूल जाय । इजरायल ने यदि ऐसा नहीं किया ता वह शायद आत्महत्या क द्वार पर पहुँच जायगा । अरब देशो का अभिमान आहत हुआ है और यदि इजरायल ने उस और कुचलने की कोशिश की तो उसे लेन को देने पड सकते हैं ।

(४) विश्व-राजनीति मे अफ्रिका

उन्नीसवी शताब्दी क अन्तिम चरण में समूचा अफ्रिका महादेश यूरोपीय शक्तिया का उपनिवेश बन गया । जिस समय द्वितीय विश्व-युद्ध खत्म हुआ उस समय तारे अफ्रिका मे अजीबोनीया, साइबेरिया, दक्षिणी अफ्रिका तथा मिय ही स्वतन्त्र या अर्द्ध स्वतन्त्र राज्य थे । शेष अफ्रिका यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फँसा रहा है । अधिकांश अफ्रिका महादेश विभिन्न यूरोपीय शक्तियों क मध्य हा प्रकार बँटा हुआ था—

क्र० सं०	नाम	क्षेत्रफल	१९६१ क जनगणना क अनुसार जनसंख्या
१	फ्रांसीसी अफ्रिका	४०,२२,१५०	४,४१,५२,६
२	ब्रिटिश अफ्रिका	२०,२५,०१६	६,२४,३०,६१
३	बेल्जियम अफ्रिका	६,२४,१००	१,००,०,०००
		३,७५,०००	८५,०,०००
			१४,६५,०००

क्र० स० नाम प्रदश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय दश	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतंत्र होने की तिथि
१ लिविया	इटली	६,७९,३५८	१२ कराड	नवम्बर १९५१
२ इरिट्रिया	"	"	—	सितम्बर १९५२
सूडान	ब्रिटेन	६,६७,५००	१० कराड	जनवरी १९५४
४ मारक्का	फ्रांस	—	—	मार्च १९५६
५ ट्यूनिशिया	फ्रांस	४८,३१३	३६,२५,०००	माच १९५६
६ घाना	ब्रिटेन	६१,८४३	४८ लाख	मार्च १९५७
७ गिनी	फ्रांस	१,०५,२००	३,००,०००	अक्टूबर १९५८
८ कैमरून	फ्रांस	१,६६,४८६	३२,६५,०००	जनवरी १९६०
९ मारक्को (कुछ अंश)	स्पेन	—	—	मार्च १९६०
१० टांगा	फ्रांस	४,२१,८६५	१२ लाख	अप्रिल १९६०
११ मालीसघ	फ्रांस	—	—	जुलाई १९६०
१२ कांगोली गणराज्य	बेल्जियम	६,४३,०००	१,३० कराड	जुलाई १९६०
१३ सामालिया	ब्रिटेन व इटली	—	—	जुलाई १९६०
१४ मालागासी गणराज्य	फ्रांस	२,२८,०००	५,१७४,५२३	जुलाई १९६०
१५ छ्वाद	फ्रांस	४,६६,०००	२५,८०,०००	अगस्त १९६०
१६ नाइजर	फ्रांस	४६,४५,०००	२४ लाख	अगस्त १९६०
१७ आइवरी कोस्ट	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
१८ वोल्टाई गणराज्य	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
१९ मेवेन	फ्रांस	१,०३,०००	४,१२,५००	अगस्त १९६०
२० होमी	फ्रांस	४५,९००	१७,११,०००	अगस्त १९६०
२१ कांगो गणराज्य	—	—	—	अगस्त १९६०
२२ मध्यवर्ती अफ्रिका	—	—	—	अगस्त १९६०
२३ नाइजीरिया	ब्रिटेन	३,७३,२५०	३५ करोड	अक्टूबर १९६०
२४ मारितेनिया	फ्रांस	१,१५,६००	५ लाख	नवम्बर १९६०
२५ सियेरालियोन	फ्रांस	—	—	अप्रिल १९६१
२६ रूआंडा-उरुंडी	बेल्जियम	२०,५४०	४६,३०,०००	जुलाई १९६२
२७ अल्जीरिया	फ्रांस	५८,२६,०००	१,०२,६५,०००	सितम्बर १९६२
२८ युगांडा	ब्रिटेन	६३,६८१	७५,१७,०००	अक्टूबर १९६२
२९ तगानिका	ब्रिटेन	३,६२,६८८	६० लाख	दिसम्बर १९६२

और दूसरी ओर इजरायल की शक्ति को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करें (अर्थात् इजरायल के अस्तित्व को मानकर उसे उखाड़ फेंकने का धमकी न दें), वहाँ इजरायल के लिए भी जरूरी है कि वह सधि की शर्त पर अपने विजय गर्व को हावी न होने दे और अरब क्षेत्रों पर अधिकार करने की बात भूल जाय। इजरायल ने यदि ऐसा नहीं किया तो वह शायद आत्महत्या के द्वार पर पहुँच जायगा। अरब देशों का अभिमान आहत हुआ है और यदि इजरायल ने उसे और कुचलने की काशिश की तो उसे लेने का देने पड़ सकते हैं।

(४) विश्व-राजनीति में अफ्रिका

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में समूचा अफ्रिका महाद्वीप यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश बन गया। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उस समय सारे अफ्रिका में जर्मनी, साइबेरिया, दक्षिणी अफ्रिका तथा मिस्र ही स्वतन्त्र या अर्द्ध स्वतन्त्र राज्य थे। शेष अफ्रिका यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फँसा रहा है। अधिकांश अफ्रिका महाद्वीप विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के मध्य इस प्रकार बँटा हुआ था—

क्र० सं०	नाम	क्षेत्रफल	१९६१ के जनगणना के अनुसार जनसंख्या
१	फ्रांसीसी अफ्रिका	४०,२२,१५०	६,४१,५२,६००
२	ब्रिटिश अफ्रिका	२०,२५,७१६	६,२४,३३,६४५
३	बेल्जियम अफ्रिका	६,२४,२००	१,२०,००,०००
४	पुर्तगाली अफ्रिका	७,७८,०००	६५,००,०००
५	स्पेनी अफ्रिका	१,३४,२००	१६,६५,०००

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अफ्रिका के देशों में एक नयी जागरूकता जागी और वहाँ स्वतन्त्रता की भावना अगड़ाई लेने लगी। सम्पूर्ण अफ्रिका में स्वतन्त्रता के लिए व्यापक संघर्ष हुआ जिसके फलस्वरूप अफ्रिकी देश एक एक करके स्वतन्त्र होने लगे। इस काल में अफ्रिकी देशों का इस क्रम में स्वतन्त्रता का प्राप्ति हुई है

क्र० स०	नाम प्रदर्श	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतंत्र होने की तिथि
१	लिबिया	इटली	६,७९,३५८	१२ करोड़	नवम्बर १९५१
२	इरिट्रिया	"	"	—	सितम्बर १९५२
३	सूडान	ब्रिटेन	६,६७,५००	१० करोड़	जनवरी १९५४
४	मोरक्को	फ्रांस	—	—	मार्च १९५६
५	ट्यूनिशिया	फ्रांस	४८,३१३	३६,२५,०००	मार्च १९५६
६	घाना	ब्रिटेन	६१,८४३	४८ लाख	मार्च १९५७
७	गिनी	फ्रांस	१,०५,२००	३,००,०००	अक्टूबर १९५८
८	कैमरून	फ्रांस	१,६६,४८६	३२,६५,०००	जनवरी १९६०
९	मोरक्को (कुछ अंश)	स्पेन	—	—	मार्च १९६०
१०	टोगा	फ्रांस	४,२१,८६३	१२ लाख	अप्रिल १९६०
११	मालीसघ	फ्रांस	—	—	जुलाई १९६०
१२	कांगोली गणराज्य	बेल्जियम	६,४३,०००	१,३० करोड़	जुलाई १९६०
१३	सोमालिया	ब्रिटेन व इटली	—	—	जुलाई १९६०
१४	मालागासी गणराज्य	फ्रांस	२,२८,०००	५,१७४,५२३	जुलाई १९६०
१५	छाद	फ्रांस	४,६६,०००	२५,८०,०००	अगस्त १९६०
१६	नाइजर	फ्रांस	४६,४५,०००	२४ लाख	अगस्त १९६०
१७	आइवरी कोस्ट	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
१८	बोल्टाइ गणराज्य	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
१९	गैबेन	फ्रांस	१,०३,०००	४,१२,५००	अगस्त १९६०
२०	होमी	फ्रांस	४५,९००	१७,११,०००	अगस्त १९६०
२१	कांगो गणराज्य	—	—	—	अगस्त १९६०
२२	मध्यवर्ती अफ्रिका	—	—	—	अगस्त १९६०
२३	नाइजीरिया	ब्रिटेन	३,७३,२५०	३५ करोड़	अक्टूबर १९६०
२४	मारिटेनिया	फ्रांस	४,१५,६००	५ लाख	नवम्बर १९६०
२५	सियरालियोन	फ्रांस	—	—	अप्रिल १९६१
२६	रूआंडा-उरुंडी	बेल्जियम	२०,५४०	४६,३०,०००	जुलाई १९६२
२७	ज़म्बिया	फ्रांस	५८,२६,०००	१,०२,६५,०००	सितम्बर १९६२
२८	युगांडा	ब्रिटेन	६३,६८१	७५,१७,०००	अक्टूबर १९६२
२९	तगानिका	ब्रिटेन	३,६०,६८८	६० लाख	दिसम्बर १९६२

क्र०	स० नाम प्रदश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय दश	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ क अनुसार जनसंख्या	स्वतंत्र हो की ति.
३०	केनिया	ब्रिटेन	—	—	दिसम्बर १९६३
३१	जर्जिया	ब्रिटेन	—	—	दिसम्बर १९६३
३२	मलावी	ब्रिटेन	—	—	१९६४
३३	जम्बिया	ब्रिटेन	—	—	— १९६४
३४	गोम्बिया	ब्रिटेन	—	—	— १९६४
३५	गुयाना	ब्रिटेन	—	—	मई १९६६
३६	वोल्नवाना	ब्रिटेन	—	—	सितम्बर १९६६
३७	लेसोथो	ब्रिटेन	—	—	अक्टूबर १९६६
३८	वारवाडोस	ब्रिटेन	—	—	नवम्बर १९६६
३९	मारिशाल	ब्रिटेन	—	—	मार्च, १९६८

अल्जीरिया का स्वाधीनता संग्राम

उपयुक्त सभी देशों को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सघन करना पड़ा लेकिन इन सभी स्वतन्त्रता संग्रामों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से अल्जीरिया की आजादी का लड़ाई विशेष महत्त्व रखता है। अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का सख्त दबनाक पहलू अल्जीरिया में देखने का मिला था। फ्रान्स में जनरल देगाल की तानाशाही की स्थापना से अल्जीरिया की समस्या तो सत्तार के स्वतन्त्रता प्रेमियों के लिए और भी गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया थी। अल्जीरिया पर फ्रान्स का अधिकार १८३० में ही कायम हुआ था। अल्जीरिया जलवायु के कारण यहाँ बहुत से फ्रांसीसी जाकर बस गये और अल्जीरिया के सभी भू-भाग तथा प्राकृतिक साधनों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। अल्जीरिया के निवासी ज़रावर इनका विरोध करते रहे, परन्तु फ्रान्स हमेशा इनका क्रूर दमन करता रहा। अल्जीरिया वालों का शान्त करने के लिए फ्रान्स को सरकार ने फ्रान्स की राष्ट्रीय सभा में उन्हें प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। लेकिन अल्जीरिया वाले इससे सतृप्त नहीं हुए। १ जुलाई, १९६१ का उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण किया जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के मोर्चे (Front of National Liberation, F L N) का नाम से विख्यात हुआ। १ नवम्बर, १९६४ को इस संगठन ने फ्रान्स के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संग्राम छड़ दिया जो १९६२ तक लगातार चलता रहा और जिसमें दोनों पक्षों का लगाने-हजारों की संख्या में कीड़े-मक़ाड़े की तरह मारे गये। अल्जीरिया में युद्ध रूढ़

* फ्रान्स का विवरण के अनुसार १९६१ तक इस युद्ध में १,४१,०० मुस्लिम विद्रोही सैनिक और १६२२० फ्रान्स का सैनिक मारे गये। अलामरिक इताइती की संख्या उमय सम्मिलित नहीं है। अल्जीरिया के शहरों में मारे गये अलामरिक मनुष्यों की संख्या महान में १०० से अधिक था। अल्जीरिया के राष्ट्रपति नेताओं का कहना है कि १० लाख से अधिक अल्जीरियाई मारे जा चुके हैं।

अल्जीरिया स्वतन्त्र हो गया और इस प्रकार एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम का अन्त हुआ ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद अल्जीरिया को राजनीतिक स्थिति कुछ डाटाडोल हो गया । वन वला और उन खेदा के बीच सत्ता प्राप्त करने के लिए मध्य गुरु हो गया । ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांगो की स्थिति अल्जीरिया में भी उत्पन्न हो जायगी । लेकिन दागी नेताओं में समझौता हो गया और अल्जीरिया एक गृह-युद्ध में वच गया । १९६४ में अल्जीरिया में सैनिक क्रांति हो गयी और वहाँ का शासन सत्र सैनिक अफसरों के हाथ में आ गया ।

अफ्रिका के परतन्त्र देश—अल्जीरिया की स्वतन्त्रता के बाद भी अभी अफ्रिका में कुछ स्वतन्त्र राज्य बने हुए हैं । पुर्तगाल के अन्दर अगाला, मौजाम्बिक, पुर्तगीज गीनी, केपवर्डे, मैडोरा टापू और एंजोर टापू फ्रांस के अधीन, फ्रेंच सोमालिलैंड, सडारा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रिका तथा रो नियन टापू, स्पेन के अधीन, रिआडिआरा, स्पेनिश गीनी, कनारी, द्वीप समूह और स्पेनिश महारा एव ब्रिटेन के अधिकार में, सेटहलना, एसन्सन, स्वीजीलैंड, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में दक्षिण पश्चिम अफ्रिका अभी तक अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर पाये हैं । लेकिन इन देशों की स्वतन्त्रता का अब अधिक दिनों तक नहीं रोका जा सकता है ।

अफ्रिकी एकता का आंदोलन—अफ्रिकी देशों के सामने उपनिवेशवाद से उत्पन्न कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान तभी हो सकता है जब उनमें एकता कायम रहे । इस एकता की प्राप्ति के लिए अफ्रिका के अब स्वतन्त्र राज्य संघेष्ट हैं । सामान्य समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान ढूँढने के लिए अफ्रिका के राज्यों में सहयोग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है । अप्रिल १९५८ का अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का अकरा-सम्मेलन इसका प्रथम प्रमाण है । यह स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का पहला सम्मेलन था जिसका घाना के प्रधान मन्त्री डा० इन्कुमा ने बुलाया था और जिसमें भाग लेने वाले राष्ट्र थे अंगोलीनिया, घाना, लोबिया, माइवरिया, मारका, सूडान, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब गणराज्य । इस सम्मेलन का उद्देश्य सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना और सुन्द बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों की मुक्ति का रास्ता ढूँढना और विश्व-शांति के प्रश्न पर विचार करना था । सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये । अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रिल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया ।

दिसम्बर १९५८ में अकरा में ही अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें अफ्रिका के विविध देशों के राजनीतिक दला, ट्रेड यूनियनों, छात्र जाम्बालना एव अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। यद्यपि इस सम्मेलन का आयोजन सरकारी स्तर पर नहीं किया गया था तथापि इसमें सभी स्वतन्त्र अफ्रिकी देशों के शान्ति दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में यह सुझाव लाया गया कि अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए महात्मा गाँधी की पद्धति का अनुकरण करते हुए योजना तैयार की जाय और उस पर अमल किया जाय। सम्मेलन एक प्रस्ताव ने पास करने से युक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों का अफ्रिका से हट जाने का आदेश दे। एक दूसरे प्रस्ताव के अफ्रिका के स्वतन्त्र राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र देशों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयास में हर सम्भव सहायता दें और प्रजातीय विभेद की नीति परतनेवाली दक्षिण अफ्रिका की सरकार से अपना कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लें। एक और प्रस्ताव में उसने अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने तथा अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक दल तैयार करने का कहा था। सम्मेलन के स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक कामनवैलथ बनाने का भी निश्चय किया। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में बाँटने का विचार हुआ जो एक अखिल अफ्रिकी कामनवैलथ में सम्मिलित रहेंगे।

अफ्रिकी राष्ट्रों का एक तानरा सम्मेलन जनवरी १९६२ में नाइजरिया के एक शहर लागोस में हुआ। इसे लागोस सम्मेलन कहा जाता है और इसमें २० अफ्रिकी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लिये। यहाँ मुख्यतः अफ्रिकी देशों की आर्थिक समस्या पर विचार किया गया। सम्मेलन में सम्मिलित राज्यों ने अपने आर्थिक विकास के लिए एक मजदूरी स्वीकार की जिसे निम्नलिखित बातें कही गयी थी—

(१) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक बन्धन का मजबूत बनाने की चेष्टा की जायगी जिससे भविष्य में सारे अफ्रिका में एक अखण्ड आर्थिक व्यवस्था कायम हो सके।

(२) अफ्रिका की आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न राज्यों के राजनीतिक क्रिया-कलापों में समन्वय किया जाय।

(३) विभिन्न देशों की स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में परस्पर सहायता कायम हो।

लागोस सम्मेलन में नाइजरिया, अल्जीरिया, मॉरिशस, मालिबान, सीरिया, मडगास्कर, रोडेशिया, साइबेरिया, अल्बानिया, द्यूनिशिया, बर्मा, केनिया, टांगानिका, सूडान, केन्या, उगाण्डा, टंगानिका, सामोवा तथा दक्षिण अफ्रिका शामिल हुए थे।

(४) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की आर्थिक सहायिता के उद्देश्य से एक संस्था गठित की जाय जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच वाणिज्यिक प्रतिबंध को दूर करने की चेष्टा की जा सके। यूरोप में जिस प्रकार एक साझा बाजार कायम हुआ उसी प्रकार का एक साधारण प्रशुल्क इलाका कायम किया जाय जिसके सदस्य देश एक ही दर पर प्रतिशुल्क का प्रवर्तन करें।

आदि स अबावा का सम्मेलन — अफ्रिकी महादेश की राजनीति में यह, १९६६ के आदि स अबावा सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इस सम्मेलन में अफ्रिका के २ स्वतन्त्र राज्यों के राज्यप्रधान शामिल हुए थे। सम्मेलन का सबसे प्रमुख काम प्रजातिवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पास करना था। इस प्रस्ताव में उपनिवेशवादी राज्यों को अपने उपनिवेशों का यथाशीघ्र स्वतन्त्र कर देने का आग्रह किया गया था। साथ ही, एक 'स्वतन्त्रता फण्ड' भी कायम किया गया। इस फण्ड में जो धन जमा होगा उसका प्रयोग अफ्रिका के पराधीन राज्यों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किया जायगा। सम्मेलन में यह भी निर्णय हुआ कि अफ्रिका के सभी स्वतन्त्र राज्यों पुतगाल और दक्षिणी अफ्रिका की सरकारों के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध तोड़ लें तथा उसके जहाजों का अफ्रिकी बन्दरगाहों पर लगाने की सुविधा नहो दें। इस निर्णय के अनुसार अभी तक अनेक अफ्रिकी राज्यों ने पुतगाल और दक्षिण अफ्रिका की सरकारों के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लिये हैं।

आदि स अबावा सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता "अफ्रिकी एकता का चार्टर" का निमाण मानी जायगी। इस चार्टर में ३६ धाराएँ हैं और इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रिकी देशों का एकता के सूत्र में बाँधना है। चार्टर के द्वारा अफ्रिकी राज्यों के राज्याध्यक्षों का एक सगठन कायम हुआ है जिसका एसम्बली कहा जाता है। इस एसम्बली की बैठक प्रत्येक साल होगी और यह अफ्रिकी राज्यों के सगठन की सर्वोच्च संस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त अफ्रिकी राज्यों के विदेश मंत्रियों की एक कांसिल निर्मित की गयी है। इस कांसिल की बैठक साल में दो बार होगी। कांसिल का काम अफ्रिकी राज्यों के विविध कार्यों में यथासम्भव एकरूपता लाना होगा और यह राज्याध्यक्षों की एसम्बली के प्रति उत्तरदायी रहेगी। इस सगठन का एक सचिवालय भी होगा जिसका प्रधान एक महासचिव होगा। सचिवालय अफ्रिकी राज्यों के सगठन का एक स्थायी प्रशासकीय संस्था होगी। एसम्बली, कांसिल और सचिवालय के अतिरिक्त सगठन के त्रय में एक आयाग—आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सुरक्षा, वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य, आदि—भाग जो सम्यक् समस्याओं पर सगठन में सम्मिलित राज्यों का परामर्श देगा। इस अतिरिक्त मध्यस्थता और पंचनिपटन के लिए एक कमीशन भी स्थापित की गयी जो सदस्य राष्ट्रों के सभी पारस्परिक विवादों का समाधान करेगा। सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रों ने यह भी वचन दिया

कि वे एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार की विध्वंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे। अपने सभी विवादा को शांतिपूर्ण ढंग पर हल करेंगे। नये सगठन के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं—

- (१) पराधीन अफ्रिकी राष्ट्रों का स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में भरसक सहायता और सक्रिय सहयोग।
- (२) दूसरे राज्य के घरेलू मामले में अहस्तक्षेप की नीति।
- (३) विवादा का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा शान्तिपूर्ण समाधान।
- (४) एक दूसरे की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान।
- (५) तटस्थता की नीति का पालन।

दूसरे शब्दों में आदि स जगावा सम्मेलन में अफ्रिकी अशा के राज्याध्यक्षों ने कुछ उसी प्रकार के उद्देश्यों की घोषणा की जैसे कुछ वर्ष पूर्व वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा की गयी थी। इस दृष्टि से यदि हम आदि स जगावा सम्मेलन का “अफ्रिका का वाशिंगटन” कहें तो काइ गलत न होगा।

अफ्रिकी राज्यों की एकता और स्वतन्त्रता की दिशा में इस सगठन का निर्माण एक युगान्तरकारी घटना है। यह इस बात का द्योतक है कि अफ्रिका के राज्य अब जग उठे हैं और उनका शासन अब सम्भव नहीं है। इस तथ्य का अबोमीनिया के सम्राट हाइले मिलेमी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था।

स्वतन्त्र अफ्रिका और सयुक्त राष्ट्रसंघ—अफ्रिका के देशों की स्वतन्त्रता ने सबसे अधिक सयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप का प्रभावित किया है। सयुक्त राष्ट्रसंघ में उनकी सदस्य संख्या अब पैगड तक पहुँच गयी है और इस तरह संघ में उनका एक नया शक्तिशाली गुट कायम हो गया है जो अमरीकी और सावियत गुटों से पृथक है। सयुक्त राष्ट्रसंघ की माधारण सभा का कोई निर्णय अफ्रिका के राष्ट्रों के मतदान पर ही अब निर्भर करता है। यदि ये सगठित होकर काम करें तो कोई भी प्रस्ताव इनके सहयोग के अभाव में नहीं पारित हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो सयुक्त राष्ट्रसंघ कुछ वर्ष पूर्व सयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों का खिलौना था, उस पर अब बस्तुतः अफ्रिका का प्रभुत्व कायम हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन का यह एक नया लक्षण है जिसकी अवहलना अब नहीं की जा सकती है।

अफ्रिका का भविष्य—अफ्रिका एक अत्यन्त ही धनवान महादेश है। प्राकृतिक साधनों से यह परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ का राजनीतिक जीवन कई कारणों से बहुत अस्थिर है। यहाँ की जनजातियों में शिक्षा और एकता का अभाव

The summit conference would stand as a shining landmark in African history. It had given us all courage and faith for the future. May this continental union last many a thousand years.

—Emperor Haile Selassie *Harvestian Times* May 26 1963

है, लोकतन्त्र के सिद्धान्त से ब कम परिचित हैं और परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी कमी है। प्राविधिक विशेषज्ञ अथवा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले अनुभवी व्यक्तिया की भी कमी है। इन सब कारणा से यहाँ आंतरिक शान्ति और सुशासन की समस्या बड़ी जटिल है। इस स्थिति में, आज न युग में, जब ससार पर प्रभुत्व कायम करने क लिए दो महाशक्तियों में हाड लगी हुई है, इस बात की सम्भावना बहुत बढ गयी है कि अफ्रिका पूरव और पश्चिमी क सर्घर्ष का स्थल बन जाय। हाल क वर्षों में कांगो में जो कुछ हुआ है उसको देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोवियत और अमरीकी दोनों गुट यहाँ अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बीसवी शताब्दी क उत्तरार्द्ध में अफ्रिका की समस्याएँ विश्व राजनीति की प्रमुख समस्या बनी रहेगी। आगे के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के मुख्य स्थल अफ्रिका के दश ही होंगे और अफ्रिका की राजनीति पर ससार की शान्ति का भाग्य निर्भर करेगा।

दक्षिणा रोडेशिया का सकट

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—जम्बेजी नदी तथा उत्तरी ट्रांसवाल क मध्य में स्थित दक्षिणी रोडेशिया अफ्रिका का एक देश है जिसके पूर में पुर्तगाली पूर्वी अफ्रिका तथा पश्चिमी में वेचुआनालैंड है। इसका क्षेत्रफल १ लाख, ५० हजार और ७३० वर्गमील है। यहाँ की अफ्रिकी जनसंख्या २१ लाख २० हजार है तथा यहाँ क २ लाख यूरोपीय और १४ हजार अन्य दशा क लोग निवास करते हैं। ११ नवम्बर, १९६५ को इयान स्मिथ क प्रधान मंत्रीत्व में यहाँ के स्वतन्त्र सरकार ने ब्रिटेन क खिलाफ एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा (Unilateral Declaration of Independence) करके एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय सकट का खड़ा कर दिया है।

आधुनिक दक्षिणी रोडेशिया में उत्तरी शताब्दी में मशोने और मतापिने नामक दो राज्य थे। उत्तरी शताब्दी क अन्तिम चरण में रोड नामक एक महत्वाकांक्षी अधिपति ने इस क्षेत्र में प्रवेश करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसी क नाम पर इस देश का नाम रोडेशिया पड़ा। उत्तर पश्चिमी रोडेशिया उत्तर-पूर्व रोडेशिया को मिलाकर उत्तरी रोडेशिया का नाम दिया तथा शेष दक्षिणी रोडेशिया कहलाया। अतएव दाना पर ब्रिटिश राज्य कम्पनी का शासन चलता रहा।

बीसवी शताब्दी क प्रारम्भ में दक्षिणी रोडेशिया में काफी संख्या में यूरोपीय आकर बसने लगे। १९२३ में यहाँ एक मतदान हुआ जिसमें यह प्रस्ताव पड़ा कि दक्षिण रोडेशिया क यूरोपीय निवासी दक्षिण अफ्रिका यूनियन क साथ मिलना चाहते हैं या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। मतदान पृथक्

स्वशासित रहने के पक्ष में हुआ। अतएव १९२३ में दक्षिण राडेशिया एक स्वशासित देश बन गया।

नव्य अफ्रिका सघ—१८९१ में ब्रिटिश सरकार ने पडोस के न्यासालैंड पर भी अपना अधिकार कायम कर लिया। १९२४ में ब्रिटेन ने उत्तरी राडेशिया का शासन अपने हाथ में ले लिया और १९५३ में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी राडेशिया, न्यासालैंड तथा दक्षिण राडेशिया को मिलाकर मध्य अफ्रिकी सघ (Central African Federation) बना डाला। उत्तरी राडेशिया और न्यासालैंड के लोगो ने इस सघ का विरोध किया लेकिन इसका कोई परिणाम नही निकला। इस सघ में अफ्रिकी लोगो का बाहुल्य था। सघ की कुल छिहत्तर लाख जावादी में तेइस लाख अफ्रिकी थे। फिर भी विडम्बना यह थी कि वहाँ अफ्रिकी लोगो पराधीनता का जीवन गिता रह थे और सर्वत्र दक्षिणी राडेशिया के अल्पसंख्यक यूरोपीयो का प्रभाव था। सघ का जासविधान बना उसमें यह व्यवस्था की गयी कि विधानसभा के कुल उनमठ सीटा में तीरपन सीट निवाचन से भरेजायें। लेकिन निवाचक की योग्यता कुछ इस प्रकार रखी गयी कि काह अफ्रिकी चुनाव में खडा नही हो सक। निर्वाचन कानून ऐसा बनाया गया कि शायद ही कोई अफ्रिकी उमकी योग्यता पूरी करके उम्मीदवार हो सके। इस प्रकार की प्रतिबन्धित योग्यताओं का परिणाम सघ के प्रथम चुनाव में दर्शगाचर हो गये। उस चुनाव में दक्षिणी राडेशिया चालिस हजार यूरोपियो ने मत डाले थे और केवल चार सौ उन्नतीम अफ्रिकी का ही इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उत्तरी राडेशिया में तो केवल तान अफ्रिकी का यह अधिकार मिला था।

सघ के अफ्रिकी निवासियो को स्थिति दक्षिण अफ्रिकी यूनियन के अफ्रिकी का स्थिति से काई अच्छी नहा थी। प्रजातीय भेदभाव वहाँ भी चरम गीमा पर था जिसके कारण जान भी दक्षिण राडेशिया का अफ्रिकी जन अपने हो देश में अपार त्रष्ट भाग रह हैं। वहाँ के अफ्रिकी यूरोपियो के साथ हाटला में खापी नहा सकत, पाक में बैठ नहा सकते और गाडियो में चल नहा सकते हैं। जीवन के हर पहलू में मूल निवासियो के साथ घोर अत्याचार और उनका प्रबल शोषण हाता है। इस स्थिति में अफ्रिकी निवासियो के लिए इस व्यवस्था का विरोध करना स्वाभाविक था। उत्तरी राडेशिया तथा न्यासालैंड के अफ्रिकी सघ से जलग हाकर अपना स्वतन्त्रता की माँग करने लगे।

४ यूरोपीय और अफ्रिकी का अनुपात —

(i) दक्षिण राडेशिया— १ १०

(ii) उत्तरी राडेशिया— १ ४

(iii) न्यासालैंड— १ १००

लन्दन सम्मेलन—राडशिया और न्यामार्लैंड के भविष्य पर विचार करने के लिए १९६० में लन्दन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध अफ्रिकी नेता हस्तिंग्स बोदा और राष्ट्रवादी नेताओं के साथ क्वेटरपन्थी गारो की तरह से सघ के प्रधान मंत्री राय वलन्स्की शामिल हुए थे। अफ्रिकी राष्ट्रवादियों ने यह मांग की कि न्यामार्लैंड को सघ में प्रथम करके स्वतन्त्र कर दिया जाय। लेकिन राय वलन्स्की ने इस मांग का घोर विरोध किया। मध्य अफ्रिकी सघ को कायम करने में यह चाल थी कि इन तीनों देशों में ब्रिटेन का शासन खत्म करके स्थानीय गारो का शासन स्थापित किया जाय। सघ की अफ्रिकी जनता इस चाल का समझती थी और इसलिए सघ से अलग होना चाहती थी। उधर प्रधान मंत्री वलन्स्का जबर सघ के ढाँचे का कायम रखने का जो तांड प्रयास कर रहे थे। ऐसी दशा में लन्दन सम्मेलन का काइ परिणाम नहीं निकला।

वलन्स्की का प्रयास—लन्दन वार्ता के भग हाने पर वलन्स्की साल्सवरी वापस जाये और श्रद्धेय गारो के प्रभुत्व का सुदृढ़ करने के कार्य में लग गये। उन्होंने नियमावली विधान सभा को भग कराकर नये चुनाव करवाने की घोषणा की। २७ अप्रिल १९६० को चुनाव का दिन निश्चित किया गया और चुनाव में इस बात का निर्णय करना था कि सघ कायम रहे अथवा नही। अफ्रिकियों ने इस निर्णय का विरोध किया। क्योंकि वलन्स्का की जनता और मतदान से अभिप्राय गारो लोग स था, बहुत कम ही अफ्रिकी वोट दे सकते थे। अतएव सभी अफ्रिकी राष्ट्रवादियों ने घोषणा की कि वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में सघ में रहना पसन्द नहीं करेंगे।

अफ्रिकियों में उभरे हुए राष्ट्रीयता की भावना को कुचनने के लिए वलन्स्की सरकार ने पूरे बग से दमन चक्र चलाना शुरू किया। अपनी धारवादियों का उचित सिद्ध करने के लिए उसने यह झूठा आरोप लगाया कि अफ्रिकी नेताओं ने सघ सरकार के मंत्रियों की हत्या करने की योजना बनायी है। इसके बाद बोदा और अन्य अफ्रिकी नेताओं को कैद कर लिया गया और शान्ति-व्यवस्था की रक्षा के नाम पर न्यूनतम नागरिक स्वतन्त्रता का भी छीन लिया गया। किन्तु इन दमनचक्र की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई और अशान्ति का वातावरण कायम ही रहा। अफ्रिकी जनमत का विरोध इतना प्रबल हो गया कि अन्त में दिवश हाकर वलन्स्की सरकार को सभी नेताओं का मुक्त कर देना पड़ा। डाक्टर बोदा ने सघ के प्रदेशों तथा लन्दन का दौरा किया और स्वतन्त्रता की अपनी माँग फिर बुलन्द की।

साकटन कमीशन—मध्य अफ्रिकी सघ की इस विषम राजनीतिक परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया। सघ पर उसका प्रभुत्व था और यदि वह चाहेता तो वलन्स्की सरकार का अफ्रिकियों पर अत्याचार को रोक

सकता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार की पूरी महानुभूति गारा क साथ थी। यह ता जाग्मभ में ही स्पष्ट हा चुका था कि अंग्रेजों ने यह असमान और कृत्रिम सघ इसलिए बनाया था कि दक्षिणी अफ्रिका को तरह कन्द्रीय अफ्रिका पर भी गारी का प्रभुत्व रहे। किन्तु स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद की प्रबल लहर ने, जा समस्त अफ्रिकी महादेश में उठने लगी थी, उनका यह स्वप्न पूरा हाने में विघ्न डाल दिया। अतएव ब्रिटिश सरकार ने परिवर्तन की हवा का रुख देखकर कुछ बुद्धिमानी से काम लिया और सघ की कार्य प्रणाली पर पुनर्विचार करके प्रतिबन्धन पक्ष करने के लिए माकटन कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में अफ्रिकिया का प्रतिनिधित्व नाममात्र का था। माकटन कमीशन का प्रतिबन्धन बड़ा ही निराशाजनक था। इसमें इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया था कि मधीय रूप का विनष्ट करने के उपाय उमम उचित सुधार करना ही अन्त्रा रहगा। रिपोर्ट की सारी निष्कारिशा की अन्तर्ध्वनि मौजूदा सघ-व्यवस्था को किसी तरह बनाये रखने के पक्ष में था। शायद इसीलिए मास्का रीडियो ने माकटन-रिपोर्ट की आलाचना करते हुए अफ्रिकी नेताओं को साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के भ्रमजाल में फँसने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसके अतिरिक्त अफ्रिकी राष्ट्रीयता का ध्यान में रखते हुए कमीशन का यह भी कहना पडा कि सघ के किसी इकाई का पृथक् होने की छूट कुछ शर्तों के साथ या निर्दिष्ट वर्षों के बाद दी जा सकती है। इस प्रकार कमीशन के प्रतिबन्धन में अफ्रिकियों की स्वतन्त्रता की मँग मार रूप में स्वीकार कर ली गयी।

बेल्जियम की सरकार ने विक्षुब्ध होकर इस रिपोर्ट का पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और अफ्रिकिया के विरुद्ध पहले की तरह फिर से दमनचक्र चलाने के लिए यूरोपीय सेना का बड़ा पैमाने पर संगठित करना शुरु किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबन्धन पर अपना कोई आधिकारिक विचार प्रकट नहीं किया, किन्तु प्रतिक्रियाओं में यह ध्वनित हुआ कि वह माकटन कमीशन की रिपोर्ट का मान लेने के लिए तैयार है। दिसम्बर १९६१ में लन्दन में समस्या पर विचार करने के लिए एक दूसरा गालमज सम्मेलन हुआ। लेकिन इस बार भी निणय नहीं हो सका। मग बेल्जियम की सरकार इस बात की काशिश करती रही कि मध्य अफ्रिकी सघ में आतंक फैलाकर ब्रिटिश सरकार को माकटन कमीशन की रिपोर्ट रद्दी की टाकरी में फँसने के लिए विवश कर दिया जाय।

न्यासालैंड और उत्तरी रोडेशिया की स्वतन्त्रता — ब्रिटिश सरकार अफ्रिकी राष्ट्रीयता की उपक्षा अधिक दिनों तक नहीं कर सकी। १ फरवरी, १९६३ का न्यासालैंड का आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हा गया और हर्स्टिंग्स बॉटा इसके प्रधान मंत्री बने। १९६४ में न्यासालैंड के साथ-साथ उत्तरी रोडेशिया भी पूर्ण

स्वतन्त्र हो गया। लेकिन दक्षिण अफ्रिका के अफ्रिकी निवासी गुलामी के जर्जर में बंधे ही रहे। इसी समय बलेन्स्की ने पदत्याग कर दिया और उसके बाद डब्लो स्मिथ दक्षिण राटेशिया के प्रधान मंत्री बने।

एकरतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा की ओर — नये प्रधान मंत्री डब्लो स्मिथ (Jan Smith) ने पुन पुराना राग अलापना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माग की कि वह दक्षिण रोडेशिया को पूर्ण स्वतन्त्र कर दे। साथ ही यह धमकी भी दी गयी कि यदि ब्रिटेन ऐसा नहीं करता तो दक्षिणी रोडेशिया की सरकार अपनी ओर से स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। ब्रिटिश सरकार भीतर ही भीतर इस माग से सहानुभूति रखती थी। लेकिन सत्तार के लोचमत्त के भय से उसने बाहर से इस मांग का विरोध किया। दक्षिण राटेशिया की स्वतन्त्रता के लिए उसने दो शर्तें रखी (१) व्यापक मताधिकार के सिद्धान्त को मान्यता ताकि सभी व्यस्क अफ्रिकिया का वाट देने का अधिकार मिले तथा (२) दक्षिण रोडेशिया श्वेत सेना का विघटन। स्मिथ सरकार ने इन शर्तों का मानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार स्वतन्त्रता की घोषणा करने का निश्चय कर चुकी है।

इस निश्चय को "जनता" द्वारा अनुमोदित कराने के लिए स्मिथ सरकार ने एक चुनाव का आटक रचा। मई १९६५ में दक्षिणी राटेशिया में एक आम चुनाव हुआ जिसमें विधान सभा के पचासी सीट पर डब्लो स्मिथ की पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। लेकिन यह चुनाव कवल ढोंग था, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक अफ्रिकिया ने भाग नहीं लिया।

सयुक्त राष्ट्र सच में दक्षिणी रोडेशिया का प्रश्न — स्मिथ सरकार का हरकतों से अन्य अफ्रिकी राष्ट्रों का सशक्त होना निलकुल स्वभाविक था। अतएव कुछ अफ्रिकी राष्ट्रों ने सयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इस प्रश्न को उठाया और सभा में कई बार इस आशय के प्रस्ताव स्वीकृत हुए कि प्रजातान्त्रिक न्याय के आधार पर दक्षिणी रोडेशिया को स्वतन्त्र करना चाहिए।

लन्दन सम्मेलन — चुनाव के बाद डब्लो स्मिथ ने नारा से स्वतन्त्रता की मांग की और पुन उस धमकी का दुहराया कि यदि ब्रिटेन इस स्वतन्त्रता नहीं कर देता है तो दक्षिणी रोडेशिया की सरकार स्वयं अपने का स्वतन्त्र घोषित कर देगी। लेकिन ऐसा करना विद्रोह होता। अतएव स्मिथ सरकार ब्रिटिश सरकार की सहमति से ही कोई कार्य करना चाहती थी। अक्टूबर, १९६० में लन्दन में स्मिथ और ब्रिटिश प्रधान मंत्री हारोल्ड विल्सन के बीच पुन इस प्रश्न पर चर्चा हुई, लेकिन गतिराध का प्रन्त नहीं हुआ। सम्मेलन की प्रारम्भिकता पर नये ने घोषणा कर दी कि वे दक्षिण राटेशिया लाटन्स रोड "महत्त्वपूर्ण प्रश्न" उठाया। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का प्रर्थ था एकरतरफी स्वतन्त्रता का प्रश्न।

लौटकर उसने घोषित किया कि दिसम्बर के अन्त होने के पूर्व ही उनकी सरकार स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। इस पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार इसको विद्रोह मानेगी और विद्रोह को कुचलन के लिए सभी सम्भव उपायों का अवलम्बन करेगी।

स्वतन्त्रता की घोषणा —लेकिन इवान स्मिथ को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार की धमकी में वास्तविकता का अंश लेना मात्र के लिए भी नही है। इस परिस्थिति में उसने जल्द से जल्द काम करने का निश्चय किया और ११ नवम्बर १९६५ का एक तरफ़ी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गयी। इस कार्य का विरोध मयुक्त राज्य अमेरिका ने कर देने के लिए अमेरिकी इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्तमान मयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक तेरह वर्षों के अठारहवाँ शताब्दी में ब्रिटेन के मातहत में थे। उनलागा ने भी विद्रोह करके अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की थी। दक्षिणी रोडेशिया भी उन्हाँ का अनुकरण कर रहा है। लेकिन दक्षिणी रोडेशिया तथा मयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत भेद था। अमेरिका में बहुमण्यक और अल्पसंख्यक का कोई प्रश्न नही था। दक्षिणी रोडेशिया का यही मुख्य प्रश्न था कि क्या अल्पसंख्यक गारा का बहुमण्यक अफ्रिकिया पर शासन करने का अधिकार है ?

स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रतिक्रिया —दक्षिणी रोडेशिया की गारी सरकार की इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया सारे समार में हुई और सारा ने इसका विरोध किया। समार के लाकमत ने यह माग की कि ब्रिटेन का हस्तक्षेप करके इस विद्रोह को कुचल देना चाहिए। लेकिन यह सारा काड ता ब्रिटेन की गण सम्मति से हुआ था और इसलिए वह कोई सैनिक कार्रवाई करके विद्रोह दमने के पक्ष में नही था। फिर भी, दुनिया को अपनी नेकनीयती जताने के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह एकता की स्वतन्त्र-घोषणा को मान्यता नही प्रदान करता है। दक्षिण रोडेशिया के गवर्नर हम्फ्रे गिब्यम ने स्मिथ सरकार का पदच्युत कर दिया और ब्रिटिश नागरिकों को आदेश दिया गया कि वे स्मिथ की गैर कानूनी सरकार से किसी तरह का सम्बन्ध नही रखें। चीनी रडियो ने इसका "व्यय का घास" कहा था क्योंकि इवान स्मिथ की सरकार का वैधानिक रूप से पदच्युत कर दी गयी थी पर इसके हाथ से सत्ता छीनने की कोई काशिश नही की गयी। स्मिथ की गैर कानूनी सरकार के विरुद्ध कुछ प्रतिबन्ध अवश्य लगाये गये। ब्रिटेन ने अपने सारे राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक और आर्थिक सम्बन्धों का अन्त कर दिया और इस प्रश्न को मयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद के समक्ष सारा सुरक्षा परिषद के दिना तक इस प्रश्न पर विचार नरती रही, लेकिन

तात्कालिक परिणाम कुछ भी नहा हुआ। दक्षिणी राडेशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध और तेल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

अफ्रिकी एकता संगठन के समक्ष रोडेशिया का प्रश्न — दक्षिणी राडेशिया की गरीब सरकार की एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा से अफ्रिका के अन्य राज्य प्रत्यन्त क्षुब्ध थे। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए अफ्रिका एकता संगठन (Organisation of African Unity) को एक बैठक — आदिब अवावा में २ दिसम्बर, १९६५ को हुई। इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके यह निश्चय किया कि यदि १५ दिसम्बर तक ब्रिटेन दक्षिणी राडेशिया के विद्रोह को नहा कुचल देता है तो अफ्रिका के सभी स्वतन्त्र राज्य उसके साथ दोस्त सम्बन्ध का समझ कर देंगे। यह भी निश्चय हुआ कि अफ्रिका का कोई देश दक्षिणी राडेशिया के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं रखे और दक्षिणी राडेशिया में जाने जाने वाले वायुयानों को अपने आकाश से नहीं गुजरने दें। ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध बिच्छेद के निश्चय का २५ दिसम्बर, १९६५ का गिनी और टेन्जेनिया ने कार्यान्वित कर दिया, लेकिन अन्य अफ्रिकी देश परिस्थिति का अन्वयन ही करते रहे, उनकी उम्मीद सुरक्षा-परिपद पर लगी हुई है और वे यह आशा करते हैं कि सुरक्षा परिपद ऐसी कोई कार्रवाई करेगी जिस बहुमुखक अफ्रिकिया की दक्षिणी राडेशिया में न्यायोचित अधिकार मिल सके।

दक्षिणी राडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध का कोई प्रभावकारी परिणाम नहा हुआ है। क्याकि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के साम्राज्यवादी-प्रजातिवादी पूँजीपतियों का समर्थन और सहानुभूति स्थित की गैर कानूनी सरकार का प्राप्ति है। दक्षिण अफ्रिकी यूनियन और पुतगाल के अफ्रिकी उपनिवेश की सोमाए दक्षिणी राडेशिया में मिली जुली हैं और वहाँ से दक्षिणी राडेशिया को हर तरह के सामान प्राप्त हाते रहते हैं और इसलिए आर्थिक प्रतिबन्ध का कोई महत्त्व नहा रह गया है।

दक्षिणी राडेशिया के इस संकट पर सितम्बर १९६६ में लंदन में राष्ट्र-सङ्घीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रिकी प्रधान मन्त्रियों का मत था कि ब्रिटेन का स्थिति-सरकार के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई ही क्योंकि उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध सफल नहा है। सन्तों और इस प्रकार के प्रतिबन्धों के दमन से उसे सही रास्ते पर नहा लाया जा सकता है। किन्तु विश्व लोकमत की अवरलना करते हुए ब्रिटेन द्वारा अब तक दक्षिणी राडेशिया की गरीब सरकार के विरुद्ध कोई सैनिक कार्रवाई नहा की गई है और उसका सब अपेक्षाकृत नरम पडता जा रहा है। आलाचक्रा का मत है कि ब्रिटेन का व्यवहार गुप्त रूप से स्थिति सरकार का प्रात्याहित करने का है। उनका

यूरोप है कि भूतकाल में इस प्रकार की परिस्थितियाँ एशिया के कुछ देशों में होने पर ब्रिटेन ने सैनिक कार्रवाई करने पर किसी प्रकार की देरी नहीं की थी जबकि दक्षिणी रोडेेशिया में गरीब सरकार के विरुद्ध उभरने वाले वास्तविक रूप में कोई कठोर तख का नहीं अपनाया है।

ब्रिटेन द्वारा दिसम्बर, १९६६ में दक्षिणी रोडेेशिया के साथ शान्तिपूर्वक तरीके में समस्या का हल निकालने हेतु प्रयत्न किया गया। ब्रिटिश प्रधान मंत्री विल्सन और रोडेेशिया के प्रधान मंत्री स्मिथ की मुलाकात जिब्राल्टर के निकट हुई। दोनों प्रधान मंत्रियों में दो दिनों तक मन्त्रणा होने के बाद एक गुप्त समझौता हुआ और यह आशा की गयी कि रोडेेशिया सरकार का शांतिपूर्ण हल निकल जायगा। परन्तु स्वदेश लौटने पर १० दिसम्बर, १९६६ को रोडेेशिया के प्रधान मंत्री स्मिथ ने समझौते की किसी बात का मानने से इन्कार कर दिया। ब्रिटेन द्वारा जिवश हो कर संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद में रोडेेशिया के विरुद्ध सभ के चार्टर की धारा ४१ के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया गया, जो स्वीकार हो गया। इसका द्वारा दक्षिणी रोडेेशिया को भेजे जाने वाली वारह मुख्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। परन्तु उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रतिबन्धित वस्तुओं में तेल का सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि ऐसा करने से दक्षिणी अफ्रीका के मौजम्बिक के पचासी राज्यों को कष्ट उठाना पड़ेगा।

ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी रोडेेशिया के विरुद्ध प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबन्ध असफल सिद्ध हुए हैं। ब्रिटेन स्मिथ सरकार के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई करने से किसी न किसी बहाने बचता रहा है। अतः इस बात की काइ सम्भावना नजर नहीं आती कि दक्षिणी रोडेेशिया की अल्पसंख्यक गरीब सरकार का बहुसंख्यक अफ्रीकियों पर से निरंकुश शासन निकट भविष्य में समाप्त हो सकेगा।

मार्च १९६८ में रोडेेशिया का प्रश्न पुनः उभर कर सामने आया। ७ मार्च को वहाँ तीन राष्ट्रवादी अफ्रीकियों का फाँसी पर लटका दिया गया। १२ मार्च तक कुछ और अफ्रीकी भी फाँसी पर लटकाये गये। समस्त संसार में इस क्रमानुषंगिक कार्य पर समवेदना व्यक्त की गयी। पाप पॉल ने गरीब सरकार से अपील की कि वह "सुजरिया" का मृत्युदण्ड न दे। लेकिन स्मिथ सरकार पर इतना काई असर नहीं पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सभ में भी रोडेेशिया सरकार के इस कार्य की तीव्र निन्दा की गयी। ब्रिटिश सरकार से यह कहा गया कि अपने उपनिवेश में इन प्रकार के अपराध को होने देना उसकी सबसे बड़ी असफलता है। अतः

अभियुक्तों का फौसी दकर महारानी एलिजाव्थ और प्रिंसी कासिल के आदर्शों की अवहलना करके स्मिथ ने इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया है कि वह निल्सन की धमकियों की परवाह नहीं करता।

राडेशिया में कानून-व्यवस्था का भंग होने तथा अधिक प्रतिबन्ध की विफलता पर विचार करने के लिए २० अप्रिल, १९६८ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद् की बैठक हुई। परिषद् में रोडेशिया के विरुद्ध पूर्ण नाकबन्दी का प्रश्न पर विचार हुआ। ३० मई, १९६८ को सुरक्षा परिषद् ने अपनी दूसरी बैठक में रोडेशिया के विरुद्ध पूर्ण नाकबन्दी का प्रस्ताव पास कर दिया।

(५) एशियाई-अफ्रिकी देशों के संगठन की समस्या

सैकड़ों वर्षों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय दशा का गुलाम रहे। इन दो महादेशों पर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक यूरोपीय दशा का पूरा कब्जा हो गया। एशिया के देशों में चेतना का संचार नहीं हो सका था इसलिए साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा कई तरह के प्रयास किये गये। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई कारणों से एशिया के देशों में जागृति आयी और उनमें राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद इन आन्दोलनों ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। १९२७ में साम्यवादियों तथा कुछ प्रगतिशील तन्त्रियों ने पहले-पहल अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सत्तारूढ़ पराधीन देशों के एक सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम के नगर ब्रुसेल्स में किया। इस सम्मेलन में सत्तारूढ़ पराधीन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के नेता सम्मिलित हुए और पहले-पहल उनके बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ। उसके बाद एशिया के पराधीन देशों ने अपना संगठन कायम करने का प्रयास किया ताकि पादशाही साम्राज्यवाद का विरोध संगठित रूप में किया जा सके। भारत की काँग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस कार्य में सक्रिय भाग लिया, लेकिन पराधीनता के कारण इस दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

प्रथम एशियाई सम्मेलन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूरे एशियाई देशों का संगठित करने का आन्दोलन में भारत की दिलचस्पी बहुत बढ़ गयी थी और इसलिए सभी देश स्वतन्त्र भी नहीं हो पाये थे कि पंडित नेहरू की प्रेरणा से इन्डियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (Indian Council of World Affairs) नामक अप्रिल १९४७ में एशियाई देशों का एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें पचास देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि इस सम्मेलन का किया गया

मन्यन प्राप्त नहीं था लेकिन इसका महत्त्व इस बात में था कि एशिया के भिन्न देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के नेता इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन एशियाई देशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, प्रजातीय विभेदों के विविध समस्याओं पर विचार हुआ और एक स्थायी संगठन कायम करने के नाम पर विचार हुआ। एशियाई देशों के इस सम्मेलन से यह आशा करना कि वह कोई युगान्तरकारी निणय कर पायगा, बेकार था। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि यद्यपि एशियाई देशों की कई समस्याएँ एक ही नहीं हैं और उनका माधान संयुक्त प्रयास से ही सम्भव हो सकेगा, फिर भी कई मतभेद भी स्पष्ट हो गये। लेकिन ये मारे मतभेद महत्त्वपूर्ण नहीं थे। महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि एशिया के देश एक सम्मेलन में एक जगह मिले और अपनी-अपनी समस्याओं पर विचार विनिमय कर सकें। दूसरे, इसने इस बात को और भी स्पष्ट किया कि एशिया के देश जब जागरूक हो चुके हैं और उनका साम्राज्यवादी शासन नहीं होता है। प्रथम एशियाई सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि एशिया के देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ ही दिनों में डच-इंडोनेशिया संघर्ष के समय एशियाई देशों के संगठन का महत्त्व स्पष्ट हो चुका था।

द्वितीय एशियाई सम्मेलन—एशियाई देशों का द्वितीय सम्मेलन दिल्ली में ही २०-२३ जनवरी १९४६ को हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य इंडोनेशिया पर डच आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करना था। सम्मेलन में डच कार्यवाही की जोरदार निन्दा की गयी। डच आक्रमण को विफल राष्ट्र बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम बनाये गये और संयुक्त सुरक्षा परिषद का आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का सहयोग प्राप्त कर हालैंड के प्रति कड़ा रुख अपनाने को बाध्य किया गया। संगठित एशिया की उपेक्षा करना अब सरल काम नहीं रहा। १९४६ के सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि एशिया के देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद को लादे रखना अब असम्भव है।

वाडु ग सम्मेलन—२५-२६ दिसम्बर १९५६ का भारत, लका, इंडोनेशिया तथा पर्सिया के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन इंडोनेशिया के एक नगर बोगोट में हुआ। बोगोट में बात करने के पश्चात् एशिया और अफ्रिका के महादेशों के राष्ट्रों में सद्भावना और सहयोग विकसित करने के लिए जोरदार पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं एवं विश्व शान्ति तथा सहयोग में अपन योगदान पर विचार करने के लिए एशियाई और अफ्रिकी राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया गया।

इस निश्चय के अनुसार १९५५ में १८ अप्रिल से २४ अप्रिल तक इंडोनेशिया के नगर बान्डुंग में एशिया और अफ्रीका के उत्तरीय राष्ट्रों के प्रातनिधि एक सम्मेलन में शामिल हुए।

बान्डुंग सम्मेलन में निम्नलिखित दश सम्मिलित हुए थे—भारत, पाकिस्तान, वरमा, लका, इंडोनेशिया, चीन, जापान, तुर्की, अफगानिस्तान, वियतनाम, वितमिन्ह, रम्बाडिया, लाओस, मिस्र, सूडान, गोल्डस्ट, साईबेरिया, इराक, लीबिया, फारन, सीरिया, लेबनान, जोर्डान, मध्य अफ्रीकी सघ, सऊदी अरब, यमन और नेपाल। थाईलैंड और फिलीपाइन्स ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था।

सम्मेलन का उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि “सुझे आशा है, यह सम्मेलन मानव-समाज का मार्ग निर्देशन करेगा। सुझे आशा है कि यह इस रात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनजन्म हा चुका है।”

सम्मेलन की वास्तविक उपलब्धियों का सबसे अच्छा तथा विस्तारपूर्वक उल्लेख अन्तिम दिन प्रकाशित एक विज्ञापित में किया गया। इसने “विदशा सहायता, एक राष्ट्रमधीय फंड (U N fund), तकनीकी ज्ञान तथा बहुपक्षीय-व्यापार के जादान-प्रदान एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्यात द्वारा विद्व के एशियाई एवं अफ्रीका क्षेत्र के जाधिक विकास की आवश्यकता” पर जोर दिया। इसने एशियाई व अफ्रीकी देशों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से युक्त एक अन्तराष्ट्रीय अणुशक्ति-संस्था (International Atomic Energy Agency) की स्थापना की मांग की, “प्रजातिभेदवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रत्येक स्वरूप—विशेषकर उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका के प्रजातिभेदभाव—की उसकी मातृवीय सम्मान के विकर” कहकर निन्दा की “पैलेस्टाइन में अरब लोगों के अधिकारों का समर्थन” किया, “पैलेस्टाइन-समस्या के शान्तिपूर्ण हल तथा राष्ट्रमधीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने” की अपील की, “बेस्ट इरियन पर इण्डोनेशियाई दाव का समर्थन” किया, “राष्ट्र-सघ की सदस्य-संख्या में वृद्धि तथा अफ्रीका एवं एशिया की जाधिक प्रतिनिधित्व देने” की माँग की, “निरस्त्रीकरण, प्रभावशाली अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण में प्राणविक शस्त्रों के निषेध तथा ऐसे शस्त्रों के परीक्षणों को बन्द करने” की पुकार की तथा “शान्ति” स्वतन्त्रता, मानवाय अधिकारों के प्रति आदर-प्रदर्शन द्वारा सहिष्णुता सभी राज्यों के एकव तथा सम्प्रभुता, प्रत्येक राज्य और जाति की समानता, अहस्तक्षेप, राष्ट्रसघ के ‘चार्टर’ के सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सुरक्षा के अधिकार, शक्ति राजनीति एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तियों से प्रथकत्व और झगड़ों के शान्तिपूर्ण हल” का समर्थन किया।

२७ अप्रिल १९५५ को जब यह सम्मेलन ब्रतम हुआ तो समस्त ममार को यह विश्वास हो गया कि एशिया और अफ्रिका एक नयी आवाज और एक नये सन्देश के साथ जाग उठा है। यह आवाज निद्राह और सशस्त्र क्रान्ति तथा शीत युद्ध की नहो अल्कि शान्ति, मैत्री, सन्भावना तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की थी। इस नयी आवाज और इस नये मन् श का बुलन्द करनेवाला म प्रमुख थे, भारत क जवाहरलाल नेहरू, चीन क चाऊ एन-लाइ, इडानीशिया क शान्त्र मिडजोजो तथा मित्त के कर्नल नामिर।

वाङ्म सम्मेलन मे भाग लेने वाले एशियाई और अफ्रिकी राष्ठा क जीवन में एक नए आत्मविश्वास और आशा का उदय हुआ। एन नई आवाज एशिया के पूर्वी छोर से उठ कर अफ्रिका तरु के विशाल भूखण्ड म गूज उठी। यह आवाज यह थी कि एशियाजामी और अफ्रिका के लाखों-कराडा शोषित नर नारी पराधीन नहा रहगे। व अपने हाथो अपने भविष्य का निर्णय करेगे। उनका वहकाया अथवा लुभाया नही जा सकेगा। उन्होने यह भी भली प्रकार मनय लिया कि स्वतन्त्रता और शान्ति परस्पर आव्रित हे और ससार क किसी भी भाग में पराधीनता का अस्तित्व शान्ति के लिए एक खतरा हे ठीक उमा प्रकार जैम शान्ति के अभाव मे ससार क हर काने मे स्वतन्त्रता क विकास म बाधाएँ पडती हैं। और, इसी बात को दृष्टि मे रखकर, सम्मेलन ने निरशस्त्रीकरण, आर्पायिक शस्त्रास्त्रो क पूण वहिष्कार और शस्त्रास्त्रा क अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण का पूरा समथन किया और सयुक्त राष्ट्रसघ का विश्व मे शान्ति स्थापित रखने के एकमात्र प्रभावशाली माधन क रूप मे मान्यता दी। सम्मेलन ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि सयुक्त राष्ट्र सघ और उसकी एजसिया मे एशियाई प्रदशा का प्रतिनिधित्व अपयाप्त है। सम्मेलन मे प्रत्येक राष्ट्र क अपनी रक्षा करने क अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया और यह भी माना कि उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आक्रमण क विरुद्ध अपनी रक्षा करने का सयुक्त राष्ट्रसघ क चाटर क अनुसार स्पष्ट अधिकार है। परन्तु इसके साथ ही यह चतावनी भी दी गयी कि इस प्रकार की सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली को बड राष्ठा क स्वाध-साधन क उपकरणा क रूप में परिणत न होने दिया जाय।

एशिया का राजनीति के अष्टिकाण से वाङ्म सम्मेलन क दा महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसने विश्व राजनीति की समस्याओ क प्रति एशिया और अफ्रिका में एक नमान दृष्टिकोण का जन्म दिया तथा सयुक्त राष्ट्रसघ मे एक एसी एशियाई अफ्रिकी युुष की आधारशिला रखी जितने बाद में पूर्व-पश्चिम सघ मे सन्तुलन पैदा करने का काम किया। पाँच वर्षों क अन्दर (१९६० तक) सयुक्त की साधारण सभा मे अफ्रिका तथा एशिया क राष्ठा की संख्या पैंतालीस हा

अन दो तिहाई बहुमत से पास होनेवाले प्रस्ताव के लिए इस गुट का समर्थन आवश्यक था गया।

वाटुग सम्मेलन के परिणामस्वरूप साम्यवादी चीन को एशिया के देश के मध्य अपनी स्थिति को प्रकट करने का मौका मिला। अभी तक चीन व सम्बन्ध में भारत में कई तरह का धारणाएँ थी। लेकिन वाटुग सम्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निवाह किया जिसके फलस्वरूप चीन की नयी सरकार एशियाई देशों में लोकप्रियता हासिल करने लगी। चाऊ-एन-लाई ने सम्मेलन में लाये गये प्रस्तावों का जोरदार समर्थन किया और तारवार कहा कि—

“हम एशियावासी एक ही प्रकार के अत्याचार से पांडित रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी एक है। हम एशिया और अफ्रीकावासी संदेव हा एरू-दूसरे के प्रति सहानुभूति और हमदर्दी रखते रहे हैं। “एशिया और अफ्रीका के हम लोग उग्नवेशवाद की लूट और अत्याचारों के शिकार हुए हैं और इस प्रकार गरीबी और पिछड़ेपन का स्थिति में रहने के लिए मजबूर किये गये हैं। हमारा आवाज जरूरन दवाई गई है। हमारा महत्वाकांक्षाओं को कुचला गया है और हमारा भाग्य दूसरों का दया पर निर्भर रहा है। अतएव, इस दासता के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं।

चीन के प्रधान मंत्री ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों का जोरदार समर्थन किया। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। चीन जो अभी तक अछूता देश था, एशियाई देशों की मदद में प्रवेश पा गया, यद्यपि बाद में जाकर यह प्रकट हो गया कि चाऊ-एन लाई के इस नम्र और अत्यधिक विनयशील एवं सहयोगात्मक रुख के पीछे पारतंत्रिक रहस्य क्या था। बाद के चीन की नीति ने उसे स्पष्ट कर दिया कि उसने वाटुग के प्लेटफॉर्म को केवल प्रचार के लिए प्रयोग किया था।

वाटुग-सम्मेलन के प्रारम्भ होने के पूर्व पश्चिमी देशों को उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में बहुत सन्देह था। उन्हें भय था कि पश्चिम के विरोधी तत्त्व सम्मेलन का उपयोग एशिया और अफ्रीका में पश्चिमी विरोधी भावना का और अधिक उग्र बनाने और सम्भवतः पश्चिमी देशों की कटु आलोचना करने के लिये करेंगे। परन्तु सम्मेलन की कायवाही जिस ढंग पर हुई और जिस समय, धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता का परिचय अनेक एशियाई देशों के नेताओं ने सम्मेलन के मंच पर दिया, उसने इन देशों के भय का निराकरण ही नहीं कर दिया, बल्कि उनमें यह विश्वास भी पैदा कर दिया कि एशिया के देश उनसे शान्तिपूर्ण और रचनात्मक सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं और पुरानी दुश्मनी और वैमनस्य भूल कर विश्वशांति और समृद्धि के हित में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

अफ्रीका-एशिया समैक्य सम्मेलन — अफ्रीका-एशिया समैक्य-सम्मेलन (अफ्रीका एशियन सालिडैरिटी कॉन्फ्रेंस) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा (मिस्र) में १९५७ व २६ दिसम्बर स १९५८ की १ जनवरी तक हुआ। इस सम्मेलन में दानो महादेशो क अनेक देशा एव उपनिवेशिक क्षेत्रों से पौच हो प्रतिनिधि आवे थे। कुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्यवादी समयकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर लिया। ये राष्ट्र थे—साइबेरिया, पाकिस्तान, थाइलैंड, फिनिपाइन दक्षिण वीयतनाम, मोरक्का, मलाया, कम्बोडिया और लाओस। सावित्र-सघ से यहाँ सत्ताइत व्यक्तियां का एक प्रतिनिधि मण्डल थाया था। इस सम्मेलन मे कई प्रस्ताव पास किये गये—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और प्रजाति-भेदवाद, सक्षिप्त पद्धति आदि की निन्दा की गई। केनिया, हैमरून, युगाण्डा, मडागास्कर, सामालोलैंड आदि देशा का स्वतन्त्रता एव साइप्रस क आत्मनिर्णय की मांग को गइ, उत्तर और दक्षिण कारिया एव उत्तर और दक्षिण वीयतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद सन्धि और वाइसनहौसर-मसलान्त हो परबराष्ट्रों को स्वतन्त्रता का बाधक तथा इजराइल को साम्राज्यवाद का एक अट्टा रहा गया एव राष्ट्रसघ मे साम्यवादी चीन और मंगोलिया का सम्मिलित करने पर जार दिया गया। काहिरा मे इन सगठन को एक स्थायी सस्था कायम करने का भी निश्चित हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रिल, १९६० में कोमादरी मे हुआ।

अफ्रीका-एशिया आर्थिक सम्मेलन — यह सम्मेलन १९५८ मे ८ स ११ दिसम्बर तक काहिरा (मिस्र) मे हुआ, जिसमे अफ्रीका और एशिया क बीस देशा से व्यवसाय-मंडल के प्रतिनिधि आवे थे। भारत भी इसमे सम्मिलित था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र क सुहम्मद रशीद ने की। सम्मेलन ने दाना महादेशा क आर्थिक सहयोग के लिए एक स्थायी सस्था—अफ्रीका एशिया आर्थिक सहयोग-सगठन (अफ्रीका एशियन इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन) की स्थापना की, जिसका तारकालिक कार्यालय काहिरा मे रखा गया। सगठन की एक परामशदात्री समिति बनाइ गई, जिसमें चीन, इथायिया, घाना, इंडोनेशिया, भारत, इराक, गिनी, लीबिया, पाकिस्तान, सूडान और संयुक्त अरब गणतन्त्र के प्रतिनिधि रहे गये। सगठन को रूपरेखा तैयार करने का भार इसी समिति पर छोड़ा गया। सम्मेलन मे दाना महादेशा के उद्योग धन्धो और वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति क सम्यन्ध मे कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३० अप्रिल, १९६० को काहिरा मे हुआ।

बलघेड सम्मेलन — एशियाई और अफ्रीकी देशा का तृतीय सम्मेलन गितम्बर १९६१ मे यूगोस्लाविया की राजधानी बलघेड मे हुआ। इसको

राज्या का सम्मेलन कहना अधिक उचित है, क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रीका महादेशों के अतिरिक्त अन्य महादेशों के देश भी शामिल हुए थे। वेलघेड सम्मेलन के पहले राष्ट्रपति सुक्व ने एक दूसरे राष्ट्रों के सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव रखा। कम्युनिस्ट चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और इस कारण द्वितीय राष्ट्रों के सम्मेलन की योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत तीनों चीन के विरोधी हो गये थे। इसी बीच अप्रैल १९६१ में राष्ट्रपति टीटो संयुक्त अरब गणराज्य गये और वही वेलघेड सम्मेलन का निर्णय किया गया। २६ अप्रैल १९६१ का राष्ट्रपति नासिर और टीटो ने जट्टाइस तटस्थ राज्यों को पत्र भेजा और उन्हें एक सम्मेलन में शामिल होने के निमन्त्रित किया। सम्मेलन की तैयारी करने के लिए पहले काहिरा में तटस्थ राज्यों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ (५-१२ जून)। तदुपरान्त १ सितम्बर १९६१ को वेलघेड में जट्टाइस तटस्थ राज्यों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन का बुनाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे

उस समय जर्मनी की समस्या का लेकर शीत-युद्ध बड़ा उग्र हो गया था और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर खराब हो रहा था। मगार की शान्ति के लिए रडा ही खतरनाक बातारण उत्पन्न हो गया था। सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से अनुमोद किया कि वे शीत-युद्ध की उग्रता रूक करे और जर्मनी-समस्या का समाधान ढूँढ निकालें। हथियार बन्दी को छोड़ और अमेरिका द्वारा परमाणविक परीक्षण भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। सम्मेलन ने इस आर भी सम्बद्ध राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट कराया। लेकिन सम्मेलन का यह दुभाग्य था कि जिस दिन उसकी कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन सोवियत संघ ने पुनः परमाणविक परीक्षण शुरू कर दिया। फिर भी सम्मेलन ने निश्चय किया कि तटस्थ राज्यों को आर से एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ भेजा जाय और राष्ट्रपति कैंनेडी तथा प्रधान मंत्री सुश्चन से अनुरोध किया जाय कि प्रत्येक बातों करके निरन्धकरण, परमाणविक परीक्षण तथा शीत युद्ध की समस्याओं का समाधान करे। सम्मेलन ने शान्ति की समस्या पर विशेष ध्यान दिया, यद्यपि उपनिवेशवाद का विरोध भी इसकी कार्यवाही का मुख्य विषय रहा। सम्मेलन ने यह विचार व्यक्त किया कि हर तरह का उपनिवेशवाद तथा प्रजातीय विभेदवाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन है और मगार के पराधीन देशों का बुरत ही सुक किया जाय।

वेलघेड सम्मेलन में एशियाई राष्ट्रों के कई मतभेद भी स्पष्ट हुए। रडा नोशिया के राष्ट्रपति सुक्व ने उपनिवेशवाद का समकालीन विरत की सभी प्रार्यों की जड़ यताया। उनका कहना था कि विश्व की एकमात्र समस्या उपनिवेश-

वाद है और सत्कार के तटस्थ राज्या का उपनिवेशवाद के अन्त के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके विपरीत भारत के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने विश्व-शान्ति की स्थापना का मुख्य स्थान दिया और इस बात पर इन्हें राष्ट्रपति टोटो तथा कनल नासिर का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्मेलन में दो दृष्टिकोण में परस्पर टकरा हो गयी और सम्मेलन विफल होते-होते बचा। अन्त में निश्चय हुआ कि सम्मेलन के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति सुकर्ण तथा कोटा अमेरिका जायें और वहाँ राष्ट्रपति कैनडी से मिलकर उन्हें सम्मेलन के निर्णयों से अवगत कराये। इसी तरह का दायित्व पण्डित नेहरू और इन्कुमा को दिया गया जो ख्रुश्चेव से मिलने मास्को गये। वाशिंगटन और मास्को में शान्ति के इन दूता का यथोचित सत्कार हुआ, लेकिन वास्तविक राजनीति पर उनका कोई प्रभाव भी पड़ा, यह एक सदिग्ध बात थी।

पश्चिमी राष्ट्र वेलफ्रेड सम्मेलन से बहुत नाराज थे, क्योंकि इसके द्वारा सोवियत संघ की नीति पर उतना जोरदार प्रहार नहीं किया गया था जितना अमरीकी गुट की नीति पर। सम्मेलन के महत्त्व का सत्कार के हर देश में समझा गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि दुनिया में एक नयी शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही ने एशियाई देशों की जापसी मतभेद और फूट को भी स्पष्ट कर दिया। उसी समय यह भी स्पष्ट हो गया कि एशियाई अफ्रीकी देशों को एक शक्तिशाली गुट में संगठित करने का प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा पड़ा है और उनका जोच जा दरार है उसको भरा जा सकता है। कम्युनिस्ट चीन की नीति ने इन मतभेदों को और भी गहरा कर दिया। यद्यपि चीन को इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ था। (क्योंकि वह तटस्थ राज्य नहीं था।) फिर भी इन्डोनीशिया के जरिये चीन का प्रभाव सम्मेलन के काम करता रहा। चीन की विश्व-व्यापी महत्त्वाकांक्षा ने एशियाई अफ्रीकी संगठन और एकता की आशा पर पानी फेर दिया।

काहिरा सम्मेलन—तटस्थ राज्या का दूसरा सम्मेलन और एशियाई अफ्रीकी राज्या का पाँचवाँ सम्मेलन ५ अक्टूबर, १९६४ को काहिरा में शुरू हुआ और ११ अक्टूबर को यह खत्म हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य तटस्थतावादी क्षेत्र का विस्तृत करना तथा इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को खत्म करना था। इस सम्मेलन में भी पुनः दो विचारधाराओं के जोच संघर्ष उत्पन्न हो गया और सम्मेलन विफल होते होते बचा। सम्मेलन के अन्त में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसमें उपनिवेशवाद के पूर्ण अन्त की बात कही गयी। विज्ञप्ति में हर तरह के उपनिवेशवाद को निन्दा की गयी। यह कहा गया कि स्वायत्त हाना प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है और पराधीन देश अपनी स्वायत्तता की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवादी राज्या के खिलाफ सशस्त्र प्रयास

कर सकते हैं। सम्मेलन ने सत्तार की मुख्य-मुख्य समस्याओं के सम्बन्ध में निम्न लिखित सिफारिशों को —

१ राष्ट्रों के अपने आपसी झगड़े शान्तिपूर्ण ढंग से तय करना चाहिए और उन्हें शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त में पूरी आस्था रखनी चाहिए।

२ पूर्ण निरस्त्रीकरण का होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्मेलन में शामिल होनेवाले देशों ने यह निश्चय किया कि व कभी परमाणविक परीक्षण नहीं करेंगे और अन्य राष्ट्रों को भी ऐसा ही निश्चय करने का अनुरोध किया। सम्मेलन ने यूरोप अफ्रिका के कुछ भागों तथा महासागरों को “परमाणु रहित क्षेत्र” घोषित करने का सिफारिश भी की।

३ यदि दक्षिण रोडेशिया की सरकार एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा करे तो उसको मान्यता नहा मिलनी चाहिए। ब्रिटेन को चाहिए कि दक्षिण रोडेशिया की समस्या के समाधान के लिए एक वैधानिक सम्मेलन बुलाये और रोडेशिया के लिए एक संविधान का निर्माण करे जिसमें वहाँ के मूल निवासियों का न्यायाचित अधिकार मिले।

४ सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि सभी देशरंग भेद की नीति बरतने वाली दक्षिण अफ्रिका के साथ अपने सारे कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लें और उसके विरुद्ध तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये रखें जबतक वह रंगभेद की नीति का परित्याग नहा कर देता। सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण अफ्रिका की सरकार के साथ तबतक कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाय जबतक वह अपनी रंगभेद की नीति को नहीं छोड़ देता।

५ सम्मेलन ने सत्तार के पराधीन देशों को अविलम्ब स्वतन्त्र किये जाने की सिफारिश की। इसने वागो, क्यूबा, साइप्रस, अदन तथा अफ्रिका के पराधीन देशों से साम्राज्यवादियों का निकल जाने का अनुरोध किया और लैटिन अमेरिका के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपनिवेशवादी नीति की निन्दा की।

६ सम्मेलन ने यह माग भी की कि कम्बोडिया तथा वियतनाम में विदेशी हस्तक्षेप का अन्त हो और फिलिस्तीन में अरबों के अधिकारों को मान्यता मिले।

७ अन्त में सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के प्रवेश का समर्थन किया गया।

अल्जीरिया सम्मेलन—

एशियाई अफ्रिकी देशों का छठा सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया में करने का विचार हुआ। जून १९६५ में यह सम्मेलन शुरू

होनेवाला था। सम्मेलन की कार्यवाही को निश्चित करने के लिए एशियाई-अफ्रिकी देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन अल्जीयर्स में शुरू होने ही वाला था कि १६ जून, १९६५ को अल्जीरिया में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वेन वल्ला सरकार का तख्ता पलट दिया। इस क्रांतिकारी परिपद ने अल्जीरिया के शासन का भार अपने ऊपर ले लिया और कर्नल हाउभारी बुमेडीने (Col Houari Boumedinne) नयी सरकार के प्रधान बने। वेन वल्ला को कैद में डाल दिया गया। इस विद्रोह तथा इससे उत्पन्न परिस्थिति के कारण अफ्रिकी-एशियाई देशों के विदेश मन्त्रियों ने यह निश्चय किया कि वह ५ नवम्बर, १९६५ तक के लिए प्रस्तावित सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाय। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि सम्मेलन के मिलने के पूर्व स्थिति पर विचार करने के लिए १८ अक्टूबर को विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन हो। इस निश्चय के अनुसार अल्जीयर्स में विदेश मन्त्रियों का पुनः सम्मेलन शुरू हुआ और अल्जीरिया की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए १ नवम्बर, १९६५ का यह निश्चय किया गया। अफ्रिका एशियाई देशों का सम्मेलन फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

अल्जीयर्स में विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के इस निर्णय ने एशियाई-अफ्रिकी सगठन की भावना को गहरी ठेस पहुँची। इस निश्चय के बाद अब इस बात पर भी सन्देह होने लगा कि एशियाई अफ्रिकी सगठन की भावना नामक काँड़ चीज है भी या नहीं। सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अब एशियाई-अफ्रिकी देशों का कोई सम्मेलन कभी होगा। इसकी सारी जिम्मेवारी चीन पर है। शुरू में जब जून १९५५ में यह सम्मेलन शुरू होने वाला था और अल्जीरिया के विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के कारण इसे स्थगित करना आवश्यक था ता चीन ने इस बात का जी तोड़ प्रयास किया कि सम्मेलन पूर्व निश्चित याजना के अनुसार अवश्य हो। लेकिन जब नवम्बर में सम्मेलन शुरू करने की बात आयी तो उसने इतना बड़ा बड़ा निराश्रय किया और यह धमकी दी कि वह सम्मेलन का यहिस्कार करेगा। इस बात के निश्चय था कि सम्मेलन में चीन की नीति का भण्डाफोड होता और एशियाई-अफ्रिकी देशों के बीच वह बड़ा बदनाम होता। इसके अतिरिक्त चीन के गृह में भी अन्तर्गत स्थिति नहीं थी। भारत के साथ युद्ध में हारकर पाकिस्तान बड़ा बड़ा बड़ा इन्डियानाशुना में आन्तरिक उपद्रव हो रहे थे। चीन को अपने दो अन्तर्गत मित्रों के अन्तर्गत मिलने की काँड़ आशा नहीं थी। अतएव उसने सम्मेलन को स्थगित कर देने का निश्चय किया। सम्मेलन को स्थगित करने की नीति का अन्तर्गत स्थिति का कारण था कि सम्मेलन में एशियाई अफ्रिकी गठन में बूट पैदा हो

इस प्रकार वाहुग की भावना का अन्त हो गया। पुन यह भावना पनप सकती, यह एक सदिग्ध विषय है।

लेकिन इसके लिए एकमात्र चीन को दोषी ठहराना एतिहासिक दृष्टिकोण से गलत होगा। एशिया और अफ्रीकी देशों के संगठन का मुख्य आधार पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध था और जैसे जैसे उपनिवेशवाद का अन्त होता गया है वैसे वैसे संगठन की भावना भी कमजोर होती जा रही है। एशिया और अफ्रीका के विविध देशों के अपने अलग-अलग हित और रवाय है और इन हितों में परस्पर संघर्ष का ह्रा जाना विल्कुल स्वाभाविक है। इस स्थिति में एशियाई-अफ्रीकी संगठन का आंदोलन को काइ ठास आधार नहीं मिल पाया है। इस अभाव के कारण संगठन और एकता की भावना को व्यावहारिक राजनीति में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। इस अतिरिक्त एशियाई-अफ्रीकी देशों के संगठन की भावना कभी सुनिश्चित और सुस्पष्ट नहीं थी। अन्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक अस्थायी और क्षणभंगुर आन्दोलन था जिसका प्रयोग कुछ अंशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध किया गया था।

सि. १६
अध्याय १६
भारत की विदेश-नीति

(Foreign Policy of India)

ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि — १५ अगस्त, १९४७ का ब्रिटिश दामता से मुक्त होने के उपरान्त भारत का प्रवेश स्वतन्त्र राष्ट्र की मण्डली में हुआ। उन्नी दिन भारत को अपनी आन्तरिक तथा विदेश-नीति के निर्धारण का पूरा-पूरा अधिकार मिला। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत की स्वतन्त्रता एक युगान्तकारी घटना थी। यह एशिया में नवीन युग के आगमन का द्योतक थी।

यह मत्व है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत अपनी इच्छानुसार विदेश-नीति का निर्धारण करने लगा, लेकिन यह समझ लेना कि ब्रिटिश काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ने काठ हिस्सा नहीं लिया एक गलत दृष्टिकोण होगा। वस्तुतः स्वतन्त्र भारत की विदेश-नीति का एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयाधार है और अपनी विदेश-नीति से सम्बन्धित वक्तव्यों में पण्डित नेहरू ने कई बार इस तथ्य की जार सकेत भी किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास—प्राचीन काल से ही भारत का सम्यग् विदेश के कई देशों से रहा। लेकिन ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत का स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वह ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो गया। स्वतन्त्र रूप से वह न तो किसी देश के साथ कोई बन्धन कर सकता था और न किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या मण्डल में हिस्सा ले सकता था। ऐसे अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार किया करती थी। भारत का अपना कोई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं था।

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका आदि कुछ स्वशासित डामिनियन भी थीं। उन्नीसवां शताब्दी तक उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी भारत के समान ही थी। विदेशों से व किसान तरह का सम्पर्क

* It should not be supposed that we are starting on a clean slate. It is a policy which flowed from our past, from recent history and from our national movement and its development and from various ideals we have proclaimed.

J. L. Nehru, Lok Sabha Debate, March 1940

नहीं स्थापित कर सकते थे। चूँकि वे स्वशासित उपनिवेश थे, अतएव नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने उनसे मलाह मशविरा करने का निष्पत्त किया तथा इस लिए लन्दन में औपनिवेशिक सम्मेलन (Colonial Conference) करने का निश्चय किया। इस तरह का पहला औपनिवेशिक सम्मेलन १८८७ में हुआ। भारत का इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार नहीं मिला। इसी तरह १८९७, १९०२, १९०५, १९०७ में भी औपनिवेशिक सम्मेलन हुए, लेकिन भारत का विधिवत इसमें कोई स्थान नहीं मिला।

१९१४ में प्रथम विश्व-युद्ध के शुरू होने पर भारत ने युद्ध में ब्रिटेन की बड़ी सहायता की। इसी तरह की सहायता उसे अन्य स्वशासित उपनिवेशों से भी मिली। ये उपनिवेश अब इस बात की मांग करने लगे कि ब्रिटिश विश्व नीति के निर्धारण में हिस्सा बँटाने का अधिकार उन्हें भी मिले। उनका कहना था कि वे युद्ध में मित्रराष्ट्रों की अपार सहायता कर रहे हैं और इसलिए युद्धपराजित विश्व के पुनर्निर्माण के काम में हिस्सा बँटाने के लिए उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। इस मांग पर विचार करने के लिए १९१७ में एक दूसरा औपनिवेशिक सम्मेलन हुआ। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से यह माँग की गयी कि १९१७ के औपनिवेशिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें भी अधिकार मिले। भारत के युद्ध प्रयासों को देखकर जब इस माँग की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी और १९१७ के औपनिवेशिक सम्मेलन में भारत का शामिल हान की बात मान ली गयी। इस तरह भारत पहले पहल एक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल का सदस्य हुआ। औपनिवेशिक सम्मेलन का नाम बदलकर "इम्पीरियल सम्मेलन" (Imperial Conference) रखा दिया गया जो बाद में चलकर "ब्रिटिश सामन्वलय" रहनाया।

ब्रिटिश सामन्वलय की सदस्यता ने भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए रास्ता खोल दिया। १९१७ के इम्पीरियल सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए इम्पीरियल सम्मेलन के सभी राज्यों का प्रमत्त किया जाय। परिसर के शान्ति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन और फ्रांसीसी प्रधान मंत्री क्लेमण्टो ने परस्पर इस बात का विरोध किया क्योंकि स्वशासित सामन्वित तथा भारत की जनता ने यह बात हिस्सा भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो चुकी थी।

आस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों को प्रतिनिधित्व क्या न मिलेगा। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का समर्थन किया और १९१६ के पेरिस शान्ति सम्मेलन में स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश के साथ भारत का भी स्थान मिल गया। यह पहला मौका था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वतन्त्र रूप से भारत पहले-पहल शामिल हुआ। पेरिस का शान्ति सम्मेलन भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण मील-स्तम्भ था।

पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से वर्गाय की संधि तथा अन्य शान्ति संधियों पर हस्ताक्षर किये। चूँकि राष्ट्रमन्त्र का विधान (Covenant of the League of Nations) वर्गाय-संधि तथा अन्य शान्ति संधियों का अभिन्न अंग था, इसलिए इन संधियों के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत अपने आप राष्ट्रमन्त्र का मौलिक सदस्य हो गया। राष्ट्रमन्त्र के सभी सदस्यों में केवल भारत ही ऐसा देश था जो पूर्ण स्वतन्त्र राज्य नहीं था, फिर भी राष्ट्रमन्त्र की सदस्यता ने उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अन्तर्गत एक "अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति" बना दिया। इसके बाद भारत यूरोपीय काल में प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने लगा और स्वतन्त्र रूप से उसने कई सन्धि-समझौता पर हस्ताक्षर भी किये। सीमित अर्थ में विदेशों में भारत का कूटनीतिक प्रतिनिधित्व भी होने लगा। परन्तु हमें यह भी भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया। इसी कारण जब १९४५ में संयुक्त राष्ट्रमन्त्र की स्थापना हुई तो स्वतन्त्र होने के दो वर्ष पूर्व ही भारत ने संयुक्त राष्ट्रमन्त्र में भाग लेकर चाटर पर स्वतन्त्र रूप से हस्ताक्षर किया और उसका एक प्रारम्भिक सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्रमन्त्र की सदस्यता भारत का ब्रिटिश अधीनता से मुक्त होने के पहलू हा मिली थी।

विदेश नीति की परम्परा का विकास

दो विश्व युद्धों के काल में राष्ट्रमन्त्र का सदस्य होने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत हिस्सा लेने लगा। लेकिन इस काल में भारत सरकार की विदेश नीति स्वतन्त्र नहीं थी। गवर्नर जनरल नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के आदेशों के अनुसार करता था। इस कारण इस काल में भारत सरकार की विदेश नीति का स्वरूप मूलतः साम्राज्यवादी था जिसका भारत का जनता पक्ष में पसन्द नहीं करती थी। भारतीय राष्ट्रीयता का प्रकटा मगडन कायेम १९४५ में ही

International Status of India Memorandum presented to the Indian Statutory Commission by the India Office Report of the Indian Statutory Commission (19'0) pp 1632-33

† D H Miller *The Drafting of the Covenant* Vol 1 p 16

‡ J C Cochrane *India and the League of Nations*, pp 21

का हमेशा विरोध किया और विश्व की घटनाओं पर स्वतन्त्र रूप से उसने अपना विचार प्रकट करना शुरू किया। काँग्रेस ने विश्व की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रनादी दृष्टिकोण से करना प्रारम्भ किया और १९१६ के बाद से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया यताने के लिए उसने प्रस्ताव स्वाकार करना शुरू किया। इही प्रतिक्रियाओं और प्रस्तावों ने स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति को परम्परा का निर्माण किया।*

ब्रिटिश काल में यूरोपीय साम्राज्यवाद का महारा देने के लिए भारत एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता था। पास-पड़ोस के किमी देश में यदि राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम्भ होता था तो उसको दवाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार भारत में मेना भेजती थी। काँग्रेस ने पड़ोस के राष्ट्रीय आंदोलनों को दवाने में भारतीय सेना के दुरुपयोग पर विरोध प्रकट किया और कई वर्षों तक लगातार प्रस्ताव पास करके यह घोषित किया कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ किमी तरह की शत्रुता नहीं है और ब्रिटिश सरकार उनके साथ जैसा दुर्व्यवहार करती है उससे साथ भारतीयों को कोई सहानुभूति नहीं है। काँग्रेस ने एशियाई देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक "विदेश-विभाग" की स्थापना की और यह तय किया कि एशियाई देशों का संगठित करने के लिए काँग्रेस प्रयास करे। एशियाई देशों से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित करके भारत पराधीन देशों के कई सम्मेलनों में भाग लेने लगा। इन सम्मेलनों में १९२७ का पराधीन देशों का ब्रुसेल्स सम्मेलन सबसे महत्त्वपूर्ण था जिसमें काँग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। ब्रुसेल्स सम्मेलन में कई पराधीन देशों के प्रतिनिधि भाग लेने जाये थे जिनके साथ पंडित नेहरू ने अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम किया। ब्रुसेल्स से लौटने के उपरांत श्री नेहरू ने काँग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत एशियाई देशों को संगठित करने के लिए एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन करे। इसके बाद यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशियाई देशों का संगठित करने के लिए भारत निरन्तर प्रयास करता रहा।†

१९१६ और १९१६ के वर्षों के बीच ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं घटी जिसकी अपेक्षा काँग्रेस ने की हो। उसने सभी घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त किये। उसने राष्ट्रधर्म की सफलता की कामना की, निरस्त्रोकरण का समर्थन किया

* B Prasad *Origins of India's Foreign Policy* pp 36-16

† N V Rajkumar *The Background of Indian Foreign Policy*

pp 9-15

‡ D N Verma *India and Asian Solidarity 1900-1939* in
The Journal of the Bihar Research Society Vol XLIX Part I IV
pp 316-328

और आक्रामक युद्ध का विरोध किया। १९३१ में चीन पर जापानी आक्रमण, १९३५ में इटली द्वारा अथोपीनिया की स्वतन्त्रता का हनन, हिटलर की सभी आक्रामक कारवाइया तथा स्पेन के गृह-युद्ध में फासिस्ट शक्तियों के कारनामों का काँग्रेस ने विरोध किया। उसने पञ्चास एशियाई देशों के साथ, विश्वपंक्ति चीन के साथ, अपनी मित्रता मजबूत करने का प्रयास और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा प्रजातीय विभेदवाद का विरोध एक न्याय के आधार पर विश्व शान्ति की स्थापना का समर्थन किया। काँग्रेस ने इस प्रकार की नीति के निर्धारण में पंडित नेहरू ने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया। प्रसिद्ध काँग्रेस के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की घटनाओं में दिलचस्पी पैदा करना और उसके लिए एक विदेश नीति निर्धारण करने की परम्परा के निर्माणरूप में पंडित नेहरू ही थे। और, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस परम्परा का निर्माण करने उन्होंने स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति का गिलान्यास किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में अपनी विदेश नीति में इन सार तत्वों का समावेश कराने का यत्न किया।

स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति का निर्माण और उसके तत्त्व

१ — गुटवन्दिता—राज के युग में विदेश नीति का निर्धारण किसी भी देश के प्रशासन के लिए बड़ा ही कठिन समस्या है। नैतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश के लिए तो यह कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। भारत इस सिद्धांत का अपवाद नहीं हो सकता था।

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। उस दिन से भारत स्वतन्त्रता-पूषक अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने लगा। लेकिन यह एक अत्यन्त ही कठिन कार्य था। स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक कठिनाइयाँ थीं। सबसे बिकट समस्या युद्धपरान्त विश्व का दो विरोधी गटों में विभाजित होना था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि मनुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में मनसुटाव पैदा हो गया। यह मनसुटाव अत्यन्त "शीत युद्ध" के रूप में परिवर्तित हो गया। सत्तारूढ़ गटों में बँट गया। एक का नेता सोवियत संघ और दूसरे का मनुक्त राज्य अमेरिका हुआ। इन गटवन्दिता में स्वतन्त्र भारत का क्या स्थान हो, भारत के विदेश मंत्री के सामने यह एक प्रमुख प्रश्न था।

२ — भौगोलिक तत्त्व — भारत की भौगोलिक स्थिति इस समस्या का और भी जटिल बना रही थी। उत्तर में भारत साम्यवादी गट के दो प्रमुख देशों (रूस और चीन) के बिल्कुल समीप है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता के तुरंत बाद भारत

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पश्चिमी गूट को मजबूत पर आश्रित था। भारत दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में समुद्रों से घिरा हुआ है। इतने लम्बे समुद्र-तट की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी नौ सेना आवश्यक है और इस दृष्टि से हम पूर्णरूप से ब्रिटेन पर आश्रित थे। भारतीय सेना का संगठन भी पश्चात्काल के युद्धों पर हुआ था। फिर भारत के दोनों छोरों पर पाकिस्तान स्थित है। काफी मनमुटाव और झगड़े के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी और इसलिए भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध सन्तुष्टिजनक नहीं था। अतएव भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में इन भौगोलिक स्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक था।

५ — विचारधाराओं का प्रभाव — भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में एक तीसरी बात का भी समावेश करना था। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तरह तरह के आदर्शों के सामने प्रस्तुत किये थे। कांग्रेस ने हमेशा विश्व शान्ति और शान्तिपूर्ण सहजीवन का समर्थन तथा साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का घोर विरोध किया था। १९४७ में भारत का शासन सूत्र इसी पार्टी को मिला। सत्ताबदल होने के बाद कांग्रेस-सरकार को अपनी विदेश नीति के निर्धारण में उन सभी आदर्शों पर ध्यान देना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कुछ अपने मिद्धान्त थे। इस सत्ता पर महात्मा गाँधी का प्रभाव था जो जर्मनी और विश्व युद्धों की भावना में विश्वास करते थे। कांग्रेस का इन मिद्धान्तों पर भी ख्याल रखना था।*

J C Kundra *Indian Foreign Policy* pp 4349 and K P. Karunakaran *India in World Affairs* p 26 किंतु, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। बहुत ही आसानी से यह एक गलत धारणा हो सकती है कि भारत का आन्तरिक और परराष्ट्र नीतियाँ गाँधीवाद सिद्धान्तों पर आधारित हैं। स्वयं पं० नेहरू इस बात का अस्वीकार करते थे। २२ जून १९६० को रंगून में बोलते हुए उन्होंने कहा था— 'I wish I were a disciple of Gandhi but I am not Statesman who have to work through human agencies which have not a perfect perception of truth and non violence must always compromise — २२ जून, १९६० के "दा न्यूज क्रॉनिकल" में ४ दिसम्बर, १९४७ को भारतीय संविधान-परिषद् में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा था—

'Whatever policy you may laid down the art of conducting the foreign affairs of a country lies in finding out what is most advantageous to the country. We may talk about international goodwill and mean what we say but in the ultimate analysis a government functions for the good of the country it governs and no government dare to do anything which in short or long is manifestly to the disadvantage of that country. Therefore whether a country is imperialist or socialist or communist its foreign minister thinks primarily of the interest of that country.

तत्कालीन परिस्थिति — तत्कालिक आन्तरिक परिस्थिति विदेश नीति के निर्धारण में एक दूसरी समस्या थी। देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगे के कारण देश की हालत बहुत ही शोचनीय हो गयी थी। इससे भी अधिक शोचनीय आर्थिक स्थिति थी। देश के बँटवारे से भारत अब एक ऐसा देश नहीं रह गया जो आर्थिक दृष्टि से एक इकाई कहलाये। साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप लाखों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से भाग कर भारत चले आये। भारत सरकार के सामने उन्हें बसाने और रोजां रीटो देने का प्रश्न था। इसके तुरंत बाद भारत सरकार को कश्मीर-युद्ध में फँस जाना पड़ा। इन सब कारणों से देश का आर्थिक जीवन बिल्कुल तहस-नहस हो गया। देश के मजदूर असन्तुष्ट थे। हड़ताल मान्दली बात हो गयी थी। इनके अलावे भारत में विदेशी उपनिवेशों की समस्या थी। अर्धेज तो भारत छोड़कर चले गये, लेकिन भारत के अन्दर अभी भी फ्रांसिसियाँ और पुतगालियों के झोटे-झोटे उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों का कायम रहना स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्रता के लिए बड़े खतरे की बात थी।

5 — आर्थिक तत्त्व — इस शोचनीय परिस्थिति के पृष्ठाधार में भारत के विदेश मन्त्री को अपनी नीति का निर्धारण करना था। आर्थिक विकास के लिए भारत में राष्ट्रीय साधन और जन शक्ति का कोई अभाव नहीं था। ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में थीं। असल प्रश्न था इन साधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना और इनका उपयोग विदेशी सहायता से ही सम्भव था। भारत विदेशी सहायता का इच्छुक था। दुनिया के सभी उन्नत राष्ट्रों से यथासम्भव मदद प्राप्त करके भारत अपनी उन्नति चाहता था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बतौव रखना आवश्यक था।

पिछड़े हुए देशों की उन्नति के लिए शान्ति कायम रहना अति आवश्यक शर्त है। भारत की उन्नति तभी सम्भव थी जब समार में चिरशान्ति बनी रहती। अतएव विश्व-शान्ति भारत के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो गया। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण के प्रारम्भिक इतिहास में हमें दो-चार बातों पर ध्यान देना होगा।

विदेश नीति की विशेषताएँ — सितम्बर, १६ १६ में अन्तरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। २६ सितम्बर को एक प्रेस सम्मेलन में बोलते हुए प० नेहरू ने इसकी एक रूपरेखा निरूपित की। सरकारी तौर पर भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित यह पहली महत्त्वपूर्ण घोषणा थी। प० नेहरू ने कहा स्वतन्त्र भारत अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतन्त्र नीति का अवलम्बन करेगा और किसी भी युद्ध में शान्ति नहीं हागा। भारत समार के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करेगा और

विश्व शान्ति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। प० नेहरू ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थान प्राप्त कर लेने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करे। इसके बाद भारत ने सभार के समस्त देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने तथा एशियाई देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास किया। १९४७ के प्रारम्भ में, जब भारत पूर्णतया स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था, एशियाई देशों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ। यह इसी नीति का परिणाम था। पंडित नेहरू के उक्त बक्तव्य के आधार पर ही स्वतन्त्र भारत को विश्व नीति विकसित हुई। अतएव अब हम भारतीय विदेश नीति को मुख्य-मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे।

अभी तक की भारतीय विदेश नीति के इतिहास के अध्ययन के आधार पर हम उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाते हैं (१) वर्तमान गटबन्धियों को विश्व राजनीति में असलग्नता (Non-alignment) की नीति का अवलम्बन करना, (२) शान्तिपूर्ण महज्जीवन व विद्वान्त में विश्वास करते हुए विश्व-शान्ति कायम रखने में यथासम्भव सहयोग देना, (३) साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद (Racial discrimination) का विरोध करते हुए पददलित राष्ट्रों की सहायता करना, (४) पारस्परिक आर्थिक तथा जन हितों के रक्षार्थ एशियाई-अफ्रीकी देशों का संगठित करना, तथा (५) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसके सम्बद्ध उसकी अन्तःसंस्थाओं का समर्थन तथा सहयोग करना। अगले पृष्ठों में हम भारतीय विदेश नीति को इन्हीं विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।

असलग्नता (Non alignment) की नीति

युद्धोत्तर विश्व-राजनीति — युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य सभार का दो विरोधी गुटों में बँट जाना था। एक गुट का नेता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था कि सभार इन विरोधी खेमों में विभाजित हो गया और युद्ध खत्म होते-होते दोनों में अनेक कारणों को लेकर भीषण शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसी शीत-युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बुरा तरह प्रभावित किया। यूरोप और एशिया के अधिकांश देश इस गुटबन्दी में फँस गये और वे खुले तौर पर एक दूसरे का समर्थन करने लगे। शीत युद्ध का क्षत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ-साथ एक तीसरा महासमर की तैयारी होने लगी। एक से एक भयानक शस्त्रस्त्र बनने लगे। सैनिक संगठनों का निमाण हुआ। कुछ ही दिनों में ऐसा प्रतीत होने लगा कि दोनों गुटों के बीच अन्तिम फैसला के लिए युद्ध का ही जाना अनिवार्य है।

“भारत तटस्थ रहेगा” —जिम समय मसार इस भयकर परिस्थिति से गुजर रहा था, उसी समय स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म हुआ। स्वतन्त्र भारत के लिए यह एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। क्या समार क अन्य देशों की तरह वह किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाय ? भारत के समक्ष दो मार्ग थे—या तो किसी एक गुट के साथ मिलकर समार के सर्घर्ष-क्षेत्र को और अधिक व्यापक करने में अपना योग्य अथवा गुटवन्दियों से पृथक रहकर दो विरोधी गुटों में मेल-मिलाप कराने का यत्न करे। बहुत विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि भारत के राष्ट्रीय हित में द्वितीय मार्ग का अवलम्बन ही हितकर है। अतएव शुरु में ही भारत के नीति-निर्धारक कहने लगे कि वे समार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर व तटस्थता की नीति का अवलम्बन करेंगे और उनकी वास्तविकता पर ध्यान रखते हुए स्वतन्त्र रूप से सभी प्रश्नों पर अपना निर्णय करेंगे।

भारत ने यह निर्णय तो कर लिया, लेकिन इस नीति के अवलम्बन में अनेक कठिनाइयाँ थी। जैसे-जैसे दाना गुटों का मतभेद गहरा होता गया वैसे-वैसे उनके द्वारा यह प्रयास होने लगा कि किसी भी तरह समार के उन देशों को, जो अपने को तटस्थ कहते हैं, अपने गुट में शामिल कर लिया जाय और इस उद्देश्य को प्राप्ति के हृद्य सभी तरह के उपायों का अवलम्बन किया जाने लगा। उनके द्वारा (विशेषकर अमरीकी गुट द्वारा) कूटनीतिक घमकियाँ देना, जाधिक सहायता देने से इन्कार करना और अन्य तरीका से दबाव डालने का काम शुरु हुआ। जब अमेरिका द्वारा इस प्रकार का दबाव असह्य हो गया तो ४ दिसम्बर १९४७ में भारतीय सन्निधान परिषद में बोलते हुए प० नेहरू ने कहा “हमलोगों ने दोनों में किसी भी गुट में शामिल न होकर विदेशी गुटवन्दियों से अलग रहने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में काइ भी गुट हमलोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता।”* लेकिन पंडित नेहरू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चाइ इसका परिणाम जो भी हो वे अपनी तटस्थ और स्वतन्त्र नीति का परित्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का कल्याण इसी नीति का अवलम्बन करने में है। वस्तुतः इस नीति के अवलम्बन का निर्णय कोई क्षणिक आवश का परिणाम न था, वरन् एक गम्भीर चिन्तन का फल था और इसके मूल में तीन प्रमुख बातें थीं—

प्रथमतः, वर्षों के साम्राज्यवादी शोषण के बाद भारत अमी-अमी आजाद हुआ था और समके समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुनर्निमाण का था। यह महान् कार्य शान्ति के वातावरण में ही सम्भव था, लेकिन गुटवन्दियों

के अस्तित्व मात्र से इस प्रकार के वातावरण का सृजन नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में भारत किस प्रकार किसी गुट में सम्मिलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की वृद्धि में अपना सहयोग देता। उसका राष्ट्रीय हित इसी में था कि वह अन्तर-राष्ट्रीय तनाव को कम करने में योगदान दे। अतएव भारत के लिए तटस्थता की नीति का अवलम्बन अनिवार्य प्रतीत हो रहा था। द्वितीयतः, गौरवपूर्ण भारतीय राष्ट्रीयता और प्रत्येक क्षेत्र में स्वतन्त्र रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा तटस्थ और स्वतन्त्र विदेश नीति के अवलम्बन में दूसरा प्रेरक तत्त्व था। वहाँ के प्रयास और सहस्रों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद भारत स्वतन्त्र हुआ। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए स्वतन्त्रता से बढ़कर बहुमूल्य दूसरी चीज नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मूल्यवान् स्वतन्त्रता को खो बैठना था। भारत यह अनुभव करता था कि विश्व-राजनीति में निकटतम स्वतन्त्र रूप से भाग लेने का उसे पूर्ण अधिकार है। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपना कोई निणय इसलिए नहीं ले सकता कि यह गुट अथवा वह गुट ऐसा चाहता है, बल्कि उसके निर्णय का आधार वही होगा जिसका वह ठीक समझता है और जो उसके राष्ट्रीय हित में है। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसकी यह स्वतन्त्रता खत्म हो जाती। भारतीय संसद में जब किमी सदस्य ने यह सुझाव पेश किया कि भारत को अपनी असलमनता की नीति का परित्याग कर देना चाहिए ता प० नेहरू ने जवाब देते हुए कहा "किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ क्या है? इसका कवल एक ही अर्थ है—किमी एक पाग प्रश्न पर आप अपने विचार का परित्याग कर दें और दूसरे को चुश करने तथा उसकी सदिच्छा प्राप्त करने के लिए उसके विचारा का मान लें।" भारत के लिए ऐसी स्थिति असह्य थी। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहता था और किसी गुट में शामिल होकर इस स्वतन्त्रता को कायम नहीं रखा जा सकता था।

तृतीयतः, किसी गुट में शामिल नहीं होने का एक और कारण भी था। यदि भारत स्वतन्त्र विदेश नीति का अवलम्बन करते हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निष्पक्ष रूप से अपना निणय लेगा तो दाना गुट उसके विचारा का जादर फेंके और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में तभी हागो तथा भारत को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा देगा। यदि विश्व राजनीति में तभी गतिराध उत्पन्न हो जाय तो उसका दूर करने के लिए कुछ ऐसे राष्ट्रों की आवश्यकता हागो जो काइराला विचार सके। गुटों में शामिल राष्ट्र इस तरह के काम में सफल नहीं हो सकते बल्कि उनकी तरफ से कोई मान्य प्रस्ताव भी आयाता विरोधा गुट उगगा उर निगाहा सखेगा और अन्ततः उनका नाश कर देगा। अन्तर्राष्ट्रीय गतिराध

को मिटाने तथा इस तरह विश्व शान्ति का माग प्रशस्त करने का उद्देश्य से भी भारत ने असलमता की नीति को अपनाया है। ज़ाद की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इस अनुमान का ज़हुत हद तक ठीक साबित किया है। युद्धात्तर काल में भारत का प्रयास ने कई अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध सुलझाये गये हैं।*

इस सम्बन्ध में एक जोर बात है। इसी नीति का निधारण में परिस्थिति ने भी सहयोग दिया है। १९४७ में एशिया की स्थिति यूरोप से बहुत भिन्न थी। यूरोप में राष्ट्रों के बीच कटुता और मनमुटाव की एक लम्बी परम्परा है जिससे यूरोप के प्रमुख राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थ नीति का अनुमरण नहीं कर सकते थे। लेकिन एशिया के देशों के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जब भारत का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय दुनिया के किसी भी देश के साथ उसको शत्रुता नहीं थी और न दुनिया के किसी भाग में उसका अन्यायपूर्ण स्वार्थ हाँ था। इस पृष्ठाधार में वह ससार के प्रत्येक देश का मित्र बन सकता था और विश्व-शान्ति की मजिल तक पहुँचने में उसके साथ सहायग कर सकता था।†

असलमता का अर्थ—गुटवन्दिया से अलग रहने की भारतीय नीति एक अत्यन्त विवादास्पद विषय बन गया है। इसका एक कारण यह है कि कभी कभी स्वयं इसका निधारक भी इसको व्याख्या स्पष्ट शब्दों में नहीं कर पाते हैं। इस नीति को विविध नाम से पुकारा जाता है, जैसे—तटस्थ विदेश नीति, स्वतन्त्र विदेश नीति, गुटवन्दियों से अलग रहने की नीति, शान्ति की नीति, असलमता की नीति ज़ादि। इस प्रकार के विविध नामकरणों से इसके सम्बन्ध में गलतफहमियाँ और भी उठ जाती हैं।‡ लेकिन वास्तव में इस नीति में गलतफहमियाँ की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत की परराष्ट्र नीति का तटस्थ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तटस्थता एक निपेधात्मक विचार है। वह किसी पक्ष में शामिल नहीं हाँती तथा वह

* भारत में अमरीका राजदूत चस्टर बाउल्स ने एक बार कारण दिया है। अपना पुस्तक में उसने लिखा है—“If Nehru becomes a formal ally of the West in cold war he would be going against the whole grain of Asian anti-colonial sentiment. He would be under constant and effective attack as a stooge of western imperialism. By his independence of either bloc he is able to draw on all the pride of Indian nationalism and to charge convincingly that it is the Asian communists who are the foreign stooge”

—Chester Bowles, *Ambassador's Report*, pp 143-145

† Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p 10

‡ Michael Brocher *Nehru A Political Biography*, p 536

यूण रूप से पाथक्यवादी होती है। असलग्नता का अर्थ जैसा कि श्री नेहरू ने कहा था यह कदापि नहीं है कि वह मसाल की राजनीति से अपने-आप का पृथक् रखे और न इसका अर्थ कोई शांतिवाद से है क्योंकि प्रत्येक देश का युद्ध की सम्भावना का का ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। भारत की नीति सकारात्मक एवं गतिशील (Positive and dynamic) है। वह दाना गुटा से अलग रहना चाहता है। वह दोनों की मित्रता चाहता है और दाना स महायता प्राप्त करके अपनी उन्नति करना चाहता है। वह इन दाना पक्षों में किना व साथ सैनिक सन्धिवा और समझौते करके महाशक्तिया की राजनीति में अपने का उल्लाना नहीं चाहता। परन्तु आवश्यकता पडने पर भारत की नीति चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाली भी नहीं है। भारत किसी भी पक्ष का समर्थन करने को तैयार है यदि वह शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत उन शक्तियों से अपने को दूर रखता है जिनकी नीति से शांति और सुरक्षा का खतरे में पडने की सम्भावना है। सयुक्त राज्य अमेरिका की मिनेट में बोलते हुए प० नेहरू ने इसको स्पष्ट कर दिया था जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो न्याय को घमकी दी जाती हो, अथवा जहाँ आक्रमण होना है वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे।"

असलग्नता की नीति का प्रयोग

अब हम यह देखना है कि विश्व राजनीति में भारत ने अपनी असलग्नता की नीति का कैसे प्रयोग किया है। इस नीति का इतिहास का मुख्यत तीन भागों में बाटा जा सकता है—१९४७ से कारिया क युद्ध (१६५०) तक, कारिया युद्ध से द्वितीय भारतीय साधारण निर्वाचन १९५७ तक तथा १९५७ के बाद से आज तक।

* I do not like the word *neutrality* which is commonly used in war times. In peacetime it indicates a sort of war mentality. Indian neutrality meant simply that they had a positive and independent policy and judged questions on their merits.

—Lok Sabha Debates (29 March 1966) Col's 7-330

† असलग्नता की नीति का विवरण करत हुए श्री अन्वाराज ने किया है—

To keep the peace by peaceful means negotiations, mediation, conciliation and arbitration listen to the view point of both parties to a dispute expressed by their duly constituted representatives hesitate to condemn either part as aggressor until facts provided by international enquiry indisputably testify to a conclusion. We believe the bonafides of both until proof to the contrary, and are fully the possibilities of negotiations and at last 'local' war— is the Indian View —Quoted in Peter Lyon *Neutrality*, p. 123-24

‡ Peter Lyon *Neutrality*, p. 122.

विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी। इस तरह का अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी भारत पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सम्बद्ध रहा।

१९५० से १९५७ का काल—इस काल में सोवियत संघ की प्रति भारतीय रुख में कुछ परिवर्तन हुआ। इसके कई कारण थे। १९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत व्यवस्था में कुछ उदार तत्वों का समावेश हुआ। इसके पूर्व सामरिक दृष्टिकोण से भी सोवियत संघ कुछ शक्तिशाली हुआ। इस समय तक जपान का जाविष्कार सोवियत संघ में हो चुका था। स्टालिन के मरणोपरान्त सोवियत नीति में परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण यूगोस्लाविया के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन था। इस प्रकार जहाँ एक ओर अनेक कारणों से प्रेरित होकर सोवियत संघ और भारत का सम्बन्ध बन रहा था, वहाँ दूसरी ओर अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्ध में कुछ कटुता आने लगी थी। इसका एक कारण था १९५४ में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की सैनिक संधि। भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र देने का निर्णय किया। भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसी तरह की प्रतिक्रिया गोआ की समस्या के प्रति अमेरिकी रुख को लेकर हुई। विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस ने सावजनिक तौर पर गोआ में पुतगाल का समर्थन किया। एक तरह तो अमेरिका का ऐसा रुख होता आया और दूसरी ओर सोवियत संघ की तरफ से भारत को हमेशा समर्थन मिलता रहा। दो देशों के बीच इस जल्ती हुई मित्रता का प० नेहरू और श्री खुश्चेव के भ्रमणों ने और भी मजबूत कर दिया। १९५५ में प० नेहरू ने रूस की यात्रा की और उसी वर्ष के शरद में श्री खुश्चेव भारत आये।

सोवियत संघ से राजनीतिक सम्बन्ध बढ़ने के साथ साथ व्यापारिक सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई और भारत को उस देश से आर्थिक सहायता मिलने लगी। सोवियत सहयोग से भिलाई में एक स्पाट का कारखाना खोलने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ।

यह काल दो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है—स्वयं पर अटल और फ्रांस का आक्रमण तथा हंगरी में सोवियत-संघ का हस्तक्षेप। स्वयं पर पश्चिमी राज्यों के आक्रमण से भारत को जबरदस्त सदमा पहुंचा और मिस्र से आक्रमणकारियों का हटाने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ सहयोग

The Indian Cabinet decision on the matter was made after the receipt of a report from Mr Kondap, the Indian delegate to the United Nations Commission on Korea. The conduct of the Indian members in the U N Commission on Korea should be a matter of public scrutiny as there is ample evidence to indicate that they were guided more by personal prejudices than facts in sending advice about the origin of the Korean war on June 20, 1950.

किया। शुरू में हारो की समस्या पर भारत की नीति सोवियत सघ का समर्थन करती रही।

जुलै १९५७ में

१९५७ से आज तक—लेकिन १९५७ में द्वितीय माधारण निर्वाचन के बाद से भारतीय नीति पुनः सोवियत सघ से दूर हटकर पश्चिमी गुट की ओर अधिक झुक गयी। इसके भी कारण थे। सब प्रथम, चुनाव ने यह प्रकट कर दिया कि भारत में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत के एक राज्य केरल में इस पार्टी की सरकार भी बन गयी। पर इससे भी ज़रूरदस्त कारण था १९५७ का आर्थिक संकट। दश में खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा की कमी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भावी असफलता ने भारत का राध्य कर दिया कि वह पश्चिमी गुट के साथ अपना मेल-जोल बढ़ावे। स्वयं कांग्रेस पार्टी के अन्दर दक्षिण पश्चिमी का प्रभाव बढ़ गया और नेहरू के मन्त्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग आ गये जो अमेरिकी गुट के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूति रखने के समर्थक थे। इन सब कारणों से (विशेषकर आर्थिक महायत्ना के लिए) राध्य होकर ५० नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिका गये। इनके बाद ही भारतीय नीति में परिवर्तन होने लगा। इस परिवर्तन का प्रथम सूत्र हंगरी की समस्या में भारतीय रुख का बदलना था। शुरू में भारत ने इस मामले में सोवियत सघ का समर्थन किया था, लेकिन बाद में भारत सोवियत सघ का विरोध करने लगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों के साथ मेल बढ़ाने के जोर परिणाम हुए—कि भारत उनका साम्राज्यवादी गुनाहा का माफ़ करता चले। इसलिए पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया में अब भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध बहुत अन्दर जमान में करने लगा। वियतनाम संकट के अन्तर्ध में भारत का अल्पदुर्लभ नीति इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है।*

1 Nehru projected the policy of non-alignment not merely because he believed that international peace could best be preserved by keeping India out of any military entanglement with either bloc because he was drawn both to the political principles of Western democracy and to the economic principles of Soviet socialism but also because he wanted a free hand in furthering the escape of captive peoples from the custody of any great power. Gradually however as India became more absorbed by her own vast economic problems and with mounting anxiety sought substantial aid from the West the Nehru Government grew less concerned about colonial liberation and not without a measure of self importance concentrated its efforts upon securing international peace by attempting to mediate in the quarrels of the great powers.—Ronald Scoble, *Crisis of India* p. 267

2 "Since 1957 India has tended to be content with a rather quiet role internationally than hitherto by contrast with either the U.S. or the U.S.S.R. to be more moderate, less stridently radical and less insistently overt on anti-colonial issues.—Peter Lyons, *India's Foreign Policy*, p. 127

चीन का हमला और असलमनता की नीति की अग्निपरीक्षा—भारतीय असलमनता की नीति में सबसे महान् सक्क का काल नवम्बर १९६२ में जाय जब चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत पर हमला कर दिया। भारत-चीन सम्बन्ध और विशपकर चीन के इस आक्रमण का अध्ययन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे। यहाँ पर हम उससे सम्बन्धित असलमनता की नीति का ही वर्णन करेंगे।

जब चीन का बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू हुआ तो दशक के बहुत क्षेत्रों से इस बात की मांग होने लगी कि असलमनता की नीति पूर्णतया असफल है, चुकी है और दशक के हित में इसका जल्द स-जल्द परिचायन होना चाहिए। इस तरह की भाग स्वतन्त्र पार्टी, जनसघ और इससे सम्बन्धित प्रतिाक्रयावादी क्षेत्रों में ही नहीं हुई, वरन् कुछ जिम्मेवार एव निष्पक्ष नागरिकों ने भी की। परन्तु २० अक्टूबर, १९६२ का रडिया से राष्ट्र के नाम सन्देश देते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी असलमनता की नीति का अनुकरण करता रहा। इसके बाद चीन का आक्रमण जारी रहा तथा नेका में भारतीय सेना की पराजय हुई। युद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी और भारत की सुरक्षा अत्यधिक खतरे में पड़ गयी। इस हालत में भारत सरकार के पश्चिमी राष्ट्रों से सैनिक सहायता के लिए अपील की। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत की सहायता देने का निर्णय किया और इन देशों से बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र भारत पहुँचाये गये। इस अवसर पर असलमनता की नीति के विराधियों का एक मौका और मिला। कहा जाने लगा कि ससार आज दो विराधो गुटा में विभक्त है और भारत इन्ही गटवन्टिया में असलमनता की नीति का असलमन कर रहा था। अन्त स्थिति यह है कि भारत दो गुटों—साम्यवाद गुट के प्रमुख सदस्य चीन के साथ युद्ध की स्थिति में है और उसका सुकायला करने के लिए उसने उसके विराधी अमरीकी गुट से सैनिक सहायता ली है। इस हालत में असलमनता की नीति रही कहाँ? भारत की अब अपनी स्थिति का पुानिधारण स्पष्ट शब्दा में कर लेना चाहिए। चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति में न तो वह असलमनता की नीति का असलमन कर सकता है और न अमरीकी सहायता स्वीकार करने के बाद इसका दावा ही कर सकता है।* इस तरह असलमनता की नीति पर कठोर आक्रमण होना लगे। स्वयं पंडित नेहरू को चीनी आक्रमण से गहरा धक्का पहुँचा। २५ अक्टूबर, १९६२ को बोलते हुए उन्होंने कहा कि "चीन के आक्रमण में हमारी जाँच एकाएक खुल गयी है, अभी तक भारत वास्तविक तथ्य की ओर नहीं देख रहा था और हमलाग अपने ही द्वारा निमित्त एक कृत्रिम वातावरण में रह रहे थे।" इस वक्तव्य

* २१ नवम्बर १९६० को दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में आचार्य उपलाना का एक लेख 'Whether Neutrality' शपक के अन्तर्गत टपा था जिसमें यहाँ सबाल उठाया गया था।

के बाद यह मन्त्रेह किया जाने लगा कि प्रधान मंत्री ने असलमता की नीति की असफलता की जार सन्नत किया है और शायद भारत नयी परिस्थिति मे इस नाति का परित्याग कर दे। घाना, संयुक्त अरब गणराज्य, लडा आदि तटस्थ राज्या से यहाँ उम्मीद की जा रहा थो कि व इस विवाद मे अपने साथी असलमन देश भारत का पक्ष लगे। लेकिन दन दश न ऐसा नहा किया और व मध्यस्थ के रूप में काम करने लगे। इसमे भारतीय जनता और सरकार का बडा सदमा पहुँचा। ऐसा प्रतात हुआ कि असलमता की नीति बिल्कुल प्यापली है और इससे देश का हित मधन वाला नहा है। लेकिन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू का अपने दर्शन और अपनी इस नीति मे अट्ट विश्वास था। व अपने इस विदयास से कभी नही डिगे और बरानर कहते रह कि असलमता की नीति ही दश क लिए सर्वोत्तम ह। प्रधान मन्त्री न इस नीति का छाडने मे माफ-साफ इन्कार कर दिया। यद्यपि उनका कहना था कि भारत क हक मे यह नीति सर्वोत्तम है और व उसका अनुकरण करते रहेंगे, ता भी यह बात ता माननी ही पडेगी कि १९६२ स लगातार असलमता की नीति को अग्नि-परीक्षा हा रहा ह। समय ही बतलायगा कि यह नीति कहाँ तक सफल रही और कतक कायम रही। लेकिन असलमता क विरोधिया का एक दा शब्द कह दना अनुचित नहा हागा। पहली बात ता यह ह कि इस नीति का परित्याग करके निस गुट मे व भारत का शामिल करना चाहते थे उसके विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वय ही कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में असलमता की नीति भारत क लिए सर्वोत्तम ह। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मैकमिलन ने भी इस बात की पुष्टि की थो। दूसरी बात यह ह कि असलमता का नीति का छाडकर अमरीकी गुट म शामिल हा जाने क फलस्वरूप भारत-चीन सीमा सघष शीतयुद्ध का एक अग न जायगा। उस हालत मे भारत और चीन का विवाद एक सौ बष म हल नहा हागा। अमरीका गुट मे शामिल हा जाने स ही यदि भारत अपने खाये हुए प्रान्तों का प्राप्त कर ले ता इन पक्तियों का लेखक भी इस नीति का समथन करने क लिए तैयार है। लेकिन इतिहास बतलाता है कि अमेरिका के समर्थन क बानबूद राजतक न ता कारिया और जननी का एकीकरण हा सका है, न पाकिस्तान का कश्मीर मिल सका है और न जनवादी चीन का अन्त हो हा सका। इस प्रताधार म भारत चीन सीमा सघर्ष का शीत-युद्ध का अग नना लेन में भारत का क्या लाभ हागा यह समझने की बात है। इसीलिए प० नेहरू ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी रक्षा क लिए सभी मित्र राज्या स सहायता लेगा, लेकिन असलमता का नीति का परित्याग नहीं करगा।

असलमता की नीति को बनाये रखने क पक्ष म एक जान और है। १९६३ क मध्य में पर स्पष्ट हा गया कि ममार क दाना गुटा क अन्दर धार मतभेद है और गुटबन्दिवा म बरान पडन लगे है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चान्स देगाल को नाति

क कारण अल्लान्तिक गुट में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सावजनिक तौर पर अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि वह अल्लान्तिक गुट पर अपना एतन्मात्र प्रभुत्व कायम रखा चाहता है जिसे नाटो राष्ट्रों की स्वतन्त्रता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जब फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय राज्या क साथ अमेरिका का यह व्यवहार है ना भारत क साथ उसका कैसा व्यवहार होगा यह सोचने का बात है। तो, दंगल क कारण अल्लान्तिक गुट में मतभेद हा गया है। यही बात साम्यवादी गुट क साथ भी है। जान साम्यवादी गुट में भी पार मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी हालत में गुटबन्धियों का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है। आश्चर्य की कि कुछ दिनों में यह मतभेद इतना उग्र रूप धारण कर ले कि उनका अन्त ही हो जाय। जब गटों का ही भविष्य अन्धकारमय है ता अमलग्नता की नीति को त्याग कर किसी गुट में शामिल होने का क्या औचित्य हा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध क इतिहास में और विशेषकर भारत की विदेश नीति क क्षेत्र में १९६० की सबसे गम्भीर और महत्त्वपूर्ण घटना मास्का द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खला समर्थन किया जाना था। यह समर्थन चाहे जिन कारणों से मिला हो, किन्तु भारत का अमलग्नता की नीति की यह एक शानदार सफलता मानी जायगी। भारत पर चीन क आक्रमण के बाद देश और विदेश में भारत की अमलग्नता की नीति की जा बहुत प्रशंसा हो रही थी, उसका यह एक बड़ा उत्तर था।

भारत-पाक युद्ध और अमलग्नता की नीति — नवम्बर, १९६५ में हुए भारत और पाकिस्तान क युद्ध ने अमलग्नता की नीति की शक्ति का एक बार और सिद्ध कर दिया। पाकिस्तान "सिजाटा" और "मेटा" का मैजिक गटों का सदस्य था और उसने यह कहा कि भारत ने उस पर आक्रमण किया है। पश्चिमी गुट क प्रमुख प्रवक्ता के रूप में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने इस घटना का भारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण माना। उस हालत में पाकिस्तान उम्माद कर सकता था, कि गुटबन्धियों के साथी राज्य उसको सहायता कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कहा से कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली। दुर्भाग्यवश और इरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अन्य राज्या क विरोध (जिनमें पश्चिमी राज्य भी शामिल थे) क कारण पाकिस्तान को बड़ा बड़ा मदद नही दे सके। इस युद्ध में पाकिस्तान क दृष्टिकोण ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गटों में शामिल होने की नीति गलत है। रात यहाँ तक सामंजस्य नहीं रही। पाकिस्तान क बहुत ज़रूरी समर्थक सयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर जाधिक प्रतिबन्ध लगा दिये और यह घोषणा की कि जबतक दोनों पक्ष युद्ध नहा बंद कर दें तबतक उन्हें किसी तरह की सैनिक सहायता नही

दी जायगी। इस प्रकार एक साथी राज्य तथा एक असलग्न राज्य को एक ही कार्ट में रखा गया। गुटों में शामिल होने से यदि पाकिस्तान का लाभ नहीं हुआ तो भारत का बड़ा लाभ हाता यदि वह भी किसी गुट में शामिल रहता ? यह असलग्नता की नीति का ही परिणाम था कि इस मन्त्र के जन्म से भारत को कई क्षेत्रों से समर्थन मिला और युद्ध के समय उनकी कूटनीतिक स्थिति किसी तरह कमजोर नहीं हुई। सुरक्षा पारपद में युद्ध से उत्पन्न समस्या पर बहस के दौरान भी सन्तुष्टि से प्रयास सहायता मिली। यह असलग्नता की नीति का ही परिणाम था। भारत-पाक युद्ध ने असलग्नता की नीति की श्रेष्ठता को अन्तिम रूप से सिद्ध कर दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी अब वही-वही असलग्नता की नीति का अपना-अपना चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के शासक भी समझने लगे हैं कि गुटों में शामिल होने की नीति से कोई लाभ होनेवाला नहीं है। इस हालत में भारत के लिए इस नीति का परित्याग राजनीतिक और कूटनीतिक जात्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

पंडित नेहरू की दृष्टि — असलग्नता की नीति का जन्मदाता और पाक

पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके शासन काल में इस नीति का प्रयास सफलता मिली। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में लगभग कोई मतभेद नहीं कि प्रधान मन्त्री नेहरू के काल में देश ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने लिए प्रयास प्रतिष्ठा प्राप्त की। साम्यवादी जगत और पश्चिमी संसार दोनों ही भारत के विचारों की, उनकी निष्पक्ष असलग्नता की नीति की कद्र करते रहे और सबत्र भारत सरकार के प्रतिनिधियों का यथोचित आदर होता रहा। एशिया और अफ्रीका में बहुत लोग नेहरू और उनकी सरकार को शापित मानवता का प्रवक्ता मानते थे और राजनीतिक पराधीनता एवं उपनिवेशवाद के अत्याचार के विरुद्ध लड़ी संघर्ष में उनसे नैतिक और भौतिक समर्थन की अपेक्षा करते थे। उन्होंने भारत के लिए जिस विदेश नीति का प्रतिपादन किया उस देश की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुई। श्री नेहरू की नीति के कटु आलोचक भी इस तथ्य का अस्वीकार नहीं कर सकते कि जन्तक प० नेहरू जीवित रह तन्तक संसार में उनका सुकावले का अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति दूसरा नहीं था। नेहरू की विदेश नीति ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि की अथवा उनका व्यक्तित्व के कारण राष्ट्र का यह सम्मान प्राप्त हुआ, यह बात अलग-अलग नहीं साची जा सकती है। किसी भी देश की विदेश नीति के साथ मन्त्री का व्यक्तित्व घनिष्ठ रूप से जुटा रहता है और उन्हें अलग-अलग कर उस पर निचार नहीं किया जा सकता।

प० नेहरू की मृत्यु और असलग्नता की नीति—श्री नेहरू के जीवन काल में असलग्नता की नीति की कटु आलोचना हाती रही। लेकिन श्री जवाहर लाल नेहरू

को अपनी नीति में अटूट विश्वास था और किसी भी हालत में वे उसके परिवर्तन को प्राप्त नहीं साच सकते थे। २७ मई, १९६८ को जब उनकी मृत्यु हो गयी तो उस समय यह आशाका व्यक्त की जाने लगी कि भारत अब असलमनता की नीति का अवलम्बन कर पायगा था नहीं। लेकिन अनिश्चिता के वादल दुरत ही मिट गय। श्री नेहरू की मृत्यु के बाद पद ग्रहण करते ही भारत के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी कि भारतके हक में असलमनता की नीति सर्वोत्तम है और वह उसी नीति के आधार पर अपनी विदेश नीति का निधारण करता रहेगा। बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि श्री शास्त्री का यह निश्चय हर दृष्टिकोण से उचित था। यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु (जनवरी १९६६) के बाद जब श्रीमती इंदिरा गाँधी भारत की प्रधान मंत्री बनीं तो उन्होंने भी यह घोषणा की कि भारत हर हालत में असलमनता का नीति का अनुसरण करेगा।

असलमनता की वर्तमान स्थिति —समकालीन अन्तराष्ट्रीय राजनीति में गुटबन्धियां म नरमी आने के कारण असलमनता की धारणा भी बदलती जा रही है। जहां तक वर्तमान भारतीय नीति का प्रश्न है, आजकल वह कठिन आर्थिक और खाद्य स्थिति के दायरे में पड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका को आर अधिक भुक्त रहा है। इस विचार को माननेवालों का कहना है कि क्या के अनुमूल्यन (जून १९६६) का सरकारी निणय अमेरिकी दवाव का ही परिणाम है। और भी कई दृष्टियों से भारत सरकार को विवश हाकर अमेरिका के प्रभाव में अधिकाधिक जाने के लक्षण प्रष्टिगोचर होने लगे हैं। लेकिन इनको असलमनता की नीति का परिवर्तन अभी मान लेना उचित नहीं प्रतीत नहीं होता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति, फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक प्रभावित है, लेकिन असलमनता अभी भी उसका म्लाधार है।

शान्तिपूर्वा सहजीवन और विश्व-शान्ति

आणविक आयुधा के इस युग में विश्व-शान्ति की आवश्यकता आज सर्वोपरि है। अर्द्धविकसित और पिछड़ हुए देशों की उन्नति और विकास के लिए ताश्चिर-शान्ति का वातावरण अनिवार्य ही है। जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शापण के फलस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति एकदम डानाडाल थी। भारत का दुनिया में अमनचैन का काम रहना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। इसके अभाव में भारत का आर्थिक विकास अमम्भव था। इस स्थिति में विश्व-शान्ति का बनाये रखना भारतीय विश्व नीति का एक म्लाधार हा गया। २० अगस्त, १९५४ का श्री पणिकर ने कहा था —

“यदि समय मिले तो भारत के लिए स्वयमेव, अपने दग से विश्व शक्ति बनाने का पूरा मौका है। भारत की इस बात की बड़ी चिन्ता है। उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति को उन्नति का मकड़म डालनेवाला कोई युद्ध न हा।” फिर १२ जून, १९५२ का सम्भावित तृतीय विश्व-युद्ध क सम्बन्ध में अपनी शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए श्री नेहरू ने कहा था “हमारी पहली नीति ता यह हानी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति का घटित होने से राकें, दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाय ता हम इस राजन में समर्थ हो सकें। मैं यह चाहता हूँ कि एशिया में एम देश का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जा यह निश्चय कर कि चाह कुछ हा, वे युद्ध में शामिल न हा, अन्य प्रश्नों में हानिनाले युद्ध क क्षेत्र का सीमित करें, अपने प्रदेश की रक्षा करें और दूसरा के प्रश्नों को सुरक्षित बनाने का भी यत्न करें।”

अतएव स्वतन्त्रता प्राप्ति क बाद विश्व-शान्ति की स्थापना क लिए सदा तत्पर रहना और इस महान कार्य में यागदान करना भारतीय त्रिदश नीति का एक मूल तत्त्व बन गया। भारत ने इस तरह अपनी विदेश नीति का निधारण करना शुरू किया जिससे विश्व की शान्ति सुरक्षित रह।

इसी पवित्र उद्देश्य से भारत किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत का गुटत्रन्दयी में शामिल कर लेने क लिए शक्ति-गुटों क नताओं की ओर से अनक प्रयास किये गये। पर, भारत उनसे प्रभावित नहीं हुआ।

हथियारबन्दी की होड विश्व शान्ति क लिए बहुत खतरनाक हाती है। एक पीढ़ा क भीतर ही सभार का दा महायुद्ध दग्ने पड है। अतएव द्वितीय विश्व-युद्ध क बाद निरस्त्रीकरण के लिए अनकमुखी प्रयास किये जाने लग। भारत ने इसमें अपना सक्रिय योगदान दिया। भारत शुरू से ही निरस्त्रीकरण का जवरदस्त समर्थक रहा है। वह विश्व-शान्ति क लिए निरस्त्रीकरण का परम आवश्यक मानता है। यही कारण है कि जब अगस्त १९६३ में आपत्तिक परीक्षण राक सन्धि हुई ता भारत वह पहला देश था जिसने अविलम्ब इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिया।*

युद्धात्तर काल में सभार क दा विराधी गुटों में तनातनी इतनी बढी कि नई बार उनका लेकर विश्व युद्ध छिड़ने की सम्भावना हा गयी। ऐसे कइ अवसरों पर भारत न दोनों गुटों के बीच मतभेद की चौड़ा खाइ का पाटने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया ह। दा अनसरो पर निश्चित रूप में भारत ने तृतीय विश्व-युद्ध के दावानल

परमाण्विक निरस्त्रीकरण क सम्बन्ध में भारत न १९६७-६८ में भी नया रुत अपनाया है उनक कारणों पर हम आगे विचार करेंगे।

का प्रखलित हाने से राका है और दानो पक्षा मे शान्ति क दूत का कार्य किया है। ये जत्सर कोरिया तथा हिन्द-चीन क युद्ध थे।

कोरिया — भारत शुरू से ही कारिया की समस्या में दिलचस्पी ल रहा था। १९४७ में जब संयुक्त राष्ट्रमण ने इसके लिए एक अस्थायी (U N T C O K) बनाया तो भारत भी उसका एक सदस्य मनानीत हुआ। कुछ ही दिनों के बाद भारत इस आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। कारियाई आभा क सदस्य क रूप में भारतीय प्रतिनिधि श्री० के० पी० एस० मेनन ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किये।

सी मीच जून १९५० में कोरिया का युद्ध शुरू हो गया और कुछ अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत ने भी उत्तर कोरिया को आक्रामक मान लिया। भारत के लिए कोरिया-युद्ध का दावा पहला था (१) उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आयोजित दंग से आक्रमण किया है और सैनिक कारवाइ से इन आक्रमण का रोकना चाहिए। (२) कोरिया-युद्ध को विश्व-युद्ध में परिणत होने की सम्भावना थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्रमण की सैनिक कारवाइ का समर्थन करने का दावा भारत ने इस युद्ध का सीमित और रूढ़ करने का पूरा यत्न किया। अपने इस उद्देश का प्रति क लिए भारत कोरिया के युद्ध में मध्यस्थता का दावा करने लगा। ७ जुलाई, १९५० को प० नेहरू ने नयी दिल्ली से एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने कोरियाई युद्ध के प्रति भारत के रुख को स्पष्ट किया। इस समय चीन ने भारत के राजदूत श्री के० एस० पणिकर से और व कोरियाई युद्ध की विराम सम्भावनाओं का भली-भाँति समझ रहे थे। युद्ध रोकने के लिए अपनी प्रेरणा से प० नेहरू ने माउल स्टालिन और अमेरिकी विदेश मंत्री डोन अरमन का पत्र लिखे। स्टालिन ने प० नेहरू के प्रस्तावों का स्वागत किया लेकिन अमेरिका ने उसी दिग्दर्शक उधारों। अतएव इन पत्राचारों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

जब भारत का एक शान्ति प्रयास असफल हुआ तो शान्ति दावा जो कि वात पर जारी रना शुरू किया कि संयुक्त राष्ट्रमण का सनाए उत्तरी कोरिया का दक्षिणी कोरिया से भगाकर दानों का सीमा ३८° उत्तरी पर रूढ़ कार्य, १९५३ आगे न रुक। प० नेहरू का प्रान पेरिगन नियत राजदूत १९५३ रूढ़ा निर ३८° थी कि यदि ३८° उत्तरी पर उत्तर में संयुक्त राष्ट्र का गना रूढ़ी तो च न रूढ़न ३८°

In fact India's who o o it'ook and act ons in the Korean War can only be understood from the point of view of her nears to Korean wars; it would remain localised and that in case of extension it should not be ob oed to be involved in it. This was the position of the from the b oaining a d it was maintained all along.

— J C Kundera India's Foreign Policy 1947-1964

हस्तक्षेप करेगा। इससे कोरिया-युद्ध की जटिलता अधिक बढ़ जायगी। अतएव भारत ने वरारर यह चत्तावदी दी कि द्युक्त राष्ट्र की सेना किसी तरह र्द अक्षाश से ागे न बढ। यदि यह बात मान ली जाती तो कोरिया का युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो गया होता और इतना भीषण जन-धन का सहार न हाता।

लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की विवेकपूर्ण सलाह का बादर नहीं किया। उसकी सना उत्तरी कोरिया में ागे बढने लगी। इस पर चीन ने हस्तक्षेप किया। सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का आक्रामक धारित करने का एक प्रस्ताव रखा गया। भारत ने इस प्रस्ताव का बडा विराध किया। इसका नाबजूद प्रस्ताव पास हा गया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कारिया में अधुनम प्रयोग करने की धमकी दी। इरुते अन्तराष्ट्रीय तनाव बहुत दडा। ५ दिसम्बर, १९५० को भारत न ारर एशियाई गुट के कुछ राज्यों के साथ मिलकर शान्ति व लिए अपील की। फिर जून १९५१ में भारत ने युद्ध बन्द करने तथा विराम सन्धि करन का एक प्रस्ताव रखा। पर यह भी स्वीकार नहीं हुआ। इस प्रकार यद्यपि भारत की कूटनीति को कई आशातीत सफलता नहा मिली। फिर भी, इसमें काइ सन्देह नहा कि इनसे कोरिया का युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण करने से बच गया।

जय दानो पक्ष युद्ध से तग आ गये ता पानमुन जोन में विराम सन्धि के लिए वार्ता चलने लगी। लेकिन पानमुन जान की सन्धि-वार्ता ने एक विकट रूप धारण कर लिया। ५७५ बैठकों के बाद विराम सन्धि री गयी, लेकिन वास्तविक नघप समाप्त नहा हुआ। इसमें युद्धबन्दियों के प्रत्यावतन का प्रश्न सबसे कठिन था। सयुक्त राष्ट्रसभ द्वारा युद्ध में रदी बनावे गये कुछ सैनिक चीन और उत्तर कोरिया वापस जाना नहीं चाहते थे। लेकिन रूस और चीन इन्हें वापस लौटाने पर तुले हुए थे। इस प्रश्न को हल करने क लिए भारत ने कई प्रस्ताव रखे। किन्तु उन्हें सोवियत सभ ने स्वीकार नहा किया। अत में मार्च १९५३ में दानो पक्षों ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जो भारतीय प्रस्ताव से बहुत मिलता-जुलता था।

इस प्रस्ताव के अनुसार स्वदेश वापस लौटने के लिए अनिच्छुक बन्दियों की समस्या हल करने के लिए पाँच सदस्य राष्ट्रों—भारत, स्विटजरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया—का एक आयाग (Neutral Nations Repatriation Commission) नियुक्त किया गया। भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। जेनरल थिमैया की अध्यक्षता में भारतीय सैनिकों ने बन्दियों को स्वदेश लौटाने का काम बडी ही सावधानी के साथ किया। इस काम को पूरा करने में

भारतीय सैनिका ने अपार सहनशीलता का परिचय दिया। पृथ्वीराज क काम म वडी कठिनाइयो का सामना करना पडा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्राइसनहारर ने कोरिया मे भारत की संरक्षक सेना द्वारा किये गये शान्ति काज और मध्यस्थता की सराहना करते हुए कहा था "अभी हाल के कार्यों मे किना अन्य सेना ने कोरिया मे भारतीय फौजा की अपेक्षा अधिक नाशुक और कठिन काज नहा किया है। इन प्रफमरो तथा सैनिको का काज भारतीय सेना की उच्चतम ख्याति के अनुरूप था। व उच्चतम प्रशसा के पात्र हे।" जुलाई, १९५० मे स्टालिन ने भी ५० नेहरू क शान्ति-स्थापना के कार्य की सराहना की थी।

हिन्द चीन—१९४४ मे हिन्द चीन पर फ्रांस का अधिकार कायम हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध क समय जापान ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। १९४५ मे जापान क हराने के बाद फिर से फ्रांसीसी अधिकार कायम होने के लक्षण दिखलाई पडने लग। लेकिन, १९३० से इस देश मे साम्यवादी आन्दोलन चला आ रहा था। युद्ध के समय इस आन्दोलन की काफी प्रगति हुई। १९४५ मे साम्यवादी नेता डा० हा-ची मिन्ह के नेतृत्व मे वियतनाम गणराज्य की स्थापना हो गयी। फ्रांस ने इसका मान्यता भी दे दी। शेष हिन्दचीन मे फ्रांस के संरक्षण मे स्थानीय प्रतिक्रियावादी राजाजा का शासन कायम रहा। ऐसी स्थिति मे हो-चा मिन्ह और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद क बीच तघप का हाना आवश्यक हा गया। कोचीन-चीन क प्रश्न को लेकर, १६ दिसम्बर, १९४६ को इन दाना शक्तियों मे झुट्ट छिड गया। डा हा की वियतमिन्ह सरकार का मांग यत तघ और चीन से मान्यता मिल गयी। अमरीकी सरकार ने वाओ दाइ क वियतनाम-सरकार (जिसका फ्रांस ने स्वतन्त्र कर दिया था) का मान लिया। १९५४ मे हिन्दचीन युद्ध की स्थिति गम्भीर हो गयी। ७ मई को डीन डान फू की अडाइ मे फ्रांसीसिया का बुरी तरह पराजित हाना पडा। साम्यवाद की इस प्रगति की रोकने क लिए अमरिका उल्लूक कूद मचाने लगा। वह हिन्द-चीन युद्ध मे फ्रांस का पक्ष लेकर हस्तक्षेप करना चाहता था। पर ब्रिटेन ने इसका समर्थन नहा किया। फ्रांस मे उस समय एक उदारवादी सरकार था। उगन हा-चा मिन्ह क साथ समझौता कर लेना अेरस्कर समझा। जापान इस समस्या पर जनता सम्मेलन (२६ अप्रिल से २७ जुलाई, १९५४) मे विचार हाना शुरू हुआ।

भारत ने दाना पक्षा क बीच समझौता कराने का पूरा प्रयास किया। २६ अप्रिल, १९५४ को ५० नेहरू ने हिन्दचीन को समझौता क शान्तिपूर्ण समाधान क लिए जनता सम्मेलन क विचारार्थ ध प्रस्ताव रखा। अनेक सम्मेलन क निष्पत्ति पर इस प्रस्ताव का पयात्र प्रभाव पडा। यद्यपि भारत का प्रयास सम्मेलन मे

शामिल नहीं किया गया, फिर भी भारतीय राजदूत श्री कृष्णमेनन उम समय जेनेवा में उपस्थित रहे और उनके द्वारा बीच-बचाव करने के कई प्रशसनीय कार्य किये। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री इडन ने प० नेहरू का एक पत्र लिखकर मेनन के शान्ति-कार्य की सराहना विशेष रूप से की थी। जेनेवा सम्मेलन के प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दूचीन में युद्ध बन्द करने का समझौता हो गया। लेकिन अभी जहाँ की राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढाकी था। इस कार्य का पूरा करने के लिए तीन सदस्यों का (भारत, पालड तथा कनाडा) एक शान्ति आयोग स्थापित किया गया। भारत को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह भारत के शान्ति स्थापना के कार्यों के महत्त्व का स्वीकार करना था।

पञ्चशील --पञ्चशील के पाँच सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत के शान्ति-प्रियता का द्योतक है। १९५४ के बाद से भारत की वैदेशिक नीति को पञ्चशील के सिद्धांतों ने एक नयी दिशा प्रदान की है। इसे भारतीय विदेश नीति की आधार शिला भी कहा गया है।

पञ्चशील बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो व्यक्ति भिक्षु बनता था उसका पाँच वतों का धारण करना पड़ता था जिसे पञ्चशील कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है "आचरण के पाँच सिद्धांत।" जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते थे, उसी प्रकार आधुनिक पञ्चशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण के सम्बन्ध निर्दिष्ट किये गये हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं —

(१) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सम्पन्नता का सम्मान करें।

(२) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करे और दूसरे की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे। किसी राज्य की सीमा का कोई दूसरा राज्य भंग नहीं करे।

(३) कोई भी राज्य एक दूसरे के जातिगत मामलों में हस्तक्षेप नही करे।

(४) प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे। अर्थात् सभी देश समान हैं, कोई न बड़ा है और न कोई छोटा। सबको इसी सिद्धांत के आधार पर आचरण करना चाहिए।

(५) सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहजीवन (Peaceful co-existence) के सिद्धांत में विश्वास करें तथा सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे के साथ शांति-पूर्ण रहे तथा अपनी अलग-अलग सच्चा एवं स्वतंत्रता कायम रखें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन मंत्रप्रथम २६ अप्रिल, १९५४ का तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौता में किया गया था। बाद में चीन के प्रधान मन्त्री श्रो चाऊ-एन लाई जब जून १९५४ में दिल्ली आये ता तीन दिनों तक प्रधान मन्त्री नेहरू के साथ वार्तालाप करने के बाद २८ जून, १९५४ का दार्जी प्रधान मन्त्रियों का एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें पंचशील के सिद्धान्तों में उनके विश्वास का दुहराया गया था। इस वक्तव्य में कहा गया था

‘चीन और भारत ने दोनों के सम्बन्धों के संचालन के लिए इन पांच सिद्धान्तों के पालन का निश्चय किया है। वे एशिया तथा विश्व के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों में भी इसका अनुकरण करेंगे। यदि इसका प्रयोग न केवल विभिन्न देशों में अपितु सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी किया जाय, तो इससे शान्ति और सुरक्षा का एक सुदृढ़ आधार बनगा और आशंकाओं के स्थान पर विश्वास उत्पन्न होगा।

इस समय एशिया के साथ सत्तार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा राजनैतिक पद्धतियाँ विद्यमान हैं। यदि उपयुक्त सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाय और इनका पालन किया जाय, तो दूसरे के देश में कोई हस्तक्षेप न हो ता ये विभिन्नताएँ शान्ति भंग करके सव्य उत्पन्न नही करेंगी। प्रत्येक देश का प्रादेशिक अखण्डता सर्वोच्च सत्ता और अनाक्रमण का आश्वासन मिल जाने पर विभिन्न देशों में शान्तिपूर्ण मह अस्तित्व रहेगा और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढेंगे। इससे विश्व में विद्यमान वर्तमान तनाव कम होगा और शान्ति का वातावरण उत्पन्न होने में सहायता मिलेगी।

अब तक एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है। इसके सिद्धान्त का भारत की यात्रा करने वाले विदेशों के अनेक प्रधान मन्त्रियों और शासनाध्याक्षों ने अपने वक्तव्यों में स्वीकार किया है। फिर, जब भारत के प्रधान मन्त्री निदेश-भ्रमण पर गये ता वहाँ भी कई देशों के साथ पंचशील के आधार पर संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किये गये। अप्रिल, १९५५ में वाहुंग में एशियाई-अफ्रिकी देशों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पंचशील के सिद्धान्तों का विस्तृत रूप प्रदान किया गया और उसमें पाँच सिद्धान्तों के स्थान पर दस सिद्धान्तों की स्थापना की गयी। इसके बाद

* (१) मौलिक मानवीय अधिकारों तथा (२) संयुक्त राष्ट्र के चाट्टर में सन्निहित सिद्धान्त के प्रति सम्मान की भावना (३) सभी प्रजातियों तथा छोटे-बड़े राष्ट्रों का समानता, (४) दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना (५) संयुक्त राष्ट्रसंघ चाट्टर के अनुसार प्रत्येक देश का आत्मरक्षा करने का अधिकार (६) किन्हीं महाशक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य को पूरा करने का प्रयाजन से बनाया गया व्यवस्थाओं से अलग रहना तथा दूसरे देशों पर दबाव डालने से बचना (७) आक्रमण के कार्यों को न करना तथा हमले को धमकिया न देना, (८) सभी अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का शान्तिपूर्ण उपचार—संधिवाता, समझौते मध्यस्थता आदि से निबन्धन करना (९) पारस्परिक सहयोग और हितों की वृद्धि करना तथा (१०) न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान रखना।

संसार के अन्य कई देशों ने इन सिद्धान्तों का मान्यता प्रदान की। १४ सितम्बर, १९५६ का संयुक्त राष्ट्र मध्य की सागरण सभा ने भी भारत द्वारा प्रस्तुत पंचशील के सिद्धान्तों का स्वीकार कर लिया। इस तरह पंचशील के सिद्धान्तों का विश्व में मान्यता मिल रही है। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन आदि “नाटो” के देशों ने इस पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है, फिर भी उन्होंने इसका खुला विरोध भी नहीं किया है। भारत में एक अमरीकी राजदूत श्री शमन कपूर ने अपने एक भाषण में कहा था कि “अमेरिका पंचशील के सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत है।”

शान्तिपूर्ण सहजीवन—पंचशील के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। अतएव इनका कुछ और अधिक विवचना आवश्यक है। इसका पहला सिद्धान्त यह आदेश देता है कि संसार के सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह यह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की जड़ पर कुठाराघात करता है। इसका दूसरा यह अर्थ स्पष्ट हाता है कि किसी भी राज्य का अपने से कम शक्तिशाली राज्यों पर राजनीतिक ‘मा’ सैनिक शक्त नहीं लादनी चाहिए तथा प्रादेशिक और आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धान्तों का परित्याग कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे देशों में विशेष आर्थिक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त करना, विद्रोहात्मक कार्रवाहियों का प्रास्तावक देना, दुर्बल वृद्धिशील सरकारों की स्थापना करना तथा किसी भी राज्य में किसी दल विशेष को आर्थिक सहायता देना ये सारे कार्य राज्यों की सम्प्रभुता तथा अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों के उल्लंघन हैं। इसलिए यदि सभी देशों की सर्वाधिक सत्ता का पूरा ध्यान रखा जाय तो साम्राज्यवाद का स्वयमेव अन्त हो जायगा। अनाक्रमण और दूसरे देश के मामले में अहस्तक्षेप की नीति संसार में संघर्ष के क्षेत्र को सीमित करने वाली है। पंचशील के चौथे सिद्धान्त के द्वारा समानता और पारस्परिक लाभ पर बल दिया गया है। यदि इस सिद्धान्त का अनुकरण किया गया तो कोई भी राज्य चाहें छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे के साथ समानता के सिद्धान्त के आधार पर अपने सम्बन्धों का निमाण कर सकता है और एक दूसरे के हित का आगे बढ़ा सकता है। यदि सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग कर तो पिछड़े हुए देशों की दरिद्रता और सब प्रकार के अभावों को दूर किया जा सकता है।

लेकिन पंचशील का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सहजीवन का है। आज संसार में तरह-तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियाँ कायम हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समाजवाद और पूँजीवाद हैं। इनका लेकर संसार दो विरोधी गुटों में बँट गया है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनावों इतनी बढ़ गयी है कि आणविक आयुधों के इस युग में तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना प्रतीत हो रही है।

पूँजीवादी देश समाजवाद का जड़ मूल से उखाड़ फरना चाहते हैं और समाजवादी देश पूँजीवाद को खत्म करने पर उतारू हैं। इसी स्थिति में समार का युद्ध से बचाने का एकमात्र उपाय है—शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धांत में विश्वास करना। यदि यह मान लिया जाय कि पूँजीवाद और समाजवाद दोनों किसी न-किसी रूप में रहेंगे तो बहुत-सी समस्याओं का हल हा जायगा। यदि हम ऐसा नहीं मानते तो यह वास्तविकता से मुँह भाटना होगा। पूँजीवादी देश साम्यवादी देशों के इस अधिकार को मान लें कि उन्हें अपने देश में किसी तरह रहने का अधिकार है। इसी तरह की बात समाजवादों लोग भी मान लें। यद्यपि समाजवादों और पूँजीवादी गुटों की प्रणालियाँ, विचार धाराएँ तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों में जमीन-आसमान का भेद है ता भी वे विश्व शांति के हित में परस्पर मिलकर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो समार में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहगा और सब अपने-अपने देश में शान्तिपूर्वक रहेंगे शान्तिपूर्ण सहजीवन का यही तात्पर्य है। शान्तिपूर्ण सहजीवन में ही जात विद्म और मानवता की आशा निहित है। पञ्चशील का पाँचवाँ सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि विभिन्न देशों के संगठनात्मक भेद होने पर भी इन्हें एक-दूसरे के सम्बन्धों का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किन्तु एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहने की नीति ग्रहण करनी चाहिए।

पञ्चशील का मूल्यांकन — इसमें काइ सन्नेह नहीं कि पञ्चशील के सिद्धान्त बड़े ही प्रेरणात्मक आदर्श हैं। फिर भी इसके सिद्धांतों पर अनेक आपत्तियाँ की गयी हैं। इसको केवल ऊँचे आदर्शों को कारो घाषणा मात्र कहा गया है और इसकी तुलना १८१५ में पवित्र सन्धि (Holy Alliance) तथा १९०७ के कैलाश त्रिसा पैक्ट से की गयी है। कहा जाता है कि पञ्चशील एक ऐसी घोषणा है जिसका पालन कराने के लिए न तो कोई सस्या है और न कोई व्ययस्था। अतएव इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। फिर, पञ्चशील का व्यर्थ भी माना जाता है, क्योंकि इनके साथ सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटर में मन्त्रिहित है और इसलिए पृथक रूप से इसकी पुनरावृत्ति निरर्थक है। पञ्चशील का काइ भी ऐसा सिद्धान्त नहा है जो चाटर में न हो। इसके अतिरिक्त पञ्चशील के सिद्धान्त पर और भी कई आपत्तियाँ की गयी हैं, जैसे—संघकी प्रेरणा कम्युनिस्टों के द्वारा हुई है, यह यथास्थिति का पोषक है, आदि। इन आपत्तियों को चचा करते हुए जनार्दन तौर पर २६ दिसम्बर, १९५८ को पंडित नेहरू ने भारतीय लोकसभा में कहा था—“नागर्य ने पञ्चशील का विरोध किया गया है, किस आधार पर? वे कहते हैं आप यह कैसे विश्वास करते हैं कि इन सिद्धान्तों का पालन भी किया जायगा? निस्संदेह यदि आप किसी बात पर विश्वास नहा करते तो इसकी चचा करने और इसके पार में

लिखने से कोई लाभ नहीं है, और फिर, आपके लिए कोई दूसरी बात शेष नहीं रह जाती। सिन्हाय इसका कि आप अकेले रहें और लड़ कर एक दूसरे पक्ष को परास्त करें—इसका अतिरिक्त अन्य कोई मांग नहीं है। यह दूसरे पक्ष के वचन पर विश्वास करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रश्न है निम्न दूसरा पक्ष अपने वचन को भंग न कर सके। यह सम्भव है कि दूसरा पक्ष अपने वचन का भंग करे और यह भी सम्भव है कि वह अपने का अधिक विषय परिस्थितियों में पावे। यदि विश्व के विभिन्न दश पारस्परिक सम्बन्धों के लिए इन पाँच सिद्धान्तों को बार-बार दुहराते हैं तो उसका लिए एक वातावरण उपस्थित करते हैं।”

जहाँ तक सिन्हाय के रूप में पंचशील का प्रश्न है, इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से और विशेषकर भारत-चीन सम्बन्ध की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यन्त अमूल्य सिद्धान्त माना जाता है। इसका सिद्धान्तों का प्रतिपादन भारत और चीन के तिब्बत के सम्बन्ध में हुए समझौते के समय हुआ था। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सत्ता को स्वीकार करके “तिब्बत की स्वायत्तता के अन्वेषण में, चीन का समर्थन किया था। इस कारण भारत में शुरू से ही कुछ लोगों द्वारा इसको कटु आलोचना हो रही है। उदाहरणार्थ पंचशील के जनक समय आचार्य कृपालानी ने कहा था “वह महान् सिद्धान्त पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे माथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारे स्वीकृति देने के लिए प्रतिपादित किया गया था।” आचार्य कृपालानी की यह उक्ति शायद सत्य न हो, क्योंकि तिब्बत के प्रति भारत की यह नीति अनुचित नहीं थी, लेकिन १९६० के अक्टूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण करके जिस प्रकार का व्यवहार किया उसका परिणामस्वरूप पंचशील का जन नामानिष्ठान मिट गया है। इसका उदाहरण सिद्धान्तों का उल्लंघन इसका आदि प्रवर्तक एक राष्ट्र (चीन) के द्वारा हुआ है और इस कारण पंचशील में लागू को आस्था जन नहीं रह गयी है। यह भारतीय विदेश नीति को एक बहुत बड़ी अमूल्यता मानी जायगी।

साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध

भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्तमागो रहा है। साम्राज्यवाद के जन्तगत रह कर वह इसकी पीड़ा का अनुभव कर चुका है। इसलिए हमें

The great doctrine was born in sin because it was enunciated to put the seal of our approval upon the destruction of an ancient nation which was associated with us spiritually and culturally.

लिए साम्राज्य का विरोध करना अत्यन्त स्वाभाविक है। भारत साम्राज्यवाद का विरोधी इसलिए भी है कि वह इसका शान्ति का बहुत बड़ा दुस्मन मानता है। प्रजातीय विभेद के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करता रहा। यह भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य तत्त्व रहा। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहा भी राष्ट्रवादी आन्दोलन विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए हुए हैं, भारत ने खुलकर उनका समर्थन किया। इंडोनीशिया पर जब हालड ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पुन अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका घोर विरोध किया। इसके लिए उसने एशियाई देशों का संगठित किया, संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस मामले को पेश किया और अन्य कई तरह के उपायों का अवलम्बन करके हालड को राध्य किया कि वह फिर कभी इंडोनीशिया पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास न करे। इंडोनीशिया की स्वतन्त्रता के लिए भारत ने जो प्रयास किये वे मजसुमच स्तुत्य हैं। इसलिए इंडोनीशिया वाले प० नेहरू को डा० सुवर्ण के बाद अपनी स्वतन्त्रता का दूसरा जनक मानते हैं।

१९५६ में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। वे स्वयं-सहायता को हड़प लेना चाहते थे। भारत ने इस नवीन साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। इस अवसर पर मिस्र का भारत से जैसी सहायता मिली वैसी सहायता किसी अन्य देश से नहीं मिली। इसी प्रकार भारत ने लीबिया, ट्यूनिशिया, मारको, मालाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतन्त्रता-संधान का पूरा समर्थन किया है। जब संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा क्यूबा पर आधिपत्य जमाने की चष्ट की गयी तो भारत ने उसका घोर विरोध किया। इतना ही नहीं, भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध बराबर आवाज उठाता रहा है। संरक्षण परिपद की कार्यवाहियों में भारत सक्रिय भाग लेता रहा है। उमन संरक्षित देशों (Trust territories) के प्रशासन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ में पूर्ण नियन्त्रण और संरक्षण का समर्थन किया है। उमन इस बात पर भी तार दिया है कि स्वशासन न करनेवाले प्रदेशों का शासन चाट्टर के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसमें कोई मन्देह नहीं कि साम्राज्यवाद का जड़ ख हिनाने में भारत का प्रमुख योग रहा है।

जो भी समार में कुछ ऐसे सङ्गठित प्रवृत्ति के लोग हैं जो रंग भेद की नीति में विश्वास करते हैं। फलतः समार में कुछ भागों में गरीबी और काला प्रान्तित्या के बीच भयंकर भेद भाव बना रहता है। अमेरिका में निवा लागा का रंग किया जाता है। दक्षिण अफ्रिका में प्रजातन्त्र विभेद अपनी चरम गति पर पहुँचा हुआ है। वहाँ के गरीब सरकार वाले चमक रान आदिवासीयों और भारत का

पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याचार करती है। भारत इस नीति का जोरदार विरोध करता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत बराबर यह प्रश्न उठाता रहा है। इसका दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों का समर्थन भी प्राप्त होता है। लेकिन दुभाग्यवश दक्षिण अफ्रीका की अत्यायपूर्ण समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। भारत प्रजातीय विभेद का इतना घोर विरोधी है कि उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध भी विच्छेद कर लिया है।

उपनिवेशवाद और १९५७ के वाद की भारतीय नीति—भारत की प्रारम्भिक विदेश नीति उग्र रूप से उपनिवेशवाद विरोधी थी। कुछ लेखकों का विचार है, जैसा कि हमने पोटोपाद-टिप्पणियाँ में उल्लेख किया है कि १९५७ के वाद से भारत का उपनिवेशवाद-विरोधी जोश ठंडा पड़ गया और उपनिवेशवाद की जालोचना यह दबे जवान करने लगा। इस तथ्य के समर्थन में एक दो तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिस समय अल्जीरिया के राष्ट्रपति फ्रांसिसी मास्त्राज्यवाद के खिलाफ अपना राष्ट्रीय आन्दोलन चला रहे थे, उस समय उनलोगों ने एक “अन्तरिम अल्जीरियाई सरकार” की स्थापना कर ली थी। इस सरकार के नेता कम्युनिस्ट और एशियाई देशों से मान्यता के लिए अनुरोध कर रहे थे। चीन, मिस्र आदि देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी और अल्जीरिया की इस सरकार ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया कि वह उसे मान्यता दे दे। उन्हें विश्वास था कि यदि भारत मान्यता प्रदान कर देता है तो फ्रांस के खिलाफ उनका राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम को अपार बल मिलेगा। भारत में अधिकांश लोग भी चाहते थे कि भारत सरकार इसका मान्यता प्रदान कर दे, लेकिन फ्रांस को नाखुश नहीं करने की भावना से प्रेरित होकर भारत सरकार को ऐसा करने से इन्कार कर दिया। भारत के हक में इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अफ्रीका के देशों में उसकी लोकप्रियता घटने लगी और चीन ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया।

१९६१ से भारत का उपनिवेशवाद-विरोधी जोश और भी ठंडा पड़ा गया। पहले भारत उपनिवेशवाद को विश्व की सभी समस्याओं की जड़ मानता था और किसी भी मूल्य पर इससे साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। जब भी मौका आया उसने डटकर और दृढ़तापूर्वक उपनिवेशवाद का विरोध किया। लेकिन १९६१ से भारतीय विदेश नीति ने इस उग्रता का परित्याग कर दिया। इसका संकेत मितम्बर १९६१ में हुए तटस्थ राज्यों के बलसेड सम्मेलन में मिला। सम्मेलन में बाल्ते हुए चीन ने समर्थक दडोनाशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो ने कहा

विश्व का वर्तमान जनमत हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम यह विश्वास कर कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष का वास्तविक क्षात महागणित्याँ का सैद्धान्तिक मतभेद है।

में हमें गलत मानता हूँ। वतमान में यदि कोई मध्य है तो वह स्वतन्त्रता और न्याय की नवीन शक्ति तथा उपनिवेशवाद का पुराना शक्ति में है।

स्पष्ट है कि डा० सुकर्ण न तनार और सघर्ष का उन्मत्त सैद्धान्तिक मतभेद या शीत-युद्ध का न मानकर उपनिवेशवाद का माना। इसके विपरीत उन्नी सम्मेलन में पंडित नेहरू ने उपनिवेशवाद का विराध का प्राथमिकता न देकर शान्ति की सम्मत्ता की महत्त्व दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, प्रजातीय विभेदवाद और इस तरह की सभी अन्य बातें अन्तर्राष्ट्रीय सक्कों के समक्ष नगण्य हैं, क्योंकि यदि युद्ध छिड़ जाता है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। अक्रिया के प्रतिनिधियों और उसकी जनता को सम्भवतः नेहरू के विचार पसन्द नहा जाये होंगे क्योंकि पराधीन व्यक्ति के लिए शान्तिपूर्ण सुखमय ससार का कोई महत्त्व नहीं है। उससे लिए स्वतन्त्रता का प्रश्न ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

इस बिश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाल लेना कि भारत न उपनिवेशवाद का विराध करना छोड़ दिया है, गलत होगा। सिद्धान्त के रूप में उपनिवेशवाद का विराध भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्त्व बना हुआ है, यद्यपि इस पर पहले की अपेक्षा और अवश्य कम हुआ है।

एशियाई-अफ्रिकी देशों का संगठन

दिल्ली का एशियाई सम्मेलन — एशियाई देशों का संगठित करने में भारत की दिलचस्पी बहुत ही पुरानी है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय से ही भारत इस तरह क्रियाशील था। जब भारत स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था कि पंडित नेहरू के प्रास्ताविक से इण्डिया काउन्सिल ऑफ नर्ल्ड एफेयर्स ने मार्च १९४७ को दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया। यद्यपि यह सम्मेलन सरकारी स्तर पर नहीं चलाया गया था, लेकिन इसमें एशिया के प्रायः सभी देशों के राष्ट्रवादी नेता शामिल हुए थे और एशियाई देशों के बीच एकता कायम करने का यह प्रथम महान प्रयास था और इसमें भारत ने मुख्य पाठ दिया। सम्मेलन ने उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का घोर विरोध किया। यद्यपि इस सम्मेलन में कोई विशेष व्यावहारिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि प० नेहरू ने कहा था कि— “इस सम्मेलन के बारे में सबसे महत्त्वशील बात यह है कि इस प्रकार का एक सम्मेलन हुआ गया। सम्मेलन ने एक स्तर में यह विचार व्यक्त किया कि एशिया में उपनिवेशवाद का शीघ्रान्तिशय अन्त होना चाहिए, उससे ज़रा भी माग प्रशस्त कर

* Imperialism colonialism racialism and the rest—things which are vitally important—are somewhat overshadowed by the crisis. For if war comes all else for the moment goes —Pundit Nehru *Hindustan Times*, September 4 1961

दिया।' इसके बाद स जप भी किसी साम्राज्यवादी दश ने एशिया क किसी देश पर उपनिवेशवाद लादने का प्रयास किया ता उसका विरोध केवल उसी देश मे नही हुआ, परन् मम्पूर्ण एशिया स हुआ। इडोनीशिया पर डच साम्राज्यवाद क साथ ऐसी ही बात हुई। जप दिसम्बर १९४८= मे हालैंड की सरकार ने इडानीशिया गणराज्य का पुन अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया तो एक दूसरा एशियाई सम्मेलन आवश्यक हा गया।

इडोनीशिया पर डच आक्रमण मे सारे एशिया मे राग और क्रोध का तूफान फूट पडा। जमा की सरकार ने प० नेहरू से आग्रह किया कि व तुरत एक एशियाई सम्मेलन बुलाने का प्रयास कर जिसमे डच आक्रमण पर विचार किया जाय। जनवरी १९४९ मे नयी दिल्ली मे इस तरह के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमे एशिया क पन्द्रह राज्य तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हुए। इस सम्मेलन मे भारत न महत्त्वपूर्ण भाग लिया और डच साम्राज्यवाद को पुनस्थापना का सम्भव बना दिया।

बाडु ग सम्मेलन —इडोनीशिया की समस्या पर विचार करने वाला दिल्ली का एशियाई सम्मेलन एशिया क इतिहास मे एक बतन-विन्दु माना जा सकता ह। इसकी सफलता ने इस बात का सिद्ध कर दिया कि यदि एशिया के राज्य एक दूसरे क साथ सहयोग करते रह ता उनकी अधिकाश समस्याओं का समाधान हा सकता ह। जतएन उसी समय स एक दूसरे सम्मेलन की आवश्यकता महसूस की जाने लगा। इसी समय जनवरी, १९५६ मे लका क प्रधान मन्त्री सर जॉन काटलवाला भारत जाये और उसके सुझाव पर बर्मा, लका, भारत, हिन्दशिया तथा पाकिस्तान क प्रधान मन्त्रियों का एक सम्मेलन २८ अप्रिल, १९५४ को कालम्बो मे हुआ। यहाँ पर अनेक प्रश्नों पर विचार हुआ और यह तय किया गया कि एशिया और अफ्रिका क दशा का एक बृहत् सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया जाय। इस सम्मेलन क स्वरूप पर विचार करने क लिए दन पौंचा राष्ट्रा क प्रधान मन्त्रियों का एन और सम्मेलन २८ दिसम्बर, १९५४ को वीगार मे हुआ। यहाँ इडानीशिया क नगर बाडु ग मे इस सम्मेलन का बुलाने का निणय किया गया।

१८ अप्रिल १९५५ को बाडु ग सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। पश्चिमी के सिद्धान्तों को और अधिक विस्तृत किया गया। उसमे पांच सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करने का वचन दिया गया। एशिया और अफ्रिका क दशा ने एक दूसरे क साथ सहयोग करने का वादा किया और इस प्रकार एक "बाडु ग क वातावरण" (Bandung Spirit) का जात्रिभाव हुआ। बाडु ग सम्मेलन का आशातात सफलता मिली। इसका मुख्य श्रेय भारतीय प्रतिनिधि प्रधान मन्त्री नेहरू को दिया जा सकता है।

इस प्रकार स्वतन्त्र भारत ने एशियाई-अफ्रिकी देशों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि एशिया-अफ्रिका में पश्चिमी साम्राज्यवाद का जन हो तथा उनकी आर्थिक विकास हो। एशियाई-अफ्रिकी देशों को संगठित करने का भारतीय प्रयास का एक और महत्त्वपूर्ण परिणाम निकला है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ में एशियाई-अफ्रिकी देशों का एक गुट तैयार हो गया है जिसे सयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप को बहुत हद तक परिवर्तित कर दिया। सयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में अब कोई भी निर्णय एक गुट की उपेक्षा करके नहीं की जा सकती है।

१९६० से चीन भारत पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि भारत अफ्रिकी एशियाई संगठन में फूट पैदा करने की नीति का अवलम्बन कर रहा है। यह आरोप सरासर निराधार और गलत है। वास्तविक बात यह है कि चीन स्वयं अफ्रिका एशियाई संगठन के मंच का अपने प्रचार का प्रमुख स्थल बनाने का प्रयास करना आ रहा है और जब भारत इसका विरोध करता है तो चीन उसका विरोध गलत आरोप लगाने लगता है। अफ्रिका-एशियाई संगठन की भावना में भारत का जट्ट विश्वास है और यह उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख तत्त्व है। इसीलिए भारत ने बाडुग सम्मेलन के बाद से अफ्रोएशियाई देशों के सभी सम्मेलनों में प्रमुख भाग लिया है।

१९६६ का तटस्थ राष्ट्रों का दिल्ली सम्मेलन— चीन की हरकतों से अलजीयस सम्मेलन का असफलता के बाद एशियाई अफ्रिकी देशों के संगठन के आन्दोलन को जबरदस्त धक्का लगा। अतएव एशियाई देशों का संगठित करने की आवश्यकता फिर से महसूस की जाने लगी। भारत ने पुनः इस दिशा में कदम उठाया और तीन तटस्थ देशों—भारत, सयुक्त प्रजा गणराज्य तथा युगोस्लाविया के शासनाध्यक्षों का एक सम्मेलन नयी दिल्ली में आयोजित किया। २१ अक्टूबर, १९६६ को प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, राष्ट्रपति नानिरी और राष्ट्रपति टीटो का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। दोस्ती के धागे में बंध हुए इन तीनों देशों के राज्याध्यक्षों का सम्मेलन इसका प्रथम सत्र १९६१ में हुआ था। सम्मेलन में यह विचार किया गया कि तटस्थ देशों की गतिविधियों को फिर से किस तरह संगठित किया जाय कि वे विश्व शांति में बहुरत योगदान दें। दूसरा सत्राल यह था कि तटस्थ देश अपने आत्म-सम्मान का कैसे रक्षण करें। सम्मेलन में पर निर्भरता के खतरो का साफ-साफ खत। शायद, इसका कारण यह था कि इन सम्मेलन में तीन 'भूतभांगिया' ने भाग लिया था। गरीब देशों पर विश्व महायुद्ध का तिर जिनका बुरा और साधारण ही सन्ता है, इस भारत में अधिभार नहीं समझना। सभी इन की समझ पर तीनों नेताओं का जो सयुक्त प्रेस सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रपति नानिरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गरीब देशों का यह सम्मेलन है कि गरीब देशों का

सहायता दे कर व किसी तरह का उपकार नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब कि अमीर दशा ने अपने उपनिवेशों का शोषण कर अपनी समृद्धि के बदले उन्हें गरीब देशों को बिना किसी शर्त सहायता दनी है। लेकिन प्रेजिडेंट नासिर ने यह भी स्पष्ट किया कि अमीर देशों में इस तरह की भावना नहीं है। व गरीब देशों को सहायता देकर उनकी राजनीति और अर्थ व्यवस्था में दखल बते ह। इस तरह साम्राज्यवाद के चरण बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए यह जरूरी हा गया है कि गरीब देश मिलकर अमीर दशा के दबाव का विरोध करें।

तीन तटस्थ देशों के सम्मेलन की सत्रमें बड़ी उपलब्धि रही है कि उसने साम्राज्यवाद के बदले हुए चहरे को पहचान लिया। तीनों देशों की चार दिना की बैठक में आत्म-निर्भर अर्थ व्यवस्था का सवाल बार-बार उभर कर आया। प्रेजिडेंट नासिर और प्रेजिडेंट टोटो, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर तटस्थता को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रभावशाली होना है तो यह जरूरी है कि इन देशों की अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर हो।

तीनों देशों के नेताओं ने इस तथ्य को मान्यता दी कि साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद नये-नये रूपों में सामने आ रहे हैं। इनका उद्देश्य छोटे देशों की आजादी का खत्म करना और अपने उपयोग के लिए उनका शापण करना है। साम्राज्यवादी देशों का सबसे बड़ा हथियार विदेशी महायत्ना है। विदेशी महायत्ना किसी भी व्यवस्था को कम रसातल में न जा सकती है, इसका सफल सयुक्त प्रग-सम्मेलन में किया गया। मयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपनी गरीबी के बावजूद हर तरह की विदेशी सहायता से मुक्त हैं। चार दिनों के सम्मेलन में प्रेजिडेंट टोटो ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि तटस्थ देशों का अपने स्वतंत्रता के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेजिडेंट नासिर और श्रीमती गाँधी ने भी इस तथ्य का स्वाकार किया और प्रेजिडेंट नासिर का ओर से यह सुझाव आया कि तटस्थ देशों को अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि विश्वी मुद्रा का सकट दूर किया जा सके। तीनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि शीत-युद्ध का केंद्र आज दक्षिण पूर्व एशिया हो गया है। वियतनाम जिसो भा समय महायुद्ध के विस्फोट की शकल धारण कर सकता है। वियतनाम के बारे में वाना का यह राय था कि कबल वियतनामी जनता को अपनी नियंत्रित करन का अधिकार है। प्रेस सम्मेलन में एक सवाल के उत्तर में श्रीमती गाँधी ने यह स्पष्ट भा किया कि जब तक वियतनाम पर धमकारी प्रन्द नहीं जाती तब तक किसी तरह की शान्ति की आशा फूल है। एक और सवाल के उत्तर में प्रेजिडेंट नासिर ने भी कहा कि वियतनाम से बाहरों सेना-बा ता हटना जिनकूल जरूरी हा गया ह। प्रेजिडेंट नासिर ने स्पष्ट किया कि गहरी फौजा से मेरा मतलब अमेरिकी फौजा से है वना

सुभे नहा लगता कि दक्षिण वियतनाम में उत्तर वियतनाम को समाप्त है। जहाँ तक वियतनाम का ताल्लुक है, वह दक्षिण वियतनाम का ही एक टुकड़ा है और दक्षिण वियतनाम का यद्द बुनियादी तौर पर यह-युद्ध है जिसमें दखल देने का कोई अधिकार अमेरिका को नहा है।

सम्मेलन में तटस्थता की पुनर्व्याख्या का सवाल भी उठा। यह बात जोर देकर कहा गयी कि प्रदली हुई परिस्थितियों में भी तटस्थता का महत्त्व खोया नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि उसे किम तरह अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाया जाय। चीना नेताओं का मत था कि पिछले कुछ वर्षों में तटस्थता में यकीन रखने वाले देशों की संख्या घटने की वजाय बनी है। चीनी नेताओं ने यह भी स्वीकार किया कि शान्ति के प्रयत्नों में भी वृद्धि हुई है। यह सही है कि तटस्थ देशों के अपने खतरे बढ गये हैं, मगर इसके बावजूद तटस्थता आज भी अपना आजादी को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा इन तीनों देशों के आपसी हितों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और यह पाया गया कि जहाँ तक आर्थिक प्रश्नों का ताल्लुक है तीनों में जोर अधिक सहयोग होना चाहिए। चीनी नेताओं ने सुझाव दिया है कि इन देशों के अर्थ मंत्रियों का एक सम्मेलन हो जो इस बात पर विचार कर कि अपने आर्थिक सहायता का किम तरह विकास किया जाय कि पर-निर्भरता के संकट कम हो। इस सम्मेलन के अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नतीजे छोटे देशों के लिए भागदशक साबित होंगे। अब तक साम्राज्यवाद से कमल राजनीतिक स्तर पर लड़ाई लड़ी जाती रही है लेकिन अब उसके विरुद्ध आर्थिक मार्चा खोलनी जा इच्छा तीन देशों ने जाहिर की है, वह साम्राज्यवाद का सच्चे अर्थों में कमजोर और निष्प्रभ करेगी।

भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा समर्थक है। प्रधान मंत्री नेहरू ने एक बार कहा था कि "हम संयुक्तराष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व को कदरना नहा कर सकते हैं।" इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध के हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखना था। लेकिन जब संसार दो विरोधी गुटों में बँट गया तो दुनिया के कुछ प्रमुख देश संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपेक्षा करने लगे। पर, भारत का कहना है कि हमें संयुक्त राष्ट्रसंघ का यथासम्भव उपयोग करना चाहिए। दुष्टों और सन्तप्त मानवता के परिनाप का यह एकमात्र साधन है। यदि इसकी अपेक्षा का गयी तो संसार महाविनाश के गर्त में गिर जायगा। भारत का कहना है कि राष्ट्रों का अपने पारस्परिक झगड़ों का संयुक्त राष्ट्रसंघ के जरिये तय करना चाहिए। इसलिए स्वयं भारत यह कदमों में मात्र भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत हमेशा अपने उच्च क्रांति के राजनेता का अपना प्रातनिधि बनाकर भेजता है जो इसकी वाद विवादों में प्रमुख

प्रमुख भाग लेता है। भारत एकवार सुरक्षा-परिषद का सदस्य भी चुना जा चुका है। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती त्रिभुवालयमो पंडित साधारण सभा का सभापतित्व कर चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ का सामक-हाजीर-मेला अधिवेशन रहा हा जिसमे भारत ने कुछ प्रस्ताव न रखे हा। संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन करने क लिए भारत ने जितना दिये ह उतना दुनिया क शायद ही किसी दश ने किया हा। उमरा जय नी सेना को आवश्यकता पडो ह, भारत न दिया है। शान्ति क रक्षाथ, संयुक्त राष्ट्रसंघ क प्राश पर भारतीय सैनिक कारिया, मित, कागा जादि देशो मे भेज गये थे।

भारत न संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विश्व-व्यापक सन्धा बनाने म भा महत्त्व-पूर्ण योग दिया है। कोरिया युद्ध क बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ मे नये राज्या का संघ की सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर गतिरोध पैदा हा गया था। सावियत और अमरोगो गुट दोना नये सदस्य बनाने का विरोध कर रहे थे। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ न नये स्वतन्त्र देशों का प्रवेश असम्भव हो गया था। भारत ने इस गतिरोध को दूर करने का यत्न किया। नवम्बर १९५५ मे जब मार्शल बुन्गानिन और ख्रुश्चव भारत जाये ता पंडित नेहरू ने उनसे इस समस्या पर बातचीत की और अन्त म यह तय हुआ कि अमेरिका सावियत संघ द्वारा समर्थित दशो का विरोध न कर और इसी प्रकार सावियत रूम भी पश्चिमी गुट द्वारा समर्थित दशा का विरोध नहा करे। कारिया और वीयतनाम के संघ की सदस्यता का प्रश्न अभा ह्वाइ दिया जाय। इस समझौते के अनुसार ८ सितम्बर, १९५५ का संघ की साधारण सभा एक प्रस्ताव पास करके अठारह नये दशा का संघ का सदस्य बनाने का सिफारिश की। पर जब यह प्रश्न सुरक्षा परिषद मे आया ता राष्ट्रवादी चीन ने वीटा का प्रयोग करके सार समझौते का हा रद्द करा दिया। इसके बाद सावियत संघ ने भी वाटा का प्रयाग शुरू किया। फिर एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हा गयी। इसके समाधान मे भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने उड़ उड़ प्रयास किये और उनक परिश्रम क फलस्वरूप नये राज्यों की सदस्यता का प्रश्न बहुत कुछ हल हा गया। इस प्रकार भारत न इस जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के हल करने मे अपना सहयोग दिया।

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सस्थाओ मे भी प्रमुख भाग लेता आया ह। अन्तरराष्ट्रीय धर्म संघ तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सगठन क काना म उसकी विशेष रुचि रही है। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रबल समर्थक ह। यह भारतीय विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

पिछले बपा मे भारत क प्रतिनिधियों न संयुक्त राष्ट्रसंघ को विभिन्न शाखाओ तथा उनकी विभिन्न जायोगो एवं विशेष समितिया मे उत्साहपूर्वक भाग लेकर अच्छी ग्याति प्राप्त ह। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय म श्री श्री० एन० राव

ने न्यायाधीश के पद पर काम किया था। डा० राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठना में भारत का यह सम्मान भारतीय विदेश नीति की सफलता का चातक है।

संयुक्त राष्ट्र सभ में भारत का अद्वैत विद्वान है और उसकी यह भाति है कि दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय विवादा का सुलझाने में इस विश्व-पस्था का अधिकाधिक प्रयाग किया जाय। संयुक्त राष्ट्रसभ के प्रति भारत के अद्वैत विद्वान का प्रथम प्रमाण भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय सुरक्षा-परिषद् के युद्ध-विराम प्रस्ताव का भारत द्वारा तत्काल स्वीकृति है। इस काल में एक महीने के अन्दर सुरक्षा परिषद् की तीन बैठकें हुईं और प्रस्ताव प्राप्त हुए। भारत ने इन सभी प्रस्तावों का तुरत मान लिया। जहाँ पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों की मानने में जानाकानी की वहीं भारत युद्ध में विजयी हाते हुए भी सुरक्षा परिषद् के आदेशों को सह्य स्वीकार करने में जरा भी सकोच का प्रदर्शन नहा किया।

इस तरह भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्रसभ का पूरा समर्थन किया है। इस कारण १९६६ के अन्त में दुवारा सुरक्षा-परिषद् का अस्थायी सदस्य चुना गया। विश्व राजनीति के क्षेत्र में यह उनकी एक महान उपलब्धि मानी जायगी। इस चुनाव के फलस्वरूप १ जनवरी १९६७ का भारत ने सुरक्षा परिषद् में अपना स्थान किया। १९६८ के फरवरी अप्रिल में भारत ने नयी दिल्ली में 'अकटाड' (unctad) के द्वितीय सम्मेलन को बुलाकर भी सभ के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया।

कुछ प्रमुख राज्यों के साथ भारत का सम्बन्ध

भारत और ग्रेट ब्रिटेन-सत्तन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत का जत्य त ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इसका एक कारण यह है कि हम सदिना से ब्रिटेन के साथ सम्बद्ध थे और हमे अपने आर्थिक तथा सैनिक आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता था। अतएव जनवरी, १९५० में गणतन्त्र की स्थापना के उपरान्त भी भारत ने कामनवेल्थ से सम्बन्ध कायम रखा। गणतान्त्रिक भारत की कामनवेल्थ में बनाये रखने के लिए उसमें आवश्यक सुधार किये गये। पण्डित नेहरू कामनवेल्थ के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के प्रबल समर्थक थे। उनका उनका कहना था कि कामनवेल्थ की सदस्यता भारतीय सप्रसुता पर किसी तरह का अतिक्रमण नहा करता। लेकिन एक बात निश्चित है कि यद्यपि भारत उपनिवेशवाद का बडा विरोधी है, पर जब भी ब्रिटिश उपनिवेश में अत्याचार के प्रश्न आये त

* पहले इसका नाम ब्रिटिश कामनवेल्थ था। जब कुछ सदस्य 'ब्रिटिश शब्द का अपनी सम्प्रसुता पर अतिक्रमण समझने लगे तो यह शब्द निकाल दिया गया। अब यह कवल कामनवेल्थ कहलाता है।

हाल क क्या मे अफ्रीकी देशा मे सदिया की गुलामी क बाद 'अफ्रीकीकरण' की जा भागा पैदा हुइ उनस क्या की सरकार अडूती नहा रह सती। क्या से पहने ताजानिया और उगांडा से एशियाइ गैर-नागरिका का निष्कामित किया जा चुका था। फरवरी, १९६८ मे क्या की सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे एशियाइ लोग का जा वहाँ क नागरिक नहा है उन्हें केन्या मे गैर-नागरिक जैसा उपहार किया जाय। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि केन्या मे उस एशियाइरा का जीवन-यापन से वंचित हो जाना पड़ेगा।

केन्या सरकार क इस निणय से प्रवासी भारतीयों मे तहलका मच गया। १९६३ इ० मे केन्या की स्वाधीनता क समय ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त करके व ब्रिटिश नागरिक बन गये थे। अत यह उम्मीद की जा सकती थी कि ब्रिटेन इन लोग क प्रति अपनी जिम्मेदारी का निवाह करेगा, लेकिन जब केन्या के भारतीय मूल क ब्रिटिश नागरिक अपने को वहाँ अरक्षित अनुभव करके ब्रिटेन भागने लग, ता ब्रिटेन ने "एशियाइ वाट" का राकने के उद्देश्य से ससद मे एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य १ मार्च १९६८ के बाद केन्याई भारतीयों का ब्रिटेन मे प्रवेश से रोकना था। ब्रिटिश ससद ने इस विधेयक को पारित कर दिया। ब्रिटेन क इस कानून क सुतायिक उस पासपोर्ट को कोई कीमत नहा रही जा ब्रिटेन ने दिये थे तथा क्या क भारतीय ज ब्रिटेन मे जाकर तहा बस सकते थे।

इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मे तनाव उत्पन्न कर दिया। केन्या क भारतीय मूल क ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी स्पष्टत ब्रिटेन पर थी। लेकिन ब्रिटेन ने इस जिम्मेदारी का निभाने से सुँह माड लिया। इस स्थिति मे भारत क्या करता? जहाँ तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध था, भारत पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। किन्तु समस्या का एक मानवीय पक्ष भी था। इसके अतिरिक्त क्या और ब्रिटेन क निर्णय से प्रभावित होने वाले भारतीय ही सबसे अधिक थे।

जित समय ब्रिटिश ससद मे ब्रिटेन मे आनेवाले एशियाइया का राकने का विधेयक पेश हुआ उस समय भारत मे इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुइ। अखिल भारतीय कांग्रेस का ससदोय पार्टी मे यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार स बदला लेने के लिए राष्ट्रमंडल छोड दिया जाय और भारत मे ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाय। यद्यपि प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी ने इन सुझावा को अव्यावहारिक बतलाया, फिर भी भारत सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जॉन प्रीमैर का यह बतला दिया कि एशियाइया का ब्रिटेन-प्रवेश से राकने वाले अधिनियम का भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों पर साधार्तिक असर पड़ेगा।

२६ फरवरी, १९६८ का यह विधेयक पास भी हो गया लेकिन अपनी चतावनी के अनुसार भारत सरकार ने ब्रिटेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केन्ना के प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में क्षणिक तनाव अवश्य आया लेकिन इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं निकला।

भारत, फ्रांस और पुर्तगाल — स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में कुछ विदेशी वस्तियाँ रह गयी थीं। फ्रांस के अधीन चन्द्रनगर, पांडिचरी, कालीकट, माही तथा यनाम और पुर्तगाल के अधीन गोआ, डामन तथा ड्यू पर स्वाधीनता के बाद भी विदेशी शासन विद्यमान था। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत के लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि वह अपनी भूमि पर स्थित इन उपनिवेशों का मुक्त कराने का प्रयास करे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने फ्रांसीसी सरकार से अनुरोध किया कि वह ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए अपने अधीन की वस्तियों का मुक्त कर दे। फ्रांस ने समझदारों से काम लिया और २ मई, १९५६ का उसने चन्द्रनगर में अपने अधिकारों को त्याग दिया तथा नवम्बर, १९५४ में पांडिचरी, कालीकट, माही तथा यनाम का भी भारत के सुपुर्द कर दिया। फ्रांस के साथ भारत का सम्बन्ध काफी अच्छा रहा है। यद्यपि भारत ने फ्रांस की उपनिवेशवादो नीति का पूरा विरोध किया है, फिर भी इस विरोध के कारण दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता का आगमन नहीं हुआ है। कई आर्थिक और व्यापारिक सन्धियाँ भारत और फ्रांस के वर्तमान सम्बन्धों का नियमित करती हैं।

गोआ की समस्या—लेकिन पुर्तगाल भारत से अपना अधिकार हटाने का तैयार नहीं हुआ। भारत में पुर्तगाली वस्तियों का कुल क्षेत्रफल १,५३७ वर्गमील था। सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया जाना आवश्यक था। भारत ने यह मांग पुर्तगाल के सामने रखी। लेकिन वह इससे लिए तैयार नहीं हुआ, इस पर झुंझ होकर जुलाई, १९५२ में भारत ने पुर्तगाल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध निच्छेद कर लिया। इसके बाद गोआ की जनता ने मुक्ति आन्दोलन चलाया। उन्हें कुछ भारतीय क्रांतिकारियों से भी सहायता मिली। लेकिन अगस्त, १९५४ में गोआ का पुर्तगाली सरकार ने बड़ी निममता के साथ इस आन्दोलन को दबा दिया।

वास्तविक बात यह थी कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग बन गयी थी। पुर्तगाल अत्याधिक सगठन का एक सदस्य है और इसलिए उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ७ नवम्बर, १९५४ का अमरीकी विदेश सचिव फास्टर डलेस ने कहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ सारा गोआ को पुर्तगाल प्रान्त के रूप में स्वीकार करता है।” इस भारत में रोष का तूफान उठ खड़ा हुआ। उधर सोवियत युट ने पुर्तगाली

के सम्बन्ध में भारत का जवरदस्त समर्थन किया। अमेरिका का समर्थन पाकर पुतगाल भारत की अवहेलना करता रहा।

१९६१ के नवम्बर-दिसम्बर में भारत के लिए पुतगाली उपनिवेशों को लेकर स्थिति अमह्व हो गयी। पुतगाल ने गोआ में उहुन बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारी शुरू की और कई भारतीय मछुओं को मार डाला। इसके बाद पुतगाली सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण दिन-प्रतिदिन की बात हो गयी। जब स्थिति अमह्व हो गयी तो भारत सरकार ने पुतगाल के विरुद्ध सैनिक कारवाइ करने का निर्णय किया। दिसम्बर, १९६१ में भारत की सेना ने पुतगाल का गोआ छाड़कर चले जाने पर विनश किया। कुछ दिनों के बाद भारतीय सघ में गोआ का पूर्ण विलयन हो गया।

पुतगाल ने इस भारतीय कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति को सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में उठाया। सुरक्षा-परिषद् में अमरीकी प्रतिनिधि श्री स्टिवन्सन ने इसे एक लज्जापूर्ण काय बतलाया और कहा कि भारत की यह "सैनिक कारवाइ सयुक्त राष्ट्र-सघ के अन्त का प्रारम्भ है।" लेकिन सोवियत सघ ने उपनिवेशवाद को मिटाने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम बतलाते हुए भारतीय कार्रवाई का समर्थन किया। सुरक्षा-परिषद् में इस प्रश्न पर कुछ बहस हुई और अन्त में इस मामले का अन्त हो गया।

भारत और सयुक्त राज्य अमेरिका

ऐतिहासिक पृष्ठाधार—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत और अमेरिका में कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। कुछ अमरीकी भारत अवश्य आये थे, लेकिन उनका मुख्य काम भारतीय जीवन की गन्दगी का निरीक्षण करना था। मिस मेओ की पुस्तक "मदर इण्डिया" इसका ज्वलन्त उदाहरण है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ भारतीय भी अमेरिका जाने लगे। १९३७ में कुछ भारतीयों ने अमेरिका में "इण्डिया लीग" नामक एक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य अमेरिका में भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में जनमत तैयार करना था लेकिन इस संस्था का कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अमरीकी जनमत भारतीय समस्या की ओर उदासीन ही रहा।

द्वितीय विश्व-युद्ध में जब जापान के विरुद्ध अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तो अमरीकी सरकार भारतीय समस्या में कुछ दिलचस्पी लेने लगी। लेकिन उसका उद्देश्य यही तक सीमित था कि युद्ध के प्रयास में भारत में राष्ट्रीय जादालन से किसी प्रकार की बाधा न पड़े। इसलिए १९४२ के भारतीय क्रांति को दवाने के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी फौज का व्यवहार किया तो अमरीकी सरकार से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद भी १९४५ तक भारत के राष्ट्रीय

जानदान में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई समर्थन या सहानुभूति नहीं प्राप्त हुई। फिर भी युद्ध के समय भारत और अमेरिका में सम्पर्क बढ़ता रहा और युद्ध खत्म होते ही फरवरी, १९६४ में श्री आर. ए. टेली संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त किये गये।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का कूटनीतिक सम्बन्ध कायम होने के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सम्बन्ध उतना अच्छा नहीं हो सका जितना इसकी होना चाहिये था। इसका कारण था—अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रति दोनों देशों के रुख में अन्तर। अमरीकी दृष्टिकोण में साम्यवादी आन्दोलन युद्धोत्तर विश्व की सबसे गम्भीर समस्या थी। भारत इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे, भारत साम्राज्यवाद का कट्टर दुश्मन था और अमेरिका स्वयं एक साम्राज्यवादी देश तो था ही, वह यूरोपीय साम्राज्यवाद का खुला समर्थन भी करता था। इसलिए प्रारम्भ से ही भारत और अमेरिका का सम्बन्ध मतभेदा के साथ शुरू हुआ। जिन समय भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय सोवियत संघ और अमेरिका का सम्बन्ध बहुत खराब हो चला था और अमेरिका मावियत संघ का विरोध करने के लिए विश्व-व्यापी पैमाने पर तैयारी कर रहा था। इस कार्य में अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में रखना चाहता था। एशिया के नव स्वतन्त्र देशों की ओर उसका विशेष ध्यान था और उसका विचार था कि ये राष्ट्र शीत-युद्ध में अमेरिका का साथ दें तथा मावियत संघ का विरोध करें। जो देश अमेरिका की इस नीति से सहमत नहीं होते थे, उन्हें शत्रु या विरोधी की कोटि में रखा जाता था। भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ देश था और उसे प्रयास विदेशी सहायता को बड़ी आवश्यकता थी और यह सहायता अमेरिका से ही मिल सकती थी। अतएव अमेरिका को यह आशा थी कि स्वतन्त्र भारत आँख मूँदकर उसका साथ देगा। लेकिन उस निराशा हाना पड़ा, क्योंकि स्वतन्त्र भारत की सरकार ने गुटा से अलग रहनेवाली असलग्नता की नीति का अपना लिया। गुटवन्दिया के मध्य तटस्थता या असलग्नता की नीति अमेरिका का पसन्द नहीं थी और इसलिए वह भारत का रुकावट दृष्टि से देखने लगा। भारत को अपने कूटनीतिक जाल में फँसाने के लिए अमेरिका की ओर से कितने प्रयास हुए, लेकिन भारत इन सारे प्रयासों को विफल बनाता रहा। उसने अमरीकी गुट में शामिल होने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। ऐसी हालत में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध सन्तोषजनक ढंग से नहीं प्रारम्भ हुआ। दोनों देशों के बीच कुछ मौलिक मतभेद थे जिनका उनके सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक

था। इन प्रमुख मतभेदों के अतिरिक्त भारत और अमेरिका के बीच निम्न बातों पर भी मतभेद थे—

कश्मीर—कश्मीर के प्रश्न पर शुरू से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमरीकी नीति के कारण ही कश्मीर के प्रश्न का सन्तोपजनक समाधान अभी तक नहीं हो सकता है।

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता—१९५४ में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक सन्धि हुई जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान का सैनिक सहायता देना शुरू किया। भारत में इस सैनिक सहायता का घोर विरोध हुआ और हमका लेकर भारत और अमेरिका का सम्बन्ध बहुत ठिण्ड गया।

सैन्य संगठन—युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका ने सैनिक संगठन का जाल बिछा दिया। नाटो, सेन्टो जादि की स्थापना इसी नीति का परिणाम थी। भारत इन संगठनों को विश्व-शान्ति का दुश्मन मानता है और इसलिए उनका कटा विरोध करता रहा। इस कारण भी दोनों में गलतफहमी फैली।

निरस्त्रीकरण—निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका से अधिक सोवियत प्रस्तावों का समर्थन किया है। इस प्रश्न पर भी दोनों दशा के बीच मौलिक अन्तर है।

गोआ—गोआ की समस्या अभी हाल तक भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था। लेकिन अमरीकी सरकार ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं किया। १९५५ में डलेस और पुतगाली विदेश सचिव गुनहा का संयुक्त वक्तव्य तथा १९६२ में सुरक्षा परिषद् में अमरीकी प्रतिनिधि के उद्गार इसका दो प्रमुख उदाहरण हैं।

पूर्वा एशिया—पूर्वो एशिया से सम्बन्धित अनेक घटनाओं का लेकर भी भारत और अमेरिका ने घोर मतभेद रहा है। ये घटनाएँ थी चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना और उसकी मान्यता का प्रश्न, जापान के साथ संधि का प्रश्न, कोरिया का युद्ध तथा हिन्द-चीन का प्रश्न। जब चीन में कम्युनिस्ट शासन कागम हुआ तो भारत ने न केवल उसकी मान्यता ही प्रदान की अपितु उसने इस बात का भी प्रयास किया कि चीन की नयी सरकार का संयुक्त राष्ट्रमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। फारमासा के प्रश्न पर भी इसी घटना का लेकर दोनों के बीच मतभेद रहा।

४ सितम्बर, १९५१ का सैनफ्रांसिस्को में जापान के साथ सन्धि करन के लिए एक सम्मेलन हुआ। जिन शर्तों पर जापान के साथ संधि हान जा रहा था वह भारत का पक्ष नहीं थी। सन्धि की शर्तें एसा रंगीं थीं या जिससे जापान

अमरीकी प्रभुत्व कायम रह। इसलिए सोवियत युट ने इसका विरोध किया। भारत ने भी सम्मेलन में शामिल होने से इन्कार कर दिया। इस कारण भी भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में कटुता आयी।

कारिया के युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत की नीति निम्न कारणों से पसन्द नहीं आयी। सबसे प्रथम, उत्तरी कोरिया का आक्रमणकारी घोषित करने के बाद भी भारत ने सैनिक कार्रवाइयों में भाग नहीं लिया। द्वितीयत, भारत ने इस युद्ध में तटस्थता की नीति का अनुसरण किया और शान्ति स्थापित करवाने के लिए मध्यस्थता के लिए प्रयास किया। तृतीयत, उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ की संनाओं द्वारा ३८ वा अक्षांश रेखा के पार किये जाने का विरोध किया। चतुर्थत, भारत ने अमेरिका के उभे प्रस्ताव का घोर विरोध किया जिसके द्वारा चीन को आक्रमणकारी घोषित किया गया। और, अन्त में कोरिया की समस्या को सुलझाने के लिए उसने चीन का संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

हिन्द चीन की समस्या पर भी इसी तरह दोनों देशों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर रहा। भारत हिन्द चीन की समस्या का सन्तोषजनक समाधान चाहता था, लेकिन अमेरिका युद्ध के द्वारा इस समस्या का निपटारा चाहता था। इसलिए जब भारतीय संसद् में प० नेहरू ने हिन्द चीन की समस्या के समाधान के लिए अपने छे सूत्रों प्रस्ताव रखे, तो अमेरिका में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। फिर जेनेवा-सम्मेलन के बाद अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया संगठन कायम किया। भारत ने इसका कडा विरोध किया।

भारत के इन दृष्टिकोणों के कारण अमरीकी सरकार भारत से बहुत दूर रह करती थी और उसे सोवियत संघ का पिछलग्गा राष्ट्र कहती थी। उदाहरणार्थ, जनवरी, १९५६ में जॉन फास्टर डलेस ने कहा था कि "भारत में सोवियत साम्यवाद अन्त कालीन हिन्दू सरकार के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।"

१९५७ में प्रधान मन्त्री नेहरू अमेरिका गये और उनकी यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ। परन्तु इसी समय पश्चिमी एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद ने उग्र रूप धारण किया। अमेरिका ने जादसनहाबर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लेबनान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सेनाएँ भेजी। कुछ दिनों के बाद ईराक में एक क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति को दमन के लिए भी ब्रिटिश फौज जार्डान में उतारी गयी। भारत ने इन सभी कार्रवाइयों का घोर विरोध किया जिसके कारण भी दोनों देशों में मनमुटाव बढ़ा।

लेकिन १९५६ में राष्ट्रपति ज़ादसनहावर की भारत-यात्रा के फलस्वरूप दोना देश के बीच फिर से अच्छे सम्बन्धों का प्रारम्भ हुआ ।

अभी तक हमने केवल भारत-अमरीकी मतभेदों की चर्चा की है । लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारत और अमेरिका में किसी प्रकार का अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा है । इन दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्ध भी रहे हैं और इसके लिए भारत में अमरीकी राजदूत श्री चेस्टर वॉल्स की देन सबसे महत्त्वपूर्ण है । अबदूबर १९५१ में वे पहली बार राजदूत के पद पर जाये और उनका प्रयास से भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ । चेस्टर वॉल्स के पहले अमेरिका भारत का अधिक सहायता देने के लिए उतना इच्छुक नहीं था, लेकिन नये राजदूत के प्रयासों के फलस्वरूप भारत का काफी मात्रा में अमरीकी सहायता मिलने लगी । चेस्टर वॉल्स ने इस बात की सिफारिश की कि एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए भारतीय प्रजातन्त्र का सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिए भारत को अमेरिका से पूरी सहायता मिलनी चाहिए । इसके बाद से अमेरिका ने भारत को प्रचुर मात्रा में अधिक सहायता दी है । भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का सफल बनाने में अमेरिका की देन बहुमूल्य है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए भी अमेरिका काफी मात्रा में भारत को सहायता देने का तैयार है ।

भारत पर चीन का हमला और अमेरिका—अबदूबर १९६२ में भारत पर बहुत बड़े पैमाने पर चीनी आक्रमण शुरू होने के फलस्वरूप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्धों में एक नया अध्याय शुरू हुआ । इस चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए भारत ने अमेरीकी सरकार से अनुरोध किया कि वह शीघ्रता-शीघ्र सैनिक मदद दे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति कैंनेडी ने इस अनुरोध पर अविचल विचार किया और भारत को सैनिक सहायता भी दी । ५० नेहरू के शब्दों में, सारा देश इस सहायता के लिए अमेरिका का आभारी रहगा । यह एक सन्तोष की बात है कि अमेरिका ने पलायन से नाजायज लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया । उसने सैनिक सहायता देने के लिए काइ शक्त नहीं रखी । विदेश सचिव डीन रस्क ने भारत की असहजता की नीति की प्रशंसा भी की । लेकिन अमेरिका भारत का वेशर्त सैनिक सहायता देता रहगा यह एक सदिग्ध बात है । अमेरिका में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये गये जिससे पता चला कि अमरीकी सहायता को प्रतिकटाक मिलने में कुछ कठिनाई होती रहगी कम में-कम एक बात तो स्पष्ट हो गयी । अमेरिका पाकिस्तान के लाभ की दृष्टि से कश्मीर समस्या का हल करवा लेना चाहता है । इसके लिए भारत पर कई तरह के दबाव डाले गये । अमेरिका की प्रेरणा से ही कश्मीर के प्रश्न पर भारत-पाकिस्तान वातालाप शुरू हुआ था और कलकत्ता के भूटो-स्वर्ण सिंह वातालाप के समय अमरीकी राजदूत

प्रोफेसर गैलवर्थ ने जिम नाटकीय ढंग से हस्तक्षेप किया था, उसने इस तथ्य की जोर सकेत किया कि भारत क प्रति अमरीकी दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। मई १९६३ में राष्ट्रपति राधाकृष्णन् क अमरीकी यात्रा का भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। अमेरिका ने याकारो प्लान्ट बैठाने में मदद देने से इन्कार कर दिया। १९६३-६४ में भारत क प्रति अमरीकी कूटनीति का एक लक्ष्य प्रतीत हो रहा है—चीनी आक्रमण तथा भारत की आर्थिक स्थिति से उत्पन्न मकड़ से लाभ उठाकर भारत को अमरीकी प्रभाव में आवद्ध कर लेना। और इस दिशा में भारत का अमेरिका से कुछ सफलता भी मिली। फिर भी, इस बात को मानने में इन्कार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति कैंनेडी के पदारोहण क उपरान्त अमेरिका क साथ भारत के सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और कैंनेडी प्रशासन द्वारा भारत पर चीन का हमला होने पर जो अविलम्ब सहायता प्रदान की गयी थी, उसने भारतीय जनता का बहुत ही अधिक प्रभावित किया। राष्ट्रपति कैंनेडी ने भारत की तटस्थता नीति का भी अन्य अमरीकी नेताओं को अपेक्षा भली प्रकार समझा और उसका यथोचित सम्मान किया। श्री कैंनेडी ने पाकिस्तान और भारत विरोधियों क विरोध एवं प्रचार की परवाह न करते हुए चीनी हमले से भारतीय लाकतन्त्र की रक्षा करने के लिए जिम प्रकार सैनिक सहायता दी वह उनकी महानता और दूर-दशिता का प्रमाण था। लेकिन भारत क दुर्भाग्य से सत्तार का यह महान् नेता अत्यन्त आकस्मिक ढंग से हमारे मध्य से उठ गया। उसकी मृत्यु से भारत ने अपना एक बहुत बड़ा शुभचिन्तक खो दिया। श्री कैंनेडी क बाद श्री लिन्डन जॉनसन सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। श्री जॉनसन ने अपने प्रथम भाषण में जो आश्वासन दिया, उससे जाशा की गई कि शायद अमेरिका का नया प्रशासन भारत के प्रति कैंनेडी नीति का ही अनुसरण करे। राष्ट्रपति जॉनसन क शासन का १९६३ में भारत को सहायता मिली है। ७ दिसम्बर १९६३ को भारत और सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नयी दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत अमेरिका भारत को आठ करोड़ डालर वार्षिक ऋण प्रदान करने के लिए देने का वादा किया। अमेरिका की सहायता का वादा न केवल वायुसेना को भी शक्तिशाली बनाया। १९६४ में भारत, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन के शैक्षणिक अभ्यास किये। १९६४ में ही भारत में अमेरिकी सहायता का स्तर १०० एल० एम० एल० के अन्तर्गत अमेरिका ने भारत को सहायता देने की प्रति जो और कई तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की है, उससे भारत का इस तरह की सहायता प्राप्त करने में अमेरिका की सहायता का विरोध क आवृद्ध चीनी -

अमेरिका ने भारत के हाथों सैनिक राजा-समान दिये हैं और कुछ सैनिक सहायता भी दी है।

भारतीय प्रधान मन्त्री की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा—भारत और मध्यक राज्य अमेरिका के सम्बन्धों के इतिहास में १९६५ का वर्ष अत्यन्त सन्तापजनक वही माना जा सकता। जायिक और खायात्रा के प्रभाव की दृष्टि से भारत के लिए यह वर्ष बड़ा ही अशुभ मित्र हुआ। ऐसी हालत में भारत को अमरीकी सहायता की मरत जरूरत थी। अतएव अमरीकी सहायता प्राप्त करने तथा भारत-अमेरिका सम्बन्धों में सुधार के लिए भारतीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने मई में अमेरिका जाने का कार्यक्रम बनाया और राष्ट्रपति जॉनसन की जार में उन्हें निमन्त्रण भी प्राप्त हो गया। उनी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खा के अमेरिका भ्रमण की भी बात थी।

इस समय अमेरिका वियतनाम में अपना खुनी साम्राज्यवादो युद्ध चला रहा था और उसे उम्मीद थी कि चीन के विराध में मानसिक सतुलन खोकर तथा आर्थिक मरुट से राध्य होकर भारत-अमेरिका की वियतनामो नाति का समधन करेगा। लेकिन भारत ने न्याय का साथ देते हुए अमेरिका की वियतनाम नीति की कडी आलोचना की। भारत सरकार का यह रुख अमेरिका के लिए अमख था। भारत के प्रति अपना विराध प्रकट करने के उद्देश्य में १६ अप्रिल का अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने निमन्त्रण का वापस लेते हुए कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अधिवेशन में व्यस्त हान के कारण राष्ट्रपति का प्रधान मन्त्री का स्वागत करने के लिए समय का अभाव रहेगा। अतएव प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। इस निणय के विरुद्ध भारत में बडी प्रति-क्रियाए हुई और जनता तथा सरकार दोनों ने इसे देश का अपमान समझा। सम्पूर्ण देश में अमेरिका विराधी भावना का एक तूफान फूट पडा। चूंकि पाकिस्तान और चीन का प्रस्ता हुआ सम्बन्ध भी अमेरिका का पमद नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति अयूब की यात्रा का भी इसी तरह स्थगित करा दिया गया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध और अमेरिका—५ जगस्त १९६५ को पाकिस्तानी मुजाहिदा ने कश्मीर में घुसकर जब उत्पात मचाना शुरू किया और इसकी खबर जग अमेरिका पहुँची, ता वहाँ के ममाचारपरत ने पाकिस्तानी राग अलापते हुए कहा कि भारत के विरुद्ध कश्मीरवाला न विद्राह कर दिया है। लेकिन यह उम्मीद ना जाती थी कि अमरीकी सरकार का घटना का रास्तविक ब्यारा मिला हागा और जिस दग व अमेरिका के प्रमन दुस्मन चीन के साथ पाकिस्तान अपना सम्बन्ध बढ़ा रहा था उगका प्ररत हुए कश्मीर के सम्बन्ध न मध्यक राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण बदलेगा। लेकिन यह जशा निराधार मित्र

हुइ और अमेरिका ने पुन वही रवैया अपनाया जो कश्मीर के प्रश्न पर अब तक उपका रहा है। यह जानकर कि जेनरल निम्मा को रिपोर्ट पाकिस्तान के विरुद्ध है, अमरीकी सुप्रीम न मद्रावचित्र यूथान्त पर दबाव डाला कि वह इस रिपोर्ट को प्रमाणित नहा करें। भारत के प्राये सयुक्त राज्य अमेरिका का यह अन्यायपूर्ण रुख था।

१ मितभ्रर का पाकिस्तान ने अन्तराष्ट्रीय सीमा रेखा पार करके अस्य जुरिया क्षेत्र मे भारतीय प्रदेश पर उच्च शिक्षाल पैमाने पर आक्रमण कर दिया। यह पहला जवमर था जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमेरिका म प्रने और पाकिस्तान को मदद के रूप म दिये पैटन टक, हवाई बम वर्षक तथा अन्य अमरीकी शस्त्राशस्त्रों का युद्ध मे झोक दिया। पाकिस्तान की इम कार्रवाई ने अमरीकी प्रशासन को उडे दुविधा मे डाल दी। जिन समय सयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान मे पारस्परिक सुरक्षा संधि हुइ थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का वादा किया था। उम समय भारत ने इस कारण इसका बडा विराध किया था कि पाकिस्तान का मुस्त हथियारों से साम्यवाद के विरुद्ध लैम करने का भारतीय सुरक्षा पर बडा प्रतिकूल प्रभाव पडगा। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति आइमनहावर का लिखा था कि पाकिस्तान इन शस्त्राशस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध करेगा। उम समय राष्ट्रपति आइमनहावर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को मिले अमरीकी हथियारों का प्रयोग कवल कम्युनिस्ट राज्या के विरुद्ध करने दिया जायगा और यदि पाकिस्तान ने इन हथियारों से भारत पर आक्रमण किया तो सयुक्त राज्य अमेरिका उसका विराध करेगा और भारत की सहायता करेगा। इस आश्वासन के आधार पर भारत सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि पाकिस्तान सेन्टो तथा मिआटा सन्धियों के अन्तर्गत मिले शस्त्राशस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है और यह अनुरोध किया कि अमेरिका अपने मित्र राज्य को ऐसा करन म राके। लेकिन अमरीकी प्रशासन ने उस तथ्य की ओर जरा भी ध्यान नही दिया और पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्राशस्त्रों के दुरुपयोग से रोकने मे अपनी असमर्थता प्रकट की। सयुक्त राज्य अमेरिका को यह नीति राष्ट्रपति आइमनहावर के उन आश्वासनों का उल्लंघन था। लेकिन उस समय के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का हर तरह की सैनिक सहायता बंद कर दिया। लेकिन यह प्रतिबन्ध भारत के विरुद्ध भी लगाया गया। अमरीकी सरकार ने आक्रामक और अक्रान्ता दानों को एक ही कोटि मे रखने मे लेशमात्र का सकाच नहा किया। इसके अतिरिक्त छमने यह भी धमकी दी की वह दोना देश का अधिक सहायता देना भी बन्द कर देगा यदि युद्ध नहा बंद नहिन गरा। इस धमकी से पाकिस्तान की अपेक्षा भारत का ही अधिक पुबन।

वाला था, क्योंकि इस समय भारत में खाद्यान्नों के अभाव के कारण भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था और भारत को अमरीकी सहायता की सख्त जरूरत थी।

सितम्बर के महीने में युद्ध को समाप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद की नार वैठकें हुईं। इन बैठकों में सुरक्षा परिषद के अद्य सदस्य की तरह अमरीकी प्रतिनिधि श्री गोलडवर्ग ने भी महासचिव यू-थान्त के युद्ध बन्द कराने के प्रयासों का समर्थन किया तथा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों के पक्ष में अपना मत दिया। लेकिन वहस के दौरान में अमरीकी प्रतिनिधि ने हमेशा “कश्मीर प्रश्न के राजनीतिक समाधान” पर बल दिया। इस दृष्टिकोण से अमेरिका का रुख निश्चय ही भारत विरोधी था। इसका तात्पर्य यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका कश्मीर के प्रश्न को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानता है—यह प्रश्न जिसका समाधान भारत की दृष्टि में कश्मीर के लोगों ने कई चुनावों में भाग लेकर बहुत पहले कर दिया था।

भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमरीकी दृष्टिकोण का एक और पहलू था। १ सितम्बर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला इस विश्वास के साथ किया था कि वह कुछ ही दिनों में भारत को पराजित करने में सफल रहेगा, लेकिन भारत ने जल्द इसका प्रतिरोध किया और पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमला शुरू किया, तो पाकिस्तान का पूर्ण विनाश अवश्यम्भावी हो गया। ऐसी हालत में राष्ट्रपति जव्वर ने एकाधिक बार अपनी पुरानी दोस्ती के नाम पर अमेरिका से अपील की कि वह भारत के आक्रमण बन्द कराने के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करे। लेकिन राष्ट्रपति जानसन ने इस बार पाकिस्तान को अनुग्रहित नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने इस बात को कई बार दुहराया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध बन्द करने के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायगा। संयुक्त राष्ट्रमण्डल के अंतर्गत होगा और व्यक्तिगत रूप से अमेरिका इसके सम्बन्ध में कोई कदम नहीं करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका के इस दृष्टिकोण ने पाकिस्तान को टेढ़ी छोटने और सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम प्रस्ताव को मान लेने के लिए बाध्य कर दिया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान में अपने नये साथी पाकिस्तान पर भारतीय सैनिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से १७ सितम्बर को चीन ने भारत को धमकी से भरा एक जल्लिमेटम भेजा जिसमें भारत से यह मांग की गयी थी कि वह तीन दिनों के अन्दर “गैर कानूनी टंग से चीनी क्षेत्र में उनाये सैनिक अड्डों को तोड़ दे” तथा इसके उपरान्त उसने शीघ्र ही सीमांत पर भारत के विरुद्ध सैनिक गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी। चीन की इस कार्रवाई से परिस्थिति बहुत कठिन हो गयी। इस हालत में अमरीकी विदेश सचिव ने यह घोषणा की कि यदि चीन ने भारत के विरुद्ध कोई सैनिक कार्रवाई की तो अमेरिका भारत को किसी

तरह की सहायता देने में जरा भी सकोच नहीं करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नाजुक घड़ियों में अमेरिका की इस घोषणा से भारतीयों के मनोबल को ऊँचा रखने में बड़ी सहायता मिली। अमेरिका की इस घोषणा का भारत में मंत्र-स्वागत हुआ।

प्रधान मन्त्री की अमेरिका यात्रा — अप्रिल १९६५ में भारत के प्रधान मन्त्री की अमेरिकी यात्रा के स्थगन से भारत में अमेरिका विराधी भावना का प्रबल तूफान फूट गया था और इस घटना के कारण दोनों देशों का सम्बन्ध काफी गिर गया था। इस कारण एस० के० पाटिल और जी० डी० बिरला जैसे अमेरिका के ममथक भारतीय बहुत चिन्तित थे। जून-जुलाई १९६५ में इन दोनों व्यक्तियों ने अमेरिका का भ्रमण किया और यह प्रयास किया कि राष्ट्रपति जॉनसन पुनः भारतीय प्रधान मन्त्री को आमन्त्रित करें। इस तरह का जाल बुना ही जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और भारतीय प्रधान मन्त्री द्वारा अमेरिका यात्रा की सारी सम्भावनाएँ अनिश्चित दाल के लिए स्थगित हो गयीं। नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में भारत-अमेरिका सम्बन्ध में वास्तविक स्पष्ट हुए। युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत का हर तरह की सहायता रोकना बन्द कर दिया था, लेकिन भारत में विपक्ष खाद्यान्न संकट को देखते हुए अमेरिका ने फैसला किया कि पी० एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूँ की आपूर्ति पुनः चालू की जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत को भूखमरी से बचाने में अमेरिका के इस निणय ने बड़ी सहायता की है। दूसरा वास्तविकता सम्मेलन से सम्बन्धित है। अमेरिका कभी नहीं चाहता होगा कि सावियत संघ भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करे। लेकिन जब सोवियत संघ ने ताशकन्द सम्मेलन का प्रस्ताव रखा और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया तो कम-सं-कम सार्वजनिक रूप से अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया। अमेरिका के इस दृष्टिकोण से ताशकन्द में समझौता करने में बड़ी सहायता मिली। प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर श्री हफ्के ने अमेरिकी जनता और सरकार की ओर से भारत के प्रति अपार सहानुभूति दर्शायी और यह आश्वासन दिया कि भारत अमेरिका से हर तरह की सहायता की अपेक्षा कर सकता है। कुछ दिनों के उपरान्त श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधान मन्त्री नियुक्ति की गयी। राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें बधाई दी और एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि वे शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनावें।

२८ मार्च १९६६ को श्रीमती इन्दिरा गाँधी की अमेरिका यात्रा प्रारम्भ हुई। ऐसे तो श्रीमती गाँधी कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन प्रधान मन्त्री के रूप में यह उनकी प्रथम यात्रा थी। उस समय भारत में भय

आर्थिक संकट से गुजर रहा था और यह उम्मीद की गयी कि प्रधान मन्त्री को याना स प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन सत्र मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ उठाने का यत्न करता रहा। भारत पर अपना वैद्विक साम्राज्यवाद लाने के उद्देश्य में उसने "इंडो यू० एस० एडुकेशन फाउन्डेशन" का प्रस्ताव रखा, लेकिन सर्वत्र देश में इतना व्यापक विरोध हुआ कि सारी योजनाएँ स्थगित कर दी गयीं। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद अमेरिका ने पुनः उन सारी आर्थिक सहायताओं का चालू करने का निणय किया जो भारत-पाक युद्ध के समय बन्द कर दी गयी थी। इसका अर्थ कुछ लोगों ने यह लगाया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिकी दबाव के कारण हुआ। फिलहाल भारत के प्रति अमेरिकी नीति का एक ही लक्ष्य प्रतीत हो रहा है—भारत की आर्थिक विवशता से लाभ उठाकर उस पर हर तरह से दबाव डालना और उस अपने प्रभाव में रखना।

भारत और सोवियत संघ

भारत और सोवियत संघ के बीच स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूरे भी गेडा बहुत सम्बन्ध था। शुरू में प० नेहरू सोवियत क्रान्ति के बहुत बड़े शुभचिन्तक थे। सोवियत संघ प्रारम्भ से ही साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी रहा है। उसने प्रत्येक स्तर पर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का समर्थन किया है। इसलिए सोवियत संघ के प्रति भारतीयों में सहानुभूति का उत्पन्न होना त्रिन्कुल स्वाभाविक था। सोवियत-संघ के साथ स्वतन्त्र भारत का सम्बन्ध इसी पृष्ठाधार में शुरू हुआ। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्ध कभी एक से नहीं रहे, उनमें अनन्त चढ़ाव उतराव देखे हैं। १९४६-४७ में उपनिवेशवाद, प्रजातंत्र विभेद, निरस्त्रीकरण, आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत और सोवियत संघ का एकना दृष्टिकोण रहा और इन प्रश्नों पर भारत ने अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ का ही समर्थन किया। परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चली और कुछ ही समय बाद कुछ ज्ञाताओं के लेखर दोनों देशों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। परन्तु १९६६ के अन्त में स्थिति फिर सुधरी। उस काल में भारत ने साम्यवादों चीन का बहुत ज़ारदार समर्थन किया। जतएव सोवियत संघ में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। इसी समय डॉ० राधाकृष्णन मास्का में भाग्य के राजदूत नियुक्त हुए और उनका प्रत्यक्ष फलस्वरूप भारत और रूस के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ। इससे परिणामस्वरूप १९६६ के अन्तिम दिनों में भारत और सोवियत संघ के बीच एक व्यापारिक संधि हुई। फिर जब १९६९ में सारिगा का युद्ध शुरू हुआ और जब भारत ने उत्तर सारिगा का प्राक्रमणकारी मान लिया तो सोवियत-

सध पुन भारत से नाराज हो गया। किन्तु भारत सरकार का रुख तुरत ही बदल गया। प० नेहरू के शान्ति प्रयासा की प्रशना स्वय स्टालिन ने की। यह सत्य ही रहा गया है कि कारियाइ युद्ध क समय भारत नीति म जहा वाशिगटन और दिल्ली क बीच मतभेद की स्थिति पैदा हुई वहाँ मावियत सध क साथ उसक सम्बन्धा म एक बडी सीमा तक प्रगाढता आया। इसी समय भारत न सावियत सध की तरह जापानी शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। दिसम्बर, १९५० मे यद्यपि कारिया क युद्धवन्दिया क कारण भारत और सावियत सध मे मनमुटाव पैदा हा गया लेकिन दाना का सम्बन्ध बहुत अधिक नहा गिगडा। इनक कई कारण थे। इसमें सभस मुख्य कारण अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का दो जाने-वाली सैनिक सहायता थी। इसी बोच कश्मीर की स्थिति भी विगडने लगी। फलत भारत अनिवार्य रूप से मावियत सध की आर मुकन लगा।

१९५४ मे अमेरिका की प्रेरणा से दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य-मगठन एव बगदाद सन्धि की रचना हुई। भारत ने इन गटप्रन्दियों का घार विराध किया, जिसक फलस्वरूप भारत और अमेरिका क सम्बन्धो मे गिगड पैदा हुआ। १९५५ म नहत्त ने मावियत सध की यात्रा की। उसी समय ब्लागानिन और एच शेचेव ने भारत की यात्रा की। इन यात्राओं क फलस्वरूप भारत और सावियत सध क सम्बन्धा मे जोर अधिक सुधार हुआ। सोवियत नेताआ की यह यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि इस जमर पर उन्हान भारत को कश्मीर और गाजा क प्रश्न पर हर प्रकार की सहायताएँ दन का वादा किया। वस्तुत कश्मीर क प्रश्न पर भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा सावियत सध ने ही की है। जब जब अमरीका गुट ने भारत को परेशान करने का प्रयास किया तब-तब सावियत सध न सुरक्षा-परिपद म बोटा का प्रयाग करक भारत की महायता की है। इसक अतिरिक्त सोवियत-सध न भारत को प्रचुर मात्रा म जाधिक और टेकनिकल सहायता भी मिली है। भिलाइ म सोवियत महायता से एक इस्पात का कारखाना खुना जा दाना की मैत्रा का प्रताक है। जोर भी, कई क्षेत्रों म भारत को रूम से सहायता मिली है। यद्यपि १९५५ में हंगरी की घटना का लेकर भारत और सावियत सध क सम्बन्ध मे फिर कुछ कटुता आयी, लेकिन इस घटना से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का कायम रखने की प्रक्रिया म कोई विशेष उलयन नहा पैदा हुई। इसका प्रमुख कारण है कि दाना दश दिन शान्ति और शान्तिपूर्ण सहजोवन क सिद्धान्ता म पूरा तरह आन्धा रखते ह। ये दानो सिद्धान्त ऐम ह जिनक जागर पर भारत और सावियत सध की मित्रता चिरनाल तक कायम रन सकती ह। निरयोक्तरण क प्रस्तावा पर ता भारत सावियत सध का जबरदस्त समर्थन करता है।

चीनी आक्रमण और सोवियत सध—१९६० क जनवरी-नवम्बर म जय चान द्वारा भारत पर गूत गडे पैमाने पर आक्रमण हुआ ता सावियत सध —

लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। इस युद्ध में एक तरफ ता सोवियत संघ का "भाई चीन" था और दूसरी ओर "दोस्त भारत" था। इस हालत में वह किसना पक्ष ले यह बहुत ही कठिन समस्या थी। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी कूटनीति की बदौलत उन्हीं ही खूबियों के साथ अपनी स्थिति का निर्वाह किया। एक तरफ तो उसने अपने "भाई चीन" पर दबाव डालकर उसको माध्य किया कि वह अपने जाक्रमणकारी प्रवृत्ति पर अकुश लगाये और दूसरी ओर अपने दाद के अनुसार उसने भारत का सहायता भी दिया जिसमें नैतिक सहायता भी सम्मिलित थी। जब संकट अपनी चरम सीमा पर था तब रूस ने भारत को भी निम्नान दिव्य। कम से कम कुछ लोग तो ऐसे अवश्य हैं जो यह मानते हैं कि भारत पर चीनी आक्रमण सोवियत दबाव के कारण ही बन्द हुआ। भारत के प्रति रूस का रुता रख इस बात का प्रमाणित करता है कि दानों दशा की मित्रता एक सुन्दर नींव पर खड़ी है।

रूस की सहायता—जुलाई १९६३ में भारत सरकार के एक सचिव का बृथलिंगम के नेतृत्व में सोवियत संघ से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक मिशन मास्का गया और सोवियत सरकार ने भारत का सैनिक साजोसामान देने का आश्वासन दिया। सोवियत संघ के साथ हमारा सम्बन्ध का एक ठास जागर प्राप्त है। १९६२ में भारत को रूस से प्रचुर मात्रा में सामरिक और आर्थिक सहायता मिली। रूस ने भारत को मोग वायुयान दिये और वह मोग वायुयानों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके लिए पचास करोड रुपये की पूँजी से एक कम्पनी कायम की गयी है। कम्पनी निर्माण के लिए ज़मीन में एक स्थान चुना गया है। रूस ने प्रत्येक प्रकार से सहायता करने का भी वचन दिया है। ८ नवम्बर, १९६३ को रूस और भारत के बीच एक इकरार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार भारत में तेल और गैस का पना लगाने तथा उन्हें विकसित करने के लिए रूस में टेक्नीशियन भेजे जायेंगे। रूस ने वाकारों के इस्पात कारखाना का बनवाने का भी वादा किया है। रूस ने एक शक्तिशाली रेडिया स्टेशन बनवाने में सहायता करने का भी आश्वासन दिया है। इस प्रकार भारत का सोवियत संघ से प्रचुर मात्रा में सहायता मिल रही है।

सोवियत संघ भारत के प्रति प्रगाट सहानुभूति रखता है इसका प्रमाण हम प्रधान मंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद मिला। नये प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर सोवियत प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चव ने भारत को वह आश्वासन दिया कि सोवियत संघ हमेशा की तरह भारत को यथासम्भव सहायता दता रहेगा। उन समय सोवियत जनता और नेताओं का जो सहानुभूतिपूर्ण आचरण हुआ वह अद्वितीय था। उनमें यह सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ भारत का परम मित्र है।

सोवियत सभ का नया नेतृत्व और भारत— १६ जक्टूबर, १९६४ को श्री ख्रुश्चेव क पतन के उपरान्त सोवियत सभ मे जिस नवीन नेतृत्व का उदय हुआ उसक कारण भारत मे यह आशका व्यक्त की जाने लगी कि जग भारत क प्रति सोवियत दृष्टिकोण मे परिवर्तन हागा । श्री ख्रुश्चेव भारत क परम मित्र थे और उनक पतन से भारत मे अपार दु ख उत्पन्न हुआ । ऐसा समझा गया कि कोसीजिन और ब्रेजनेव चीन के साथ समझौता कर लेंगे और स्टालिनवादी नीति का अनुसरण करते हुए भारत-चीन विवाद मे भारत के पक्ष का समर्थन करना छोड़ दग । लेकिन यह आशका निर्मूल सिद्ध हुई । सोवियत नेताओ ने घोषित किया कि वे विदेश नीति मे कोई मौलिक परिवर्तन नहा करेंगे । सोवियत राजदूत ने भारत सरकार का आश्वासन दिया कि भारत क प्रति उनक देश की नीति मे काइ परिवर्तन नही हागा । वाद की घटनाओ ने सिद्ध कर दिया कि सोवियत-सभ और भारत की मैत्री मे लेशमात्र की कमी नही आयी है । सोवियत सभ के नये नेतृत्व क अन्दर भी भारत का अपार सहानुभूति, समर्थन और सहायता मिली है और दोना का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर है ।

भारत-पाकिस्तान युद्ध और सोवियत नीति

कश्मीर समस्या पर सोवियत दृष्टिकोण—संसार की महाशक्तियों में सोवियत सभ ही एक ऐसा देश है जिसने कश्मीर मे भारतीय स्थिति को उचित ढंग से समझा है । कश्मीर क प्रश्न पर उसने हमेशा न भारतीय पक्ष का समर्थन किया है । ख्रुश्चेव ने शुरू मे ही यह घोषित किया था कि सोवियत सभ कश्मीर का भारत का अभिन्न जग मानता है । कश्मीर की समस्या की जटिलता का कारण सोवियत दृष्टिकोण मे साम्राज्यवादी देशों की नीति है जो एशिया के दो पड़ोसी देशों को आपस मे लटाकर अपना उल्लू सीधा करने का उद्देश्य रखते हैं । इस विचार का सोवियत नेता कई बार व्यक्त कर चुके हैं और कश्मीर क सम्बन्ध में सोवियत नीति इसी तथ्य से प्रभावित है । सोवियत सभ का विचार है कि भारत और पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करके इस प्रश्न का तय कर लें । कश्मीर क प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् की जितनी बैठके हुईं और उनमें जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनके सम्बन्ध में सोवियत सभ ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण का निधारण किया । श्री ख्रुश्चेव क पतन के बाद जब भारत मे सोवियत विदेश नीति मे परिवर्तन की आशका व्यक्त की जाने लगी तो सोवियत सभ के नये नेतृत्व ने तुरत ही यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर प्रश्न के सम्बन्ध में उसकी नीति वही रहगी जो अभी तक थी । सोवियत सभ के इस दृष्टिकोण मे परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पाकिस्तान की कूटनीति सक्रिय हो गयी । अप्रिल १९६५ मे राष्ट्रपति अयूब खान इसी उद्देश्य से सोवियत

सघ गये और सावियत नेताओं से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तान के सम्बन्ध में पुरानी बातों का भूल जायें तथा पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति का पुनर्निर्धारण करें। सोवियत नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत किया, लेकिन नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में किसी तरह का सन्त नही दिया। बाद में पाकिस्तान के त्रिंश मंत्री भुट्टा ने भी कई बार सोवियत सघ की यात्रा की। लेकिन इन यात्राओं और प्रयासों के फलस्वरूप सोवियत सघ की कश्मीर-नीति में कोई परिवर्तन नही हुआ। कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा-परिपद में सावियत 'वीटा' की कुठित करने के पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गये।

भारत-पाक युद्ध और सोवियत सघ—५ अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी मुजाहिदों के प्रवेश से स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी और भारत ने इस नयी पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दृढ़ नीति का अवलम्बन किया। भारतीय सैनिकों ने मुजाहिदों का सफाया करना शुरू किया और सीमा के उन पार कुञ्ज अड्डों का, जो पाकिस्तान के अधिकार में थे, दबल करना शुरू किया। भारत का कहना था कि इन्ही स्थलों से गुजरकर पाकिस्तानी घुसपैठी भारतीय क्षेत्र में घुसते हैं और कश्मीर की सुरक्षा के लिए उन पर भारतीय अधिकार का हाना आवश्यक है। भारत के इस निर्णय ने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया और पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध अवश्यम्भावी प्रतीत होने लगा। स्थिति का खराब हात देख सोवियत प्रधान मंत्री श्री कोसिगिन ने २० अगस्त, १९६५ के अंत में कश्मीर की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान और भारत का पत्र-लिखा। उन्होंने दोनों पक्षों को समय से काम लेने का तथा प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा झगड़े का शान्तिपूर्ण निपटारा करने का सुझाव दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह से स्थिति का त्रिगन्ते देख सोवियत सघ के लिए चिन्तित होना त्रिन्कुल स्वाभाविक था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने की पूरी सम्भावना थी और पश्चिमी गुट में पाकिस्तान के सम्बद्ध होने से इस संकट में अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हान की सम्भावना थी। सावियत सघ के अत्यन्त निकट पड़ान में इस तरह की घटना घटे उसकी ओर से वह अपना सुख नही माङ्ग सकता था।

ने भारतीय स्थिति का समझने का प्रयास किया और आत्मरक्षा के लिए तब तक यह भारतीय कायबाही को उचित बतलाया। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारतीय प्रवेश की जख्मिता और प्रभुमत्ता बनाये रखने के लिए भारत का ज. न्दम उठाने में उसका सानियत सघ में समर्थन किया गया।

यद्यपि भारत पाक युद्ध में मोवियत सघ ने भारत का समर्थन किया लेकिन वह नही चाहता था कि उमम दो पडोसी एशियाई देश साम्राज्यवादिया के जाल में फँसकर इस तरह चले रहें और अपने आप को बर्बाद कर लें। वह चान्ता था कि दोना देश अविलम्ब युद्ध बन्द कर दें। इस समय सानियत नीति का प्रमुख उद्देश्य, विवाद के कारणों में न पडकर, शान्ति की स्थापना थी। इसी उद्देश्य में प्रेरित होकर प्रमान मत्री कासिजिन ने ४ सितम्बर, १९६५ को भारत के प्रधान मत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पत्र लिखकर उन्हें "साम्राज्यवादी चालों को समझने की कोशिश करने की तथा अविलम्ब युद्ध बन्द करके प्रश्न का प्रत्यक्ष बार्ता द्वारा चाटर और वाहु ग भाजना के अनुरूप शान्तिपूर्ण ढंग से मुलझाने का मुझाव दिया। "यह दुभाग्य की बात है", प्रधान मत्री कोसिजिन ने लिखा, "कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई कमो नही जायी है और दाना देश युद्ध विराम रखा पार करके एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। कश्मीर में सैनिक सघप से सानियत सघ बहुत चिन्तित है। अब समय नहा है कि इस सघप के उद्गम का पता लगाया जाय। कितने मनुष्या की जानें व्यर्थ जा रही हैं। युद्ध को तत्काल बन्द करना परम आवश्यक है।" प्रधान मत्री ने दाना देशों का यह जादनासन दिया कि व समस्या के समाधान के लिए सानियत सघ के सहयोग पर निर्भर कर सकते हैं। यदि दोना पक्ष चाहे ता "समस्या के समाधान के लिए सानियत सघ अपनी सेवा (Good offices) अपित करने का तैयार है।"

रूस के इस प्रस्ताव का मध्यस्थता का प्रस्ताव नही कहा जा सकता था, किन्तु इसमें रूसी सहयोग से भारत-पाकिस्तान के विवादों को हल करने का मुझाव अवश्य था। नई क्षेत्रों में यह रूस का भारत विरोधी दृष्टिकोण माना गया। ऐसे आलोचकों का कहना था कि यदि सानियत सघ भारत के पक्ष का समर्थन करता था और उसकी सैनिक कायबाही को उचित मानता था तो उसका सिर्फ पाकिस्तान का कड़ी चेतावनी देनी चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान दाना को एक ही तरह का पत्र लिखना क्या दोनों देशों का एक स्तर पर रखना नही था। लेकिन इसका ऐसा मतलब लगाना सानियत कूटनीति का नही समझना हा माना जाया। बाद-विवाद और सुरक्षा परिषद के मंच पर सानियत सघ ने

संघ गये और सोवियत नेताओं से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तान के सम्बन्ध में पुरानी बातों का भूल जायें तथा पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति का पुनर्निर्धारण करें। सोवियत नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत किया, लेकिन नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में क्रिमी तरह का संकेत नहीं दिया। बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टा ने भी कई बार सोवियत संघ की यात्रा की। लेकिन इन यात्राओं और प्रयासों का फलस्वरूप सोवियत संघ को कश्मीर-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा-परिपद में सोवियत 'वीटा' का कुठित करने के पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गये।

भारत-पाक युद्ध और सोवियत संघ—५ अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी मुजाहिदा के प्रवेश से स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी और भारत ने इस नवीन पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दृढ़ नीति का अवलम्बन किया। भारतीय सैनिकों ने मुजाहिदों का सफाया करना शुरू किया और सीमा के उन पार कुञ्ज अड्डों का, जो पाकिस्तान के अधिकार में थे, दखल करना शुरू किया। भारत का कहना था कि इन्हां स्थलों से गुजरकर पाकिस्तानी घुसपैठी भारतीय क्षेत्र में घुसते हैं और कश्मीर की सुरक्षा के लिए उन पर भारतीय अधिकार का हाना आवश्यक है। भारत के इस निर्णय ने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया और पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध अवश्यम्भावी प्रतीत होने लगा। स्थिति का खराब होते देख सोवियत प्रधान मंत्री श्री कोसिगिन ने २० अगस्त, १९६५ के अंत में कश्मीर की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान और भारत का पत्र-लिखा। उन्होंने दोनों पक्षों को समय से काम लेने का तथा प्रत्यक्ष बातों द्वारा झगड़े का शान्तिपूर्ण निराकरण करने का सुझाव दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह से स्थिति का विगड़ते देख सोवियत संघ के लिए चिन्तित होना त्रिस्तुल्य स्वाभाविक था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने की पूरी सम्भावना थी और पश्चिमी गूट में पाकिस्तान के समर्थन होने से इस संकट से अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने की सम्भावना थी। सोवियत संघ के अत्यन्त निकट पड़ाने में इस तरह की घटना घटे उसकी ओर से वह अपना सुख नहीं मांड सकता था।

१ मितम्बर को पाकिस्तानी सेना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश ने स्थिति का अनियन्त्रित कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को भी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में आना पड़ा और भारतीय सेना ने कई मासों पर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जारी कर दिया। कई क्षणों में भारतीय सेना पाकिस्तान के भू-भाग में घुस गयी। भारत की इस कायबाहा का जहाँ पश्चिमी राज्यों ने "आक्रमण" कहकर सम्नाहित किया, वहाँ ~~सोवियत संघ~~

ने भारतीय स्थिति का समझने का प्रयास किया और आत्मरक्षा के लिए किये गये इस भारतीय कायवाही को उचित बतलाया। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारतीय प्रदेश की ज़बडता और प्रभुमत्ता बनाये रखने के लिए भारत को जा फ़दम उठाने पड़ उसका मायियत सघ मे समर्थन किया गया।

यद्यपि भारत-पाक युद्ध मे सोवियत सघ ने भारत का समर्थन किया लेकिन वह नही चाहता था कि उमर दो पडामी एशियाइ टश साम्राज्यवादिया के जान म फ़ैसलर इन तरह चउते रहें और अपने आप को ज़ाद कर ले। यह चाहता था कि दोना देश अबिलम्प युद्ध बन्द कर दें। इस समय सोवियत नीति का प्रमुख उद्देश्य, विवाद के कारणों मे न पडकर, शान्ति की स्थापना थी। इसी उद्देश्य मे प्रेरित हाकर प्रधान मत्री कोसिजिन ने ४ सितम्बर, १९६५ का भारत के प्रधान मत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पत्र लिखकर उन्हें “साम्राज्यवादी चालाकों को समझने की काशिश करने का तथा अबिलम्प युद्ध बन्द करके प्रश्न का प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा चाटर और ज़ादु ग भावना के अनुरूप शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझान का सुझाव दिया। “यह दुभाग्य की बात है”, प्रधान मत्री कोसिजिन ने लिखा, “कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव मे काई कमो नही जायी है और दानी देश युद्ध विराम रखा पार करके एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे है। वश्मीर मे सैनिक सघप से सोवियत सघ बहुत चिन्तित है। अत्र समय नहा है कि इस सघप के उद्गम का पता लगाया जाय। कितने मनुष्यों की जानें व्यथ जा रही है। युद्ध का तत्काल बन्द करना परम आवश्यक है।” प्रधान मत्री ने दानी देशों का यह जाइनासन दिया कि वे समस्या के समाधान के लिए सोवियत सघ के सहयोग पर निर्भर कर सकते हैं। यदि दोना पक्ष चाहें तो “समस्या के समाधान के लिए सोवियत सघ अपनी सेवा (Good offices) ज़पित करने का तैयार है।”

रूस के इस प्रस्ताव का मध्यस्थता का प्रस्ताव नही कहा जा सकता था, किन्तु इसमे रूसी सहयाग से भारत पाकिस्तान के विवादों को हल करने का सुझाव अवश्य था। कई क्षेत्रों मे यह रूस का भारत विरोधी दृष्टिकोण माना गया। एस आलाचकों का कहना था कि यदि सोवियत सघ भारत के पक्ष का समर्थन करता था और उसकी सैनिक कायवाही को उचित मानता था तो उसका सिर्फ पाकिस्तान को कडा चेतावनी देनी चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तरह का पत्र लिखना क्या दोनों देशों को एक स्तर पर रखना नहा था। लेकिन इसका ऐसा मतलब लगाना सोवियत कूटनीति का नही समझना ही माना जायगा। चाद-विवादों और सुरक्षा परिषद् के मंच पर सोवियत सघ ने

भारत का खुला समर्थन किया था। लेकिन यह समय वाद-विवाद का नही युद्ध का था। यदि सावियत सघ इस समय खुलकर भारत का समर्थन करता तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान का खुला समर्थन आवश्यक हो जाता, चीन को भी इससे उत्साह प्राप्त हो जाता और भारत की स्थिति बड़ी नाजुक हो जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से सावियत सघ क पत्रों को भारत विराधी कहना एकदम अनुचित है।

सुरक्षा परिषद में सोवियत सघ ने भारत को पक्ष का प्रबल समर्थन किया। ४ सितम्बर का सुरक्षा परिषद ने युद्ध-विराम का जो प्रस्ताव पास किया उसका सावियत सघ का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस प्रस्ताव से युद्ध बन्द नहीं हुआ और इसी बीच तीन तरफ से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस घटना से आंग्ल-अमरीकी साजिश सक्रिय हो उठी। इस क्षेत्र में इसका "भारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण" माना गया। पदों के भीतर से आंग्ल अमरीकी गुट इस बात का प्रयास करने लगा कि भारत का आक्रमणकारी घोषित किया जाय या नहीं तो कम-से-कम कश्मीर में संयुक्त राज्य राष्ट्रसघ की सेना भेजी जाय। कश्मीर में सघ की सलाह भेजने की साजिश बहुत पुरानी थी और ब्रिटेन और अमेरिका युद्ध की स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन सावियत सघ ने खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के किसी प्रयास के विरोध में सावियत सघ सुरक्षा परिषद में अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग करेगा। सोवियत विरोध के कारण आंग्ल-अमरीकी गुट को अपने भारत-विराधी साजिश का परित्याग करना पड़ा। ६ सितम्बर का सुरक्षा परिषद ने युद्ध बन्द करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह भारतीय पक्ष का बहुत हद तक समर्थन करता था। भारत चाहता था कि प्रस्ताव यह स्वीकार करे कि उत्तमान सघर्ष का उद्गम पाकिस्तानी मुजाहिदों के कश्मीर-प्रवेश से है। भारत की इस मांग का सोवियत सघ ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "भारत और पाकिस्तान सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल युद्ध बन्द कर और सभी सैनिकों का उस स्थान पर बुला ल जहाँ व ५ अगस्त, १९६५ को थे।" ५ अगस्त की तिथि महत्त्वपूर्ण है। उसी दिन पाकिस्तानी घुसपैठियाँ का प्रवेश भारतीय प्रदेश में हुआ था। इस तरह प्रस्ताव ने पराक्षर रूप से पाकिस्तान को निन्दा की। प्रस्ताव में ५ अगस्त की तिथि सावियत सघ के कहने पर रखा गया। सावियत प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस तिथि का उल्लेख नहीं होता है तो वह प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार परिषद की ६ अक्टूबर वाली बैठक में भारत को सावियत सघ का अपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।

इस प्रस्ताव का कार्यान्वित कराने के लिए जय सघ के महासचिव यू थान्त भारत और पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो सोवियत सघ ने महासचिव के शाति-मिशन का जोरदार शब्दां में समर्थन किया। इसी समय इरान और तुर्की की सरकार तथा इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भेजने का आश्वासन दिया। १६ सितम्बर को चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और भारत को अल्टिमेटम दे दिया। सोवियत सरकार ने इन विदेशी शक्तियों को चेतावनी दी कि वे भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करके स्थिति का और बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें। सोवियत सघ के इस कड़ा रुख ने इन देशों को बाध्य किया कि वे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता नहीं करें।

यू थान्त के शाति मिशन की विफलता के बाद सोवियत सघ बहुत चिन्तित हो उठा। १८ सितम्बर को प्रधान मन्त्री का सिजिन का एक दूसरा पत्र भारत और पाकिस्तान की सरकारों का मिला। पत्र में कहा गया था कि “दोनों देश कुछ और अधिक बुद्धिमानी से काम लें” और युद्ध बन्द करें। युद्ध से उत्पन्न समस्या का वाता द्वारा तय करने के लिए इस बार सोवियत प्रधान मन्त्री ने यह स्पष्ट सुझाव रखा कि उनकी सरकार दाना पक्षा को अपनी सेवा (good offices) अर्पित करने के लिए तैयार है। “सोवियत सघ प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति अयूब खॉं के बीच समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष बार्ता कराने की व्यवस्था कराने की तैयार है और इस तरह की बार्ता यदि दोनों पक्ष चाहें, तो सोवियत ताशकन्द में हो सकती है।” ताशकन्द सम्मेलन के विचार की उत्पत्ति यहाँ से होती है। भारत ने इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया और कुछ आनाकानी करने के उपरान्त पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया। बाद में सुरक्षा परिषद् ने २० सितम्बर को प्रस्ताव पास करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया। २३ अक्टूबर को युद्ध बन्द हो गया। सोवियत-सघ ने इसका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया।

ताशकन्द सम्मेलन — २३ नवम्बर को प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने राज्य सभा में कहा कि सोवियत सरकार से उन्हें पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने सुझाव रखा है कि ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान के नेताओं का सम्मेलन अत्यन्त शीघ्र होना चाहिए। २ दिसम्बर का भारत में सोवियत राजदूत ने प्रधान मन्त्री से मुलाकात करके सम्मेलन की योजना पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने बतलाया कि जनवरी १९६६ के प्रथम सप्ताह में यह सम्मेलन प्रारम्भ हो और युद्ध विराम रेखा को रद्द करने, युद्ध-विराम के उल्लंघन को बन्द करने तथा भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार करने

की समस्या पर इस सम्मेलन में विचार हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रधान मन्त्री कोसिजिन दोनों पक्षों को सलाह-मशविरा देने के लिए ताशकन्द में मौजूद रहेंगे। ८ दिसम्बर को यह घोषणा की गयी कि ताशकन्द में भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच ४ जनवरी से सम्मेलन प्रारम्भ होगा।

ताशकन्द सम्मेलन सोवियत कूटनीति की महान् सफलता थी, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। इसमें हुए समझौते का वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ पर यह कह देना पर्याप्त होगा कि ताशकन्द सम्मेलन सोवियत सघ और भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय माना जायगा। यह उस मैत्री का चरम-विकास माना जायगा जिसकी नींव नेहरू और पूरुचेव ने डाली थी। सोवियत प्रधान मन्त्री के मैत्रीपूर्ण आचरण ने सिद्ध कर दिया कि सोवियत सघ भारत का महान मित्र और शुभचिन्तक है और दोनों देशों की मैत्री अटूट है।

ताशकन्द-सम्मेलन के बाद पाकिस्तान के प्रति सोवियत सघ के बदले हुए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कतिपय राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशका व्यक्त की जाने लगी है कि कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत रुख में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नरमी आयी है। पहले सोवियत सघ कश्मीर के प्रश्न पर भारत का पूर्ण समर्थन करता था, लेकिन १९६५ में उसने दोनों देशों को समान स्तर पर रखा और युद्ध-बन्द करके समझौता करने को कहा। इन क्षेत्रों का यह कहना है कि पाकिस्तान की तरफ सोवियत नीति में मैत्रीपूर्ण रुख भारत के लिए हितकारी सिद्ध होगी और पाकिस्तान को भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए बाध्य कर सकेगी, इसमें सन्देह है। वे कहते हैं कि ताशकन्द समझौते के बाद से पाकिस्तान और सोवियत सघ का सहयोग जिस ढंग से बढ़ा है, वह भारत के लिए चिन्ताजनक है। सोवियत कूटनीति की यह "नयी दिशा" भारत के हितों पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। लेकिन इस तरह की आशकाएँ निमूल हैं। अभी तक एसी कोई बात नहीं हुई है जिसका अर्थ यह लगाया जाय कि सोवियत सघ भारत का विरोधी होता जा रहा है। यदि सोवियत सघ पाकिस्तान के प्रति अपना दृष्टिकोण नए बदले रहता तो ताशकन्द में वह दोनों राज्यों के बीच समझौता के लिए सहमत नहीं करा पाता। यदि ताशकन्द समझौता और उसके बाद सोवियत सघ तथा पाकिस्तान में बढ़ते हुए सहयोग से यह बात दिखायी पड़ती है कि सोवियत नीति का उद्देश्य पाकिस्तान के प्रति मित्रता को उत्पाना है तो भारत के लिए यह शुभ है, क्योंकि तब सोवियत सघ इस बात में समर्थ हो सकेगा कि वह पाकिस्तान के नेताओं के हृदय से भारत के प्रति वैमनस्य की धातों का मिटाव दे। अप्रिल १९६८ में सोवियत प्रधान मंत्री कामिज़िना की पाकिस्तान यात्रा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है। इस यात्रा

के दौरान में राष्ट्रपति ज़ूव खॉ ने सोवियत सघ द्वारा भारत को शस्त्राशस्त्रों की आपूर्ति का विरोध किया था। लेकिन कोसिजिन ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि सोवियत शस्त्राशस्त्रों की आपूर्ति चीन के सम्भावित आक्रमण का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान से मास्को वापस जाते समय श्री कोसिजिन का घटा के लिए दिल्ली भी ठहरे। वहाँ उन्होंने प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी को यह आश्वासन दिया कि यदि भारत और चीन में कोई संघर्ष होता है, तो पाकिस्तान उससे लाभ उठाने का यत्न नहीं करेगा। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत सघ और पाकिस्तान की बन्ती हुई मैत्री का भारत की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में कोई देश स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता।

१. १९४७-४८ भारत और पाकिस्तान

१. — दशौ राज्य — अगस्त १९४७ में पाकिस्तान का जन्म काफी बड़ता उत्पन्न करने के बाद भारत का विभाजन करके हुआ था। शुरू से ही पाकिस्तान भारत का अपना शत्रु नभर एक समझता रहा है। ऐसी हालत में दोनों का सम्बन्ध खराब रह, यह बिल्कुल स्वाभाविक था। शुरू में ही जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के देशी राज्यों को लेकर दोनों देशों के बीच झगडा शुरू हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन कश्मीर की समस्या ने पाकिस्तानी आक्रमण के कारण भयंकर रूप धारण कर लिया। यह मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में गया लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो सका है।

२. — आर्थिक तनाव — विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान और भारत के बीच बड़ी आर्थिक समस्याएँ थीं। दोनों देशों के बीच आमदनी तथा वज का बँटवारा एव लागत धन के सम्बन्ध में सन्तापजनक विभाजन करना था। मुद्रा के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। व्यापारिक सम्बन्धों में भी तनावनी शुरू हुई क्योंकि पाकिस्तान ने बुरत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मुद्रा का अवमूल्यन लेकर भी दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने का यत्न किया गया और इसमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अभी भी आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव जा जाता है।

आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापितों की सम्पत्ति की समस्या थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान के बहुत से हिन्दू भारत और भारत के बहुत से मुसलमान अपनी सम्पत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गये। जब प्रश्न था इन सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का जो अत्यन्त ही कठिन था। पाकिस्तान ने गैर मुसलमानों की

सम्पत्ति तीन हजार कराड से ऊपर छुटी थी और भारत में मुसलमानों की सम्पत्ति केवल तीन सौ कराड की ही थी। इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान में बहुत बातचीत हुई। १९५० में नेहरू लियाकत खली समझौता हुआ और तब जाकर इस समयस्या का आंशिक समाधान हुआ। इसी समझौते के द्वारा देशों के बीच जल्पसर्गक की समस्या सुलझाने का नया यत्न किया गया।

“युद्ध नहीं करो की घोषणा” — भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उसने पाकिस्तान की स्थापना की पृष्ठभूमि स्वीकार नहीं किया है और जब भी मौका मिलेगा भारत आक्रमण करके उसका नामोनिशान मिटा देगा। लेकिन यह धारणा विरकुल निराधार है। भारत के प्रधान मंत्री ने इसीलिए कई बार यह सुझाव रखा कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करने की घोषणा कर दें। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं होता है। उल्टे उसने म्वय १९५४ में अमेरिका से एक सन्धि करके बहुत बड़े पैमाने पर अस्त्र-शस्त्र लेना शुरू किया और इनके कुछ दिनों बाद सीटों तथा बगदाद पैक्ट जैसे आक्रामक संगठनों में सम्मिलित हो गया। इन घटनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में बड़ी कटुता आयी है।

3 नदियों के पानी का झगडा — लेकिन इन सभी समस्याओं में गम्भीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का झगडा था। सिन्धु नदी और उसकी सहायक अन्य सभी नदियाँ भारतीय क्षेत्र में निकलती हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान को यह भय हुआ कि यदि भारत से पाकिस्तान का सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहा तो भारत इन नदियों के प्रवाह को रोककर अपने भूभाग में माउलें बनाना है जिससे सिन्धु के पानी का अभाव में पाकिस्तान का बहुत नुकसान पहुँच सकता है। भारत का भी अपने आर्थिक विकास के लिए भावना बाँध बंधवाना आवश्यक था। ऐसी हालत में दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के प्रश्न को लेकर मतभेद का उत्पन्न होता अवश्यमानो था।

विभाजन के बाद जल के प्रश्न को लेकर यह कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई और दोनों देशों के बीच खूब तनाव बना। १९४९ में एक अमेरिकी विशेषज्ञ उचिड लिलियेन्थल ने इस समस्या का राजनीतिक स्तर से हटकर टेकनिकल एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए विश्व बैंक (World Bank) से मदद लेने की सिफारिश की। सितम्बर, १९५१ में इस बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया। यूजीन ब्लेक और उनके बाद मि० डिल्कि के सहयोग से वर्षों तक पाता चलाने के उपरान्त १९ सितम्बर, १९६० का

भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता हो गया। इसको १९६० का सिन्धु जल सन्धि (Indus Water Treaty) कहते हैं जिस पर प्रधान मन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खॉं ने स्वयं राजलपिण्डी में हस्ताक्षर किये। १२ जनवरी, १९६१ को इस सन्धि को शर्तें लागू कर दी गयी और इस प्रकार दोनों देशों के बीच का एक बहुत बड़ा झगडा शांत हुआ।

4 चीनी आक्रमण तथा भारत-पाक सम्बन्ध — १९६० में जब भारत पर चीन का आक्रमण शुरू हुआ तो भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में फिर उथल-पुथल हुआ। पाकिस्तानी अखबार और राजनीतियों ने भारत को दोषी बतलाया। कराची भारत की महायत्ना का नाजायज फायदा उठाना चाहता था। इसलिए पेरिंग के साथ नये सिरे से उमने मित्रता शुरू की। नवम्बर में जब बहुत बड़े पैमाने पर चीन का हमला शुरू हुआ तो भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सैनिक सहायता की याचना की। तुरंत ही इन देशों से युद्धाभ्यागी सामान भारत पहुँचने लगा। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि चीन की आर से भारत पर ऐसा कोई हमला नही हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर उस सैनिक सहायता दी जाय। पर पाकिस्तान के विरोध का काढ़ अमर नही पडा और भारत को सैनिक सहायता मिलती रही।

स्वर्ण सिंह-मुद्दे वाता—भारत की सैनिक आवश्यकताओं से परिचित हान के लिए अमरीकी मन्त्री एडरल हरोमन और ब्रिटिश मन्त्री डन्कड मड नवम्बर, १९६२ में भारत आये। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पाकिस्तान और भारत में मेल मिलाप कराने का उल किया। इसके फलस्वरूप प्रधान मन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खॉं का २६ नवम्बर, १९६२ का एक संयुक्त बतव्य निजना। इसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों ने उपयुक्त समय पर भारत पाकिस्तान मन्त्रिमंडल का सुल्धान के लिए वाताहें करगे। साथ ही यह तय हुआ कि इस शोष-सम्मेलन का माग प्रशस्त करने के लिए मन्त्रियों के स्तर पर पहले कुछ वाताहें हों। २६ दिसम्बर, १९६२ का मन्त्रियों के स्तर पर पहला सम्मेलन राजलपिण्डी में हुआ। जनवरी और फरवरी, १९६३ में और सम्मेलन हुए और यह निश्चय हुआ कि मध्य माच में उत्तरांचल में भारत और पाकिस्तान के मन्त्रियों की बातें हों।

चेरिन प्रायाणित उत्तरांचल सम्मेलन के पूरे ही पाकिस्तान ने चीन से साथ एक समझौता कर लिया। पहिले में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसका फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा अहिंसक तरीके से एक मुक्त उत्तरांचल पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। भारत ने इस समझौते पर बड़ा बड़ा विरोध प्रकट किया। इस घुटाधार में १० मच, १९६३ का सम्मेलन ने भारत को प्रस्ताव दिया कि प्रस्ताव...

हुइ, पर उससे कोई निष्कप नही निकला। इसके बाद दोना दंश के प्रतिनिधिया क दा और सम्मेलन हुए। अन्तिम सम्मेलन दिल्ली मे मई १९६३ मे हुआ। पर वहा भी कोई समझोता नहा हा सका और वाताओं का यह सिलसिला समाप्त कर दिया गया।

5—पाकिस्तान का जासूसी षड्यन्त्र —सितम्बर, १९६४ मे भारत में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा फैलाये गये एक जासूसी जाल का पता भारत सरकार को लगा। नयी दिल्ली मे स्थित पाकिस्तान का दूतावास इस जासूसी षड्यन्त्र का कन्द्र था जिसका उद्देश्य भारत की गुप्त सामरिक भेदा का पता लगाना था। इसमे दूतावास के उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे। जब षड्यन्त्र का पता लग गया ता भारत सरकार ने जासूसी से सम्बद्ध अधिकारिया को भारत से हटाने का निश्चय किया। लेकिन इसी समय भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त के व्यक्तिगत अनुरोध पर भारत सरकार ने अपना निश्चय की घोषणा को पाँच दिनों के लिए स्थगित कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने कराची स्थित भारतीय दूतावास क कुछ प्रमुख अधिकारिया पर जासूसी करने का दोषारोपण करके उन्हें पाकिस्तान छोड देने की आज्ञा दे दी। पाकिस्तान की इस घोषणा क बाद भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत छोडने को आज्ञा दे दी। इन घटनाओं का लेकर दोनो देशो के बीच खूब तनाव फैला।

२४ अक्टूबर, १९६२ का पाकिस्तान सरकार के आदेश से ढाका और राजगाही मे भारतीय पुस्तकालय बन्द कर दिये गये। २१ नवम्बर का राजशाही में भारतीय हाई कमीशन का कार्यालय बन्द कर दिया गया। इसी दिन पाकिस्तानी समाचार-पत्रो ने यह समाचार छापा कि कश्मीर १९४९ की युद्ध विराम रेखा का पाकिस्तान मान्यता नही देता। ४ दिसम्बर का पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति श्री क० एच० खुशींद ने कहा कि युद्ध-विराम रेखा क समीप बसने वाले नागरिका क बीच दस हजार राइफले बाँटी गयी है तथा और भी बाँटी जायेंगे।

6—हजरतगाल-घटना और भारत-पाक सम्बन्ध—२८ दिसम्बर, १९६३ का श्री नगर की हजरतगाल मन्दिर से पैगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र गाल चोरी चना गया। इस घटना का लेकर पाकिस्तान के समाचार-पत्रा ने भारत क विरुद्ध खूब-प्रचार किया और साम्प्रदायिक घृणा-विद्रोप फैला था। कलत पूर्वो पाकिस्तान मे उड पैमान पर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हा गया। इस दंगा मे कई हजार व्यक्ति मरे और कई हजार शरणार्थी भारत भाग आय। इस घटना का स्वरूप भारत मे कुछ जगहा पर दगे हुए। इसके कारण भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध और

भी विगड़ गया। लेकिन साम्प्रदायिक दगे की आग को बुझाना उस समय सबसे अधिक आवश्यक था। अतएव इस समस्या के समाधान के लिए फरवरी १९६४ में भारत और पाकिस्तान के स्वराष्ट्र मंत्रियों (Home ministers) का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का वाई विशेष प रणाम नहा हुआ, लेकिन अल्पसंख्यकों का उत्साह तो कुछ अवश्य बढ़ा। दिल्ली सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि स्वराष्ट्र मंत्रियों का एक दूसरा सम्मेलन सितम्बर, १९६४ में रावलपिंडी में हा जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा के उपाय निर्धारित किये जायें।

इसी बीच मई, १९६४ में कश्मीर के नेता शेख अब्दुला को कश्मीर की सरकार ने लगभग दस वर्षों तक जल में रखने के वाद मुक्त कर दिया। शेख अब्दुला की मुक्ति के वाद भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

जेल से बाहर निकलते ही शेख साहब ने भारत सरकार की कश्मीर सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना की और कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग रखी। पाकिस्तान की सरकार ने शेख अब्दुला का समर्थन किया। अपने विचारों के आधार पर कश्मीर समस्या के समाधान के लिए शेख अब्दुला दिल्ली आय और प० नेहरू से बातें की। इन बातों की समाप्ति के बाद शेख साहब ने यह बतनाया कि कश्मीर समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध अच्छा हो। अतएव वे भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के लिए नाटकीय प्रयास करने लगे। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति जवाहर लाल नेहरू के मिलने के लिए वे पाकिस्तान गये और इस बात पर उन्हें राजी कर लिया कि भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के लिए वे प्रधान मंत्री प० नेहरू के मिलने के लिए भारत जायें। इसी बीच २७ मई, १९६४ को प० नेहरू को मृत्यु हुआ और शेख साहब के सारे प्रयास व्यर्थ हो गये। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कच्छ का झगड़ा — कच्छ का रान (Rann of Kutch) पुराने राज्य (जो भारतीय प्रदेश) और पुराने सिन्ध प्रान्त (जो पाकिस्तान में) के बीच में पड़ता है। यह सम्पूर्ण रान पहले कच्छ राज्य के अधिकार में था। १९४७ में जब कच्छ का राज्य भारत के साथ गणराज्य का अंग बन गया। सिन्ध प्रान्त को पाकिस्तान में दे दिया गया था, लेकिन सरकार ने यह फैसला कर दिया कि यह क्षेत्र भारत के साथ रहे। पाकिस्तान सरकार इस बात को नहीं मानती थी, अतएव भारत के उत्तर में पैतंग सौ बगमील आदि क्षेत्रों को भारत के

विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का मिलना चाहिए था और भारत ने जबरदस्ती इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारत सरकार इस मत से सहमत नहीं है। उसका कहना था कि यह सम्पूर्ण दलाका कच्छ के राजा के मातहत में था और इसलिए यह पूरा क्षेत्र भारतीय है।

१९६५ के अप्रिल में कच्छ के इस क्षेत्र का लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तानी सेना को दो टुकड़े भारतीय क्षेत्र में धुस गये और कच्छ के कई इलाका पर अधिकार कर लिया। भारत का यह अनुमान नहीं था कि पाकिस्तान एकाएक इस तरह की आक्रामक कार्रवाई करेगा। ६ अप्रिल का यह लड़ाई शुरू हुई और अनियमित रूप में जून तक चलती रही। ब्रिटिश प्रधान मंत्री विल्सन की मध्यस्थता से २० जून को युद्ध-विराम हो गया और एक समझौता के द्वारा यह तय हुआ कि दाना पक्ष १ जनवरी १९६५ की स्थिति में वापस चले जायें तथा तीन व्यक्तियों का मिलाकर एक ट्रिब्यूनल गैने जो (यदि दोनों देशों के मन्त्रियों के स्तर पर कोई समझौता न हो सक तो) इस विवाद पर अपना फैसला दे। ट्रिब्यूनल का काम होगा कि दोनों पक्षों के दावों की जाँच करे, एक रिपोर्ट दे तथा इसके निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। युद्ध-विराम के चार महीने बाद ट्रिब्यूनल का संगठन हो जाना था। भारत और पाकिस्तान का ट्रिब्यूनल के एक-एक सदस्य का मनाना तय करना था और व दोनों सदस्य एक तीसरे व्यक्ति का अध्यक्ष चुनते। इनमें से कोई व्यक्ति भारत या पाकिस्तान का नहीं हो सकता था। यदि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चुनाव करने में कोई मतभेद हुआ, तो समझौता के अनुसार ता संयुक्तराष्ट्र मध्य के महासचिव का उनका मनाना तय करने का अधिकार दिया गया।

कच्छ के इस समझौते की भारत में बड़ी जालाचना हुई। यद्यपि आक्रामक को उन क्षेत्रों का खाली कर देना पड़ा तबिनपर उसने अधिकार कर लिया था, लेकिन भारत-पाकिस्तान मतभेद ने पचासवें पीढ़े का सिद्धान्त मानना गलत था। कुछ लोगों का खयाल था कि पाकिस्तान कच्छ ही तरह ही कभी भी सिंधिया उत्पन्न करके इसी नमूने पर कश्मीर-समस्या का पंच निषय के सिद्धान्त के आधार पर परिणित करने की मांग कर सकता है।

जुलाई २९ का भारत और पाकिस्तान के ब्रिटिश मंत्रियों ने यह तय किया कि व दोनों कच्छ पर अंतिम समझौता करने के उद्देश्य से २० जून का सिद्धान्त मानने में तैयार हैं। लेकिन तब तक पाकिस्तानी मुर्दाहत्या के सम्बन्ध में कोई पैदा कर दा और इन हालात में ब्रिटिश मंत्रियों की मांग में भय नहीं रहा। अन्ततः भारत को युद्धान्त दिया कि कच्छ का प्रदा कर माध्य ट्रिब्यूनल में रख दिया जाए।

पाकिस्तान ने इरान व एक न्यायाधीश तथा भारत ने यूगास्लाविया के एक नागरिक का ट्रिब्यूनल में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया। इन दोनों ने मिलकर एक स्वेडिश को चुना। सितम्बर १९६६ ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू किया। ट्रिब्यूनल द्वारा दानो देशों को आदेश दिया गया कि वे कच्छ के सम्बन्ध में अपने-अपने दाव प्रस्तुत करें ताकि उन पर विचार करके वह अपना निर्णय दे सके।

१६ फरवरी, १९६८ को ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय दे दिया। इसने अपने निर्णय में विवादग्रस्त क्षेत्र का नब्बे प्रतिशत भाग भारत का दिया और शेष तीन चौथाई भाग पाकिस्तान को दिया गया। इस इलाके में कजरकोट का वह ध्वस्त किला भी है जहाँ से १९६५ की लड़ाई शुरू हुई थी। इसके अलावे छाब्रेट की ऊँची भूमि और नगरपरकार के क्षेत्र भी पाकिस्तान का दिये गये इलाके में शामिल थे।

व्यापक दृष्टि से यह निर्णय भारत के पक्ष में हो चुका है। इसने भारत में इसकी प्रतिक्रिया बहुत रासखुशी हुई। रहीम की बाजार से दक्षिणी इलाके को पाकिस्तान को देने का कोई कारण नहीं था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष स्वेडन के जज गुन्नार लांगरोथ ने अपने फैसले में कहा कि इस इलाके में शान्ति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि इस पर पाकिस्तान का दावा स्वीकार किया जाय। इसका मतलब यह था कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कोई कानून न अधिकार नहीं है लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से उमका यह इलाका देना उचित होगा।

प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी ने इस निर्णय का "राजनीतिक कारणों से प्रेरित" बताकर इसकी निन्दा की। भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ट्रिब्यूनल का निर्णय मान्य नहीं है और वे इसके कार्यान्वयन का विरोध करेंगे। लेकिन युद्ध-विराम के दौरान में कच्छ के मामले का ट्रिब्यूनल का सौंपते समय भारत ने यह शर्त मान ली थी कि ट्रिब्यूनल का फैसला उसे मान्य होगा। इस कारण भारत के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया। भारत-सरकार ने देश में प्रचलित विरोध के राजसूद फैसले का मान लिया और उसे कार्यान्वित किया। ट्रिब्यूनल ने जिम क्षेत्र का पाकिस्तान का माना वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया।

१९६५

भारत-पाकिस्तान युद्ध (१९६५)

कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ — अभी कच्छ-गमती की न्यायी सुनने भी न पायी थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी हरफ्त शुरू कर दी,

इस वार की पाकिस्तानी योजना १९४७ के आक्रमण से बढ़-चढ़ कर थी। इनके लिए पाकिस्तान वर्षों से तैयारी कर रहा था। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों का छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था और योजना यह थी कि यह छापामार दास्ता अतैनिक वंश में आधुनिक हथियार से लैस होकर कश्मीर में घुसेगा और कश्मीर के अंदर उपद्रव तथा तोड़-फोड़ करके ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जिसमें भारतीय सेना का कश्मीर से भागना पड़े। पाकिस्तानी शासक का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता इन छापामारों के साथ सहयोग करेगी।



४-५ अगस्त को रात्रि में इस तरह के हजारों पाकिस्तानी छापे-मार कश्मीर में घुस गये। पाकिस्तानी रेडियो ने दावा किया कि कश्मीर की जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया है, मुजाहिदों ने रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डा आदि स्थलों पर अधिकार कर लिया है और श्रीनगर का पतन होने ही वाला है। बात यह थी कि भारतीय अधिकारियों का पाकिस्तानी छापामारों की घुसपैठ की खबर बाद में लगी तब तक इन मुजाहिदों ने कश्मीर में उपद्रव शुरू कर दिया था। भारतीय सेना ने शीघ्र कारवाही शुरू कर दी और सैकड़ों मुजाहिद पकड़ लिये गये या मार डाले गये।

जब भारतीय सेना ने घुसपैठिया क पहले जत्था का सफाया कर दिया तो पाकिस्तान ने दूसरे जत्था का भेजा। दूसरे जत्थे का प्रवेश ने इस तथ्य का स्पष्ट कर दिया कि विराम रेखा का आसपास एस कितने पहाड़ी जंगली दलाक है जिनसे होकर पाकिस्तान घुसपैठा भारतीय कश्मीर में पहुँचते हैं। जतएव भारत

४-५ अगस्त को रात्रि में इस तरह के हजारों पाकिस्तानी

सरकार ने यह निश्चय किया कि पाकिस्तान की इन हरकतों को सदा के लिए रोकने के लिए इन स्थला पर अधिकार कर लिया जाय। इस निणय के बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह में भारतीय सेना ने करगिल क्षेत्र में उन तीन पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर आधिपत्य कर लिया जहाँ से घुमपैठी भारतीय क्षेत्र में घुसते थे। २५ अगस्त का टिथवाल क्षेत्र में भारतीय सेना ने दो और पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चरी पू च क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही की गयी और हाजीपीर के दरें पर भी भारतीय सेना का अधिकार हो गया। हाजीपीर पर कब्जा हो जाने से घुमपैठियों का रास्ता एकदम बंद हो गया।


सयुक्त राष्ट्र सचक अधिकारी इस समय युद्ध विराम-रेखा का पदम डेर रहे थे। उन्होंने इन सारी घटनाओं का दखल और जनरल निम्मा ने करा घटनाओं की सूचना महासचिव यु थात का दी। स्थिति का बिाइन म्ब न्हामचिन न भारत और पाकिस्तान दानों को समय से काम लेने का कहा। ~~निम्मा~~ का का परिणाम नहीं निकला।

युद्ध का श्री गणेश — भारत द्वारा विराम रेखा न बन कर प्रति-क्रिया पाकिस्तान में स्वभाविक रूप से हुई। २५ अगस्त के बाद में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं में कई जगह प्रत्यक्ष मुठभेड़ हो गईं। इन मुठभेड़ों का प्रतीक होने लगा कि भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध हो रहा है। भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र को भारतीय अधिकार में लाने से राजनयिक दृष्टिकोण से प्रयत्न करने से जाकमण करने का निश्चय किया। युद्ध की शुरुआत के कुछ दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की चेष्टा करने पर कब्जा करके ऊपरी कश्मीर का कब्जा करने का प्रयत्न कर सकता था। हिटलर के नियुक्त हुए जर्मन सैनिकों ने, नरक के देव और जाधुनिकतम शस्त्राशत्रुओं के साथ पाकिस्तान के क्षेत्रों में आक्रमण करने का प्रयत्न करके छुट्टी कर दिया। भारत के लिए जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं था। युद्ध के अन्त में भारत से मदद ली गयी और युद्ध के अन्त में भारत ने पाकिस्तान को अनु का दबाव घटा नहीं पाया। युद्ध के अन्त में भारत ने पाकिस्तान का अधिकार नहीं किया।

५ सितम्बर १९४७

इस घटना से यह निश्चय हो गया कि भारत को युद्ध के अन्त में पाकिस्तान का अधिकार नहीं करना चाहिए।

इस याजना का कुचलने और छम्ब-जुरिया क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक दवाब को कम करने के उद्देश्य से भारत ने ६ सितम्बर का पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश पर तीन तरफ से आक्रमण कर दिया और भारतीय सना लाहौर की आर बन्दे लगी। पाकिस्तानी रेडियो से बालते हुए राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा कि "हमलाग अब युद्ध



की स्थिति में है।" यह सचमुच भारत और पाकिस्तान के बीच एक अघोषित युद्ध था जो समस्त सीमान्त पर उड़े पैमाने पर लगे जा रहा था। दोनों देश पूरी शक्ति के साथ युद्ध में डूबे हुए थे।

युद्ध-विराम —युद्ध की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यह युद्ध २२ सितम्बर तक चला और संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप में २३ सितम्बर को साढ़ तीन राज मुझ में युद्ध-विराम हो गया। पाकिस्तान का यह आशा थी कि चीन उसकी महायत्ना करेगा, लेकिन उस निराश होना पड़ा। उसने मीआटा और सन्टा सगठना में सहायता की वाचना की, लेकिन वहाँ से भी उस निराश होना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया। युद्ध के खत्म होने पर सात सौ चालीस बगमील का पाकिस्तानी क्षेत्र भारतीय कब्जे में था और दस सौ चालीस बगमील के लगभग भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में थे। जन, धन और सैनिक साजा-सामान में दोनों पक्षा की आपार क्षति हुई।



युद्ध के परिणाम —भारत और पाकिस्तान के कट्टर सम्बन्धों के इतिहास में सितम्बर १९६५ का युद्ध एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। यह उस मनसुदाव और कटुता की भावना का चरम विकास था जिसका धर्मान्ध पाकिस्तानी अधिकारी १९४७ से पालते आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक “धार्मिक सीमा” स्थापित करने तथा भारत को नीचा दिखाने का यह एक प्रयत्न था। लेकिन युद्ध में पाकिस्तान की पराजय ने यह सिद्ध कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवटारा शक्ति द्वारा करने का प्रयास व्यर्थ होता है और “जा लाग पहले तलवार उठाते हैं, व तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं।” भारत के लिए यह विजय धर्म-निरपेक्षता समाजवाद और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों की विजय थी। इसने सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी प्रादेशिक लज्जत वाचाये रखने के लिए

दृष्टिगत है और समार ही एड भी राष्ट्रिय उग्र अभिन्न उग्र दम्भोर का उमस विलग नहा पर सुकतो । इसक प्रतिरिक्त इम युद्ध क निम्नलिखित परिणाम हुए—

१ पाकिस्तान हमेशा इहो करता था कि यदि कश्मीर की समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान नहा हुआ तो वह "दूमरे तरीको" को अपनायगा । "दूमरे तरीको" का तात्पर्य शक्ति अथात् युद्ध का सहारा लेना था । इसीलिए पाकिस्तान १९५४ से ही अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था । सितम्बर १९६५ में उसने इस "दूमरे तरीके" का अवलम्बन किया, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहा हुए । तब अब उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में अब पाकिस्तान इस तरह की धमकी न दे ।

२ पाकिस्तान के शासकों का विश्वास था कि भारत के साथ युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी और भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी । उन्हें यह भी विश्वास था कि धर्म के नाम पर भारत व मुस्लिम नागरिक पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और पाँचव दस्ते (fifth column) का काम करेंगे । लेकिन युद्ध के दिनों में भारत के मुसलमानों ने जिस देश भक्ति का प्रदर्शन किया उसने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की सारी उम्मीदें बेकार था और भारतीय धर्म निरपेक्षता का आधार अत्यन्त ठोस है ।

३ इस युद्ध ने भारत में एक अपूर्व स्वाभिमान पैदा किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना बलवती हुई । पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका द्वारा सुप्त में दिये गये हथियार, टैंक और बम वपको का प्रयोग कर रहा था, लेकिन भारत के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे । भारत में बने जेट विमान की उपलब्धियों ने प्रत्येक भारतीय का सिर ऊँचा कर दिया और सम्पूर्ण युद्ध की जवाबि में नागरिकों तथा सैनिकों का मनोबल ऊँचा रखा ।

४ सैनिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध ने टैंक युद्ध के तरीके को भी प्रभावित किया । पाकिस्तान ने अमेरिका में बने पैटन टैंक का प्रयोग युद्ध में किया था । इस टैंक की सोहरत सारे समार में थी और दुनिया का यह सर्व शक्तिशाली युद्ध शस्त्र माना जाता था । लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने इसका सफाया किया उसके कारण पैटन टैंकों की शक्ति में युद्ध विशेषज्ञों का विश्वास घट गया ।

५ भारत-पाकिस्तान युद्ध ने भारत को एक शक्तिशाली राजनीतिक (नेतृत्व प्रदान) किया । पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री अवश्य चुन लिये गये, लेकिन भारतीय जनता पर उनके नेतृत्व का प्रभाव नाममात्र का था । पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय श्री शास्त्री

ने जिस दृढ़ नीति का अवलम्बन किया उसने यह सिद्ध कर दिया कि वे ५० नेहरू क योग्य उत्तराधिकारी हैं और सम्पूर्ण देश का विश्वास उनमें जम गया।

६ पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इसने पाकिस्तान को सभी विश्वासी और मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया। १९५४ से पाकिस्तान इसी दिन के लिए सभी चीजा का परित्याग कर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन युद्ध में पराजय ने सैनिक तानाशाही के खोखलापन को स्पष्ट कर दिया।—जनता के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था क्या इसीलिए सभी स्वतन्त्रताओं का बलिदान किया गया था ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि युद्ध में पराजय अयूब की सैनिक तानाशाही के लिए बड़ा घातक होगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का शासक वर्ग भी देश की विदेश नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में मोचने लगा है। आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान की विदेश नीति में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन हो।

७ भारत पाकिस्तान युद्ध पिंडी-पिकिंग-जकाता धुरी के बल्ले हुए दीप का अन्तिम लौ था। युद्ध के समय पाकिस्तान, चीन और इंडोनीशिया का सहयोग एशिया की शान्ति के लिए बहुत खतरनाक हो गया था। इन देशों ने अपूर्व एकता और सगठन का परिचय दिया और यह सहयोग चलकर सीमा पर तब पहुँचा जब पाकिस्तान ने चीन और इंडोनीशिया के शत्रु राज्य मलेयेशिया के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। पाकिस्तान का यह कदम सुरक्षा-परिपद में मलेयेशियाई प्रतिनिधि द्वारा अपनाये गये रुख के विरोध में अपनाया गया था।

८ भारत पाकिस्तान युद्ध ने आधुनिक विश्व-राजनीति में सयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। इंडोनीशिया द्वारा संघ से निकल जाने से संघ के भविष्य के सम्बन्ध में तरह तरह भी आशकाएँ उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन सुरक्षा परिषद ने यही दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप करके इस युद्ध को दृन्द कराया। इस घटना से यह भी सिद्ध हो गया कि यदि अन्तरराष्ट्रीय समस्या पर महाशक्तियाँ सहयोग से काम करें तो संघ को पूरी सफलता मिल सकती है। भारत-पाकिस्तान युद्ध को दृन्द कराने में सोवियत संघ और सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपूर्व सहयोग का प्रदर्शन किया और इसी कारण परिषद की शान्ति स्थापना के कार्य में सफलता मिली।

९ भारत-पाकिस्तान युद्ध ने सावियत कूटनीति को एक नया मोड़ लेने का अवसर प्रदान किया। दो राष्ट्रों के झगड़ों को सुलझाने में सावियत संघ ने आज तक कभी अपनी सेवाएँ जपित नहीं की थी। वस्तुतः सावियत कूटनीति का इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के

का सुलझाने में उसने अपनी सेवाएँ अर्पित की और ताशकन्द में सम्मेलन का आयोजन किया। सोवियत कूटनीति के लिए यह बिल्कुल नवीन चीज थी और विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव पडना अवश्यम्भावी है।

युद्ध-विराम का उल्लंघन—सयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से २३ सितम्बर, १९६५ का युद्ध विराम हो गया तथा भारत और पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर दिने, लेकिन युद्ध के क्षेत्रों में पूर्ण शान्ति नहीं आयी। दोनों ओर से युद्ध-विराम का उल्लंघन होता रहा। सयुक्त राष्ट्रसंघ का पयबक्षक दल इन उल्लंघनों को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन यह सम्भव नहीं था। दोनों देशों की सेनाएँ आमने-आमने खड़ी रहती थी और इस हालत में मामूली झड़प पर गाली चल जाना काई आश्चर्य की बात नहीं थी। संघ के महासचिव ने इन उल्लंघनों का बन्द करने के कुछ सुझाव दिये, पर उनका कोई परिणाम नहीं निकला और दाना और से प्रति दिन युद्ध-विराम के उल्लंघन हाते रहे।

ताशकन्द सम्मेलन

उन भयानक स्थिति का समाप्त करने के लिए सोवियत कूटनीति काफी सक्रिय थी। सोवियत प्रधान मंत्री का विचार था कि इन सारे झड़पों का अंत दोनों देशों के नेता प्रत्यक्ष वार्ता करके कर सकते हैं। अतएव सोवियत संघ ने विशेष दिलचस्पी लेकर ताशकन्द सम्मेलन की व्यवस्था की और ४ जनवरी को ताशकन्द में राष्ट्रपति अयूब खॉं तथा प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ऐतिहासिक सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। लेकिन ताशकन्द सम्मेलन में समझौता हाना काई वासान नहा था। दाना देशों की शत्रुता बढ़ा रह बप पुरानी थी और हाल ही में दाना के बीच जीवन मरण का युद्ध हुआ था। लेकिन सोवियत कूटनीति का जादू दाना के बीच समझौता करने में सफल रही और १६ जनवरी १९६६ को हर्ष और चतनाम के बीच ऐतिहासिक ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते की शर्तें निम्न लिखित थी—

“(१) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत रहे कि दाना पर जोरदार प्रयत्न करेंगे कि युद्ध-विराम के घोषणा-पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसियों का सम्बन्ध निमित्त हो। व राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के अन्तर्गत पुनः दुहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा न लें और अपने विवादों का शांतिपूर्ण तरीका से सुलझावें।

व समझते हैं कि उनके क्षेत्र में बिना भारत और पाकिस्तान के सहयोग के जीवन नहीं है कि दाना देशों में शांति बना रहे। इतना स्पष्ट नूनिन अयूब खान के मसलने पर विचार किया गया और ६ अक्टूबर को अपना-अपना पत्र ब्यक्त किया।

(२) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देशों के सभा-सदस्य २५ फरवरी, १९६६ के पूर्व उस स्थान पर वापस लिये जायेंगे जहां वे २ अगस्त के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्ध विराम रखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे।

(३) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राजा हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सम्बन्ध एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त पर आधारित होगा।

(४) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रचार को निरुत्साहित करेंगे और ऐसे प्रचार का प्रोत्साहन नेंगे जो दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध का बढाता है।

(५) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए भारत के उच्चायुक्त और भारत के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अपने-अपने पदों पर वापस आयेंगे और दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप में स्थापित होंगे। दोनों देशों का सरकार राजनीतिक सम्बन्ध के मामले में १९६१ के वियना नियमों का पालन करेंगे।

(६) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि वे आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को वास्तु बहूत सम्बन्धों का और भारत-पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे और भारत-पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान समझौते हैं उनका कार्यान्वित करने का उपाय करेंगे।

(७) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राजा हुए हैं कि वे अपने-अपने अपसराओं का जादेश दंगे कि वे युद्ध-बन्धियों को अदला-बदला का काय करे।

(८) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों पक्ष शरणार्थियों की समस्याओं से तथा अवैध ढंग से छुटे-यक्तियों को निकासी से सम्बन्धित प्रश्नों पर आपस में विचार-विमर्श जारी रखेंगे। वे इस बात पर भी राजा हुए हैं कि दोनों पक्ष ऐसा स्थिति उत्पन्न करेंगे जिस जनता की भगदड़ रहेगी।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की ली गयी सम्पत्ति आदि का वापसों के बार में वास्ता करने के लिए सहमत हुए हैं।

(९) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों देशों से संधि सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करने के लिए दोनों पक्ष सर्वाधिक स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर आपस में मिलाना जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है कि भारतीयों और पाकिस्तानियों की संयुक्त समितियां बनें जो अपने देशों की सरकारों की सूचना दंगे कि आगे क्या कदम उठाये जाने चाहिए।

(१०) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सावित्य सभ के नेताओं के प्रति, सोवियत सरकार के प्रति और व्यक्तिगत रूप से रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसिगिन के प्रति उनके रचनात्मक मित्रतापूर्ण और मुन्दर कार्यों के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा की गहरा भावना व्यक्त करते हैं। इनके सद्प्रयत्नों से बत मान सम्मेलन हो सका और जिसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए सतोषप्रद रहा।

ताशकन्द समझौते का महत्त्व—ताशकन्द समझौते का चीन में छाटकर सर्वत्र स्वागत हुआ। यह सत्य है कि ताशकन्द समझौते से भारत और पाकिस्तान के मौलिक मतभेदों का अन्त नहीं हुआ, लेकिन उस समय यह उम्मीद करना कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को सारी समस्याओं का समाधान हा जायगा, गलत था। ताशकन्द का महत्त्व इस बात में है कि इमने पहलेपहल भारत और पाकिस्तान के नेताओं को अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष वार्ता का अवसर दिया। इससे इस बात की सम्भावना बढ़ गयी। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक नया युग शुरू होगा और दोनों देश अपनी शत्रुता भूलकर मैत्री का रास्ता अपनायेंगे। ताशकन्द समझौते का स्वागत दुनिया ने शांति की विजय के रूप में तथा चीन की आक्रमण और उधवादी नीति की पराजय के रूप में किया।*

ताशकन्द समझौते का महत्त्व पर बोलते हुए सोवियत प्रधान मंत्री कारिजिन ने सत्य ही कहा था —

“ताशकन्द घोषणा भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक नया मोड़ है। घोषणा से दोनों देशों के सैनिक संघर्षों का अन्त हो गया तथा उसे दो मुख्य एशियाई देशों के बीच विद्यमान कठिनाइयों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरे विचार से एशिया के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए उक्त घोषणा ने एक वास्तविक आधारशिला का नींव रखी है।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ताशकन्द सम्मेलन एक विशिष्ट प्रयोग है। उन्होंने उम्मीद प्रकट की थी कि सम्पूर्ण विश्व ताशकन्द घापणा का काफी लम्बी अवधि की समस्याओं को सुलझाने का एक उदाहरण मानकर उसका स्वागत करेगा। वस्तुतः ताशकन्द समझौता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लोबानो, जनेरा, वियना और कैंप डेविड की शृंखला में एक कड़ी है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विराग में समय समय पर काफी सहायता मिली है। यही कारण है कि यह सुझाव दिया जाता है कि समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान “ताशकन्द की भावना” (Spirit of Tashkent) में किया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आनेवाले कई वर्षों तक “ताशकन्द की भावना” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभावित करती रहेगी।

* The Tashkent Declaration has been generally welcomed as one paving the way for better relations between India and Pakistan and ushering in new era of friendship between the two countries. The Declaration was held as a triumph for fore and after the defeat to China which had been doing its utmost to disrupt the summit talks. *Hindustan Times* (Delhi), 11 J

“आज (वाराणसी) १२ जनवरी १९६६

ताशकन्द समझौते के बाद —ताशकन्द घोषणा के बाद दोनो देशों में एक-दूसरे कायान्त्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाये गये और दोनो देशों ने सैनिक प्रपने स्थान पर लौट आये जहाँ व ५ अगस्त, १९६५ का था। दोनो देशों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना भी बन्द कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में मत्सुच ही एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया।

लेकिन अभी ताशकन्द की स्याही सूखने भी न पायी थी कि सीमान्त पर पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल पुनः शुरू (जुलाई-अगस्त १९६६) हो गयी। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि ताशकन्द-समझौता का अन्त होनेवाला है। लेकिन दोनों देशों ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। सितम्बर १९६६ में भारत और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ और यह निश्चय किया गया कि व अपनी सीमान्तों पर यदि कोई सैनिक गतिविधि करें तो इसकी पूर्ण सूचना एक-दूसरे को दे दें। इस समझौता से वातावरण अवश्य ही कुछ शान्त हुआ। १९६७ के प्रारम्भ में भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी हवाई जहाज को भारत द्वारा मार गिराये जाने से दोनो देशों के बीच फिर कुछ तनाव बढ़ गया। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण घटना मई, १९६७ में घटी जत्र अखनूर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच एक मामूली झड़प हो गयी जिसके परिणामस्वरूप सात भारतीय सैनिक मारे गये।

२३ अप्रिल १९६८ का पाकिस्तान के विदेश मन्त्री शरिफुद्दीन पिरजादा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति अयूब खॉं ने उनका स्थान पर भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर अर्शाद हुसेन को नियुक्त किया। राजनीतिक क्षेत्रों में यह अनुमान किया गया कि अर्शाद हुसेन की नियुक्ति से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार होगा। यह आशा व्यक्त की गयी कि राष्ट्रपति अयूब भारत के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहते थे और परिवर्तित नीति की सफलता के लिए ही पिरजादा को हटाया गया और अर्शाद हुसेन की नियुक्ति हुई। सम्भव है कि अपने भारत में रहने के अनुभव के आधार पर अर्शाद हुसेन भारत और पाकिस्तान के बीच व्याप्त कटुताओं को दूर करने का प्रयत्न करें। यह स्मरणीय है कि पाकिस्तान में यह परिवर्तन सावियत प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान आग के दूरत बाद हुआ।

भारत और चीन का सम्बन्ध

चीन के साथ भारत के सम्बन्ध न भारतीय विदेश नीति का जितना प्रभावित किया उतना शायद किसी अन्य देश के साथ हमारे सम्बन्ध ने नहीं किया है। १९४९ में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन का प्रादुर्भाव हुआ तो भारत ने

उसका हृदय से स्वागत किया। यों ता बहुत पहले ही प्रधान मन्त्री प० नेहरू के दिल में चीन के लिए बहुत उँचा स्थान था, लेकिन भारतीय राजदूत श्री के० एम० फणीवकर के कारण चीन को भारत से पूरी सहानुभूति मिली। दोनों देशों के बीच प्रारम्भ से ही अत्यन्त मधुर और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम हुआ। भारत ने हर मौक पर चीन का साथ दिया और उसकी मदद करने की कोशिश की। गैर कम्युनिस्ट देशों में भारत एक ऐसा देश था जिसने कम्युनिस्ट चीन को शीघ्र मान्यता प्रदान की और चीन के नये गणराज्य का मयुक्त राष्ट्रसंघ में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा। इस कारण भारत को कई देशों के साथ, विशेष कर संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मनसुटाव भी पैदा हुआ। लेकिन वह जमाना "हिन्दी चीनी भाई-भाई" का था। भारत ने अमेरिका की नाराजगी को ध्वंशलना करते हुए चीन का समर्थन किया। कारियाई युद्ध के समय भारत ने चीन का जितना समर्थन किया उतना शायद सोवियत संघ ने भी नहीं किया। लेकिन विदेश नीति के क्षेत्र में भारत को यह महान् भूल थी।

तिब्बत का प्रश्न — यद्यपि प्रारम्भ में बहुत वर्षों तक भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत अच्छा रहा, लेकिन कम-से कम एक प्रश्न पर दोनों देशों के बीच आरम्भ से ही मतभेद की स्थिति पायी जाती रही है और यह प्रश्न तिब्बत से सम्बद्ध है। तिब्बत चीन और भारत के बीच में स्थित है, और इस पर चीन की सर्वोच्च सत्ता बहुत पहले से रही है। साथ ही बहुत प्राचीन काल से इसके साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी चले आ रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब तिब्बत पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा तो भारत की ब्रिटिश सरकार संशकित हुई और लार्ड कजन ने १९०५ में एक सैनिक दस्ता भेजकर तिब्बत के दलाई लामा को एक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। १९०६ में ब्रिटेन और चीन के बीच एक सन्धि हुई जिसके द्वारा ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया। इस सन्धि के द्वारा यह भी तय हुआ कि तिब्बत की राजधानी लासा में एक भारतीय एजेंट रहेगा, याङ्ग, ग्यात्से और गारटोक में भारत की व्यापारिक एजेंसियाँ कायम की जायँगी तथा ग्यान्टसे तक डाक-तार घर स्थापित करने का अधिकार भी भारत को रहेगा। इन सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को अपने व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए तिब्बत में कुछ सेना रखने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। लेकिन इस सन्धि में एक महत्वपूर्ण बात थी। इसमें कही भी चीन और तिब्बत के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। न्यायविक वात यह थी कि आन्तरिक मामले में तिब्बत हमेशा से पूर्ण स्वाधीन रहा है यद्यपि चीन की सर्वोच्च सत्ता उस पर रही है। फिर भी, चीन को जब-जब मौका मिला है उसने तिब्बत की स्वायत्तता नष्ट करके उसे अपना अधिभ्रत अंग बनाने का प्रयास किया है। इस तरह का दावा चीन ने हमेशा प्रस्तुत किया है।


जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो तिब्बत लामा से कामिताग मिशन का हटाने का प्रयास करने लगा। तिब्बत के इस प्रयास को चीन की नयी सरकार ने शका को दृष्टि से देखा और नमस्का कि वह अपने को चीनी प्रभाव से मुक्त करना चाहता है। अतएव चीन ने उस पर अपना दावा किया। १ जनवरी, १९५० का चीन ने "तिब्बत का साम्राज्यवादी पडयन्त्रों से मुक्ति दिलाने" का घोषणा का। भारत ने चीन द्वारा तिब्बत का निगल जाने क इन प्रयत्न का विरोध किया। भारत तिब्बत में अपने विशेषाधिकारों का बचावने के लिए तैयार था। वह तिब्बत में चीन की सर्वाच्च सत्ता को स्वीकार करने को भी तैयार था, परन्तु माय ही यह भी चाहता था कि उसे एक स्वायत्त शासन प्राप्त इकाई का स्थान प्रदान किया जाय। लेकिन चीन ने इसकी काह परनाह नहा की और २५ अक्टूबर, १९५० को तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। जब भारत ने चीन की इस सशस्त्र कारवाई का विरोध किया तो उत्तर में चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वह साम्राज्यवादियों क बहकाव में आकर चीन के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इस वातावरण में थोड़े समय के लिए चीन और भारत के सम्बन्ध में तनाव जा गया। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। २३ मई, १९५१ को चीन और तिब्बत में एक समझौता हो गया। इसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि तिब्बत का वैदेशिक सम्बन्ध, व्यापार, सुरक्षा और आवागमन पर चीन का पूर्ण नियन्त्रण रहगा। शेष मामला में तिब्बत पूर्ण स्वतन्त्र रहगा। चीन ने भारतीय हितों का भी संरक्षण प्रदान किया। १९५४ में जब चाऊ एन लाई भारत जाये तो पंचशील के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए और उन्हा सिद्धान्त के आधार पर भारत सरकार ने उपर्युक्त समझौता को मान्यता प्रदान कर दी।

इसके पाँच वर्ष बाद तिब्बत में चीन के विरुद्ध एक विद्रोह (मार्च १९५८) शुरू हो गया। इन विद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी शासकों ने इन विद्रोह को कुचलना शुरू किया और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि दलाई लामा का तिब्बत छोड़कर भागना पडा। वह भागकर भारत आया और भारत सरकार ने उसे शरण दे दी। चीनी सरकार ने इसे "शत्रुतापूर्ण कार्य" बतलाया और भारत पर "विस्तारवादी" होने का आरोप लगाया। दोनों ओर से "शीत-युद्ध" शुरू हुआ और आरोपों तथा प्रत्यारोपों के कारण दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त बिगड़ गया।

सीमा विवाद—उन समय तक भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर भी घोर विवाद शुरू हो चुका था। १९५०-५१ में ही कम्युनिस्ट चीन के नब्बे में भारत के एक बहुत बड़े भू भाग को चीन का अंग दिखलाया गया था। जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो उसे यह जनाव

मिला कि ये नक्शे गलती से बन गये हैं और चीन की सरकार इनमें शीघ्र ही सुधार कर देगी। यह "हिन्दी चीनी भाई भाई" का युग था और इसलिए भारत सरकार न चीन की नैकनियती पर सन्देह नहीं किया। लेकिन चीन ने कभी भी अपना नक्शा नहीं बदला और उसमें प्रत्येक संस्करण में भारतीय भू-भागों पर चीन का दावा बढ़ता गया।

भारत और चीन का सीमा विवाद मुख्यतः दो सीमा-ताक ऊपर है—उत्तर-पूर्व में मैकमोहन रेखा और उत्तर-पश्चिम में लद्दाख। भारत मैकमोहन रेखा को



अपने और चीन के बीच एक निश्चित सीमा-रेखा मानता है। लेकिन वह उनका साम्राज्यवाद गवा कहता है। उसका कहना है कि हम रेखा का चीन की

किमी नरकार ने कभी मान्यता नहा दी है। इसी तर्क के आधार पर चीन ने लागू पर अधिकार कर लिया, यद्यपि पीछे उमका यहाँ से हट जाना पडा। लद्दाख में भी उमने भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग पर दावा किया है। दावा ही नहा, उमने भारत की प्रादेशिक सीमाओं में अक्षय चीन (akshai chin) सड़क को अनाधिकृत रूप से बना लिया है और इस प्रकार भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया है।¹³ भारत सरकार को इस तथ्य की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन भारतीय जनता से इस तथ्य को छिपाकर रखा गया था। इसलिए जब भारतीय जनता का महमा यह ज्ञात हुआ कि भारत चीन सीमा प्रदेश पर चीन की मशय दुकडिया ने भारत का बहुत-सा क्षेत्र दबा लिया है और अधिक भूमि हस्तगत करने की तैयारी कर रही है, तब वह हतप्रभ हो गयी। आक्रामकता को खंडने के लिए माँग हाने लगी। लोगजू चौकी पर चीनी सेना के कब्जे तथा लद्दाख में लुप्त-सिंह-क-नेतृत्व-में सीमा प्रदेश की जाँच-पड़ताल करनेवाले भारतीय पुलिस दल पर किये गये शमनाक चीनी आक्रमण से तो यह असन्तोष और भी उग्र हा उठा। प्रतिशाधात्मक सैनिक-कायवाही की व्यापक माग के वाकजुद प० नेहरू ने इसे स्वीकार नही किया और समझौता वाता द्वारा समस्या को सुलझाने पर तल दिया। उनका तक था कि भारत सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढग से सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। चीन की इन कारवाइयाँ को भागत पचशोल का उल्लघन मानता रहा और उनका विरोध करता रहा। अतएव इन विवादा के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए १९६० के अप्रिल में चीन ने यह प्रस्ताव किया कि दाना देशो के उच्च पदाधिकारों इन सारी समस्याओं का अध्ययन करे और यह खाजन का प्रयास कर कि उनका शान्तिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है। उसी वप रगुन में इन पदाधिकारियाँ का सम्मेलन हुआ। लेकिन कोई सन्नापजनक समाधान नहीं निकल सका। इन पदाधिकारियों को रिपाट से यह ज्ञात हुआ कि इस समस्या के ऊपर दाना दृष्टियाँ में धार अन्तर है। इस हालत में दाना के बीच तनातनी बनी रही। चीन ने लद्दाख के दो हजार बगमोल के नये क्षेत्र पर नया दावा किया। १९५६ में चीन ने अपने दावा के समथन में जा नक्शा पेश किया था उमके अनुसार चीन का दावा लद्दाख में दस हजार बगमोल पर था, लेकिन दानों देशों के अधिकारियों को वाता में जा नक्शा दिया गया उसके हिसाब से लद्दाख में चीन का दावा बारह हजार बगमोल हाँ गया। अब चीन का यह दावा पचास हजार बगमोल हो गया है—पश्चिमो अचल में बारह हजार बगमोल, पूरुा अचल में बत्तीस हजार पाँच सौ बगमोल, मध्य में पाँच सौ बगमोल तथा कश्मीर के काराकारम दर्रे से पश्चिम की ओर पाँच हजार बगमोल। इस दावे में लगभग पचान हजार बगमोल चीन के अधिकार में है। इस कारण भारत और चीन के बीच तनातनी का बटना स्वाभाविक था।

लेकिन चीन का इस तनातनी की काँड़ परवाह नहीं थी। १९६१ में भारतीय भूमि पर उसका छिंट-पुट हमले जारी रह। इस हालत में पंचशील सन्धि को नहीं दुहराया जा सकता था। १९५४ के तमझौत के अनुसार २ दिसम्बर, १९६१ का पंचशील की सन्धि दुहरायी जानी चाहिए था। लेकिन चीन के हमले ने इनका असम्भव बना दिया और भारत-चीन पंचशील सन्धि की जफाल मृत्यु हो गयी।

भारत पर चीन का आक्रमण — १९६२ में चीन ने बहुत बड़ा पैमाने पर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसीलिए जून १० मई, १९६२ का भारत ने चीन के मामले में सीमा विवाद का तय करने के लिए जाटाएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा तो उस अस्वीकृत कर दिया और ११ जून को गलवान घाटी में युद्ध का शय बजा दिया। भारत पर आक्रमण का दोपारोपण करके चीनी सेना ने लद्दाख में भारतीय चौकियाँ व प्रहरियों को घेरना शुरू किया। लेकिन भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली और गलवान घाटी से चीनी सैनिकों का हट जाना पडा। इसके बाद अक्टूबर में "नेफा" क्षेत्र में चानियाँ का आक्रमण शुरू हुआ। भारतीय चौकियों पर आक्रमण करने के चार दिन बाद अर्थात् २४ अक्टूबर, १९६२ का चीन की सरकार द्वारा एक त्रिसूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार था

(१) चीन की सरकार यह जाशा करती है कि भारत की सरकार इस बात से अपनी सहमति प्रकट करेगी कि दाना पक्ष भारत-चीन के बीच की 'वास्तविक नियन्त्रण रेखा' का आदर करते हैं और दोनों पक्ष की सेनाएँ उस नियन्त्रण रेखा से प्रत्येक ओर २० किलोमीटर दूर हट जायें।

(२) भारत सरकार द्वारा यह न स्वीकार किये जाने पर भी चीन की सरकार दोनों सरकारों के विचार-विमर्श के उपरांत पूर्वी क्षेत्र में "वास्तविक नियन्त्रण रेखा" से अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार है। इसी समय दाना पक्ष उस 'वास्तविक नियन्त्रण रेखा', जो सीमा के मध्य और पश्चिमा क्षेत्र की परम्परागत सीमा रेखा है, का उल्लंघन न करने के लिए वचनबद्ध हो।

(३) दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों की वार्ता हो ताकि सीमा समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो।

इसके बाद ही १६ नवम्बर को चीन ने नेफा और लद्दाख के क्षेत्रों में बड़ा प्रचण्ड रूप से आक्रमण शुरू कर दिया।

इस बार चीनियों ने बड़ा पैमाने पर युद्ध की तैयारी की थी। वे टैंक और आधुनिकतम हथियारों से लैस हो कर भारतीय भूमि पर उतर थे। भारत इतने बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो सका था। फलतः भारतीय सेना

को कई स्थानों का छोड़ना पड़ा। चीनी सेना अन्तही हुई भारतीय प्रवेश में प्रवेश करने लगी और तेजपुर में कोई अस्सी मील उत्तर तक आ गयी। यह भारत और चीन के बीच वस्तुतः एक अधोपित युद्ध था।

चीन के प्रधान मन्त्री ने भारत के समक्ष वातावरण शुरू करने के लिए एक त्रिसूत्री प्रस्ताव रखा था। कोई भी स्वाभिमानी देश इस शर्त को नहीं मान सकता था। अतएव भारत ने उसे नामजूर कर दिया। भारत ने यह माँग की कि चीनी सेना ८ सितम्बर की स्थिति में चली जाय और आक्रमण का अन्त हो तभी चीन के साथ किसी प्रकार की बातचीत शुरू हो सकती है। चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पर चीन के लिए जब युद्ध जारी रखना असम्भव था। चाड का महाना जा रहा था और इस समय हिमालय क्षेत्र में चीनी का टिकना असम्भव था। उधर सावित्रयत संघ भीतर ही भीतर चीन पर आक्रमण बन्द करने के लिए दबाव डाल रहा था। चीनी हमले के खिलाफ भारत में भी अपूर्व जनजागरण हुआ और मित्र देशों से भारत का सहायता मिलने लगी। इन सब बातों का देखकर युद्ध बन्द कर देने में ही चीन ने अपना कल्याण समझा। २० नवम्बर को उसने एकतरफ युद्ध बन्द कर देने की घोषणा कर दी। और, यह भी कहा कि १ दिसम्बर से वह अपनी फौज को ७ नवम्बर की नियन्त्रण रेखा तक वापस लौटा लेगा। सभी दृष्टियों से यह चीन की एक भयंकर कूटनीतिक चाल थी। इसका द्वारा वह न केवल भारत को बरन् समस्त विश्व को धोखा में डालना चाहता था। इस घोषणा के उत्तर में ५० नेहरू अपनी उसी पूर्ववर्ती माँग पर डटे रहें कि चीन ८ नवम्बर वाली रेखा पर वापस जाय तभी उससे कोई बातचीत हो सकती है। चीन ने जिस तरह की माँग रखी है वह न केवल अपमानजनक है, किन्तु सीमा के समस्त दरों पर तथा अधिकांश भारतीय प्रदेश पर उसका अधिकार पक्का करने वाली है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चीन वहाँ तक अपनी मना हटाने को तैयार था। चीन की घोषणा में कहा गया था कि वह नेफा में “अवैध” मैकमाहन रेखा के पार अपनी सेना हटा लेगा और शेप सीमा पर वह अपने वर्तमान अधिकार क्षेत्र की सीमा से साढ़े चारह मील पीछे हटेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लद्दाख में, वहाँ वह पञ्चास मील जागे बन्द आया था, वहाँ पर अपना प्रभुत्व क्षेत्र सिद्ध करने के लिए केवल साढ़े चारह मील पीछे हटेगा। और इन प्रकार वहाँ लगभग सोलह हजार वर्ग मील पर अपना आधिपत्य कायम रखेगा। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में भी वह यांगला पहाड़ी तथा उनका निकटवर्ती सभी चोखियाँ पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता था। चीन की शर्त थी कि वह अपने नियन्त्रण के क्षेत्रों में अपना चोखियों को अक्षुण्ण रखेगा और उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए अपनी दुलिन भी तैयार रहेगा। इन प्रकार अपने नियन्त्रण के क्षेत्रों में वह अमैत्रिक शासन-

व्यवस्था स्थापित करना चाहता था और साथ ही भारत को इस अधिकार से वंचित रखना चाहता था कि वह अपनी खोयी हुई चोकियों का पुन प्राप्त कर सके। उसने भारत को धमकी भी दी कि यदि भारत ने फिर चोकियों स्थापित करने का चेष्टा की तो चीन को पुन लड़ाई प्रारम्भ कर देने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध-विराम का प्रस्ताव न केवल भ्रमात्मक ही था वरन् इसकी स्वीकृति भारत के लिए साधतिक होता।

भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय ने चीन के इस प्रस्ताव का सावधानी से अध्ययन किया और इसके विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि कई अथा में यह प्रस्ताव २४ अक्टूबर के प्रस्ताव से भी खराब है। इस विश्लेषण के अनुसार चीन ने केवल ८ सितम्बर, १९६२ से पहले शक्ति के प्रयोग से हथियाए हुए काफी बड़े भारतीय भू-भाग पर नियन्त्रण जमाये रहना चाहता है वल्कि लद्दाख और नेफा दोनों में ८ सितम्बर, १९६२ के बाद विशाल आक्रमणों से कब्जा किये प्रदेश पर भी नियन्त्रण प्राप्त करना चाहता है। भारत को भूमि पर आक्रमण करके कब्जा जमा लेने और उस उचित सिद्ध करने को चीनो चाल इतनी स्पष्ट थी कि भारत स्वीकार नहा कर सकता था। अतः भारत सरकार ने चीन के २१ नवम्बर, १९६२ के प्रस्ताव का अस्वीकार कर लिया।

फिर भी चीन ने युद्ध बंद कर दिया और इस कारण लड़ाई रुक गयी। उसने जात हुए भारतीय प्रदेशों को भाँ खाली करना शुरू कर दिया। युद्ध में बहुत से भारतीय सैनिक बन्दी बना लिए गये थे। चीन ने इन सन्धियों को रिहा कर दिया और भारत के कुछ सैनिक माजोसामान भी लौटा दिये।

तटस्थ राष्ट्रों की प्रतिक्रिया—भारत पर हुए चीनी आक्रमण की जो प्रतिक्रिया तटस्थ राष्ट्रों में हुई वह अत्यन्त ही आश्चर्यजनक थी। हिन्दुशिया और उसके राष्ट्रपति मुकर्ण के लिए भारत ने जितना क्रिया था उतना शायद ही किसी और देश ने किया हा। किन्तु भारत के संकट के समय वे चुपचाप ही रहे। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगास्ताविथा के टोटा तथा घाना के एनक्रूमा भारत के गहरे मित्र माने जाते थे, परन्तु उन्होंने भी दिल खोलकर भारत का साथ नहो दिया। घाना के एनक्रूमा ने भारत को शत्रु सहायता देने के लिए ब्रिटेन से विरोध भी प्रकट किया। टोटा और नासिर भी लगभग चुप रहे।

चीन की दूसरी धमकी—चीन ने भारत को ८ नितम्बर से पूर्व की स्थिति स्थापित होने की माँग का ठुकरा दिया और यह धमकी दी कि इस बात पर जड़ रहे से भीमा सघष सुलझ नहा पायगा। उसने भारत का आक्रामक बतलाया। इतना ही नहा, कालम्बा सम्मेलन प्रारम्भ हाने से पूर्व उसने धमकी से भरा भारत विराधा प्रचार क्रिया ताकि सम्मेलन के समस्त राष्ट्राँ ना धमका कर उन्हें भारत

क न्यायमगत माँगा का समर्थन करने से रोक गके। अपने इस प्रयास में वह बहुत हद तक सफल भी रहा। सम्मेलन के एक दिन पूर्व चीन ने भारत को एफ धमकी भरा पत्र भेजकर निम्न बातों का 'हाँ' या 'ना' में उत्तर देने का कहा —

- (१) भारत युद्ध-विराम का प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं,
- (२) भारत चीन का यह प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं कि दानो देशों की सेनाएँ ७ नवम्बर, १९५६ की नियन्त्रण रेखा से तीन किलोमीटर पीछे हट जायँ,
- (३) भारत चीन की यह माँग स्वीकार करता है या नहीं कि दानो देशों के अधिकारी परस्पर मिल और सेनाओं को वापसी और विसैन्यकृत क्षेत्र के विषय में विचार-विनिमय करें।

भारत ने इस प्रस्ताव को नामज़ूर कर दिया।

कोलम्बो सम्मेलन—भारत और चीन के इस अघापित युद्ध से एशिया और अफ्रिका के कुछ मित्रराज्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक था। लका, बर्मा, इन्डोनेशिया, मिस्र, घाना, कुछ ऐसे देश थे जो भारत और चीन दानो के मित्र थे। अतएव इन लोगों ने योच-प्रचाव करके भारत चीन सीमा-विवाद का हल करने का अपना इरादा प्रकट किया। लका के प्रधान मन्त्री की प्रेरणा से कोलम्बो में इन पाँच शक्तियों का एक सम्मेलन १९६२ के दिसम्बर में हुआ जिसमें उक्त विवाद को हल करने के लिए एक तरीका निकाला गया। सम्मेलन ने अपने प्रस्तावों का उस समय तक गुप्त रखने का निणय किया जबतक उनपर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया उन्हें ज्ञात न हो जाता।

श्रीमती भडार नायक स्वयं एक प्रस्ताव लेकर पत्रिंग और नयी दिल्ली गया तथा १६ जनवरी, १९६३ का कोलम्बो प्रस्ताव (Colombo Proposals) प्रकाशित कर दिया गया।

कोलम्बो प्रस्ताव—कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव निम्नलिखित थे —

(१) सम्मेलन इस बात का अनुभव करता है कि वर्तमान तथ्यत युद्ध-विराम का काल भारत-चीन-विवाद का शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सवथा उपयुक्त है।

(२) भारत-चीन-सीमा के पश्चिमी क्षेत्रों में सम्बन्ध में सम्मेलन ने चीन सरकार से अपील की है कि वह उस क्षेत्र में अपनी सैनिक चौकियाँ का बीस किलोमीटर और पीछे हटा ले जैसा कि चीन के प्रधान मन्त्री ने प्रस्तावित किया है।

(३) सम्मेलन भारत सरकार से यह अपील करता है कि वह अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति का कायम रखे।

(४) सीमा विवाद का जन्तिम हल होने तक चीनी सैनिकों द्वारा घातों किया गया क्षेत्र जमैनिह क्षेत्र है और उमरी निगरानी और मैनेजिक चौकियां द्वारा की जाय। किन्तु इस उम क्षेत्र में भारत और चीन दोनों का पहले का उपस्थिति का दावा खत्म नहा होगा।

(५) पूर्वी नेपाल क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्मेलन का विचार है कि उन उम में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रक्षा पर युद्ध विराम समझौते कर सकते हैं। उधर के शेष क्षेत्रों के बारे में दोनों देश अपने भविष्य में इन ज्ञानी बात-चीत से निष्पत्ति कर सकते हैं।

(६) मध्यवर्ती क्षेत्र को सम्बन्ध में सम्मेलन का प्रस्ताव है कि दोनों समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से हा।

(७) सम्मेलन का विचार है कि इन प्रस्तावों के तर्कों से ज्ञान के ज्ञानों द्वारा के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध-विराम की स्थिति में सम्बन्ध में समाधान की दृष्टि में जाना के लिए माग प्रयत्न होगा। सम्मेलन का यह भी विचार है कि सम्मेलन युद्ध विराम की स्थिति का रद्द करने में भी सहायक होगा।

भारत ने कुछ "सुझाव" के बाद मध्य क्षेत्रों में सम्मेलन का विचार

वह पहले कोलम्बो प्रस्तावों का पूरी तरह स्वीकार कर ले तब बात शुरू करने का सुझाव रखे। उस हालात में यदि वार्ता असफल रही तो भारत-चीन विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है। लेकिन चीन इन सभी सुझावों का टालता गया। उल्टे वह भारत को बदनाम करता रहा।

नासिर प्रस्ताव — चीन भारत विवाद के इस गतिरोध को दूर करने के लिए ३ अक्टूबर, १९६५ का राष्ट्रपति नासिर ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कोलम्बो प्रस्तावों की बातों को दुहराया गया था तथा यह सुझाव रखा गया था कि भारत चीन विवाद के अन्त के लिए एक दूसरा कोलम्बो सम्मेलन का आयोजन हो। लेकिन इस प्रस्ताव का भी कोई नतीजा नहीं निकला।

भारत-चीन विवाद के सम्बन्ध में १९६४ में दो उल्लेखनीय घटनाएँ घटी हैं। फरवरी, १९६४ में जब चीन के प्रधान मन्त्री वमा गये तो वहाँ के प्रधान मन्त्री से उनकी बातें हुई और अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति निकली उसमें कहा गया था कि भारत और चीन को कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर अविलम्ब प्रत्यक्ष वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो दूसरी बात है वह यह कि मार्च १९६४ में लका के प्रधान मन्त्री श्रीमती भडारनायक के द्वारा भारत सरकार को यह सूचना मिली कि चीन की सरकार लद्दाख की सात चौकियाँ खाली करने के लिए तैयार है और इसके बाद वार्ता शुरू हो सकती है। भारतीय संसद में इस पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि यदि चीन स्वयं प्रत्यक्षतः इस तरह का प्रस्ताव रखे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

मई, १९६४ में प० जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ एन लाइ ने एक शोक-सन्देश भेजा जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और चीन का विवाद अत्यन्त अस्थायी है और इसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। श्रीमती भडारनायक ने इस विचार का आदर किया और नयी दिल्ली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि “कोलम्बो शक्तियाँ” इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करती रहेगी।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीन के ये सारे सुझाव दिखावटी थे। वस्तुतः चीन कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहुरंगी रूप धारण करता रहा है। इन प्रस्तावों के प्रति अपनी ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए उसने तरह-तरह का प्रपंच रचा है और इसके लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ सचेष्ट रहा है।

भारत-पाक युद्ध और चीन — १९६० से ही चीन पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारा रहा था। यह स्मरणीय है कि जब चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी तो पाकिस्तान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की थी। अमेरिका के नेतृत्व में चीन के खिलाफ जो दक्षिणी-पूर्व

(४) सीमा विवाद का अन्तिम हल होने तक चीनी सैनिका द्वारा खाली किया गया क्षेत्र असैनिक क्षेत्र हो और उसकी निगरानी गैर सैनिक चौकियाँ द्वारा की जाय। किन्तु इसमें उस क्षेत्र में भारत और चीन दोनों का पहले की उपस्थिति का दावा खत्म नहीं होगा।

(५) पूर्वी नेफा क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्मेलन का विचार है कि उस क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रखा पर युद्ध-विराम रेखा तय कर सकती है। उधर के शेष क्षेत्रों के बारे में दोनों देश अपने भविष्य में हाजि वाली बात-चीत से निर्णय कर सकते हैं।

(६) मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्या के बारे में सम्मेलन का प्रस्ताव है कि उनका समाधान शान्तिपूर्ण तरीका से हो।

(७) सम्मेलन का विश्वास है कि इन प्रस्तावों का कार्यान्वित होना से दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध-विराम की स्थिति में समस्याओं के समाधान की दृष्टि में वाता के लिए भाग प्रशस्त होगा। सम्मेलन का यह भी विश्वास है कि ये प्रस्ताव युद्ध-विराम की स्थिति का दृष्ट करने में भी महायुक्त होंगे।

भारत ने कुछ "स्पष्टीकरण" के बाद सम्पूर्ण कालम्बा प्रस्ताव का अंगार कर लिया और उसकी स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में भारतीय भाग नैर-माह्न रेखा तक जा सकती। चीनी सेना भी अपने पूर्व स्थानों तक जा सकती, लेकिन विवादग्रस्त स्थानों पर उसका जाना भी बजित था। २१ जनवरी, १९६३ को चीन के विदेश मन्त्री धो चन या की ने कालम्बा प्रस्ताव का "निर्दलत स्वीकार" कर लिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ बातों पर चीन का अपना विचार है जिनपर बातों के दौरान में विचार किया जा सकता है। सम्मेलन में, चीन कोलम्बा प्रस्ताव का मानने में जानाकारी कर रहा था। चीन का कालम्बा प्रस्ताव का अन्ततः दुहरा दिया और इस प्रकार भारत-चीन सम्बन्ध में कृतज्ञानिष्ठ स्तर पर एक तरह का गतिरोध उत्पन्न हुआ गया। चीन के कर भयने पर स्पष्ट हुआ गया—(१) चीन लेन दून के आधार पर भारत में राज्यान्वित गन्तव्य करना चाहता था, (२) चीन कालम्बा प्रस्तावों का दूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तथा (३) चीन कालम्बा प्रस्ताव की मध्य धरा का विरोध था। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत चीन को कुछ विषयों पर तब प्रस्तावों का जाय ता चीन तथा भारत-चीन सम्बन्ध में घाला दिये गए स्थानों पर भारत-चीन द्वारा कालम्बा प्रस्तावों का विरोध नहीं करेगा।

वह पहले कालम्बो प्रस्ताव का पूरी तरह स्वीकार कर ले तब बात शुरू करने का सुवाच रखे। उस हालत में यदि बात असफल रही तो भारत-चीन विवाद को अन्तराष्ट्रीय न्यायालय क समक्ष रखा जा सकता है। लेकिन चीन इन सभी सुझावों का टालता गया। उल्टे वह भारत का बदनाम करता रहा।

नासिर प्रस्ताव — चीन भारत विवाद क इस गतिराध को दूर करने क लिए ३ जकट्टबर, १९६८ का राष्ट्रपति नासिर ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कालम्बो प्रस्तावों की बातों को दुहराया गया था तथा यह सुझाव रखा गया था कि भारत चीन विवाद के अन्त के लिए एक दूसरा कोलम्बो सम्मेलन का आयोजन हो। लेकिन इस प्रस्ताव का भी कोई नतीजा नहा निकला।

भारत-चीन विवाद क सम्बन्ध में १९६४ में दो उल्लेखनीय घटनाएँ घटी हैं। फरवरी, १९६४ में जज चीन क प्रधान मन्त्री वर्मा गये ता वहाँ क प्रधान मन्त्री से उनकी बातें हुई और अन्त में जा सयुक्त विज्ञप्ति निकली उसमें कहा गया था कि भारत और चीन को कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर अविलम्ब प्रत्यक्ष वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जा दूसरी बात है वह यह कि मार्च १९६४ में लका क प्रधान मन्त्री श्रीमती भडारनायक क द्वारा भारत सरकार को यह सूचना मिली कि चीन को सरकार लद्दाख की सात चौकियाँ का खाली करने के लिए तैयार है और इसके बाद बात शुरू हा सकता है। भारतीय संसद् में इस पर चालते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि यदि चीन स्वयं प्रत्यक्षत इस तरह का प्रस्ताव रखे ता उस पर विचार किया जा सकता है।

मई, १९६४ में प० जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ एन लाई ने एक शोक-मन्देश भेजा जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और चीन का विवाद अत्यन्त अस्थायी है और इसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। श्रीमती भडारनायक ने इस विचार का आदर किया और नयी दिल्ली में चलेते हुए उन्होंने कहा कि “कालम्बो शक्तियाँ” इस समस्या के समाधान के लिए चष्ट करती रहेंगी।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीन क ये सारे सुझाव दिखावटी थे। वस्तुतः चीन कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहुरंगी रूप धारण करता रहा है। इन प्रस्तावों के प्रति अपनी इमानदारी का प्रमाण देने के लिए उसने तरह-तरह का प्रपच रचा है और इसके लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ सचेष्ट रहा है।

भारत-पाक युद्ध और चीन — १९६० से ही चीन पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधार रहा था। यह स्मरणीय है कि जब चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी ता पाकिस्तान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की थी। अमेरिका के नेतृत्व में चीन के खिलाफ जो दक्षिणी-पूर्व

एशिया सैन्य संगठन बना उसका पाकिस्तान एक सदस्य हो गया और उसकी सारी नीति चीन-विरोधी थी। कश्मीर के प्रश्न पर चीन ने भारत का समर्थन किया था।

लेकिन सीमा विवाद का लेकर भारत और चीन में जब तर्क होने लगा तो पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के अत्यन्त करीब आने लगे। दोनों देशों के सम्बन्ध सुधारने के बहुत यत्न हुए और पाकिस्तान में चीन की कूटनीति सक्रिय हो उठी। रावलपिंडी और पेकिंग में कई मतझौते हुए और “चीनी पाकिस्तानी भाई-भाई” के नारे लगाने लगे। लेकिन दाना देशों के इस ठठन्धन का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। एक समाजवादी व्यवस्था का पोषक और दूसरा सैनिक तानाशाही, सामन्तशाही और धर्मान्धता का गढ़ था। यदि दाना में कोई सामान्य बात थी तो वह भारत का विरोध। उनकी मैत्री का आधार केवल भारत का विरोध था।

पाकिस्तान और चीन की त्रिभुज मैत्री का प्रथम व्यावहारिक प्रयोग सितम्बर, १९६५ में हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गयी। इस लड़ाई में चीन ने पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन किया और भारत का आक्रामक बतलाया। चीन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ चीनी अधिकारी पाकिस्तान भी आये। भारत-चीन सीमान्त पर चीन ने सैनिक हरकत भी शुरू कर दी।

चीन की इस गतिविधि पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट था। वह इस सम्भावना का ध्यान में रखे हुए थी कि चीन भी इस अवसर से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण कर सकता है। अतएव चीन के खिलाफ भी उसने अपनी तैयारी जारी रखी। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर दिया कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करता है तो उसका भी डटकर मुकाबला किया जायगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भी चीन को चेतावनी दे दी कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करे।

चीन का अल्टिमेटम—लेकिन चीन पर इन चेतावनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। १६ सितम्बर, १९६५ को चीन की सरकार ने भारत सरकार का एक अल्टिमेटम दिया जिसमें यह माँग की गयी कि “तीन दिनों के अन्दर भारत सिक्किम-चीन सीमा पर गैर कानूनी ढंग से बनाये छुपे सैनिक प्रतिष्ठानों का हटा लें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।” पत्र में यह भी माँग की गयी थी कि भारत सीमा पर अपने “सारे अतिक्रमण तत्काल बन्द कर दे,” अपरिहार्य सीमा निवासियों और फँड़े गये मवेशियों का वापस कर दे और सीमा के पार परेशान करनेवाले हमलों से बिसुख हो जाय। अन्यथा दसक गम्भार परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।”

चीन की इस कायवाही से भारत में सनसनी तथा पाकिस्तान में हथ की लहर फैल गयी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान और भारत का यद् अत्र व्यापक रूप धारण कर लेगा। चीन यदि भारत पर आक्रमण कर देता तो परिस्थिति बहुत नाजुक हो जाती और भारत-पाक युद्ध विश्व-युद्ध का रूप भी धारण कर सकता था। अतएव महाशक्ति ने जिन पर विश्व-शान्ति का सुष्ठु दायित्व है, तुरत ही चीन का चेतावनी दी कि वह आग के माथ खिलवाड नही करे। इस तरह की चेतावनी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शान्ति ने दी। वहाँ तक भारत का सम्बन्ध था उसने चीनी अल्टिमेटम को सहने का प्रयास किया। चीन की धमकी गम्भीर अवश्य थी लेकिन यह अप्रत्याशित नही थी। यह चीन और पाकिस्तान के अस्वाभाविक गठबंधन का स्वाभाविक परिणाम था। इस चुनौती में चीन का सैनिक दूर्य और पाशविक बल बाल रहा था।

लेकिन भारत ने चीन की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अल्टिमेटम के जवाब में १७ सितम्बर को लोक सभा में प्रधान मंत्री शास्त्री ने सिद्धम-तिब्बत सीमा पर भारत द्वारा अतिक्रमण किये जाने का खडन करते हुए कहा कि भारतीय प्रश्न पर चीन का दावा हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की सैनिक शक्ति हमें अपनी प्रदेशिक अखडता की रक्षा से विचलित नही कर सकती। भारत ने चीन के आरोपों का खडन किया और कहा कि यदि चीन की सरकार सम्झती है कि भारत ने उसके प्रदेश में सैनिक प्रतिष्ठान बना लिये हैं तो वह उनको तोड सकता है और भारत इसका कोई विरोध नही करेगा।

चीन की सैनिक हरकत—अल्टिमेटम देने के माथ ही चीन ने सिद्धम तथा लद्दाख क्षेत्रों में सेना का जमाव और सैनिक गतिविधि शुफ कर दी। अल्टिमेटम की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही उसने सीमा के पार स्थिति भारतीय मनाजा पर गोली चलाना भी शुरू कर दिया। वह जगह भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक घुस आये। १९ सितम्बर को अल्टिमेटम की अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन चीन ने बहुत बड पैमाने पर कोई कारवाइ शुरू न करके इसकी अवधि तीन दिनों के लिए और बढा दी। बाद में २३ सितम्बर को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया तो पेरिंग रेडियो ने एक नाटकीय घोषणा करते हुए कहा कि “भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानों को तोडकर अपनी सीमा में वापस चले गये।” चीन के इस मनगढन्त कहानी को भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने “उपजाऊ चीनी मस्तिष्क की ऊपज” बतलाया।

चीन और भारत के सम्बन्ध में तनावपूर्ण स्थिति जून १९६७ में आयी जब चीन ने जासूसी का आरोप लगाकर पेरिंग स्थित भारतीय दूतावास के दो कूटनीतिज्ञों का प्रवाहित व्यक्ति घोषित करके उन्हें चीन से निकल जाने का आदेश दिया। इनमें से एक को यह कहा गया कि इसके आचरण को जांच एक मार्क्सजिनिक अदालत

मे होगी। वाद मे जत्र दोनो कूटनीतिज्ञ चीन से निष्कामित होकर स्वदेश के लिए चले ता पेकिंग और कैंटन मे चीनो लाल रक्षका १ उनके साथ उडा बुरा और भदा व्यवहार किया। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया भारत में हुई। भारत सरकार ने भी चीनो दूतावास के कूटनीतिज्ञा को अवाञ्छनीय व्यक्ति घोषित करके भारत छोडने का आदेश दिया।

चीन की भारत विराधी हरकतें अभी तक बन्द नहीं हुई हैं जोर भारत-चीन सीमा पर बहुत बडे पैमाने पर चीनो सैनिकों का जमाव जारो २। सम्भव है, चीन पुन भारत पर हमला कर दे। लेकिन यह निश्चित है जोर चीन के शासक इस तथ्य का भलीभाँति समझते है कि वह युग अत्र समाप्त हो गया जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य कायम कर ले। इसके साथ यह भी निश्चित है कि अभी वर्षों तक भारत और चीन का सम्बन्ध अत्यन्त तनाव पुर्ण रहगा और सीमा पर यदा-कदा छिटपुट सघर्ष और सुठभेड हाते रहेंगे।

सघर्ष और सकट के समय मानसिक सन्तुलन कायम रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया है और चीन क प्रति अपनी नीति निधारण करते समय हम हम परहलू पर हमेशा ध्यान रखना पडेगा। आवश या निहित स्वाथा के प्रभाव म आकर हमे कोई ऐमा कदम नहा उठाना है जिमका परिणाम हमार हक मे अज्ञा न हा। यह तथ है कि भारत और चीन के सम्बन्धा मे उत्पन्न समस्यायाँ का कोई सैनिक समाधान नहा हो सकता है, क्योंकि इन दाना देशा क बीच सम्भवत काह अन्तिम और निणायक युद्ध नहीं हो पायगा। चीन के साथ हमारे विवादा का अन्त कूटनीतिक स्तर पर ही होगा, भले ही इस तरह की किनी कूटनीतिक वाता का प्रारम्भ हाने मे वर्षों लग जाय।

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारत का दृष्टिकोण

वियतनाम सघष और भारत—हिन्द-चीन के मामले में भारत शुरू से ही दिलचस्पी लेता आ रहा है। उसने १९५४ क जेनेवा समझौता का समर्थन किया और इसका कार्यान्वित करने में अपना सहयोग किया। जनेवा समझौता का पालन कराने के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयाग बना उसका भारत चयरमैन भी हुआ।

१९६४ स वियतनाम मे अमेरिका का आक्रामक नाति बहुत स्पष्ट हा गयो। जब वियतनाम म अमेरिका स प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप हुना ता भारत बड़ा दुविधागुन जोर उलझन भरी स्थिति में पड गया। वियतनाम को स्थिति माफ था। यदि वियतनाम स युद्ध म कम्युनिस्ट विजय हा ता यह उस क्षत्र म चीन को विचर हागे। चीन भारत का अत्यन्तम शुत्रु है। जत्र दक्षिण पुन एशिया म उसको प्रभाव दृष्टि भारतीय हितों क लिए घातक हा सकती है। इत दृष्टि स कुछ नागा का यह

ह कहना है कि भारत के लिए उचित यह था कि वह अमेरिका को नाति का समर्थन करना। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। यदि वह ऐसा करता तो सानियत सघ से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय हितों का अपार क्षति पहुँचनी क्याकि इन नीति में नावियत सघ भारत से अक्षय नाराज हो जाता। भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत चीन विवाद और कश्मीर की समस्या के बारे में सानियत मैत्री हमारे लिए कितनी मूल्यवान है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण में विचार करने पर यह समुचित प्रतीत होता है कि भारत को उत्तरी वियतनाम का समर्थन करना चाहिए। और, यदि दोनों दृष्टिकोण पर सन्तुलित विचार किया जाय तो राष्ट्रीय हित को दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि भारत १९५४ के जेनेवा-सम्मेलन में कायान्तरण पर पूरा पक्ष दे। दोनों पक्षों में समझौता के मांग को प्रशस्त करने के लिए अमेरिका के समर्थनों को रोकना भारत ने आवश्यक माना। भारत का विश्वास था कि समझौता रोकने से युद्ध के विस्तार का भय कम होगा, महायुद्ध की विस्फोटक स्थिति टल जायगी और पारस्परिक घातों के लिए वातावरण में सुधार होगा। जब विरोधी पक्ष आमन सामने वातावरण के लिए बैठे तो गतिराध दूर होगा और वियतनाम में शान्ति का वाता प्रशस्त होगा। इसी कारण भारत ने अमेरिका से निरन्तर समर्थन बन्द करने का अनुरोध किया और जब १ अप्रिल १९६८ का अमेरिका ने समर्थन को निश्चय किया तो भारत ने उसका स्वागत किया।

१९६८ के पश्चिम एशियाई संकट में भारतीय दृष्टिकोण — पश्चिम एशिया के मध्य १९६८ के संकट में भारत का दृष्टिकोण बड़ा ही विवादास्पद विषय बन गया। शुरू से ही भारत का रुख अरब देशों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रहा है। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ तो उसकी दान्ती बड़ी ही पकी है। इसी कारण भारत ने अभी तक इजरायल का कूटनीतिक मान्यता नहीं प्रदान की है। मध्य पूर्व से जब पश्चिम एशिया में युद्ध का वादल मँडराने लगे, उसी समय से भारत आँख मूँदकर संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन करता रहा। सुरक्षा परिषद में भारत हमेशा अरबों का बकालत करता रहा। उसने सौवियत-सघ को इस माँग की कि इस युद्ध में इजरायल ने आक्रमण शुरू किया है, समर्थन करता रहा। भारत के अन्दर इस नीति को बड़ा आलोचना हुई। आलोचना के दो आधार थे। यह कहा गया कि संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को भारत चीन युद्ध और भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय कोई सहायता नहीं दी और एक तरह से वह तटस्थ रहा। अन्य अरब देशों ने तो स्पष्टतः भारत का विरोध किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ताइवान ने खुबकर पाकिस्तान का समर्थन किया और संकटों अरब जमीन राज्या ने समर्थन प्रदानता भी भेजी। इसके विपरीत इजरायल ने इन संकटों

समय भारत के साथ महानुभूति दिखलायी और गत वर्ष सुरक्षा-परिपद के प्रस्थायी सदस्यों के चुनाव में उसने भारत का समर्थन किया, जबकि अरब देशों ने भारत का विरोध किया।

आलोचना का दूसरा आधार यह है कि भारत को अपने भविष्य पर चाल रखना चाहिए। आज स्वयं नहर इजरायल के लिए बन्द है तो कल यह भारत के लिए भी बन्द हो सकता है। सम्भव है कि कुछ दिनों के बाद संयुक्त अरब गणराज्य में ऐसे लोगों का शासन कायम हो जाय जो धमाधम हा और धम के आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करे। इस हालत में यदि भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाय तो ऐसे लोग भारत के लिए भी स्वयं नहर का मार्ग प्रद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इजरायल ने भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह ठीक है कि फिलिस्तीन में इजरायल राज्य का सृजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक बार वह राज्य स्थापित हो गया और संयुक्त राष्ट्र सभ की मान्यता उसे मिल गयी तो उसको नष्ट कैसे किया जा सकता है। सभ के एक सदस्य देश के अस्तित्व समाप्त करनेवाले देशों की धमकी का भारत का समर्थन मिलने, यह कैसा न्याय है और कैसी नीति है।

इन आलोचनाओं में कुछ तथ्य अवश्य हैं, फिर भी पश्चिमी एशिया के संकट में भारतीय रुख को एकदम अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि अधिकांश अरब देशों ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान का पक्ष लिया था और सार्वजनिक तौर पर संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत का जारदार समर्थन नहीं किया था। लेकिन केवल इसी आधार पर यह मान लेना कि नासिर ने भारत का समर्थन नहीं किया उचित प्रतीत नहीं होता। सम्भव है कि गुप्त कूटनीति के माध्यम से नासिर ने भारत का पूर्ण समर्थन किया हो। इस बात का पता तो तभी लगेगा जब शोध कर्त्ताओं के लिए संग्रहालय (archives) का द्वार खोल दिया जाय। तब तक के लिए हमें प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य को अधिकारिक और सत्य मानना पड़ेगा जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को संयुक्त अरब गणराज्य से पूरी सहायता मिली थी। कैसाब्लाका सम्मेलन में संयुक्त अरब गणराज्य ने जाइड अवनारा उसे इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। अरब राज्यों के इस सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव आया था जिसमें भारत-पाकिस्तान युद्ध के सन्दर्भ में भारत का आक्रामक कहा गया था। नासिर के विरोध के कारण पाकिस्तान को कूटनीति विफल हो गयी और कैसाब्लाका सम्मेलन में इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं हो सका।

भारत सरकार की यह भी मान्यता है कि इजरायल के पीछे अमेरिका के हित बाल रह हैं और अमेरिका पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक अपना

सत्तानोक कायम करना चाहता है। अमेरिका की यह महत्वाकांक्षा भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक है। भारत सरकार को यह धारणा है कि यदि इजरायल का हथकड़ा बनाकर अमेरिका अरब सत्तार के हितों को कुचलने में सफल हो गया तो पश्चिम एशिया का सारा शक्ति-सन्तुलन टूट जायगा। भारत का यह भी विचार है कि इजरायल शुरु से ही अपने पड़ोसियों से खटपट करता रहा है और वह उनक साथ शान्ति बनाय रखने में यकीन नहीं करता।

इस संघर्ष में अरब देशों के समर्थन का एक कारण यह भी था कि अगर इस युद्ध में अरब देश पूरी तरह पराजित हो जाते तो नामिर का नेतृत्व खत्म हो जाता। यह आशंका गलत नहीं थी। अगर नामिर के समर्थकों ने काहिरा में उनके समर्थन में प्रदर्शन नहीं किया होता, तो उनको नियति करीब-करीब वही होती जो कि किसी पराजित सेनापति की होती है। भारत सरकार का यह विश्वास है कि अगर अरब देशों में राष्ट्रपति नामिर का नेतृत्व खत्म हो गया, तो उपनिवेशवाद को जड़ें बहा गहरी हो जायेंगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के स्वार्थों का सक्रिय विरोध राष्ट्रपति नामिर ने ही किया है। बाकी अरब नेताओं में कोई ऐसा नहीं है जो पश्चिमी उपनिवेशवाद से टकरा ले सके। भारत का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में सत्ता शून्यता पैदा हुई तो पश्चिमी देशों का दवान गहरा होगा और यह भारत के लिए बुरा होगा। इरान का छाडकर अधिकतर अरब देश भारत के प्रति अतः तब करीब-करीब तटस्थता का व्यवहार करते रहे हैं। लेकिन अगर अरब देशों का झुकाव पश्चिम की ओर हो गया तो इनमें पाकिस्तान को फायदा होगा। अमेरिका और ब्रिटेन साम्प्रदायिक जाधारा पर पाकिस्तान के लिए अरब देशों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब हो जायेंगे।

द्वितीयतः, पश्चिम एशिया के सामन्तवाद तथा धर्मान्धता के महासागर में नामिर के नेतृत्व में केवल सयुक्त अरब गणराज्य ही समाजवाद और धर्म निरपेक्षता का एक टापू है। इस हालत में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नामिर और सयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन करे। यदि नामिर की स्थिति बनी रही तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी समाजवाद और धर्म निरपेक्षता की लहर फैलेगी जो अन्ततः भारत के लिए लाभदायक रहेगा।

भारत और परमाणु शक्ति निरोध सम्बन्धी संधि — १९६७ के अपने कठु अनुभव के बाद भारत चीन से कुछ अतिरिक्त मतदान प्राप्त हुए अपने को इस स्थिति में नहीं पा रहा है कि वह परमाणु-शक्ति निरोध सम्बन्धी संधि (जिसके सम्बन्ध में १० रा० उ० ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है) पर जाँच मूँदकर हस्ताक्षर करे क्योंकि इस दौरान में चीन ने उन अतिरिक्त परमाणु शक्ति सम्पत्तियों को चुका है और काहें वापस नहीं कि अपने कुछ बरों के भार उन सम्पत्तियों को अनेक

और सोवियत सघ की सम्मिलित परमाणु-शक्ति का मुकाबला करने लायक शक्ति हो जाय। अतएव जब जून १९६८ संयुक्त राष्ट्र सघ में समझौते का प्रस्ताव रखा गया तो भारत ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि जो भी प्रस्ताव पास किये जायें उनका अदर निश्चित रूप से निम्न बातों की व्यवस्था होनी चाहिए (१) जो राष्ट्र परमाणु अस्त्रों से सम्पन्न हों वे उसका निर्माण को नहीं द्वावें, (२) जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं या जिनमें क्षमता नहीं है उन्हें किसी भी तरह का भय परमाणु सम्पन्न देशों से नहा होना चाहिए, और (३) परमाणु-शक्ति से सम्पन्न बड़ी शक्तियों का यह घोषणा करनी चाहिए कि वे इस तरह के अस्त्रों का एकत्रण न करके उसे कम करेंगे। चूँकि इस प्रस्ताव को सोवियत और अमरीकी प्रतिनिधियों ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था इसलिए दोनों को भारत का खैया बडा बुरा लगा और इसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन भारत अपने निश्चय पर डटा रहा। जनेवा सम्मेलन में भी उसने ऐसा ही तर्क रखा था और अमेरिका तथा सोवियत सघ दोनों से अलग-अलग गारंटी चाही थी कि यदि चीन भारत पर परमाणु आक्रमण करे तो ये देश उसकी रक्षा का प्रस्तुत हो जायेंगे। कहा गया कि संधिपत्र पर दस्तखत करने के लिए भारत को यह एक अनिवाय शर्त है। बाद में जनेवा से लौटने पर भारतीय विदेश मंत्री ने और शर्त जाड दी। पत्रकारों से वात्ता करते हुए श्री छागला ने कहा कि यदि सोवियत सघ और अमेरिका भारत पर चीन के आक्रमण के विरुद्ध गारंटी दे भी देंगे, तो भी भारत संधि पत्र पर दस्तखत तबतक नहीं करेगा जबतक परमाणु ऊजा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में कोई नियम नहीं होगा और परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले पर कोई फैसला नहा हो जायगा।

भारत को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की मजबूरी मूलतः चीन की परमाणुविक्र नीति के कारण हुई है। चीन की परमाणुविक्र शक्ति के प्रसार और विकास से भयभीत होकर वह "परमाणु छतरी" चाहता था। इसलिए जब उपरोक्त संधि का मसविदा जून १९६८ में साधारण सभा में पया हुआ तो भारत ने इस सम्बन्धित मतदान में भाग नहा लिया। उसमें इस संधि का विरोध हमें ६ वोटों के कारण किया (दक्किये पृष्ठ ५४६)। लेकिन निरस्त्रीकरण के धर्म ने भारत की बदली हुई नीति के मूल में एक दूसरी बात भी है जो संधिपत्र महत्त्वपूर्ण है। चीन का परमाणुविक्र शक्ति के रूप में देखकर भारत का भयभीत होना स्वाभाविक है और इसलिए वह न्यय परमाणुविक्र शक्ति जाना ही सन्तान हा गया है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए भारत के लिए उपाय करना आवश्यक भी है। यह मत भय है कि संधिपत्र पर हस्ताक्षर न करके भारत सोवियत सघ और अमेरिका दोनों से दायर हो भागा है और इस परिणाम में नहा हो जायगा।

भारतीय विदेश नीति का मूल्यकन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में असलग्नता की नीति भारतीय विदेश नीति की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण देन है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस नीति का पर्याप्त सफलता मिली है और अब व लागू भो इसका प्रशंसक बन गये हैं जा कभी इसके कट्टर विरोधी थे। इतना ही नहीं, हमारी असलग्नता की नीति आज की विश्व-राजनीति का एक मुख्य तत्त्व (factor) बन गया है जिसको "तटस्थतावाद" (neutrality) को सजा दी जाती है। एशिया और अफ्रिका के अधिकांश नवीन राष्ट्र जा हाल में ही स्वतन्त्र हुए हैं, इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसको हम भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता मान सकते हैं।

असलग्नता की नीति पर चलकर भारत ने विश्व-राजनीति में प्रयाप्त ख्याति पायी है। शक्ति-कूटनीति (power-politics) के इस युग में समार में उनी देश का महत्त्व है जा सैनिक और आर्थिक दृष्टिया से शक्ति-सम्पन्न है। इन दाना पहलुओं से देखने पर भारत एक महत्त्वहीन देश है। फिर भी, समार में उसकी इज्जत है और प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर भारत के विचार और उसका प्रतिक्रिया को राष्ट्रों की मडनों में महत्त्व दिया जाता है। यह असलग्नता की नीति का ही प्रभाव है, यद्यपि इसमें हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को देन भी कम नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक पर सत्य बात है कि सैनिक और आर्थिक दृष्टियों से शक्तिहीन होने पर भी भारत ने कई एक बार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक पाठ अदा किया है। इडोनीशिया की स्वतन्त्रता, कारिया-युद्ध, मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस का हमला, हिन्द-चीन आदि समस्याओं के समाधान में भारत का महत्त्वपूर्ण और बहुत अश तक निर्णायक हिस्सा रहा है। किसी भी देश की विदेश नीति या कोई नीति पूर्णतया सफल नहीं होती। कई अवसरों पर सयुक्त राय अमेरिका, साकियत सघ और ब्रिटेन जैसे बड़-बड़ राष्ट्रों का भी असफलता और कभी-कभी घोर अपमान का सामना करना पडा है। इस हालत में यदि भारतीय कूटनीति भी कुछ अवसरों पर असफल रही हो तो इसमें दुःख की कोई बात नहीं। वस्तुतः हमारे लिए यह एक गौरव की बात है कि सैनिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हात हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हमने इतनी सफलता और ख्याति हासिल की है।

लेकिन इधर हाल के वर्षों, विशेषकर अक्टूबर १९६२ के चीन के भोषण आक्रमण के बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय कूटनीति एकदम प्राणहीन हो गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के पन्द्रह वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा जैसा हिस्सा रहा उसकी तुलना में हमारी आज की कूटनीतिक गतिविधि पूर्णतया फोकी पड गयी है और कई कूटनीतिक मामलों पर हमें पराभव का सामना करना पडा

है। एक जमाना था जब भारत ने एशियाई-अफ्रीकी देशों का संगठित करने में सतृप्त किया था। अब ऐसा समय जा गया है कि हम दूसरों का कपल अनुकरण करते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हमारी यह स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई तरह के दाव पेंच चलते रहते हैं जोर उसमें विजय-पराजय हाती रहती है। लेकिन पराजय या उसका भय से प्रेरणाहीन बन जाना एक सशक्त राष्ट्र के लिए लज्जा का विषय है। हमारी वर्तमान विदेश नीति प्रेरणाहीन और प्राणहीन हो गयी है। अभी तत्काल इसमें एक नयी जान डालने की आवश्यकता है। भारत के नवीन राजनैतृत्व के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।

भारत की विदेश नीति में वस्तुतः एक मौलिक त्रुटि हो जा प्रारम्भ से ही इस नीति के साथ जुट गयी है। इसमें दृढ़ता और तक का अभाव रहा है और यह विशयकर एक व्यक्ति के आदेश और विचारों से अधिक प्रभावित रही है। फलतः इसमें वास्तविकता की उपेक्षा की गयी है। भारतीय विदेश नीति के मौलिक तमद्धान्तों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसका निर्धारण ही कभी-कभी गलत होता है जिसके कारण भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो जाती है। अमलग्नता तथा उपविनेशवाद का विरोध करना भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख मौलिक तत्व हैं और इन तत्वों को विश्व की विविध घटनाओं के सम्बन्ध में विविध स्तर पर लागू किया जाता है। भारतीय विदेश नीति की यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है और एक लेखक ने इसे "विदेश नीति के प्रति नेमक्राफ दृष्टिकोण" कहा है।

किसी भी विदेश नीति की सफलता, अन्तिम विश्लेषण में, उस देश की आर्थिक और सैनिक स्थिति पर निर्भर करती है। इस तथ्य का स्वयं पंडित नेहरू

We have no sustained longranging view on foreign affairs instead we have like instant coffee an instant foreign policy. It is a Nescafe approach to problems. We react to each crisis and stagger because we have not yet fallen — Seminarist Spinster on Shelf in Seminar No 36 (April 1964) p 39

Ultimately foreign policy is the outcome of economic policy and until India has properly evolved her economic policy her foreign policy will be rather vague incoherent and will be groping. It is well for us to say that we stand for peace and freedom and yet that does not convey much to anybody except a pious hope — Nehru in Constituent Assembly (Dec 4 1947) Quoted in Ronald Seal *The Crisis of India* p 272

स्वीकार किया था। यद्यपि आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी भारत ने पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की है, लेकिन विश्व-राजनैतिक का नेतृत्व करने के लिए प्रभावित करने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य तत्त्व बनाने के लिए आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत के राजनीति निर्धारक एक तथ्य से अपनी आँख नहीं चुरा सकते हैं। यह तथ्य है अन्न और आर्थिक मामले में देश की असमर्थता। जब तक यह असमर्थता बनी रहती है तब तक किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर हमें अपने उन दाताओं की बात चाहकर या अन्तर्देशीय माननीय पड़ेगो जो जय-जय हमारे भिक्षा पात्र में थोड़ा बहुत दान और पैसे डालते रहने हैं।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

(I)

- 1 Bring out the salient features of the Paris Peace Settlement
- 2 What do you understand by the terms the peace treaties or the Peace Settlement ?
- 3 Between the retreat of America and treacheries of Europe the treaties of peace were never given a fair trial Elucidate
- 4 The Paris Peace Settlement (1919) led to the Balkanisation of Europe Discuss
- 5 Describe briefly the European territorial settlements of 1919-20 and state how far in your opinion they were responsible for the Second World War ?
- 6 Examine the salient features of the Versailles Treaty of 1919 What effects had they on subsequent history ?
- 7 Examine the provisions of the Treaty of Versailles and point out its effects on Germany
- 8 Describe in brief the Fourteen Points of President Wilson and explain to what extent these were incorporated in the Covenant of the League of Nations ? What were the point of incoherence between the Treaty of Versailles and the Wilsonian Principles ?
- 9 Mark the Wilsonian impact on the Treaty of Versailles
- 10 Examine the view that the Treaty of Versailles was merely an armistice for twenty years
- 11 The Treaty of Versailles was a dictated peace Explain
- 12 Point out the merits and demerits of the Treaty of Versailles Do you think it was a great failure of state man hip ?
- 13 A great opportunity of lasting peace was lost in 1919 Comment
- 14 The Treaty of Versailles was a curious blending of hypocrisy hatred vengeance idealism and materialism Critically examine this statement
- 15 How far the Treaty of Versailles was responsible for the second World War ?
- 16 The Treaty of Versailles had certain characteristics which determined much of subsequent history Examine
- 17 The Treaty of Versailles contained the germs of the Second World War Comment

(II)

- 1 Mention the historical background of the League of Nations
- 2 Explains clearly the aims of the League of Nations and describe the organisation of its main organs

- 3 Discuss the composition structure and functions of the League of Nations
- 4 Discuss the working of the League of Nations with reference to the mandate system minority problem and its administrative functions
- 5 Discuss the working of the Mandate System What were its defects ?
- 6 Critically examine the works of the League of Nations in the political sphere Do you agree that the League succeeded only in the minor disputes where the interests of the Big Powers did not come into clash ?
- 7 The years between 1924 and 1930 were the period of the League's greatest prestige and authority Explain and discuss
- 8 Describe the social economic and humanitarian activities of the League of Nations
- 9 Discuss the non political activities of the League Do you agree with the view that the real success of the League was in this field ?
- 10 The establishment of the League of Nations at the Paris Peace Conference represented the most ambitious effort so far made to place the peace of the world on a stable basis Discuss this statement with special reference to the works of the League in the sphere of international peace
- 11 Describe the machinery for the pacific settlement of international disputes under the Covenant of the League of Nations
- 12 Account for the failure or liquidation of the League of Nations
- 13 The Manchurian crisis decided the fate of League of Nations Examine this statement
- 14 Examine critically the reasons which led to the failure of the League of Nations How far would you attribute this to the pursuit of diverse policies by Great Britain and France in the inter war period

(III)

- 1 Long before the echoes of the Great War had died down France victorious but worried embarked upon a prolonged search for security Examine the foreign policy of France in the inter war period in the light of the above statement
- 2 The most important and persistent single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security Discuss
- 3 Examine the main trends in the foreign policy of France between 1918 and 1930
- 4 Discuss the causes of differences between England and France after the First World War

- 1 What were the difficulties in the way of close Anglo French co-operation after the First World War ?
- 2 Examine the circumstances that led to the formation of the Little Entente and the significance of French association with it
- 3 What were the principal clauses of the Geneva Protocol ? Describe the causes which led to its failure
- 4 Describe briefly the main provisions of the Locarno Pact and comment on the *status natus* that it was the real dividing line between the years of war and the years of peace
- 5 Why was the conclusion of Locarno Pact hailed as the harbinger of peace for the first time after the peace settlement of Versailles ?
- 6 The Pact of Locarno was generally hailed as an epoch making event which marked a final reconciliation between the victors and vanquished and constituted a big step forward towards peace Discuss
- 7 What were the circumstances which led to the Kellogg Briand Pact of 1928 ? Explain its terms and show why it failed in its purpose to outlaw war ?
- 8 The Pact of Paris was a historical event of unique importance Discuss
- 9 Imperfect though it was the Pact of Paris was a considerable landmark Discuss
- 10 How was the problem of disarmament tackled during the period 1919-33 ?
- 11 Examine the words of the Washington Conference of 1921-22
- 12 Give an account of the attempts made between 1920 and 1933 to bring about international disarmament and account for their failure

(IV)

- 1 What was the Reparation problem and why it was so complicated ? What attempts were made to solve it ?
- 2 What do you understand by Reparation ? Trace its history and various stages of its development
- 3 The Reparation problem was both a tragedy and a comedy Examine this statement
- 4 Reparation was a concession of no practical consequence it was a vain attempt to make Germany pay Discuss
- 5 Critically examine the Reparation problem and point out its influence on the international situation
- 6 The economic claims against Germany were impossible of payment and the attempt to enforce them proved ruinous to Europe Discuss

- 7 The Rhine occupation which completed Germany's ruin was however a turning point in the post war history of Europe ' Comment
- 8 What do you know of the Dawes Plan ' To what extent this plan was successful in solving the reparation problem ? Examine its merits and demerits
- 9 Evaluate the contributions of the Young Plan towards the solution of the Reparation problem
- 10 At the Young Plan conference all the drags of distrust and enmity that had been eddying about since the days of the armistice and the writing of the Treaty of Versailles were finally drained off Comment
- 11 The Dawes Plan was viewed as a fortunate solution of reparation problem but in spite of its parade of practicality it could not endure Comment
- 12 The most controversial and complicated problem which confronted the statesmen of Europe after the peace settlement was the provision of reparation in the Treaty of Versailles Discuss
- 13 Write an essay on Inter Allied War Debts
- 14 Explain the relation between Reparation and Inter allied debt problem What efforts were made to solve the Inter Allied Problem '
- 15 Give an account of the world wide Economic depression of 1930-32 How did it affect the world politics '

(V)

- 1 Trace the circumstances which led to the rise of Hitler in Germany Do you think the Versailles Treaty was mainly responsible for it ?
- 2 Discuss the causes of the success of the Nazi Revolution in Germany under the leadership of Hitler
- 3 The Nazi Revolution was a big diplomatic revolution Do you agree with this view ? State reasons
- 4 Discuss the impact of the Nazi Revolution on world politics

(VI)

- 1 Explain the salient features of Hitler's foreign policy and trace the successive steps by which he destroyed the Treaty of Versailles
- 2 To forge a mighty sword is the task of internal political leadership to protect the forging and seek allies in arms is the task of foreign policy
Discuss in the light of the above statement the foreign policy of Nazi Germany between 1933 and 1939

- 3 Do you agree with the statement that Hitler's decision to make Austria the first object of his foreign policy proved in many respects unfortunate?
- 4 Examine the diplomatic trends which led to the formation of the Rome Berlin Axis
- 5 Describe the main stages in the dismemberment of Czechoslovakia
- 6 Describe the events in Czechoslovakia leading to the Munich Pact of 1938. What consequences followed from it?
- 7 Give a background of Munich settlement. What were its results?
- 8 Discuss how the rape of Czechoslovakia by Germany reacted on world opinion
- 9 After Czechoslovakia Hitler did not stop. He had yet to penetrate in the East. How far this statement is true? Discuss it with special reference to Poland, Danzig and the Corridor
- 10 Write short notes on (a) The Anglo German Naval Pact (b) Anschluss (c) Rome Berlin Tokyo Axis
- 11 The Munich Pact was the culmination, appeasement and warrant of death for the Western democracies. It was the symbol of the collapse of the system of collective security. Discuss
- 12 Discuss the immediate causes of the Second World War
- 13 What led to the Polish crisis of 1939? What were its results?

(VII)

- 1 Give a critical account of the foreign policy of Italy between the two world wars
- 2 What were the motives of Mussolini in invading Abyssinia? Analyse the effects of the Italo-Abyssinian war on international politics
- 3 Discuss the significance of the Abyssinian crisis
- 4 Analyse the causes of the Spanish civil war. Why it has been regarded as an event of international significance?
- 5 The Spanish civil war of 1936 was a trial balloon of international power politics. Comment
- 6 Give a critical account of the foreign policy of Franco between the two world wars. Do you think it was full of inconsistency and hypocrisy?
- 7 What do you mean by the British policy of appeasement? What were the guiding factors behind this policy?
- 8 How far did Chamberlain's policy of appeasement contribute to the Second World War?

- 9 Discuss the role of the U S in world affairs between the world wars
- 10 Isolationism is a misleading word to use in characterising American foreign policy since 1920 Discuss
- 11 Discuss the foreign policy of the U S towards the Latin American republics between 1920-1937
- 12 Mark the main trends in the foreign policy of Soviet Russia between 1924 and 1939
- 13 Trace the circumstances which led to the Rus-so-German non-aggression pact of 1939
- 14 Examine carefully Stalin's decision of 1939 to conclude a non-aggression pact with Germany rather than a defensive pact with Britain and France

(VIII)

- 1 Analyse the basic features of the foreign policy of the Turkish Republic between two world wars
- 2 Discuss the international policy of Kamalist Turkey
- 3 Give a brief history of Palestine between the two world wars
- 4 How has the Zionist problem influenced the course of international politics in the Middle East
- 5 Discuss the nature of the Palestine problem Describe the various attempts that were made to solve these problems between 1919 and 1945
- 6 Describe the Palestine problem between the two world wars
- 7 Discuss the nature of the Anglo Egyptian relations from the First World War up to the conclusion of the Anglo Egyptian Treaty of 1936
- 8 The history of Palestine during the twenty years armistice between two European wars were confused hectic contradictory —Discuss
- 9 Trace the growth of Pan Arab Movement after the First World war

(IX)

- 1 Describe the main features of the history of the Far East between 1919 and 1945
- 2 Discuss the role of Japan in the Far East from 1920 to 1941
- 3 The Mukden incident of 1931 which gave the signal for Japanese advance on China changed the history of the world Discuss this statement with reference to the position in the Far East
- 4 What was the Japan's policy towards China during the
between the two World Wars? What was the atti'

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

- 5 Examine the Anglo-American attitude towards Japan between the two World Wars
- 6 Describe the circumstances that led to withdrawal of Japan from the League of Nations and state how far that withdrawal influenced Japanese foreign policy in subsequent years
- 7 Describe the foreign relations of China between the two World Wars
- 8 Analyse the international importance of the Far East
- 9 Account for the success of the Japanese foreign policy between the two World Wars
- 10 Estimate the Far Eastern Policy of Britain and the United States of America
- 11 Give a brief account of Japan's aggression against China in Manchuria. Do you think that the failure of the League of Nations to check it was the first serious blow to its prestige as an agency for providing security?
- 12 Give a background of the Washington Conference and the terms of the Washington treaties
- 13 Examine the causes and results of the Washington treaties of 1921-22. Did it solve the problems of the Far East?
- 14 What were the causes of the Japanese imperialism?
- 15 Discuss the causes and results of the Manchurian crisis of 1931. Why the League of Nations failed to solve it?
- 16 Discuss the Sino-Japanese relations between 1931 and 1939

(X)

- 1 Give a brief account of the wartime diplomacy of the Great Powers
- 2 Write short notes on the Atlantic Charter, Yalta Conference, Potsdam Agreement and Dumbarton Oaks Conference

(XI)

- 1 Describe the organisation and functions of the U.N.O.
- 2 Describe the composition and powers of the Security Council of the U.N. Discuss its voting procedure
- 3 What do you mean by 'veto' in the Security Council? Would you advocate its abolition? Give reasons
- 4 Compare and contrast the Charter of the U.N. with that of the Covenant of the League of Nations. In what respect the Charter is an improvement on the Covenant?
- 5 Write an essay on working of the U.N. as an instrument for the establishment of world peace
- 6 Discuss the various international problems tackled by the U.N. How far it has been able to solve them?

- 7 Write an essay on the problem of the revision of the U N Charter
- 8 Write an essay on the Security Council of the United Nations with special reference to the Veto power available to its permanent members. Would you advocate the abolition of the Veto as a means of making the United Nations more effective?
- 9 Describe the mechanism for collective security under the Charter of the United Nations and show how it differs from the collective security system under the Covenant of the League of Nations
- 10 Describe the machinery for international supervision over backward areas under the League of Nations and the U N. In what respects if any would you regard the charter provisions as an improvement upon the League's mandate system?
- 11 How far is the United Nations Trusteeship System an improvement upon the Mandate System
- 12 Describe the composition and powers of the Security Council of U N. To what extent is it better qualified to establish world peace than the Council of the League of Nations
- 13 Describe the constitution functions and objectives of the Economic and Social Council and assess its contribution to international co-operation
- 14 Write an essay on the working of the United Nations Organization as an instrument for the establishment of world peace
- 15 The international trusteeship system is no mere prolongation of the mandates system under the League of Nations. It is a new system of international supervision. Its scope is wider its power broader and its potentialities far greater than those of the mandates system. Explain and discuss
- 16 U N O is going the way of League of Nations. Discuss
- 17 Write short notes on —
UNESCO Little Assembly of the United Nations Universal Declaration of Human Rights International Court of Justice Optional clause
- 18 Describe in brief the objectives functions and achievements of I L O
- 19 What problems did the U N face during 1961-63 and how it has been able to solve them?
- 20 Discuss the utility of the U N in international politics

(XII)

- 1 Trace the origin and growth of the conflict between the United States and the Soviet Union after the Second World War
- 2 Conflict between the two monolithic giants of the new world is the dominant reality in contemporary world

- 11 Discuss the Vietnam policy of the U S What circumstances did force her to start peace talks ?
- 12 Analyse the attitude of Johnson administration towards the West Asian crisis of June 1967

(XIV)

- 1 Give a critical sketch of the foreign policy of the Soviet Union since 1945
- 2 Give a brief account of the achievement and failure of the Soviet foreign policy under Stalin
- 3 In what respects has the foreign policy of the U S S R modified in recent years ? Give concrete instances to illustrate your answer
- 4 Do you think that the foreign policy of the Soviet Union under Khrushchev was fundamentally different from that of his predecessor ?
- 5 Discuss in brief Soviet Union's relations with the communist countries of the world
- 6 What do you mean by the term peaceful co-existence ? Discuss it in the context of the U S S R diplomacy
- 7 Discuss Soviet attitude towards the West Asian and the Vietnam crises

(XV)

- 1 Discuss the economic condition of Europe in the post war years What attempts were made to improve them ?
- 2 Write short notes on (i) Organisation of European Economic Co-operation, (ii) Council of Europe (iii) European Common Market
- 3 Discuss the foreign policy of Great Britain in the post-war years
- 4 Give a short resume of the French foreign policy under De Gaulle
- 5 Discuss the problem of German unification
- 6 Discuss critically the impact of the emergence of Communist China upon international relations Since 1949
- 7 Examine critically the foreign policy of Communist China.
- 8 Discuss China's relations with the U S S R since 1949
- 9 Describe and discuss the foreign policy of Pakistan What new trends have appeared in it since 1962 ?
- 10 Narrate in brief the role of Indonesia in world affairs
- 11 Discuss the formation of Malaysia Analyse its foreign policy
- 12 Discuss the importance of the South East Asia in international affairs

- tics Discuss the principal causes of friction between the U S A and U S S R and suggest remedy or solution for them
- 3 Why do you understand by Cold War ? Give its short resume from 1946 to 1963
 - 4 Do you think that the formation of regional military pacts are in consonance with the spirit of the U N Charter ? Give arguments
 - 5 Describe the main provisions of the North Atlantic Treaty Organisation and Warsaw Pact and discuss their effects on the principle of collective security
 - 6 Write short notes on OAS SEATO CENTO and Brussels Pact
 - 7 Give a short account of the problem of disarmament and attempts made to solve it after the Second World War
 - 8 Discuss the main provisions and significance of the Nuclear Test Ban Treaty of August 1963
 - 9 Point out the merits and demerits of the Nuclear Non proliferation Treaty of 1968

(XIII)

- 1 Discuss the main elements the U S A's foreign policy in the post war period
- 2 Critically examine the foreign policy of the U S A since the termination of the Second World War
- 3 Estimate the strength and influence of the imperialist motive in the policy of the U S today
- 4 Under what set of circumstances was the Truman Doctrine enunciated ? Do you agree with the view that it is the modern version of the Monroe Doctrine ?
- 5 The Truman Doctrine marks a revolutionary departure in the American traditional policy and political thinking. Elucidate
- 6 What do you understand by the Eisenhower Doctrine ? Discuss its working and the causes of its failure
- 7 Examine the trends of the U S policy towards the Latin American states since 1945
- 8 Discuss the United States policy towards Cuba
- 9 It was evident before 1960 that America was faced with inescapable necessity of an agonising reappraisal of the course in foreign affairs it had pursued during the preceding two decades. Discuss in the light of this statement the main trends of the U S foreign policy during the period of Truman and Eisenhower. What changes took place during the Kennedy regime ?
- 10 Discuss the role of the United States in the South East Asia. How would you justify American intervention in the Korean War ?

- 11 Discuss the Vietnam policy of the U S What circumstances did force her to start peace talks ?
- 12 Analyse the attitude of Johnson administration towards the West Asian crisis of June 1967

(XIV)

- 1 Give a critical sketch of the foreign policy of the Soviet Union since 1945
- 2 Give a brief account of the achievement and failure of the Soviet foreign policy under Stalin
- 3 In what respects has the foreign policy of the U S S R modified in recent years ? Give concrete instances to illustrate your answer
- 4 Do you think that the foreign policy of the Soviet Union under Khrushchov was fundamentally different from that of his predecessor ?
- 5 Discuss in brief Soviet Union's relations with the communist countries of the world
- 6 What do you mean by the term 'peaceful co-existence' ? Discuss it in the context of the U S S R diplomacy
- 7 Discuss Soviet attitude towards the West Asian and the Vietnam crises

(XV)

- 1 Discuss the economic condition of Europe in the post war years What attempts were made to improve them ?
- 2 Write short notes on (i) Organisation of European Economic Co-operation, (ii) Council of Europe (iii) European Common Market
- 3 Discuss the foreign policy of Great Britain in the post-war years
- 4 Give a short resume of the French foreign policy under De Gaulle
- 5 Discuss the problem of German unification
- 6 Discuss critically the impact of the emergence of Communist China upon international relations since 1949
- 7 Examine critically the foreign policy of Communist China.
- 8 Discuss China's relations with the U S S R since 1949
- 9 Describe and discuss the foreign policy of Pakistan What new trends have appeared in it since 1963 ?
- 10 Narrate in brief the role of Indonesia in world affairs
- 11 Discuss the formation of Malaysia. Analyse its foreign policy
- 12 Discuss the importance of the South East Asia in international affairs

- 13 Write a short essay on the problem of Indo China affecting the political developments of South East Asia
- 14 How did the Vietnam war start? Bring out clearly the responsibility of the U S A for the war
- 15 Write a short essay on international politics of the Middle East after the Second World War
- 16 Discuss the importance of the Middle East in the diplomacy of the Great Powers during the years 1945-1969
- 17 Discuss the part played by Middle East oil and the Suez Canal in international diplomacy
- 18 How has the Zionist problem influenced the course of international politics in the Middle East?
- 19 Give a brief history of the Anglo-Egyptian relations in the period leading to the Suez crisis of 1956
- 20 Trace the origin of the Arab League and indicate its role in the affairs of the Arab World
- 21 What were the causes of the Arab-Israeli conflict of June 1967? Discuss its results
- 22 Describe the attitude of the U S A U S S R Great Britain and India towards the Arab-Israeli conflict of 1967
- 23 Describe how Algeria achieved her independence
- 24 Discuss the emergence of independent states in Africa and its effects on international politics
- 25 Write an essay on the growth and development of the movements towards continental unity of Africa. What are its prospects?
- 26 What is the South Rhodesian problem? Analyse the implications of the unilateral declaration of independence
- 27 How has the U N tried to solve the problem of South Rhodesia and with what results?
- 28 Assess the importance of the Bandung Conference
- 29 Review the attempts made by Afro-Asian countries to consolidate their solidarity

(XVI)

- 1 Describe the main features and objectives of Indian foreign policy since independence
- 2 What do you mean by India's policy of non-alignment? Do you think it is a sound policy? Give reasons
- 3 The policy of India is the policy of peace. Discuss and assess India's contributions to the maintenance of world peace
- 4 Discuss the significance and applicability of the Panchsheel or five principles of 1954 in world politics
- 5 Describe the role of India in world politics since 1947

- 6 Write short notes on India's relations with the U S A, USSR and Pakistan
- 7 The Chinese attack on India in October 1962 marks a turning point in the Indian foreign policy. Do you agree? Give reasons.
- 8 Review India's relations with China and add a note on Colombo Proposals.
- 9 Examine India's relations with Pakistan and assess how far it has affected India's relations with other countries.
- 10 Mark the important developments in India's relation with Pakistan since 1960.
- 11 Discuss and analyse the causes and results of the Indo-Pakistan War of September 1965.
- 12 Write a critical note on Tashkent Agreement.
- 13 Write a critical note on the foreign policy of India since independence.
- 14 Discuss the attitude of India's foreign policy on the activities of the U N O.
- 15 Examine critically the arguments for and against the Pakistan's view of the Kashmir question. What difficulties prevent its solution?
- 16 Make a critical estimate of India's foreign policy.
- 17 What are the defects of Indian foreign policy? Do you think they are inherent?
- 18 Discuss India's attitude towards Vietnam War.
- 19 How would you justify India's policy towards the Arab states during the Arab Israel War of 1967?
- 20 Discuss India's attitude towards disarmament. Why did she not sign the Nuclear Non-proliferation Treaty of 1968?

- 13 Write a short essay on the problem of Indo-China affecting the political developments of South East Asia
- 14 How did the Vietnam war start? Bring out clearly the responsibility of the U S A for the war
- 15 Write a short essay on international politics of the Middle East after the Second World War
- 16 Discuss the importance of the Middle East in the diplomacy of the Great Powers during the year; 1945-1968
- 17 Discuss the part played by Middle East oil and the Suez Canal in international diplomacy
- 18 How has the Zionist problem influenced the course of international politics in the Middle East?
- 19 Give a brief history of the Anglo-Egyptian relations in the period leading to the Suez crisis of 1956
- 20 Trace the origin of the Arab League and indicate its role in the affairs of the Arab World
- 21 What were the causes of the Arab Israel conflict of June 1967? Discuss its results
- 22 Describe the attitude of the U S A U S S R Great Britain and India towards the Arab Israel conflict of 1967
- 23 Describe how Algeria achieved her independence
- 24 Discuss the emergence of independent states in Africa and its effects on international politics
- 25 Write an essay on the growth and development of the movements towards continental unity of Africa. What is its prospects?
- 26 What is South Rhodesian problem? Analyse the implications of the unilateral declaration of independence
- 27 How has the U N tried to solve the problem of South Rhodesia and with what results?
- 28 Assess the importance of the Bandung Conference
- 29 Review the attempts made by Afro-Asian countries to consolidate their solidarity

(XVI)

- 1 Describe the main features and objectives of Indian foreign policy since independence
 - 2 What do you mean by India's policy of non-alignment? Do you think it is a sound policy? Give reasons
 - 3 The policy of India is the policy of peace. Discuss and assess India's contributions to the maintenance of world peace
 - 4 Discuss the significance and applicability of the Panchsheel or five principles of peaceful co-existence
- Describe the role of India in world politics since 1947

- 6 Write short notes on India's relations with the U S A USSR and Pakistan
- 7 'The Chinese attack on India in October 1962 marks a turning point in the Indian foreign policy. Do you agree? Give reasons
- 8 Review India's relations with China and add a note on Colombo Proposals
- 9 Examine India's relations with Pakistan and assess how far it has affected India's relations with other countries
- 10 Mark the important developments in India's relation with Pakistan since 1960
- 11 Discuss and analyse the causes and results of the Indo-Pakistan War of September 1965
- 12 Write a critical note on Tashkent Agreement
- 13 Write a critical note on the foreign policy of India since independence
- 14 Discuss the attitude of India's Foreign Policy on the activities of the U N O
- 15 Examine critically the arguments for and against the Pakistan's view of the Kashmir question. What difficulties prevent its solution?
- 16 Make a critical estimate of India's foreign policy
- 17 What are the defects of Indian foreign policy? Do you think they are inherent?
- 18 Discuss India's attitude towards Vietnam War
- 19 How would you justify India's policy towards the Arab states during the Arab Israel War of 1967
- 20 Discuss India's attitude towards disarmament. Why did she not sign the Nuclear Non proliferation Treaty of 1968

ग्रन्थ-निर्देश

GENERAL BOOKS

- | | |
|---------------------|---|
| Alberj and Alberj, | Europe from 1914 to the Present |
| Alexander, F, | From Paris to Locarno |
| Almond, G A , | The American People and Foreign Policy |
| Arora, S K , | American Foreign Policy Towards India |
| Bacher R S , | Woodrow Wilson and Peace Settlement |
| Bailey, T A | 1 Russian American Relations |
| | 2 Woodrow Wilson and the Lost Peace |
| Bailey, Sydney, D , | United Europe A History of the Idea |
| Bainz J S , | India's International Disputes |
| Bartlett, V | Struggle for Africa |
| Baynes, N H | The Speeches of Adolf Hitler |
| Beard, C A | American Foreign Policy in Making |
| | 1939 1940 |
| Bclloff, M | The Foreign Policy of Soviet Russia |
| Bengunon, D , | The Re birth and Destiny of Israel |
| Benns, L | Europe Since 1914 |
| Bertrand Russell , | The Unarmed Victory |
| Bharatdwarj K P , | Peaceful Co existence |
| Birdsall P , | Versailles Twenty Years After |
| Blackett , P M S | Atomic Weapons and East West Relations |
| Braine, B , | Will India Stay in the Commonwealth |
| Brierly, J L , | The Outlook of International Law |
| Breakes P N and | The Diplomacy of India |
| Bedi, M S , | |
| Bowles C , | 1 The New Dimension of Peace |
| | 2 Ambassador's Report |
| Bull H , | Disarmament in the Missile Age |
| Bull and Killough | International Relations |
| Carr F H , | Great Britain A study of Foreign Policy |
| | From the Versailles Treaty to the Out |
| | break of the War |
| | International Relations Between the Two |
| | World Wars |

Chamber Harris & Bayley,	This Age of Conflict
Chamberlain	Japan Over China
Chaemers, H ,	World Trade Politics
Chakravarti, P C ,	India China Relations
Chipman, W	India s Foreign Policy
Churchill, W S ,	1 The War Memoirs (5 vols) 2 The Gathering Storm 3 The Aftermath 1918 1928
Coeover and Haviland	Organising for Peace
Clark R T ,	The Fall of the German Republic
Claude I L	Swords into Plowshares
Cemenceau G ,	Grandeur and Misery of Victory
Commager H S	The Story of the Second World War
Coyajee, J C	India and the League of Nations
Crankshaw E ,	1 Russia without Stalin 2 The New Cold War Moscow v/s Peking.
Dallin D J	Soviet Russia s Foreign Policy
Davidson B ,	The African Awakening
Dear, V M ,	United States and Russia
Deena F F ,	The United States and World Organisation 1920 33
Deutscher Isaac ,	The Great Contest
Dillon, E J ,	The Inside Story of the Peace Conference
Dulles, F R	1 America in the Pacific 2 War and Peace
Durgadas,	India and the World
Dutt V P	China s Foreign Policy
Eagleton, C	International Government
Edward, R V ,	Turkish Foreign Policy
Eisenhower D D ,	Crusade in Europe
Ellis W L ,	A Short History of American Diplomacy
Engely, G	A Short History of International Affairs
Kerrel, R H ,	American Diplomacy
Lisher S N ,	The Middle East
Lriedmann, W	An Introduction to World Politics
Lryo, R N	The Near East and the Great Powers
Fuller J I O ,	Armaments and History

Gathorn, Hardy G M,	The Fourteen Points and the Treaty of Versailles
Gedye G E R,	Betrayal in Central Europe
Grigg, E,	British Foreign Policy
Goodrich and Hambro	Commentary on the Charter of the U N
Grigory, I D,	Dulles and His Times
Gunther, J,	1 Inside Africa 2 Inside Europe 3 Inside Asia 4 Inside America
Government of India,	White Paper on India China Relations
Gupta, Karunakar,	India's Foreign Policy
Haines and Hoffman,	Origin and Background of the Second World War
Harris H W	Naval Disarmament
Harris, S E	The European Recovery Programme
Hartmann, F H	The Relations of Nations
-----	Hindustan Year Book
Haviland, H F,	The Political Role of General Assembly
Hitler, A	Mein Kampf
Holborn, H,	History of Modern Germany
Hudson, J,	A History of the League of Nations
Hunewiltz J C,	The Struggle for Palestine
Hyamson, A M	Palestine under the Mandate
Ingram, H	Years of Crisis
Ismail, M,	India and her Neighbours
Jarman T L.,	The Rise and Fall of Nazi Germany
Kachroo J L,	India and the Commonwealth
Kamath, M Y,	India at the United Nations
Kane R S,	Europe Versailles to Warsaw
Karanjia R. K.,	The Arab Dawn
Karunakaran, K. P.,	India in World Affairs (2 vols)
Kaul, H M	The United States
Kearns G F,	Latin American Relations
Kissinger, H	History of Middle East
Koehn, H A	Nuclear Weapons and the Control of
Koehn, W E	Hitler and Beyond
Koehn, J C	International Law

Laqueur, W Z	The Middle East in Transition
Laski H ,	The Dilemma of Our Times
Lattourette, K S .	1 A Short History of the Far East
	2 The History of Japan
Lattimore, Q	Manchuria Cradle of Conflict
Lenzovasky, Q	Middle East in World Affairs
Leonard, L ,	International Organisation
	Elements of American Foreign Policy
Levi, W ,	1 Free India in Asia
	2 Fundamentals of World Organisation
Lie, Trygve	In the Cause of Peace
Lipmann, W	1 Origin of the Second World War
	2 U S Foreign Policy
	3 The Cold War A Study of the U S Foreign Policy
Lischer, L ,	The Soviet in World Affairs
Low, F	Struggle for Asia
Luke, H ,	Turkey
Lyon, Peter,	Neutrality
Macartney M H H and Cremond P ,	Italy's Foreign and Colonial Policy
Madan Gopal	India as a World Power
Madriaga S de	Disarmament
Mankar, D R ,	Twenty two Fateful Days
Mangone, G J ,	A Short History of International Organisation
Miller, D H	1 The Drafting of the Covenant
	2 The Geneva Protocol
	3 The Pact of Paris
Ministry of External Affairs, India	Foreign Affairs Records
Molotov V M	Problems of Foreign Policy
Molotov B D ,	Khrushchev and Stalin Ghost
Money L C	Can War be Averted ?
Mookherjee S K	India's Role in World Peace
Moon P T	Imperialism and World Politics
Morgenthau ,	Politics Among Nations
Morley, F	The Foreign Policy of the United States

- Mower, E O An Introduction to the Study of
International Organisation.
- Murty, K S Indian Foreign Policy
- Nauporia, N J, The Sino Indian Dispute
- Natrajan, L, The American Shadow Over India
- Nehru Jawaharlal
1 India's Foreign Policy
2 The Discovery of India
3 An Autobiography
- Nevins A America in World Affairs
- Nicolas, H G The United Nations as a Political
Institution
- Nicolas J S K, American Strategy in World Politics
- Norman, Hill, International Organisation
- Nutting, Anthony Disarmament An Outline of the Negotia-
tions
- Oppenheim, L International Law
- Panikkar, K M
1 In Two Chinas
2 Regionalism and Security
3 India and the Indian Ocean
4 Afro Asian States and their Problems.
- Palmer and Perkins International Relations,
Foreign Policy of India
- Patel, S R The Revolt of Asia
- Payne R, A Modern Law of Nations
- Philip, C J, India and America
- Poplar, S W and
Talbot P
- Potter, P B, An Introduction to the Study of Interna-
tional Organisation
- Prasad, B, Origins of Indian Foreign Policy
- Publication Division Independence and After
Govt of India
- Rappard W E, The Quest for Peace Since the 'World War
- Raymond, W B
1 Diplomatic Prelude
2 The Washington Conference
- Reynolds, P A, The British Foreign Policy in Inter war
Years.
- Roberts, H L Russia and America
- Ronald Regal Crisis of India,

Rosinger, L K	India and the Un'ed States
Rossi, A ,	The Russo German Alliance
Rothstein, A ,	The Munich Conspiracy
Sharp and Kirk,	Contemporary International Politics
Shuman F L ,	1 Soviet Politics at Home and Abroad
	2 Germany Since 1918
	3 The Nazi Dictatorship
	4 International Politics
	5 Night Over Europe
	6 Europe on the Eve
	7 The Conduct German Foreign Policy
Schleicher, C P ,	Introduction to International Relations
Sundaram, L ,	India in World Politics
Suljberger, C L ,	The Big Thaw
-----	Statesman Year Book
Snell, J L ,	The Meaning of Yalta
Stimson H W ,	The Far Eastern Crisis
Stein-Watson, R W ,	From Munich to Danzig
Taylor, A J P ,	Origins of the Second World War
Theodore C S ,	The United States as a Factor in World History
Thomson, D	1 French Foreign Policy
	2 Europe Since Napoleon
United Nations,	Year Book of the United Nations
Verma D N ,	India and the League of Nations
Vinacke, H ,	1 The United States in the Far East
	2 A History of the Far East in Modern Times
Walker R L ,	China Under Communism
Wallace, H A ,	Towards World Peace
Ward, Barbara,	Italian Foreign Policy
	Russian Foreign Policy
Webster, C K	The League of Nations in Theory and Politics
Walter F P A ,	A History of the League of Nation (2 Vols)
Williams B H	The United States and Disarmament.
Williams W A ,	American Russian Relations

Wheeler Bannett J W , 1	Disarmament and Security Since Locarno,
Wolfers A ,	2 Munich Prologue to Tragedy Britain and France Between the Two World Wars
Wright, Q ,	The Mandate under the League of Nations
Wu, A K ,	China and the Challenge of Co existence
Yakhontof, V A	U S S R Foreign Policy
Young, A M ,	Imperial Japan
Zimmern A E ,	The League of Nations and the Rule of Law

JOURNALS AND NEWSPAPERS

<i>Asian Recorder,</i>		New Delhi
<i>Current History,</i>		Philadelphia
<i>Keesing's Contemporary Archives</i>		Bristol
<i>International Affairs,</i>		London
<i>International Affairs</i>		Moscow
<i>International Affairs</i>		Bombay
<i>International Organisation,</i>		Boston
<i>India Quarterly</i>		Delhi
<i>Link,</i>		Delhi
दिनमान,		Delhi
×	×	×
<i>Hindustan Times</i>		Delhi
<i>Times of India</i>		Delhi
<i>Statesman</i>		Calcutta

